राज्य वित्त
वर्ष 2006-07 के बजटों का अध्ययन

भारतीय रिज़र्व बैंक

मूल्य

भारत में – **200 रुपए (सामान्य)**

– **230 रुपए (डाक प्रभार सहित)**

– **150 रुपए (रियायती)**

– **175 रुपए (रियायती डाक प्रभार सहित)**

विदेश – **20 अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)**

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2006
सर्वाधिकार सुरक्षित । इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है बशर्ते कि स्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए ।

ए. करूणागरन द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा
मेसर्स अल्को कॉर्पोरेशन, ए-2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई - 400 013 में डिज़ाइन और मुद्रित।

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक 1950-51 से राज्य वित्त के संबंध में वार्षिक अध्ययन प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष 1998-99 तक यह अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के एक अंग के रूप में प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 1999-00 से यह वार्षिक अध्ययन एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। अनुसंधानकर्त्ताओं को टाइम सीरीज़ आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक [राज्य वित्त और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ), आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (डीईएपी)] ने वर्ष 2004 में 'हैंड बुक आफ स्टेटिस्टिक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट फायनांन्सेज़' नाम से एक प्रकाशन निकाला। इस दस्तावेज़ में 1980-81 से प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में तथा 1990-91 से राजस्व और पूंजी खाते के अंतर्गत राज्यवार टाइम सीरीज़ आंकड़े दिए गए हैं।

भारत में संघवाद उभरने के साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित राज्य वित्त संबंधी इस अध्ययन ने अपने आंकड़ा व्याप्ति और विश्लेषण को और भी बेहतर बनाया है। इस अध्ययन में सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करने के अलावा राज्यों के वित्त का विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया गया है। ध्यान देने योग्य रुचि की बात यह है कि 2005-06 में 'राज्य सरकारों की बकाया देयताएं' विषय पर विशेष सामग्री दी गई है। इस प्रस्तुत अध्ययन अर्थात् 'राज्य वित्त : 2006-07 के बजटों का अध्ययन', में 'सामाजिक क्षेत्र व्यय' एक विशेष प्रसंग है।

यह अध्ययन आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय वित्त प्रभाग के सहयोग से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग में तैयार किया गया है। इस कार्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग से भी सहयोग लिया गया। इस अध्ययन को राज्य सरकारों के वित्त विभागों से सहयोग और भरपूर जानकारी तथा चुनिंदा राज्य सरकारों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारियों, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के साथ हुई चर्चाओं से मूल्यवान तकनीकी जानकारी का लाभ मिला।

उपर्युक्त अध्ययन (1950-51 से लेकर) के पुराने अंक भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 2001-02 से लेकर आगे का यह अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।

इस अध्ययन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से इस अध्ययन के संबंध में प्रतिसूचना/अभिमत आमंत्रित हैं। ये ई-मेल के माध्यम से deapdslf@rbi.org.in पर निदेशक, राज्य एवं स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001 को भेजे जा सकते हैं।

राकेश मोहन
उप गवर्नर
30 नवंबर 2006

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

प्रस्तावना

संक्षेपाक्षर

I. प्रस्तावना 1

II. विहगावलोकन 2

III. नीतिगत उपाय 6

III.1 राज्य सरकारें 6

III.1.1 *राजस्व वृद्धि* 6

III.1.2 *व्यय प्रबंध* 7

III.1.3 *संस्थागत उपाय* 7

III.1.4 *अन्य उपाय* 8

III.1.5 *बिजली क्षेत्र के सुधार* 8

III.2 भारत सरकार 9

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक 11

III.3.1 *राज्य सरकारों के बाजार उधारों के लिए नीलामियां* 11

III.3.2 *राज्य सरकारों के निवेश प्रबंध की योजना* 11

III.3.3 *राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की तरलता* 12

III.3.4 *राज्य सरकारों के उधारों के संबंध में स्थायी तकनीकी समिति का गठन* 12

III.3.5 *राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की योजना* 12

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति 12

IV.1 लेखे : 2004-05 14

IV.2 संशोधित अनुमान : 2005-06 14

IV.3 बजट अनुमान : 2006-07 16

IV.3.1 बजट अनुमान 2006-07 - महत्वपूर्ण घाटा संकेतक 16

IV.3.2 राजस्व प्राप्तियां 17

IV.3.3 राजस्व व्यय 19

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां 19

IV.3.5 पूंजी व्यय 20

IV.3.6 केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण 20

IV.3.7 विकासात्मक और विकासेतर व्यय 20

IV.3.7.1 *मज़दूरी और वेतन तथा परिचालनों और रखरखाव पर व्यय* 21

IV.3.8 राज्य सरकारों के योजना परिव्यय 23

पृष्ठ सं.

IV.4 आकलन 23

IV.4.1 समेकित स्थिति 23

IV.4.2 घाटों का राज्यवार सुधार 24

IV.4.3 राज्य बजटों का विखण्डन और वित्तपोषण 24

IV.4.4 बजट आंकड़ों में घटबढ़ - केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजट 25

IV.4.5 राज्य बिजली बोर्डों (एस ई बी) / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं का कार्यनिष्पादन 27

V. राज्यवार राजकोषीय कार्य-निष्पादन का आकलन 27

V.1 समग्र स्थिति - सभी राज्य 29

V.2 गैर-विशेष श्रेणी के राज्य 30

V.2.1 समग्र स्थिति-गैर विशेष श्रेणी के राज्य 30

V.2.2 घाटा संकेतक 30

V.2.3 राजस्व निष्पादन 32

V.2.4 खर्च का स्वरूप 34

V.3 विशेष श्रेणी के राज्य 36

V.3.1 समग्र स्थिति - विशेष श्रेणी के राज्य 36

V.3.2 घाटा संकेतक 36

V.3.3 राजस्व निष्पादन 38

V.3.4 खर्च का स्वरूप 38

VI. बकाया देयताएं, बाजार उधार और राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताएं 41

VI.1 राज्य सरकारों की बकाया देयताएं (ऋण) 41

VI.1.1 ऋण की परिभाषा 41

VI.1.2 ऋण की मात्रा 43

VI.1.3 ऋण की बनावट/संरचना 43

VI.2 बाजार उधार 44

VI.2.1 समेकित स्थिति 44

VI.2.2 2006-07 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन 45

VI.2.3 राज्य-वार ऋण स्थिति 46

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन 50

VI.4 आकस्मिक देयताएं 51

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन 52

VI.5.1 ब्याज भुगतान 52

VI.5.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप 52

VI.5.3 राज्य सरकारों के ऋण और टीएफसी - समेकन और छूट 55

VII. सामाजिक क्षेत्र के व्यय 56

VII.1 सामाजिक क्षेत्र के व्यय का महत्व 56

पृष्ठ सं.

VII.2 सामाजिक क्षेत्र के व्यय - कुल स्थिति 57
VII.3 सामाजिक क्षेत्र के व्यय : संघटन 57
VII.4 सामाजिक क्षेत्र के व्यय - सामाजिक सेवाएं 58
VII.5 राज्यवार स्थिति 59
VII.5.1 गैर-विशेष श्रेणी के राज्य 59
VII.5.2 विशेष श्रेणी वाले राज्य 61
VII.6 सामाजिक क्षेत्र व्यय और मानव विकास 63
VII.6.1 अखिल भारतीय स्थिति 63
VII.6.2 राज्यवार स्थिति 63

VIII. मामले और परिदृश्य 65
VIII.1 राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण 65
VIII.2 राजकोषीय नियम और लेखांकन व्यवस्था 68
VIII.3 राज्यों द्वारा अधिशेष नकदी शेषों, चलनिधि और निवेश का प्रबंध 68
VIII.4 राजकोषीय अधिकार प्रदान करना 68
VIII.5 बिजली सब्सिडी 70
VIII.6 सामाजिक क्षेत्र व्यय 72

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां 73

अनुबंध

1. वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल 75
2. राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून 98
3अ. वर्ष 2005-06 (औसत) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति 107
3आ. वर्ष 2005-06 (संअ) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति 108
3इ. वर्ष 2005-06 (औसत) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति 109
3ई. वर्ष 2005-06 (संअ) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति 110
4. राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण 111

डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी 119
आंकड़ा स्रोत 119
कार्यप्रणाली 119
ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली 120

बॉक्स

1. राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट - सारांश 13
2. राज्य सरकार की देयताओं के समेकन पर कार्य दल की रिपोर्ट - सारांश 42
3. राज्य सरकारों के बाजार उधार : हाल की गतिविधियां और भावी चुनौतियां 47
4. ऑस्ट्रेलिया में उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ऋण प्रबंधन 53

पृष्ठ सं.

5. सरकारी सामाजिक क्षेत्र व्यय, आर्थिक वृद्धि और मानवीय विकास सिद्धांत और प्रमाण 56
6. राज्य मानव विकास रिपोर्ट - मुख्य बातें 64
7. बारहवां वित्त आयोग और सामाजिक क्षेत्र 66
8. राज्य सरकारों द्वारा नियम-आधारित राजकोषीय नीति अपनाना 67
9. राजकोषीय नियम एवं लेखांकन व्यवस्थाएं - एक तुलनात्मक दृष्टिकोण 69
10. अधिक नकद शेष का प्रबंधन 70
11. राज्य सरकारों के निवेश संविभाग 71

सारणी

1. राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार 8
2. राज्यों में बिजली क्षेत्र के सुधारों की स्थिति 10
3. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2004-05 (सं.अ.) की तुलना में 2004-05 (लेखा) 14
4. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2005-06 (ब.अ.) 15
5. प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.) 17
6. राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां 18
7. चयनित सेवाओं की लागत वसूली 18
8. राज्य सरकारों के व्यय का स्वरुप 21
9. राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय-मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय 22
10. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां 23
11. राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.) 24
12. सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण स्वरूप - 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.) 25
13. बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट 25
14. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (सराघा) - 2006-07 (समायोजित) 26
15. राज्य बिजली बोर्डों (एस ई बी) / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं का कार्यनिष्पादन 27
16. राजकोषीय संकेतक - 2002-03 से 2004-05 (औसत) 28
17. राजकोषीय संकेतक 2005-06 (सं.अ.) 29
18. राजकोषीय संकेतकों का मध्यम मान 30
19. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 32
20. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - सकल राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 32
21. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - स्व कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 34
22. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - विकासात्मक व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 34
23. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - पूंजी परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 36
24. गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 36
25. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 38
26. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - स्व कर राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद 38
27. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - विकासात्मक व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 41

पृष्ठ सं.

28. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - पूंजी परिव्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 41
29. राज्य सरकारों की बकाया देयताएं 43
30. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन 44
31. राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर स्थिति 45
32. राज्य सरकारों की बाजार उधारियां 45
33. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय 46
34. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 48
35. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां 49
36. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 50
37. विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां 50
38. सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा-1996 से 2006 50
39. राज्य सरकार की बकाया गारंटियां 51
40. राज्य सरकार की बकाया देयताओं पर औसत ब्याज दर 52
41. बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरुप 54
42. बकाया राज्य ऋण एवं पावर बांड की परिपक्वता का स्वरुप 54
43. केंद्र से लिए गए ऋण की बकाया राशि, चुकौती एवं ऋण राहत 55
44. राज्य सरकार के कुल सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां 57
45. सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां 58
46. सामाजिक क्षेत्र के व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे) 59
47. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 59
48. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 60
49. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 61
50. गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद 62
51. अन्य देशों की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक 63
52. राज्यों के मानव विकास सूचकांक 64
53. राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सब्सिडी 71

चार्ट

1. प्रमुख घाटा संकेतक 16
2. चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली 19
3. ब्याज भुगतान और पेन्शन 19
4. पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक 20
5. विकासात्मक और विकासेतर व्यय 21
6. प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां 23
7. घाटा संकेतक - गैर विशेष श्रेणी राज्य 31

पृष्ठ सं.

8. राजस्व निष्पादन - गैर विशेष श्रेणी राज्य 33
9. व्यय का स्वरुप - गैर विशेष श्रेणी राज्य 35
10. घाटा संकेतक - विशेष श्रेणी के राज्य 37
11. राजस्व निष्पादन - विशेष श्रेणी के राज्य 39
12. व्यय का स्वरुप - विशेष श्रेणी के राज्य 40
13. बकाया देयताओं की संरचना 44
14. बकाया देयताएं - गैर विशेष वर्ग के राज्य 48
15. बकाया देयताएं - विशेष श्रेणी के राज्य 49
16. राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट की उपयोगिता (साप्ताहिक औसत) 51
17. घाटा, ऋण और ब्याज भार 52
18. राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में निवेश (साप्ताहिक औसत) 54
19. सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां (साक्षेव्य) 57
20. सामाजिक क्षेत्र के व्यय के प्रमुख घटक (राजस्व एवं पूजी) 59
21. साक्षेव्य से सराघउ-गैर विशेष श्रेणी के राज्य 60
22. साक्षेव्य से सकल व्यय-गैर विशेष श्रेणी के राज्य 60
23. साक्षेव्य से सराघउ-विशेष श्रेणी के राज्य 62
24. साक्षेव्य से सराघउ-विशेष श्रेणी के राज्य 62
25. मानव विकास सूचकांक एवं प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र के व्यय (पीसीएसएसइ) 65

परिशिष्ट सारणी

1. राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक ..... वि1
2. समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में ..... वि2
3. राजस्व खाते में प्राप्तियाँ ..... वि3
4. राजस्व व्यय ..... वि5
5. पूंजीगत प्राप्तियाँ ..... वि6
6. पूंजी संवितरण ..... वि7
7. सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विवरण ..... वि8
8. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण ..... वि9
9. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रुप में ..... वि10
10. राज्य सरकारों के बाजार उधार ..... वि11
11. विकास और विकासेतर व्यय ..... वि12
12. व्यय के घटक ..... वि13
13. विकास व्यय : मुख्य शीर्ष ..... वि14
14. विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष ..... वि15
15. विकास और विकासेतर व्यय : योजना और योजनेतर घटक ..... वि16
16. विकास और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक ..... वि17
17. योजना और योजनेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक ..... वि18

पृष्ठ सं.

18. राज्यों के योजनेतर-विकासेतर व्यय ..... वि19
19. केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण ..... वि20
20. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विन्यास ..... वि21
21. राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विन्यास - कुल के अनुपात में (मार्चांत में) ..... वि22
22. सामाजिक क्षेत्र व्यय का संघटन ..... वि23
23. सामाजिक क्षेत्र व्यय का संघटन - कुल के प्रतिशत के रुप में ..... वि24

विवरण

1. प्रमुख राजकोषीय संकेतक ..... वि25
2. राजस्व घाटा /अधिशेष ..... वि29
3. परंपरागत घाटा/अधिशेष ..... वि30
4. सकल राजकोषीय घाटा ..... वि31
5. सकल राजकोषीय घाटे का अलग-अलग ब्योरा ..... वि32
6. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2004-05 (लेखा) ..... वि34
7. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल 2004-05 (लेखा) के प्रतिशत के अनुसार ..... वि35
8. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2005-06 (सं.अ.) ..... वि36
9. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल 2005-06 (लेखा) के प्रतिशत के अनुसार (सं.अ) ..... वि37
10. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2006-07 (ब.अ.) ..... वि38
11. सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल 2006-07 (ब.अ) के प्रतिशत के अनुसार ..... वि39
12. विकासात्मक व्यय ..... वि40
13. विकासेतर व्यय ..... वि41
14. योजना व्यय ..... वि42
15. योजनेतर व्यय ..... वि43
16. योजनेतर विकासेतर व्यय ..... वि44
17. सकल और निवल ब्याज भुगतान ..... वि45
18. कुल कर राजस्व ..... वि46
19. राज्यों के अपने कर राजस्व ..... वि47
20. कुल करेतर राजस्व ..... वि48
21. राज्यों के अपने करेतर राजस्व ..... वि49
22. केंद्रीय कर में राज्यों के अंश ..... वि50
23. केंद्र से अनुदान ..... वि51
24. केंद्र से सकल और निवल ऋण ..... वि52
25. केंद्र के संसाधनों के सकल और निवल डिवोल्यूशन तथा अंतरण ..... वि53
26. बकाया देयता विन्यास - 1991-2007 (ब.अ.) ..... वि54
27. राज्य सरकार की कुल बकाया देयताएं (मार्च के अंत में) ..... वि71
28. कुल बकाया देयताएं - सघउ का प्रतिशत (मार्च के अंत में) ..... वि73
29. राज्य सरकारों के बाजार उधार ..... वि74

पृष्ठ सं.

30. राज्य सरकारों के योजना परिव्यय ..... वि75
31. वर्ष 2006-07 (ब.अ.) के दौरान अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) उपायों से राजस्व आय ..... वि76
32. पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय ..... वि77
33. राज्य सरकार के बाजार ऋण ..... वि78
34. राज्य सरकार के बकाया बाज़ार ऋण (मार्च 2006 के अंत में) ..... वि98
35. राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता अवधि विन्यास (31 मार्च 2006 को बकाया) ..... वि99
36. राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता अवधि विन्यास - कुल के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च 2006 के अनुसार) ..... वि100
37. राज्य सरकार के चयनित प्रतिबध्द व्यय-राज्य के स्व-राजस्व के अनुपात के रुप में ..... वि101
38. राज्य सरकार के चयनित प्रतिबध्द व्यय-राज्य के स्व-राजस्व के अनुपात के रुप में ..... वि102
39. भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की प्राप्तता ..... वि103
40. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) ..... वि104
41. 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल निवेश शेष (मार्च के अंत में) ..... वि105
42. शिक्षा पर व्यय $ - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में ..... वि106
43. चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में ..... वि107
44. राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां (मार्च के अंत में) ..... वि108
45. पारिश्रमिक तथा वेतन पर व्यय ..... वि109
46. परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय ..... वि110
47. ग्यारहवें वित्त आयोग तथा बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य सरकारों को कर्ज माफ़ी ..... वि111
48. वर्ष 2005-06 के दौरान केंद्रीय ऋण तथा ब्याज राहत की चुकौती
31 मार्च 2004 तक जारी केंद्रीय ऋण के समेकन के कारण ..... वि112
49. सामाजिक क्षेत्र के व्यय ..... वि113
50. सामाजिक क्षेत्र के व्यय कुल व्यय की तुलना में ..... वि114

परिशिष्ट

I. अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां प1-प30
परिशिष्ट I की टिप्पणी प31
II. अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय प32-प91
परिशिष्ट II की टिप्पणी प92
III. अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां प93-प107
परिशिष्ट III की टिप्पणी प108
IV. अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय प109-प198
परिशिष्ट IV की टिप्पणी प199

चुनिंदा संक्षेपाक्षर सूची

ADB	-	एशियाई विकास बैंक
Agg. Dis.	-	कुल संवितरण
AG	-	महा लेखाकार
Agg. Recp.	-	सकल प्राप्तियां
ARC	-	प्रशासनिक सुधार आयोग
ARM	-	अतिरिक्त संसाधन संग्रहण
BE	-	बजट अनुमान
BOT	-	निर्माण, परिचालन और अंतरण
CAG	-	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक
CE	-	पूंजी व्यय
CHST	-	कनाडा हेल्थ एंड सोशल ट्रान्सफर
CIPET	-	सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी
CO	-	पूंजी परिव्यय
Comm. Exp.	-	प्रतिबद्ध व्यय
CPS	-	केंद्रीय प्लान स्कीम
CPSUs	-	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
CR	-	पूंजी प्राप्तियां
CRF	-	आपदा राहत निधि
C-SAS	-	कंप्यूटरीकृत-स्टाम्प शुल्क प्रबंध प्रणाली
CSF	-	समेकित ऋण शोधन निधि
CSO	-	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
CSS	-	केंद्र प्रायोजित योजना
CT	-	चालू अंतरण
Dev. Exp.	-	विकासात्मक व्यय
DSS	-	ऋण अदला-बदली योजना
EFC	-	ग्यारहवां वित्त आयोग
EFSR	-	आर्थिक और राजकोषीय नीति रिपोर्ट
FIs	-	वित्तीय संस्थान
FRBM	-	राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन
FRL	-	राजकोषीय जवाबदेही कानून
GDP	-	सकल घरेलू उत्पाद
GFD	-	सकल राजकोषीय घाटा
GFD Exp.	-	सकल राजकोषीय घाटा व्यय
GIC	-	भारतीय साधारण बीमा निगम
GoI	-	भारत सरकार
GRF	-	गारंटी मोचन निधि
GS	-	सरकारी स्टॉक/प्रतिभूतियां
GSDP	-	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GST	-	माल तथा सेवा कर
HDI	-	मानव विकास सूचकांक
HFI	-	क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन
HUDCO	-	आवास और शहरी विकास निगम लि.
ICDS	-	समन्वित बाल विकास योजना
IP	-	ब्याज भुगतान
IR	-	ब्याज प्राप्ति
ITI	-	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
IIT	-	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
JNNURM	-	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
JVF	-	संयुक्त उद्यम निधि
KVIC	-	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
LAF	-	चलनिधि समायोजन सुविधा
LIC	-	भारतीय जीवन बीमा निगम
MB	-	बाजार उधार
MoA	-	करार ज्ञापन
MoF	-	वित्त मंत्रालय
MoU	-	सहमति ज्ञापन
MSS	-	बाजार स्थिरीकरण योजना
NABARD	-	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

NCDC	-	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCT	-	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
NEC	-	पूर्वोत्तर परिषद
NFD	-	निवल राजकोषीय घाटा
NGO	-	गैर सरकारी संगठन
NIC	-	राष्ट्रीय संसूचना विज्ञान केंद्र
NIPFP	-	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
NIRE	-	ब्याजेतर राजस्व व्यय
Non-Dev. Exp.	-	विकासेतर व्यय
Non-Dev. Rev. Exp.	-	विकासेतर राजस्व व्यय
NPS	-	नई पेन्शन योजना
NREGS	-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
NSSF	-	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
NTR	-	करेतर राजस्व
OBC	-	अन्य पिछड़े वर्ग
OD	-	ओवरड्राफ्ट
OL	-	बकाया देयताएं
ONTR	-	स्व करेतर राजस्व
OTR	-	स्व कर राजस्व
PB	-	पावर बांड
PC	-	योजना आयोग
PD	-	प्राथमिक घाटा
PDS	-	सरकारी वितरण प्रणाली
PPP	-	सरकारी निजी भागीदारी
PRB	-	प्राथमिक राजस्व शेष
PRI	-	पंचायत राज संस्थान
PSB	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
PWD	-	लोक निर्माण विभाग
RBI	-	भारतीय रिज़र्व बैंक
RD	-	राजस्व घाटा
RE	-	संशोधित अनुमान
REGS	-	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
Rev Exp.	-	राजस्व व्यय
RIDF	-	ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि
RLA	-	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली
RR	-	राजस्व प्राप्तियां
RTI	-	सूचना का अधिकार
SBI	-	भारतीय स्टेट बैंक
SC	-	अनुसूचित जाति
SDLs	-	राज्य विकास ऋण
SEBs	-	राज्य बिजली बोर्ड
SERCs	-	राज्य बिजली विनियामक आयोग
SEZ	-	विशेष आर्थिक क्षेत्र
SHGs	-	स्वयं सहायता समूह
SFC	-	राज्य वित्त निगम
SPF	-	राज्य भविष्य निधि
SPP	-	विशिष्ट प्रयोजन भुगतान
SPS	-	राज्य प्लान स्कीम
SPSUs	-	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
SPV	-	विशेष प्रयोजन के साधन
SSE	-	सामाजिक क्षेत्र का व्यय
ST	-	अनुसूचित जनजाति
STC	-	स्थायी तकनीकी समिति
TBs	-	खज़ाना बिल
TFC	-	बारहवां वित्त आयोग
TR	-	कर राजस्व
ULBs	-	शहरी स्थानीय निकाय
UNDP	-	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
UTI	-	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
VAT	-	मूल्यवर्धित कर
VFI	-	उर्ध्वाकार राजकोषीय असंतुलन
VRS	-	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
WMA	-	अर्थोपाय अग्रिम

राज्य वित्त
वर्ष 2006-07 के बजटों का अध्ययन[1]

प्रस्तावना

राजकोषीय दायित्व विधान पारित करके राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रकिया अपनाने के लिए अपनी वचनबद्धताओं के आलोक में राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07[2] के अपने बजट पेश किए। राजकोषीय असंतुलनों को कम करने के राज्य सरकारों के प्रयत्नों को, बारहवें वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी वाले केंद्रीय करों और अनुदानों के माध्यम से और अधिक वित्तीय अंतरणों के कारण भी मदद मिली। इसके अलावा, दो राज्यों (तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने बिक्रीकर के बदले मूल्ययोजित कर प्रणाली लागू कर दी है। आशा है, इससे राज्य सरकारों के कर-संग्रह में वृद्धि होगी।

यह मानकर कि राजस्व-वृद्धि से ही राजकोषीय सुधारों में निरंतरता बनी रहेगी, राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट में कर-प्रणाली को और व्यापक आधार प्रदान करने तथा युक्तियुक्त बनाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही राज्यों ने कर-प्रशासन में सुधार लाने, वर्तमान कर और करेतर वसूलियों को सुधारने और सुदृढ़ बनाने तथा राजस्व के नुकसान को समाप्त करने पर भी जोर दिया है। सरकारों के लेनदेन में और अधिक पारदर्शिता तथा दक्षता लाने की दृष्टि से कई राज्यों ने अपने राजकोषागारों का कंप्यूटरीकरण पूरा करने तथा सरकार के लेनदेनों के लिए ई-ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव किया है। बजट प्रस्तावों संबंधी दायित्वों में सुधार लाने के लिए कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 'आउटकम बजट' आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने 'जेंडर बजटिंग' आरंभ करने का भी प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों ने सरकारी क्षेत्र के अपने उपक्रमों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है जिसमें लंबे समय से घाटे में चल रहे उपक्रमों को बजट सहायता कम करने के लिए उन्हें बंद कर देना भी शामिल है। पेंशन संबंधी अपनी बढ़ती देनदारियों को नियंत्रित रखने के लिए और अधिक राज्यों ने निर्धारित अंशदानों पर आधारित नई पेंशन योजना घोषित की। कुछ राज्यों ने खाली पदों को समाप्त करके, मितव्ययिता संबंधी उपाय करके तथा गैर-योजना खर्च कम करके अपने गैर-विकास खर्चों को कम करने का प्रस्ताव किया। खर्च की दृष्टि से, कई राज्यों ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने का प्रस्ताव किया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों की सुधार प्रक्रिया में मदद के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों के बैंकर और ऋण प्रबंधक के रूप में राजकोषीय मुद्दों पर उन्हें और जागरूक बनाता रहा है। राज्य सरकारों के बाज़ार उधारों और समेकित ऋण शोधन निधि के मामले में भी भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न उपाय करता रहा है। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए एक नए अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की योजना भी शुरू की है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, शेष अध्ययन को निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। खण्ड II में अध्ययन का विहगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड III में राज्य सरकारों, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नीतिगत उपायों का विवरण

---

[1] केंद्रीय वित्त प्रभाग और आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के ***राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ)*** में तैयार किया गया। इसके लिए रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) से भी सहयोग मिला। 29 राज्य सरकारों के वित्त विभागों से मिली तकनीकी सहायता के लिए हार्दिक आभार। चुनिंदा राज्य सरकारों; भारत सरकार, वित्त मंत्रालय; नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का कार्यालय, भारत सरकार; योजना आयोग और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के दौरे के समय उनसे प्राप्त अमूल्य तकनीकी जानकारियों के लिए आभार प्रकट किया जाता है।

[2] वर्ष 2006-07 के लिए 29 राज्यों के राज्य बजटों (जिनमें से 4 लेखानुदान थे) के आधार पर राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में 29 राज्यों के बजट शामिल किए गए हैं। इसमें समेकित राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ राज्यवार विश्लेषण संबंधी जानकारी और ब्यौरे, जिसमें बजटीय आंकड़े शामिल किए गए हैं तथा राज्य सरकारों और भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

दिया गया है। खण्ड IV में राज्य सरकारों की समेकित बजट-स्थिति का विश्लेषण और आकलन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड V में राज्य सरकारों के राजकोषीय कार्यनिष्पादन का राज्यवार आकलन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड VI में राज्य सरकारों की बकाया देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) का विश्लेषण और आकलन प्रस्तुत किया गया है। खण्ड VII में एक विशेष विषय-वस्तु के रूप में, भारत में सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। खण्ड VIII में राज्य वित्त से संबंधित उभरते मुद्दे प्रस्तुत किए गए हैं तथा खण्ड IX में उपसंहार प्रस्तुत किया गया है।

अनुबंध 1 में राज्यों के बजटों में घोषित प्रमुख नीतिगत उपायों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। अनुबंध 2 में राज्य सरकारों के राजकोषीय दायित्वों संबंधी कानूनों का विवरण दिया गया है। अनुबंध 3 में, 2002-05 (औसत) और 2005-06 के संशोधित आकलनों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकारों (गैर-विशेष और विशेष) की राजकोषीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। अनुबंध 4 में विभिन्न देशों में राजकोषीय संघवाद का तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। परिशिष्ट सारणी 1 से 23 में 29 राज्य सरकारों के विभिन्न मानदंडों और राजकोषीय संकेतकों का समेकित चित्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विवरण 1 से 50 में राज्यवार आंकड़े (परिशिष्ट I में राजस्व प्राप्तियां, परिशिष्ट II में राजस्व व्यय, परिशिष्ट III में पूंजीगत प्राप्तियां, परिशिष्ट IV में पूंजीगत व्यय) दिए गए हैं।

II विहगावलोकन

वर्ष 2004-05 के लेखाओं के प्रमुख संकेतकों के अनुसार, संशोधित अनुमानों से तुलना करने पर पर्याप्त सुधार परिलक्षित हुए। वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, बजट अनुमानों से तुलना करने पर, राजस्व घाटे में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी आई लेकिन सकल राजकोषीय घाटे में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि पूंजीगत परिव्यय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सरकारों ने अपने-अपने बजटों में यह आश्वस्त किया है कि वे वर्ष 2006-07 में अपने बजटों में राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों को लेखाओं में परिलक्षित करने के बाद राजस्व घाटे, सकल राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के प्रमुख घाटा संकेतक स्पष्टतः ज्ञात होने लगे। इस बात पर ध्यान देना संगत होगा कि वर्ष 2004-05 के राजस्व लेखे में सुधार मुख्यतः गैर-ब्याज राजस्व व्यय में कमी के कारण हुआ। पूंजीगत परिव्यय में भी 6672 करोड़ रुपए की कमी (9.8 प्रतिशत) आयी जो पूंजीगत व्यय में 88 प्रतिशत कमी के बराबर है।

वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों से संकेत मिला कि बजट अनुमानों, खासकर राजस्व लेखे से तुलना करने पर राज्य सरकारों के राजकोषीय कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान में राजस्व घाटे में 31 प्रतिशत की कमी आई। राजस्व घाटे में कमी के बावजूद, पूंजीगत परिव्यय में 8302 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि (10.8 प्रतिशत) के कारण सकल राजकोषीय घाटे में 3338 करोड़ रुपए (3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा क्योंकि राजस्व घाटे में आई 0.2 प्रतिशत की कमी की पूर्ति पूंजीगत परिव्यय में उतनी ही वृद्धि के चलते हो गई।

राज्य सरकारों की वर्ष 2006-07 के दौरान समेकित स्थिति से यह पता लगता है कि राज्यों ने 2006-07 के दौरान अपने बजट में लगभग संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेने का अनुमान किया है। राजस्व घाटे में कमी के परिणामस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा 4,278 करोड़ रुपए (3.8 प्रतिशत) घटकर 109,610 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत) हो जाएगा । बजट में यह अनुमान किया गया है कि 2006-07 के दौरान प्राथमिक घाटा 14,709 करोड़ रुपए (59.1 प्रतिशत) कम होकर 10,185 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) हो जाएगा । इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों के 94,914 करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत) के अधिशेष प्राथमिक राजस्व के बारे में बजट में, पिछले वर्ष के 81.0 प्रतिशत ब्याज भुगतान की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 55.0 प्रतिशत ब्याज भुगतान के बराबर हो जाने का अनुमान किया गया है। बजट में यह अनुमान किया गया है कि वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व लेखे में राजकोषीय सुधार मुख्यतः, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, राजस्व प्राप्तियों की सहायता से राजस्व में वृद्धि करके प्राप्त करने का अनुमान किया गया है तथा यह भी अनुमान किया गया है कि राजस्व में पिछले साल की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राज्यों का अपना गैर-कर राजस्व 1.3 प्रतिशत बना रहेगा। और अधिक अनुदानों तथा राज्य वित्त के पुनर्गठन के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए इन्सेंटिव के चलते राज्यों को अपने राजकोषीय सुधार तथा सुदृढ़ीकरण में सहायता मिली है। वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व घाटे में सुधार करने में, पिछले वर्ष की 15.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्व व्यय में 11.3 प्रतिशत कमी आने से भी मदद मिलेगी। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, राजस्व व्यय के 13.3 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान बजट में अनुमानित राजस्व व्यय की वृद्धि (11.3 प्रतिशत) के लिए पैसे की व्यवस्था मुख्यतः गैर-ब्याज राजस्व व्यय (80.4 प्रतिशत) से की जाएगी।

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में बहुत सुधार होने के बावजूद विभिन्न राज्यों के बीच बहुत ज्यादा अंतर बना हुआ है। देश में कुछ ऐसे राज्य (4 राज्य) हैं जिन्होंने बजट में राजस्व घाटे के बढ़ने का अनुमान लगाया है और अनेक राज्यों (14 राज्यों) ने उच्चतर सकल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है। इस प्रकार केवल कुछ राज्यों में ही प्रमुख रूप से समग्र सुधार हो पाएगा। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया के राज्यवार विश्लेषण से पता लगता है कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्य राजस्व लेखे में सुधार के 87.0 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि संघीय बजट 2006-07 के साथ राज्य बजटों से यह संकेत मिलता है कि सहायता अनुदान के (वास्तविक स्तर से) 20.6 प्रतिशत अधिक का आकलन किया गया है जबकि भागीदारी वाले केंद्रीय करों के (वास्तविक स्तर से) 3.7 प्रतिशत कम का अनुमान किया गया है। यह नोट किया जाए कि, वर्ष 2006-07 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, राज्य सरकारों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे की समेकित स्थिति क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है। संघीय बजट 2006-07 के आंकड़ों के समायोजन के बाद, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, राज्य सरकारों का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा क्रमशः पहले की तुलना में उच्चतर अर्थात 0.4 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से प्राप्त होनेवाले धन संबंधी आंकड़ों में भी उतार-चढ़ाव होने का अनुमान है जिससे सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप के विकृत हो जाने की संभावना है।

राज्यों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे के अधिक होने के कारण, विशेषतः 1990 के दशक के उत्तरार्ध से, राज्य सरकारों के बकाया ऋणों में अनवरत वृद्धि होती रही है। लेकिन हाल के वर्षों में, वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद - दोनों की दृष्टि से उनके बकाया ऋणों में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, राज्य सरकारों की बकाया देनदारियों के, मार्च 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार 31.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है जो मार्च 2005 के अंत की 33.4 प्रतिशत की तुलना में कम होंगी। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतानों का अनुपात, जो वर्ष 2003-04 में 25.8 प्रतिशत था , मुख्यतः ऋण स्वैप योजना के कारण, वर्ष 2006-07 में कम होकर 19.1 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है। राष्ट्रीय लघु बचत निधि के पक्ष में जारी की गई प्रतिभूतियां बकाया ऋणों का सबसे बड़ा भाग हैं तथा उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और बाजार से लिए गए उधारों का स्थान है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे केवल 3 राज्य[3] हैं जिनका वर्ष 2005-06 में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 23.8 प्रतिशत से कम है, जबकि 14 राज्य[4] ऐसे हैं जिनका ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति अनुपात 15.0 प्रतिशत से कम है। 15.0 प्रतिशत का यह न्यूनतम अनुपात 12वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए संस्तुत लक्ष्य है। ऋण राहत के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राज्यों के लिए ऋण समेकन तथा ऋणों को बट्टेखाते डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राज्य वित्त के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गतिविधि अधिकांश राज्यों द्वारा राजकोषीय दायित्व कानून पारित करने से संबंधित है। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाकर, राजकोषीय सुधार कानून से राजकोषीय अनुशासन में वृद्धि तथा और अधिक यथार्थवादी सुधार का मार्ग प्रशस्त होने का अनुमान है। नियम पर आधारित नीति से राज्य

---

[3] तमिलनाडु, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ।

[4] अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तरांचल

सरकारों की राजकोषीय नीति को और अधिक विश्वसनीयता भी प्राप्त होगी। इस बात को स्वीकार कर लेने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष की 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ''इसलिए राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के मामले में राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना समष्टि आर्थिक, वित्तीय, बाह्य क्षेत्र और बजट संबंधी निरंतरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही चूंकि उधार लिए गए संसाधनों का प्रयोग वर्तमान जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए करने से पिछले वर्षों में आस्ति-देयता के बीच का असंतुलन बढ़ा है इसलिए राजस्व घाटे को समाप्त करना तथा पर्याप्त राजस्व अधिशेष पैदा करना अनिवार्य है जिसका प्रयोग, देनदारी सृजित किए बिना, आस्तियों के निर्माण के लिए किया जा सके। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में कोई भी चूक होने से राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध के प्रारंभिक वर्षों में हुई उपलब्धियों में कमी आ सकती है। इसका राज्यों के स्तर पर अनवरत कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ सकता है जिसके चलते राजकोषीय दायित्व संबंधी कानूनों में निर्धारित लक्ष्यों को कम करना पड़ सकता है।'' इसलिए यह वांछनीय होगा कि जिन राज्य सरकारों ने राजकोषीय दायित्व संबंधी कानून बनाए हैं वे नियमों का पालन करें और साथ ही शेष राज्य नियम पर आधारित ढांचा अपनाने की दिशा में प्रयास करें। राज्यों को यह भी चाहिए कि वे, बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सुझाई गई ऋण राहत योजना से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, केवल दिखावे के लिए अपने लेखाओं को अच्छा बनाकर प्रस्तुत करने के प्रयासों से बचें। राज्य सरकारों को बजट-संबंधी लेखाकरण और वर्गीकरण में पूरी ईमानदारी और सर्व-सम्मति बरतें।

सरकार की पूंजीगत आस्तियों के रखरखाव के लिए परिचालन और अनुरक्षण पर व्यय का स्तर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बारहवें वित्त आयोग ने इस स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया है तथा इस प्रयोजन के लिए खास तरह के अनुदानों की भी सिफारिश की है। राज्य सरकारों के कुल राजस्व व्यय में परिचालन और अनुरक्षण व्यय का अनुपात कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम होता रहा है। योजनाओं के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं से प्राप्त होनेवाले लाभों पर इसका असर पड़ेगा । दूसरी ओर राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में वेतन पर होने वाले व्यय का हिस्सा 1990 के दूसरे आधे भाग के दौरान बड़ा है तथा हाल के वर्षों में कम हुआ है। कुल राजस्व व्यय में वेतन के हिस्से का बड़ा होना राजस्व व्यय में कमी होने में कठिनाई पैदा करने का प्रमुख कारण है।

राज्य सरकारों द्वारा अपने चलनिधि के प्रबंधन पर असर डालने वाला एक मुद्दा राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेषों में भारी वृद्धि है, जैसाकि 14 दिवसीय मध्यावधि खज़ाना बिलों में उनके द्वारा किए गए निवेशों से स्पष्ट होता है। अधिशेष नकदी शेषों में अच्छी खासी वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए/के कारण राज्य सरकारों ने अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट का प्रयोग करना बहुत कम कर दिया है। राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेषों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण अपेक्षाकृत ऊंची लागत वाले राष्ट्रीय लघु बचत निधि वाले संसाधनों से भारी आय होना, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले करों और अनुदानों में वृद्धि, राज्यों के बजट संबंधी अनुमानों की तुलना में उनके अपने कर राजस्व में भारी उछाल आना है। लेकिन राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी शेषों में भारी उछाल के कारण उनके नकदी और वित्तीय प्रबंधन के लिए चुनौतियां भी पैदा की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'राज्य सरकारों की शेष राशियों के निवेश के लिए ढांचा तैयार करने के लिए गठित कार्यदल' इस मामले पर विशेष ध्यान दे रहा है।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को स्थायी तथा निरंतर बनाये रखने के लिए आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश तथा सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च करना अत्यंत आवश्यक हैं। तदनुसार इन क्षेत्रों पर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में राज्यों को और अधिक खर्च करना पड़ेगा । इस पृष्ठभूमि में राजकोषीय सुधार का वांछनीय मार्ग राजकोषीय सशक्तिकरण होकर गुजरता है जिसके अंतर्गत बजट में राजस्व की आमद के क्षेत्र और आकार में विस्तार शामिल होगा । अन्य बातों के साथ-साथ नये कर लागू करके कर संग्रह में वृद्धि के राज्य सरकारों की ऋण नीति और कर प्रशासन में सुधार और अधिक जोरशोर से चालू रखा जाना चाहिए। साथ ही लेनदेन की लागत को न्यूनतम स्तर पर रखने और कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य सरकारों को अपनी कर प्रणाली की व्यापक समीक्षा करनी होगी जिससे कर राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी । इस परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त प्रयोगकर्ता प्रभारों की सहायता से करेतर राजस्व के रूप में संसाधन संग्रहन में वृद्धि करना तथा राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहेगा । लेकिन प्रयोगकर्ता प्रभारों को उपयुक्त स्तर तक बढ़ाना मुख्यतः तब संभव होगा जब राज्यों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में भी साथ-साथ सुधार होगा। राज्य बिजली बोर्डों और बिजली सेवाओं का खराब वित्तीय कार्य-निष्पादन राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय रहा

है। इसलिए बिजली क्षेत्र के मामले में लागत की वसूली में सुधार अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा समाज की कुछ वर्गों को मुफ्त / सब्सिडीयुक्त बिजली प्रदान किये जाने को ध्यान में रखते हुए। वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के लिए दी गई सब्सिडी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रदत्त कुल सब्सिडी के 70.0 प्रतिशत से भी अधिक थी। राज्य बिजली बोर्ड कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडीयुक्त बिजली की आपुर्ति के कारण हुए घाटों को, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्रदान की जानेवाली सब्सिडी से तथा राज्य सरकारों से सब्सिडी प्राप्त करके, पूरा करने का प्रयास करते हैं।

राज्य बिजली बोर्डों और ऊर्जा संबंधी जनोपयोगी सेवाओं का खराब वित्तीय निष्पादन राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय रहा है। अतएव, ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में लागत वसूली में सुधार ने महत्व प्राप्त कर लिया है विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा कतिपय वर्गों को निःशुल्क/ सब्सिडी वाली बिजली देने के संदर्भ में । 2005-06 (सं.अ.) में कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी जानेवाली समग्र सब्सिडी के 70 प्रतिशत से भी अधिक थी। राज्य बिजली बोर्ड, कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली देनेसे हुई अपनी यह हानि, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के ऊपर मढ़कर तथा राज्य सरकारों से मिलने वाले सहायता अनुदान (वित्तीय सहायता) के जरिए पूरा करने का प्रयास करते हैं।

चूंकि बिजली क्षेत्र का सुधार भी समग्र सुधार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए राज्य सरकारों द्वारा बिजली संबंधी सब्सिडी के मुद्दे का समाधान किया जाना भी आवश्यक है। भारत सरकार के वर्ष 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि ''वर्ष 2005-06 में राज्य सरकारों ने राज्य बिजली बोर्डों को प्रत्यक्ष रूप से 11,562 करोड़ रुपए का अंतरण किया, लेकिन साथ ही 15,987 करोड़ रुपए की आरक्षित सब्सिडी भी बनी रही जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि न केवल बिजली क्षेत्र के सुधार के मामले में बल्कि राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सुधार के मामले में भी सुधारों का कितना महत्व हैं। ''

चूंकि सामाजिक क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय से संबंधित ज्यादातर जिम्मेदारियां राज्य सरकारों पर डाल दी गई है इसलिए बड़े पैमाने पर यह स्वीकार किया जाता है कि मानव विकास के स्तर के लिए और अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि अच्छे भविष्य के लिए सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय के स्तर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय के मामले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसे व्यय की पर्याप्तता है। देश में क्योंकि कई राज्यों में बहुत कम स्तर का मानव विकास प्राप्त किया है इसलिए राज्य सरकारों के लिए सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले खर्च का न्यूनतम स्तर तय कर दिए जाने पर जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे बाद में मानव विकास के संकेतकों में सुधार आ सकेगा। सामाजिक क्षेत्र पर किए जाने वाले व्यय की प्रभावकारिता, अर्थात सामाजिक संकेतकों पर सामाजिक क्षेत्र पर किए जानेवाले व्यय का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में होनेवाले प्रभाव भिन्न-भिन्न होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में परिव्यय और परिणाम के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार की तरह कई राज्यों ने वर्ष 2006-07 के अपने बजटों में 'आउटकम बजट' आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। अन्य राज्य भी ऐसा ही कर सकते हैं साथ ही यह जरूरी होगा कि राज्य अपने खर्चों की प्राथमिकता फिर से निर्धारित करें ताकि सामाजिक क्षेत्र पर पर्याप्त खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक क्षेत्र के खर्चों के अंतर्गत, मानव विकास पर और अधिक प्रभाव ड़ालने के लिए गैर-वेतन भाग का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। यह भी जरूरी होगा कि राज्य सरकारें सामाजिक क्षेत्रों के संबध में और अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दें। सेवाओं की उपलब्धताओं में सुधार होने से साधारण जनता इन सेवाओं के लिए भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित होगी तथा इसलिए राज्य सरकारों को इस मुद्दे को प्राथमिकता प्रदान करनी होगी ।

चूंकि केंद्र सरकार ने छठे वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया है इसलिए राज्यों को वेतन आयोग के पंचाट के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने कर्मचारियों पर लागू करने के मामले में अपनी क्षमता का आकलन करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन राज्यों को वेतन के स्तर संबंधी निर्णयों पर सजग रहने की जरूरत होगी और अपनी राजकोषीय स्थिति, कर्मचारियों की संख्या, जनसंख्या के आकार और उत्पादक रोजगार के लिए अपेक्षित पूरक खर्च के साथ संतुलन

[5] संयुक्त विकास कार्यक्रम अध्ययन के अनुसार बुनियादी सामाजिक सेवाओं का तात्पर्य है - बुनियादी शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवाएं, कम लागत वाले पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण कार्यक्रम।

स्थापित करना होगा। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ने के परिणामस्वरूप राज्यों को अपना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है और उनकी राजकोषीय स्थिति भी सुधर रही है। राजस्व संग्रह में आई बहुत अधिक वृद्धि के कारण उसका उपयोग उत्पादक खर्चों के लिए तथा निवेश के लिए करना जरूरी होगा।

निष्कर्ष के रूप में, यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों ने प्रमुख घाटा संकेतकों के रूप में बहुत अधिक सुधार देखे हैं। लेकिन राज्यों के सामने राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया जारी रखने का एक चुनौतीभरा काम है ताकि वे उसे दीर्घावधि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में रूपांतरित कर सकें। अलग-अलग राज्यों के राजकोषीय कार्य-निष्पादन में भारी अंतर होने के कारण राजकोषीय दृष्टि से कमजोर राज्य सुधार के उपाय आरंभ करने के प्रयास कर सकते हैं ताकि वे राजकोषीय दृष्टि से सुदृढ़ राज्यों के बराबरी में आ सकें। जैसाकि रिज़र्व बैंक की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने राजस्व की वृद्धि के लिए राजकोषीय सशक्तीकरण पर जोर दे सकती हैं जिससे उन्हें, खर्च के स्वरूप को और अधिक सामाजिक क्षेत्र के खर्च तथा पूंजीगत परिव्यय की ओर ले जाने के लिए लचीलापन उपलब्ध होगा। इस परिप्रेक्ष्य में कर संबंधी सुधारों, उपयुक्त प्रयोगकर्ता प्रभार लगाने, सब्सिडी के तर्कसंगत बनाए जाने (बिजली क्षेत्र की सब्सिडी सहित) और राज्यस्तरीय सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन का काम महत्वपूर्ण हो जाता है।

III नीतिगत उपाय

राजकोषीय समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों द्वारा अतीत में लागू किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के अच्छे परिणाम निकले हैं, जैसा कि घाटा संकेतकों और अन्य राजकोषीय संकेतकों में हुए सुधार से परिलक्षित होता है। राज्य सरकारों ने वर्ष 2006-07 के अपने-अपने बजट में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया जारी रखी। बारहवें वित्त आयोग की निर्धारित अवधि के पहले वर्ष 2005-06 में राज्य सरकारों ने राजकोषीय पुनर्गठन के बारे में आयोग की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार भी, राज्य सरकारों के प्रयासों को सुकर बनाने और सुदृढ़ करने के अलावा, अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए अनेक उपाय करती रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी ओर से, अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट के रूप में सहायता प्रदान करने और बाजार उधार की उगाही करने के अलावा, राज्य सरकारों के राजकोषीय मामलों में परामर्शदाता की भूमिका निभाता रहा है।

राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित विभिन्न नीतिगत उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे के पैराग्राफों में दिया जा रहा है।

III.1 राज्य सरकारें

राज्य सरकारें राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई कर रही हैं, जैसा कि वर्ष 2006-07 के बजट में प्रस्तावित विभिन्न उपायों से प्रकट होता है। राज्य सरकारों ने सामान्यतः गैर-योजना राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के प्रयासों के अलावा राजस्व वृद्धि को भी अपना लक्ष्य बनाया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने सामाजिक योजनाओं पर, विशेषतः गरीब वर्गों के लिए, व्यय में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने, अपने को उन राज्यों की बराबरी पर लाने के लिए, जिन्होंने पहले ही वैट लागू किया है, वैट व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके अलावा, कई राज्य सरकारों ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजकोषीय जवाबदेही संबंधी कानून बनाए हैं। इसके अलावा राज्यों ने कराधान तथा व्यय प्रबंध के क्षेत्र में और उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाएं लागू करके कई अन्य नीतिगत उपाय भी लागू किए हैं। प्रमुख नीतिगत उपायों का राज्यवार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे के पैराग्राफों में दिया जा रहा है।

III.1.1 राजस्व वृद्धि

शेष राज्यों में से 5 ने वर्ष 2006-07 के दौरान वैट लागू कर दिया है जिससे वैट लागू करने वाले राज्यों की संख्या (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित) 27 हो गई है। उत्तर प्रदेश ने वैट लागू करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन तमिलनाडु ने 1 जनवरी 2007 से यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय ले लिया है। जिन राज्यों ने वैट पहले ही लागू कर दिया है, उन्होंने कार्यविधि में सुधार, कर की दरों को युक्तियुक्त बनाने और अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए भी कदम उठाए हैं ताकि संबंधित राज्यों में वैट की व्यवस्था सुगमतापूर्वक लागू की जा सके।

राज्य सरकारों ने सामान्यतः करदाताओं का आधार बढ़ाने, बेहतर अनुपालन, कर की दरों को तर्कसंगत बनाए जाने, कर प्रशासन

की दक्षता में सुधार लाने, कर संबंधी कानूनों के सरलीकरण तथा आधुनिक और उन्नत कर-प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे कुछ राज्यों को छोड़कर जिन्होंने नए कर लगाने की बात सोची है (महाराष्ट्र में लाटरी टिकटों पर कर, गोवा में प्रमाणित प्रयुक्त कारों की दुबारा बिक्री पर कर, राजस्थान में पुरानी गाड़ियों पर 'ग्रीन टैक्स'), अधिकांश राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार के करों की दरें कम करने तथा कुछ कर समाप्त करने का इरादा जाहिर किया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि 2 राज्यों (पंजाब और महाराष्ट्र) ने चुंगी-कर समाप्त करने का इरादा जाहिर किया है। दूसरी ओर केरल ने कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की है जिनपर 20 प्रतिशत कर लगाया जाना है जो वैट व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित 12.5 प्रतिशत के अधिकतम स्तर से भी अधिक है। पंजाब ने पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से बांड जारी करने के लिए बजट में व्यवस्था की है। गुजरात और पश्चिम बंगाल ने भुगतान संबंधी बकायों की उगाही के लिए क्षमादान की योजनाएं तैयार की हैं। कई राज्य सरकारों ने स्टाम्प ड्यूटी में सुधार और उसे तर्कसंगत बनाए जाने पर जोर दिया है परंतु इसके साथ ही कई अन्य लिखतों पर भी कर लागू करने का निर्णय लिया है (जैसे मुख्तारनामा, स्वत्वविलेख संबंधी जमाराशियाँ)।

महाराष्ट्र, मेघालय और मिज़ोरम ने जल प्रभार बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। फिर भी कई राज्यों ने जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए बिजली की दरों में कमी करने का प्रस्ताव किया है (आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक,पंजाब और तमिलनाडु)।

III.1.2 व्यय प्रबंध

राज्य सरकारों ने बेहतर व्यय प्रबंध और गैर-विकास व्यय में कमी लाने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया है। सिक्किम और केरल सहित कई राज्यों ने भरती और नए पदों के सृजन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है तथा मितव्ययिता बरतने के अलावा गैर-योजना खर्च में 10 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव किया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती की है। फिर भी विकास संबंधी खर्चों और पूंजीगत खर्च पर जोर दिया गया है। कई राज्य सरकारों ने कमज़ोर वर्गों के लिए बीमा योजनाओं का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्यों (असम, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल) ने निर्दिष्ट प्रयोजनों तथा क्षेत्रों के लिए अलग से निधि स्थापित करने का निर्णय लिया है।कई राज्य पूर्व निर्दिष्ट खर्चों में कमी लाने के लिए पेंशन सुधार कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने हडको से लिए गए ऋणों की अवधि के पुनर्निर्धारण तथा पुनर्गठन का प्रस्ताव किया है। तमिलनाडु ने, सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड से लिए गए ऋणों की पूरी बकाया देयताओं की चुकौती का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। राज्य सरकारें खर्च पर नियंत्रण करने की कोशिशें कर रही हैं (विशेषतः गैर- योजना खर्चों पर) लेकिन राज्य सरकारों के वर्ष 2006-07 के बजट में कई तरह की सब्सिडियों, माफियों और छूटों की घोषणाएं की गई हैं।

III.1.3 संस्थागत उपाय

राज्य सरकारों ने ऐसे संस्थागत उपाय आरंभ किए हैं जिनसे राजकोषीय अनुशासन की दिशा में अग्रसर हो सके। इस प्रकार राज्यों ने धीरे-धीरे विभिन्न प्रकार के राजकोषीय मानदंडों (जैसे गारंटियां, ऋण शोधन निधियों की स्थापना और राजकोषीय जबाबदेही) संबंधी कानून लागू किए हैं । इस संबंध में अब तक 23 राज्यों ने राजकोषीय जबाबदेही संबंधी कानून पारित कर दिए हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न राजकोषीय मानदंड समाहित है (अनुबंध-2)। राज्यों ने समेकित ऋणशोधन निधि, गारंटी मोचन निधि और गारंटियों पर अधिकतम सीमा से संबंधित उपाय लागू कर दिए हैं (सारणी-1)।

अधिकांश राज्य सरकारों ने ऐसी समितियां/ कार्य दल गठित करने और नीतिगत उपाय करने के प्रस्ताव किए हैं जिनका लक्ष्य कुछ निश्चित उद्देश्य हासिल करना है, जैसे राजकोषीय जबाबदेही और बजट प्रबंध (असम), शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक तथा केरल), नीतियों का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग (झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र), मानव संसाधन विकास (असम, महाराष्ट्र), रोज़गार संबंधी मुद्दे (असम, गोवा और हरियाणा), औद्योगिक क्षेत्र (बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु), कृषि और सिंचाई (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और केरल)। तमिलनाडु और उत्तरांचल ने प्रशासनिक सुधार आयोग भी गठित करने के प्रस्ताव किए हैं। असम ने कर सुधार आयोग गठित करने तथा नागालैंड ने राज्य महिला आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने 'जेंडर बजटिंग' का प्रस्ताव किया है। बिहार ने एक

सारणी 1 : राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत सुधार

राज्य	मूल्य वर्धित कर का कार्यान्वयन	राजकोषीय जवाबदेही कानून (एफआरएल) लागू	नई पेन्शन योजना (एनपीएस) शुरू	गारंटियों पर लागू अधिकतम सीमा	समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	सां, सितंबर 2003	1999-00	जनवरी 2002
2. अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	नहीं	जून 1999	नहीं
3. असम	मई 2005	सितंबर 2005	नहीं	सां, सितंबर 2005	1999-00	नहीं
4. बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नहीं	नहीं	नहीं
5. छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	2001-02	नहीं
6. गोवा	अप्रैल 2005	2006	अगस्त 2005	सां, 1993 (संशोधित, 2005)	जून 1999	अक्तूबर 2001
7. गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	प्र, 1963 (संशोधित, 2001)	दिसंबर 2003	फरवरी 2002
8. हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	जुलाई 2003
9. हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	2005	हां	नहीं	नहीं	नहीं
10. जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2005-06
11. झारखंड	अप्रैल 2006	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
12. कर्नाटक	अप्रैल 2005	अप्रैल 2003	अप्रैल 06	सां, अप्रैल 1999	नहीं	मार्च 2000
13. केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	नहीं	2003	जून 2006	नहीं
14. मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	प्र	नहीं	जनवरी 2006
15. महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	नहीं	1999	नहीं
16. मणिपुर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	दिसंबर 2004	सां, जनवरी 2005	नहीं	नहीं
17. मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	नहीं	नवंबर 1999	नहीं
18. मिजोरम	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं	1999-00	नहीं
19. नागालैंड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	सां, अगस्त 2005	नहीं	नहीं
20. उड़ीसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	प्र, नवंबर 2002	जनवरी 2003	2002-03
21. पंजाब	अप्रैल 2005	2003	नहीं	प्र, हां	हां	नहीं
22. राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	मई 2005	नहीं	1999-00
23. सिक्किम	अप्रैल 2005	नहीं	अप्रैल 2006	दिसंबर 2000	1999-00	2005-06
24. तमिलनाडु	नहीं	2003	अप्रैल 2003	सां, मई 2003	मार्च 2006	मार्च 2003
25. त्रिपुरा	अक्तूबर 2005	2005	उन	उन	उन	उन
26. उत्तरांचल	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	नहीं	जनवरी 2001	नहीं
27. उत्तर प्रदेश	नहीं	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28. पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	सां, अगस्त 2001	अप्रैल 1999	नहीं
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
योग	**27**	**23**	**18**	**17**	**17**	**11**

उ.न. : उपलब्ध नहीं प्र : प्रशासनिक सीमा सां : सांविधिक सीमा

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी पर आधारित

निवेश कौंसिल बनाने का प्रस्ताव किया है। असम और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय निकायों को और अधिक भूमिका दिए जाने का प्रस्ताव किया है। असम ने कृषि ऋण राहत आयोग तथा नाबार्ड से लिए गए ऋणों की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रकोष्ठ गठित किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा ने भारत सरकार की तर्ज पर 'आउटकम बजट' तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

III.1.4 अन्य उपाय

राज्य सरकारों ने ऐसी कई योजनाओं का प्रस्ताव किया है जिनका उद्देश्य विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार में सुधार लाना है। राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना लागू करती रही हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा खास उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारें (उत्तरांचल, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़) 'सरकारी और गैर-सरकारी साझेदारी' योजना के अंतर्गत परियोजनाएं गठित करने की संभावनाओं का पता लगा रही हैं। कई राज्य सरकारों (असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली) ने बिजली संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में बिजली परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव किया है तथा कुछ अन्य राज्यों ने अपने यहां बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

III.1.5 बिजली क्षेत्र के सुधार

राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण बिजली क्षेत्र के सुधारों ने हाल के वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर

लिया है। राज्यों ने सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में निवेश किए हैं उनमें राज्य बिजली बोर्डों का हिस्सा बहुत बड़ा है तथा राज्य बिजली बोर्डों के खराब कार्य-निष्पादन का राज्य सरकारों के वित्त पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कृषि तथा घरेलू क्षेत्र को कम दरों पर बिजली बेचे जाने के कारण होने वाले नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा दी गई सब्सिडी की मात्रा हाल के वर्षों में बढ़ती रही है। राज्य बिजली बोर्डों को प्रत्यक्ष ऋण देने के अलावा राज्य सरकारों ने वित्तीय संस्थाओं को पर्याप्त गारंटियां भी दी हैं ताकि राज्य बिजली बोर्ड उनसे अपेक्षित संसाधनों की उगाही कर सकें।

अहलूवालिया समिति की सिफारिशों (2001) के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य बिजली बोर्डों के बकायों के एकबारगी निपटान के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस संबंध में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और 28 राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों ने वर्ष 2003-04 के दौरान 1 अक्तूबर 2001 से (अर्थात पूर्वव्यापी प्रभाव से), सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों पर बकायों के बदले 28,984 करोड़ रुपए[6] के 15 वर्षीय बांड, 8.5 प्रतिशत वार्षिक की अत्यंत कम ब्याज-दर पर जारी किए जिनकी चुकौती 5 वर्ष के ऋण-स्थगन काल के बाद 10 वर्षों की अवधि में की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त के अधीन, 10.0 प्रतिशत बांडों की प्रतिवर्ष बाजार में खरीद-बिक्री की अनुमति दी जाएगी। पिछले बकायों के राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतिकरण तथा वर्तमान आपूर्ति के लिए पूर्ण भुगतान संबंधी अनुशासन की व्यवस्था लागू कर दिए जाने से, सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि के लिए बाजार से अपेक्षित संसाधनों की उगाही और आसान हो जाएगी। इससे राज्य बिजली बोर्डों को अपने तुलन-पत्र साफ-सुथरा रखने में मदद मिली है जिससे वे अपने भावी निवेश कार्यक्रम के लिए धन जुटाने हेतु बाजार से निधि जुटा सकेंगे।

अधिकांश राज्यों ने ऐसे उपायों की रूपरेखा निर्धारित कर ली है जिनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से संबंधित उपायों के माध्यम से, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन उत्पादन, प्रेषण और वितरण के लिए 3 अलग-अलग निगमों में किया जाना, प्रेषण और वितरण संबंधी हानियों को कम करने के उपाय करना, बिजली की दरें बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण विनियामक/टैरिफ प्राधिकारियों की स्थापना के लिए सांविधिक उपाय करके विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन करना है।

अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने बिजली टैरिफ का ढांचा निश्चित करने के लिए अपने राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किया है लेकिन तीन राज्यों (गोवा, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय) के राज्य विद्युत विनियामक आयोग मार्च 2006 के अंत की स्थिति के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। काम करने वाले 24 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों में से 20 राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने मार्च 2006 के अंत तक टैरिफ संबंधी आदेश जारी कर दिए थे। बिजली क्षेत्र के सुधार तथा पुनर्गठन के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा सारणी-2 में दिया गया है। 13 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन कर दिया है तथा 9 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन के लिए समय सीमा बढ़ाए जाने की अनुमति मांगी है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य बिजली बोर्डों के 3 निकायों (नामतः उत्पादन, प्रेषण और वितरण) में विभाजन के लिए अनिवार्य तारीख 10 जून 2004 निर्धारित की गई थी। 7 राज्यों में केवल बिजली विभाग हैं । सभी राज्यों ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

III.2 भारत सरकार

राज्य सरकारों के सुधार की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार विभिन्न उपाय करती रही है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए 8 कौशल विकास कार्यक्रमों से राज्य सरकारों को लाभ हुआ है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र ने राज्यों को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं।

राज्य सरकारों की विकासात्मक और सामाजिक भूमिका में मदद करने के लिए केंद्र ने 2006-07 के अपने बजट में कई उपायों की घोषणा की है। केंद्र राज्यों द्वारा पूरक पोषण के लिए किए गए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत भाग सहायता के रूप में उपलब्ध करा रहा है। केंद्र ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से

[6] इस समय राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए बिजली बांडों की कुल राशि 31,581 करोड़ रुपए है।

सारणी 2 : राज्यों में बिजली क्षेत्र के सुधारों की स्थिति

(31 मार्च 2006 की स्थिति)

राज्य	विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन	असमूहित राज्य बिजली बोर्ड	राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन (एसइआरसी)	टैरिफ/एआरआर आदेश पारित	अन्य
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित, वितरण के निजीकरण को निर्धारित किया जाना है।
2. अरुणाचल प्रदेश	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	नहीं	–	–
3. असम	हां	हां	हां	हां	–
4. बिहार	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	–	चोरी निवारक कानून पारित
5. छत्तीसगढ़	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
6. गोवा	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां (कार्यरत नहीं)	–	–
7. गुजरात	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
8. हरियाणा	हां	हां	हां	हां	–
9. हिमाचल प्रदेश	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
10. जम्मू और कश्मीर	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां (कार्यरत नहीं)	–	–
11. झारखंड	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
12. कर्नाटक	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
13. केरल	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
14. मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
15. महाराष्ट्र	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
16. मणिपुर	हां (एमओए)	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां	–	–
17. मेघालय	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां (कार्यरत नहीं)	–	–
18. मिजोरम	हां (एमओए)	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां	–	–
19. नागालैंड	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	नहीं	–	–
20. उड़ीसा	हां	हां	हां	हां	वितरण का निजीकरण किया जाना है
21. पंजाब	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
22. राजस्थान	हां	हां	हां	हां	–
23. सिक्किम	हां	नहीं, केवल बिजली विभाग	हां	–	–
24. तमिलनाडु	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	–
25. त्रिपुरा	हां (एमओए)	हां	हां	हां	–
26. उत्तरांचल	हां	हां	हां	हां	–
27. उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
28. पश्चिम बंगाल	हां	नहीं, विस्तार दिया गया	हां	हां	चोरी निवारक कानून पारित
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	हां	हां	हां	हां	वितरण का निजीकरण किया जाना है
योग	**29**	**13**	**27**	**20**	**11**

एमओयू : समझौता ज्ञापन एमओए : करार ज्ञापन एआरआर : अपेक्षित कुल राजस्व

टिप्पणी : मणिपुर तथा मिज़ोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचित।

स्रोत : 1. वार्षिक रिपोर्ट 2005-06ए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

2. विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट (www.powermin.nic.in), भारत सरकार।

विभिन्न शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है और वर्ष 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में परियोजनाएं आरंभ करने पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुंबई शहर में जल निकास प्रणाली के लिए एक विशेष पैकेज को अनुमति दे दी गई है। केंद्र किसी विशिष्ट उद्योग पर ज्यादा जोर देनेवाले खास उद्योगों के विकास को आधार बनाकर नए नगर स्थापित करेगा जिनके अंतर्गत पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुछ परियोजनाएं विचाराधीन हैं। केंद्र ने जल निकायों में सुधार, नवीकरण और पुनर्गठन के लिए 23 जिलों और 13 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम तैयार किए हैं। केंद्र ने विशेष प्रयोजन वाली चाय निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा 5 राज्यों में 5 बहुत बड़ी बिजली परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उत्तर-पूर्व क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट में, ऋणों के समेकन तथा राज्यों को वैट के माध्यम से होने वाले घाटों के बदले राहत और क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान किया है। सभी राज्यों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने हेतु वर्ष 2006-07 के संघीय बजट में ग्रामीण इंन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि-12 की राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिए जाने का प्रस्ताव है। बजट में, सरकारी और निजी साझेदारी वाले मॉडल के अंतर्गत कुछ खास परियोजनाओं के लिए ग्रामीण इंन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि से निधि प्राप्त करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। चूँकि भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के लिए ग्रामीण इंन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि-12 के अंतर्गत एक अलग उप-खंड निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान 4,000 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई है।

III.3 भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों के बैंकर तथा लोक ऋण के प्रबंधक के रूप में, राजकोषीय मुद्दों पर राज्यों को और अधिक संवेदनशील बनाता रहा है। इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष 1997 से, राज्य सरकारों के वित्त से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया स्थापित करने के लिए राज्यों के वित्त सचिवों की एक वार्षिक बैठक आयोजित कर रहा है। इस संस्थागत व्यवस्था से राज्य सरकारों के कई वित्तीय मुद्दों का समाधान ढूंढने में मदद मिली है। रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है तथा राज्यों के बाजार उधार कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है।

राज्य सरकारों के ऋण प्रबंध कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ।

III.3.1 राज्य सरकारों के बाजार उधारों के लिए नीलामियां

चूंकि नीलामियों के माध्यम से मूल्य निश्चित करने में मदद मिलती है, बाजार अनुशासन बनाए रखा जाता है तथा द्वितीयक बाजार में अधिक चलनिधि उपलब्ध कराई जा सकती है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक नीलामी की व्यवस्था के अंतर्गत बाजार उधारों का हिस्सा क्रमशः और अधिक बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करता रहा है। इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त सचिवों के 7 अगस्त 2006 को आयोजित किए गए 18वें सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया और यह निश्चय किया गया कि राज्य सरकारें समग्र बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों की उगाही करने के लिए यथासंभव नीलामी व्यवस्था का उपयोग करेंगी ।

III.3.2 राज्य सरकारों के निवेश प्रबंध की योजना

इस समय राज्य सरकारों की समेकित ऋण शोधन निधियों तथा गारंटी मोचन निधियों का निवेश, रिज़र्व बैंक की बहियों में धारित सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता है। 12वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि सभी राज्यों को सभी ऋणों के परिशोधन के लिए (और न कि केवल बाजार उधारों के लिए) ऋण शोधन निधि स्थापित करनी चाहिए तथा आपदा राहत निधि उसके वर्तमान रूप में बनाए रखनी चाहिए। आपदा राहत निधि संबंधी योजना मई 2006 में संशोधित की गई जिसमें, सभी ऋणों के परिशोधन के संबंध में 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया तथा आपदा राहत निधि में राज्यों के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा तक उनके निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश के बदले उन्हें विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने की व्यवस्था के संबंध में बेज़बरुआ समिति की सिफारिशों को भी शामिल किया गया ।

III.3.3 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की तरलता

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों की कम तरलता के मुद्दे की समीक्षा करने और उचित उपायों की सलाह देने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के मामले में एक कार्यदल (अध्यक्षः श्री वी.के शर्मा) गठित किया गया। कार्यदल की सिफारिशों को आधार बनाकर तथा राज्य सरकारों के ऋणों में निवेश-आधार और व्यापक बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं :

- गैर प्रतियोगी बिडिंग (इस समय केवल भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तक ही सीमित) की सुविधा राज्य सरकारों के ऋणों की प्राथमिक नीलामी के मामले में भी उपलब्ध कराई जाए।
- कि एक दिवसीय चलनिधि समायोजन सुविधा संबंधी रिपो परिचालनों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के ऋणों के क्रय और उनकी पुनर्विक्री का काम भी आरंभ करे।

III.3.4 राज्य सरकारों के उधारों के संबंध में स्थायी तकनीकी समिति का गठन

अप्रैल 2005 के वार्षिक नीति वक्तव्य में किए गए उल्लेख के अनुसार 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके सुकर संक्रमण की व्यवस्था करेगा । प्रस्तावित व्यवस्था के सुकर संक्रमण के लिए तौर-तरीके निश्चित करने हेतु भारत सरकार ने जुलाई 2005 में एक तकनीकी दल (अध्यक्षः श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) गठित किया । उक्त तकनीकी दल की रिपोर्ट दिसंबर 2005 में भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई। दल की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 2006 के वार्षिक नीति वक्तव्य में निम्नलिखित प्रस्ताव किया गया:

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों से संबंधित व्यापक मुद्दे पर, सहमतिजन्य और सहकारिता की भावना के माध्यम से सलाह देने के लिए, राज्यों के वित्त सचिवों के सम्मेलन के तत्वावधान में एक स्थायी तकनीकी समिति गठित की जाए जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि हों।

स्थायी तकनीकी समिति के गठन का मुद्दा भारत सरकार के विचाराधीन है।

III.3.5 राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट की योजना

राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने के संबंध में गठित की गई सलाहकार समिति (अध्यक्षः श्री एम.पी.बेज़बरुआ) की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी सिफारिशों पर राज्य सरकारों के सचिवों के दिनांक 13 जनवरी 2006 को आयोजित किए गए 17वें सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था, राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की एक संशोधित योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू है (बॉक्स-1)। इस योजना के अनुसार वर्ष 2006-07 के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की कुल सीमा पिछले साल के 8,935 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9,875 करोड़ रुपए कर दी गई है। समेकित ऋणशोधन निधियों और गारंटी मोचन निधियों में निवेश करने के लिए राज्यों को विशेष अर्थोपाय अग्रिम के रूप में इन्सेंटिव भी दिए गए हैं।

IV. राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति

राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय और संस्थागत सुधारों के लिए आरंभ किए गए/कार्यान्वित किए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव से वर्ष 2000-01 से राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में सुधार आया है। 2000-01 से 2002-03 की अवधि में, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, सभी प्रमुख घाटा संकेतकों में गिरावट आई है। लेकिन वर्ष 2003-04 में अल्पकालिक गिरावट के कुछ लक्षण भी दिखाई दिए जिसका प्रमुख कारण राज्य बिजली बोर्डों के बकायों के लिए राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत, विद्युत बांड जारी किया जाना था। वर्ष 2004-05 से राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया स्थिर बनी हुई है, जैसा कि राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति देखने से ज्ञात होता है। इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकारों के 2004-05 और 2006-07[7] के लेखाओं के मद्देनजर, निम्नलिखित चर्चा से, उनकी समेकित स्थिति के आकलन और विश्लेषण हेतु व्यापक प्रकाश पड़ेगा।

[7] इस खंड तथा अध्ययन में ही प्रस्तुत किया गया विश्लेषण, 2006-07 के बजट में दिए गए 2004-05 (लेखाओं), 2005-06 (संशोधित अनुमान) और 2006-07 से संबंधित हैं।

बॉक्स 1 : राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट - सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के नकद प्रवाहों में अस्थायी विसंगतियों को कवर करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के उपबंधों के अंतर्गत 1937 से राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराता आ रहा है। इस अधिनियम के अनुसार ऐसे अग्रिम, अग्रिम की तारीख से तीन महीने के पहले ही चुका दिए जाने चाहिए। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए जानेवाले ऐसे अग्रिम की अधिकतम राशि और उस पर प्रभारित किए जाने वाले ब्याज का भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है किंतु ये राज्य सरकारों के स्वैच्छिक करारों द्वारा विनियमित हैं। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के हैं, नामतः (i) सामान्य अथवा बेजमानती अग्रिम जो 1937 में शुरू किए गए थे तथा (ii) 1953 में प्रारंभ किए गए विशेष अथवा जमानती अग्रिम जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों की जमानत पर दिए जाते हैं। जब कभी ये सीमाएं पार हो जाती हैं तो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। वह अधिकतम अवधि (दिन) और / या वित्तीय सीमाएं जितने तक कि राज्य सरकारें ओवरड्राफ्ट में रह सकती हैं, निर्दिष्ट की गई हैं। उभरती राजकोषीय, वित्तीय और संस्थागत गतिविधियों के साथ-साथ मौद्रिक और राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारों की अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में पचास के दशक में शुरुआती वर्षों से ही अर्थोपाय अग्रिम योजना संशोधित की जाती रही है। वर्ष 2003 में श्री.सी.रामचंद्रन की अध्यक्षतावाली परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम योजना में पिछला संशोधन किया गया था।

रामचंद्रन समिति की सिफारिशों के अनुसार और इस मध्यावधि में हुई राजकोषीय गतिविधियों तथा मध्यावधि की तुलना में राज्य सरकारों की चलनिधि स्थिति के संदर्भ में श्री एम.पी.बेजबरुआ, बैंकिंग लोकपाल, नई दिल्ली की अध्यक्षता में अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा करने के लिए अप्रैल 2005 में एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई थी। इस समिति के संदर्भाधीन विषय निम्नानुसार थे :

- राज्य सरकारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अर्थोपाय अग्रिम /ओवरड्राफ्ट योजना, विशेषकर, फार्मूले और सीमाओं की समीक्षा करना तथा यदि जरूरी हुआ तो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में आशोधनों की सिफारिश करना;
- राज्य सरकारों के लिए मौज़ूदा ओवरड्राफ्ट विनियमों की जांच करना;
- विशेष अर्थोपाय अग्रिम के लिए उनके टिकाऊ अधिशेषों से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश बढ़ाने के राज्यों के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकारों के विशेष अर्थोपाय अग्रिम योजना की जांच करना, और
- विषय से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

इस समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- परामर्शदात्री समिति ने पाया कि हाल के वर्षों में राज्य सरकारों के वित्त में सुधार था जैसा कि घाटे के वैकल्पिक उपायों में कमी और चलनिधि प्रबंधन में सुधार से स्पष्ट है। मौज़ूदा अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को जरूरत से ज्यादा समझते हुए समिति ने यह टिप्पणी की कि मध्यावधि में राज्य सरकारों के वित्त और चलनिधि स्थिति पर बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) (2005-06 से 2009-10) की सिफारिशों का क्रमिक रूप से वर्धित सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय योजना ऋण की जगह बाजार उधार लेना शुरू करने के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2006-07 परिवर्तन अवधि होगी और तदनुसार, राजकोषीय वातावरण से तालमेल बिठाने में राज्य सरकारों को थोड़ा और समय लगेगा जैसा कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा परिकल्पना की गई है। समिति ने सिफारिश की कि चुकौतियों को छोड़कर कुल व्यय (राजस्व और पूंजी) के रूप में आधार परिभाषित किया जा सकता है और अब तक प्रयुक्त राजस्व प्राप्तियों के सामने तदर्थ व्यय को एक बार समायोजित किया जाना चाहिए। इस आधार से लाटरी व्यय भी निकाल दिए जाने चाहिए। उस राज्य सरकार के मामले में जिसके पास राजस्व अधिशेष है, यह आधार उपर्युक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है जबकि राजस्व घाटे वाले राज्य के मामले में आधार से राजस्व घाटा निकाल दिया जाना चाहिए।
- समिति ने निम्नलिखित तरीके से 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए (अर्थात बारहवें वित्त आयोग के अवार्ड की शेष अवधि के साथ-साथ समाप्य) सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की गणना करने की सिफारिश की है।
  - 2006-07 (अप्रैल 2006 से प्रारंभ) के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं वर्ष 200-02, 2002-03 और 2003-04 (सभी वास्तविक आंकड़े जैसे कि राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत किए गए हैं) के लिए आधार (पहले दी गई परिभाषानुसार) का औसत लेकर परिकल्पित की जा सकती हैं। एक बारगी व्यय के एक अंग के रूप में 2003-04 में पावर बांडों के माध्यम से जुटाई गई वास्तवित राशियां आधार से हटाई जा सकती हैं। गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत का गुणन अनुपात तीन वर्ष के लिए आधार के औसत पर लगाया जा सकता है। इन सीमाओं को 5 करोड़ रुपए के नज़दीकी गुणज से पूर्णांकित किया जा सकता है।
  - यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौज़ूदा (2005-06) स्तर से किसी भी राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में कोई कमी नहीं होगी।
  - इन सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की हर वर्ष समीक्षा की जा सकती है।
- समिति स्वीकार करती है कि अल्पावधि से मध्यावधि में राज्य योजनाओं के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकारों को भारत सरकार की प्रतिभूतियों का भंडार बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र ऋण की जगह बाजार उधारों का मार्ग अपनाने के निहितार्थों की ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, समिति विशेष अर्थोपाय अग्रिम योजना में किसी भी परिवर्तन का सुझाव नहीं देती है। मौजूदा योजना की तर्ज पर राज्य सरकारों को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम से पहले विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने अपेक्षित हैं।
- समिति ने सुझाव दिया कि मौद्रिक स्थिरता के दृष्टिकोण से उचित समय पर एक समन्वित सीमा के भीतर विशेष और सामान्य अर्थोपाय अग्रिम को तर्क संगत बनाने के मुद्दे की जांच की जाएगी।
- समिति ने सुझाव दिया कि अर्थोपाय अग्रिम पर 90 दिन तक के लिए ब्याज दर (मौजूदा बैंक दर की जगह) रिपो दर होनी चाहिए जबकि 90 दिन से आगे अर्थोपाय अग्रिम पर यह रिपो दर से एक प्रतिशत अंक अधिक वसूली जानी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर लगाई जानेवाली ब्याज दर प्रोत्साहन के रूप में रिपो दर से एक प्रतिशत कम होनी चाहिए ताकि ऐसी प्रतिभूतियों का आरक्षित भंडार बनाया जा सके।
- समिति ने महसूस किया कि बार-बार होने वाले ओवरड्राफ्ट ढांचागत असंतुलनों और/या असंतोषजनक नकदी प्रबंध की अभिव्यक्ति हैं। इस पर भी, बढ़ती राजकोषीय व्यवस्था की शुरुआत को देखते हुए जैसा कि बारहवें वित्त आयोग ने परिकल्पना की है, समिति ने निर्णय लिया कि इस स्थिति में ओवरड्राफ्ट की मौजूदा समय सीमाओं को आशोधित न किया जाए। सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के 100 प्रतिशत तक के आवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रिपो दर से 2 प्रतिशत अंक अधिक लगाई जानी चाहिए जबकि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के 100 प्रतिशत से अधिक के ओवरड्राफ्टों पर रिपो दर से 5 प्रतिशत अंक अधिक ब्याज लगाया जाना चाहिए।
- समिति ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों को आगाह किया जाना चाहिए कि जब कभी वे अपनी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत से अधिक अर्थोपाय अग्रिम लें तो ओवरड्राफ्ट होने की स्थिति से बचने के लिए निवारक कदम उठाएं।
- समिति ने सिफारिश की कि सभी राज्य सरकारों द्वारा लिए गए अपने अर्थोपाय अग्रिमों के लिए एक निगरानी व्यवस्था भी बनानी चाहिए।
- समिति ने सिफारिश की कि राज्यों को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अपने नकद अधिशेष को निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि उन्होंने इसके ठीक पहले बीती लगातार 90 दिन की अवधि में कोई अर्थोपाय अग्रिम न लिया हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अन्य तत्संबंधित बातों जैसे कि उसके पास ऐसी प्रतिभूतियों की उपलब्धता के अधीन है।
- समिति ने सिफारिश की कि विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए सीएसएफ/जीआरएफ में राज्यों के निवल वृद्धिशील (अर्थात् नए निवेश से उन्मोचन/परिसमापन घटाकर) वार्षिक निवेश पात्र बनाए जाने चाहिए।
- समिति ने सिफारिश की कि अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट योजना की अगली समीक्षा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर 2006-07 के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की एक संशोधित योजना बनाई गई है (संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना की मुख्य-मुख्य बातों के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट - 2005-06 का बॉक्स VI.5 देखें)।

स्रोत : रिपोर्ट आफ द एडवाइज़री कमिटी आन वेज एंड मीन्स एडवांसेस टु स्टेट गवर्नमेंटस (2005), भारतीय रिज़र्व बैंक

IV.1 लेखे : 2004-05

2004-05 के संशोधित अनुमानों (सं.अ.) को लेखों में परिवर्तित करने पर राजस्व घाटा (आरडी), सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) और प्राथमिक घाटा के घाटा संकेतकों में सुस्पष्ट सुधार परिलक्षित हुआ (सारणी 3)। 2004-05 के संशोधित अनुमानों और 2004-05 (लेखों) के बीच आरडी और जीएफडी में क्रमशः 7879 करोड़ रुपए (17.8 प्रतिशत) और 14,378 करोड़ रुपए (11.6 प्रतिशत) की तेज गिरावट दिखाई दी। प्राथमिक घाटे में भी संशोधित अनुमानों और लेखों के बीच 14,469 करोड़ रुपए (40.5 प्रतिशत) की तेज गिरावट दर्ज की गई। उपर्युक्त घाटा प्राचलों में यह गिरावट सघउ (जीडीपी) से उनके अनुपातों के अर्थ में भी परिलक्षित हुई। 2004-05 के लेखों में सघउ से अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) क्रमशः 3.5 प्रतिशत (सं.अ. में 4.0 प्रतिशत), 1.2 प्रतिशत (1.4 प्रतिशत) और 0.7 प्रतिशत पर रखे गए थे।

सारणी 3 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2004-05 (सं.अ.) की तुलना में 2004-05 (लेखा)

(करोड़ रुपए)

मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**-12,364**	**-3.2**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	-487	-0.2	3.9
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	1,718	0.9	-13.9
जिसमें से			
बिक्री कर	1,424	1.2	-11.5
ख) केंद्रीय कर में अंश	-2,205	-2.7	17.8
(ii)करेत्तर राजस्व	-11,877	-10.2	96.1
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	-1,646	-3.3	13.3
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	-10,231	-15.3	82.7
II. राजस्व व्यय (i + ii)	**-20,244**	**-4.7**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	-20,334	-6.0	100.4
जिसमें से			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-4,554	-6.0	22.5
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-1,652	-8.2	8.2
ऊर्जा	-2,235	-9.2	11.0
ग्रामीण विकास	-1740	-10.2	8.6
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	-1138	-5.4	5.6
प्रशासनिक सेवा	-1,858	-5.7	9.2
पेंशन	-764	-2.0	3.8
(ii) ब्याज भुगतान	91	0.1	-0.4
III. पूंजी प्राप्तियां	**316**	**0.2**	**100.0**
IV. पूंजी व्यय	**-7,582**	**-4.6**	**100.0**
जिसमें से			
पूंजी परिव्यय	-6,672	-9.8	88.0
जिसमें से			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	122	7.0	-1.6
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	-594	-2.7	7.8
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	-1,954	-20.8	25.8
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	-1,311	-11.5	17.3
ज्ञापन मदें			
सराघा	-14,378	-11.6	
राघा	-7,879	-17.8	
प्राघा	-14,469	-40.5	

सं.अ.: संशोधित अनुमान * : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।

टिप्पणियां : 1. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि पूंजी व्यय में सार्वजनिक लेखे शामिल नहीं हैं।

2. परिशिष्ट III व IV की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

ध्यान देने योग्य प्रासंगिक बात यह है कि 2004-05 (लेखों) में राजस्व लेखे में सुधार ज्यादातर 20,334 करोड़ रुपए (6.0 प्रतिशत) के ब्याजेतर राजस्व व्यय में गिरावट के कारण था। राजस्व लेखे में विकास व्यय में 15,588 करोड़ रुपए तक की भारी गिरावट हुई जो राजस्व व्यय में 77.0 प्रतिशत की कमी है। राज्यों के अपने करों में वृद्धि के बावजूद केंद्र और राज्यों के अपने करेतर राजस्वों से मौजूदा अंतरण (डिवोल्यूशन) में गिरावट के परिणामस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में 12,364 करोड़ रुपए तक की गिरावट हुई।

राजस्व घाटे में 17.8 प्रतिशत की गिरावट के अलावा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पूंजी परिव्यय में 6,672 करोड़ रुपए (9.8 प्रतिशत) की गिरावट थी जिससे पूंजी व्यय में 88.0 प्रतिशत की कमी आई है। सघउ के अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय संशोधित अनुमानों में 2.2 प्रतिशत के स्तर से लेखों में 2.0 प्रतिशत हो गया। पूंजी परिव्यय में यह कमी असम, गुजरात और पंजाब में, विशेषकर, उन क्षेत्रों में थी जैसे कि ऊर्जा, परिवहन और सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण एवं समाज सेवा। इस प्रकार, सकल राजकोषीय घाटे में संशोधित अनुमानों की तुलना में 2004-05 के लेखों में 14,378 करोड़ रुपए (11.6 प्रतिशत) की गिरावट दिखाई दी। सकल राजकोषीय घाटे में यह समग्र सुधार 22,634 करोड़ रुपए तक विकास व्यय में कमी (राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में किए गए व्यय सहित) के कारण था।

IV.2 संशोधित अनुमान : 2005-06

बजट अनुमान की तुलना में 2005-06 के संशोधित अनुमानों का आकलन दर्शाता है कि राजस्व घाटे में 7,735 करोड़ रुपए (31.0

सारणी 4 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2005-06 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

मद	घट बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**23,564**	**5.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	12,294	4.0	52.2
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	9,573	4.4	40.6
जिसमें से			
बिक्री कर	4,324	3.2	18.4
ख) केंद्रीय कर में अंश	2,721	3.0	11.5
(ii) करेत्तर राजस्व	11,270	9.0	47.8
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	150	0.3	0.6
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	11,120	14.1	47.2
II. राजस्व व्यय	**15,828**	**3.5**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	20,132	5.6	127.2
जिसमें से			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,273	4.0	20.7
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	810	3.6	5.1
ऊर्जा	3,046	16.4	19.2
ग्रामीण विकास	2,163	12.2	13.7
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	1,109	5.2	7.0
प्राकृतिक आपदा राहत	4368	98.0	27.6
प्रशासनिक सेवा	-1,060	-2.8	-6.7
पेन्शन	755	1.8	4.8
(ii) ब्याज भुगतान	-4,304	-4.6	-27.2
III. पूंजी प्राप्तियां	**9,722**	**6.5**	**100.0**
जिसमें से			
बाज़ार उधार	569	2.4	5.9
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	23,769	39.3	244.5
केंद्र से ऋण	-20,305	-65.0	-208.8
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	1,954	35.5	20.1
अल्पबचत, भविष्य निधि आदि (निवल)	934	9.8	9.6
जमाराशि और अग्रिम (निवल)	2,098	-74.9	21.6
IV. पूंजी व्यय	**13,034**	**10.6**	**100.0**
जिसमें से			
पूंजी परिव्यय	8,302	10.8	63.7
जिसमें से			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	-722	-20.8	-5.5
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	2,385	9.8	18.3
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	3,824	62.1	29.3
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	1,984	13.6	15.2
ज्ञापन मदें			
सराघा	3,338	3.0	
राघा	-7,735	-31.0	
प्राघा	7,642	44.3	

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।
* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत) की कमी आई है (सारणी 4 और परिशिष्ट सारणी 1)। सघउ से अनुपात के रूप में राजस्व घाटा बजट अनुमानों के 0.7 प्रतिशत से घटकर संशोधित अनुमानों में 0.5 प्रतिशत हो गया है। राजस्व लेखे में 2005-06 (बजट अनुमान) की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में राजस्व प्राप्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई और ये 23,564 करोड़ रुपए (5.5 प्रतिशत) रही जिससे राजस्व व्यय में हुई 15,828 करोड़ रुपए (3.5 प्रतिशत) की वृद्धि के नुकसान से ज्यादा की भरपाई कर दी (परिशिष्ट सारणी 2)।

राजस्व घाटे में वृद्धि के बावजूद 8,302 करोड़ रुपए (10.8 प्रतिशत) तक की पूंजी परिव्यय में भारी वृद्धि के बावजूद सकल राजकोषीय घाटे में 3,338 करो ड़ रुपए (3.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। सघउ से अनुपात के रूप में, सकल राजकोषीय घाटा पूंजी परिव्यय 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.4 होने के साथ 3.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना रहा। पूंजी परिव्यय में यह वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं यथा ऊर्जा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा परिवहन के संबंध में थी। इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि बट्टे खाते डालने का लाभ केवल तभी मिल सकेगा जब राज्य के राजकोषीय घाटे को 2004-05 के स्तर पर सीमित रखा जाए। यदि किसी वर्ष में राजकोषीय घाटा इस स्तर को पार कर जाता है तो बट्टे खाते डालने का लाभ, अन्यथा पात्र होने के बावजूद भी नहीं दिया जाएगा।

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः केंद्र से मिलनेवाले 11,120 करोड़ रुपए तक की सहायता अनुदान में वृद्धि और 9,573 करोड़ रुपए तक के राज्यों के स्व कर राजस्व में वृद्धि के कारण थी। उपर्युक्त दोनों स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों में होनेवाली वृद्धि क्रमशः 47 प्रतिशत और 41 प्रतिशत थी। चूंकि वर्ष 2005-06 बारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि का प्रथम वर्ष है, राज्यों को उनके बजट की तुलना में अधिक सहायता अनुदान मिले (परिशिष्ट सारणी 3)।

शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास पर अधिक व्यय के कारण विकास व्यय में 21,845 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय में 2005-06 (ब.अ.) की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में भी 15,828 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई दी। तथापि, विकास व्यय विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 4432 करोड़ रुपए तक और ब्याज अदायगियों के संबंध में 4,304 करोड़ रुपए तक की कमी के चलते 7,313 करोड़ रुपए तक घट गया (परिशिष्ट सारणी 4)। ब्याज

भुगतानों में हुई वृद्धि में महाराष्ट्र का योगदान एक-चौथाई से अधिक था जबकि प्रशासनिक सेवाओं में होनेवाली वृद्धि में महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रत्येक का योगदान 17 प्रतिशत था और पेन्शन व्यय में हुई वृद्धि में तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक था।

राजस्व घाटे में 12667 करोड़ रुपए तक की गिरावट तथा 1000 करोड़ रुपए के विनिवेश के साथ दिए गए 1,768 करोड़ रुपए के उधार सहित सकल राजकोषीय घाटा इसप्रकार बजट किया गया है कि 11,156 करोड़ रुपए तक की पूंजी परिव्यय में वृद्धि के बावजूद वर्ष में 4,278 करोड़ रुपए तक गिरावट आनी चाहिए। 2006-07 के बजटों के अनुसार सघउ से अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 3.2 प्रतिशत से घट कर 2.8 प्रतिशत पर आ जाएगा और राजस्व घाटा 0.5 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत हो जाएगा जबकि पूंजी परिव्यय 2.4 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बना रहेगा।

IV.3 बजट अनुमान : 2006-07

वर्ष 2006-07 के लिए अपने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकारों ने राजकोषीय संशोधन एवं समेकन की प्रक्रिया को और आगे ले जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है।

IV.3.1 बजट अनुमान 2006-07 - महत्वपूर्ण घाटा संकेतक

राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति दर्शाती है कि प्रमुख घाटा संकेतकों को इस प्रकार बजट किया गया है ताकि वे 2006-07 में और भी सुधार दर्शा सकें। राजस्व घाटा 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में इस प्रकार बजट किया गया है ताकि 2006-07 के दौरान यह 12,667 करोड़ रुपए (73.7 प्रतिशत) तक गिरकर 4,511 करोड़ रुपए रह जाए। आशा की जाती है कि इस स्तर पर राज्यों के राजस्व खाते संतुलन के आस-पास पहुंच जाएंगे।

राजस्व घाटे में गिरावट के फलस्वरूप सकल राजकोषीय घाटा 4,278 करोड़ रुपए गिरकर 1,09,610 करोड़ रुपए (सघउ का 2.8 प्रतिशत) हो जाएगा। बजट इस प्रकार बनाया गया है ताकि प्राथमिक घाटे में 14,709 करोड़ रुपए (59.1 प्रतिशत) की कमी आए और यह 2006-07 में 10,185 करोड़ रुपए (सघउ का 0.3 प्रतिशत) रह जाए (चार्ट 1)। राज्य सरकारों के 94,914 करोड़ रुपए (सघउ का 2.4 प्रतिशत) के प्राथमिक राजस्व अधिक्य इस प्रकार बजट किए गए हैं

चार्ट 1 : प्रमुख घाटा संकेतक

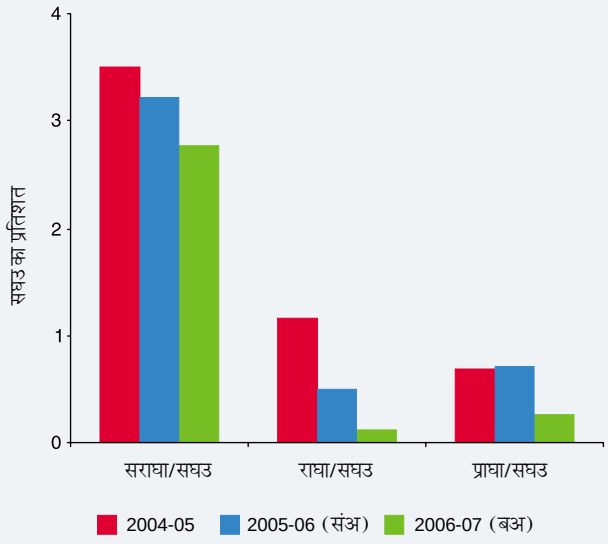

सराघा : सकल राजकोषीय घाटा राघा : राजस्व घाटा प्राघा : प्राथमिक घाटा

ताकि पिछले वर्ष के लगभग 81 प्रतिशत ब्याज भुगतानों की तुलना में 2006-07 में 95 प्रतिशत से अधिक ब्याज भुगतान किए जा सकें।

वर्ष 2006-07 में राजस्व लेखे में राजकोषीय संशोधन मूलतः राजस्व प्राप्तियों की सहायता से, जिनके लिए बजट में पिछले वर्ष के 22.1 प्रतिशत से ऊपर 14.5 प्रतिशत और बढ़ने की व्यवस्था की गई है, राजस्व बढ़ाकर हासिल किया जाएगा। 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए बजट में व्यवस्था की गई है जिसके लिए स्व-कर राजस्व (49.1 प्रतिशत), केंद्रीय कर में हिस्सा (25.3 प्रतिशत), केंद्र से सहायता (15.5 प्रतिशत) और राज्यों के अपने करेतर राजस्व (10.1 प्रतिशत) योगदान देंगे (सारणी 5)। वस्तुओं और सेवाओं पर राज्यों के अपने करों में 14.4 प्रतिशत प्रस्तावित बजटीय वृद्धि के अलावा स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क तथा संपत्ति और पूंजी लेनदेनों पर लगने वाले शुल्क और करों में क्रमशः 17.5 प्रतिशत और 15.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी (परिशिष्ट सारणी 3)।

वर्ष 2006-07 में राजस्व घाटे में कमी राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की 15.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2006-07 में 11.3 प्रतिशत कमी से सुसाध्य होगी। 2006-07 में राजस्व व्यय में बजटीय वृद्धि मूलतः ब्याजेतर राजस्व व्यय (80.4 प्रतिशत) के कारण होगी। राजस्व व्यय के भीतर विकासमूलक व्यय (आर्थिक एवं सामाजिक सेवाएं) (पिछले वर्ष के 21.4 प्रतिशत से) घटकर 9.1 प्रतिशत रह जाएगा जबकि विकासेतर व्यय (पिछले वर्ष के 7.9 प्रतिशत) से बढ़कर 13.2

सारणी 5 : प्रमुख मदों में घट-बढ़ - 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

मद	घट-बढ़		योगदान* (प्रतिशत)
	राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4
I. राजस्व प्राप्तियां (i+ii)	**65,904**	**14.5**	**100.0**
(i) कर राजस्व (क+ख)	49,083	15.5	74.5
क) राज्यों के अपने कर राजस्व	32,386	14.4	49.1
जिसमें से			
बिक्री कर	22,403	16.2	34.0
ख) केंद्रीय कर में अंश राजस्व	16,697	18.0	25.3
(ii) करेत्तर राजस्व	16,821	12.3	25.5
(क) राज्यों के अपने करेतर राजस्व	6,635	14.2	10.1
ख) केंद्र द्वारा अनुदान	10,186	11.3	15.5
II. राजस्व व्यय	**53,237**	**11.3**	**100.0**
(i) ब्याजेतर राजस्व व्यय	42,806	11.2	80.4
जिसमें से			
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8,990	10.6	16.9
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,405	10.3	4.5
ऊर्जा	-2156	-10.0	-4.0
ग्रामीण विकास	661	3.3	1.2
कृषि एवं संबंधित उत्पाद	1259	5.6	2.4
प्रशासनिक सेवा	6,799	18.6	12.8
पेन्शन	5,409	12.8	10.2
(ii) ***ब्याज भुगतान***	10,431	11.7	19.6
III. पूंजी प्राप्तियां	**-7,167**	**-4.5**	**100.0**
जिसमें से			
बाजार उधार	4,462	18.7	-62.3
नाबार्ड से ऋण	2,534	38.9	-35.4
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	-19,448	-23.1	271.4
केंद्र से ऋण	2,614	24.0	-36.5
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	-1,946	-26.1	27.1
आरक्षित निधि(निवल)	1,115	34.3	-15.6
विविध पूंजी प्राप्तियां	2,449	407.2	-34.2
प्रेषण (निवल)	1,018	106.3	-14.2
IV. पूंजी व्यय	**7,139**	**5.2**	**100.0**
जिसमें से			
पूंजी परिव्यय	11,156	13.1	156.3
जिसमें से			
शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय	-629	-22.9	-8.8
जलसिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण पर पूंजी परिव्यय	3,743	14.0	52.4
ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	-458	-4.6	-6.4
परिवहन पर पूंजी परिव्यय	3,178	19.2	44.5
ज्ञापन मदें			
सराघा	-4,278	-3.8	
राघा	-12,667	-73.7	
प्राघा	-14,709	-59.1	

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।
* : संबंधित योग में प्रतिशत अंश दर्शाता है।
टिप्पणी : सारणी 3 की टिप्पणियां देखें ।
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

प्रतिशत हो जाएगा और यह मूलतः ब्याज भुगतानों, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन के लिए किए गए ऊंचे प्रावधानों के कारण होगा (परिशिष्ट सारणी 4)। ब्याज भुगतानो में हुई वृद्धि में महराष्ट्र का योगदान एक-चौथाई से अधिक था जबकि प्रशासनिक सेवाओं में होनेवाली वृद्धि में महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रत्येक का योगदान 17 प्रतिशत था और पेन्शन व्यय में हुई वृद्धि में तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का योगदान 55 प्रतिशत से अधिक था।

राजस्व घाटे में 12667 करोड़ रुपए तक की गिरावट तथा 1000 करोड़ रुपए के विनिवेश के साथ दिए गए 1,768 करोड़ रुपए के उधार सहित सकल राजकोषीय घाटा इस प्रकार बजट किया गया है कि 11,156 करोड़ रुपए तक की पूंजी परिव्यय में वृद्धि के बावजूद वर्ष में 4,278 करोड़ रुपए तक गिरावट आनी चाहिए। 2006-07 के बजटों के अनुसार सघउ से अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के 3.2 प्रतिशत से घट कर 2.8 प्रतिशत पर आ जाएगा और राजस्व घाटा 0.5 प्रतिशत से 0.1 प्रतिशत हो जाएगा जबकि पूंजी परिव्यय 2.4 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर बना रहेगा।

IV.3.2 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार बजट की गई हैं कि विगत वर्ष में हुई 22.1 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 2006-07 में 14.5 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। परिकल्पित है कि सघउ के अनुपात के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2006-07 की 13.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक तक बढ़ेगी। सघउ के अनुपात के रूप में राज्यों के स्व राजस्व और केंद्र से अंतरण दोनों में वर्ष के दौरान मामूली सुधार होने के अनुमान हैं (सारणी 6) (विवरण 31 भी देखें)।

घटकवार विवरण दर्शाते हैं कि सघउ से प्रतिशत के रूप में राज्यों के अपने कर राजस्व में 2006-07 के दौरान मामूली सुधार दिखाई देने के आसार हैं। शहरी अचल संपत्तियों पर करों और विद्युत शुल्क को छोड़कर सभी घटक राज्यों के अपने करों में वृद्धि में योगदान देंगे । राज्यों के स्व करेतर राजस्व इस प्रकार बजट किए गए हैं कि उनमें बीते वर्ष के 1.8 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2006-07 में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। तथापि सघउ से अनुपात के रूप में राज्यों का स्व करेतर राजस्व 1.3 प्रतिशत पर बनाए रखा जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सेवाओं से कम वसूली आंशिक रूप से उनके करेतर राजस्व वसूली के निम्न

सारणी 6: राज्य सरकारों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपए)

मदें	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-04 (औसत)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							घटबढ़ कॉ.6/5	घटबढ़ कॉ.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल प्राप्तियां (1+2)				576,762	613,379	672,116	6.3	9.6
	(16.1)	(15.2)	(17.4)	(18.5)	(17.4)	(17.0)		
1. कुल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)				372,075	454,243	520,148	22.1	14.5
	(12.1)	(10.9)	(11.4)	(11.9)	(12.9)	(13.2)		
क) राज्यों के अपने राजस्व				236,668	271,518	310,540	14.7	14.4
	(7.3)	(6.9)	(7.1)	(7.6)	(7.7)	(7.9)		
राज्य के अपने कर				189,133	224,817	257,203	18.9	14.4
	(5.4)	(5.3)	(5.7)	(6.1)	(6.4)	(6.5)		
राज्य के अपने करेतर राजस्व				47,535	46,702	53,337	-1.8	14.2
	(1.8)	(1.6)	(1.4)	(1.5)	(1.3)	(1.3)		
ख) केंद्र को अंतरण				135,406	182,725	209,608	34.9	14.7
	(4.9)	(4.0)	(4.2)	(4.3)	(5.2)	(5.3)		
अंशदाई कर				78,550	92,723	109,419	18.0	18.0
	(2.6)	(2.4)	(2.4)	(2.5)	(2.6)	(2.8)		
केंद्र के अनुदान				56,857	90,002	100,188	58.3	11.3
	(2.3)	(1.6)	(1.9)	(1.8)	(2.5)	(2.5)		
2. पूंजी प्राप्तियां (क+ख)				204,687	159,136	151,968	-22.3	-4.5
	(4.0)	(4.2)	(6.0)	(6.6)	(4.5)	(3.8)		
क) केंद्र से ऋण @				26,157	10,911	13,525	-58.3	24.0
	(1.2)	(1.0)	(1.0)	(0.8)	(0.3)	(0.3)		
ख) अन्य पूंजी प्राप्तियां				178,529	148,224	138,443	-17.0	-6.6
	(2.9)	(3.2)	(5.0)	(5.7)	(4.2)	(3.5)		

औ. : औसत सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।

@ वर्ष 1999-2000 से लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण अल्प बचतों में राज्यों का अंश जिसे पहले केंद्र से ऋण में शामिल किया गया था, अब आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया है तथा इसे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है। तथापि 1999-2000 वर्ष के पहले के आंकड़े अल्प बचतों की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

टिप्पणियां : 1. सघउ का 4/5 वर्ष का औसत अनुपात, विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।
2. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखें निवल आधार पर शामिल हैं।
3. परिशिष्ट III की टिप्पणियां भी देखें ।
4. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

स्तर को स्पष्ट करती है। 2005-06 (सं.अ.) में वसूली लागत शिक्षा के लिए 1.2 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य के लिए 5.0 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 17.7 प्रतिशत, बिजली के लिए 13.1 प्रतिशत और सड़कों के लिए 11.6 प्रतिशत पर कम थी (सारणी 7 और चार्ट 2)। 2006-07

सारणी 7 : चयनित सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

(प्रतिशत)

मदें	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं							
क) शिक्षा $	1.2	1.2	1.6	1.7	2.1	1.2	1.2
ख) स्वास्थ्य *	4.6	6.1	5.4	4.7	6.1	5.0	4.8
आर्थिक सेवाएं							
क) सिंचाई #	8.2	7.5	8.4	15.2	16.3	17.7	16.9
ख) बिजली	6.5	6.4	5.8	4.5	11.7	13.1	15.8
ग) सड़क @	16.1	19.3	15.5	21.3	14.4	11.6	7.5

ब.अ. : बजट अनुमान। सं.अ.: संशोधित अनुमान

$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृतिपर व्यय भी शामिल है।

* : इसमें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण पर व्यय शामिल है ।

: यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए बड़ी, मझोली तथा लघु सिंचाई से संबंधित है ।

@ : यह योजनेतर राजस्व व्यय के लिए सड़क एवं पुल से संबंधित है जबकि करेतर राजस्व के लिए मार्ग परिवहन से संबंधित है ।

टिप्पणी : राज्यों में विद्युत क्षेत्र से संबंधित अकाउंटिंग में समानुता न होने के कारण कई बार विभिन्न वर्षों के बीच इसे समायोजित किया गया है । अतः अनुपात में उतार-चढ़ाव है। इसके अलावा, राज्यों ने बिजली के अंतर्गत एकबाकी करेतर प्राप्तियां प्राप्त की थी जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वर्ष 2003-04 के दौरान अहलुवालिया समिति की सिफारिश के अनुसार 2,749 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, जो 2004-05 में मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई। ऐसी राशि को यहां छोड़ दिया गया है। साथ ही, ग्रामीण विद्युती करण निगम (आरइसी) की प्राप्तियां करेतर स्वरूप की नहीं थी जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 2004-05 में 240 करोड़ रुपए, 2005-06 में 160 करोड़ रुपए और 2006-07 में 1,350 करोड़ रुपए और उत्तरांचल सरकार के मामले में 2004-05 में 134 करोड़ रुपए, इन राशियों को यहां शामिल नहीं किया गया है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

चार्ट 2 : चुनिंदा सेवाओं की लागत वसूली

(योजनेतर राजस्व व्यय की तुलना में करेतर राजस्व अनुपात)

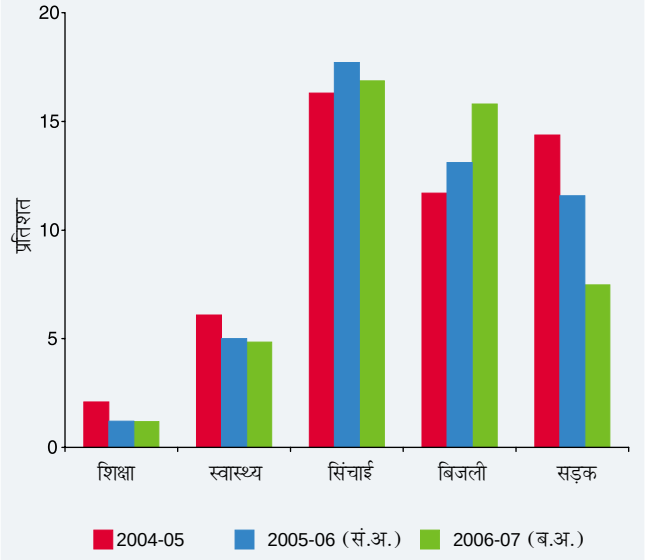

चार्ट 3 : ब्याज भुगतान और पेन्शन

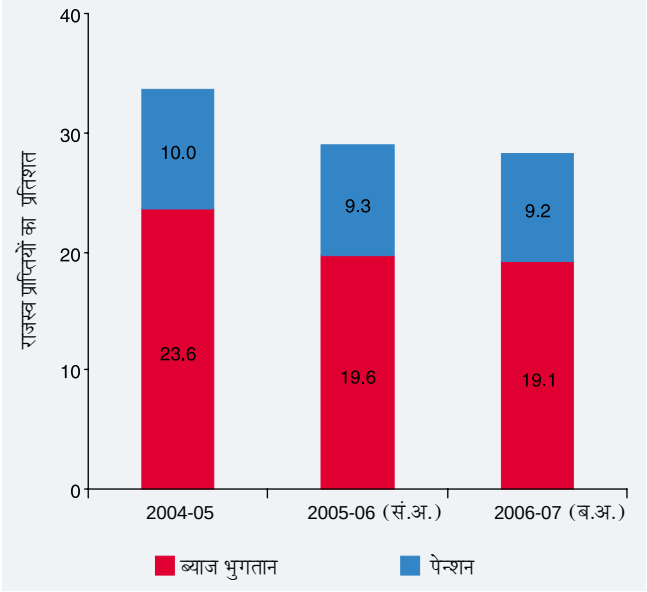

में शिक्षा के लिए वसूली लागत पिछले वर्ष के स्तर पर बजट की गई है जबकि यह स्वास्थ्य सिंचाई और सड़कों के लिए कम होने के लिए बजट की गई है। तथापि, 2006-07 में बिजली के लिए वसूली लागत इस प्रकार बजट की गई थी ताकि सुधार हो। अतएव, इन सेवाओं पर उचित उपयोगकर्ता प्रभार लगाकर वसूली लागत बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेशों से मिलने वाले लाभ की दर (लाभांश और लाभों के अर्थ में) उनके खराब निष्पादन के कारण बहुत कम रही है।

IV.3.3 राजस्व व्यय

राज्य सरकारों के राजस्व व्यय में पिछले वर्ष हुई 15.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान 11.3 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए बजट बनाया गया है। तथापि, सघउ के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय के 13.3 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने की परिकल्पना की गई है। राजस्व व्यय में यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल और संस्कृति, शहरी विकास, परिवहन और दूरसंचार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के कारण होगी। इसके अलावा, ब्याज भुगतानों प्रशासनिक सेवाओं और पेन्शन के संबंध में किए गए प्रावधान भी 2006-07 में पर्याप्त वृद्धि के लिए बजट किए गए हैं। तथापि, ब्याज भुगतान और पेन्शन में पहलेवाले कुछ वर्षों की तुलना में 2006-07 में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा अपेक्षाकृत कम खपेगा (चार्ट 3) (परिशिष्ट सारणी 4 भी देखे)।

IV.3.4 पूंजी प्राप्तियां

विगत वर्ष में पूंजी प्राप्तियों के लिए बजट में किए गए 22.3 प्रतिशत कम प्रावधान के सामने 2006-07 में 4.5 प्रतिशत कम प्रावधान किया गया है। इस कमी का प्रमुख भाग एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों में (23.1 प्रतिशत) पर्याप्त गिरावट तथा ऋण और अग्रिमों की अपेक्षाकृत कम वसूली के कारण होगा (परिशिष्ट सारणी 5) (विवरण 32 भी देखें)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों द्वारा एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में बजट की गई राशि केंद्रीय बजट 2006-07 में किए गए बजट प्रावधान की तुलना में काफी कम है।

केंद्र से सकल ऋण पिछले वर्ष में 58.3 प्रतिशत की तेज गिरावट की तुलना में 2006-07 में 24.0 प्रतिशत तक बढ़ने के लिए बजट किया गया है और यह मूलतः राज्य आयोजना योजनाओं के लिए ऋणों के संबंध में किए गए प्रावधानीकरण के कारण है (विवरण 24)। तथापि, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र से दिए जाने वाले ऋण चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे। राज्य सरकारों को अपनी आयोजना योजनाओं के लिए बाजार उधारों की ओर रुख करना पड़ेगा। राज्यों की पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक (वसूली घटाकर) कुल पूंजी प्राप्तियों से अनुपात के रूप में चार्ट 4 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 4 : पूंजी प्राप्तियों के प्रमुख घटक

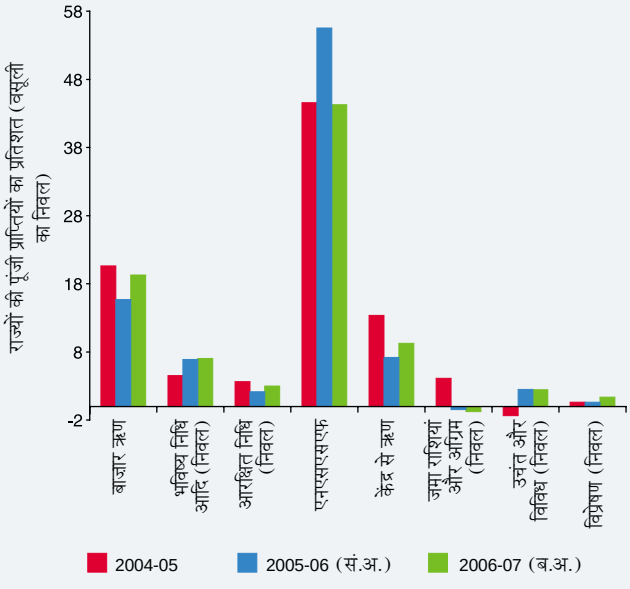

IV.3.5 पूंजी व्यय

राज्य सरकारों के पूंजी व्यय विगत वर्ष में हुई 13.6 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2006-07 में 5.2 प्रतिशत तक की वृद्धि के लिए बजट किए गए हैं। पूंजी व्यय में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि पूंजी परिव्यय में वृद्धि के कारण होगी जो मूलतः आर्थिक सेवाओं में विकासात्मक परिव्यय दर्शाती है। तथापि, पूर्ववर्ती वर्ष की भांति सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में पूंजी परिव्यय 2.4 प्रतिशत के स्तर पर रखा जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम 2006-07 में लगभग 19.7 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान लगाया गया है (परिशिष्ट सारणी 6)। यह गिरावट आर्थिक सेवाओं, मूलतः महाराष्ट्र में बिजली परियोजनाओं और सहकारिता के लिए विकासात्मक ऋण में तेज गिरावट के कारण है।

IV.3.6 केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण

केंद्र से संसाधनों (अर्थात् साझायोग्य कर राजस्व, सहायता अनुदान और ऋण एवं अग्रिम) का सकल डिवोल्यूशन और अंतरण 2006-07 में 15.2 प्रतिशत तक बढ़कर 223,133 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है जबकि इसके पहले वाले वर्ष में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में केंद्र से सकल डिवोल्यूशन और अंतरण पिछले वर्ष के 5.5 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में मामूली सुधरकर 5.6 प्रतिशत हो जाएगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि केंद्र से होने वाले सकल डिवोल्यूशन और अंतरण विगत वर्ष के 31.9 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में राज्य सरकारों के सकल व्यय के 33.4 प्रतिशत भाग को वित्त पोषित करेगा। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को साझायोग्य केंद्रीय करों में पहले से बड़ा हिस्सा मिल रहा है तथा केंद्र से पहले से ज्यादा सहायता अनुदान मिल रहे हैं (परिशिष्ट सारणी 19)।

IV.3.7 विकासात्मक और विकासेतर व्यय

विकासेतर व्यय में लगभग प्रतिपूरक वृद्धि के साथ कुल व्यय में विकासात्मक व्यय के हिस्से में एक चिरकालिक गिरावट रही है और यह 1990-91 के 69.6 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 में 51.8 प्रतिशत पर आ गया है। 2006-07 में विकासात्मक व्यय का हिस्सा पिछले वर्ष के 59.6 प्रतिशत की तुलना में 58.8 प्रतिशत होगा। सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में विकासात्मक व्यय 2006-07 में 9.9 प्रतिशत पर रखा जाएगा जोकि पिछले वर्ष के 10.3 प्रतिशत की तुलना में कम है (सारणी 8)। विकासात्मक व्यय के भीतर, सामाजिक क्षेत्र (जिसमें समाज सेवाएं, खाद्यान्न भंडारण और वेयरहाउसिंग तथा ग्रामीण विकास शामिल हैं) पिछले वर्ष के 6.0 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद से 5.9 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम रखा जाएगा (चार्ट 5 और परिशिष्ट सारणियां 11-18) (समाजिक क्षेत्र व्यय संबंधी विस्तृत विवरण के लिए खंड VII देखें)।

2006-07 के दौरान विकासेतर व्यय पिछले वर्ष के समान ही सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 प्रतिशत पर रखे जाएंगे। 2006-07 के दौरान विकासेतर व्यय में प्रमुख वृद्धियों का कारण ब्याज भुगतान प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं होंगी (परिशिष्ट सारणी 14)। 2006-07 में योजनेतर घटकों का हिस्सा विकासात्मक व्यय का 51.7 प्रतिशत और विकासेतर व्यय का 97.2 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी-15)। राजस्व व्यय विकासात्मक व्यय का 73.0 प्रतिशत और विकासेतर व्यय का 97.6 प्रतिशत होगा (परिशिष्ट सारणी-16)। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में योजनेतर विकासेतर व्यय पिछले वर्ष के 5.6 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 5.7 प्रतिशत पर थोड़ा अधिक रखा जाएगा। यह

सारणी 8 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरुप

(करोड़ रुपए)

मदे	1990-95 (औसत)	1995-00 (औसत)	2000-04 (औसत)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	घट बढ़ (प्रतिशत)	
							कॉ. 6/5	कॉ. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल व्यय (1+2 =3+4+5)	(16.0)	(15.2)	566,303 (17.3)	607,753 (18.1)	668,129 (17.2)	7.3 (16.9)	9.9	
1. राजस्व व्यय				408,497	471,421	524,658	15.4	11.3
जिसमें	*(12.8)*	*(12.6)*	*(13.8)*	*(13.1)*	*(13.3)*	*(13.3)*		
ब्याज अदायगी	(1.7)	(2.0)	(2.8)	87,989 (2.8)	88,994 (2.5)	99,425 (2.5)	1.1	11.7
2. पूंजी व्यय				157,805	136,332	143,471	-13.6	5.2
जिसमें	*(3.2)*	*(2.7)*	*(3.6)*	*(5.1)*	*(3.9)*	*(3.6)*		
पूंजी परिव्यय	(1.6)	(1.4)	(1.6)	61,559 (2.0)	85,350 (2.4)	96,506 (2.4)	38.6	13.1
3. विकासात्मक व्यय	(10.8)	(9.6)	(9.7)	293,538 (9.4)	362,300 (10.3)	392,926 (9.9)	23.4	8.5
4. विकासेतर व्यय	(4.3)	(4.9)	(6.0)	188,298 (6.0)	203,189 (5.8)	230,225 (5.8)	7.9	13.3
5. अन्य*	(0.9)	(0.7)	(1.6)	84,467 (2.7)	42,265 (1.2)	44,978 (1.1)	-50.0	6.4

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान।

* : इसमें केंद्र को ऋण की चुकौती, आंतरिक ऋण की चुकौती, सहायता अनुदान एवं योगदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन) शामिल है ।

टिप्पणियां : 1. सघउ का 4/5 वर्ष का औसत अनुपात, विभिन्न अवधियों के दौरान अधिक अर्थपूर्ण तुलना हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सघउ का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

3. पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक लेखें निवल आधार पर शामिल हैं। परिशिष्ट III की टिप्पणियां भी देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

उल्लेख किया जा सकता है कि हाल के वर्षों में प्रतिबद्ध व्यय, जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन शामिल हैं, स्थिरीकरण के कुछ चिन्ह दर्शाते रहे हैं। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय पिछले वर्ष में 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 36.3 प्रतिशत तक मामूली रूप से बढ़ेंगे। तथापि, स्व-राजस्व के अनुपात के रूप में प्रतिबद्ध व्यय वर्ष में 61.9 प्रतिशत से घटकर 61.4 प्रतिशत पर आ गया (विवरण 37 और 38)। वर्षों के दौरान राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप सारणी में दिया गया है।

चार्ट 5 : विकासात्मक और विकासेतर व्यय

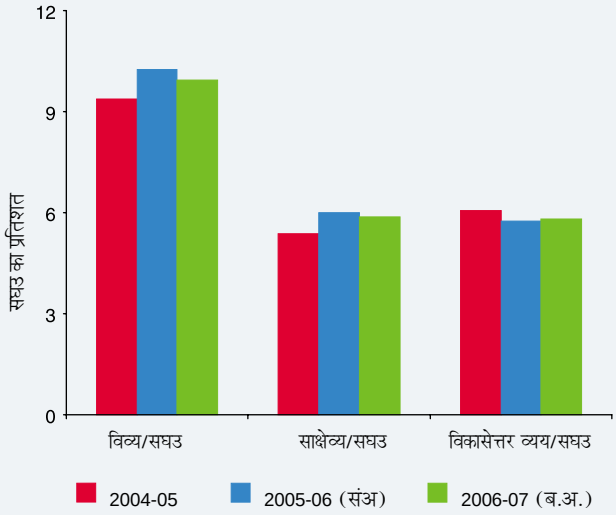

विव्य : विकासात्मक व्यय साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र व्यय
विकासेत्तर व्यय : विकासेतर व्यय

IV.3.7.1 मज़दूरी और वेतन तथा परिचालनों और रखरखाव पर व्यय

मज़दूरी और वेतन तथा साथ ही परिचालनों और रखरखाव से संबंधित आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों से आंकड़े प्राप्त करने के बाद उक्त आंकड़ों को मिलाने का प्रयास किया गया है।

सरकारों की पूंजी आस्तियों के अनुरक्षण हेतु परिचालनों और रखरखाव पर होने वाले व्यय का स्तर महत्त्वपूर्ण है। बारहवें वित्त आयोग ने इस स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया है तथा इस प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की सिफारिश भी की है। कुल राजस्व में परिचालनों और अनुरक्षण व्यय के हिस्से में वर्षों के दौरान कमोबेश क्रमिक गिरावट दिखाई दी है (सारणी 9 और विवरण 46)। आयोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं से होने वाले प्रतिलाभ के लिए इसके निहितार्थ हैं। दूसरी ओर, राजस्व व्यय में मज़दूरी और वेतन का हिस्सा 1990 के दशक के उत्तरार्ध में बढ़ा

और फिर 2000-01 के 34.6 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से 2005-06 के (सं.अ.) में 28.6 प्रतिशत पर आ गया (सारणी 9 और विवरण 45)। कुल राजस्व व्यय में मज़दूरी और वेतन का एक बड़ा हिस्सा (एक चौथाई से अधिक) होना राजस्व व्यय के आधार में निहित प्राथमिक कारकों में से एक है। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व व्यय दोनों के अनुपात के रूप में मज़दूरी और वेतन पर होने वाले व्यय में स्थायित्व आ गया है। हाल के वर्षों में राज्य सरकारों ने व्यय जिसमें नियोजन और साथ ही पेंशन से संबंधित व्यय शामिल हैं, पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

इस संदर्भ में यहां यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेन्शन ढांचे की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर 2006 में छठा वेतन आयोग गठित किया है और यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जैसा कि पिछले वेतन आयोगों का अनुभव रहा है, राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे को सुधारने के लिए कमोबेश केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा दिए गए अवार्डों का अनुसरण करती हैं। बहुत से राज्य सरकारों ने अपने वेतन आयोग गठित किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विचारार्थ विषय बताते हैं कि राजकोषीय विवेक का पालन जरूरी है और राज्यों द्वारा यदि ये सिफारिशें अपनाई गईं तो राज्य वित्त पर इसका संभावित असर क्या होगा। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि (जैसा कि बारहवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की है) उनके द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाने के परिणामस्वरूप 1990 के दशक के अंतिम भाग में राज्य वित्तों में क्षरण महसूस किया गया। अतएव, राज्यों को वेतन स्तरों और इन्हें अपनी राजकोषीय क्षमता, कर्मचारी संख्या, जनसंख्या के आकार तथा उत्पादक नियोजनों के लिए अपेक्षित अनुपूरक व्यय के संतुलित करने से संबंधित निर्णय लेते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के उच्च वृद्धि के पथ पर गमन करने के परिणामस्वरूप राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियां पहले से ज्यादा हुई हैं और राजकोषीय क्षमता अपेक्षाकृत बढ़ी है। राजस्व संग्रहण में आए उछाल को भी उत्पादक व्यय और निवेश की दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है।

सारणी 9 : राज्य सरकारों का प्रशासनिक व्यय-मजदूरी और वेतन तथा परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मजदूरी और वेतन			परिचालन एवं रखरखाव		
	राशि	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत	राशि	राजस्व व्यय का प्रतिशत	सघउ का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,515	37.3	3.3	6,922	16.5	1.2
1991-92	23,042	35.2	3.5	7,302	12.9	1.1
1992-93	26,234	35.5	3.5	9,281	14.6	1.2
1993-94	29,431	35.6	3.4	9,037	12.7	1.1
1994-95	33,317	34.3	3.3	10,585	12.5	1.0
1995-96	37,673	34.4	3.2	11,368	11.9	1.0
1996-97	45,746	33.3	3.3	12,642	11.1	0.9
1997-98	59,044	35.9	3.9	14,966	10.2	1.0
1998-99	72,196	37.0	4.1	17,814	9.7	1.0
1999-00	87,297	37.9	4.5	17,639	8.2	0.9
2000-01	90,181	35.3	4.3	18,885	7.8	0.9
2001-02	89,340	33.1	3.9	19,889	7.7	0.9
2002-03	91,159	32.0	3.7	21,715	8.0	0.9
2003-04	95,387	29.4	3.5	23,908	7.7	0.9
2004-05	97,552	30.2	3.1	27,339	8.9	0.9
2005-06 (सं.अ)	114,711	30.5	3.2	34,698	9.9	1.0
2006-07 (ब.अ)	127,896	30.3	3.2	38,482	9.7	1.0

टिप्पणियां : 1. विवरण 45 और 46 में राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत है । प्रत्येक वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या भिन्न है।

2. राजस्व व्यय का हिस्सा उस वर्ष में शामिल राज्यों की संख्या पर आधारित है और न कि सभी राज्यों पर है ।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर।

IV.3.8 राज्य सरकारों के योजना परिव्यय

योजना आयोग से प्राप्त सूचनानुसार 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों का सकल अनुमोदित परिव्यय 1,83,871 करोड़ रखा गया है अर्थात पिछले वर्ष में दर्ज की गई 29.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि। राज्य सरकारों के योजना परिव्ययों के राज्यवार ब्यौरे विवरण - 30 में दिए गए हैं।

IV.4 आकलन

IV.4.1 समेकित स्थिति

उपर्युक्त विश्लेषण के परिदृश्य की तुलना में समेकित और राज्यवार दोनों ही स्तरों पर राज्य वित्तों का आकलन निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्ति जैसी कि सारणी-10 और चार्ट 6 में दर्शाई गई है, बताती है कि 1990 के दशक के उत्तरार्ध में क्रमिक क्षरण दर्शाने के उपरांत इसमें उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है (परिशिष्ट सारणी 1)।

राजकोषीय समेकन की अपनी प्रक्रिया जारी रखते हुए राज्य सरकारों ने 2006-07 में सकल राजकोषीय घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को और घटाकर 2.8 प्रतिशत (0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट) तक करने के लिए अपने बजट बनाए हैं। इस तरह का पर्याप्त सुधार राजस्व घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

चार्ट 6 : प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

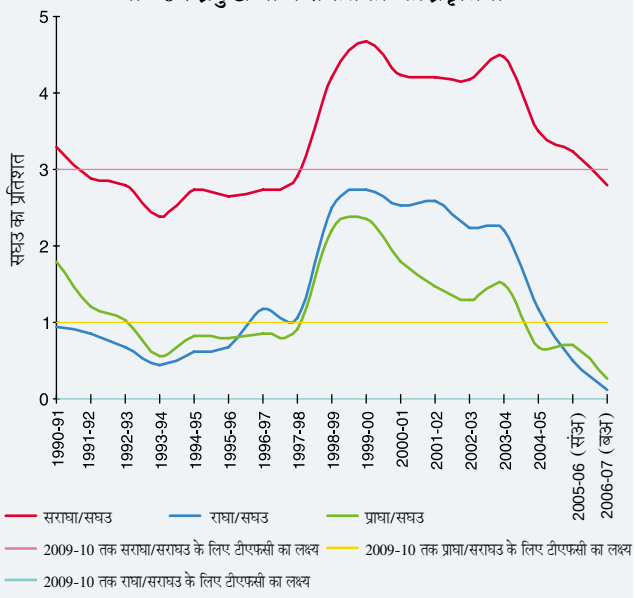

में परिकल्पित सुधार पर आधारित है जो कि 0.1 प्रतिशत (0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट) पर बजट किया गया है। प्राथमिक घाटा - सकल घरेलू उत्पाद अनुपात पिछले वर्ष के 0.7 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत सुधरने के लिए बजट किया गया है। तथापि, पूंजी परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2005-06 संशोधित अनुमान के स्तर 2.4 पर बनाए रखने के लिए बजट किया गया है।

सारणी 10 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा		राजस्व घाटा		प्राथमिक घाटा		प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)	
1	2		3		4		5	
1999-00	91,480	*4.7*	53,797	*2.7*	46,309	*2.4*	8,625	*0.4*
2000-01	89,532	*4.2*	53,569	*2.5*	37,830	*1.8*	1,866	*0.1*
2001-02	95,993	*4.2*	59,188	*2.6*	33,488	*1.5*	-3,318	*-0.1*
2002-03	102,123	*4.2*	55,111	*2.2*	31,981	*1.3*	-15,031	*-0.6*
2003-04	123,070	*4.5*	61,145	*2.2*	41,306	*1.5*	-20,618	*-0.7*
(पावर बांडों का निवल)	94,086	*3.4*						
2004-05	109,257	*3.5*	36,423	*1.2*	21,268	*0.7*	-51,567	*-1.7*
2005-06 (सं.अ.)	113,888	*3.2*	17,178	*0.5*	24,894	*0.7*	-71,816	*-2.0*
2006-07 (ब.अ.)	109,610	*2.8*	4,511	*0.1*	10,185	*0.3*	-94,914	*-2.4*

सं.अ.: संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान '—' चिह्न पीआरबी के अधिशेष दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. तिरछे आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है।

2. राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड की देयताओं के लिए एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत 2003-04 के दौरान सीपीएसयू को 28,984 करोड़ रुपए के पावर बांड जारी किए हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

IV.4.2 घाटों का राज्यवार सुधार

समेकित राजकोषीय स्थिति में सुधार के बावजूद, राज्यों के बीच व्यापक घटबढ़ हैं। बहुत कम (4 राज्य) राज्य ऐसे हैं जिन्होंने राजकोषीय घाटे में सुधार का बजट बनाया है जबकि बहुत से राज्यों (14 राज्य) ने ऊंचे सकल राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है। मात्र कुछ राज्य ही समग्र सुधार के अधिकांश भाग का हिसाब करेंगे। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया का राज्यवार विश्लेषण दर्शाता है कि राजस्व लेखे में गैर-विशेष वर्ग के राज्य 87 प्रतिशत से अधिक का सुधार दर्शाएंगे।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने 2006-07 में क्रमशः 4,255 करोड़ रुपये और 1,725 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्रस्तावित किया है। विशेष वर्ग के राज्यों में से जम्मू और कश्मीर ने 1,119 करोड़ रुपये के सुधार के साथ 2,935 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, राज्यों का राजस्व सुधार काफी हद तक उपर्युक्त 3 राज्यों के निष्पादन पर निर्भर होगा (सारणी 11)।

जहां तक सकल राजकोषीय घाटे का प्रश्न है, 2006-07 में महाराष्ट्र ने 8,053 करोड़ रुपए के तेज सुधार की परिकल्पना की है और इस प्रकार सभी अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तावित कुल सकल राजकोषीय घाटा सुधार से अधिक उसका हिस्सा है। गैर-विशेष संवर्ग वाले राज्यों जैसे कि तमिलनाडु (1,787 करोड़ रुपए), केरल (1,557 करोड़ रुपए) और आंध्र प्रदेश (1,407 करोड़ रुपए) ने 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 में ऊंचे सकल राजकोषीय घाटे का बजट बनाया है। विशेष संवर्ग वाले राज्यों में से जम्मू और कश्मीर (409 करोड़ रुपए), मिज़ोरम (224 करोड़ रुपए), अरुणाचल प्रदेश (217 करोड़ रुपए) और मणिपुर (211 करोड़ रुपए) ने पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत कम सकल राजकोषीय घाटा प्रस्तावित किया है जबकि उत्तरांचल द्वारा सकल राजकोषीय घाटे में 402 करोड़ रुपए तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। राज्यों का समग्र सकल राजकोषीय घाटा सुधार काफी कुछ हद तक महाराष्ट्र के राजकोषीय निष्पादन पर निर्भर होगा।

IV.4.3 राज्य बजटों का विखण्डन और वित्तपोषण

राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों के आधार पर सकल राजकोषीय घाटे का विखण्डन बताता है कि राजस्व घाटे का हिस्सा पिछले वर्ष के 15.1 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 काफी घटकर

सारणी 11: राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटे का राज्यवार सुधार 2005-06 (सं.अ.) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	राजस्व घाटा		सकल राजकोषीय घाटा	
	2005-06 (सं.अ.)की तुलना में सुधार	कुल का प्रतिशत	2005-06 (सं.अ.)की तुलना में सुधार	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. गैर विशेष श्रेणी				
1. आंध्र प्रदेश	-122	1.1	1407	-37.1
2. बिहार	-764	6.9	-457	12.1
3 छत्तीसगढ़	-418	3.8	124	-3.3
4. गोवा	-36	0.3	74	-2.0
5. गुजरात	-355	3.2	217	-5.7
6. हरियाणा	-323	2.9	-65	1.7
7. झारखंड	-840	7.6	-54	1.4
8. कर्नाटक	-348	3.1	446	-11.8
9. केरल	816	-7.4	1557	-41.1
10. मध्य प्रदेश	-996	9.0	105	-2.8
11. महाराष्ट्र	-1725	15.6	-8053	212.6
12. उड़ीसा	-41	0.4	262	-6.9
13. पंजाब	-307	2.8	-69	1.8
14. राजस्थान	-822	7.4	-928	24.5
15. तमिलनाडु	769	-7.0	1787	-47.2
16. उत्तर प्रदेश	-4255	38.5	-456	12.0
17. पश्चिम बंगाल	-259	2.3	799	-21.1
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-1015	9.2	-486	12.8
कुल (क)	**-11040**	**100.0 (87.2)**	**-3788**	**100.0 (88.5)**
ख. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	32	-2.0	-217	44.3
2. असम	103	-6.4	267	-54.4
3. हिमाचल प्रदेश	161	-9.9	64	-13.0
4. जम्मू और कश्मीर	-1119	68.8	-409	83.3
5. मणिपुर	-316	19.4	-211	43.1
6. मेघालय	-210	12.9	-130	26.5
7. मिजोरम	31	-1.9	-224	45.7
8. नागालैंड	-65	4.0	-119	24.3
9. सिक्किम	-49	3.0	-9	1.8
10. त्रिपुरा	74	-4.5	97	-19.8
11. उत्तरांचल	-268	16.5	402	-81.9
कुल (ख)	**-1626**	**100.0 (12.8)**	**-491**	**100.0 (11.5)**
कुल योग (क + ख)	**- 12,666**	**100.0**	**- 4,279**	**100.0**

सं.अ. : संशोधित अनुमान। ब.अ. : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल जोड़ का प्रतिशत सुधार दर्शाते हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

4.1 प्रतिशत के आसपास आ जाएगा। तदनुसार, पूंजी परिव्यय का हिस्सा 75.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष में 88.0 प्रतिशत हो जाएगा (परिशिष्ट सारणी 7)। एन एस एस एफ को जारी प्रतिभूतियां प्रमुख वित्तीयन मद होंगी, हालांकि इसका हिस्सा 65.4 प्रतिशत से घटकर 53.1 प्रतिशत आ जाएगा। बाजार उधार पिछले वर्ष के 16.4 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 में 20.8 प्रतिशत पर सकल राजकोषीय घाटे

सारणी 12 : सकल राजकोषीय घाटे का विखंडन और वित्तपोषण स्वरूप - 2005-06 (लेखा) की तुलना में 2006-07 (ब.अ.)

(प्रतिशत)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4
विखंडन (1+2+3+4)	**100.0**	**100.0**	**100.0**
1. राजस्व घाटा	33.3	15.1	4.1
2. पूंजी परिव्यय	56.3	75.0	88.0
3. निवल उधार	10.3	10.0	8.8
4. विनिवेश	-	-	-0.9
वित्तपोषण (1 to 11)			
1. बाजार उधार	31.6	16.4	20.8
2. केंद्र से ऋण	-10.8	1.9	4.4
3. अल्प बचत / राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूति	62.2	65.4	53.1
4. एल आइ सी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	0.0[8]	4.9	6.9
5. राज्य भविष्य निधि	7.2	7.9	8.0
6. आरक्षित निधि	6.5	2.9	4.0
7. जमाराशि और अग्रिम	7.4	-0.6	-1.1
8. उचंत और विविध	-2.4	3.3	3.3
9. विप्रेषण	1.1	0.8	1.8
10. नकदी शेष में वृद्धि (+) कमी (-)	9.6	4.9	3.6
11. अन्य	-12.4 $	-7.9	-4.7

ब.अ.: बजट अनुमान सं.अ.: संशोधित अनुमान

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

$: वर्ष 2004-05 के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी भूमिप्रतिकर तथा अन्य बांड (1,962 रुपए) जारी किए जाने के कारण ।

टिप्पणी : परिशिष्ट सारणी 8 की टिप्पणियां देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

के एक बड़े भाग का वित्तपोषण करेंगे (सारणी 12) (परिशिष्ट सारणियां 8 और 9)।

IV.4.4 बजट आंकड़ों में घटबढ़ - केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजट

विगत तीन वर्षों के लिए केंद्रीय बजट के साथ-साथ राज्य बजटों का अवलोकन दर्शाता है कि राज्यों ने सामान्यतः केंद्र से मिलने वाले सहायता अनुदानों का अधिक अुनमान लगाया है जबकि साझा योग्य केंद्रीय करों की राशि का अनुमान राज्य बजटों में कम किया गया है जहां तक सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रश्न है, राज्य बजटों में एनएसएसएफ से होने वाले निधि प्रवाह का अनुमान कम लगाया गया है जबकि केंद्र से मिलने वाले ऋणों का अनुमान अधिक है। इन बजटीय शीर्षों के लिए राज्य बजटों के अनुसार बजट अनुमानों के आंकड़े और केंद्रीय बजट के आंकड़ों में घटबढ़ सारणी 13 में दर्शाई गई है।

विगत तीन वर्षों में औसतन राज्य बजटों में केंद्र से मिलने वाले साझा करों का कम अनुमान 4,442 करोड़ रुपए तक रहा है जबकि सहायता अनुदानों का अधिक अनुमान लगभग 7,824 करोड़ रुपए तक रहा है। ऐसे परिदृश्य में राजस्व प्राप्तियों (आर आर) का स्तर राज्य सरकारों के बजट अुनमानों से भिन्न होगा, परिणामस्वरूप राजस्व घाटे के बजट अनुमान का कम प्राक्कलन और उसके परिणामस्वरूप कम जी एफ डी। सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के संबंध में केंद्र से मिलने वाले ऋण एवं अग्रिमों का अनुमान अधिक लगाया गया है (हालांकि बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2005-

सारणी 13 : बजट आंकड़ों में घटबढ़ - राज्य बजट और केंद्रीय बजट

(करोड रुपए)

मदें	2004-05 (ब.अ.)		2005-06 (ब.अ.)		2006-07 (ब.अ.)	
	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	राज्य बजट	केंद्रीय बजट	राज्य बजट	केंद्रीय बजट
1	2	3	4	5	6	7
1. केंद्र से मिलनेवाले साझा कर	77,887	82,227	90,002	94,959	109,419	113,448
कम अनुमान(-)/	*-4,340*		*-4,957*		*-4,029*	
अधिक अनुमान(+)	*(-5.3)*		*(-5.2)*		*(-3.6)*	
2. सहायता अनुदान	61,176	56,401	78,882	77,275	100,188	83,098
कम अनुमान(-)/	*4,775*		*1,607*		*17,090*	
अधिक अनुमान(+)	*(8.5)*		*(2.1)*		*(20.6)*	
3. केंद्र से ऋण (निवल)	-8,235	3,313	17,382	-9,687	4,827	-2,508
कम अनुमान(-)/	*-11,548*		*27,069*		*7,334*	
अधिक अनुमान(+)	*(-348.6)*		*(-279.4)*		*(-292.6)*	
4. एनएसएसएफ (निवल)	63,737	68,650	55,315	86,990	58,162	83,490
कम अनुमान(-)/	*-4,913*		*-31,675*		*-25,328*	
अधिक अनुमान(+)	*(-7.2)*		*(-36.4)*		*(-30.3)*	

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े केंद्रीय बजट की तुलना में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज।

[8] तमिलनाडु ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) द्वारा जारी बांड़ों को और तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के पावर बांड़ो को अपने बजट में शामिल किया है जो एनसीडीसी से ऋण तथा अन्य संस्थाओं से ऋण के ऋणात्मक आंकड़े दर्शा रहे हैं । अतः समेकित चित्र में अत्याधिक परिवर्तन है ।

06 से आगे केंद्र से दिए जाने वाले योजना ऋण समाप्त कर दिए गए हैं) जबकि एन एस एस एफ को जारी प्रतिभूतियों की बिना पर लिए जाने वाले ऋणों का अनुमान काफी कम लगाया गया है विशेषकर विगत दो वर्षों के दौरान। राज्य बजटों में केंद्र से ऋण एवं अग्रिम (निवल) विगत तीन वर्ष में औसतन लगभग 7,618 करोड़ रुपए तक अधिक अनुमानित किए गए हैं जबकि एन एस एस एफ से (निवल) निधि प्रवाह 20,639 करोड़ रुपये कम अनुमानित है। इस प्रकार, केंद्रीय बजट की तुलना में राज्य सरकारों के बजट शीर्षों के ऐसे अधिक अनुमान / कम अनुमान के कारण सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन स्वरूप खराब हो जाता है।

यह नोट किया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे की समेकित स्थिति (2006-07 के लिए उनके बजटों के अर्थ में) क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत पर अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2006-07 के साथ राज्य बजटों का आकलन करना दर्शाता है कि सहायता अनुदान का अनुमान 20.6 प्रतिशत तक अधिक है जबकि साझा योग्य केंद्रीय करों का अनुमान 3.6 प्रतिशत तक कम है। केंद्रीय बजट 2006-07 के आंकड़ों के लिए समंजन हेतु सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों के राजस्व घाटे और सकल राजकोषीय घाटे को क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत पर ऊंचा रखा जाएगा।

केंद्र से साझा योग्य करों और केंद्रीय बजट 2006-07 से मिलने वाले सहायता अनुदानों को ध्यान में रखते हुए 2006-07 में राज्य सरकारों का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा क्रमशः 17,573 करोड़ रुपए और 122,672 करोड़ रुपए पर रखा जाएगा। केंद्रीय बजट 2006-07 के आधार पर केंद्र से ऋण संबंधी आंकड़ों और एन एस एस एफ से प्रवाहों और बाजार उधारों के आबंटन (भा.रि.बैं. के रिकार्ड के अनुसार) पर विचार करते हुए राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घाटे सारणी 14 में दिए गए हैं। एन एस एस एफ से प्रवाहों के हिस्से में महत्त्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है जिसके साथ बाजार उधारों और

सारणी 14 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (सराघा) - 2006-07 (समायोजित)

(करोड रुपए)

मदें	2006-07 (ब.अ.)		घटबढ़	
	राज्य बजट	समायोजित	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा (सराघा)	**109,610 (100.0)**	**122,672 (100.0)**	**13,062**	**11.9**
1. बाजार उधार *	22,762 (20.8)	17,286 (14.1)	-5,476	-24.1
2. केंद्र से ऋण @	4,827 (4.4)	-2,508 (-2.0)	-7,335	-152.0
3. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	58,162 (53.1)	83,490 (68.1)	25,328	43.5
4. एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, भास्टे बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	7,531 (6.9)	7,531 (6.1)	–	–
5. राज्य भविष्य निधि	8,739 (8.0)	8,739 (7.1)	–	–
6. आरक्षित निधि	4,365 (4.0)	4,365 (3.6)	–	–
7. जमाराशियां तथा अग्रिम	-1,154 (-1.1)	-1,154 (-0.9)	–	–
8. उचंत और विविध	3,602 (3.3)	3,602 (2.9)	–	–
9. विप्रेषण	1,975 (1.8)	1,975 (1.6)	–	–
10. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	3,986 (3.6)	-10,288 (-8.4)	-14,274	-358.1
11. अन्य	-5,186 (-4.7)	9,634 (7.9)	14,819	-285.8

* : वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत बंटन के अनुसार आंकड़े समायोजित। '–' : कुछ नहीं

@ : केंद्रीय बजट 2006-07 के अनुसार आंकड़े समायोजित।

टिप्पणियां : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सराघा का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. परिशिष्ट सारणी 8 की टिप्पणियां देखें।

स्रोत : राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज एवं रिजर्व बैंक का रिकार्ड।

केंद्र से ऋणों के हिस्से में गिरावट भी जुड़ी है। इसके अलावा, आशा की जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा 5,186 करोड़ रुपए के आहरणों के पिछले परिदृश्य की तुलना में 2006-07 के राजकोषीय वर्ष में उनके पास 9,677 करोड़ रुपए का नकद अधिशेष होगा। इस प्रकार, एक सही परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय बजट की तुलना में राज्यों के बजटों के बजट अुनमान आंकड़ों में घटबढ़ राजकोषीय विश्लेषण के लिए बाध्य करती है।

IV.4.5 राज्य बिजली बोर्डों (एस ई बी) / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं का कार्यनिष्पादन

अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड धनाभाव की समस्या से ग्रस्त हैं और मूल्यह्रास और ब्याज का प्रावधान करने के बाद वे कार्यरत अपनी निवल आस्तियों, पर यहां तक कि 3 प्रतिशत की न्यूनतम प्रतिलाभ दर भी नहीं कमा पा रहे हैं। राज्य बिजली बोर्ड अपने गिरते वित्तीय निष्पादन के कारण संचित भारी घाटे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों के देयों को नहीं चुका पा रहे हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी पी एस यू) के देयों को पूरी तरह से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा चुकाने की असमर्थता के चलते सी पी एस यू की वित्त और निवेश योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

2004-05 में राज्य बिजली बोर्डों / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं को 22,126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है (बिना सब्सिडी) (सारणी-15)। 250 पैसे/यूनिट आपूर्ति की औसत लागत के सामने बिजली की बिक्री से औसत वसूली 208 पैसे/यूनिट थी। इस प्रकार, बिजली की बिक्री से औसत वसूली और अपूर्ति की औसत लागत के बीच 42 पैसे/यूनिट का अंतर था (बिना सब्सिडी)।

सारणी 15 : राज्य बिजली बोर्डो (एस ई बी) / राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं का कार्यनिष्पादन

वर्ष	बिजली आपूर्ति की औसत लागत एवं सभी क्षेत्रों से बिजली की बिक्री की औसत वसूली में अंतर (कृषि सहित) (पैसे/ यूनिट)	राज्य बिजली बोर्ड/ राज्य बिजली जनोपयोगी सेवाओं के कार्यनिष्पादन का व्यापारिक नुकसान (करोड रुपए)
1	2	3
1991-92	24.91	3,000
1995-96	28.10	8,770
1999-00	70.53	26,353
2000-01	65.38	25,259
2001-02	81.34	27,068
2002-03	48.05	21,192
2003-04	37.00	19,722
2004-05	42.00	22,126

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

राज्य बिजली बोर्डों के सुधारों और पुनर्निर्माण के परिणास्वरूप उत्पादन, प्रेषण, व्यापार और वितरण कंपनियों का अभ्युदय हुआ है। बिजली उद्योग में निजी क्षेत्र की सहभागिता से इसमें एक नया आयाम जुड़ा है। बिजली क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन अब प्रत्येक अलग-अलग बिजली इकाई के कार्यनिष्पादन पर निर्भर होगा। इस प्रकार, बिजली क्षेत्र की लाभप्रदता इकाईयों के सामूहिक निष्पादन पर निर्भर होगी।

V. राज्यवार राजकोषीय कार्य-निष्पादन का आकलन

खंड IV में दिए हुए विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के वित्त की समेकित स्थिति में महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधार आये हैं। लेकिन राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अच्छे खासे आश्वासनों के बावजूद राजकोषीय सुधार सभी राज्यों के मामले में एक समान नहीं है । इस पृष्ठभूमि में इस खंड में राज्यवार आकलन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह आकलन वर्ष 2005-06 (संशोधित अनुमान) तक ही सीमित रखा गया है। क्योंकि बजट अनुमानों में संशोधन होते रहते हैं।

इस खंड में, वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमानों से ज्ञात होने वाली तथा वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के 3 वर्षों के दौरान लेखाओं से औसतन विद्यमान राजकोषीय स्थिति से तुलना करने पर स्पष्ट होनेवाली राज्यवार उभरती हुई राजकोषीय स्थिति प्रस्तुत की गई है। यह विश्लेषण उन 15 राजकोषीय संकेतकों पर आधारित है जिनका वर्गीकरण 4 व्यापक समूहों में किया गया है, उदाहरणार्थ (क) घाटा संकेतक, (ख) राजस्व सबंधी कार्य निष्पादन, (ग) खर्च का स्वरूप, और (घ) ऋण की स्थिति। अधिकांश राजकोषीय संकेतक वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में व्यक्त किए गए हैं तथा इनका आधार केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राज्य सरकारों के बजट संबंधी दस्तावेज हैं। उन राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिनके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पिछले तीन वर्षों की औसत वृद्धि दर के आधार पर व्यक्त किए गए हैं। वर्ष 2002-05 (औसत) और 2005-06 (संशोधित अनुमान) के लिए इन राजकोषीय संकेतकों के राज्यवार आंकड़े क्रमशः सारणी-16 और 17 में प्रस्तुत किए गए हैं। विशेष श्रेणी के और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में प्रत्येक

राजकोषीय संकेतक का मध्यम स्तर भी सारणी - 16 और 17 में बताया गया है। । विशेष श्रेणी के और गैर विशेष श्रेणी के ऐसे राज्यों को इन संकेतकों के आधार पर उनके कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसाकि Q-1 उन राज्यों का सूचक है जिनका कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर है। प्रमुख वित्तीय मानदंडों के संबंध में राज्यवार विस्तृत सूचना विवरण 1 से 50 के अंतर्गत दी गई है।

समग्र स्थिति के आधार पर राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण, विशेष श्रेणी तथा गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए अलग-अलग किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के राज्यों के मामले में तुलनाएं लंबे समय

सारणी 16: राजकोषीय संकेतक - 2002-03 से 2004-05 (औसत)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरुप				ऋण स्थिति		आर-जी
	सराघा/ सराघउ	राघा/ सराघउ	प्राघा/ सराघउ	पीआरबी/ सराघउ	राघा/ सराघा	राघा/ राप्रा	ओटी आर/ सराघउ	ओएन टीआर/ सराघउ	सीटी/ सराघउ	डीईवी/ सराघउ	विकासेतर व्यय सराघउ	एसएसई/ सराघउ	सीओ/ सराघउ	डीइबीटी सराघउ	आइपी/ राप्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	4.3	1.6	0.6	-2.1	37.0	**11.1**	7.7	**2.0**	4.5	**12.3**	6.7	7.0	2.4	35.7	25.6	1.7
2. बिहार	6.4	**1.6**	0.3	-4.5	-3.2	7.5	5.8	0.7	18.5	17.6	13.9	12.1	2.9	79.5	**24.8**	1.9
3. छत्तीसगढ़	4.0	0.6	1.2	-2.2	9.6	3.6	7.4	3.0	6.5	14.4	6.0	8.8	2.8	30.6	16.2	-0.8
4. गोवा	4.7	1.5	1.5	-1.7	32.7	8.2	**7.4**	8.6	2.1	15.0	7.7	7.2	3.1	40.6	17.8	-0.6
5. गुजरात	4.9	2.3	1.4	-1.1	48.5	20.1	6.9	2.2	2.6	10.9	5.8	5.6	**2.0**	**39.4**	29.8	-3.8
6. हरियाणा	2.5	0.6	-0.3	-2.3	25.8	4.3	8.6	2.9	1.7	9.9	6.1	4.1	0.8	30.4	21.3	-0.6
7. झारखंड	6.2	1.0	3.9	-1.3	12.4	5.9	5.8	2.8	10.0	17.3	**7.4**	12.0	4.2	34.7	12.2	-2.3
8. कर्नाटक	3.4	0.5	0.7	-2.2	5.4	4.2	9.8	2.1	**3.9**	12.4	6.7	6.4	2.7	30.8	17.5	-1.0
9. केरल	5.6	4.3	1.9	0.6	77.1	32.4	9.0	0.9	3.4	10.7	8.2	7.2	0.8	43.6	27.5	-2.0
10. मध्य प्रदेश	6.2	1.4	3.0	-1.9	21.2	10.5	7.3	2.6	6.8	15.4	6.9	7.6	3.5	39.3	19.9	2.8
11. महाराष्ट्र	5.1	2.8	2.6	0.3	55.3	26.3	7.8	1.2	1.6	9.7	6.0	5.5	1.9	31.9	23.0	-2.8
12. उड़ीसा	**5.1**	2.4	-0.7	-3.5	44.7	12.7	6.6	2.2	10.1	13.5	10.6	8.5	1.9	64.9	30.9	-2.7
13. पंजाब	5.5	4.4	0.9	-0.1	80.8	29.3	7.7	5.8	1.7	9.0	11.7	4.2	0.7	55.2	30.1	1.6
14. राजस्थान	6.6	3.3	1.8	**-1.5**	48.6	21.4	7.3	1.9	6.2	13.8	8.4	9.1	2.9	54.9	31.0	1.5
15. तमिलनाडु	3.5	1.5	0.9	-1.2	**37.5**	10.8	9.7	1.2	3.3	10.6	6.5	**6.8**	1.9	29.3	18.8	0.6
16. उत्तर प्रदेश	6.0	4.7	1.6	0.3	73.1	31.9	6.5	1.1	7.4	13.3	9.0	6.6	2.9	55.5	29.6	**-0.2**
17. पश्चिम बंगाल	6.1	4.7	**1.4**	0.0	76.7	51.9	4.6	0.5	4.1	7.6	7.7	4.9	0.6	48.8	52.2	0.9
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.7	-2.9	1.0	-4.6	-121.2	-31.2	7.5	1.1	0.6	8.7	3.3	4.6	1.3	18.5	17.9	0.7
विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	11.9	-3.6	6.0	-9.5	-35.9	-6.0	1.8	5.1	51.9	51.8	19.0	23.7	15.4	45.7	10.0	5.6
2. असम	3.6	1.1	0.2	-2.3	32.6	5.5	5.5	2.2	12.3	16.2	8.6	9.6	2.6	35.7	17.0	2.1
3. हिमाचल प्रदेश	12.2	7.9	4.4	0.1	64.9	35.3	5.7	1.9	14.9	21.2	13.6	12.2	4.3	78.6	34.8	1.4
4. जम्मू और कश्मीर	3.9	-7.1	-2.0	-13.0	3,765.9	-15.9	6.1	**2.3**	35.3	28.3	19.4	**14.0**	10.7	58.5	**13.8**	1.6
5. मणिपुर	8.7	0.5	2.1	-6.1	**10.0**	1.5	1.9	1.6	36.5	30.8	18.0	18.1	8.0	58.9	16.5	6.3
6. मेघालय	4.6	**-0.9**	**1.2**	-4.3	-26.2	**-3.1**	**3.6**	2.4	23.1	**22.8**	11.3	13.4	4.6	40.9	11.8	**1.1**
7. मिजोरम	11.5	-0.7	5.2	-7.0	-12.8	-0.8	1.3	2.4	47.1	44.5	18.7	24.6	11.5	89.6	12.4	-6.3
8. नागालैंड	3.3	-3.1	-0.8	-7.1	100.2	-8.0	1.2	1.0	**29.9**	20.1	**15.4**	10.7	6.4	40.5	13.0	-7.6
9. सिक्किम	**5.5**	-12.9	-1.3	-19.7	-805.7	-10.1	8.0	70.1	51.6	54.9	80.4	29.6	18.4	78.7	5.5	-2.9
10. त्रिपुरा	5.4	-1.7	0.8	**-6.3**	-60.0	-5.3	3.0	2.0	25.6	22.5	12.9	14.2	**7.1**	**51.8**	14.9	0.3
11. उत्तरांचल	8.2	4.0	4.5	0.3	49.8	19.5	7.0	2.4	11.3	19.4	9.0	11.5	3.6	47.1	17.9	-5.2

टिप्पणी: 1. मार्च 2000 को बिहार राज्य के कुल बकाया ऋण को बिहार और झारखंड के क्रमशः जनसंख्या अनुपात 74.21 प्रतिशत और 25.29 प्रतिशत में बांटा गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अनुपात 73.3739 प्रतिशत और 26.6203 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश के लिए भी यही लागू किया गया था तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का अनुपात 94.9676 प्रतिशत एवं 5.0324 प्रतिशत रखा गया था।

2. ऋण (-) चिन्ह घाटा संकेतकों में अधिशेष दर्शाता है ।

3. सुस्पष्ट (मोटे) आंकड़े प्रदत्त संकेतक के लिए माध्य राज्यों से संबंधित है ।

4. देयताओं का औसत ब्याज दर, वर्तमान वर्ष के ब्याज भुगतान को पिछले वर्ष की बकाया देयताओं से भाग देकर निकाला गया है ।

5. मध्यम राज्य राज्यों को चढ़ते/उतरते क्रम में लगाने के बाद - संकेतक के रूप में अत्यधिक मध्य है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज

सराघउ : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
राघा : राजस्व घाटा
सीटी : केंद्र से चालू अंतरण
एसएसई : सामाजिक क्षेत्र के व्यय
आईपी : ब्याज भुगतान
आर-जी : ऋण पर ब्याज दर

सराघा : सकल राजकोषीय घाटा
ओटीआर : स्वाधिकृत कर राजस्व
डीईवी : विकासात्मक व्यय
सीओ : पूंजी परिव्यय
राप्रा : राजस्व प्राप्तियां
औ. : औसत

प्राघा : प्राथमिक घाटा
ओएनटीआर : स्वाधिकृत करेतर राजस्व
नॉनडीईवी : विकासेतर व्यय
डीईबीटी : ऋण
पीआरबी : प्राथमिक राजस्व शेष

सारणी 17 : राजकोषीय संकेतक 2005-06 (सं.अ.)

(प्रतिशत)

राज्य	घाटा संकेतक						राजस्व निष्पादन			व्यय स्वरुप				ऋण स्थिति		आर-जी
	सराघा/ सराघउ	राघा/ सराघउ	प्राघा/ सराघउ	पीआरबी /सराघउ	राघा/ सराघा	राघा/ राप्रा	ओटी आर/ सराघउ	ओएन टीआर/ सराघउ	सीटी/ सराघउ	डीईवी/ सराघउ	विकासे तर व्यय सराघउ	एसएसई/ सराघउ	सीओ/ सराघउ	डीइबीटी /सराघउ	आइपी/ राप्रा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गैर विशेष श्रेणी																
1. आंध्र प्रदेश	3.9	0.5	0.8	-2.6	**12.7**	3.1	8.8	**2.0**	5.3	13.9	6.2	**7.4**	3.2	36.9	19.5	-2.2
2. बिहार	8.3	0.3	2.3	-5.7	3.0	0.8	6.5	0.5	24.6	24.4	15.6	15.7	5.5	84.1	**19.0**	1.5
3. छत्तीसगढ़	3.0	-1.8	0.7	-4.1	-59.5	-8.3	9.3	3.0	8.9	17.8	5.7	11.6	4.0	30.8	10.8	**-1.9**
4. गोवा	6.1	**0.6**	2.7	-2.8	10.1	**3.2**	8.5	7.4	3.3	18.0	**7.4**	8.2	5.4	45.2	17.5	-0.4
5. गुजरात	3.2	0.2	0.1	-3.0	5.0	1.3	7.4	1.5	3.3	9.9	5.7	5.5	**2.8**	38.7	25.8	-5.0
6. हरियाणा	2.0	0.7	-0.3	-1.7	32.2	4.8	9.2	2.4	2.1	10.3	5.3	5.3	1.3	29.9	17.3	-2.3
7. झारखंड	10.2	3.2	8.7	1.7	31.6	18.9	6.0	2.9	8.2	20.2	7.1	12.8	4.6	38.5	8.8	-5.7
8. कर्नाटक	2.9	-0.7	0.6	-3.0	-24.9	-4.0	11.7	2.2	3.9	**13.2**	6.7	7.2	3.4	30.9	12.9	-4.2
9. केरल	5.3	4.0	1.8	0.5	76.5	27.1	10.5	0.8	**4.9**	11.7	8.5	8.6	0.7	45.0	23.6	-2.2
10. मध्य प्रदेश	4.4	0.0	1.0	-3.4	0.5	0.1	**8.2**	2.1	9.3	18.0	7.5	8.8	6.3	**44.4**	17.3	2.5
11. महाराष्ट्र	**3.9**	0.3	1.7	-1.9	8.6	2.7	9.0	1.3	2.2	10.9	5.4	6.2	2.7	34.2	17.9	-5.0
12. उड़ीसा	2.2	0.8	-3.4	-4.8	36.5	3.7	7.3	2.1	13.0	13.4	11.3	9.5	1.7	59.3	25.2	3.0
13. पंजाब	3.7	1.7	-0.3	-2.3	46.8	9.6	8.8	4.7	4.8	10.5	11.2	4.9	2.0	54.6	22.4	-3.0
14. राजस्थान	5.0	0.7	**0.7**	-3.6	14.3	4.2	8.0	2.1	6.9	14.6	7.4	9.3	3.8	55.1	25.2	-2.3
15. तमिलनाडु	2.6	0.2	0.4	-2.1	6.6	1.1	10.7	1.2	4.0	11.3	6.6	7.3	2.3	29.7	14.3	-1.2
16. उत्तर प्रदेश	5.1	1.2	1.2	**-2.7**	23.8	6.7	7.7	0.9	9.6	13.7	8.8	8.4	3.8	57.2	21.6	-1.6
17. पश्चिम बंगाल	4.9	3.8	0.5	-0.7	76.6	34.9	4.9	0.5	5.4	8.4	7.5	5.5	0.8	49.7	41.0	-0.8
18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1.5	-2.6	-0.2	-4.4	-180.7	-26.9	8.0	1.3	0.5	8.3	3.0	5.1	1.6	19.3	17.3	-0.2
विशेष श्रेणी																
1. अरुणाचल प्रदेश	12.4	-8.0	6.6	-13.8	**-64.8**	-11.5	3.5	8.1	57.8	63.3	18.5	26.3	20.3	65.4	8.4	3.4
2. असम	6.5	0.7	2.3	-3.5	10.9	2.3	7.1	2.9	20.2	25.6	11.3	14.4	5.4	37.4	13.7	4.2
3. हिमाचल प्रदेश	4.2	0.4	-3.3	-7.0	10.0	1.5	6.3	**2.8**	19.2	19.2	13.4	11.8	3.7	77.7	26.4	-1.2
4. जम्मू और कश्मीर	**6.9**	-7.9	1.3	-13.6	-114.4	-15.7	7.4	3.2	39.7	39.1	18.1	17.5	14.6	**60.8**	11.3	0.5
5. मणिपुर	7.4	-11.2	**1.7**	-16.9	-150.9	-18.9	2.2	2.7	54.3	45.0	21.6	23.2	17.2	77.0	9.6	2.3
6. मेघालय	3.8	-2.3	0.2	-5.8	-60.6	-6.5	**4.0**	2.7	28.3	**28.0**	11.1	**16.0**	5.5	43.9	10.1	0.4
7. मिजोरम	10.0	-5.5	3.7	-11.8	-55.1	-9.6	1.3	3.3	52.7	49.7	18.4	23.6	15.0	88.1	10.9	-6.4
8. नागालैंड	3.5	**-5.6**	0.0	-9.1	-163.1	-17.9	1.4	1.0	29.2	22.0	13.2	10.9	9.1	32.6	**11.0**	-6.8
9. सिक्किम	16.2	-11.6	10.5	-17.4	-71.3	**-9.9**	6.6	56.9	53.7	64.2	69.3	32.8	27.9	78.4	4.9	-3.9
10. त्रिपुरा	5.8	-5.9	1.5	**-10.2**	-101.3	-16.7	3.2	0.6	**31.5**	26.3	**14.4**	15.8	**11.7**	52.7	12.2	**-1.0**
11. उत्तरांचल	10.4	1.8	6.6	-2.0	17.4	6.6	7.9	2.6	17.0	26.7	10.7	14.8	8.1	55.1	13.9	-6.8

टिप्पणी : सारणी 16 की टिप्पणियां देखें ।

को शामिल करके (किसी राज्य सरकार के मामले में राजकोषीय संकेतक के स्तर में परिवर्तन) और लम्बे अंतराल को दृष्टिगत रखकर (किसी खास राजकोषीय संकेतक के मामले में शेष राज्यों के बीच किसी खास राज्य सरकार की तुलनात्मक स्थिति) की गई हैं। दोनों श्रेणी के राज्यों की तुलनात्मक राजकोषीय स्थिति, सारणी-16 और 17 पर आधारित व्यापक राजकोषीय संकेतकों के मामले में, चार्ट-7 से 12 के अंतर्गत दर्शायी गयी है। संबंधित चर्चा नीचे दी गई है ।

V.1 समग्र स्थिति - सभी राज्य

विशेष श्रेणी और गैर-विशेष श्रेणी - दोनों तरह के राज्यों में 2002-05 की तुलना में 2005-06 (संशोधित अनुमान) के दौरान बेहतर कार्य-निष्पादन देखने को मिला, जैसा कि अधिकांश राजकोषीय संकेतकों के मध्यम मान से प्रकट होता है (सारणी-18)।

लेकिन ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का मध्यम मान दोनों श्रेणी के राज्यों के मामले में बढ़ा जिससे ऋण-भार के विषम स्वरूप का संकेत मिलता है। विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के हिसाब से बहुत सुधार दिखाई दिया लेकिन सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट आयी जो लम्बे समय में पूंजी परिव्यय में वृद्धि का सूचक है।

व्यापक विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का 'अपना कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' अपेक्षाकृत अधिक है तथा इसके विपरीत विशेष श्रेणी के राज्यों की

सारणी 18 : राजकोषीय संकेतकों का मध्यम मान

(प्रतिशत)

संकेतक	गैर विशेष श्रेणी राज्य			विशेष श्रेणी राज्य		
	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)	सुधार/ गिरावट	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)	सुधार/ गिरावट
1	2	3	4 (= 3- 2)	5	6	7 (= 6 - 5)
1. सराघा/सराघउ	5.1	3.9	-1.2	5.5	6.9	1.4
2. राघा/ सराघउ	1.6	0.6	-1.0	-0.9	-5.6	-4.7
3. प्राघा/ सराघउ	1.4	0.7	-0.7	1.2	1.7	0.5
4. पीआरबी/ सराघउ	-1.5	-2.7	-1.2	-6.3	-10.2	-3.9
5. राघा/ सराघा	37.5	12.7	-24.8	10.0	-64.8	-74.8
6. राघा/ राप्रा	11.1	3.2	-7.9	-3.1	-9.9	-6.8
7. ओटीआर/ सराघउ	7.4	8.2	0.8	3.6	4.0	0.4
8. ओएनटीआर/ सराघउ	2.0	2.0	0.0	2.3	2.8	0.5
9. सीटी/ सराघउ	3.9	4.9	1.0	29.9	31.5	1.6
10. डीईवी/ सराघउ	12.3	13.2	0.9	22.8	28.0	5.2
11. विकासेतर व्यय/ सराघउ	7.4	7.4	0.0	15.4	14.4	-1.0
12. एसएसई/ सराघउ	6.8	7.4	0.6	14.0	16.0	2.0
13. सीओ/ सराघउ	2.0	2.8	0.8	7.1	11.7	4.6
14. डीब्बीटी/ सराघउ	39.4	44.4	5.0	51.8	60.8	9.0
15. आइपी/ राप्रा	24.8	19.0	-5.8	13.8	11.0	-2.8
16. आर-जी	-0.2	-1.9	-1.7	1.1	-1.0	-2.1

टिप्पणी : सारणी 16 तथा 17 पर आधारित ।

निर्भरता केंद्र पर अपेक्षाकृत अधिक है, जैसा कि अपेक्षाकृत अधिक 'चालू अंतरण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' से स्पष्ट होता है। इसके अलावा गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों का 'विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात', 'सामाजिक क्षेत्र-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' और 'पूंजी परिव्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' बहुत अधिक है। उच्चतर 'सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' को दृष्टिगत रखते हुए विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 'ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों का 'ब्याज भुगतान-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' बहुत कम है।

V.2 गैर विशेष श्रेणी के राज्य

V.2.1 समग्र स्थिति-गैर विशेष श्रेणी के राज्य

राजकोषीय निष्पादन के मामले में गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बहुत अधिक अंतर है। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का राजकोषीय निष्पादन अपेक्षाकृत अच्छा रहा है क्योंकि वहां राजस्व अधिशेष (या कम राजस्व घाटा) और अपेक्षाकृत कम सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा है। इन राज्यों में 'अपना कर राजस्व' अपेक्षाकृत अधिक रहा है और इसलिए ये अपेक्षाकृत कम केंद्रीय अंतरण की सुविधा का उपभोग करते हैं। लेकिन राजकोषीय दृष्टि से कमजोर बिहार और झारखंड अपेक्षाकृत अधिक विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजी परिव्यय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) करते हैं। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य प्रायः सभी राजकोषीय संकेतकों की दृष्टि से खराब निष्पादन वाले राज्य हैं। लेकिन सामाजिक क्षेत्र के व्यय के हिसाब से केरल का स्थान अपेक्षाकृत बेहतर है।

V.2.2. घाटा संकेतक

2002-05 (औसत) की अवधि की तुलना में 2005-06 में राज्यों के बीच, घाटा संकेतकों के अनुसार, राजकोषीय निष्पादन में सुधार स्पष्टतः दिखाई दे रहा था (चार्ट-7ए, बी और सी)(विवरण-1-11भी देखें)।

राज्य सरकारों के मामले में 'राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' में सुधार स्पष्टतः देखा जा सकता है क्योंकि मध्यम राज्य का अनुपात 2002-05 के 1.6 प्रतिशत से घटकर 2005-06 (संशोधित अनुमान) में 0.6 प्रतिशत हो गया । 2005-06 में 3 राज्यों में (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक) राजस्व अधिशेष की स्थिति थी जबकि 2002-05 में केवल 1 राज्य में (राष्ट्रीय

चार्ट 7 : घाटा संकेतक - गैर विशेष श्रेणी राज्य

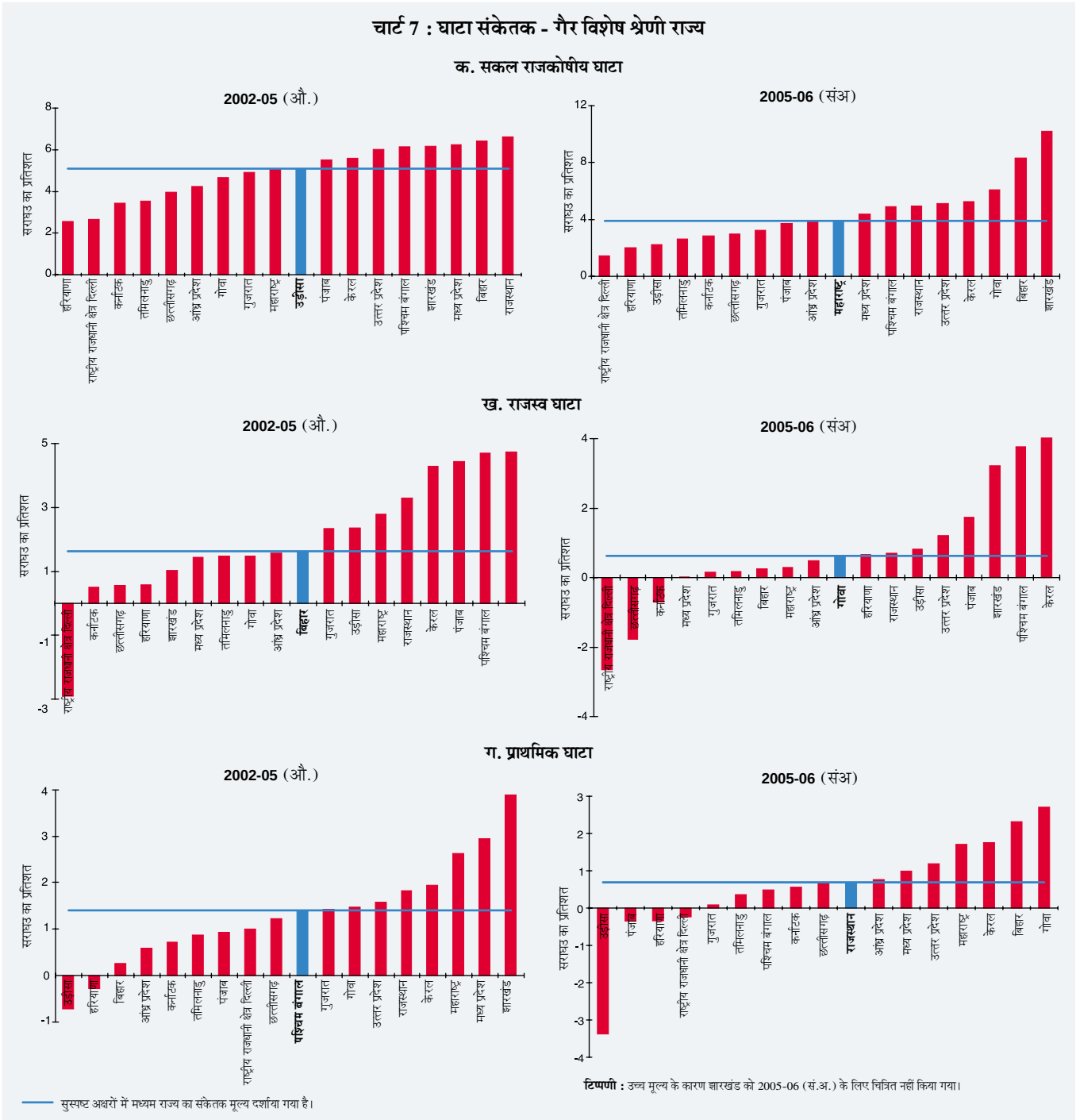

टिप्पणी : उच्च मूल्य के कारण झारखंड को 2005-06 (सं.अ.) के लिए चित्रित नहीं किया गया।

राजधानी क्षेत्र दिल्ली) ऐसी स्थिति थी (सारणी-19 और चार्ट-7बी)। इन 3 राज्यों ने, 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2008-09 के अंत की निर्धारित अवधि के पहले ही, शून्य स्तर के राजस्व घाटे का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। 10 राज्यों का 'राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' 2005-06 में 1.0 प्रतिशत से कम था जबकि 2002-05 में केवल 3 राज्यों के मामले में ऐसा था।

'राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' में कमी का संकेत देते हुए, 'सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' में सुधार आया क्योंकि मध्यम राज्य का अनुपात 2002-05 के 5.1 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 3.9 प्रतिशत हो गया। उक्त अवधि में 'प्राथमिक घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात' का मध्यम मान भी 1.4 प्रतिशत से सुधर कर 0.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट-7सी)।

सारणी 19 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष	रा.रा.क्षे. दिल्ली	रा.रा.क्षे. दिल्ली , छत्तीसगढ़, कर्नाटक
0.5 से कम	–	मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात
0.5 से 1.0	छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक	**गोवा**, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश
1.0 से 1.5	मध्य प्रदेश, झारखंड	उत्तर प्रदेश
1.5 से 2.0	आंध्र प्रदेश, **बिहार,** तमिलनाडु, गोवा	पंजाब
2.0 से अधिक	गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश	झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल

औ. : औसत सं.अ. : संशोधित अनुमान।
टिप्पणियां : 1. सारणी 16 व 17 वर आधारित बड़े अक्षर मध्यम राज्य दर्शाते हैं।
2. सुस्पष्ट (मोटे) अक्षर मध्यम राज को दर्शाते हैं ।

2005-06 में 'सकल राज्य घरेलू उत्पाद' की तुलना में सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 18 राज्यों में से 5 राज्यों के मामले में (दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु) 3.0 प्रतिशत से कम था, जबकि 2002-05 में ऐसी स्थिति केवल 2 राज्यों (हरियाणा और दिल्ली) के मामले में थी (सारणी-20 और चार्ट -7ए)। यह उल्लेखनीय है कि इन 5 राज्यों ने 12 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सकल राजकोषीय घाटे का 3.0 प्रतिशत का लक्ष्य 2009-10 के अंत के निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया था।

सारणी 20 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - सकल राजकोषीय घाटा/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	–	रा.रा.क्षे. दिल्ली
2 से 3	हरियाणा, रा.रा.क्षे. दिल्ली	हरियाणा, उड़ीसा,, तमिलनाडु, कर्नाटक
3 से 4	कर्नाटक, तमिलनाडु	गुजरात, **महाराष्ट्र,** छत्तीसगढ, पंजाब, आंध्र प्रदेश
4 से 5	आंध्र प्रदेश, गोवा, छत्तीसग्ढ़, गुजरात	मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
5 से अधिक	महाराष्ट्र, **उड़ीसा,** पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान	उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गोवा, बिहार, झारखंड

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

वर्ष 2002-05 की तुलना में 2005-06 में सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात (जो चालू खर्चों के लिए पहले ही ले लिए गए उधारों की सीमा का सूचक है) सभी राज्य सरकारों के मामले में (बिहार, झारखंड और हरियाणा को छोड़कर) कम हो गया। राजस्व घाटा-सकल राजकोषीय घाटा का मध्यम मान 2002-05 के 37.5 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 (संशोधित अनुमान) 12.7 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2 राज्यों (केरल और पश्चिम बंगाल) का राजस्व घाटा-सकल राजकोषीय घाटे का अनुपात 2005-06 के दौरान, पहले ही ले लिया गया उधार 3/4 भाग से अधिक होने के कारण, अधिक रहा।

वर्ष 2005-06 में राजस्व घाटा-राजस्व प्राप्ति अनुपात का मध्यम मान, 2002-2005 के 11.1 से काफी सुधर कर 3.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2005-06 में झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल का राजस्व घाटा-राजस्व आय अनुपात 18.9 से 34.9 प्रतिशत के रेंज में, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के 1.1 प्रतिशत से भी कम की तुलना में, ज्यादा रहा। (1.1 प्रतिशत से कम अनुपात से)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में प्रारंभिक राजस्व शेष का मध्यम स्तर 2002-05 के 1.5 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 में 2.7 प्रतिशत हो गया । 2 राज्यों (केरल और झारखंड) के मामले में वर्ष 2005-06 में प्रारंभिक राजस्व शेष (अर्थात् ब्याज भुगतान घटाने के बाद राजस्व घाटा) ब्याज भुगतान संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रहा, जबकि 2002-05 में 3 राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल) के मामले में ऐसा हुआ था। प्रारंभिक राजस्व घाटा चिंता की बात है क्योंकि ऐसी स्थिति का मतलब होता है कि राज्य सरकारों ने ब्याज भुगतान संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए ऊंची लागत पर निधियां उधार लीं।

V.2.3 राजस्व निष्पादन

सभी राज्य सरकारों के अपने कर राजस्व निष्पादन में (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में) 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान सुधार हुआ क्योंकि उनका अपना कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7.4 प्रतिशत से सुधर कर 8.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट-8-ए) (विवरण-18 से 23 और 25 भी देखें)। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों का अपना कर राजस्व-सकल राज्य घरेलू

चार्ट 8 : राजस्व निष्पादन - गैर विशेष श्रेणी राज्य

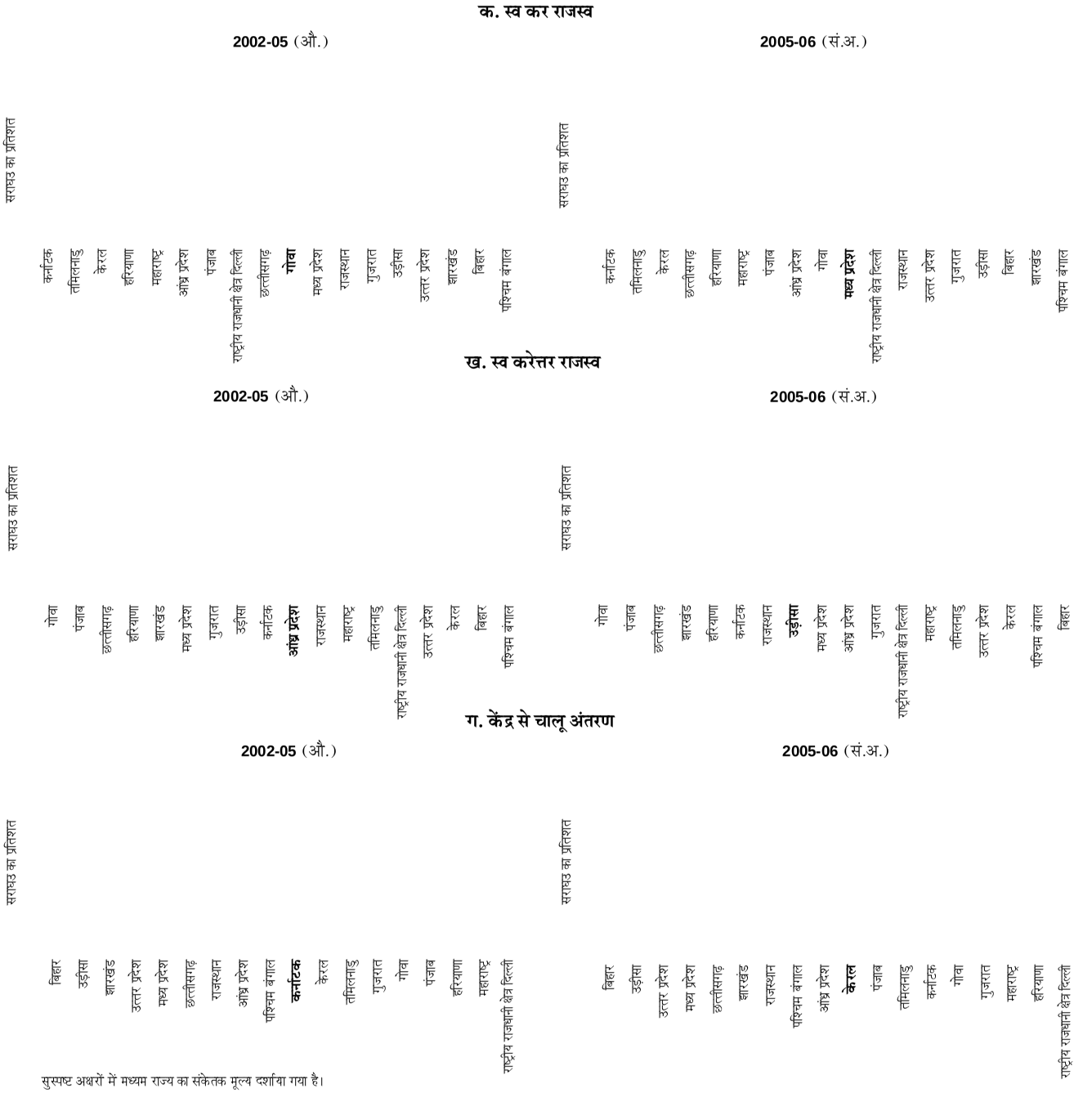

सुस्पष्ट अक्षरों में मध्यम राज्य का संकेतक मूल्य दर्शाया गया है।

उत्पाद अनुपात मात्रा की दृष्टि से 2002-05 और 2005-06 में भी सबसे अधिक था (9.0 प्रतिशत से अधिक) जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार इस मामले में सबसे नीचे रहे (सारणी-21)।

अपने कर राजस्व की प्रवृत्तियों के विपरीत लगभग 50 प्रतिशत राज्य सरकारों का अपना गैर-कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान घट गया क्योंकि उनका गैर-कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2.0 प्रतिशत पर ही स्थिर बना रहा (चार्ट-8बी)। गोवा, पंजाब और छत्तीसगढ़ का अपना गैर-कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहा जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नीचे

सारणी 21 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - स्व कर राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (सं.अ.)
1	2	3
5 से कम	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल
5 से 7	बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा	झारखंड, बिहार
7 से 9	राजस्थान, मध्य प्रदेश, **गोवा**, छत्तीसगढ, रा.रा.क्षे. दिल्ली , पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल	उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, रा.रा.क्षे. दिल्ली , **मध्य प्रदेश,** आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र
9 से अधिक	तमिलनाडु, कर्नाटक	हरियाणा, छत्तीसगढ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 22 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - विकासात्मक व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (सं.अ.)
1	2	3
8 से कम	पश्चिम बंगाल	–
8 से 12	रा.रा.क्षे. दिल्ली , पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात	रा.रा.क्षे. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल
12 से 16	**आंध्र प्रदेश,** कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश	**कर्नाटक,** उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान
16 से अधिक	बिहार, झारखंड	छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

रहा। गैर-कर राजस्व के निम्न स्तर का आंशिक कारण शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सिंचाई, विद्युत और सड़क जैसे क्षेत्रों से कम लागत की वसूली (अर्थात् गैर योजना लागत व्यय की तुलना में गैर कर प्राप्तियों का अनुपात) था।

बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू अंतरण (अर्थात् ऐसे केंद्रीय कर और अनुदान सहायता की राशि जिनमें राज्यों की हिस्सेदारी होती है) अपेक्षाकृत कम थी क्योंकि इन राज्यों का अपना कर राजस्व-सकल राज्य-घरेलू उत्पाद अनुपात कम था जो राजकोषीय अंतरण में क्षैतिज इक्विटी के सिद्धांत का सूचक है (चार्ट-8सी)।

V.2.4 खर्च का स्वरूप

गुजरात,उड़ीसा और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, 2002-05 की तुलना में 2005-06 में सुधर गया क्योंकि उक्त अवधि में विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का मध्यम मान 12.3 से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट-9ए)। यह उल्लेखनीय है कि झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कमज़ोर राज्यों का विकास व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, दोनों अवधियों में, सबसे अधिक था (15 प्रतिशत से अधिक) जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली का स्थान सबसे नीचे (9 प्रतिशत से कम) था (सारणी-22)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गैर विकास खर्च का मध्यम मान, राज्य सरकारों के मिले-जुले रुख के बावजूद, 7.4 पर स्थिर बना रहा (चार्ट-9बी)। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में गैर विकास व्यय का अनुपात उड़ीसा, बिहार और पंजाब के मामले में सबसे अधिक था (10 प्रतिशत से अधिक) जबकि दिल्ली के मामले में यह सबसे कम (3.5 प्रतिशत से कम) था (विवरण 12 से 16 भी देखें)।

गुजरात को छोड़कर शेष सभी राज्यों का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय (अर्थात् सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास, खाद्यान्न भंडारण और वेयरहाऊसिंग-राजस्व और पूंजी खातों-दोनों में), 2002-05 की तुलना में 2005-06 में बढ़ गया क्योंकि इसका मध्यम मान 6.8 से सुधर कर 7.4 प्रतिशत हो गया। सभी राज्यों में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने (सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से) सामाजिक क्षेत्र के खर्च के लिए और अधिक प्रावधान (8.8 प्रतिशत से अधिक) करना जारी रखा। दूसरी ओर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब का दोनों अवधियों में सामाजिक क्षेत्र व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा(5.3 प्रतिशत से कम) (विस्तृत चर्चा के लिए खंड VII देखें)।

उड़ीसा को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में पूंजी व्यय का अनुपात, 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान बढ़ गया क्योंकि उसका मध्यम

चार्ट 9 : व्यय का स्वरुप - गैर विशेष श्रेणी राज्य

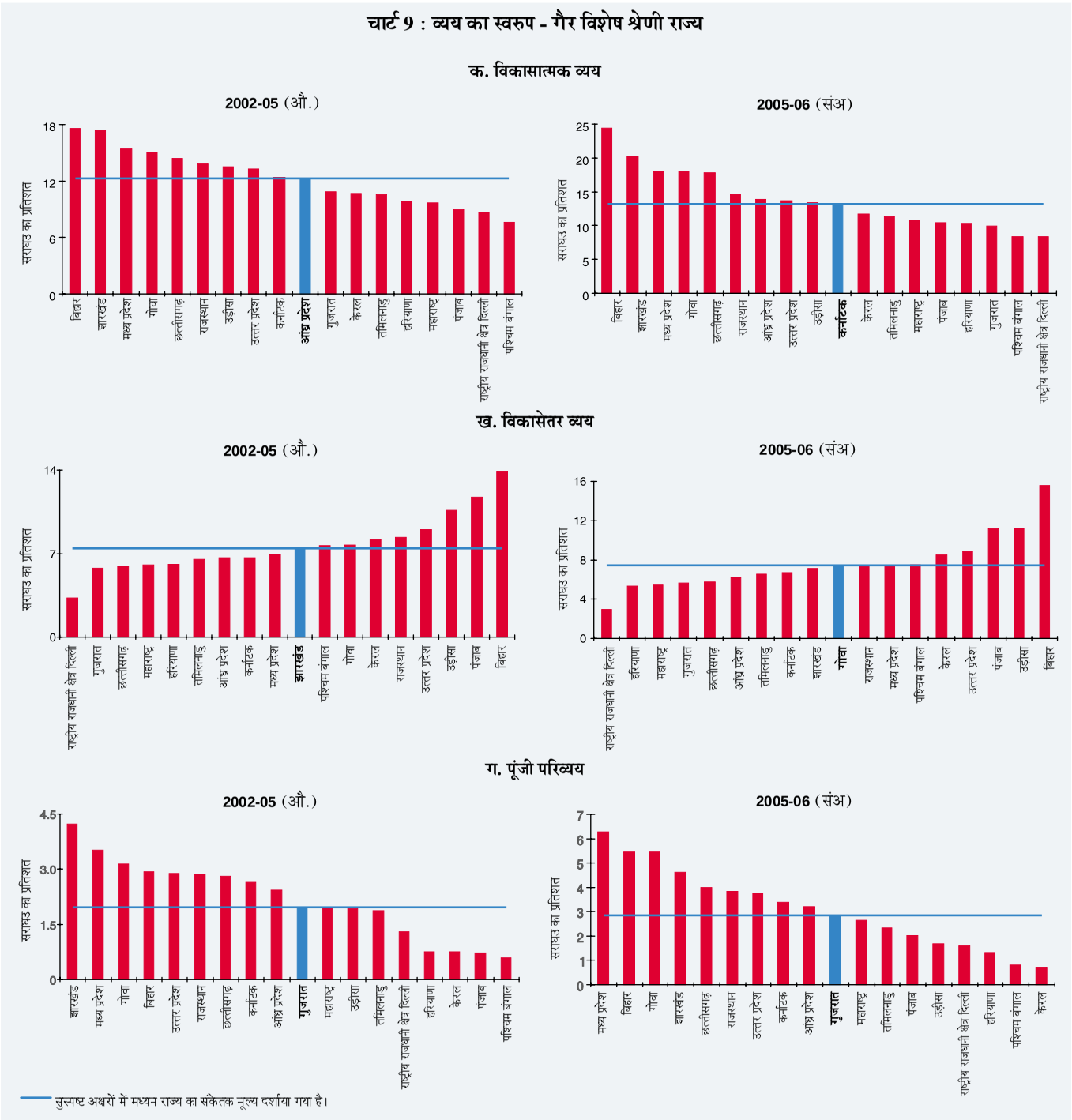

मान 2.0 प्रतिशत से सुधर कर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट-9सी)। मध्य प्रदेश, गोवा, बिहार और झारखंड के पूंजी परिव्यय का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक (2.9 प्रतिशत से ऊपर) रहा जबकि हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल के पूंजी परिव्यय का अनुपात अपेक्षाकृत कम (1.3 प्रतिशत) रहा (सारणी-23)।

वर्ष 2003-04 और 2005-06 के बीच सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा (खेल, कला और संस्कृति सहित) (विवरण-42) और स्वास्थ्य (चिकित्सा और जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण) (विवरण-43) के अंतर्गत खर्च का अनुपात, राज्यों के बीच बहुत ज्यादा अंतर होने के बावजूद, सुधर गया। 2005-06 (संशोधित

सारणी 23 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - पूंजी परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (सं.अ.)
1	2	3
1 से कम	पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, हरियाणा	केरल, पश्चिम बंगाल
1 से 2	**गुजरात,** रा.रा.क्षे. दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र	हरियाणा, उड़ीसा, रा.रा.क्षे. दिल्ली, पंजाब
2 से 3	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु, महाराष्ट्र, **गुजरात**
3 से 4	गोवा, मध्य प्रदेश	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़
4 से अधिक	झारखंड	झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

अनुमान) में शिक्षा के अंतर्गत व्यय, आधे से अधिक राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और दिल्ली) के मामले में, कुल व्यय के 14.1 प्रतिशत (अर्थात् गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था । उसी प्रकार सकल व्यय के अनुपात के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय आधे से अधिक राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) के मामले में 4.4 प्रतिशत (अर्थात् गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का औसत) से कम था। सभी राज्यों में जनसंख्या के अपेक्षाकृत बड़े वर्ग को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन पर होने वाले व्यय का हिस्सा बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है (सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले व्यय के संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु खंड-VII देखें)।

V.3 विशेष श्रेणी के राज्य[9]

V 3.1 समग्र स्थिति - विशेष श्रेणी के राज्य

विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रायः सभी राज्यों का निष्पादन, सभी राजकोषीय संकेतकों में व्यापक अंतर होने के बावजूद, एक जैसा ही रहा। अधिकांश राज्यों (11 में से 8) में वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही तथा अपेक्षाकृत अधिक पूंजी परिव्यय और विकासात्मक एवं सामाजिक क्षेत्र व्यय के साथ-साथ, सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी अधिक रहा। अरुणाचल प्रदेश के राजकोषीय निष्पादन में, उच्च सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात तथा केंद्रीय अंतरणों पर अधिक निर्भरता के बावजूद, सुधार हुआ। लेकिन नवसृजित उत्तरांचल का राजकोषीय निष्पादन (सकल राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, गैर-विकास व्यय और ऋण के मामले में) सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के प्रतिशत के रूप में,बहुत खराब रहा।

V.3.2 घाटा संकेतक

यह ध्यान देने योग्य है कि विशेष श्रेणी के अंतर्गत 11 में से 8 राज्यों में वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी रही जबकि वर्ष 2005-06 के दौरान 7 राज्यों के मामले में ऐसी स्थिति थी क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व अधिशेष का मध्यम मान 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गया (सारणी-24 और चार्ट-10 बी) । वर्ष 2005-06 के दौरान उत्तरांचल का राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात सर्वाधिक 1.8 प्रतिशत था।

सारणी 24 : गैर विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - राजस्व घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (सं.अ.)
1	2	3
राजस्व अधिशेष मिजोरम,	सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, **मेघालय,** मिजोरम	सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, **नागालैंड,** मेघालय
0.5 से कम	–	हिमाचल प्रदेश
0.5 से 1.0	मणिपुर	असम
1.0 से 1.5	असम	–
1.5 से 2.0	–	उत्तरांचल
2.0 से अधिक	उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश	–

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

[9] योजना संबंधी विनियोजनों के संदर्भ में विशेष और गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच अंतर किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम,हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल आते हैं।

चार्ट 10 : घाटा संकेतक - विशेष श्रेणी के राज्य

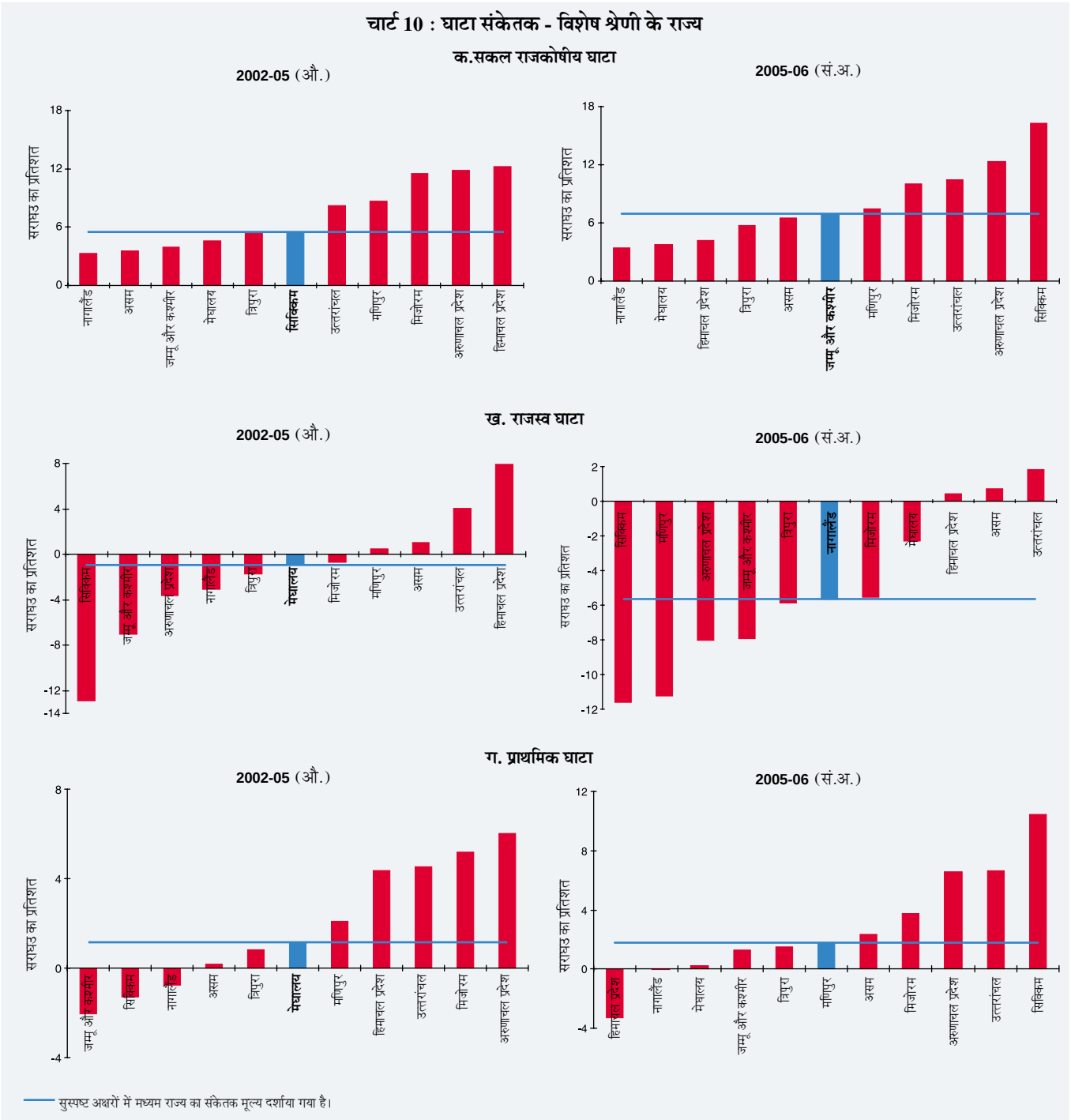

7 राज्यों के मामले में सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सामान्य गिरावट आई क्योंकि 2005-06 के दौरान इसमें वृद्धि हुई जबकि 2002-05 के दौरान इसमें गिरावट आई थी तथा उपर्युक्त अवधि में मध्यम मान 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया था। प्राथमिक घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का मध्यम मान भी 1.2 प्रतिशत से गिरकर 1.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट-10सी)। सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की दृष्टि से नागालैंड का स्थान दोनों अवधियों में अपेक्षाकृत अच्छा रहा (4.0 प्रतिशत से कम) जबकि अरुणाचल प्रदेश का अनुपात ऊंचा (11.9 प्रतिशत से अधिक) बना रहा।

सारणी 25 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - सकल राजकोषीय घाटा/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
3 से 6	नागालैंड, असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, **सिक्किम**	नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश
6 से 9	उत्तरांचल, मणिपुर	असम, **जम्मू और कश्मीर,** मणिपुर
9 से अधिक	मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश	उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 26 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - स्व कर राजस्व/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (सं.अ.)
1	2	3
2 से कम	नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर	मिजोरम, नागालैंड
2 से 4	त्रिपुरा, **मेघालय**	मणिपुर, त्रिपुरा, **मेघालय** अरुणाचल प्रदेश
4 से 6	असम, हिमाचल प्रदेश	–
6 से अधिक	जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल	हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

लेकिन प्राथमिक राजस्व शेष (अर्थात् ब्याज भुगतान घटाने के बाद राजस्व घाटा), जो 2 राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल प्रदेश) के मामले में वर्ष 2002-05 के दौरान ब्याज भुगतान संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए कम था, 2005-06 के दौरान सुधर गया।

V.3.3 राजस्व निष्पादन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अपना कर राजस्व में, जो विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में खास तौर से कम है, कुछ सुधार हुआ क्योंकि मध्यम मान 2002-05 के 3.6 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 में 4.0 प्रतिशत हो गया। यह अनुपात मिज़ोरम और नागालैंड के मामले में कम बना रहा (2 प्रतिशत से कम) और उत्तरांचल तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में दोनों अवधियों में उच्च बना रहा (सारणी-26 और चार्ट-11ए)।

विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अपना गैर-कर राजस्व में 2002-05 की तुलना में 2005-06 के दौरान कुछ वृद्धि हुई तथा अनुपात का मध्यम मान उक्त अवधि में 2.3 प्रतिशत से सुधर कर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट-11बी)। दोनों अवधियों में सिक्किम के मामले में यह अनुपात बहुत अधिक था जो मूलतः राज्य लाटरियों के प्रभाव का सूचक हैं।

केंद्र से चालू अंतरण तथा प्राप्त होनेवाली अन्य राशियां (हिस्सेदारी योग्य केंद्रीय कर और सहायता अनुदान) विशेष श्रेणी के सभी राज्यों के लिए एक बड़ा स्रोत बनी रहीं तथा केंद्रीय कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2002-05 के 29.9 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 के दौरान 31.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट-11सी)। दोनों अवधियों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मामले में केंद्रीय अंतरण का अनुपात सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 50.0 प्रतिशत से अधिक बना रहा जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के मामले में यह अनुपात 21.0 प्रतिशत से भी कम पर बना रहा।

V.3.4 खर्च का स्वरूप

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विकास व्यय का अनुपात विशेष श्रेणी के राज्यों में, गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों की तुलना में बहुत अधिक रहा तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में मध्यम मान पर्याप्त सुधर कर 2002-05 के 22.8 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 में 28.0 प्रतिशत रहा (चार्ट-12ए)। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का यह अनुपात 2002-05 की तुलना में 2005-06 में 50.0 प्रतिशत से अधिक रहा जबकि असम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में दोनों अवधियों में 26.0 प्रतिशत से कम रहा।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गैर-विकास खर्च का मध्यम स्तर 2002-05 के 15.4 प्रतिशत से घटकर 2005-06 के दौरान 14.4 प्रतिशत हो गया जो खर्च के विनियोजन में सुधार का सूचक है (चार्ट-12बी)। उत्तरांचल, मेघालय और असम का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद-गैर-विकास खर्च का अनुपात कम बना रहा (12.0 प्रतिशत से कम) जबकि दोनों अवधियों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का उक्त अनुपात अधिक बना रहा। यद्यपि सकल

चार्ट 11 : राजस्व निष्पादन - विशेष श्रेणी के राज्य

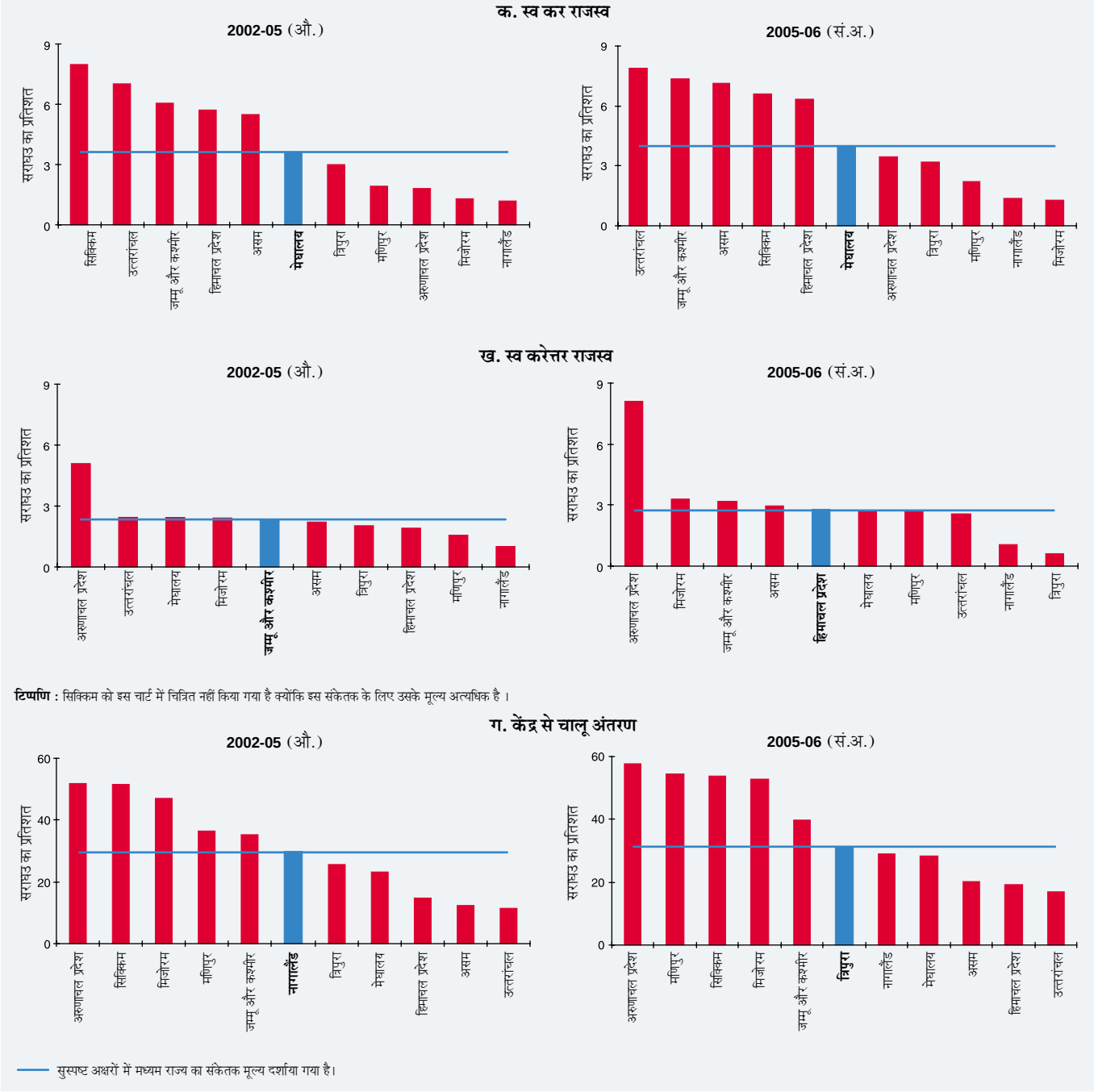

टिप्पणि : सिक्किम को इस चार्ट में चित्रित नहीं किया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए उसके मूल्य अत्यधिक है ।

राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में गैर-विकास खर्च 2002-05 और 2005-06 के बीच घट गया था, लेकिन सिक्किम के मामले में यह अभी भी बहुत अधिक बना हुआ है (69.3 प्रतिशत)।

विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक क्षेत्र के खर्च में व्यापक सुधार हुआ तथा सामाजिक क्षेत्र खर्च-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का मध्यम मान 2002-05 के 14.0 प्रतिशत से सुधर कर 2005-06 में 16.0 प्रतिशत हो गया। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के सामाजिक क्षेत्र के खर्च का अनुपात (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) अधिक बना रहा लेकिन असम और नागालैंड का सामाजिक क्षेत्र के खर्च का अनुपात दोनों अवधियों में कम बना रहा

चार्ट 12 : व्यय का स्वरुप - विशेष श्रेणी के राज्य

क. विकासात्मक व्यय

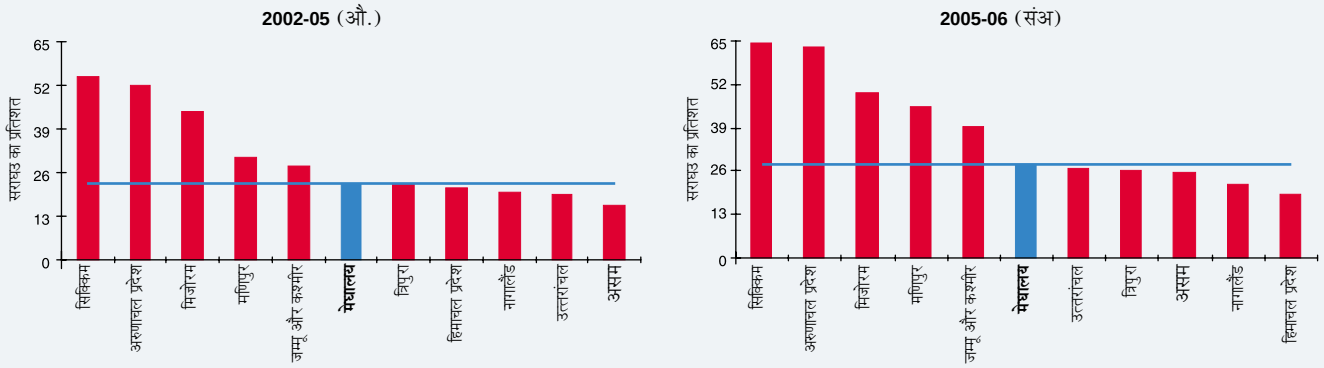

ख. विकासेतर व्यय

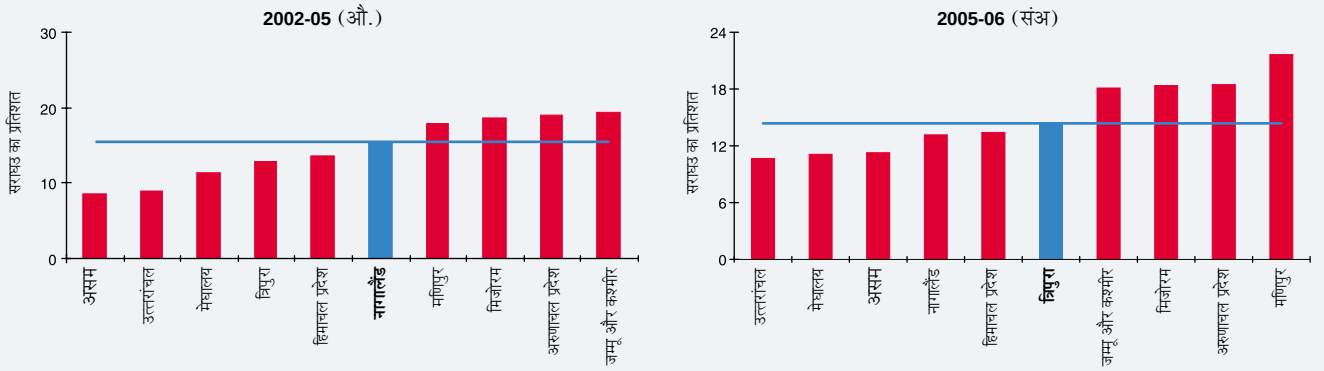

टिप्पणि : सिक्किम को इस चार्ट में चित्रित नहीं किया गया है क्योंकि इस संकेतक के लिए उसके मूल्य अत्यधिक है ।

ग. पूंजी परिव्यय

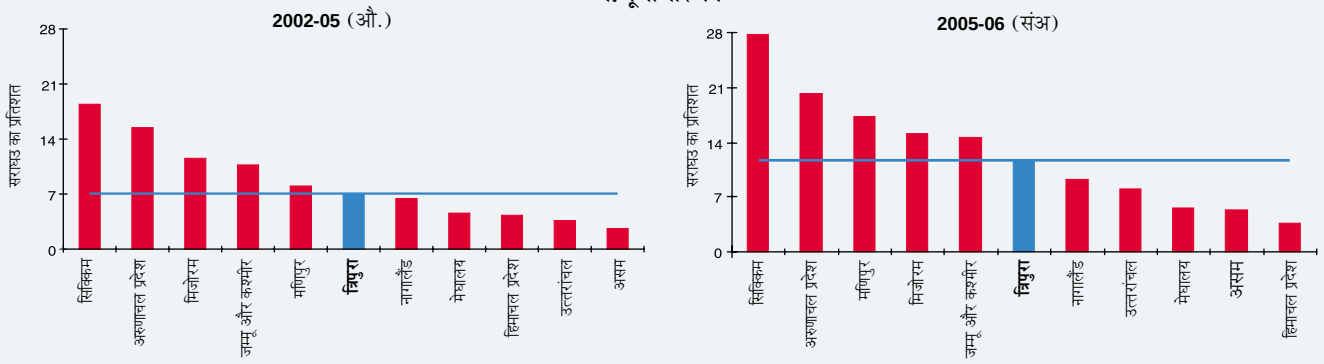

सुस्पष्ट अक्षरों में मध्यम राज्य के संकेतक का मूल्य दर्शाया गया है।

(सामाजिक क्षेत्र के खर्च के संबंध में विस्तृत चर्चा हेतु खंड VII देखें)।

विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में अधिक पूंजी परिव्यय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में) में और अधिक सुधार दिखाई दिया क्योंकि इसका मध्यम स्तर 2002-05 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 11.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट-12सी)। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में पूंजी परिव्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात ऊंचा बना रहा, लेकिन

सारणी 27 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - विकासात्मक व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
20 से कम	असम, उत्तरांचल	हिमाचल प्रदेश
20 से 40	हिमाचल प्रदेश,त्रिपुरा, **मेघालय,** जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड	असम, त्रिपुरा, उत्तरांचल, **मेघालय,** जम्मू और कश्मीर, नागालैंड
40 से 60	मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर, मिजोरम
60 से अधिक	–	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 28 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - पूंजी परिव्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
5 से कम	असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तरांचल	हिमाचल प्रदेश
5 से 8	**मणिपुर,** नागालैंड, त्रिपुरा	मेघालय, असम
8 से 11	जम्मू और कश्मीर	उत्तरांचल, नागालैंड
11 से 14	मिजोरम	**त्रिपुरा**
14 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें ।

असम और हिमाचल प्रदेश के मामले में दोनों अवधियों में यह कम रहा (सारणी-28)।

2004-05 की तुलना में 2005-06 में विशेष वर्ग के लगभग आधे से अधिक राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम) में शिक्षा पर व्यय में (कुल व्यय के अनुपात के रूप में) सुधार दिखा (विवरण 42)। 2005-06 में असम का यह अनुपात 20.8 प्रतिशत की ऊँचाई पर था जबकि जम्मू और कश्मीर का 9.3 प्रतिशत की नीचाई पर था। 2004-05 से 2005-06 में विशेष वर्ग के लगभग आधे से अधिक राज्यों (असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और उत्तरांचल) के कुल अनुपात की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय के अनुपात में सुधार हुआ (विवरण 43)। तथापि, 2005-06 में मेघालय का 5 प्रतिशत का अनुपात अधिकतम था और सिक्किम का 2.6 प्रतिशत का न्यूनतम था।

संक्षेप में हाल के वर्ष के राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार से राज्यों की राजकोषीय स्थिति में व्यापक अंतरों का खुलासा नहीं होता है। इस खण्ड में 15 बड़े राजकोषीय संकेतकों के विश्लेषण के माध्यम से राज्यवार स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। राजकोषीय तौर पर कमजोर राज्य राजकोषीय तौर पर सुदृढ़ राज्यों की बराबरी करने का प्रयास कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि बारहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों द्वारा 2009-10 तक प्राप्त किए जाने वाले 15 राजकोषीय मानदण्डों (अनिवार्य रूप से वही 15 संकेतक नहीं जो सारणी 16 और 17 में दिए गए हैं) के लक्ष्य पर आधारित एक समान राजकोषीय पुनर्संरचित योजना की सिफारिश की है।

VI. बकाया देयताएं, बाजार उधार और राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताएं

VI.1 राज्य सरकारों की बकाया देयताएं (ऋण)[10]

VI.1.1 ऋण की परिभाषा

राज्य सरकार की देयताओं की परिभाषा और संघटना पर मतैक्यता के उद्देश्य से, राज्य सरकार की देयताओं की कार्यप्रणाली और समेकन पर राज्य वित्त सचिवों के 14 वें सम्मेलन (अगस्त 2004) में लिए गए निर्णय के अनुसार एक कार्यदल गठित किया गया था। इसके सदस्यों में चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारत सरकार के प्रतिनिधि, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक और एक शिक्षाविद थे। दल ने दिसंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बाद में रिज़र्व बैंक की साइट पर डाला गया (बॉक्स 2)।

[10] 1990-91 से राज्य सरकारों की बकाया देयताओं पर एक संशोधित और संबद्ध आंकडा श्रृंखला समेकित करने के लिए एक विस्तृत कार्य किया गया जो 2005-06 के राज्य वित्तों के अध्ययन में प्रकाशित किया गया था। इस आंकड़ा श्रृंखला को और सुकर बनाकर इस अध्ययन में शामिल किया गया है।

बॉक्स 2 : राज्य सरकार की देयताओं के समेकन पर कार्य दल की रिपोर्ट - सारांश

सरकार की देयताओं के संबद्ध समय श्रृंखला आंकड़ों की उपलब्धता का विशेष महत्व है क्योंकि इससे उनकी ऋण चुकाने की क्षमता पर प्रकाश पड़ाता है। वर्तमान में, भारत में राज्य सरकारों की देयताओं के संकलन के लिए निश्चित स्तर, संघटना और कार्य प्रणाली संबंधी कोई मतैक्यता नहीं दिखाई देती है। राज्य सरकार की देयताओं के आंकड़ा संग्रह से संबद्ध अनेक समस्याओं को स्वीकार करते हुए, अगस्त 2004 को रिजर्व बैंक में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन में राज्य सरकारों की देयताओं के संकलन पर एक कार्यदल के गठन के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे अनुमोदित किया गया। तदनुसार, निम्न शर्तों के अधीन एक कार्यदल गठित किया गया।

- विभिन्न एजेंसियों अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य सरकारों के महा लेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के दायित्वों के समेकन की विद्यमान कार्य प्रणाली की परीक्षा करना;
- विश्लेषणात्मक रूप से सुदृढ़ सिद्धांतों (कवरेज सहित), अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों और देश-विशिष्ट सैद्धान्तिक मान्यताओं के आधार पर राज्य सरकार के दायित्वों की संघटना की परिभाषा और रूपरेखा देना;
- चरणबद्ध रूप में राज्य सरकार की देयताओं के लिए आदर्श समेकन कार्य प्रणाली विकसित करना, और
- नियमित और समय पर राज्य सरकार की देयताओं के आंकड़ा संग्रह और प्रसार के लिए तंत्र और संस्थागत व्यवस्था संबंधी सिफरिशें करना।

दिसंबर 2005 में कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अक्तूबर 2006 को इसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया।

समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- यह प्रस्तावित किया गया कि ऋण और देयताओं को पर्याय माना जाए। तदनुसार, ऐसे सभी उधारों को जो भुगतान योग्य हैं और जिन पर ब्याज उपचित हो गया है, ऋण के रूप में मानने की सिफारिश की गई है।
- दल ने सिफारिश की कि नकद शेषों के आहरण को सकल राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण मद के रूप में लिया जाना जारी रखा जाए। नकदी शेष वैसे भी, देयताओं का हिस्सा नहीं होते। 'प्रेषण', 'उचंत और विविध', 'आकस्मिकता निधि में विनियोग' और 'नकद शेष में कमी' को देयताओं से हटा दिया जाए लेकिन सकल राजकोषीय घाटा और देयताओं की परिभाषाओं के बीच संगतता बनाए रखने के लिए इन्हें 'ज्ञापन मदों' के रूप में दिखाया जाए। अंतर राज्य निपटान को भी देयताओं से हटा दिया जाए लेकिन ज्ञापन मद में न दिखाया जाए, क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत सूचित की गई राशि सामान्यतया बहुत अधिक नहीं होती है।
- आकस्मिक देयताओं को देयताओं की औपचारिक परिभाषा से हटा दिया जाए। तथापि, इस आयाम को शामिल करने के लिए, दल ने सिफारिश की है कि इन देयताओं की रिपोर्टिंग वार्षिक आधार पर एक अलग शीर्ष के अंतर्गत की जाए।
- आकड़ों में संगतता सुनिश्चित करने के लिए, यह वांछनीय है कि कोई एक एजेंसी सभी राज्यों की बकाया देयताओं संबंधी सूचनाएं संकलित करे और प्रसारित करे।
- यद्यपि राज्य सरकारें ऐसी सूचनाओं के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत हैं, यह कार्य उनको तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह राज्य बजट दस्तावेज का एक अनिवार्य अंग न बन जाए। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संस्थाएं देयताओं संबंधी आंकड़े संकलित करने के लिए आवश्यक क्षमता और प्रणाली विकसित करने तथा तकनीक उपलब्ध कराने में राज्यों की मदद कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तब सभी राज्य सरकारों की देयताओं के अनुमानों को, राज्य बजटों की तरह, एक प्रकाशन में एक साथ रखकर एकल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है।

राज्य सरकारें निम्नलिखित विवरणों के अन्तर्गत राज्य सरकारों की देयताओं संबंधी सूचनाएं अपने बजट दस्तावेजों में प्रकाशित करेगी :

(1) राज्य सरकार की बजट देयताएं (मार्च के अंत में बकाया) और उनका विश्लेषण । इसमें चार अनुलग्नक होंगे जिसमें यह ब्यौरा दिया गया होगा :
   क) खुले बाजार के उधार
   ख) केंद्र से लिए गए ऋण
   ग) बैंको/वित्तीय संस्थाओं के उधारों के विवरण
   घ) एनएसएसएफ के अंतर्गत जारी विशेष प्रतिभूतियां
(2) राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों के ब्यौरे (जीएएसएबी फार्मेट)
(3) राज्य सरकार की गारंटियों के मूल्यांकित राजकोषीय जोखिम
(4) राज्य सरकारों के बजट से इतर उधार
(5) राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देयताएं
(6) राज्य सरकारों की अन्य अंतर्निहित देयताएं (पेन्शन देयताओं को मिलाकर)। यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकारों की देयताओं से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रकाशित किए जाएं। राज्य सरकारें मासिक नहीं, तो तिमाही तौर पर अपने लेखों और देयताओं संबंधी रिपोर्टें भी प्रकाशित करें। सीएजी राज्यों के वित्त लेखों के अलावा देयताओं के लेखा परीक्षित आंकड़े भी संकलित करे और प्रकाशित करें। तथापि, दल ने सुझाव दिया कि लेखा परीक्षित आंकड़ों की अनुपलब्धता से, लेखों (अ-लेखा परीक्षित), संशोधित अनुमानों और हाल के वर्षों के बजट अनुमानों के अनुसार, देयताओं संबंधी आंकड़ों की रिपोर्टिंग में विलंब नहीं होना चाहिए। आंकड़ों के समेकन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, दल ने निम्नानुसार सिफारिश की है :

- भारतीय रिज़र्व बैंक बकाया बाजार उधारों से संबंधित आकड़े राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएगा।
- केंद्र सरकार राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा दिए गए ऋणों और राज्यों द्वारा एनएसएसएफ के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों से संबंधित ब्यौरे भी उपलब्ध कराएगी।
- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार तथा अन्य ऐसे लेन-देन के आंकड़ें राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए जाएं।
- जब तक राज्य सरकारें अपने बजट दस्तावेज में अपने बकाया आंकड़ो से संबंधित आवश्यक आंकड़े प्रकाशित करने की स्थिति में नहीं होतीं, संबंधित संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त आंकड़े परिवर्ती उपाय के रूप में, समेकन और प्रकाशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाएं।

दल द्वारा सुझाए गए विवरण में राज्य सरकारों द्वारा बजट दस्तावेज में देयताओं के ब्यौरे दिए जाएं। लेखा आकड़ों के साथ बकाया आंकड़े मार्च के अंत के अनुसार दो वर्ष के लिए उपलब्ध कराए जाए। एक वर्ष संशोधित अनुमानों के साथ और दूसरे वर्ष निम्नलिखित मदों के लिए बजट अनुमानों के साथ।

I. समेकित निधि
   1. सार्वजनिक ऋण
      क. खुले बाजार के उधार (निवल एस एल आर आधारित बाजार उधार)
      ख. बैंकों से उधार और वित्तीय संस्थान/वार्तातय ऋण
      ग. एन एस एस एफ के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियां
      घ. राज्य सरकार द्वारा जारी बांड / डिबेंचर
      ड. केंद्र से किए गए ऋण (निवल)
         i) योजना ii) योजनेतर
      च. अन्य (उल्लेख के अनुसार)*
   2. भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट
      क. अर्थोपाय अग्रिम
      ख. ओवर ड्राफ्ट

II सार्वजनिक खाता
   1. राज्य भविष्य निधि
   2. लघु बचत, बीमा और पेन्शन निधि, न्यास और धर्मदाय
   3. सार्वजनिक खाते में अन्य मदें
      जिसमें से :
      क. जमाराशियां
         i) ब्याज सहित ii) ब्याज रहित
      ख. आरक्षित निधियां / सिंकिंग निधि
         i) ब्याज सहित ii) ब्याज रहित

III आकस्मिकता निधि

IV कुल देयताएं (I+II+III)

V ज्ञापन मदें
   1. प्रेषण
   2. उचंत और विविध
   3. आकस्मिकता निधि से विनियोग
   4. नकदी शेषों में कमी

@ : यह ध्यान देने योग्य है कि 'खाते' के आंकड़े अ-लेखा परीक्षित हैं।

* : इसमें विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की देयताएं शामिल होनी चाहिए जो एक उपकल्पनात्मक निष्कर्ष है जिसमें कहा गया है कि पुनर्भुगतान और / अथवा ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा अपने बजट प्रावधानों से किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के गारंटीशुदा देयताओं के जोखिम भारित घटक भी शामिल हैं।

स्रोत : राज्य सरकार की देयताओं के समेकन पर बने कार्यक्रम की रिपोर्ट (2005), भारतीय रिजर्व बैंक (संयोजक : डा. नरेंद्र जाधव)।

VI.1.2 ऋण की मात्रा

राज्यों के विशाल और बढ़ते सकल राजकोषीय घाटे ने विशेष रूप से 1990 के दशक के उत्तरार्ध से राज्य सरकारों के बकाया ऋण में निरंतर वृद्धि की है। वृद्धि और जीडीपी दोनों के अनुसार ऋण के स्तर में हाल के वर्षों में गिरावट दिखी। (सारणी 29).

मार्च 1991 के अंत में बकाया देयताएं 1,28,155 करोड़ रुपए (अर्थात जीडीपी की 22.5 प्रतिशत) रखी गई। ऋण-जीडीपी का अनुपात, जो 1997 के अंत में 21.1 प्रतिशत के अधो स्तर पर था, मार्च 2004 के अंत में तीव्रता से 33.5 प्रतिशत बढ़ा लेकिन इसके पश्चात इसमें गिरावट आई। मार्च 2007 के अंत में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का अनुमान 12,58,672 करोड़ रुपए का लगाया गया हैं जबकि ऋण - जी डी पी अनुपात 31.8 प्रतिशत रखा गया (देखे परिशिष्ट सारणी 20 और 21 भी)।

सारणी 29 : राज्य सरकारों की बकाया देयताएं
(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बकाया देयताएं		
	राशि	वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	ऋण/सघउ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1991	128,155		22.5
1992	147,030	14.7	22.5
1993	168,365	14.5	22.5
1994	187,992	11.7	21.9
1995	217,100	15.5	21.4
1996	250,889	15.6	21.1
1997	288,103	14.8	21.1
1998	333,897	15.9	21.9
1999	403,364	20.8	23.2
2000	515,877	27.9	26.3
2001	602,072	16.7	28.6
2002	700,524	16.4	30.7
2003	798,921	14.0	32.6
2004	923,500	15.6	33.5
2005	1,042,305	12.9	33.4
2006 (संअ)	1,152,652	10.6	32.6
2007 (बअ)	1,258,672	9.2	31.8

स्रोत : 1. राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।
2. भारत के केंद्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखे, सीएजी, भारत सरकार ।
3. रिज़र्व बैंक का रिकार्ड ।

जीडीपी के लगभग एक तिहाई के बराबर ब्याज की चुकौती राज्यों की पर्याप्त राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से अधिक होती जा रही है। ऋण की उत्पादकता को बनाए रखने की दृष्टि से, राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक में ऋण के स्तर की सीमाएं रखी हैं जिसे एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त किया जाना है। बारहवें वित्त आयोग ने जीडीपी के अनुपात के रूप में ऋण के 30.8 प्रतिशत की भी सिफारिश की है जिसे राज्यों द्वारा मध्यम काल में ऋण की उत्पादकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से मार्च 2010 तक प्राप्त किया जाना है। इसके अलावा, आयोग (टीएफसी) ने उधारों की समग्र सीमा (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) की सिफारिश की है जिसे राज्य सरकारों द्वारा 2009-10 के अंत तक प्राप्त किया जाना है। टीएफसी ने यह भी सिफारिश की है कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का 15 प्रतिशत का अनुपात 2009-10 तक प्राप्त किया जाए।

VI.1.3 ऋण की बनावट/संरचना

राज्य सरकारों के बकाया देयताओं की संघटना केंद्र से लिए गए ऋणों के हिस्से में तीव्र गिरावट दर्शाती है जबकि एनएसएसएफ से लिए गए ऋणों, बाजार ऋणों और बैंक तथा अन्य संस्थाओं के ऋणों के हिस्से में वृद्धि दिखी। उल्लेखनीय रूप से, पिछले कुछ वर्षों से आरक्षित निधियों और जमाओं तथा अग्रिमों का हिस्सा 10 प्रतिशत है। 2006-07 के दौरान (बजट अनुमान) एनएसएसएफ से लिए गए ऋणों की संघटना (29.3 प्रतिशत) सबसे अधिक थी, इसके पश्चात केंद्र से लिए गए ऋण (20.9 प्रतिशत) और बाजार उधार (20.0 प्रतिशत) थे। ऋण के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं : लघु बचत, राज्य भविष्य निधि इत्यादि (12.1 प्रतिशत) और बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण (6.0) (चार्ट 13)।

बकाया ऋण की विस्तृत संघटना सारणी 30 में दी गई है। 1990-91 से 2006-07 तक (ब.अ.) राज्य सरकारों की समेकित बकाया देयताओं की विस्तृत संघटना परिशिष्ट सारणी 20 और 21 में दी गई है जबकि बकाया देयताओं की राज्यवार संघटना विवरण 26-28 में दी गई है।

उल्लेख करना होगा कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज में विभिन्न कोटियों के अंतर्गत राशि और संबद्ध शर्तों सहित (जैसे

चार्ट 13 : बकाया देयताओं की संरचना

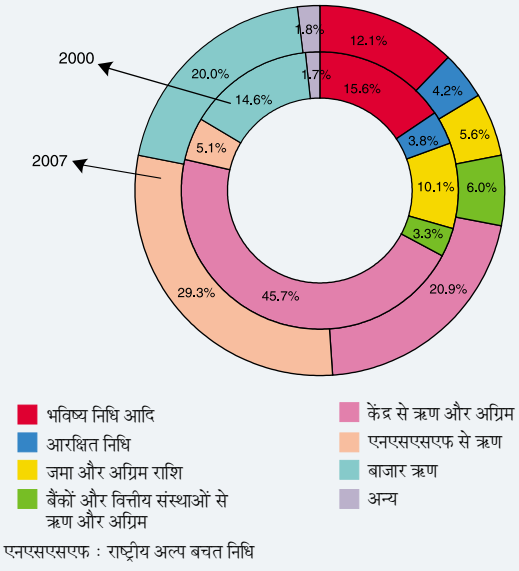

एनएसएसएफ : राष्ट्रीय अल्प बचत निधि

ब्याज दर और परिपक्वता स्वरूप) उनकी बकाया देयताओं के पर्याप्त ब्यौरे नहीं दिए जाते। यह विशेष रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए वार्तातय ऋणों के मामले में सुस्पष्ट है। परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का गहन विश्लेषण सीमित बना हुआ है।

VI.2 बाजार उधार

VI.2.1 समेकित स्थिति

राज्य सरकारें विभिन्न अवधियों की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं जिनमें अधिकांशतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश किया जाता है। राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं में बाजार उधारों का हिस्सा मार्च 2000 के अंत के 14.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 20.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 30)। टीएफसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, 2005-06 से अब राज्य योजनाओं के लिए संघीय बजट में केंद्रीय ऋण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और राज्यों को अपने योजना कार्यक्रमों के लिए संसाधन जुटाने हेतु बाजार जाना होगा। उनके कुल ऋण में राज्य सरकारों के बाजार उधारों का हिस्सा 2005-06 में लगभग 20 प्रतिशत कम हुआ और 2006-07 के दौरान इसके इसी स्तर पर बने रहने का अनुमान लगाया गया।

2005-06 के दौरान राज्य सरकारों का उच्च लागत बाजार ऋणों का हिस्सा और गिरा। मार्च 2006 के अंत में, 10 प्रतिशत और ऊपर के ब्याज दर के बकाया स्टॉक का हिस्सा मार्च 2005 के अंत के 37.3 प्रतिशत से गिरकर 32.2 प्रतिशत हो गया (सारणी 31)।

सारणी 30 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का संघटन

(मार्च के अंत में)

(कुल का प्रतिशत)

मदें	1991	2000	2004	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
1. आंतरिक ऋण	15.0	24.5	46.5	51.4	54.7	57.1
जिसमें:						
(i) बाजार ऋण	12.2	14.6	19.4	20.5	19.9	20.0
(ii) अल्प बचत (एन एएएस एफ)	–	5.1	18.2	22.6	26.9	29.3
(iii) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण*	2.0	3.3	6.6	6.0	5.9	6.0
2. केन्द्र से ऋण और अग्रिम	57.4	45.7	29.0	24.6	22.4	20.9
3. लोक लेखागत (i से iii)	26.9	29.5	24.5	24.1	22.7	21.9
(i) राज्य अल्प बचत और भविष्य निधि	13.2	15.6	13.3	12.7	12.3	12.1
(ii) आरक्षित निधि	3.7	3.8	4.2	4.4	4.2	4.2
(iii) जमाराशि और अग्रिम	10.0	10.1	7.0	7.0	6.2	5.6
4. आकस्मिक व्यय निधि	0.8	0.3	–	–	–	–

'–' : शून्य/नगण्य/लागू नहीं।

स्रोत : सारणी 29 के अनुसार

सारणी 31 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों की ब्याज दर स्थिति

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

ब्याज दर का दायरा	बकाया राशि		कुल का प्रतिशत	
	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5
5.00-5.99	33,825	33,825	15.8	14.8
6.00-6.99	58,563	58,563	27.4	25.6
7.00-7.99	27,872	49,601	13.1	21.7
8.00-8.99	8,004	8,004	3.7	3.5
9.00-9.99	5,412	5,412	2.5	2.4
10.00-10.99	14,563	14,563	6.8	6.4
11.00-11.99	17,062	17,062	8.0	7.5
12.00-12.99	26,146	26,146	12.2	11.4
13.00-13.99	15,722	15,722	7.4	6.9
14.00	6,274	0	2.9	0.0
कुल	**213,443**	**228,898**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार।

VI.2.2 2006-07 के दौरान बाजार उधारों का आबंटन

रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार, राज्य सरकारों को बाजार उधारों का निवल आबंटन 2002-03 से बढ़ा है (सारणी 32 और विवरण 29)। लेकिन, इसी अवधि में अतिरिक्त आबंटन में तीव्र गिरावट दिखी। 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत निवल आबंटन 17,286 करोड़ रुपए

सारणी 32 : राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(करोड़ रुपए)

मदें	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1. निवल आबंटन	12,722	12,767	13,969	16,112	17,242
2. अतिरिक्त आबंटन	6,422	4,893	3,236	3,522	44
3. डीएसएस के अंतर्गत आबंटन	10,000	29,000	19,766	-	-
4. कुल (1+2+3)	29,144	46,660	36,970	19,634	17,286
5. चुकौती	1,789	4,145	5,123	6,274	6,551
6. सकल आबंटन (4+5)	30,933	50,805	42,093	25,909	23,837
7. डीएसएस के अंतर्गत जुटाई गई राशि	10,000	26,623	16,943	-	-
8. आरआइडीएफ ऋणों की पूर्व चुकौती से जुटाई गई राशि	-	-	1,386	-	-
9. कुल जुटाई गई राशि	30,853	50,521	39,101	21,729	11,026
टैप निर्गम	27,880	47,626	38,216	11,186	-
नीलामी	2,973	2,895	885	10,543	11,026
	(13)	(8)	(3)	(24)	(20)
10. जुटाई गई निवल राशि (9-5)	29,064	46,376	33,978	15,455	4,475
11. जुटाई गई (डीएसएस के अतिरिक्त) (10-7)	19,064	19,753	17,035	15,455	4,475
12. जुटाई गई निवल राशि (डीएसएस और आर आइ डी एफ के अतिरिक्त) (11-8)	19,064	19,753	15,649	15,455	4,475
ज्ञापन मदें					
i. कूपन / अधिकतम आय दायरा (%)	6.60-8.00	5.78-6.40	5.60-7.36	7.32-7.85	7.65-8.66
ii. भारित औसत ब्याज दर (%)	7.49	6.13	6.45	7.63	8.00
iii. औसत परिपक्वता अवधि (वर्ष)	10.00	10.05	10.01	10.00	10.00

डीएसएस : ऋण स्वैप योजना '–' : शून्य / लागू नहीं * : 17 नवंबर 2006 तक जुटाई गई राशि

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े नीलामी रूट का विकल्प देने वाले राज्यों की संख्या दर्शाते हैं।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक रिकार्ड के अनुसार बाजार उधार संबंधी आंकड़े राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से अलग हो सकते हैं।

स्रोत : रिज़र्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार।

रखा गया है। 6,551 करोड़ रुपए की चुकौती को ध्यान में रखते हुए, सकल आबंटन की राशि 23,837 करोड़ रुपए है जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। 2006-07 (17 नवंबर 2006 तक) के दौरान, राज्य सरकारों ने नीलामियों के माध्यम से 11,026 करोड़ रुपए (अथवा सकल आबंटन का 46.2 प्रतिशत) का बाजार ऋण जुटाया है जिसकी कट-ऑफ दर 7.65 - 8.66 प्रतिशत की सीमा में थी (परिशिष्ट सारणी 10)। बाजार ऋणों पर वह भारित औसत ब्याज दर जो 1990 के मध्य दशक से 2003-04 तक कम हुई थी, 2006-07 के दौरान 8.0 प्रतिशत अधिक हो गई (17 नवंबर 2006 तक) (सारणी 33)। प्रतिफल में यह वृद्धि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अनुरूप थी और जिसने ब्याज दरों में सामान्य ऊर्धमुखी वृद्धि को दर्शाया।

2006-07 (17 नवंबर 2006 तक 20 राज्य) और 2005-06 (24 राज्य) के दौरान राज्यों द्वारा बाजार ऋण जुटाने के लिए नीलामी मार्ग की अधिमान्यता बढ़ी। इसके अलावा, नीलामी के द्वारा जुटाए गए बजार ऋणों का अनुपात 2005-06 में लगभग आधा था जबकि 2006-07 में राज्य सरकारों ने केवल नीलामी का सहारा लिया। 2005-06 और 2006-07 (17 नवंबर 2006 तक) के दौरान नीलामियों के बढ़े हुए आश्रय ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सुधरे हुए बाजार दृष्टिकोण को दर्शाया (बॉक्स 3)।

सारणी 33 : राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय

(प्रतिशत)

वर्ष	दायरा	भारित औसत	कुल राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1990-91	11.50	11.50	2,569
1991-92	11.50-12.00	11.82	3,364
1992-93	13.00	13.00	3,805
1993-94	13.50	13.50	4,145
1994-95	12.50	12.50	5,123
1995-96	14.00	14.00	6,274
1996-97	13.75-13.85	13.83	6,536
1997-98	12.30-13.05	12.82	7,749
1998-99	12.15-12.50	12.35	12,114
1999-00	11.00-12.25	11.89	13,706
2000-01	10.50-12.00	10.99	13,300
2001-02	7.80-10.53	9.20	18,707
2002-03	6.60-8.00	7.49	30,853
2003-04	5.78-6.40	6.13	50,521
2004-05	5.60-7.36	6.45	39,101
2005-06	7.32-7.85	7.63	21,729
2006-07*	7.65-8.66	8.00	11,026

*: 17, नवंबर 2006 तक ।
स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार ।

VI.2.3 राज्य-वार ऋण स्थिति

1990-91 से 2006-07 (ब.अ.) तक बकाया देयताओं का राज्य-वार घटकवार विस्तृत विश्लेषण विवरण 26-28 में दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2006 की समाप्ति पर 3 विभक्त राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की बकाया देयताओं को 3 नए बनाए गए राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल) के बीच क्रमशः उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर बांटा गया है। राज्यों को (सामान्य और विशेष) उनकी स्थिति बताने के लिए ऋण जीएसडीपी और आइपी - आरआर अनुपात के अनुसार समूह में बाँटा गया है और उन्हें 3 ए-डी संलग्नक में दिया गया है।

गैर विशेष वर्ग के राज्य

ऋण-जीएसडीपी का माध्यिका मूल्य 2002-05 के दौरान 39.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 44.4 प्रतिशत हो गया जो अनेक राज्यों की ऋणग्रस्तता के बढ़ने को दर्शाता है (चार्ट 14क) जबकि 2002-05 और 2005-06 के दौरान हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे राज्यों का ऋण - जीएसडीपी अनुपात (30.5 प्रतिशत से कम) सापेक्षिक रूप से कम रहा, उक्त दोनों अवधियों के दौरान बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का अनुपात 55 प्रतिशत से अधिक था (सारणी 34)।

ऋण निरंतरता के एक संकेतक के रूप में ब्याज भुगतानों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों (आइपी/आरआर) के पूर्वानुमान से इसके माध्यिका मूल्य में सुधार दिखा, जो 2002-05 के 24.8 प्रतिशत से 2005-06 में 19.0 प्रतिशत तेजी से घटे (चार्ट 14ख)। उक्त

बॉक्स 3 : राज्य सरकारों के बाजार उधार : हाल की गतिविधियां और भावी चुनौतियां

राज्य सरकारों के बाजार उधारों (जिसे राज्य विकास ऋण कहा जाता है) के संबंध में हाल के वर्षों में कतिपय बड़े परिवर्तन हुए हैं जो इस प्रकार हैं :

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप, 2005-06 के दौरान राज्य योजना स्कीमों के लिए केंद्रीय ऋण समाप्त कर दिए गए जिससे राज्य सरकारों को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए बाजार में प्रवेश करना पड़ा और जिससे उन्हें व्यापक बाजार अनुशासन का सामना करना पड़ रहा है। रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण में राज्य सरकारों की उधार आवश्यकताओं पर टीएफसी की सिफारिशों के संभावित प्रभावों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। टीएफसी की सिफारिशों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए 8 अप्रैल 2005 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 16वें सम्मेलन में केंद्र, राज्य और रिज़र्व बैंक के बीच प्रस्तावित व्यवस्था में, आसान अंतरण सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनंतर, जुलाई 2005 में, भारत सरकार ने राज्यों के उधारों के प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत आसान अंतरण के लिए कार्य प्रणाली तय करने हेतु एक तकनीकी समूह (अध्यक्षः श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) गठित किया जिसमें केंद्र, चुनिंदा राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक को सदस्य बनाया गया। समूह ने 22 दिसंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। समूह की सिफारिशों के आधार पर, 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में राज्य वित्त सचिवों के सम्मेलन के तत्वाधान के अंतर्गत एक स्थायी तकनीकी समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों तथा रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि होंगे और जो सम्मति तथा सहकारी दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रमों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर सलाह देगी।

अप्रैल 2006 में वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था कि : (i) राज्यों को नीलामी मार्ग के अंतर्गत बाजार उधारों के हिस्से को बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर प्रोत्साहित किया जाए जिससे नीलामी के माध्यम से संपूर्ण उधार को कवर किया जा सके। (ii) राज्यों को अपने विवेक और पहल पर एक प्रगतिशील संकेतात्मक उधार कलैण्डर तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इन मुद्दों पर राज्यों में चर्चा की जा रही है और एक ठोस कार्रवाई योजना विकसित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार चलनिधि का नाममात्रेण स्तर है, जिसके लिए कतिपय अन्तर्संबद्ध कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसे (i) बकाया स्टॉक का कम स्तर जिसका परिणाम चल स्टॉक के कम स्तर में भी हुआ (ii) बिक्री और धारण करने वाले निवेशकों की प्रधानता (iii) तदनुरूपी द्वितीयक बाजार प्रतिफल के साथ टैप निर्गम में सहभागी होनेवाले राज्यों से संबंधित निश्चित समान ब्याज के बीच अंसंबद्धता (iv) निर्गमकर्ताओं (28 राज्य) और प्रतिभूतियों (हरेक राज्य वर्ष में आठ नई प्रतिभूतियां जारी कर रहा है) के बीच विखंडन । इन मुद्दों पर विचार करने के लिए, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के चलनिधि पर एक कार्य समूह (अध्यक्षः श्री वी.के.शर्मा) बनाया गया जिसने सितंबर 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कार्य दल ने परिमाण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों की खोज की जिससे द्वितीयक बाजार चलनिधि के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके (i) निर्गम के आकार में वृद्धि (ii) प्रतिभूतियों का समेकन (iii) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में खुले बाजार उधार का अत्यधिक हिस्सा और (iv) राज्य सरकारों की बकाया प्रतिभूतियों का प्रतिभूतीकरण । इन विकल्पों पर विचार करते हुए दल ने महसूस किया कि निर्गम आकार को निर्गमों की संख्या सीमित करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरे, वर्तमान प्रतिभूतियों के पुनर्निगमों के माध्यम से प्रतिभूतियों के निष्क्रिय समेकन में चुकौतियों का समूहन और परिपक्वता प्रोफाइल घटाना शामिल है। तीसरे, खुले बाजार के उधार के हिस्से में वृद्धि, अन्य बातों के साथ-साथ, राजकोषीय सुधार उपायों पर निर्भर होगी जिससे निवेशक विश्वास बढ़ाया जा सके। चौथे, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक को प्रतिभूतिकरण मार्ग के माध्यम से समेकित किया जाएगा जिसके द्वारा आस्तियों को विशेष प्रयोजन वाहक (एसवीपी) को समनुदेशित किया जाएगा, जिसके विरुद्ध प्रतिभूतियों को नए निवेशकों को जारी किया जाएगा। दल की सिफारिशों से लेतु हुए और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेशक आधार को बढ़ाने की दृष्टि से, 2006-07 (अप्रैल-2006) के वार्षिक नीति वक्तव्य में निम्नलिखित कार्रवाई बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं :

- एसडीएल की प्राथमिक नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली (वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों तक सीमित) की सुविधा देना।
- ओवरनाइट एलएएफ रिपो परिचालनों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा एसडीएल की खरीद और पुनर्बिकी शुरू करना।
- जारी राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया को दर्शाते हुए, राज्य सरकारों का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) हाल के वर्षों में कम हुआ है जिससे निधियों का दबाव नियंत्रित हुआ है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के जीएफडी के वित्तपोषण पैटर्न ने लघु बचतों, (राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए जारी प्रतिभूतियां), जो निधियों की स्वायत्त स्रोत हैं, की प्रधानता और अधिकता को परिलक्षित करना जारी रखा जिसने वैकल्पिक बाजार स्रोतों तक पहुंचने की आवश्यकता को कम करने में सहायता की। यह उल्लेखनीय है कि नौ राज्यों (अर्थात, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) ने 2005-06 के दौरान सकल बाजार उधार की संपूर्ण आबंटित राशि नहीं जुटाई, जबकि वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ ने बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जो मुख्य रूप से अनेक अधिशेष नकदी शेषों की सुदृढ़ता को परिलक्षित कर ली है।

राज्य बड़े पैमाने पर नीलामी मार्ग के माध्यम से उधार लेना पसंद कर रहे हैं, 2005-06 (2004-05 में केवल 2.3 प्रतिशत) के दौरान नीलामियों के माध्यम से उन्होंने अपने कुल उधारों का 48.4 प्रतिशत जुटाया। पिछले वर्ष में केवल तीन राज्यों से तुलना करने पर 2005-06 के दौरान बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत चौबीस राज्यों ने नीलामी मार्ग को अपनाया। 2006-07 के दौरान भी यही प्रवृत्ति जारी रही। नीलामियों का अधिक सहारा लेना राज्यों की राजकोषीय स्थिति के सुधरे हुए बाजार दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है जैसा कि तुलनात्मक परिपक्वताओं की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में टैप निर्गमों (टैपनिर्गमों में 50 आधार अंक के सम्मुख नीलामियों में 20-50 आधार अंक और नीलामियों की कट ऑफ आय के कम अंतर (स्प्रेड) में परिलक्षित हुआ।

भावी निर्गम और विकल्प

राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रमों में कतिपय सुधार जिन पर विचार किया जा सकता है, इस प्रकार हैं :

- संबंधित राज्य सरकारों को निश्चित अभिदान उपलब्ध कराने की दृष्टि से, राज्य विकास ऋणों के प्राथमिक निर्गमों की हामीदारी पर विचार किया जा सकता है।
- राज्य सरकारों के बाजार उधार की नीलामी को प्रोत्साहन करने के लिए, राज्यों के बाजार उधार के लिए 'संकेतात्मक कलैण्डर' की शुरुआत की जाए।
- ब्याज की उच्च लागत को कम करने के लिए, उच्च ब्याज वाले राज्य विकास ऋणों (अर्थात 10 प्रतिशत और अधिक) की एक बाइ-बैक स्कीम पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में राज्य सरकारों के पास उपलब्ध नकदी अधिशेषों को बाइ-बैक स्कीम में उपयोग किया जा सकता है।
- चलनिधि उपलब्ध कराने की दृष्टि से, एसडीएल के द्वितीयक बाजार को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 14 : बकाया देयताएं - गैर विशेष वर्ग के राज्य

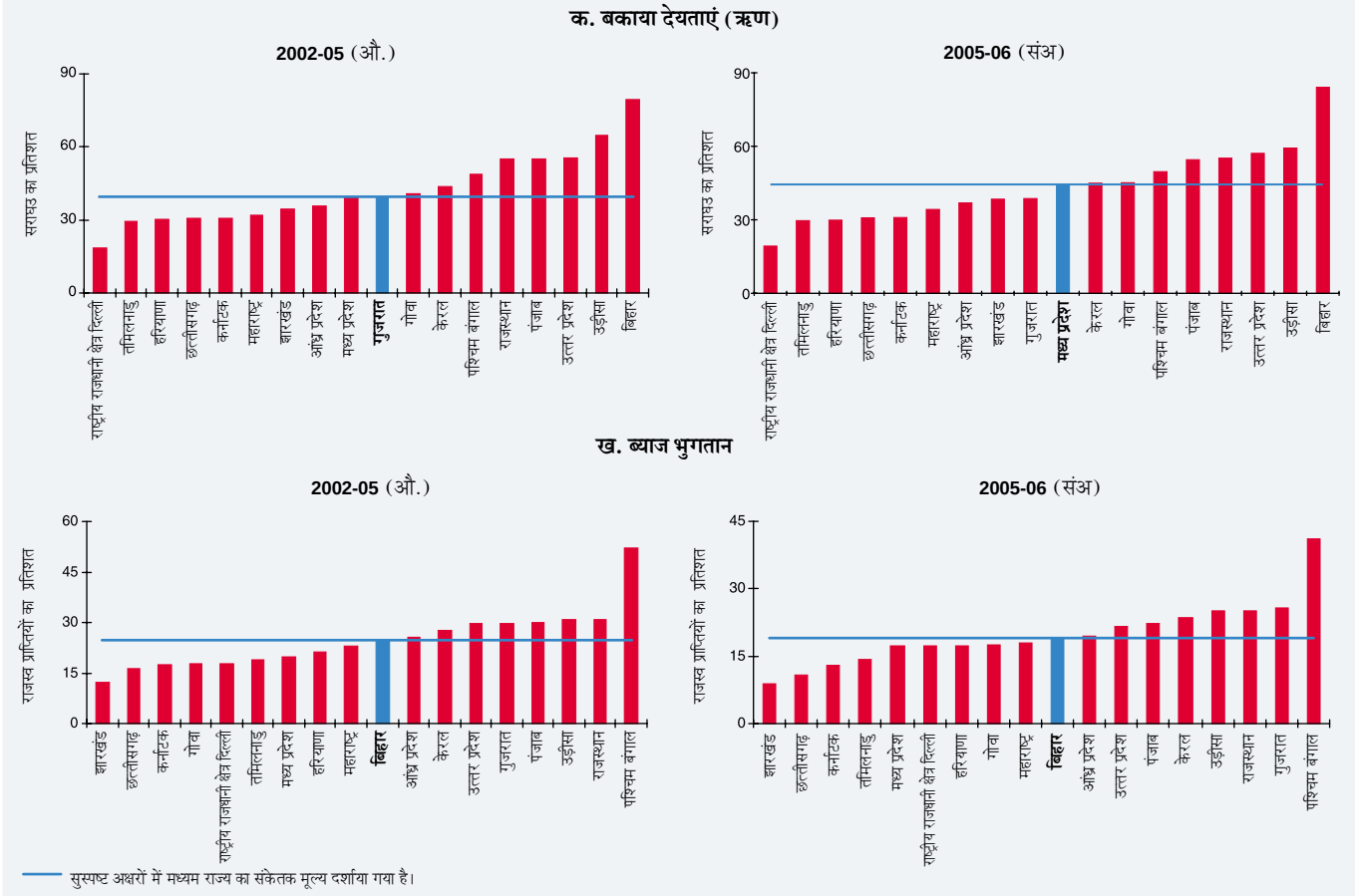

सारणी 34 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ऋण/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
30 से कम	रा.रा.क्षे. दिल्ली, तमिलनाडु	रा.रा.क्षे. दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा
30 से 50	कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड,आंध्र प्रदेश, **गुजरात**, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, **मध्य प्रदेश**, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल
50 से 70	राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा
70 से अधिक	बिहार	बिहार

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखे।

दोनों अवधियों में झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के लिए यह अनुपात सापेक्षिक रूप से कम था, जबकि राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए अधिक था (सारणी 35) (विवरण 17 भी देखें)। ऋण स्वैप स्कीम (डीएसएस) के कारण, आइ पी / आर आर अनुपात में कमी ब्याज भुगतानों में बड़ी सीमा में गिरावट को दर्शाती है।

ऋण वहनीयता की दृष्टि से, टीएफसी ने राज्यों को राजकोषीय अनुशासन में रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है और सलाह दी कि उधारों के सभी स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के समग्र उधार कार्यक्रम एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत होने चाहिए तथा वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाने चाहिए। राज्य सरकारें ऋण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए धीरे-धीरे संस्थागत तंत्र अपना रही हैं और इसको राजकोषीय उत्तरदायित्व विधायन बनाकर, गारंटी शोधन निधि की स्थापना करके वहनीय स्तर पर भी ला रही हैं। ऐसे राज्य जिनका ऋण का स्तर अधिक है समुचित उधार उपाय अपनाने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि

सारणी 35 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
15 से कम	झारखंड	झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक
15 से 30	छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तमिलनाडु,हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, **बिहार,** आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात	मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, **बिहार**, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान
30 से 45	पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान	पश्चिम बंगाल
45 से अधिक	पश्चिम बंगाल	-

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखे।

घाटे, ऋण और ऋण चुकौती की उच्च लागत से उत्पन्न ब्याज भुगतानों के दुष्चक्र की संभावना हो सकती है।

विशेष वर्ग वाले राज्य

विशेष वर्ग वाले राज्यों के ऋण - जीएसडीपी अनुपात में बड़े अंतर देखे गए हैं क्योंकि ऋण -जीएसडीपी अनुपात के माध्यिका मूल्य 2002-05 के दौरान 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 के दौरान 60.8 प्रतिशत हो गए (चार्ट 15 क)। 2005-06 और 2002-05 में सिक्किम, मिजोरम तथा हिमाचल प्रदेश का ऋण-जीएसडीपी अनुपात अधिक बना रहा जबकि इसी अवधि के दौरान असम, नागालैण्ड तथा मेघालय का यह अनुपात सापेक्षिक रूप से कम बना हुआ है (सारणी 36)।

आइपी/आरआर का माध्यिका स्तर 2005-06 के दौरान 13.8 प्रतिशत से गिरकर 2005-06 में 11.0 प्रतिशत हो गया (चार्ट 15 ख)। सभी विशेष वर्ग के राज्यों (हिमाचल प्रदेश के अलावा) (26.4 प्रतिशत) का ऋण भार (आइपी/आरआर) 15 प्रतिशत से कम था जो लक्ष्य टीएफसी ने तय किया था और जिसे 2009-10 के अंत

चार्ट 15 : बकाया देयताएं - विशेष श्रेणी के राज्य

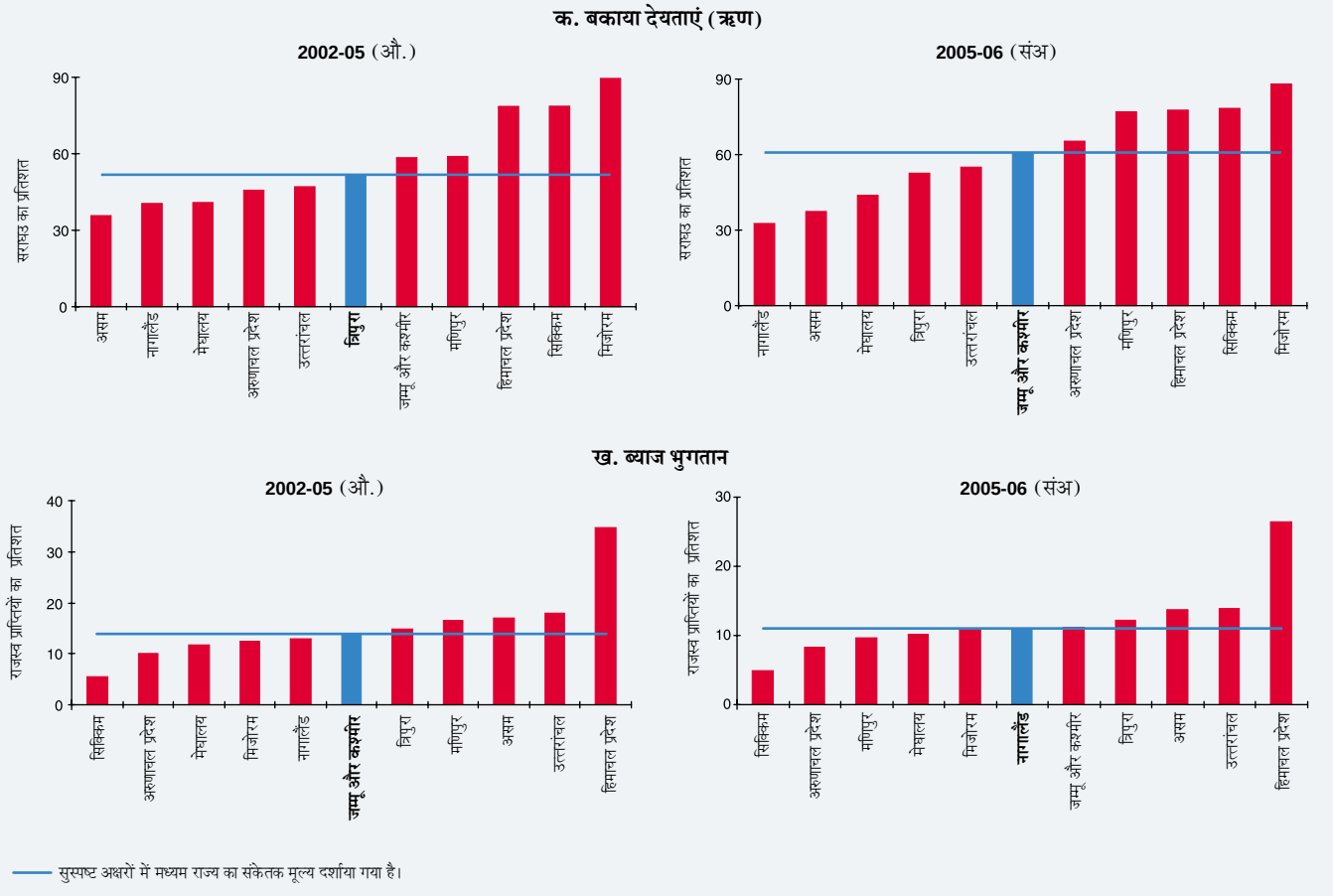

सारणी 36 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ऋण/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
40 से कम 40 से 50	असम, मेघालय, उत्तरांचल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश	असम, नागालैंड, मेघालय
50 से 60	**त्रिपुरा,** जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	त्रिपुरा, उत्तरांचल
60 से अधिक	सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम	**जम्मू और कश्मीर,** अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखे।

तक प्राप्त किया जाना है। 2005-06 के दौरान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का आइपी/आरआर अनुपात 10 प्रतिशत से कम था (सारणी 37)।

VI.3 चलनिधि स्थिति और नकदी प्रबंधन

बेजबरुआ समिति की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों के लिए 2006-07 हेतु एक संशोधित अर्थोपाय अग्रिम योजना शुरू की गई जो 1 अप्रैल 2006 से लागू हुई। तदनुसार, 2006-07 के लिए कुल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 10.5 प्रतिशत बढ़ाकर 9,875 करोड़ रुपए कर दी गई (सारणी 38)। 2006-07 के लिए

सारणी 37 : विशेष श्रेणी राज्यों का बारंबारता बंटन - ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
10 से कम	सिक्किम	सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर
10 से 15	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, **जम्मू और कश्मीर,** त्रिपुरा	मेघालय, मिजोरम, **नागालैंड,** जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, असम, उत्तरांचल
15 से 20	मणिपुर, असम, उत्तरांचल	-
20 से अधिक	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

सारणी 38 : सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा-1996 से 2006

(करोड़ रुपए)

अवधि		राशि	पिछली सीमा की तुलना में वृध्दि (प्रतिशत)
1		2	3
(i)	अगस्त 1996 से फरवरी 1999	2,234	100.0
(ii)	मार्च 1999 से जनवरी 2001	3,941	76.4
(iii)	फरवरी 2001 से मार्च 2002	5,283	34.1
(iv)	अप्रैल 2002 से 2 मार्च 2003	6,035	14.2
(v)	3 मार्च 2003 से 31 मार्च 2004	7,170	18.8
(vi)	1 अप्रैल 2004 से मार्च 31 2005	8,140	13.5
(vii)	1 अप्रैल 2005 से मार्च 31 2006	8,935	9.8
(viii)	1 अप्रैल 2006 आज की तारीख तक	9,875	10.5

स्रोत : रिजर्व बैंक के रिकार्ड के अनुसार।

अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज दर को एलएएफ रिपो दर से जोड़ दिया गया है जबकि पहले इसे बैंक दर से जोड़ा गया था।

2005-06 के दौरान, राज्यों द्वारा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम, विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का औसत उपयोग वास्तविक रूप से कम बना रहा जो उनकी समग्र नकदी की स्थिति में सुधार को दर्शाता है। 2005-06 के दौरान सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग करने वाले राज्यों की संख्या में कमी हुई (2004-05 में 21 राज्यों की तुलना में 12 राज्य)। यह परिवर्तन मुख्य रूप से संशोधित योजना के अंतर्गत इस प्रावधान के कारण परिलक्षित हुआ कि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लेने से पहले विशेष अर्थोपाय का उपयोग किया जाना चाहिए। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा को राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश से संबद्ध किया गया है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर लिए जाने वाले ब्याज की दर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की तुलना में एक प्रतिशत अंक कम थी। लघु बचतों के अधिक जुटाव और बढ़े हुए बाजार उधारों ने भी सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का कम सहारा लेने में सहायता प्रदान की। इसी प्रकार, 2005-06 के दौरान ओवरड्राफ्ट का उपभोग करने वाली राज्य सरकारों की संख्या 2004-05 में 13 राज्यों से तुलना करने पर 8 राज्य में कमी हुई (विवरण 39)।

2006-07 के दौरान राज्यों की चलनिधि की स्थिति आसान रही (31 अक्तूबर 2006 तक) । 2006-07 के (31 अक्तूबर 2006 तक), दौरान 239 करोड़ रुपए का राज्यों का अर्थोपाय और

चार्ट 16 : राज्य सरकारों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट की उपयोगिता (साप्ताहिक औसत)

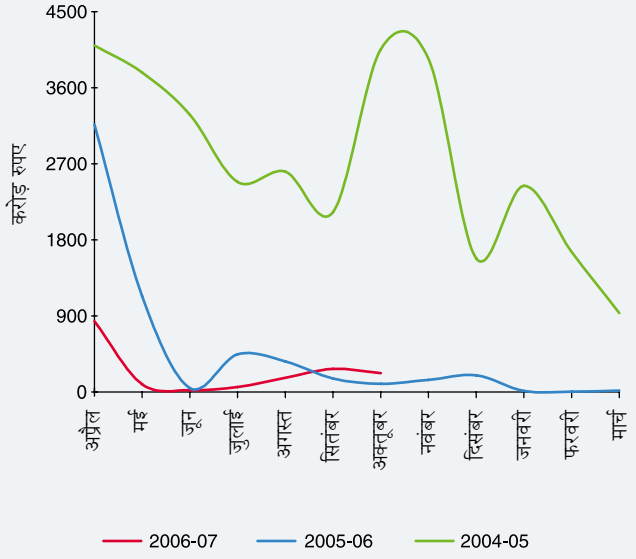

ओवरड्राफ्ट का साप्ताहिक औसत उपयोग पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 772 करोड़ रुपए की तुलना में काफी कम था (चार्ट 16)। 2006-07 के दौरान (16 नवंबर 2006 तक) छह राज्यों ने 2-141 दिनों की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग किया, इनमें से दो राज्यों ने 15 और 29 दिवसों की अवधि के ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया (विवरण 39)। अर्थोपाय अग्रिम का कम उपयोग राज्य सरकारों के अधिशेष नकदी की स्थिति को दर्शाता है ।

रिज़र्व बैंक के अर्थोपाय अग्रिम के अलावा, केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम पदान करती है, लेकिन जो रिज़र्व बैंक की तरह, मौद्रिक विस्तार का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। 2000-01 से 2006-07 (बअ) के दौरान राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम (सकल) के आंकड़े, जैसे कि राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में दिए गए हैं, विवरण 40 में दिए गए हैं। ऐसे अग्रिमों की कुल राशि 2002-03 (12 राज्य) में 3,329 करोड़ रुपए से लगातार घटकर 2005-06 (राअ) (3 राज्य) में 500 करोड़ रुपए हो गई है तथा 2006-07 (2 राज्य) में और घटकर 450 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। विशेष वर्ग के राज्यों में नागालैण्ड के लिए ऐसे अग्रिमों का बजट प्रावधान किया गया है जबकि 2006-07 के दौरान गैरविशेष वर्ग के राज्यों के बीच केरल ने ऐसे अग्रिमों के लिए बजट का प्रावधान किया है। यह संभवतः उनके बजट पर निरंतर अल्पकालिक चलनिधि दबावों की प्रत्याशा को परिलक्षित करता है।

VI.4 आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं की ओर से गारंटी और लैटर ऑफ कम्फर्ट जारी करती रही हैं जिससे सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें संसाधन जुटाने में आसानी हो सके। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि राज्य ऐसे निवेशों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान नहीं करते हैं।

राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां मार्च 2000 के अंत में 1,32,029 करोड़ रुपए (जीडीपी का 6.7 प्रतिशत) से बढ़कर मार्च 2004 के अंत में 2,14,149 करोड़ रुपए (अर्थात जीडीपी का 7.8 प्रतिशत) हो गईं (सारणी 39 और विवरण 44) । आकस्मिक देयताएं प्रत्यक्ष तौर पर राज्यों के ऋण भार का हिस्सा नहीं बनती। तथापि, उधार लेनेवाली एजेंसी के द्वारा चूक करने पर, राज्यों द्वारा ऋण चुकाने के दायित्वों को पूरा करना होगा। गारंटियों के बढ़ते स्तर के राजकोषीय निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, कई राज्यों ने एफआरएल अथवा अन्य के माध्यम से गारंटियों पर सीमाएं (वैधानिक अथवा प्रशासनिक) निर्धारित करना शुरू कर दिया है और वे, जैसाकि टीएफसी ने सिफारिश की है, निर्धारित गारंटी फीस के माध्यम से गारंटी शोधन निधि स्थापित करने की प्रक्रिया में भी हैं।

सारणी 39 : राज्य सरकार की बकाया गारंटियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि	सघउ का प्रतिशत
1	2	3
1991-92	40,158	6.1
1992-93	42,515	5.7
1993-94	48,865	5.7
1994-95	48,479	4.8
1995-96	52,631	4.4
1996-97	65,339	4.8
1997-98	73,751	4.8
1998-99	79,457	4.6
1999-00	132,029	6.7
2000-01	168,719	8.0
2001-02	165,386	7.2
2002-03 (अ)	184,294	7.5
2003-04 (अ)	219,658	8.0
2004-05 (अ)	204,426	6.5

अ : अनंतिम

स्रोत : 17 प्रमुख राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी एवं राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

VI.5 राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्यांकन

राज्य सरकारों की ऋण स्थिति का मूल्याकन न केवल उनकी बकाया देयताओं के समग्र स्तर बल्कि उन अनेक संकेतकों पर भी निर्भर है जो ऋण की वहनीयता को निर्धारित करते हैं।

VI.5.1 ब्याज भुगतान

राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतानों का अनुपात जो ऋण वहनीयता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, 1990-91 में 13.0 प्रतिशत से 2003-04 में 25.8 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर तीव्रता से घटा, लेकिन इसके पश्चात व्यापक रूप से डीएसएस (2002-03 से 2005-05 तक) के कारण कम हुआ। 2006-07 के दौरान इसके 19.1 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। जैसाकि बारहवें वित्त आयोग ने राज्य वित्तों के लिए पुनर्व्यवस्थित मार्ग बताया है, इस अनुपात को सभी राज्यों द्वारा धीरे-धीरे टीएफसी की निर्धारित अवधि के सीमांत वर्ष (2009-10) की समाप्ति तक 15 प्रतिशत तक कम किए जाने की आवश्यकता है। ब्याज भुगतानों का अधिक भार राजस्व घाटे को और परिणाम स्वरूप सकल राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। फलतः राज्य वित्त में घाटे, ऋण और ब्याज भुगतानों का दुष्चक्र शुरू हो जाता है (चार्ट 17)।

हाल के वर्षों में ऋण वृद्धि में हुई कमी इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकारों ने राजस्व घाटे और फलस्वरूप, सकल राजस्व घाटे को कम करने के प्रयास किए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण राहत ने हाल के वर्षों में ऋण के स्तर को कम करने में मदद की है। इसके अलावा, ऋण राहत के लिए टीएफसी की सिफारिशों ने इस प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है। हाल की ऋण स्वैप योजना (अर्थात केंद्र को उच्च लागत ऋण का पूर्व भुगतान) सहित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों का प्रभाव, राज्य सरकारों के बकाया ऋण के औसत ब्याज दर में 1999-2000 में 11.2 प्रतिशत के शीर्ष से 2003-04 में 10.2 प्रतिशत की, कमी के रूप में दिखा और 2006-07 में इससे 8.6 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है (सारणी 40)।

ऑस्ट्रेलिया में उप राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ऋण प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय अनुभव संक्षेप में बॉक्स 4 में दिए गए हैं।

VI.5.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का परिपक्वता स्वरूप राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक के परिपक्वता स्वरूप के संबंध में, मार्च 2006 के अंत में राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के बकाया ऋण लगभग 44 प्रतिशत 4-8 वर्ष की परिपक्वता

चार्ट 17 : घाटा, ऋण और ब्याज भार

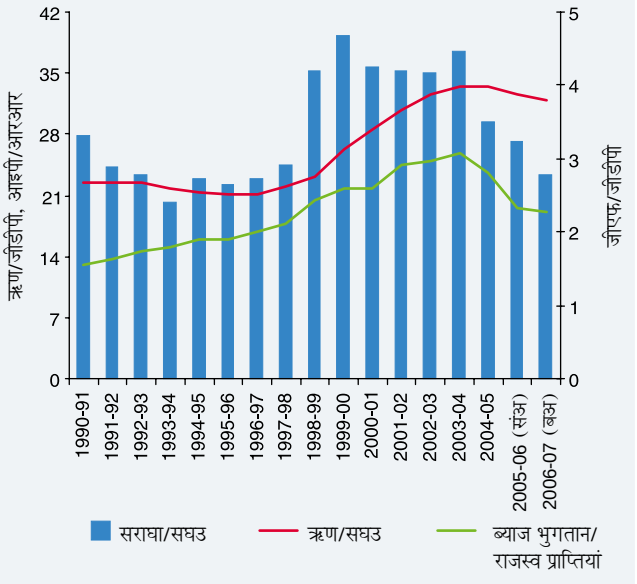

सारणी 40 : राज्य सरकार की बकाया देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

वर्ष	औसत ब्याज दर*
1	2
1991-92	8.5
1992-93	9.0
1993-94	9.4
1994-95	10.3
1995-96	10.1
1996-97	10.2
1997-98	10.5
1998-99	10.7
1999-00	11.2
2000-01	10.0
2001-02	10.4
2002-03	10.0
2003-04	10.2
2004-05	9.5
2005-06 (संअ)	8.5
2006-07 (बअ)	8.6

* : चालू वर्ष के ब्याज भुगतान को पिछले वर्ष की बकाया देयताओं द्वारा भाग देकर परिकलित

स्रोत : सारणी 29 के अनुसार।

बॉक्स 4: ऑस्ट्रेलिया में उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा ऋण प्रबंधन

ऑस्ट्रेलिया में सरकार का संघात्मक स्वरूप है और राज्य सरकारों के ऋण के प्रबंधन के लिए एक अनोखी प्रणाली का अनुगमन करती है। 1923 में आस्ट्रेलियन ऋण परिषद बनाई गई और 1929 में वित्तीय करार वैधीकरण अधिनियम के माध्यम से इसे विधायी और संवैधानिक अनुसमर्थन प्रदान किया गया। 1984 तक, राज्य राष्ट्रकुल सरकार के माध्यम से ऋण लेते थे लेकिन इसके पश्चात, राज्यों को अनुमति दी गई कि वे ऋण परिषद द्वारा निर्धारित की गई वैश्विक सीमाओं के अंतर्गत अपने वित्त स्वयं जुटाएं। परिषद प्रत्येक राज्य की वैश्विक ऋण सीमा की चर्चा करती है और ऐसी सीमाओं के अंतर्गत अनुपालन की निगरानी रखती है। निगरानी बकाया ऋण के विश्लेषण के पहले और बाद में की जाती है। इन सीमाओं को राज्यों द्वारा वित्तीय न की गई तकनीक के माध्यम से इन्हें प्रतिस्थापित करने के सफल प्रयास के आलोक में 90 के प्रारंभिक दशक में इन सीमाओं को हटा दिया गया। बजटेतर परिचालनों, नवोन्मेषी वित्तपोषण तकनीकों तथा राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों से उधार का सहारा लेने जैसी ऋण सीमाओं से बचने के प्रयास राज्य उधारों की विशेषताएं हैं। इसलिए, ऋण परिषद ने 1993 में पूर्व विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने और बाद में प्रत्येक राज्य की निवल वित्त पोषण की आवश्यकताओं की निगरानी करने का फैसला किया। इसमें राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने वित्तों से संबंधित गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने वार्षिक बजट परिचालनों के विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करें। राज्य उधारों पर बाजार अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए, परिषद इन सूचनाओं के संग्रहण और उन्हें समय पर प्रचारित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में ऋण परिषद व्यवस्था उधार सीमा पर दृढ़ रहने के बजाय, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीयन की पारदर्शिता पर जोर देती है।

राज्य उधारों पर केंद्रीय नियंत्रण कम होने से, अलग-अलग राज्यों ने अपने राजकोषीय प्रबंधन को सुदृढ़ किया है। 1980 के दशक में एक नया निकाय बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया की सरकारों की परिषद ने निम्न प्रकार अनेक उपाय किए हैं:

- राज्य बजट-पत्रों में आय, व्यय, घाटा, वित्तीय आस्तियां, ऋण और अनिधीकृत देयताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मानक फार्मेट पर सहमति।
- राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति अपनाना जिसके द्वारा राज्य सरकारें अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों को शामिल करने वाले सभी विधेयकों की समीक्षा करने पर सहमत हुई जिससे प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध व्यवहारों को समाप्त किया जा सके।
- राष्ट्रीय प्रकाशनों के दो सेटों में सभी राष्ट्रीय उद्यमों और बड़ी सरकारी एजेंसियों के निष्पादक संकेतक प्रकाशित करने में सहयोग करना।

ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन ऋण परिषद कुल सार्वजनिक ऋण और विभिन्न सरकारों के बीच उसका वितरण निर्धारित करती है लेकिन, व्यवहार में बाजार प्रणाली कार्य करती है। ऑस्ट्रेलिया के सात प्रांतीय कोषागार निगमों को, राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराना, नकदी प्रबंधन और राजकोषीय जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी मूल जिम्मेदारी में शामिल हैं :

- राज्यों की दीर्घकालिक निधीयन आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक किफायती तरीके से स्रोत उपलब्ध कराना,
- राज्य और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को वित्तीय जोखिम प्रबंधन सेवाएं और परामर्श देना, और
- राज्यों के अल्पकालिक से मध्यकालिक नकदी अधिशेषों का निवेश करना जिससे रुढ़िवादी जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत प्रतिलाभों के उद्देश्य को अधिकतम रुप से बढ़ाया जा सके।

उपर्युक्त के अलावा, कोषागार निगमों ने निम्नलिखित सेवाएं दी है :

- निरंतर आधार पर वित्तीय जोखिमों के पहचानने और प्रबंधन के लिए लागत सुधार आधार पर, पेशेवर कौशल और संसाधनों तक पहुँच सलभ कराना,
- वित्तीय संरचनाओं और लेन-देनों पर ज्ञान और विशेष पता के केंद्रीय संग्रह के रूप में कार्य करना और जोखिमों तथा लाभों के लिए भी।
- वित्तीय और वाणिज्यिक नीति तथा राज्यों और इसके निकायों से संबंधित वित्तीय और वाणिज्यिक जोखिमों के मामले में स्वतंत्र सलाह देना,
- सरकार और निजी क्षेत्र के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना,

स्रोत : ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के कोषागार निगम

सीमा के अंतर्गत था, जबकि 21 प्रतिशत 0-4 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत और 35 प्रतिशत 8 प्रतिशत की सीमा से ऊपर था (सारणी 41)।

ऋण स्वैप योजना के अंतर्गत 2002-03 से 2004-05 के दौरान उधारों की अधिक लागत के कारण 2012-13 से 2015-16 के दौरान बाजार उधारों के परिपक्वता स्वरूप में चुकौती में वृद्धि दिखी (सारणी 42) (देखें विवरण 35-36 भी)। बकाया बाजार ऋण के राज्यवार और प्रतिभूति-वार ब्यौरे विवरण 33 और 34 में दिए गए हैं।

ऐसे विषय, जिसका राज्य सरकारों की चलनिधि प्रबंध पर प्रभाव पड़ता है, उनके नकदी अधिशेष से संबंधित है राज्य सरकारों के पास नकदी अधिशेष के अत्यधिक होने की स्थिति हाल के वर्षों में 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में उनके निवेश में हुई तेज वृद्धि में परिलक्षित हुई। 2005-06 के दौरान, 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में निवेश का औसत पिछले वर्ष (10,561 करोड़ रुपए) से तीन गुने (35,028 करोड़ रुपए) से अधिक था। मार्च 2005 के अंत में बकाया निवेश 14,314 करोड़ (16 राज्यों द्वारा) से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में (विवरण 41) 38,983 करोड़ रुपए (24 राज्यों द्वारा) और फिर 39,610 करोड़ रुपए (16 नवंबर 2006 को 25 राज्य) हो गए। 2006-07 के दौरान (31 अक्तूबर 2006 तक) 14 दिवसीय खज़ाना बिलों में राज्यों का साप्ताहिक औसत निवेश 41,219 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी

सारणी 41 : बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता का स्वरुप

(मार्च 2006 के अंत में)

राज्य	कुल बकाया राशि का प्रतिशत		
	0 - 4 वर्ष	4 – 8 वर्ष	8 वर्ष से अधिक
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	25.4	47.6	27.0
2. अरुणाचल प्रदेश	10.8	35.6	53.5
3. असम	22.8	40.9	36.2
4. बिहार	22.5	44.3	33.3
5. छत्तीसगढ़	24.3	43.2	32.5
6. गोवा	22.2	43.9	33.8
7. गुजरात	18.2	53.6	28.2
8. हरियाणा	19.6	43.5	36.9
9. हिमाचल प्रदेश	12.7	47.8	39.5
10. जम्मू और कश्मीर	15.3	53.6	31.1
11. झारखंड	23.2	46.3	30.6
12. कर्नाटक	21.6	45.7	32.7
13. केरल	22.8	41.2	36.0
14. मध्य प्रदेश	21.8	39.4	38.7
15. महाराष्ट्र	15.7	42.0	42.3
16. मणिपुर	17.2	27.6	55.2
17. मेघालय	24.1	32.6	43.2
18. मिजोरम	16.6	37.8	45.6
19. नागालैंड	23.2	40.3	36.4
20. उड़ीसा	27.4	42.4	30.2
21. पंजाब	18.5	43.1	38.4
22. राजस्थान	24.9	45.0	30.1
23. सिक्किम	33.1	20.1	46.8
24. तमिलनाडु	19.6	47.1	33.3
25. त्रिपुरा	20.9	31.9	47.1
26. उत्तर प्रदेश	27.4	39.0	33.6
27. उत्तरांचल	10.5	52.1	37.5
28. पश्चिम बंगाल	15.8	43.2	41.0
सभी राज्य (1 से 28)	**21.4**	**44.0**	**34.6**

स्रोत : सारणी 31 के अनुसार ।

अवधि के 30,081 करोड़ रुपए की तुलना में काफी अधिक था (चार्ट 18)।

ऐसा दूसरा विषय, जिसका राज्य सरकारों के चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है, उनके ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष से संबंधित है। एक बड़ी संख्या में राज्य सरकारों (9 विशेष वर्ग और 12 गैर-विशेष वर्ग के) ने 2006-07 के बजट अनुमानों में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष की स्थिति दिखाई, जिसमें (-) 4 करोड़ (पश्चिम बंगाल) (-) 1,659 करोड़ (जम्मू और कश्मीर) का अंतर था। इनमें से अनेक राज्यों में विगत में ऋणात्मक प्रारंभिक नकदी शेष दिखा।

सारणी 42 : बकाया राज्य ऋण एवं पावर बांड की परिपक्वता का स्वरुप

(मार्च 2006 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राज्य ऋण	पावर बांड	कुल
1	2	3	4
2006-07	6,551	1,579	8,130
2007-08	11,555	3,158	14,713
2008-09	14,400	3,158	17,558
2009-10	16,511	3,158	19,669
2010-11	15,870	3,158	19,028
2011-12	22,032	3,158	25,190
2012-13	30,628	3,158	33,786
2013-14	32,078	3,158	35,236
2014-15	33,384	3,158	36,542
2015-16	35,191	3,158	38,349
2016-17	10,698	1,579	12,277
जोड़	**228,898**	**31,581**	**260,479**

स्रोत : रिज़र्व बैंक अभिलेख के अनुसार ।

प्रारंभिक नकदी की कमी प्रत्याशित चलनिधि की समस्या की ओर संकेत करती हैं, जो उस सीमा तक बढ़ सकती हैं जिस सीमा तक वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियां कुल व्ययों (अर्थात, पारंपरिक बजट घाटा) से कम पड़ती हैं, जब तक कि इन्हें अतिरिक्त संसाधन जुटाकर पूरा नहीं किया जाता। इससे नकदी/निवेश शेषों के आहरण अथवा रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय/ओडी का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ेगी।

चार्ट 18 : राज्य सरकारों द्वारा 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में निवेश (साप्ताहिक औसत)

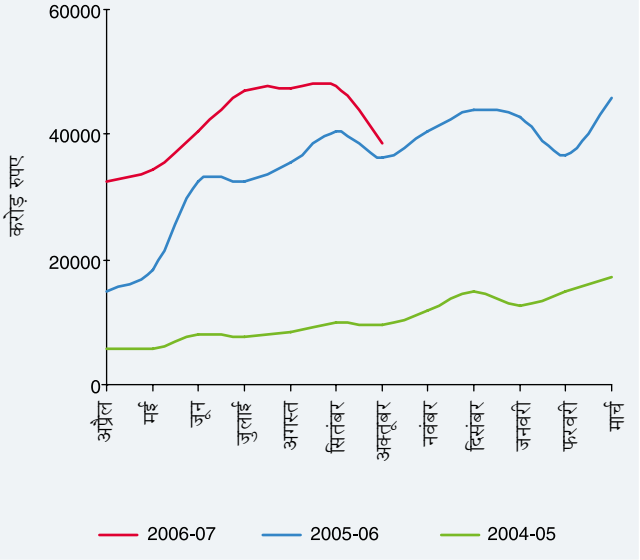

VI.5.3 राज्य सरकारों के ऋण और टीएफसी - समेकन और छूट

द्वितीय वित्तीय आयोग प्रथम या जिसने राज्य ऋण के मुद्दे को संबोधित किया जबकि छठे आयोग से आगे राज्य ऋण विचाराधीन विषय रहा है। राज्यों की ऋण स्थिति के आकलन के लिए, टीएफसी ने ऐसे दो संकेतकों अर्थात, आईपी-आरआर और ऋण-जीडीपी अनुपात के लिए लक्ष्यों की सिफारिश की है। 2009-10 तक प्राप्त किया जाने वाला आईपी-आरआर के लिए लक्ष्य 15.0 प्रतिशत और ऋण-जीडीपी का 30.8 प्रतिशत है। टीएफसी ने राज्य सरकारों के लिए एक ऋण राहत पैकेज भी प्रस्तुत किया है जिसके दो घटक है अर्थात, (i)ऋण राहत की एक सामान्य योजना जो सभी राज्यों पर लागू होगी, (ii)राज्यकोषीय निष्पादन से संबंधित बट्टाखाता में डालने वाली योजना जिससे 2008-09 तक राजस्व शेषों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जा सके। एनएसएसएसफ से राज्यों को दिए गए उधार ऋण राहत की सीमा से बाहर रखे गए हैं क्योंकि निधि को सार्वजनिक खाते में रखा जाता है। ऋण राहत की सामान्य योजना के अंतर्गत, राज्यों को दिए गए सभी केंद्रीय ऋण 31 मार्च 2004 तक घट गए और बकाया को 31 मार्च 2005 (1,28,795 करोड़ रुपए की राशि) तक समेकित किया जाएगा तथा ब्याज दर 7.5 प्रतिशत रखी जाएगी जिसकी सीमा अवधि 20 वर्ष होगी। यह राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व विधायन बनाने के अधीन होना। कार्यावधि के दौरान सभी राज्यों के लिए ऋण राहत ब्याज भुगतानों में 21,276 करोड़ रुपए और चुकौती में 11,929 करोड़ रुपए होगी (सारणी 43)।

सारणी 43 : केंद्र से लिए गए ऋण की बकाया राशि, चुकौती एवं ऋण राहत

(करोड़ रुपए)

राज्य	बकाया शेष 31.03.2004 को	कुल देय भुगतान 2005 से 2010 तक	ऋण राहत (2005-2010)	
			चुकौती भुगतान	ब्याज
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	18,545.00	4,573.93	739.64	2,683.74
2. अरुणाचल प्रदेश	409.40	117.37	19.98	71.73
3. असम	2,939.83	1,032.57	507.62	153.87
4. बिहार	10,181.29	2,546.47	620.45	1,268.27
5. छत्तीसगढ़	2,748.11	716.35	146.03	393.77
6. गोवा	585.56	171.19	39.06	94.66
7. गुजरात	14,037.04	3,465.13	849.15	1,840.02
8. हरियाणा	3,627.74	839.73	258.30	387.67
9. हिमाचल प्रदेश	1,777.37	275.94	69.88	134.79
10. जम्मू और कश्मीर	2,697.73	635.22	161.38	264.02
11. झारखंड	3,052.48	864.43	204.94	454.49
12. कर्नाटक	10,555.40	2,510.86	431.32	1,529.43
13. केरल	5,517.28	1,442.19	379.14	715.03
14. मध्य प्रदेश	8,977.66	2,491.76	616.66	1,310.98
15. महाराष्ट्र	16,166.55	3,086.34	1,133.12	1,217.39
16. मणिपुर	777.11	480.68	292.14	27.26
17. मेघालय	356.65	95.08	14.82	56.49
18. मिजोरम	290.56	75.16	7.31	50.54
19. नागालैंड	341.33	101.50	21.35	56.06
20. उड़ीसा	8,965.24	2,624.14	872.85	1,008.43
21. पंजाब	5,396.83	1,114.90	351.48	523.18
22. राजस्थान	9,605.40	2,446.16	737.77	962.25
23. सिक्किम	208.45	58.76	10.69	33.96
24. तमिलनाडु	9,180.55	2,406.84	688.67	1,195.47
25. त्रिपुरा	555.96	142.29	24.77	123.97
26. उत्तर प्रदेश	27,407.35	6,138.16	1,553.04	3,132.68
27. उत्तरांचल	308.17	61.89	-10.13	37.70
28. पश्चिम बंगाल	19,056.02	3,612.55	1,187.48	1,547.81
जोड़ (1 से 28)	**184,268.06**	**44,127.60**	**11,928.91**	**21,275.65**

स्रोत : बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट।

ऋण बट्टे खाते में डालने की योजना के अंतर्गत, 31 मार्च 2004 तक संविदा आधार पर केंद्र से लिए गए ऋणों पर 2005-06 से 2009-10 तक देय चुकौती जिसे उपर्युक्तानुसार समेकित और पुनर्निधारित किए जाने की सिफारिश की गई है, बट्टा खाता में डालने के लिए पात्र होगी; यह संपूर्ण राशि से संबद्ध चुकौती के बट्टे खाते में डालने की राशि के अधीन होगा, जिसके कारण कार्य-अवधि के दौरान प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष में राजस्व घाटा कम होता जाएगा और राज्य का राजकोषीय घाटा 2004-05 के स्तर पर सीमित किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत भी ऋण राहत का लाभ उठाने के लिए एफआरएल कानून बनाना एक अपरिहार्य आवश्यकता होगी जिसके लाभ भविष्य में उपचित होंगे।

टीएफसी की सिफारिशां के आधार पर 2005-06 के दौरान 19 राज्य सरकारों को दी जाने वाली राहत 5,787 करोड़ रुपए होगी जिसमें ब्याज का हिस्सा 4,459 करोड़ रुपए होगा और शेष मूल धन के लिए राहत होगी[11]। यह कहना होगा कि जुलाई 2006 के अंत तक 9 राज्यों को दी गई ऋण छूट 3,245 करोड़ रुपए थी। (विवरण 47-48)।

VII. सामाजिक क्षेत्र के व्यय[12]

VII.1 सामाजिक क्षेत्र के व्यय का महत्व

सरकारी सामाजिक क्षेत्र के व्ययों के द्वारा आर्थिक वृद्धि के मानवीय विकास में लगाने की महत्वपूर्ण भूमिका इसकी पाठ्यसामग्री में भलीभांति दी गई है (बॉक्स-5)।

बॉक्स 5 : सरकारी सामाजिक क्षेत्र व्यय, आर्थिक वृद्धि और मानवीय विकास सिद्धांत और प्रमाण

आर्थिक वृद्धि और मानवीय विकास के बीच संबंधों का सैद्धांतिक, आधार दस्तावेजों से भली प्रकार समर्थित है (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएडीपी), 1990, आनंद और रैवेलियन, 1993 घोष, 2006)। आर्थिक वृद्धि का तीन विभिन्न चैनलों के माध्यम से मानवीय विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है (i) प्रति व्यक्ति आय के सामान्य स्तर में वृद्धि के द्वारा (ii) निर्धनता घटाकर (iii) शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक सार्वजनिक व्यय के द्वारा। ऐसी आशा है कि प्रति व्यक्ति आय के सामान्य स्तर में वृद्धि से शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की मांग के बढ़ने की संभावना है और इससे देश के मानवीय विकास में सुधार लाया जा सकता है। दूसरे, निर्धनता निवारण से जुड़ी आर्थिक वृद्धि गरीबों की एक बड़ी संख्या को वृद्धि के फल चखा सकती है और इस प्रकार मानवीय विकास के संकेतकों पर अच्छा प्रभाव ड़ाल सकती है। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का यह अधिक गरीब तबका है जो मानवीय विकास के तत्वों से अधिक वंचित है। तीसरा माध्यम, जिसके द्वारा वृद्धि मानवीय विकास में सुधार ला सकती है, सामाजिक क्षेत्र पर बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय के द्वारा है। अर्थव्यवस्था के राजस्व आधार को बढ़ाने से आर्थिक वृद्धि राज्यों को सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक व्यय करने में समर्थ बनाएगी। स्पष्ट रूप से यह राजस्व संग्रह की अधिकता, जिससे राज्य बजट की कठिनाइयां कम हुई और सामाजिक क्षेत्र के लिए आनुपातिक रूप से आबंटित करने के लिए राजनैतिक इच्छा दोनों पर निर्भर होगी। इस प्रकार, यदि आर्थिक वृद्धि का मानव विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इससे ऐसी समुचित नीतियां अपनाने की आवश्यकता होगी जो आय असमानताओं और उच्च सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को कम करने की ओर लक्षित होंगी और इसके विपरीत, यदि लंबे समय तक आर्थिक वृद्धि को वहनीय बनाए रखना है तो इसे बेहतर मानवीय पूंजी के द्वारा समर्थन देना होगा (यूनएडीपी, 1990)।

किसी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक वृद्धि सभी तीन माध्यमों से मानव विकास को प्रभावित कर सकती है। तथापि, ऐसे भी अध्ययन हुए हैं जिसने सार्वजनिक व्यय माध्यमों की महत्ता को दुहराया है, यह मानव विकास को सुधारने में आर्थिक वृद्धि के ट्रिकलिंग डाउन माध्यम के अतिरिक्त है। जीवन आयु को बढ़ाने में वृद्धि माध्यम और सार्वजनिक व्यय माध्यम से सापेक्षिक महत्व पर विचार करते हुए एक देश व्यापी अध्ययन से पता चला है कि स्वास्थ्य की देखभाल में सार्वजनिक व्यय का जीवन-आयु बढ़ाने में दो-तिहाई योगदान था और निर्धनता में कमी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि का केवल एक-तिहाई योगदान था (आनंद और रेवेलियन, 1993)। तथापि, साक्षरता के मामले में, अध्ययन को शिक्षा पर सार्वजनकि व्यय के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी, श्रीलंका जैसे देश हैं जिन्होंने विकासशील देश होने के बावजूद सापेक्षिक तौर पर अधिक मानवीय विकास किया है। श्रीलंका में, सामाजिक क्षेत्र पर अधिक सार्वजनिक व्यय के द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों को इस पुस्तक में व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है (ड्रेज एंड सेन, 1989)। भारत में एक अंतरराज्यीय अध्ययन भी बहलाता है कि जबकि राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय में विषमता बढ़ रही है, सामाजिक विकास में विषमता कम हो रही है, जो मानवीय विकास को प्राप्त करने में सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्र के व्यय की महत्ता की ओर संकेत करता है (घोष, 2006)।

संदर्भ :

1. आनंद, एस एंड रेवेलियन, एम (1993), ह्यूमन डेवलपमेंट इन पुअर कंट्रीज : ऑन द रोल ऑफ प्राइवेट इनकम एंड पब्लिक सर्विसेज, जर्नल ऑफ इकनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, वाल्यूम 7 संख्या 1।
2. ड्रेज, जे एंड सेन, ए.के.)1989), 'हंगर एंड पब्लिक एक्शन' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।
3. घोष, एम (2006), 'इकनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलमपेंट इन इंडियन स्टेट्स' इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वाल्यूम 40 सं.30।
4. यूएनडीपी)1990), मानव विकास रिपोर्ट ।

[11] वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार।

[12] सामाजिक क्षेत्र के व्ययों में सामाजिक सेवा, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह तथा राजस्व व्यय के अंतर्गत भंडारण, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम के व्यय शामिल हैं।

VII.2 सामाजिक क्षेत्र के व्यय - कुल स्थिति

भारत में सामाजिक क्षेत्र के व्ययों की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। राज्यों के सामाजिक क्षेत्र के व्यय का औसत 1990 के दशक के दौरान जीडीपी का 5.8 प्रतिशत था, लेकिन वर्तमान दशक में इसमें थोड़ी-सी कमी आई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 1990 के दशक में राज्यों के कुल व्यय का औसत 15.6 प्रतिशत था और इसके पश्चात इसमें वृद्धि हुई। कुल व्यय की तुलना में एसएसई के अनुपात के रूप में परिभाषित सामाजिक क्षेत्र को राजकोषीय प्राथमिकता 1990 के दशक में औसतन लगभग 37 प्रतिशत रही है। इस अनुपात में 1998-99 से गिरने की प्रवृत्ति दिखी है जो 2004-05 में 29.7 प्रतिशत पहुंच गई है (सारणी 44 और चार्ट 19)। तथापि, सामाजिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय 1990-91 से 2000-01 की अवधि के दौरान लगभग तीन गुनी अर्थात 420 रुपए से 1,244 रुपए बढ़ी। किसी अर्थव्यवस्था मे एसएसई के अनुकूलतम आकार से संबंधित विषय में बहुत कम सहमति है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, मानवीय विकास के स्तर, जनसंख्या और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के चरण पर निर्भर होगा। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने अपनी मानव विकास (रिपोर्ट 1991) में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित न्यूनतम लक्ष्य व्यय अनुपात (जीडीपी की तुलना में कुलव्यय का न्यूनतम लक्ष्य 0.25 प्रतिशत है, कुल व्यय की तुलना में एसएसई 0.4 प्रतिशत है, एसएसई की तुलना में मूल सामाजिक सेवाओं[13] पर व्यय 0.05 है और जीडीपी की तुलना में मूल सामाजिक सेवाओं पर व्यय 0.05 है) दिए हैं जिससे आशा है कि अर्थव्यवस्था में मानवीय विकास के पहलू को फायदा पहुंचेगा। ऐसे लक्ष्यों की सबलता के बावजूद, इन लक्ष्यों की तुलना दर्शाती है कि भारत में एसएसई का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है।

चार्ट 19 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां (साक्षेव्य)

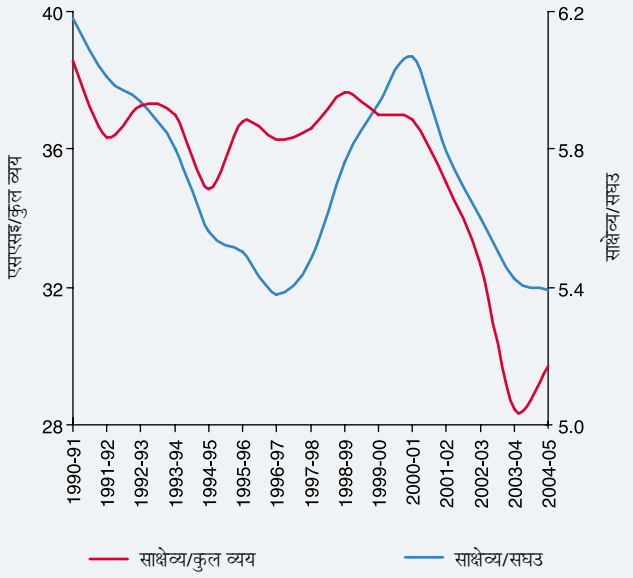

VII.3 सामाजिक क्षेत्र के व्यय : संघटन

1990-2005 के दौरान एसएसई की संघटना के अनुसार, राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम क्रमशः 92 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत थे (सारणी 45 और परिशिष्ट सारणी 22.23)। इससे पता चलता है कि कुल एसएसई का केवल 8 प्रतिशत देश के सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश (अर्थात पूंजी व्यय जिसमें पूंजी परिव्यय और ऋण तथा अग्रिम शामिल है) के लिए उपलब्ध है । उपर्युक्त अवधि के दौरान, पूंजी

सारणी 44 : राज्य सरकार के कुल सामाजिक क्षेत्र के व्यय की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत)

मदें	1990-95 (औ.)	1996-00 (औ.)	2001-05 (औ.)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)
1	2	3	4	5	6
कुल व्यय/सघउ	16.0	15.2	17.5	17.2	16.9
साक्षेव्य/सघउ	5.9	5.6	5.7	6.0	5.9
साक्षेव्य/कुल व्यय	36.8	36.9	32.5	34.9	34.9
पीसीएसएसइ (रुपए)	420	-	1,244	-	-

औ : औसत साक्षेव्य : सामाजिक क्षेत्र के व्यय पीसीएसएसइ : प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय '-' : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : पीसीएसएसइ दो समय बिंदु अर्थात् 1990-91 तथा 2000-01 से संबंधित है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज एवं जनगणना रिपोर्ट, भारत सरकार।

[13] संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अध्ययन के अनुसार, मूल सामाजिक सेवाओं से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सेवा, कम लागत जल तथा स्वच्छता और पोषण कार्यक्रम से है।

व्यय के अंतर्गत एसएसई को ऋण और अग्रिम (राज्य सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष एसएसई) तथा पूंजी परिव्यय क्रमशः 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत थे। इस प्रकार, सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों के प्रत्यक्ष व्यय (अर्थात पूंजी परिव्यय) राज्य सरकारों के एसएसई के एक छोटा अनुपात थे अर्थात 1990 के दशक के दौरान 4 प्रतिशत लेकिन 2000-01 से 2004-05 के दौरान इसमें लगभग 8 प्रतिशत का सुधार हुआ। पूंजी परिव्यय का कम समानुपात और रिहायशी स्थानों के आसपास सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की अपर्याप्त उपलब्धता भी भारत के कई राज्यों में बड़ी चिंता का कारण रही है इसलिए सामाजिक क्षेत्र में, खास तौर से पूंजी परिव्यय में, संसाधनों का अधिक से अधिक आबंटन आवश्यक है।

VII.4. सामाजिक क्षेत्र के व्यय - सामाजिक सेवाएं

बजट शीर्षों के आधार पर, सामाजिक क्षेत्र के व्यय के घटक हैं : सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह तथा भंडारण पर व्यय जबकि सामाजिक सेवाओं के 12 उप शीर्ष हैं। एसएसई के इन तीन घटकों में सामाजिक सुरक्षा पर व्यय बड़ा घटक है इसके पश्चात ग्रामीण विकास और खाद्य संग्रह तथा भंडारण आता है (सारणी 45)।

सामाजिक सेवाओं के घटकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा पर व्यय बड़ा घटक रहा है इसके पश्चात सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा पर व्यय शामिल है जो लगभग 1990-2005 की अवधि के दौरान लगभग 52 प्रतिशत है (सारणी 46 और चार्ट 20) जिसमें राजस्व व्यय 58 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय जो गिर रहा था, औसतन, सामाजिक सेवाओं पर व्यय का 13.5 प्रतिशत था, जिसमें 94 प्रतिशत राजस्व व्यय था। इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं पर अन्य महत्वपूर्ण व्यय जलापूर्ति और स्वच्छता (7.4 प्रतिशत) तथा अजा, अजजा और अन्य पिछड़ा वर्गों के (6.4 प्रतिशत) के कल्याण से संबंधित थे। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व व्यय का अत्यधिक अनुपात सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के बताने के लिए उपलब्ध स्रोतों को सीमित करता है। यह कहा जा सकता है कि राजस्व व्यय में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूंजीगत आस्तियों के परिचालन और रखरखाव के व्यय भी शामिल हैं।

सारणी 45 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां

(एसएसइ का प्रतिशत)

मदें	राजस्व व्यय	पूंजी परिव्यय	ऋण तथा अग्रिम	जोड़ (2+3+4)
1	2	3	4	5
1990-91 से 1994-95 (औ.)				
सामाजिक सेवाएं	78.9	3.9	2.5	**85.2**
ग्रामिण विकास	13.5	0.4	0.0	**13.9**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.7	0.2	0.0	**0.9**
जोड़	**93.2**	**4.4**	**2.5**	**100.0**
1995-96 से 1999-00 (औ.)				
सामाजिक सेवाएं	82.1	4.0	2.3	**88.4**
ग्रामिण विकास	10.0	0.4	0.0	**10.4**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1.0	0.1	0.1	**1.3**
जोड़	**93.1**	**4.5**	**2.4**	**100.0**
2000-01 से 2004-05 (औ.)				
सामाजिक सेवाएं	80.6	5.6	2.4	**88.6**
ग्रामिण विकास	8.5	1.5	0.0	**10.0**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.5	0.1	**1.4**
जोड़	**89.8**	**7.7**	**2.5**	**100.0**
2005-06 (संअ)				
सामाजिक सेवाएं	77.3	7.8	2.2	**87.4**
ग्रामिण विकास	9.4	2.2	0.0	**11.6**
खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.8	0.1	0.2	**1.0**
जोड़	**87.5**	**10.1**	**2.4**	**100.0**

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

सारणी 46 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय (राजस्व एवं पूंजी लेखे)

(सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत)

मदें	1990-95 (औ.)	1996-00 (औ.)	2001-05 (औ.)	2005-06 (संअ)	2006-07 (बअ)
1	2	3	4	5	6
सामाजिक क्षेत्र पर व्यय (क से ठ)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**
(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	52.2	52.1	51.1	46.9	46.7
(ख) चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	16.0	12.7	11.9	11.9	12.4
(ग) परिवार कल्याण	0.0	2.4	2.0	1.8	1.8
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	7.2	7.4	7.6	7.8	7.4
(ङ) आवास	2.9	2.9	2.8	2.5	3.0
(च) शहरी विकास	2.3	2.9	4.0	4.9	6.4
(छ) अनुजा, अनुजजा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.5	6.3	6.3	7.3	6.8
(ज) श्रम एवं श्रम कल्याण	1.4	1.3	1.0	1.0	1.0
(झ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.5	4.2	5.0	5.9	6.6
(ञ) पोषण	1.7	2.8	2.1	2.3	2.5
(ट) प्राकृतिक आपदा राहत	2.6	2.8	3.7	4.8	2.2
(ठ) अन्य	2.6	2.2	2.5	2.9	3.1

औ : औसत संअ : संशोधित अनुमान बअ : बजट अनुमान

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

VII.5 राज्यवार स्थिति

VII.5.1 गैर-विशेष श्रेणी के राज्य

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्र के लिए निश्चित की गई राज्यों की आय (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का अनुपात अलग-अलग रहा (सारणी-47 और चार्ट-21)। वर्ष 2002-05 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि इसने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 12.0 प्रतिशत औसत खर्च किया। उसी अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ने सामाजिक क्षेत्रों पर क्रमशः 4.6 प्रतिशत, 4.8 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत खर्च किया। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों

चार्ट 20 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय के प्रमुख घटक (राजस्व एवं पूजी)

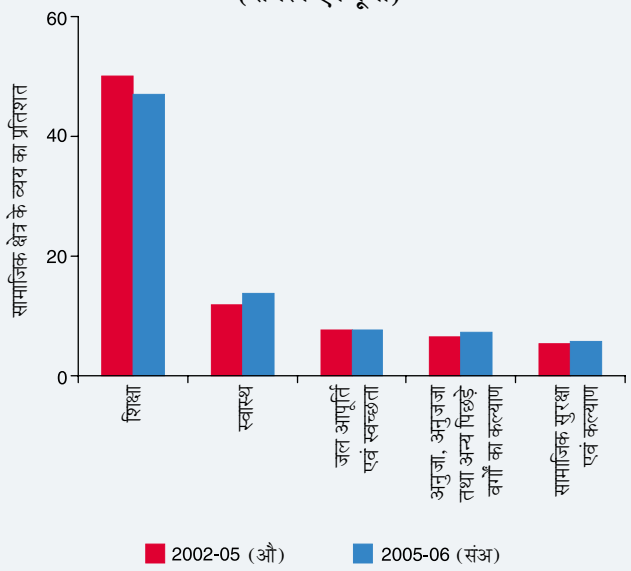

सारणी 47 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
5 से कम	हरियाणा, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पश्चिम बंगाल	पंजाब
5 – 6	महाराष्ट्र, गुजरात	गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
6 – 7	कर्नाटक, **तमिलनाडु,** उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र
7 – 8	गोवा, केरल, **मध्य प्रदेश**	**आंध्र प्रदेश,** कर्नाटक, तमिलनाडु
8 से अधिक	बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़	बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, **मध्य प्रदेश,** उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

चार्ट 21 : साक्षेव्य से सराघउ-गैर विशेष श्रेणी के राज्य

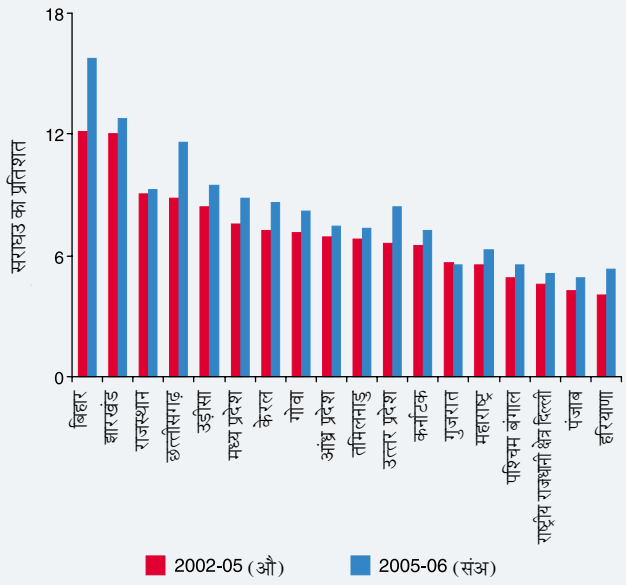

ने, 1990 के दशक के अंतिम भाग की तुलना में 2000-01 से लेकर 2004-05 के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए अपनी आय का अपेक्षाकृत और अधिक भाग विनियोजित करना जारी रखा। इस अवधि में अन्य राज्यों के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले खर्च में या तो कमी आई या इस खर्च का स्तर प्रायः पूर्ववत बना रहा। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान ने इस अवधि में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अपेक्षाकृत अधिक भाग विनियोजित किया (विवरण-49 भी देखें)।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता (अर्थात् कुल खर्च की तुलना में सामाजिक क्षेत्र पर हुए खर्च का अनुपात) का अनुपात 1990-95 की अवधि में लगभग 37.0 प्रतिशत था जो 2000-05 की अवधि में घटकर 33.0 प्रतिशत रह गया। गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में 1990 के दशक की तुलना में 2000-05 की अवधि में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में गिरावट आयी परंतु हरियाणा के मामले में इसमें मामूली वृद्धि हुई (विवरण-49 और 50)।

राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में भारी अंतर बना रहा तथा समग्र दृष्टि से कमी का रुख दिखाई दिया। 2000-01 से 2004-05 की अवधि में पंजाब ने अपने कुल व्यय का केवल 21.0 प्रतिशत भाग सामाजिक क्षेत्रों के लिए खर्च

सारणी 48 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	2002-05 (औ.)	2005-06 (संअ)
1	2	3
30 से कम	गोवा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा	पंजाब, पश्चिम बंगाल
30 – 35	आंध्र प्रदेश, **मध्य प्रदेश,** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र	**मध्य प्रदेश,** गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, **मध्य प्रदेश,** उड़ीसा, उत्तर प्रदेश
35 – 40	राजस्थान, छत्तीसगढ़	बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
40 से अधिक	झारखंड	छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, राजस्थान

टिप्पणी : सुस्पष्ट अक्षर माध्य राज्य दर्शाते हैं ।

किया परंतु झारखंड ने इसके लिए 46.0 प्रतिशत खर्च किया। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में परंपरागत रूप से सामाजिक क्षेत्र के लिए उच्च राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की गई है जबकि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने राजकोषीय प्राथमिकता को कम महत्व दिया (सारणी 48

चार्ट 22 : साक्षेव्य से सकल व्यय-गैर विशेष श्रेणी के राज्य

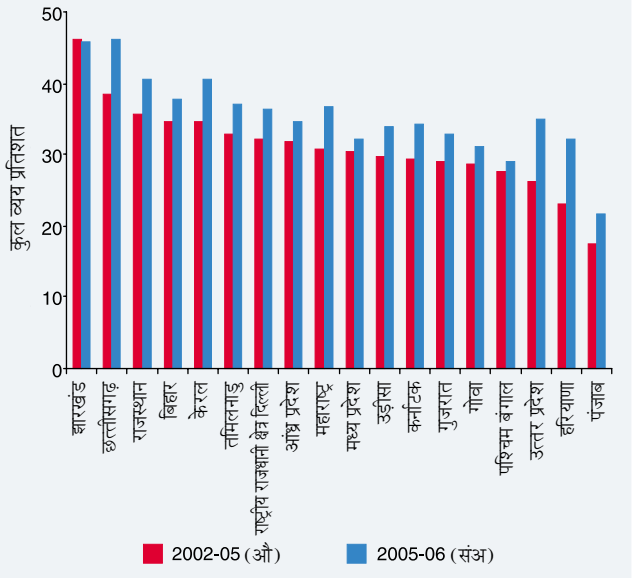

तथा चार्ट-22)। इसके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे राज्यों के मामले में सामाजिक क्षेत्रों के लिए उनकी राजकोषीय प्राथमिकता में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आयी लेकिन गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 1990-2005 की अवधि में सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में अपेक्षाकृत कम कमी आई ।

गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों में प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च में भी अंतर रहा। वर्ष 2000-01 में (जिसके बारे में अंतिमतम आंकड़े उपलब्ध हैं), गोवा का प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च 3846 रुपए था जबकि उत्तर प्रदेश के मामले में यह खर्च 730 रुपए था (छत्तीसगढ़ में यह खर्च 464 रुपए था लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद वर्ष 2000-01 में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था इसलिए ये आंकड़े सही स्थिति नहीं भी दर्शा सकते हैं) । गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों का प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च 1990-91 से 2000-01 की अवधि में 20.3 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गोवा के मामले में 1990-91 से 2000-01 के दौरान यह राशि बढ़कर दो गुने से ज्यादा हो गयी। बिहार,उड़ीसा,मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, केरल और गुजरात के प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र खर्च में तीन गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई जबकि गुजरात के मामले में उसी अवधि में यह वृद्धि चार गुनी थी।

गैर-विशेष श्रेणी के अधिकांश राज्यों (18 में से 17) में, 1990-91 से 2004-05 के अवधि के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च सामाजिक सेवाओं के लिए किये गये कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा था। लेकिन 2000-01 से 2004-05 की अवधि में सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा और स्वास्थ्य पर किये गये खर्च में भारी अंतर दिखाई दिया। बिहार के मामले में यह अधिकतम 77.0 प्रतिशत तथा गुजरात के मामले में 52.0 प्रतिशत था (छत्तीसगढ़ के मामले में यह 47.0 प्रतिशत था)। बिहार में केवल शिक्षा पर किया गया खर्च सामाजिक सेवाओं पर किये गये कुल खर्च के 65.0 प्रतिशत से अधिक है जबकि वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का यह खर्च केवल 38.0 प्रतिशत ही रहा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार के मामले में 1990-91 से 2004-05 की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर किये गये कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर किया गया खर्च बढ़ता रहा, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इस खर्च में गिरावट आती रही।

सामाजिक सेवा के कुल व्यय से स्वास्थ्य पर हुए व्यय के अनुपात के संदर्भ में 11 राज्यों[14] ने 1990-91 2004-05 की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान उक्त अनुपात में भारी अंतर था और यह एनसीटी दिल्ली में 19 प्रतिशत और गुंजरात में 9 प्रतिशत था। सामान्य रूप से, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे मानव विकास के कम स्तर वाले राज्यों ने भी सामाजिक सेवा के कुल व्यय से स्वास्थ्य पर व्यय के अनुपात के संदर्भ में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई।

VII.5.2 विशेष श्रेणी वाले राज्य

विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी वाले अधिकांश राज्यों ने सामाजिक क्षेत्रों पर उनकी जीएसडीपी का उच्च अनुपात व्यय किया। 2000-05 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों पर सिक्कीम ने जीएसडीपी का लगभग 29 प्रतिशत व्यय किया, जबकि असम ने 10 प्रतिशत व्यय किया (सारणी 49, विवरण 49-50 और चार्ट 23)। उच्च अनुपात के बावजूद, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने 1990-05 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय जीएसडीपी अनुपात के बाबत गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई।

सारणी 49 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (संअ)
1	2	3
10 से कम	असम	-
10 - 15	हिमाचल प्रदेश, **जम्मू और कश्मीर,** मेघालय, नागालैंड, उत्तरांचल, त्रिपुरा	असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नागालैंड
15 - 20	मणिपुर	जम्मू और कश्मीर, **मेघालय,** त्रिपुरा
20 से अधिक	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

[14] बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

चार्ट 23 : साक्षेव्य से सराघउ-विशेष श्रेणी के राज्य

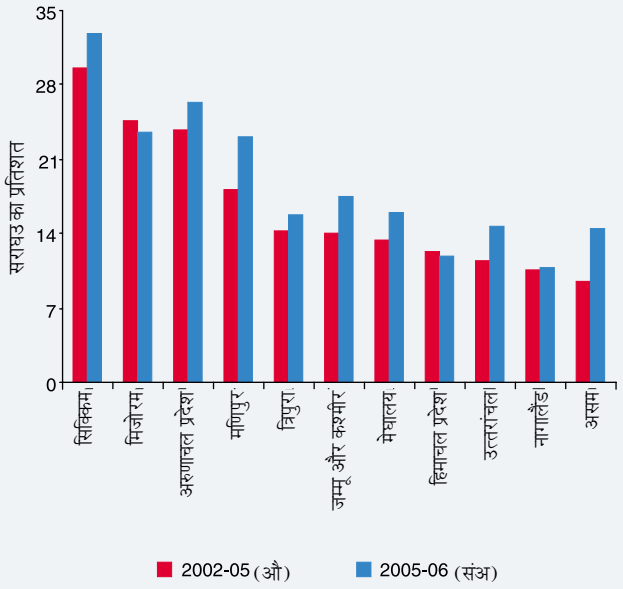

चार्ट 24 : साक्षेव्य से सराघउ-विशेष श्रेणी के राज्य

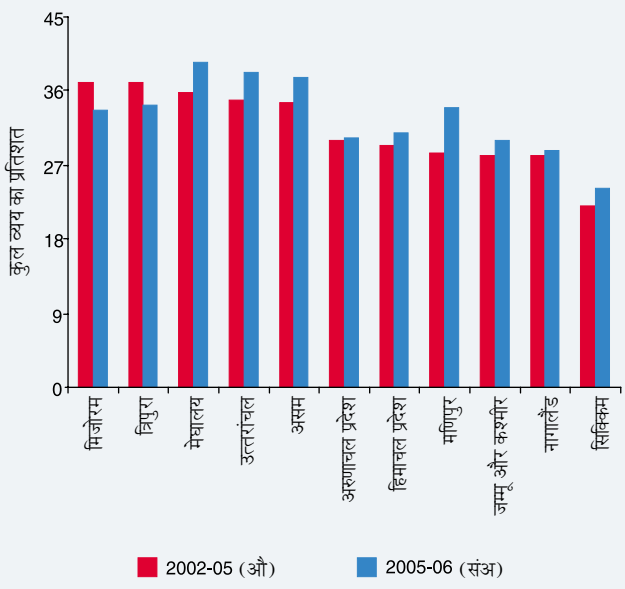

जम्मू और कश्मीर के सिवाय विशेष श्रेणी के अन्य राज्यों में 1990-05 की अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्रों के लिए राजकोषीय प्राथमिकता में गिरावट नहीं देखी गई। अधिकांश राज्यों में सामाजिक क्षेत्रों के प्रति राजकोषीय प्राथमिकता में दो हजार के दशक के अंतिम समय में वृद्धि हुई, हालांकि बाद में उसमें गिरावट देखी गई। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान, विशेष श्रेणी के राज्यों की राजकोषीय प्राथमिकता का दायरा 39 प्रतिशत (मिजोरम) से 22 प्रतिशत (सिक्किम) तक था (सारणी 50, विवरण 49-50 और चार्ट 24)।

सारणी 50 : गैर विशेष श्रेणी के राज्यों को बारंबारता बंटन-सामाजिक क्षेत्र के व्यय/सराघउ

दायरा (प्रतिशत)	**2002-05** (औ.)	**2005-06** (संअ)
1	2	3
25 से कम	सिक्किम	सिक्किम
25 – 30	जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर, नागालैंड
30 – 35	**अरुणाचल प्रदेश,** असम	अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, **मिजोरम,** त्रिपुरा
35 से अधिक	मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरांचल	असम, मेघालय, उत्तरांचल

टिप्पणी : सारणी 19 की टिप्पणियां देखें।

विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच, पी सी एस एस इ 5,688 रुपए (मिजोरम) से 1,154 रुपए (असम) तक था (उत्तरांचल में यह 418 रुपए के कम स्तर पर था किंतु 2000-01 उसका पहला बजट होने से स्थिति शायद सही प्रतिबिंबित न हो)। विशेष श्रेणी के राज्यों के पी सी एस एस इ में 1990-91 से 2000-01 के दौरान 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। विशेष श्रेणी के सभी राज्यों में, नागालैंड छोड़कर, 1991 से 2001 के दौरान पी सी एस एस इ दुगुने से भी अधिक हो गया।

विशेष श्रेणी के राज्यों से भिन्न राज्यों के बीच देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप विशेष श्रेणी के राज्यों में सामाजिक सेवा के अंतर्गत हुए व्यय के आधे से अधिक व्यय शिक्षा और स्वास्थ्य पर हुआ था। 2000-01 से 2004-05 के दौरान असम में शिक्षा पर व्यय सामाजिक सेवा के व्यय का 65 प्रतिशत था, जबकि मिजोरम में यह 40 प्रतिशत था। 1990-91 से 2004-05 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने सामाजिक सेवा के कुल व्यय से शिक्षा व्यय के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड ने उसी अवधि के दौरान सामाजिक सेवा के कुल व्यय और शिक्षा व्यय के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई।

2000-01 से 2004-05 के दौरान सामाजिक सेवा के कुल व्यय के प्रति स्वास्थ्य व्यय के अनुपात में राज्यों में भिन्नता थी और वह जम्मू कश्मीर के लिए 20 प्रतिशत था जबकि त्रिपुरा के संदर्भ में 9 प्रतिशत था। विशेष श्रेणी के 11 में से 8 राज्यों[15] ने

[15] अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा।

सामाजिक सेवा व्यय स्वास्थ्य व्यय के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई।

VII.6 सामाजिक क्षेत्र व्यय और मानव विकास

VII.6.1 अखिल भारतीय स्थिति

यूएनडीपी द्वारा 1975 से प्रकाशित मानव विकास सूचकांक[16] (माविसू) के अनुसार भारत ने मानव विकास में निरंतर प्रगति की है। 1975 में, भारत का मानव विकास सूचकांक 0.412 था जो निरंतर सुधार के साथ 2004 में 0.611 हो गया। अद्यतन मानव विकास रिपोर्ट, 2006 के अनुसार, 177 देशों में मानव विकास में भारत का स्थान 126 वां है। सारणी 51 में भारत और अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक की तुलनात्मक स्थिति दी गई है।

मानव विकास की अद्यतन रिपोर्ट (2006) के अनुसार 2004 में 0.965 के मानव विकास सूचकांक के साथ मानव विकास में नार्वे सबसे आगे था। यह उल्लेखनीय है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत और नार्वे के बीच का अंतर 1975 के 0.456 से लगतार कम होकर 2004 में 0.354 पर आ गया है (सारणी - 51)।

VII.6.2 राज्यवार स्थिति

भारत यद्यपि मानव विकास के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, फिर भी राज्यों के बीच इसमें स्पष्ट अंतर दिखता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार 0.638 मानव विकास सूचकांक के साथ केरल सबसे आगे था, जबकि बिहार का मानव विकास सूचकांक 0.367 था (सारणी 52)। यद्यपि कुछ अध्ययनों ने यह दिखाया है कि प्रमुख भारतीय राज्यो ने वर्षों में सामाजिक संकेतकों की ओर प्रगति की है, फिर भी इन संकेतकों के स्तर में भारी असमानता है। इस असमानता को दर्शाने के लिए यह देखा जा सकता है कि 1992-96 के दौरान भारत में शिक्षा का स्तर बिहार में 47.53 प्रतिशत और केरल में 90.92 प्रतिशत है, आयुमान मध्यप्रदेश में 55.2 और केरल में 73.1 था। 2001 में लिंग अनुपात हरियाणा में 861 और केरल में 1058 था (राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001)।

सामाजिक क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यू एन डी पी ने राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया है कि वे राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार मरें। अब तक 17 राज्य

सारणी 51 : अन्य देशोंकी तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक

देश	माविस स्थान	मानव विकास सूचकांक (माविसू)							
	2004	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
भारत	126	0.412 (0.456)	0.438 (0.450)	0.476 (0.422)	0.513 (0.399)	0.546 (0.390)	0.577 (0.379)	0.602 (0.361)	0.611 (0.354)
मध्यम मानव विकास देश									
चायना	81	0.525	0.558	0.594	0.627	0.683	-	0.755	0.768
श्रीलंका	93	0.607	0.649	0.681	0.705	0.727	-	0.751	0.755
पाकिस्तान	134	0.363	0.386	0.419	0.462	0.492	-	0.527	0.539
नेपाल	138	0.296	0.333	0.376	0.423	0.466	0.499	0.526	0.527
बांगलादेश	137	0.345	0.364	0.389	0.419	0.452	0.506	0.52	0.53
मलेशिया	61	0.615	0.659	0.695	0.721	0.76	0.79	0.796	0.805
उच्च मानव विकास देश									
नार्वे	1	0.868	0.888	0.898	0.912	0.936	0.956	0.963	0.965
जापान	7	0.857	0.882	0.895	0.911	0.925	0.936	0.943	0.949
सिंगापूर	25	0.725	0.761	0.784	0.822	0.861	-	0.907	0.916
कोरिया रेप ऑफ	26	0.707	0.741	0.78	0.818	0.855	0.884	0.901	0.912
कुवैत	33	0.763	0.777	0.78	-	0.813	0.837	0.844	0.871

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े माविसू के अनूसार भारत से नार्वे (उत्कृष्ट निष्पादक) का अंतर अर्थात् दो देशों के माविसू के बीच का अंतर दर्शाते है।
स्रोत : यूएनडीपी (2005 एवं 2006) मानव विकास रिपोर्ट

[16] मानव विकास रिपोर्ट, (2005) 1975 से 2003 की एचडीआइ की देशवार समरूप श्रृंखला उपलब्ध कराती है।

सारणी 52 : राज्यों के मानव विकास सूचकांक

राज्य	1981	स्थान	1991	स्थान	2001	स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	0.298	9	0.377	9	0.416	10
2. असम	0.272	10	0.348	10	0.386	14
3. बिहार	0.237	15	0.308	15	0.367	15
4. गुजरात	0.360	4	0.431	6	0.479	6
5. हरियाणा	0.360	5	0.443	5	0.509	5
6. कर्नाटक	0.346	6	0.412	7	0.478	7
7. केरल	0.500	1	0.591	1	0.638	1
8. मध्य प्रदेश	0.245	14	0.328	13	0.394	12
9. महाराष्ट्र	0.363	3	0.452	4	0.523	4
10. उड़ीसा	0.267	11	0.345	12	0.404	11
11. पंजाब	0.411	2	0.475	2	0.537	2
12. राजस्थान	0.256	12	0.347	11	0.424	9
13. तमिलनाडु	0.343	7	0.466	3	0.531	3
14. उत्तर प्रदेश	0.255	13	0.314	14	0.388	13
15. पश्चिम बंगाल	0.305	8	0.404	8	0.472	8
अखिल भारत	**0.302**		**0.381**		**0.472**	

स्रोत : राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, योजना आयोग, 2001।

सरकारों ने राज्य मानव विकास रिपोर्टें तैयार की हैं और इन रिपोर्टों की मुख्य बातें बॉक्स 6 में दी गई हैं।

15 भारतीय राज्यों के मानव विकास सूचकांक और एस एस इ के बीच संबंधों की एक साधारण जांच से पता चला है कि 1990-91 से

बॉक्स 6 : राज्य मानव विकास रिपोर्ट - मुख्य बातें

यूएनडीपी की पहल से, अब तक 17 राज्य सरकारों ने राज्य मानव विकास रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। इन रिपोर्टों में राज्य सरकारों द्वारा मानव विकास के प्राप्त स्तरों पर चर्चा की गई है और मानव विकास में सुधार के राज्य-विशेष के मामलों पर प्रकाश डाल गया है।

विभिन्न राज्य मानव विकास रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि अनेक राज्यों द्वारा प्राप्त किया गया मानव विकास का स्तर सर्वोत्तम स्तर वाले केरल की तुलना में बहुत नीचे है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि पंजाब जैसे संपन्न राज्यों के कुछ भागों में मानव विकास का स्तर बहुत नीचे है। लगभग सभी राज्यों में मानव विकास की प्राप्ति में लिंग और साथ ही ग्रामीण शहरी अंतर है जिसमें शहरी पुरूष उच्चतम स्थिति में और ग्रामीण स्त्री निम्नतम स्थिति में है। सामाजिक समूहों के आधार पर भी अधिकांश राज्यों में भारी असमानता है जिसमें अनुसूचित जनजातियां निम्नतम स्थान पर होती है और उनके पहले अनुसूचित जातियों का स्थान है। इन रिपोर्टों का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि संस्थाओं तक पहुंच की समस्या भी अनेक राज्यों में गंभीर है। अन्य शब्दों में, लोगों के लिए ये संस्थाएं भौतिक आधार पर पहुंच से बाहर होती हैं और आर्थिक रूप से कठिन होती हैं। पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के विकास की कमी इस समस्या को और भी बढ़ा देती है।

केरल जैसे राज्य स्वतंत्रता के समय मानव विकास में सबसे आगे थे और वे अब भी आगे ही हैं। वस्तुतः, स्वतंत्रता तक भारत की मुख्य धारा से अलग रहे अनेक राज्यों में मानव विकास स्वतंत्रता के बाद ही देखा गया। इस प्रकार, मानव विकास का इतिहास भी इन राज्यों में कम अवधि का है। सभी राज्य सरकारों उनके राज्यों में बाधाओं के बावजूद सामाजिक ढांचा सुधारने के प्रयास करती है। राज्यों की राजकोषीय क्षमता एक मुख्य बाधा है। इसके अलावा, नैसर्गिक आपदाएं और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कारकों के कारण भी सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, गहन जनसंख्या वाले स्थानों में सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की तुलना में लागत कम आती है।

अनेक राज्य मानव विकास रिपोर्टों में गरीबी को मानव विकास सुधार के मार्ग की मुख्य रुकावट दर्शाया गया है। यह मामला भूख से शुरू होता है और उससे कुपोषण और बीमारियां बढ़ती है। गरीबी के कारण लोग बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी कारण, अनेक राज्यों में पाठशालाओं में विद्यार्थियों का पंजीयन बड़ी संख्या में होने के बावजूद पढ़ाई जारी रखने का स्तर कम होता है। अधिकांश राज्यों में जनसंख्या का बड़ा भाग, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि कार्य करता है। अतः कृषि क्षेत्र में सुधार और साथ ही ग्रामीण रोजगार में विविधता लाने से गरीबी कम करने में सहायता मिलेगी जिससे मानव विकास में सुधार होगा। इसके अलावा, मानव विकास और आर्थिक विकास जो कि एक-दूसरे के संपूरक हैं, में कारण-कार्य संबंध बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। राज्यों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वे अपने व्यय का बड़ा भाग सामाजिक क्षेत्र के लिए और विशेष रूप से पूंजीगत खाते में, आबंटित करें ताकि सामाजिक बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके। साथ ही, आर्थिक विकास और मानव विकास के बीच संबंध बढ़ाने के लिए आर्थिक बुनियादी सुविधाओं में निवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कुछ रिपोर्टों में यह मत दिया गया है कि सरकार द्वारा दी गई सामाजिक सेवाओं का स्तर बनाए रखना मानव विकास की फलनिष्पत्ति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण है। सेवाओं का स्तर सुधारने में किसी लोकप्रिय दबाव की कमी उक्त स्तर को सुधारने के रास्ते का मुख्य रोड़ा है। यह सूचना दी गई है कि चूंकि जनता सरकार को कर का भुगतान करती है अतः सरकार से बेहतर स्तर की सुविधाएं पाना उनका अधिकार है। दूसरे, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के अभाव से भी वे जनता को स्तरीय सेवाएं प्रदान करने में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। कर्मचारियों की सामान्य भावना यह होती है कि यदि वे कठिन परिश्रम करते भी हैं तो उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलता। साथ ही, देश के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य के इच्छुक योग्यताप्राप्त लोगों को ढूंढना भी स्तरीय सेवा देने में एक रूकावट है। इसके अतिरिक्त, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, जनसंख्या की उच्च घनता और मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव के अभाव से भी सरकारी सेवाओं का स्तर गिर जाता है।

संदर्भ : 17 राज्य सरकारों की राज्य मानव विकास रिपोर्टें।

1999-00 की अवधि में जीएसडीपी के प्रति (अर्थात् एसएसइ / जीएसडीपी) और 2001 के मानव विकास सूचकांक बीच और साथ ही कुल व्यय के प्रति सामाजिक क्षेत्र के व्यय के औसत अनुपात (अर्थात् एसएसइ / टी इ) और मानव विकास सूचकांक के बीच सहगुणक सहसंबंध ऋणात्मक रहा है[17]। तथापि, पी सी एस एस इ और मानव विकास सूचकांक के बीच के सहगुणक सहसंबंध में सकारात्मकता देखी गई। किंत ये यह आवश्यक नहीं कि सहसंबंध लागू होने में हर बार कोई कारण हो।

यह उल्लेखनीय है कि बिहार 1990-91 से 1999-00 के दौरान सामाजिक क्षेत्र पर औसतन उसके कुल व्यय का 42 प्रतिशत था जीएसडीपी का 9 प्रतिशत व्यय कर रहा है। तथापि, भारत में बिहार का मानव विकास सूचकांक निम्नतम में से एक (0.367) है। बिहार में, अन्य बातों के साथ-साथ कम पी सी एस एस इ (893 रुपए) कम मानव विकास सूचकांक का कारण हो सकता है (चार्ट 25)। यह महत्वपूर्ण है कि मानव विकास सूचकांक के परिणाम पर सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटित राशि के अनुपात की तुलना में पी सी एस एस इ का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बिहार में सामाजिक क्षेत्र को अधिक राजकोषीय प्राथमिकता देने और साथ ही जीएसडीपी के प्रति एसएसइ के उच्च अनुपात के बावजूद, बिहार में पीसी एस एस इ बढ़ाने

चार्ट 25 : मानव विकास सूचकांक एवं प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र के व्यय (पीसीएसएसइ)

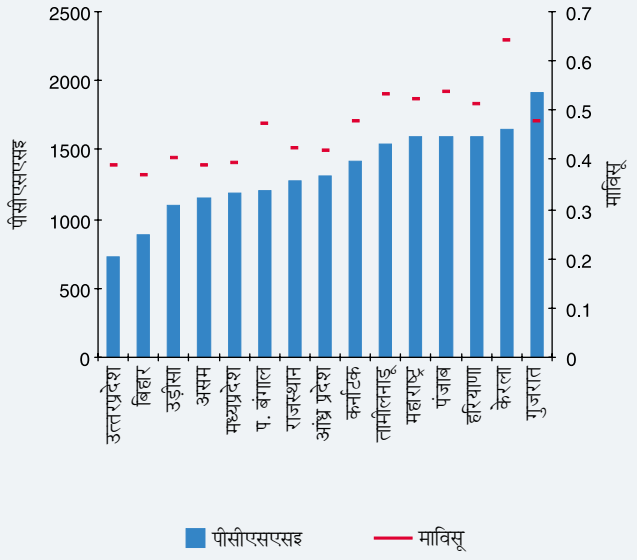

की उसकी निम्न राजकोषीय क्षमता से बाधा उत्पन्न होती है। बारहवें वित्त आयोग के अनुसार, बिहार के अलावा, 7 और ऐसे राज्य हैं (असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जो राजकोषीय रूप से दुर्बल होने के कारण उनकी राजकोषीय क्षमता कम है जिससे बारहवें वित्त आयोग ने इन राज्यों के सामाजिक क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया है (बॉक्स 7)।

VIII. मामले और परिदृश्य

VIII.1 राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण

राज्य सरकारों द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण के उपायों से हाले के वर्षों में राज्यों के वित्त पर अच्छा प्रभाव पड़ा हैं जैसाकि राजकोषीय असंतुलनों में आई कमी से देखा जा सकता है। 2004-05 के खातों के संदर्भ में मुख्य राजकोषीय संकेतकों ने संशोधित अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया। 2005-06 के संशोधित अनुमानों ने बजट अनुमानों की तुलना में बजट घाटे में 30 प्रतिशत से अधिक कमी दर्शाई। तथापि, पंजीगत व्यय में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जीएफडी 3 प्रतिशत बढ़ गया। राज्य सरकारों ने 2006-07 के उनके बजटों में राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण की प्रक्रिया और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। इस प्रकार, राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। इस संदर्भ में, यह देखना महत्वपूर्ण है कि मध्यावधि में राज्यों की राजकोषीय स्थिति, बड़ी सीमा तक, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होगी (भारिबैं वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 में 'बारहवां वित्त आयोग और राज्य वित्त' पर बॉक्स 1.4 देखें)। बारहवें वित्त आयोग ने 15 राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में प्रगामी सुधार निर्धारित किए हैं जिनमें प्राप्तियों, व्यय की विभिन्न मदों संबंधी लक्ष्य, घाटे के संकेतकों के लक्ष्यों से अतिरिक्त ऋण, समन्वयकारी दृष्टिकोण अपनाना, राज्य सरकारों की पुनर्गठन की योजनाओं में राजकोषीय सुधार और सशक्तिकरण का मार्ग, राजस्व वृद्धि पर बल देना, व्यय पर नियंत्रण और उसका युक्तिकरण तथा ऋण को वहनीय सीमा के भीतर रखना शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण घटना अधिकांश राज्यों द्वारा एफआरएल के अधिनियमन से संबंधित है। राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया को बंधनकारी

[17] सहसंबंध - सहगुणक एसएसइ / जीएसडीपी के और मानव विकास सूचकांक के बीच - 0.44 और एसएसइ / टीइ तथा मानव विकास सूचकांक के बीच - 0.22 है जबकि पी सी एस एस इ और मानव विकास सूचकांक के बीच 0.80 है।

बॉक्स 7 : बारहवां वित्त आयोग और सामाजिक क्षेत्र

बाहरवें वित्त आयोग में समग्र वित्त आयोग के अंतरणों में अनुदानों की अधिक भूमिका दर्शाई गई है और राज्यों की आवश्यकताओं और विकास के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान दर्शाए गए हैं। राज्यों के बीच बांटनेयोग्य करों के समान वितरण हेतु उपयोग में लाए गए सूत्र में उसके स्वरूप के अनुसार किसी राज्य की राजकोषीय आवश्यकताओं के सभी आयामों को ध्यान में नहीं किया जा सकता। बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों की कुछ सामान्य और कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करके तदनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य पण्य रखरखाव, भवन-रखरखाव, वन संवर्धन, विरासत संवर्धन, स्थानीय निकाय, आपदा-सहायता और राज्य विशेष की आवश्यकताओं के लिए अनुदानों की सिफारिश की हैं ।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को योजना पत्र में उल्लेखनीय निधि उपलब्ध कराई गई है, किंतु समस्याओं की तुलना में उक्त निधि कम सिद्ध होती है। इन दो क्षेत्रों में अनेक योजना विचारों में राज्य सरकारों द्वारा प्रति निधीयन की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थता भी निधि के पूरे उपयोग में बाधा बनती है। अनेक राज्य इन आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम रहे हैं अतः बारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय क्षमता की कमी के कारण इन दो क्षेत्रों में पर्याप्त व्यय करने में असमर्थ रहे राज्यों को विशेष अनुदान सहायता दी है।

अनेक राज्यों का प्रति व्यक्ति व्यय राज्यों (विनिर्दिष्ट और अविनिर्दिष्ट) के संबंधित समूह के औसत प्रति व्यक्ति व्यय से बहुत कम है। समकरण दृष्टिकोण पूर्णतः लागू करने के लिए अपेक्षित अंतरण राशि बहुत व्यापक होगी, वहीं बारहवें वित्त आयोग ने कमी के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों, यथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। किंतु संबंधित समूह के औसत और कुछ घटक राज्यों, विशेषतः अधिक जनसंख्या और कम राजकोषीय क्षमता वाले राज्यों के बीच भारी असमानता के कारण आंशिक सुधार किया जा सकता है। अनुदान का अनुमान करते समय उन राज्यों का ध्यान रखा गया है जो योजना और योजनेतर सहित कुल राजस्व व्यय के संबंध में हिसाब लगाए गए शिक्षा और स्वास्थ्य के औसत व्यय के बराबर व्यय के लिए विनिधान नहीं कर सकते । इस प्रयोजन से कुल व्यय की गणना ब्याज भुगतान, पेंशन और कुछ अन्य समायोजन घटाकर की जाती है।

इन दो क्षेत्रों के लिए अनुदान की सीमा का अनुमान लगाने के लिए दो चरणीय सामान्यकारक दृष्टिकोण अपनाया गया। पहले चरण में, इन क्षेत्रों में राज्यों के कम व्यय के अधिमान को सुधारा गया। दूसरे शब्दों में, यह अपेक्षा की गई कि राज्यों ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर उनके कुल राजस्व व्यय (योजना और योजनेतर) का कुछ न्यूनतम प्रतिशत व्यय करना चाहिए। दूसरे चरण में इन राज्यों की पहचान करना शामिल है जो अपेक्षित प्रतिशत व्यय के बाद भी इन दो क्षेत्रों के औसत प्रति व्यक्ति व्यय के सामान्य स्तर से पीछे रह जाते हैं।

ये अनुदान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अतिरिक्त रूप से दिए जा रहे हैं और ये इन राज्यों द्वारा उक्त क्षेत्रों में किए जा रहे सामान्य व्यय के अतिरिक्त हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन अनुदानों को जारी करने के लिए और कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए । इन अनुदानों से संबंधित व्यय की निगरानी का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होगा।

सारणी : बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शिक्षा एवं स्वास्थ क्षेत्र के लिए अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल (2005-10) (2 से 6)
1	2	3	4	5	6	7
क. शिक्षा क्षेत्र						
1. असम	183.20	200.60	219.66	240.53	263.38	1107.37
2. बिहार	443.99	486.17	532.36	582.93	638.31	2683.76
3. झारखंड	107.82	118.06	129.28	141.56	155.01	651.73
4. मध्य प्रदेश	76.03	83.25	91.16	99.82	109.3	459.56
5. उड़ीसा	53.49	58.57	64.13	70.22	76.89	323.30
6. राजस्थान	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
7. उत्तर प्रदेश	736.87	806.87	883.52	967.45	1059.36	4454.07
8. पश्चिम बंगाल	64.83	70.99	77.73	85.11	93.20	391.86
जोड़ क (1 से 8)	**1686.23**	**1844.51**	**2017.84**	**2207.62**	**2415.45**	**10171.65**
ख. स्वास्थ्य क्षेत्र						
1. असम	153.58	171.24	190.93	212.89	237.38	966.02
2. बिहार	289.30	322.57	359.66	401.02	447.14	1819.69
3. झारखंड	57.39	63.99	71.35	79.55	88.70	360.98
4. मध्य प्रदेश	28.88	32.20	35.90	40.03	44.63	181.64
5. उड़ीसा	31.22	34.81	38.81	43.28	48.25	196.37
6. उत्तर प्रदेश	367.63	409.90	457.04	509.6	568.21	2312.38
7. पश्चिम बंगाल	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00
जोड़ ख (1 से 7)	**938.00**	**1044.71**	**1163.69**	**1296.37**	**1444.31**	**5887.08**

संदर्भ : बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (2004), भारत सरकार।

बनाने से एफआरएल से यह अपेक्षित है कि इससे राजकोषीय अनुशासन बढ़ेगा और अधिक वास्तविक सुधार पण्य मिलेगा। नियम आधारित नीति राज्य सरकारों की नीति को भी अधिक विश्वसनीय बनाएगी (बॉक्स 8)।

बॉक्स 8: राज्य सरकारों द्वारा नियम-आधारित राजकोषीय नीति अपनाना

भारत में राजकोषीय जबाबदेही विधान के केंद्र और राज्य (अब तक 23 राज्य) दोनों स्तरों पर अधिनियमन से केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त में राजकोषीय स्थिरता प्राप्ति की प्रक्रिया को बल मिला है। किंतु इन संस्थागत गतिविधि के अंतर्निहित लाभ की प्राप्ति संबंधित सरकारों के राजकोषीय जवाबदेही विधान में निर्धारित लक्ष्यों के कड़े अनुपालन पर निर्भर होगी। राजकोषीय स्थिरता के लिए प्रमुख घाटा संकेतकों को कम करना आवश्यक है, विशेष रूप से ऋण के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए जो कि इस समय अनेक देशों की तुलना में अधिक (केंद्र के संबंध में जीडीपी के 62 प्रतिशत से अधिक और राज्यो के संबंध में जीडीपी का 32 प्रतिशत) है।

राजकोषीय स्थिरता के अलावा, संभाव्य देशी और विदेशी निवेशकों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि राजकोषीय जबाबदेही विधान में निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएं । कोपित्स द्वारा उल्लेख किए अनुसार (2001), 'इन सभी नियमों में एक बात समान है : उनके अनुसार विवेकाधीन हस्तक्षेप हटाकर समष्टि आर्थिक नीतियों के व्यवहार पर विश्वास किया जाना चाहिए।' यह स्थापित हो चुका है कि राजनैतिक रूप से बुद्धिमान नीतिनिर्माताओं पर बंधन रखने के लिए नियम आवश्यक हैं जो चुनाव के समय घाटे की विवेकाधीन नीति चलाते हैं और वे बजट बाधाओं को समझते नहीं है या उनसे अप्रभावित रहते हैं। संघीय व्यवस्था में, राजकोषीय नियम सरकार के उप राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगीतापूर्वक लागू किए जा सकते हैं। उप राष्ट्रीय स्तर पर इन नियमों को लागू करना आर्थिक निष्पादन की कुंजी है, विशेष रूप से उन अर्थव्यवस्थाओं में जहां उप-राष्ट्रीय सरकारों का राजस्व/व्यय समग्र सरकारी राजस्व/ व्यय का बड़ा भाग होता है। केंद्र सरकार का हिस्सा जितना छोटा होगा, राजकोषीय असंतुलनों के प्रति उप-राष्ट्रीय सरकारेां के बीच उभरने वाली नैतिक समस्या का सामना करने के लिए उप-राष्ट्रीय नियम लागू करने की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव शेष संघीय व्यवस्था की उधार लागत पर पड़ेगा ।

उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय नियम तैयार करने के दो मूल दृष्टिकोण हो सकते हैं : पहला, बॉटम अप दृष्टिकोण जहां उप-राष्ट्रीय सरकारें स्वयं के लिए स्वैच्छिक रूप से नियम बनाती हैं और दूसरा, टॉप-बॉटम दृष्टिकोण जहां नियम केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। दूसरा दृष्टिकोण मुख्य रूप से उन देशों में संगत है जहां केंद्र सरकार उप राष्ट्रीय सरकारों की बार-बार सहायता करती है। यह दृष्टिकोण एक स्थायी राजकोषीय समायोजन की आवश्यकता दर्शाता है जिसमें देशवार प्रीमियम पर संभाव्य अप्रत्यक्ष प्रभाव के साथ स्थिरता की संभावित समस्या को देखते हुए संपूर्ण सामान्य सरकार या समेकित सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हो। पहले दृष्टिकोण के उदाहरण अमरीका, स्विटजर्लैंड और कनाडा हैं जहां उप-राष्ट्रीय सरकारों ने मुख्य रूप से संभाव्य सहायता के अभाव में वित्तीय बाजारों में अच्छी साख निर्माण करने की आवश्यकता से राजकोषीय नियम अपनाने का चुनाव किया हैं इसके विपरीत, ब्राजील में (या इएमयू के अंतर्गत की इयू सदस्य देशों में) उप-राष्ट्रीय सरकारें नैतिक जोखिम से बचने के लिए केंद्रीय रूप से लागू नियमों के तहत हैं, विशेष रूप से केंद्रीय नियंत्रण के तहत (अधिराष्ट्र) राजकोषीय गतिविधि का तुलनात्मक छोटा हिस्सा होने के कारण। इस मामले में, नियमों के अनुपालन से सामान्यतः एकल सरकार का चूक जोखिम प्रीमियम और साथ ही देश जोखिम प्रीमियम कम होने में मदद मिलती है जिसका सामना संपूर्ण संघ सरकार (या अधिराष्ट्र) द्वारा किया जाता है। भारत में राजकोषीय विकेंद्रीकरण का स्तर उन देशों से तुलनीय है जहां विकेंद्रीकरण का स्तर उच्च है जैसे कि स्विडन और डेन्मार्क (कन्नन एट एल 2004) । राज्य सरकारों को संयुक्त राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40 प्रतिशत भाग मिलता है और संयुक्त व्यय में उनका हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत होता है। भारतीय सार्वजनिक वित्त में राज्य सरकारों की तुलनात्मक रूप से महती भूमिका को देखते हुए समग्र समष्टि आर्थिक प्रबंध के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारें नियम आधारित राजकोषीय नीति का पालन करें। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य ने राजकोषीय जबाबदेही विधान को अधिनियमित करना चाहिए। इसे बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण सहायता प्राप्ति की पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है। बारहवें वित्त आयोग के अनुसार उक्त विधान में न्यूनतम निम्नलिखित बातें होनी चाहिए :

(क) राजस्व घाटे की 2008-09 तक समाप्ति;

(ख) राजकोषीय प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक या उसके समतुल्य तक कम करना;

(ग) राजस्व और राजकोषीय घाटे के वार्षिक कमी के लक्ष्य प्रकट करना;

(घ) वार्षिक विवरण प्रकाशित करना जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था और संबंधित राजकोषीय कार्यनीति की भावी संभावना दर्शाई जाए;

(ङ) बजट के साथ विशेष विवरण प्रकाशित करना जिसमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और संबंधित वेतनों का ब्योरा दिया जाए।

राजकोषीय जवाबदेही विधान अधिनियमित करने वाले राज्यों में कर्नाटक प्रथम है जिससे यह कार्य सितंबर 2002 में किया था, जिसके बाद केरल (2003), तमिलनाडु (2003) और पंजाब (2004) का स्थान है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अब तक और 19 राज्यों ने राजकोषीय जबाबदेही विधान का अधिनियमन किया है। राज्यों के राजकोषीय जबाबदेही विधान लगभग मिलते-जुलते ही हैं (अनुबंध 2)। राज्य सरकारों के राजकोषीय जबाबदेही विधान में निर्धारित लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों जैसे ही है, अर्थात राजस्व घाटा 2008-09 तक समाप्त करना और जीएफडी -जीडीपी अनुपात को कम करके 2009-10 तक 3 प्रतिशत पर लाना (राज्य सरकारों के लिए जीएफडी-जीएसडीपी)। यह उल्लेखनीय है कि भारत में राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय जबाबदेही विधान का अधिनियमन उल्लिखित दो दृष्टिकोणों का संमिश्र रूप है। कुछ राज्य सरकारों ने राजकोषीय जबाबदेही विधान को स्वतः अधिनियमित किया है, वहीं दूसरों को उक्त विधान अपनाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि उन्हें बारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ मिल सके।

भारी राजकोषीय घाटे की निरंतरता के कारण राज्य सरकारों का बकाया ऋण बढ़ गया है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा चालू व्यय अपेक्षा पूरी करने के लिए उधार लिए गए संसाधनों के उपयोग से दीर्घावधि में आस्ति देयता का बेमेल बढ़ गया है। इससे राजस्व घाटा समाप्त करने और पर्यापत राजस्व अधिशेष निर्माण करने, जोकि देयताएं निर्मित किए बिना आस्ति निर्माण के लिए उपयोग की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय जबाबदेही विधान के तहत निर्धारित लक्ष्यों से हटने से अन्य राज्यों पर शृंखला प्रभाव पड़ेगा जिस पर आगे कार्रवाई आवश्यक हो जाएगी जिससे नीति के स्वरूप की विश्वसनीयता कम होने का बुरा प्रभाव पड़ेगा । इसके अलावा, समष्टि आर्थिक, वित्तीय, विदेशी क्षेत्र और बजटीय वहनीयता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय श्रेणी निर्धारक संस्थाओं द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की निवेश की श्रेणी के निर्धारण में राजकोषीय अनुशासन मुख्य कारक है। अतः, यह अपेक्षित है कि जिन राज्यों ने राजकोषीय जबाबदेही विधान अधिनियमित किया है वे नियमों का पालन करें और शेष राज्य नियम आधारित ढांचे अपनाने की दिशा में प्रयास करें।

संदर्भ :

1. कोपित्स, जॉर्ज (2001), राजकोषीय नियम : उपयोगी नीति ढांचा या अनावश्यक गहना ? आइएमएफ, वर्किंग पेपर सं. डब्ल्यूपी/01/145
2. कन्नन आर, एस.एम. पिल्लई, आर.कौशल्य और जयचंदर (2004), 'भारत में वित्त आयोग निर्णय और राज्य वित्त में राजकोषीय स्थिरता' आर्थिक और राजनैतिक साप्ताहिक; जनवरी 39(5)।
3. बारहवें वित्त आयोग भारत सरकार की रिपोर्ट (2004)।

VIII.2 राजकोषीय नियम और लेखांकन व्यवस्था

बारहवें वित्त आयोग ने टिप्पणी की है कि लेखांकन व्यवस्था के माध्यम से ऋण राहत योजना के उद्देश्यों को असफल बनाने वाले किसी भी प्रयास के प्रति राज्यों की निगरानी आवश्यक है। इसलिए, बारहवें वित्त आयोग में छोटे के एकरूप श्रेणीकरण और परिभाषा के मानकीकरण का सुझाव दिया गया है। बारहवें वित्त आयोग में आगे यह कहा गया है कि लेखांकन नीति में अवैध परिवर्तन और व्यय के मनमाना पुनर्क्षेणीकरण पर राहत की निगरानी के लिए गंभीर रुख अपनाया जाए। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश राज्य सरकारों के राजकोषीय जबाबदेही विधान में प्रावधान के रूप में राजकोषीय मदों की स्पष्ट परिभाषा देना और उनमें हुए परिवर्तनों को अधिसूचित करना आवश्यक है। लेखांकन व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में धारणा और उसके व्यवहार की चर्चा बॉक्स 9 में की गई है।

VIII.3 राज्यों द्वारा अधिशेष नकदी शेषों, चलनिधि और निवेश का प्रबंध

वर्तमान में अधिकतर राज्य सरकारें नकदी अधिशेषों की भारी राशि रखती हैं जैसा कि भारत सरकार के 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में उनके निवेश से स्पष्ट है और इस स्थिति की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2005-06 से हुई है। 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में राज्यों के बकाया निवेश 16 नवंबर 2006 को 39,610 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा, अनेक राज्य सरकारों ने उनके अधिशेष केंद्र सरकार के 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों में निवेश किए हैं और 17 नवंबर 2006 को ऐसे निवेशों का जोड़ 21,118 करोड़ रुपए था (बॉक्स 10)।

राज्य सरकारों के नकदी शेषों में तेज वृद्धि ने उनके नकदी और वित्त प्रबंधन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इस समय, राज्य सरकारों के सामने 14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश करने के अलावा नीलामीकृत नियमित खजाना बिलों में, गैर प्रतिस्पर्धी बोलीकर्ता के रूप में, निवेश का विकल्प है। किंतु, राज्य सरकारों को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। राज्यों के नकदी अधिशेषों के निवेश से संबंधित मामले पर रिज़र्व बैंक में 7 अगस्त 2006 को हुई राज्य वित्त सचिवों के 18 वें सम्मेलन में चर्चा की गई। राज्य सरकारों के निवेश के वैकल्पिक अवसरां के मत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के शेषों के निवेश की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्य दल का गठन किया गया जिसमें चुनिंदा राज्य सरकारों और रिज़र्व बैंक से प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस बीच, अधिक ओर स्थायी प्रकार के नकदी शेषों वाले राज्यों को खुले बाजार के उधार और अन्य उधारों के संबंध में विकल्प खुला होगा जहां संग्रहण में राज्यों की सक्रिय भूमिका होती है।

राज्य सरकारों का निवेश संविभाग उनके नकदी अधिशेष बनाए रखने से संबंधित होता है। इस समय, राज्य सरकारों की सीएसएफ और जीआरएफ जैसी सांविधिक निधि के प्रबंध का प्रभारी रिज़र्व बैंक है (बॉक्स 11) । किंतु राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे नकदी और निवेश के प्रबंध के लिए ऋण इकाई स्थापित करें और आवश्यक विशेषज्ञता विकसित करें।

VIII.4 राजकोषीय अधिकार प्रदान करना

राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से आर्थिक बुनियादी सुविधाओं में निवेश और सामाजिक सेवाओं पर व्यय आवश्यक होगा । तदनुसार, राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इन सेवाओं के प्रावधानों पर अधिक व्यय करें। इस पृष्ठभूमि में, राजकोषीय सुधार का अपेक्षित मार्ग राजकोषीय अधिकार देने में है, अर्थात बजट में राजस्व प्रवाह के अवसर और मात्रा बढ़ानी होगी। नए कर लगाने और कर कार्यान्वयन में सुधार, आदि के माध्यम से कर संग्रहन बढ़ाने की राज्य सरकारों की कार्यनीति को अधिक बल देकर जारी रखने की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों द्वारा वह व्यवस्था को अपनाने से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन बिक्री कर व्यवस्था की तुलना में वॅट की प्रारंभिक अवधि में राजस्व में तेजी आई है और वैट से भविष्य में अधिक राजस्व प्राप्ति की संभावना है। लेनदेन लागतों को कम करने और कर संरचना को तर्क संगत बनाने के लिए राज्य सरकारें अपनी कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा कर सकती हैं। जिससे उन्हें अपना कर राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में सही उपयोक्ता प्रभारों के माध्यम से करेतर राजस्व से राजस्व संग्रहण में वृद्धि करना और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना करना महत्त्वपूर्ण बना रहेगा। तथापि, ऊंचे उपयोक्ता प्रभार केवल तभी संभव होंगे जब राज्यों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में लगातार सुधार होगा। अतः राज्य सरकारों के लिए सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सुधार लाना प्राथमिकता रहेगी। सुधार प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों के

बॉक्स 9 : राजकोषीय नियम एवं लेखांकन व्यवस्थाएं - एक तुलनात्मक दृष्टिकोण

राजकोषीय नियमों ने जनता का ध्यान आकर्षित किया है और अनेक देशों में यह नीतिगत चर्चा का विषय रहा है। बजट घाटों पर गणितीय सूत्रों को लागू करना इस पूर्वग्रह को कम करने या समाप्त करने का एक संभावित कदम हो सकता है, हालांकि इन सूत्रों की महत्त्वपूर्ण कमियां हो सकती हैं। नियम जोकि समष्टि आर्थिक चक्र पर अवलम्बित नहीं हैं, वे चक्रीय अधोगति के दौरान सरकारों को राजकोषीय नीति कठोर बनाने पर मजबूर कर सकते हैं और इस प्रकार समष्टि आर्थिक उतार-चढ़ावों को उत्तेजित कर सकते हैं - यह एक ऐसी चिंता है जो अक्सर यूरोपीय संघ के देशो में व्यक्त की जाती है। राजकोषीय नियम सरकारों के फ़ुजूलख़र्ची राजकोषीय व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए जाते हैं और वे ज़रूरी तौर पर विशेष बजटीय मदों और आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। सरकारें इन विशिष्ट, प्रतिबंधित से गैर-प्रतिबंधित स्थितियों में बजटीय मदों को इधर-उधर करके धोखा देने के उदेश्य से सृजनात्मक लेखांकन में संलग्न हो सकती हैं। नियम से बंधे रहने की आर्थिक लागत जितनी ज्यादा होगी लेखों के कल्पना आधारित भ्रामक प्रस्तुतिकरण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। जब भी कोई इष्टतम राजकोषीय नियम बनाया जाए, लेखों के कल्पना आधारित एवं भ्रामक प्रस्तुतिकरण की बात को ध्यान में इस प्रकार रखा जाए कि वह नियम लेखों के कल्पना आधारित एवं भ्रामक प्रस्तुतिकरण के अभाव में इष्टतम नियम से भी कठोर हो।

कोयन और नूर्ड (2005) के अनुसार वह उपाय जिसमें राजकोषीय शेष में सुधार निहित हो, लेखों का कल्पना आधारित और भ्रामक प्रस्तुतिकरण माना जाता है, यदि इसमें अधिकांश सरकारी क्षेत्र की अस्थायी बजटीय स्थिति में सुधार निहित न हो (सरकारों की निवल मालियत में वृद्धि)। व्यवहार में, लेखों के प्रस्तुतीकरण की परंपराओं में सामान्यतः कुछ गुंजाईश रह जाती है। अतएव, जब राजकोषीय नियमों का दंश डराने लगता है या वे दंश देने लगते हैं तो सरकारें स्वतंत्रता की निहित गुंजाईश का लाभ उठाने के लिए आकर्षित हो सकती हैं। वास्तव में, किसी भी प्रकार के औपचारिक राजकोषीय नियमों का लिहाज किए बिना सरकारें बाहरी लोगों को दिखाए जाने वाले लेखों को यथा संभव बढ़िया से बढ़िया चमकाने की कोशिश कर सकती हैं। सरकारों को बोलते हुए राजकोषीय लेखे प्रस्तुत करने और सुधरती हुई राजकोषीय निष्पादन स्थिति रिपोर्ट करने में प्रोत्साहन मिलता है और नई सरकारों के पास इस बात के कारण हैं कि वे अपने भूतपूर्व सरकारों से मिले लेखों का 'लेखा-परीक्षण' करें। उदाहरण के लिए नई फ्रेंच सरकारों ने जिन्होंने 1997 के वसंत में कार्यभार ग्रहण किया, उन्होंने 2002 के वसंत में ऐसे 'लेखा परीक्षण' किए। ठीक इसी प्रकार 2002 वसंत में नई पोर्तुगीज सरकारों और नई ग्रीक तथा स्पेनिश सरकारों ने 2004 के वसंत में ऐसे ही लेखा परीक्षण किए। हर बार की खोज बीन से पता चला कि राजकोषीय स्थिति पहले की तुलना में स्पष्टतः कमजोर थी और सबसे ज्यादा कमजोर यह ग्रीस के मामले मे थी जहाँ घाटे और ऋण से संबंधित आंकड़ों में 1957 तक पीछे जाकर हाल ही में भारी सुधार किया गया। जब राजकोषीय नियम राजकोषीय प्रवाहों और / या स्टॉक के लिए सीमाएं तय करते हैं तब तो यह विशेष रूप से सत्य है।

साहित्य में अनेक उदाहरण मौजूद हैं। ईस्टरली (1999) कहते हैं कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रमों वाले ढेर सारे विकासशील देशों में राजकोषीय समायोजन सरकारी आस्तियों के दस्तावेजीकरण पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा (मुख्यतः सार्वजनिक निवेश में कमी और परिचालन और रखरखाव पर होने वाले व्यय के माध्यम से), जिसका अर्थ यह है कि सरकारी देयताओं में कमी सरकारों की निवल मालियत में वृद्धि के अनुरूप होनी जरूरी नही थी। बंच (1991) यह साक्ष प्रस्तुत करते हैं कि अमरीका में सांवैधानिक उधार सीमाओं वाले राज्य, उधार प्रतिबंधों को छुपाने के लिए सरकारी प्राधिकरणों का उपयोग करते हैं। किवाइट और स्ज़ाएकले (1996) ने पाया कि गारंटीशुदा ऋण से संबंधित सांवैधानिक बाधाएं अर्थपूर्ण ढंग से राज्य और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए कुल ऋण की राशि को प्रभावित नहीं करतीं जिसके कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं।

(i) फ्रांस में, बजट घाटा 1997 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5 प्रतिशत तक घटा दिया गया था। भला हो फ्रांस टेलिकॉम का, जो कि एक सार्वजनिक उद्यम है, जिसने राज्य की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए सरकार को एक बारगी भुगतान करके भरपाई कर दी। यह भुगतान एक पूंजी रसीद के रूप में बनाया गया था। अतएव, आस्ति लेनदेन के बजाए घाटे में कमी के लिए गणना, जिससे कर्ज तो कम होगा लेकिन घाटा कम नहीं होगा। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सार्वजनिक उद्यम मास्ट्रिच्ट ट्रीटी के अर्थ में 'सामान्य सरकार' के अंग नहीं हैं।

(ii) ग्रीस में सार्वजनिक उद्यमों को किये जाने वाले पूंजी अंतरण 'इक्विटी में वृद्धि' के रूप में रिकॉर्ड किए गए और इस प्रकार बजट घाटे की गणना से बाहर रहे (यूरो स्टेट से अनुमोदन सहित)। जीरो कूपन बांडों के निर्गम के कारण ब्याज भुगतानों में कमी के साथ इस उपाय से 1997 के बजट घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से अधिक के बजट घाटे में कमी हुई।

(iii) इटली में सांविधिक न्यायालय के दो दंडों ने सरकार को इस बात पर मज़बूर किया कि वह सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.2 प्रतिशत की राशि के बराबर पेन्शन परिव्यय अदा करें। ये भुगतान बांड निर्गमों के माध्यम से वित्तपोषित किए गए थे जो 1997 और 2000 के बीच हुए थे लेकिन इन्हें जिन वर्षों में ये देयताएं आईं (1993-95) उन वर्षों के बजटों में इन्हें पूर्व प्रभाव से मढ़ दिया गया और इस प्रकार 1997-2000 वर्ष के लिए ये बजट घाटे अप्रभावित रहे। साथ ही, डाक बचत प्रमाणपत्रों पर लगने वाले ब्याज को पूंजीगत करके लेखों के रूप में प्रस्तुत करने का काम भी उपचित आधार की जगह कर दिया गया था। परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान अब केवल तभी रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वे देय होते हैं ठीक ज़ीरो कूपन बांडों की तरह और इस प्रकार घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.3 प्रतिशत तक कम करना। अतः रेलवे कंपनी के ऋण को सरकारी ऋण के रूप में मान्यता दी गई। इसका आशय यह है कि इस ऋण पर पूंजी का परिशोधन जिसे पहले राज्य उद्यम को अंतरण के रूप में रिकार्ड किया गया था, को अब सरकारी देयता की चुकौती के रूप में माना गया है और इस प्रकार यह बजट को प्रभावित नहीं कर सकता।

(iv) अमरीकी जनरल एकाउंटिंग ऑफिस रिपोर्ट (1993) के अनुसार ''बहुत सी सरकारें केवल पत्र की औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं न कि उसकी भावना, वे अपने प्रयासों को अपने परिचालनों के केवल एक भाग पर ही केंद्रित कर रही हैं और अक्सर यह दिखाने के लिए जादूगरी दिखा रही हैं कि उनके बजट संतुलित हैं।'' सरकार का अनुभव बताता है कि तरह-तरह के लेखांकन परिवर्तनों और संबद्ध तकनीकों का प्रयोग संतुलित बजट नियमों के लिए किया जा सकता है। जनरल एकाउंटिंग ऑफिस (जीएओ) उदाहरण देता है कि केलिफोर्निया ने किस प्रकार एक ट्रस्ट फंड से आयल एक्सट्रैक्शन रॉयल्टी टैक्स के राजस्वों को जनरल फंड में अंतरित किया। न्यूयॉर्क ने राजकोषीय वर्ष 1983 से पिछले पे-रोल भुगतान को अगले राजकोषीय वर्षों में ले जाने के लिए नया पे रोल सिस्टम अधिनियम बनाया। मिनेसोटा ने प्राप्तियों को राजकोषीय वर्षो के दौरान हटाने के लिए कर वसूली तेज की।

सेटेरिस पेरिबस (अन्य बातें/कारकों को समान रखते हुए) एक राजकोषीय नियम लागू किया गया इसके अनुसार जब बजट पारदर्शी न हो तो यह राजकोषीय समयोजन के बजाय भ्रामक लेखांकन की दिशा में जा सकता है।

संदर्भ :

1. बंच, बी. (1991), 'द इफेक्ट ऑफ कांस्टीट्यूशनल डेट लिमिट्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़', पब्लिक चॉइस, वॉल्यूम 68, नं.1.
2. ईस्टरली, डब्ल्यू. (1999), 'व्हेन इज फिस्कल एडजेस्टमेंट एन ईल्यूशन?', इकॉनॉमिक पॉलिसी, नं.28.
3. कोएन, विन्सेंट और पॉल वान डेन नूर्ड (2005), 'फिस्कल गिमिक्रि इन यूरोप : वन-आफ मेजर्स एंड क्रिएटिव एकाउंटिंग', इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंट, ओईसीडी, वर्किंग पेपर 417.
4. पोटेरबा, जेम्स. बी. (1996), ''बजेट इंस्टीट्यूशन एंड फिज़िकल पॉलिसी इन दि यू.एस.स्टेट्स,'' एनबीईआर वर्किंग पेपर 5449.
5. यू.एस. जनरल एकाउंटिंग ऑफिस, (1993) 'बजेट इश्यूज: स्टेट एक्सपीरिअन्स एंड इंप्लीकेशन्स फॉर दि फेडरल गवर्नमेंट', वॉशिंग्टन, जीएओ/एएफएमडी-93-58बीआर.
6. वान हेगन, जे. (1999); 'ए नोट ऑन दि एम्पीरिअल अफेक्टिवनेस ऑफ फॉर्मल फिज़कल कंस्ट्रेन्टस', जर्नल ऑफ पब्लिक इकॉनॉमिक्स, 44, 199-210.

साथ राज्य सरकारों द्वारा बिजली सब्सिडियों की समस्याओं को भी दूर करने की आवश्यकता है।

VIII.5 बिजली सब्सिडी

बिजली क्षेत्र के संबंध में लागत वसूली में सुधार का महत्व बढ़ता जा रहा है विशेषकर राज्य सरकारों द्वारा कतिपय वर्गों को निःशुल्क बिजली देने के संदर्भ में और बिजली सब्सिडियों की दीर्घकाल से चली आ रही समस्या के संदर्भ में। भारत सरकार के 2005-06 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों की प्रतिलाभ दर 2004-05 के -32 प्रतिशत से सुधरकर 2005-06 (संशोधित अनुमान) में -26 प्रतिशत हो गई। इतने खराब प्रतिलाभ के माध्यम से चले गए संसाधनों की मात्रा लगातार काफी बड़ी बनी हुई है। सकल बिजली सब्सिडी 1991-92 के 7,449 करोड़ रुपए से लगभग पांच गुना बढ़कर 2005-06 (सं.अ.) में 35,632 करोड़ रुपए हो गई है (सारणी 53)। यह उल्लेख किया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात के रूप में बिजली सब्सिडी 2002-03 से 2004-05 के दौरान लगभग 1.2 प्रतिशत के स्तर पर रुकी रही और 2005-06 (सं.अ.) में गिरकर 1.0 प्रतिशत पर आ गई।

2005-06 (सं.अ.) में कृषि उपभोक्ताओं को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा दी जाने वाली सकल सब्सिडी का 70 प्रतिशत से अधिक

बॉक्स 10: अधिक नकद शेष का प्रबंधन

यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अधिक नकद अधिशेष किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि जैसे कि चलनिधि वातावरण में क्षरण की स्थिति से पार पाने में एक कुशन प्रदान करता है। उन राज्य सरकारों, जिनके पास नकद अधिशेष का स्तर ऊंचा है, के पास यह विकल्प रहता है कि वे कम कूपन वाले नए निर्गमों से ऊंची लागत वाले ऋणों को बदलने के लिए अपने नकद अधिशेष का उपयोग करें अथवा अपने बकाया ऊंचे कूपन वाले बाजार उधारों का समय पूर्व भुगतान कर दें। जहां तक ऋणों को बदलने की बात है, नए निर्गमों पर कम कूपन दरों के कारण संबंधित राज्य सरकारों को होने वाले फायदे उस प्रीमिया से बराबर हो जाएंगे जो उन्हें ऊंचे कूपन वाले बांड धारकों को अदा करने पड़ेंगे और दानों धाराओं के अंतर्गत नकद प्रवाहों का निवल वर्तमान मूल्य एकदम बराबर होगा। ऋण स्वैप के मामले की भांति ही एकमुश्त समयपूर्व भुगतान में समय पूर्व भुगतान वाले वर्ष में प्रीमिया का सामने - सामने भुगतान निहित रहता है जब तक कि वापस खरीदे जाने वाले स्टॉक पर कूपन की दर उस दर की तुलना में ऊंची रहेगी जिस पर इसे वापस खरीदा जाना है। ऋणों की समयपूर्व चुकौती से राज्य सरकार को अपने राजकोषीय और राजस्व शेषों को सुधारने में मदद मिलेगी और उसकी मात्रा ऋण वापस-खरीद नीलामियों में मिलने वाले औसत (ऊंचे) प्रतिलाभ और खजाना बिलों में अधिशेष नकद शेषों के निवेशों पर प्रतिलाभ की दर के अंतर पर निर्भर होगी। दूसरा, ऋणों की समयपूर्व अदायगी के कारण बकाया देयताओं में कमी से आशा की जाती है कि सरकारों की राजकोषीय स्थिति के बारे में बाजार बोध में सुधार आएगा और भावी बाजार उधारों की लागत के लिए इसके सकारात्मक निहितार्थ होंगे। इस प्रकार, उच्च कूपन वाले बकाया ऋण की वापस खरीद कतिपय स्थितियों में संविदा किए गए निम्न कूपन ऋण से उच्च कूपन ऋणों को बदलने की जगह वरीय विकल्प हो सकता है। तथापि, वे राज्य जो ऋण की समयपूर्व चुकौती पर विचार कर रहे हैं उन्हें स्वयं इस बात की संतुष्टि करनी होगी कि उनके अधिक नकद अधिशेष टिकाऊ स्वरूप के हैं। दूसरा, यह देखते हुए कि राज्य सरकार प्रतिभूतियों का व्यापार बहुत कम होता है, वापस खरीदी जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूतियों का सटीक मूल्यन एक मुद्दा हो सकता है। तीसरा, चूंकि निवेशकों में खरीदो और रोके रखो प्रकृति वाले निवेशक हावी रहते हैं इसलिए बाजार सहभागियों की संभावित प्रतिक्रिया में गर्मजोशी कम रहती है। ऋण की वापसी-खरीद और ऋण के बदलने का एक वैकल्पिक तरीका यह भी हो सकता है कि जहां संसाधन संग्रहण में राज्य सरकारें सक्रिय हों वहां खुले बाजार उधारों और अन्य ऋणों से दूर रहा जाए।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि 2005-06 में रिजर्व बैंक में जमा केंद्र सरकार के नकद अधिशेषों के निर्माण और अस्थिरता का भारत में चलनिधि स्थितयों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सरकारों के नकद शेष जब केंद्रीय बैंक में रखे जाते हैं तो ये बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि का अंग नहीं होते। अतएव, सरकारों के खातों के आधिक्य शेषों में तेज वृद्धि बैंकिंग प्रणाली में नकदी घटाती है और इससे अल्पावधि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। वे व्यवस्थाएं जो सरकार के खाते से अधिशेष निधियों को प्रणाली के घाटे वाले सहभागियों को अंतरित करना सुगम बनाती हैं वे प्रणाली के चलनिधि प्रबंधन में बेहतर ढंग से सहायता कर सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं न केवल सरकार को अपने नकद शेषों पर बेहतर लाभ कमाने में सक्षम बनाती हैं बल्कि अल्पावधि ब्याज दरों में होनेवाली अस्थिरता को भी दूर करती हैं और रात भर वाली मुद्रा बाजार दरों को भी स्थिर रखती हैं।

चलनिधि के ऐसे अंतरण को हासिल करने के लक्ष्य वाली व्यवस्थाएं भिन्न-भिन्न देशों में काफी अलग हैं। उदाहरण के लिए कनाडा में सहभागियों के एक चुनिंदा सेट के बीच केंद्र सरकार के नकद शेषों की दिन में दो बार स्पर्धात्मक नीलामी होती है। सहभागियों की बोली लगाने की सीमाएं (जमानती और बेजमानती) उनकी क्रेडिट रेटिंग के आधार पर तय की जाती हैं। सभी सरकारी प्राप्तियां और भुगतान बैंक आफ कनाडा में रखे गए सरकार के खातों के माध्यम से होते हैं और खातों का प्रबंधन इस प्रकार किया जात है कि केंद्रीय बैंक में अधिशेष अनिवार्यतः मामूली ही रहते हैं। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार अपने सभी नकद शेषों को प्रभावशाली ढंग से दैनिक आधार पर बाजार में निवेश करती है।

इसके ठीक विपरीत, अन्य जी-7 देशों में अपने संबंधित केंद्रीय बैंकों में सामान्यतया काफी नकद शेष रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान और इटली अपने सभी सरकारी शेष अपने-अपने केंद्रीय बैंक में रखते हैं। फ्रांस और अमरीका अपने केंद्रीय बैंकों में काफी कार्यशील शेष रखते हैं और एक तय सीमा से अधिक राशियां बाजार में निवेशित की जाती हैं। जर्मनी अपने नकद अधिशेषों को भूले भटके ही बाजार में निवेश करता है।

जो देश केंद्रीय बैंक में अधिशेष रखते हें वे केंद्रीय बैंक पर इस बात का भरोसा करते हैं कि वह उनकी निधियों का निवेश करेगा। अमरीका अपनी शेष राशियां बाजार सहभागियों को एक स्थिर संदर्भ ब्याज दर पर (इस समय फेड फंड रेट से 25 आधार अंक कम) आनुपातिक आधार पर आबंटित करता है जबकि फ्रांस और इंग्लैंड बाजार सहभागियों से सीधे सौदा करते हैं। अमरीका अपने नकद शेषों के लिए पूरी जमानत लेता है जबकि फ्रांस और इंग्लैंड मुख्यतः रिपो बाजार के माध्यम से निवेश करते हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2005-06, भारतीय रिजर्व बैंक ।

बॉक्स 11 : राज्य सरकारों के निवेश संविभाग

1990 के दशक के अंत से रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूति धारिताओं के अपने निवेश संविभाग के माध्यम से 14 राज्य सरकारों की समेकित ऋण शोधन निधियों (सीएसएफ) और पांच राज्य सरकारों की गारंटी मोचन निधियों (जीआरएफ) के निवेशों का प्रबंधन करता आ रहा है। राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई आपदा राहत निधि (सी आर एफ) के अंतर्गत निवेशों का प्रबंधन सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों द्वारा किया जा रहा है। बारहवें वित्त आयोग ने सभी ऋणों (न कि केवल खुले बाजार उधार, जैसा कि वर्तमान में है) के परिशोधन को शामिल करने के लिए समेकित ऋण शोधन निधियों का दायरा बढ़ाने के पक्ष में सिफारिश की है, जबकि जी आर एफ और सी आर एफ अपने मौजूदा स्वरूप में ही चलती रहेंगी। सी एस एफ का बढ़ा हुआ दायरा सी एस एफ में राज्यों के निवेश बढ़ा सकता है और रिज़र्व बैंक के पास प्रतिभूतियों के सीमित स्टॉक के मद्देनज़र मौद्रिक नीति संचालन के प्रयोजन से किए जानेवाले रिज़र्व बैंक के खुला परिचालनों पर असर डाल सकता है। इस संबंध में, राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उधारों के संबंध में गठित तकनीकी समूह (अध्यक्ष : श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) ने दिसंबर 2005 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि रिज़र्व बैंक को बढ़ी हुई सी एस एफ का प्रबंध जारी रखना चाहिए, रिज़र्व बैंक को प्राथमिक व्यापारियों/बैंकों से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां भी हासिल करनी चाहिए और उन्हें तत्काल उसी मूल्य पर अर्थात् बिना कोई प्रभार लगाए तथा इन लेनदेनों के उचित प्रकटीकरण के साथ राज्य सरकारों को आगे पहुंचानी चाहिए ताकि ऐसे लेनदेनों के इरादे के बारे में बाजार सहभागियों के बीच कोई संशय न हो।

इन गतिविधियों के संदर्भ में 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित किया गया था कि राज्य सरकारों की समस्त देयताओं को कवर करने के लिए समेकित ऋण शोधन निधि (सी एस एफ) योजना की पुनः समीक्षा की जाए। इसके अलावा, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के संबंध में परामर्शदात्री समिति (अध्यक्षः श्री एम.पी. बेज़बरुआ) ने सिफारिश की कि यदि राज्य सरकारों की सी एस एफ/जीआरएफ योजनाओं में उक्त प्रावधान जोड़ा जाता है तो सी एस एफ / जी आर एफ में राज्यों के निवल वृद्धिशील (अर्थात् मोचन / परिसमापन घटाकर नए निवेश) वार्षिक निवेश विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के लिए पात्र बनाए जाने चाहिए। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में राज्यों के बीच सीएसएफ/जीआरएफ की एक संशोधित आदर्श योजना परिचालित की। जहां तक सी आर एफ की बात है, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने इस योजना के विवरण सभी राज्य सरकारों के बीच परिचालित किए। इस संदर्भ में और भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने इस निधि में निवेशों के प्रबंधक के रूप में रिज़र्व बैंक के लिए लागू संशोधित योजना का प्रारूप तैयार किया और उसे भारत सरकार के पास सहमति के लिए भेजा और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह संशोधित योजना भेजी। इस आपदा राहत निधि योजना में रिज़र्व बैंक ने परिवर्तन अनिवार्यतः इसलिए किए ताकि सी एस एफ और जी आर एफ योजनाओं की भांति ही निवेश और कमीशन के भुगतान की पद्धतियों में एकरूपता लाई जा सके। तथापि, राज्यों के पास रिज़र्व बैंक को निधि प्रबंधक चुनने का अधिकार रहेगा। आपदा राहत निधि के निवेश राज्य सरकारों को मिलने वाले बाजार संबद्ध प्रतिलाभ अधिक कमाने के विचार से संचालित होंगे हालांकि निवेशों की सुरक्षा और चलनिधि सुनिश्चित की जाएगी।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06 भारतीय रिज़र्व बैंक।

है। कृषि उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं को की जाने वाली सब्सिडी प्राप्त बिजली आपूर्ति के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अब तक मुख्यतः औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए प्रति सहायता (क्रास सब्सिडाइजेशन) प्रदान करने के साथ ही राज्य सरकारों से माफी (सबवेंशन) (वित्तीय सहायता) प्रदान करके दी जाती रही है। हालांकि, माफी के कुल स्तर में हाल ही के वर्षों में गिरावट आई है जबकि प्रति सहायता के कुल स्तरों में वृद्धि दिखाई दी है। कृषि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी से राज्य सरकारों द्वारा दी जानेवाली माफी (सबवेंशन) के स्तरों का अनुपात 2002-03 के लगभग 60 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में लगभग 46 प्रतिशत के आसपास था। कृषि उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी से प्रति

सारणी 53 : राज्य बिजली बोर्ड द्वारा दी गई सब्सिडी

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि उपभोक्ता के लिए सब्सिडी	घरेलू उपभोक्ता के लिए सब्सिडी	अंतरराज्य बिक्री के लिए सब्सिडी	कुल सब्सिडी (2+3+4)	राज्य से प्राप्त अर्थ सहाय्य	निवल सब्सिडी (5-6)	अन्य क्षेत्रों से अधिशेष	इसमें शामिल न की गई सब्सिड़ी (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991-92	5,938	1,310	201	7,449 (1.14)	2,045	5,404	2,173	3,231
2000-01 (अ)	24,074	9,968	386	34,428 (1.63)	8,820	25,607	3,435	22,172
2001-02 (अ)	24,013	10,347	227	34,587 (1.52)	8,680	25,907	3,698	22,209
2002-03 (अ)	21,845	8,534	189	30,568 (1.25)	12,996	17,572	4,797	12,775
2003-04 (अ)	23,346	8,885	923	33,154 (1.20)	11,081	22,073	6,133	15,941
2004-05 (अ)	25,240	10,432	516	36,187 (1.16)	10,478	25,709	6,391	19,319
2005-06 (संअ)	25,043	10,179	410	35,632 (1.01)	11,562	24,070	8,083	15,987

अ : अनंतिम संअ : संशोधित अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकडे सघउ का संविभाग है।

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, विभिन्न इश्यूज।

सहायता का अनुपात 1991-92 के 37 प्रतिशत की तुलना में 2005-06 (सं.अ.) में 32 प्रतिशत था जोकि पहले से कम है। यह भी देखा जा सकता है कि माफियों और प्रति सहायताओं के बाद भी राज्य बिजली बोर्डों के पास 1991-92 के 3,231 करोड़ रुपए की तुलना में 2005-06 में अनुमानतः 15,987 करोड़ रुपए की अपूरित सब्सिडियां हैं। यद्यपि, हाल के वर्षों में राज्य सरकारों से मिलने वाली माफी की राशि घटी है और ये 11,000 करोड़ रुपए से भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं जिसका राज्य सरकारों के संसाधन अंतर पर तत्काल गलत प्रभाव पड़ रहा है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, 2005-06 के अनुसार, *'2005-06 में जहां राज्य सरकारों से राज्य बिजली बोर्डों को 11,562 करोड़ रुपए के सीधे अंतरण हुए थे लेकिन 15,987 करोड़ रुपए की अपूरित सब्सिडी फिर भी बाकी थी जो इस बात को दर्शाती है कि सुधारों में ने केवल बिजली क्षेत्र को सुधारने की भारी संभावनाएं हैं बल्कि राज्यों की राजकोषीय स्थिति को भी सुधारने की बहुत संभावनाएं हैं।'*

VIII.6 सामाजिक क्षेत्र व्यय

समाज सेवाओं के संबंध में सार्वजनिक व्यय से संबंधित ढेर सारे उत्तरदायित्व सरकारों के डोमेन पर रखे गए हैं। व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि सामाजिक क्षेत्र व्यय के स्तर के मानव विकास के स्तर और अर्थव्यवस्था की दीर्घावधि संभावनाओं के महत्त्वपूर्ण निहतार्थ हैं (जैसा कि खंड VII में चर्चा की गई है)। इस संबंध में कतिपय मुद्दों पर चर्चा करना लाभकारी है।

सामाजिक क्षेत्र व्यय के परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा पर्याप्तता का प्रश्न है। देश में अधिकांश राज्यों द्वारा हासिल किए गए मानव विकास के निम्न स्तर को देखते हुए तथा आय विभाजन में असमानताओं को देखते हुए मानव विकास संकेतकों को सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकारों पर समाज सेवा व्यय का एक न्यूनतम पर्याप्त स्तर बनाए रखने पर जोर दिया जा सकता है। विशेषकर, राजकोषीय सुधार और समेकन की सतत प्रक्रिया में राज्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्र व्यय के स्तर में कमी न की जाए। तथापि, हाल के वर्षों में राज्यों के वित्त में सुधार से उन्हें भविष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने की शक्ति मिलेगी जिससे देश में मानव विकास संवर्धन और समग्र सामाजिक ढांचे की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, राज्यों को अपने व्ययों की प्राथमिकताएं पुनः निश्चित करनी होंगी ताकि सामाजिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित किया जा सके। जिस प्रकार कुल स्तर की प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित की जाती हैं उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र व्यय बास्केट की प्राथमिकताएं भी पुनर्निर्धारित करनी भी उतनी ही जरूरी हैं। तदनुसार, सामाजिक क्षेत्र व्यय के भीतर मौलिक समाज सेवाओं पर व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय के वेतन से इतर घटक ने महत्त्व प्राप्त कर लिया है जिससे कि मानव विकास पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ सके।

दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जो सामाजिक क्षेत्र व्यय की प्रभावशालिता से जुड़ा हैं अर्थात् सामाजिक संकेतकों पर सामाजिक क्षेत्र व्यय का प्रभाव। भिन्न-भिन्न संदर्भों में यह प्रभाव इस बात पर अलग-अलग निर्भर करेगा कि निधियां कितने प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाई गईं, भ्रष्टाचार का स्तर, लोगों की जागरूकता, समाज सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित विभिन्न संस्थाओं के विकास की स्थिति, आदि। इस प्रकार, विभिन्न अनुकूलन कारकों के आधार पर इसका प्रभाव अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा। इस संदर्भ में, परिव्यय और परिणाम के बीच भेद करना ही होगा। केंद्र सरकार की देखा-देखी अनेक राज्यों ने 2006-07 के अपने बजटों में 'परिणामी बजट' निकालना प्रस्तावित किया है। अन्य राज्य इसका अनुसरण कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ सकेगी और इस प्रक्रिया में सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं में किए गए निवेशों से बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

वास्तव में, नागरिकों को उत्तम सेवाएं देने का आबादी के गरीब तबकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में, जो अध्ययन हुए हैं वे दर्शाते हैं कि गरीब लोग गुणवत्ता के बजाय दाम के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार, यदि गुणवत्ता ठीक न हो तब भी वे सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली से जुड़े रहते है क्योंकि निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का भुगतान वहन नहीं कर सकते । इसप्रकार, यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो गरीबों पर उसका बुरा असर होगा क्योंकि सक्षम लोग निजी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, सेवा प्रदानगी में सुधार से लोगों को इन सेवाओं के लिए भुगतान करने का प्रोत्साहन मिलेगा। वस्तुतः सामाजिक सेवाओं को सहायता देने के पीछे यही तर्क है कि गरीब वर्ग की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बन सके जिससे मानव विकास के समग्र स्तर में सुधार आएगा।

IX. निष्कर्षात्मक टिप्पणियां

राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण हाल के वर्षों में मुख्य घाटा संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। 2005-06 में जीएफडी और राजस्व घाटा, जीडीपी के अनुपात के रूप में, कम होकर क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत रह गया। इस प्रकार का सुधार प्राथमिक रूप से राजस्व प्राप्तियों के साथ राजस्व वृद्धि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, के माध्यम से हुआ है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.0 प्रतिशत अधिक था और राज्यों की अपनी कर प्राप्तियां 0.3 प्रतिशत बढ़ गई थीं। इसके अलावा, 2005-06 के संशोधित अनुमान यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकारों के राजकोषीय निष्पादन में बजट अनुमानों की तुलना में सुधार हुआ था, विशेष रूप से राजस्व खाते में और उससे संशोधित अनुमान में राजकोषीय निष्पादन में गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति उलट गई थी। बाविआ में उपलब्ध कराया गया प्रोत्साहन और राजवि में निर्धारित बजट नियमों ने राज्य सरकारों को उनकी संभाव्य राजकोषीय स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया है।

राज्य सरकारों ने उनके बजटों में राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और 2006-07 के उनके बजटों में और समेकन की प्रतिबद्धता दी है। तदनुसार, जीएफडी और राजस्व घाटा, जीडीपी के अनुपात के रूप में, पिछले साल के स्तर से क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत पर कम रखे गए हैं। इन सुधारों को मुख्यतः राजस्व वृद्धि के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को पहचानते हुए कि राजकोषीय सुधार की निरंतरता के लिए राजस्व वृद्धि आवश्यक है, राज्य सरकारों ने कर प्रणाली को व्यापक तथा युक्तियुक्त बनाने पर बल दिया है। इसके साथ-साथ, राज्य सरकारों ने कर प्रशासन को सुधारने, वर्तमान कर और करेतर संग्रह को दिशाबद्ध तथा मजबूत करने पर और राजस्व का नुकसान रोकने बल दिया है। बजट प्रस्तावों की जबावदेही सुधारने की दृष्टि से कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 'आउटकम बजट' शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। उनके बढ़ते पेंशन दायित्वों को सीमित करने के लिए परिभाषित अंशदान के आधार पर नई पेंशन योजनाएं शुरू करने की घोषणा करने वाले राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ राज्यों ने खाली पदों की समाप्ति, व्यय कटौती उपाय और योजनेतर व्यय में कटौती करके गैर विकासीय व्यय कम करने का प्रस्ताव किया है। किंतु राज्यों के सामने राजकोषीय सुधार जारी और सुदृढ़ रखने का चुनौतीपूर्ण कार्य है जिससे अंततः दीर्घावधि का राजकोषीय सर्मकन होगा।

हाल के वर्षों में राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति में सुधार के बावजूद राज्यों के राजकोषीय निष्पादन में भारी अंतर दिखता है जो कि विभिन्न राजकोषीय संकेतकों के मूल्यांकन में दिखता है। राजकोषीय रूप से दुर्बल राज्य राजकोषीय रूप से सुदृढ़ राज्यों की बराबरी में आने के लिए उपाय करने पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि बाविआ ने लक्ष्य-उन्मुख राजकोषीय पुनर्गठन पथ उपलब्ध कराया है और उक्त लक्ष्य सभी राज्यों द्वारा 2009-10 की समाप्ति तक पूरा किया जाना है।

अधिकतर राज्यों द्वारा रा.ज.वि. के अधिनियमन के कारण राज्य स्तर पर नियम आधारित राजकोषीय नीति का ढांचे का आरंभ हो गया है। किंतु, रा.ज.वि. के तहत राजकोषीय सुधार का पथ वास्तववादी होना चाहिए। सुधार प्रक्रिया के कारण पूंजी परिव्यय और सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय पर विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए। किंतु राज्यों द्वारा अधिनियमित रा.ज.वि. के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से किसी भी प्रकार के विचलन से विश्वसनीयता का मामला उभरता है। इसलिए, यह वांछनीय होगा कि रा.ज.वि. अधिनियमित करने वाली राज्य सरकारें नियमों का पालन करें और शेष राज्य नियम आधारित ढांचा अपनाने की दिशा में प्रयास करें।

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय से संबंधित दायित्व राज्य सरकारों के डोमेन पर रखे गए हैं, यह माना जाता है कि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के स्तर का मानव विकास के स्तर और अर्थ व्यवस्था की दीर्घावधि संभावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के बाबत राज्यों ने पर्याप्तता, समानता और सक्षमता जैसे पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रदानगी में सुधार से इन सेवाओं संबंधी लागत वसूली बढ़ने में मदद मिलेगी।

हाल की अवधि में राज्य सरकारों के अतिरिक्त नकदी शेष तेजी से बढ़े हैं जैसा कि 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिलों में उनके निवेश से प्रकट होता है। राज्य सरकारों के अतिरिक्त नकदी शेषों में वृद्धि का मुख्य कारण तुलनात्मक रूप से उच्च लागत के एनएसएसएफ संसाधनों के भारी स्वतस्फूर्त अंतर्वाह, बा.वि.आ. के सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय करों और अनुदान में वृद्धि और

साथ ही राज्यों के बजट अनुमानों की तुलना में उनके स्वयं के कर राजस्व में तेजी हैं। नकदी अधिशेष में वृद्धि से राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार भी प्रकट होता है जो मुख्यतः रा.ज.वि. के अधिनियमन और राजकोषीय मजबूती के प्रक्रिया संबंधी राज्यों की प्रतिबद्धता से आसान हो गया। राज्य सरकारों के नकदी शेषों की मात्रा और स्थिरता को प्रभावित करने वाले संभाव्य कारकों में अल्प बचत (एनएसएसएफ) के संबंध में मौजूदा व्यवस्था और तेजी में परिवर्तन के साथ ही अपेक्षित व्यय (चुकौती दायित्व, आस्थगित व्यय और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बढ़े हुए वेतन बिल सहित) और/या अनपेक्षित व्यय शामिल हैं। किंतु राज्य सरकारों के नकदी शेष में वृद्धि ने राज्य सरकारों के नकदी और वित्तीय प्रबंध की चुनौती खड़ी कर दी है।

केंद्र सरकार ने छठा वेतन आयोग पहले ही गठित कर दिया है, अतः राज्यों को चाहिए कि वे उसकी सिफारिशों को उनके कर्मचारियों पर लागू करने की संभावना के चलते राज्य सरकारों पर पड़ने वाले प्रभाव की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। किंतु वेतन स्तरों संबंधी निर्णय के बाबत उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है और उन्हें अपनी राजकोषीय क्षमता, कार्मचारी संख्या, जनसंख्या तथा उत्पादक रोजगार के अपेक्षित संपूरक व्यय में तालमेल बैठाना होगा।

राज्य सरकारें राजस्व वृद्धि के लिए राजकोषीय अधिकार देने पर बल दे सकती है, अर्थात बजट में राजस्व प्रवाहों की गुंजाइश और मात्रा बढ़ाकर। इससे उन्हें व्यय स्वरूप को परिवर्तित करने और उसकी दिशा सामाजिक क्षेत्र तथा पूंजी व्यय की ओर मोड़ने की आवश्यक छूट मिल सकती है। इस संदर्भ में कर सुधार के अलावा, उचित उपयोगकर्ता प्रभार लगाने, सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाने (बिजली क्षेत्र की सब्सिडी सहित) और राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कर प्रशासन और बकाया करों की वसूली के माध्यम से कर संग्रह बढ़ाने की राज्य सरकारों की कार्यनीति को अधिक बल के साथ जारी रखने की आवश्यकता है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
1. आंध्र प्रदेश	• लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु मुफ्त बिजली आपूर्ति करना • 'पावला वड्डी' सहित महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करना • बैंकों द्वारा महिला समूहों को दिए गए ऋण पर ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना • नई स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करना जो गरीब लोगों की चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करे। • नए स्थापित उद्योगों तथा फेरो मिश्र धातु उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों को विद्युत सब्सिडी	• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुरूप आंध्र प्रदेश 'ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' अधिसूचित करना।	• ग्रामीण जनता को रोजगार देने हेतु 'आंध्र प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' कार्यान्वित करना। • तेलंगाना के सूखे जमीनी क्षेत्र हेतु गोदावरी के पानी का उपयोग करने के लिए 4 बड़ी सिंचाई परियोजना स्थापित करना। • 85 पशुचिकित्सा संस्था स्थापित करना। • पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा में सुधार हेतु 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित करना। • ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ करना। • सभी आदिम जनजातीय समूहों को बीमा कवरेज के अंतर्गत लाया जा रहा है।
2. अरुणाचल प्रदेश	• जीवन रक्षा औषधियों पर वैट न लगाना • वैयक्तिक हल्के वाहन और दुपहिया वाहन पर प्रवेश कर समाप्त करना।		
3. असम	• ऐसी सरकारी क्षेत्र की इकाइयां जो अर्थक्षम नहीं रह गई हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने नियंत्रण में लेगी तथा उनके कर्मचारियों सहित उनकी वर्तमान देयताओं को पूरा करेगी। • सभी राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर लागू एक समान वीआरएस पालिसी पैकेज अपनाना। • सरकार, कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य क्षेत्र के स्नातकों को 50 प्रतिशत की राज्य सब्सिडी देकर स्वरोजगार उद्यम के लिए प्रोत्साहित करेगी। • स्वयं सहायता समूहों को 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी देने हेतु योजना की घोषणा। • असम कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में योजना तथा योजनेतर संसाधनों का आबंटन करना ताकि उसके राजकोषीय संकट को नियंत्रित किया जा सके। • राज्य सरकार के अंतर्गत अजा, अजजा, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विकलांग व्यक्तियों	• पंचायतीराज संस्था तथा शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने हेतु तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। • असम एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय बनाना। • जिला योजना की संकल्पना शुरू करना जिसके अंतर्गत एक जिला योजना एवं निगरानी समिति जिला स्तरीय योजना तैयार करेगी और जिसका अनुमोदन सरकार करेगी। • एक निदेशालय, विशेष रूप से चाय जनजातीय समूह के कल्याण के लिए स्थापित करना। • कामरूप जिला के लिए एक आदर्श जिला कार्यालय परिसर बनाना। • सिपेट के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाना ताकि गैस क्रेकर परियोजना और उससे संबद्ध उद्योगों में	• असम एकीकृत बाढ़ नियंत्रण एवं क्षरण निरोधक परियोजना और असम अभिशासन तथा सार्वजनिक संसाधन प्रबंध कार्यक्रम को एशिया विकास बैंक द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा। • गुवाहाटी में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना करना। • बाढ़ और क्षरण प्रबंधन के प्रयोजन से असम एकीकृत बाढ़ तथा नदी के किनारों के प्रबंधन की परियोजना बनाना। • मलेरिया के प्रभावी निदान के लिए विशेषज्ञों के कार्यबल का गठन करना। • कोकराझार में मेडिकल कॉलेज बनाना। • इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना। • असम पावर निर्माण निगम लिमि. को आवश्यक इक्विटी सहायता देते हुए लोवर

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	की विभिन्न श्रेणियों के बैकलॉग सहित 12,000 पदों को भरना। • भारत सरकार की दरों के समान महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत देना। • औषधि और मलेरिया दवाओं पर कर की दर कम करना। • ऐसे राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष कर प्रोत्साहन योजना, जो रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। • लघु उद्योग इकाइयों के लिए सभी प्रकार के संयंत्रों और मशीनरी पर प्रवेश कर कम करना। • जनरेटर सेट द्वारा विद्युत पैदा करने हेतु विद्युत शुल्क का भुगतान करने से गृहस्थ क्षेत्र को मुक्त रखना। • अर्थदंड के रूप में लगाए गए करों से एक समर्पित निधि बनाना जिसका इस्तेमाल उपभोक्ता कल्याण तथा जागरुकता के लिए किया जाएगा। • कर सुधार आयोग का गठन किया गया, जो व्यावहारिक तरीके से यह देखेगा कि कराधान में सुधार किस तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। • कर विभाग की वेबसाइट प्रारंभ करना जिसमें कर से संबंधित समस्त जानकारी होगी। • ईमानदार और नियमित कर दाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष सुविधा के रूप में गोल्डन और सिल्वर कार्ड की योजना प्रारंभ करना।	आवश्यकता आधारित गतिविधियों को करने हेतु नवयुवकों को प्रोत्साहित करना। • जटरोफा परियोजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य स्तर पर जटरोफा मिशन गठित करना। • ''असम अपार्टमेंट्स निर्माण और स्वामित्व अंतरण विधेयक 2006'' विधेयक लाना, जो असम के सभी शहरों में निर्माण गतिविधियों की अप्रत्याशित वृद्धि के प्रबंधन के लिए सरकार की स्पष्ट नीति स्थापित करेगा। • राज्य में समयबद्ध तरीके से पर्याप्त तथा स्थायी स्वरोजगार पैदा करने हेतु रोजगार सृजन मिशन प्रारंभ करना। • प्रत्येक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष से वार्षिक निष्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली प्रारंभ करना, जिसे विधान सभा में रखा जाएगा। • केंद्रीय सर्तकता अधिनियम के अनुरूप राज्य सतर्कता अधिनियम लाना। • भ्रष्टाचार से सार्वजनिक प्रशासन को मुक्त करने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1998 से संबंधित केंद्रीय अधिनियम को अंगीकार करना।	कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना लागू करना। • नामरूप में परियोजना स्थापित करना जो वर्तमान पुरानी थर्मल पावर परियोजना के स्थान पर होगी तथा बरगोलाई में एक अन्य कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन बनाना। • असम राज्य वैन लागू करना जो राज्य के मुख्यालय को जिला मुख्यालय से और ब्लॉक/ सर्कल मुख्यालय से तथा अंत में आम सेवा केंद्रों को जोड़ेगा। • 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना, एक लोवर असम में, दूसरा अपर असम में। • राज्य स्तरीय पीएसई स्थापित करना जो तेल, प्राकृतिक गैस और विभिन्न अन्य ऊर्जा स्रोतों का पता लगाएगी, निकालेगी और प्रोसेसिंग करेगी। • 5-सितारा श्रेणी का होटल बनाने के लिए राजस्व विभाग भूमि का निर्धारण करेगा। • प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय को शहरी केंद्र की तरह उन्नत बनाना जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं तथा नागरिक सुविधाएं मुहैया होंगी।
4. बिहार	• मनोरंजन कर में रियायत दी गई ताकि राज्य में मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमा हाल के निर्माण में निवेश बढ़े। • नई गन्ना नीति घोषित की गई। गन्ना मिलों द्वारा गन्ने की खरीद पर लगाए गए कर को समाप्त कर दिया गया है।	• राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। निवेशकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को 'एक खिड़की प्रणाली' द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।	• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। • मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
5. छत्तीसगढ़	• 'बजट परिणाम' की परंपरा शुरू करना ताकि राज्य की विभिन्न योजना के अंतर्गत आबंटित व्यय राशि का कितने असरदार तरीके से इस्तेमाल किया गया इसका मूल्यांकन किया जा सके। • राज्य में 1 अप्रैल, 2006 से वैट लागू करने का निर्णय । • चुनिंदा पण्यों पर प्रवेश कर का युक्तिकरण।		• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। • सरकारी-निजी क्षेत्र सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में मूलभूत सुविधा विकसित करने पर ज़ोर देना। • राज्य के बेघर ग्रामीण परिवारों के लिए दीनदयाल ग्रामीण गृह योजना प्रारंभ करना।
6. गोवा	• पावर टिलर की खरीद के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी । • इलेक्ट्रिक वाटर पंप खरीदने हेतु 25 प्रतिशत की सब्सिडी। • जल प्रवाह के लिए पाइप लगाने की लागत पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी। • पंजीकृत व्यापारियों द्वारा पुरानी प्रमाणित कारों की पुनः बिक्री पर निगेटिव इनपुट टैक्स क्रेडिट सहित, कर लगाने का प्रस्ताव। • अधिक राजस्व पैदा करने के लिए बीयर और आइएमएफएल पर आयात पास शुल्क लगाना। • अतिरिक्त राजस्व हेतु गोवा के बाहर से आने वाली मुर्गियों एवं अण्डों पर उपकर लगाना। • अतिरिक्त राजस्व हेतु प्रत्येक विदेशी पर्यटक पर उपकर लगाना।	• अजा / अजजा संबंधी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाना। • प्रभावी रूप से आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर स्वायत्त आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना तथा जिला स्तर पर व्यवस्था करने का प्रस्ताव। • गोवा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अपने धन से तथा राज्य के आवश्यकता के अनुरूप लागू करना तथा सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इस योजना के अंतर्गत लाना।	• अजा के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम तथा विशेष कंपोनेंट योजना लागू की जाएगी और उसकी निगरानी की जाएगी। • विशेष योजना बनाकर तथा उनके लिए धन का निर्धारण करके अजजा हेतु जनजाति उपयोजना तैयार करना। • 'कन्या धन' नामक नई योजना शुरू करना जिसमें अजा/अजजा की विद्यार्थिनियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मीयादी जमा का प्रावधान होगा। • 'राजीव आवास योजना' नामक नई योजना उन परिवारों के लिए शुरू करना जो गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर हैं। उनके लिए नया घर बनाना तथा घर की मरम्मत करना। • एनजीओ, पंचायत और नगरपालिकाओं को अनुदान देकर वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक देखभाल हेतु 'उम्मीद' प्रारंभ करना। • नई योजना 'सहारा' आरंभ करके असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवरेज उपलब्ध करवाना और इसे जीवन बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। • एनजीओ के साथ मिलकर चलती-फिरती प्रयोगशाला, चिकित्सा जानकारी कैंप के माध्यम से पूरी आबादी के स्वास्थ्य जांच का प्रस्ताव।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			• दयानंद समाज सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनाथों को सामाजिक सुरक्षा देने हेतु नई योजना 'बचपन' शुरू करना।
7. गुजरात	• बिक्री कर क्षमा योजना और 'वचनवीर सरल अकरनी योजना' प्रारंभ करना जिसका उद्देश्य बकाया करों की तेजी से वसूली सुनिश्चित करना होगा। • विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों को विद्युत शुल्क में कमी। • अप्रैल 2000 से पहले पंजीकृत दस्तावेज़ों पर बकाया स्टैम्प शुल्क की वसूली हेतु क्षमा योजना। • स्थानीय निकाय व्यवसाय कर की वसूली करें और उसे अपने पास रखें किंतु कुछ अपवादों के साथ। वर्तमान अधिनियम संशोधित किया जाएगा।	• बंदरगाह वाले क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात तटीय क्षेत्र विकास योजना बोर्ड का गठन करना। • गुजरात शहरी विकास मिशन का गठन किया जाएगा और शहरों के आधुनिकीकरण एवं विकास की योजना लागू की जाएगी।	• अगले कृषि महोत्सव पर छोटे, सीमांत, अजा/अजजा किसानों को कृषि-किट मुफ्त देना। • बेसहारा विधवा पेंशन योजना का प्रस्ताव। • कच्छ के मुंद्रा में केंद्र सरकार के साथ अत्याधुनिक बृहत् विद्युत परियोजना लगाना। • जीआइडीसी में आबंटित पट्टे पर जमीन को उपयुक्त प्रीमियम पर पट्टे की जमीन से फ्री होल्ड में परिवर्तित करना। • गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान स्थापित करना। • भूकंप के भय को ध्यान में रखते हुए भूकंप-विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थापित करना।
8. हरियाणा	• सभी किसानों के बकाया विद्युत बिलों को भरना ताकि वे मौजूदा बिलों का भुगतान कर सकें। • क्षेत्र की आर्थिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए भूमि अभिग्रहण की न्यूनतम दर निर्धारित करना जिससे भूमि की अपर्याप्त क्षतिपूर्ति की समस्या समाप्त होगी। • मनोरंजन उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु मनोरंजन कर कम करना।	• विदेश में नौकरी हेतु ब्यूरो की स्थापना करना जो विदेश में नौकरी दिलवाने में भर्ती एजेंसी का कार्य करेगा।	• कन्या शिशु के स्तर को बढ़ाने की पहल करना। 'लाड़ली' योजना दूसरी कन्या शिशु के जन्म हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाएगी। पंचायतों को 6-14 वर्ष की कन्याओं का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 18 वर्ष की कन्या को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। बालिका विद्यार्थी को अतिरिक्त छूट देते हुए बस के पास दिए जाएंगे। तकनीकी संस्थानों में बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीट आरक्षित होगी। • महिला के नाम संपत्ति अंतरण पर स्टाम्प शुल्क कम करना। आवास बोर्ड ने महिला उम्मीदवारों के लिए 33 प्रतिशत मकान आरक्षित किए हैं। एक कन्यावाले माता-पिता को 60 वर्ष के बजाय 55 वर्ष की आयु से भत्ता दिया जाएगा। लड़कियों की शादी के लिए अजा/अजजा परिवारों को वित्तीय सहायता। • लोनिवि ने चरणबद्ध रूप से 33 रेल ऊपरी पुल बनाने की योजना बनाई है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			• राज्य सरकार बीओटी आधार पर 5 राज्य सड़कों का कार्य हाथ में लेगी। • मछली किसानों के फायदे के लिए दो नई योजनाएं ''रंग-बिरंगी मछली पालन का विकास'' तथा ''फसल कटने के बाद बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' शुरू की जा रही हैं। • कुंडली में 'राजीव गांधी शिक्षा शहर' की स्थापना करना जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा संस्थाओं को 'श्रेष्ठ शिक्षा केंद्र' स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। • महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। • अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना' नामक छात्रवृत्ति प्रारंभ की गई है। • विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं के बच्चों के पालन-पोषण के लिए 'मदर टेरेसा असहाय मातृसंबल योजना'।
9. हिमाचल प्रदेश	• चालू राजकोषीय वर्ष में बजट से इतर कोई उधार नहीं लिया जाएगा। • मंदिरों के रखरखाव की जरूरत को पूरा करने के लिए धर्मादा निधि सृजित करना। • पुराने टैरिफ दर पर बिजली देने हेतु एचपीएसईबी को सब्सिडी देना। • हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के आबंटन हेतु नीतिगत दिशानिर्देश जिसमें यह निर्धारित होगा कि विकासकर्ताओं से 12 प्रतिशत की दर पर मुफ्त पावर रायल्टी ली जाएगी। • सभी विद्युत निर्माता स्थानीय विकास हेतु परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत देंगे। • राज्य सरकार के कर्मचारियों पर व्यवसाय कर हटाना। • नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं और न ही वर्तमान दरों को बढ़ाया जाएगा।	• हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2006 लाने का प्रस्ताव जो राज्य में श्रेष्ठ संस्थान की स्थापना को बढ़ावा देगा और विनियमित करेगा। • नए और उभरते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना का विधेयक लाना जिसके अंतर्गत प्रशासन की एकल व्यवस्था होगी। • सिंचाई विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग के विशेषज्ञों पर आधारित एक समिति का गठन जो सृजित सिंचाई संभाव्यता तथा परियोजना निर्माण की विस्तारित सेवाओं को एकीकृत करते हुए बीच के अंतराल को कम करने की ठोस रणनीति तैयार करना। • शिमला को छोड़कर सभी शहरी क्षेत्रों में बुनियादी और सफाई व्यवस्था में सुधार	• 'इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना' को दुबारा शुरू करना जिससे माता-पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि लड़की के जन्म के बाद अंतराल रखते हुए परिवार नियोजन अपनाकर कन्या शिशु की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। • मध्य हिमालय के लिए एकीकृत जल विभाजक विकास परियोजना प्रारंभ करना जो परियोजना क्षेत्र में वन और जल संसाधन का पुनर्सृजन करेगी। • स्वान नदी के ऊपरी भाग में मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु स्वान नदी एकीकृत जलविभाजक प्रबंध परियोजना प्रारंभ करना। • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेघर परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में दो बिस्वा और शहरी क्षेत्र में एक बिस्वा ज़मीन का आबंटन। • जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं की कमी है उनमें कमी को पूरा करने के लिए नए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		हेतु राजीव गांधी शहरी नवीकरण सुविधा की स्थापना करना। शिमला को भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल किया गया है। • आपदा प्रबंधन की समस्त गतिविधियों को देखने के लिए 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' गठित किया जाएगा।	• ऋषिकेश के समान आयुर्वेदिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाना। • स्थानीय सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कतिपय जल निकायों के पुनर्वास एवं नवीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ करना। • स्त्री-पुरुष की समानता, मानव विकास और आर्थिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों में स्त्री-पुरुष बजटिंग प्रारंभ किया जाएगा। • राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील तथा उप-तहसील स्तर पर सभी को ऑन-लाइन जोड़ने के लिए राज्य बृहत क्षेत्र नेटवर्क (वैन) की स्थापना। • मार्च 2004 की समाप्ति पर दैनिक मजदूरी करने वाले जिन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें विभिन्न विभागों में रिक्तियां होने पर नियमित किया जाएगा।
10. जम्मू और कश्मीर	• पिछली योजना की मान्य देयताओं को गैर-योजना पक्ष की ओर अंतरित करने का प्रस्ताव। • आवास और शहरी विकास विभाग माल और बहुमंजिले मॉल के विकास हेतु नीति को अंतिम रूप देना। • मल्टिप्लेक्सेस में बने सभी सिनेमा घरों को 10 वर्ष के लिए मनोरंजन कर से छूट। • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिनके पास पुनः ऊपर उठने की निश्चित योजना है, उनके साथ बजट-बचत के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भौतिक, वित्तीय तथा तकनीकी पुनर्संरचना हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध कराना। • सरकार अपने हिस्से के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक की पूंजी में अंशदान करेगी ताकि अधिकांश धारिता उसके पास रहे	• विद्युत क्षेत्र पर ध्यान देने हेतु एक अलग से विद्युत क्षेत्र बजट। • जिला योजनाओं को कर्ज सृजन अंतरण के बिना वित्तपोषण उपलब्ध कराने हेतु उसके तौर-तरीके तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाएगी। • मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्तरीय ढांचे की स्थापना की जाएगी जो यह देखेगा कि दोनों राजधानी शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान हो रहा है। • एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है जो नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना हेतु कानून, प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रस्तावों पर अपनी सिफारिशें देगी। • छोटा समूह बनाना जो निष्क्रिय आस्तियों को बेचने का कार्य प्रायोगिक आधार पर	• अगले दो वर्ष में विद्युत विकास निगम को सार्वजनिक करना और राज्य सरकार की इक्विटी को कम करके 51 प्रतिशत करना। • राज्य विद्युत व्यापारियों सहित स्वतंत्र विद्युत निर्माताओं एवं लाइसेंसधारकों को संचार प्रणाली की खुली छूट होगी। • उचित मानदंडों के आधार पर वितरण क्षेत्र / अंचल बनाए जाएंगे और तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि का मूल्यांकन करने के लिए ऊर्जा की लेखा-परीक्षा की जाएगी।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	क्योंकि जोखिम भारित प्रावधानीकरण उसकी पूंजी पर्याप्तता को कम करेगी और नई पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी। • कर प्रशासन में सुधार लाने हेतु लखनपुर में एक नया पथकर प्लाज़ा बनाया जा रहा है जिससे रात-दिन माल की आवाजाही सहज हो सकेगी। • सरकार के लेनदेन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रणाली प्रारंभ करना ताकि सरकार से निजी संपर्क कम हो और उसे गैर-निजी बनाया जाए। • वित्त पर निगाह रखने हेतु ओवरड्राफ्ट को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव - एक केवल अर्थोपाय सुविधा हेतु और दूसरा विद्युत के लिए होगा जिसमें विद्युत से संबंधित प्राप्तियां और व्यय को इसी खाते में डाला जाएगा।	करेगा और यह देखेगा कि ऐसी खराब आस्तियों के लिए बाजार है कि नहीं। • जम्मू और कश्मीर अल्पसंख्यक विकास निगम की स्थापना करना जो विभिन्न कारोबार/ गतिविधियों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगी, अल्पसंख्यकों के पुनर्वास तथा विकास के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों को प्रायोजित करके उद्यमिता को बढ़ावा देगी। • जम्मू और कश्मीर बैंक के साथ मिलकर एक कार्यदल का गठन किया जाएगा जो भ्रष्टाचार को कम करने के तरीके बताएगा।	
11. झारखंड	• 1 अप्रैल 2006 से राज्य में वैट लागू करने का निर्णय लिया गया है।	• भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण तथा भूमि नक्शों के डिजिटलाइजेशन की योजना । • राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्योगपतियों को जमीन उपलब्ध कराने हेतु 'भूमिबैंक' की स्थापना करना। • राजकोषीय अध्ययन हेतु एक केंद्र का गठन जिसके दो स्कंध होंगे i)राजकोषीय आयोजना और विश्लेषण कक्ष और ii)ऋण और निवेश प्रबंध कक्ष।	• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। • ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक किलोमीटर के भीतर कोई स्कूल नही थे, वहां अध्ययन गारंटी केंद्र खोले गए हैं। • राज्य में सभी लड़कियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा देने हेतु योजना बनाई गई है। • सार्वजनिक निजी भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में बुनियादी संरचना विकसित करने पर जोर। • राज्य सरकार ने राज्य में स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री वाले सभी जन जाति युवकों को सरकारी नौकरी देने का निश्चय किया है। • राज्य के जनजाती क्षेत्रों में भूख और सूखे दोनों समस्याओं से निपटने के लिए 1500 'ग्राम अनाज बैंक' की स्थापना की जाएगी।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
12. कर्नाटक	• कृषि आयकर से प्रत्येक किसान को मुक्त रखना उस अधिनियम से जो केवल कंपनी तथा फर्मों के लिए ही लागू हैं। • छोटे और सीमांत किसानों द्वारा बैल और बैलगाड़ी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी देना। • सभी प्रकार के भवनों एवं अन्य निर्माण लागतों पर 1 प्रतिशत उपकर लगाकर कल्याण निधि का सृजन करना। एक राज्य कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा जो इस निधि का इस्तेमाल निर्माण कामगारों के फायदे के लिए करेगा। • ग्रामीण खेलकूद तथा ग्रामीण प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता के लिए ग्रामीण खेलकूद निधि बनाना। • भाग्य जोति और कुटीर ज्योति गृहस्थ जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके 31 मार्च 2006 को बकाया बिजली बिलों को माफ कर दिया जाएगा और उनके कनेक्शन में मीटर लगाया जाएगा। • मुफ्त बिजली से चल रहे अनधिकृत पानी के पम्पों को नियमित करने का प्रस्ताव है ताकि सही तरीके से जबाबदेही निश्चित की जा सके। यदि पंप सेटों में मीटर लगाया जाता है तो खर्च का अधिक हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। • मुस्तैद ग्राम पंचायतों के लिए बिजली की लागत बचाने हेतु तथा उन्हें समय पर बिजली की रकम भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोनों उद्देश्यों से उन पंचायतों को 25 प्रतिशत बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो अपने बिल नियत तारीख के भीतर अदा कर देती हैं।	• एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन करना जो राजस्व की वसूली में सुधार, राजस्व के लीकेज की रोकथाम करने और योजना से इतर व्यय को 5 प्रतिशत कम करने के लिए एक निश्चित कार्ययोजना बनाएगा। • वित्त विभाग में एक स्त्री-पुरुष कक्ष स्थापित करना जो यह देखेगा कि महिलाओं के लिए कितनी राशि है और संसाधनों का आबंटन और व्यय कितना है तथा नीतिगत बाध्यताओं का उचित उपयोग हो। • कृषि प्रणाली के व्यापक अध्ययन के लिए कृषि विशेषज्ञों की समिति स्थापित की जाएगी जो कृषि क्षेत्र में पुनः सक्रियता लाने तथा उसके आधुनिकीकरण के बारे में सिफारिशें देगी। • धर्मादाय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में मंदिरों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन करना। • धरोहर मंदिरों के नवीकरण और सुरक्षा के लिए 'कर्नाटक संस्कृति संरक्षण प्राधिकरण' की स्थापना करना। • अजा/अजजा को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पृथक 'कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम' की स्थापना करना। • लघु सिंचाई कार्यों में प्रगति पर नज़दीक से निगाह रखने के लिए विशेषज्ञों पर आधारित एक उच्च स्तरीय समिति बनाना। • एक नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी जो 2006-2011 अवधि के लिए औद्योगिक विकास का खाका प्रस्तुत करेगी। • बेंगलूर में वाहन पार्किंग स्थल की योजना बनाने और उनके विकास के लिए बेंगलूर महानगर पार्किंग प्राधिकरण की स्थापना।	• कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु 'पंचसूत्र कार्यक्रम' जिसमें शामिल है - मिट्टी की सुरक्षा और अच्छी स्थिति बनाए रखने के उपाय, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऋण की समय पर उपलब्धता, फसल कटने के बाद की प्रोसेसिंग तथा तकनीकों को प्रयोगशाला से हटाकर भूमि के इस्तेमाल में लाना। • 'सुवर्ण कृषि होंडा' कार्यक्रम प्रारंभ करना जिसके अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों की जमीन में 50,000 कृषि तालाब बनाने का प्रयास। • शिमोगा में आर्गेनिक खेती से संबंधित उन्नत अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। • नया पशुचिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव। • अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए नए हास्टल खोलना। • विभेदक ब्याज की योजना प्रारंभ करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अजा एवं अजजा समुदाय को विकास ऋण कम ब्याज दर पर मिलता है। केएसएफसी 4 प्रतिशत की दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगा। • सुवर्ण सुरक्षा नामक नई योजना प्रारंभ करना जिससे गरीबी की रेखा के नीचे सभी भूमिहीन कृषि मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा मुहैया की जा सकें। • गरीबी रेखा से नीचे परिवार की उन सभी लड़कियों को साइकिल उपलब्ध कराना जो 8 वीं कक्षा में हैं ताकि वे स्कूल से आसानी से आ और जा सकें। • उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के मद्देनज़र सात जिलों तथा कनकपुर एवं करगोड़ में सरकारी प्रथम ग्रेड के महाविद्यालय स्थापित करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• निर्यात किए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे तेल के प्रवेश कर से छूट देना। • भारत के बाहर से आयातित विदेशी शराब की बिक्री हेतु भारतीय शराब के लाइसेंस धारकों पर से अतिरिक्त शुल्क समाप्त करना।	• सिंचाई क्षेत्र, बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में संसाधनों के उचित इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करना।	• 'भाग्य लक्ष्मी' नामक नया कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अंतर्गत नवजात कन्या शिशु को 10,000 रुपए मिलेंगे जिसे वह ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु होने पर प्राप्त कर सकती है। • 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वीरता की प्रवृत्ति को मान्यता देने हेतु लड़कों के लिए हौसला शौर्य प्रशस्ति तथा लड़कियों के लिए खिलाड़ी चेन्नम्मा प्रशस्ति की स्थापना करना। • आरटीओ कार्यालय जिनके पास पर्याप्त स्थान नहीं है उनके लिए 'चालक जांच स्थान' बनाना। • राज्य में अतिलघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 25 खंड स्थापित करना। • बागान क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु 'रेशम वरदान योजना' नामक व्यापक योजना प्रारंभ करना। • 'बी-ट्रैक 2010' नामक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करना जिसका लक्ष्य होगा यातायात की भीड़ को काफी कम करना जिसके लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीकें, आधुनिक यातायात पुलिस तथा स्वतःचालित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
13. केरल	• वेतन संशोधन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना। • नए पदों के सृजन पर कठोर नियंत्रण रखना। • वर्तमान केरल राजकोषीय जबाबदेही अधिनियम तथा सरकारी गारंटी अधिनियम से संबंधित केरल सीलिंग को संशोधित करना। • उपभोक्ताओं को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लाटरी का प्रयोग किया जाएगा।	• कृषि ऋण राहत आयोग का गठन किया जाएगा जो सरकार और वित्तीय संस्थाओं को ऋण राहत से संबंधित प्रस्ताव देगा। • कृषि आयोग का गठन किया जाएगा जो सरकार को कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपाय तथा फसल उगाही हेतु न्यूनतम मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव देगा। • नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर निगरानी रखने के लिए विशेष कक्ष का गठन।	• क्वायर के लिए क्रय मूल्य योजना प्रारंभ की जाएगी। • चालू वर्ष से दीर्घकालिक शहरी विकास परियोजना कार्यान्वित करना। • राज्य स्तरीय विशेष कक्ष बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को कोई प्रस्ताव नहीं देगा।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• उन व्यापारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा जिन्होंने इनपुट पर अदा किए जाने वाले कर को शामिल करके बिक्री मूल्य का निर्धारण किया है। • यह स्पष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव कि नकारात्मक पूंजीगत माल की सूची में शामिल माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति न दी जाए। • यह स्पष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव कि ऐसे पण्य जिस पर कर से बचा जा सकता है उस पर अग्रिम रूप से कर वसूली करना। • 20 प्रतिशत कर लगाए जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाने का प्रस्ताव और उस सूची में इस वर्ष गृहस्थों के उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल करना। • रबड़ पर एकड़ के हिसाब से वार्षिक उपकर लगाने का प्रस्ताव। इससे प्राप्त राजस्व अलग रखा जाएगा और कीमत स्थिरीकरण निधि के रूप में इस्तेमाल होगा। एक उचित योजना बनाने के लिए रबड़ की खेती करने वालों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। • केबल ऑपरेटरों की आय पर 5 प्रतिशत विलासिता-कर लगाने का प्रस्ताव। • गतिविधि को प्रोत्साहन करने के लिए विदेश जानेवाले जहाजों की बंकरिंग पर लगनेवाले कर से छूट लेकिन इस गतिविधि पर 0.5 प्रतिशत लेवी लगाई जाएगी।	• सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन को पेशेवराना बनाने हेतु सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का गठन करना। • व्यापारी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर शिकायत कक्षों की स्थापना। इस संबंध में राज्य स्तर पर एक समिति भी होगी जो प्रमुख मुद्दों पर विचार करेगी। • जमाकर्ताओं की रक्षा हेतु कानून बनाने का प्रस्ताव । • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर संबंधी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए एक विशेष बेंच बनाने का प्रयास।	• राज्य में एक और आईआईटी स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाना। • बेम्बानाड झील क्षेत्र के अंतर्गत कुट्टनाड क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यावरण बचाव परियोजना बनाई जाएगी। • मापिला कला को बढ़ावा देने हेतु 'मोहनकुट्टी वायडियर स्मृति केंद्र' में एक विशेष केंद्र शुरु किया जाएगा।
14. मध्य प्रदेश	• राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय आबंटन का इस्तेमाल कितने प्रभावी तरीके से किया गया इसका मूल्यांकन करने हेतु बजट परिणाम की परंपरा प्रारंभ करना। • राज्य में 1 अप्रैल, 2006 से वैट लागू करने का निर्णय।	• राज्य में लगातार हानि में रहने वाले मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद करना।	• राज्य में कृषि क्षेत्र हेतु उचित नीति, कार्यक्रम और कृषि विकास के उपाय के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि आयोग का गठन करना। • दीन दयाल अन्त्योदय योजना की सुविधाओं को गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को मुहैया कराने का निर्णय।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			• राज्य में मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई।
15. महाराष्ट्र	• वर्ष 2006-07 से, 12 विभागों से संबंधित कम से कम कतिपय ध्वज-पोत योजनाओं हेतु आउटकम सहित लिंक-आउटले प्रायोगिक आधार पर। • ऊर्जा अंकुर निधि नामक निधि बनाना जो जनसामान्य तथा निजी भागीदारी के माध्यम से गैर-परंपरागत ऊर्जा शक्ति में निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। • राज्य में कपास उगाने वाले सभी किसानों को 2 हेक्टेअर तक 100 रुपए प्रति हेक्टेअर की दर से वित्तीय सहायता के रूप में राहत देने हेतु राशि स्वीकृत कर दी गई है। • लाटरी टिकट पर कर लगाने हेतु नया विधेयक तैयार किया जाएगा और विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा। • सभी हक विलेख जमा का पंजीकरण प्रारंभ करना ताकि बैंकों और नागरिकों के हित की रक्षा की जा सके। • महाराष्ट्र से बाहर रहने वाले दलालों द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद से संबंधित लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क से छूट। • सरकारी प्रतिभूति की बिक्री अथवा खरीद पर उस मामले में शुल्क से छूट जब लेनदेन मूल से मूल आधार पर हुआ हो। • कंप्यूटरीकृत स्टैंप शुल्क प्रशासन प्रणाली (सीएसएएस) क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है ताकि नकली स्टैंप के परिचालन की रोकथाम हो तथा समय-समय पर स्टैंप की कमी न होने दी जाए। • सिंचाई और गैर-सिंचाई प्रयोजनों के लिए पानी की दरों में वृद्धि करना।	• एक अध्ययन दल का गठन करने का प्रस्ताव है जो विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमावली के अंतर्गत उद्योग व्यापार अथवा पेशेवरों द्वारा अपेक्षित कर से इतर सभी प्रकार के पंजीकरण तथा लाइसेंस की समीक्षा करेगा। • एक लघु समूह गठित करने का प्रस्ताव है जो इस वर्ष के सभी आयोजना से इतर योजनाओं की समीक्षा करेगा तथा बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए किस प्रकार व्यय करे। • निवेशकों के लिए सहज नीतियां घोषित करने का प्रस्ताव है जिससे औद्योगिक निवेश बढ़ाया जाएगा तथा आधुनिक भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी सुविधाएं सृजित करने को बढ़ावा मिलेगा। • मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई है जो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सीमा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोज्य पैकेजों के बारे में निर्णय करेगी। • महाराष्ट्र मानव विकास मिशन की स्थापना करना ताकि इस असमानता को एकजुट प्रयास से कम करना तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं जुटाकर तथा न्यून मानव विकास सूचकांक के साथ जिले में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना।	• एकीकृत शिशु विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में अनुपूरक आहार की आपूर्ति के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों को शामिल किया जाएगा। • विदर्भ क्षेत्र के कपास की खेती करने वालों के लिए एक विशेष योजना लागू करना जिसमें यह प्रस्ताव है कि कपास एकाधिकार योजना के अंतर्गत बनाई गई पूंजी निर्माण निधि को किसानों को ब्याज के साथ वापस की जाए। • आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना। • पारधी जनजाति के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी जिसमें जमीन, गृह निर्माण का प्रावधान होगा, उनके बच्चों को विशेष शिक्षा देना सुनिश्चित करना ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। • राज्य में वन तथा वृक्ष बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं लाई जाएंगी। • आगामी पर्यटन नीति में सिंधुदुर्ग जिला के लिए विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
16. मणिपुर	• राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की सहायता से 6 तिजोरियों को कंप्यूटरीकृत करना ताकि संसाधनों और व्यय के प्रवाह पर प्रभावी रूप से निगरानी रखी जा सके। • स्थानीय निधि लेखापरीक्षा तथा अन्य विभागों की लेखा इकाइयों को पुनः संगठित करके वित्तीय लेखा परीक्षा को नए तरीके से सक्रिय करना।	• भारतीय विद्युत (मणिपुर संशोधन) विधेयक 2006 पारित करना ताकि बिजली की चोरी तथा बिजली संबंधी अपराधों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।	• उखरूल में आईटीआई का निर्माण। • सेनापति में एक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना करना।
17. मेघालय	• जल उपयोक्ता संगठनों के माध्यम से उनके प्रभाव क्षेत्र के फायदा उठाने वालों से जल की न्यूनतम दर वसूलना और उक्त संगठनों को परियोजना के रखरखाव एवं परिचालन का काम सौंपना। • कुछ चुनिंदा पशु अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क लागू करने का प्रस्ताव। • कर और कर से इतर राजस्व वसूली की वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ और व्यवस्थित करना तथा इस प्रणाली में लीकेज एवं खामियों को समाप्त करना। • राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त उपाय करना। • अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नए कर लगाने एवं समायोजन करने, जो कानून के अंतर्गत स्वीकार्य हो, की संभाव्यता का पता लगाना।	• सहकारी ऋण संरचना के पुनरुत्थान के लिए एक कार्य योजना इसी वर्ष कार्यान्वित की जाएगी।	• गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 160 ग्रामों को बिजली देने का प्रस्ताव। • 8 गाद रोक बांध के निर्माण सहित महानगर शिलांग डब्ल्यू एस एस हेतु 'उमियू' नदी के जल स्रोतों को बनाए रखने की परियोजना।
18. मिज़ोरम	• मीटर रीडिंग के आधार पर जल-प्रभार का मूल्यांकन • सड़कों और पुलों पर पथकर लगाना। • लघु सिंचाई के संबंध में चुनिंदा क्षेत्रों में जल-कर की वसूली करना।		
19. नागालैंड		• अल्प विकसित और अधिक विकसित क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए विकासशील क्षेत्रों के लिए एक नया विभाग बनाना। • नागालैंड कोयला नीति, 2006 तथा नागालैंड कोयला खनन नियम, 2006	• नागालैंड में पहली बार अपने तरीके का केंद्रीय बागान संस्थान की स्थापना करना। • योजना आयोग के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन से तुली पेपर मिल को पुनः शुरु किया जाएगा।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		बनाए गए ताकि यह देखा जा सके कि प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का विकास समुचित रूप से हो रहा है और उनका इस्तेमाल लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा है। • नागालैंड राज्य महिला सशक्तीकरण नीति का प्रारुप विचाराधीन है। • राज्य महिला आयोग का गठन किया जा रहा है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा मिले।	• एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास केंद्र की दो परियोजनाएं कोहिमा तथा मोकोकचंग जिले में लागू की जाएंगी। • और भी विविध प्रकार के अकादमिक पाठ्यक्रम जिनमें युवकों के लिए रोजगार की संभाव्यता हो, की आवश्यकता को समझते हुए राज्य में दो विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान (नागालैंड) विश्वविद्यालय तथा वैश्विक मुक्त (नागालैंड) विश्वविद्यालय।
20. उड़ीसा	• अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना।		• शिशुओं की मृत्यु में कमी की मुहिम के माध्यम से ''नवज्योति'' नामक नया कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
21. पंजाब	• पीएसआईडीसी के माध्यम से बाण्ड जुटाना जिससे औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1997-2002 के दौरान उद्योगों के प्रवर्तकों को 3-4 वर्ष तक सब्सिडी का भुगतान किया जा सके। • शहरी स्थानीय निकायों के साथ यह परामर्श जारी है कि आक्ट्रॉय को समाप्त करने तथा राजस्व के वैकल्पिक स्रोत के लिए क्रियाविधि को अंतिम रूप दिया जाए। • उद्योग विभाग के ब्याज मुक्त ऋण जो देय हो चुके हैं, उनपर दंडात्मक ब्याज माफ करते हुए उनकी वसूली करना। • एक वर्ष तक विशेष छूट देना ताकि न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली अति बृहत निर्माण इकाइयां आकर्षित हो सकें। • सितंबर 2005 से कृषि पंपिंग सेट को मुफ्त बिजली देना ताकि ऐसे किसानों को राहत मिल सके जिनके उत्पाद के मूल्य स्थिर हैं और इनपुट की लागत बढ़ गई है। • अनुसूचित जनजाति परिवारों के घरों के लिए मुफ्त बिजली की सीमा 50 यूनिट से	• पंजाब ग्रामीण कारोबार हब परिषद का गठन जो हब के लिए स्थान का और उत्पाद-स्वरुप का निर्धारण करेगी। • कपास प्रसंस्करण तथा सूतीवस्त्र टेक्सटाइल के विकास के लिए टेक्सटाइल नीति को अंतिम रूप देना। • 1984 के दंगों के पीडितों के लिए भारत सरकार ने पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है। • माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, सड़क सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं पर ध्यान देगी। • राज्य वेतन आयोग का गठन जो उसके कर्मचारियों के वेतनमान और परिलब्धियों की समीक्षा करेगा अतः पांचवां पंजाब वेतन आयोग के गठन और उसके लागू होने की शर्त की घोषणा की जाएगी।	• छोटे किसानों के लिए कृषि नवीकरण कार्यक्रम लागू करना जिसमें कमर्शियल डेरी, कमर्शियल पोल्ट्री, मत्स्य इकाई और सब्जी उत्पादन शामिल है। • छुट्टे जानवरों को जगह देने के प्रयोजन से नए और वर्तमान गौशाला को अनुदान देने की नई योजना। • वन के संरक्षण के लिए बाहरी सहायता से वन विकास परियोजना। • जल प्रबंधन में जल उपयोक्ताओं को शामिल करना ताकि जल का इस्तेमाल कौशलपूर्ण तरीके से हो और आस्तियों का अनुरक्षण किया जा सके। • औद्योगिक संगठनों, वित्तीय संस्थाओं तथा पंचायतों के साथ मिलकर 6 ग्रामीण कारोबार हब बनाना। • ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता हेतु विश्व बैंक की एक परियोजना शुरू की जाएगी। • एक नया जिला बनाना जिसका मुख्यालय एस.ए.एस. नगर होगा तथा महानगर मोहाली को विश्व स्तर के शहर के रूप में विकसित करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह करना। पीएसईबी को इस नुकसान की भरपाई राज्य सरकार कर रही है। • संपूर्ण सड़क परिरक्षण निधि बनाना जिसमें प्रतिवर्ष की दर से परिव्यय होगा जो अगले 4 वर्ष अर्थात 2009-10 तक होगा, उसके बाद आबंटन की समीक्षा की जाएगी। इस निधि का इस्तेमाल राज्य सड़क के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा तथा रखरखाव निष्पादन आधारित होगा और उसका करार लंबे समय 5 से 10 वर्ष तक होगा।		• अंतरराष्ट्रीय युवक हास्टल संगठन तथा सुधार न्यास, अमृतसर के साथ मिलकर एक 'पर्यटक केंद्र' स्थापित करना। • पंजाब में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय' की स्थापना करना। • शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सुधार की सिफारिश करने के लिए एक शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। • हेपाटाइटिस-बी और डेंगू बुखार को रोकने हेतु नई योजना प्रस्तावित है। • नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित योजना से 150 चलते-फिरते दवाखाना और 150 चलते-फिरते पशु चिकित्सा वैन लाए जाएंगे। • राज्य के लगभग 300 गांवों में ग्राम-ज्ञान केंद्र की स्थापना करना।
22. राजस्थान	• स्त्री पुरुष बजटिंग और आडिटिंग के अंतर्गत अधिक विभागों को लाया जाएगा। • राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत व्यय आबंटन का इस्तेमाल कितने प्रभावी तरीके से किया गया इसका मूल्यांकन करने हेतु 'बजट परिणाम' की परंपरा प्रारंभ करना। • 1 अप्रैल, 2006 से राज्य में वैट लागू करने का प्रस्ताव। • राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु बिजली पर अदा किए जाने वाले शुल्क से सीमित बिजली उत्पादन को मुक्त रखने का प्रस्ताव। • वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लगाने तथा उनके उपयोग को हतोत्साहित करने का प्रस्ताव।	• राजस्थान भूमि जल विनियमावली तथा विकास नियंत्रण एवं प्रबंधन विधेयक, 2006 विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि राज्य में जमीनी पानी पर नियंत्रण रखा जा सके और उनका उचित इस्तेमाल किया जा सके।	• दोपहर के भोजन की योजना के बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए निगरानी यूनिट का गठन और तदनुसार इस संबंध में पृथक निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। • राज्य में भवनों / ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा हेतु धरोहर सुरक्षा और संवर्धन बोर्ड का गठन किया जाएगा। • सरकार व निजी भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर। • राजस्थान जल-पहल की स्थापना की जाएगी ताकि जल संसाधन का व्यापक इस्तेमाल हो और जल प्रबंधन की तकनीक का भी विकास हो।
23. सिक्किम	• राजकोषीय दबाव को कम करने के लिए राज्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों	• विशेष वातायन 'पर्यटन प्रभाव अध्ययन' के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा नियमित	• भारत में सभी प्रमुख बुद्ध गंतव्यों एवं पड़ोसी देशों को एक दूसरे से जोड़कर

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	की सेवाएं बढ़ाने पर बिना किसी शर्त के प्रतिबंध होगा। • रिक्त सभी पदों को समाप्त कर दिया जाए ताकि सरकार का आकार और उसपर व्यय कम होगा। • ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु 'सिक्किम निष्पादन लेखा परीक्षा निधि' बनाई जाएगी जिसका प्रबंधन सूचना एवं सार्वजनिक संपर्क विभाग करेगा। • 'बौद्धिक उन्नति राशि' की स्थापना हेतु लोगों में से महत्वपूर्ण बौद्धिक जन तैयार करना। इसका इस्तेमाल सिक्किम की नई पीढ़ी को देश में और देश के बाहर उन्नत ज्ञान अर्जित करने के लिए किया जाएगा। • प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक इस्तेमाल करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास भंडार नामक निधि समूह गठित करना जो व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पता लगाने, प्राप्त करने, जांच करने और प्रसार करने के लिए करेगा और जो सिक्किमवासियों के विकास के लिए लाभकारी होगा। • गैर-योजना व्यय में 10 प्रतिशत की कटौती करना तथा सभी सरकारी खर्चों पर सख्त किफायती उपाय करना। • विभिन्न प्रकार के आर्थिक नुकसान (लीकेज) को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाना और कतिपयसेवाओं के और वस्तुओं के सेट पर कर लगाना। • उपयोक्ता प्रभार शुरू करने के लिए समवर्ती उपाय किए जाएंगे और यह विधिवत सुनिश्चित किया जाएगा कि दी गई सेवाओं की गुणवत्ता उच्चस्तरीय हो।	अध्ययन, निगरानी तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करना। • महानगरपालिका विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	गंगटोक के पर्यटन सर्किट उद्यम को समाप्त करना। • सिक्किम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना जिसमें निर्यात करने वाली निर्माण इकाइयों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, सहूलियतें और शुष्क पोर्ट होंगे। • राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना हेतु नई पहल करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
24. तमिलनाडु	• सहकारी बैंकों की कुल ऋण देयता 1668 करोड़ रुपए को नाबार्ड ने ले लिया है। • फसल ऋण पर ब्याज दर जो पिछले वर्ष तक 9 प्रतिशत थी उसे चालू कुरुवी मौसम से घटाकर 7 प्रतिशत किया जाएगा। 2 प्रतिशत ब्याज घटाने से सहकारी बैंकों को होने वाले नुकसान को सरकार पूरा करेगी। • सभी परिवार कार्डधारकों को 2 रुपए प्रति किलो चावल का वितरण किया जाएगा जो पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सबसे सस्ता होगा। खाद्यान्न सब्सिडी 1950 करोड़ रुपए होगी। • सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक की रिक्तियों की भविष्य में भर्ती केवल उस समय के वेतनमान पर की जाएगी। • कंप्यूटर निर्माण हेतु तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाने के लिए आने वाली कंपनियों को विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। • जिन गृहस्थों के पास रंगीन टेलीविजन नहीं हैं उन्हें रंगीन टेलीविजन मुफ्त देने की योजना प्रारंभ की जाएगी। • स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत दिए गए कृषि बिजली 2.4 लाख कनेक्शन को अब बिजली मुफ्त दी जाएगी। • शहरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जर्मनी सरकार की वित्तीय संस्था के एफ डब्ल्यू से 70 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता लेने का प्रस्ताव है। • हथकरघा बुनकरों जिनके स्वयं के कार्यशेड हैं और जो बुनाई के काम में लगे हुए हैं, उन्हें दो महीने में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसी प्रकार उन	• तीसरा पुलिस आयोग गठित करना जो पुलिस की शिकायतें दूर करेगा और पुलिस विभाग का कायाकल्प करेगा। • उद्योग और वाणिज्य संगठन के परामर्श से एक नई औद्योगिक नीति चालू वर्ष में ही घोषित की जाएगी। • उद्योगों को बाधा रहित तरीके से बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष कार्यदल गठित किया जाएगा जिसमें उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। • सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में नई नीति बनाना। • सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक राज्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल बनाया जाएगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और जो बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं का पता लगाएंगे। • अधिकारियों की एक समिति बनाना जो औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु दी जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करेगी। • तिरुपुर नगरपालिका का उन्नयन करके तिरुपुर महानगरपालिका बनाया जाएगा। • असंगठित श्रमिकों के नौ कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे जो उनके लिए सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराएंगे। • सामाजिक सुधार नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार को सलाह देने के लिए समाजशास्त्रियों की एक स्थायी समिति बनाई जाएगी।	• फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान से बचने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके दाम मिलें, चेन्नै, कोयम्बतूर और मदुरै में तीन टर्मिनल बाजार बनाए जाएंगे जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे-विश्व स्तरीय वसूली केंद्र, पूर्व प्रशीतन उपकरण, छंटनी और दवाओं की सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उपलब्ध होंगी। • प्याज, आम तथा अंगूर के लिए बाजार की बुनियादी सुविधाएं तथा कोल्डस्टोरेज सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि इन कृषि उत्पादों का निर्यात सहजता से हो सके। • सरकार की पोराम्बोक परती भूमि को जोत वाली भूमि में विकसित किया जाएगा और भूमिहीन गरीब किसानों को प्रत्येक को दो एकड़ जमीन दी जाएगी। • पशु महाविद्यालय और नमक्कल अनुसंधान संस्थान में एवियन रोग का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी। नागपट्टिनम, करुर, विरुधनगर तथा कृष्णागिरि जिला में पशु रोग आसूचना इकाइयां स्थापित की जाएंगी। • सिंचित कृषि आधुनिकीकरण तथा जल संसाधन प्रबंध परियोजना को तेजी से कार्यान्वित करने हेतु बहुविधा परियोजना इकाई गठित की गई है। • चैन्नै शहर के निचले इलाकों के घरों को बारिश के मौसम में डूबने से बचाने तथा पानी के तेज बहाव को समुद्र में ले जाने के लिए बाढ़ बचाव कार्य हेतु केंद्र सरकार तथा नाबार्ड की वित्तीय सहायता से एक योजना बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	पावरलूम बुनकरों को दो महीने में 500 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी जो स्वयं के पावरलूम चला रहे हैं। • ऐसे शिक्षित युवकों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की तारीख से पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिला है। • मछुआरों के लिए डीजल की मात्रा बढ़ाना जिस पर उन्हें बिक्री कर की छूट प्राप्त है। • एक विशेष राज्य सहायता योजना जिससे अदी द्रेविडर तथा जनजातीय समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को आय अर्जन योजना के अंतर्गत फायदा पहुंच सके। • फिल्म उद्योग तथा तमिल भाषा को बढ़ावा देने हेतु ऐसी नई फिल्म को मनोरंजन कर से पूरी छूट होगी जिसका नाम तमिल में होगा। • सभी सरकारी विभागों में निश्चित समय के भीतर खाली पदों को भरने के लिए कदम उठाना। • सरकारी विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करना किंतु प्राथमिकता सरकारी कर्मचारी के कानूनी वारिस को दी जाएगी। • सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आगामी पोंगल त्योहार के दौरान बोनस, विशेष तदर्थ बोनस तथा पोंगल उपहार दिया जाएगा। • 5वें वेतन आयोग के लागू हो जाने से जो सरकारी कर्मचारी 1.8.2006 को नौकरी में थे और बाद में सेवानिवृत्त हो गए, उन्हें वेतन संशोधन की बकाया राशि तीन बराबर किस्तों में वार्षिक आधार पर इसी वित्तीय वर्ष से नकद अदा की जाएगी।	• लाल फीताशाही को समाप्त करने के लिए सिफारिशें देने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों पर आधारित एक प्रशासनिक सुधार समिति गठित की जाएगी।	• 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के परिवार को जाति प्रमाणपत्र, जन्मस्थान प्रमाणपत्र तथा आय प्रमाणपत्र जारी करने की योजना । • अण्णा विश्वविद्यालय, चेन्नै के समान तिरुची तथा कोयम्बतूर में दो तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करना। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कोयम्बतूर जिला के वालपराई तथा सेलम जिला के मेट्टुर में दो कला और विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करना। • मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में शैक्षिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। • रोग का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में एमआरआई स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु तिरुनेलवेली, तंजौर, तिरुची, कोयम्बतूर तथा वेल्लोर के सरकारी अस्पतालों में एमआरआई स्कैन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • उन जिलों में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे जिनमें नहीं हैं। • राज्य में 'औद्योगिक उत्कृष्टा स्थान' पैदा करना। इन उत्कृष्ट स्थानों के साथ औद्योगिक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तथा समेकित टाउनशिप बनाई जाएगी जिन्हें एक्सप्रेस हाइवे एवं रेलवे लाइन से हवाई अड्डों तथा जलपोतों को जोड़ा जाएगा। • चेन्नै में आवास और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए चेन्नै के निकट एक सेटेलाइट टाउन बनाने का प्रस्ताव है। • रामनाथपुरम जिला में गांवों तथा शहरों में कई वर्षों से पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु कावेरी नदी का पानी

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• पूरी पेंशन पाने के लिए सेवाकाल की अर्हता 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष की जाएगी। • सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण पिछले 10 महीने की केवल सेवा के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बजाय अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा पिछले 10 महीने के औसत वेतन का 50 प्रतिशत होगा। • राज्य में 1 जनवरी, 2007 से वैट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव । • व्यापारी जो राज्य के भीतर खरीद और बिक्री कर रहे हैं उन्हें राज्य अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख तक की खरीद और बिक्री पर पंजीकरण और कर देने से छूट होगी। • दाल और तेल पर बिक्री कर से छूट। • राज्य में हजारों चाय उत्पादन करने वाले छोटे उत्पादकों तथा निर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सामान्य बिक्री कर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत तथा केंद्रीय बिक्री कर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा। इन नीलामी केंद्रों पर की गई बिक्री पर अतिरिक्त कर और अधिभार से छूट होगी। • औद्योगिक प्रोत्साहन के रूप में 90 प्रतिशत कर की वापसी 13.5.2002 से 03.04.2005 तक कर माफ करके की जाएगी। • किसानों और अत्यंत छोटे उद्यमियों को बंधक/ दृष्टिबंधक दस्तावेजों पर स्टैंप शुल्क से छूट होगी। • कई वस्तुओं जैसे यार्न, समबिरानी, उड़ने वाली राख को बिक्री कर से छूट। • 1 जनवरी, 2007 से पुनः बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाएगा।		लाने की प्रमुख योजना पर कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। • मातृत्व सहायता प्रदान करने की विशेष योजना लागू की जाएगी जिसमें कुछ छह महीने की वित्तीय सहायता होगी जिसमें 3 महीने जनकीय तथा 3 महीने जन्मपूर्व की अवधि शामिल होगी इससे गरीब गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिलेगा और गर्भधारणा की अवधि के दौरान उनके आय में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भी होगी। • कन्याकुमारी जिले में कोलाचेल में एक नया मत्स्य हार्बर बनाया जाएगा।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
25. त्रिपुरा	• नियत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को रेगुलर वेतनमान देने के लिए सरकार कदम उठाएगी। • एसडब्ल्यू और एसई द्वारा परिणाम विवरण की, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा परिव्यय का इस्तेमाल दिया होगा, निगरानी की जाएगी ताकि बाद के वित्तीय वर्ष के बजट दस्तावेज में उसे आसानी से शामिल किया जा सके। • भवनों के रखरखाव के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है कि संबंधित विभागों के बजट में धन उपलब्ध करवाया जाएगा। • 48,000 अनुसूचित जाति, 50,000 अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के 8,800 विद्यार्थियों को वज़ीफा तथा डॉ.बी.आर. आंबेडकर स्मृति पुरस्कार। • कम से कम 200 अल्पसंख्यक बालिका विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार ताकि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। • एनएसएफडीसी के साथ मिलकर क्रेडिट लिंक योजनाएं प्रारंभ करना ताकि परिवार निरंतर आधार पर उचित आय पैदा कर सकें। • गरीबी रेखा से नीचे उन सभी व्यक्तियों को 1000/- रुपए प्रतिमाह की पेंशन देना जिनकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई है। • सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही सीमावर्ती परियोजना हेतु मंत्रालय से दी जाने वाले अनुदान को बंद करना क्योंकि उसके संचालन के लिए वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ले ली है।	• सचिवों की एक समिति गठित करना जो संबंधित मुद्दों की जांच करेगी तथा विभिन्न श्रेणी के अंशकालिक, नियत-वेतन, डीआरडब्ल्यू आदि कामगारों के वेतन/परिश्रमिक की दरों में भिन्नता के संबंध में अपनी सिफारिशें देगी। • बागान के लिए भावी योजना जिसमें वर्ष 2006-07 के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे जैसे - बागान फसल के क्षेत्र को विस्तार देना, वर्मिंग कम्पोस्ट के प्रयोग को आगे बढ़ाना, अच्छी पौध सामग्री हासिल करना और उसकी आपूर्ति करना, कुकुरमुत्ता की खेती को प्रोत्साहित करना, आर्किड तथा अन्य ऊंचे मूल्य की चीजें, प्रशिक्षण सह-प्रदर्शन हेतु बुनियादी सुविधाओं का विकास। • प्रशासन को लोगों के निकट लाने के लिए सरकार ने दो नए उप प्रभाग बनाने का निर्णय लिया है - एक शंतिबाज़ार में और दूसरा तेलियामुरा में। • व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि विदेशी और स्वदेशी शराब की दुकानों की सभी फुटकर खरीद टेंडर प्रणाली से की जाए।	• एडूसैट नामक एक नई पहल शुरु की गई है जिसमें 50 स्कूलों में सेटेलाइट के माध्यम से एससीईआरटी, अगरतला से शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की कोचिंग सीधे प्रसारण से की जाएगी। • सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा आरएम के लिए विशेष विकास पैकेज लागू किए जाएंगे। • समस्त ग्रामीण जनसंख्या के लिए अच्छा पीने का पानी मुहैया कराने हेतु एक मास्टर प्लान केंद्र सरकार के समक्ष धन देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। • अगरतला कस्बे के लिए अपेक्षित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एजेंसी की सहायता लेने का कदम उठाया गया है।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	• और अधिक पारदिर्शता लाने और जवाबदेही निर्धारित करना और पीआरआई तथा स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने के लिए एजी स्थापना में एक अलग यूनिट बनाना।		
26. उत्तरांचल	• राज्य में 'सरकारी एवं निजी भागीदारी' संकल्पना पर आधारित परियोजनाओं में तीव्रता लाने के लिए 'संयुक्त उद्यम कोष' बनाया गया है। • राज्य में अगले 5 वर्ष तक नए मल्टीप्लेक्स तथा सिनेमा हाल बनाने पर मनोरंजन कर से शत प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था की गई है। • गरीब लोगों की विकट बीमारियों का इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बीमारी कोष' बनाया है। • वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, खज़ाना तथा स्टैंप एवं पंजीकरण शुल्क कार्य को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि इसकी प्रणाली आसान और पारदर्शी हो। • कृषि ऋण पर स्टैंप शुल्क से छूट की सीमा 1.0 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.0 लाख रुपए कर दी गई है।	• राज्य में 'स्त्री-पुरुष बजटिंग' तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरु कर दी गई है। • राज्य में प्रशासनिक तथा सामान्य प्रबंधन सुदृढ़ बनाने हेतु 'प्रशासनिक सुधार आयोग' का गठन किया गया है। • प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए 'सूचना अधिकार आयोग' का गठन किया गया है। • राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तिजोरियों एवं नेटवर्किंग का विकास, पेंशन योजना आदि हेतु 'राजकोषीय प्रबंधन, अनुसंधान एवं विश्लेषण' इकाई स्थापित की जाएगी।	• राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 'उत्तरांचल यूनिवर्सल रोजगार योजना' शुरू करने का प्रस्ताव है। • सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा/स्वास्थ्य बीमा (अर्थात जनश्री) जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। • राज्य की चाय उपज क्षमता का दोहन करने के लिए 'चाय विकास बोर्ड' बनाया गया है।
27. उत्तर प्रदेश	• राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत स्नातक अथवा स्नातकोत्तर बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय।	• निपटान परामर्शदात्री समिति का गठन करना जो विभिन्न विभागों में बकाया वाणिज्य कर, विद्युत शुल्क, फीस आदि पर ब्याज तथा दंडात्मक राशि को माफ करते हुए वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के तरीके के बारे में सिफारिश करना।	• राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने का निर्णय । • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं का डिजिटलाइजेशन करना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
28. पश्चिम बंगाल	• जूट उद्योग के आधुनिकीकरण तथा जूट उत्पाद के विविधीकरण के प्रयोजन से एक विशेष कोष बनाना। • जूट और चाय उद्योग के पुनरुत्थान के लिए इन उद्योगों को कर की अत्यधिक राहत का प्रस्ताव । • उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब परिवारों से आनेवाले विद्यार्थियों की सहायता हेतु एक विशेष कोष बनाने का प्रस्ताव। • पश्चिम बंगाल अपीलीय तथा पुनरीक्षण बोर्ड के पास भारी मात्रा में केस लंबित होने के कारण, वाणिज्य कर के विशेष आयुक्त तथा अपर आयुक्त को, सीमित अवधि के लिए, इन केस को सुनने और निपटाने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है। • व्यापारियों अपने विवाद सुलझाने का एक और मौका देना। व्यापारी जो 1 अप्रैल, 2003 और 31 अगस्त 2006 के बीच अपील दायर कर चुके या करने वाले हैं या दुबारा सुनवाई करवाना चाहते हैं वे अब विवाद कर का 40 प्रतिशत और 5 प्रतिशत विवाद ब्याज एवं दण्ड का भुगतान करके विवाद का निपटारा कर सकेंगे। • नामांकित व्यक्तियों को एक वर्ष के बजाय कई वर्ष के कर एक साथ जमा करने का विकल्प देने का प्रस्ताव। • चाय उद्योग को 01 अप्रैल 2006 से तीन वर्ष तक कृषि कर देने से छूट देने का प्रस्ताव तथा 31 मार्च 2006 तक चाय उद्योग द्वारा देय कृषि आयकर के बकायों के निपटान की योजना। • नगरपालिका क्षेत्र में अचल संपत्ति के अंतरण हेतु अंतरण विलेख पर स्टैंप	• शहरी क्षेत्रों के लिए लागू 'बांग्ला स्वनिर्भर कर्मसंस्थान प्रकल्प' को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लागू करना। • व्यापारियों के साथ नियमित बातचीत के लिए वाणिज्य कर निदेशालय के मुख्यालय पर वाणिज्य कर आयुक्त की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति गठित की गई है। इसी प्रकार की परामर्शदात्री समितियां दुर्गापुर और सिलिगुड़ी में गठित करने का प्रस्ताव है। • निपटान आयोग का गठन करके कतिपय प्रकार के विवादों के निपटाने हेतु एक नया तरीका शुरू करना जिसके अंतर्गत आयोग व्यापारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आयोग और व्यापारी के बीच परस्पर सहमति से मामले का निपटारा करेगा और जिसे सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदन प्राप्त होगा।	• महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाए जा रहे पशुपालन कार्यक्रम को प्राइमरी स्कूलों में दोपहर के भोजन कार्यक्रम से जोड़ने का उपाय करना ताकि दोपहर का भोजन प्रोटीनयुक्त हो। • जिलों में छोटे और मझोले उद्योग के समूह की प्रत्यक्ष या संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापना को सहज बनाने के लिए पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम को निधि आबंटित करना। • स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने एवं उनके उत्पाद का विपणन करने में सहायता करने हेतु प्रत्येक जिला में विपणन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। • यातायात को तीव्र बनाने हेतु कोलकाता और उपनगरीय इलाकों को जोड़ने के लिए हलकी तेज आवागमन प्रणाली प्रारंभ करना। • प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक शिशु शिक्षा केंद्र में प्राइमरी-पूर्व शिक्षा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव जिसमें अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं तथा शिक्षा सहायिका होंगी। • सभी ज्यूनियर मदरसों को उच्च मदरसों में बदलने का प्रस्ताव तथा, राज्य के सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों को ज्यूनियर हाई स्तर से सेकंडरी स्तर में बदलना। • चालू वर्ष में 30 नए महाविद्यालयों की स्थापना करना तथा उनमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ इजीनियरिंग और प्रबंधन पाठ्यक्रमों पर जोर देना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(जारी)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	शुल्क दर घटाकर 6 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत करना। वहीं कलकत्ता सुधार अधिनियम, 1911 तथा हावड़ा सुधार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लगाए गए स्टैंप शुल्क को हटा लिया जाएगा। • कोलकाता महानगर आयोजना क्षेत्र के बाहर स्थित होटलों पर विलासिता कर प्रारंभ करना। • हुडको और पश्चिम बंगाल बुनियादी सुविधा विकास वित्त निगम से विस्तृत चर्चा करके ऋणों की अवधि एवं उनकी मात्रा का पुनः निर्धारण करना।		
29.एनसीटी दिल्ली	• 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों को 350/- रुपए प्रतिमाह का भत्ता उन्हें नौकरी मिलने तक या स्वरोजगार कारोबार में लग जाने तक, जो भी पहले हो, देने का प्रस्ताव। • एलपीजी और आईएनजी पर कर की दर घटाकर 4 प्रतिशत करना। • प्रस्ताव है कि यदि दिल्ली के बाहर से माल लाया जाता है और उसपर सीएसटी अधिनियम के अंतर्गत कोई कानूनी फार्म नहीं तो उस पर कर कंपोजीशन की दर घटाकर 3 प्रतिशत और यदि समस्त माल दिल्ली के भीतर से लाया जाता है तो कर की दर 2.5 प्रतिशत कर दी जाए। • ऐसे व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन योजना प्रारंभ करना जो विशेषतया दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है। • बुलियन व्यापारियों के लिए कम्पोजीशन योजना की घोषणा का प्रस्ताव जिसके	• दिल्ली विविध मॉडल निवास प्रणाली, कंपनी अधिनियम के तहत एक नया विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी)। • सरकार को भारतीय सार्वजनिक संस्थान, दिल्ली में स्त्री-पुरुष अध्ययन पद सृजित करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक सुधारात्मक कार्यक्रम बनाए जा सकें। • सरकारी-निजी भागीदारी दृष्टिकोण (पीपीपी) को अपनाने का नीतिगत वक्तव्य सरकारी विभागों में इस संबंध में परिचालित करने का प्रस्ताव है। • योजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए सरकार का प्रस्ताव है कि सचिवों के अधिकार बढ़ा दिए जाएं ताकि वे परियोजनाओं/कार्यों तथा आकस्मिक व्यय की मंजूरी दे सकें। • केवल महिला कल्याण के लिए लागू की जा रही योजना के स्वरूप का निर्धारण कर लिया गया है तथा स्त्री-पुरुष बजट 2006-07 में शामिल कर लिया गया है।	• रिंग रोड पर रैंप तथा एस्केलेटर सुविधा सहित पांच नए पैदल पुल तथा मकबरा चौक में फ्लाईओवर बनाना। • नई सड़क बनाने की परियोजना तथा दिल्ली को विश्व-स्तरीय शहर बनाने के लिए मौजूदा सड़कों में सुधार करना और ऐसी सड़कों का निर्धारण कर लिया गया है। • द्वारका और नरेला में निर्माण, परिचालन तथा स्थानांतरण आधार पर दो और नए अंतर-राज्य बस टर्मिनल की स्थापना की जाएगी। • आपदा प्रबंधन को शहरी विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से माइक्रो-ज़ोन हेतु योजना तैयार करना जिसके लिए उन्हें आपदा की स्थिति के प्रयोजन से उन जोन की मिट्टी, इस्तेमाल ज़मीन, भवन संरचना तथा उनमें उपलब्ध बुनियादी सुविधा संबंधी सेवाओं की जानकारी देना।

अनुबंध 1 : वर्ष 2006-07 के राज्य बजट की प्रमुख नीतिगत पहल *(समाप्त)*

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	अंतर्गत वे 1 प्रतिशत के बजाय 0.1 प्रतिशत की दर से कर अदा करेंगे। • राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से सामान्य मुख्तारनामा के उन मामलों पर स्टेंप शुल्क लगाना प्रारंभ करना जिनमें पार्टियों में खून का रिश्ता नहीं है। • अमूर्तकरण के माध्यम से स्टैंप पेपर का इस्तेमाल समाप्त करना और अमूर्तकरण लागू करना। • मनोरंजन नीति बनाने की प्रक्रिया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को प्रोत्साहित करना एवं सहज बनाना है।		• द्वारका में 500 बिस्तर वाला अस्पताल, जीटीबी अस्पताल शाहदरा में 500 बिस्तर वाला नया वार्ड, अशोक विहार में नया अस्पताल भवन तथा खेड़ा डाबर में आई एसएम इंस्टीट्यूट और मल्टी-थेरेपी अस्पताल का निर्माण शुरू करना। • जीटीबी अस्पताल के ऑनकोलॉजी विभाग को स्वायत्त संस्थान के रूप में प्रोन्नत करते हुए दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान बनाने का प्रस्ताव। • एकीकृत प्रौद्योगिकी संस्थान तथा आंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। • बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ट्रांसको, महारानी बाग और मुंदका में 400 केवी के दो नए ग्रिड उप-स्टेशन बनाने का कार्य शुरू करेगा। • प्रगति विद्युत परियोजना के चरण II में 330 मेगावाट क्षमता की गैस-आधारित संयुक्त चक्र परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव। • दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली में तीन स्वचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन की स्थापना करेगी। • सरकार, विशेषज्ञों के परामर्श से दिल्ली में ''भारत पर्यटन एवं सांस्कृतिक लघु पार्क'' विकसित करेगी। • आर्थिक रूप से गरीब जनजाति तथा गैर-जनजाति माता-पिता को भी कन्या शिशु के जन्म पर 5,000 रुपए देने की योजना लागू करना। • एकीकृत शिशु विकास योजना कार्यक्रम में स्थानीय महिला मंडलों को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरण हेतु भोजन पका कर तैयार करने का कार्य सौंपा जाएगा।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
1. लागू करने का वर्ष	अगस्त 2005	अगस्त 2005	अक्तूबर 2005	मार्च 2006	मार्च 2006	अप्रैल 2006	मई 2006
2. सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)	• जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यह अनुपात कम करना	• मार्च 2010 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• 2008-09 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• 2008-09 के बाद से जीएसडीपी का 3 प्रतिशत	• मार्च 2009 तक जीएसडीपी का 3 प्रतिशत • अप्रैल 2006 की शुरूआत से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जीएफडी / जीएसडीपी को 0.5 प्रतिशत कम करना
3. राजस्व घाटा (आर डी)	• राजस्व संतुलन के लिए प्रयास और राजस्व की अधिशेष स्थिति प्राप्त करना	• राजस्व संतुलन के लिए प्रयास और राजस्व की अधिशेष स्थिति प्राप्त करना	• मार्च 2009 तक शून्य करना • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुपात कम करना	• मार्च 2009 तक शून्य करना • आरडी/जीएसडीपी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम करना	• 2008-09 तक शून्य करना	• 2008-09 तक शून्य करना	• मार्च 2009 तक शून्य करना • अप्रैल 2006 से शुरू करके आरडी/ आरआर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.5 प्रतिशत कम करना
4. गारंटी	• राज्य सरकार गारंटी अधिनियम, 2004 से संबंधित मणिपुर सीलिंग के प्रावधानों के अनुसार बकाया गारंटियों की राशि को सीमित करना।	• वार्षिक वृद्धिशील जोखिम भारित गारंटी की राशि को कुल राजस्व प्राप्ति के 1 प्रतिशत तक या वर्तमान वर्ष के पिछले वर्ष के जीएसडीपी के 1 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, सीमित करना।	• किसी नियम अथवा राज्य सरकार के कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक राशि की गारंटी न देना।	• गारंटी देने में दकियानूसी बरतना	• चयनात्मक आधार को छोड़कर गारंटी सीमित तरीके से जारी करना	–	• गोवा राज्य गारंटी अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निर्धारित सीमा में कुल बकाया गारंटियों को रखना।

टिप्पणी : 1. राजकोषीय जवाबदेही कानून का सारांश 16 राज्यों (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) के बारे में पिछले वर्ष के 'राज्य वित्त - 2005-06 के बजट का अध्ययन' के अनुबंध-2 में प्रकाशित किया गया है।

2. कुछ राज्यों ने बाद में अपने राजकोषीय जवाबदेही कानून संशोधित किए हैं। यह अनुबंध उपलब्ध अद्यतन जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है, संभव है कि संशोधनों को शामिल न किया जा सका हो।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
5. देयताएं	-	• मार्च 2010 तक कुल ऋण का स्टाक जीएसडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक न हो।	• मार्च 2015 तक कुल बकाया देयताएं जीएसडीपी के 25 प्रतिशत से अधिक न हों।	–	• समेकित निधि की सकल बकाया देयताएं जीएसडीपी के 28 प्रतिशत से अधिक न हों।	–	• सकल बकाया देयताएं मार्च 2009 तक जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक न हों। • आईपी/आरआर का अनुपात मार्च 2009 तक 20 प्रतिशत से अधिक न हो।
6. व्यय	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • ऐसी भर्ती एवं वेतन नीति का पालन करना कि कुल वेतन बिल, राजस्व व्यय की तुलना में ब्याज भुगतान एवं पेंशन को घटाकर 35 प्रतिशत से अधिक न हो।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • ऐसी भर्ती एवं वेतन नीति का पालन करना कि कुल वेतन बिल, राजस्व व्यय की तुलना में ब्याज भुगतान एवं पेंशन को घटाकर किसी भी वित्तीय वर्ष में 61 प्रतिशत से अधिक न हो।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • व्यय को सृजित राजस्व के स्तर के बराबर रखना • राजकोषीय वर्ष का पालन करते समय, राज्य सरकार केवल उन व्यय को संरक्षण देगी जो एमटीएफआरपी में 'उच्च प्राथमिकता विकास व्यय' के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • व्यय को सृजित राजस्व के स्तर के बराबर रखना • राजकोषीय वर्ष का पालन करते समय, राज्य सरकार केवल उन व्यय को संरक्षण देगी जो एमटीएफआरपी में 'उच्च प्राथमिकता विकास व्यय' के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।	• ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए। • व्यय को प्राप्ति क्षमता के समान रखना। • गैर-योजना व्यय को नियंत्रित रखना। • मजदूरी व वेतन पर सरकार का व्यय कम करना।	• पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता हेतु मानदण्ड निर्धारित करना,ऐसी व्यय नीति अपनाना जो विकास को बढ़ावा दे, गरीबी कम करे और मानव कल्याण में सुधार लाए।	• व्यय को सृजित राजस्व के अनुरूप रखना।
7. मध्यावधि राजकोषीय योजना (एमटीएफपी)	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए	• एमटीएफपी में निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वास्तविक आधार पर गणना की गई वार्षिक पेंशन देयता का अगले दस वर्ष का अनुमान	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वास्तविक आधार पर गणना की गई वार्षिक पेंशन देयता	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल • एमटीएफपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश रहेगा । ◦ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय मामले संबंधी सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं ◦ मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य ◦ लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन ◦ आगामी वर्ष में कराधान, व्यय, उधार	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल • एमटीएफपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश रहेगा । ◦ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय मामले संबंधी सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताएं ◦ मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य ◦ लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन ◦ आगामी वर्ष में कराधान, व्यय, उधार और अन्य	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे । • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अगले दस वर्ष के लिए वार्षिक पेंशन देयता का अनुमान	तीन वर्षीय चल लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल ◦ वास्तविक आधार पर अगले दस वर्ष के लिए वार्षिक पेंशन देयता का अनुमान	बहु-वर्षीय लक्ष्य होंगे। • निम्नलिखित के संबंध में निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) का मूल्यांकन ◦ राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में संतुलन ◦ उत्पादक आस्ति के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का इस्तेमाल • एमटीएफपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश रहेगा ◦ मध्यावधि राजकोषीय उद्देश्य ◦ लक्ष्य की तुलना में पिछले वर्ष के निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के निष्पादन का मूल्यांकन ◦ आगामी वर्ष में कराधान, व्यय, उधार और अन्य देयताओं के संबंध में सरकार की नीतियां ◦ आगामी वित्तीय वर्ष में राजकोषीय मामलों में सरकार

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
			और अन्य देयताओं के संबंध में सरकार की नीतियां	देयताओं के संबंध में सरकार की नीतियां			की रणनीति संबंधी प्राथमिकताएं ।
8. अनुपालन	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • इस अधिनियम के अनुपालनात्मक प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी गठित की जा सकती है। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • इस अधिनियम के अनुपालनात्मक प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी गठित की जा सकती है। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की छमाही समीक्षा के साथ-साथ बजट लक्ष्य प्राप्त करने के सुधारात्मक उपाय। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • अनुपूरक अनुमान के साथ व्यय कम करने और/अथवा राजस्व बढ़ाने का विवरण हो।	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की छमाही समीक्षा के साथ-साथ बजट लक्ष्य प्राप्त करने के सुधारात्मक उपाय। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/ अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • अनुपूरक अनुमान के साथ व्यय कम करने और/अथवा राजस्व बढ़ाने का विवरण हो।	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा। • इस अधिनियम के अनुपालन वाले प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी गठित करना। • जब भी राजस्व में कमी आए या व्यय लक्ष्य से अधिक हो जाए तो राजस्व बढ़ाने और/ अथवा व्यय कम करने के उचित उपाय किए जाएं। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा । • राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुपालन वाले प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी गठित कर सकती है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और इस समीक्षा को राज्य विधान सभा के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। • राज्य सरकार इस बात के यथोचित उपाय करेगी यदि राजकोषीय नीति संबंधी रणनीतिक वक्तव्य अथवा इस अधिनियम के नियमों में उल्लिखित आंतर-	• बजट अनुमान की तुलना में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की छमाही समीक्षा के साथ- साथ बजट लक्ष्य प्राप्त करने के सुधारात्मक उपाय • इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपलन की समीक्षा का कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जा सकता है। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों। • वित्त मंत्री विधान मंडल के दोनों

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों।	जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों।			सुधारात्मक उपाय दिए गए हों। • वित्त मंत्री विधान मंडल के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर लगाई गई बाध्यताएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरी न हुई हों और उनके सुधारात्मक उपाय।	वर्षीय लक्ष्यों की तुलना में राजस्व में कोई कमी होती है या व्यय में वृद्धि होती है। • ऐसा विवरण दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रस्तावित उपाय जिससे राजस्व घाटा बढ़ेगा, के साथ ऐसा विवरण भी दिया जाए जिसमें ऐसी वृद्धि अथवा नुकसान को बराबर करने के सुधारात्मक उपाय दिए गए हों। • वित्त मंत्री विधान मंडल के दोनों सदनों में वक्तव्य देंगे यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर लगाई गई बाध्यताएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरी न हुई हों और उनके सुधारात्मक उपाय।	सदनों में वक्तव्य देंगे, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार पर लगाई गई बाध्यताएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पूरी न हुई हों और उनके सुधारात्मक उपाय। • अनुपूरक अनुमान के साथ व्यय कम करने और/अथवा राजस्व बढ़ाने का विवरण हो ।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
9. पेंशन	• अगले दस वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं • यदि उक्त पहले तीन वर्ष के लिए संभव न हो तो वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान किए जाएं।	• अगले दस वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं • यदि उक्त पहले तीन वर्ष के लिए संभव न हो तो वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान किए जाएं।	–	–	• वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर अगले 10 वर्ष के लिए वार्षिक पेंशन देयता का अनुमान लगाया जाए ।	• वास्तविक अगले दस वर्ष के लिए वास्तविक आधार पर गणना की गई अनुमानित वार्षिक पेंशन देयताएं • यदि उक्त पहले तीन वर्ष के लिए संभव न हो तो वृद्धि दर की प्रवृत्ति के आधार पर पूर्वानुमान किए जाएं।	–
10. राजकोषीय पारदर्शिता	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और व्यवहारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण। • जब भी राज्य किसी अलग संस्था को	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानकों, नीतियों और व्यवहारों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रकटीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण। • जब भी राज्य किसी अलग संस्था को मूल राशि और/	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • ऐसे ब्योरे दें जिसमें गारंटियों तथा लेखांकन प्रणाली में परिवर्तनों की जानकारी हो जो राजकोषीय संकेतकों को प्रभावित कर सकते हों।	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • गारंटियों तथा लेखांकन व्यवहार में परिवर्तन की पर्याप्त जानकारी दी जाए।	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानक, नीतियों तथा प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण • राजकोषीय नीति का संचालन तथा सरकारी वित्त की स्थिति के बारे में	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • बजट प्रस्तत करते समय, राज्य सरकार लेखांकन मानक, नीतियों और उन प्रथाओं को प्रकट करेंगी जो राजकोषीय संकेतकों को प्रभावित कर रही हैं या प्रभावित कर सकती हैं। • भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार के ब्योरे का प्रकटीकरण	• राजकोषीय परिचालनों में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय। • लेखांकन मानक, नीतियों तथा प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण • गारंटियों द्वारा सृजित आकस्मिक देयताओं के संबंध में जानकारी का पर्याप्त रूप से प्रकटीकरण।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	मूल राशि और/ अथवा ब्याज का भुगतान करे तो इस देयता को राज्य के उधार के रूप में दिखाया जाए।	अथवा ब्याज का भुगतान करे तो इस देयता को राज्य के उधार के रूप में दिखाया जाए।			पर्याप्त जानकारी का प्रकटीकरण ताकि जनता उसकी जांच कर सके। • सरकार अथवा प्राधिकरण जो प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हैं, वे कोई कार्य देने अथवा निर्माण कार्य शुरु करने से पहले प्रशासनिक अनुमोदन या वित्तीय मंजूरी दें। • प्रत्येक विभाग कार्यों और आपूर्ति आदेश एवं देयताओं का एक रजिस्टर रखेगा। • नियुक्तियां केवल स्वीकृत पदों के लिए ही की जाएं।	• सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सहायता प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन का प्रकटीकरण • जब भी राज्य किसी अलग संस्था को मूल राशि और/ अथवा ब्याज का भुगतान करे, तो इस देयता को राज्य के उधार के रूप में दिखाया जाए।	
11. अन्य	• राजस्व अधिशेष की स्थिति में बनाए रखना संभव नहीं हो सकेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा	• राजस्व अधिशेष की स्थिति में बनाए रखना संभव नहीं हो सकेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी तथा आरडी निर्धारित	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी तथा आरडी निर्धारित	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि प्राकृतिक	• राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी तथा आरडी निर्धारित	• अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण जी एफ डी तथा आर डी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकता है। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता-	आपदा के कारण अप्रत्याशित मांग के आधार पर जीएफडी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकता है। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का	सीमा से अधिक हो सकते हैं। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता - नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो। • सरकारी क्षेत्र के	सीमा से अधिक हो सकते हैं। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता- नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	आपदाएं, आंतरिक अशांति और केंद्र से संसाधनों के अंतरण में कमी के चलते जीएफडी तथा आरडी निर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं। • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का	सीमा से अधिक हो सकते हैं • कर से इतर राजस्व जुटाने की नीतियां अपनाई जाएं जिसमें लागत की वसूली तथा इक्विटी का पूरा ध्यान रखा जाए। • राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता-नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	• राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए नियम बनाए। • यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है तो, सरकार आदेश निकालकर, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके उक्त कठिनाई को दूर करने का प्रावधान आवश्यकता नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो। • नकदी प्रबंधन प्रथाओं में उपयुक्त उपाय करना ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट न लेना पड़े।

अनुबंध 2: राज्यों के राजकोषीय जवाबदेही कानून *(जारी)*

मद/राज्य	मणिपुर	नगालैंड	उत्तरांचल	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	बिहार	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8
	नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	प्रावधान आवश्यकता-नुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो।	उपक्रमों के प्रबंधन तथा उपयोगिता से जुड़े राजकोषीय जोखिमों को निष्पादन की समीक्षा करके कम करना		प्रावधान आवश्यकतानुसार कर सकती हैं जो इस अधिनियम के प्रतिकूल न हो। • सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन तथा उपयोगिता से जुड़े राजकोषीय जोखिमों को निष्पादन की समीक्षा करके कम करना। • राज्य की अर्थव्यवस्था और संबंधित राजकोषीय रणनीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य लाना। • एक विशेष रिपोर्ट जिसमें सरकार में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहायता प्राप्त संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन की जानकारी हो।		

अनुबंध 3अ : वर्ष 2005-06 (औसत) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1(क्यू 1)	क्वार्टाइल 2(क्यू 2)	क्वार्टाइल 3(क्यू 3)	क्वार्टाइल 4(क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 2.5 to 3.5 हरियाणा, एनसीटी दिल्ली कर्नाटक, तमिलनाडु	रेंज: 4.0 to 5.1 छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश	रेंज: 5.1 to 6.1 **उड़ीसा,** पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	रेंज: 6.2 to 6.6 झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.9 to 0.6 एनसीटी दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा,	रेंज: 1.0 to 1.6 झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	रेंज: 1.6 to 3.3 महाराष्ट्र, **बिहार,** राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा	रेंज: 4.3 to 4.7 केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -0.7 to 0.6 उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश	रेंज: 0.7 to 1.2 कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, एनसीटी दिल्ली, छत्तीसगढ़	रेंज: 1.4 to 1.8 गोवा, **पश्चिम बंगाल,** राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश	रेंज: 1.9 to 3.9 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -4.6 to -2.3 बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, एनसीटी दिल्ली,	रेंज: -2.2 to -1.7 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक	रेंज: -1.5 to -0.1 गुजरात, झारखंड, पंजाब, **राजस्थान,** तमिलनाडु	रेंज: 0.0 to 0.6 उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -121.2 to 9.6 एनसीटी दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़	रेंज: 12.4 to 37.0 झारखंड, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश	रेंज: 37.5 to 55.3 **तमिलनाडु,** उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र	रेंज: 73.1 to 80.8 केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब
6. आरडी/आरआर	रेंज:-31.2 to 4.3 छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक एनसीटी दिल्ली	रेंज: 5.9 to 10.8 बिहार, गोवा, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश	रेंज: 11.1 to 26.3 उड़ीसा, गुजरात, **आंध्र प्रदेश,** महाराष्ट्र, राजस्थान	रेंज: 29.3 to 51.9 उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 8.6 to 9.8 कर्नाटक, केरल, हरियाणा, तमिलनाडु	रेंज: 7.4 to 7.8 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 6.6 to 7.4 मध्य प्रदेश, गुजरात, **गोवा,** राजस्थान, उड़ीसा	रेंज: 4.6 to 6.5 उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल,
8. ओएनटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 2.9 to 8.6 गोवा, हरियाणा, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु	रेंज: 2.1 to 2.8 गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	रेंज: 1.1 to 2.0 **आंध्र प्रदेश,** तमिलनाडु एनसीटी दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान,	रेंज: 0.5 to 1.1 उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल,
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 7.4 to 18.5 बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश	रेंज: 4.1 to 6.8 आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल,	रेंज: 2.1 to 3.9 **कर्नाटक,** केरल, गोवा तमिलनाडु, गुजरात	रेंज: 0.6 to 1.7 पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एनसीटी दिल्ली
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 15.0 to 17.6 बिहार, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश	रेंज: 12.4 to 14.4 छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश	रेंज: 9.9 to 12.3 **आंध्र प्रदेश,** हरियाणा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु	रेंज: 7.6 to 9.7 महाराष्ट्र, पंजाब, एनसीटी दिल्ली, पश्चिम बंगाल,
11. गैर-डीइवी /जीएसडीपी	रेंज: 3.3 to 6.0 छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 6.1 to 6.9 आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिलनाडु	रेंज: 7.4 to 8.4 केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, **झारखंड**	रेंज: 9.0 to 13.9 बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 8.8 to 12.1 छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, बिहार	रेंज: 7.0 to 8.5 उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश	रेंज: 5.5 to 6.8 तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात	रेंज: 4.1 to 4.9 पश्चिम बंगाल, पंजाब, एनसीटी दिल्ली, हरियाणा
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 2.9 to 4.2 बिहार, गोवा, झारखंड मध्य प्रदेश	रेंज: 2.4 to 2.9 छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	रेंज: 1.3 to 2.0 महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु उड़ीसा, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 0.6 to 0.8 हरियाणा, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल,
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 18.5 to 30.6 छत्तीसगढ़, हरियाणा, तामिलनाडु, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 30.8 to 39.3 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक	रेंज: 39.4 to 54.9 गोवा, गुजरात, केरल राजस्थान, पश्चिम बंगाल,	रेंज: 55.2 to 79.5 बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब
15. आइपी/आरआर	रेंज: 12.2 to 17.8 छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, कर्नाटक	रेंज: 17.9 to 23.0 मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली, तमिलनाडु	रेंज: 24.8 to 29.8 **बिहार,** गुजरात, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश, केरल	रेंज: 30.1 to 52.2 उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल

टिप्पणी :
1. इस सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 16 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 समूहों में वर्गीकरण यथा 1 से 4, दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेत दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइल समूह में समूहबद्ध किया गया है।किसी भी संकेतक श्रेणी में 01 से 04 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा।
2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।
3. बोल्ड अक्षरों में दर्शाए आंकड़े दिए गए संकेतक हेतु मीडियन राज्यों से संबंधित हैं।
4. सारणी 16 पर दिए गए फुटनोट को भी देखें।

अनुबंध 3आ : वर्ष 2005-06 (संअ) के लिए गैर विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1(क्यू 1)	क्वार्टाइल 2(क्यू 2)	क्वार्टाइल 3(क्यू 3)	क्वार्टाइल 4(क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 1.5 to 2.6 हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 2.9 to 3.9 छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात आंध्र प्रदेश, पंजाब	रेंज: 3.9 to 5.1 उत्तर प्रदेश, **महाराष्ट्र,** राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश	रेंज: 5.3 to 10.2 केरल, गोवा, बिहार, झारखंड
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.6 to 0.0 एनसीटी दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	रेंज: 0.2 to 0.5 आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडु	रेंज: 0.6 to 1.2 **गोवा,** हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश	रेंज: 1.7 to 4.0 पंजाब, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -3.4 to -0.2 उड़ीसा, पंजाब, एनसीटी दिल्ली, हरियाणा	रेंज: 0.1 to 0.7 गुजरात , कर्नाटक, तामिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़,	रेंज: 0.7 to 1.7 मध्य प्रदेश, **राजस्थान,** आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश	रेंज: 1.8 to 8.7 केरल, बिहार, गोवा, झारखंड
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -5.7 to -4.1 एनसीटी दिल्ली, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा	रेंज: -3.6 to -2.8 गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश	रेंज: -2.7 to -1.9 तामिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, **उत्तर प्रदेश**, आंध्र प्रदेश	रेंज: -1.7 to 1.7 पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, केरल
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -180.7 to 0.5 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 3.0 to 10.1 गुजरात, बिहार, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र	रेंज: 12.7 to 32.2 **आंध्र प्रदेश,** राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा	रेंज: 36.5 to 76.6 उड़ीसा, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल
6. आरडी/आरआर	रेंज: -26.9 to 0.1 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 0.8 to 3.1 गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, तामिलनाडु, महाराष्ट्र	रेंज: 3.2 to 6.7 **गोवा,** उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान	रेंज: 9.6 to 34.9 पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 9.3 to 11.7 कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़	रेंज: 8.5 to 9.2 हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब	रेंज: 7.4 to 8.2 उत्तर प्रदेश, गुजरात, **मध्य प्रदेश,** राजस्थान, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 4.9 to 7.3 उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
8. ओएनटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 2.9 to 7.4 गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब	रेंज: 2.1 to 2.4 कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा	रेंज: 1.2 to 2.0 तमिलनाडु, गुजरात, **आंध्र प्रदेश,** महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 0.5 to 0.9 उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल,
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 9.3 to 24.6 बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा	रेंज: 5.3 to 8.9 आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान	रेंज: 3.3 to 4.9 **केरल,** पंजाब, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु	रेंज: 0.5 to 3.3 महाराष्ट्र, एनसीटी दिल्ली, गुजरात, हरियाणा
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 18.0 to 24.4 बिहार, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश	रेंज: 13.4 to 17.8 उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान	रेंज: 10.5 to 13.2 तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक,	रेंज: 8.3 to 10.3 पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, एनसीटी दिल्ली
11. गैर-डीइवी /जीएसडीपी	रेंज: 3.0 to 5.7 गुजरात, एनसीटी दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा	रेंज: 5.7 to 7.1 छत्तीसगढ़,, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड	रेंज: 7.4 to 8.5 **गोवा,** पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान	रेंज: 8.8 to 15.6 बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 9.5 to 15.7 बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड	रेंज: 8.2 to 9.3 केरल, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश	रेंज: 5.5 to 7.4 पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, **आंध्र प्रदेश,** तमिलनाडु, महाराष्ट्र	रेंज: 4.9 to 5.5 गुजरात, एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 4.6 to 6.3 बिहार, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश	रेंज: 3.2 to 4.0 उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक	रेंज: 1.7 to 2.8 तमिलनाडु, **गुजरात,** पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र,	रेंज: 0.7 to 1.6 पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, एनसीटी दिल्ली
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 19.3 to 30.8 हरियाणा, तमिलनाडु, एनसीटी दिल्ली, छत्तीसगढ़,	रेंज: 30.9 to 38.7 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड	रेंज: 44.4 to 54.6 केरल, **मध्य प्रदेश,** गोवा, पंजाब, पश्चिम बंगाल,	रेंज: 55.1 to 84.1 बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
15. आइपी/आरआर	रेंज: 8.8 to 14.3 छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक	रेंज: 17.3 to 17.9 हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, एनसीटी दिल्ली	रेंज: 19.0 to 23.6 आंध्र प्रदेश, **बिहार,** उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब	रेंज: 25.2 to 41.0 उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल,

टिप्पणी :
1. इस सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 16 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 समूहों में वर्गीकरण यथा 1 से 4, दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेत दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइल समूह में समूहबद्ध किया गया है।किसी भी संकेतक श्रेणी में 01 से 04 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा।
2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।
3. बोल्ड अक्षरों में दर्शाए आकड़े दिए गए संकेतक हेतु मीडियन राज्यों से संबंधित हैं।
4. सारणी 16 पर दिए गए फुटनोट को भी देखें।

अनुबंध 3इ : वर्ष 2005-06 (औसत) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1(क्यू 1)	क्वार्टाइल 2(क्यू 2)	क्वार्टाइल 3(क्यू 3)	क्वार्टाइल 4(क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 3.3 to 3.9 जम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड	रेंज: 4.6 to 5.4 मेघालय, त्रिपुरा	रेंज: 5.5 to 8.7 **सिक्किम,** उत्तरांचल, मणिपुर	रेंज: 11.5 to 12.2 अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -12.9 से -3.6 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर	रेंज: -3.1 से -1.7 नागालैंड, त्रिपुरा	रेंज: -0.9 से 0.5 **मेघालय,** मणिपुर, मिज़ोरम	रेंज: 1.1 से 7.9 हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तरांचल
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -2.0 से -0.8 नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 0.2 से 0.8 असम, त्रिपुरा	रेंज: 1.2 से 4.4 **मेघालय,** मणिपुर, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 4.5 से 6.0 उत्तरांचल, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज -19.7 से -9.5 सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश	रेंज -7.1 से -7.0 नागालैंड, मिज़ोरम	रेंज -6.3 से -4.3 **त्रिपुरा,** मणिपुर, मेघालय	रेंज -2.3 से 0.3 असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -805.7 से -35.9 अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम	रेंज: -26.2 से -12.8 मेघालय, मिज़ोरम	रेंज: 10.0 से 49.8 **मणिपुर,** असम, उत्तरांचल	रेंज: 64.9 से 3765.9 नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
6. आरडी/आरआर	रेंज: -15.9 से -8.0 जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम	रेंज: -6.0 से -5.3 अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा	रेंज: -3.1 से 1.5 **मेघालय,** मणिपुर, मिज़ोरम	रेंज: 5.5 से 35.3 असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 6.1 से 8.0 उत्तरांचल, **जम्मू और कश्मीर,** सिक्किम	रेंज: 5.5 से 5.7 असम, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 1.9 से 3.6 मणिपुर, **मेघालय,** त्रिपुरा	रेंज: 1.2 से 1.8 अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड
8. ओएनटीआर/ जीएसडीपी	रेंज: 2.4 से 70.1 उत्तरांचल, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 2.4 से 2.4 मेघालय, मिज़ोरम	रेंज: 2.0 से 2.3 **जम्मू और कश्मीर,** असम, त्रिपुरा	रेंज: 1.0 से 1.9 हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 47.1 से 51.9 अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम	रेंज: 35.3 से 36.5 जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 23.1 से 29.9 **नागालैंड,** मेघालय, त्रिपुरा	रेंज: 11.3 से 14.9 हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तरांचल
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 44.5 से 54.9 अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम	रेंज: 28.3 से 30.8 जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 21.2 से 22.8 **मेघालय,** त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 16.2 से 20.1 नागालैंड, उत्तरांचल, असम
11. गैर-डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 8.6 से 11.3 असम, मेघालय, उत्तरांचल	रेंज: 12.9 से 13.6 हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा	रेंज: 15.4 से 18.7 मिज़ोरम, मणिपुर, **नागालैंड**	रेंज: 19.0 से 80.4 जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 23.7 से 29.6 मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 14.2 से 18.1 मणिपुर, त्रिपुरा	रेंज: 12.2 से 14.0 मेघालय, **जम्मू और कश्मीर,** हिमाचल प्रदेश	रेंज: 9.6 से 11.5 नागालैंड, उत्तरांचल, असम
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 11.5 से 18.4 मिज़ोरम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम	रेंज: 8.0 से 10.7 मणिपुर, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 4.6 से 7.1 मेघालय, नागालैंड, **त्रिपुरा**	रेंज: 2.6 से 4.3 उत्तरांचल, असम, हिमाचल प्रदेश
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 35.7 से 40.9 मेघालय, असम, नागालैंड	रेंज: 45.7 से 47.1 अरूणाचल प्रदेश, उत्तरांचल	रेंज: 51.8 से 58.9 जम्मू और कश्मीर, **त्रिपुरा,** मणिपुर	रेंज: 78.6 से 89.6 मिज़ोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
15. आइपी/आरआर	रेंज: 5.5 से 11.8 अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम	रेंज: 12.4 से 13.0 नागालैंड, मिज़ोरम	रेंज: 13.8 से 16.5 **जम्मू और कश्मीर,** मणिपुर, त्रिपुरा	रेंज: 17.0 से 34.8 असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल

टिप्पणी :
1. इस सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 16 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 समूहों में वर्गीकरण यथा 1 से 4, दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेत दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइल समूह में समूहबद्ध किया गया है।किसी भी संकेतक श्रेणी में 01 से 04 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा।
2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।
3. बोल्ड अक्षरों में दर्शाए आकड़े दिए गए संकेतक हेतु मीडियन राज्यों से संबंधित हैं।
4. सारणी 16 पर दिए गए फुटनोट को भी देखें।

अनुबंध 3ई : वर्ष 2005-06 (संअ) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों की संक्षिप्त स्थिति

संकेतक	क्वार्टाइल 1(क्यू 1)	क्वार्टाइल 2(क्यू 2)	क्वार्टाइल 3(क्यू 3)	क्वार्टाइल 4(क्यू 4)
(अ) घाटा संकेतक				
1. जीएफडी/जीएसडीपी	रेंज: 3.5 to 4.2 हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड	रेंज: 5.8 to 6.5 असम, त्रिपुरा	रेंज: 6.9 to 10.0 **जम्मू और कश्मीर,** मिज़ोरम, मणिपुर	रेंज: 10.4 to 16.2 अरूणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम
2. आरडी/जीएसडीपी	रेंज: -11.6 to -8.0 अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम	रेंज: -7.9 to -5.9 जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा	रेंज: -5.6 to -2.3 **नागालैंड,** मेघालय,मिज़ोरम	रेंज: 0.4 to 1.8 हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तरांचल
3. पीडी/जीएसडीपी	रेंज: -3.3 to 0.2 हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड	रेंज: 1.3 to 1.5 जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा	रेंज: 1.7 to 3.7 **मणिपुर,** असम, मिज़ोरम	रेंज: 6.6 to 10.5 अरूणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम
4. पीआरबी/जीएसडीपी	रेंज: -17.4 to -13.8 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर	रेंज: -13.6 to -11.8 मिज़ोरम, जम्मू और कश्मीर	रेंज: -10.2 to -7.0 **त्रिपुरा,** हिमाचल प्रदेश, नागालैंड	रेंज: -5.8 to -2.0 मेघालय, असम, उत्तरांचल
5. आरडी/जीएफडी	रेंज: -163.1 to -114.4 मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर	रेंज: -101.3 to -71.3 सिक्किम, त्रिपुरा	रेंज: -64.8 to -55.1 मेघालय, मिज़ोरम, **अरूणाचल प्रदेश**	रेंज: 10.0 to 17.4 हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तरांचल
6. आरडी/आरआर	रेंज: -18.9 to -16.7 मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा	रेंज: -15.7 to -11.5 जम्मू और कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश	रेंज: -9.9 to -6.5 **सिक्किम,** मेघालय, मिज़ोरम	रेंज: 1.5 to 6.6 हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तरांचल
(आ) राजस्व निष्पादन				
7. ओटीआर/जीएसडीपी	रेंज: 7.1 to 7.9 उत्तरांचल, असम, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 6.3 to 6.6 सिक्किम, हिमाचल प्रदेश	रेंज: 3.2 to 4.0 अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, **मेघालय**	रेंज: 1.3 to 2.2 मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम
8. ओएनटीआर/ जीएसडीपी	रेंज: 3.3 to 56.9 अरूणाचल प्रदेश,	रेंज: 2.9 to 3.2 असम, जम्मू और कश्मीर सिक्किम, मिज़ोरम,	रेंज: 2.7 to 2.8 **हिमाचल प्रदेश,** मणिपुर,	रेंज: 0.6 to 2.6 नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तरांचल मेघालय,
9. सीटी/जीएसडीपी	रेंज: 53.7 to 57.8 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर	रेंज: 39.7 to 52.7 मिज़ोरम, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 28.3 to 31.5 **त्रिपुरा,** मेघालय, नागालैंड	रेंज: 17.0 to 20.2 हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तरांचल
(इ) व्यय पद्धति				
10. डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 49.7 to 64.2 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम	रेंज: 39.1 to 45.0 जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 26.3 to 28.0 त्रिपुरा, **मेघालय,** उत्तरांचल	रेंज: 19.2 to 25.6 हिमाचल प्रदेश, असम, नागालैंड
11. गैर-डीइवी/जीएसडीपी	रेंज: 10.7 to 11.3 मेघालय, असम, उत्तरांचल	रेंज: 13.2 to 13.4 हिमाचल प्रदेश, नागालैंड	रेंज: 14.4 to 18.4 जम्मू और कश्मीर, **त्रिपुरा,** मिज़ोरम	रेंज: 18.5 to 69.3 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर
12. एसएसई/जीएसडीपी	रेंज: 23.6 to 32.8 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम	रेंज: 17.5 to 23.2 जम्मू और कश्मीर, मणिपुर	रेंज: 14.8 to 16.0 त्रिपुरा, **मेघालय,** उत्तरांचल	रेंज: 10.9 to 14.4 असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड
13. सीओ/जीएसडीपी	रेंज: 17.2 to 27.9 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर	रेंज: 14.6 to 15.0 जम्मू और कश्मीर, मिज़ोरम	रेंज: 8.1 to 11.7 **त्रिपुरा,** नागालैंड, उत्तरांचल	रेंज: 3.7 to 5.5 असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय
(ई) ऋण स्थिति				
14. ऋण/जीएसडीपी	रेंज: 32.6 to 43.9 असम, मेघालय, नागालैंड	रेंज: 52.7 to 55.1 उत्तरांचल,त्रिपुरा	रेंज: 60.8 to 77.0 अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, **जम्मू और कश्मीर**	रेंज: 77.7 to 88.1 मिज़ोरम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश
15. आइपी/आरआर	रेंज: 4.9 to 9.6 अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर	रेंज: 10.1 to 10.9 मेघालय, मिज़ोरम	रेंज: 11.0 to 12.2 **नागालैंड,** त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर	रेंज: 13.7 to 26.4 असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल

टिप्पणी :
1. इस सारणी में इंगित की गई क्वार्टाइल स्थिति सारणी 16 में दिए गए राजकोषीय संकेतक आकड़ों के आधार पर हैं। राज्यों का 4 समूहों में वर्गीकरण यथा 1 से 4, दूसरों की तुलना में प्रत्येक राज्य का राजकोषीय संकेत दर्शाता है। राज्यों को संकेतक श्रेणी में बढ़ते/घटते क्रम में रखने के बाद उन्हें क्वार्टाइल समूह में समूहबद्ध किया गया है।किसी भी संकेतक श्रेणी में 01 से 04 तक में उनका निष्पादन स्तर घटता नजर आएगा।
2. घटने (-) का निशान घाटा संकेतक में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।
3. बोल्ड अक्षरों में दर्शाए आकड़े दिए गए संकेतक हेतु मीडियन राज्यों से संबंधित हैं।
4. सारणी 16 पर दिए गए फुटनोट को भी देखें।

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

राजकोषीय विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को व्यय और राजस्व उत्तरदायित्व अंतरित करना शामिल होता है। विकेंद्रीकरण के स्तर को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अंतरित स्वायत्तता की सीमा से मापा जा सकता है। स्थानांतरण के स्तर, व्यय का समनुदेशन तथा राजस्व व्यवस्था को देश के संदर्भ में तैयार करना चाहिए जो आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक घटकों पर निर्भर करता है। तथापि, अंततः प्रत्येक देश को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता होती है।

पिछले कुछ दशकों में व्यय के हस्तांतरण और कुछ हद तक राज्य सरकार के स्तर पर राजस्व बढ़ाने के उत्तरदायित्व की ओर एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति उभरी है यह भी धारणा रही है कि व्यय उत्तरदायित्वों के विकेंद्रीकरण से दक्षता और कल्याण में बेहतरी आती है। आर्थिक साहित्य में लंबे समय तक टीबाट (1961), मस्ग्रेव (1969) तथा ओट्स (1972) तथापि साहित्य में यह भी आम धारणा रही है कि विकेंद्रीकरण किए जाने से वितरण संबंधी ईक्विटी और व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन में लागत बढ़ सकती है।

क 4.1 राजकोषीय संघ की प्रमुख विशेषताएं :

अंतर सरकार राजकोषीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के डिजाइन में बहुस्तरीय सरकार व्यवस्था में व्यय का समनुदेशन, राजस्व का समनुदेशन, अंतर सरकार अंतरण, कर लगाना, बजट तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन तथा राज्य सरकार के उधारों का नियंत्रण सम्मिलित रहा है।

नियमों के अनुसार यह व्यापक अवधारणा रही है कि व्यय उत्तरदायित्वों के विकेंद्रीकरण से अत्यधिक कल्याणकारी लाभ हो सकते हैं। इस विचार के अनुसार, सरकार के स्तर पर सरकारी व्यय के प्रत्येक स्वरूप के लिए उत्तरदायित्व सौंपने से संसाधनों के आबंटन की दक्षता सर्वोत्तम होती है क्योंकि सरकार के स्तर का प्रत्येक सरकारी व्यय इस परिव्यय के लाभार्थियों से निकटता दर्शाता है। यूरोपियन यूनियन द्वारा अपनाई गई और अधिक परिचालनगत दृष्टिकोण उत्तरदायित्व समनुदेशन के लिए अनुषंगी सिद्धांत का रहा है जिसके अनुसार कराधान, व्यय और विनियामक कार्य सरकार के निचले स्तर द्वारा तब तक प्रयोग किए जाने चाहिए जब तक उन्हें उच्चतर स्तरों तक करने के लिए कोई प्रभावित न करता हो।

सामान्यतया ऐसा माना गया है कि, वितरण तथा विशेष रूप से व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन विचारधारा, उन दोनों का विरोध व्यवस्था से होता रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों को कराधान संबंधी सभी अथवा अधिकांश शक्तियों की ऊपरिगामी राजस्व हिस्सेदारी सौपी जाती हैं। ऐसी व्यवस्था होने से व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन के लिए कर लिखतों से केंद्र सरकार वंचित रह जाती है। वह व्यवस्था जो केंद्र सरकार को सभी अथवा अधिकांश कराधान शक्तियाँ सौंपती है, अवांछनीय है। राजस्व इकट्ठा करने वाले दायित्वों से व्यय करने वाले प्राधिकरण को अलग कर देने से इस व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक के व्यय और उनके मूल्य के लाभों वाले लिंक स्थापित होते हैं यथा वित्तपोषण हेतु लगाए गए कर। इस प्रकार वे राज्य की राजनीति और उनके चुनावी क्षेत्रो के में राजकोषीय उत्तरदायित्वों का उन्नयन नहीं करते। अतः नियम के अनुसार प्राप्त विकल्प जिसे विश्व भर के देशों में अपनाया गया है। यह ऐसी स्थिति रही है जो सरकार के प्रत्येक स्तर पर राजस्व के अपने संसाधनों का अंतर सरकार अंतरणों के विभिन्न मिश्रणों के साथ समनुदेशन उपलब्ध कराती है ताकि राजस्व और व्यय समनुदेशनों के बीच के अंतराल को भरा जा सके। फिर भी, देशों के बीच राजस्व समनुदेशनों और अंतर सरकार अंतरणों के कारण व्यापक भिन्नता भी रही है।

कुछ देश सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए कर आधारों के पूर्णतः अलगाव के सिद्धांत को मानते हैं। अन्य, उसी कर आधार विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करते हैं। कर पृथक्करण के उदाहरण, अन्य देशों के साथ-साथ भारत, आस्ट्रेलिया और गैर साझी कर जर्मनी में पाए जाते हैं। इसके विपरीत अमरीका और कनाडा में कर अतिव्यापन का पर्याप्त स्तर है।

चूँकि अधिकांश प्रमुख कर विशेष रूप से केंद्र सरकार को समनुदेशित होते हैं, जबकि क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों के पास अत्यधिक व्यय का भार होता है, अतः राज्य सरकार के स्तर पर समांतर असंतुलन अकसर (अर्थात अंतरण से पहले राजकोषीय घाटे) उभरते रहते हैं। समस्तरीय असंतुलन भी नजर आते हैं क्योंकि अपने राजस्व बढ़ाने की क्षमता अपने-अपने क्षेत्राधिकार में भिन्न होती है। इन असंतुलनों को अंतर सरकारी अंतरणों अथवा घाटे वाले क्षेत्राधिकारों से उधार अथवा दोनों के मिश्रण से कम करना चाहिए। अंतर सरकार अंतरणों की उचित प्रक्रिया राज्य क्षेत्राधिकारों के बीच संसाधनों का वांछित वितरण उन्नयन के लिए निर्णायक होता है। अंतर सरकार अंतरण प्रबंधन को मुख्यतया दो श्रेणियों में बांटा जाता है, राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था और अनुदान अर्थात सामान्य प्रयोजन अनुदान और विशिष्ट प्रयोजन अनुदान।

तथापि, कुछ संदेह इस बात का होता है कि राजस्व बढ़ाने में पर्याप्त हस्तांतरण और व्यय उत्तरदायित्वों से कराधान और सरकारी व्यय व्यवस्था के लिए नई चुनौतियाँ सामने नजर आती हैं।

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(जारी)*

केंद्रीकृत प्रशासन के कुछ लाभ हैं, मुख्यतः प्रक्रियाओं की एकरूपता, जिससे पूरे देश में करदाताओं से एकसमान व्यवहार होगा और अनुपालन लागत कम होगी तथा स्तरीय उत्तरदायित्व होगा। दूसरी ओर, विकेंद्रीकृत प्रशासन राज्य प्राधिकरण उन्हें सौंपे गए करों के निष्पादन के लिए अधिक उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे, इसके साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों की प्रणाली और प्रक्रियां अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। विकेंद्रीकृत प्रशासन स्थानीय करों, यथा संपत्ति कर, कारोबार लाइसेंस शुल्क, प्रयोगकर्ता का शुल्क और अन्य छोटी वसूलियों पर अधिक प्रभावी हो सकेगा। राज्य स्तरीय करों का विकेंद्रीकृत प्रशासन, यथा व्यक्तिगत अथवा कंपनी आय कर, अथवा सामान्य कर प्रभावी रूप से लगाए जाने के लिए राज्य प्रशासनों के बीच संबंधित जानकारी के प्रणालीगत विनिमय की आवश्यकता होगी।

सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा सरकारी व्यय प्रबंधन के लिए व्यय उत्तरदायित्वों का पर्याप्त विकेंद्रीकरण भी नई चुनौतियां लायेगा। इन चुनौतियों से केंद्र तथा राज्य सरकारों की बजट संबंधी नीतियों के समायोजन की आवश्यकता बनी रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके राष्ट्रीय व्यष्टि आर्थिक उद्देश्यों के साथ उनकी बारंबारता है। साथ ही, सरकार के सभी स्तरों में प्रत्युत्तर उत्पन्न करने की आवश्यकता बनी रहेगी ताकि बजट संसाधनों तथा वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी के दोनों घटकों के साथ उनकी वरीयता सुनिश्चित की जा सके तथा इससे सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता भी जुड़ी रहेगी।

राजकीय उधारों के नियंत्रण के अनुभव से देश की समीक्षा किए जाने पर दृष्टिकोणों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। अन्य बातों के साथ-साथ इनसे राज्य सरकारों की कानूनी और संविधान का स्तर, उन पर केंद्र सरकार के राजनैतिक और प्रशासनिक नियंत्रण का स्तर, वित्तीय अनुशासन में देश की समग्र परंपरा, गंभीर राजकोषीय तथा व्यष्टि आर्थिक असंतुलनों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति तथा देश के वित्तीय बाजार के विकास की स्थिति स्पष्ट होती है।

राजकीय उधार के नियंत्रण की ओर जाते हुए देश को चार प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है, हालांकि अधिकांश देश उनका उपयोग मिश्रण के रूप में करते हैं। चार 'पध्दतिबध्द' श्रेणियां हैं : i) बाजार अनुशासन पर एकमात्र अथवा प्राथमिक निर्भरता; ii) डिजाइन में सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा सहयोग तथा ऋण नियंत्रणों का कार्यान्वयन; iii) नियम आधारित नियंत्रण; तथा iv)प्रशासनिक नियंत्रण हैं।

अंतर सरकारी राजकोषीय संबंधों का डिजाइन मुख्य रूप से गैर आर्थिक (राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों के साथ-साथ आर्थिक विचारों से प्रभावित होता रहा है। संकीर्ण आर्थिक संदर्भ में, इन व्यवस्थाओं का डिजाइन विभिन्न उद्देश्यों (जो हमेशा आसानी से समायोजन योग्य नहीं होते) के बीच संतुलन दर्शाता है जैसे : निर्धारित की गई दक्षता, आय का पुनर्वितरण तथा व्यष्टि आर्थिक प्रबंधन।

क 4.2 राजकोषीय संघवाद के मुख्य सिद्धांत

किसी देश के लिए उचित हस्तांतरण का स्तर जो भी हो, केंद्र तथा स्थानीय सरकारों और बजट के लिए व्यवस्था के बीच संबंधों को शासित करने वाला कानूनी ढांचा स्पष्ट और कार्यक्षम होना चाहिए। हालांकि सभी स्थितियों के लिए कूटबद्ध कानून अथवा संविदा उपलब्ध कराना असंभव हो जाता है। अतः सुचारु अंतर सरकार राजकोषीय संबंध सुनिश्चित करने के लिए विवाद समाधान तंत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे तंत्र विशेषीकृत निकायों के माध्यम से परिचालन में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका में केंद्र सरकार और सरकार के अन्य स्तरों के बीच वित्तीय संबंधों पर कार्रवाई वित्त आयोग करता है।

राष्ट्रीय एवं राजकीय व्यवहार की पारदर्शिता और क्षमता के लिए निम्नलिखित सिद्धांत आवश्यक हैं :

- सरकार के प्रत्येक स्तर का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से समनुदेशित किए जाने चाहिए, चाहे सरकार को समग्र रूप से जो भी उत्तरदायित्व समनुदेशित किए गए हों। सामान्यतया अतिव्यापन से बचना चाहिए तथा हिस्सेदारी उत्तरदायित्वों की लंबी समवर्ती सूचियाँ खासकर अस्पष्ट हो जाती हैं।
- केंद्र तथा स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व हिस्सेदारी वाली व्यवस्था स्थिर होनी चाहिए।
- राज्य सरकारों के पास अपना बजट तैयार करने से पहले इन संसाधनों का सुदृढ़ अनुमान होने की आवश्यकता है। पूर्वानुमान की कमी से दक्षता और राजकोषीय नियंत्रण दोनों स्थानीय स्तर पर प्रभावित होते हैं। राज्य सरकारें संसाधनों की राशि का उल्लेख न होने पर अपने व्यय की रूपरेखा नहीं बना सकती।
- बढ़ी हुई दक्षता के लिए प्रोत्साहन आवश्यक होते हैं। तथापि केंद्र सरकारें अकसर उप राष्ट्रीय सरकारों को अंतरण उस स्थिति में कम करती हैं जब वे अर्थव्यवस्था के उनके अपने कर संग्रहण में व्यय अथवा सुधार बनाती हैं।

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(जारी)*

- व्यय समनुदेशन तथा राजस्व व्यवस्था (कर हिस्सेदारी, अनुदान इत्यादि) दोनों को शामिल करते हुए केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच बहु वर्षीय संविदाओं पर सहमत होना वांछनीय हो सकता है। यदि उचित हो तो इन संविदाओं में निष्पादन मानदंड, स्थानीय सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के न्यूनतम मानक इत्यादि शामिल कर सकते हैं। वे पारदर्शी रूप से इन संबंधों को पारिभाषित करेंगे तथा पूर्वानुमान सुनिश्चित करेंगे। अन्य किसी संविदा के समान ही इस व्यवस्था की उपयोगिता इस बात पर निर्भर होगी कि उसकी निगरानी कितनी अच्छी तरह की जाती है।
- राष्ट्रीय नियम में राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और बजट तैयार करने के लिए मानक उपलब्ध होने चाहिए।

क 4.3 बड़े देशों में राजकोषीय संघ

इस खंड में आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और अमरीका जैसे कुछ बड़े संघों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

क 4.3.1 आस्ट्रेलिया में राजकोषीय संघ

आस्ट्रेलिया में वर्तमान में 6 राज्य, 2 प्रदेश और लगभग 774 स्थानीय सरकारें हैं। कराधान में राष्ट्रीय सरकार का एकाधिकार आस्ट्रेलियाई राजकोषीय प्रणाली की एक विशेषता रही है। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों और व्यवसाय पर आय कर, बिक्री कर, उत्पाद कर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कर कॉमनवेल्थ कर हैं। राज्य सरकारों के मुख्य कर वेतन, वित्तीय और पूंजी लनेदेनों, जुआ, बीमा और मोटर वाहन पर है। स्थानीय सरकारें अचल संपत्ति पर कर लगाती हैं।

1998 में कॉमनवेल्थ ने सभी सरकारी क्षेत्र चालू राजस्व का 68 प्रतिशत, राज्यों ने 28 प्रतिशत और स्थानीय सरकारों ने 4 प्रतिशत एकत्र किया। उसी वर्ष में कॉमनवेल्थ का सीधा व्यय कुल राष्ट्र की तुलना में 51% रहा था, उसके बाद राज्य सरकारों (45 प्रतिशत) और स्थानीय सरकारों का (4 प्रतिशत) का क्रम रहा। इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि क्यों आस्ट्रेलिया में राज्य सरकार का अंतर सरकारी अंतरण एक तरफा रहे। इसके कॉमनवेल्थ अनुदान आयोग ने एकसमान व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। आस्ट्रेलियाई अंतर सरकार राजकोषीय अंतरण प्रणाली समस्तरीय राजकोषीय असंतुलन और असमस्तरीय राजकोषीय असंतुलनों के बीच विशिष्ट अनुदान विशिष्ट प्रयोजन भुगतानों और संघ सरकार से राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को ब्लॉक अनुदान के संबंध में कार्रवाई करती है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई बड़े देशों में वैट राजस्व का एक बड़ा साधन रहा है। यह राजस्व का दक्ष और उछाल लाने वाला साधन है बशर्ते उसे उचित तरीके से तैयार उसके लगाया जाए। आस्ट्रेलिया में संघीय वैट पूरे देश पर लगाया गया है जिसे राज्यों में बराबरी के अनुदान के रूप में लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था बहुत ही सरल है तथा राज्य सरकार वैट को तैयार करने और लागू करने में आने वाली अनेक जटिलताओं को समाप्त करती है, जैसे कर दरों का सामंजस्य करना। आस्ट्रेलियाई कर सुधार 2000 के भाग के रूप में संघ सरकार ने वैट पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगाया है। आस्ट्रेलिया में संघ सरकार ने आय पर कर लगाने की अलग-अलग शक्ति दे रखी है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि कर प्रणाली में कर दरों और कर आधार में एकरूपता का उच्चतर स्तर है। तथापि, आस्ट्रेलिया में उच्च अंतरण निर्भरता अनुपात से राजकोषीय अपव्ययिता नहीं हुई है क्योंकि सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय अनुशासन बनाने की आवश्यकता पर मतैक्य रहा है। आस्ट्रेलिया ने विषमस्तरीय असंतुलनों को समाप्त करके तथा राज्य सरकारों के बीच समस्तरीय राजकोषीय विषमताओं को कम किया है। आस्ट्रेलिया ने भी राजकीय सेवा स्तरों में पर्याप्त स्तर की समरूपता प्राप्त कर ली है और यह स्पष्ट है कि अंतरण निर्भरता और समकारीकरण से राजकोषीय अपव्ययिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह पूरी तरह तैयार की गई अंतरण प्रणाली है।

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लंदन ने घाटे और ऋण स्तर के लिए नियमों और उद्देश्यों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना कानूनी रूप से आवश्यक कर दिया है। आस्ट्रेलिया में नए ढाँचे से 1992-93 में जीडीपी 4 प्रतिशत के घाटे से कम होकर 1999-2000 में 2 प्रतिशत अधिक हो गई। इसके अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया में नई रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप पारदर्शिता में सुधार हुआ है, परंतु राज्यों में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे घाटे पर रोक लगाई जा सके। तथापि, यहां व्यापक सामंजस्य रहा है कि राज्यों को राजकोषीय संतुलन बनाये रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से राज्यों को लचीलापन मिलता है जिससे कठिन समय में घाटा कम किया जा सकता है। 1980 के दौरान आस्ट्रेलिया ने राज्य सरकारों पर पूंजी बाजारों का मूल्यांकन करने पर रोक लगा दी गई थी और सभी ऋणों को आस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ ऋण परिषद के माध्यम से केंद्रीकृत कर दिया गया था। ऋण परिषद 1993 में दुबारा गठित किया गया और अब राज्य और अधिक लचीलेपन से परिचालन करते रहे हैं। सुधार के एक भाग के रूप में राज्यों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग की बारंबारता और खुलेपन में सुधार लाएं जो न केवल उनकी वित्तीय गतिविधियों की निगरानी

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(जारी)*

करता है बल्कि वित्तीय बाजारों को और अधिक विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराता है। कई राज्यों ने पिछले दशक में सामान्य सरकार निवल ऋण के अपने स्तर में अत्यधिक कटौती की है।

क 4.3.2 कनाडा में राजकोषीय संघ

कनाडा संघ में 10 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों के अतिरिक्त 5600 नगर निगम क्षेत्र हैं जिन्हें 1867 के संविधान से मूल शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त हुए हैं। राज्यों का प्राधिकार सीमा शुल्क और उत्पाद को छोड़कर शेष सभी करों पर होता है, इन दोनों शुल्कों पर संघ सरकार का पूरा प्राधिकार होता है। व्यावहारिक रूप से, इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों स्तर एक ही प्रकार के करों पर विश्वास करते हैं, इनमें अधिक महत्वपूर्ण हैं व्यक्तिगत और कंपनी आयकर और उपभोग कर। प्राकृतिक संसाधनों पर औपचारिक रूप से राज्यों का अधिकार है केवल राज्य और स्थानीय सरकारों की कर संपत्ति और जुआ राजस्व तथा इनकी निर्भरता भिन्न-भिन्न प्रकार की उपयोगकर्ता शुल्क और प्रभारों पर है।

हालांकि राज्यों को अपने कर आधार और दरों को पारिभाषित करने की पूर्ण स्वतंत्रता है परंतु व्यावहारिक रूप में अधिकांश राज्यों के आय कर संघ सरकार द्वारा इस शर्त पर एकत्र किए जाते हैं कि संघ आधार और राज्य का आधार एकसमान रहेगा। कनाडा में संघ और राज्य सरकारों के बीच कर संग्रहण समझौता इसी आय कर के आधार पर किया जाता है। क्यूबेक और ओन्टारियो अपवादात्मक राज्य हैं जो अपने व्यक्तिगत और कंपनी आय कर केंद्र द्वारा प्रभारित दर के अनुपात में स्वयं निर्धारित करते हैं। कनाडा में संघीय वैट है जो पूरे देश पर लागू होता है। ब्राजील के विपरीत कनाडा के राज्यों में विभिन्न उपभोग कर लगाए जाते हैं। 1997 से तीन राज्यों ने अपने बिक्री करों का समेकन संघ के मूल्य संवर्धन कर के साथ (कनाडा के वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में) समस्तरीय बिक्री कर के साथ कर लिया गया है, जो संघ सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य उधार लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें संघ सरकार द्वारा समीक्षा अथवा नियंत्रण नहीं होता। क्यूबेक द्वारा लगाया जाने वाला वैट एकसमान दर पर लगाया जाता है। अल्बर्टा में व्यापक आधार उपभोग कर नहीं लगाया जाता तथा शेष पांच राज्य फुटकर बिक्री कर (आरएसटी) का कुछ भाग लगाते हैं। ब्राजील के समान कनाडा का वैट भी पूर्णतया विश्वसनीय रहा है।

यह तथ्य कि व्यय के हस्तांतरण में सरकार के विभिन्न स्तर सम्मिलित होते रहे हैं, अतः अंतर सरकार सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि विकेंद्रीकरण सुधारों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। जर्मनी के ''सहयोग संघ वाद'' में बहु स्तरीय समितियों के व्यापक नेट के माध्यम से सभी निर्णय लिए जाते हैं जबकि आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में चुने हुए पदाधिकारियों और अधिकारियों की आवधिक बैठकें आपस में मुख्य राजकोषीय मुद्दों पर चर्चा हेतु की जाती हैं। कनाडा में, राजकोषीय व्यय नियंत्रण अधिनियम 1992 में एक मामूली व्यय सीमा निर्धारित की गई थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय वृद्धि को कम करना, राजकोषीय असंतुलनों को कम करना तथा जनता के ऋण में वृद्धि को रोकना था। वर्ष 1995 में जीडीपी में रहा 5 प्रतिशत घाटा वर्ष 1999 में समाप्त होकर जीडीपी से 1 प्रतिशत अधिक हो गया तथा जीडीपी की तुलना में निवल जनता का ऋण 1995 में 70 प्रतिशत से कम होकर 2000 में 52 प्रतिशत रह गया।

देश के समस्तरीय असंतुलनों का आकार मुख्यतया व्यय और राजस्व समनुदेशनों का कार्य रहा है। कनाडा में समस्तरीय लघुतर अंतराल की वास्तविकता यह है कि कनाडा के राज्यों की पहुँच सभी प्रमुख व्यापक आधार करों तक है तथा सरकार के विभिन्न स्तरों के कतिपय आधारों का प्रयोग संवैधानिक नियमों में नहीं आता है। राज्य अपनी दरें स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान में राज्य अपने राजस्व अपने संसाधनों से बढ़ाते हैं तथा समग्र संघ अंतरण राज्य के कुल राजस्व का केवल 13 प्रतिशत रहा है। तथापि अंतरण निर्भरता उच्च आय वाले राज्यों में 10-12 प्रतिशत से लेकर कम आय वाले राज्यों में लगभग 40 प्रतिशत रहा है।

कनाडा में अंतर सरकारी राजकोषीय अंतरण का प्रमुख लक्ष्य राज्यों की स्थानीय जन सेवाओं में न्यूनतम राष्ट्रीय मानक उपलब्ध कराना है। इनमें से मुख्य दो कनाडा स्वास्थ्य और सामाजिक अंतरण (सीएचएसटी) और समान अंतरण रहा हैं। बाद का अंतरण समस्तरीय असंतुलनों पर केंद्रित है जबकि सीएचएसटी ऊर्ध्वमुखी राजकोषीय अंतराल को कम करने का प्राथमिक उपाय है।

क 4.3.3 ब्राजील में राजकोषीय संघ

ब्राजील अत्यधिक विकेंद्रीकृत संघ है जिसमें 27 राज्य (संघ जिलों सहित) और 5,559 नगरपालिका हैं। 1988 संविधान में ब्राजील में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और अधिक गहन बना दिया है तथा कर्ज में डूबे राज्यों और नगरपालिकाओं को और अधिक स्वायत्तता दे दी गई है। राज्यों को व्यापक आधार वाला उच्च आय वैट समनुदेशित किया गया जो उन्होंने एकत्र किया और लगाया तथा उन्हें अपना वैट दर निर्धारित करने की

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(जारी)*

स्वायत्तता दी गई। ब्राजील में सतत विकेंद्रीकरण प्रवृत्ति की विशेषताएं राज्यों की अपेक्षा नगरपालिकाओं पर जोर देना है क्योंकि वे सेवा सुपुर्दगी के प्रमुख एजेंट रहे हैं, विशेष रूप से समाज सेवा और जन निवेश के क्षेत्र में।

हाल ही के सुधारों में अंतर सरकारी राजकोषीय संबंधों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून और अनुपूरक कानून में सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय ईमानदारी बरतने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया गया है। राज्य सरकारों का संघ अंतरण, संघ राजस्व का लगभग 1/5 था तथा राज्य और नगर पालिका का क्रमशः 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत था। 1989 में राज्यों के बीच हुए समझौते के परिणामस्वरूप राज्यों के समस्तरीय असंतुलनों को सुधारने की वजह से नए सुधारों ने राज्यों के राजकोषीय संबंधों में सुधार लाया है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य भागीदारी निधि का 85 प्रतिशत हिस्सा उत्तर, उत्तर पूर्व और केंद्र पश्चिम के अपेक्षाकृत गरीब राज्यों को अंतरित किया गया जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के समृद्ध राज्यों को राजस्व हिस्से का कम भाग मिला। राज्यों से उनके क्षेत्राधिकार की नगरपालिकाओं को आवश्यक अंतरण तथा सामाजिक सेवाओं के प्रावधान में नगरपालिकाओं पर बढ़ते दबाव के कारण सरकार के कुल व्यय और राजस्व में राज्य का हिस्सा कम हुआ है।

ब्राजील के मामले में कर सुधारों के मुख्य उद्देश्य कर चोरी को कम करना रहा है तथा स्थानीय राजस्व संग्रहण, विशेष रूप से नगरपालिका स्तर पर, को मजबूत बनाना रहा है। स्थानीय राजस्व संग्रहण पर अधिक जोर देने से यह स्पष्ट होता है कि अनुदान पर सरकार के निचले स्तर की निर्भरता कम करने तथा सरकार के उच्चतर स्तर का अंतरण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख राजस्व सुधार वैट लागू करने और राज्यों के अपने संसाधन पर कर राजस्व से संबंधित रहे हैं।

ब्राजील में, संघ वैट औद्योगिक वस्तुओं पर लागू होता है जबकि राज्य वैट सामान्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के परिचालन पर कर लगाता है तथा नगर पालिका सेवाओं की विशिष्ट सूची पर प्रभार लगाती है। यह नोट करने योग्य है कि राज्य वैट की तुलना में संघ वैट पूर्णतया विश्वसनीय है। हालांकि ब्राजील के राज्य, राज्य वैट से अपने स्वयं के संसाधन राजस्व का लगभग 85 प्रतिशत प्राप्त करते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न वैट को लागू करने के मामलों में कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं बढ़ती हैं। इसके अतिरिक्त इन तीन करों के कर आधार अतिव्यापी होने से अव्यवस्था और अक्षमता भी उत्पन्न होती है।

बार-बार राजकोषीय संकट के इतिहास के बाद ब्राजील ने एफआर एल (2000) अधिनियमित किया है। ब्राजील ने घाटे और ऋण नियमों और व्यय नियमों को इकट्ठा करके अपने कानूनी उत्तरदायित्व में पारदर्शिता लाई है। ब्राजील के राज्यों का बजट लचीला नहीं है क्योंकि पेंशन, ब्याज और मजदूरी पर किया गया व्यय उनके वर्तमान व्यय दर्शाता है। एफआरएल के अनुसार कार्मिकों पर किया गया व्यय राज्य के निवल वर्तमान राजस्व के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इसी प्रकार, नगरपालिकाओं के लिए भी यह सीमा 60 प्रतिशत है। कुछ राज्यों ने उक्त व्यय वांछित स्तर तक रखा गया है। ऋण सेवाओं पर व्यय के लिए वर्तमान अधिकतम सीमा राज्य और नगरपालिका राजस्व का 13 प्रतिशत रहा है। निवल ऋण की अधिकतम सीमा स्थानीय सरकारों के निवल राजस्व का 1.2 गुना तथा राज्य सरकारों के लिए निवल राजस्व का दोगुना है। यदि कोई स्थानीय सरकार यह सीमा पार करती है तो उन्हें एक वर्ष के भीतर उस हिस्से से ऊपर के भाग की चुकौती करनी होती है। ब्राजील के एफआरएल में भी बहु वर्षीय बजटों की अपेक्षा होती है जिसमें राजस्व, व्यय और ऋणग्रस्तता के लिए तीन वर्ष के लक्ष्य होते हैं। एफआरएल का एक महत्वपूर्ण घटक केंद्र द्वारा राज्य और स्थानीय सरकारों का भविष्य में होने वाली निकासी की तुलना में निषेध से संबंधित रहा है। कानून के अनुसार यदि ऋण चुकौतियां निवल राजस्व के 13 प्रतिशत से अधिक होती हैं तो राज्य और स्थानीय सरकार के वित्त संतुलित होने चाहिए। इसे लागू होने के चार वर्ष बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एफआरएल ने ब्राजील में राजकोषीय समायोजन किया है जैसा कि घटते हुए ऋण और घाटे अनुपात से परिलक्षित होता है।

ब्राजील में, बढ़ती हुई राजस्व स्वायत्तता और कम होती हुई अंतरण निर्भरता को राज्य सरकारों के बीच और अधिक राजकोषीय अनुशासन के आगे बढ़ने के माध्यम के रूप में देखा गया है। तथापि, कर स्वायत्तता समस्तरीय अंतराल को कम करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं रखी गई है क्योंकि राज्य सरकारों को कठिन बजट बाध्यताओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है।

ब्राजील में एक समान अंतरण संसाधनों के बड़े आबंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें राज्य और नगरपालिका सहभागिता निधि सम्मिलित होती है जो केंद्रीकृत रूप से एकत्र किए गए आय करों और राष्ट्रीय वैट से संग्रह किए जाते हैं, इनमें से क्रमशः 21.5 प्रतिशत और 22.5 प्रतिशत इन निधियों में जाता है। राज्य सहभागिता निधि (तीन बड़े संघ करों के राज्य के हिस्से) प्रत्येक राज्य के लिए सहभागिता गुणांक पर आधारित होता है। सहभागिता गुणांक की गणना करने का फार्मूला एक समान करने अथवा पुनः वितरण के मानदंड पर आधारित होता है। इसके परिणामस्वरूप निधि का 85 प्रतिशत भाग उत्तर, उत्तर पूर्व और पश्चिम में कम आय वाले क्षेत्रों को जाता है।

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघवाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(जारी)*

क. 4.3 4 अमरीका में राजकोषीय संघवाद

अमरीका की संघीय व्यवस्था अति विक्रेंद्रित है और सामान्यतः सुप्रबंधित संघीय राजकोषीय व्यवस्था का उदाहरण मानी जाती है। वर्तमान में, अमरीका में 50 राज्य, 1 संघीय जिला और 87,528 स्थानीय सरकार हैं। अमरीका का संविधान वे सभी कार्य करने की अनुमति देता है जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के लिए आरक्षित नहीं हैं और जिससे संविधान का उल्लंघन न होता हो। सरकार के संघीय और राज्य दोनों श्रेणियों में निजी आय पर कर लगाया जाता है, यद्यपि संघीय आय कर राज्यों के लिए बहुत ही कम गुंजाइश छोड़ता है। अधिकांश राज्य निजी आय कर पर और सामान्यतः बिक्री कर पर निर्भर करते हैं जिनसे उन्हें उनके कर राजस्व का दो तिहाई भाग प्राप्त होता है।

वर्षों में, अमरीका को अधिक विक्रेंद्रीकरण के प्रति सरकार के प्रत्येक स्तर पर राजस्व और व्यय के योग में बदलाव दिखा है। 2002 में, राज्यों का कुल राजस्व का लगभग 66 प्रतिशत भाग स्वयं के स्रोतों से प्राप्त हुआ, जबकि स्थानीय सरकार ने स्वयं के स्रोतों से कुल राजस्व का 55 प्रतिशत भाग जुटाया। 2002 में संघीय सरकार का व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत था, जबकि कुल व्यय का शेष आधा भाग राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा व्यय हुआ था।

अति कम राजकोषीय असंतुलन अमरीका की विशेषता है, किंतु राज्य और स्थानीय सरकार उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए संघीय सरकार से प्राप्त अंतरणों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं जिसमें उक्त अंतरण राज्यों के कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत होता है। उसी प्रकार, राज्य सरकारें उनके कुल राजस्व के लगभग 37 प्रतिशत के लिए (33 प्रतिशत राज्य से और 4 प्रतिशत संघीय स्तर पर) अंतर-सरकारी अंतरणों पर निर्भर करती हैं। राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता की समता की कोई व्यवस्था न होने पर भी अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राजकोषीय समानता बन जाती है।

अमरीका में उप-राष्ट्रीय सरकारें सैद्धांतिक रूप से संघीय सहभागिता के बिना उधार लाने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु हकीकत में, संघीय सरकार राज्य और स्थानीय बाँडों के ब्याज को संघीय आय कराधान से छूट देकर उप-राष्ट्रीय उधारों को सहायता प्रदान करती है। अमरीका में केंद्र सरकार ने नो-बेलआउट नीति अपनाई है और लगभग सभी राज्यों में स्वयं का लगाया हुआ संतुलित - बजट नियंत्रण है।

क 4.3.5 राजकोषीय अनुशासन के लिए संस्थागत ढांचा

राजकोषीय अनुशासन के लिए संस्थागत ढांचा बॅलेंस ऑपरेटिंग बजट संबंधी प्रभावी नीति, राज्य व्यय प्राधिकारी और दायित्व, राज्य राजस्व-जुटाने के प्राधिकारी, बजटीय पारदर्शिता और नागरिकों की सहभागिता, राष्ट्रीय अंतरण नीति और राज्यों के उधार लेने के प्राधिकार से संबंधित नीतियों जैसे महत्वपूर्ण कुछ संस्थागत कारक सरकार के उप-राष्ट्रीय स्तरों पर अच्छा राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के प्रयोजनार्थ आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील का राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा और भारत की स्थिति की तुलना सारणी अनुबंध 4 क में दी गई।

सारणी अनुबंध 4 क : उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा

क	नीति	ऑस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	भारत
	1	2	3	4	5
क	**बैलेंस्ड ऑपरेटिंग बजट्स संबंधी प्रभावी नीतियां**				
1.	बैलेंस्ड ऑपरेटिंग बजट्स संबंधी प्रभावी संस्थागत नियम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	बैलेंस्ड ऑपरेटिंग बजट्स संबंधी प्रभावी सांविधिक नियम	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
3.	संतुलित बजट नियमों का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों पर प्रभावी दंड लगाया जाता है।	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
4.	किसी स्वतंत्र 'दीवालिया' न्यायालय या संस्था द्वारा लागू सशर्त बेलआउट कार्यान्वित करने की व्यवस्था प्रचलित है।	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
ख	**राज्य व्यय प्राधिकारी और दायित्व**				
1.	राज्यों के सेवा दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और राज्य को कार्यों के लिए उनके व्यय के प्रबंधन का अधिकार है।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2.	राज्यों को अदृश्य बजटीय कठिनाइयों की स्थिति में कार्मिक और वेतन जैसी मुख्य मदों के व्यय कम करने का अधिकार है।	हाँ	नहीं	हाँ	कोई विशेष प्रावधान नहीं
3.	राज्य पेन्शन व्यवस्था के लिए बीमांकन रूप से मजबूत, पूर्णतः निधिकृत (पे-अॅज-यू-गो के स्थान पर) आधार पर कार्य करना आवश्यक है।	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघ वाद - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(जारी)*

सारणी अनुबंध 4 क : उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा

	नीति	आस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	भारत
	1	2	3	4	5
ग.	**राज्य राजस्व जुटाने वाली प्राधिकारी**				
1.	राज्यों को कर लगाने के पर्याप्त अधिकार हैं (दर निर्धारण का अधिकार) ताकि विशिष्ट राज्य उनके ऑपरेटिंग बजट के कम से कम आधे हिस्से का वित्तपोषण अपने स्वयं के करों से कर सकें।	नहीं	हाँ, बड़ें राज्य,छोटे राज्य नहीं	हाँ	हाँ
2.	राज्यों के कर लगाने के अधिकार सीमित हैं जिससे भार का पर्याप्त हिस्सा अनिवासियों पर अंतरित करने की अनुमति नहीं मिलती है, सिवाय उस सीमा तक कि अनिवासी राज्य द्वारा दी गई सेवाओं के विशेष रूप से महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में पहचाना जाता हो।	हाँ	सामान्यतः	(नैसर्गिक संसाधनो के दोहन पर कर)	हाँ
3.	राज्य को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और अन्य करेतर राजस्व संग्रह करने का अधिकार है ताकि वे सार्वजनिक उपयोगिता का पूर्ण-लागत वसूली आधार पर वित्त पोषण कर सकें और सार्वजनिक सेवाओं की लागत (अन्य) के बड़े भाग का वित्त पोषण कर सकें जिसके लिए यह सीधा ही संभव होगा कि लाभार्थी पर प्रभार लगाया जाए।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	सामान्यतः, राज्य राजस्व जुटाने वाला प्राधिकार पर्याप्त है जिससे अदृश्य बजटीय कठिनाइयों की स्थिति में राज्य अतिरिक्त राजस्व मार्जिन में जुटाने की स्थिति में हो।	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
घ.	**बजटीय पारदर्शिता और नागरिकों की सहभागिता**				
1.	राज्य द्वारा दीर्घावधि ऋण के प्रत्येक निर्गम के लिए आधिकारिक सरकारी अनुमोदन से पहले राष्ट्रीय नीति के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई आवश्यक है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	राज्य द्वारा दीर्घावधि ऋण के प्रत्येक निर्गम के लिए सार्वजनिक जनमत संग्रह राष्ट्रीय नीति के अनुसार आवश्यक है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3.	राष्ट्रीय नीति के अनुसार प्रस्तावित और वास्तविक राज्य बजट का प्रकाशन (सारांश), बजट अपनाने से पहले सार्वजनिक सुनवाई करना और अपनाए गए बजट का प्रकाशन आवश्यक है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
4.	राष्ट्रीय नीति राज्य लेखांकन और बजटांकन के लिए कड़े मानदंड निर्धारित करती है, जिसमें अधिमानतः सभी राजस्व और व्ययों की पूर्ण-उपचय रिपोर्टिंग शामिल है।	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
5.	राष्ट्रीय नीति के अनुसार राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरणों की समय पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समय पर प्रकाशन आवश्यक है।	नहीं	नहीं	हाँ	यह सांविधिक है।
6.	राष्ट्रीय राजकोषीय दायित्व कानून बनाया गया है।	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
ङ	**राष्ट्रीय अंतरण नीति**				
1.	राष्ट्रीय नीति विवेकपूर्ण अंतरणों पर केंद्र सरकार की निर्भरता को कम करती है।	हाँ	सामान्यतः ऋण राहत को छोड़कर	हाँ	हाँ काफी मात्रा में
2.	सामान्य राजकोषीय सहायता के राष्ट्रीय अंतरण सांविधिक सूत्रों (मूल सहायता अर्थात् विभाजित करों सहित) के आधार पर वितरित किए जाते हैं और सूत्रों में अंतर राज्यों की वास्तविक नीतियों से अलग होते हैं।	हाँ	अधिकतर	हाँ	हाँ, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कुछ राज्य आयोजना की योजनाओं को छोड़कर
3.	सामान्य राजकोषीय सहायता का काफी हिस्सा सांविधिक सूत्र के आधार पर वितरित किया जाता है जो राज्य राजकोषीय क्षमताओं की प्रणालीगत समानता प्रदान करता है।	हाँ	बहुत मोटे तौर पर	हाँ	हाँ
4.	राष्ट्रीय कैटेगरीकल अनुदान कार्यक्रमों के लिए ऐसे पात्र कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए अपने राज्यों के राजस्व से प्रचुर मात्रा में मैचिंग अभिदान की आवश्यकता होती है।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के एक भाग के रूप में

अनुबंध 4 : राजकोषीय संघ - विभिन्न देशों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण *(समाप्त)*

सारणी अनुबंध 4 क : उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय अनुशासन का संस्थागत ढांचा

	नीति	आस्ट्रेलिया	ब्राजील	कनाडा	भारत
	1	2	3	4	5
5.	राष्ट्रीय नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिदेशाधीन खर्चों की यथोचित प्रतिपूर्ति की जाती है।	हाँ	नहीं	हाँ सामान्यतः	हाँ
6.	राष्ट्रीय नीतियां कई वर्षों तक केन्द्र के भविष्य में अंतरण के प्रवाहों के अनुमान के जरिए तथा अंतरण प्रवाह की अनपेक्षित घटबढ़ को काफी हद तक कम करके बहुवर्षीय राज्य बजट आयोजना को सुगम बनाती है।	हाँ	नहीं	हाँ	काफी हद तक
च	**उधार लेने के राज्यों के प्राधिकार से संबंधित नीतियां**				
1.	राष्ट्रीय नीति नकदी प्रवाह प्रयोजनों के अलावा अन्य राज्य उधारियों की अनुमति नहीं देती।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2.	राष्ट्रीय नीति में केंद्र सरकार की किसी संस्था (ओं) द्वारा जारी राज्य बांड निर्गमों के लिए अग्रिम अनुमोदन आवश्यक है।	हाँ	हाँ, लेकिन खामियां हैं	नहीं	हाँ, जब केन्द्र सरकार का ऋण बकाया हो
3.	राष्ट्रीय नीति में समाप्ति से पहले राज्य बांड निर्गमों का केन्द्र सरकार की किसी संस्था में पंजीकरण या ब्योरों की रिपोर्टिंग आवश्यक है।	हाँ	सामान्यतः	नहीं	नहीं
4.	राष्ट्रीय नीति में राज्यों को विदेशी ऋणदाताओं से उधार लेने की अनुमति नहीं है।	हाँ	नहीं, लेकिन गारंटी वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।	नहीं	हाँ, सांविधिक रूप से
5.	किसी राज्य का किसी एक समय यदि बकाया रहा हों तों राष्ट्रीय नीति बकाया दीर्घावधि ऋण के मूलधन पर सीलिंग लगाती है।	बातचित से तय वार्षिक सीमा	हाँ, सिनेट द्वारा राजकोषीय जवाबदेही कानून	नहीं	नहीं
6.	राष्ट्रीय नीति ऐसे किसी भी निहितार्थ का भरोसा नहीं दिलाती है कि किसी बांड का निर्गम जारीकर्ता राज्य के पूर्ण विश्वास और विश्वास से हर तरह से सुरक्षित है।	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
7.	राष्ट्रीय नीति राज्यों को उनके बकाया ऋण पर चूक के जोखिम	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं

* बांड निर्गमों के संदर्भों में राज्य-प्रायोजित उद्यमों और अन्य ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखतों की गारंटी के लिए राज्य के करारों को शामिल माना जाए।

उ.न. : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : बाद में हुए परिवर्तनों को इस सारणी में शामिल नहीं किया है।

स्रोत : रफ्यूज़, रोबर्टी, ज्यूनीयर मार्क गेल्माधर एवं स्टीव रोज़नर (2003); ''संघ-निर्मित देशों में उप-राष्ट्रीय राजकोषीय सुधारों के अनुभवों पर गोलमेज के लिए तैयार किया गया पृष्ठभूमि पर्चा'', आगरा, भारत, दिसंबर 6-7.

संदर्भ :

1. बहल रॉय, यूनिस हेरेडिया - आर्टीज़, जॉर्ज मॅटीनेज़ -वाजक्वेज़ ऐंड मार्क राइडर (2005): ''फिस्कल कंडीशन ऑफ स्टेट्स, इंटरनैशनल एक्सपीरियंस ऐंड ऑप्शंस फॉर रिफार्म''।
2. इकॉनोमिक सर्वे ऑफ आस्ट्रेलिया, 2005
3. युस्प्राव, आर., 1969 ''थ्योरीज़ ऑफ फिस्कल फेडरलीज़म.'' पब्लिक फाइनेंस, वॉल्युम 24 नं.4, पीपी.521-32.
4. ओट्स, वालेस ई., 1972, फिस्कल फेडरलीज़म (न्यूयार्क : हारकोर्ट ब्रेस जोवेनोविच)
5. ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकॉनोमिक को. ऑपरेशंस ऐंड डेवलपमेंट (2003), इकॉनोमिक आउटलुक।
6. रफ्यूज़, डब्ल्यू राबर्टो, ज्यू. मार्क गेल्माघर, ऐंड स्टीव रॉजनेर (2003): ''बैकग्राउंड पेपर प्रिपेयर्ड फॉर राउंडटेबल ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सब-नैशनल फिस्कल रिफॉर्म इन फेडरली स्ट्रक्चर्ड कंट्रीज.'' आगरा, इंडिया, दिसंबर 6-7.
7. रोबर्टो, नोज़. आर अफोंसो ऐंड लुइस डीमेलो (200): ''ब्राज़िल : एन इवोल्विंग फेडरेशन.'' इंटरनैशनल मौनिटरी फंड।
8. सल्वाटोर शेवो-कैम्पों ऐंड पचमपेट सुंदरम, 2000 ''टू सर्व ऐंड टू प्रिज़र्व: इंप्रूविंग पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन इन ए कंपीटेटिव वर्ल्ड.'' एडीबी।
9. सुदरलैंड, डगल्स ऐंड इसाबेल्ग जोमार्ड (2006): ''फिस्कल रूल फॉर सब-सेंट्रल गवर्नमेंट्स, डिज़ाइन ऐंड इंपेक्ट''. ओइसीडी।
10. टेर-मिनासियन, टेरेसा, 1997. ''फिस्कल फेडरसीज़म इन थ्योरी ऐंड प्रेक्टिस'' 3डी. आईएमएफ।
11. - 2006. 'फिस्कल एडजस्टमेंट फॉर स्टेबिलिट ऐंड ग्रोथ'। इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड।
12. टिबाउट, सीएम.1961, एन इकॉनोमिक थ्योरी ऑफ फिस्कल डिसेंट्रलाइज़ेशन इन पब्लिक फाइनेंस : नीड्स, सोर्सेस ऐंड युटिलाइज़ेशन (प्रिंसटोन, न्यू जर्सी : प्रिंसटोन युनिवर्सिटी प्रेस)

डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत :

यह अध्ययन 28 राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियां और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। यह विश्लेषण राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। यह विश्लेषण राजस्व और पूंजी खातों में लेखांकन के वर्गीकरण और 'प्लान' एवं 'नॉन-प्लान' में उनके विभाजन के अनुरूप है। राज्य सरकारों से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम), मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। राज्य सरकारों से सारणी 1 में प्रस्तुत संस्थागत सुधारों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई है। राज्यवार योजना लागत के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस विश्लेषण में शामिल किया गया है। टी एफ सी की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हो गए हैं।

इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों जिनमें अर्थोपाय अग्रिम, ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, सरकारी प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त कर ली गई है।

इस अध्ययन में परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट-IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। परिशिष्ट-III में पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV 2004-05 तक अध्ययन में अपनाई गई पूर्व प्रथाओं के अनुरूप सरकारी लेखा के अलावा पूंजीगत व्यय बताता है। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए परिशिष्ट सारणियां (समेकित), विवरण (राज्यवार) और विश्लेषण सरकारी लेखा (निवल) पर आधारित हैं जबकि सरकारी लेखा को पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। अतः पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय के साथ-साथ कुल प्राप्तियों और कुल व्यय अब इस अध्ययन के पूर्ववर्ती अंक में दिए गए पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलनीय होंगे।

इस अध्ययन में वर्ष 2003-04 (लेखा) के लिए पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय से संबंधित आंकड़ों (विवरण 32) को भी शामिल किया गया है ताकि तुलनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें क्योंकि 2005-06 के बजट अध्ययन में ये आंकड़े सकल आधार पर दिए गए थे।

इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) से राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से भी लिया गया है। जहाँ कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहाँ आंकड़ों को पिछले तीन वर्षों की औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और उन्हें 2005-06 तक (सं.अनु.) सीएसओ से 2006-07 (ब.अ.) के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से लिया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद बजट अनुमान (ब.अ.) से संशोधित अनुमान (सं.अ.) में और वहाँ से लेखा में परिवर्तित हो जाता है।

परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

जैसा कि बजट दस्तावेजों में बताया गया है, व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजीगत लागत एवं ऋण और अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। यह पुनर्वर्गीकरण बजट में प्रस्तुत कुल प्राप्तियों, व्यय और समग्र शेष में कोई परिवर्तन किए बिना किया जाता है।

परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV के डाटा प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन के बावजूद अध्ययन में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परंपरागत घाटा / अधिशेष) नकद घाटा / अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि / कमी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि / कमी के बराबर है क्योंकि परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV में बताई गई बाद वाली दो मदों को पूंजीगत प्राप्तियों (सरकारी

लेखा का निवल) और पूंजीगत व्यय (पूंजीगत लेखा को छोड़कर) में से निकाल दिया गया है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

पिछले वर्षों के अध्ययन में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े निरंतर संकलित किए थे। मदों की विस्तारित व्याप्ति नीचे दी गई है। आशोधित श्रृंखला में राज्य सरकारों की आरक्षित निधियां, जमाराशियां और अग्रिम एवं आकस्मिक निधियां भी शामिल हैं। ऋण श्रृंखलाओं को भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा में सीएजी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों को लेकर संकलित किया गया है। उक्त प्रकाशन में किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत डाटा के अभाव में राज्य बजटों के तदनुरूपी डाटा को शामिल किया गया है।

अनुसंधान की सुगमता के लिए मार्चांत 2000 की स्थिति के अनुसार विभक्त हुए 3 राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) की मदवार बकाया देयताओं को 3 नवनिर्मित संबंधित राज्यों (झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल) के बीच उनकी आबादी के अनुपात में विभाजित किया गया है। राज्यों की ऋण स्थिति के संबंध में परिशिष्ट सारणियां 20 और 21 एवं विवरण 26 और 28 में दिया गया डाटा अनंतिम है।

बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 33 और 34) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 35-36 में दी गई है। भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर इन विवरणों में, विभक्त हुए 3 राज्यों की देयताओं को उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रकाशित ऋण संबंधी आंकड़ों को संकलित करने के लिए भारत संघ और राज्य सरकारों के भारत में संयुक्त वित्त और राजस्व लेखा, राज्य बजटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

आशोधित कवरेज

राज्यों की नई ऋण श्रृंखलाओं के संकलन के लिए आशोधित कवरेज निम्नानुसार है।

कुल बकाया देयताओं में समेकित निधि, सरकारी लेखा और आकस्मिक निधि के अंतर्गत विभिन्न लेखा मदें शामिल हैं।

I. समेकित निधि

1. लोक ऋण
   - क) खुले बाजार से लिए गए उधार
   - ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार
   - ग) एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां
   - घ) राज्य सरकारों द्वारा जारी बांड / डिबेंचर
   - ङ) केन्द्र से लिए गए ऋण
   - च) अन्य
2. भारतीय रिज़र्व बैंक से लिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट
   1. राज्य भविष्य निर्वाह निधि
   2. अल्प बचत, बीमा और पेंशन निधियां, ट्रस्ट और धर्मादा आदि।
   3. जमाराशियां और अग्रिम
   4. सरकारी लेखा की अन्य मदें

II. लोक लेखा
1. राज्य भविष्य निधि
2. अल्प बचत, बीमा और पेन्शन निधियां, ट्रस्ट और धर्मादा,आदि
3. जमाराशियां और अग्रिम
4. आरक्षित निधियां / शोधन निधि
5. लोक लेखा की अन्य मदें

III. आकस्मिक निधियां

आशाधित कवरेज राज्य सरकारों की देयताओं के संकलन के संबंध में गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार तय किया गया है (बॉक्स-2)।

नोट : इस अध्ययन में शामिल परिशिष्ट सारणियों और विवरणों में चुनिंदा वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं। 1980-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्य विस्तृत आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित राज्य सरकार के वित्त पर सांख्यिकी पुस्तिका में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर आसानी से देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट सारणी 1 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा	निवल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	परंपरागत घाटा	प्राथमिक घाटा	भा.रि.बैंक से राज्यों को निवल ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	18,787 (3.3)	14,532 (2.6)	5,309 (0.9)	-72 (0.0)	10,132 (1.8)	420 (0.1)
1991-92	18,900 (2.9)	15,746 (2.4)	5,651 (0.9)	156 (0.0)	7,956 (1.2)	-340 (-0.1)
1992-93	20,891 (2.8)	15,769 (2.1)	5,114 (0.7)	-1,829 (-0.2)	7,681 (1.0)	176 (0.0)
1993-94	20,596 (2.4)	16,263 (1.9)	3,813 (0.4)	462 (0.1)	4,795 (0.6)	591 (0.1)
1994-95	27,697 (2.7)	23,507 (2.3)	6,156 (0.6)	-4,468 (-0.4)	8,284 (0.8)	48 (0.0)
1995-96	31,426 (2.6)	26,695 (2.2)	8,201 (0.7)	-2,849 (-0.2)	9,494 (0.8)	16 (0.0)
1996-97	37,251 (2.7)	33,460 (2.4)	16,114 (1.2)	7,041 (0.5)	11,675 (0.9)	898 (0.1)
1997-98	44,200 (2.9)	39,135 (2.6)	16,333 (1.1)	-2,103 (-0.1)	14,087 (0.9)	1,543 (0.1)
1998-99	74,254 (4.2)	66,209 (3.8)	43,642 (2.5)	3,520 (0.2)	38,381 (2.2)	5,579 (0.3)
1999-00	91,480 (4.7)	79,309 (4.0)	53,797 (2.7)	3,113 (0.2)	46,309 (2.4)	1,312 (0.1)
2000-01	89,532 (4.2)	84,698 (4.0)	53,569 (2.5)	-2,346 (-0.1)	37,830 (1.8)	-1092 (-0.1)
2001-02	95,994 (4.2)	91,457 (4.0)	59,188 (2.6)	3,426 (0.2)	33,488 (1.5)	3,451 (0.2)
2002-03	1,02,123 (4.2)	91,680 (3.7)	55,111 (2.2)	-4,611 (-0.2)	31,981 (1.3)	-3100 (-0.1)
2003-04	1,23,070 (4.5)	1,13,571 (4.1)	61,145 (2.2)	1,074 (0.0)	41,306 (1.5)	293 (0.0)
2004-05	1,09,257 (3.5)	97,981 (3.1)	36,423 (1.2)	-10,459 (-0.3)	21,268 (0.7)	-2,705 (-0.1)
2005-06 (ब.अ.)	1,10,550 (3.2)	1,01,961 (2.9)	24,913 (0.7)	-1,201 (0.0)	17,252 (0.5)	–
2005-06 (सं.अ.)	1,13,888 (3.2)	1,02,528 (2.9)	17,178 (0.5)	-5,625 (-0.2)	24,894 (0.7)	-2,306 (-0.1)
2006-07 (ब.अ.)	1,09,610 (2.8)	1,00,017 (2.5)	4,511 (0.1)	-3,986 (-0.1)	10,185 (0.3)	–

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान (-) घाटा संकेतक के लिए अधिशेष दर्शाता है। '-' उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणियाँ : 1. परंपरागत घाटे के रूप में समग्र अधिशेष या घाटा कुल संवितरण और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर दर्शाते हैं। कुल प्राप्तियों में (i) राजस्व प्राप्तियां (ii) अर्थोपाय अग्रिम और भा.रि.बैंक से ओवरड्राफ्ट को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा (iii) लोक लेखा के अंतर्गत नकद शेष निवेश खाता एवं नकद शेष में आहरण को छोड़कर निवल प्राप्तियाँ शामिल हैं। कुल संवितरण में (i) राजस्व व्यय और (ii) अर्थोपाय अग्रिम की चुकौती भा.रि.बैंक से ओवरड्राफ्ट के अलावा पूंजीगत संवितरण शामिल है, साथ ही, इसमें नकद शेष निवेश खाता और नकद शेष को भी शामिल नहीं किया गया है ।

2. राजस्व घाटे से तात्पर्य है : राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच का अंतर।

3. कुल राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है : ऋण चुकौती और कर्ज वसूली को घटाकर कुल संवितरण तथा राजस्व प्राप्तियों और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर।

4. निवल राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है : सकल राजकोषीय घाटा और निवल उधार में अंतर।

5. प्राथमिक घाटे से तात्पर्य है : ब्याज भुगतान के बाद सकल राजकोषीय घाटा।

6. कोष्ठकों के आंकड़े चालू बाजार मूल्यों पर सकल राजकोषीय घाटा संबंधी प्रतिशत हैं।

7. बिहार से संबंध में 2005-06 (ब.अ.) के आंकडों में पिछले वर्ष में प्रकाशित आंकड़ों से अंतर है चूंकि, बिहार के 2005-06 (बअ) के आंकड़े बजट 2006-07 के आधार पर संशोधित किए हैं। बिहार के 2005-06 (बअ) के आंकड़े पिछले वर्ष में अध्ययन के लेखा अनुदान पर आधारित थे।

8. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़ और भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेख।

परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
						कॉ.5 की तुलना में कॉ.3		कॉ.5 की तुलना में कॉ.4		कॉ.6 की तुलना में कॉ.5	
						राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. राजस्व खाता											
क. प्राप्तियां	3,16,535	3,72,075	4,30,679 (4,29,937)	4,54,243	5,20,147 (5,19,874)	82,168	22.1	23,564 (24,306)	5.5 (5.7)	65,904 (65,631)	14.5 (14.4)
ख. व्यय	3,77,681	4,08,497	4,55,593	4,71,421	5,24,658	62,923	15.4	15,828	3.5	53,237	11.3
ग. अधिशेष(+) /घाटा(-)(I क- I ख)	-61,146	-36,423	-24,913 (-25,656)	-17,178	-4,511 (-4,785)						
II. पूँजी खाता *											
क. प्राप्तियां	2,10,562	2,04,687	1,49,413	1,59,136	1,51,969	-45,551	-22.3	9,722	6.5	-7,167	-4.5
ख. संवितरण	1,48,342	1,57,805	1,23,299	1,36,332	1,43,471	-21,473	-13.6	13,034	10.6	7,139	5.2
ग. अधिशेष(+) /घाटा(-)(II क- II ख)	62,220	46,882	26,114	22,803	8,498						
III. कुल प्राप्तियाँ	**5,27,097**	**5,76,762**	**5,80,092 (5,79,350)**	**6,13,379**	**6,72,116 (6,71,843)**	**36,617**	**6.3**	**33,286 (34,029)**	**5.7 (5.9)**	**58,737 (58,464)**	**9.6 (9.5)**
IV. कुल संवितरण	**5,26,023**	**5,66,303**	**5,78,891**	**6,07,753**	**6,68,129**	**41,450**	**7.3**	**28,862**	**5.0**	**60,376**	**9.9**
V. समग्र अधिशेष (+)/घाटा(-)[III-IV]	**1,074**	**10,459**	**1,201 (459)**	**5,625**	**3,986 (3,713)**						
VI. समग्र अधिशेष (+)/घाटे (-) [V=VI(क+ख+ग)] का वित्तपोषण	**1,074**	**10,459**	**1,201**	**5,625**	**3,986**						
क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+)/कमी (-)	-1,164	651	1,373 (631)	1,604	2,773 (2,500)						
ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) से आहरण (-) (निवल)	1,778	8,026	-172	3,402	1,263						
ग. भा.रि.बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती(+)/ वृद्धि (-) (निवल)	461	1,782	–	620	-50						

'–' : नगण्य/शून्य

* : (i) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम (ii) नकद शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री को छोडकर। पूंजी प्राप्तियों में लोक-लेखा निवल आधार पर शामिल जबकि पूंजी व्यय लोक-लेखा को छोड़कर। अनुबंध III और IV की टिप्पणी भी देखें।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2005-06 (बजट अनुमान) के नीचे कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़ों में राज्य बजट में शुरु किए गए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानतः 742 करोड़ रुपए शामिल।

3. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के नीचे कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़ों में राज्य बजट में शुरू किए गए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानतः प्राप्य 273 करोड़ रुपए शामिल।

4. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन के लेखा अनुदान पर आधारित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 3 : राजस्व खाते में प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल राजस्व (I+II)	**3,72,075**	**4,30,679 (4,29,937)**	**4,54,243**	**5,20,147 (5,19,874)**	**82,168**	**22.1**	**23,563 (24,306)**	**5.5 (5.7)**	**65,904 (65,631)**	**14.5 (14.4)**
I कर-राजस्व (क+ख)	**2,67,683**	**3,05,248 (3,04,635)**	**3,17,539**	**3,66,622 (3,66,383)**	**49,856**	**18.6**	**12,291 (12,904)**	**4.0 (4.2)**	**49,083 (48,844)**	**15.5 (15.4)**
क. राज्यों के करों से राजस्व (i से iii)	**1,89,133**	**2,15,246 (2,14,633)**	**2,24,817**	**2,57,203 (2,56,964)**	**35,683**	**18.9**	**9,570 (10,183)**	**4.4 (4.7)**	**32,387 (32,147)**	**14.4 (14.3)**
(i) आय पर कर (क +ख)	2,349	2,689 (2,657)	2,565	2,721 (2,721)	217	9.2	-124 (-91)	-4.6 (-3.4)	155 (155)	6.0 (6.0)
(क) कृषिगत आयकर	15	84 (51)	20	22	5	33.3	-64	-76.2	2	10.0
(ख) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर कर	2,334	2,605	2,546	2,699	212	9.1	-59	-2.3	153	6.0
(ii) संपत्ति और पूंजीगत लेनदेन पर कर (क से ग)	22,307	24,397 (24,184)	27,340	31,679 (31,631)	5,033	22.6	2,943 (3,156)	12.1 (13.1)	4,339 (4,291)	15.9 (15.7)
क) मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	19,713	22,009 (21,797)	24,003	28,244 (28,196)	4,290	21.8	1,994 (2,206)	9.1 (10.1)	4,241 (4,193)	17.7 (17.5)
ख) भू-राजस्व	2,530	2,297 (2,295)	3,198	3,332 (3,332)	668	26.4	902 (903)	39.3 (39.4)	134 (134)	4.2 (4.2)
ग) शहरी अचल संपत्ति कर	63	92	139	102	76	120.6	47	51.3	-37	-26.6
(iii) पण्य और सेवाओं पर कर (क से छ)	1,64,478	1,88,160 (1,87,793)	1,94,911	2,22,804 (2,22,612)	30,433	18.5	6,751 (7,118)	3.6 (3.8)	27,893 (27,701)	14.3 (14.2)
क) बिक्री-कर*	1,16,754	1,34,209 (1,34,114)	1,38,528	1,60,932 (1,60,840)	21,774	18.6	4,319 (4,414)	3.2 (3.3)	22,403 (22,311)	16.2 (16.1)
ख) राज्य उत्पाद शुल्क	21,940	25,071 (24,970)	26,052	29,533 (29,533)	4,112	18.7	981 (1,082)	3.9 (4.3)	3,481 (3,481)	13.4 (13.4)
ग) वाहन-कर	10,811	12,688 (12,625)	12,181	13,622 (13,557)	1,370	12.7	-507 (-444)	-4.0 (-3.5)	1,441 (1,376)	11.8 (11.3)
घ) यात्री और माल पर कर	5,206	5,813 (5,811)	6,358	7,480 (7,465)	1,152	22.1	546 (547)	9.4 (9.4)	1,121 (1,106)	17.6 (17.4)
ङ) बिजली प्रशुल्क	7,255	7,400 (7,382)	9,002	8,226 (8,228)	1,747	24.1	1,602 (1,620)	21.7 (21.9)	-776 (-774)	-8.6 (-8.6)
च) मनोरंजन कर	862	1,111 (1,100)	878	899 (896)	16	1.8	-233 (-222)	-21.0 (-20.2)	21 (19)	2.4 (2.1)
छ) अन्य कर और शुल्क	1,650	1,869 (1,791)	1,912	2,112 (2,094)	262	15.9	43 (122)	2.3 (6.8)	200 (182)	10.5 (9.5)
ख. केंद्रीय कर में अंश	**78,550**	**90,002**	**92,723**	**1,09,419**	**14,173**	**18.0**	**2,721**	**3.0**	**16,697**	**18.0**

परिशिष्ट सारणी 3 : राजस्व खाते में प्राप्तियाँ *(समाप्त)*

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. करेतर-राजस्व (ग+घ)	**1,04,392**	**1,25,432 (1,25,302)**	**1,36,704**	**1,53,525 (1,53,491)**	**32,312**	**31.0**	**11,272 (11,402)**	**9.0 (9.1)**	**16,821 (16,787)**	**12.3 (12.3)**
ग. केंद्र से प्राप्त अनुदान	**56,857**	**78,882**	**90,002**	**1,00,188**	**33,145**	**58.3**	**11,120**	**14.1**	**10,186**	**11.3**
घ. राज्यों के अपने करेतर राजस्व (क से च)	**47,535**	**46,550 (46,420)**	**46,702**	**53,337 (53,303)**	**-833**	**-1.8**	**152 (281)**	**0.3 (0.6)**	**6,635 (6,601)**	**14.2 (14.1)**
(क) ब्याज प्राप्तियां	9,470	8,299	9,673	9,724	203	2.1	1,374	16.6	51	0.5
(ख) लाभांश और लाभ	342	378	413	307	71	20.7	34	9.1	-106	-25.6
(ग) सामान्य सेवाएँ	11,130	13,933	12,043	15,157	913	8.2	-1,890	-13.6	3,114	25.9
जिसमें से :										
राज्य लॉटरी	7,055	9,724	7,864	10,741	809	11.5	-1,861	-19.1	2,878	36.6
(घ) समाज सेवा	3,591	3,187	3,239	3,314	-352	-9.8	52	1.6	76	2.3
(ङ) आर्थिक सेवा	23,001	20,753 (20,623)	21,329	24,829 (24,795)	-1,671	-7.3	577 (706)	2.8 (3.4)	3,499 (3,465)	16.4 (16.2)
च) राजकोषीय सेवा	1	–	5	6	4	468.0	5	5540.0	1	19.8

'–' : नगण्य/शून्य

* सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, मोटर स्पिरिट पर बिक्री कर और गन्ने की खरीद पर कर आदि शामिल।

टिप्पणियाँ : 1. बिहार, जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2005-06 (बजट अनुमान) के नीचे कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़ों में राज्य बजट में शुरू किए गए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से प्राप्य 742 करोड़ रुपए शामिल।

3. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के नीचे कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़ों में राज्य बजट में शुरु किए गए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानतः 273 करोड़ रुपए शामिल।

4. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन के लेखानुदान पर आधारित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 4 : राजस्व व्यय

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल व्यय (I+II+III)	**4,08,497**	**4,55,593**	**4,71,421**	**5,24,658**	**62,923**	**15.4**	**15,828**	**3.5**	**53,237**	**11.3**
I विकास व्यय (क+ख)	**2,16,474**	**2,40,973**	**2,62,818**	**2,86,765**	**46,345**	**21.4**	**21,845**	**9.1**	**23,946**	**9.1**
क. सामाजिक सेवाएँ (1 से 11)	**1,32,053**	**1,51,583**	**1,63,984**	**1,81,306**	**31,932**	**24.2**	**12,401**	**8.2**	**17,322**	**10.6**
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	70,937	81,503	84,776	93,767	13,840	19.5	3,273	4.0	8,990	10.6
2. चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	18,456	22,561	23,370	25,775	4,914	26.6	809	3.6	2,405	10.3
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता-प्रबंध	6,933	8,045	8,869	8,490	1,936	27.9	824	10.2	-379	-4.3
4. आवास	1,889	1,968	2,203	3,069	314	16.6	236	12.0	866	39.3
5. शहरी विकास	5,343	5,983	6,350	11,140	1,007	18.8	368	6.1	4,789	75.4
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,199	10,916	11,712	12,383	2,513	27.3	796	7.3	672	5.7
7. श्रम और श्रमिक-कल्याण	1,514	1,863	1,877	2,056	363	24.0	14	0.7	180	9.5
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,132	9,460	10,616	13,171	2,484	30.5	1,156	12.2	2,555	24.1
9. पोषण	3,262	3,867	4,320	5,148	1,059	32.5	453	11.7	828	19.2
10. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	5,568	4,455	8,823	4,524	3,254	58.4	4,368	98.0	-4,299	-48.7
11. अन्य*	820	962	1,067	1,783	247	30.1	105	10.9	716	67.0
ख. आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**84,421**	**89,390**	**98,834**	**105,459**	**14,413**	**17.1**	**9,444**	**10.6**	**6,625**	**6.7**
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियाँ	19,946	21,267	22,376	23,634	2,429	12.2	1,109	5.2	1,259	5.6
2. ग्रामीण विकास	15,395	17,747	19,910	20,571	4,515	29.3	2,163	12.2	661	3.3
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	613	925	993	1,013	380	62.0	68	7.4	21	2.0
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	9,950	11,597	12,475	14,911	2,524	25.4	878	7.6	2,437	19.5
5. ऊर्जा	21,941	18,527	21,573	19,417	-368	-1.7	3,046	16.4	-2,156	-10.0
6. उद्योग और खनिज	2,901	3,344	4,119	3,955	1,219	42.0	775	23.2	-164	-4.0
7. परिवहन और संचार	8,746	9,797	11,145	13,957	2,399	27.4	1,348	13.8	2,812	25.2
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	201	273	314	449	113	56.3	40	14.8	135	43.0
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ	4,727	5,913	5,931	7,552	1,204	25.5	18	0.3	1,621	27.3
II विकासेतर व्यय (क से च)	**1,83,961**	**2,05,815**	**1,98,501**	**2,24,775**	**14,540**	**7.9**	**-7,314**	**-3.6**	**26,274**	**13.2**
क. राज्य के विभाग और संस्थाएं	4,520	4,391	4,836	5,177	316	7.0	444	10.1	342	7.1
ख. राजकोषीय सेवा	11,344	10,240	10,553	10,823	-791	-7.0	313	3.1	271	2.6
ग. ब्याज अदायगी और ऋण शोधन (1+2)	92,607	98,689	95,354	106,045	2,747	3.0	-3,334	-3.4	10,691	11.2
1. ऋण में कमी अथवा ऋण से बचाव के लिए विनियोग	4,618	5,391	6,361	6,620	1,743	37.7	970	18.0	260	4.1
2. ब्याज अदायगी	87,989	93,298	88,994	99,425	1,005	1.1	-4,304	-4.6	10,431	11.7
घ. प्रशासनिक सेवाएं	30,744	37,657	36,597	43,396	5,852	19.0	-1,060	-2.8	6,799	18.6
ङ. पेंशन	37,378	41,661	42,416	47,825	5,038	13.5	755	1.8	5,409	12.8
च. विविधि सामान्य सेवाएँ	7,369	13,178	8,746	11,508	1,377	18.7	-4,432	-33.6	2,762	31.6
जिसमें से : राज्य लॉटरी	6,712	9,329	7,908	10,257	1,196	17.8	-1,420	-15.2	2,349	29.7
III सहायता अनुदान तथा अंशदान	**8,063**	**8,805**	**10,101**	**13,119**	**2,038**	**25.3**	**1,296**	**14.7**	**3,017**	**29.9**

* इसमें मुख्यतः सूचना और प्रचार, सचिवालय सामाजिक सेवा आदि पर व्यय शामिल है।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन लेखानुदान पर आधारित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 5 : पूंजीगत प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
						कॉ.3 की तुलना में कॉ.5		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5		कॉ.5 की तुलना में कॉ.6	
						राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ. कुल प्राप्तियाँ (1 से 11)	**2,10,562**	**2,04,687**	**1,49,413**	**1,59,136**	**1,51,969**	**-45,551**	**-22.3**	**9,722**	**6.5**	**-7,167**	**-4.5**
1. बाह्य ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. आंतरिक ऋण*	1,54,651	1,47,122	1,01,722	1,22,473	1,10,700	-24,649	-16.8	20,752	20.4	-11,773	-9.6
जिसमें से :											
बाजार ऋण (सकल)	52,257	40,447	23,237	23,806	28,268	-16,641	-41.1	569	2.4	4,462	18.7
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां @	67,221	87,431	60,494	84,263	64,815	-3,168	-3.6	23,769	39.3	-19,448	-23.1
3. केंद्र से प्राप्त ऋण @	26,127	26,157	31,216	10,911	13,525	-15,246	-58.3	-20,305	-65.0	2,614	24.0
4. ऋण और अग्रिमों की वसूली	16,414	8,567	5,505	7,459	5,513	-1,109	-12.9	1,954	35.5	-1,946	-26.1
5. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	9,325	8,883	9,489	10,423	10,336	1,540	17.3	934	9.8	-87	-0.8
6. आकस्मिक निधि	-176	208	–	-51	57	-259	-124.6	-51	–	108	-210.6
7. आरक्षित निधि **	6377	7,127	4,205	3,250	4,365	-3,877	-54.4	-955	-22.7	1,115	34.3
8. जमा और अग्रिम ***	-374	8,074	-2,800	-702	-1,154	-8,776	-108.7	2,098	-74.9	-452	64.4
9. आकस्मिक निधि में विनियोग	–	-75	–	-1	–	74	-99.2	-1	–	1	-100.0
10. विप्रेषण	1,850	1,240	1,661	957	1,975	-282	-22.8	-703	-42.4	1,018	106.3
11. अन्य #	-3,632	-2,617	-1,585	4,415	6,652	7,032	-268.7	6,000	-378.6	2,236	50.6

$: भारत के संविधान के अनुसार राज्य सीधे बाहय एजेंसियों से संसाधन ही नहीं जुटा सकता। '–' : नगण्य / शून्य

* भा.स्टेट.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट को छोडकर इसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, भूमि प्रतिकर बांड भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकदी ऋण और कर्ज (निवल) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आदि नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि से दिए गए ऋण शामिल हैं ।

@ वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ अल्प बचत में राज्यों का अंश जो अब तक केंद्र से ऋण शीर्ष के अंतर्गत आंतरिक ऋण में शामिल किया जाता था, अब केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अलग मद में दर्शाया जाता है।

** आरक्षित निधि में, ब्याज सहित आरक्षित निधियां (जैसे सहकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यह्रास आरक्षित निधियां) और ब्याज रहित आरक्षित निधियां (जैसे ऋण शोधन निधि, अकाल राहत निधि तथा सड़क और पुल निधि) शामिल है।

*** जमा राशियों और अग्रिमों में ब्याजवाली जमाराशि, (जैसे कि स्थानीय निधियों की जमाराशि) और ब्याज-रहित जमाराशि (जैसे रक्षा और डाक जमाराशि, तथा सिविल अग्रिम) शामिल है।

उचंत और विविध (निवल) तथा अंतर-राज्य निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (खाता) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन के लेखा अनुदान पर आधारित हैं।

3. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल। परिशिष्ट III की टिपणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 6 : पूंजी संवितरण

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
						कॉ.3 की तुलना में कॉ.5		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5		कॉ.6 की तुलना में कॉ.5	
						राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
कुल पूंजी संवितरण (1 से 4)	**1,48,342**	**1,57,805**	**1,23,299**	**1,36,332**	**1,43,471**	**-21,473**	**-13.6**	**13,034**	**10.6**	**7,139**	**5.2**
1. कुल पूंजी परिव्यय (i+ii)	52,425	61,559	77,048	85,350	96,506	23,791	38.6	8,302	10.8	11,156	13.1
i) विकास परिव्यय (क+ख)	50,383	58,889	72,590	81,704	92,111	22,816	38.7	9,114	12.6	10,406	12.7
क) सामाजिक सेवाएं	9,573	12,079	16,949	16,574	18,724	4,496	37.2	-374	-2.2	2,150	13.0
ख) आर्थिक सेवाएं	40,810	46,810	55,641	65,130	73,387	18,320	39.1	9,489	17.1	8,257	12.7
ii) विकासेतर परिव्यय @	2,042	2,670	4,458	3,646	4,395	976	36.5	-812	-18.2	750	20.6
2. आंतरिक ऋण की चुकौती @@	57,993	38,442	18,323	23,457	23,162	-14,985	-39.0	5,135	28.0	-296	-1.3
जिसमें से :											
बाजार ऋण	4,970	5,888	5,281	5,176	5,506	-713	-12.1	-105	-2.0	330	6.4
3. केंद्र के ऋणों की चुकौती	12,010	37,961	13,834	8,706	8,698	-29,255	-77.1	-5,128	-37.1	-8	-0.1
4. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i+ii)	25,914	19,843	14,094	18,819	15,106	-1,024	-5.2	4,725	33.5	-3,714	-19.7
i) विकासात्मक प्रयोजन (क+ख)	25,085	18,176	12,919	17,777	14,050	-399	-2.2	4,858	37.6	-3,727	-21.0
क) सामाजिक सेवाएं	3,434	2,978	4,156	4,685	5,645	1,707	57.3	529	12.7	960	20.5
ख) आर्थिक सेवाएं	21,651	15,198	8,764	13,092	8,406	-2,106	-13.9	4,328	49.4	-4,687	-35.8
ii) विकासेतर प्रयोजन	829	1,667	1,175	1,042	1,055	-625	-37.5	-132	-11.3	13	1.3

@ : सामान्य सेवाओं पर व्यय शामिल है।

@@ : इसमें बाजार ऋण, भूमि प्रतिकर बांड तथा साथ ही, नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, आदि से प्राप्त ऋण की चुकौती भी शामिल है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट से प्राप्त चुकौती एवं भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से नकद ऋण तथा कर्ज इसमें शामिल नहीं हैं।

टिप्पणियाँ : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 (बअ) के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखा अनुदान पर आधारित थे।

3. लोक लेखा को छोड़कर पूंजी व्यय। परिशिष्ट IV की टिप्पणियां भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 7 : सकल राजकोषीय घाटे का घटकवार विवरण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	विनिवेश	सकल राजकोषीय घाटा (2 से 5)	सकल राजकोषीय घाटा से प्रतिशत				
						राजस्व घाटा	पूंजी परिव्यय	निवल उधार	विनिवेश	कुल (7 से10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1990-91	5,309	9,223	4,255	–	18,787	28.3	49.1	22.6	–	100.0
1991-92	5,651	10,096	3,153	–	18,900	29.9	53.4	16.7	–	100.0
1992-93	5,114	10,655	5,123	–	20,891	24.5	51.0	2ï4.5	–	100.0
1993-94	3,813	12,450	4,333	–	20,596	18.5	60.4	21.0	–	100.0
1994-95	6,156	17,351	4,190	–	27,697	22.2	62.6	15.1	–	100.0
1990-95 (औ.)	**5,209**	**11,955**	**4,211**	**–**	**21,374**	**24.7**	**55.3**	**20.0**	**–**	**100.0**
1995-96	8,201	18,495	4,731	–	31,426	26.1	58.9	15.1	–	100.0
1996-97	16,114	17,540	3,791	-193	37,251	43.3	47.1	10.2	-0.5	100.0
1997-98	16,333	22,802	5,065	–	44,200	37.0	51.6	11.5	–	100.0
1998-99	43,642	23,072	8,045	-505	74,254	58.8	31.1	10.8	-0.7	100.0
1999-2000	53,797	25,512	12,171	–	91,480	58.8	27.9	13.3	–	100.0
1995-00 (औ.)	**27,617**	**21,484**	**6,761**	**–140**	**55,722**	**44.8**	**43.3**	**12.2**	**–0.2**	**100.0**
2000-01	53,569	31,130	4,834	–	89,532	59.8	34.8	5.4	–	100.0
2001-02	59,188	32,269	4,537	–	95,994	61.7	33.6	4.7	–	100.0
2002-03	55,111	36,569	10,443	–	1,02,123	54.0	35.8	10.2	–	100.0
2003-04	61,145	52,426	9,499	–	1,23,070	49.7	42.6	7.7	–	100.0
2000-04 (औ.)	**57,253**	**38,098**	**7,328**	**–**	**1,02,680**	**56.3**	**36.7**	**7.0**	**–**	**100.0**
2004-05	36,423	61,559	11,276	–	1,09,257	33.3	56.3	10.3	–	100.0
2005-06 (संशोधित अनुमान)	17,178	85,350	11,361	–	1,13,888	15.1	74.9	10.0	–	100.0
2006-07 (बजट अनुमान)	4,511	96,506	9,593	-1,000	1,09,610	4.1	88.0	8.8	-0.9	100.0

औ. : औसत '–' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 8 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआइसी, नाबार्ड एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+) घाटा (-) (12+13+14)	नकदी शेष में वृद्धि (+)/ कमी (-)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (-)/में योगदान (+)	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-) कमी (+)	अन्य [16 - जोड़ (2 से 11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	2,556	9,978	–	241	2,488	1,120	1,670	376	-154	74	-266	427	-88	438	18,787
1991-92	3,305	9,374	–	-19	2,355	1,343	1,587	724	-716	-156	-629	685	-212	1,104	18,900
1992-93	3,501	8,921	–	-46	2,990	1,523	2,378	3,197	-337	1,829	-602	2,248	183	-3,065	20,891
1993-94	3,620	9,533	–	113	3,649	1,541	1,561	-556	-226	-462	-561	137	-38	1,822	20,596
1994-95	4,075	14,760	–	2,099	3,787	1,713	3,545	788	59	4,468	-1,173	3,667	1,974	-7,597	27,697
1990-95 (औसत)	**3,411**	**10,513**	**–**	**478**	**3,054**	**1,448**	**2,148**	**906**	**-275**	**1,151**	**-646**	**1,433**	**364**	**-1,460**	**21,374**
1995-96	5,888	14,801	–	635	4,201	2,101	2,947	3,096	-338	2,850	465	3,589	-1,204	-4,754	31,426
1996-97	6,515	17,547	–	686	4,572	2,438	4,465	129	-7,505	-7,041	-6,794	415	-663	15,445	37,251
1997-98	7,280	23,676	–	1,504	5,268	2,930	3,521	271	-30	2,103	561	-385	1,926	-2,322	44,200
1998-99	10,467	31,057	–	2,382	10,004	3,588	7,131	1,483	2,244	-3,520	33,690	-32,982	-4,228	9,418	74,254
1999-2000	12,664	12,408	26,416	3,381	14,774	2,562	9,051	849	77	-3,113	625	-1,268	-2,470	12,411	91,480
1995-2000 (औसत)	**8,563**	**19,898**	**26,416** *	**1,718**	**7,764**	**2,724**	**5,423**	**1,166**	**-1,111**	**-1,744**	**5,710**	**-6,126**	**-1,328**	**6,040**	**55,722**
2000-01	12,519	8,396	32,606	4,550	10,846	3,099	7,136	2,355	1,032	2,346	849	727	769	4,648	89,532
2001-02	17,249	10,974	35,648	6,285	7,977	4,521	4,996	-2,452	-427	-3,426	637	-1,203	-2,860	14,647	95,994
2002-03	28,484	-932	52,243	4,858	7,195	4,799	711	1,212	93	4,611	-5,057	2,762	6,907	-1,153	1,02,123
2003-04	47,286	14,117	20,813	4,132	7,122	6,377	-374	-3,651	1,850	1,075	-1,164	1,778	461	24,323	1,23,070
2000-04 (औसत)	**26,385**	**8,139**	**35,328**	**4,956**	**8,285**	**4,699**	**3,117**	**-634**	**637**	**1,151**	**-1,184**	**1,016**	**1,319**	**10,616**	**1,02,680**
2004-05	34,559	-11,804	67,924	26 **	7,829	7,127	8,074	-2,623	1,240	10,459	651	8,026	1,782	-13,554	1,09,257
2005-06 (सं.अ.)	18,630	2,205	74,483	5,588	9,042	3,250	-702	3,814	957	5,625	1,604	3,402	620	-9,005	1,13,888
2006-07 (ब.अ.)	22,762	4,827	58,162	7,531	8,739	4,365	-1,154	3,602	1,975	3,986	2,773	1,263	-50	-5,186	1,09,610

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ.: बजट अनुमान एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि '–' : लागू नहीं

* 1999-2000 से संबंधित क्योंकि, यह मात्र उसी वर्ष से आरंभ हुआ। इस प्रकार, 1995-2000 (औसत) की मदों की जोड सकल राजकोषीय घाटे के बराबर नहीं होगी।

** तामिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के बांडों के समायोजन के कारण तामिलनाडु ने एनसीडीसी से लिए गए ऋण के अंतर्गत 1376 करोड़ रुपए का नकारात्मक आंकडा दर्शाया।

टिप्पणियां : (1) 'अन्य' अवशिष्ट है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि में विनियोग, विविध पूंजी प्राप्तियां, अंतर राज्य निपटान, भूमि प्रतिकर तथा अन्य बांड एवं सारणी में उल्लिखित के सिवाय वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण 'केन्द्र से ऋण' में लघु बचत संग्रह में राज्य का शेयर शामिल नहीं है, इसे 'आंतरिक ऋण' के अधीन एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। तदनुसार, प्राप्तियों और व्यय के सतत लेखांकन हेतु केंद्र से ऋण की चुकौती के अंतर्गत शामिल लघु बचत संग्रह चुकौती को आंतरिक ऋण को चुकौती के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(3) जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबध में वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

(4) सभी आंकड़े निवल आधार पर हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 9 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल के प्रतिशत के रुप में

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बाजार उधार	केन्द्र से ऋण	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	एलआइसी नाबार्ड एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमा और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+) घाटा (-) (12+13+14)	नकदी शेष में वृद्धि (+)/ कमी (-)	नकदी शेष निवेश खाते से आहरण (-) / योगदान (+)	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-) कमी (+)	अन्य [16 - जोड़ (2 से 11)	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1990-91	13.6	53.1	–	1.3	13.2	6.0	8.9	2.0	-0.8	0.4	-1.4	2.3	-0.5	2.3	100.0
1991-92	17.5	49.6	–	-0.1	12.5	7.1	8.4	3.8	-3.8	-0.8	-3.3	3.6	-1.1	5.8	100.0
1992-93	16.8	42.7	–	-0.2	14.3	7.3	11.4	15.3	-1.6	8.8	-2.9	10.8	0.9	-14.7	100.0
1993-94	17.6	46.3	–	0.5	17.7	7.5	7.6	-2.7	-1.1	-2.2	-2.7	0.7	-0.2	8.8	100.0
1994-95	14.7	53.3	–	7.6	13.7	6.2	12.8	2.8	0.2	16.1	-4.2	13.2	7.1	-27.4	100.0
1990-95 (औसत)	**16.0**	**49.0**	–	**1.8**	**14.3**	**6.8**	**9.8**	**4.3**	**-1.4**	**4.4**	**-2.9**	**6.1**	**1.2**	**-5.0**	**100.0**
1995-96	18.7	47.1	–	2.0	13.4	6.7	9.4	9.9	-1.1	9.1	1.5	11.4	-3.8	-15.1	100.0
1996-97	17.5	47.1	–	1.8	12.3	6.5	12.0	0.3	-20.1	-18.9	-18.2	1.1	-1.8	41.5	100.0
1997-98	16.5	53.6	–	3.4	11.9	6.6	8.0	0.6	-0.1	4.8	1.3	-0.9	4.4	-5.3	100.0
1998-99	14.1	41.8	–	3.2	13.5	4.8	9.6	2.0	3.0	-4.7	45.4	-44.4	-5.7	12.7	100.0
1999-2000	13.8	13.6	28.9	3.7	16.1	2.8	9.9	0.9	0.1	-3.4	0.7	-1.4	-2.7	13.6	100.0
1995-2000 (औसत)	**16.1**	**40.6**	**28.9** *	**2.8**	**13.4**	**5.5**	**9.8**	**2.7**	**-3.6**	**-2.6**	**6.1**	**-6.8**	**-1.9**	**9.5**	**100.0**
2000-01	14.0	9.4	36.4	5.1	12.1	3.5	8.0	2.6	1.2	2.6	0.9	0.8	0.9	5.2	100.0
2001-02	18.0	11.4	37.1	6.5	8.3	4.7	5.2	-2.6	-0.4	-3.6	0.7	-1.3	-3.0	15.3	100.0
2002-03	27.9	-0.9	51.2	4.8	7.0	4.7	0.7	1.2	0.1	4.5	-5.0	2.7	6.8	-1.1	100.0
2003-04	38.4	11.5	16.9	3.4	5.8	5.2	-0.3	-3.0	1.5	0.9	-0.9	1.4	0.4	19.8	100.0
2000-04 (औसत)	**24.6**	**7.8**	**35.4**	**4.9**	**8.3**	**4.5**	**3.4**	**-0.4**	**0.6**	**1.1**	**-1.1**	**0.9**	**1.3**	**9.8**	**100.0**
2004-05	31.6	-10.8	62.2	–	7.2	6.5	7.4	-2.4	1.1	9.6	0.6	7.3	1.6	-12.4	100.0
2005-06 (सं.अ.)	16.4	1.9	65.4	4.9	7.9	2.9	-0.6	3.3	0.8	4.9	1.4	3.0	0.5	-7.9	100.0
2006-07 (ब.अ.)	20.8	4.4	53.1	6.9	8.0	4.0	-1.1	3.3	1.8	3.6	2.5	1.2	–	-4.7	100.0

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान एनएसएसएफ : राष्ट्रीय लघु बचत निधि औ - औसत '–' : नगण्य / शून्य/लागू नहीं

* 1999-2000 से संबंधित क्योंकि यह उस वर्ष से ही आरंभ हुआ। इस प्रकार 1995-2000 (औ) के लिए मदों का जोड़ 100 के बराबर नहीं होगा।

टिप्पणी : परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 10 : राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल	चुकौती	निवल
1	2	3	4
1990-91	2,569	–	2,569
1991-92	3,364	–	3,364
1992-93	3,805	334	3,471
1993-94	4,145	507	3,638
1994-95	5,123	–	5,123
1995-96	6,274	343	5,931
1996-97	6,536	–	6,536
1997-98	7,749	557	7,192
1998-99	12,114	1,414	10,700
1999-00	13,706	1,301	12,405
2000-01	13,300	420	12,880
2001-02	18,707	1,446	17,261
2002-03*	30,853	1,789	29,064
2003-04*	50,521	4,145	46,376
2004-05*	39,101	5,123	33,978
2005-06	21,729	6,274	15,455
2006-07 @	11,026	6,551	4,475

'–' : शून्य @ : 17 नवंबर 2006 तक जुटाई गई रकम ।

* : इसमें ऋण बदल योजना (डेट स्वैप स्कीम) के अंतर्गत 2002-03 के लिए 10,000 करोड़ रुपए , 2003-04 के लिए 26,623 करोड़ रुपए और 2004-05 के लिए 16,943 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बाजार उधार शामिल हैं।

\# : भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

परिशिष्ट सारणी 11 : विकास और विकासेतर व्यय

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विकास *	विकासेतर*	अन्य**	कुल
1	2	3	4	5
1990-91	63,370	22,600	5,272	91,242
	(69.5)	(24.8)	(5.8)	(100.0)
1991-92	74,588	27,143	6,915	1,08,646
	(68.7)	(25.0)	(6.4)	(100.0)
1992-93	80,567	32,104	6,664	1,19,335
	(67.5)	(26.9)	(5.6)	(100.0)
1993-94	89,388	38,020	7,241	1,34,649
	(66.4)	(28.2)	(5.4)	(100.0)
1994-95	1,04,348	49,556	7,650	1,61,554
	(64.6)	(30.7)	(4.7)	(100.0)
1995-96	1,14,819	55,380	7,385	1,77,584
	(64.7)	(31.2)	(4.2)	(100.0)
1996-97	1,32,008	62,095	8,666	2,02,769
	(65.1)	(30.6)	(4.3)	(100.0)
1997-98	1,45,268	71,767	11,100	2,28,135
	(63.7)	(31.5)	(4.9)	(100.0)
1998-99	1,64,504	86,474	15,383	2,66,361
	(61.8)	(32.5)	(5.8)	(100.0)
1999-00	1,87,297	1,10,206	16,386	3,13,889
	(59.7)	(35.1)	(5.2)	(100.0)
2000-01	2,10,543	1,18,887	17,768	3,47,198
	(60.6)	(34.2)	(5.1)	(100.0)
2001-02	2,16,696	1,38,080	22,534	3,77,311
	(57.4)	(36.6)	(6.0)	(100.0)
2002-03	2,28,417	1,51,898	40,147	4,20,462
	(54.3)	(36.1)	(9.5)	(100.0)
2003-04	2,80,099	1,69,022	76,903	5,26,023
	(53.2)	(32.1)	(14.6)	(100.0)
2004-05	2,93,538	1,88,298	84,467	5,66,303
	(51.8)	(33.3)	(14.9)	(100.0)
2005-06 (सं.अ.)	3,62,300	2,03,189	42,265	6,07,753
	(59.6)	(33.4)	(7.0)	(100.0)
2006-07 (ब.अ.)	3,92,926	2,30,225	44,978	6,68,130
	(58.8)	(34.5)	(6.7)	(100.0)

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें राजस्व और पूंजी खाता संबंधी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल है।

** : इसमें (सहायता अनुदान और अंशदान स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आबंटन) आंतरिक ऋण चुकौती और केन्द्र से लिए गए ऋण की चुकौती शामिल है।

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर, झारखंड से संबंधित वर्ष 2004-05 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 12 : व्यय के घटक

(प्रतिशत)

मद		विकास	विकासेतर	अन्य*	कुल
1		2	3	4	**5**
योजना	2003-04	19.0	0.5	0.1	**19.5**
	2004-05	20.6	0.5	0.1	**21.2**
	2005-06 (सं.अ.)	27.0	1.0	0.1	**28.1**
	2006-07 (ब.अ.)	28.4	1.0	0.1	**29.5**
योजनेतर	2003-04	34.3	31.6	14.6	**80.5**
	2004-05	31.3	32.7	14.8	**78.8**
	2005-06 (सं.अ.)	32.6	32.4	6.8	**71.9**
	2006-07 (ब.अ.)	30.4	33.5	6.6	**70.6**
कुल	2003-04	53.3	32.1	14.6	**100.0**
	2004-05	51.8	33.3	14.9	**100.0**
	2005-06 (सं.अ.)	59.6	33.4	7.0	**100.0**
	2006-07 (ब.अ.)	58.8	34.5	6.7	**100.0**

सं.अ. : संशोधित अनुमान ब.अ. : बजट अनुमान

* : इसमें सहायता अनुदान और अंशदान (स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति और आबंटन), आंतरिक ऋण की चुकौती और केंद्र से लिए गए ऋणों की चुकौती शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 13 : विकास व्यय : मुख्य शीर्ष

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान))	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. विकास व्यय (राजस्व और पूंजी) (क+ख)	**2,75,362**	**3,13,563**	**3,44,523**	**3,78,876**	**25.1**	**9.9**	**10.0**
क. समाज सेवाएं (1 से 11)	**1,44,131**	**1,68,532**	**1,80,559**	**2,00,030**	**25.3**	**7.1**	**10.8**
	(49.1)	**(51.6)**	**(49.8)**	**(50.9)**			
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	72,037	83,193	86,791	96,122	20.5	4.3	10.8
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिवार कल्याण	19,617	24,670	25,418	29,137	29.6	3.0	14.6
3. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	12,112	13,500	14,360	15,290	18.6	6.4	6.5
4. आवास व्यवस्था	2,874	2,771	3,071	4,160	6.9	10.8	35.5
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,138	12,598	13,551	14,006	33.7	7.6	3.4
6. श्रम और श्रमिक कल्याण	1,514	1,863	1,877	2,056	24.0	0.7	9.6
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,298	9,743	10,946	13,554	31.9	12.3	23.8
8. पोषण	3,262	3,867	4,320	5,148	32.5	11.7	19.2
9. प्राकृतिक आपदा राहत	5,568	4,455	8,823	4,524	58.4	98.0	-48.7
10. शहरी विकास	7,210	9,456	9,101	13,261	26.2	-3.7	45.7
11. अन्य*	1,502	2,417	2,300	2,772	53.1	-4.8	20.5
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 9)	**1,31,231**	**1,45,031**	**1,63,964**	**1,78,845**	**24.9**	**13.1**	**9.1**
	(44.7)	**(44.4)**	**(45.3)**	**(45.5)**			
1. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	22,206	23,346	24,617	26,950	10.9	5.4	9.5
2. ग्रामीण विकास	18,425	21,866	24,621	25,476	33.6	12.6	3.5
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,543	2,871	3,174	3,257	105.7	10.6	2.6
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	31,092	36,009	39,272	45,452	26.3	9.1	15.7
5. ऊर्जा	29,373	24,681	31,551	28,937	7.4	27.8	-8.3
6. उद्योग और खनिज	4,203	4,050	5,034	4,933	19.8	24.3	-2.0
7. परिवहन और संचार	18,824	24,400	27,732	33,722	47.3	13.7	21.6
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	216	377	502	517	133.0	33.1	3.0
9. सामान्य आर्थिक सेवाएं	5,351	7,430	7,461	9,600	39.4	0.4	28.7
II. राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक प्रयोजन के लिए ऋण और अग्रिम (क +ख)	**18,176**	**12,919**	**17,777**	**14,050**	**-2.2**	**37.6**	**-21.0**
क. सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	**2,978**	**4,156**	**4,685**	**5,645**	**57.3**	**12.7**	**20.5**
1. शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति	128	15	45	20	-65.1	196.5	-55.3
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	48	81	81	77	67.1	–	-5.1
3. परिवार कल्याण	–	2	2	2	683.3	–	-10.6
4. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,200	1,524	1,930	1,847	60.9	26.6	-4.3
5. आवास व्यवस्था	739	741	1,021	1,264	38.2	37.8	23.8
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	321	661	514	726	60.1	-22.2	41.2
7. अन्य@	542	1,132	1,093	1,710	101.7	-3.5	56.5
ख. आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	**15,198**	**8,764**	**13,092**	**8,406**	**-13.9**	**49.4**	**-35.8**
1. फसल उत्पादन	182	25	38	11	-78.9	51.2	-71.6
2. मिट्टी और जल परिरक्षण	–	–	3	–	–	863.3	-100.0
3. खाद्य भंडारण एवं माल गोदाम	310	52	360	321	16.1	592.3	-10.8
4. सहकारिता	1,999	417	2,580	1,197	29.1	519.0	-53.6
5. बड़ी एवं मध्यम सिंचाई, *आदि*	6	17	6	18	–	-64.7	200.0
6. ऊर्जा परियोजनाएं	10,412	6,577	7,602	4,694	-27.0	15.6	-38.3
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	196	25	276	72	40.6	1022.3	-73.8
8. अन्य उद्योग और खनिज	668	354	551	481	-17.6	55.8	-12.6
9. ग्रामीण विकास	52	62	67	67	28.8	8.1	0.1
10. अन्य +	1,374	1,235	1,609	1,545	17.1	30.2	-4.0
III. कुल विकासात्मक व्यय (I + II)	**2,93,538**	**3,26,482**	**3,62,300**	**3,92,926**	**23.4**	**11.0**	**8.5**

'–' : शून्य / नगण्य

* : सूचना और प्रचार पर व्यय शामिल है।

@ : शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण आदि पर किया गया खर्च शामिल है।

\+ : वन, मत्स्यपालन, पशुपालन, सड़क और जल परिवहन सेवाएं, शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े कुल विकासात्मक व्यय से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के संबंध में वर्ष 2004-05 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

3. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 14 : विकासेतर व्यय : मुख्य शीर्ष

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	प्रतिशत घटबढ़		
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4	कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. राजस्व लेखा की मदों के संबध में विकासेतर व्यय (सामान्य सेवाएं) (i से v)	**1,83,961**	**2,05,815**	**1,98,501**	**2,24,775**	**7.9**	**-3.6**	**13.2**
i. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	4,520	4,391	4,836	5,177	7.0	10.1	7.1
ii. राजकोषीय सेवाएं	11,344	10,240	10,553	10,823	-7.0	3.1	2.6
iii. ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती (1+2)	92,607	98,689	95,354	1,06,045	3.0	-3.4	11.2
1. ऋण में अथवा बचाव के लिए विनियोग	4,618	5,391	6,361	6,620	37.7	18.0	4.1
2. ब्याज भुगतान	87,989 (23.6)	93,298 (21.7)	88,994 (19.6)	99,425 (19.1)	1.1	-4.6	11.7
iv. प्रशासनिक सेवा (1 से 5)	30,744	37,657	36,597	43,396	19.0	-2.8	18.6
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,152	3,128	2,453	2,929	113.0	-21.6	19.4
2. जिला प्रशासन	3,203 (0.9)	4,069 (0.9)	4,186 (0.9)	4,887 (0.9)	30.7	2.9	16.8
3. पुलिस	19,172	21,053	21,543	23,448	12.4	2.3	8.8
4. लोक निर्माण	2,825	3,073	3,254	4,227	15.2	5.9	29.9
5. अन्य@	4,393	6,334	5,161	7,904	17.5	-18.5	53.2
v. पेन्शन और विविध सामान्य सेवाएं	44,746	54,838	51,162	59,333	14.3	-6.7	16.0
II. पूंजी लेखा की मदों के संबंध में विकासेतर व्यय (1+2)	**4,337**	**5,633**	**4,688**	**5,451**	**8.1**	**-16.8**	**16.3**
1. विकासेतर (सामान्य सेवाएं)	2,670	4,458	3,646	4,395	36.5	-18.2	20.6
2. विकासेतर उद्देश्यों के लिए ऋण (क +ख)	1,667	1,175	1,042	1,055	-37.5	-11.3	1.3
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	227	461	336	345	48.0	-27.2	2.8
ख) विविध	1,440	714	707	710	-50.9	-1.0	0.5
III. कुल विकासेतर व्यय (I + II)	**1,88,298**	**2,11,447**	**2,03,189**	**2,30,225**	**7.9**	**-3.9**	**13.3**
IV. कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में III	**32.6**	**36.5**	**33.1**	**34.3**			
V. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में III	**33.3**	**36.5**	**33.4**	**34.5**			

@ इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और प्रशासन, जेल, आदि का व्यय शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत हैं।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के संबंध में वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

3. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 15 : विकास और विकासेतर व्यय : योजना और योजनेतर घटक

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)			2004-05 (लेखा)@			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कुल संवितरण (1 से 3) *	**1,02,675**	**4,23,348**	**5,26,023**	**1,19,811**	**4,46,492**	**5,66,303**	**1,60,107**	**4,18,784**	**5,78,891**	**1,70,688**	**4,37,065**	**6,07,753**	**1,96,617**	**4,71,512**	**6,68,130**
1. विकासात्मक व्यय (क +ख)	**99,709**	**1,80,390**	**2,80,099**	**116,510**	**1,77,028**	**2,93,538**	**1,53,224**	**173,259**	**326,482**	**163,985**	**1,98,314**	**3,62,300**	**1,89,645**	**2,03,281**	**3,92,926**
क) प्रत्यक्ष विकासात्मक व्यय (i + ii)	89,790	1,65,224	2,55,014	108,880	1,66,482	2,75,362	1,44,059	169,504	313,563	155,386	1,89,137	3,44,523	181,102	1,97,774	3,78,876
i) आर्थिक सेवाएं	53,118	72,296	1,25,414	64,072	67,158	1,31,231	83,767	61,264	145,031	91,861	72,103	1,63,964	103,729	75,117	1,78,845
ii) सामाजिक सेवाएं	36,672	92,928	1,29,600	44,808	99,323	1,44,131	60,292	108,240	168,532	63,525	1,17,034	1,80,559	77,373	1,22,658	2,00,030
ख) विकासात्मक प्रयोजनार्थ ऋण और अग्रिम (i + ii)	9,919	15,166	25,085	7,630	10,546	18,176	9,165	3,754	12,919	8,600	9,177	17,777	8,544	5,507	14,050
i) आर्थिक सेवाएं	8,007	13,644	21,651	5,636	9,563	15,198	6,777	1,987	8,764	5,470	7,623	13,092	4,876	3,530	8,406
ii) सामाजिक सेवाएं	1,912	1,522	3,434	1,994	983	2,978	2,388	1,767	4,156	3,130	1,555	4,685	3,667	1,977	5,644
2. विकासेतर व्यय (क +ख)	**2,709**	**1,66,313**	**1,69,022**	**2,894**	**185,404**	**1,88,298**	**6,488**	**204,959**	**2,11,447**	**5,983**	**1,97,206**	**2,03,189**	**6,396**	**2,23,829**	**2,30,225**
क) प्रत्यक्ष विकासेतर व्यय	2,706	1,65,487	1,68,193	2,890	183,741	1,86,631	6,487	203,785	2,10,273	5,980	1,96,166	2,02,147	6,393	2,22,777	2,29,170
ख) विकासेतर प्रयोजनार्थ ऋण और अग्रिम	3	826	829	4	1,663	1,667	1	1,174	1,175	3	1,040	1,042	3	1,052	1,055
3. अन्य (क से ग)	**257**	**76,645**	**76,902**	**407**	**84,060**	**84,467**	**396**	**40,566**	**40,962**	**720**	**41,545**	**42,265**	**576**	**44,403**	**44,978**
क) केन्द्र को ऋण की अदायगी	–	12,010	12,010	–	37,961	37,961	–	13,834	13,834	–	8,706	8,706	–	8,698	8,698
ख) आंतरिक ऋण की चुकौती	–	57,993	57,993	–	38,442	38,442	–	18,323	18,323	–	23,457	23,457	–	23,162	23,162
जिसमें :															
बाजार ऋण	–	4,970	4,970	–	5,888	5,888	–	5,281	5,281	–	5,176	5,176	–	5,506	5,506
ग) सहायता अनुदान और अंशदान *जिसमें से*	257	6,642	6,899	407	7,656	8,063	396	8,409	8,805	720	9,382	10,101	576	12,543	13,119
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और अंशदान	257	6,642	6,899	407	7,656	8,063	396	8,409	8,805	720	9,382	10,101	576	12,543	13,119

'–' : शून्य / नगण्य

@ : जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

* : राजस्व और पूंजी लेखा दोनों के व्यय शामिल है।

टिप्पणी : बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन के लेखानुदान पर आधारित है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 16 : विकास और विकासेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
I. विकास व्यय	**2,80,099**	**2,93,538**	**3,26,482**	**3,62,300**	**3,92,926**
क) राजस्व	2,04,631	2,16,474	2,40,973	2,62,818	2,86,765
ख) पूंजी	75,468	77,065	85,509	99,481	1,06,161
II. विकासेतर व्यय	**1,69,022**	**1,88,298**	**2,11,447**	**2,03,189**	**2,30,225**
क) राजस्व	1,66,151	1,83,961	2,05,815	1,98,501	2,24,775
ख) पूंजी	2,871	4,337	5,633	4,688	5,451
III. अन्य	**76,902**	**84,467**	**40,962**	**42,265**	**44,978**
क) राजस्व*	6899	8,063	8,805	10,101	13,119
ख) पूंजी**	70,003	76,404	32,157	32,163	31,859
IV. कुल संवितरण (I+II+III)	**5,26,023**	**5,66,303**	**5,78,891**	**6,07,753**	**6,68,130**
V. IV के प्रतिशत के रूप में I	**53.3**	**51.8**	**56.4**	**59.6**	**58.8**
VI. IV के प्रतिशत के रूप में II	**32.1**	**33.3**	**36.5**	**33.4**	**34.5**
VII. IV के प्रतिशत के रूप में III	**14.6**	**14.9**	**7.1**	**7.0**	**6.7**

* इसमें सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है (स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति और समनुदेशन) ।

** आंतरिक ऋण की चुकौती और केन्द्र से लिए गए ऋण की चुकौती शामिल है।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 17 : योजना और योजनेतर व्यय : राजस्व और पूंजी घटक

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6
I. योजना व्यय	**1,02,675**	**1,19,811**	**1,60,107**	**1,70,688**	**1,96,617**
		(16.7)	**(33.6)**	**(42.5)**	**(15.2)**
क) राजस्व	51,349	60,987	80,547	84,641	97,875
ख) पूंजी	51,326	58,825	79,560	86,047	98,742
II. योजनेतर व्यय	**4,23,348**	**4,46,492**	**4,18,784**	**4,37,065**	**4,71,512**
		(5.5)	**(-6.2)**	**(-2.1)**	**(7.9)**
क) राजस्व	3,26,332	3,47,511	3,75,045	3,86,780	4,26,783
ख) पूंजी	97,016	98,981	43,738	50,285	44,729
III. कुल व्यय	**5,26,023**	**5,66,303**	**5,78,891**	**6,07,753**	**668,130**
		(7.7)	**(2.2)**	**(7.3)**	**(9.9)**
IV. III के प्रतिशत के रूप में I	**19.5**	**21.2**	**27.7**	**28.1**	**29.4**
V. III के प्रतिशत के रूप में II	**80.5**	**78.8**	**72.3**	**71.9**	**70.6**

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

2. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

3. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 18 : राज्यों के योजनेतर-विकासेतर व्यय

(करोड़ रुपए)

मद	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	2	3	4
I. योजनेतर विकासेतर राजस्व व्यय (1 से 5)	**1,64,840**	**1,82,756**	**1,95,412**	**2,21,569**
		(10.9)	**(6.9)**	**(13.4)**
1. राज्य सरकारों के विभाग और संस्थाएं	3,673	4,431	4,531	5,058
		(20.6)	(2.3)	(11.6)
2. राजकोषीय सेवाएं	9,843	11,167	10,190	10,479
		(13.4)	(-8.8)	(2.8)
3. ऋणों की ब्याज अदायगी और चुकौती	84,392	92,602	95,102	105,793
		(9.7)	(2.7)	(11.2)
जिसमें से :				
ब्याज अदायगी	81,745	87,984	88,742	99,172
जिसमें से :		(7.6)	(0.9)	(11.8)
केन्द्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज	30,238	25,625	16,427	16,421
		(-15.3)	(-35.9)	(0.0)
4. प्रशासनिक सेवाएं	27,945	29,941	34,541	41,037
		(7.1)	(15.4)	(18.8)
5. पेंशन और फुटकर सामान्य सेवाएं	38,987	44,616	51,048	59,203
		(14.4)	(14.4)	(16.0)
II. योजनेतर विकासेतर पूंजी संवितरण (1+2)*	**1,472**	**2,648**	**1,794**	**2,260**
		(79.9)	**(-32.3)**	**(26.0)**
1. योजनेतर विकासेतर पूंजी परिव्यय	646	985	754	1,208
		(52.4)	(-23.4)	(60.2)
2. राज्यों द्वारा योजनेतर विकासेतर ऋण और अग्रिम	826	1,663	1,040	1,052
		(101.4)	(-37.5)	(1.2)
III. कुल योजनेतर विकासेतर व्यय	**1,66,313**	**1,85,404**	**1,97,206**	**2,23,829**
	(11.5)	**(6.4)**	**(13.5)**	

* इसमें केंद्र के ऋणों की चुकौती और आंतरिक ऋण से मुक्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणियाँ : 1. कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

2. जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के योजनेतर आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

परिशिष्ट सारणी 19 : केंद्र से संसाधनों का डिवोल्यूशन और अंतरण

(करोड़ रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)@	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान	2006-07 (बजट अनुमान)	घटबढ़					
					कॉ. 2 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 3 की तुलना में कॉ. 4		कॉ. 4 की तुलना में कॉ. 5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. केंद्रीय करों में राज्यों का अंश	**78,550**	**90,002**	**92,723**	**109,419**	**14,173**	**18.0**	**2,721**	**3.0**	**16,697**	**18.0**
II. केन्द्र से अनुदान (1 से 5)	**56,857**	**78,882**	**90,002**	**100,188**	**33,145**	**58.3**	**11,120**	**14.1**	**10,186**	**11.3**
1. राज्य आयोजना योजनाएं	29,919	35,013	33,430	42,801	3,511	11.7	-1,583	-4.5	9,372	28.0
2. केन्द्रीय आयोजना योजनाएं	1,315	4,914	4,558	5,678	3,242	246.5	-356	-7.2	1,120	24.6
3. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं	10,439	15,366	17,857	18,259	7,418	71.1	2,491	16.2	402	2.3
4. एनईसी/विशेष आयोजना योजनाएं	287	592	690	735	403	140.4	99	16.7	45	6.4
5. योजनेतर अनुदान (क से ग)	14,897	22,998	33,467	32,715	18,571	124.7	10,470	45.5	-752	-2.2
क) सांविधिक अनुदान	7,963	14,624	19,981	19,962	12,019	150.9	5,357	36.6	-19	-0.1
ख) प्राकृतिक आपदाओं के लिए अनुदान	2,167	1,861	3,736	2,532	1,569	72.4	1,875	100.8	-1,204	-32.2
ग) योजनेतर गैर-सांविधिक अनुदान	4,767	6,513	9,750	10,221	4,983	104.5	3,237	49.7	471	4.8
III. केन्द्र से सकल ऋण (i + ii)	**26,157**	**31,216**	**10,911**	**13,525**	**-15,246**	**-58.3**	**-20,305**	**-65.0**	**2,614**	**24.0**
i) योजना ऋण	23,754	30,324	10,378	13,040	-13,375	-56.3	-19,946	-65.8	2,662	25.6
ii) योजनेतर ऋण*	2,404	892	533	485	-1,871	-77.8	-359	-40.2	-48	-9.0
IV. सकल अंतरण (I+II+III)	**1,61,564**	**2,00,100**	**1,93,636**	**2,23,133**	**32,072**	**19.9**	**-6,464**	**-3.2**	**29,497**	**15.2**
V. चुकौती और ब्याज भुगतान संबंधी देयताएं (क+ख)	**63,586**	**34,947**	**25,256**	**25,234**	**-38,330**	**-60.3**	**-9,692**	**-27.7**	**-22**	**-0.1**
क) केन्द्र को ऋण की चुकौती	37,961	13,834	8,706	8,698	-29,255	-77.1	-5,128	-37.1	-8	-0.1
ख) केन्द्र के ऋण पर ब्याज का भुगतान	25,625	21,113	16,550	16,536	-9,075	-35.4	-4,564	-21.6	-13	-0.1
VI. केन्द्र से संसाधनों का निवल अंतरण (IV-V)	**97,978**	**1,65,152**	**1,68,380**	**1,97,899**	**70,402**	**71.9**	**3,228**	**2.0**	**29,518**	**17.5**

@ जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2003-04 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

* केन्द्र से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणियाँ : बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होनें के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन में लेखानुदान पर आधारित थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी 20 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विन्यास

(मार्चांत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआईसी से ऋण	जीआई सी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा. स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी सी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति तथा अन्य बांड	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	भविष्य निधि आदि	प्रारक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम (निवल शेष)	आक-स्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1991	19,274	15,652	–	1,050	2,513	718	241	278	303	630	339	4	60	73,521	16,861	4,734	12,769	995	**1,28,155**
1992	23,270	19,008	–	1,288	2,910	775	267	151	604	812	296	5	64	82,979	19,790	5,519	14,502	969	**1,47,030**
1993	26,853	22,480	–	1,073	3,228	894	295	25	733	885	243	154	72	91,626	23,515	6,698	18,911	762	**1,68,365**
1994	30,933	26,119	–	1,306	3,429	1,044	380	-85	807	893	371	20	79	1,01,239	27,972	8,180	19,009	658	**1,87,992**
1995	35,875	31,200	–	608	3,989	1,135	421	-79	943	1,071	477	23	77	1,15,865	32,894	9,013	22,963	489	**2,17,100**
1996	43,895	37,088	–	1,894	4,838	1,257	501	288	1,175	1,101	456	61	76	1,30,618	38,216	10,577	26,654	929	**2,50,889**
1997	51,338	43,602	–	2,557	5,106	1,418	–	821	1,183	1,108	–	575	74	1,48,373	44,095	12,350	31,436	511	**2,88,103**
1998	59,289	50,847	–	630	7,734	1,684	–	2,038	1,396	1,107	–	1,510	77	1,71,737	50,843	14,498	36,609	921	**3,33,897**
1999	77,190	61,477	–	4,858	10,789	2,203	–	3,147	2,057	1,204	–	2,178	66	2,02,795	63,256	17,320	42,357	445	**4,03,364**
2000	1,26,346	75,427	26,416	7,328	17,110	3,102	–	4,372	3,177	1,345	–	5,114	65	2,35,514	80,523	19,769	52,193	1,533	**5,15,877**
2001	1,81,623	86,767	59,022	6,559	29,213	4,216	–	6,501	4,390	1,439	–	12,667	62	2,43,910	93,629	22,868	59,328	714	**6,02,072**
2002	2,49,069	1,04,027	94,670	9,419	40,894	5,085	–	8,969	7,139	1,622	–	18,078	59	2,54,884	1,03,815	27,389	64,325	1,042	**7,00,524**
2003	3,33,753	1,33,066	1,46,914	2,512	51,198	6,621	–	11,546	7,896	1,611	–	23,524	63	2,53,952	1,13,678	32,188	65,036	314	**7,98,921**
2004	4,29,063	1,79,466	1,67,726	2,052	60,990	9,043	–	12,467	7,311	2,985	–	29,184	18,830	2,68,069	1,23,003	38,565	64,662	138	**9,23,500**
2005	5,35,380	2,13,443	2,35,650	270	62,171	12,138	–	9,771	8,452	1,470	–	30,339	23,846	2,56,265	1,31,886	45,692	72,736	346	**10,42,305**
2006 सं.अ.	6,30,602	2,28,898	3,10,133	-350	67,688	12,535	–	15,276	8,018	1,591	–	30,268	24,233	2,58,471	1,42,309	48,942	72,034	294	**11,52,652**
2007 ब.अ.	7,18,191	2,51,660	3,68,296	-300	75,475	12,705	–	22,730	7,654	1,862	–	30,524	23,060	2,63,298	1,52,645	53,307	70,880	351	**12,58,672**

'–' : लागू नहीं / अनुपलब्ध / नगण्य

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष 1996-97 से 'अन्य ऋण' में 'जीआईसी से ऋण' तथा 'अन्य संस्थानों से ऋण' शामिल हैं।

2. 'क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड' में 2003-04 के पावर बांड शामिल हैं।

3. चूंकि अरुणाचल प्रदेश [2004-05, 2005-06 (सं.अ.) और 2006-07 (बजट अनुमान)] तथा जम्मू और कश्मीर [2005-06 (सं.अ.) तथा 2006-07 (ब.अ.)] के आंतरिक ऋण से मुक्ति संबंधी अलग अलग विवरण उपलब्ध नहीं थे अतः उन्हे अन्य ऋणों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

4. आंकड़ा स्रोत तथा कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी भी देखें।

परिशिष्ट सारणी 21 : राज्य सरकारों की बकाया देयताओं का विन्यास - कुल के अनुपात में
(मार्चांत में)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	बैंक तथा वित्तीय संस्थाओ से ऋण	एलआईसी से ऋण	जीआई सी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	भा स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडी सी से ऋण	अन्य संस्थानों से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति तथा अन्य बांड	केन्द्र से ऋण तथा अग्रिम	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा तथा अग्रिम (निवल शेष)	आक-स्मिकता निधि	कुल बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1991	15.0	12.2	–	0.8	2.0	0.6	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	–	–	57.4	13.2	3.7	10.0	0.8	**100.0**
1992	15.8	12.9	–	0.9	2.0	0.5	0.2	0.1	0.4	0.6	0.2	–	–	56.4	13.5	3.8	9.9	0.7	**100.0**
1993	15.9	13.4	–	0.6	1.9	0.5	0.2	–	0.4	0.5	0.1	0.1	–	54.4	14.0	4.0	11.2	0.5	**100.0**
1994	16.5	13.9	–	0.7	1.8	0.6	0.2	–	0.4	0.5	0.2	–	–	53.9	14.9	4.4	10.1	0.4	**100.0**
1995	16.5	14.4	–	0.3	1.8	0.5	0.2	–	0.4	0.5	0.2	–	–	53.4	15.2	4.2	10.6	0.2	**100.0**
1996	17.5	14.8	–	0.8	1.9	0.5	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	–	–	52.1	15.2	4.2	10.6	0.4	**100.0**
1997	17.8	15.1	–	0.9	1.8	0.5	–	0.3	0.4	0.4	–	0.2	–	51.5	15.3	4.3	10.9	0.2	**100.0**
1998	17.8	15.2	–	0.2	2.3	0.5	–	0.6	0.4	0.3	–	0.5	–	51.4	15.2	4.3	11.0	0.3	**100.0**
1999	19.1	15.2	–	1.2	2.7	0.5	–	0.8	0.5	0.3	–	0.5	–	50.3	15.7	4.3	10.5	0.1	**100.0**
2000	24.5	14.6	5.1	1.4	3.3	0.6	–	0.8	0.6	0.3	–	1.0	–	45.7	15.6	3.8	10.1	0.3	**100.0**
2001	30.2	14.4	9.8	1.1	4.9	0.7	–	1.1	0.7	0.2	–	2.1	–	40.5	15.6	3.8	9.9	0.1	**100.0**
2002	35.6	14.8	13.5	1.3	5.8	0.7	–	1.3	1.0	0.2	–	2.6	–	36.4	14.8	3.9	9.2	0.1	**100.0**
2003	41.8	16.7	18.4	0.3	6.4	0.8	–	1.4	1.0	0.2	–	2.9	–	31.8	14.2	4.0	8.1	–	**100.0**
2004	46.5	19.4	18.2	0.2	6.6	1.0	–	1.3	0.8	0.3	–	3.2	2.0	29.0	13.3	4.2	7.0	–	**100.0**
2005	51.4	20.5	22.6	–	6.0	1.2	–	0.9	0.8	0.1	–	2.9	2.3	24.6	12.7	4.4	7.0	–	**100.0**
2006 सं.अ.	54.7	19.9	26.9	–	5.9	1.1	–	1.3	0.7	0.1	–	2.6	2.1	22.4	12.3	4.2	6.2	–	**100.0**
2007 ब.अ.	57.1	20.0	29.3	–	60.	1.0	–	1.8	0.6	0.1	–	2.4	1.8	20.9	12.1	4.2	5.6	–	**100.0**

'–' : लागू नहीं / अनुपलब्ध / नगण्य

टिप्पणियाँ : 1. वर्ष 1996-97 से 'अन्य ऋण' में 'जीआईसी से ऋण' तथा 'अन्य संस्थानों से ऋण' शामिल हैं।

2. 'क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड' में 2003-04 के पावर बांड शामिल हैं।

3. अरुणाचल प्रदेश का [2004-05, 2005-06 (सं.अ.) और 2006.07 (ब.अ.) और जम्मू और कश्मीर] 2005-06 (स.अ.) और 2006-07 (ब.अ.) के अलग-अलग विस्तृत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, उन्हें ''अन्य ऋण'' में शामिल किया गया है।

4. आंकड़ा स्रोत तथा कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी भी देखें।

परिशिष्ट सारणी 22 : सामाजिक क्षेत्र व्यय का संघटन

(करोड़ रुपए)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. राजस्व व्यय (i + ii)	**32,826**	**36,617**	**41,344**	**46,618**	**52,116**	**61,016**	**68,597**	**77,625**	**93,298**	**1,07,734**	**1,15,491**	**1,18,643**	**1,24,324**	**1,34,719**	**1,49,022**	**1,85,477**	**2,03,390**
(i) समाज सेवाएं (क से व)	**27,962**	**31,092**	**34,565**	**38,961**	**44,902**	**53,607**	**60,328**	**68,312**	**82,021**	**96,138**	**1,04,505**	**1,07,647**	**1,11,528**	**1,20,027**	**1,32,053**	**1,63,984**	**1,81,306**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,528	17,077	19,261	21,594	24,977	28,911	33,064	37,160	45,649	55,930	59,826	60,177	62,407	65,438	70,937	84,776	93,767
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,586	5,054	5,662	6,669	7,429	6,824	7,872	8,972	10,822	12,184	13,050	13,425	13,958	14,690	15,898	20,043	22,220
(ग) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	1,654	1,558	1,741	1,862	2,114	2,356	2,479	2,383	2,482	2,558	3,327	3,555
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,638	1,845	2,095	2,424	2,980	3,141	3,668	4,574	5,278	5,408	5,463	5,579	5,561	6,532	6,933	8,869	8,490
(ङ) आवास निर्माण	361	398	445	470	569	701	851	926	1,145	1,032	1,305	1,262	1,462	1,758	1,889	2,203	3,069
(च) शहरी विकास	634	764	727	842	996	1,310	1,649	2,013	2,515	3,052	3,078	3,678	4,029	4,412	5,343	6,350	11,140
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,790	2,071	2,301	2,570	3,012	3,395	3,896	4,496	5,180	5,519	6,111	6,787	7,113	7,715	9,199	11,712	12,383
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	453	489	550	589	671	743	816	1,031	1,077	1,230	1,231	1,160	1,224	1,410	1,514	1,877	2,056
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,362	1,477	1,663	1,865	2,144	2,425	2,697	3,080	3,637	4,137	4,976	5,137	6,231	7,232	8,132	10,616	13,171
(ञ) पोषण	536	611	633	674	865	2,158	1,874	1,878	2,138	2,264	2,511	2,288	2,298	2,871	3,262	4,320	5,148
(ट) प्राकृतिक आपदा के लिए राहत	877	1,076	972	948	899	1,928	1,964	1,977	2,106	2,612	3,878	5,012	4,169	4,658	5,568	8,823	4,524
(ठ) अन्य	198	230	256	315	360	417	417	464	614	656	721	662	695	830	820	1,067	1,783
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**4,863**	**5,525**	**6,779**	**7,658**	**7,215**	**7,409**	**8,269**	**9,313**	**11,278**	**11,596**	**10,985**	**10,996**	**12,796**	**14,692**	**16,970**	**21,492**	**22,084**
(क) ग्रामीण विकास	4,675	5,287	6,362	7,277	6,779	6,570	7,528	8,371	10,464	10,509	10,018	10,196	11,751	13,552	15,395	19,910	20,571
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	188	238	416	381	436	839	741	942	813	1,087	967	800	1,045	1,140	1,574	1,582	1,514
2. पूंजी परिव्यय(i+ii)	**1,566**	**1,690**	**2,022**	**2,031**	**2,515**	**2,622**	**2,666**	**4,046**	**5,179**	**5,755**	**8,929**	**9,862**	**9,412**	**11,472**	**15,981**	**21,437**	**23,794**
i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	**1,257**	**1,647**	**1,664**	**1,831**	**2,304**	**2,621**	**2,973**	**3,431**	**4,190**	**4,311**	**5,750**	**5,956**	**7,585**	**9,573**	**12,079**	**16,575**	**18,724**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	284	278	302	314	397	454	504	534	651	417	442	616	576	761	1,100	2,015	2,355
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ	237	276	263	280	324	333	361	495	528	733	692	689	742	1,046	1,158	2,023	3,284
(ग) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	35	38	65	45	27	42	34	10	18	3	25	78
(घ) जल, आपूर्ति और स्वच्छता	354	499	549	677	894	896	1,026	1,117	1,688	1,822	3,069	2,686	3,553	3,586	5,180	5,491	6,800
(ङ) आवास निर्माण	182	209	188	201	265	359	307	408	589	514	500	524	661	603	985	868	1,091
(च) शहरी विकास	30	146	97	126	139	192	225	227	48	182	557	311	602	1,834	1,867	2,751	2,122
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	120	162	177	168	192	222	364	413	487	479	388	435	633	810	939	1,839	1,623
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	27	39	37	24	43	26	74	89	92	105	23	40	88	172	166	330	383
(ञ) अन्य	24	39	50	39	50	104	74	83	63	33	37	620	720	744	682	1,233	989
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**308**	**43**	**358**	**200**	**211**	**1**	**-306**	**615**	**989**	**1,444**	**3,179**	**3,906**	**1,827**	**1,898**	**3,903**	**4,863**	**5,070**
(क) ग्रामीण विकास	115	204	184	142	158	191	410	386	360	576	1,303	2,293	2,225	2,339	3,029	4,711	4,905
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	194	-161	174	58	54	-190	-716	229	630	868	1,876	1,613	-399	-441	873	152	164
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	**741**	**948**	**1,103**	**1,188**	**1,666**	**1,702**	**2,347**	**1,800**	**1,895**	**2,663**	**3,500**	**3,737**	**3,404**	**3,439**	**3,340**	**5,112**	**6,032**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	**741**	**948**	**1,103**	**1,188**	**1,666**	**1,608**	**2,159**	**1,778**	**1,881**	**2,533**	**3,434**	**3,358**	**3,386**	**3,434**	**2,978**	**4,685**	**5,645**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	21	9	22	10	4	0.2	3	34	49	128	45	20
(ख) आवास निर्माण	174	213	228	321	284	230	479	307	360	413	441	506	547	812	739	1,021	1,264
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	143	162	185	230	258	282	671	359	449	998	1,150	955	789	561	321	514	726
(घ) अन्य	424	573	690	636	1,124	1,075	1,000	1,091	1,062	1,118	1,843	1,894	2,016	2,011	1,790	3,105	3,635
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**95**	**188**	**22**	**14**	**130**	**66**	**379**	**18**	**5**	**362**	**427**	**387**
(क) ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	67	67
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	95	188	22	14	130	66	379	18	5	310	360	321
कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय (1+2+3)	**35,132**	**39,255**	**44,468**	**49,837**	**56,298**	**65,341**	**73,610**	**83,471**	**1,00,372**	**1,16,152**	**1,27,920**	**1,32,242**	**1,37,140**	**1,49,629**	**1,68,344**	**2,12,026**	**2,33,217**

* : राजस्व व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और खाद्यान्न भंडारण और गोदाम, पूंजी परिव्यय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों पर व्यय शामिल है।

'–' : इस अध्ययन के पहले वाले अंकों में आंकड़े संग्रहीत नहीं किए गए थे इसलिए नहीं दिए गए थे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और इस अध्ययन के पिछले अंक ।

परिशिष्ट सारणी 23 : सामाजिक क्षेत्र व्यय का संघटन - कुल के प्रतिशत के रुप में

(प्रतिशत)

मद	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ)	2006-07 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. राजस्व व्यय (i + ii)	**93.4**	**93.3**	**93.0**	**93.5**	**92.6**	**93.4**	**93.2**	**93.0**	**93.0**	**92.8**	**90.3**	**89.7**	**90.7**	**90.0**	**88.5**	**87.5**	**87.2**
(i) समाज सेवाएं (क से ठ)	**79.6**	**79.2**	**77.7**	**78.2**	**79.8**	**82.0**	**82.0**	**81.8**	**81.7**	**82.8**	**81.7**	**81.4**	**81.3**	**80.2**	**78.4**	**77.3**	**77.7**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	44.2	43.5	43.3	43.3	44.4	44.2	44.9	44.5	45.5	48.2	46.8	45.5	45.5	43.7	42.1	40.0	40.2
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13.1	12.9	12.7	13.4	13.2	10.4	10.7	10.7	10.8	10.5	10.2	10.2	10.2	9.8	9.4	9.5	9.5
(ग) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	2.5	2.1	2.1	1.9	1.8	1.8	1.9	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4.7	4.7	4.7	4.9	5.3	4.8	5.0	5.5	5.3	4.7	4.3	4.2	4.1	4.4	4.1	4.2	3.6
(ङ) आवास निर्माण	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	1.3
(च) शहरी विकास	1.8	1.9	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.4	2.8	2.9	2.9	3.2	3.0	4.8
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	5.1	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.4	5.2	4.8	4.8	5.1	5.2	5.2	5.5	5.5	5.3
(ज) श्रम और श्रम कल्याण	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
(झ) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.9	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.9	3.9	4.5	4.8	4.8	5.0	5.6
(ञ) पौष्टिक आहार	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5	3.3	2.5	2.3	2.1	1.9	2.0	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	2.2
(ट) प्राकृतिक आपदा राहत	2.5	2.7	2.2	1.9	1.6	3.0	2.7	2.4	2.1	2.2	3.0	3.8	3.0	3.1	3.3	4.2	1.9
(ठ) अन्य	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**13.8**	**14.1**	**15.2**	**15.4**	**12.8**	**11.3**	**11.2**	**11.2**	**11.2**	**10.0**	**8.6**	**8.3**	**9.3**	**9.8**	**10.1**	**10.1**	**9.5**
(क) ग्रामीण विकास	13.3	13.5	14.3	14.6	12.0	10.1	10.2	10.0	10.4	9.0	7.8	7.7	8.6	9.1	9.1	9.4	8.8
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	1.3	1.0	1.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6
2. पूंजी परिव्यय (i+ii)	**4.5**	**4.3**	**4.5**	**4.1**	**4.5**	**4.0**	**3.6**	**4.8**	**5.2**	**5.0**	**7.0**	**7.5**	**6.9**	**7.7**	**9.5**	**10.1**	**10.2**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से झ)	**3.6**	**4.2**	**3.7**	**3.7**	**4.1**	**4.0**	**4.0**	**4.1**	**4.2**	**3.7**	**4.5**	**4.5**	**5.5**	**6.4**	**7.2**	**7.8**	**8.0**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.0	1.0
(ख) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.4
(ग) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	0.1	0.1	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1.0	1.3	1.2	1.4	1.6	1.4	1.4	1.3	1.7	1.6	2.4	2.0	2.6	2.4	3.1	2.6	2.9
(ङ) आवास निर्माण	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
(च) शहरी विकास	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	–	0.2	0.4	0.2	0.4	1.2	1.1	1.3	0.9
(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7
(ज) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.1	0.1	0.1	–	0.1	–	0.1	0.1	0.1	0.1	–	–	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
(झ) अन्य	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	–	–	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**0.9**	**0.1**	**0.8**	**0.4**	**0.4**	**–**	**-0.4**	**0.7**	**1.0**	**1.2**	**2.5**	**3.0**	**1.3**	**1.3**	**2.3**	**2.3**	**2.2**
(क) ग्रामीण विकास	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	1.0	1.7	1.6	1.6	1.8	2.2	2.1
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	0.6	-0.4	0.4	0.1	0.1	-0.3	-1.0	0.3	0.6	0.7	1.5	1.2	-0.3	-0.3	0.5	0.1	0.1
3. राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम (i + ii)	**2.1**	**2.4**	**2.5**	**2.4**	**3.0**	**2.6**	**3.2**	**2.2**	**1.9**	**2.3**	**2.7**	**2.8**	**2.5**	**2.3**	**2.0**	**2.4**	**2.6**
(i) सामाजिक सेवाएं (क से घ)	**2.1**	**2.4**	**2.5**	**2.4**	**3.0**	**2.5**	**2.9**	**2.1**	**1.9**	**2.2**	**2.7**	**2.5**	**2.5**	**2.3**	**1.8**	**2.2**	**2.4**
(क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–
(ख) आवास निर्माण	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
(ग) आवास निर्माण (सरकारी कर्मचारी)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	0.4	0.4	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3
(घ) अन्य	1.2	1.5	1.6	1.3	2.0	1.6	1.4	1.3	1.1	1.0	1.4	1.4	1.5	1.3	1.1	1.5	1.6
(ii) आर्थिक सेवाएं (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**0.1**	**0.3**	**–**	**–**	**0.1**	**0.1**	**0.3**	**–**	**–**	**0.2**	**0.2**	**0.2**
(क) ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	0.1	0.3	–	–	0.1	0.1	0.3	–	–	0.2	0.2	0.2
कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय (1+2+3)	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

'–' : उपलब्ध नहीं / नगण्य

टिप्पणी : परिशिष्ट, सारणी 22 की टिप्पणी देखें ।

स्त्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज और इस अध्ययन के पिछले अंक ।

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों के कुल संवितरण/कुल संवितरण				जीएफडी/जीएफडी व्यय				राजस्व घाटा/सराघा			
	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. गैर-विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	7.6	8.3	8.0	9.1	21.7	22.2	19.5	18.4	39.8	31.2	12.7	9.8
2. बिहार	3.6	3.5	4.1	4.2	23.3	7.3	20.9	17.0	27.0	-86.6	3.0	-13.3
3. छत्तीसगढ़	1.7	1.7	1.8	1.9	27.0	14.5	12.3	11.8	29.1	-11.8	-59.5	-83.4
4. गोवा	0.5	0.4	0.5	0.6	21.5	23.2	23.9	19.5	31.6	22.4	10.1	4.5
5. गुजरात	6.3	6.2	5.6	5.3	33.4	30.0	20.9	20.7	40.5	46.4	5.0	-0.3
6. हरियाणा	2.9	2.6	2.5	2.5	23.0	9.8	12.9	11.6	9.3	21.4	32.2	15.5
7. झारखंड	1.9	2.1	2.2	2.3	18.2	33.3	37.5	32.4	-8.5	30.5	31.6	14.7
8. कर्नाटक	5.6	6.0	5.8	6.3	17.8	11.9	13.8	12.7	11.7	-45.5	-24.9	-29.5
9. केरल	3.8	3.6	3.9	4.2	31.9	24.8	26.1	27.9	66.4	82.4	76.5	71.5
10. मध्य प्रदेश	4.5	5.2	4.9	4.4	33.9	24.7	18.3	17.2	61.1	-26.4	0.5	-19.9
11. महाराष्ट्र	11.6	12.8	11.7	10.5	34.3	31.2	24.0	12.5	46.3	53.9	8.6	-3.6
12. उड़ीसा	3.0	2.8	2.9	2.9	27.5	10.3	9.1	9.8	39.8	38.2	36.5	28.3
13. पंजाब	3.9	3.7	3.7	3.8	28.7	22.6	17.0	15.2	73.0	84.0	46.8	39.1
14. राजस्थान	4.9	5.1	4.6	4.6	32.3	25.7	22.6	17.6	46.5	34.9	14.3	0.8
15. तमिलनाडु	6.4	7.4	6.7	7.5	19.1	16.4	14.2	15.7	28.0	12.6	6.6	15.6
16. उत्तर प्रदेश	13.2	10.4	10.2	10.7	34.5	25.7	22.0	18.5	111.6	53.8	23.8	-8.8
17. प.बंगाल	7.3	5.9	7.1	6.4	43.7	34.8	31.3	31.1	71.1	77.2	76.6	69.3
18. रा.रा.क्षे.दिल्ली	2.2	2.3	2.3	2.0	24.9	14.8	13.0	8.1	-92.7	-184.4	-180.7	-373.6
गैर-विशेष श्रेणी राज्य	**90.8**	**90.1**	**88.7**	**89.1**	**29.3**	**23.2**	**20.6**	**17.8**	**52.4**	**36.4**	**19.6**	**9.3**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	0.4	0.4	0.4	0.4	13.7	20.5	15.1	5.9	-73.8	2.0	-64.8	-151.5
2. असम	2.0	2.6	3.0	3.0	15.2	17.2	17.6	17.5	49.1	14.2	10.9	13.1
3. हिमाचल प्रदेश	1.5	1.4	1.4	1.3	37.5	28.1	12.9	13.3	67.4	64.0	10.0	25.4
4. जम्मू और कश्मीर	1.7	2.0	2.2	2.1	-0.2	9.4	12.1	8.6	11506.4	-156.4	-114.4	-248.9
5. मणिपुर	0.4	0.5	0.5	0.5	16.7	20.5	11.1	3.7	15.3	-20.4	-150.9	-739.6
6. मेघालय	0.3	0.4	0.4	0.4	12.6	16.8	9.7	3.4	-42.2	16.0	-60.6	-397.6
7. मिजोरम	0.3	0.3	0.4	0.3	18.2	13.5	14.9	5.8	-27.2	-45.9	-55.1	-143.7
8. नागालैंड	0.5	0.4	0.5	0.5	-7.1	10.6	9.9	5.7	347.4	-70.9	-163.1	-321.8
9. सिक्किम	0.3	0.4	0.4	0.4	3.6	8.9	12.2	11.1	-318.8	-91.0	-71.3	-91.7
10. त्रिपुरा	0.5	0.5	0.7	0.6	13.6	8.5	14.2	15.9	-31.0	-164.1	-101.3	-72.8
11. उत्तरांचल	1.2	1.1	1.5	1.6	28.1	34.7	27.6	27.6	54.1	43.8	17.4	5.5
विशेष श्रेणी राज्य	**9.2**	**9.9**	**11.3**	**10.9**	**15.4**	**18.1**	**15.9**	**14.2**	**0.3**	**-0.4**	**-30.7**	**-48.8**
सभी राज्य	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**28.0**	**22.7**	**20.0**	**17.4**	**49.7**	**33.3**	**15.1**	**4.1**

ब.अ. : बजट अनुमान '–' : राजस्व घाटे का अधिशेष दर्शाता है। रा.रा.क्षे. : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कु.सं. : कुल संवितरण

सं.अ. : संशोधित अनुमान जीएफडी : सकल राजकोषीय घाटा जीएफडी व्यय : सकल राजकोषीय घाटा व्यय

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक *(जारी)*

(प्रतिशत)

राज्य	पूंजीगत परिव्यय /सराघा				निवल उधार देना/सराघा				विकासेतर व्यय/कुल संवितरण			
	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	57.1	66.1	82.2	98.7	3.2	2.7	5.1	1.3	30.5	28.1	28.8	26.5
2. बिहार	45.3	97.0	65.6	107.2	27.7	89.6	31.3	6.1	39.4	39.3	37.5	37.0
3. छत्तीसगढ़	46.1	103.9	134.1	182.9	24.8	8.0	25.4	0.5	24.3	26.2	22.8	25.9
4. गोवा	67.7	77.3	89.9	95.7	0.7	0.3	-0.1	-0.2	25.3	27.7	28.3	40.2
5. गुजरात	35.1	47.1	87.5	94.7	24.5	6.4	7.5	5.6	28.4	29.2	33.8	34.3
6. हरियाणा	13.1	74.4	65.7	84.4	77.5	4.2	2.1	0.1	29.6	34.6	32.5	31.3
7. झारखंड	92.1	55.2	45.2	56.2	16.4	14.4	23.2	29.1	31.0	25.8	25.5	23.3
8. कर्नाटक	67.3	129.8	118.5	125.8	21.0	15.7	6.4	3.7	31.5	29.5	31.8	31.4
9. केरल	11.5	15.3	13.7	18.8	22.0	2.3	9.8	9.7	37.6	39.6	40.0	39.4
10. मध्य प्रदेश	36.6	76.3	143.7	106.1	2.3	50.2	-44.2	13.9	27.6	25.9	27.2	31.8
11. महाराष्ट्र	45.7	42.3	67.5	89.3	7.9	3.8	23.9	14.3	32.4	31.1	31.9	39.7
12. उड़ीसा	23.9	77.3	75.5	80.5	36.4	-15.5	-12.0	-8.8	33.6	41.6	40.0	41.6
13. पंजाब	13.6	16.9	54.1	66.1	13.4	-0.9	-0.9	-5.3	46.2	47.2	49.1	48.7
14. राजस्थान	43.2	56.8	77.3	97.7	10.4	8.4	8.5	1.4	32.9	30.2	32.6	33.8
15. तमिलनाडु	64.2	81.9	89.0	88.9	7.8	5.4	4.4	-4.6	32.2	29.8	33.4	31.5
16. उत्तर प्रदेश	56.0	43.5	73.8	105.7	-67.6	2.7	2.4	3.1	28.5	38.9	36.7	34.5
17 प.बंगाल	5.9	17.2	16.4	17.0	23.0	5.5	7.0	13.7	37.6	47.0	39.4	42.4
18 रा.रा.क्षे.दिल्ली	35.0	96.1	108.0	200.2	157.8	188.3	172.6	273.4	21.2	24.4	21.2	27.0
गैर विशेष श्रेणी राज्य	**39.7**	**52.1**	**69.8**	**82.5**	**7.9**	**11.5**	**10.6**	**9.2**	**32.1**	**33.4**	**33.8**	**34.7**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	173.3	97.1	164.0	248.0	0.5	0.9	0.8	3.5	20.8	24.3	21.3	21.7
2. असम	44.6	106.0	84.0	83.7	6.3	-20.2	5.1	3.2	33.5	25.2	29.5	32.3
3. हिमाचल प्रदेश	32.9	36.1	89.1	75.8	-0.4	-0.1	0.9	-1.2	31.0	34.3	34.9	36.5
4. जम्मू और कश्मीर	-11079.3	251.6	211.7	340.7	-327.2	4.8	2.7	8.2	41.4	34.7	30.9	32.2
5. मणिपुर	84.2	116.0	232.0	778.4	0.5	4.4	18.9	61.1	27.4	27.5	31.7	30.5
6. मेघालय	116.6	78.4	146.2	468.5	25.6	5.6	14.4	29.1	31.3	28.9	27.6	27.3
7. मिजोरम	121.6	140.7	150.1	229.5	5.6	5.2	5.0	14.1	26.3	28.9	26.3	31.4
8. नागालैंड	-248.5	173.8	263.8	421.7	1.1	-2.8	-0.7	0.1	38.9	39.6	34.7	35.2
9. सिक्किम	420.8	190.5	171.5	191.9	-1.9	0.5	-0.2	-0.2	47.5	53.5	50.9	50.9
10. त्रिपुरा	130.8	264.9	201.2	172.6	0.7	-0.8	0.1	0.2	33.3	33.3	31.3	39.7
11. उत्तरांचल	37.9	51.9	77.9	89.4	8.0	4.3	4.7	5.2	24.5	32.0	27.5	26.9
विशेष श्रेणी राज्य	**94.8**	**102.9**	**126.5**	**144.3**	**4.9**	**-2.5**	**4.2**	**4.6**	**32.8**	**31.6**	**30.9**	**32.5**	
सभी राज्य	**42.6**	**56.3**	**74.9**	**88.0**	**7.7**	**10.3**	**10.0**	**8.8**	**32.1**	**33.3**	**33.4**	**34.5**

वि. व्यय : विकासेतर व्यय

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक *(जारी)*

(प्रतिशत)

राज्य	गैर विकासेतर राजस्व व्यय /राजस्व प्राप्तियां				ब्याज भुगतान/राजस्व व्यय				राज्यों के स्व कर राजस्व/राजस्व व्यय			
	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	44.4	45.0	38.4	36.0	23.0	22.7	18.9	17.6	46.3	51.9	52.9	52.2
2. बिहार	54.7	49.7	48.2	45.5	22.7	23.7	18.9	19.3	23.0	22.8	20.4	20.8
3. छत्तीसगढ़	36.2	34.4	26.7	29.6	16.0	16.2	11.7	12.0	39.2	45.4	47.9	50.0
4. गोवा	35.8	34.8	33.8	48.2	18.2	16.6	16.9	13.6	40.3	44.1	42.8	33.8
5. गुजरात	50.7	49.5	45.3	46.0	26.4	25.0	25.4	27.2	50.9	53.3	59.5	61.9
6. हरियाणा	44.4	43.9	37.6	35.9	20.9	19.6	16.5	17.1	62.7	65.2	64.4	68.2
7. झारखंड	40.0	40.5	40.5	34.5	13.6	9.2	7.4	7.2	31.2	28.5	29.6	28.8
8. कर्नाटक	43.5	37.3	36.8	36.2	17.4	15.2	13.4	12.7	59.1	64.5	68.4	65.6
9. केरल	62.6	59.2	56.9	57.5	21.5	21.0	18.5	18.0	52.2	52.2	48.6	47.9
10. मध्य प्रदेश	46.0	37.8	37.3	39.5	17.1	20.3	17.2	18.4	36.2	43.1	41.8	44.6
11. महाराष्ट्र	57.7	54.3	43.2	46.7	19.5	17.6	17.4	20.4	59.0	60.0	70.0	70.5
12. उड़ीसा	54.6	54.7	49.7	50.2	26.3	26.9	24.3	23.9	30.4	33.8	31.4	31.9
13. पंजाब	77.0	71.3	60.4	60.2	23.6	23.2	20.4	19.5	39.1	40.4	43.9	45.7
14. राजस्थान	54.7	48.7	43.1	42.7	25.3	26.0	24.2	24.1	38.4	42.3	45.0	45.5
15. तमिलनाडु	44.7	42.4	40.9	40.0	18.6	16.3	14.1	13.4	63.1	66.4	66.6	67.8
16. उत्तर प्रदेश	61.8	60.5	47.6	42.7	20.2	26.6	20.3	18.6	27.1	35.2	39.7	42.7
17. प.बंगाल	86.8	78.9	69.1	67.4	35.8	34.2	30.4	31.4	34.0	35.3	33.4	36.3
18. रा.रा.क्षे.दिल्ली	24.6	24.2	23.6	25.0	26.9	26.9	23.7	28.3	115.7	121.9	110.5	119.2
गैर विशेष श्रेणी राज्य	**57.7**	**50.4**	**44.7**	**44.0**	**22.2**	**22.2**	**19.4**	**19.5**	**44.9**	**49.4**	**51.3**	**52.5**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	27.8	32.6	25.5	24.9	10.2	9.7	9.5	10.0	3.1	3.3	5.7	3.5
2. असम	45.4	37.1	37.0	40.4	17.1	13.7	13.4	13.3	24.5	26.5	23.0	23.8
3. हिमाचल प्रदेश	62.4	58.7	46.6	47.0	26.4	28.3	26.0	25.9	17.6	21.6	22.0	22.2
4. जम्मू और कश्मीर	39.9	35.5	32.5	32.3	16.7	14.4	13.4	14.0	17.5	17.1	17.4	19.7
5. मणिपुर	44.1	40.2	28.7	26.9	14.7	16.1	11.8	12.7	4.7	4.9	4.6	5.2
6. मेघालय	37.6	38.0	31.1	27.9	12.9	11.1	10.9	10.1	13.5	13.0	12.2	12.7
7. मिजोरम	33.7	34.3	31.0	33.8	12.9	13.0	12.1	13.3	2.6	2.8	2.6	3.3
8. नागालैंड	37.1	46.6	38.5	36.6	12.9	14.8	13.4	12.8	3.8	4.6	5.3	5.4
9. सिक्किम	51.4	60.3	58.1	57.3	7.8	5.8	5.5	6.0	9.1	6.8	6.2	6.2
10. त्रिपुरा	40.4	36.0	35.5	41.1	16.1	16.3	14.6	13.8	10.7	11.0	10.9	11.3
11. उत्तरांचल	40.5	46.5	36.2	34.5	13.7	16.2	13.0	13.2	28.1	28.7	27.0	27.3
विशेष श्रेणी राज्य	**43.3**	**41.4**	**36.6**	**37.3**	**16.8**	**15.9**	**14.4**	**14.5**	**17.3**	**18.6**	**18.0**	**19.0**
सभी राज्य	**52.5**	**49.4**	**43.7**	**43.2**	**21.6**	**21.5**	**18.9**	**19.0**	**42.3**	**46.3**	**47.7**	**49.0**

रा. प्रा. : राजस्व प्राप्तियां
ब्या.भु : ब्याज भुगतान
रा.व्यय : राजस्व व्यय
गै.वि.रा.व्यय : गैर विकासेतर राजस्व व्यय

विवरण 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक *(समाप्त)*

(प्रतिशत)

राज्य	राज्यों के करेतर राजस्व /राजस्व व्यय				सकल अंतरण /कुल संवितरण				ऋण शोधन /सकल अंतरण			
	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
I. गैर विशेष श्रेणी												
1. आंध्र प्रदेश	12.1	12.0	12.2	11.6	31.3	22.4	27.2	28.7	27.6	62.0	15.7	14.7
2. बिहार	3.0	2.9	1.5	1.6	58.1	67.9	59.2	62.1	17.3	19.6	9.7	9.0
3. छत्तीसगढ़	17.0	17.5	15.4	15.3	30.2	33.2	36.4	37.1	20.4	43.1	7.4	6.5
4. गोवा	41.1	37.5	37.3	49.6	10.4	12.4	16.0	17.8	93.7	57.7	22.2	14.0
5. गुजरात	14.9	12.7	12.4	12.7	20.6	17.3	22.8	21.0	39.1	73.7	22.8	24.2
6. हरियाणा	22.0	22.3	16.5	14.3	11.2	10.1	13.1	15.6	47.1	109.4	19.1	14.9
7. झारखंड	15.8	14.6	14.3	13.2	45.7	40.5	29.2	36.3	17.4	11.9	11.6	10.2
8. कर्नाटक	13.9	17.9	12.8	11.9	24.6	22.1	24.2	24.8	34.6	53.5	7.5	7.6
9. केरल	5.2	4.8	4.2	4.5	19.7	25.6	27.0	27.4	36.6	42.3	19.1	14.4
10. मध्य प्रदेश	7.9	24.8	10.5	9.1	32.4	31.9	35.8	40.5	21.3	32.2	11.2	9.7
11. महाराष्ट्र	8.3	8.1	10.0	11.4	11.3	11.1	13.6	16.7	54.0	79.9	12.8	9.2
12. उड़ीसा	10.1	10.9	9.0	8.6	42.3	48.8	51.7	52.8	30.1	30.5	21.8	15.5
13. पंजाब	29.7	31.2	23.4	25.9	9.2	9.8	21.3	19.0	79.4	108.9	12.9	13.4
14. राजस्थान	11.0	10.8	11.8	11.2	29.9	30.0	32.3	36.3	28.5	58.1	11.1	9.1
15. तमिलनाडु	8.3	7.6	7.3	6.7	19.8	19.5	21.7	20.8	29.9	64.3	9.2	7.8
16. उत्तर प्रदेश	4.5	6.1	4.7	6.5	27.1	37.3	40.3	41.6	27.8	24.5	13.7	9.2
17. प.बंगाल	2.4	4.8	3.6	3.6	22.4	30.7	29.9	32.3	44.2	30.1	21.0	19.8
18. रा.रा.क्षे.दिल्ली	18.7	15.8	18.7	17.5	6.6	6.3	3.9	6.7	187.8	475.4	339.6	237.3
गैर विशेष श्रेणी राज्य	**10.3**	**11.7**	**9.9**	**10.2**	**24.4**	**25.5**	**28.2**	**30.0**	**19.4**	**12.9**	**15.3**	**12.9**
II. विशेष श्रेणी												
1. अरुणाचल प्रदेश	8.7	11.3	13.2	10.4	70.5	64.9	70.5	77.4	16.3	2.0	1.3	1.2
2. असम	11.2	10.5	9.5	9.1	48.3	44.9	54.1	53.4	15.3	16.6	8.5	9.2
3. हिमाचल प्रदेश	5.2	10.5	9.7	10.1	37.0	37.4	51.6	52.4	16.5	15.7	4.5	3.8
4. जम्मू और कश्मीर	5.4	8.4	7.5	8.5	83.4	72.5	70.7	73.3	3.6	5.0	2.0	1.6
5. मणिपुर	3.4	4.2	5.6	6.4	78.8	100.7	79.6	80.5	36.1	18.4	7.0	14.1
6. मेघालय	9.8	8.4	8.4	8.2	66.4	63.6	73.9	81.0	9.1	11.8	4.1	3.4
7. मिजोरम	4.5	5.4	6.4	8.0	73.9	80.0	76.0	80.8	9.3	4.3	3.6	4.1
8. नागालैंड	3.4	4.6	4.0	4.2	78.7	81.2	80.2	83.4	8.7	9.2	7.3	6.2
9. सिक्किम	45.5	57.6	53.9	52.7	50.1	38.6	39.6	42.0	10.1	8.7	5.3	4.9
10. त्रिपुरा	8.1	8.1	2.1	2.2	67.7	75.6	68.6	68.4	7.3	8.3	3.5	3.3
11. उत्तरांचल	8.5	10.9	8.8	10.3	36.9	35.2	46.3	43.6	57.7	2.4	2.1	1.4
विशेष श्रेणी राज्य	**8.7**	**11.2**	**9.8**	**10.2**	**58.1**	**56.2**	**60.6**	**61.2**	**15.6**	**10.1**	**4.7**	**4.9**
सभी राज्य	**10.1**	**11.6**	**9.9**	**10.2**	**27.5**	**28.5**	**31.9**	**33.4**	**29.2**	**39.4**	**13.0**	**11.3**

क.रा. : करेतर राजस्व।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 2 : राजस्व घाटा /अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05 (लेखा)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियां*	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष(+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	28,750	31,307	-2,558	36,271	37,389	-1,118	44,331	45,327	-996
2. अरुणाचल प्रदेश	1,502	1,510	-8	1,925	1,702	222	2,000	1,810	190
3. असम	9,937	10,229	-292	14,285	14,617	-331	15,661	16,096	-435
4. बिहार	15,714	14,638	1,076	19,116	19,269	-153	22,391	21,780	611
5. छत्तीसगढ़	7,249	7,103	146	9,384	8,603	782	10,797	9,597	1,200
6. गोवा	1,820	1,943	-123	2,189	2,259	-70	3,142	3,176	-34
7. गुजरात	20,265	24,302	-4,037	25,129	25,463	-335	26,296	26,276	20
8. हरियाणा	11,149	11,407	-258	12,646	13,249	-603	13,787	14,067	-280
9. हिमाचल प्रदेश	4,635	5,793	-1,158	6,333	6,427	-93	6,521	6,775	-254
10. जम्मू और कश्मीर	9,765	8,188	1,577	11,540	9,724	1,816	12,565	9,630	2,935
11. झारखंड	7,307	8,419	-1,111	8,203	9,756	-1,553	10,144	10,857	-713
12. कर्नाटक	26,570	24,932	1,638	29,685	28,498	1,187	35,875	34,341	1,535
13. केरल	13,500	17,169	-3,669	16,596	21,090	-4,494	19,245	24,555	-5,310
14. मध्य प्रदेश	19,743	18,026	1,717	21,344	21,370	-25	23,480	22,510	970
15. महाराष्ट्र	41,013	51,047	-10,033	52,198	53,617	-1,419	59,146	58,840	306
16. मणिपुर	1,743	1,651	92	2,545	2,063	482	2,792	1,995	797
17. मेघालय	1,546	1,596	-50	2,007	1,876	131	2,458	2,118	340
18. मिजोरम	1,502	1,394	107	1,886	1,705	182	1,709	1,558	151
19. नागालैंड	1,840	1,685	155	2,579	2,118	461	2,716	2,190	526
20. उड़ीसा	11,850	12,372	-522	14,122	14,638	-516	15,465	15,940	-475
21. पंजाब	13,807	17,198	-3,391	17,891	19,604	-1,713	20,040	21,446	-1,406
22. राजस्थान	17,764	19,906	-2,143	20,746	21,611	-865	23,991	24,034	-43
23. सिक्किम	1,892	1,723	169	2,012	1,813	199	2,170	1,923	248
24. तमिलनाडु	28,452	29,155	-703	32,904	33,264	-360	38,732	39,861	-1,129
25. त्रिपुरा	2,577	2,183	394	3,077	2,561	515	3,204	2,763	441
26. उत्तरांचल	4,086	5,036	-950	6,397	6,820	-423	7,441	7,596	-156
27. उत्तर प्रदेश	37,617	44,610	-6,993	46,740	49,872	-3,132	56,144	55,021	1,123
28. प.बंगाल	19,918	28,146	-8,228	24,654	33,252	-8,598	26,703	35,042	-8,339
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	8,563	5,827	2,735	9,838	7,190	2,648	11,199	7,536	3,663
सभी राज्य	**372,075**	**408,497**	**-36,423**	**454,243**	**471,421**	**-17,178**	**520,147**	**524,658**	**-4,511**

* इसमें राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2006-07 (ब.अ.) के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानित प्राप्ति के 273 करोड़ रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 3 : परंपरागत घाटा/अधिशेष

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)			2004-05 (लेखा)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	सकल प्राप्तियां	सकल व्यय	परंपरागत अधिशेष(+)/ घाटा (-)	सकल प्राप्तियां	सकल व्यय	परंपरागत अधिशेष(+)/ घाटा (-)	सकल प्राप्तियां	सकल व्यय	परंपरागत अधिशेष(+)/ घाटा (-)	सकल प्राप्तियां	सकल व्यय	परंपरागत अधिशेष(+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	41,113	40,120	992	48,127	47,153	974	48,331	48,681	-350	60,644	60,674	-30
2. अरुणाचल प्रदेश	1,902	2,192	-290	1,792	2,085	-293	2,545	2,409	136	2,340	2,384	-44
3. असम	10,905	10,596	309	14,434	14,745	-311	16,776	18,015	-1,239	17,900	19,734	-1,834
4. बिहार	18,953	19,134	-181	21,924	20,055	1,869	24,371	25,167	-796	27,570	28,221	-651
5. छत्तीसगढ़	8,593	8,951	-358	9,722	9,647	75	10,986	11,130	-145	12,531	12,617	-86
6. गोवा	2,421	2,416	5	2,687	2,541	145	2,974	2,974	0	3,993	4,001	-8
7. गुजरात	33,185	32,986	200	34,960	34,900	60	34,784	34,219	565	35,774	35,733	41
8. हरियाणा	15,615	15,122	494	15,586	14,442	1,144	15,932	15,118	814	18,106	16,375	1,732
9. हिमाचल प्रदेश	8,143	8,096	47	8,337	8,034	302	8,736	8,589	147	8,533	8,542	-9
10. जम्मू और कश्मीर	8,853	8,817	37	11,163	11,127	36	13,467	13,467	0	14,079	14,176	-97
11. झारखंड	9,233	9,738	-505	10,931	11,635	-705	10,536	13,417	-2,881	15,144	15,395	-251
12. कर्नाटक	29,118	29,267	-149	35,990	34,246	1,743	36,617	35,338	1,279	39,062	42,085	-3,023
13. केरल	19,529	19,769	-240	20,740	20,276	464	23,538	23,784	-246	28,193	28,200	-7
14. मध्य प्रदेश	23,844	23,923	-79	29,840	29,413	427	29,570	29,864	-294	29,813	29,593	220
15. महाराष्ट्र	61,643	61,034	609	72,074	72,668	-594	76,713	71,224	5,490	78,825	69,974	8,851
16. मणिपुर	2,134	2,320	-186	2,931	2,600	332	3,094	2,933	161	3,047	3,180	-133
17. मेघालय	1,654	1,770	-116	2,015	2,070	-56	2,441	2,311	130	2,897	2,643	254
18. मिजोरम	1,954	1,826	128	1,877	1,817	60	2,283	2,299	-16	2,052	1,906	146
19. नागालैंड	1,990	2,384	-394	2,248	2,276	-28	3,063	3,095	-33	3,238	3,124	114
20. उड़ीसा	15,916	15,565	351	16,567	15,886	681	17,881	17,855	26	19,147	19,054	93
21. पंजाब	19,986	20,335	-349	21,342	20,994	348	24,296	22,408	1,887	25,654	25,273	380
22. राजस्थान	26,224	25,869	355	29,533	28,907	626	27,511	27,933	-422	30,681	30,620	61
23. सिक्किम	1,456	1,477	-21	2,245	2,161	84	2,200	2,338	-138	2,417	2,481	-64
24. तमिलनाडु	34,914	33,765	1,149	42,493	41,780	713	41,696	40,726	970	50,020	50,014	6
25. त्रिपुरा	2,666	2,764	-97	3,327	2,984	343	3,816	4,002	-186	3,921	4,142	-221
26. उत्तरांचल	6,004	6,206	-202	6,316	6,366	-50	8,930	9,022	-92	10,194	10,625	-431
27. उत्तर प्रदेश	69,277	69,441	-165	59,392	59,124	267	61,592	62,069	-478	71,489	71,350	139
28. प.बंगाल	37,604	38,421	-817	35,068	33,494	1,574	44,092	43,366	725	43,466	42,668	799
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	12,269	11,720	549	13,102	12,875	227	14,609	14,000	609	11,386	13,345	-1,959
सभी राज्य	**527,097**	**526,023**	**1,074**	**576,762**	**566,303**	**10,459**	**613,379**	**607,753**	**5,625**	**672,116**	**668,129**	**3,986**

* इसमें राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2006-07 (ब.अ.) के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानित निवल प्राप्ति के 273 करोड़ रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज ।

विवरण 4: सकल राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05 (लेखा)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष(+)/ घाटा (-)	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष(+)/ घाटा (-)	प्राप्तियां	व्यय	अधिशेष(+)/ घाटा (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	28,750	36,942	8,192	36,271	45,061	8,790	45,331	55,528	10,197
2. अरुणाचल प्रदेश	1,502	1,888	386	1,925	2,267	343	2,000	2,126	126
3. असम	9,937	11,995	2,057	14,285	17,338	3,053	15,661	18,981	3,319
4. बिहार	15,714	16,956	1,242	19,116	24,154	5,039	22,391	26,973	4,582
5. छत्तीसगढ़	7,249	8,480	1,232	9,384	10,699	1,315	10,797	12,236	1,439
6. गोवा	1,820	2,371	551	2,189	2,876	687	3,142	3,903	761
7. गुजरात	20,265	28,961	8,696	25,129	31,778	6,649	26,296	33,162	6,866
8. हरियाणा	11,149	12,355	1,206	12,646	14,518	1,873	13,787	15,595	1,808
9. हिमाचल प्रदेश	4,635	6,445	1,810	6,333	7,272	938	6,521	7,523	1,002
10. जम्मू और कश्मीर	9,765	10,772	1,008	11,540	13,128	1,588	12,565	13,744	1,179
11. झारखंड	7,307	10,955	3,648	8,203	13,121	4,918	10,144	15,009	4,865
12. कर्नाटक	26,570	30,170	3,600	29,685	34,449	4,764	35,875	41,086	5,211
13. केरल	13,500	17,952	4,452	16,596	22,469	5,873	19,245	26,675	7,430
14. मध्य प्रदेश	19,743	26,235	6,492	21,344	26,113	4,769	23,480	28,354	4,874
15. महाराष्ट्र	41,013	59,633	18,620	52,198	68,670	16,472	59,146	67,565	8,419
16. मणिपुर	1,743	2,192	449	2,545	2,864	319	2,792	2,900	108
17. मेघालय	1,546	1,859	313	2,007	2,222	216	2,458	2,544	86
18. मिजोरम	1,502	1,736	234	1,886	2,216	329	1,709	1,814	105
19. नागालैंड	1,840	2,058	218	2,579	2,862	283	2,716	2,880	164
20. उड़ीसा	11,850	13,216	1,366	14,122	15,536	1,414	15,465	17,141	1,676
21. पंजाब	13,807	17,843	4,036	17,891	21,553	3,662	20,040	23,633	3,593
22. राजस्थान	17,764	23,910	6,146	20,746	26,815	6,069	23,991	29,132	5,141
23. सिक्किम	1,892	2,078	186	2,012	2,291	279	2,170	2,441	270
24. तमिलनाडु	28,452	34,021	5,570	32,904	38,348	5,444	38,732	45,963	7,231
25. त्रिपुरा	2,577	2,817	240	3,077	3,585	509	3,204	3,810	606
26. उत्तरांचल	4,086	6,257	2,171	6,397	8,833	2,436	7,441	10,278	2,838
27. उत्तर प्रदेश	37,617	50,615	12,998	46,740	59,908	13,168	56,144	68,856	12,712
28. प.बंगाल	19,918	30,571	10,653	24,654	35,880	11,226	26,703	38,728	12,025
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	8,563	10,046	1,483	9,838	11,304	1,466	11,199	12,179	980
सभी राज्य	**372,075**	**481,332**	**109,257**	**454,243**	**568,131**	**113,888**	**521,147**	**630,757**	**109,610**

* इसमें राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2006-07 (ब.अ.) के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानित निवल प्राप्ति के 273 करोड़ रुपए शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े जम्मू और कश्मीर, झारखंड के संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2006-07 (ब.अ.) के आंध्रप्रदेश राज्य सरकार की प्राप्तियों के अंतर्गत 1,000 करोड रुपए की विनिवेश आय को भी शामिल किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का अलग-अलग ब्योरा

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05 (लेखा)				2005-06 (संशोधित अनुमान)				2006-07 (बजट अनुमान)			
	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	2,558 (31.2)	5,414 (66.1)	220 (2.7)	8,192	1,118 (12.7)	7,223 (82.2)	449 (5.1)	8,790	996 (9.8)	10,065 (98.7)	136 (1.3)	10,197
2. अरुणाचल प्रदेश	8 (2.0)	375 (97.1)	3 (0.9)	386	-222 (-64.8)	562 (164.0)	3 (0.8)	343	-190 (-151.5)	312 (248.0)	4 (3.5)	126
3. असम	292 (14.2)	2,181 (106.0)	-415 (-20.2)	2,057	331 (10.9)	2,565 (84.0)	156 (5.1)	3,053	435 (13.1)	2,780 (83.7)	105 (3.2)	3,319
4. बिहार	-1,076 (-86.6)	1,205 (97.0)	1,113 (89.6)	1,242	153 (3.0)	3,307 (65.6)	1,579 (31.3)	5,039	-611 (-13.3)	4,912 (107.2)	281 (6.1)	4,582
5. छत्तीसगढ़	-146 (-11.8)	1,279 (103.9)	98 (8.0)	1,232	-782 (-59.5)	1,763 (134.1)	334 (25.4)	1,315	-1,200 (-83.4)	2,632 (182.9)	7 (0.5)	1,439
6. गोवा	123 (22.4)	426 (77.3)	2 (0.3)	551	70 (10.1)	618 (89.9)	-1 (-0.1)	687	34 (4.5)	728 (95.7)	-1 (-0.2)	761
7. गुजरात	4,037 (46.4)	4,100 (47.1)	559 (6.4)	8,696	335 (5.0)	5,816 (87.5)	499 (7.5)	6,649	-20 (-0.3)	6,504 (94.7)	383 (5.6)	6,866
8. हरियाणा	258 (21.4)	897 (74.4)	51 (4.2)	1,206	603 (32.2)	1,230 (65.7)	39 (2.1)	1,873	280 (15.5)	1,527 (84.4)	1 (0.1)	1,808
9. हिमाचल प्रदेश	1,158 (64.0)	654 (36.1)	-2 (-0.1)	1,810	93 (10.0)	836 (89.1)	9 (0.9)	938	254 (25.4)	760 (75.8)	-12 (-1.2)	1,002
10. जम्मू और कश्मीर	-1,577 (-156.4)	2,536 (251.6)	49 (4.8)	1,008	-1,816 (-114.4)	3,362 (211.7)	42 (2.7)	1,588	-2,935 (-248.9)	4,017 (340.7)	97 (8.2)	1,179
11. झारखंड	1,111 (30.5)	2,012 (55.2)	524 (14.4)	3,648	1,553 (31.6)	2,222 (45.2)	1,143 (23.2)	4,918	713 (14.7)	2,734 (56.2)	1,418 (29.1)	4,865
12. कर्नाटक	-1,638 (-45.5)	4,674 (129.8)	565 (15.7)	3,600	-1,187 (-24.9)	5,647 (118.5)	304 (6.4)	4,764	-1,535 (-29.5)	6,554 (125.8)	192 (3.7)	5,211
13. केरल	3,669 (82.4)	682 (15.3)	101 (2.3)	4,452	4,494 (76.5)	804 (13.7)	575 (9.8)	5,873	5,310 (71.5)	1,399 (18.8)	721 (9.7)	7,430
14. मध्य प्रदेश	-1,717 (-26.4)	4,951 (76.3)	3,258 (50.2)	6,492	25 (0.5)	6,853 (143.7)	-2,110 (-44.2)	4,769	-970 (-19.9)	5,169 (106.1)	675 (13.9)	4,874
15. महाराष्ट्र	10,033 (53.9)	7,877 (42.3)	710 (3.8)	18,620	1,419 (8.6)	11,118 (67.5)	3,934 (23.9)	16,472	-306 (-3.6)	7,519 (89.3)	1,206 (14.3)	8,419
16. मणिपुर	-92 (-20.4)	521 (116.0)	20 (4.4)	449	-482 (-150.9)	741 (232.0)	60 (18.9)	319	-797 (-739.6)	839 (778.4)	66 (61.1)	108

विवरण 5: सकल राजकोषीय घाटे का अलग-अलग ब्योरा *(समाप्त)*

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05 (लेखा)				2005-06 (संशोधित अनुमान)				2006-07 (बजट अनुमान)			
	राजस्व घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार	स.रा.घा.	राजस्व घाटा घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार उधार	स.रा.घा.	राजस्व घाटा घाटा	पूंजीगत परिव्यय	निवल उधार उधार	स.रा.घा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17. मेघालय	50 (16.0)	246 (78.4)	17 (5.6)	313	-131 (-60.6)	316 (146.2)	31 (14.4)	216	-340 (-397.6)	401 (468.5)	25 (29.1)	86
18. मिजोरम	-107 (-45.9)	330 (140.7)	12 (5.2)	234	-182 (-55.1)	494 (150.1)	17 (5.0)	329	-151 (-143.7)	241 (229.5)	15 (14.1)	105
19. नागालैंड	-155 (-70.9)	379 (173.8)	-6 (-2.8)	218	-461 (-163.1)	746 (263.8)	-2 (0.7)	283	-526 (-321.8)	690 (421.7)	– (0.1)	164
20. उड़ीसा	522 (38.2)	1,056 (77.3)	-212 (-15.5)	1,366	516 (36.5)	1,067 (75.5)	-170 (-12.0)	1,414	475 (28.3)	1,349 (80.5)	-148 (-8.8)	1,676
21. पंजाब	3,391 (84.0)	682 (16.9)	-37 (0.9)	4,036	1,713 (46.8)	1,980 (54.1)	-31 (-0.9)	3,662	1,406 (39.1)	2,376 (66.1)	-190 (-5.3)	3,593
22. राजस्थान	2,143 (34.9)	3,488 (56.8)	515 (8.4)	6,146	865 (14.3)	4,689 (77.3)	515 (8.5)	6,069	43 (0.8)	5,024 (97.7)	74 (1.4)	5,141
23. सिक्किम	-169 (-91.0)	354 (190.5)	1 (0.5)	186	-199 (-71.3)	478 (171.5)	-1 (0.2)	279	-248 (-91.7)	518 (191.9)	-1 (-0.2)	270
24. तमिलनाडु	703 (12.6)	4,564 (81.9)	302 (5.4)	5,570	360 (6.6)	4,846 (89.0)	238 (4.4)	5,444	1,129 (15.6)	6,432 (88.9)	-330 (-4.6)	7,231
25. त्रिपुरा	-394 (-164.1)	637 (264.9)	-2 (-0.8)	240	-515 (-101.3)	1,023 (201.2)	– (0.1)	509	-441 (-72.8)	1,046 (172.6)	1 (0.2)	606
26. उत्तरांचल	950 (43.8)	1,127 (51.9)	94 (4.3)	2,171	423 (17.4)	1,897 (77.9)	115 (4.7)	2,436	156 (5.5)	2,536 (89.4)	146 (5.2)	2,838
27. उत्तर प्रदेश	6,993 (53.8)	5,653 (43.5)	351 (2.7)	12,998	3,132 (23.8)	9,718 (73.8)	318 (2.4)	13,168	-1,123 (-8.8)	13,437 (105.7)	397 (3.1)	12,712
28. प.बंगाल	8,228 (77.2)	1,835 (17.2)	591 (5.5)	10,653	8,598 (76.6)	1,844 (16.4)	784 (7.0)	11,226	8,339 (69.3)	2,042 (17.0)	1,643 (13.7)	12,025
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	-2,735 (-184.4)	1,426 (96.1)	2,793 (188.3)	1,483	-2,648 (-180.7)	1,584 (108.0)	2,530 (172.6)	1,466	-3,663 (-373.6)	1,963 (200.2)	2,680 (273.4)	980
सभी राज्य	**36,423 (33.3)**	**61,559 (56.3)**	**11,276 (10.3)**	**109,257**	**17,178 (15.1)**	**85,350 (74.9)**	**11,361 (10.0)**	**113,888**	**4,511 (4.1)**	**96,506 (88.0)**	**9,593 (8.8)**	**109,610**

'–' घाटा संकेतेकों में अधिशेष दर्शाता है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) के प्रतिशत दर्शाते हैं ।

2. वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

3. वर्ष 2006-07 (ब.अ.) में आंध्र प्रदेश सरकार का सकल राजकोषीय घाटा 1000.00 करोड़ रु. के विनिवेश से समायोजित किया है। इसलिए अलग-अलग ब्योरे 2006-07 (ब.अ.) के सकल राजकोषीय घाटे के समान नही होंगे।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 6 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण 2004-05 (लेखा)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / (एनएसएस एफ)	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा (-)	अन्य [13-जोड (2-11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	2,880	-2,537	4,835	1,287	259	20	2,096	-1,100	504	974	-1,025	8,192
2. अरुणाचल प्रदेश	22	45	27	13	36	–	-5	39	-1	-293	505	386
3. असम	1,648	-245	414	-34	380	191	-24	-564	2	-311	599	2,057
4. बिहार	1,557	140	1,196	54	477	77	-39	-1,875	6	1,869	-2,220	1,242
5. छत्तीसगढ़	321	-590	873	154	7	52	214	264	-39	75	-99	1,232
6. गोवा	118	-36	460	-6	40	–	–	81	36	145	-288	551
7. गुजरात	1,841	-931	6,812	-78	167	-402	865	411	4	60	-51	8,696
8. हरियाणा	929	-846	1,526	-190	288	74	243	303	-15	1,144	-2,251	1,206
9. हिमाचल प्रदेश	851	34	1	-116	252	-69	886	-27	-52	302	-253	1,810
10. जम्मू और कश्मीर	37	185	300	235	302	119	-223	36	–	36	-21	1,008
11. झारखंड	338	848	681	247	175	3	137	52	-18	-705	1,889	3,648
12. कर्नाटक	2,116	-1,206	3,741	-159	304	465	-562	265	109	1,743	-3,215	3,600
13. केरल	1,376	-45	2,623	398	593	122	-82	97	21	464	-1,116	4,452
14. मध्य प्रदेश	1,453	-72	2,741	-554	383	336	29	172	16	427	1,561	6,492
15. महाराष्ट्र	3,887	-2,607	10,572	-747	397	3,018	1,598	1,251	469	-594	1,375	18,620
16. मणिपुर	69	645	33	–	-11	-1	108	10	-62	332	-674	449
17. मेघालय	125	3	55	-37	35	6	18	36	1	-56	128	313
18. मिजोरम	79	48	25	-10	92	9	68	-47	19	60	-108	234
19. नागालैंड	139	40	10	17	11	–	42	-45	-46	-28	77	218
20. उड़ीसा	899	143	1,154	-283	558	-105	-234	-13	–	681	-1,434	1,366
21. पंजाब	1,659	-1,002	2,623	-59	401	427	209	4	2	348	-576	4,036
22. राजस्थान	2,076	-865	3,856	214	817	335	163	-12	10	626	-1,075	6,146
23. सिक्किम	36	11	32	-16	23	3	3	54	74	84	-119	186
24. तमिलनाडु	2,249	-2,857	5,834	-1,315	-447	-205	1,383	426	-48	713	-165	5,570
25. त्रिपुरा	233	-17	193	21	164	8	23	-2	-13	343	-712	240
26. उत्तरांचल	309	125	968	129	114	33	169	171	99	-50	106	2,171
27. उत्तर प्रदेश	3,292	825	2,943	885	1,734	2,251	-206	1,003	94	267	-91	12,998
28. प.बंगाल	4,019	982	9,662	-21	279	358	1,194	-3,614	67	1,574	-3,848	10,653
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	-2,023	3,732	–	–	–	–	–	–	227	-453	1,483
कुल	**34,559**	**-11,804**	**67,924**	**26**	**7,829**	**7,127**	**8,074**	**-2,623**	**1,240**	**10,459**	**-13,554**	**109,257**

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1 परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में आंतरिक ऋण की चुकौती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया है । अतः इस राज्य के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तीय मदें निवल आधार पर नहीं है सिवाय 'अन्य' के।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

विवरण 7 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल 2004-05 (लेखा) के प्रतिशत के अनुसार

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / एनएसएसएफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा / (-)	अन्य [13-जोड (2-11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	35.2	-31.0	59.0	15.7	3.2	0.2	25.6	-13.4	6.1	11.9	-12.5	100.0
2. अरुणाचल प्रदेश	5.7	11.5	7.1	3.3	9.2	–	-1.3	10.0	-0.3	-75.9	130.6	100.0
3. असम	80.1	-11.9	20.1	-1.7	18.5	9.3	-1.2	-27.4	0.1	-15.1	29.1	100.0
4. बिहार	125.4	11.2	96.3	4.4	38.4	6.2	-3.2	-151.0	0.5	150.5	-178.8	100.0
5. छत्तीसगढ़	26.0	-47.9	70.9	12.5	0.6	4.2	17.4	21.4	-3.2	6.1	-8.1	100.0
6. गोवा	21.5	-6.5	83.5	-1.1	7.3	–	-0.1	14.7	6.5	26.4	-52.3	100.0
7. गुजरात	21.2	-10.7	78.3	-0.9	1.9	-4.6	9.9	4.7	–	0.7	-0.6	100.0
8. हरियाणा	77.0	-70.2	126.6	-15.7	23.9	6.1	20.1	25.2	-1.2	94.9	-186.7	100.0
9. हिमाचल प्रदेश	47.0	1.9	0.1	-6.4	13.9	-3.8	49.0	-1.5	-2.9	16.7	-14.0	100.0
10. जम्मू और कश्मीर	3.7	18.3	29.8	23.4	29.9	11.8	-22.1	3.6	–	3.6	-2.1	100.0
11. झारखंड	9.3	23.2	18.7	6.8	4.8	0.1	3.8	1.4	-0.5	-19.3	51.8	100.0
12. कर्नाटक	58.8	-33.5	103.9	-4.4	8.4	12.9	-15.6	7.4	3.0	48.4	-89.3	100.0
13. केरल	30.9	-1.0	58.9	8.9	13.3	2.8	-1.8	2.2	0.5	10.4	-25.1	100.0
14. मध्य प्रदेश	22.4	-1.1	42.2	-8.5	5.9	5.2	0.4	2.6	0.2	6.6	24.1	100.0
15. महाराष्ट्र	20.9	-14.0	56.8	-4.0	2.1	16.2	8.6	6.7	2.5	-3.2	7.4	100.0
16. मणिपुर	15.4	143.6	7.3	–	-2.4	-0.1	24.1	2.3	-13.8	73.8	-150.1	100.0
17. मेघालय	39.8	1.0	17.6	-11.9	11.1	2.0	5.7	11.4	0.4	-17.8	40.7	100.0
18. मिजोरम	33.8	20.6	10.5	-4.3	39.2	3.9	29.0	-20.1	8.2	25.5	-46.2	100.0
19. नागालैंड	63.6	18.4	4.6	7.8	5.1	–	19.4	-20.6	-21.2	-12.7	35.5	100.0
20. उड़ीसा	65.8	10.4	84.5	-20.7	40.9	-7.7	-17.1	-0.9	–	49.9	-104.9	100.0
21. पंजाब	41.1	-24.8	65.0	-1.5	9.9	10.6	5.2	0.1	0.1	8.6	-14.3	100.0
22. राजस्थान	33.8	-14.1	62.7	3.5	13.3	5.5	2.6	-0.2	0.2	10.2	-17.5	100.0
23. सिक्किम	19.4	5.8	17.1	-8.4	12.4	1.9	1.9	29.0	40.1	45.2	-64.4	100.0
24. तमिलनाडु	40.4	-51.3	104.7	-23.6	-8.0	-3.7	24.8	7.7	-0.9	12.8	-3.0	100.0
25. त्रिपुरा	96.9	-7.0	80.3	8.6	68.2	3.3	9.7	-0.9	-5.5	142.5	-296.3	100.0
26. उत्तर प्रदेश	14.2	5.8	44.6	5.9	5.2	1.5	7.8	7.9	4.5	-2.3	4.9	100.0
27. उत्तरांचल	25.3	6.4	22.6	6.8	13.3	17.3	-1.6	7.7	0.7	2.1	-0.7	100.0
28. प.बंगाल	37.7	9.2	90.7	-0.2	2.6	3.4	11.2	-33.9	0.6	14.8	-36.1	100.0
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	-136.4	251.6	–	–	–	–	–	–	15.3	-30.5	100.0
कुल	**31.6**	**-10.8**	**62.2**	**–**	**7.2**	**6.5**	**7.4**	**-2.4**	**1.1**	**9.6**	**-12.4**	**100.0**

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1 परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में आंतरिक ऋण की चुकौती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया है । अतः इस राज्य के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तीय मदें निवल आधार पर नहीं है सिवाय 'अन्य' के।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 8: सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2005-06 (सं.अ.)

(करोड़ रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से ऋण	अल्प बचत / एनएसएसएफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि और अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा/ (-)	अन्य [13-जोड (2-11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	1,383	609	4,606	1,078	377	125	-425	–	–	-350	1,388	8,790
2. अरुणाचल प्रदेश	23	73	238	51	71	–	–	–	–	136	-250	343
3. असम	718	-148	613	98	655	-93	–	–	–	-1,239	2,448	3,053
4. बिहार	1,468	-420	2,375	438	20	–	-335	42	260	-796	1,987	5,039
5. छत्तीसगढ़	14	–	887	34	57	5	121	34	15	-145	294	1,315
6. गोवा	93	69	500	-6	35	–	16	–	–	–	-19	687
7. गुजरात	345	483	5,841	-23	–	-150	–	–	–	565	-412	6,649
8. हरियाणा	387	-68	1,534	149	342	30	153	117	–	814	-1,586	1,873
9. हिमाचल प्रदेश	381	68	790	187	290	–	–	113	–	147	-1,037	938
10. जम्मू और कश्मीर	152	206	600	323	536	98	-250	15	–	–	-92	1,588
11. झारखंड	106	-135	503	593	173	–	133	52	-18	-2,881	6,391	4,918
12. कर्नाटक	172	1,574	4,216	19	359	-13	-685	-30	30	1,279	-2,157	4,764
13. केरल	1,284	350	2,952	519	670	-16	-163	-45	-63	-246	630	5,873
14. मध्य प्रदेश	1,235	102	2,774	517	50	10	-29	-101	-40	-294	545	4,769
15. महाराष्ट्र	1,442	-19	15,389	883	491	1,014	956	1,068	839	5,490	-11,080	16,472
16. मणिपुर	134	-42	35	2	180	–	185	-11	1	161	-327	319
17. मेघालय	81	66	48	27	45	–	41	31	12	130	-266	216
18. मिजोरम	100	-5	30	48	97	-6	5	1	5	-16	72	329
19. नागालैंड	214	-24	23	34	21	–	-54	–	–	-33	101	283
20. उड़ीसा	265	154	678	223	468	–	-248	-7	-6	26	-140	1,414
21. पंजाब	1,937	-125	3,562	-307	560	323	-311	11	-69	1,887	-3,806	3,662
22. राजस्थान	647	156	3,499	232	814	-81	37	-1	–	-422	1,188	6,069
23. सिक्किम	91	-12	34	5	23	–	–	–	–	-138	276	279
24. तमिलनाडु	1,243	245	5,021	308	8	-38	-16	201	-8	970	-2,489	5,444
25. त्रिपुरा	119	-29	157	23	141	–	31	-5	–	-186	257	509
26. उत्तरांचल	233	197	1,100	187	123	152	271	61	–	-92	205	2,436
27. उत्तर प्रदेश	3,096	-779	7,037	-50	2,131	1,802	599	-1,400	–	-478	1,208	13,168
28. प.बंगाल	1,267	-178	7,199	-5	307	89	-731	3,669	–	725	-1,116	11,226
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	-165	2,240	–	–	–	–	–	–	609	-1,218	1,466
कुल	**18,630**	**2,205**	**74,483**	**5,588**	**9,042**	**3,250**	**-702**	**3,814**	**957**	**5,625**	**-9,005**	**113,888**

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1 परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में आंतरिक ऋण की चुकौती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया है । अतः इस राज्य के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तीय मदें निवल आधार पर नहीं है सिवाय 'अन्य' के।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 9 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल 2005-06 (लेखा) के प्रतिशत के अनुसार (सं.अ)

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से से ऋण	अल्प बचत / एनएसएसएफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा / (-)	अन्य [13-जोड (2-11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	15.7	6.9	52.4	12.3	4.3	1.4	-4.8	–	–	-4.0	15.8	100.0
2. अरुणाचल प्रदेश	6.8	21.2	69.4	14.9	20.8	–	–	–	–	39.8	-73.0	100.0
3. असम	23.5	-4.8	20.1	3.2	21.5	-3.1	–	–	–	-40.6	80.2	100.0
4. बिहार	29.1	-8.3	47.1	8.7	0.4	–	-6.6	0.8	5.2	-15.8	39.4	100.0
5. छत्तीसगढ़	1.0	–	67.4	2.6	4.3	0.3	9.2	2.6	1.1	-11.0	22.3	100.0
6. गोवा	13.5	10.1	72.7	-0.9	5.1	–	2.3	–	–	–	-2.8	100.0
7. गुजरात	5.2	7.3	87.8	-0.4	–	-2.3	–	–	–	8.5	-6.2	100.0
8. हरियाणा	20.7	-3.6	81.9	8.0	18.3	1.6	8.2	6.3	–	43.5	-84.7	100.0
9. हिमाचल प्रदेश	40.6	7.2	84.2	19.9	30.9	–	–	12.0	–	15.6	-110.5	100.0
10. जम्मू और कश्मीर	9.6	13.0	37.8	20.3	33.8	6.2	-15.8	0.9	–	–	-5.8	100.0
11. झारखंड	2.2	-2.7	10.2	12.1	3.5	–	2.7	1.1	-0.4	-58.6	129.9	100.0
12. कर्नाटक	3.6	33.0	88.5	0.4	7.5	-0.3	-14.4	-0.6	0.6	26.8	-45.3	100.0
13. केरल	21.9	6.0	50.3	8.8	11.4	-0.3	-2.8	-0.8	-1.1	-4.2	10.7	100.0
14. मध्य प्रदेश	25.9	2.1	58.2	10.8	1.0	0.2	-0.6	-2.1	-0.8	-6.2	11.4	100.0
15. महाराष्ट्र	8.8	-0.1	93.4	5.4	3.0	6.2	5.8	6.5	5.1	33.3	-67.3	100.0
16. मणिपुर	41.9	-13.1	11.1	0.7	56.4	–	57.9	-3.4	0.3	50.5	-102.4	100.0
17. मेघालय	37.4	30.7	22.4	12.7	20.8	–	18.9	14.5	5.7	60.2	-123.2	100.0
18. मिजोरम	30.3	-1.5	9.0	14.7	29.5	-1.9	1.4	0.2	1.4	-4.9	21.9	100.0
19. नागालैंड	75.8	-8.6	8.3	12.0	7.3	–	-19.0	–	–	-11.6	35.9	100.0
20. उड़ीसा	18.8	10.9	48.0	15.7	33.1	–	-17.6	-0.5	-0.4	1.9	-9.9	100.0
21. पंजाब	52.9	-3.4	97.3	-8.4	15.3	8.8	-8.5	0.3	-1.9	51.5	-103.9	100.0
22. राजस्थान	10.7	2.6	57.7	3.8	13.4	-1.3	0.6	–	–	-6.9	19.6	100.0
23. सिक्किम	32.6	-4.3	12.2	1.9	8.2	–	–	–	–	-49.4	98.9	100.0
24. तमिलनाडु	22.8	4.5	92.2	5.7	0.1	-0.7	-0.3	3.7	-0.2	17.8	-45.7	100.0
25. त्रिपुरा	23.4	-5.7	30.9	4.5	27.7	–	6.0	-0.9	–	-36.5	50.5	100.0
26. उत्तरांचल	9.6	8.1	45.2	7.7	5.0	6.2	11.1	2.5	–	-3.8	8.4	100.0
27. उत्तर प्रदेश	23.5	-5.9	53.4	-0.4	16.2	13.7	4.5	-10.6	–	-3.6	9.2	100.0
28. प.बंगाल	11.3	-1.6	64.1	–	2.7	0.8	-6.5	32.7	–	6.5	-9.9	100.0
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	-11.3	152.8	–	–	–	–	–	–	41.5	-83.1	100.0
कुल	**16.4**	**1.9**	**65.4**	**4.9**	**7.9**	**2.9**	**-0.6**	**3.3**	**0.8**	**4.9**	**-7.9**	**100.0**

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1 परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में आंतरिक ऋण की चुकौती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया है । अतः इस राज्य के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तीय मदें निवल आधार पर नहीं है सिवाय 'अन्य' के।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 10 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - 2006-07 (ब.अ.)

(करोड रुपए)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से से ऋण	अल्प बचत / एनएसएसएफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा / (-)	अन्य [13-जोड (2-11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	1,383	1,218	4,987	803	519	202	-272	–	–	-30	1,387	10,197
2. अरुणाचल प्रदेश	26	75	-29	51	43	–	–	–	–	-44	5	126
3. असम	691	-190	543	97	414	–	–	–	–	-1,834	3,597	3,319
4. बिहार	1,981	-477	2,335	572	100	–	-390	–	–	-651	1,112	4,582
5. छत्तीसगढ़	5	33	871	181	57	123	92	–	15	-86	148	1,439
6. गोवा	120	183	396	9	30	–	16	–	–	-8	15	761
7. गुजरात	238	280	5,960	-44	–	-350	–	–	–	41	741	6,866
8. हरियाणा	451	233	1,098	194	340	16	102	1,146	–	1,732	-3,503	1,808
9. हिमाचल प्रदेश	423	81	366	170	225	–	–	–	–	-9	-255	1,002
10. जम्मू और कश्मीर	167	381	300	200	477	-2	-259	5	–	-97	6	1,179
11. झारखंड	253	-249	1,476	997	218	–	133	52	-18	-251	2,253	4,865
12. कर्नाटक	-234	715	485	492	450	506	-685	-30	30	-3,023	6,504	5,211
13. केरल	1,412	703	2,930	678	1,539	-17	-25	-2	-62	-7	281	7,430
14. मध्य प्रदेश	2,496	173	2,083	606	50	10	-91	–	-55	220	-619	4,874
15. महाराष्ट्र	1,268	292	5,226	1,058	607	1,615	1,195	3,759	2,158	8,851	-17,610	8,419
16. मणिपुर	198	-245	242	4	-15	–	-225	9	10	-133	263	108
17. मेघालय	81	102	52	25	49	–	26	27	-18	254	-511	86
18. मिजोरम	88	-12	32	40	105	-1	–	–	–	146	-293	105
19. नागालैंड	234	-20	12	33	8	–	-20	–	–	114	-198	164
20. उड़ीसा	1,246	721	-138	301	200	-20	-407	-11	-7	93	-302	1,676
21. पंजाब	1,011	-130	3,418	-449	400	74	-128	11	-69	380	-926	3,593
22. राजस्थान	1,691	391	1,625	286	682	15	187	–	–	61	202	5,141
23. सिक्किम	136	-9	33	13	29	6	–	–	–	-64	125	270
24. तमिलनाडु	2,340	1,043	4,085	756	28	9	-360	93	-8	6	-760	7,231
25. त्रिपुरा	84	-29	158	60	140	–	1	–	–	-221	414	606
26. उत्तरांचल	457	21	1,166	146	84	160	262	45	–	-431	928	2,838
27. उत्तर प्रदेश	3,247	-612	7,660	263	1,622	1,983	250	-1,500	–	139	-341	12,712
28. प.बंगाल	1,267	153	11,768	-12	338	36	-554	–	–	799	-1,769	12,025
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	-979	–	–	–	–	–	–	-1,959	3,919	980
कुल	**22,762**	**4,827**	**58,162**	**7,531**	**8,739**	**4,365**	**-1,154**	**3,602**	**1,975**	**3,986**	**-5,186**	**109,610**

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1. परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में आंतरिक ऋण की चुकौती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया है । अतः इस राज्य के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तीय मदें निवल आधार पर नहीं है सिवाय 'अन्य' के।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 11 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण - कुल 2006-07 (ब.अ) के प्रतिशत के अनुसार

(प्रतिशत)

राज्य	बाजार उधार	केंद्र से से ऋण	अल्प बचत / एनएसएसएफ	एलआइसी, नाबार्ड, एनसीडीसी, एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	राज्य भविष्य निधि	आरक्षित निधि	जमाराशि अग्रिम राशि	उचंत और विविध	विप्रेषण	समग्र अधिशेष (+)/ घाटा (-)	अन्य [13-जोड (2-11)]	सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) (कॉ 2 से 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	13.6	11.9	48.9	7.9	5.1	2.0	-2.7	–	–	-0.3	13.6	100.0
2. अरुणाचल प्रदेश	20.5	59.3	-23.3	40.7	34.1	–	–	–	–	-35.0	3.8	100.0
3. असम	20.8	-5.7	16.4	2.9	12.5	–	–	–	–	-55.3	108.4	100.0
4. बिहार	43.2	-10.4	51.0	12.5	2.2	–	-8.5	–	–	-14.2	24.3	100.0
5. छत्तीसगढ़	0.3	2.3	60.5	12.6	3.9	8.6	6.4	–	1.0	-6.0	10.3	100.0
6. गोवा	15.8	24.0	52.1	1.1	3.9	–	2.0	–	–	-1.0	1.9	100.0
7. गुजरात	3.5	4.1	86.8	-0.6	–	-5.1	–	–	–	0.6	10.8	100.0
8. हरियाणा	24.9	12.9	60.7	10.7	18.8	0.9	5.6	63.3	–	95.8	-193.7	100.0
9. हिमाचल प्रदेश	42.3	8.0	36.5	17.0	22.5	–	–	–	–	-0.9	-25.4	100.0
10. जम्मू और कश्मीर	14.2	32.3	25.4	17.0	40.5	-0.2	-22.0	0.5	–	-8.2	0.5	100.0
11. झारखंड	5.2	-5.1	30.3	20.5	4.5	–	2.7	1.1	-0.4	-5.2	46.3	100.0
12. कर्नाटक	-4.5	13.7	9.3	9.4	8.6	9.7	-13.2	-0.6	0.6	-58.0	124.8	100.0
13. केरल	19.0	9.5	39.4	9.1	20.7	-0.2	-0.3	–	-0.8	-0.1	3.8	100.0
14. मध्य प्रदेश	51.2	3.6	42.7	12.4	1.0	0.2	-1.9	–	-1.1	4.5	-12.7	100.0
15. महाराष्ट्र	15.1	3.5	62.1	12.6	7.2	19.2	14.2	44.6	25.6	105.1	-209.2	100.0
16. मणिपुर	183.3	-227.0	224.4	4.0	-13.9	–	-208.7	8.3	9.3	-123.6	243.9	100.0
17. मेघालय	94.3	119.1	60.8	29.2	56.7	–	30.1	31.0	-21.2	296.8	-596.8	100.0
18. मिजोरम	83.8	-11.0	30.3	37.8	99.9	-0.5	–	–	–	138.5	-278.8	100.0
19. नागालैंड	143.0	-12.1	7.3	20.3	5.0	–	-12.2	–	–	69.6	-120.8	100.0
20. उड़ीसा	74.3	43.0	-8.3	18.0	11.9	-1.2	-24.3	-0.7	-0.4	5.6	-18.0	100.0
21. पंजाब	28.1	-3.6	95.1	-12.5	11.1	2.1	-3.6	0.3	-1.9	10.6	-25.8	100.0
22. राजस्थान	32.9	7.6	31.6	5.6	13.3	0.3	3.6	–	–	1.2	3.9	100.0
23. सिक्किम	50.5	-3.3	12.3	4.8	10.7	2.2	–	–	–	-23.6	46.3	100.0
24. तमिलनाडु	32.4	14.4	56.5	10.5	0.4	0.1	-5.0	1.3	-0.1	0.1	-10.5	100.0
25. त्रिपुरा	13.9	-4.8	26.1	9.9	23.1	–	0.1	–	–	-36.5	68.4	100.0
26. उत्तरांचल	16.1	0.8	41.1	5.1	3.0	5.6	9.2	1.6	–	-15.2	32.7	100.0
27. उत्तर प्रदेश	25.5	-4.8	60.3	2.1	12.8	15.6	2.0	-11.8	–	1.1	-2.7	100.0
28. प. बंगाल	10.5	1.3	97.9	-0.1	2.8	0.3	-4.6	–	–	6.6	-14.7	100.0
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	-99.9	–	–	–	–	–	–	-199.9	399.7	100.0
कुल	**20.8**	**4.4**	**53.1**	**6.9**	**8.0**	**4.0**	**-1.1**	**3.3**	**1.8**	**3.6**	**-4.7**	**100.0**

'-' : नगण्य/शून्य

टिप्पणी : 1 परिशिष्ट सारणी 8 के अनुसार।

2. अरुणाचल प्रदेश के संबंध में आंतरिक ऋण की चुकौती के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे और उसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया है । अतः इस राज्य के 'आंतरिक ऋण' के अंतर्गत वित्तीय मदें निवल आधार पर नहीं है सिवाय 'अन्य' के।

स्रोत: राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 12 : विकासात्मक व्यय*

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	23,063	24,829	31,326	40,311	7.7	26.2	28.7
2. अरुणाचल प्रदेश	1,374	1,384	1,757	1,608	0.7	26.9	-8.5
3. असम	5,638	9,656	12,058	12,638	71.3	24.9	4.8
4. बिहार	10,127	9,095	14,787	16,590	-10.2	62.6	12.2
5. छत्तीसगढ़	5,736	5,719	7,865	8,721	-0.3	37.5	10.9
6. गोवा	1,463	1,672	2,044	2,304	14.3	22.2	12.7
7. गुजरात	18,137	18,796	20,300	21,019	3.6	8.0	3.5
8. हरियाणा	8,411	7,428	9,527	10,387	-11.7	28.3	9.0
9. हिमाचल प्रदेश	3,882	3,715	4,292	4,428	-4.3	15.5	3.2
10. जम्मू और कश्मीर	4,841	6,918	8,972	9,179	42.9	29.7	2.3
11. झारखंड	6,094	7,963	9,708	11,428	30.7	21.9	17.7
12. कर्नाटक	15,484	19,321	22,094	26,374	24.8	14.4	19.4
13. केरल	9,913	10,018	13,022	13,748	1.1	30.0	5.6
14. मध्य प्रदेश	14,446	17,757	19,682	17,812	22.9	10.8	-9.5
15. महाराष्ट्र	31,999	38,211	45,459	39,422	19.4	19.0	-13.3
16. मणिपुर	1,070	1,477	1,935	1,932	38.0	31.0	-0.2
17. मेघालय	1,065	1,280	1,605	1,841	20.2	25.4	14.7
18. मिजोरम	1,217	1,232	1,634	1,238	1.2	32.6	-24.2
19. नागालैंड	1,281	1,163	1,794	1,787	-9.2	54.3	-0.4
20. उडीसा	7,835	6,862	8,494	9,203	-12.4	23.8	8.3
21. पंजाब	7,695	7,988	10,272	11,381	3.8	28.6	10.8
22. राजस्थान	14,451	15,299	17,835	18,902	5.9	16.6	6.0
23. सिक्किम	691	921	1,102	1,179	33.3	19.7	7.0
24. तमिलनाडु	17,538	20,397	23,445	29,159	16.3	14.9	24.4
25. त्रिपुरा	1,553	1,791	2,296	2,136	15.3	28.2	-7.0
26. उत्तरांचल	3,310	4,163	6,235	7,385	25.8	49.8	18.4
27. उत्तर प्रदेश	39,660	26,091	35,297	41,970	-34.2	35.3	18.9
28. प.बंगाल	14,875	15,329	19,121	20,526	3.1	24.7	7.3
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	7,251	7,065	8,340	8,318	-2.6	18.1	-0.3
सभी राज्य	**280,099**	**293,538**	**362,300**	**392,926**	**4.8**	**23.4**	**8.5**

* इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा विकासात्मक प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 13 : विकासेतर व्यय*

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	12,232	13,259	14,032	16,109	8.4	5.8	14.8
2. अरुणाचल प्रदेश	455	507	512	517	11.4	1.1	1.0
3. असम	3,549	3,714	5,307	6,371	4.7	42.9	20.1
4. बिहार	7,532	7,872	9,430	10,430	4.5	19.8	10.6
5. छत्तीसगढ़	2,177	2,523	2,543	3,265	15.9	0.8	28.4
6. गोवा	612	705	841	1,609	15.2	19.3	91.2
7. गुजरात	9,354	10,203	11,564	12,257	9.1	13.3	6.0
8. हरियाणा	4,473	4,992	4,921	5,117	11.6	-1.4	4.0
9. हिमाचल प्रदेश	2,508	2,753	3,001	3,116	9.8	9.0	3.8
10. जम्मू और कश्मीर	3,653	3,858	4,160	4,569	5.6	7.8	9.9
11. झारखंड	3,020	3,007	3,423	3,590	-0.4	13.8	4.9
12. कर्नाटक	9,212	10,097	11,225	13,226	9.6	11.2	17.8
13. केरल	7,441	8,032	9,515	11,109	7.9	18.5	16.8
14. मध्य प्रदेश	6,610	7,615	8,128	9,415	15.2	6.7	15.8
15. महाराष्ट्र	19,795	22,618	22,754	27,780	14.3	0.6	22.1
16. मणिपुर	635	716	930	969	12.7	29.9	4.2
17. मेघालय	554	598	637	723	8.0	6.5	13.4
18. मिजोरम	480	526	604	599	9.6	14.8	-0.8
19. नागालैंड	928	901	1,074	1,098	-2.9	19.2	2.2
20. उडीसा	5,230	6,613	7,139	7,926	26.4	8.0	11.0
21. पंजाब	9,386	9,914	11,012	12,316	5.6	11.1	11.8
22. राजस्थान	8,499	8,734	9,096	10,337	2.8	4.1	13.6
23. सिक्किम	702	1,157	1,190	1,262	64.8	2.8	6.1
24. तमिलनाडु	10,857	12,448	13,600	15,734	14.7	9.3	15.7
25. त्रिपुरा	922	994	1,254	1,643	7.8	26.1	31.0
26. उत्तरांचल	1,518	2,040	2,485	2,860	34.4	21.8	15.1
27. उत्तर प्रदेश	19,767	23,019	22,756	24,581	16.5	-1.1	8.0
28. प.बंगाल	14,437	15,737	17,087	18,091	9.0	8.6	5.9
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	2,483	3,146	2,970	3,607	26.7	-5.6	21.4
सभी राज्य	**169,022**	**188,298**	**203,189**	**230,225**	**11.4**	**7.9**	**13.3**

* इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा विकासेतर प्रयोजनों के लिए, लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 14: योजना व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	11,795	12,447	15,648	22,904	5.5	25.7	46.4
2. अरुणाचल प्रदेश	981	954	1,249	1,142	-2.8	30.9	-8.5
3. असम	2,114	2,910	6,906	6,273	37.7	137.3	-9.2
4. बिहार	3,219	2,144	5,421	7,957	-33.4	152.8	46.8
5. छत्तीसगढ़	3,083	2,986	4,664	5,570	-3.1	56.2	19.4
6. गोवा	591	796	1,092	1,281	34.6	37.2	17.4
7. गुजरात	6,808	8,421	10,287	11,313	23.7	22.2	10.0
8. हरियाणा	2,369	2,705	3,484	3,875	14.2	28.8	11.2
9. हिमाचल प्रदेश	1,639	1,591	1,946	1,914	-2.9	22.3	-1.6
10. जम्मू और कश्मीर	2,686	3,362	4,408	4,792	27.9	31.1	8.7
11. झारखंड	4,159	5,504	6,017	7,847	32.3	9.3	30.4
12. कर्नाटक	7,380	10,340	11,749	14,603	40.1	13.6	24.3
13. केरल	3,119	3,996	5,623	5,272	28.1	40.7	-6.2
14. मध्य प्रदेश	5,648	7,212	9,971	10,653	27.7	38.2	6.8
15. महाराष्ट्र	7,548	9,230	14,389	14,008	22.3	55.9	-2.6
16. मणिपुर	433	795	1,477	1,545	83.6	85.8	4.6
17. मेघालय	596	749	1,083	1,277	25.6	44.6	17.9
18. मिजोरम	768	733	1,088	721	-4.5	48.4	-33.7
19. नागालैंड	737	670	1,210	1,196	-9.1	80.6	-1.2
20. उडीसा	2,814	3,035	4,074	4,277	7.9	34.2	5.0
21. पंजाब	1,909	1,098	3,413	3,593	-42.5	210.7	5.3
22. राजस्थान	6,212	6,763	8,718	8,868	8.9	28.9	1.7
23. सिक्किम	458	592	831	874	29.3	40.3	5.2
24. तमिलनाडु	8,365	8,573	10,537	12,461	2.5	22.9	18.3
25. त्रिपुरा	746	911	1,446	1,485	22.2	58.7	2.7
26. उत्तरांचल	1,638	2,357	3,963	5,025	43.9	68.2	26.8
27. उत्तर प्रदेश	7,184	10,205	17,331	22,106	42.0	69.8	27.6
28. प.बंगाल	3,163	4,435	7,978	8,645	40.2	79.9	8.4
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	4,573	4,295	4,687	5,139	-6.1	9.1	9.7
सभी राज्य	**102,675**	**119,811**	**170,688**	**196,617**	**16.7**	**42.5**	**15.2**

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 15 : योजनेतर व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	28,326	34,706	33,033	37,771	22.5	-4.8	14.3
2. अरुणाचल प्रदेश	1,211	1,131	1,160	1,242	-6.6	2.6	7.1
3. असम	8,482	11,835	11,109	13,461	39.5	-6.1	21.2
4. बिहार	15,915	17,910	19,746	20,264	12.5	10.3	2.6
5. छत्तीसगढ़	5,869	6,661	6,467	7,047	13.5	-2.9	9.0
6. गोवा	1,826	1,745	1,882	2,720	-4.4	7.9	44.5
7. गुजरात	26,178	26,479	23,933	24,419	1.1	-9.6	2.0
8. हरियाणा	12,753	11,737	11,633	12,499	-8.0	-0.9	7.4
9. हिमाचल प्रदेश	6,457	6,443	6,644	6,628	-0.2	3.1	-0.2
10. जम्मू और कश्मीर	6,189	7,765	9,060	9,385	25.5	16.7	3.6
11. झारखंड	5,579	6,131	7,400	7,548	9.9	20.7	2.0
12. कर्नाटक	21,887	23,906	23,590	27,482	9.2	-1.3	16.5
13. केरल	16,649	16,280	18,161	22,928	-2.2	11.6	26.2
14. मध्य प्रदेश	18,274	22,201	19,893	18,940	21.5	-10.4	-4.8
15. महाराष्ट्र	53,486	63,439	56,834	55,966	18.6	-10.4	-1.5
16. मणिपुर	1,887	1,805	1,456	1,635	-4.4	-19.4	12.3
17. मेघालय	1,174	1,322	1,228	1,366	12.6	-7.1	11.2
18. मिजोरम	1,058	1,084	1,211	1,185	2.5	11.7	-2.1
19. नागालैंड	1,647	1,606	1,885	1,928	-2.5	17.4	2.3
20. उडीसा	12,751	12,851	13,780	14,776	0.8	7.2	7.2
21. पंजाब	18,426	19,896	18,995	21,680	8.0	-4.5	14.1
22. राजस्थान	19,657	22,144	19,214	21,752	12.6	-13.2	13.2
23. सिक्किम	1,019	1,569	1,507	1,607	54.0	-4.0	6.6
24. तमिलनाडु	25,399	33,207	30,189	37,553	30.7	-9.1	24.4
25. त्रिपुरा	2,018	2,073	2,556	2,657	2.7	23.3	4.0
26. उत्तरांचल	4,569	4,009	5,058	5,601	-12.3	26.2	10.7
27. उत्तर प्रदेश	62,257	48,920	44,738	49,243	-21.4	-8.5	10.1
28. प.बंगाल	35,258	29,058	35,388	34,023	-17.6	21.8	-3.9
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	7,147	8,580	9,313	8,206	20.0	8.5	-11.9
सभी राज्य	**423,348**	**446,492**	**437,065**	**471,512**	**5.5**	**-2.1**	**7.9**

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 16 : योजनेतर विकासेतर व्यय*

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	12,042	13,154	13,902	15,879	9.2	5.7	14.2
2. अरुणाचल प्रदेश	423	462	485	495	9.1	5.2	2.0
3. असम	3,518	3,684	4,751	5,904	4.7	28.9	24.3
4. बिहार	7,421	7,816	8,915	9,834	5.3	14.1	10.3
5. छत्तीसगढ़	2,153	2,494	2,496	3,181	15.8	0.1	27.4
6. गोवा	578	629	734	1,502	8.8	16.7	104.6
7. गुजरात	9,236	10,078	11,227	12,014	9.1	11.4	7.0
8. हरियाणा	4,378	4,900	4,794	4,997	11.9	-2.2	4.2
9. हिमाचल प्रदेश	2,469	2,699	2,940	3,050	9.3	8.9	3.7
10. जम्मू और कश्मीर	3,397	3,479	3,724	4,115	2.4	7.0	10.5
11. झारखंड	2,712	2,665	2,872	2,994	-1.7	7.8	4.2
12. कर्नाटक	9,094	9,958	10,908	12,870	9.5	9.5	18.0
13. केरल	7,266	7,840	9,262	10,970	7.9	18.1	18.4
14. मध्य प्रदेश	6,573	7,571	7,964	9,284	15.2	5.2	16.6
15. महाराष्ट्र	19,719	22,562	22,543	27,437	14.4	-0.1	21.7
16. मणिपुर	621	699	484	499	12.5	-30.8	3.1
17. मेघालय	509	567	599	658	11.5	5.5	10.0
18. मिजोरम	449	508	575	578	13.2	13.1	0.5
19. नागालैंड	863	854	986	987	-1.0	15.4	0.2
20. उडीसा	5,210	6,601	7,109	7,874	26.7	7.7	10.8
21. पंजाब	9,358	9,893	10,915	12,199	5.7	10.3	11.8
22. राजस्थान	8,419	8,641	8,919	10,248	2.6	3.2	14.9
23. सिक्किम	678	1,136	1,150	1,232	67.6	1.2	7.1
24. तमिलनाडु	10,659	12,285	13,430	15,619	15.3	9.3	16.3
25. त्रिपुरा	900	949	1,110	1,341	5.4	17.0	20.8
26. उत्तरांचल	1,461	1,901	2,385	2,693	30.1	25.5	12.9
27. उत्तर प्रदेश	19,443	22,733	22,281	24,144	16.9	-2.0	8.4
28. प. बंगाल	14,383	15,666	16,971	17,954	8.9	8.3	5.8
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	2,381	2,980	2,775	3,274	25.2	-6.9	18.0
सभी राज्य	**166,313**	**185,404**	**197,206**	**223,829**	**11.5**	**6.4**	**13.5**

* इसमें राजस्व तथा पूंजी खाता पर व्यय और राज्यों द्वारा लिए गए ऋण तथा अग्रिम शामिल हैं ।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 17: सकल और निवल ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)		2004-05 (लेखा)		2005-06 (संशोधित अनुमान)		2006-07 (बजट अनुमान)		पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)					
									2004-05 (लेखा)		2005-06 (संशोधित अनुमान)		2006-07 (बजट अनुमान)	
									(कॉ. 4/ कॉ. 2)	(कॉ.5/ कॉ.3)	(कॉ.6/ कॉ. 4)	(कॉ.7/ कॉ.5)	(कॉ.8/ कॉ.6)	(कॉ.9 कॉ.7)
	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आंध्र प्रदेश	6,856	5,037	7,091	5,381	7,058	4,891	7,983	5,350	3.4	6.8	-0.5	-9.1	13.1	9.4
2. अरुणाचल प्रदेश	142	133	147	142	161	157	181	176	3.5	6.6	9.7	10.8	12.2	12.2
3. असम	1,446	1,440	1,404	1,393	1,959	1,949	2,138	2,127	-2.9	-3.2	39.6	39.8	9.1	9.2
4. बिहार	3,324	3,294	3,474	3,399	3,633	3,575	4,210	4,156	4.5	3.2	4.6	5.2	15.9	16.3
5. छत्तीसगढ़	1,054	931	1,152	1,051	1,010	905	1,148	1,039	9.3	12.9	-12.3	-13.9	13.6	14.8
6. गोवा	321	319	323	320	383	375	432	424	0.6	0.2	18.5	17.5	12.9	13.0
7. गुजरात	5,805	4,908	6,079	5,609	6,473	6,370	7,155	6,985	4.7	14.3	6.5	13.6	10.5	9.6
8. हरियाणा	2,113	1,635	2,235	1,762	2,187	1,619	2,400	1,810	5.8	7.8	-2.1	-8.1	9.7	11.8
9. हिमाचल प्रदेश	1,473	1,461	1,641	1,598	1,670	1,658	1,754	1,741	11.4	9.4	1.7	3.7	5.0	5.0
10. जम्मू और कश्मीर	1,100	969	1,175	1,158	1,300	1,284	1,352	1,332	6.8	19.5	10.6	10.9	4.0	3.7
11. झारखंड	991	935	772	683	720	630	777	718	-22.1	-27.0	-6.8	-7.7	8.0	13.9
12. कर्नाटक	3,710	3,599	3,794	3,649	3,825	3,714	4,366	4,187	2.3	1.4	0.8	1.8	14.1	12.8
13. केरल	3,328	3,296	3,613	3,572	3,911	3,875	4,428	4,378	8.5	8.4	8.3	8.5	13.2	13.0
14. मध्य प्रदेश	3,207	3,187	3,661	3,635	3,685	3,158	4,144	4,100	14.2	14.1	0.7	-13.1	12.5	29.8
15. महाराष्ट्र	8,335	7,979	8,979	8,241	9,321	8,287	11,999	10,951	7.7	3.3	3.8	0.6	28.7	32.1
16. मणिपुर	215	214	266	260	244	236	253	244	23.9	21.5	-8.3	-9.1	3.5	3.2
17. मेघालय	170	164	177	169	204	199	213	207	4.3	3.3	14.9	17.1	4.6	4.5
18. मिजोरम	167	163	182	178	206	202	207	204	8.7	9.1	13.5	13.6	0.4	1.2
19. नागालैंड	235	229	250	246	284	281	281	277	6.2	7.6	13.9	14.0	-1.2	-1.3
20. उडीसा	2,860	2,696	3,332	3,083	3,554	3,360	3,802	3,742	16.5	14.4	6.7	9.0	7.0	11.4
21. पंजाब	3,712	2,248	3,982	2,091	4,003	3,210	4,177	3,366	7.3	-7.0	0.5	53.5	4.4	4.9
22. राजस्थान	4,777	4,092	5,172	4,417	5,226	4,216	5,802	4,887	8.3	7.9	1.0	-4.6	11.0	15.9
23. सिक्किम	93	90	99	91	99	96	115	114	6.7	1.3	0.1	5.0	15.4	18.6
24. तमिलनाडु	4,700	4,167	4,755	4,190	4,695	4,102	5,349	4,614	1.2	0.5	-1.3	-2.1	13.9	12.5
25. त्रिपुरा	333	329	356	351	375	370	382	376	6.9	6.8	5.3	5.3	1.9	1.6
26. उत्तरांचल	597	567	816	794	887	862	1,006	979	36.6	40.0	8.7	8.6	13.5	13.6
27. उत्तर प्रदेश	10,124	9,466	11,873	11,275	10,109	9,454	10,256	9,604	17.3	19.1	-14.9	-16.2	1.5	1.6
28. प. बंगाल	9,210	9,100	9,623	9,034	10,111	9,836	10,986	10,706	4.5	-0.7	5.1	8.9	8.7	8.8
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	1,367	498	1,569	747	1,701	451	2,130	908	14.7	49.9	8.4	-39.6	25.2	101.2
सभी राज्य	**81,763**	**73,147**	**87,989**	**78,519**	**88,994**	**79,321**	**99,425**	**89,701**	**7.6**	**7.3**	**1.1**	**1.0**	**11.7**	**13.1**

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 18: कुल कर राजस्व *

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	कर राजस्व/सभी राज्यों का कर राजस्व (प्रतिशत)		
				2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	22,313	26,774	31,707	8.3	8.4	8.6
2. अरुणाचल प्रदेश	242	370	336	0.1	0.1	0.1
3. असम	5,298	6,440	7,502	2.0	2.0	2.0
4. बिहार	12,465	14,414	16,679	4.7	4.5	4.5
5. छत्तीसगढ़	5,104	6,522	7,498	1.9	2.1	2.0
6. गोवा	1,019	1,213	1,369	0.4	0.4	0.4
7. गुजरात	15,177	18,533	20,022	5.7	5.8	5.5
8. हरियाणा	8,060	9,549	10,701	3.0	3.0	2.9
9. हिमाचल प्रदेश	1,789	1,913	2,002	0.7	0.6	0.5
10. जम्मू और कश्मीर	2,403	2,853	3,389	0.9	0.9	0.9
11. झारखंड	4,876	5,122	6,946	1.8	1.6	1.9
12. कर्नाटक	19,951	23,427	27,143	7.5	7.4	7.4
13. केरल	11,369	12,787	14,795	4.2	4.0	4.0
14. मध्य प्रदेश	12,850	15,311	17,045	4.8	4.8	4.6
15. महाराष्ट्र	34,201	41,607	47,130	12.8	13.1	12.9
16. मणिपुर	368	439	476	0.1	0.1	0.1
17. मेघालय	477	581	690	0.2	0.2	0.2
18. मिजोरम	195	270	323	0.1	0.1	0.1
19. नागालैंड	238	361	394	0.1	0.1	0.1
20. उडीसा	8,154	9,500	10,401	3.0	3.0	2.8
21. पंजाब	7,847	9,842	11,294	2.9	3.1	3.1
22. राजस्थान	12,720	15,025	17,303	4.8	4.7	4.7
23. सिक्किम	224	287	304	0.1	0.1	0.1
24. तमिलनाडु	23,593	27,205	33,036	8.8	8.6	9.0
25. त्रिपुरा	623	674	740	0.2	0.2	0.2
26. उत्तरांचल	1,964	2,700	3,137	0.7	0.9	0.9
27. उत्तर प्रदेश	30,748	38,093	44,536	11.5	12.0	12.1
28. प. बंगाल	16,309	17,780	20,742	6.1	5.6	5.7
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	7,106	7,946	8,984	2.7	2.5	2.5
सभी राज्य	**267,683**	**317,539**	**366,622**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

* इसमें केंद्रीय करों में राज्यों के अंश और कर राजस्व शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के आंकड़ों में राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए कर के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (रियायत के निवल) उपायों से प्राप्त 239 करोड़ रुपए की निवल अनुमानित आय शामिल है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 19 : राज्यों के अपने कर राजस्व

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	13,806	16,254	19,783	23,668	17.7	21.7	19.6
2. अरुणाचल प्रदेश	43	49	96	63	15.1	94.6	-34.8
3. असम	2,070	2,713	3,366	3,827	31.1	24.0	13.7
4. बिहार	3,361	3,342	3,934	4,523	-0.6	17.7	15.0
5. छत्तीसगढ़	2,588	3,228	4,122	4,796	24.7	27.7	16.4
6. गोवा	710	857	967	1,074	20.6	12.9	11.1
7. गुजरात	11,173	12,958	15,142	16,258	16.0	16.9	7.4
8. हरियाणा	6,348	7,440	8,528	9,597	17.2	14.6	12.5
9. हिमाचल प्रदेश	984	1,252	1,417	1,506	27.2	13.2	6.3
10. जम्मू और कश्मीर	1,152	1,400	1,689	1,900	21.5	20.7	12.5
11. झारखंड	2,278	2,402	2,888	3,128	5.4	20.3	8.3
12. कर्नाटक	12,570	16,072	19,505	22,534	27.9	21.4	15.5
13. केरल	8,089	8,964	10,255	11,768	10.8	14.4	14.8
14. मध्य प्रदेश	6,789	7,773	8,933	10,029	14.5	14.9	12.3
15. महाराष्ट्र	25,162	30,606	37,537	41,454	21.6	22.6	10.4
16. मणिपुर	69	81	95	104	17.7	16.6	10.1
17. मेघालय	178	208	229	268	16.7	10.0	17.5
18. मिजोरम	34	40	44	52	16.4	11.7	17.1
19. नागालैंड	69	78	111	119	13.5	42.1	6.9
20. उडीसा	3,302	4,177	4,596	5,083	26.5	10.0	10.6
21. पंजाब	6,146	6,945	8,608	9,811	13.0	23.9	14.0
22. राजस्थान	7,246	8,415	9,724	10,932	16.1	15.6	12.4
23. सिक्किम	108	117	113	119	8.3	-3.2	5.2
24. तमिलनाडु	15,945	19,357	22,164	27,011	21.4	14.5	21.9
25. त्रिपुरा	221	240	280	312	8.4	16.8	11.4
26. उत्तरांचल	1,226	1,444	1,842	2,071	17.8	27.5	12.5
27. उत्तर प्रदेश	13,601	15,693	19,787	23,484	15.4	26.1	18.7
28. प. बंगाल	8,768	9,924	11,116	12,727	13.2	12.0	14.5
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	5,884	7,106	7,946	8,984	20.8	11.8	13.1
सभी राज्य	**159,921**	**189,133**	**224,817**	**257,203**	**18.3**	**18.9**	**14.4**

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के आंकड़ों में राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए कर के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (रियायत के निवल) उपायों से प्राप्त 239 करोड़ रुपए की निवल अनुमानित आय शामिल है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 20 : कुल करेतर राजस्व*

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	करेतर राजस्व/सभी राज्यों का करेतर राजस्व (प्रतिशत)		
				2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	6,437	9,497	12,624	6.2	6.9	8.2
2. अरुणाचल प्रदेश	1,260	1,555	1,664	1.2	1.1	1.1
3. असम	4,640	7,845	8,160	4.4	5.7	5.3
4. बिहार	3,250	4,702	5,712	3.1	3.4	3.7
5. छत्तीसगढ़	2,145	2,862	3,300	2.1	2.1	2.1
6. गोवा	801	975	1,773	0.8	0.7	1.2
7. गुजरात	5,088	6,595	6,274	4.9	4.8	4.1
8. हरियाणा	3,090	3,097	3,086	3.0	2.3	2.0
9. हिमाचल प्रदेश	2,845	4,421	4,520	2.7	3.2	2.9
10. जम्मू और कश्मीर	7,362	8,687	9,177	7.1	6.4	6.0
11. झारखंड	2,431	3,081	3,198	2.3	2.3	2.1
12. कर्नाटक	6,619	6,257	8,732	6.3	4.6	5.7
13. केरल	2,132	3,809	4,450	2.0	2.8	2.9
14. मध्य प्रदेश	6,894	6,034	6,436	6.6	4.4	4.2
15. महाराष्ट्र	6,813	10,591	12,016	6.5	7.7	7.8
16. मणिपुर	1,374	2,106	2,316	1.3	1.5	1.5
17. मेघालय	1,069	1,425	1,768	1.0	1.0	1.2
18. मिजोरम	1,307	1,616	1,386	1.3	1.2	0.9
19. नागालैंड	1,601	2,218	2,322	1.5	1.6	1.5
20. उडीसा	3,696	4,623	5,064	3.5	3.4	3.3
21. पंजाब	5,961	8,049	8,746	5.7	5.9	5.7
22. राजस्थान	5,043	5,721	6,688	4.8	4.2	4.4
23. सिक्किम	1,668	1,726	1,867	1.6	1.3	1.2
24. तमिलनाडु	4,858	5,699	5,695	4.7	4.2	3.7
25. त्रिपुरा	1,954	2,402	2,464	1.9	1.8	1.6
26. उत्तरांचल	2,121	3,697	4,304	2.0	2.7	2.8
27. उत्तर प्रदेश	6,870	8,647	11,609	6.6	6.3	7.6
28. प. बंगाल	3,609	6,874	5,960	3.5	5.0	3.9
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	1,456	1,892	2,215	1.4	1.4	1.4
सभी राज्य	**104,392**	**136,704**	**153,525**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

* इसमें केंद्र से प्राप्त अनुदान और राज्यों के करेतर राजस्व शामिल हैं।

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के आंकड़ों में राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए करेतर अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से प्राप्त 34 करोड़ रुपए की निवल अनुमानित आय शामिल है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 21 : राज्यों के अपने करेतर राजस्व

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	3,605	3,756	4,571	5,240	4.2	21.7	14.6
2. अरुणाचल प्रदेश	121	170	224	187	40.7	31.9	-16.5
3. असम	946	1,070	1,387	1,470	13.1	29.7	5.9
4. बिहार	446	418	298	342	-6.3	-28.7	14.9
5. छत्तीसगढ़	1,124	1,244	1,325	1,469	10.7	6.5	10.9
6. गोवा	725	729	842	1,574	0.6	15.5	86.9
7. गुजरात	3,272	3,090	3,162	3,334	-5.5	2.3	5.4
8. हरियाणा	2,223	2,544	2,188	2,006	14.5	-14.0	-8.3
9. हिमाचल प्रदेश	292	611	626	684	109.2	2.6	9.1
10. जम्मू और कश्मीर	354	685	727	821	93.5	6.2	12.8
11. झारखंड	1,151	1,226	1,391	1,434	6.5	13.4	3.1
12. कर्नाटक	2,958	4,472	3,637	4,088	51.2	-18.7	12.4
13. केरल	807	819	889	1,113	1.5	8.6	25.1
14. मध्य प्रदेश	1,480	4,462	2,239	2,059	201.5	-49.8	-8.0
15. महाराष्ट्र	3,549	4,119	5,349	6,696	16.1	29.9	25.2
16. मणिपुर	49	70	116	127	42.3	65.7	10.1
17. मेघालय	129	133	157	173	3.5	17.5	10.6
18. मिजोरम	58	76	109	124	30.3	43.6	14.5
19. नागालैंड	61	78	85	91	27.7	9.0	7.4
20. उडीसा	1,095	1,346	1,314	1,370	22.9	-2.3	4.2
21. पंजाब	4,666	5,358	4,587	5,560	14.8	-14.4	21.2
22. राजस्थान	2,072	2,146	2,543	2,702	3.6	18.5	6.3
23. सिक्किम	537	992	977	1,013	84.8	-1.5	3.7
24. तमिलनाडु	2,094	2,208	2,444	2,674	5.5	10.7	9.4
25. त्रिपुरा	168	177	54	60	5.3	-69.7	12.6
26. उत्तरांचल	371	548	597	784	47.6	9.0	31.3
27. उत्तर प्रदेश	2,282	2,720	2,319	3,578	19.2	-14.7	54.3
28. प. बंगाल	606	1,346	1,200	1,245	122.1	-10.8	3.7
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	950	921	1,342	1,317	-3.0	45.7	-1.9
सभी राज्य	**38,189**	**47,535**	**46,702**	**53,337**	**24.5**	**-1.8**	**14.2**

टिप्पणियां : 1. वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के आंकड़ों में राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए करेतर अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से प्राप्त 34 करोड़ रुपए की निवल अनुमानित आय शामिल है ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 22 : केंद्रीय कर में राज्यों के अंश

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	5,069	6,059	6,990	8,039	19.5	15.4	15.0
2. अरुणाचल प्रदेश	161	193	274	274	19.6	42.1	0.0
3. असम	2,162	2,584	3,074	3,675	19.5	19.0	19.5
4. बिहार	7,534	9,123	10,480	12,156	21.1	14.9	16.0
5. छत्तीसगढ़	1,570	1,876	2,400	2,701	19.5	27.9	12.6
6. गोवा	136	162	246	294	19.2	52.1	19.5
7. गुजरात	1,966	2,219	3,392	3,764	12.9	52.8	11.0
8. हरियाणा	601	619	1,022	1,104	3.1	64.9	8.0
9. हिमाचल प्रदेश	450	537	496	496	19.4	-7.7	0.0
10. जम्मू और कश्मीर	825	1,003	1,164	1,488	21.6	16.0	27.9
11. झारखंड	2,150	2,474	2,233	3,818	15.1	-9.7	71.0
12. कर्नाटक	3,245	3,878	3,923	4,609	19.5	1.1	17.5
13. केरल	2,012	2,405	2,533	3,027	19.5	5.3	19.5
14. मध्य प्रदेश	4,247	5,077	6,377	7,015	19.5	25.6	10.0
15. महाराष्ट्र	3,389	3,595	4,070	5,676	6.1	13.2	39.4
16. मणिपुर	240	287	344	372	19.7	19.8	8.0
17. मेघालय	225	269	353	421	19.6	31.0	19.5
18. मिजोरम	130	156	226	271	19.8	45.0	20.2
19. नागालैंड	257	160	250	275	-37.7	56.0	10.2
20. उडीसा	3,328	3,978	4,904	5,318	19.5	23.3	8.4
21. पंजाब	754	902	1,235	1,483	19.7	36.8	20.1
22. राजस्थान	3,602	4,306	5,300	6,371	19.5	23.1	20.2
23. सिक्किम	112	107	174	185	-4.2	61.6	6.4
24. तमिलनाडु	3,544	4,236	5,041	6,026	19.5	19.0	19.5
25. त्रिपुरा	321	383	394	428	19.4	2.9	8.6
26. उत्तरांचल	435	520	858	1,065	19.5	65.0	24.2
27. उत्तर प्रदेश	13,273	15,055	18,306	21,052	13.4	21.6	15.0
28. प. बंगाल	5,342	6,385	6,665	8,016	19.5	4.4	20.3
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–
सभी राज्य	**67,079**	**78,550**	**92,723**	**109,419**	**17.1**	**18.0**	**18.0**

'–' : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर और झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 23 : केंद्र से अनुदान

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)		
					2004-05 (लेखा) (कॉ.3/कॉ.2)	2005-06 (संशोधित अनुमान) (कॉ.4/कॉ.3)	2006-07 (बजट अनुमान) (कॉ.5/कॉ.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	4,389	2,681	4,926	7,384	-38.9	83.8	49.9
2. अरुणाचल प्रदेश	1,251	1,090	1,330	1,476	-12.9	22.1	11.0
3. असम	2,587	3,570	6,458	6,690	38.0	80.9	3.6
4. बिहार	2,185	2,832	4,404	5,369	29.6	55.5	21.9
5. छत्तीसगढ़	677	901	1,537	1,830	33.1	70.7	19.0
6. गोवा	53	72	133	199	36.2	84.4	49.5
7. गुजरात	1,837	1,997	3,433	2,940	8.7	71.9	-14.4
8. हरियाणा	672	545	908	1,080	-18.9	66.6	18.9
9. हिमाचल प्रदेश	2,255	2,235	3,794	3,836	-0.9	69.8	1.1
10. जम्मू और कश्मीर	6,175	6,677	7,960	8,356	8.1	19.2	5.0
11. झारखंड	1,865	1,205	1,691	1,765	-35.4	40.3	4.4
12. कर्नाटक	1,987	2,147	2,620	4,644	8.0	22.1	77.2
13. केरल	908	1,313	2,920	3,338	44.6	122.4	14.3
14. मध्य प्रदेश	1,773	2,432	3,795	4,376	37.2	56.0	15.3
15. महाराष्ट्र	2,270	2,694	5,242	5,320	18.7	94.6	1.5
16. मणिपुर	1,061	1,305	1,990	2,189	23.0	52.6	10.0
17. मेघालय	867	936	1,269	1,595	7.9	35.6	25.7
18. मिजोरम	1,149	1,231	1,508	1,262	7.1	22.5	-16.3
19. नागालैंड	1,973	1,523	2,133	2,230	-22.8	40.0	4.6
20. उडीसा	1,716	2,350	3,308	3,694	37.0	40.8	11.7
21. पंजाब	573	602	3,462	3,186	5.1	474.6	-8.0
22. राजस्थान	2,504	2,897	3,178	3,986	15.7	9.7	25.4
23. सिक्किम	584	676	748	853	15.7	10.8	14.1
24. तमिलनाडु	2,123	2,650	3,255	3,021	24.8	22.8	-7.2
25. त्रिपुरा	1,458	1,777	2,349	2,404	21.9	32.2	2.3
26. उत्तरांचल	1,569	1,574	3,100	3,520	0.3	97.0	13.5
27. उत्तर प्रदेश	2,482	4,149	6,328	8,031	67.2	52.5	26.9
28. प. बंगाल	1,893	2,263	5,674	4,716	19.6	150.7	-16.9
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	514	535	550	898	4.1	2.7	63.3
सभी राज्य	**51,348**	**56,857**	**90,002**	**100,188**	**10.7**	**58.3**	**11.3**

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 24 : केंद्र से सकल और निवल ऋण

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)		2004-05 (लेखा)		2005-06 (संशोधित अनुमान)		2006-07 (बजट अनुमान)		पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)					
									2004-05 (लेखा)		2005-06 (संशोधित अनुमान)		2006-07 (बजट अनुमान)	
									(कॉ. 4/ कॉ. 2)	(कॉ.5/ कॉ.3)	(कॉ.6/ कॉ. 4)	(कॉ.7/ कॉ.5)	(कॉ.8/ कॉ.6)	(कॉ.9 कॉ.7)
	सकल	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**	**सकल**	**निवल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आंध्र प्रदेश	3,118	2,002	1,841	-2,537	1,323	609	2,006	1,218	-41.0	-226.7	-28.2	-124.0	51.7	100.2
2. अरुणाचल प्रदेश	133	-54	71	45	94	73	96	75	-46.5	-182.4	32.3	63.4	2.5	2.5
3. असम	369	57	463	-245	208	-148	170	-190	25.6	-529.2	-55.1	-39.5	-18.5	28.2
4. बिहार	1,393	874	1,654	140	22	-420	4	-477	18.7	-84.0	-98.7	-400.6	-82.7	13.7
5. छत्तीसगढ़	454	311	429	-590	111	–	146	33	-5.5	-289.6	-74.1	-100.0	31.7	88,462.8
6. गोवा	61	-72	82	-36	96	69	220	183	34.6	-50.4	16.9	-294.2	128.9	163.7
7. गुजरात	3,004	2,514	1,818	-931	982	483	792	280	-39.5	-137.0	-46.0	-151.9	-19.3	-42.1
8. हरियाणा	421	250	296	-846	55	-68	367	233	-29.7	-438.5	-81.5	-92.0	570.3	-444.9
9. हिमाचल प्रदेश	290	131	233	34	141	68	144	81	-19.7	-74.1	-39.4	99.6	2.0	19.1
10. जम्मू और कश्मीर	350	88	388	185	394	206	552	381	11.0	109.8	1.5	11.7	40.1	84.8
11. झारखंड	436	159	1,028	848	–	-135	–	-249	135.9	433.2	-100.0	-115.9	–	84.0
12. कर्नाटक	1,957	1,007	1,556	-1,206	1,992	1,574	1,179	715	-20.5	-219.8	28.0	-230.5	-40.8	-54.6
13. केरल	968	354	1,482	-45	970	350	1,351	703	53.1	-112.7	-34.5	-879.0	39.2	100.6
14. मध्य प्रदेश	1,723	1,237	1,881	-72	505	102	605	173	9.2	-105.8	-73.2	-243.1	19.8	69.3
15. महाराष्ट्र	1,252	566	1,802	-2,607	369	-19	694	292	43.9	-560.5	-79.5	-99.3	88.2	-1,644.7
16. मणिपुर	527	-30	1,027	645	–	-42	–	-245	94.9	-2251.0	-100.0	-106.5	–	485.3
17. मेघालय	83	30	112	3	87	66	124	102	35.1	-89.1	-22.3	1,926.3	41.8	53.8
18. मिजोरम	70	-13	68	48	14	-5	8	-12	-3.2	-471.6	-80.0	-110.6	-44.7	126.9
19. नागालैंड	-354	-463	164	40	100	-24	100	-20	-146.3	-108.7	-39.0	-160.2	0.0	-18.6
20. उडीसा	1,541	723	1,423	143	1,016	154	1,057	721	-7.7	-80.3	-28.6	7.7	4.1	368.8
21. पंजाब	542	107	548	-1,002	83	-125	137	-130	1.2	-1036.7	-84.9	-87.6	66.0	4.6
22. राजस्थान	1,636	1,918	1,479	-865	531	156	757	391	-9.6	-145.1	-64.1	-118.0	42.6	150.8
23. सिक्किम	44	-1	51	11	3	-12	4	-9	15.4	-1181.2	-93.5	-212.1	9.1	-27.1
24. तमिलनाडु	1,023	467	1,259	-2,857	548	245	1,348	1,043	23.0	-711.7	-56.5	-108.6	146.3	325.1
25. त्रिपुरा	92	46	95	-17	–	-29	–	-29	3.4	-136.5	-100.0	71.1	–	1.1
26. उत्तरांचल	285	-888	147	125	220	197	50	21	-48.5	-114.1	49.7	57.5	-77.5	-89.1
27. उत्तर प्रदेश	3,081	1,824	2,841	825	403	-779	579	-612	-7.8	-54.7	-85.8	-194.4	43.7	-21.5
28. प. बंगाल	1,371	795	1,639	982	646	-178	1,037	153	19.6	23.5	-60.6	-118.1	60.6	-186.2
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	257	177	279	-2,023	–	-165	–	–	8.5	-1242.8	-100.0	-91.8	–	-100.0
सभी राज्य	**26,127**	**14,117**	**26,157**	**-11,804**	**10,911**	**2,205**	**13,525**	**4,827**	**0.1**	**-183.6**	**-58.3**	**-118.7**	**24.0**	**118.9**

'–' : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 25: केंद्र के संसाधनों के सकल और निवल डिवोल्यूशन तथा अंतरण

(करोड़ रुपए)

राज्य	2003-04 (लेखा)		2004-05 (लेखा)		2005-06 (संशोधित अनुमान)		2006-07 (बजट अनुमान)		पिछले वर्ष की तुलना में अंतर (प्रतिशत)					
									2004-05 (लेखा)		2005-06 (संशोधित अनुमान)		2006-07 (बजट अनुमान)	
									(कॉ. 4/ कॉ. 2)	(कॉ.5/ कॉ.3)	(कॉ.6/ कॉ. 4)	(कॉ.7/ कॉ.5)	(कॉ.8/ कॉ.6)	(कॉ.9 कॉ.7)
	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आंध्र प्रदेश	12,576	9,107	10,580	4,026	13,239	11,165	17,429	14,869	-15.9	-55.8	25.1	177.3	31.6	33.2
2. अरुणाचल प्रदेश	1,545	1,293	1,353	1,327	1,698	1,677	1,846	1,824	-12.4	2.6	25.5	26.4	8.7	8.8
3. असम	5,118	4,336	6,617	5,521	9,740	8,913	10,534	9,566	29.3	27.3	47.2	61.4	8.2	7.3
4. बिहार	11,112	9,186	13,609	10,936	14,906	13,461	17,530	15,952	22.5	19.1	9.5	23.1	17.6	18.5
5. छत्तीसगढ़	2,701	2,151	3,206	1,823	4,048	3,748	4,678	4,375	18.7	-15.3	26.3	105.6	15.5	16.7
6. गोवा	249	16	316	134	475	370	713	613	27.0	735.9	50.3	176.6	50.0	65.8
7. गुजरात	6,806	4,145	6,035	1,587	7,806	6,026	7,496	5,685	-11.3	-61.7	29.3	279.8	-4.0	-5.7
8. हरियाणा	1,693	896	1,461	-137	1,985	1,605	2,550	2,171	-13.7	-115.3	35.9	-1,272.2	28.5	35.2
9. हिमाचल प्रदेश	2,994	2,500	3,005	2,534	4,431	4,231	4,476	4,306	0.4	1.4	47.5	67.0	1.0	1.8
10. जम्मू और कश्मीर	7,350	7,088	8,068	7,663	9,518	9,330	10,397	10,226	9.8	8.1	18.0	21.7	9.2	9.6
11. झारखंड	4,451	3,677	4,708	4,146	3,924	3,467	5,583	5,013	5.8	12.7	-16.7	-16.4	42.3	44.6
12. कर्नाटक	7,188	4,703	7,581	3,522	8,535	7,892	10,432	9,642	5.5	-25.1	12.6	124.1	22.2	22.2
13. केरल	3,888	2,464	5,200	3,001	6,423	5,197	7,715	6,605	33.7	21.8	23.5	73.2	20.1	27.1
14. मध्य प्रदेश	7,743	6,097	9,389	6,362	10,677	9,478	11,997	10,834	21.3	4.3	13.7	49.0	12.4	14.3
15. महाराष्ट्र	6,912	3,176	8,090	1,625	9,681	8,438	11,690	10,613	17.0	-48.8	19.7	419.3	20.7	25.8
16. मणिपुर	1,829	1,168	2,619	2,138	2,334	2,170	2,561	2,200	43.2	83.0	-10.9	1.5	9.7	1.4
17. मेघालय	1,175	1,069	1,317	1,161	1,708	1,638	2,140	2,068	12.1	8.6	29.7	41.1	25.3	26.2
18. मिजोरम	1,349	1,224	1,454	1,393	1,747	1,684	1,541	1,478	7.8	13.8	20.1	20.9	-11.8	-12.2
19. नागालैंड	1,877	1,714	1,847	1,677	2,483	2,303	2,606	2,445	-1.6	-2.2	34.4	37.3	5.0	6.2
20. उडीसा	6,585	4,604	7,751	5,388	9,229	7,217	10,070	8,512	17.7	17.0	19.1	33.9	9.1	17.9
21. पंजाब	1,869	384	2,053	-183	4,779	4,165	4,807	4,163	9.9	-147.6	132.8	-2,377.1	0.6	0.0
22. राजस्थान	7,743	5,537	8,682	3,635	9,009	8,009	11,114	10,104	12.1	-34.4	3.8	120.3	23.4	26.2
23. सिक्किम	739	664	834	761	925	876	1,042	990	12.8	14.6	11.0	15.1	12.6	13.1
24. तमिलनाडु	6,690	4,686	8,145	2,905	8,844	8,028	10,395	9,583	21.7	-38.0	8.6	176.3	17.5	19.4
25. त्रिपुरा	1,871	1,734	2,256	2,069	2,743	2,647	2,832	2,738	20.6	19.3	21.6	28.0	3.2	3.4
26. उत्तरांचल	2,289	969	2,240	2,187	4,178	4,091	4,635	4,568	-2.1	125.7	86.5	87.0	10.9	11.7
27. उत्तर प्रदेश	18,835	13,594	22,045	16,644	25,037	21,616	29,661	26,945	17.0	22.4	13.6	29.9	18.5	24.6
28. प. बंगाल	8,606	4,802	10,288	7,190	12,985	10,255	13,768	11,043	19.5	49.7	26.2	42.6	6.0	7.7
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	771	-676	814	-3,056	550	-1,317	898	-1,233	5.6	352.1	-32.5	-56.9	63.3	-6.4
सभी राज्य	**144,554**	**102,305**	**161,564**	**97,978**	**193,636**	**168,380**	**223,133**	**197,899**	**11.8**	**-4.2**	**19.9**	**71.9**	**15.2**	**17.5**

टिप्पणी : वर्ष 2004-05 (लेखा) के जम्मू और कश्मीर तथा झारखंड के आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1991

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	1,757	1,596	–	–	161	93	29	1	–	34	4	–	–	4,368	690	115	1,175	45	8,150
2. अरुणाचल प्रदेश	28	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113	22	–	116	–	280
3. असम	488	228	–	218	42	4	1	–	–	36	–	–	–	3,635	141	39	34	4	4,341
4. बिहार	1,655	1,487	–	53	63	22	9	–	–	18	14	–	52	5,792	1,960	–	1,036	190	10,633
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	30	22	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	769	69	1	31	3	903
7. गुजरात	749	654	–	–	94	45	18	6	–	21	5	–	1	5,151	621	356	1,159	41	8,076
8. हरियाणा	500	388	–	–	112	43	15	11	23	19	1	–	–	1,641	680	99	146	10	3,076
9. हिमाचल प्रदेश	136	101	–	–	35	6	2	–	–	15	11	–	–	828	331	2	32	1	1,329
10. जम्मू और कश्मीर	447	155	–	–	292	17	11	–	263	–	2	–	–	2,412	367	90	41	–	3,358
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	978	870	–	–	108	49	19	4	–	35	–	–	–	3,010	836	244	778	53	5,898
13. केरल	1,140	890	–	101	146	66	29	–	–	51	–	–	2	2,166	1,411	21	231	14	4,983
14. मध्य प्रदेश	821	661	–	31	129	12	6	–	–	–	111	–	–	3,659	2,047	302	919	29	7,777
15. महाराष्ट्र	1,000	769	–	–	228	25	3	92	2	85	21	–	3	7,825	1,215	1,496	1,243	99	12,878
16. मणिपुर	136	77	–	8	51	5	3	–	–	8	36	–	–	192	74	51	-62	–	390
17. मेघालय	36	27	–	–	10	5	2	–	–	3	–	–	–	146	25	4	–	6	218
18. मिजोरम	48	–	–	29	20	1	1	–	–	1	12	6	–	122	17	–	142	–	330
19. नागालैंड	193	105	–	36	52	10	–	–	–	2	40	–	–	188	78	–	-50	–	409
20. उडीसा	1,091	946	–	60	85	35	11	12	–	26	1	–	–	2,653	856	13	521	22	5,156
21. पंजाब	422	342	–	–	80	22	6	8	–	44	–	–	–	5,732	716	29	147	25	7,071
22. राजस्थान	1,209	1,101	–	–	108	30	10	18	–	47	2	–	–	3,453	1,227	96	561	35	6,580
23. सिक्किम	49	15	–	–	33	1	–	–	–	1	31	–	–	76	16	1	–	–	142
24. तमिलनाडु	1,580	1,181	–	223	177	69	22	17	–	68	–	–	–	3,293	766	583	753	68	7,044
25. त्रिपुरा	138	83	–	–	55	14	1	–	–	4	35	–	–	246	98	–	33	1	517
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	3,460	2,870	–	291	299	67	7	103	15	91	18	-2	–	10,012	1,925	1,178	2,855	330	19,760
28. प.बंगाल	1,182	1,055	–	–	126	69	35	4	–	23	-5	–	2	6,038	673	16	929	20	8,857
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सभी राज्य	**19,274**	**15,652**	**–**	**1,050**	**2,513**	**718**	**241**	**278**	**303**	**630**	**339**	**4**	**60**	**73,521**	**16,861**	**4,734**	**12,769**	**995**	**128,155**

'–' : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : आंकड़ा स्रोत तथा कार्यपद्धति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1992 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	2,117	1,935	–	–	181	108	33	1	–	37	3	–	–	5,056	819	121	1,298	44	9,454
2. अरुणाचल प्रदेश	35	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	135	33	–	83	–	287
3. असम	554	265	–	249	40	3	1	-2	–	38	–	–	–	3,789	163	40	108	4	4,658
4. बिहार	2,026	1,876	–	32	61	22	9	–	–	16	13	–	57	6,401	2,314	–	898	138	11,777
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	39	32	–	–	8	7	–	–	–	–	–	–	–	802	81	2	39	3	967
7. गुजरात	896	752	–	10	134	56	19	5	–	25	28	–	1	6,024	720	347	1,336	39	9,361
8. हरियाणा	548	455	–	–	93	42	15	14	–	21	1	–	–	1,831	815	123	144	10	3,471
9. हिमाचल प्रदेश	181	127	–	11	43	7	–	3	–	12	19	–	–	882	396	2	31	1	1,492
10. जम्मू और कश्मीर	779	187	–	–	593	20	12	–	554	–	7	–	–	2,422	424	117	65	–	3,808
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	1,153	1,028	–	–	125	54	22	4	–	45	–	–	–	3,381	989	–	720	28	6,271
13. केरल	1,363	1,083	–	115	163	63	32	-6	–	74	–	–	2	2,435	1,668	22	293	51	5,833
14. मध्य प्रदेश	1,244	815	–	274	154	21	19	7	–	105	2	–	–	4,053	2,319	332	834	21	8,803
15. महाराष्ट्र	1,158	958	–	–	198	25	3	34	2	111	23	–	3	9,040	1,377	1,904	1,681	118	15,279
16. मणिपुर	170	90	–	30	50	4	3	–	–	7	36	–	–	184	93	1	54	–	503
17. मेघालय	48	40	–	–	9	5	2	-1	–	2	–	–	–	159	30	4	-3	6	245
18. मिजोरम	54	–	–	31	23	1	–	–	–	1	12	9	–	135	28	–	97	–	314
19. नागालैंड	217	120	–	38	58	9	–	–	–	3	46	–	–	201	81	–	-24	–	476
20. उडीसा	1,420	1,204	–	122	94	40	13	11	–	29	1	–	–	2,869	1,050	14	673	40	6,065
21. पंजाब	460	382	–	–	78	21	7	7	–	43	–	–	–	6,607	838	46	155	25	8,131
22. राजस्थान	1,426	1,306	–	–	120	34	12	16	–	56	2	–	–	3,830	1,443	116	797	35	7,647
23. सिक्किम	61	22	–	–	38	2	1	–	–	–	35	–	–	84	19	1	-3	–	162
24. तमिलनाडु	1,811	1,414	–	203	194	81	26	20	–	67	–	–	–	3,937	918	719	808	147	8,341
25. त्रिपुरा	169	100	–	6	64	22	1	–	–	4	37	–	–	264	121	–	19	1	573
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	3,817	3,457	–	107	254	63	4	33	47	92	18	-4	-1	11,777	2,276	1,526	3,344	238	22,978
28. प. बंगाल	1,524	1,326	–	60	137	64	32	5	–	24	12	–	1	6,682	775	81	1,054	20	10,135
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सभी राज्य	**23,270**	**19,008**	**–**	**1,288**	**2,910**	**775**	**267**	**151**	**604**	**812**	**296**	**5**	**64**	**82,979**	**19,790**	**5,519**	**14,502**	**969**	**147,030**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1993 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	2,476	2,272	–	–	204	126	38	1	–	37	3	–	–	5,852	957	149	1,584	44	11,063
2. अरुणाचल प्रदेश	44	21	–	–	23	–	–	–	–	–	17	7	–	151	43	–	23	–	262
3. असम	433	387	–	–	46	10	–	-5	–	40	–	–	–	3,735	186	101	202	13	4,670
4. बिहार	2,326	2,263	–	–	-3	22	9	–	–	14	-48	–	67	6,859	2,796	-28	1,541	58	13,551
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	64	41	–	11	12	12	–	–	–	–	–	–	–	836	96	3	47	3	1,049
7. गुजरात	1,048	878	–	53	117	62	15	6	–	31	3	–	1	6,567	845 [1]	285	1,712	45	10,502
8. हरियाणा	630	519	–	–	111	54	18	14	–	24	1	–	–	2,005	947	147	161	10	3,899
9. हिमाचल प्रदेश	355	151	–	11	193	8	–	4	–	15	23	143	–	941	491	2	42	1	1,833
10. जम्मू और कश्मीर	994	215	–	–	779	26	13	–	733	–	7	–	–	2,401	510	150	-41	–	4,014
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	1,324	1,178	–	–	146	60	26	4	–	56	–	–	–	3,870	1,153	–	740	73	7,160
13. केरल	1,694	1,277	–	198	218	93	40	11	–	73	–	–	2	2,721	1,882	14	356	15	6,682
14. मध्य प्रदेश	1,310	993	–	154	163	25	20	5	–	110	2	–	–	4,362	2,759	343	2,633	35	11,442
15. महाराष्ट्र	1,310	1,146	–	–	162	24	2	-34	2	143	25	–	2	9,899	1,559	2,392	1,694	56	16,911
16. मणिपुर	170	102	–	11	58	5	3	–	–	8	42	–	–	177	115	2	67	–	531
17. मेघालय	59	51	–	–	8	5	2	-2	–	2	–	–	–	173	36	6	21	6	301
18. मिजोरम	63	–	–	24	39	2	–	–	–	1	26	9	–	146	48	–	65	–	322
19. नागालैंड	269	136	–	72	62	13	–	–	–	3	46	–	–	204	86	–	-40	–	520
20. उडीसा	1,673	1,464	–	112	96	38	17	10	–	30	–	–	–	3,148	1,345	15	569	42	6,792
21. पंजाब	499	420	–	–	79	22	6	8	–	42	–	–	–	7,734	1,012	86	167	25	9,524
22. राजस्थान	1,655	1,513	–	–	141	37	13	18	–	69	3	–	–	4,264	1,738	116	847	35	8,654
23. सिक्किम	75	29	–	–	46	2	1	–	–	–	42	–	–	93	25	1	6	–	199
24. तमिलनाडु	2,010	1,669	–	128	213	93	29	21	–	70	–	–	–	4,682	1,160	949	1,255	150	10,206
25. त्रिपुरा	186	116	–	–	70	26	2	–	–	4	38	–	–	283	147	–	15	1	631
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	4,459	4,035	–	299	126	69	3	-40	-3	84	18	-6	-1	13,241	2,689	1,841	4,005	131	26,366
28. प.बंगाल	1,727	1,604	–	–	122	60	37	4	–	28	-7	–	1	7,281	890	123	1,240	20	11,281
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सभी राज्य	**26,853**	**22,480**	**–**	**1,073**	**3,228**	**894**	**295**	**25**	**733**	**885**	**243**	**154**	**72**	**91,626**	**23,515**	**6,698**	**18,911**	**762**	**168,365**

1. 164.66 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'अन्य लेखा' के अंतर्गत शामिल है।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1994 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	2,862	2,609	–	–	253	148	67	2	–	33	2	–	–	7,094	1,109	177	1,655	44	12,940
2. अरुणाचल प्रदेश	53	21	–	–	32	–	–	–	5	–	20	7	–	173	56	2	-2	–	281
3. असम	558	499	–	17	42	5	5	-8	–	40	–	–	–	3,358	291	132	322	14	4,675
4. बिहार	2,691	2,648	–	–	-21	21	9	-5	-17	19	-49	–	65	7,368	3,264	17	1,452	-41	14,752
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	78	51	–	10	18	17	–	–	–	–	–	–	–	854	112	3	64	3	1,115
7. गुजरात	1,132	982	–	–	149	67	20	5	–	30	26	–	1	7,109	969	193	2,025	40	11,467
8. हरियाणा	798	583	–	–	215	65	17	17	85	30	1	–	–	2,216	1,117	141	141	10	4,424
9. हिमाचल प्रदेश	298	175	–	68	54	8	1	–	–	15	30	–	–	1,030	608	4	55	1	1,996
10. जम्मू और कश्मीर	1,031	260	–	–	771	37	13	–	714	–	7	–	–	2,512	616	177	174	–	4,510
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	1,532	1,332	–	–	200	90	52	4	–	53	–	–	–	4,374	1,340	393	1,097	78	8,815
13. केरल	1,735	1,470	–	12	251	111	47	14	–	79	–	–	2	3,114	2,350	18	365	14	7,595
14. मध्य प्रदेश	1,624	1,156	–	298	170	29	21	4	–	114	2	–	–	4,727	3,169	378	868	25	10,792
15. महाराष्ट्र	1,474	1,334	–	–	139	24	1	-57	2	142	26	–	1	10,979	1,782	2,827	1,670	55	18,787
16. मणिपुर	183	114	–	–	69	5	3	–	–	8	53	–	–	177	133	3	68	–	564
17. मेघालय	89	68	–	4	16	5	2	-3	–	2	10	–	–	194	42	8	42	6	381
18. मिजोरम	81	5	–	17	59	2	–	–	–	2	35	19	–	199	59	3	35	–	378
19. नागालैंड	260	152	–	7	102	12	–	–	–	4	86	–	–	206	94	–	25	–	586
20. उडीसा	1,933	1,738	–	96	99	44	22	9	–	31	-7	–	–	3,434	1,646	57	583	35	7,689
21. पंजाब	534	457	–	–	78	21	6	10	–	41	–	–	–	8,722	1,244	108	241	25	10,874
22. राजस्थान	1,893	1,721	–	–	172	35	14	24	–	81	17	–	–	4,727	2,081	190	1,113	35	10,038
23. सिक्किम	81	36	–	–	46	3	1	–	–	–	42	–	–	102	32	2	4	–	222
24. तमिलनाडु	2,213	1,944	–	35	234	107	36	20	–	71	–	–	–	5,523	1,589	989	1,155	146	11,616
25. त्रिपुरा	204	133	–	–	71	25	2	-2	–	3	44	–	–	296	180	–	78	1	759
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	5,446	4,751	–	654	32	69	–	-125	17	66	12	-6	8	14,470	3,093	2,259	4,278	147	29,693
28. प.बंगाल	2,149	1,883	–	86	179	92	42	5	–	28	12	–	1	8,166	995	98	1,498	19	12,926
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117	–	–	–	–	117
सभी राज्य	**30,933**	**26,119**	**–**	**1,306**	**3,429**	**1,044**	**380**	**-85**	**807**	**893**	**371**	**20**	**79**	**101,239**	**27,972**	**8,180**	**19,009**	**658**	**187,992**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1995 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	3,329	3,046	–	–	283	174	73	2	–	32	2	–	–	8,342	1,334	204	1,968	47	15,224
2. अरुणाचल प्रदेश	87	30	–	–	57	–	–	–	–	–	50	7	–	198	72	2	-39	–	319
3. असम	731	660	–	21	50	5	5	-8	–	40	8	1	–	3,550	235	162	535	14	5,228
4. बिहार	3,106	3,087	–	–	-45	21	8	-9	-36	21	-50	–	64	7,957	3,857	18	1,662	102	16,701
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	87	65	–	–	21	21	–	–	–	–	–	–	–	895	130	6	62	3	1,183
7. गुजरात	1,355	1,191	–	–	163	75	20	12	–	31	25	–	1	7,828	1,111 [1]	100	2,562	43	12,999
8. हरियाणा	874	692	–	–	182	62	16	15	27	62	1	–	–	2,542	1,317	141	153	10	5,036
9. हिमाचल प्रदेश	446	210	–	176	61	9	1	–	–	14	36	–	–	1,279	726	20	84	1	2,556
10. जम्मू और कश्मीर	986	317	–	–	669	42	11	–	609	–	7	–	–	2,518	722	208	15	–	4,448
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	1,711	1,514	–	–	197	86	55	5	–	51	–	–	–	5,426	1,567	–	1,168	80	9,952
13. केरल	2,079	1,765	–	–	313	131	57	17	–	107	–	–	1	3,726	3,016	23	377	60	9,280
14. मध्य प्रदेश	1,688	1,505	–	–	184	35	25	6	–	117	1	–	–	5,245	3,644	395	1,154	38	12,165
15. महाराष्ट्र	1,941	1,718	–	–	221	24	1	-77	2	245	26	–	1	12,039	2,040	3,513	2,359	87	21,979
16. मणिपुर	206	128	–	–	78	5	3	–	–	8	62	1	–	183	138	4	77	–	607
17. मेघालय	130	86	–	–	44	5	2	-3	–	2	39	–	–	223	51	8	32	6	450
18. मिजोरम	100	15	–	16	69	2	–	–	–	2	45	19	–	212	77	2	53	–	444
19. नागालैंड	284	176	–	–	107	13	–	–	–	4	90	–	–	225	150	–	-36	–	624
20. उडीसा	2,152	2,037	–	–	115	50	29	9	–	27	–	–	–	3,846	1,962	49	862	45	8,914
21. पंजाब	1,110	628	–	70	413	19	6	15	328	45	–	–	–	9,544	1,495	79	200	25	12,454
22. राजस्थान	2,251	2,035	–	–	216	44	18	33	–	90	32	–	–	5,421	2,526	205	1,428	35	11,866
23. सिक्किम	93	47	–	–	45	2	1	–	–	1	41	–	–	114	37	3	15	1	263
24. तमिलनाडु	2,561	2,294	–	–	268	122	44	30	–	73	–	–	–	6,801	1,811	1,075	1,149	143	13,541
25. त्रिपुरा	225	151	–	–	74	27	2	-2	–	2	44	–	–	313	221	–	87	10	856
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	5,892	5,525	–	326	33	73	5	-129	13	66	10	5	8	17,093	3,578	2,697	5,274	-280	34,253
28. प.बंगाल	2,451	2,280	–	–	171	88	41	5	–	31	6	–	1	9,719	1,078	99	1,761	20	15,128
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	627	–	–	–	–	627
सभी राज्य	**35,875**	**31,200**	**–**	**608**	**3,989**	**1,135**	**421**	**-79**	**943**	**1,071**	**477**	**23**	**77**	**115,865**	**32,894**	**9,013**	**22,963**	**489**	**217,100**

1. 237.22 करोड़ रुपए बकाया राशि 'अन्य लेखा / ऋण' के अंतर्गत शामिल है ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1996 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	3,889	3,516	–	–	373	216	81	41	–	33	2	–	–	9,675	1,599	228	2,339	47	17,778
2. अरुणाचल प्रदेश	98	35	–	–	63	1	–	–	–	–	57	6	–	229	90	2	-22	–	397
3. असम	1,086	823	–	208	55	9	5	-6	–	40	7	1	–	3,864	269	162	930	15	6,326
4. बिहार	3,509	3,595	–	–	-150	19	8	-55	-36	22	-109	–	64	8,772	4,615	13	1,609	177	18,695
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	113	83	–	–	30	26	–	4	–	–	–	–	–	933	152	2	72	3	1,275
7. गुजरात	1,631	1,428	–	–	202	86	19	34	–	38	25	–	1	8,854	1,270	101	3,010	24	14,889
8. हरियाणा	984	821	–	–	163	58	23	36	–	45	1	–	–	3,255	1,538	196	187	10	6,171
9. हिमाचल प्रदेश	880	250	–	563	67	9	5	1	–	17	35	–	–	1,426	872	2	88	1	3,267
10. जम्मू और कश्मीर	1,102	384	–	–	718	44	14	1	608	–	12	40	–	2,584	749	242	-50	–	4,628
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	1,983	1,726	–	–	257	103	60	29	–	64	–	–	–	6,040	1,835	–	1,144	72	11,074
13. केरल	2,486	2,111	–	–	374	153	67	29	–	125	–	–	1	4,238	3,389	63	495	48	10,719
14. मध्य प्रदेश	2,392	1,905	–	252	234	32	28	54	–	120	1	–	–	5,790	4,136	431	1,116	28	13,891
15. महाराष्ट्र	2,469	2,139	–	–	329	23	–	-3	2	281	26	–	1	13,479	2,332	4,280	3,284	535	26,379
16. मणिपुर	245	144	–	20	81	6	2	–	–	8	64	1	–	196	144	6	84	–	676
17. मेघालय	140	111	–	–	29	4	2	-4	–	3	24	–	–	235	61	8	41	6	490
18. मिजोरम	134	30	–	27	77	8	–	–	–	3	46	19	–	238	105	2	58	–	538
19. नागालैंड	342	216	–	–	126	15	–	–	–	5	106	–	–	241	237	1	-40	–	781
20. उडीसा	2,727	2,381	–	165	181	55	35	67	–	24	–	–	–	4,351	2,306	61	801	48	10,295
21. पंजाब	1,864	849	–	330	685	18	5	33	585	43	–	–	–	9,953	1,813	82	303	25	14,040
22. राजस्थान	2,872	2,429	–	155	288	49	21	87	–	86	46	–	–	6,277	3,043	190	1,720	35	14,137
23. सिक्किम	105	63	–	–	42	3	1	–	–	1	38	–	–	128	43	3	11	1	292
24. तमिलनाडु	3,015	2,697	–	–	318	138	51	50	–	79	–	–	–	7,540	1,997	1,155	1,277	150	15,134
25. त्रिपुरा	255	169	–	–	86	33	1	– 2	–	3	50	–	–	333	262	1	88	10	948
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	6,596	6,457	–	110	23	67	35	-111	15	17	5	-5	6	19,215	4,165	3,243	6,103	-324	38,998
28. प.बंगाल	2,979	2,726	–	63	188	82	39	5	–	43	18	–	1	11,417	1,193	102	2,006	20	17,716
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,354	–	–	–	–	1,354
सभी राज्य	**43,895**	**37,088**	**–**	**1,894**	**4,838**	**1,257**	**501**	**288**	**1,175**	**1,101**	**456**	**61**	**76**	**130,618**	**38,216**	**10,577**	**26,654**	**929**	**250,889**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1997 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	4,811	4,045	–	326	440	262	–	91	–	25	–	61	–	10,484	1,842	281	2,745[1]	38	20,201
2. अरुणाचल प्रदेश	123	110	–	–	13	–	–	–	–	–	–	12	–	266	111	2	-22	–	480
3. असम	1,269	1,002	–	241	26	8	–	-6	1	24	–	–	–	3,998	312	162	646	15	6,402
4. बिहार	4,075	4,154	–	–	-142	19	–	-101	-36	20	–	-44	63	9,740	5,321	14	1,462	141	20,752
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	140	102	–	–	38	31	–	7	–	–	–	–	–	976	193	3	87	3	1,402
7. गुजरात	1,975	1,710	–	–	264	117	–	111	–	44	–	-8	1	9,957	1,435	19	3,605	14	17,006
8. हरियाणा	1,153	967	–	6	180	55	–	64	–	49	–	12	–	3,576	1,785	213	267	10	7,004
9. हिमाचल प्रदेश	802	294	–	455	53	13	–	5	–	25	–	10	–	1,716	1,001	5	137	1	3,661
10. जम्मू और कश्मीर	1,172	449	–	–	723	66	–	2	608	–	–	47	–	3,029	848	295	-50	–	5,294
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	2,244	1,959	–	–	286	122	–	89	–	69	–	5	–	6,885	2,120	–	1,418	72	12,739
13. केरल	2,903	2,491[2]	–	–	411	177	–	48	–	145	–	40	1	4,613	3,838	57	889	15	12,314
14. मध्य प्रदेश	2,713	2,357	–	–	356	38	–	186	–	128	–	3	1	6,585	4,640	478	1,494	37	15,948
15. महाराष्ट्र	3,047	2,607	–	–	439	21	–	-12	2	289	–	139	1	15,941	2,737	5,140	3,595	142	30,602
16. मणिपुर	217	161	–	26	29	8	–	–	–	9	–	12	–	228	153	6	117	–	721
17. मेघालय	136	138	–	–	-2	4	–	-5	–	3	–	-4	–	252	72	8	–	6	475
18. मिजोरम	117	46	–	27	43	11	–	–	–	3	–	29	–	262	142	2	52	–	574
19. नागालैंड	299	260	–	–	39	24	–	–	–	4	–	11	–	265	280	–	-90	–	753
20. उडीसा	3,404	2,758	–	440	206	56	–	66	–	20	–	63	–	4,866	2,628	78	970	49	11,996
21. पंजाब	1,918	1,093	–	103	723	17	–	71	590	46	–	–	–	11,049	2,287	94	245	25	15,618
22. राजस्थान	3,677	2,863	–	499	316	57	–	164	–	81	–	14	–	7,203	3,678	228	1,921	35	16,742
23. सिक्किम	16	–	–	–	16	3	–	–	–	1	–	13	–	144	51	3	12	1	228
24. तमिलनाडु	3,411	3,141	–	–	270	130	–	60	–	68	–	12	–	8,533	2,188	1,263	1,718	145	17,257
25. त्रिपुरा	230	189	–	–	41	41	–	-5	–	2	–	3	–	378	317	1	51	10	986
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	8,062	7,489	–	434	134	60	–	-21	18	3	–	74	6	21,725	4,799	3,894	7,418	-267	45,630
28. प.बंगाल	3,423	3,219	–	–	204	77	–	6	–	51	–	69	1	13,498	1,319	104	2,751	20	21,114
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,205	–	–	–	–	2,205
सभी राज्य	**51,338**	**43,602**	**–**	**2,557**	**5,106**	**1,418**	**–**	**821**	**1,183**	**1,108**	**–**	**575**	**74**	**148,373**	**44,095**	**12,350**	**31,436**	**511**	**288,103**

1. 14.73 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'सिविल अग्रिम' के अंतर्गत शामिल ।
2. 2.45 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'बाजार उधार उचंत' के अंतर्गत शामिल ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1998 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	5,644	4,694	–	–	950	250	–	258	–	20	–	422	–	12,059	2,183	286	3,090 [1]	50	23,313
2. अरुणाचल प्रदेश	67	45	–	–	21	–	–	–	–	–	–	21	–	306	136	2	-33	–	477
3. असम	1,414	1,202	–	198	15	8	–	-9	3	12	–	1	–	4,152	372	215	301	15	6,469
4. बिहार	4,734	4,793	–	–	-122	18	–	-101	-17	-29	–	7	62	11,061	5,909	15	1,517	347	23,584
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	170	123	–	–	47	31	–	7	–	–	–	9	–	1,037	233	4	122	3	1,568
7. गुजरात	2,607	2,021	–	–	585	147	–	195	–	49	–	193	1	11,581	1,630	169	4,292	142	20,419
8. हरियाणा	1,378	1,134	–	–	244	52	–	114	5	63	–	10	–	4,150	2,093	239	240	10	8,110
9. हिमाचल प्रदेश	483	342	–	34	108	17	–	38	–	32	–	21	–	2,379	1,198	104	133	1	4,298
10. जम्मू और कश्मीर	1,414	533	–	–	881	116	–	102	608	–	–	55	–	3,231	971	354	-234	–	5,736
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	2,625	2,216	–	–	409	180	–	144	–	75	–	10	–	7,762	2,464	–	1,782	65	14,697
13. केरल	3,530	2,909	–	–	620	279	–	133	–	166	–	42	1	4,991	4,293	63	1,543	50	14,469
14. मध्य प्रदेश	3,321	2,853	–	–	467	45	–	284	–	131	–	6	1	7,718	4,973	510	1,414	40	17,975
15. महाराष्ट्र	3,684	3,126	–	–	556	20	–	-12	2	314	–	232	1	19,078	3,082	6,079	4,810	319	37,052
16. मणिपुर	404	181	–	175	48	11	–	–	1	8	–	29	–	286	172	8	170	–	1,040
17. मेघालय	164	169	–	–	-5	4	–	-2	–	2	–	-9	–	280	95	13	100	6	658
18. मिजोरम	144	64	–	27	52	19	–	2	–	5	–	26	–	293	177	1	156	–	771
19. नागालैंड	363	308	–	-1	56	28	–	–	–	3	–	25	–	288	307	1	-82	–	876
20. उड़ीसा	3,543	3,201	–	16	326	53	–	177	–	18	–	78	–	5,737	3,088	87	1,142	40	13,636
21. पंजाब	2,396	1,360	–	101	935	15	–	112	769	40	–	-1	–	11,979	2,845	155	508	20	17,904
22. राजस्थान	3,856	3,340	–	47	468	68	–	234	–	79	–	86	–	8,319	4,190	209	2,621	35	19,229
23. सिक्किम	32	–	–	–	32	2	–	–	–	1	–	29	–	163	60	5	-1	1	260
24. तमिलनाडु	4,050	3,633	–	–	417	147	–	167	–	56	–	47	–	9,623 [2]	2,563	1,232	1,895	150	19,512
25. त्रिपुरा	286	210	–	34	42	51	–	-6	–	2	–	-5	–	449	373	1	45	10	1,163
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	8,973	8,629	–	–	335	53	–	187	25	–	–	70	9	25,048	5,962	4,641	8,206	-403	52,428
28. प.बंगाल	4,010	3,761	–	–	248	72	–	13	–	61	–	102	1	16,689	1,475	105	2,874	20	25,173
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,081	–	–	–	–	3,081
सभी राज्य	**59,289**	**50,847**	**–**	**630**	**7,734**	**1,684**	**–**	**2,038**	**1,396**	**1,107**	**–**	**1,510**	**77**	**171,737**	**50,843**	**14,498**	**36,609**	**921**	**333,897**

1. 15.02 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'सिविल अग्रिम' के अंतर्गत शामिल ।
2. 2.24 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'विदेशी ऋण' के अंतर्गत शामिल ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 1999 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	7,364	6,038	–	220	1,105	389	–	472	–	10	–	235	–	13,941	2,518	226	4,204 [1]	48	28,301
2. अरुणाचल प्रदेश	83	52	–	7	24	–	–	–	–	–	–	24	–	350	163	2	-31	–	566
3. असम	1,727	1,557	–	85	86	7	–	-1	4	2	–	74	–	4,292	533	215	-16	15	6,765
4. बिहार	5,415	5,522	–	-53	-116	18	–	-106	3	-32	–	1	62	13,375	6,374	17	1,580	347	27,109
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	368	290	–	–	78	36	–	6	–	–	–	36	–	1,130	291	5	137	5	1,936
7. गुजरात	3,225	2,539	–	–	685	194	–	197	–	54	–	241	1	13,976	2,109	222	5,358	179	25,068
8. हरियाणा	1,737	1,269	–	18	450	48	–	119	216	58	–	9	–	4,909	2,838	272	483	10	10,250
9. हिमाचल प्रदेश	1,643	482	–	853	308	89	–	82	–	40	–	98	–	2,697	1,468	197	373	5	6,383
10. जम्मू और कश्मीर	1,660	577	–	105	979	116	–	102	608	–	–	153	–	3,420	1,080	429	-161	–	6,429
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	3,388	2,840	–	–	549	181	–	275	–	86	–	7	–	9,015	2,944	–	2,054	53	17,455
13. केरल	4,368	3,418	–	124	825	418	–	167	–	179	–	61	1	5,648	5,628	68	1,596	25	17,333
14. मध्य प्रदेश	4,159	3,405	–	193	560	41	–	363	–	146	–	10	1	9,230	5,844	585	2,098	40	21,957
15. महाराष्ट्र	4,365	3,740	–	–	624	19	–	-12	2	351	–	264	1	23,062	3,720	7,686	5,355	77	44,264
16. मणिपुर	634	202	–	373	59	12	–	–	14	8	–	25	–	335	180	11	168	–	1,328
17. मेघालय	256	239	–	–	17	3	–	–	–	2	–	12	–	315	118	11	156	6	862
18. मिजोरम	208	94	–	27	86	44	–	2	–	6	–	34	–	324	221	3	86	–	842
19. नागालैंड	490	377	–	-1	113	41	–	–	–	2	–	71	–	320	338	2	-87	–	1,063
20. उडीसा	4,293	3,635	–	304	353	49	–	201	–	16	–	88	–	6,768	3,921	63	1,210	26	16,281
21. पंजाब	4,155	1,706	–	1,006	1,443	14	–	194	1,181	55	–	-1	–	13,057	3,669	201	723	18	21,823
22. राजस्थान	5,714	4,230	–	885	599	80	–	323	–	66	–	130	–	9,934	5,394	249	2,810	35	24,136
23. सिक्किम	69	–	–	–	69	2	–	–	–	–	–	67	–	187	146	10	2	1	415
24. तमिलनाडु	4,986	4,176	–	–	809	222	–	363	–	64	–	160	–	10,846	3,700	1,221	2,287	150	23,189
25. त्रिपुरा	478	270	–	142	66	69	–	-5	–	1	–	–	–	548	453	–	36	10	1,525
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	11,613	10,449	–	571	594	45	–	388	29	17	–	115	–	29,735	7,243	5,533	8,604	-626	62,103
28. प.बंगाल	4,792	4,370	–	–	422	67	–	17	–	72	–	266	–	21,593	2,364	93	3,331	20	32,192
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,788	–	–	–	–	3,788
सभी राज्य	**77,190**	**61,477**	**–**	**4,858**	**10,789**	**2,203**	**–**	**3,147**	**2,057**	**1,204**	**–**	**2,178**	**66**	**202,795**	**63,256**	**17,320**	**42,357**	**445**	**403,364**

1. 15.40 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'सिविल अग्रिम' के अंतर्गत शामिल ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2000 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	10,605	7,739	1,141	316	1,409	456	–	675	–	32	–	246	–	16,556	3,011	340	4,276 [1]	41	34,829
2. अरुणाचल प्रदेश	189	157	1	7	24	–	–	–	–	–	–	24	–	405	196	2	-57	–	735
3. असम	2,922	1,920	300	554	149	7	–	67	4	-10	–	81	–	4,803	853	230	-157	15	8,666
4. बिहार	7,576	5,693	1,700	-53	175	18	–	114	23	-32	–	53	60	15,862	7,311	26	1,742	350	32,866
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	562	383	83	–	96	34	–	9	–	–	–	52	–	1,225	344	13	192	175	2,510
7. गुजरात	6,453	3,070	2,304	227	852	185	–	196	–	62	–	408	1	17,055	2,535	354	7,606	186	34,190
8. हरियाणा	3,885	2,385	674	109	717	45	–	130	455	80	–	7	–	5,767	3,403	323	422	10	13,810
9. हिमाचल प्रदेश	2,527	1,405	69	135	918	402	–	125	–	51	–	340	–	3,065	1,746	92	404	5	7,840
10. जम्मू और कश्मीर	1,791	632	–	21	1,138	116	–	102	608	–	–	312	–	4,158	1,676	465	-352	–	7,739
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	5,488	3,666	950	–	872	404	–	385	–	77	–	5	–	9,599	3,543	–	2,350	65	21,045
13. केरल	5,681	3,959	571	46	1,103	581	–	207	–	216	–	99	1	6,474	8,538	72	1,425	25	22,214
14. मध्य प्रदेश	6,107	4,255	994	172	686	67	–	437	–	170	–	12	1	10,195	6,753	663	2,183	33	25,933
15. महाराष्ट्र	9,442	4,445	4,120	–	877	18	–	-112	2	404	–	566	1	27,148	5,803	8,143	7,444	833	58,813
16. मणिपुर	572	223	18	267	64	12	–	–	14	15	–	23	–	399	468	14	162	–	1,614
17. मेघालय	368	309	13	–	46	3	–	10	–	3	–	29	–	350	147	14	233	6	1,117
18. मिजोरम	297	129	7	27	133	85	–	11	–	6	–	30	–	517	253	5	107	–	1,178
19. नागालैंड	611	478	11	-27	150	56	–	5	–	2	–	87	–	430	373	–	-26	–	1,389
20. उडीसा	5,607	4,289	384	206	727	45	–	324	–	14	–	344	–	8,076	4,975	387	1,447	122	20,614
21. पंजाब	6,082	2,250	1,712	284	1,836	13	–	239	1,446	39	–	98	–	14,727	4,568	234	977	22	26,610
22. राजस्थान	9,154	5,352	1,705	930	1,166	91	–	393	–	42	–	639	–	12,481	6,688	423	2,904	35	31,684
23. सिक्किम	149	–	–	–	149	2	–	–	–	–	–	147	–	240	186	20	-4	1	593
24. तमिलनाडु	7,566	4,783	1,014	412	1,358	248	–	463	–	60	–	586	–	12,385	4,849	1,204	3,414	150	29,568
25. त्रिपुरा	671	346	65	142	119	115	–	-5	–	1	–	8	–	682	582	–	48	10	1,993
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	19,377	12,523	3,256	2,225	1,374	37	–	544	624	25	–	145	-1	35,257	8,557	6,694	8,620	-571	77,934
28. प.बंगाल	11,498	5,035	4,160	1,326	975	62	–	53	–	88	–	772	1	22,475	3,166	52	6,831	20	44,042
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	1,165	–	1,165	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,183	–	–	–	–	6,348
सभी राज्य	**1,26,346**	**75,427**	**26,416**	**7,328**	**17,110**	**3,102**	**–**	**4,372**	**3,177**	**1,345**	**–**	**5,114**	**65**	**2,35,514**	**80,523**	**19,769**	**52,193**	**1,533**	**5,15,877**

1. 15.52 करोड़ रुपए की बकाया राशि 'सिविल अग्रिम' के अंतर्गत शामिल ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2001 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	15,620	9,135	2,928	405	3,151	431	–	943	–	31	–	1,746	–	17,651	3,436	305	4,748	49	41,809
2. अरुणाचल प्रदेश	106	74	1	21	11	–	–	–	–	–	–	10	–	405	263	16	-51	–	739
3. असम	4,094	2,281	828	677	309	7	–	137	4	-21	–	182	–	4,801	1,308	252	-244	15	10,227
4. बिहार	8,604	4,937	3,170	-53	505	13	–	415	37	-2	–	42	44	13,010	6,656	-46	1,458	261	29,942
5. छत्तीसगढ़	1,663	1,202	407	-112	166	18	–	104	–	41	–	3	–	2,652	1,800	226	617	9	6,967
6. गोवा	691	368	182	9	132	39	–	10	–	–	–	83	–	1,292	388	7	243	200	2,822
7. गुजरात	12,221	3,833	6,206	889	1,292	226	–	180	–	63	–	823	1	17,991	2,874	517	9,087	91	42,781
8. हरियाणा	4,044	1,764	1,284	24	973	42	–	164	685	78	–	5	–	5,893	3,902	388	412	10	14,650
9. हिमाचल प्रदेश	3,098	935	180	118	1,865	576	–	230	–	44	–	1,015	–	2,935	2,001	92	573	5	8,705
10. जम्मू और कश्मीर	2,409	959	–	21	1,429	116	–	102	608	–	–	603	–	4,388	2,172	517	-384	–	9,101
11. झारखंड	2,052	1,563	430	–	44	4	–	29	6	-8	–	13	15	4,012	1,849	6	441	89	8,448
12. कर्नाटक	7,681	4,491	1,994	–	1,196	553	–	545	–	67	–	31	–	10,256	4,126	188	3,025	26	25,301
13. केरल	7,571	4,499	1,012	585	1,474	885	–	247	–	224	–	118	1	6,673	10,190	84	1,715	25	26,259
14. मध्य प्रदेश	6,212	3,766	1,721	109	615	51	–	457	–	91	–	17	–	8,074	5,712	610	1,502	18	22,127
15. महाराष्ट्र	15,221	5,203	8,779	–	1,237	17	–	132	2	448	–	639	1	27,029	6,509	9,423	8,975	445	67,601
16. मणिपुर	600	244	18	267	70	12	–	–	14	15	–	30	–	549	559	14	149	–	1,870
17. मेघालय	453	379	–	–	74	3	–	23	–	4	–	45	–	376	209	12	332	6	1,388
18. मिजोरम	482	165	10	125	183	121	–	22	–	6	–	33	–	491	311	4	87	–	1,375
19. नागालैंड	765	578	18	-27	196	58	–	19	–	7	–	111	–	484	435	–	-81	–	1,604
20. उड़ीसा	7,931	4,937	987	1,012	994	41	–	345	–	12	–	596	–	8,581	5,836	200	1,549	122	24,220
21. पंजाब	9,616	2,595	4,042	292	2,687	12	–	320	1,950	113	–	292	–	14,720	5,210	239	956	22	30,763
22. राजस्थान	11,824	6,466	3,613	375	1,370	87	–	529	–	29	–	725	–	12,798	7,652	329	2,903	35	35,541
23. सिक्किम	388	211	–	–	177	-2	–	–	–	–	–	178	–	249	203	9	3	1	852
24. तमिलनाडु	10,867	5,818	2,301	242	2,506	646	–	686	–	63	–	1,111	–	12,943	5,820	1,236	3,526	149	34,541
25. त्रिपुरा	733	422	–	142	169	175	–	-5	–	1	–	-2	–	735	896	-30	40	10	2,384
26. उत्तरांचल	932	646	237	–	50	2	–	27	31	1	–	-12	–	1,844	456	337	565	-29	4,106
27. उत्तर प्रदेश	22,495	13,449	6,949	87	2,013	27	–	786	1,052	23	–	126	-3	34,720	9,168	7,872	9,708	-865	83,098
28. प.बंगाल	20,581	5,847	9,056	1,351	4,325	57	–	55	–	111	–	4,103	2	23,106	3,689	59	7,474	20	54,929
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	2,670	–	2,670	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,255	–	–	–	–	7,924
सभी राज्य	**181,623**	**86,767**	**59,022**	**6,559**	**29,213**	**4,216**	**–**	**6,501**	**4,390**	**1,439**	**–**	**12,667**	**62**	**243,910**	**93,629**	**22,868**	**59,328**	**714**	**602,072**

टिप्पणी : बिहार, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अविभाजित राज्य की मार्च 2000 के अंत की स्थिति के अनुसार बकाया देयताओं (घटकवार) को उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर क्रमशः नए रूप से प्रस्थापित झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल राज्य को प्रभाजित किया गया है ।

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2002 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	19,612	11,031	4,074	–	4,508	407	–	1,324	–	43	–	2,733	–	20,174	3,757	376	4,672	46	48,637
2. अरुणाचल प्रदेश	111	101	3	21	-13	–	–	–	–	–	–	-14	–	403	303	29	-56	–	790
3. असम	5,643	2,790	1,216	1,303	334	7	–	180	4	-25	–	168	–	4,613	1,578	305	-167	15	11,988
4. बिहार	11,060	5,932	4,610	-53	528	13	–	447	37	-11	–	42	43	13,760	7,502	-46	1,598	261	34,135
5. छत्तीसगढ़	2,286	1,472	744	-112	182	18	–	126	–	35	–	3	–	2,854	1,856	320	796	9	8,121
6. गोवा	961	457	313	39	151	37	–	21	–	–	–	93	–	1,358	417	8	326	676	3,746
7. गुजरात	17,395	5,182	10,000	597	1,615	213	–	178	–	55	–	1,169	1	19,480	3,107	657	7,087	193	47,919
8. हरियाणा	6,328	2,025	2,154	585	1,565	38	–	237	1,205	80	–	4	–	6,008	4,307	362	710	10	17,726
9. हिमाचल प्रदेश	4,296	1,299	474	119	2,405	652	–	319	–	34	–	1,399	–	2,912	2,208	189	445	5	10,055
10. जम्मू और कश्मीर	3,182	1,222	207	21	1,732	207	–	276	608	–	–	641	–	4,260	2,547	580	-946	–	9,624
11. झारखंड	3,225	1,933	1,155	-50	172	4	–	139	6	-9	–	32	15	4,199	2,009	6	451	89	9,979
12. कर्नाटक	10,418	5,538	3,458	–	1,421	690	–	643	–	54	–	33	–	11,952	4,699	325	3,872	72	31,337
13. केरल	9,282	5,376	1,474	504	1,927	1,209	–	354	–	255	–	109	1	6,918	11,262	132	1,939	3	29,536
14. मध्य प्रदेश	7,878	4,430	2,524	109	815	47	–	684	–	69	–	15	–	9,152	6,116	696	2,183	18	26,043
15. महाराष्ट्र	22,790	6,432	14,251	–	2,106	16	–	453	2	643	–	992	1	26,933	7,143	11,276	10,265	134	78,541
16. मणिपुर	638	282	18	267	71	12	–	–	14	18	–	28	–	460	600	14	157	–	1,870
17. मेघालय	548	464	–	–	84	3	–	41	–	6	–	35	–	401	266	12	294	6	1,528
18. मिजोरम	610	208	10	166	226	161	–	34	–	6	–	25	–	562	384	4	154	–	1,713
19. नागालैंड	990	723	27	-27	267	63	–	41	–	20	–	143	–	549	480	–	-136	–	1,884
20. उडीसा	9,831	5,679	1,484	1,243	1,425	38	–	486	–	10	–	891	–	9,099	6,747	190	2,238	56	28,161
21. पंजाब	13,696	2,992	5,437	418	4,849	11	–	464	3,880	65	–	430	–	14,766	5,750	445	1,048	25	35,730
22. राजस्थान	16,767	7,552	6,550	1,071	1,593	115	–	683	–	16	–	779	–	12,807	8,630	338	3,057	35	41,634
23. सिक्किम	439	221	15	–	203	14	–	13	–	–	–	177	–	255	222	6	6	1	929
24. तमिलनाडु	14,003	6,861	3,788	102	3,251	789	–	897	–	127	–	1,438	–	13,265	6,381	1,217	4,053	150	39,069
25. त्रिपुरा	924	470	–	218	236	250	–	-5	–	1	–	-9	–	798	1,064	-26	46	10	2,817
26. उत्तरांचल	1,496	858	592	–	46	2	–	24	31	1	–	-13	–	1,850	585	372	714	1	5,018
27. उत्तर प्रदेश	29,612	15,620	10,804	777	2,417	18	–	857	1,352	13	–	177	-6	36,044	9,816	9,500	11,642	-793	95,822
28. प.बंगाल	30,604	6,877	14,845	2,101	6,779	52	–	53	–	116	–	6,559	2	23,717	4,079	102	7,874	19	66,396
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	4,444	–	4,444	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,333	–	–	–	–	9,777
सभी राज्य	**249,069**	**104,027**	**94,670**	**9,419**	**40,894**	**5,085**	**–**	**8,969**	**7,139**	**1,622**	**–**	**18,078**	**59**	**254,884**	**103,815**	**27,389**	**64,325**	**1,042**	**700,524**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2003 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	26,541	14,257	6,735	–	5,549	500	–	1,702	–	28	–	3,319	–	20,430	4,169	352	4,492	46	56,030
2. अरुणाचल प्रदेश	177	136	3	21	17	–	–	30	–	–	–	-13	–	443	350	29	-32	–	966
3. असम	6,576	3,678	2,071	535	286	5	–	186	4	-28	–	119	5	4,711	1,798	417	-403	–	13,099
4. बिहार	14,532	7,086	6,608	-53	849	13	–	768	37	-11	–	42	43	14,218	7,695	-46	1,594	261	38,254
5. छत्तीसगढ़	3,400	1,935	1,295	-112	282	18	–	197	–	64	–	3	–	2,921	1,894	431	936	9	9,592
6. गोवा	1,377	612	522	87	156	35	–	22	–	–	–	100	–	1,302	442	11	342	30	3,503
7. गुजरात	24,910	7,651	15,658	42	1,558	200	–	176	–	44	–	1,139	1	18,289	3,358	1,155	7,274	188	55,175
8. हरियाणा	8,046	2,739	3,726	–	1,581	35	–	316	1,110	86	–	34	–	6,006	4,662	398	826	10	19,948
9. हिमाचल प्रदेश	6,106	1,983	850	21	3,251	709	–	421	–	29	–	2,093	–	2,616	2,484	308	709	5	12,228
10. जम्मू और कश्मीर	4,491	1,800	492	21	2,178	314	–	507	608	–	–	749	–	4,134	2,856	645	-1,597	–	10,528
11. झारखंड	4,751	2,388	2,007	-60	401	4	–	268	6	-10	–	133	15	4,470	2,094	6	478	89	11,887
12. कर्नाटक	14,019	7,047	5,436	–	1,535	660	–	771	–	72	–	31	–	12,087	5,325	486	4,022	80	36,020
13. केरल	11,684	6,510	2,306	449	2,417	1,581	–	419	–	252	–	165	1	7,106	12,778	191	2,528	25	34,312
14. मध्य प्रदेश	10,876	5,512	4,132	109	1,123	43	–	964	–	54	–	62	–	9,592	6,209	854	2,333	18	29,882
15. महाराष्ट्र	31,348	7,432	20,669	–	3,246	565	–	534	2	707	–	1,439	1	26,773	7,201	13,350	11,167	113	89,952
16. मणिपुर	273	352	18	-168	71	12	–	–	14	16	–	29	–	907	553	15	142	–	1,890
17. मेघालय	722	551	33	–	138	2	–	49	–	7	–	79	–	432	298	15	347	6	1,820
18. मिजोरम	729	326	10	116	277	201	–	42	–	5	–	29	–	580	477	4	178	–	1,967
19. नागालैंड	973	890	27	-239	295	72	–	42	–	24	–	157	–	972	498	-2	-56	–	2,385
20. उडीसा	10,950	6,880	2,098	448	1,523	35	–	596	–	10	–	882	–	9,937	7,589	201	2,137	55	30,869
21. पंजाब	18,628	4,054	8,064	186	6,324	157	–	578	5,160	17	–	412	–	13,635	6,306	461	1,069	25	40,125
22. राजस्थान	21,749	9,816	9,948	236	1,749	110	–	887	–	8	–	745	–	12,454	9,568	417	3,310	35	47,534
23. सिक्किम	475	241	24	–	210	22	–	13	–	–	–	175	–	257	246	4	7	1	989
24. तमिलनाडु	21,363	9,000	5,988	652	5,722	959	–	1,141	–	89	–	3,533	–	12,578	6,669	625	3,086	150	44,471
25. त्रिपुरा	1,024	582	–	144	299	310	–	5	–	–	–	-16	–	794	1,406	-25	68	10	3,278
26. उत्तरांचल	2,994	1,808	1,166	-85	105	2	–	79	31	6	–	-13	–	1,366	714	307	893	1	6,274
27. उत्तर प्रदेश	36,423	18,518	15,878	–	2,033	11	–	782	924	16	–	301	-6	35,515	11,773	11,311	10,966	-862	105,126
28. प.बंगाल	40,895	9,282	23,431	162	8,018	47	–	52	–	124	–	7,794	2	24,654	4,266	268	8,223	19	78,325
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	7,721	–	7,721	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,773	–	–	–	–	12,494
सभी राज्य	**333,753**	**133,066**	**146,914**	**2,512**	**51,198**	**6,621**	**–**	**11,546**	**7,896**	**1,611**	**–**	**23,524**	**63**	**253,952**	**113,678**	**32,188**	**65,036**	**314**	**798,921**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2004 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	32,795	17,090	7,698	–	5,571	472	–	1,449	–	10	–	3,641	2,436	22,432	4,606	565	5,306	27	65,730
2. अरुणाचल प्रदेश	151	262	-111	-35	35	–	–	47	–	–	–	-12	–	388	415	98	-34	–	1,018
3. असम	7,445	4,496	2,267	398	280	4	–	194	4	-31	–	108	5	4,768	2,338	431	-471	–	14,510
4. बिहार	18,473	8,803	8,477	-53	1,204	13	–	1,102	37	1	–	51	42	15,092	7,435	-46	1,847	261	43,063
5. छत्तीसगढ़	4,792	2,577	1,425	-112	418	18	–	310	–	87	–	3	483	3,233	1,992	516	999	9	11,540
6. गोवा	1,879	843	805	66	165	33	–	34	–	1	–	98	–	1,230	485	9	327	29	3,959
7. गुजरात	30,364	10,846	17,661	42	1,814	186	–	173	–	80	–	1,375	1	20,803	3,641	1,116	7,721	107	63,754
8. हरियाणा	10,291	3,825	3,547	–	897	32	–	418	304	91	–	52	2,022	6,256	4,954	363	1,041	10	22,914
9. हिमाचल प्रदेश	7,883	2,839	647	-131	4,527	745	–	302	–	14	–	3,467	–	2,747	2,720	276	642	5	14,273
10. जम्मू और कश्मीर	5,391	2,277	742	21	2,352	427	–	587	608	–	–	730	–	4,222	3,168	792	-2,636	–	10,937
11. झारखंड	6,004	2,963	2,621	-70	476	4	–	344	6	-11	–	133	15	4,629	2,224	6	504	89	13,456
12. कर्नाटक	17,553	9,645	5,958	–	1,950	782	–	532	–	56	–	580	–	13,094	5,884	761	3,374	39	40,706
13. केरल	16,096	8,221	2,992	565	3,159	1,944	–	479	–	275	–	460	1,159	7,460	14,403	199	1,578	8	39,746
14. मध्य प्रदेश	17,253	7,735	5,049	375	1,428	40	–	1,282	–	42	–	64	2,664	10,830	6,300	1,209	2,001	17	37,609
15. महाराष्ट्र	43,886	13,655	24,101	–	6,130	2,314	–	490	2	684	–	2,640	1	27,339	7,689	15,866	12,246	103	107,129
16. मणिपुर	408	529	-23	-168	70	12	–	–	14	16	–	29	–	877	539	14	144	–	1,981
17. मेघालय	910	700	20	–	176	2	–	63	–	9	–	102	14	462	330	13	224	6	1,945
18. मिजोरम	828	422	1	30	329	237	–	60	–	3	–	29	46	567	602	5	265	–	2,266
19. नागालैंड	1,180	1,098	-19	-239	340	82	–	49	–	21	–	187	–	509	520	-5	-74	–	2,130
20. उडीसा	13,486	8,681	2,185	–	1,517	31	–	622	–	12	–	851	1,103	10,661	7,822	174	2,057	48	34,247
21. पंजाब	22,619	6,059	8,829	455	6,638	150	–	681	5,131	11	–	665	637	13,742	6,767	673	1,181	25	45,007
22. राजस्थान	25,711	12,282	11,285	–	1,774	103	–	954	–	1	–	717	369	14,372	10,516	581	3,814	35	55,029
23. सिक्किम	529	296	19	–	215	30	–	12	–	–	–	173	–	256	267	6	8	1	1,067
24. तमिलनाडु	26,091	11,537	7,170	17	7,368	944	–	1,338	–	1,471	–	3,615	–	13,045	6,932	683	3,098	150	49,999
25. त्रिपुरा	1,227	792	-6	144	297	389	–	4	–	1	–	-97	–	840	1,505	-12	96	10	3,665
26. उत्तरांचल	5,767	3,173	1,952	-85	728	2	–	129	31	6	–	560	–	478	871	262	1,036	36	8,451
27. उत्तर प्रदेश	47,585	23,109	16,439	–	2,172	3	–	762	1,174	14	–	219	5,866	37,339	13,575	13,514	10,594	-895	121,712
28. प.बंगाल	51,935	14,711	25,468	830	8,960	43	–	50	–	123	–	8,745	1,966	25,449	4,505	498	7,771	18	90,177
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	10,531	–	10,531	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,950	–	–	–	–	15,481
सभी राज्य	**429,063**	**179,466**	**167,726**	**2,052**	**60,990**	**9,043**	**–**	**12,467**	**7,311**	**2,985**	**–**	**29,184**	**18,830**	**268,069**	**123,003**	**38,565**	**64,662**	**138**	**923,500**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2005 *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	42,602	19,964	12,533	–	7,669	2,289	–	854	–	75	–	4,452	2,436	19,895	4,953	585	7,403	50	75,487
2. अरुणाचल प्रदेश	286	279	-84	157	-66	–	–	60	–	–	–	-126	–	433	482	98	-39	–	1,260
3. असम	8,454	5,129	2,681	418	222	4	–	160	4	-31	–	85	5	4,523	2,719	622	-495	–	15,824
4. बिहार	22,976	10,463	9,673	-53	1,258	13	–	1,157	37	1	–	51	1,634	15,231	7,839	30	1,808	261	48,145
5. छत्तीसगढ़	6,029	2,787	2,298	-112	572	18	–	465	–	86	–	3	483	2,643	2,050	567	1,214	9	12,512
6. गोवा	2,386	961	1,265	–	160	31	–	29	–	1	–	98	–	1,194	527	9	327	30	4,472
7. गुजरात	38,779	12,657	24,473	–	1,648	–	–	170	142	48	–	1,288	1	19,872	3,872	715	8,586	193	72,017
8. हरियाणा	12,598	4,755	5,073	–	748	29	–	527	6	94	–	93	2,022	5,410	5,238	437	1,284	10	24,977
9. हिमाचल प्रदेश	8,867	3,690	648	-226	4,754	693	–	236	–	16	–	3,810	–	2,781	2,981	207	1,528	5	16,368
10. जम्मू और कश्मीर	6,383	2,693	1,043	21	2,627	511	–	738	608	–	–	769	–	4,407	3,481	912	-2,859	–	12,323
11. झारखंड	7,780	3,311	3,302	-70	1,223	4	–	594	6	-14	–	633	15	5,477	2,379	10	641	89	16,375
12. कर्नाटक	23,241	11,762	9,699	–	1,780	748	–	389	–	74	–	569	–	11,888	6,470	1,226	2,813	41	45,678
13. केरल	20,179	9,597	5,615	235	3,573	2,282	–	525	–	290	–	476	1159	7,415	14,791	322	1,497	85	44,289
14. मध्य प्रदेश	22,892	9,299	7,790	109	1,615	36	–	745	–	28	–	806	4,079	10,758	6,941	1,544	2,030	18	44,183
15. महाराष्ट्र	57,690	17,544	34,673	–	5,472	2,226	–	-115	2	630	–	2,729	1	24,733	8,184	18,884	13,844	103	1,23,437
16. मणिपुर	449	598	9	-218	60	11	–	–	14	16	–	19	–	1,522	527	13	252	–	2,763
17. मेघालय	1,069	825	75	–	155	2	–	27	–	9	–	118	14	465	364	19	242	6	2,165
18. मिजोरम	931	501	25	30	328	225	–	62	–	3	–	37	46	615	696	14	333	–	2,588
19. नागालैंड	1,372	1,237	-9	-235	380	88	–	63	–	19	–	210	–	549	531	-5	-32	–	2,415
20. उडीसा	15,203	9,581	3,339	–	1,180	28	–	341	–	13	–	798	1,103	10,803	8,381	69	1,823	29	36,307
21. पंजाब	26,772	7,719	11,452	283	6,681	7	–	770	5,131	6	–	766	637	12,740	7,186	1,099	1,390	25	49,212
22. राजस्थान	31,686	14,358	15,142	–	1,817	991	–	287	–	-6	–	545	369	13,507	11,681	916	3,977	35	61,802
23. सिक्किम	628	332	51	–	198	37	–	-11	–	–	–	172	48	267	292	9	11	1	1,208
24. तमिलनाडु	33,897	13,786	13,003	-188	5,333	1,419	–	655	342	21	–	2,895	1,962	10,188	6,504	479	4,482	150	55,700
25. त्रिपुरा	1,648	1,025	187	144	292	411	–	3	–	1	–	-122	–	823	1,668	-4	119	10	4,263
26. उत्तरांचल	7,161	3,435	2,920	-50	857	2	–	244	31	20	–	560	–	603	984	295	1,205	44	10,292
27. उत्तर प्रदेश	55,093	26,428	19,381	25	3,392	-4	–	750	2,129	-37	–	555	5,866	38,164	15,385	15,765	10,388	-863	1,33,932
28. प.बंगाल	64,069	18,728	35,130	–	8,245	38	–	47	–	109	–	8,051	1,966	26,431	4,781	857	8,966	16	1,05,120
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	14,264	–	14,264	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,928	–	–	–	–	17,191
सभी राज्य	**5,35,380**	**2,13,443**	**2,35,650**	**270**	**62,171**	**12,138**	**–**	**9,771**	**8,452**	**1,470**	**–**	**30,339**	**23,846**	**2,56,265**	**1,31,886**	**45,692**	**72,736**	**346**	**10,42,305**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2006 (संअ) *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एनसीडीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	49,640	21,347	17,139	–	8,718	2,433	–	1,831	–	31	–	4,422	2,436	20,504	5,446	710	6,977	50	83,328
2. अरुणाचल प्रदेश	587	321	154	212	-100	1	–	105	–	5	–	-211	–	505	661	98	-39	–	1,813
3. असम	9,857	5,847	3,295	418	294	4	–	260	4	-33	–	59	5	4,375	3,370	529	-495	–	17,637
4. बिहार	26,618	10,811	12,047	-53	1,697	13	–	1,592	37	4	–	51	2,115	14,812	7,772	30	1,473	261	50,966
5. छत्तीसगढ़	6,979	2,815	3,185	-112	606	18	–	498	–	87	–	3	483	2,643	2,111	572	1,335	9	13,648
6. गोवा	2,926	1,027	1,765	–	134	29	–	25	–	1	–	79	–	1,264	562	9	342	30	5,133
7. गुजरात	45,660	13,003	30,315	–	2,341	–	–	168	142	27	–	2,004	1	20,355	3,872	565	8,586	193	79,231
8. हरियाणा	14,714	5,142	6,607	–	943	25	–	679	1	99	–	139	2,022	5,342	5,576	467	1,437	10	27,546
9. हिमाचल प्रदेश	9,515	4,116	1,438	-226	4,187	704	–	403	–	25	–	3,056	–	2,848	3,281	207	1,528	5	17,384
10. जम्मू और कश्मीर	7,427	2,920	1,643	21	2,844	624	–	948	608	–	–	664	–	4,613	4,031	1,010	-3,109	–	13,972
11. झारखंड	9,762	3,546	3,805	-70	2,466	4	–	944	6	229	–	1,283	15	5,342	2,532	10	774	89	18,507
12. कर्नाटक	27,641	11,933	13,915	–	1,793	713	–	486	–	31	–	563	–	13,462	7,237	1,213	2,127	41	51,721
13. केरल	25,127	11,059	8,567	235	4,106	2,591	–	764	–	260	–	491	1,159	7,766	15,584	305	1,334	85	50,201
14. मध्य प्रदेश	26,952	10,130	10,564	109	2,164	33	–	1,274	3	17	–	838	3,985	10,861	7,011	1,554	2,001	18	48,396
15. महाराष्ट्र	74,911	18,697	50,063	–	6,150	2,071	–	885	2	668	–	2,524	1	24,714	8,779	19,898	14,800	103	1,43,203
16. मणिपुर	672	787	45	-218	59	8	–	8	14	13	–	15	–	1,481	706	13	437	–	3,308
17. मेघालय	1,269	956	123	–	176	1	–	52	–	11	–	112	14	532	409	19	282	6	2,518
18. मिजोरम	1,148	601	55	30	416	261	–	74	–	4	–	77	46	610	793	8	337	–	2,896
19. नागालैंड	1,680	1,451	15	-235	449	105	–	83	–	17	–	245	–	525	551	-5	-86	–	2,665
20. उड़ीसा	16,123	9,686	4,017	–	1,317	27	–	569	–	8	–	712	1,103	10,957	8,848	69	1,574	29	37,600
21. पंजाब	30,670	8,697	15,013	–	6,322	6	–	883	4,713	5	–	715	637	12,615	7,767	1,422	1,080	25	53,578
22. राजस्थान	35,944	15,005	18,641	–	1,930	984	–	537	–	-17	–	426	369	13,663	12,959	835	4,014	35	67,450
23. सिक्किम	754	420	85	–	201	44	–	-13	–	–	–	170	48	254	316	9	11	1	1,346
24. तमिलनाडु	39,495	15,002	18,024	-579	5,087	1,351	–	1,048	329	18	–	2,341	1,962	10,433	6,517	441	4,466	150	61,502
25. त्रिपुरा	1,833	1,144	344	144	202	411	–	26	–	–	–	-236	–	794	1,808	-4	150	10	4,591
26. उत्तरांचल	8,954	3,929	4,020	-50	1,056	52	–	376	31	24	–	573	–	800	1,107	447	1,476	52	12,836
27. उत्तर प्रदेश	64,385	28,510	26,419	25	3,564	-11	–	715	2,129	-45	–	777	5,866	37,385	17,609	17,567	10,987	-926	1,47,007
28. प.बंगाल	72,855	19,995	42,329	–	8,565	33	–	54	–	101	–	8,376	1,966	26,254	5,093	945	8,235	20	1,13,402
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	16,503	–	16,503	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,762	–	–	–	–	19,266
सभी राज्य	**6,30,602**	**2,28,898**	**3,10,133**	**-350**	**67,688**	**12,535**	**–**	**15,276**	**8,018**	**1,591**	**–**	**30,268**	**24,233**	**2,58,471**	**1,42,309**	**48,942**	**72,034**	**294**	**11,52,652**

विवरण 26 : बकाया देयता विन्यास - 2007 (ब.अ.) *(समाप्त)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल आंतरिक ऋण	बाजार ऋण	एनएस एसएफ	भारिबैं से अर्थोपाय अग्रिम	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण	एलआइसी से ऋण	जीआइसी से ऋण	नाबार्ड से ऋण	एसबीआइ और अन्य बैंकों से ऋण	एन सी डीसी से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	अन्य ऋण	क्षति पूर्ति और अन्य बांड	केंद्र से ऋण और अग्रिम	भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि	जमा राशियां और अग्रिम (निवल शेष)	आकस्मिक निधि	बकाया देयताएं
1	2 = जोड़ (3-6)+14	3	4	5	6 =जोड़ (7-13)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=2+जोड़ (15-19)
1. आंध्र प्रदेश	55,966	22,730	22,126	–	8,795	2,313	–	2,749	–	37	–	3,696	2,314	21,722	6,089	913	6,705	50	91,445
2. अरुणाचल प्रदेश	603	347	125	267	-136	2	–	150	–	10	–	-298	–	580	708	98	-39	–	1,950
3. असम	11,118	6,538	3,838	418	362	3	–	360	4	-35	–	30	-38	4,186	3,785	529	-495	–	19,122
4. बिहार	31,401	12,792	14,383	-53	2,269	12	–	2,165	37	3	–	52	2,010	14,334	7,787	30	1,083	261	54,897
5. छत्तीसगढ़	8,007	2,820	4,056	-112	783	11	–	680	–	93	–	-1	459	2,676	2,172	695	1,427	9	14,986
6. गोवा	3,451	1,147	2,162	–	142	27	–	34	–	3	–	78	–	1,447	592	9	358	30	5,886
7. गुजरात	52,638	13,241	36,275	–	3,120	–	–	166	121	6	–	2,828	1	20,635	3,872	215	8,586	193	86,138
8. हरियाणा	16,419	5,593	7,704	–	1,201	22	–	869	1	106	–	203	1,921	5,575	5,914	483	1,539	10	29,940
9. हिमाचल प्रदेश	10,188	4,539	1,804	-231	4,076	699	–	578	–	25	–	2,774	–	2,929	3,516	207	1,528	5	18,373
10. जम्मू और कश्मीर	7,892	3,088	1,943	21	2,841	724	–	1,048	608	–	–	460	–	4,994	4,523	1,008	-3,368	–	15,049
11. झारखंड	14,259	3,800	5,281	-70	5,236	4	–	1,764	6	406	–	3,056	13	5,093	2,730	10	906	89	23,087
12. कर्नाटक	28,351	11,699	14,400	–	2,251	678	–	1,054	–	-10	–	529	–	14,177	8,179	1,719	1,442	41	53,909
13. केरल	30,103	12,472	11,498	235	4,797	2,871	–	1199	–	224	–	504	1,101	8,469	17,435	288	1,309	85	57,688
14. मध्य प्रदेश	31,948	12,626	12,646	109	2,809	29	–	1,774	123	7	–	877	3,757	11,034	7,071	1,563	1,911	18	53,545
15. महाराष्ट्र	82,440	19,965	55,289	–	7,185	1,937	–	1,879	2	866	–	2,501	1	25,006	9,501	21,513	15,994	103	1,54,556
16. मणिपुर	1,113	984	287	-218	61	5	–	18	14	11	–	13	–	1,236	690	13	212	–	3,264
17. मेघालय	1,424	1,037	175	–	199	4	–	75	–	10	–	110	13	634	458	19	308	6	2,849
18. मिजोरम	1,305	689	87	30	453	295	–	81	–	3	–	75	46	598	899	7	337	–	3,147
19. नागालैंड	1,989	1,685	27	-235	513	120	–	102	–	15	–	276	–	505	559	-5	-106	–	2,943
20. उडीसा	17,418	10,932	3,879	–	1,559	51	–	849	–	5	–	653	1,048	11,678	9,047	49	1,168	29	39,388
21. पंजाब	34,464	9,708	18,431	–	5,719	5	–	879	4,265	10	–	560	605	12,485	8,188	1,496	952	25	57,609
22. राजस्थान	39,379	16,696	20,266	–	2,066	799	–	1,011	–	-20	–	276	351	14,055	14,133	850	4,201	35	72,652
23. सिक्किम	932	556	118	–	213	50	–	-5	–	–	–	169	45	246	347	15	11	1	1,553
24. तमिलनाडु	45,907	17,342	22,109	-579	5,355	1,539	–	1,639	314	10	–	1,854	1,679	11,476	6,551	449	4,105	167	68,655
25. त्रिपुरा	2,107	1,228	502	144	233	441	–	56	–	–	–	-264	–	765	1,947	-4	150	10	4,975
26. उत्तरांचल	10,748	4,386	5,186	-50	1,227	52	–	507	31	39	–	597	–	821	1,191	607	1,738	92	15,197
27. उत्तर प्रदेश	75,398	31,757	34,079	25	3,672	-18	–	988	2,129	-48	–	621	5,865	36,774	19,325	19,550	11,237	-926	1,61,358
28. प.बंगाल	85,702	21,262	54,097	–	8,474	28	–	62	–	87	–	8,297	1,868	26,407	5,436	981	7,680	20	1,26,226
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	15,525	–	15,525	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,762	–	–	–	–	18,287
सभी राज्य	**7,18,191**	**2,51,660**	**3,68,296**	**-300**	**75,475**	**12,705**	**–**	**22,730**	**7,654**	**1,862**	**–**	**30,524**	**23,060**	**2,63,298**	**1,52,645**	**53,307**	**70,880**	**351**	**12,58,672**

विवरण 27 : राज्य सरकार की कुल बकाया देयताएं

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	8,150	9,454	11,063	12,940	15,224	17,778	20,201	23,313	28,301
2. अरुणाचल प्रदेश	280	287	262	281	319	397	480	477	566
3. असम	4,341	4,658	4,670	4,675	5,228	6,326	6,402	6,469	6,765
4. बिहार	10,633	11,777	13,551	14,752	16,701	18,695	20,752	23,584	27,109
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. गोवा	903	967	1,049	1,115	1,183	1,275	1,402	1,568	1,936
7. गुजरात	8,076	9,361	10,502	11,467	12,999	14,889	17,006	20,419	25,068
8. हरियाणा	3,076	3,471	3,899	4,424	5,036	6,171	7,004	8,110	10,250
9. हिमाचल प्रदेश	1,329	1,492	1,833	1,996	2,556	3,267	3,661	4,298	6,383
10. जम्मू और कश्मीर	3,358	3,808	4,014	4,510	4,448	4,628	5,294	5,736	6,429
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	5,898	6,271	7,160	8,815	9,952	11,074	12,739	14,697	17,455
13. केरल	4,983	5,833	6,682	7,595	9,280	10,719	12,314	14,469	17,333
14. मध्य प्रदेश	7,777	8,803	11,442	10,792	12,165	13,891	15,948	17,975	21,957
15. महाराष्ट्र	12,878	15,279	16,911	18,787	21,979	26,379	30,602	37,052	44,264
16. मणिपुर	390	503	531	564	607	676	721	1,040	1,328
17. मेघालय	218	245	301	381	450	490	475	658	862
18. मिजोरम	330	314	322	378	444	538	574	771	842
19. नागालैंड	409	476	520	586	624	781	753	876	1,063
20. उडीसा	5,156	6,065	6,792	7,689	8,914	10,295	11,996	13,636	16,281
21. पंजाब	7,071	8,131	9,524	10,874	12,454	14,040	15,618	17,904	21,823
22. राजस्थान	6,580	7,647	8,654	10,038	11,866	14,137	16,742	19,229	24,136
23. सिक्किम	142	162	199	222	263	292	228	260	415
24. तमिलनाडु	7,044	8,341	10,206	11,616	13,541	15,134	17,257	19,512	23,189
25. त्रिपुरा	517	573	631	759	856	948	986	1,163	1,525
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27. उत्तर प्रदेश	19,760	22,978	26,366	29,693	34,253	38,998	45,630	52,428	62,103
28. प.बंगाल	8,857	10,135	11,281	12,926	15,128	17,716	21,114	25,173	32,192
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	117	627	1,354	2,205	3,081	3,788
सभी राज्य	**128,155**	**147,030**	**168,365**	**187,992**	**217,100**	**250,889**	**288,103**	**333,897**	**403,364**

टिप्पणी : आंकड़ा स्रोत तथा कार्यपद्धति पर व्याख्यात्मक टिप्पणी देखें ।

विवरण 27 : राज्य सरकार की कुल बकाया देयताएं *(समाप्त)*

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	34,829	41,809	48,637	56,030	65,730	75,487	83,328	91,445
2. अरुणाचल प्रदेश	735	739	790	966	1,018	1,260	1,813	1,950
3. असम	8,666	10,227	11,988	13,099	14,510	15,824	17,637	19,122
4. बिहार	32,866	29,942	34,135	38,254	43,063	48,145	50,966	54,897
5. छत्तीसगढ़	–	6,967	8,121	9,592	11,540	12,512	13,648	14,986
6. गोवा	2,510	2,822	3,746	3,503	3,959	4,472	5,133	5,886
7. गुजरात	34,190	42,781	47,919	55,175	63,754	72,017	79,231	86,138
8. हरियाणा	13,810	14,650	17,726	19,948	22,914	24,977	27,546	29,940
9. हिमाचल प्रदेश	7,840	8,705	10,055	12,228	14,273	16,368	17,384	18,373
10. जम्मू और कश्मीर	7,739	9,101	9,624	10,528	10,937	12,323	13,972	15,049
11. झारखंड	–	8,448	9,979	11,887	13,456	16,375	18,507	23,087
12. कर्नाटक	21,045	25,301	31,337	36,020	40,706	45,678	51,721	53,909
13. केरल	22,214	26,259	29,536	34,312	39,746	44,289	50,201	57,688
14. मध्य प्रदेश	25,933	22,127	26,043	29,882	37,609	44,183	48,396	53,545
15. महाराष्ट्र	58,813	67,601	78,541	89,952	107,129	1,23,437	1,43,203	1,54,556
16. मणिपुर	1,614	1,870	1,870	1,890	1,981	2,763	3,308	3,264
17. मेघालय	1,117	1,388	1,528	1,820	1,945	2,165	2,518	2,849
18. मिजोरम	1,178	1,375	1,713	1,967	2,266	2,588	2,896	3,147
19. नागालैंड	1,389	1,604	1,884	2,385	2,130	2,415	2,665	2,943
20. उडीसा	20,614	24,220	28,161	30,869	34,247	36,307	37,600	39,388
21. पंजाब	26,610	30,763	35,730	40,125	45,007	49,212	53,578	57,609
22. राजस्थान	31,684	35,541	41,634	47,534	55,029	61,802	67,450	72,652
23. सिक्किम	593	852	929	989	1,067	1,208	1,346	1,553
24. तमिलनाडु	29,568	34,541	39,069	44,471	49,999	55,700	61,502	68,655
25. त्रिपुरा	1,993	2,384	2,817	3,278	3,665	4,263	4,591	4,975
26. उत्तरांचल	–	4,106	5,018	6,274	8,451	10,292	12,836	15,197
27. उत्तर प्रदेश	77,934	83,098	95,822	105,126	121,712	1,33,932	1,47,007	1,61,358
28. प.बंगाल	44,042	54,929	66,396	78,325	90,177	1,05,120	1,13,402	1,26,226
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	6,348	7,924	9,777	12,494	15,481	17,191	19,266	18,287
सभी राज्य	**5,15,877**	**6,02,072**	**7,00,524**	**7,98,921**	**9,23,500**	**10,42,305**	**11,52,652**	**12,58,672**

विवरण 28 : कुल बकाया देयताएं - सघउ का प्रतिशत

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

राज्य	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (सं.अ.)	2007 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	23.0	21.9	23.5	22.4	22.1	22.3	22.4	24.3	24.6	27.8	29.8	32.1	34.3	35.6	37.3	36.9	36.3
2. अरुणाचल प्रदेश	55.9	46.4	36.0	31.4	32.9	33.5	39.6	35.7	37.4	45.1	41.5	40.7	45.5	42.0	49.7	65.4	64.3
3. असम	39.7	38.2	34.8	30.9	29.8	32.6	30.5	28.4	26.5	29.6	32.5	34.9	34.8	36.1	36.4	37.4	37.6
4. बिहार	38.1	37.8	40.2	37.8	37.9	42.3	38.6	38.4	39.0	45.2	63.7	72.5	72.0	82.3	84.3	84.1	86.6
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.3	27.5	30.7	29.9	31.1	30.8	33.1
6. गोवा	67.3	58.4	52.5	46.5	41.7	38.4	35.4	31.9	31.9	37.1	36.7	46.4	37.9	41.0	42.9	45.2	48.4
7. गुजरात	26.5	28.0	23.9	23.3	20.5	20.7	19.8	22.4	23.8	31.4	39.4	39.4	39.5	38.5	40.1	38.7	37.0
8. हरियाणा	20.9	19.7	20.8	20.0	19.2	20.7	19.7	21.0	23.5	28.2	26.6	29.3	30.1	31.0	30.1	29.9	29.1
9. हिमाचल प्रदेश	41.7	39.8	42.3	41.7	43.9	48.8	47.2	48.6	59.7	64.1	64.1	67.2	75.3	79.0	81.5	77.7	73.8
10. जम्मू और कश्मीर	81.0	80.7	76.7	71.1	63.8	57.2	58.0	55.8	56.3	55.4	61.7	60.4	59.4	57.0	59.0	60.8	60.1
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.0	30.5	32.6	33.8	37.5	38.5	43.7
12. कर्नाटक	23.6	19.4	20.2	21.5	20.8	19.7	19.5	20.1	19.9	22.2	24.2	28.9	30.4	31.3	30.8	30.9	29.2
13. केरल	30.2	28.5	28.7	28.9	29.1	27.7	27.7	29.2	30.8	35.5	37.6	40.8	42.3	44.4	44.1	45.0	45.7
14. मध्य प्रदेश	24.7	26.1	30.3	20.7	21.0	21.4	21.4	22.0	23.5	25.1	30.0	30.8	36.6	38.3	42.9	44.4	44.5
15. महाराष्ट्र	19.4	20.2	18.0	16.6	16.9	16.7	17.1	19.0	21.1	24.2	28.3	29.4	30.0	32.7	33.2	34.2	32.8
16. मणिपुर	47.5	51.0	48.6	43.1	43.2	41.5	38.0	48.2	54.7	57.7	64.1	55.9	54.3	54.1	68.5	77.0	70.8
17. मेघालय	21.4	20.7	22.9	25.2	27.0	24.6	21.6	26.3	29.3	34.0	37.2	36.9	41.2	40.4	41.1	43.9	45.5
18. मिजोरम	84.8	59.1	53.0	53.1	60.1	57.4	53.5	68.6	67.6	83.6	77.7	89.0	89.7	89.0	90.0	88.1	83.6
19. नागालैंड	53.4	51.6	48.4	42.6	39.1	43.0	37.2	37.7	44.6	54.5	43.6	45.5	50.2	36.2	35.1	32.6	30.1
20. उडीसा	45.2	41.4	42.9	41.5	40.1	38.0	45.3	42.3	45.8	53.2	62.4	67.0	70.4	63.0	61.2	59.3	56.5
21. पंजाब	38.4	36.5	37.2	36.0	36.4	36.4	35.3	36.8	39.2	43.6	46.6	50.4	54.4	55.5	55.7	54.6	52.9
22. राजस्थान	27.5	28.8	27.7	30.4	28.6	29.9	29.1	30.0	33.0	40.3	45.0	47.3	56.3	52.4	56.0	55.1	52.4
23. सिक्किम	58.0	60.2	71.5	55.2	59.7	56.1	38.4	38.2	52.8	70.2	87.7	86.0	80.2	77.0	78.9	78.4	81.0
24. तमिलनाडु	20.3	20.4	21.4	20.2	19.7	19.4	19.3	18.8	19.6	23.4	24.5	27.2	28.7	29.7	29.5	29.7	30.1
25. त्रिपुरा	39.8	39.1	40.7	42.7	45.5	41.3	35.8	35.3	40.0	43.9	45.2	46.9	50.6	51.1	53.7	52.7	51.7
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.6	38.1	41.6	48.7	50.9	55.1	55.0
27. उत्तर प्रदेश	32.8	32.8	34.4	34.5	33.9	34.3	33.5	35.8	37.9	44.3	48.0	52.9	53.2	56.6	56.8	57.2	57.4
28. प.बंगाल	23.6	23.3	24.2	24.2	24.4	24.0	25.7	25.7	27.9	34.7	39.3	43.2	47.3	48.4	50.8	49.7	49.6
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	–	0.6	2.4	4.8	6.5	7.5	8.0	12.0	12.6	14.4	17.3	19.2	18.9	19.3	16.4
सभी राज्य (सघउ का प्रतिशत)	**22.5**	**22.5**	**22.5**	**21.9**	**21.4**	**21.1**	**21.1**	**21.9**	**23.2**	**26.3**	**28.6**	**30.7**	**32.6**	**33.5**	**33.4**	**32.6**	**31.8**

विवरण 29 : राज्य सरकारों के बाजार उधार

(करोड़ रुपए)

राज्य	2004-05				2005-06				2006-07			
	सकल आंबटन	चुकौति	निवल आंबटन (2-3)	उगाही गई राशि	सकल आंबटन	चुकौति	निवल आंबटन (6-7)	उगाही गई राशि	सकल आंबटन	चुकौति	निवल आंबटन (10-11)	उगाही गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	3,312	438	2,874	3,312	1,956	573	1,383	1,956	2,051	530	1,521	1,642
2. अरुणाचल प्रदेश	22	5	17	22	47	5	42	47	61	5	56	61
3. असम	794	162	632	794	880	163	717	880	811	179	632	478
4. बिहार	1,890	330	1,560	1,890	1,076	380	696	728	1,183	418	766	–
5. छत्तीसगढ़	523	93	430	392	432	86	346	–	476	95	381	–
6. गोवा	133	15	118	133	144	18	127	83	159	19	140	–
7. गुजरात	2,020	209	1,811	2,020	858	256	602	602	944	282	662	–
8. हरियाणा	1,039	109	930	1,039	521	134	387	521	598	147	451	–
9. हिमाचल प्रदेश	886	34	852	886	469	44	425	469	512	44	468	300
10. जम्मू और कश्मीर	474	58	416	474	298	71	227	298	241	73	167	241
11. झारखंड	560	112	448	560	364	129	236	364	401	141	259	208
12. कर्नाटक	2,299	182	2,117	2,299	1,582	243	1,339	415	1,376	233	1,142	–
13. केरल	1,672	296	1,376	1,672	1,808	346	1,462	1,808	1,153	380	773	1,153
14. मध्य प्रदेश	1,730	256	1,474	1,730	1,551	315	1,236	1,261	1,421	357	1,065	600
15. महाराष्ट्र	4,275	386	3,889	4,275	1,580	426	1,154	1,580	1,738	468	1,269	1,000
16. मणिपुर	83	14	69	83	205	16	189	205	99	18	81	99
17. मेघालय	142	18	124	142	158	27	131	158	125	28	97	69
18. मिजोरम	89	10	79	89	115	15	100	115	55	17	38	55
19. नागालैंड	164	25	139	164	254	40	214	254	203	44	160	163
20. उडीसा	1,199	299	900	1,199	1,169	401	768	506	1,047	393	653	–
21. पंजाब	1,830	171	1,659	1,831	1,199	221	978	1,199	681	243	438	681
22. राजस्थान	2,391	314	2,077	2,391	1,363	394	968	1,041	1,499	434	1,065	999
23. सिक्किम	48	12	36	48	104	16	88	104	115	17	97	115
24. तमिलनाडु	2,599	350	2,249	2,599	1,650	403	1,246	1,619	1,814	444	1,371	–
25. त्रिपुरा	251	18	233	251	137	18	119	137	123	20	104	35
26. उत्तरांचल	309	40	269	309	568	55	513	568	369	52	317	159
27. उत्तर प्रदेश	6,887	748	6,139	4,060	3,096	1034	2,062	3,096	3,248	979	2,269	1,633
28. प.बंगाल	4,439	421	4,018	4,439	2,324	447	1,876	1,714	1,336	492	844	1,336
सभी राज्य	**42,058**	**5,123**	**36,935**	**39,101**	**25,909**	**6,274**	**19,633**	**21,729**	**23,837**	**6,551**	**17,286**	**11,026**

* 17 नवंबर 2006 की स्थिति के अनुसार ।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार ।

विवरण 30 : राज्य सरकारों के योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1999-2000 (वास्तविक व्यय)	2000-01 (वास्तविक व्यय)	2001-02 (वास्तविक व्यय)	2002-03 (वास्तविक व्यय)	2003-04 (वास्तविक व्यय)	2004-05 (वास्तविक व्यय)	2005-06 (अनुमोदित परिव्यय)	2005-06 (संशोधित परिव्यय)	2006-07 (अनुमोदित परिव्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	4,748	7,035	7,969	8,315	10,759	11,457	15,651	13,530	20,000
2. अरुणाचल प्रदेश	468	511	555	531	642	656	950	818	1,100
3. असम	1,405	1,481	1,628	1,415	1,456	2,175	3,000	3,000	3,507
4. बिहार	2,676	1,638	1,471	2,207	2,627	3,196	5,330	4,735	8,250
5. छत्तीसगढ़	–	470	1,361	1,767	2,404	2,833	4,275	4,097	5,378
6. गोवा	237	361	373	423	568	767	1,025	1,025	1,200
7. गुजरात	6,492	4,965	5,357	5,403	7,585	7,603	11,000	11,000	12,504
8. हरियाणा	1,676	1,718	1,766	1,776	1,866	2,108	3,000	3,059	3,300
9. हिमाचल प्रदेश	1,624	1,723	1,720	2,051	1,307	1,475	1,600	1,675	1,800
10. जम्मू और कश्मीर	1,506	1,538	1,743	2,064	2,352	2,839	4,200	4,200	4,348
11. झारखंड	–	–	2,024	2,797	1,772	2,991	4,510	4,519	6,500
12. कर्नाटक	6,363	6,785	7,904	8,164	8,619	11,741	13,555	12,853	16,166
13. केरल	2,946	2,954	2,398	3,944	3,618	3,544	5,369	5,357	6,210
14. मध्य प्रदेश	3,589	3,177	4,532	5,330	5,087	6,610	7,471	8,325	9,020
15. महाराष्ट्र	10,419	9,586	8,526	7,739	8,188	9,817	11,000	11,000	14,829
16. मणिपुर	453	248	229	209	287	560	985	993	1,160
17. मेघालय	343	463	470	400	487	590	800	723	900
18. मिजोरम	378	372	402	421	551	550	685	733	758
19. नागालैंड	306	318	400	368	479	463	620	676	760
20. उडीसा	2,484	2,562	2,450	2,474	2,437	2,739	3,000	3,000	3,500
21. पंजाब	1,753	1,877	2,171	1,766	1,586	1,956	3,550	3,550	4,000
22. राजस्थान	3,601	3,773	4,338	4,431	6,044	6,591	8,350	8,000	8,620
23. सिक्किम	193	218	282	340	368	467	500	511	550
24. तमिलनाडु	5,414	5,777	5,319	5,841	7,088	8,286	9,100	9,114	12,500
25. त्रिपुरा	453	474	523	591	576	579	804	758	950
26. उत्तरांचल	–	821	1,729	1,449	1,678	1,917	2,700	2,732	4,000
27. उत्तर प्रदेश	6,572	5,956	7,695	6,618	6,132	8,428	13,500	13,579	19,000
28. प.बंगाल	3,928	5,631	4,595	2,673	2,529	4,268	6,476	6,033	8,024
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	2,298	3,129	4,005	4,406	4,609	4,261	5,100	4,700	5,200
सभी राज्य	**72,325**	**75,561**	**83,935**	**85,914**	**93,700**	**111,467**	**148,096**	**144,296**	**183,871**

'–' : लागू नहीं ।

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार।

विवरण 31 : वर्ष 2006-07 (ब.अ.) के दौरान अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) उपायों से राजस्व आय

(करोड़ रुपए)

राज्य	कृषिगत आय कर	भू - राजस्व	स्टॅम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क	बिक्री कर	राज्य उत्पाद शुल्क	माल और यात्री पर कर	वाहनों पर कर	विद्युत शुल्क	मनोरंजन कर	व्यवसाय कर	अन्य कर @	कुल कर राजस्व	करेतर राजस्व	रियायत (यदि कोई हो)	कुल योग (13+14-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. गुजरात	–	–	–	–	–	–	15	–	3	–	–	18	–	3	15
2. हरियाणा	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	15	25	–	40
3. केरल	–	–	–	87	–	–	–	–	–	–	40	127	–	22	105
4. मिजोरम	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	5	9	–	14
5. रा.रा.क्षे.दिल्ली	–	–	50	–	–	–	50	–	–	–	–	100	–	–	100
कुल	–	–	**50**	**92**	–	**15**	**65**	–	**3**	–	**40**	**265**	**34**	**25**	**273**

@ इसमें विलासिता कर, बाजी लगाने पर कर, मनोरंजन कर, सड़क कर, अधिग्रहण कर आदि शामिल हैं ।

स्रोत : राज्य सरकारों से प्राप्त बजट दस्तावेज तथा अन्य जानकारी ।

विवरण 32 : पूंजी प्राप्तियां तथा पूंजी व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	पूंजी प्रप्तियां				पूंजी व्यय			
	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2003-04 (लेखा)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	14,244	19,377	12,060	16,313	10,290	15,845	11,292	15,347
2. अरुणाचल प्रदेश	326	290	621	340	800	576	706	575
3. असम	3,139	4,497	2,491	2,238	2,146	4,516	3,398	3,638
4. बिहार	5,428	6,210	5,255	5,179	4,501	5,416	5,899	6,441
5. छत्तीसगढ़	2,634	2,473	1,601	1,734	2,351	2,544	2,528	3,020
6. गोवा	798	866	785	851	653	598	716	825
7. गुजरात	14,938	14,695	9,656	9,478	11,032	10,598	8,756	9,457
8. हरियाणा	5,772	4,437	3,286	4,319	5,005	3,035	1,868	2,308
9. हिमाचल प्रदेश	4,162	3,702	2,403	2,012	2,508	2,242	2,163	1,767
10. जम्मू और कश्मीर	348	1,399	1,927	1,514	2,221	2,939	3,743	4,546
11. झारखंड	1,790	3,623	2,334	4,999	2,436	3,217	3,661	4,538
12. कर्नाटक	8,358	9,420	6,932	3,187	7,982	9,315	6,840	7,744
13. केरल	7,713	7,240	6,942	8,948	4,273	3,106	2,694	3,645
14. मध्य प्रदेश	9,555	10,097	8,226	6,333	5,158	11,386	8,494	7,083
15. महाराष्ट्र	27,273	31,061	24,515	19,679	18,354	21,622	17,606	11,134
16. मणिपुर	714	1,189	549	254	857	949	870	1,185
17. मेघालय	255	469	435	439	456	474	436	525
18. मिजोरम	583	375	396	343	538	423	594	348
19. नागालैंड	-370	409	483	522	571	591	977	934
20. उडीसा	6,476	4,717	3,759	3,682	4,704	3,513	3,216	3,114
21. पंजाब	7,848	7,535	6,405	5,613	4,633	3,796	2,805	3,827
22. राजस्थान	10,800	11,769	6,765	6,690	7,021	9,001	6,321	6,586
23. सिक्किम	115	353	187	247	296	438	524	558
24. तमिलनाडु	11,208	14,042	8,792	11,289	8,494	12,625	7,462	10,153
25. त्रिपुरा	499	750	740	717	702	802	1,440	1,379
26. उत्तरांचल	2,404	2,231	2,533	2,753	1,845	1,330	2,201	3,029
27. उत्तर प्रदेश	37,639	21,774	14,851	15,345	19,220	14,514	12,197	16,329
28. प.बंगाल	20,995	15,150	19,438	16,763	12,664	5,348	10,114	7,626
29. रा.रा.क्षे.दिल्ली	4,920	4,539	4,771	187	6,633	7,048	6,810	5,810
कुल	**210,562**	**204,687**	**159,136**	**151,969**	**148,342**	**157,805**	**136,332**	**143,471**

टिप्पणी : पूंजी प्रप्तियों में लोक लेखा निवल आधार पर शामिल है जबकि पूंजी व्यय लोक लेखा को छोड़कर है। परिशिष्ट III और IV की टिप्पणी भी देखें ।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
आंध्र प्रदेश			
ब्याज वाले ऋण			
1.	13.85%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	481.53
2.	12.30%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	65.15
3.	13.00%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	362.52
4.	13.05%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	580.00
5.	13.75%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	48.15
6.	11.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	226.04
7.	12.15%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	381.12
8.	12.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	775.72
9.	11.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	245.36
10.	11.77%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	400.00
11.	11.85%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	251.49
12.	12.25%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	700.67
13.	12.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	400.00
14.	10.52%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	514.13
15.	11.00%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	500.01
16.	11.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	239.91
17.	11.80%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	400.00
18.	12.00%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	285.07
19.	8.37%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	350.00
20.	9.45%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	198.74
21.	9.53%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	475.00
22.	10.35%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	684.46
23.	10.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	200.02
24.	11.50%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	127.20
25.	12.00%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	212.31
26.	6.67%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	294.65
27.	7.80%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	386.71
28.	7.80%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	442.82
29.	7.90%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2012	250.00
30.	8.00%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	154.00
31.	8.30%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	192.54
32.	6.03%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2013	500.00
33.	6.20%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	462.14
34.	6.35%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	404.26
35.	6.35%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	531.53
36.	6.40%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	828.00
37.	6.60%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.85
38.	6.75%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	342.19
39.	6.95%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	876.00
40.	5.60%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	732.45
41.	5.70%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	590.62
42.	7.32%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	321.15
43.	7.36%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	734.87
44.	5.85%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	263.83
45.	6.20%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	462.25
46.	7.02%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	354.34
47.	7.39%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015	482.10
48.	7.77%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	782.75
49.	7.34%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2015	375.00
50.	7.32%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	316.53
51.	5.90%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	305.98
52.	7.17%	आंध्र प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	46.86
53.	5.00%	शहरी भूमि सीमाबंदी (आंध्र प्रदेश) बांड 1976	0.13
		जोड़ [क]	**21,347.12**
पावर बांड			
1.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	121.80
2.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	121.80
3.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	121.80
4.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	121.80
5.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	121.80
6.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	121.80
7.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	121.80
8.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	121.80
9.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	121.80
10.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	121.80
11.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	121.80
12.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	121.80
13.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	121.80
14.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	121.80
15.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	121.80
16.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	121.80
17.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	121.80
18.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	121.80
19.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	121.80
20.	8.50%	आंध्र प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	121.80
		जोड़ [ख]	**2,436.10**
		ब्याज रहित ऋण [ग]	**1.03**
		जोड़ [क+ख+ग]	**23,784.24**
अरुणाचल प्रदेश			
ब्याज वाले ऋण			
1.	13.85%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	4.68
2.	13.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	4.68
3.	13.05%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	5.65
4.	13.75%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	0.47
5.	11.50%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	3.33
6.	12.15%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	4.00
7.	12.50%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	2.22
8.	11.50%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	3.60
9.	12.25%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	4.00
10.	10.52%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.01
11.	11.30%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.22
12.	11.50%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	4.30
13.	12.00%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	2.21
14.	8.60%	आंध्र प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	5.17
15.	9.45%	अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.17

रा.वि.ऋ. : राज्य विकास ऋण

स्रोत : रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
16.	10.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	5.88
17.	10.82% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.00
18.	11.50% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	1.77
19.	12.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	2.96
20.	6.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.12
21.	7.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	8.43
22.	7.80% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	4.67
23.	8.00% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	7.93
24.	8.30% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	3.05
25.	6.95% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	14.00
26.	6.75% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	4.00
27.	6.40% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	9.02
28.	6.35% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	8.75
29.	6.20% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	10.00
30.	5.60% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.50
31.	7.32% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	5.13
32.	7.36% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	8.52
33.	6.20% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	10.00
34.	5.85% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	11.88
35.	5.85% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	23.00
36.	7.77% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	7.21
37.	7.39 % अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	6.83
38.	7.53 % अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	9.35
39.	7.61 % अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	23.60
40.	5.90% अरुणाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	58.00
	जोड़ [क]	**321.32**
पावर बांड		
1.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	1.20
2.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	1.20
3.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	1.20
4.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	1.20
5.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	1.20
6.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	1.20
7.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	1.20
8.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	1.20
9.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	1.20
10.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	1.20
11.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	1.20
12.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	1.20
13.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	1.20
14.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	1.20
15.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	1.20
16.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	1.20
17.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	1.20
18.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	1.20
19.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	1.20
20.	8.50% अरुणाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	1.20
	जोड़ [ख]	**24.07**
	जोड़ [क+ख]	**345.39**

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
असम		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% असम रा.वि.ऋ. 2006	162.63
2.	12.30% असम रा.वि.ऋ. 2007	87.40
3.	13.00% असम रा.वि.ऋ. 2007	120.47
4.	13.75% असम रा.वि.ऋ. 2007	16.26
5.	13.05% असम रा.वि.ऋ. 2007	125.00
6.	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2008	24.10
7.	12.15% असम रा.वि.ऋ. 2008	200.00
8.	12.50% असम रा.वि.ऋ. 2008	181.25
9.	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2009	31.83
10.	11.85% असम रा.वि.ऋ. 2009	100.00
11.	12.25% असम रा.वि.ऋ. 2009	200.00
12.	10.52% असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
13.	11.30% असम रा.वि.ऋ. 2010	86.45
14.	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2010	34.31
15.	12.00% असम रा.वि.ऋ. 2010	125.00
16.	9.45% असम रा.वि.ऋ. 2011	155.00
17.	10.35% असम रा.वि.ऋ. 2011	75.00
18.	10.82% असम रा.वि.ऋ. 2011	129.90
19.	11.50% असम रा.वि.ऋ. 2011	14.14
20.	12.00% असम रा.वि.ऋ. 2011	23.60
21.	6.80% असम रा.वि.ऋ. 2012	118.88
22.	7.80% असम रा.वि.ऋ. 2012	89.04
23.	7.80% असम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	177.19
24.	8.00% असम रा.वि.ऋ. 2012	106.76
25.	8.30% असम रा.वि.ऋ. 2012	194.52
26.	6.95% असम रा.वि.ऋ. 2013	303.00
27.	6.75% असम रा.वि.ऋ. 2013	222.52
28.	6.40% असम रा.वि.ऋ. 2013	207.37
29.	6.35% असम रा.वि.ऋ. 2013	113.41
30.	6.20% असम रा.वि.ऋ. 2013	129.60
31.	6.35% असम रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	49.53
32.	5.60% असम रा.वि.ऋ. 2014	220.00
33.	5.70% असम रा.वि.ऋ. 2014	110.49
34.	7.32% असम रा.वि.ऋ. 2014	174.32
35.	7.36% असम रा.वि.ऋ. 2014	137.11
36.	6.20% असम रा.वि.ऋ. 2015	129.60
37.	5.85% असम रा.वि.ऋ. 2015	157.60
38.	7.02% असम रा.वि.ऋ. 2015	69.40
39.	7.39% असम रा.वि.ऋ. 2015	146.62
40.	7.50% असम सरकार का स्टॉक 2015	208.84
41.	7.77% असम रा.वि.ऋ. 2015	224.84
42.	7.65% असम सरकार का स्टॉक 2016	200.00
43.	7.75% असम सरकार का स्टॉक 2016	100.00
44.	5.90% असम रा.वि.ऋ. 2017	205.40
45.	7.17% असम रा.वि.ऋ. 2017	33.61
46.	असम राज्य जमींदारी अधिग्रहण अधिनियम, 1951 क्षतिपूर्ति बांड	0.08
	जोड़ [क]	**5,847.06**

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
पावर बांड		
1.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2006	42.88
2.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2007	42.88
3.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2007	42.88
4.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2008	42.88
5.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2008	42.88
6.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2009	42.88
7.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2009	42.88
8.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2010	42.88
9.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2010	42.88
10.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2011	42.88
11.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2011	42.88
12.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2012	42.88
13.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2012	42.88
14.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2013	42.88
15.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2013	42.88
16.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2014	42.88
17.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2014	42.88
18.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2015	42.88
19.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2015	42.88
20.	8.50% असम सरकार पा.बां. 2016	42.88
	जोड़ [ख]	**857.53**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.01**
	जोड़ [क+ख+ग]	**6,704.60**
बिहार[1]		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2006	231.53
2.	13.75% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	186.04
3.	13.05% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	149.42
4.	12.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	331.10
5.	13.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	298.82
6.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	184.56
7.	12.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	548.37
8.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	199.31
9.	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	298.86
10.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	253.77
11.	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	216.66
12.	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	59.77
13.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	108.88
14.	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	181.74
15.	2.50% बिहार जमींदारी समापन क्षतिपूर्ति बांड	23.05
	जोड़ [क]	**3,271.86**
16.	9.45% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	262.00
17.	10.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	170.02
18.	10.82% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	362.19
19.	6.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	227.09
20.	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	184.30
21.	7.80% बिहार रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	327.11
22.	8.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	323.61
23.	8.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2012	360.30
24.	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	337.20
25.	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	295.05
26.	6.40% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	369.00
27.	6.75% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	297.97
28.	6.95% बिहार रा.वि.ऋ. 2013	299.00
29.	6.35% बिहार रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	151.98
30.	5.60% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	359.00
31.	5.70% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	265.06
32.	7.32% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	308.53
33.	7.36% बिहार रा.वि.ऋ. 2014	266.05
34.	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	202.06
35.	5.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.83
36.	6.20% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	337.20
37.	7.02% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	213.00
38.	7.77% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	494.14
39.	7.39% बिहार रा.वि.ऋ. 2015	233.49
40.	5.90% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	568.50
41.	7.17% बिहार रा.वि.ऋ. 2017	326.55
	जोड़ [ख]	**7,562.21**
	जोड़ [क+ख]	**10,834.07**
पावर बांड		
1.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	103.78
2.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	103.78
3.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	103.78
4.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	103.78
5.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	103.78
6.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	103.78
7.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	103.78
8.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	103.78
9.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	103.78
10.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	103.78
11.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	103.78
12.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	103.78
13.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	103.78
14.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	103.78
15.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	103.78
16.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	103.78
17.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	103.78
18.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	103.78
19.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	103.78
20.	8.50% बिहार सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	103.78
	जोड़ [ग]	**2,075.61**
	ब्याज रहित ऋण [घ]	**0.37**
	जोड़ [क+ख+ग+घ]	**12,910.05**

[1] क्रम सं. 1-15 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 के आदेश सं. एफ 9(3) - बी(एस) 2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
छत्तीसगढ़[2]		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	73.05
2.	12.30% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	41.42
3.	13.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	47.70
4.	13.05% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	67.90
5.	13.75% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	21.71
6.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2008	21.52
7.	12.15% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2008	50.32
8.	12.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2008	81.62
9.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2009	38.18
10.	11.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2009	64.08
11.	12.25% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2009	67.79
12.	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	62.94
13.	11.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	79.86
14.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	40.08
15.	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	61.49
16.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	17.71
17.	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	26.01
18.	5.00% शहरी भूमि सीमाबंदी (मध्यप्रदेश) बांड	0.15
	जोड़ [क]	**863.55**
19.	10.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	84.93
20.	10.50% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	40.00
21.	10.82% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2011	30.49
22.	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	56.45
23.	7.80% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	154.87
24.	8.00% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	65.49
25.	8.10% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	67.00
26.	8.30% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2012	52.00
27.	6.75% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	115.21
28.	6.95% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	137.01
29.	6.35% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	72.80
30.	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2013	83.21
31.	5.60% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	153.68
32.	5.70% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	106.67
33.	7.32 % छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2014	132.00
34.	6.20% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015	83.23
35.	5.85% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2015	100.02
36.	5.90% छत्तीसगढ़ रा.वि.ऋ. 2017	302.32
	जोड़ [ख]	**1,837.38**
	जोड़ [क+ख]	**2,700.92**
पावर बांड		
1.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	24.16
2.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	24.16
3.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	24.16
4.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	24.16
5.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	24.16
6.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	24.16
7.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	24.16
8.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	24.16
9.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	24.16
10.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	24.16
11.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	24.16
12.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	24.16
13.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	24.16
14.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	24.16
15.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	24.16
16.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	24.16
17.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	24.16
18.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	24.16
19.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	24.16
20.	8.50% छत्तीसगढ़ सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	24.16
	जोड़ [ग]	**483.22**
	ब्याज रहित ऋण [घ]	**0.41**
	जोड़ [क+ख+ग+घ]	**3,184.56**
गोवा		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2006	17.50
2.	13.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2007	9.50
3.	13.05% गोवा रा.वि.ऋ. 2007	21.17
4.	13.75% गोवा रा.वि.ऋ. 2007	1.75
5.	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	6.09
6.	12.15% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	21.17
7.	12.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2008	18.83
8.	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	7.31
9.	11.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	37.57
10.	12.25% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	37.43
11.	12.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2009	50.00
12.	10.52% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	39.74
13.	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	8.73
14.	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2010	40.27
15.	9.45% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	20.00
16.	10.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	40.01
17.	11.50% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	3.60
18.	12.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2011	6.00
19.	6.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	48.29
20.	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	34.31
21.	7.80% गोवा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.41
22.	8.00% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	6.69
23.	8.30% गोवा रा.वि.ऋ. 2012	22.58
24.	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	24.81
25.	6.35% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	21.70
26.	6.40% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	62.15
27.	6.75% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	11.24
28.	6.95% गोवा रा.वि.ऋ. 2013	33.75

[2] क्रम सं. 1-18 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 के आदेश सं. एफ 9(2) - बी(एस) 2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
29.	5.60% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	67.22
30.	7.32% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	26.39
31.	7.36% गोवा रा.वि.ऋ. 2014	39.35
32.	5.85% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	57.33
33.	6.20% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	24.82
34.	7.77% गोवा रा.वि.ऋ. 2015	33.22
35.	7.65% गोवा सरकार का स्टॉक 2016	50.00
36.	5.90% गोवा रा.वि.ऋ. 2017	49.00
	जोड़ [क]	**1,026.93**
गुजरात		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2006	125.00
2.	12.30% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	68.69
3.	13.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	131.58
4.	13.05% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	275.00
5.	13.75% गुजरात रा.वि.ऋ. 2007	156.61
6.	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	92.43
7.	12.15% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	210.00
8.	12.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2008	374.42
9.	9.40% गुजरात सरकार का स्टॉक 2009	250.00
10.	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	99.57
11.	11.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	80.05
12.	12.25% गुजरात रा.वि.ऋ. 2009	500.00
13.	10.52% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	488.07
14.	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	84.30
15.	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2010	71.19
16.	9.45% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	200.73
17.	9.50% गुजरात सरकार का स्टॉक 2011	190.00
18.	10.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	388.50
19.	10.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	250.00
20.	11.50% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	36.61
21.	12.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2011	61.12
22.	6.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	360.77
23.	7.33% गुजरात सरकार का स्टॉक 2012	200.00
24.	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	344.21
25.	7.80% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	240.04
26.	7.83% गुजरात सरकार का स्टॉक 2012	245.00
27.	8.00% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	99.75
28.	8.30% गुजरात रा.वि.ऋ. 2012	277.20
29.	6.00% गुजरात सरकार का स्टॉक 2013	250.00
30.	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	629.72
31.	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	550.93
32.	6.35% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	508.86
33.	6.40% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	343.08
34.	6.75% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	452.88
35.	6.95% गुजरात रा.वि.ऋ. 2013	694.03
36.	5.60% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	318.94
37.	5.70% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	740.00
38.	7.32% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	169.25
39.	7.36% गुजरात रा.वि.ऋ. 2014	283.42
40.	5.85% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	300.04
41.	6.20% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	629.73
42.	7.77% गुजरात रा.वि.ऋ. 2015	347.85
43.	7.61% गुजरात रा.वि.ऋ. 2016	254.42
44.	5.90% गुजरात रा.वि.ऋ. 2017	629.27
45.	5.00% शहरी भूमि सीमाबंदी (गुजरात) बांड	1.01
46.	3.00% बंबई भूमि समापन अधिनियम (गुजरात) क्षतिपूर्ति बांड	0.69
47.	4.50% गुजरात कृषि भूमि सीमाबंदी अधिनियम, 1960 क्षतिपूर्ति बांड	0.32
48.	3.00% गुजरात उत्तरजीवी हस्तांतरण अधिनियम, 1963 क्षतिपूर्ति बांड	0.17
	जोड़ [क]	**13,005.41**
पावर बांड		
1.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	81.44
2.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	81.44
3.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	81.44
4.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	81.44
5.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	81.44
6.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	81.44
7.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	81.44
8.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	81.44
9.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	81.44
10.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	81.44
11.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	81.44
12.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	81.44
13.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	81.44
14.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	81.44
15.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	81.44
16.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	81.44
17.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	81.44
18.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	81.44
19.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	81.44
20.	8.50% गुजरात सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	81.44
	जोड़ [ख]	**1,628.71**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**2.88**
	जोड़ [क+ख+ग]	**14,637.00**
हरियाणा		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2006	133.89
2.	12.30% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007	77.42
3.	13.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007	76.01
4.	13.75% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007	13.39
5.	13.05% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2007	100.00
6.	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008	56.21
7.	12.15% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008	170.00
8.	12.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2008	64.28
9.	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	60.07
10.	11.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	144.93

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
11.	12.25% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2009	111.33
12.	10.52% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	140.30
13.	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	53.97
14.	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2010	98.08
15.	9.45% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	80.00
16.	10.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	100.01
17.	11.50% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	26.16
18.	12.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2011	40.99
19.	6.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	168.90
20.	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	129.78
21.	7.80% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	77.86
22.	8.00% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	30.68
23.	8.30% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2012	83.92
24.	6.95% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	289.40
25.	6.75% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	89.61
26.	6.40% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	215.55
27.	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	185.52
28.	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013	212.04
29.	6.35% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	211.70
30.	5.60% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	204.88
31.	5.70% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	271.04
32.	7.32% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	99.44
33.	7.36% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2014	165.65
34.	6.20% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	212.05
35.	5.85% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	198.86
36.	7.02% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	86.00
37.	7.53% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	164.97
38.	7.77% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2015	189.86
39.	7.33% हरियाणा सरकार का स्टॉक 2016	165.93
40.	5.90% हरियाणा रा.वि.ऋ. 2017	141.02
	जोड़ [क]	**5,141.72**
पावर बांड		
1.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	101.11
2.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	101.11
3.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	101.11
4.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	101.11
5.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	101.11
6.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	101.11
7.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	101.11
8.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	101.11
9.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	101.11
10.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	101.11
11.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	101.11
12.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	101.11
13.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	101.11
14.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	101.11
15.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	101.11
16.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	101.11
17.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	101.11
18.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	101.11
19.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	101.11
20.	8.50% हरियाणा सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	101.11
	जोड़ [ख]	**2,022.29**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.13**
	जोड़ [क+ख+ग]	**7,164.14**
हिमाचल प्रदेश		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	40.00
2.	13.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	25.73
3.	13.05% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	50.88
4.	13.75% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2007	4.00
5.	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2008	16.59
6.	12.15% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2008	50.00
7.	12.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2008	93.02
8.	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2009	13.76
9.	11.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2009	97.96
10.	12.25% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2009	91.21
11.	10.52% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	134.19
12.	11.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	40.01
13.	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	22.54
14.	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2010	48.91
15.	9.45% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	40.01
16.	10.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	121.45
17.	10.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	50.00
18.	11.50% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	9.11
19.	12.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2011	17.33
20.	6.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2012	99.91
21.	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2012	104.05
22.	7.80% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2012 (II श्रृंखला)	149.88
23.	8.00% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2012	22.20
24.	8.30% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2012	192.56
25.	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013	141.22
26.	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013	123.57
27.	6.35% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013 (II श्रृंखला)	155.40
28.	6.40% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013	190.31
29.	6.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013	100.00
30.	6.75% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013	68.65
31.	6.95% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2013	175.36
32.	5.60% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2014	207.76
33.	5.70% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2014	174.03
34.	7.32% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2014	85.31
35.	7.36% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2014	157.50
36.	5.85% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2015	175.51
37.	6.20% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2015	141.22
38.	7.02% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2015	89.75
39.	7.39% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2015	56.25
40.	7.53% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2015	212.57
41.	7.77% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2015	200.00

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
42.	5.90% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2017	110.00
43.	7.17% हिमाचल प्रदेश रा.वि.ऋ.2017	15.85
	जोड़ [क]	**4,115.55**
पावर बांड		
1.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	3.51
2.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	3.51
3.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	3.51
4.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	3.51
5.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	3.51
6.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	3.51
7.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	3.51
8.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	3.51
9.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	3.51
10.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	3.51
11.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	3.51
12.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	3.51
13.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	3.51
14.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	3.51
15.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	3.51
16.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	3.51
17.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	3.51
18.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	3.51
19.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	3.51
20.	8.50% हिमाचल प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	3.51
	जोड़ [क]	**70.25**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.06**
	जोड़ [क+ख+ग]	**4,185.86**
जम्मू और कश्मीर		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2006	66.00
2.	12.30% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007	34.15
3.	13.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007	34.30
4.	13.05% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007	50.00
5.	13.75% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2007	7.24
6.	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008	21.58
7.	12.15% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008	60.00
8.	12.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2008	45.95
9.	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009	26.54
10.	11.85% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009	50.44
11.	12.25% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2009	50.00
12.	10.52% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	50.00
13.	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	28.80
14.	12.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2010	38.61
15.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2011	45.00
16.	9.45% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	38.71
17.	10.35% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	30.00
18.	10.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	150.00
19.	11.50% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	16.87
20.	12.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2011	19.81
21.	6.80% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	30.37
22.	7.80% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	61.14
23.	7.80% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	45.54
24.	8.00% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	41.92
25.	8.00% जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2012	70.00
26.	8.30% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2012	123.88
27.	6.20% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	109.20
28.	6.35% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	95.56
29.	6.35% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	65.00
30.	6.40% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	115.66
31.	6.60% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	211.99
32.	6.75% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	87.00
33.	6.95% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2013	90.00
34.	5.60% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	54.15
35.	5.70% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	106.78
36.	7.32% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	35.60
37.	7.36% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2014	42.20
38.	5.85% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	17.48
39.	6.20% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	109.22
40.	7.02% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	45.03
41.	7.53% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	128.38
42.	7.77% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2015	95.11
43.	7.75 जम्मू और कश्मीर सरकार का स्टॉक 2016	75.00
44.	5.90 जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	75.01
45.	7.17% जम्मू और कश्मीर रा.वि.ऋ. 2017	124.98
	जोड़ [क]	**2,920.17**
पावर बांड		
1.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	79.54
2.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	79.54
3.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	79.54
4.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	79.54
5.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	79.54
6.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	79.54
7.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	79.54
8.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	79.54
9.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	79.54
10.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	79.54
11.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	79.54
12.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	79.54
13.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	79.54
14.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	79.54
15.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	79.54
16.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	79.54
17.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	79.54
18.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	79.54
19.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	79.54
20.	8.50% जम्मू और कश्मीर सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	79.54
	जोड़ [ख]	**1,590.81**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**1.74**
	जोड़ [क+ख+ग]	**4,512.72**

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
	झारखंड[3]	
	ब्याज वाले ऋण	
1.	13.85% बिहार रा.वि.ऋ. 2006	78.37
2.	13.75% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	62.97
3.	13.05% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	50.58
4.	12.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	112.08
5.	13.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2007	101.15
6.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	62.47
7.	12.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2008	185.63
8.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2009	67.47
9.	11.30% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	101.17
10.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	85.90
11.	10.52% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	73.34
12.	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2010	20.23
13.	11.50% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	36.86
14.	12.00% बिहार रा.वि.ऋ. 2011	61.52
15.	2.50% बिहार जमींदारी समापन क्षतिपूर्ति बांड	7.80
	जोड़ [क]	**1,107.55**
16.	10.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	120.13
17.	10.82% झारखंड रा.वि.ऋ. 2011	122.61
18.	6.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	64.91
19.	7.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	87.69
20.	7.80% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	97.37
21.	8.00% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	97.76
22.	8.30% झारखंड रा.वि.ऋ. 2012	152.40
23.	6.20% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	82.81
24.	6.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	72.45
25.	6.40% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	161.71
26.	6.75% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	75.62
27.	6.95% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013	129.38
28.	6.35% झारखंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	97.50
29.	5.60% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	124.78
30.	5.70% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	130.43
31.	7.32% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	116.75
32.	7.36% झारखंड रा.वि.ऋ. 2014	74.50
33.	5.85% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	147.11
34.	6.20% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	82.83
35.	7.02% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	15.69
36.	7.39% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	79.04
37.	7.50% झारखंड सरकार का स्टॉक 2015	117.81
38.	7.77% झारखंड रा.वि.ऋ. 2015	167.27
39.	5.90% झारखंड रा.वि.ऋ. 2017	27.99
	जोड़ [ख]	**2,446.54**
	जोड़ [क+ख]	**3,554.10**
	पावर बांड	
1.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	105.77
2.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	105.77
3.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	105.77
4.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	105.77
5.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	105.77
6.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	105.77
7.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	105.77
8.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	105.77
9.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	105.77
10.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	105.77
11.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	105.77
12.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	105.77
13.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	105.77
14.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	105.77
15.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	105.77
16.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	105.77
17.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	105.77
18.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	105.77
19.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	105.77
20.	8.50% झारखंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	105.77
	जोड़ [ग]	**2,115.32**
	ब्याज रहित ऋण [घ]	**0.13**
	जोड़ [क+ख+ग+घ]	**5,669.55**
	कर्नाटक	
	ब्याज वाले ऋण	
1.	13.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2006	211.84
2.	12.30% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	84.97
3.	13.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	177.01
4.	13.75% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	21.21
5.	13.05% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2007	200.00
6.	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	131.37
7.	12.15% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	275.75
8.	12.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2008	426.31
9.	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	142.28
10.	11.85% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	203.96
11.	12.25% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2009	500.00
12.	10.52% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2010	428.64
13.	11.08% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2010	200.00
14.	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ.2010	137.18
15.	11.57% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2010	250.00
16.	9.10% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2011	315.00
17.	10.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	400.04
18.	10.82% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	146.97
19.	11.50% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	59.14
20.	12.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2011	98.81
21.	6.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ.2012	352.24
22.	7.80% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2012	80.00
23.	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ.2012	150.02
24.	7.80% कर्नाटक रा.वि.ऋ.2012 (II श्रृंखला)	300.04
25.	7.90% कर्नाटक सरकार का स्टॉक 2012	200.00
26.	8.00% कर्नाटक रा.वि.ऋ.2012	80.21
27.	8.30% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2012	259.41
28.	6.20% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	339.68
29.	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	297.25
30.	6.35% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	391.57
31.	6.40% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	562.46
32.	6.75% कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	151.47

[3] क्रम सं. 1-15 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 26 जुलाई 2002 के आदेश सं. एफ 9(3) - बी(एस) 2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
33.	6.95%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2013	456.79
34.	5.60%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	550.09
35.	5.70%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	435.13
36.	7.32%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	295.70
37.	7.36%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2014	365.47
38.	5.85%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	518.68
39.	5.85%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.03
40.	6.20%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	339.84
41.	7.02%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	261.02
42.	7.77%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2015	414.92
43.	5.90%	कर्नाटक रा.वि.ऋ. 2017	220.96
44.	3.00%	बम्बई भूमि धारणाधिकार समापन अधिनियम (मैसूर) क्षतिपूर्ति बांड	0.29
45.	2.75%	मैसूर इनाम समापन क्षतिपूर्ति बांड	0.02
46.	5.00%	शहरी भूमि सीमाबंदी कर्नाटक बांड 1976	0.11
		जोड़ [क]	**11,933.87**
पावर बांड			
1.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	27.55
2.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	27.55
3.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	27.55
4.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	27.55
5.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	27.55
6.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	27.55
7.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	27.55
8.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	27.55
9.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	27.55
10.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	27.55
11.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	27.55
12.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	27.55
13.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	27.55
14.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	27.55
15.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	27.55
16.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	27.55
17.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	27.55
18.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	27.55
19.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	27.55
20.	8.50%	कर्नाटक सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	27.55
		जोड़ [ख]	**550.95**
		जोड़ [क+ख]	**12,484.82**
		ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.42**
		जोड़ [क+ख+ग]	**12,485.24**
केरल			
ब्याज वाले ऋण			
1.	13.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2006	345.61
2.	12.30%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	147.91
3.	13.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	215.03
4.	13.75%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	34.57
5.	13.05%	केरल रा.वि.ऋ. 2007	300.00
6.	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2008	142.28
7.	12.15%	केरल रा.वि.ऋ. 2008	301.62
8.	12.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2008	290.34
9.	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2009	154.70
10.	11.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2009	138.21
11.	12.25%	केरल रा.वि.ऋ. 2009	452.73
12.	10.52%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	302.03
13.	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	152.23
14.	11.75%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	200.00
15.	12.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2010	75.42
16.	8.37%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	138.96
17.	9.56%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	289.59
18.	10.53%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	200.00
19.	11.50%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	72.28
20.	12.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2011	120.64
21.	6.80%	केरल रा.वि.ऋ. 2012	197.39
22.	6.93%	केरल सरकार का स्टॉक 2012	220.00
23.	7.80%	केरल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	251.06
24.	8.00%	केरल रा.वि.ऋ. 2012	286.15
25.	8.30%	केरल रा.वि.ऋ. 2012	276.42
26.	6.02%	केरल सरकार का स्टॉक 2013	250.00
27.	6.20%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	192.05
28.	6.35%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	168.01
29.	6.35%	केरल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	221.46
30.	6.40%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	395.01
31.	6.75%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	85.97
32.	6.95%	केरल रा.वि.ऋ. 2013	258.00
33.	5.60%	केरल रा.वि.ऋ. 2014	329.94
34.	5.70%	केरल रा.वि.ऋ. 2014	396.08
35.	5.80%	केरल सरकार का स्टॉक 2014	200.00
36.	7.25%	केरल सरकार का स्टॉक 2014	355.66
37.	7.32%	केरल सरकार का स्टॉक 2015	250.00
38.	7.42%	केरल सरकार का स्टॉक 2015	145.82
39.	7.33%	केरल सरकार का स्टॉक 2015	361.14
40.	5.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	114.57
41.	5.85%	केरल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.02
42.	6.20%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	192.02
43.	7.02%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	41.54
44.	7.45%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	300.00
45.	7.77%	केरल रा.वि.ऋ. 2015	422.84
46.	7.75%	केरल सरकार का स्टॉक 2016	328.00
47.	5.90%	केरल रा.वि.ऋ. 2017	118.99
48.	7.17%	केरल रा.वि.ऋ. 2017	327.23
49.	4.25%	केरल गृहभूमि बांड	0.01
50.	4.50%	केरल गृहभूमि बांड	0.00
51.	4.50%	केरल भूमिसुधार बांड	1.00
52.	4.00%	जन्मीकरण अदायगी (समापन) बांड	0.02
		जोड़ [क]	**11,060.52**
पावर बांड			
1.	8.50%	केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	57.91
2.	8.50%	केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	57.91
3.	8.50%	केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	57.91
4.	8.50%	केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	57.91

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
5.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	57.91
6.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	57.91
7.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	57.91
8.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	57.91
9.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	57.91
10.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	57.91
11.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	57.91
12.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	57.91
13.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	57.91
14.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	57.91
15.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	57.91
16.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	57.91
17.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	57.91
18.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	57.91
19.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	57.91
20.	8.50% केरल सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	57.91
	जोड़ [ख]	**1,158.25**
	ब्याज रहित ऋण (घ)	**0.96**
	जोड़ [क+ख+ग]	**12,219.73**
मध्य प्रदेश[4]		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	296.78
2.	12.30% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	114.18
3.	13.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	131.49
4.	13.05% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	292.10
5.	13.75% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	59.85
6.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	59.32
7.	12.15% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	253.57
8.	12.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	224.99
9.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	105.25
10.	11.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	176.62
11.	12.25% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	301.72
12.	10.52% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	173.51
13.	11.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	220.14
14.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	110.50
15.	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	169.50
16.	11.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	48.83
17.	12.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	71.71
18.	5.00% शहरी भूमि सीमाबंदी (मध्यप्रदेश) बांड	0.40
	जोड़ [क]	**2810.47**
19.	8.50% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	43.00
20.	9.45% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	87.55
21.	9.55% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2011	105.00
22.	10.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	187.32
23.	10.50% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	105.00
24.	10.82% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	84.02
25.	6.94% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2012	247.00
26.	7.80% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	109.04
27.	7.80% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	370.17
28.	8.00% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	129.07
29.	8.30% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	161.32
30.	6.95% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	281.26
31.	6.75% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	129.50
32.	6.40% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	379.12
33.	6.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	199.86
34.	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	228.42
35.	6.00% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2013	220.00
36.	6.35% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	400.78
37.	6.20% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	228.44
38.	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	220.01
39.	5.85% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	799.96
40.	7.02% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	99.97
41.	7.39% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	292.75
42.	7.53% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	50.02
43.	7.77% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	418.04
44.	7.61% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2016	300.00
45.	7.65% मध्य प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	200.00
46.	5.90% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	129.01
47.	5.60% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	349.50
48.	5.70% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	247.00
49.	7.32% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	290.01
50.	7.36% मध्य प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	342.44
	जोड़ [ख]	**7,434.58**
	जोड़ [क+ख]	**10,245.04**
पावर बांड		
1.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2006	133.19
2.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2007	133.19
3.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2007	133.19
4.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2008	133.19
5.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2008	133.19
6.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2009	133.19
7.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2009	133.19
8.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2010	133.19
9.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2010	133.19
10.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2011	133.19
11.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2011	133.19
12.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2012	133.19
13.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2013	133.19
14.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2013	133.19
15.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2014	133.19
16.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2014	133.19
17.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2015	133.19
18.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2015	133.19
19.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अक्तूबर 2015	133.19
20.	8.50% मध्य प्रदेश पा.बां. अप्रैल 2016	133.19
	जोड़ [ग]	**2,663.89**
	ब्याज रहित ऋण [घ]	**1.14**
	जोड़ [क+ख+ग+घ]	**12,910.07**

[4] क्रम सं. 1-18 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 25 जून 2002 के आदेश सं. एफ 9(2) - बी(एस) 2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
	महाराष्ट्र		
	ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2006	425.80
2.	13.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2007	222.76
3.	13.05%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ.2007	552.59
4.	13.75%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2007	42.63
5.	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	109.50
6.	12.15%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	563.81
7.	12.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2008	121.46
8.	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	116.51
9.	11.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	172.47
10.	12.25%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2009	600.00
11.	10.52%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	421.49
12.	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	104.43
13.	11.70%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	280.00
14.	12.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2010	107.70
15.	8.37%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	141.20
16.	9.40%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2011	290.00
17.	10.35%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	500.01
18.	11.50%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	38.97
19.	12.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2011	150.11
20.	6.93%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2012	230.00
21.	7.80%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	328.16
22.	7.80%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	236.97
23.	7.83%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	278.75
24.	8.00%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	150.52
25.	8.30%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2012	207.92
26.	5.78%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2013	400.00
27.	6.20%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	1253.75
28.	6.35%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	1096.98
29.	6.35%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	700.52
30.	6.40%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2013	643.66
31.	5.60%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	610.98
32.	5.70%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	1145.00
33.	6.00%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2014	300.00
34.	7.32%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	347.66
35.	7.36%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2014	427.16
36.	5.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	567.42
37.	5.85%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	50.06
38.	6.20%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	1253.61
39.	7.02%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	136.92
40.	7.39%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	407.39
41.	7.77%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2015	595.35
42.	7.45%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2015	290.00
43.	7.70%	महाराष्ट्र सरकार का स्टॉक 2016	286.89
44.	5.90%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	883.92
45.	7.17%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	519.97
46.	7.20%	महाराष्ट्र रा.वि.ऋ. 2017	386.38
47.	5.00%	शहर भूमि सीमाबंदी (महाराष्ट्र) बांड	0.32
48.	3.00%	बम्बई भूमि धारणाधिकार समापन अधिनियम (बम्बई) क्षतिपूर्ति बांड	0.10
49.	3.00%	बम्बई भूमि धारणाधिकार अधिनियम (महाराष्ट्र) क्षतिपूर्ति बांड	0.05
50.	3.00%	महाराष्ट्र कृषि भूमि (धारणाधिकार उच्चतर सीमा) अधिनियम, 1961 (किस्तों में चुकौती योग्य) क्षतिपूर्ति बांड	2.07
51.	3.00%	महाराष्ट्र कृषि भूमि (धारणाधिकार उच्चतम सीमा) अधिनियम, 1961 क्षतिपूर्ति बांड (परिपक्वता पर प्रतिदानयोग्य)	0.22
52.	3.00%	हैदराबाद (नकदी मंजूरी समापन) अधिनियम 1952 क्षतिपूर्ति बांड	0.03
53.	3.00%	महाराष्ट्र राजस्व पटेल (कार्यालय समापन) अधिनियम 1962	0.01
54.	3.00%	कोल्हापूर के न्यासी जागीरदरों के सरंजाम(पुनर्ग्रहण) नियमावली, 1957	0.0008
55.	4.00%	बम्बई नगर (इनामी और विशेष धारणाधिकार) समापन और महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (कोड) (संशोधन) अधिनियम, 1969	0.0005
		जोड़ [क]	**18,700.17**
	पावर बांड		
1.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	50.93
2.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	50.93
3.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	50.93
4.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	50.93
5.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	50.93
6.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	50.93
7.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	50.93
8.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	50.93
9.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	50.93
10.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	50.93
11.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	50.93
12.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	50.93
13.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	50.93
14.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	50.93
15.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	50.93
16.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	50.93
17.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	50.93
18.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	50.93
19.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	50.93
20.	8.50%	महाराष्ट्र सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	50.93
		जोड़ [ख]	**1,018.59**
		जोड़ [क+ख]	**19,718.77**
		ब्याज रहित ऋण [ग]	**3.26**
		जोड़ [क+ख+ग]	**19,722.02**
	मणिपुर		
	ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2006	16.00
2.	13.00%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2007	14.52
3.	13.05%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2007	22.66
4.	13.75%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2007	1.60
5.	11.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008	9.77
6.	12.15%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008	20.00
7.	12.50%	मणिपुर रा.वि.ऋ. 2008	9.28

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
8.	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	11.43
9.	11.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	9.75
10.	12.25% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2009	20.64
11.	10.52% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	15.76
12.	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	11.03
13.	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2010	9.44
14.	9.45% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00
15.	10.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	10.00
16.	11.50% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	4.54
17.	12.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2011	7.59
18.	6.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	21.43
19.	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	10.33
20.	7.80% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	27.52
21.	8.00% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	11.90
22.	8.30% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2012	13.29
23.	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	10.40
24.	6.35% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	9.10
25.	6.40% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	26.62
26.	6.75% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	4.50
27.	6.95% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2013	13.50
28.	5.60% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	34.00
29.	7.36% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2014	44.06
30.	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	57.69
31.	5.85% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	28.00
32.	6.20% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	10.40
33.	7.02% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	2.00
34.	7.39% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2015	27.23
35.	7.45% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2015	36.95
36.	7.77% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2015	25.73
37.	7.61% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2016	30.00
38.	7.74% मणिपुर सरकार का स्टॉक 2016	85.00
39.	5.90% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	50.00
40.	7.17% मणिपुर रा.वि.ऋ. 2017	2.93
	जोड़ [क]	**786.60**
पावर बांड		
1.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	7.85
2.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	7.85
3.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	7.85
4.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	7.85
5.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	7.85
6.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	7.85
7.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	7.85
8.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	7.85
9.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	7.85
10.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	7.85
11.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	7.85
12.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	7.85
13.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	7.85
14.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	7.85
15.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	7.85
16.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	7.85
17.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	7.85
18.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	7.85
19.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	7.85
20.	8.50% मणिपुर सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	7.85
	जोड़ [ख]	**157.09**
	जोड़ [क+ख]	**943.69**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.12**
	जोड़ [क+ख+ग]	**943.82**
मेघालय		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2006	25.00
2.	13.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2007	13.27
3.	13.05% मेघालय रा.वि.ऋ. 2007	34.93
4.	13.75% मेघालय रा.वि.ऋ. 2007	2.50
5.	12.15% मेघालय रा.वि.ऋ. 2008	30.00
6.	12.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2008	43.08
7.	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	2.71
8.	11.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	29.15
9.	12.25% मेघालय रा.वि.ऋ. 2009	50.00
10.	10.52% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	50.00
11.	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2010	20.00
12.	9.45% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00
13.	10.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	25.00
14.	11.50% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	4.70
15.	12.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2011	8.33
16.	6.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	19.60
17.	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	21.00
18.	7.80% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	29.40
19.	8.00% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	11.11
20.	8.30% मेघालय रा.वि.ऋ. 2012	27.31
21.	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	10.00
22.	6.35% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	8.75
23.	6.40% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	34.70
24.	6.75% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	4.25
25.	6.95% मेघालय रा.वि.ऋ. 2013	12.75
26.	5.60% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	41.15
27.	7.36% मेघालय रा.वि.ऋ. 2014	46.61
28.	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	52.06
29.	5.85% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.32
30.	6.20% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	10.00
31.	7.02% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	3.00
32.	7.53% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	69.14
33.	7.77% मेघालय रा.वि.ऋ. 2015	39.11
34.	7.70% मेघालय सरकार का स्टॉक 2016	50.00
35.	5.90% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	39.22
36.	7.17% मेघालय रा.वि.ऋ. 2017	51.59
	जोड़ [क]	**955.75**
पावर बांड		
1.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	0.70
2.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	0.70

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
3.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	0.70
4.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	0.70
5.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	0.70
6.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	0.70
7.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	0.70
8.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	0.70
9.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	0.70
10.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	0.70
11.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	0.70
12.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	0.70
13.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	0.70
14.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	0.70
15.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	0.70
16.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	0.70
17.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	0.70
18.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	0.70
19.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	0.70
20.	8.50% मेघालय सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	0.70
	जोड़ [ख]	**13.99**
	जोड़ [क+ख]	**969.74**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.01**
	जोड़ [क+ख+ग]	**969.74**
	मिजोरम	
	ब्याज वाले ऋण	
1.	13.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2006	15.00
2.	13.75% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2007	1.50
3.	13.05% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2007	18.15
4.	12.15% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2008	15.00
5.	12.50% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2008	14.97
6.	11.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	14.97
7.	12.25% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2009	20.00
8.	10.52% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	20.00
9.	12.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2010	14.97
10.	9.45% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	13.00
11.	10.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2011	10.32
12.	6.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	80.59
13.	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	10.49
14.	7.80% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	13.89
15.	8.00% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	6.44
16.	8.30% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2012	14.12
17.	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	7.20
18.	6.35% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	6.30
19.	6.40% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	16.96
20.	6.75% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	3.25
21.	6.95% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2013	9.75
22.	5.60% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	15.50
23.	7.32% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	9.96
24.	7.36% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2014	16.81
25.	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	18.01
26.	5.85% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	11.95
27.	6.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	7.20
28.	7.53% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	29.28
29.	7.77% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2015	20.31
30.	7.61% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2016	15.08
31.	7.71% मिजोरम सरकार का स्टॉक 2016	50.00
32.	5.90% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	33.05
33.	7.20% मिजोरम रा.वि.ऋ. 2017	46.82
	जोड़ [क]	**600.84**
	पावर बांड	
1.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	2.28
2.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	2.28
3.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	2.28
4.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	2.28
5.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	2.28
6.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	2.28
7.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	2.28
8.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	2.28
9.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	2.28
10.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	2.28
11.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	2.28
12.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	2.28
13.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	2.28
14.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	2.28
15.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	2.28
16.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	2.28
17.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	2.28
18.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	2.28
19.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	2.28
20.	8.50% मिजोरम सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	2.28
	जोड़ [ख]	**45.57**
	जोड़ [क+ख]	**646.40**
	नागालैंड	
	ब्याज वाले ऋण	
1.	13.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2006	39.65
2.	13.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2007	18.97
3.	13.05% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2007	52.40
4.	13.75% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2007	3.97
5.	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	12.84
6.	12.15% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	50.00
7.	12.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2008	30.73
8.	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	15.06
9.	11.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	63.65
10.	12.25% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	50.00
11.	10.52 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	50.00
12.	11.50 % नागालैंड रा.वि.ऋ. 2010	14.37
13.	9.45% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	43.00
14.	10.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	35.00
15.	10.82% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	54.95
16.	11.50% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	5.92
17.	12.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2011	9.88
18.	6.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	74.29
19.	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	36.33

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
20.	7.80% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	53.49
21.	8.00% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	20.15
22.	8.30% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	57.65
23.	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	8.40
24.	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.35
25.	6.35% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	42.50
26.	6.40% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	57.65
27.	6.75% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	6.99
28.	6.95% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	7.00
29.	5.60% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	62.00
30.	7.32% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	21.00
31.	7.36% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	34.27
32.	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	82.15
33.	5.85% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	21.00
34.	6.20% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	8.40
35.	7.02% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	1.80
36.	7.53% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	125.09
37.	7.77% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	59.57
38.	7.61% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2016	24.17
39.	7.69% नागालैंड सरकार का स्टॉक 2016	45.00
40.	5.90% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	42.00
41.	7.17% नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	2.04
	जोड़ [क]	**1,450.68**
पावर बांड		
1.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	3.95
2.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	3.95
3.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	3.95
4.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	3.95
5.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	3.95
6.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	3.95
7.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	3.95
8.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	3.95
9.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	3.95
10.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	3.95
11.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	3.95
12.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	3.95
13.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	3.95
14.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	3.95
15.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	3.95
16.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	3.95
17.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	3.95
18.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	3.95
19.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	3.95
20.	8.50% नागालैंड सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	3.95
	जोड़ [ख]	**78.92**
	जोड़ [क+ख]	**1,529.60**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.16**
	जोड़ [क+ख+ग]	**1,529.76**

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
उड़ीसा		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% उड़ीसा सरकार ऋण 2006	305.00
2.	12.30% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	86.05
3.	12.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	15.00
4.	13.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	271.62
5.	13.05% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	360.00
6.	13.75% उड़ीसा सरकार ऋण 2007	73.48
7.	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	134.03
8.	12.15% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	216.42
9.	12.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2008	348.58
10.	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2009	142.45
11.	11.85% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	301.40
12.	12.25% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2009	300.00
13.	11.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	100.00
14.	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	143.52
15.	10.52% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	176.51
16.	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2010	194.20
17.	9.45% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	300.00
18.	10.35% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	170.01
19.	10.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	175.00
20.	10.82% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	144.00
21.	11.50% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	92.42
22.	12.00% उड़ीसा सरकार ऋण 2011	154.27
23.	6.80% उड़ीसा सरकार ऋण 2012	186.81
24.	7.80% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	154.03
25.	7.80% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	280.23
26.	8.00% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	161.07
27.	8.30% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2012	207.24
28.	6.20% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	220.00
29.	6.35% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	192.50
30.	6.40% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	339.28
31.	6.75% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	333.96
32.	6.95% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013	353.02
33.	6.35% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	133.10
34.	5.60% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	313.46
35.	5.70% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	174.69
36.	7.32% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	217.83
37.	7.36% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2014	168.89
38.	5.85% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	183.39
39.	5.85% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	481.46
40.	6.20% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	220.03
41.	7.77% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2015	506.13
42.	5.90% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	464.21
43.	7.17% उड़ीसा नागालैंड रा.वि.ऋ. 2017	191.00
	जोड़ [क]	**9,686.29**
पावर बांड		
1.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	55.14
2.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	55.14
3.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	55.14
4.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	55.14
5.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	55.14

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
6.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	55.14
7.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	55.14
8.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	55.14
9.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	55.14
10.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	55.14
11.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	55.14
12.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	55.14
13.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	55.14
14.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	55.14
15.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	55.14
16.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	55.14
17.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	55.14
18.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	55.14
19.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	55.14
20.	8.50% उड़ीसा सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	55.14
	जोड़ [ख]	**1,102.87**
	जोड़ [क+ख]	**10,789.17**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.23**
	जोड़ [क+ख+ग]	**10,789.40**
पंजाब		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2006	221.24
2.	12.30% पंजाब रा.वि.ऋ. 2007	80.92
3.	13.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2007	46.60
4.	13.75% पंजाब रा.वि.ऋ. 2007	22.12
5.	13.05% पंजाब रा.वि.ऋ. 2007	200.00
6.	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2008	42.39
7.	12.15% पंजाब रा.वि.ऋ. 2008	200.00
8.	12.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2008	113.33
9.	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	43.43
10.	11.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	80.48
11.	12.25% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	300.00
12.	12.47% पंजाब रा.वि.ऋ. 2009	60.00
13.	10.52% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	261.26
14.	11.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	200.02
15.	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	37.25
16.	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2010	100.45
17.	9.40% पंजाब सरकार का स्टॉक 2011	130.00
18.	10.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	200.02
19.	11.50% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	15.35
20.	12.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2011	25.63
21.	6.80% पंजाब सरकार का स्टॉक 2012	85.00
22.	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	212.08
23.	7.80% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	127.26
24.	8.00% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	37.28
25.	8.30% पंजाब रा.वि.ऋ. 2012	51.34
26.	6.95% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	450.50
27.	6.75% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	266.34
28.	6.40% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	205.85
29.	6.35% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	351.43
30.	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2013	401.66
31.	6.35% डांजाब रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	596.05
32.	5.90% पंजाब सरकार का स्टॉक 2013	189.78
33.	5.60% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	210.81
34.	5.70% पंजाब रा.वि.ऋ. 2014	512.11
35.	5.85% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.99
36.	7.02% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	292.50
37.	6.20% पंजाब रा.वि.ऋ. 2015	401.69
38.	7.67% पंजाब सरकार का स्टॉक 2016	619.30
39.	7.79% पंजाब सरकार का स्टॉक 2016	580.00
40.	5.90% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	256.03
41.	7.17% पंजाब रा.वि.ऋ. 2017	219.23
	जोड़ [क]	**8,696.72**
पावर बांड		
1.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	31.87
2.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	31.87
3.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	31.87
4.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	31.87
5.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	31.87
6.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	31.87
7.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	31.87
8.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	31.87
9.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	31.87
10.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	31.87
11.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	31.87
12.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	31.87
13.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	31.87
14.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	31.87
15.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	31.87
16.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	31.87
17.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	31.87
18.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	31.87
19.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	31.87
20.	8.50% पंजाब सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	31.87
	जोड़ [ख]	**637.35**
	जोड़ [क+ख]	**9,334.07**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.25**
	जोड़ [क+ख+ग]	**9,334.32**
राजस्थान		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2006	394.27
2.	13.00% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2007	231.77
3.	13.05% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2007	522.18
4.	13.75% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2007	39.44
5.	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008	158.82
6.	12.15% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008	442.29
7.	12.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2008	559.02
8.	11.50% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	165.28
9.	11.85% राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	243.32

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
10.	12.25%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2009	700.00
11.	10.52.%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	342.56
12.	11.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	280.03
13.	11.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	160.79
14.	12.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2010	425.18
15.	9.45%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	350.00
16.	10.35%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	446.15
17.	10.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	280.00
18.	10.82%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	134.33
19.	11.50%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	76.63
20.	12.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2011	127.69
21.	6.80%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	283.94
22.	7.80%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	248.52
23.	7.80%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	425.98
24.	8.00%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	177.87
25.	8.30%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2012	218.08
26.	6.20%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	381.22
27.	6.35%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	333.58
28.	6.40%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	516.65
29.	6.75%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	711.63
30.	6.95%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013	713.35
31.	6.35%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	393.37
32.	5.60%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	512.84
33.	5.70%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	495.33
34.	7.32%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	217.06
35.	7.36%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2014	504.86
36.	5.85%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	571.19
37.	5.85%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	300.03
38.	6.20%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	381.23
39.	7.02%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	267.75
40.	7.77%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2015	540.83
41.	7.65%	राजस्थान सरकार का स्टॉक 2016	500.00
42.	5.90%	राजस्थान रा.वि.ऋ. 2017	230.00
43.	2.50%	राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण अतिरिक्त पुनर्वसन बांड	0.07
44.	2.50%	राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण क्षतिपूर्ति पुनर्वसन बांड	0.09
45.	2.50%	राजस्थान जमींदारी और बीसवारी समापन क्षतिपूर्ति बांड	0.04
		जोड़ [क]	**15,005.24**
पावर बांड			
1.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	18.44
2.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	18.44
3.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	18.44
4.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	18.44
5.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	18.44
6.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	18.44
7.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	18.44
8.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	18.44
9.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	18.44
10.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	18.44
11.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	18.44
12.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	18.44
13.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	18.44
14.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	18.44
15.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	18.44
16.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	18.44
17.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	18.44
18.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	18.44
19.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	18.44
20.	8.50%	राजस्थान सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	18.44
		जोड़ [ख]	**368.78**
		जोड़ [क+ख]	**15,374.02**
		ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.44**
		जोड़ [क+ख+ग]	**15,374.46**
सिक्किम			
ब्याज वाले ऋण			
1.	13.85%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2006	15.65
2.	13.00%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2007	6.65
3.	13.05%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2007	19.00
4.	13.75%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2007	1.56
5.	12.15%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2008	16.00
6.	12.50%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2008	24.90
7.	11.50%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	4.26
8.	11.50%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009 (1989-90)	5.11
9.	11.85%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	10.90
10.	12.25%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2009	35.00
11.	10.52%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	25.00
12.	11.50%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2010	6.11
13.	9.45%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.58
14.	10.35%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	5.42
15.	11.50%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	2.52
16.	12.00%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2011	4.20
17.	6.80%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012	3.89
18.	7.80%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	6.11
19.	6.95%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	10.00
20.	6.40%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	6.67
21.	6.35%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	4.70
22.	6.20%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2013	5.20
23.	5.60%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	6.11
24.	7.32%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	5.63
25.	7.36%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2014	10.68
26.	6.20%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	5.20
27.	5.85%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	9.83
28.	7.53%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	8.71
29.	7.77%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2015	18.49
30.	7.6%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2016	11.15
31.	7.70%	सिक्किम सरकार का स्टॉक 2016	65.65
32.	5.90%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	30.00
33.	7.17%	सिक्किम रा.वि.ऋ. 2017	25.15
		जोड़ [क]	**420.03**

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
	पावर बांड		
1.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	2.39
2.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	2.39
3.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	2.39
4.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	2.39
5.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	2.39
6.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	2.39
7.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. Sept 2009	2.39
8.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	2.39
9.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	2.39
10.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	2.39
11.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	2.39
12.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	2.39
13.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	2.39
14.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	2.39
15.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	2.39
16.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	2.39
17.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	2.39
18.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	2.39
19.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	2.39
20.	8.50%	सिक्किम सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	2.39
		जोड़ [ख]	**47.80**
		जोड़ [क+ख]	**467.83**
	तमिलनाडु		
	ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2006	210.00
2.	12.30%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007	338.75
3.	13.00%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007	289.12
4.	13.75%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007	233.76
5.	13.05%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2007	185.00
6.	11.50%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008	184.66
7.	12.15%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008	389.59
8.	12.50%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2008	231.34
9.	11.50%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	200.42
10.	11.74%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2009	200.00
11.	11.85%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	24.18
12.	12.25%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2009	450.00
13.	10.52%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	400.00
14.	11.50%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	185.12
15.	11.70%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	290.00
16.	12.00%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2010	152.53
17.	9.38%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2011	320.00
18.	9.45%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	137.42
19.	10.35%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	460.00
20.	10.50%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	249.94
21.	11.50%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	86.91
22.	12.00%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2011	146.14
23.	6.80%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	145.94
24.	7.30%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2012	275.00
25.	7.80%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	309.02
26.	7.80%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	406.48
27.	8.00%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	107.37
28.	8.30%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2012	134.96
29.	6.95%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	728.57
30.	6.75%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	460.40
31.	6.40%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	657.07
32.	6.35%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	335.00
33.	6.20%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013	382.97
34.	6.35%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	443.27
35.	6.00%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2013	250.00
36.	5.60%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	580.56
37.	5.70%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	722.60
38.	7.10%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2014	270.00
39.	7.36%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2014	449.93
40.	6.20%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	383.01
41.	5.85%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	150.10
42.	5.85%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	249.95
43.	7.02%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	133.01
44.	7.35%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	209.50
45.	7.77%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2015	200.01
46.	7.68%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016	600.00
47.	7.79%	तमिलनाडु सरकार का स्टॉक 2016	609.38
48.	5.90%	तमिलनाडु रा.वि.ऋ. 2017	442.86
		जोड़ [क]	**15,001.82**
	पावर बांड		
1.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	98.11
2.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	98.11
3.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	98.11
4.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	98.11
5.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	98.11
6.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	98.11
7.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	98.11
8.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	98.11
9.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	98.11
10.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	98.11
11.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	98.11
12.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	98.11
13.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	98.11
14.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	98.11
15.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	98.11
16.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	98.11
17.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	98.11
18.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	98.11
19.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	98.11
20.	8.50%	तमिलनाडु सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	98.11
		जोड़ [ख]	**1,962.14**
		जोड़ [क+ख]	**16,963.96**
		ब्याज रहित ऋण [ग]	**1.50**
		जोड़ [क+ख+ग]	**16,965.46**

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा	मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2	3
त्रिपुरा		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2006	17.92
2.	13.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2007	19.12
3.	13.05% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2007	26.37
4.	13.75% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2007	1.79
5.	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008	10.54
6.	12.15% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008	25.00
7.	12.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2008	42.43
8.	11.50 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	12.93
9.	11.85 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	46.92
10.	12.25 % त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2009	36.13
11.	10.52% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	50.00
12.	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2010	12.84
13.	9.45% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	27.00
14.	10.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	30.00
15.	10.82% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	29.95
16.	11.50% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	5.08
17.	12.00% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2011	11.49
18.	6.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	24.19
19.	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012	25.34
20.	7.80% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	34.92
21.	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.40
22.	6.35% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.85
23.	6.40% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	39.42
24.	6.75% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	17.00
25.	6.95% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2013	20.00
26.	5.60% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	41.60
27.	7.32% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	22.00
28.	7.36% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2014	39.85
29.	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	61.93
30.	5.85% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	13.00
31.	6.20% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	20.40
32.	7.02% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	1.50
33.	7.45% त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2015	40.00
34.	7.77% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2015	30.08
35.	7.61% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2016	42.09
36.	7.70% त्रिपुरा सरकार का स्टॉक 2016	25.03
37.	5.90% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	56.00
38.	7.17% त्रिपुरा रा.वि.ऋ. 2017	145.94
	जोड़ [ख]	**1,144.06**
पावर बांड		
1.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	3.18
2.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	3.18
3.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	3.18
4.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	3.18
5.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	3.18
6.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	3.18
7.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	3.18
8.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	3.18
9.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	3.18
10.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	3.18
11.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	3.18
12.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	3.18
13.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	3.18
14.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	3.18
15.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	3.18
16.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	3.18
17.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	3.18
18.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	3.18
19.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	3.18
20.	8.50% त्रिपुरा सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	3.18
	जोड़ [ख]	**63.51**
	जोड़ [क+ख]	**1,207.56**
	ब्याज रहित ऋण [ग]	**0.23**
	जोड़ [क+ख+ग]	**1,207.79**
उत्तराचंल[5]		
ब्याज वाले ऋण		
1.	13.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	26.42
2.	12.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	35.12
3.	13.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	32.13
4.	13.05% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	27.68
5.	13.75% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	25.47
6.	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	21.30
7.	12.15% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	37.68
8.	12.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	47.90
9.	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	23.32
10.	11.85% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	40.26
11.	12.25% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	43.43
12.	12.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	20.13
13.	10.52% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	45.29
14.	11.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	25.16
15.	11.30% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	7.39
16.	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	23.09
17.	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	17.61
18.	11.50% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	10.31
19.	12.00% उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	18.69
20.	2.75% उत्तर प्रदेश जैग.- बांड	0.59
21.	3.25% उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.01
22.	3.50% उत्तर प्रदेश भूमि सीमाबंदी क्षतिपूर्ति बांड	0.02
23.	2.50% उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड	0.02
24.	2.50% उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड	1.47
	जोड़ [क]	**530.50**
25.	9.45% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2011	126.25
26.	10.35% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2011	45.00
27.	10.82% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2011	15.99
28.	6.80% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2012	286.29
29.	7.80% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2012	56.85
30.	7.80% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	22.74
31.	8.00% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2012	19.23
32.	8.30% उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2012	21.26

[5] क्रम सं. 1-24 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्तूबर 2002 के आदेश सं. एफ 9(1) - बी(एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(जारी)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
33.	6.20%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2013	339.24
34.	6.35%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2013	296.95
35.	6.40%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2013	127.68
36.	6.75%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2013	291.99
37.	6.95%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2013	292.00
38.	5.60%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2014	209.00
39.	7.32 %	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2014	32.54
40.	7.36 %	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2014	67.31
41.	5.85%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2015	262.70
42.	6.20%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2015	339.25
43.	7.77%	उत्तराचंल रा.वि.ऋ. 2015	92.00
44.	7.70%	उत्तराचंल सरकार का स्टॉक 2016	250.00
45.	7.72%	उत्तराचंल सरकार का स्टॉक 2016	226.25
		जोड़ [ख]	**3,420.52**
		जोड़ [क+ख]	**3,951.01**
पावर बांड			
1.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	28.60
2.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	28.60
3.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	28.60
4.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	28.60
5.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	28.60
6.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	28.60
7.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	28.60
8.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	28.60
9.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	28.60
10.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	28.60
11.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	28.60
12.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	28.60
13.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	28.60
14.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	28.60
15.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	28.60
16.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	28.60
17.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	28.60
18.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	28.60
19.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	28.60
20.	8.50%	उत्तराचंल सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	28.60
		जोड़ [ग]	**572.00**
		जोड़ [क+ख+ग]	**14,534.11**
		ब्याज रहित ऋण [घ]	**0.39**
		जोड़ [क+ख+ग+घ]	**4,523.40**
उत्तर प्रदेश[6]			
ब्याज वाले ऋण			
1.	13.85%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2006	498.58
2.	12.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	662.77
3.	13.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	606.38
4.	13.05%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	522.32
5.	13.75%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2007	480.69
6.	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	401.99
7.	12.15%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	711.06
8.	12.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2008	903.88
9.	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	440.15
10.	11.85%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	759.74
11.	12.25%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	819.57
12.	12.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2009	379.87
13.	10.52%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	854.71
14.	11.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	474.86
15.	11.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	139.49
16.	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	435.83
17.	12.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2010	332.38
18.	11.50%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	194.47
19.	12.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	352.63
20.	2.75%	उत्तर प्रदेश झारखंड बांड	11.22
21.	3.25%	उत्तर प्रदेश संपदा अधिनियम बांड	0.20
22.	3.50%	उत्तर प्रदेश भूमि सीमाबंदी क्षतिपूर्ति बांड	0.30
23.	2.50%	उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड	0.33
24.	2.50%	उत्तर प्रदेश जेडए क्षतिपूर्ति बांड प्रमाणपत्र	27.66
		जोड़ [क]	**10,011.10**
25.	8.37%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	207.35
26.	9.45%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	597.75
27.	10.35%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	574.94
28.	10.82%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2011	302.45
29.	6.80%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	542.49
30.	7.80%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	432.67
31.	7.80%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012 (II शृंखला)	813.82
32.	8.00%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	471.51
33.	8.30%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2012	597.50
34.	6.20%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	808.00
35.	6.35%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	707.92
36.	6.40%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	916.49
37.	6.75%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	598.78
38.	6.95%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013	849.15
39.	6.35%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2013 (II शृंखला)	513.57
40.	5.60%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	775.20
41.	5.70%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	735.00
42.	7.32%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	1,144.40
43.	7.36%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2014	367.12
44.	5.85%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	794.55
45.	5.85%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015 (II शृंखला)	474.17
46.	6.20%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	808.05
47.	7.02%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	491.91
48.	7.53%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	1,500.14
49.	7.77%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2015	996.97
50.	7.85%	उत्तर प्रदेश सरकार का स्टॉक 2016	599.33
51.	5.90%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	865.40
52.	7.17%	उत्तर प्रदेश रा.वि.ऋ. 2017	32.30
		जोड़ [ख]	**18,518.94**
		जोड़ [क+ख]	**28,530.04**
पावर बांड			
1.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	293.59
2.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	293.59

[6] क्रम सं. 1-24 के ऋण भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 11 अक्तूबर 2002 के आदेश सं. एफ 9(1) - बी(एस)/2002 के अनुसार प्रभाजित किए गए हैं।

विवरण 33 : राज्य सरकार के बाजार ऋण *(समाप्त)*

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	ब्यौरा		मार्च 2006 के अंतिम दिन को बकाया शेष
1	2		3
3.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	293.59
4.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	293.59
5.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	293.59
6.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	293.59
7.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	293.59
8.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	293.59
9.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	293.59
10.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	293.59
11.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	293.59
12.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	293.59
13.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	293.59
14.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	293.59
15.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	293.59
16.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	293.59
17.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	293.59
18.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	293.59
19.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	293.59
20.	8.50%	उत्तर प्रदेश सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	293.59
		जोड़ [ग]	**5,871.86**
		कुल ऋण [क+ख+ग]	**34,932.40**
		ब्याज रहित ऋण [घ]	**7.40**
		कुल ऋण [क+ख+ग+घ]	**34,409.31**
पश्चिम बंगाल			
ब्याज वाले ऋण			
1.	13.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2006	447.42
2.	13.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2007	295.72
3.	13.05%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2007	570.81
4.	13.75%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2007	44.75
5.	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	148.14
6.	12.15%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	435.16
7.	12.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2008	270.60
8.	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	180.83
9.	11.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	272.68
10.	12.25%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2009	494.00
11.	10.52%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	372.56
12.	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	178.45
13.	11.80%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2010	250.00
14.	12.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2010	104.81
15.	9.45%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	75.00
16.	9.72%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2011	250.00
17.	10.35%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	387.74
18.	10.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	150.00
19.	11.50%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	94.10
20.	12.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2011	177.08
21.	7.35%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2012	152.65
22.	7.80%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	384.37
23.	7.80%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012 (II श्रृंखला)	229.05
24.	8.00%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	160.83
25.	8.30%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2012	245.90
26.	5.78%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2013	335.00
27.	6.20%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1170.57
28.	6.35%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	1024.11
29.	6.35%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013 (II श्रृंखला)	680.60
30.	6.40%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	465.71
31.	6.75%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	838.23
32.	6.95%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2013	901.77
33.	5.60%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	406.22
34.	5.70%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	1112.58
35.	7.15%	पश्चिम बंगाल सरकार का स्टॉक 2014	259.00
36.	7.32%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	182.92
37.	7.36%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2014	289.31
38.	5.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	164.22
39.	5.85%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015 (II श्रृंखला)	500.00
40.	6.20%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	1170.59
41.	7.02%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	542.21
42.	7.39%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	449.45
43.	7.53%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	633.49
44.	7.77%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2015	631.53
45.	5.90%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	898.96
46.	7.17%	पश्चिम बंगाल रा.वि.ऋ. 2017	965.99
47.		पश्चिम बंगाल संपदा अभिग्रहण क्षतिपूर्ति बांड	2.32
		जोड़ [क]	**19,997.41**
पावर बांड			
1.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2006	98.19
2.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2007	98.19
3.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2007	98.19
4.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2008	98.19
5.	8.50%	पश्चिम श्चम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2008	98.19
6.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2009	98.19
7.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2009	98.19
8.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2010	98.19
9.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2010	98.19
10.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2011	98.19
11.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2011	98.19
12.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2012	98.19
13.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2012	98.19
14.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2013	98.19
15.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2013	98.19
16.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2014	98.19
17.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2014	98.19
18.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2015	98.19
19.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अक्तूबर 2015	98.19
20.	8.50%	पश्चिम बंगाल सरकार पा.बां. अप्रैल 2016	98.19
		जोड़ [ख]	**1,963.78**
		जोड़ [क+ख]	**21,961.19**
		ब्याज रहित ऋण [ग]	**3.66**
		जोड़ [क+ख+ग]	**21,964.85**

विवरण 34 : राज्य सरकार के बकाया बाज़ार ऋण

(मार्च 2006 के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	कुल बकाया बाजार ऋण	राज्य विकास ऋण	पावर बाँड	ब्याज रहित बाज़ार ऋण	क्षतिपूर्ति बाँड
1	2 = जोड़ (3-6)	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	23,784.2	21,347.0	2,436.1	1.0	0.1
2. अरुणाचल प्रदेश	345.4	321.3	24.1	–	–
3. असम	6,704.6	5,847.0	857.5	0.0	0.1
4. बिहार	12,910.0	10,811.0	2,075.6	0.4	23.0
5. छत्तीसगढ़	3,184.6	2,700.8	483.2	0.4	0.1
6. गोवा	1,026.9	1,026.9	–	–	–
7. गुजरात	14,637.0	13,003.2	1,628.7	2.9	2.2
8. हरियाणा	7,164.1	5,141.7	2,022.3	0.1	–
9. हिमाचल प्रदेश	4,185.9	4,115.5	70.2	0.1	–
10. जम्मू और कश्मीर	4,512.7	2,920.2	1,590.8	1.7	–
11. झारखंड	5,669.5	3,546.3	2,115.3	0.1	7.8
12. कर्नाटक	12,485.2	11,933.5	551.0	0.4	0.4
13. केरल	12,219.7	11,059.5	1,158.3	1.0	1.0
14. मध्य प्रदेश	12,910.1	10,244.6	2,663.9	1.1	0.4
15. महाराष्ट्र	19,722.0	18,697.4	1,018.6	3.3	2.8
16. मणिपुर	943.8	786.6	157.1	0.1	–
17. मेघालय	969.7	955.7	14.0	–	–
18. मिजोरम	646.4	600.8	45.6	–	–
19. नागालैंड	1,529.8	1,450.7	78.9	0.2	–
20. उड़ीसा	10,789.4	9,686.3	1,102.9	0.2	–
21. पंजाब	9,334.3	8,696.7	637.3	0.3	–
22. राजस्थान	15,374.5	15,005.0	368.8	0.4	0.2
23. सिक्किम	467.8	420.0	47.8	–	–
24. तमिलनाडु	16,965.5	15,001.8	1,962.1	1.5	–
25. त्रिपुरा	1,207.8	1,144.1	63.5	0.2	–
26. उत्तरांचल	4,523.4	3,948.9	572.0	0.4	2.1
27. उत्तर प्रदेश	34,409.3	28,490.3	5,871.9	7.4	39.7
28. प. बंगाल	21,964.8	19,995.1	1,963.8	3.7	2.3
सभी राज्य	**260,588.6**	**228,898.1**	**31,581.3**	**26.9**	**82.4**

टिप्पणी : बिहार, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अविभाजित राज्य के बकाया बाजार ऋणों को उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर क्रमशः नए रूप से प्रस्थापित झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तरांचल राज्य को प्रभाजित किया गया है ।

स्रोत : रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार।

विवरण 35 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता अवधि विन्यास

(31 मार्च 2006 को बकाया)

(करोड़ रुपए)

राज्य / वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल	पावर बाँड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. आंध्र प्रदेश	529.68	1,007.67	1,782.88	2,097.53	1,639.13	2,394.24	3,401.21	2,725.92	2,733.42	2,682.46	352.84	**21,346.98**	**2,436.10**
2. अरुणाचल प्रदेश	5.15	10.33	9.55	9.82	20.52	31.93	34.22	27.77	45.15	68.87	58.00	**321.31**	**24.07**
3. असम	178.89	332.87	405.35	418.28	414.21	569.02	910.63	499.90	711.32	1,167.50	239.01	**5,846.98**	**857.53**
4. बिहार	417.56	779.34	732.93	498.17	892.38	1,406.54	1,335.47	1,153.23	1,433.47	1,266.89	895.05	**10,811.02**	**2,075.61**
5. छत्तीसगढ़	94.77	157.02	153.46	249.91	235.01	313.14	463.53	156.01	392.35	183.25	302.32	**2,700.78**	**483.22**
6. गोवा	19.25	30.67	96.09	82.31	88.74	98.88	155.00	108.66	132.96	165.37	49.00	**1,026.93**	**–**
7. गुजरात	281.61	475.27	676.85	929.62	893.56	1,253.91	2,536.92	2,282.59	1,511.60	1,532.04	629.27	**13,003.23**	**1,628.71**
8. हिमाचल प्रदेश	44.00	76.61	159.61	242.94	255.65	402.65	697.85	610.49	714.36	785.55	125.85	**4,115.55**	**70.25**
9. हरियाणा	147.28	253.43	290.49	316.32	292.35	361.77	755.56	824.82	827.01	931.68	141.02	**5,141.72**	**2,022.29**
10. जम्मू और कश्मीर	73.24	118.44	127.53	126.98	267.41	316.19	596.04	385.42	283.75	425.18	199.99	**2,920.17**	**1,590.81**
11. झारखंड	141.34	263.81	248.10	168.64	302.08	468.67	454.98	414.47	462.15	594.06	27.99	**3,546.28**	**2,115.32**
12. कर्नाटक	233.05	461.99	833.43	1,046.23	962.80	1,292.62	1,610.57	1,590.96	2,407.42	1,273.45	220.96	**11,933.46**	**550.95**
13. केरल	380.17	662.94	734.24	745.63	729.68	1,384.04	1,012.42	1,426.52	1,423.24	2,114.39	446.22	**11,059.48**	**1,158.25**
14. महाराष्ट्र	468.43	775.35	794.77	888.98	913.62	1,478.73	1,073.88	4,394.91	2,717.78	3,400.66	1,790.27	**18,697.38**	**1,018.59**
15. मध्य प्रदेश	356.63	537.77	537.88	803.74	642.53	833.79	1,136.97	1,428.18	2,128.87	1,709.26	129.01	**10,244.64**	**2,663.89**
16. मणिपुर	17.60	37.18	39.05	41.82	36.23	57.32	77.28	46.12	108.06	273.00	52.93	**786.60**	**157.09**
17. मेघालय	27.50	48.20	73.08	81.86	70.00	101.45	87.00	53.45	102.08	220.31	90.81	**955.75**	**13.99**
18. मिजोरम	16.50	18.15	29.97	34.97	34.97	43.88	117.97	30.46	54.22	139.87	79.87	**600.83**	**45.57**
19. नागालैंड	43.62	71.37	93.57	128.71	119.32	171.60	178.10	115.90	140.07	344.38	44.04	**1,450.68**	**78.92**
20. उड़ीसा	393.48	717.67	699.03	843.85	833.23	1,085.01	1,308.05	884.88	1,356.33	909.55	655.21	**9,686.29**	**1,102.87**
21. पंजाब	243.36	327.52	415.72	623.93	398.96	459.62	1,141.19	1,744.77	1,265.40	1,600.99	475.27	**8,696.72**	**637.35**
22. राजस्थान	433.71	753.95	1,160.13	1,388.63	1,342.86	1,396.42	2,383.41	1,624.82	2,297.87	1,993.25	230.00	**15,005.04**	**368.78**
23. सिक्किम	17.21	25.65	45.16	51.01	31.11	16.72	20.00	16.57	22.42	119.02	55.15	**420.03**	**47.80**
24. त्रिपुरा	19.71	45.49	77.97	95.98	92.79	73.57	121.45	77.67	117.95	219.53	201.94	**1,144.06**	**63.51**
25. तमिलनाडु	443.76	812.87	805.59	874.59	1,277.58	1,392.81	2,325.40	2,068.31	2,406.05	2,151.99	442.86	**15,001.82**	**1,962.14**
26. उत्तरांचल	51.89	94.93	127.01	139.57	101.99	240.73	949.87	763.87	308.85	1,170.19	–	**3,948.90**	**572.00**
27. उत्तर प्रदेश	979.27	1,791.47	2,396.81	2,633.82	1,925.37	2,996.16	3,236.91	2,945.98	3,987.81	4,699.04	897.70	**28,490.33**	**5,871.86**
28. प. बंगाल	492.17	866.53	853.90	947.51	1,055.82	1,390.65	2,506.07	3,675.98	3,292.24	3,049.28	1,864.95	**19,995.09**	**1,963.78**
कुल	**6,550.84**	**11,554.52**	**14,400.13**	**16,511.35**	**15,869.92**	**22,032.04**	**30,627.93**	**32,078.64**	**33,384.18**	**35,191.01**	**10,697.51**	**228,898.08**	**31,581.27**
पावर बांड	**1,579.06**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**3,158.13**	**1,579.06**	**31,581.27**	

टिप्पणी : 1. इसमें क्षतिपूर्ति बांड, ब्याज रहित ऋण और पावर बांड शामिल नहीं है।

2. पूर्ववर्ती बिहार द्वारा जुटाई गई शेष ऋण राशि को बिहार और झारखंड के बीच क्रमशः 74.41 प्रतिशत और 25.29 प्रतिशत के जनसंख्या अनुपात में बांटा गया है।

3. पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश द्वारा जुटाई गई शेष ऋणराशि को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच क्रमशः 73.3797 प्रतिशत और 26.6203 प्रतिशत के जनसंख्या अनुपात में बांटा गया है।

4. पूर्ववर्ती उत्तरप्रदेश द्वारा जुटाई गई शेष ऋणराशि को उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल के बीच क्रमशः 94.9676 प्रतिशत और 5.0324 प्रतिशत के जनसंख्या अनुपात में बांटा गया है।

विवरण 36 : राज्य सरकार की बकाया प्रतिभूतियों का परिपक्वता अवधि विन्यास - कुल के प्रतिशत के रूप में

(31 मार्च 2006 के अनुसार)

(प्रतिशत)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	2.48	4.72	8.35	9.83	7.68	11.22	15.93	12.77	12.80	12.57	1.65	**100.0**
2. अरुणाचल प्रदेश	1.60	3.21	2.97	3.06	6.39	9.94	10.65	8.64	14.05	21.43	18.05	**100.0**
3. असम	3.06	5.69	6.93	7.15	7.08	9.73	15.57	8.55	12.17	19.97	4.09	**100.0**
4. बिहार	3.86	7.21	6.78	4.61	8.25	13.01	12.35	10.67	13.26	11.72	8.28	**100.0**
5. छत्तीसगढ़	3.51	5.81	5.68	9.25	8.70	11.59	17.16	5.78	14.53	6.79	11.19	**100.0**
6. गोवा	1.87	2.99	9.36	8.02	8.64	9.63	15.09	10.58	12.95	16.10	4.77	**100.0**
7. गुजरात	2.17	3.66	5.21	7.15	6.87	9.64	19.51	17.55	11.62	11.78	4.84	**100.0**
8. हिमाचल प्रदेश	1.07	1.86	3.88	5.90	6.21	9.78	16.96	14.83	17.36	19.09	3.06	**100.0**
9. हरियाणा	2.86	4.93	5.65	6.15	5.69	7.04	14.69	16.04	16.08	18.12	2.74	**100.0**
10. जम्मू और कश्मीर	2.51	4.06	4.37	4.35	9.16	10.83	20.41	13.20	9.72	14.56	6.85	**100.0**
11. झारखंड	3.99	7.44	7.00	4.76	8.52	13.22	12.83	11.69	13.03	16.75	0.79	**100.0**
12. कर्नाटक	1.95	3.87	6.98	8.77	8.07	10.83	13.50	13.33	20.17	10.67	1.85	**100.0**
13. केरल	3.44	5.99	6.64	6.74	6.60	12.51	9.15	12.90	12.87	19.12	4.03	**100.0**
14. महाराष्ट्र	2.51	4.15	4.25	4.75	4.89	7.91	5.74	23.51	14.54	18.19	9.57	**100.0**
15. मध्य प्रदेश	3.48	5.25	5.25	7.85	6.27	8.14	11.10	13.94	20.78	16.68	1.26	**100.0**
16. मणिपुर	2.24	4.73	4.96	5.32	4.61	7.29	9.82	5.86	13.74	34.71	6.73	**100.0**
17. मेघालय	2.88	5.04	7.65	8.57	7.32	10.61	9.10	5.59	10.68	23.05	9.50	**100.0**
18. मिजोरम	2.75	3.02	4.99	5.82	5.82	7.30	19.63	5.07	9.02	23.28	13.29	**100.0**
19. नागालैंड	3.01	4.92	6.45	8.87	8.23	11.83	12.28	7.99	9.66	23.74	3.04	**100.0**
20. उड़ीसा	4.06	7.41	7.22	8.71	8.60	11.20	13.50	9.14	14.00	9.39	6.76	**100.0**
21. पंजाब	2.80	3.77	4.78	7.17	4.59	5.28	13.12	20.06	14.55	18.41	5.46	**100.0**
22. राजस्थान	2.89	5.02	7.73	9.25	8.95	9.31	15.88	10.83	15.31	13.28	1.53	**100.0**
23. सिक्किम	4.10	6.11	10.75	12.14	7.41	3.98	4.76	3.95	5.34	28.34	13.13	**100.0**
24. त्रिपुरा	1.72	3.98	6.82	8.39	8.11	6.43	10.62	6.79	10.31	19.19	17.65	**100.0**
25. तमिलनाडु	2.96	5.42	5.37	5.83	8.52	9.28	15.50	13.79	16.04	14.34	2.95	**100.0**
26. उत्तरांचल	1.31	2.40	3.22	3.53	2.58	6.10	24.05	19.34	7.82	29.63	–	**100.0**
27. उत्तर प्रदेश	3.44	6.29	8.41	9.24	6.76	10.52	11.36	10.34	14.00	16.49	3.15	**100.0**
28. प. बंगाल	2.46	4.33	4.27	4.74	5.28	6.95	12.53	18.38	16.47	15.25	9.33	**100.0**
कुल	**2.86**	**5.05**	**6.29**	**7.21**	**6.93**	**9.63**	**13.38**	**14.01**	**14.58**	**15.37**	**4.67**	**100.0**

टिप्पणी : विवरण 35 के अनुसार ।

विवरण 37 : राज्य सरकार के चयनित प्रतिबध्द व्यय-राज्य के स्व-राजस्व के अनुपात के रुप में

(प्रतिशत)

राज्य	2004-05				2005-06 (सं.अ.)				2006-07 (ब.अ.)			
	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (2+3+4)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (6+7+8)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	35.4	10.0	15.1	60.5	29.0	10.0	13.6	52.6	27.6	9.6	13.6	50.8
2. अरुणाचल प्रदेश	66.9	102.1	32.0	201.0	50.2	69.7	22.1	142.1	72.2	84.1	31.2	187.5
3. असम	37.1	24.3	28.1	89.5	41.2	37.4	22.0	100.6	40.4	40.7	27.7	108.8
4. बिहार	92.4	39.1	61.8	193.4	85.8	49.2	64.9	200.0	86.5	49.1	62.1	197.7
5. छत्तीसगढ़	25.8	9.3	11.9	47.0	18.5	10.6	11.0	40.2	18.3	13.5	11.2	43.0
6. गोवा	20.4	7.1	8.8	36.4	21.2	7.5	8.6	37.2	16.3	6.1	6.2	28.6
7. गुजरात	37.9	7.6	11.8	57.3	35.4	6.9	10.0	52.3	36.5	7.1	9.7	53.4
8. हरियाणा	22.4	8.0	9.0	39.4	20.4	9.3	9.9	39.6	20.7	9.4	9.9	40.0
9. हिमाचल प्रदेश	88.1	18.8	31.7	138.6	81.7	21.7	33.2	136.6	80.1	21.3	31.9	133.3
10. जम्मू और कश्मीर	56.4	71.7	31.7	159.7	53.8	64.9	30.2	149.0	49.7	65.7	27.9	143.4
11. झारखंड	21.3	27.5	25.6	74.4	16.8	37.6	18.1	72.5	16.8	36.7	17.3	70.9
12. कर्नाटक	18.5	7.5	10.5	36.5	16.5	7.2	10.0	33.7	16.4	10.7	10.0	37.2
13. केरल	36.9	9.7	26.6	73.2	35.1	10.4	29.5	75.0	34.4	11.4	31.5	77.3
14. मध्य प्रदेश	29.9	11.8	10.9	52.6	33.0	13.6	13.9	60.5	34.3	17.0	14.6	65.9
15. महाराष्ट्र	25.9	10.9	8.3	45.0	21.7	10.1	8.1	39.9	24.9	11.3	7.1	43.3
16. मणिपुर	176.5	143.6	121.0	441.1	116.2	134.2	73.2	323.6	109.2	113.0	79.6	301.8
17. मेघालय	51.9	70.3	25.5	147.7	52.8	72.5	21.8	147.1	48.2	71.5	21.5	141.2
18. मिजोरम	157.6	168.5	77.1	403.2	134.9	146.1	69.4	350.4	117.5	125.0	60.2	302.7
19. नागालैंड	159.8	274.7	85.7	520.2	144.9	232.7	103.4	481.0	133.6	207.1	110.8	451.6
20. उड़ीसा	60.3	12.2	22.8	95.4	60.1	13.2	26.9	100.3	58.9	12.6	30.0	101.5
21. पंजाब	32.4	11.5	12.3	56.1	30.3	13.3	12.0	55.6	27.2	12.3	11.0	50.5
22. राजस्थान	49.0	11.4	15.4	75.7	42.6	11.0	13.8	67.4	42.6	10.5	17.1	70.1
23. सिक्किम	8.9	8.2	2.8	19.9	9.1	10.2	3.0	22.3	10.1	10.7	3.8	24.6
24. तमिलनाडु	22.1	9.3	18.1	49.5	19.1	9.5	19.0	47.6	18.0	9.3	19.1	46.5
25. त्रिपुरा	85.4	74.7	53.1	213.2	112.4	124.3	78.0	314.7	102.6	163.6	75.3	341.5
26. उत्तरांचल	40.9	21.9	17.8	80.6	36.3	23.0	20.8	80.1	35.2	22.6	18.3	76.2
27. उत्तर प्रदेश	64.5	19.6	19.3	103.4	45.7	16.7	19.6	82.1	37.9	16.6	16.8	71.2
28. प. बंगाल	85.4	16.6	29.6	131.6	82.1	18.1	29.2	129.4	78.6	15.9	25.9	120.4
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	19.5	3.9	–	23.4	18.3	3.8	–	22.1	20.7	4.0	–	24.7
सभी राज्य	**37.2**	**13.0**	**15.8**	**66.0**	**32.8**	**13.5**	**15.6**	**61.9**	**32.0**	**14.0**	**15.4**	**61.4**

'–' : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए चयनित प्रतिबध्द व्यय में राज्य सरकार की ब्याज चुकौतियां, प्रशासनिक सेवाएं तथा पेन्शन शामिल है।

स्त्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 38 : राज्य सरकार के चयनित प्रतिबध्द व्यय-राज्य के स्व-राजस्व के अनुपात के रुप में

(प्रतिशत)

राज्य	2004-05				2005-06 (सं.अ.)				2006-07 (ब.अ.)			
	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (2+3+4)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (6+7+8)	ब्याज चुकौती	प्रशासनिक सेवाएं	पेन्शन	कुल (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आंध्र प्रदेश	22.7	6.4	9.6	38.7	18.9	6.5	8.8	34.3	17.6	6.1	8.7	32.4
2. अरुणाचल प्रदेश	9.7	14.9	4.7	29.3	9.5	13.1	4.2	26.8	10.0	11.6	4.3	25.9
3. असम	13.7	9.0	10.4	33.1	13.4	12.2	7.2	32.7	13.3	13.4	9.1	35.8
4. बिहार	23.7	10.0	15.9	49.7	18.9	10.8	14.3	43.9	19.3	11.0	13.9	44.2
5. छत्तीसगढ़	16.2	5.9	7.5	29.6	11.7	6.7	7.0	25.4	12.0	8.8	7.3	28.1
6. गोवा	16.6	5.8	7.2	29.7	16.9	6.0	6.9	29.8	13.6	5.1	5.2	23.9
7. गुजरात	25.0	5.0	7.8	37.8	25.4	5.0	7.2	37.6	27.2	5.3	7.3	39.8
8. हरियाणा	19.6	7.0	7.9	34.5	16.5	7.6	8.0	32.0	17.1	7.8	8.2	33.0
9. हिमाचल प्रदेश	28.3	6.0	10.2	44.6	26.0	6.9	10.6	43.4	25.9	6.9	10.3	43.1
10. जम्मू और कश्मीर	14.4	18.3	8.1	40.7	13.4	16.1	7.5	37.0	14.0	18.6	7.9	40.5
11. झारखंड	9.2	11.9	11.0	32.1	7.4	16.5	7.9	31.8	7.2	15.4	7.3	29.9
12. कर्नाटक	15.2	6.2	8.7	30.1	13.4	5.8	8.1	27.3	12.7	8.3	7.8	28.8
13. केरल	21.0	5.5	15.1	41.7	18.5	5.5	15.6	39.6	18.0	6.0	16.5	40.5
14. मध्य प्रदेश	20.3	8.0	7.4	35.7	17.2	7.1	7.2	31.6	18.4	9.1	7.8	35.4
15. महाराष्ट्र	17.6	7.4	5.6	30.6	17.4	8.0	6.5	31.9	20.4	9.2	5.8	35.4
16. मणिपुर	16.1	13.1	11.1	40.3	11.8	13.7	7.5	33.0	12.7	13.1	9.2	35.0
17. मेघालय	11.1	15.0	5.4	31.6	10.9	14.9	4.5	30.2	10.1	14.9	4.5	29.5
18. मिजोरम	13.0	13.9	6.4	33.3	12.1	13.1	6.2	31.4	13.3	14.1	6.8	34.2
19. नागालैंड	14.8	25.5	7.9	48.2	13.4	21.6	9.6	44.6	12.8	19.9	10.6	43.4
20. उड़ीसा	26.9	5.5	10.2	42.6	24.3	5.3	10.9	40.5	23.9	5.1	12.1	41.1
21. पंजाब	23.2	8.2	8.8	40.2	20.4	8.9	8.1	37.4	19.5	8.8	7.9	36.2
22. राजस्थान	26.0	6.0	8.2	40.2	24.2	6.3	7.8	38.3	24.1	5.9	9.7	39.8
23. सिक्किम	5.8	5.3	1.8	12.8	5.5	6.1	1.8	13.4	6.0	6.3	2.2	14.5
24. तमिलनाडु	16.3	6.9	13.4	36.6	14.1	7.0	14.1	35.2	13.4	7.0	14.2	34.6
25. त्रिपुरा	16.3	14.3	10.1	40.7	14.6	16.2	10.1	41.0	13.8	22.0	10.1	46.0
26. उत्तरांचल	16.2	8.7	7.0	31.9	13.0	8.2	7.4	28.6	13.2	8.5	6.9	28.6
27. उत्तर प्रदेश	26.6	8.1	8.0	42.7	20.3	7.4	8.7	36.4	18.6	8.1	8.3	35.0
28. प. बंगाल	34.2	6.6	11.9	52.7	30.4	6.7	10.8	47.9	31.4	6.3	10.3	48.0
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	26.9	5.4	–	32.3	23.7	4.9	–	28.6	28.3	5.4	–	33.7
सभी राज्य	**21.5**	**7.5**	**9.2**	**38.2**	**18.9**	**7.8**	**9.0**	**35.6**	**19.0**	**8.3**	**9.1**	**36.3**

'–' : शून्य/नगण्य/उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : इस विवरण में दिए गए चयनित प्रतिबध्द व्यय में राज्य सरकार की ब्याज चुकौतियां, प्रशासनिक सेवाएं तथा पेन्शन शामिल है।

स्त्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 39 : भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की प्राप्तता

राज्य	अर्थोपाय अग्रिम			ओवरड्राफ्ट					
	2004-05	2005-06	2006-07*	2004-05		2005-06		2006-07#	
	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या	अवसरों की संख्या	दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) गैर विशेष श्रेणी									
1. आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. बिहार	5	–	–	–	–	–	–	–	–
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. गोवा	212	–	–	3	13	–	–	–	–
5. गुजरात	116	–	–	–	–	–	–	–	–
6. हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. झारखंड	–	–	29	–	–	–	–	–	–
8. कर्नाटक	7	–	–	–	–	–	–	–	–
9. केरल	348	240	141	19	161	11	63	5	29
10. मध्य प्रदेश	110	–	–	–	–	–	–	–	–
11. महाराष्ट्र	68	41	42	5	22	1	20	–	–
12. उड़ीसा	91	–	–	–	–	–	–	–	–
13. पंजाब	268	22	–	9	115	–	–	–	–
14. राजस्थान	21	–	–	–	–	–	–	–	–
15. तमिलनाडु	7	–	–	–	–	–	–	–	–
16. उत्तर प्रदेश	294	34	–	13	98	1	11	–	–
17. प. बंगाल	268	–	–	15	115	–	–	–	–
(ब) विशेष श्रेणी									
1. अरुणाचल प्रदेश	35	28	2	3	6	–	18	–	–
2. असम	225	57	–	13	126	2	22	–	–
3. हिमाचल प्रदेश	159	25	–	4	27	–	–	–	–
4. मणिपुर	149	55	–	2	118	1	44	–	–
5. मेघालय	–	15	–	–	–	1	1	–	–
6. मिजोरम	147	14	–	1	1	–	–	–	–
7. नागालैंड	103	41	26	3	18	1	17	1	15
8. त्रिपुरा	31	–	–	–	–	–	–	–	–
9. उत्तरांचल	95	27	13	2	16	1	13	–	–

* : वर्ष के दौरान दिए गए नए ओवरड्राफ्ट के संदर्भ में। '–' : शून्य

\# : 16 नवंबर 2006 तक की स्थिति।

स्रोत : रिजर्व बैंक अभिलेख के अनुसार।

विवरण 40 : केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 आंध्र प्रदेश	75	329	135	–	–	–	–
2 अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–
3 असम	200	675	470	50	200	50	–
4 बिहार	–	–	–	–	–	–	–
5 छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–
6 गोवा	–	–	–	–	–	–	–
7 गुजरात	550	91	–	–	–	–	–
8 हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–
9 हिमाचल प्रदेश	110	187	–	125	100	–	–
10 जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–
11 झारखंड	–	–	–	–	–	–	–
12 कर्नाटक	–	–	–	500	–	–	–
13 केरल	–	203	178	310	350	350	350
14 मध्य प्रदेश	–	–	312	–	250	–	–
15 महाराष्ट्र	–	–	25	–	–	–	–
16 मणिपुर	196	433	573	445	331	–	–
17 मेघालय	–	–	65	–	65	–	–
18 मिजोरम	–	37	–	–	–	–	–
19 नागालैंड	–	70	27	–	100	100	100
20 उड़ीसा	250	382	695	400	–	–	–
21 पंजाब	250	305	–	150	200	–	–
22 राजस्थान	–	–	198	–	–	–	–
23 सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–
24 तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–
25 त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–
26 उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–
27 उत्तर प्रदेश	–	–	1	–	–	–	–
28 प. बंगाल	200	227	650	–	–	–	–
29 रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1,831**	**2,939**	**3,329**	**1,980**	**1,596**	**500**	**450**

ब.अ. : बजट अनुमान **सं.अ.** : संशोधित अनुमान '–' : शून्य

टिप्पणी : सभी आंकड़े सकल आधार पर हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

विवरण 41 : 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल निवेश शेष

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
(क) गैर विशेष श्रेणी					
1. आंध्र प्रदेश	139	190	1,183	1,701	2,076
2. बिहार	91	943	299	2,845	2,848
3. छत्तीसगढ़	352	589	271	335	882
4. गोवा	–	–	–	80	258
5. गुजरात	–	747	289	227	3,420
6. हरियाणा	–	149	632	1,571	3,861
7. झारखंड	1,482	217	1,259	1,139	147
8. कर्नाटक	1,885	388	296	2,033	4,213
9. केरल	–	–	–	–	147
10. मध्य प्रदेश	–	27	–	200	646
11. महाराष्ट्र	857	1,021	1,831	1,095	3,255
12. उड़ीसा	–	–	102	653	1,722
13. पंजाब	–	–	–	–	1,527
14. राजस्थान	–	–	179	930	1,805
15. तमिलनाडु	–	–	–	–	2,944
16. उत्तर प्रदेश	–	407	240	–	3,234
17. प. बंगाल	–	–	–	935	3,302
कुल (क)	**4,806**	**4,678**	**6,580**	**13,744**	**36,288**
(ख) विशेष श्रेणी					
1. अरुणाचल प्रदेश	48	97	6	–	–
2. असम	–	–	–	–	1,378
3. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	337
4. मणिपुर	–	–	–	–	138
5. मेघालय	89	123	148	160	165
6. मिजोरम	–	36	11	114	84
7. नागालैंड	–	245	25	–	–
8. त्रिपुरा	–	103	8	297	476
9. उत्तरांचल	–	311	77	–	118
कुल (ख)	**137**	**916**	**275**	**571**	**2,695**
कुल योग (क+ख)	**4,943**	**5,594**	**6,856**	**14,314**	**38,983**

'–' : शून्य

स्रोत : रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार ।

विवरण 42 : शिक्षा पर व्यय $ - कुल संवितरण के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	13.3	12.5	11.7	11.6	10.0	13.1	11.7
2. अरुणाचल प्रदेश	6.4	13.3	12.1	9.1	10.7	10.8	8.6
3. असम	25.5	21.9	22.4	22.3	17.3	20.8	19.2
4. बिहार	23.7	20.7	18.4	18.9	15.8	18.4	17.7
5. छत्तीसगढ़	13.1	12.4	11.0	10.8	12.3	13.9	13.5
6. गोवा	11.9	10.5	12.0	12.1	13.9	12.6	10.2
7. गुजरात	13.6	12.7	13.5	11.2	11.5	12.6	12.8
8. हरियाणा	14.6	13.8	13.7	10.2	11.6	14.2	14.3
9. हिमाचल प्रदेश	17.0	16.2	14.5	12.4	13.5	14.1	15.4
10. जम्मू और कश्मीर	11.1	11.6	10.9	11.1	9.7	9.3	9.4
11. झारखंड	–	16.2	19.0	14.2	14.9	15.8	15.5
12. कर्नाटक	17.7	16.0	14.8	12.9	12.7	14.1	13.2
13. केरल	20.0	19.0	17.6	15.7	16.2	16.4	17.6
14. मध्य प्रदेश	16.3	12.5	12.2	9.9	8.8	9.8	12.2
15. महाराष्ट्र	22.3	22.1	18.9	15.5	14.0	15.4	16.3
16. मणिपुर	20.2	13.7	13.3	13.1	15.3	15.0	12.6
17. मेघालय	16.6	17.9	15.3	15.2	15.0	17.4	14.8
18. मिजोरम	16.2	16.0	14.5	12.0	13.8	13.2	13.5
19. नागालैंड	13.8	11.0	11.0	10.8	11.0	10.9	11.6
20. उड़ीसा	15.9	14.6	14.3	12.2	12.6	13.1	12.6
21. पंजाब	13.2	11.7	12.1	10.2	10.1	11.9	11.4
22. राजस्थान	18.8	18.2	15.5	14.1	13.8	17.0	16.5
23. सिक्किम	14.2	8.0	7.6	11.8	8.8	10.5	9.4
24. तमिलनाडु	18.0	17.3	13.8	12.6	11.2	13.2	13.2
25. त्रिपुरा	19.3	18.6	19.2	18.3	20.0	15.2	14.9
26. उत्तरांचल	21.5	21.1	20.0	17.6	18.4	16.2	15.9
27. उत्तर प्रदेश	16.8	16.0	14.6	9.1	12.5	15.3	15.2
28. प. बंगाल	17.1	16.2	15.9	11.8	14.9	13.4	15.7
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	15.1	13.7	12.1	10.9	13.1	12.9	15.2
सभी राज्य	**17.4**	**16.1**	**15.0**	**12.6**	**12.7**	**14.3**	**14.4**
सभी राज्य (सघउ का प्रतिशत)	**2.9**	**2.7**	**2.6**	**2.4**	**2.3**	**2.5**	**2.4**

* : राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय '–': लागू नहीं।

$: इसमें खेल, कला एवं संस्कृति पर व्यय शामिल है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 43: चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय*
कुल संवितरण के अनुपात के रूप में

(प्रतिशत)

राज्य	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	4.7	4.4	4.0	3.7	3.2	3.5	3.4
2. अरुणाचल प्रदेश	5.0	4.9	4.5	3.5	4.5	3.3	3.2
3. असम	4.7	4.2	3.7	3.5	2.9	4.3	4.9
4. बिहार	5.9	4.9	4.2	3.8	3.1	4.6	4.4
5. छत्तीसगढ़	4.1	4.3	4.0	3.3	3.3	3.8	4.7
6. गोवा	4.4	3.8	4.0	4.5	4.7	4.9	3.7
7. गुजरात	3.4	2.8	3.2	2.7	2.8	3.1	3.2
8. हरियाणा	3.3	3.0	3.3	2.4	2.7	3.1	3.5
9. हिमाचल प्रदेश	5.6	4.9	4.5	4.3	4.6	4.4	4.6
10. जम्मू और कश्मीर	4.9	5.5	5.2	5.5	4.9	4.5	4.7
11. झारखंड	–	4.9	4.2	4.1	3.7	6.9	6.3
12. कर्नाटक	5.1	4.9	4.2	3.4	3.0	3.5	3.5
13. केरल	5.3	5.8	4.8	4.3	4.5	5.0	4.9
14. मध्य प्रदेश	5.1	4.1	4.1	3.3	3.1	3.6	3.9
15. महाराष्ट्र	3.9	4.3	3.7	3.2	2.7	3.3	3.4
16. मणिपुर	4.8	3.4	2.9	3.2	2.6	2.9	3.1
17. मेघालय	5.6	6.6	5.9	5.5	4.9	5.0	4.7
18. मिजोरम	5.4	5.4	5.0	5.0	4.3	3.8	3.9
19. नागालैंड	5.2	4.1	4.6	4.0	5.7	3.8	3.9
20. उड़ीसा	4.2	3.7	3.8	3.2	4.0	4.2	3.7
21. पंजाब	4.5	3.9	3.5	3.0	2.9	3.6	3.7
22. राजस्थान	5.2	5.2	4.2	4.0	3.7	4.6	4.5
23. सिक्किम	3.7	2.2	2.0	2.9	2.6	2.6	2.2
24. तमिलनाडु	4.9	4.9	4.1	3.8	3.2	4.2	4.0
25. त्रिपुरा	4.0	3.7	3.8	3.4	3.5	4.8	5.1
26. उत्तरांचल	3.1	4.4	3.8	3.4	3.9	4.8	5.2
27. उत्तर प्रदेश	4.0	3.6	3.8	2.7	3.8	5.4	6.4
28. प. बंगाल	5.6	5.0	4.9	3.7	4.2	4.1	4.5
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	7.2	6.7	6.3	6.0	6.6	7.1	8.4
सभी राज्य	**4.7**	**4.4**	**4.1**	**3.5**	**3.5**	**4.2**	**4.4**
सभी राज्य (सघउ का प्रतिशत)	**0.77**	**0.73**	**0.69**	**0.66**	**0.63**	**0.72**	**0.74**

*: राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय

'–' : लागू नहीं

स्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज ।

विवरण 44: राज्य सरकारों की बकाया गारंटियां

(मार्च के अंत में)

(करोड़ रुपए)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 #	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03 (अ)	2003-04 (अ)	2004-05 (अ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. आंध्र प्रदेश *	3,633	5,021	5,326	5,848	4,343	7,947	9,885	10,469	13,794	13,138	10,237	15,337	15,317	17,707
2. असम	1,008	1,022	1,022	945	1,430	1,430	1,430	1,430	1,033	1,100	1,854	1,101	1,023	607
3. बिहार	1,359	1,477	1,652	73	1,184	525	525	525	1,149	1,157	997	789	899	1,166
4. गुजरात	4,514	5,190	5,387	6,501	6,519	6,602	7,274	7,299	13,450	17,301	18,723	19,001	17,624	15,683
5. हरियाणा *	1,264	1,526	1,856	1,811	2,362	3,749	4,119	4,119	4,315	8,209	9,174	7,684	5,869	4,380
6. हिमाचल प्रदेश *	370	482	502	495	798	989	1,299	1,299	3,109	1,921	4,113	2,153	4,610	4,315
7. जम्मू और कश्मीर *	459	443	480	275	599	599	599	599	790	1,143	1,033	1,033	3,629	5,071
8. कर्नाटक *	3,057	2,255	3,640	3,862	4,669	4,887	6,122	6,517	9,829	12,989	11,845	13,314	14,179	17,451
9. केरल	1,744	2,296	2,320	3,229	2,082	2,069	2,466	2,866	7,952	8,756	11,937	11,410	13,836	12,316
10. मध्य प्रदेश *	677	720	1,890	287	440	3,485	3,485	3,485	9,841	10,482	9,670	9,670	9,974	9,435
11. महाराष्ट्र	7,351	6,132	7,305	7,706	8,127	7,636	9,933	12,851	21,161	44,954	35,520	38,002	67,068	58,818
12. उड़ीसा *	1,090	1,333	1,357	1,484	1,716	1,919	2,094	2,292	3,837	3,787	5,309	5,499	5,178	3,823
13. पंजाब *	1,303	1,225	1,517	2,360	2,525	6,691	7,044	7,292	8,744	6,067	6,149	18,632	12,987	10,585
14. राजस्थान *	2,727	3,143	3,573	3,929	4,758	5,754	6,154	6,454	11,270	11,954	12,912	14,819	17,239	12,703
15. तमिलनाडु *	2,895	3,205	3,604	2,128	3,456	4,339	4,339	4,637	9,287	12,388	12,004	11,918	10,818	7,779
16. उत्तर प्रदेश	4,257	4,852	5,135	5,300	4,730	4,338	4,503	4,643	8,090	6,391	6,268	3,601	8,364	8,433
17. प. बंगाल *	2,450	2,193	2,299	2,246	2,893	2,380	2,480	2,680	4,378	6,982	7,641	10,331	11,044	14,154
कुल	**40,158**	**42,515**	**48,865**	**48,479**	**52,631**	**65,339**	**73,751**	**79,457**	**132,029**	**168,719**	**165,386**	**184,294**	**219,658**	**204,426**
सघउ का प्रतिशत	**6.1**	**5.7**	**5.7**	**4.8**	**4.4**	**4.8**	**4.8**	**4.6**	**6.7**	**8.0**	**7.2**	**7.5**	**8.0**	**6.5**

अ : अनंतिम * : वर्ष 1991-92 से 1996-97 के बकाया गारंटियों में मूल तथा ब्याज का भाग शामिल है ।

: आंकड़ें अप्रैल से सितंबर से संबंधित हैं ।

स्रोत : राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के बजट दस्तावेजों के अनुसार।

विवरण 45: परिश्रमिक तथा वेतन पर व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	2,048 (37.2)	2,470 (38.3)	2,732 (38.0)	3,083 (38.5)	3,622 (38.1)	3,773 (35.5)	4,219 (29.3)	4,768 (32.8)	5,936 (35.0)	6,668 (37.0)	7,612 (33.0)	7,791 (31.5)	8,108 (31.1)	8,718 (29.2)	8,825 (28.2)	11,129 (29.8)	12,058 (26.6)
2. बिहार $	2,410 (49.3)	2,640 (46.0)	3,024 (46.0)	3,262 (44.6)	3,448 (44.6)	3,833 (45.3)	4,047 (49.0)	4,561 (50.9)	5,321 (50.1)	6,686 (41.5)	7,129 (49.7)	5,276 (42.0)	5,073 (36.2)	5,020 (34.3)	5,005 (34.2)	7,372 (38.3)	7,831 (36.0)
3. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,806 (36.8)	1,841 (33.3)	1,937 (29.3)	2,103 (29.6)	2,589 (30.1)	3,043 (31.7)
4. गुजरात	636 (15.6)	765 (14.6)	890 (14.3)	917 (13.2)	1,049 (13.9)	1,299 (14.8)	1,345 (13.1)	1,547 (12.7)	2,124 (13.6)	2,116 (12.1)	2,229 (10.1)	2,310 (10.2)	2,460 (11.5)	2,548 (11.6)	–	–	–
5. हरियाणा	687 (35.5)	774 (34.0)	881 (37.0)	980 (28.8)	1,171 (18.7)	1,369 (25.5)	1,597 (23.6)	1,827 (27.6)	2,703 (38.5)	2,627 (37.8)	2,687 (37.4)	2,920 (33.7)	3,156 (33.8)	3,143 (31.1)	3,455 (30.3)	3,946 (29.8)	4,274 (30.4)
6 हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	646 (40.0)	769 (40.4)	879 (40.9)	1,053 (39.0)	1,412 (42.3)	1,578 (41.3)	1,683 (38.5)	1,877 (41.0)	2,062 (40.1)	2,148 (38.4)	2,198 (37.9)	2,411 (37.5)	2,459 (36.3)
7. कर्नाटक @	1,289 (32.5)	1,431 (28.9)	1,657 (29.6)	1,941 (31.3)	2,213 (30.5)	2,481 (29.2)	2,871 (28.1)	3,365 (30.9)	3,810 (30.6)	4,576 (30.0)	4,630 (27.7)	5,030 (27.0)	4,941 (26.3)	5,323 (25.0)	5,392 (21.6)	5,932 (20.8)	7,186 (20.9)
8. केरल	1,683 (59.6)	1,384 (43.0)	1,419 (38.8)	1,836 (42.8)	2,194 (43.3)	2,230 (38.3)	2,617 (38.5)	2,842 (34.5)	3,298 (35.7)	4,566 (39.5)	4,561 (38.4)	4,263 (36.6)	4,745 (32.2)	5,136 (33.1)	5,417 (31.6)	5,682 (26.9)	8,141 (33.2)
9. मध्य प्रदेश	–	2,461 (45.4)	2,638 (42.8)	3,048 (40.5)	3,308 (42.4)	3,815 (41.8)	4,257 (37.1)	4,795 (40.9)	6,440 (45.3)	7,012 (43.5)	6,015 (40.1)	4,934 (34.3)	5,310 (36.5)	4,987 (26.6)	6,200 (34.4)	6,504 (30.4)	7,176 (31.9)
10. महाराष्ट्र	3,848 (44.0)	4,908 (48.8)	5,548 (48.0)	6,216 (47.4)	6,837 (46.2)	7,899 (46.0)	8,890 (42.6)	10,074 (44.0)	11,125 (43.4)	16,089 (54.5)	18,188 (48.6)	18,475 (48.3)	18,499 (45.7)	19,627 (46.0)	20,678 (40.5)	23,593 (44.0)	24,729 (42.0)
11. मिजोरम	89 (29.3)	104 (32.4)	127 (34.1)	147 (35.1)	172 (37.1)	204 (36.0)	240 (38.7)	262 (39.6)	280 (40.5)	393 (43.9)	443 (43.4)	480 (42.6)	494 (43.7)	514 (39.9)	562 (40.3)	606 (35.6)	163 (10.5)
12. मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	878 (42.6)	753 (37.7)
13. उड़ीसा	906 (41.4)	991 (37.6)	1,157 (38.0)	1,274 (36.6)	1,427 (35.4)	1,798 (38.3)	2,209 (43.2)	2,814 (50.8)	3,091 (45.3)	3,741 (44.2)	3,569 (40.4)	3,511 (35.5)	3,610 (36.0)	4,068 (37.5)	3,742 (30.2)	4,149 (28.3)	4,142 (26.0)
14. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	3,089 (36.7)	3,395 (37.8)	4,737 (40.9)	5,043 (37.6)	5,101 (33.9)	5,298 (33.2)	5,282 (31.0)	5,745 (30.5)	6,081 (30.5)	6,840 (31.6)	7,376 (30.7)
15. तमिलनाडु	2,350 (41.6)	2,530 (29.1)	2,869 (33.6)	3,235 (36.9)	3,603 (37.4)	4,136 (37.9)	4,818 (36.9)	5,559 (37.2)	7,469 (42.2)	8,295 (40.0)	8,251 (37.9)	8,262 (38.3)	7,980 (31.1)	7,966 (31.5)	8,507 (29.2)	9,556 (28.7)	12,102 (30.4)
16. त्रिपुरा @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,239 (48.4)	1,353 (49.0)
17. उत्तर प्रदेश	2,569 (26.9)	2,585 (24.9)	3,291 (25.9)	3,492 (26.3)	3,628 (23.6)	4,066 (23.2)	4,670 (24.3)	6,033 (27.2)	6,389 (24.5)	7,054 (24.5)	7,420 (23.9)	6,703 (21.1)	7,154 (21.7)	7,778 (15.5)	8,145 (18.3)	9,884 (19.8)	11,571 (21.0)
18. प. बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	5,386 (47.6)	7,098 (49.8)	9,842 (50.5)	9,600 (43.4)	9,297 (39.7)	9,270 (40.0)	9,451 (36.7)	9,801 (34.8)	10,769 (32.4)	11,699 (33.4)
19. रा.रा.क्षे. दिल्ली #	–	–	–	–	–	–	–	761 (32.8)	962 (33.9)	1,012 (28.7)	1,064 (28.8)	1,106 (21.9)	1,172 (25.5)	1,275 (25.1)	1,441 (24.7)	1,630 (22.7)	1,840 (24.4)
कुल	**18,515 (37.3)**	**23,042 (35.2)**	**26,234 (35.5)**	**29,431 (35.6)**	**33,317 (34.3)**	**37,673 (34.4)**	**45,746 (33.3)**	**59,044 (35.9)**	**72,196 (37.0)**	**87,297 (37.9)**	**90,181 (35.3)**	**89,340 (33.1)**	**91,159 (32.0)**	**95,387 (29.4)**	**97,552 (30.2)**	**114,711 (30.5)**	**127,896 (30.3)**

बअ : बजट अनुमान संअ : संशोधित अनुमान – : उपलब्ध नहीं

$: वर्ष 2000-01 के आंकड़ें विभाजित बिहार से संबंधित हैं । आंकड़े वेतन व्यय से संबंधित हैं ।

@ : आंकड़े वेतन व्यय से संबंधित हैं ।

: 1999-2000 से आंकड़े कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के हैं।

2. वर्ष 2001-02 से 2003-04 छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े वेतन व्यय के हैं जबकि 2004-05 के आगे के आंकड़े परिश्रमिक तथा वेतन से संबंधित है ।

स्रोत : इन राज्यों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज भी ।

विवरण 46: परिचालन तथा रखरखाव पर व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	576 (10.5)	722 (11.2)	746 (10.4)	871 (10.9)	810 (8.5)	911 (8.6)	1,103 (7.7)	1,085 (7.5)	1,427 (8.4)	1,395 (7.7)	2,305 (10.0)	2,602 (10.5)	2,811 (10.8)	3,436 (11.5)	3,624 (11.6)	3,721 (10.0)	4,480 (9.9)
2. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125 (2.5)	221 (4.0)	212 (3.2)	395 (5.6)	653 (7.6)	1,003 (10.5)
3. गुजरात	193 (4.7)	259 (4.9)	640 (10.3)	356 (5.1)	373 (4.9)	425 (4.8)	403 (3.9)	794 (6.5)	433 (2.8)	483 (2.8)	1,224 (5.6)	909 (4.0)	1,419 (6.6)	2,162 (9.8)	–	–	–
4. हरियाणा	86 (4.4)	88 (3.9)	99 (4.2)	115 (3.4)	135 (2.1)	158 (3.0)	171 (2.5)	208 (3.1)	191 (2.7)	254 (3.7)	220 (3.1)	259 (3.0)	318 (3.4)	414 (4.1)	349 (3.1)	477 (3.6)	638 (4.5)
5. हिमाचल प्रदेश $	–	–	–	–	204 (12.6)	208 (10.9)	228 (10.6)	271 (10.0)	355 (10.6)	364 (9.5)	401 (9.2)	297 (6.5)	268 (5.2)	379 (6.8)	349 (6.0)	466 (7.2)	647 (9.5)
6. कर्नाटक	11 (0.3)	14 (0.3)	9 (0.2)	12 (0.2)	16 (0.2)	15 (0.2)	14 (0.1)	15 (0.1)	16 (0.1)	33 (0.2)	49 (0.3)	93 (0.5)	89 (0.5)	253 (1.2)	276 (1.1)	437 (1.5)	789 (2.3)
7. केरल @	–	–	–	–	–	–	–	254 (3.1)	236 (2.6)	272 (2.3)	248 (2.1)	291 (2.5)	347 (2.4)	354 (2.3)	434 (2.5)	504 (2.4)	606 (2.5)
8. मध्य प्रदेश $	–	268 (4.9)	291 (5.4)	342 (5.5)	339 (4.5)	367 (4.7)	414 (4.5)	436 (3.8)	418 (3.6)	410 (2.9)	371 (2.3)	366 (2.4)	311 (2.2)	204 (1.4)	246 (1.3)	281 (1.6)	425 (2.0)
9. महाराष्ट्र *	3,194 (36.5)	3,079 (30.6)	3,817 (33.1)	3,552 (27.1)	3,864 (26.1)	4,266 (24.9)	5,690 (27.3)	6,461 (28.2)	7,029 (27.4)	6,675 (22.6)	6,877 (18.4)	7,143 (18.7)	8,257 (20.4)	8,792 (20.6)	11,833 (23.2)	16,058 (29.9)	15,180 (25.8)
10. मिजोरम	17 (5.6)	21 (6.5)	26 (6.9)	30 (7.1)	32 (7.0)	25 (4.4)	46 (7.4)	49 (7.5)	43 (6.2)	48 (5.3)	58 (5.7)	60 (5.3)	136 (12.0)	159 (12.3)	139 (10.0)	194 (11.4)	119 (7.7)
11. उड़ीसा	97 (4.4)	106 (4.0)	156 (5.1)	176 (5.1)	199 (4.9)	223 (4.7)	261 (5.1)	260 (4.7)	262 (3.8)	320 (3.8)	363 (4.1)	341 (3.5)	350 (3.5)	339 (3.1)	484 (3.9)	635 (4.3)	1,162 (7.3)
12. राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	1,380 (11.9)	1,493 (11.1)	1,587 (10.6)	1,702 (10.7)	2,233 (13.1)	2,271 (12.0)	2,447 (12.3)	2,520 (11.7)	3,084 (26.6)
13. तमिलनाडु	915 (16.2)	1,109 (12.8)	1,146 (13.4)	1,268 (14.5)	1,415 (14.7)	1,498 (13.7)	1,728 (13.2)	1,816 (12.1)	1,941 (11.0)	1,815 (8.8)	1,867 (8.6)	1,683 (7.8)	2,144 (8.3)	2,472 (9.8)	3,159 (10.8)	4,204 (12.6)	4,000 (10.0)
14. उत्तर प्रदेश	1,832 (19.2)	1,637 (15.7)	2,353 (18.5)	2,317 (17.4)	3,199 (20.8)	3,272 (18.6)	2,584 (13.5)	2,478 (11.2)	3,043 (11.7)	2,718 (9.5)	1,596 (5.1)	2,468 (7.8)	1,663 (5.0)	1,252 (2.5)	2,209 (5.0)	2,562 (5.1)	3,455 (6.3)
15. प. बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	745 (6.6)	937 (6.6)	1,242 (6.4)	1,580 (7.1)	1,420 (6.1)	1,015 (4.4)	1,068 (4.1)	1,232 (4.4)	1,800 (5.4)	2,696 (7.7)
16. रा.रा.क्षे. दिल्ली #	–	–	–	–	–	–	–	94 (4.1)	104 (3.7)	116 (3.3)	138 (3.7)	129 (2.6)	135 (2.9)	141 (2.8)	164 (2.8)	186 (2.6)	199 (2.6)
कुल	**6,922 (16.5)**	**7,302 (12.9)**	**9,281 (14.6)**	**9,037 (12.7)**	**10,585 (12.5)**	**11,368 (11.9)**	**12,642 (11.1)**	**14,966 (10.2)**	**17,814 (9.7)**	**17,639 (8.2)**	**18,885 (7.8)**	**19,889 (7.7)**	**21,715 (8.0)**	**23,908 (7.7)**	**27,339 (8.9)**	**34,698 (9.9)**	**38,482 (9.7)**

बअ : बजट अनुमान संअ: संशोधित अनुमान – : उपलब्ध नहीं

$: रखरखाव से संबंधित ।

@ : इसमें यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, भाड़ा, छोटे-छोटे काम, मशीनरी और उपस्कर, सामग्री तथा आपूर्ति, रखरखाव, मोटार वाहन, ईंधन प्रभार, और अन्य प्रभार शामिल हैं।

* : इसमें रखरखाव कार्यों के अंतर्गत आनेवाला व्यय, औजार व संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर, सामग्री तथा आपूर्ति, वेतनेतर सहायता अनुदान, और उचंत शामिल हैं।

: मरम्मत तथा रखरखाव से संबंधित आंकड़े ।

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के हैं।

स्रोत : इन राज्यों से प्राप्त जानकारी ।

विवरण 47: ग्यारहवें वित्त आयोग तथा बारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य सरकारों को कर्ज माफ़ी

(करोड़ रुपए)

राज्य	ग्यारहवें वि.आ. के अंतर्गत ऋण राहत	बारहवें वि.आ. के अंतर्गत कर्ज माफ़ी (31, जुलाई 2006 को)
	राशि	राशि
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	78	–
2. अरुणाचल प्रदेश	2	–
3. असम	–	–
4. बिहार	65	–
5. छत्तीसगढ़	–	93
6. गोवा	–	–
7. गुजरात	–	316
8. हरियाणा	74	97
9. हिमाचल प्रदेश	–	–
10. जम्मू और कश्मीर	–	–
11. झारखंड	–	–
12. कर्नाटक	5	358
13. केरल	–	–
14. मध्य प्रदेश	37	363
15. महाराष्ट्र	–	–
16. मणिपुर	2	–
17. मेघालय	–	–
18. मिजोरम	–	–
19. नागालैंड	–	–
20. उड़ीसा	–	382
21. पंजाब	132	–
22. राजस्थान	30	309
23. सिक्किम	–	–
24. तमिलनाडु	137	263
25. त्रिपुरा	–	–
26. उत्तरांचल	–	–
27. उत्तर प्रदेश	–	1,064
28. प. बंगाल	–	–
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–
कुल	**563**	**3,245**

'–' : शून्य

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण 48 : वर्ष 2005-06 के दौरान केंद्रीय ऋण तथा ब्याज राहत की चुकौती 31 मार्च 2004 तक जारी केंद्रीय ऋण के समेकन के कारण

(करोड़ रुपए)

राज्य	बकाया शेष (1 अप्रैल 2005 को)	वर्तमान नियम और शर्तों के अनुसार			ऋण समेकन के बाद			2005-06 के दौरान राहत		
		मूल	ब्याज	कुल	मूल	ब्याज	कुल	मूल	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. आंध्र प्रदेश	14,062	690	1,608	2,298	703	1,055	1,758	-13	553	540
2. अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. असम	2,108	264	230	494	105	158	264	159	72	231
4. बिहार	7,694	450	883	1,333	385	577	962	66	306	372
5. छत्तीसगढ़	1,865	109	211	321	93	140	233	16	71	88
6. गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. गुजरात	9,437	505	1,085	1,590	472	708	1,180	33	378	410
8. हरियाणा	1,933	135	222	357	97	145	242	38	77	115
9. हिमाचल प्रदेश	906	57	105	162	45	68	113	11	37	48
10. जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12. कर्नाटक	7,167	371	830	1,200	358	537	896	12	292	304
13. केरल	4,177	251	482	733	209	313	522	42	168	211
14. मध्य प्रदेश	7,261	369	832	1,201	363	545	908	6	287	293
15. महाराष्ट्र	6,799	528	781	1,309	340	510	850	188	271	459
16. मणिपुर	751	142	86	228	38	56	94	105	30	134
17. मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18. मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19. नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20. उड़ीसा	7,638	613	887	1,501	382	573	955	231	314	546
21. पंजाब	3,068	201	361	562	153	230	383	48	131	179
22. राजस्थान	6,174	468	687	1,156	309	463	772	160	224	384
23. सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24. तमिलनाडु	5,266	320	613	933	263	395	658	57	218	275
25. त्रिपुरा	445	23	53	76	22	33	56	1	19	20
26. उत्तरांचल*	266	9	31	40	13	20	33	-4	12	7
27. उत्तर प्रदेश	21,278	1,236	2,594	3,830	1,064	1,596	2,660	172	998	1,170
28. प. बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**108,294**	**6,742**	**12,582**	**19,324**	**5,415**	**8,122**	**13,537**	**1,327**	**4,459**	**5,787**

* : समेकन के लिए सिफारिश प्राप्त। '–' : उपलब्ध नहीं

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

विवरण 49 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय

(करोड़ रुपए)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	2,741	3,121	3,662	3,919	4,265	5,507	6,284	6,759	8,927	8,831	10,006	10,876	11,179	13,367	13,821	16,784	21,276
2. अरुणाचल प्रदेश	128	137	172	198	217	263	317	334	332	372	325	449	421	620	650	729	492
3. असम	932	1,113	1,138	1,397	1,538	1,815	1,708	1,892	2,151	2,640	3,077	3,035	3,233	3,709	4,775	6,795	7,613
4. बिहार	2,381	3,073	3,143	3,434	3,524	3,796	4,014	4,375	5,354	8,338	7,408	5,783	6,466	7,023	6,117	9,523	11,061
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	968	2,435	2,820	3,244	3,635	5,145	5,487
6. गोवा	162	181	192	216	223	257	292	350	415	470	518	543	626	686	798	930	1,120
7. गुजरात	1,993	2,344	2,456	2,844	3,273	3,666	4,068	4,953	6,609	7,571	9,681	9,029	8,177	8,992	10,127	11,256	11,288
8. हरियाणा	776	781	955	1,093	1,304	1,698	1,628	1,829	2,474	2,572	3,387	3,675	2,810	2,818	3,497	4,869	5,225
9. हिमाचल प्रदेश	444	495	581	621	731	881	994	1,242	1,553	1,701	1,963	1,912	1,973	2,348	2,328	2,647	2,697
10. जम्मू और कश्मीर	600	732	887	901	1,047	1,223	1,393	1,623	1,496	1,726	2,044	2,321	2,518	2,493	3,104	4,030	4,004
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,727	4,904	4,320	5,127	6,156	7,391
12. कर्नाटक	1,842	2,299	2,557	3,063	3,449	3,995	4,526	4,886	5,851	6,803	7,541	7,642	7,570	8,315	9,764	12,111	14,522
13. केरल	1,477	1,594	1,791	2,061	2,387	2,691	3,215	4,239	4,660	5,432	5,242	4,932	6,338	5,924	7,344	9,631	9,731
14. मध्य प्रदेश	2,439	2,664	3,020	3,508	3,854	4,416	5,267	5,622	6,887	7,417	7,153	6,007	7,158	6,787	7,268	9,613	10,551
15. महाराष्ट्र	3,792	4,601	5,561	6,204	6,723	8,361	9,195	10,609	11,407	12,844	15,429	15,452	15,704	18,877	20,433	26,140	24,864
16. मणिपुर	151	185	196	210	241	307	384	416	391	605	449	550	562	603	873	995	963
17. मेघालय	160	189	198	238	216	288	314	338	390	502	578	565	570	640	741	915	980
18. मिजोरम	153	173	200	212	239	292	343	320	379	506	505	542	562	652	647	775	625
19. नागालैंड	182	179	224	269	299	364	353	370	415	479	585	544	567	644	629	889	862
20. उड़ीसा	1,113	1,310	1,492	1,747	1,864	2,188	2,467	2,636	3,246	4,889	4,065	4,122	4,210	4,360	4,598	6,026	6,053
21. पंजाब	957	1,099	1,058	1,335	1,565	1,767	1,231	2,242	3,054	2,724	3,887	3,730	2,990	3,525	3,747	4,859	5,871
22. राजस्थान	1,866	2,036	2,393	2,783	3,291	3,912	4,324	4,697	5,953	6,377	7,224	7,730	8,032	9,228	9,845	11,331	12,853
23. सिक्किम	61	73	81	90	101	151	166	188	254	245	259	314	348	406	479	564	603
24. तमिलनाडु	2,985	3,433	3,929	4,251	4,550	5,145	6,210	6,654	8,153	8,862	9,618	9,190	9,662	11,586	13,617	15,125	17,276
25. त्रिपुरा	264	286	261	324	383	429	517	594	673	776	896	968	974	963	1,121	1,378	1,371
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	355	1,320	1,708	2,027	2,327	3,443	4,130
27. उत्तर प्रदेश	4,711	4,443	5,573	5,212	6,031	6,466	7,693	9,080	10,477	11,669	12,135	12,279	13,103	12,999	16,932	21,618	24,514
28. प. बंगाल	2,824	2,716	2,747	3,323	3,827	4,097	4,991	5,180	6,626	9,338	9,623	9,581	8,463	9,008	9,732	12,657	14,486
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	386	1,155	1,365	1,714	2,043	2,245	2,461	3,000	2,989	3,492	3,465	4,267	5,092	5,307
सभी राज्य	**35,132**	**39,255**	**44,468**	**49,837**	**56,298**	**65,341**	**73,610**	**83,471**	**1,00,372**	**1,16,152**	**1,27,920**	**1,32,242**	**1,37,140**	**1,49,629**	**1,68,344**	**2,12,026**	**2,33,217**

'–' लागू नहीं

* : इसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य भंडारण एवं गोदाम पूंजी परिव्यय पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्त्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

विवरण 50 : सामाजिक क्षेत्र के व्यय कुल व्यय की तुलना में

(प्रतिशत)

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (सं.अ.)	2006-07 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. आंध्र प्रदेश	41.7	40.2	40.8	37.2	34.2	38.5	38.6	38.1	40.7	38.8	35.6	35.0	32.5	33.3	29.3	34.5	35.1
2. अरुणाचल प्रदेश	32.1	31.0	34.1	34.4	31.5	32.8	35.6	34.3	33.1	33.9	26.9	32.5	30.9	28.3	31.2	30.3	20.6
3. असम	34.7	40.3	36.3	38.6	38.5	41.3	40.0	37.7	41.3	37.3	40.3	35.5	36.2	35.0	32.4	37.7	38.6
4. बिहार	38.3	45.2	40.6	40.7	41.2	40.3	42.7	42.8	44.0	42.7	43.7	38.9	36.4	36.7	30.5	37.8	39.2
5. छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.5	43.3	41.3	36.2	37.7	46.2	43.5
6. गोवा	40.9	38.8	38.6	38.7	37.1	27.2	30.8	27.6	28.5	29.1	26.4	23.1	26.1	28.4	31.4	31.3	28.0
7. गुजरात	36.4	33.9	30.8	33.8	34.5	33.9	32.3	33.3	34.5	35.3	35.6	35.2	30.4	27.3	29.0	32.9	31.6
8. हरियाणा	32.4	28.6	32.3	26.6	18.9	27.7	20.8	23.4	28.8	30.8	37.0	34.3	26.6	18.6	24.2	32.2	31.9
9. हिमाचल प्रदेश	39.7	21.1	40.1	36.7	36.4	37.5	37.7	36.0	37.3	36.1	36.9	33.7	29.8	29.0	29.0	30.8	31.6
10. जम्मू और कश्मीर	29.7	32.0	38.2	34.7	31.4	34.2	34.6	33.2	25.6	24.3	26.1	28.8	28.8	28.3	27.9	29.9	28.2
11. झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.0	50.0	44.4	44.1	45.9	48.0
12. कर्नाटक	37.0	36.8	36.0	37.9	38.9	38.4	37.8	38.8	39.3	38.2	38.3	34.8	31.4	28.4	28.5	34.3	34.5
13. केरल	43.7	39.8	41.1	40.1	40.1	38.9	40.5	43.2	43.9	42.1	39.9	37.6	37.4	30.0	36.2	40.5	34.5
14. मध्य प्रदेश	41.3	40.1	39.4	39.5	41.4	41.7	40.2	39.5	43.1	41.3	42.3	35.4	37.7	28.4	24.7	32.2	35.7
15. महाराष्ट्र	35.2	38.2	39.7	38.8	33.6	39.1	36.8	38.3	37.6	33.6	36.6	36.4	33.3	30.9	28.1	36.7	35.5
16. मणिपुर	33.4	34.6	23.8	32.9	35.6	37.9	37.9	36.7	35.1	34.0	32.5	26.0	26.0	26.0	33.6	33.9	30.3
17. मेघालय	39.3	38.3	36.4	34.9	36.8	37.0	40.0	39.7	38.7	42.0	40.6	40.5	35.9	36.2	35.8	39.6	37.1
18. मिजोरम	30.6	41.8	40.9	40.7	40.3	40.8	42.4	36.8	42.4	43.6	43.0	40.7	40.0	35.7	35.6	33.7	32.8
19. नागालैंड	33.0	27.6	26.2	28.9	33.0	35.0	32.2	30.0	27.9	32.1	34.0	26.9	29.6	27.0	27.6	28.7	27.6
20. उड़ीसा	36.5	36.0	38.1	39.2	37.4	39.3	39.1	38.5	37.6	48.3	36.8	34.2	31.7	28.0	28.9	33.8	31.8
21. पंजाब	28.1	21.9	25.1	25.6	20.9	25.2	16.3	23.7	27.9	22.7	27.6	23.8	17.2	17.3	17.8	21.7	23.2
22. राजस्थान	39.5	35.0	37.7	37.5	39.1	35.9	39.4	37.0	41.6	39.2	41.3	40.7	37.3	35.7	34.1	40.6	42.0
23. सिक्किम	33.3	32.2	32.4	34.4	16.8	15.2	13.4	13.5	15.7	15.1	27.3	16.5	16.3	27.5	22.2	24.1	24.3
24. तमिलनाडु	45.1	35.8	40.3	42.2	39.8	41.1	40.3	38.4	41.0	39.2	39.4	37.0	32.0	34.3	32.6	37.1	34.5
25. त्रिपुरा	43.1	42.3	39.8	41.2	43.5	43.4	43.8	44.0	43.9	43.8	42.0	39.3	38.4	34.8	37.6	34.4	33.1
26. उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.0	40.0	35.2	32.7	36.6	38.2	38.9
27. उत्तर प्रदेश	38.5	33.5	34.5	32.0	28.6	31.1	33.4	34.1	33.3	33.7	33.1	32.2	31.1	18.7	28.6	34.8	34.4
28. प. बंगाल	46.9	43.9	41.3	41.7	41.2	39.0	38.3	38.2	38.6	41.2	36.0	34.1	30.5	23.4	29.1	29.2	33.9
29. रा.रा.क्षे. दिल्ली	–	–	–	48.2	48.0	46.3	48.8	48.5	45.4	41.6	40.8	34.6	34.2	29.6	33.1	36.4	39.8
सभी राज्य	**38.6**	**36.4**	**37.3**	**37.0**	**34.8**	**36.8**	**36.3**	**36.6**	**37.7**	**37.0**	**36.9**	**35.0**	**32.6**	**28.4**	**29.7**	**34.9**	**34.9**

'–' लागू नहीं

* : इसमें सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास, राजस्व व्यय के अंतर्गत खाद्य भंडारण एवं गोदाम पूंजी परिव्यय पर व्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

स्त्रोत : राज्य सरकार के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**2,874,951**	**3,597,653**	**3,627,072**	**4,433,117**	**150,184**	**147,452**	**192,467**	**199,999**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**2,231,301**	**2,666,895**	**2,677,364**	**3,170,675**	**24,206**	**35,699**	**36,998**	**33,649**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**1,625,450**	**1,998,079**	**1,978,335**	**2,366,792**	**4,949**	**12,830**	**9,629**	**6,280**
1. आय पर कर (i+ii)	**18,021**	**30,000**	**30,000**	**33,000**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	18,021	30,000	30,000	33,000	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**142,441**	**165,379**	**194,248**	**239,348**	**123**	**280**	**4,894**	**220**
i) भू-राजस्व	3,359	12,748	12,748	12,848	77	220	100	150
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	138,791	151,131	180,000	225,000	46	60	1,019	70
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	291	1,500	1,500	1,500	–	–	3,775	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**1,464,988**	**1,802,700**	**1,754,087**	**2,094,444**	**4,826**	**12,550**	**4,735**	**6,060**
i) बिक्री कर (क से च)	1,104,060	1,315,616	1,270,616	1,546,533	2,825	8,000	3,500	4,000
क) राज्य बिक्री कर	996,878	1,183,200	1,138,200	1,403,200	2,825	8,000	3,500	4,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	105,196	130,506	130,506	139,106	–	–	–	–
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	4	4	28	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	14	22	22	1,000	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	1,972	1,884	1,884	3,199	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	209,267	285,118	285,118	325,000	1,779	1,800	1,000	1,800
iii) वाहन कर	116,864	161,217	156,217	177,700	221	250	235	260
iv) माल और यात्री कर	6,559	5,500	6,887	7,231	–	–	–	–
v) विद्युत शुल्क और कर	13,758	15,870	15,870	16,664	1	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	8,375	9,408	9,408	10,349	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	6,105	9,971	9,971	10,967	–	2,500	–	–
आ. केंद्रीय कर में अंश	**605,851**	**668,816**	**699,029**	**803,883**	**19,257**	**22,869**	**27,369**	**27,369**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**643,649**	**930,758**	**949,708**	**1,262,441**	**125,978**	**111,753**	**155,468**	**166,350**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**375,557**	**440,348**	**457,072**	**524,006**	**17,020**	**22,486**	**22,441**	**18,749**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**171,044**	**203,143**	**216,665**	**263,321**	**507**	**855**	**400**	**450**
2. लाभांश और लाभ	**4,549**	**5,521**	**5,521**	**5,797**	**–**	**–**	**–**	**–**
3. सामान्य सेवाएं	**43,594**	**26,713**	**26,589**	**29,439**	**1,376**	**2,393**	**3,546**	**1,095**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**12,821**	**21,035**	**15,547**	**16,182**	**423**	**659**	**443**	**486**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,914	12,421	6,933	7,175	68	170	72	73
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,888	4,166	4,166	4,375	18	40	40	40
iii) परिवार कल्याण	149	2	2	2	–	–	–	–

'परिशिष्ट I संबंधी टिप्पणियां' देखें ।

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	136	210	210	221	7	13	8	9
v) शहरी विकास	15	1,130	1,130	1,187	208	270	200	200
vi) श्रम और रोजगार	1,551	1,507	1,507	1,542	1	2	2	3
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	99	179	179	188	10	13	10	10
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	652	954	954	1,002	107	150	110	150
ix) अन्य	417	466	466	490	4	1	1	1
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**143,549**	**183,936**	**192,750**	**209,267**	**14,714**	**18,579**	**18,052**	**16,718**
i) फसल कार्य	401	785	785	824	128	230	132	135
ii) पशुपालन	174	116	116	122	50	110	50	50
iii) मत्स्य पालन	-107	173	182	182	8	15	15	17
iv) वानिकी और वन्य जीवन	12,169	12,600	12,600	13,860	1,053	1,200	1,200	1,200
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	2,116	3,203	3,203	3,363	10	14	14	15
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	4	6	6	6	9	17	55	56
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	5,627	5,259	5,908	6,203	–	–	–	–
ix) लघु सिंचाई	583	181	619	626	69	–	–	–
x) बिजली	2,515	5,000	2,641	2,473	8,365	12,286	12,767	11,400
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	142	182	182	191	153	60	60	40
xiii) उद्योग @	87,310	105,520	115,088	126,592	2,840	2,215	1,515	1,515
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	5,805	6,827	6,827	7,169	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	717	953	969	1,018
xvi) पर्यटन	367	1,465	1,465	1,538	20	26	14	18
xvii) अन्य *	26,443	42,619	43,128	46,118	1,292	1,453	1,261	1,254
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**268,092**	**490,410**	**492,636**	**738,435**	**108,958**	**89,267**	**133,027**	**147,601**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	133,442	230,460	162,549	274,843	61,388	60,060	78,453	92,262
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	7,034	102,561	110,234	184,568	1,260	–	–	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	81,769	92,091	97,596	146,364	12,933	900	19,381	19,381
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	3,413	720	3,316	3,316
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	45,847	65,298	122,257	132,660	29,964	27,587	31,877	32,642
क) सांविधिक अनुदान	11,610	34,303	39,220	51,720	24,969	21,128	27,144	28,838
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	18,056	18,056	25,806	27,096	2,005	1,150	2,123	2,184
ग) अन्य	16,181	12,939	57,231	53,844	2,990	5,309	2,610	1,620

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**993,727**	**1,331,469**	**1,428,504**	**1,566,145**	**1,571,415**	**1,912,896**	**1,911,587**	**2,239,079**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**529,765**	**627,254**	**644,008**	**750,168**	**1,246,452**	**1,446,411**	**1,441,411**	**1,667,912**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**271,332**	**319,840**	**336,577**	**382,688**	**334,186**	**398,440**	**393,440**	**452,267**
1. आय पर कर (i+ii)	**9,997**	**15,845**	**11,708**	**13,317**	**-62**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	522	770	1,000	1,200	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	9,474	15,075	10,708	12,117	-62	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**13,062**	**20,850**	**24,770**	**27,572**	**46,253**	**63,500**	**58,500**	**77,242**
i) भू-राजस्व	5,830	12,931	16,585	18,307	3,339	3,500	3,500	7,242
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	7,231	7,919	8,185	9,265	42,914	60,000	55,000	70,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	1	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**248,273**	**283,146**	**300,099**	**341,799**	**287,995**	**334,940**	**334,940**	**375,025**
i) बिक्री कर (क से च)	209,857	242,586	239,803	274,371	189,054	235,631	235,631	236,467
क) राज्य बिक्री कर	93,931	177,905	12,572	–	182,817	226,356	226,356	227,506
ख) केंद्रीय बिक्री कर	679	54,612	48,242	50,661	6,111	9,275	9,275	8,961
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	-62	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	11	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	102	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	115,309	10,069	178,989	223,710	13	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	14,406	17,215	16,308	18,461	27,247	33,500	33,500	40,000
iii) वाहन कर	13,472	15,832	15,250	17,263	21,278	31,000	31,000	35,000
iv) माल और यात्री कर	1,588	2,170	26,382	29,077	47,288	31,200	31,200	60,364
v) विद्युत शुल्क और कर	6,184	348	1,626	1,799	954	1,630	1,630	1,207
vi) मनोरंजन कर	1,604	3,850	401	441	2,276	1,419	1,419	1,764
vii) अन्य कर और शुल्क	1,163	1,145	329	387	-102	560	560	223
आ. केंद्रीय कर में अंश	**258,433**	**307,414**	**307,431**	**367,480**	**912,266**	**1,047,971**	**1,047,971**	**1,215,645**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**463,962**	**704,214**	**784,497**	**815,977**	**324,963**	**466,485**	**470,177**	**571,167**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**107,002**	**106,405**	**138,746**	**146,992**	**41,780**	**30,560**	**29,801**	**34,239**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**1,006**	**663**	**1,066**	**1,130**	**7,506**	**5,761**	**5,761**	**5,312**
2. लाभांश और लाभ	**929**	**773**	**1,003**	**1,083**	**4**	**7**	**7**	**78**
3. सामान्य सेवाएं	**6,383**	**5,356**	**3,225**	**3,474**	**14,685**	**4,579**	**4,579**	**5,790**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**2,117**	**5,616**	**2,287**	**2,469**	**4,147**	**2,848**	**2,839**	**3,956**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	535	4,270	578	624	735	600	600	781
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	477	467	515	556	1,266	1,352	1,352	1,480
iii) परिवार कल्याण	10	8	11	12	91	60	60	–

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	197	216	213	230	152	141	141	137
v) शहरी विकास	11	3	12	13	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	190	206	205	221	284	109	109	111
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	-13	38	39	42	830	550	550	625
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	698	404	702	758	24	30	20	20
ix) अन्य	11	4	12	13	765	6	7	802
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**96,568**	**93,997**	**131,165**	**138,836**	**15,438**	**17,365**	**16,615**	**19,103**
i) फसल कार्य	31	81	33	36	142	300	300	250
ii) पशुपालन	47	56	51	55	32	82	82	58
iii) मत्स्य पालन	100	114	108	117	515	725	725	730
iv) वानिकी और वन्य जीवन	2,568	4,131	2,773	2,995	716	1,500	750	759
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	25	33	27	27	147	215	215	295
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	20	18	22	24	–	–	–	–
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	26	30	28	30	2,082	1,650	1,650	2,650
ix) लघु सिंचाई	43	22	46	50	35	200	200	50
x) बिजली	535	1	1	1	–	–	–	–
xi) पेट्रोलियम	88,587	82,000	123,156	130,000	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	122	114	132	142	16	42	42	42
xiii) उद्योग @	77	72	83	89	8,039	8,110	8,110	9,512
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	1	1	1	2	2	2	3
xvi) पर्यटन	8	7	9	10	–	2	2	–
xvii) अन्य *	4,378	7,317	4,695	5,259	3,712	4,537	4,537	4,754
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**356,960**	**597,809**	**645,751**	**668,985**	**283,183**	**435,925**	**440,376**	**536,928**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	261,938	344,170	325,190	371,438	226,547	215,214	215,214	277,996
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,931	13,692	14,798	14,515	–	1,888	1,889	8,488
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	39,630	133,320	162,222	140,141	–	83,113	87,563	85,659
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	7,771	30,897	31,889	38,717	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	45,689	75,731	111,652	104,174	56,636	135,710	135,710	164,785
क) सांविधिक अनुदान	-2,851	30,581	30,581	14	5,927	121,849	121,849	149,018
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	13,658	14,479	7,240	22,137	48,904	11,169	11,169	11,492
ग) अन्य	34,882	30,671	73,831	82,023	1,805	2,692	2,692	4,275

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**724,887**	**788,117**	**938,443**	**1,079,718**	**182,002**	**287,295**	**218,882**	**314,212**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**510,409**	**547,890**	**652,223**	**749,766**	**101,860**	**116,623**	**121,335**	**136,877**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**322,787**	**341,516**	**412,222**	**479,624**	**85,653**	**91,977**	**96,689**	**107,432**
1. आय पर कर (i+ii)	**2,714**	**5,075**	**1,703**	**1,873**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,714	5,075	1,703	1,873	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**27,646**	**23,320**	**30,527**	**47,004**	**4,084**	**5,169**	**5,169**	**5,814**
i) भू-राजस्व	2,869	819	4,501	12,004	515	769	769	769
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	24,777	22,501	26,026	35,000	3,569	4,400	4,400	5,045
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**292,427**	**313,121**	**379,992**	**430,747**	**81,569**	**86,808**	**91,520**	**101,618**
i) बिक्री कर (क से च)	167,386	174,581	218,823	250,062	56,719	66,000	67,500	75,000
क) राज्य बिक्री कर	134,717	131,236	169,265	192,057	48,678	62,699	59,800	70,900
ख) केंद्रीय बिक्री कर	32,669	43,345	49,558	58,005	6,449	2,785	6,000	3,000
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	1,342	354	1,000	100
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	250	162	700	1,000
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	45,827	52,500	60,001	66,001	5,534	6,655	6,655	6,700
iii) वाहन कर	19,180	20,301	22,496	27,500	5,878	6,050	6,050	7,000
iv) माल और यात्री कर	28,713	32,633	37,974	42,531	10,310	5,333	8,545	9,043
v) विद्युत शुल्क और कर	30,892	32,596	40,185	44,090	–	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	233	448	448	492	248	424	424	600
vii) अन्य कर और शुल्क	196	62	65	71	2,880	2,346	2,346	3,275
आ. केंद्रीय कर में अंश	**187,622**	**206,374**	**240,001**	**270,142**	**16,207**	**24,646**	**24,646**	**29,445**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**214,478**	**240,227**	**286,220**	**329,951**	**80,142**	**170,671**	**97,547**	**177,335**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**124,393**	**123,192**	**132,475**	**146,940**	**72,926**	**157,368**	**84,244**	**157,442**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**10,126**	**9,624**	**10,566**	**10,950**	**347**	**740**	**740**	**788**
2. लाभांश और लाभ	**–**	**10,037**	**436**	**136**	**27**	**426**	**441**	**108**
3. सामान्य सेवाएं	**6,537**	**5,137**	**5,151**	**5,611**	**1,551**	**70,476**	**1,161**	**70,401**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	69,317	2	69,317
4. समाज सेवा (i से ix)	**2,291**	**1,570**	**3,613**	**2,481**	**7,197**	**10,620**	**10,620**	**10,089**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	411	181	1,871	186	554	491	491	664
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	321	521	1,003	1,583	882	1,320	1,320	617
iii) परिवार कल्याण	17	15	15	15	4	–	–	–

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	168	237	108	114	26	12	12	26
v) शहरी विकास	50	40	40	40	7	–	–	10
vi) श्रम और रोजगार	160	150	150	118	221	240	240	243
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	45	6	6	6	8	1	1	5
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	191	217	217	217	5,495	8,470	8,470	8,523
ix) अन्य	928	203	203	202	–	86	86	1
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**105,439**	**96,824**	**112,709**	**127,762**	**63,804**	**75,106**	**71,282**	**76,056**
i) फसल कार्य	495	420	593	603	113	190	190	135
ii) पशुपालन	202	169	227	257	68	133	133	1,261
iii) मत्स्य पालन	126	75	155	200	76	151	151	90
iv) वानिकी और वन्य जीवन	15,985	13,717	18,153	21,153	208	363	363	222
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	417	450	675	700	42	30	30	34
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	71	33	38	43	4	9	9	9
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	6,726	9,878	9,877	9,877	349	1,994	1,994	851
ix) लघु सिंचाई	1,270	1,103	1,416	1,424	258	113	113	1,036
x) बिजली	10,000	–	10,000	10,000	58,466	66,000	62,176	67,500
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	280	42	42	47	221	66	66	187
xiii) उद्योग @	68,146	70,060	70,705	82,523	2,366	2,662	2,662	2,700
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	1,106	1,001	1,001	1,051
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	–	–	–	–	40	261	261	180
xvii) अन्य *	1,721	877	828	935	487	2,133	2,133	800
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**90,085**	**117,035**	**153,745**	**183,011**	**7,216**	**13,303**	**13,303**	**19,893**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	44,891	51,430	58,487	73,694	5,502	6,742	6,742	12,959
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	13,571	28,808	29,239	29,095	406	1,016	1,016	963
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	12,266	19,127	27,921	37,700	1,160	4,324	4,324	3,162
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	19,357	17,670	38,098	42,522	148	1,221	1,221	2,809
क) सांविधिक अनुदान	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	–	–	–	113	113	113	166
ग) अन्य	19,357	17,670	38,098	42,522	35	1,108	1,108	2,643

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2004-05 (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)	**2004-05** (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**2,026,494**	**2,321,740**	**2,512,853**	**2,628,184**	**1,114,907**	**1,203,725**	**1,264,580**	**1,374,665**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**1,517,701**	**1,724,076**	**1,853,340**	**2,000,775**	**805,953**	**923,844**	**954,910**	**1,068,585**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**1,295,755**	**1,397,760**	**1,514,175**	**1,624,410**	**744,003**	**821,689**	**852,755**	**958,230**
1. आय पर कर (i+ii)	**13,276**	**15,000**	**15,000**	**16,050**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	13,276	15,000	15,000	16,050	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**120,220**	**123,842**	**158,936**	**145,450**	**73,828**	**88,250**	**96,195**	**101,960**
i) भू-राजस्व	23,489	13,442	38,000	25,000	1,170	6,250	1,195	1,960
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	96,280	110,000	120,036	120,000	72,658	82,000	95,000	100,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	451	400	900	450	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**1,162,259**	**1,258,918**	**1,340,239**	**1,462,910**	**670,175**	**733,439**	**756,560**	**856,270**
i) बिक्री कर (क से च)	830,862	900,000	1,000,000	1,090,000	476,091	549,000	552,100	639,000
क) राज्य बिक्री कर	522,369	552,300	629,700	689,000	369,903	440,000	424,670	484,000
ख) केंद्रीय बिक्री कर	160,740	176,600	190,000	210,400	106,189	109,000	127,430	155,000
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	147,564	170,500	180,000	190,000	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	11	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	179	600	300	600	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	4,709	5,469	5,469	5,852	101,316	96,700	113,500	120,000
iii) वाहन कर	106,093	130,000	115,000	120,000	14,041	15,500	15,000	16,000
iv) माल और यात्री कर	16,011	18,949	18,949	20,843	70,516	65,000	68,000	73,000
v) विद्युत शुल्क और कर	182,907	180,000	180,821	200,000	6,174	5,389	5,910	6,120
vi) मनोरंजन कर	5,119	6,500	6,500	7,600	915	1,200	1,400	1,500
vii) अन्य कर और शुल्क	16,558	18,000	13,500	18,615	1,121	650	650	650
आ. केंद्रीय कर में अंश	**221,945**	**326,316**	**339,165**	**376,365**	**61,950**	**102,155**	**102,155**	**110,355**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**508,794**	**597,664**	**659,514**	**627,410**	**308,953**	**279,882**	**309,670**	**306,080**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**309,049**	**347,202**	**316,233**	**333,396**	**254,437**	**191,692**	**218,828**	**198,096**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**46,973**	**55,250**	**10,301**	**16,995**	**47,241**	**51,727**	**56,843**	**59,040**
2. लाभांश और लाभ	**3,582**	**3,000**	**4,000**	**4,008**	**235**	**480**	**301**	**330**
3. सामान्य सेवाएं	**40,674**	**46,071**	**51,916**	**49,790**	**83,800**	**34,267**	**33,041**	**12,947**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	69,702	17,300	19,332	5
4. समाज सेवा (i से ix)	**18,163**	**21,536**	**21,536**	**23,259**	**44,013**	**31,787**	**47,537**	**41,590**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	6,104	6,420	6,420	6,850	4,018	5,268	8,006	8,570
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,887	4,500	4,500	5,500	4,092	2,724	3,570	4,040
iii) परिवार कल्याण	42	50	50	100	21	20	10	12

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2004-05 (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)	**2004-05** (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	728	1,142	1,142	1,222	166	190	190	200
v) शहरी विकास	2,421	2,700	2,700	2,890	31,796	18,010	30,010	23,010
vi) श्रम और रोजगार	1,539	1,114	1,114	1,588	461	535	794	586
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	353	380	380	380	278	557	400	397
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	145	125	125	145	3,111	4,400	4,475	4,670
ix) अन्य	1,944	5,105	5,105	4,584	69	83	82	105
5. राजकोषीय सेवाएं	**11**	**5**	**5**	**5**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**199,646**	**221,340**	**228,475**	**239,339**	**79,149**	**73,431**	**81,107**	**84,189**
i) फसल कार्य	617	900	900	900	262	340	288	303
ii) पशुपालन	417	500	425	550	501	225	221	231
iii) मत्स्य पालन	270	600	600	600	107	135	135	140
iv) वानिकी और वन्य जीवन	4,239	6,000	6,000	6,000	3,158	2,792	3,002	3,062
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	1,494	1,800	1,800	1,926	772	730	820	850
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2	10	2	2	215	275	250	187
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	20,709	40,000	38,543	30,000	10,333	6,000	8,000	8,500
ix) लघु सिंचाई	497	1,200	1,200	1,284	7	10	10	12
x) बिजली	5,213	5	10	5	184	210	300	310
xi) पेट्रोलियम	3	1	1	1	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	512	480	480	550	253	250	250	260
xiii) उद्योग @	142,856	150,675	157,785	175,100	10,001	9,502	13,002	13,502
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	7,187	5,160	8,171	8,857	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	2	1	2	51,317	51,950	53,520	55,520
xvi) पर्यटन	140	1	1	1	121	77	128	77
xvii) अन्य *	15,490	14,006	12,556	13,561	1,918	935	1,181	1,235
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**199,745**	**250,462**	**343,281**	**294,014**	**54,516**	**88,190**	**90,842**	**107,984**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	95,767	140,237	128,200	167,006	20,081	26,615	29,830	32,851
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	3,337	–	–	–	684	14,866	15,772	16,389
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	43,503	56,409	82,092	70,865	25,327	24,490	22,814	33,177
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	57,139	53,817	132,989	56,143	8,423	22,218	22,426	25,567
क) सांविधिक अनुदान	20,206	2,336	2,336	2,336	4,256	–	–	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	20,214	14,714	98,881	19,373	3,706	9,328	9,329	9,795
ग) अन्य	16,719	36,767	31,772	34,434	461	12,890	13,098	15,772

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (संशोधित अनुमान)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**463,451**	**584,435**	**633,329**	**652,123**	**976,453**	**1,099,045**	**1,154,024**	**1,256,531**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**178,920**	**176,191**	**191,276**	**200,162**	**240,278**	**279,842**	**285,317**	**338,862**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**125,188**	**126,591**	**141,676**	**150,562**	**139,978**	**159,237**	**168,935**	**190,028**
1. आय पर कर (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**7,764**	**7,376**	**7,376**	**8,862**	**4,038**	**4,186**	**4,492**	**5,000**
i) भू-राजस्व	230	218	218	168	243	217	148	256
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	7,534	7,158	7,158	8,695	3,780	3,960	4,335	4,735
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	15	9	9	9
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**117,424**	**119,215**	**134,300**	**141,700**	**135,940**	**155,051**	**164,443**	**185,028**
i) बिक्री कर (क से च)	54,237	60,000	70,500	78,000	78,000	95,000	109,200	123,500
क) राज्य बिक्री कर	50,482	56,452	65,557	70,501	60,000	74,300	85,400	97,400
ख) केंद्रीय बिक्री कर	3,754	3,547	4,943	7,499	–	–	–	–
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	1	1	–	–	18,000	20,700	23,800	26,100
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	29,990	31,500	32,500	33,000	20,500	21,100	19,000	22,300
iii) वाहन कर	10,782	11,000	11,000	11,000	4,097	4,265	4,593	5,028
iv) माल और यात्री कर	3,832	3,700	3,900	4,000	22,948	24,191	24,650	26,200
v) विद्युत शुल्क और कर	8,800	3,515	5,200	5,200	10,395	10,395	7,000	8,000
vi) मनोरंजन कर	16	16	16	17	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	9,767	9,484	11,184	10,484	–	100	–	–
आ. केंद्रीय कर में अंश	**53,732**	**49,600**	**49,600**	**49,600**	**100,300**	**120,605**	**116,382**	**148,834**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**284,531**	**408,244**	**442,052**	**451,961**	**736,176**	**819,202**	**868,707**	**917,669**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**61,077**	**44,350**	**62,647**	**68,373**	**68,510**	**82,000**	**72,743**	**82,061**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**4,277**	**1,158**	**1,158**	**1,219**	**1,693**	**1,404**	**1,600**	**2,028**
2. लाभांश और लाभ	**71**	**65**	**65**	**65**	**2,578**	**2,578**	**2,062**	**2,700**
3. सामान्य सेवाएं	**5,787**	**4,655**	**5,664**	**4,557**	**3,598**	**2,840**	**3,451**	**3,309**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**5,651**	**4,435**	**5,496**	**7,103**	**3,025**	**3,799**	**3,190**	**3,292**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	3,099	2,414	2,930	3,746	102	105	109	114
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	370	404	470	478	1,029	1,076	1,057	1,080
iii) परिवार कल्याण	7	10	10	10	–	–	–	–

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (संशोधित अनुमान)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	169	171	225	226	175	216	130	195
v) शहरी विकास	294	144	239	254	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	118	110	333	300	65	75	75	80
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	358	179	179	169	4	4	3	4
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,179	970	1,057	1,858	1,650	2,315	1,815	1,820
ix) अन्य	57	34	54	63	–	8	1	1
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**45,290**	**34,037**	**50,264**	**55,429**	**57,615**	**71,379**	**62,440**	**70,732**
i) फसल कार्य	449	449	449	468	412	448	394	402
ii) पशुपालन	45	45	45	39	354	364	370	394
iii) मत्स्य पालन	81	91	91	91	93	101	112	275
iv) वानिकी और वन्य जीवन	10,217	5,600	11,992	9,802	5,778	5,639	6,398	7,391
v) बागान	–	1	1	1	–	–	–	–
vi) सहकारिता	164	150	150	96	16	16	16	16
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	5	5	5	8	7	10	20
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	9	2	10	11	175	187	218	250
ix) लघु सिंचाई	37	38	41	42	144	168	201	251
x) बिजली	28,471	23,200	32,500	40,000	49,388	63,200	53,100	60,000
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	41	39	43	39	138	125	158	149
xiii) उद्योग @	5,109	4,158	4,360	4,206	511	478	740	840
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	1	10	10	11	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	63	24	24	26	22	24	28	42
xvii) अन्य *	600	227	545	593	576	624	697	703
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**223,454**	**363,893**	**379,406**	**383,587**	**667,666**	**737,202**	**795,963**	**835,608**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	121,516	125,400	126,480	139,320	324,302	364,688	365,723	453,136
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,338	613	1,325	1,213	–	–	–	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	17,590	10,783	23,436	10,629	35,000	35,000	35,000	70,000
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	83,010	227,097	228,165	232,425	308,364	337,515	395,241	312,472
क) सांविधिक अनुदान	77,141	216,412	216,412	210,714	245,614	285,979	288,851	261,450
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	3,964	7,552	7,557	7,770	3,182	6,484	62,433	6,672
ग) अन्य	1,905	3,133	4,196	13,941	59,568	45,052	43,957	44,350

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2004-05 (संशोधित अनुमान)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**730,718**	**820,279**	**820,278**	**1,014,447**	**2,656,966**	**2,921,846**	**2,968,483**	**3,587,507**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**487,605**	**512,152**	**512,151**	**694,613**	**1,995,076**	**2,244,055**	**2,342,745**	**2,714,268**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**240,188**	**288,848**	**288,847**	**312,815**	**1,607,232**	**1,868,015**	**1,950,480**	**2,253,379**
1. आय पर कर (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**-20**	**28,011**	**30,643**	**29,635**	**34,388**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	218	217	215	170
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	-20	27,794	30,426	29,420	34,218
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**14,196**	**15,500**	**15,500**	**12,825**	**187,760**	**226,215**	**226,215**	**266,826**
i) भू-राजस्व	1,696	3,000	3,000	3,300	11,776	8,215	8,215	8,215
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	12,500	12,500	12,500	9,525	175,984	218,000	218,000	258,611
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**225,992**	**273,348**	**273,347**	**300,010**	**1,391,461**	**1,611,158**	**1,694,630**	**1,952,165**
i) बिक्री कर (क से च)	178,247	214,995	214,995	245,800	870,007	1,049,630	1,079,374	1,243,010
क) राज्य बिक्री कर	125,495	149,916	149,916	180,721	753,600	923,968	922,687	1,056,396
ख) केंद्रीय बिक्री कर	52,752	65,079	65,079	65,079	116,407	125,662	156,687	186,614
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	12,500	15,500	15,500	18,600	280,553	299,772	334,772	406,034
iii) वाहन कर	22,459	27,000	27,000	16,280	98,299	111,800	115,800	128,500
iv) माल और यात्री कर	5,962	7,393	7,393	12,000	79,172	94,802	100,073	115,537
v) विद्युत शुल्क और कर	5,915	7,331	7,331	6,000	33,902	27,434	35,000	30,000
vi) मनोरंजन कर	909	281	281	993	24,753	3,905	4,736	4,484
vii) अन्य कर और शुल्क	–	848	847	337	4,775	23,816	24,875	24,600
आ. केंद्रीय कर में अश	**247,417**	**223,304**	**223,304**	**381,798**	**387,844**	**376,040**	**392,265**	**460,889**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**243,113**	**308,127**	**308,127**	**319,834**	**661,890**	**677,791**	**625,737**	**873,239**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**122,606**	**139,073**	**139,073**	**143,351**	**447,234**	**409,029**	**363,719**	**408,843**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**8,924**	**8,924**	**8,924**	**5,925**	**14,479**	**11,139**	**11,138**	**17,861**
2. लाभांश और लाभ	**120**	**300**	**300**	**300**	**1,666**	**1,690**	**1,690**	**1,760**
3. सामान्य सेवाएं	**1,396**	**3,426**	**3,426**	**3,664**	**209,812**	**281,581**	**236,271**	**257,366**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	182,594	267,080	221,769	245,420
4. समाज सेवा (i से ix)	**4,661**	**3,923**	**3,923**	**4,713**	**14,713**	**18,703**	**18,703**	**13,260**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	584	654	654	718	4,537	4,997	4,997	4,900
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	887	580	580	580	4,707	5,462	5,462	5,017
iii) परिवार कल्याण	–	25	25	25	33	129	129	120

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2004-05 (संशोधित अनुमान)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)	**2004-05** (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	60	100	100	74	1,073	5,917	5,917	1,151
v) शहरी विकास	11	1	1	13	60	231	231	114
vi) श्रम और रोजगार	97	196	196	196	1,027	1,006	1,006	1,145
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,368	1,400	1,400	1,500	3,020	594	594	529
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	728	396	396	897	7	61	61	61
ix) अन्य	926	570	570	710	249	307	307	223
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**107,505**	**122,500**	**122,500**	**128,749**	**206,564**	**95,916**	**95,916**	**118,596**
i) फसल कार्य	297	404	404	367	1,189	2,257	2,257	1,581
ii) पशुपालन	14	18	18	34	376	390	390	422
iii) मत्स्य पालन	193	136	136	153	279	262	262	372
iv) वानिकी और वन्य जीवन	2,000	2,500	2,500	2,500	16,941	14,975	14,975	16,941
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	41	46	46	245	3,180	3,148	3,148	3,463
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	6	63	63	5	3	3	3	3
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	2,372	2,657	2,657	2,923	1,335	3,852	3,852	4,045
ix) लघु सिंचाई	52	58	58	64	223	630	630	662
x) बिजली	–	–	–	–	3,310	100	100	–
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	14	8	8	38	1,846	1,852	1,852	1,938
xiii) उद्योग @	101,035	115,141	115,141	120,401	29,422	28,781	28,781	35,428
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	793	382	382	793
xv) सड़क परिवहन	1	1	1	57	–	5	5	–
xvi) पर्यटन	1	–	–	90	3,258	817	817	776
xvii) अन्य *	1,479	1,468	1,468	1,872	144,409	38,461	38,461	52,173
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**120,507**	**169,054**	**169,054**	**176,483**	**214,656**	**268,761**	**262,019**	**464,396**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	28,261	44,620	44,620	56,958	103,603	134,658	122,787	184,749
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	20,915	44,688	44,688	32,774	4,601	12,331	12,341	69,359
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	64,407	68,430	68,430	39,283	74,703	93,095	98,213	93,877
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	6,924	11,316	11,316	47,468	31,749	28,678	28,678	116,411
क) सांविधिक अनुदान	1,467	1,600	1,850	6,319	13,492	10,724	10,724	15,000
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	5,168	9,456	9,456	9,728	13,160	6,798	6,798	9,028
ग) अन्य	289	260	10	31,421	5,097	11,156	11,156	92,383

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,350,049**	**1,662,398**	**1,659,646**	**1,914,004**	**1,974,325**	**1,984,827**	**2,134,441**	**2,348,019**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**1,136,860**	**1,411,025**	**1,278,741**	**1,468,986**	**1,284,965**	**1,476,460**	**1,531,067**	**1,704,462**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**896,365**	**1,110,688**	**1,025,490**	**1,166,296**	**777,297**	**892,380**	**893,334**	**1,002,945**
1. आय पर कर (i+ii)	**493**	**1,090**	**555**	**624**	**15,496**	**15,474**	**15,521**	**16,073**
i) कृषि-आय कर	493	1,090	555	624	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	15,496	15,474	15,521	16,073
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**86,107**	**101,905**	**97,502**	**152,127**	**83,546**	**91,555**	**98,555**	**108,421**
i) भू-राजस्व	4,385	6,860	4,944	5,572	4,680	8,555	8,555	8,421
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	77,535	89,527	86,540	140,037	78,871	83,000	90,000	100,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	4,187	5,518	6,018	6,518	-5	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**809,765**	**1,007,693**	**927,433**	**1,013,545**	**678,255**	**785,351**	**779,258**	**878,452**
i) बिक्री कर (क से च)	670,105	820,001	728,100	812,956	391,201	467,600	455,000	535,700
क) राज्य बिक्री कर	618,267	703,443	357,437	400,458	343,743	382,812	372,451	438,295
ख) केंद्रीय बिक्री कर	36,124	93,636	34,200	44,300	47,089	84,750	82,500	97,350
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	1	3	3	3	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	15,713	22,919	336,460	368,195	370	38	49	55
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	74,645	82,582	83,976	94,473	119,236	130,000	130,000	143,000
iii) वाहन कर	61,048	77,101	65,320	76,000	48,865	60,000	57,000	65,000
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	46,807	50,000	51,500	57,000
v) विद्युत शुल्क और कर	962	23,706	46,817	26,569	70,718	76,035	84,342	76,336
vi) मनोरंजन कर	118	218	188	201	1,130	1,583	1,403	1,403
vii) अन्य कर और शुल्क	2,887	4,085	3,032	3,346	298	133	13	13
आ. केंद्रीय कर में अश	**240,495**	**300,337**	**253,251**	**302,690**	**507,668**	**584,080**	**637,733**	**701,517**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**213,189**	**251,372**	**380,905**	**445,019**	**689,360**	**508,367**	**603,374**	**643,556**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**81,909**	**84,305**	**88,944**	**111,262**	**446,186**	**220,892**	**223,916**	**205,908**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**4,050**	**3,990**	**3,615**	**4,951**	**2,590**	**5,623**	**52,670**	**4,443**
2. लाभांश और लाभ	**2,911**	**2,800**	**3,075**	**4,010**	**250**	**3,327**	**941**	**942**
3. सामान्य सेवाएं	**30,510**	**20,288**	**33,162**	**45,982**	**18,673**	**14,339**	**12,875**	**14,026**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	15,138	–	15,895	25,100	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**12,525**	**15,688**	**13,718**	**16,282**	**8,861**	**3,679**	**4,246**	**4,193**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	8,576	10,086	9,017	11,493	1,345	709	199	114
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,752	3,810	3,025	3,322	1,676	1,603	1,780	1,794
iii) परिवार कल्याण	12	10	13	13	72	107	107	107

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	165	207	173	182	1,334	538	1,313	1,313
v) शहरी विकास	91	205	205	100	451	67	89	95
vi) श्रम और रोजगार	415	450	462	467	513	335	300	322
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	71	209	209	79	505	4	21	3
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	232	338	245	257	1,883	290	430	435
ix) अन्य	211	373	369	369	1,082	26	8	8
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**4**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**31,913**	**41,539**	**35,374**	**40,037**	**415,808**	**193,924**	**153,183**	**182,304**
i) फसल कार्य	1,151	2,798	2,798	1,468	1,246	1,080	764	834
ii) पशुपालन	568	685	595	626	363	291	374	384
iii) मत्स्य पालन	228	309	239	251	90	241	183	193
iv) वानिकी और वन्य जीवन	19,969	24,967	20,975	25,032	55,911	42,200	45,000	45,000
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	2,938	3,325	3,085	3,539	1,792	1,165	1,151	1,643
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1	3	3	3	574	66	304	288
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	478	700	700	625	3,792	7,423	5,812	6,790
ix) लघु सिंचाई	137	170	170	152	731	2,670	1,316	1,353
x) बिजली	–	–	–	–	274,949	55,166	13,000	13,479
xi) पेट्रोलियम	1	1	1	1	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	413	644	435	455	446	328	100	106
xiii) उद्योग @	2,160	2,634	2,268	3,181	73,851	80,594	83,840	110,380
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	120	122	160	161	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	217	249	238	243	1	–	–	–
xvii) अन्य *	3,532	4,932	3,707	4,300	2,061	2,700	1,340	1,854
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**131,280**	**167,067**	**291,961**	**333,757**	**243,174**	**287,475**	**379,458**	**437,648**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	62,845	63,598	65,309	79,517	131,375	138,916	145,131	157,162
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	1,779	–	–	–	5,973	89,552	101,475	98,029
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	28,672	72,860	72,860	78,586	59,944	50,095	51,717	60,816
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	37,984	30,609	153,792	175,654	45,882	8,912	81,135	121,640
क) सांविधिक अनुदान	8,685	9,546	132,446	163,880	35,037	–	40,480	40,480
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	16,130	16,130	16,413	6,733	5,880	–	19,067	19,618
ग) अन्य	13,169	4,933	4,933	5,041	4,965	8,912	21,588	61,542

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2004-05 (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)	**2004-05** (लेखा)	**2005-06** (बजट अनुमान)	**2005-06** (संशोधित अनुमान)	**2006-07** (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**4,101,332**	**5,042,982**	**5,219,847**	**5,914,588**	**174,275**	**238,028**	**254,470**	**279,213**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**3,420,078**	**4,004,624**	**4,160,731**	**4,712,995**	**36,841**	**44,425**	**43,873**	**47,584**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**3,060,575**	**3,529,768**	**3,753,691**	**4,145,419**	**8,122**	**10,019**	**9,467**	**10,426**
1. आय पर कर (i+ii)	**107,657**	**107,200**	**110,000**	**110,003**	**1,150**	**1,450**	**1,288**	**1,365**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	107,657	107,200	110,000	110,003	1,150	1,450	1,288	1,365
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**447,720**	**492,407**	**594,000**	**654,000**	**287**	**363**	**321**	**341**
i) भू-राजस्व	36,072	42,407	94,000	94,000	67	80	75	80
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	411,648	450,000	500,000	560,000	220	283	246	261
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**2,505,198**	**2,930,161**	**3,049,691**	**3,381,416**	**6,685**	**8,206**	**7,858**	**8,720**
i) बिक्री कर (क से च)	1,881,672	2,212,841	2,263,713	2,631,451	5,473	7,000	6,500	7,280
क) राज्य बिक्री कर	1,137,120	1,385,367	1,387,114	1,661,254	5,473	7,000	6,500	7,280
ख) केंद्रीय बिक्री कर	241,710	254,309	260,000	275,000	–	–	–	–
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	495,041	546,012	604,599	683,197	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	7,143	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	658	27,153	12,000	12,000	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	221,887	280,000	285,000	310,000	305	392	342	363
iii) वाहन कर	117,715	135,000	127,500	141,000	335	484	375	398
iv) माल और यात्री कर	42,775	51,100	50,000	52,500	71	85	80	85
v) विद्युत शुल्क और कर	167,376	145,400	228,739	150,222	495	112	554	587
vi) मनोरंजन कर	24,648	50,000	33,574	33,999	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	49,125	55,820	61,165	62,244	6	133	7	7
आ. केंद्रीय कर में अंश	**359,503**	**474,856**	**407,040**	**567,576**	**28,719**	**34,406**	**34,406**	**37,158**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**681,255**	**1,038,358**	**1,059,116**	**1,201,593**	**137,434**	**193,603**	**210,597**	**231,629**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**411,883**	**568,639**	**534,917**	**669,564**	**6,975**	**10,308**	**11,555**	**12,725**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**73,746**	**78,423**	**103,391**	**104,834**	**640**	**220**	**800**	**896**
2. लाभांश और लाभ	**2,673**	**403**	**403**	**425**	**–**	**1**	**1**	**1**
3. सामान्य सेवाएं	**102,416**	**258,372**	**170,774**	**278,446**	**269**	**670**	**409**	**432**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	64,026	192,344	112,860	226,280	–	50	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**38,602**	**42,766**	**42,665**	**44,480**	**374**	**656**	**657**	**737**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,454	7,262	7,805	8,171	82	190	190	213
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,798	12,996	13,392	13,900	25	53	53	59
iii) परिवार कल्याण	1,282	1,584	1,584	1,584	–	3	–	–

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	1,828	1,751	2,245	2,245	98	125	125	140
v) शहरी विकास	4,715	2,841	5,182	5,268	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	4,002	3,608	4,250	4,550	2	3	3	4
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,119	3,416	4,676	4,976	–	3	1	1
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,138	982	982	982	158	275	275	310
ix) अन्य	2,266	8,326	2,549	2,804	9	4	10	10
5. राजकोषीय सेवाएं	**30**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**194,416**	**188,675**	**217,684**	**241,379**	**5,692**	**8,761**	**9,688**	**10,659**
i) फसल कार्य	4,320	2,568	3,396	3,565	4	9	9	10
ii) पशुपालन	1,271	1,274	1,274	1,274	–	10	–	–
iii) मत्स्य पालन	352	473	384	479	7	7	9	10
iv) वानिकी और वन्य जीवन	8,862	12,646	12,646	14,673	74	142	142	160
v) बागान	–	–	–	–	8	–	10	10
vi) सहकारिता	4,886	8,741	8,741	5,733	13	11	11	12
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	166	214	214	225	–	–	–	–
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	33,568	34,378	46,979	60,980	113	44	120	130
ix) लघु सिंचाई	3,342	2,440	5,131	5,131	3	3	4	5
x) बिजली	516	8,677	8,936	9,623	5,440	8,500	9,350	10,285
xi) पेट्रोलियम	2	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	260	250	300	300	10	13	10	11
xiii) उद्योग @	57,585	52,600	66,360	72,360	1	5	3	3
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	57	–	–	–	1	1	1	2
xvii) अन्य *	79,229	64,414	63,323	67,036	18	16	19	21
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**269,372**	**469,719**	**524,199**	**532,029**	**130,459**	**183,295**	**199,042**	**218,904**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	126,536	153,501	174,532	219,701	77,680	90,619	98,357	110,130
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	65,725	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	8,599	59,953	10	1,973	27	2,900	5,500	6,200
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	77,206	165,373	142,802	164,315	8,522	5,700	9,000	9,500
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	1,368	229	2,400	3,475
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	57,031	90,892	206,855	146,040	42,862	83,847	83,785	89,599
क) सांविधिक अनुदान	20	50	13,315	10,000	39,536	82,776	82,356	88,512
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	3,583	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य	53,428	90,842	193,540	136,040	3,326	1,071	1,429	1,087

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**154,612**	**197,513**	**200,654**	**245,813**	**150,187**	**148,037**	**188,637**	**169,499**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**47,677**	**50,988**	**58,106**	**68,980**	**19,535**	**26,262**	**27,003**	**31,823**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**20,773**	**22,850**	**22,850**	**26,839**	**3,957**	**3,551**	**4,420**	**4,678**
1. आय पर कर (i+ii)	**102**	**74**	**74**	**115**	**438**	**400**	**430**	**430**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	102	74	74	115	438	400	430	430
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**485**	**486**	**486**	**598**	**97**	**95**	**102**	**112**
i) भू-राजस्व	29	46	46	48	86	85	90	100
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	456	440	440	550	11	10	12	12
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**20,186**	**22,290**	**22,290**	**26,126**	**3,422**	**3,056**	**3,888**	**4,136**
i) बिक्री कर (क से च)	12,618	12,850	12,850	18,000	2,808	2,500	3,255	3,500
क) राज्य बिक्री कर	6,304	5,208	5,208	8,088	2,808	2,500	3,255	3,500
ख) केंद्रीय बिक्री कर	1,984	2,582	2,582	3,564	–	–	–	–
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	4,322	5,060	5,060	6,348	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	4	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	4	–	–	–	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	6,270	8,000	8,000	6,000	140	136	136	136
iii) वाहन कर	745	666	666	850	380	325	372	380
iv) माल और यात्री कर	266	462	462	460	69	65	90	85
v) विद्युत शुल्क और कर	3	34	34	136	–	–	–	–
vi) मनोरंजन कर	198	178	178	419	–	–	–	–
vii) अन्य कर और शुल्क	86	100	100	261	25	30	35	35
आ. केंद्रीय कर में अश	**26,904**	**28,138**	**35,256**	**42,141**	**15,578**	**22,711**	**22,583**	**27,145**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**106,935**	**146,525**	**142,548**	**176,833**	**130,652**	**121,775**	**161,634**	**137,676**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**13,349**	**15,683**	**15,683**	**17,348**	**7,559**	**6,399**	**10,853**	**11,502**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**775**	**510**	**510**	**550**	**366**	**200**	**400**	**250**
2. लाभांश और लाभ	**18**	**3**	**3**	**19**	**–**	**–**	**–**	**–**
3. सामान्य सेवाएं	**1,265**	**2,660**	**2,660**	**3,409**	**1,563**	**1,277**	**1,304**	**1,404**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	501	1,200	1,200	1,800	903	700	700	800
4. समाज सेवा (i से ix)	**214**	**360**	**360**	**380**	**551**	**576**	**598**	**631**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	45	105	105	110	38	42	60	62
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	61	100	100	105	46	40	40	40
iii) परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	18	47	47	49	37	35	35	35
v) शहरी विकास	1	2	2	2	–	–	–	–
vi) श्रम और रोजगार	29	50	50	55	–	–	–	–
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2	9	9	10	–	35	30	30
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	55	41	41	43	427	420	429	460
ix) अन्य	3	6	6	6	3	4	4	4
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**11,077**	**12,150**	**12,150**	**12,990**	**5,079**	**4,346**	**8,551**	**9,217**
i) फसल कार्य	176	315	315	331	22	32	18	15
ii) पशुपालन	122	170	170	180	53	65	60	65
iii) मत्स्य पालन	142	6	6	6	–	7	4	4
iv) वानिकी और वन्य जीवन	1,462	1,300	1,300	1,430	274	260	270	275
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	56	49	49	61	201	2	2	2
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	49	124	124	129	53	48	55	50
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	3	–	–	–	–	–	–	–
ix) लघु सिंचाई	4	6	6	6	3	4	4	5
x) बिजली	–	–	–	–	4,081	3,500	7,484	8,287
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	16	33	33	33	8	6	12	10
xiii) उद्योग @	9,026	9,850	9,850	10,500	6	5	32	10
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	137	200	153	159
xvi) पर्यटन	–	2	2	2	44	30	58	60
xvii) अन्य *	21	295	295	312	197	187	399	275
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**93,586**	**130,842**	**126,865**	**159,485**	**123,093**	**115,376**	**150,781**	**126,174**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	46,043	71,475	71,475	81,577	56,293	60,916	70,088	64,612
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	367	2,813	2,888	3,231	223	100	432	110
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	8,710	18,754	18,804	23,359	13,607	24	17,216	14
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,384	6,088	6,088	7,020	6,145	2	5,953	2
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	36,082	31,712	27,610	44,298	46,825	54,334	57,092	61,436
क) सांविधिक अनुदान	–	–	–	–	34,002	53,719	54,219	57,912
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	975	359	359	871	1,468	271	494	508
ग) अन्य	35,107	31,353	27,251	43,427	11,355	344	2,379	3,016

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**183,952**	**219,508**	**257,908**	**271,602**	**1,185,019**	**1,269,316**	**1,412,235**	**1,546,508**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**23,847**	**29,098**	**36,120**	**39,433**	**815,426**	**817,016**	**949,965**	**1,040,149**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**7,832**	**10,996**	**11,131**	**11,901**	**417,660**	**401,002**	**459,564**	**508,348**
1. आय पर कर (i+ii)	**1,357**	**1,300**	**1,375**	**1,404**	**5,907**	**6,010**	**6,000**	**6,500**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	1,357	1,300	1,375	1,404	5,907	6,010	6,000	6,500
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**116**	**135**	**135**	**145**	**32,947**	**36,200**	**40,000**	**47,000**
i) भू-राजस्व	43	55	55	59	13,159	13,200	15,000	18,000
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	73	80	80	86	19,788	23,000	25,000	29,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**6,359**	**9,561**	**9,621**	**10,352**	**378,806**	**358,792**	**413,564**	**454,848**
i) बिक्री कर (क से च)	5,308	8,500	8,500	9,180	247,139	214,000	267,515	281,747
क) राज्य बिक्री कर	5,308	8,500	8,500	9,180	206,127	192,172	226,275	235,822
ख) केंद्रीय बिक्री कर	–	–	–	–	41,016	21,828	41,244	45,930
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	-4	–	-4	-5
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	207	250	250	270	30,661	50,000	40,000	49,000
iii) वाहन कर	730	680	740	760	33,811	38,000	40,000	48,000
iv) माल और यात्री कर	110	120	120	130	38,493	28,000	35,700	37,000
v) विद्युत शुल्क और कर	1	1	1	1	26,189	28,000	30,000	39,000
vi) मनोरंजन कर	–	–	–	–	13	223	98	28
vii) अन्य कर और शुल्क	3	10	10	11	2,500	569	251	73
आ. केंद्रीय कर में अश	**16,015**	**18,102**	**24,989**	**27,532**	**397,766**	**416,014**	**490,401**	**531,801**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**160,105**	**190,410**	**221,787**	**232,168**	**369,593**	**452,300**	**462,269**	**506,359**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**7,790**	**7,508**	**8,491**	**9,119**	**134,552**	**106,128**	**131,421**	**136,951**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**327**	**350**	**350**	**378**	**24,904**	**1,000**	**19,458**	**6,000**
2. लाभांश और लाभ	**–**	**–**	**–**	**–**	**6,915**	**500**	**16,056**	**3,876**
3. सामान्य सेवाएं	**1,810**	**1,647**	**2,146**	**1,778**	**11,961**	**4,435**	**3,163**	**9,853**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	1,170	1,000	1,500	1,080	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**347**	**436**	**437**	**471**	**7,226**	**8,197**	**7,562**	**8,929**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	19	22	22	24	1,576	1,200	1,200	1,500
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	6	14	14	15	1,298	1,289	1,100	1,354
iii) परिवार कल्याण	–	–	–	–	6	2	2	5

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	नागालैंड				उड़ीसा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	218	253	253	273	1,226	1,570	1,500	1,575
v) शहरी विकास	–	–	–	–	22	1	6	18
vi) श्रम और रोजगार	3	4	4	4	305	279	81	252
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3	16	17	18	16	98	4	13
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	97	125	125	135	2,520	3,590	3,601	4,000
ix) अन्य	1	2	2	2	257	168	68	212
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**5,306**	**5,075**	**5,558**	**6,492**	**83,546**	**91,996**	**85,182**	**108,293**
i) फसल कार्य	9	10	10	11	665	266	176	548
ii) पशुपालन	33	40	40	43	82	47	22	68
iii) मत्स्य पालन	1	1	1	1	249	117	66	205
iv) वानिकी और वन्य जीवन	388	350	394	426	8,472	9,500	6,000	8,000
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	84	4	4	4	272	222	72	224
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	4	4	4	114	62	30	94
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	–	–	–	–	3,642	6,000	4,000	6,000
ix) लघु सिंचाई	3	1	1	1	380	525	525	1,000
x) बिजली	3,966	3,800	4,200	4,800	419	200	111	345
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	46	18	18	19	12	10	3	9
xiii) उद्योग @	10	6	6	7	67,061	73,603	73,602	90,007
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	74	180	20	61
xv) सड़क परिवहन	679	785	824	1,115	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	17	22	22	24	31	18	8	25
xvii) अन्य *	65	34	34	37	2,073	1,246	547	1,707
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**152,315**	**182,902**	**213,296**	**223,049**	**235,041**	**346,172**	**330,848**	**369,408**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	52,739	61,909	69,609	71,059	139,199	176,389	113,347	168,350
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	13,740	27,579	30,053	29,442	3,835	55,476	56,756	46,834
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	52,132	23,775	55,827	53,038
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,988	4,477	3,099	4,143	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	82,848	88,937	110,535	118,405	39,875	90,532	104,918	101,186
क) सांविधिक अनुदान	76,378	76,377	99,365	103,766	–	67,434	48,804	–
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	445	264	287	295	–	–	–	–
ग) अन्य	6,025	12,296	10,883	14,344	39,875	23,098	56,114	101,186

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**1,380,748**	**1,723,813**	**1,789,108**	**2,004,011**	**1,776,359**	**2,053,833**	**2,074,581**	**2,399,134**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**784,698**	**911,056**	**984,211**	**1,129,393**	**1,272,043**	**1,492,898**	**1,502,452**	**1,730,305**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**694,463**	**787,614**	**860,756**	**981,064**	**841,482**	**959,883**	**972,444**	**1,093,212**
1. आय पर कर (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**–**	**185**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	185	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**97,962**	**111,014**	**161,594**	**176,625**	**88,784**	**105,357**	**109,920**	**131,007**
i) भू-राजस्व	1,373	1,014	1,544	1,625	6,886	9,208	9,905	11,006
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	96,589	110,000	160,050	175,000	81,783	96,000	100,000	120,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	115	149	15	1
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**596,501**	**676,600**	**699,162**	**804,439**	**752,513**	**854,526**	**862,524**	**962,205**
i) बिक्री कर (क से च)	381,639	430,000	450,000	538,200	479,753	542,500	550,000	624,000
क) राज्य बिक्री कर	289,937	350,772	374,331	451,997	439,494	497,757	505,257	573,888
ख) केंद्रीय बिक्री कर	47,924	45,598	75,669	86,203	29,676	31,713	31,713	35,519
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	18	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	33,630	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	43,760	–	–	–	10,583	13,030	13,030	14,593
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	148,661	152,500	149,900	162,844	127,607	150,800	150,800	160,000
iii) वाहन कर	40,393	43,000	43,000	47,120	81,721	86,000	88,000	95,000
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	14,401	17,500	21,000	22,500
v) विद्युत शुल्क और कर	25,165	50,000	55,462	55,475	44,276	54,324	49,924	57,605
vi) मनोरंजन कर	267	900	684	684	816	1,800	1,200	1,300
vii) अन्य कर और शुल्क	376	200	116	116	3,939	1,602	1,600	1,800
आ. केंद्रीय कर में अंश	**90,235**	**123,442**	**123,455**	**148,329**	**430,561**	**533,015**	**530,008**	**637,093**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**596,050**	**812,756**	**804,898**	**874,619**	**504,316**	**560,935**	**572,130**	**668,830**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**535,803**	**476,988**	**458,728**	**556,004**	**214,615**	**246,157**	**254,284**	**270,189**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**189,029**	**69,259**	**79,278**	**81,169**	**75,494**	**80,459**	**100,956**	**91,575**
2. लाभांश और लाभ	**60**	**220**	**431**	**234**	**3,719**	**1,986**	**1,986**	**2,253**
3. सामान्य सेवाएं	**296,610**	**339,989**	**325,728**	**420,250**	**27,538**	**42,803**	**28,134**	**30,342**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	277,856	324,894	313,494	407,355	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**12,157**	**14,311**	**13,412**	**14,982**	**23,428**	**24,795**	**26,197**	**28,336**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,518	3,134	2,764	3,257	2,899	1,493	2,071	2,125
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,885	5,500	5,375	5,915	2,984	2,190	2,913	2,962
iii) परिवार कल्याण	32	32	37	37	18	25	25	25

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	194	248	248	248	508	408	508	540
v) शहरी विकास	445	270	591	604	55	84	86	79
vi) श्रम और रोजगार	814	859	667	789	282	248	248	259
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	326	983	541	639	105	155	155	155
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,870	3,250	3,160	3,470	16,414	20,000	20,000	22,000
ix) अन्य	73	35	29	23	163	192	191	191
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**37,947**	**53,209**	**39,879**	**39,369**	**84,436**	**96,114**	**97,011**	**117,683**
i) फसल कार्य	600	979	759	835	1,306	419	419	425
ii) पशुपालन	344	385	395	421	110	38	132	133
iii) मत्स्य पालन	118	130	130	140	710	522	660	565
iv) वानिकी और वन्य जीवन	1,470	1,750	1,630	1,790	3,941	4,075	4,075	4,275
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	340	351	375	410	871	897	1,225	897
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	1,286	853	1,415	1,560	300	359	312	342
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	9,097	8,000	9,332	9,428	5,649	7,097	6,644	7,075
ix) लघु सिंचाई	18	15	15	15	2,608	2,551	2,542	2,645
x) बिजली	5	–	–	–	10	5	71	4
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	682	800	900	12,000
xii) ग्राम और लघु उद्योग	51	60	60	60	21	18	18	18
xiii) उद्योग @	1,204	1,201	1,251	1,381	64,578	72,845	75,045	85,045
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	18,469	35,550	16,257	14,518	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	3	–	–	–	1,207	4,320	2,730	2,511
xvii) अन्य *	4,942	3,935	8,260	8,811	2,443	2,168	2,238	1,748
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**60,247**	**335,768**	**346,170**	**318,615**	**289,701**	**314,778**	**317,846**	**398,641**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	20,231	28,287	26,745	29,262	101,888	99,863	102,098	128,628
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	734	6,082	7,373	7,803	3,441	–	–	–
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	20,670	124,036	118,784	85,780	90,395	143,141	134,514	168,411
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	977	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	18,612	177,363	193,268	195,770	93,000	71,774	81,234	101,602
क) सांविधिक अनुदान	–	–	–	10,524	44,455	37,561	46,127	65,160
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	–	–	–	18,871	31,173	31,173	32,732
ग) अन्य	18,612	177,363	193,268	185,246	29,674	3,040	3,934	3,710

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**189,240**	**206,254**	**201,232**	**217,034**	**2,845,153**	**3,025,151**	**3,290,414**	**3,873,159**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**22,430**	**25,388**	**28,668**	**30,366**	**2,359,343**	**2,532,328**	**2,720,515**	**3,303,624**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**11,695**	**10,250**	**11,318**	**11,902**	**1,935,704**	**2,065,082**	**2,216,394**	**2,701,071**
1. आय पर कर (i+ii)	**2,909**	**2,900**	**3,000**	**3,600**	**59**	**–**	**–**	**–**
i) कृषि-आय कर	–	2,900	–	–	59	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,909	–	3,000	3,600	–	–	–	–
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**187**	**202**	**236**	**237**	**168,812**	**160,377**	**186,797**	**252,056**
i) भू-राजस्व	44	74	81	89	7,195	2,546	5,524	5,263
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	143	128	155	148	160,436	156,281	179,723	245,165
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	1,181	1,550	1,550	1,628
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**8,599**	**7,148**	**8,082**	**8,065**	**1,766,834**	**1,904,705**	**2,029,597**	**2,449,015**
i) बिक्री कर (क से च)	4,818	4,000	4,700	4,700	1,299,619	1,436,071	1,490,531	1,808,966
क) राज्य बिक्री कर	4,208	4,000	2,400	2,400	1,150,255	1,285,757	1,311,290	1,628,100
ख) केंद्रीय बिक्री कर	610	–	300	300	149,364	150,314	179,241	180,866
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	2,000	2,000	–	–	–	–
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,269	2,648	2,660	2,600	254,900	247,800	301,214	367,326
iii) वाहन कर	324	220	220	230	101,475	113,050	113,255	124,828
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	76,387	77,284	90,073	112,400
v) विद्युत शुल्क और कर	–	–	–	–	24,305	24,000	24,500	25,000
vi) मनोरंजन कर	188	55	55	55	6,106	5,020	4,022	40
vii) अन्य कर और शुल्क	–	225	447	480	4,042	1,480	6,002	10,456
आ. केंद्रीय कर में अश	**10,735**	**15,138**	**17,350**	**18,464**	**423,639**	**467,246**	**504,121**	**602,553**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**166,810**	**180,866**	**172,565**	**186,669**	**485,809**	**492,824**	**569,898**	**569,537**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**99,247**	**99,278**	**97,734**	**101,322**	**220,834**	**210,140**	**244,413**	**267,442**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**803**	**200**	**357**	**107**	**56,580**	**56,732**	**59,358**	**73,437**
2. लाभांश और लाभ	**92**	**70**	**72**	**75**	**2,425**	**2,257**	**1,394**	**1,413**
3. सामान्य सेवाएं	**92,402**	**93,717**	**92,398**	**96,144**	**32,852**	**32,075**	**50,996**	**50,628**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	91,227	92,025	90,727	94,330	8	-30	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**439**	**310**	**345**	**364**	**46,997**	**38,351**	**34,584**	**35,124**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	83	54	55	60	14,343	18,334	14,809	16,703
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	98	45	79	45	19,190	10,098	9,292	9,845
iii) परिवार कल्याण	–	–	–	–	167	434	12	12

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	18	22	33	35	2,458	2,342	2,516	2,518
v) शहरी विकास	89	61	42	74	3,810	184	2,081	82
vi) श्रम और रोजगार	6	4	4	5	2,567	2,504	2,919	2,905
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	19	37	45	47	2,073	2,262	2,106	2,108
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	109	77	77	88	849	952	26	26
ix) अन्य	17	10	10	10	1,540	1,241	823	925
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**30**	**–**	**–**	**–**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**5,511**	**4,981**	**4,562**	**4,632**	**81,950**	**80,725**	**98,081**	**106,839**
i) फसल कार्य	31	37	37	39	5,726	6,207	6,904	7,096
ii) पशुपालन	31	50	35	50	713	622	760	788
iii) मत्स्य पालन	1	2	2	2	1,274	1,716	1,935	1,942
iv) वानिकी और वन्य जीवन	792	700	700	700	15,507	12,622	15,578	17,138
v) बागान	163	180	180	200	–	–	–	–
vi) सहकारिता	–	–	–	–	1,885	1,957	2,568	2,568
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	1,959	2,348	2,689	2,309
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	–	–	–	–	1,563	1,943	1,837	1,795
ix) लघु सिंचाई	19	4	25	10	346	344	413	418
x) बिजली	2,141	2,305	2,300	2,400	14	5	–	–
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	2	1	1	1
xii) ग्राम और लघु उद्योग	8	–	21	26	1,664	577	1,666	1,300
xiii) उद्योग @	12	8	9	9	40,997	42,754	45,590	52,806
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	2,152	1,600	1,128	1,100	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	78	80	80	80	1,353	1,109	2,835	1,100
xvii) अन्य *	83	15	45	16	8,947	8,520	15,306	17,577
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**67,563**	**81,588**	**74,831**	**85,347**	**264,975**	**282,684**	**325,485**	**302,095**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	43,585	46,426	41,978	53,594	105,402	120,485	112,313	187,594
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	149	170	195	170	7,276	12,109	5,041	4,447
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	5,879	14,002	19,199	19,632	56,214	50,811	62,131	40,539
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	2,358	3,777	4,964	4,305	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	15,592	17,213	8,495	7,646	96,083	99,279	146,000	69,515
क) सांविधिक अनुदान	13,931	16,430	6,681	4,706	2,570	6,029	11,181	47,605
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	1,620	630	1,315	1,353	9,357	9,357	15,681	16,465
ग) अन्य	41	153	499	1,587	84,156	83,893	119,138	5,445

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तरांचल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**257,689**	**299,483**	**307,656**	**320,415**	**408,559**	**600,493**	**639,704**	**744,053**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**62,274**	**69,884**	**67,415**	**74,001**	**196,433**	**257,963**	**270,008**	**313,669**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**23,962**	**30,750**	**27,976**	**31,160**	**144,436**	**165,771**	**184,207**	**207,142**
1. आय पर कर (i+ii)	**2,074**	**2,244**	**2,000**	**2,100**	**259**	**290**	**352**	**387**
i) कृषि-आय कर	27	44	–	–	–	–	–	–
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	2,047	2,200	2,000	2,100	259	290	352	387
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**1,349**	**1,801**	**1,645**	**1,760**	**21,554**	**22,831**	**31,305**	**33,802**
i) भू-राजस्व	120	301	145	160	774	853	890	975
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	1,206	1,500	1,500	1,600	20,780	21,978	30,415	32,827
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	23	–	–	–	–	–	–	–
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**20,539**	**26,705**	**24,331**	**27,300**	**122,623**	**142,650**	**152,550**	**172,954**
i) बिक्री कर (क से च)	16,070	21,000	19,500	21,800	79,351	89,000	100,000	115,884
क) राज्य बिक्री कर	16,070	21,000	19,500	21,800	21	53,336	59,928	69,447
ख) केंद्रीय बिक्री कर	–	–	–	–	79,329	7,052	7,924	9,182
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	–	27,872	31,317	36,292
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	–	–	–	–
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
च) अन्य प्राप्तियाँ	–	–	–	–	–	740	831	963
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	3,237	4,200	3,431	4,000	29,201	35,797	35,797	40,094
iii) वाहन कर	1,045	1,400	1,400	1,500	9,891	13,500	12,400	13,610
iv) माल और यात्री कर	–	–	–	–	–	1	1	1
v) विद्युत शुल्क और कर	1	2	–	–	3,749	3,802	3,802	2,759
vi) मनोरंजन कर	44	33	–	–	432	520	520	572
vii) अन्य कर और शुल्क	142	70	–	–	–	30	30	34
आ. केंद्रीय कर में अश	**38,312**	**39,134**	**39,439**	**42,841**	**51,997**	**92,192**	**85,801**	**106,527**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**195,415**	**229,599**	**240,241**	**246,413**	**212,126**	**342,530**	**369,696**	**430,383**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**17,685**	**6,650**	**5,360**	**6,034**	**54,770**	**52,907**	**59,711**	**78,412**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**456**	**500**	**500**	**600**	**2,196**	**2,498**	**2,498**	**2,768**
2. लाभांश और लाभ	**–**	**20**	**20**	**30**	**26**	**29**	**29**	**32**
3. सामान्य सेवाएं	**2,477**	**2,146**	**2,326**	**2,459**	**6,976**	**5,796**	**7,988**	**18,249**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	–	–	–	–
4. समाज सेवा (i से ix)	**504**	**708**	**450**	**588**	**3,148**	**3,219**	**4,346**	**4,645**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	82	145	100	110	2,227	2,377	3,326	3,596
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	178	400	178	300	260	320	320	298
iii) परिवार कल्याण	4	5	–	–	8	10	6	7

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तरांचल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	99	104	150	150	147	171	171	191
v) शहरी विकास	–	4	–	–	1	2	82	82
vi) श्रम और रोजगार	11	11	12	13	100	94	94	102
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5	9	–	–	98	–	96	97
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	111	–	–	–	140	–	3	3
ix) अन्य	14	30	10	15	166	245	248	269
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**500**	**600**	**2**	**1**	**1**	**2**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**14,248**	**3,276**	**1,564**	**1,757**	**42,423**	**41,364**	**44,849**	**52,716**
i) फसल कार्य	143	125	150	175	640	1,109	1,109	841
ii) पशुपालन	114	110	115	121	116	146	73	92
iii) मत्स्य पालन	54	62	57	59	3	4	4	4
iv) वानिकी और वन्य जीवन	563	1,650	500	550	13,058	14,976	14,976	13,090
v) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–
vi) सहकारिता	5	6	5	6	294	281	282	151
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	10	–	–	9	7	18	19
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	3	–	–	–	574	574	575	161
ix) लघु सिंचाई	12	19	13	14	101	103	104	165
x) बिजली	10,520	–	–	–	21,969	19,111	22,800	32,800
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	–	–	–	–
xii) ग्राम और लघु उद्योग	10	15	11	11	125	32	32	48
xiii) उद्योग @	699	650	602	700	3,696	4,035	4,035	4,437
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	–	–	–	–
xv) सड़क परिवहन	14	–	–	–	129	10	10	11
xvi) पर्यटन	36	47	40	42	1,306	409	409	500
xvii) अन्य *	2,075	582	71	79	402	567	424	397
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**177,730**	**222,949**	**234,881**	**240,379**	**157,357**	**289,623**	**309,986**	**351,972**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	88,013	80,436	82,369	92,454	132,689	136,731	147,763	186,494
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	2,182	1,031	575	400	1,722	3,831	4,031	2,390
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	28,404	18,325	16,683	20,251	9,649	21,595	29,104	31,300
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	1,312	12,976	11,321	12,502	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	57,819	110,181	123,933	114,772	13,297	127,466	129,088	131,788
क) सांविधिक अनुदान	49,917	104,191	104,191	106,430	8,222	117,833	119,044	122,034
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	693	964	964	992	2,950	7,102	7,102	7,244
ग) अन्य	7,209	5,026	18,778	7,350	2,125	2,531	2,942	2,510

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**3,761,738**	**4,266,761**	**4,674,036**	**5,614,439**	**1,991,819**	**2,134,067**	**2,465,419**	**2,670,280**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**3,074,781**	**3,533,681**	**3,809,323**	**4,453,568**	**1,630,934**	**1,740,132**	**1,778,030**	**2,074,241**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**1,569,261**	**1,829,058**	**1,978,700**	**2,348,378**	**992,445**	**1,069,517**	**1,111,552**	**1,272,679**
1. आय पर कर (i+ii)	**907**	**535**	**981**	**600**	**23,908**	**30,123**	**26,923**	**30,246**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	165	123	185	208
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	907	535	981	600	23,743	30,000	26,738	30,038
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**278,481**	**300,450**	**311,176**	**358,178**	**213,995**	**179,351**	**198,410**	**223,560**
i) भू-राजस्व	10,244	7,650	9,689	8,178	113,255	74,242	80,313	89,451
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	268,236	292,800	301,487	350,000	100,654	105,074	118,000	134,000
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	1	–	–	–	86	35	97	109
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**1,289,873**	**1,528,073**	**1,666,543**	**1,989,600**	**754,542**	**860,043**	**886,219**	**1,018,873**
i) बिक्री कर (क से च)	888,832	1,052,400	1,200,000	1,452,800	571,630	650,289	650,800	762,248
क) राज्य बिक्री कर	888,793	590,781	721,100	855,000	505,358	572,858	577,621	678,950
ख) केंद्रीय बिक्री कर	–	60,103	70,000	90,000	62,998	73,327	71,970	81,969
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	399,116	406,500	495,000	859	3,680	688	700
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	2,397	402	500	600
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	2	11	10	15
च) अन्य प्राप्तियाँ	39	2,400	2,400	12,800	17	11	11	14
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	268,619	320,000	322,340	365,000	67,156	75,092	75,551	86,995
iii) वाहन कर	77,584	58,874	58,867	70,968	52,766	70,000	63,320	75,984
iv) माल और यात्री कर	8,174	65,300	52,600	64,232	55	100	57	65
v) विद्युत शुल्क और कर	35,436	19,499	19,499	22,000	26,965	28,750	55,954	47,985
vi) मनोरंजन कर	–	11,023	12,223	13,200	4,239	5,995	4,773	5,369
vii) अन्य कर और शुल्क	11,228	977	1,014	1,400	31,729	29,817	35,765	40,228
आ. केंद्रीय कर में अंश	**1,505,520**	**1,704,623**	**1,830,623**	**2,105,190**	**638,489**	**670,615**	**666,478**	**801,562**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**686,956**	**733,080**	**864,715**	**1,160,872**	**360,884**	**393,935**	**687,391**	**596,039**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**272,029**	**224,719**	**231,930**	**357,804**	**134,566**	**104,102**	**119,980**	**124,460**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**59,793**	**65,761**	**65,549**	**65,157**	**58,931**	**15,211**	**27,472**	**27,978**
2. लाभांश और लाभ	**927**	**592**	**592**	**592**	**43**	**62**	**49**	**55**
3. सामान्य सेवाएं	**34,436**	**54,848**	**53,471**	**56,313**	**27,247**	**26,066**	**33,936**	**33,630**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	2,370	6,549	8,882	2,638
4. समाज सेवा (i से ix)	**69,300**	**18,354**	**18,360**	**20,404**	**12,428**	**17,310**	**17,507**	**19,252**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	58,102	6,370	6,366	7,122	3,067	3,894	3,427	3,845
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,203	4,877	4,877	6,304	7,151	9,930	11,355	12,319
iii) परिवार कल्याण	88	350	350	150	45	47	51	58

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	985	2,346	2,346	2,346	1,396	1,399	1,594	1,799
v) शहरी विकास	433	3,198	3,198	3,198	56	78	66	74
vi) श्रम और रोजगार	1,363	860	863	869	154	152	193	216
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,725	295	301	400	251	795	362	403
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	13	–	–	–	139	790	156	176
ix) अन्य	2,388	58	59	14	169	225	303	363
5. राजकोषीय सेवाएं	**11**	**–**	**–**	**–**	**1**	**3**	**1**	**1**
6. आर्थिक सेवाएं (i से xvii)	**107,561**	**85,164**	**93,958**	**215,339**	**35,916**	**45,450**	**41,016**	**43,544**
i) फसल कार्य	1,860	1,778	1,786	2,868	591	789	706	781
ii) पशुपालन	1,345	1,659	2,133	2,255	466	450	524	589
iii) मत्स्य पालन	308	295	295	295	472	703	825	522
iv) वानिकी और वन्य जीवन	10,742	7,910	7,910	12,746	4,044	5,767	4,550	5,119
v) बागान	–	–	–	–	2	–	2	2
vi) सहकारिता	815	486	1,131	1,156	375	769	648	708
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	372	207	207	277	31	36	35	40
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	17,660	12,070	12,071	12,869	406	504	457	514
ix) लघु सिंचाई	1,253	463	463	2,657	2,115	2,042	2,380	2,678
x) बिजली	24,000	16,000	16,000	135,000	1	1	1	1
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	2	2	3	3
xii) ग्राम और लघु उद्योग	2,404	321	7	8	180	126	203	228
xiii) उद्योग @	29,214	32,020	32,048	35,058	2,258	2,291	2,540	2,858
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	6	8	7	8
xv) सड़क परिवहन	143	187	187	187	–	–	–	–
xvi) पर्यटन	31	1	1	750	125	186	141	158
xvii) अन्य *	17,414	11,767	19,720	9,212	24,842	31,776	27,994	29,335
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**414,928**	**508,361**	**632,784**	**803,068**	**226,318**	**289,833**	**567,410**	**471,579**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	239,995	228,312	199,726	271,664	123,981	180,380	138,968	190,876
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	19,064	1,060	1,181	582	7,360	8,265	8,976	8,787
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	122,379	145,474	208,923	211,911	48,355	54,331	95,549	101,228
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. गैर योजना अनुदान (क से ग)	33,490	133,515	222,954	318,911	46,621	46,857	323,918	170,688
क) सांविधिक अनुदान	13,471	102,168	179,750	272,306	35,712	30,875	288,717	144,978
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	13,336	12,124	22,195	22,836	9,217	8,380	17,605	18,112
ग) अन्य	6,683	19,223	21,009	23,769	1,693	7,602	17,596	7,598

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				सभी राज्य			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल राजस्व (I+II)	**856,263**	**905,270**	**983,798**	**1,109,873**	**37,207,472**	**42,993,686**	**45,424,290**	**51,987,371**
I. कर राजस्व (अ+आ)	**710,613**	**739,300**	**794,600**	**888,400**	**26,768,304**	**30,463,464**	**31,753,904**	**36,638,288**
अ. राज्य का अपना कर-राजस्व (1 से 3)	**710,613**	**739,300**	**794,600**	**888,400**	**18,913,344**	**21,463,305**	**22,481,652**	**25,696,364**
1. आय पर कर (i+ii)	**–**	**–**	**–**	**–**	**234,857**	**265,655**	**256,543**	**272,052**
i) कृषि-आय कर	–	–	–	–	1,484	5,144	1,955	2,202
ii) पेशा, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार कर	–	–	–	–	233,373	260,511	254,588	269,850
2. संपत्ति और पूंजी-कारोबार पर कर (i से iii)	**66,835**	**70,000**	**75,000**	**85,000**	**2,230,679**	**2,418,396**	**2,734,006**	**3,163,092**
i) भू-राजस्व	1	–	–	–	253,007	229,506	319,835	333,244
ii) मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	66,834	70,000	75,000	85,000	1,971,327	2,179,730	2,400,307	2,819,632
iii) शहरी अचल संपत्ति कर	–	–	–	–	6,346	9,161	13,864	10,215
3. पण्य और सेवा कर (i से vii)	**643,778**	**669,300**	**719,600**	**803,400**	**16,447,807**	**18,779,253**	**19,491,103**	**22,261,220**
i) बिक्री कर (क से च)	519,993	529,800	579,800	649,800	11,675,376	13,411,390	13,852,806	16,083,954
क) राज्य बिक्री कर	420,335	429,785	487,775	549,775	9,381,315	10,479,380	10,313,565	12,070,915
ख) केंद्रीय बिक्री कर	99,641	100,000	92,000	100,000	1,428,410	1,645,623	1,737,062	1,934,508
ग) मोटर स्प्रिट और लुब्रिकेंट पर बिक्री कर	–	–	–	–	665,744	1,172,945	1,251,968	1,437,665
घ) बिक्री कर अधिभार	–	–	–	–	10,898	759	1,503	703
ङ) कारोबार कर की प्राप्तियाँ	–	–	–	–	128	33,663	32	1,015
च) अन्य प्राप्तियाँ	17	15	25	25	188,879	79,021	548,675	639,149
ii) राज्य उत्पाद शुल्क	84,368	90,000	92,500	97,500	2,193,997	2,497,026	2,605,219	2,953,348
iii) वाहन कर	19,598	30,000	26,000	32,500	1,081,091	1,262,515	1,218,076	1,355,659
iv) माल और यात्री कर	95	200	200	200	520,602	581,088	635,836	746,484
v) विद्युत शुल्क और कर	–	–	–	–	725,523	738,173	900,202	822,755
vi) मनोरंजन कर	3,522	5,000	3,800	4,100	86,169	109,999	87,751	89,609
vii) अन्य कर और शुल्क	16,202	14,300	17,300	19,300	165,050	179,063	191,214	209,412
आ. केंद्रीय कर में अश	**–**	**–**	**–**	**–**	**7,854,960**	**9,000,159**	**9,272,252**	**10,941,924**
II. करेतर राजस्व (इ+ई)	**145,650**	**165,970**	**189,198**	**221,473**	**10,439,168**	**12,530,222**	**13,670,386**	**15,349,083**
इ. राज्य का अपना करेतर-राजस्व (1 से 6)	**92,139**	**107,531**	**134,242**	**131,722**	**4,753,481**	**4,642,040**	**4,670,184**	**5,330,257**
1. ब्याज प्राप्तियाँ	**82,196**	**98,581**	**124,973**	**122,249**	**946,999**	**829,905**	**967,298**	**972,361**
2. लाभांश और लाभ	**375**	**700**	**400**	**400**	**34,195**	**37,847**	**41,278**	**30,722**
3. सामान्य सेवाएं	**4,818**	**4,653**	**4,810**	**4,876**	**1,113,016**	**1,393,276**	**1,204,301**	**1,515,664**
*जिसमें से :*राज्यों की लाटरियाँ	–	–	–	–	705,494	972,429	786,361	1,074,125
4. समाज सेवा (i से ix)	**2,773**	**2,439**	**2,683**	**2,755**	**359,096**	**318,686**	**323,859**	**331,433**
i) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	931	715	800	820	131,048	94,123	85,977	93,725
ii) चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,301	1,225	1,310	1,320	78,736	77,102	79,239	85,243
iii) परिवार कल्याण	7	6	1	1	2,116	2,934	2,500	2,295

परिशिष्ट I : अलग-अलग राज्यों की राजस्व प्राप्तियां *(समाप्त)*

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				सभी राज्य			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	6	7	8	9	6	7	8	9
iv) आवास निर्माण	175	205	210	220	13,961	20,336	21,862	17,664
v) शहरी विकास	27	22	–	–	45,071	29,548	46,192	37,407
vi) श्रम और रोजगार	315	241	320	340	16,596	14,953	16,202	17,286
vii) सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	16	22	40	50	15,694	12,248	12,353	12,884
viii) जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	42,143	49,622	47,953	52,506
ix) अन्य	1	3	2	4	13,731	17,820	11,583	12,424
5. राजकोषीय सेवाएं	**–**	**–**	**–**	**–**	**89**	**9**	**508**	**608**
6. आर्थिक सेवाए (i से xvii)	**1,977**	**1,158**	**1,376**	**1,442**	**2,300,086**	**2,062,317**	**2,132,942**	**2,479,468**
i) फसल कार्य	30	30	30	32	23,055	25,354	26,110	25,878
ii) पशुपालन	31	35	30	32	8,042	8,285	8,860	10,595
iii) मत्स्य पालन	8	12	10	10	5,760	7,185	7,482	7,656
iv) वानिकी और वन्य जीवन	17	11	18	20	220,577	211,843	217,368	236,308
v) बागान	–	–	–	–	173	181	193	213
vi) सहकारिता	316	16	15	15	23,567	28,116	29,507	28,158
vii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2	3	3	5	5,267	4,790	5,875	5,703
viii) बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं	186	208	200	210	126,477	150,450	161,463	171,917
ix) लघु सिंचाई	13	6	5	6	14,306	15,088	17,650	21,762
x) बिजली	181	–	180	190	514,659	287,272	258,028	408,903
xi) पेट्रोलियम	–	–	–	–	89,279	82,805	124,062	142,006
xii) ग्राम और लघु उद्योग	290	357	160	170	9,703	6,068	6,403	6,436
xiii) उद्योग @	10	16	10	12	810,081	872,490	915,063	1,041,162
xiv) पत्तन और प्रकाश गृह	–	–	–	–	15,091	13,680	16,568	18,100
xv) सड़क परिवहन	–	–	–	–	73,761	91,257	73,069	73,702
xvi) पर्यटन	6	4	5	5	8,553	9,182	9,319	8,260
xvii) अन्य *	887	460	710	735	351,735	248,271	255,921	272,708
ई. केंद्र से अनुदान (1 से 5)	**53,511**	**58,439**	**54,956**	**89,751**	**5,685,687**	**7,888,182**	**9,000,201**	**10,018,826**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	16,128	18,739	18,889	50,251	2,991,862	3,501,274	3,342,971	4,280,137
जिसमें से : प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता के लिए जारी अग्रिम	–	–	–	–	–	–	65,725	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	131,547	491,385	455,789	567,763
3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम	4,883	7,200	3,567	7,000	1,043,909	1,536,577	1,785,671	1,825,918
4. एनईसी/विशेष योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	28,716	59,166	69,030	73,480
5. गैर-योजना अनुदान (क से ग)	32,500	32,500	32,500	32,500	1,489,654	2,299,781	3,346,741	3,271,527
क) सांविधिक अनुदान	32,500	32,500	32,500	32,500	796,267	1,462,401	1,998,143	1,996,202
ख) प्राकृतिक आपदा राहत अनुदान	–	–	–	–	216,655	186,053	373,559	253,200
ग) अन्य	–	–	–	–	476,731	651,327	975,039	1,022,126

परिशिष्ट I की टिप्पणी :

1. अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (असंसं) उपाय परिशिष्ट 1 में शामिल नहीं हैं; उनके ब्योरे विवरण 31 में उपलब्ध हैं, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित असंसं 273 करोड़ रुपए अनुमानित है।

2. जहाँ किसी प्रमुख समूह के अंतर्गत एक या अनेक उप समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि बिक्री-कर को छोड़कर 'अन्य उपसमूह' के सामने दर्शाई गई है, बिक्री-कर से संबंधित राशि 'राज्य बिक्री-कर' नामक उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।

3. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।

4. वर्ष 2004-05 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

5. पिछले वर्ष के अध्ययन में, बिहार से संबंधित 2005-06 के आंकड़े लेखा-अनुदान आधारित हैं। अतः बिहार के 2005-06 (ब अ) के आंकड़ो को 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित किया गया है। तदनुसार, 'सभी राज्यों' से संबंधित 2005-06 (ब.अ.) के सभी आंकड़े पिछले वर्ष प्रकाशित आकड़ों से भिन्न होंगे ।

6. आंकड़े पूर्णांकन के अधीन है।

@ इसमें अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग तथा अन्य उद्योग शामिल हैं।

* इसमें डेअरी विकास, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जल परिवहन, विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सामान्य आर्थिक सेवाएँ, नागरिक आपूर्ति, सड़क और पुल आदि से प्राप्त राशि शामिल हैं।

\- शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय
आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**673,508**	**2,457,226**	**3,130,734**	**994,891**	**2,742,897**	**3,737,788**	**809,220**	**2,929,647**	**3,738,867**	**1,248,901**	**3,283,800**	**4,532,701**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**664,823**	**1,149,171**	**1,813,994**	**986,232**	**1,242,672**	**2,228,904**	**800,261**	**1,520,035**	**2,320,295**	**1,234,042**	**1,674,442**	**2,908,484**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**323,799**	**724,186**	**1,047,985**	**522,442**	**774,962**	**1,297,404**	**514,272**	**835,096**	**1,349,368**	**780,975**	**910,865**	**1,691,840**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	56,199	403,077	459,276	129,398	456,471	585,869	133,941	500,727	634,668	161,756	545,706	707,462
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	18,819	99,660	118,478	27,177	107,684	134,861	16,938	114,671	131,609	36,694	130,077	166,771
3. परिवार कल्याण	29,114	1,115	30,229	40,694	2,013	42,707	39,058	1,092	40,150	37,019	1,114	38,134
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	8,633	9,739	18,372	68,538	10,853	79,391	63,444	10,654	74,098	115,251	12,049	127,301
5. आवास निर्माण	40,529	883	41,412	34,973	1,340	36,313	32,399	1,333	33,732	92,942	1,661	94,603
6. शहरी विकास	40,324	29,683	70,007	58,059	26,492	84,551	65,005	18,605	83,610	78,408	20,774	99,182
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	80,924	46,883	127,807	105,401	51,649	157,050	105,960	58,895	164,855	156,950	68,288	225,239
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,469	6,277	7,746	1,866	6,575	8,441	2,300	7,494	9,794	2,297	8,064	10,362
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	32,567	19,164	51,731	41,832	25,906	67,738	43,559	25,109	68,668	87,986	7,206	95,192
10. पौष्टिक आहार	14,619	50,804	65,423	13,960	55,980	69,940	11,119	55,980	67,099	11,119	72,981	84,100
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	50,943	50,943	–	24,221	24,221	–	34,551	34,551	–	36,284	36,284
12. अन्य*	602	5,958	6,560	544	5,778	6,322	549	5,983	6,533	552	6,660	7,212
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**341,024**	**424,985**	**766,009**	**463,790**	**467,710**	**931,500**	**285,988**	**684,939**	**970,928**	**453,067**	**763,577**	**1,216,644**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	58,126	61,485	119,611	78,805	67,386	146,191	70,842	74,012	144,853	80,840	85,544	166,384
i) फसल कार्य	40,845	8,932	49,777	41,256	10,306	51,562	42,562	11,695	54,258	50,712	12,584	63,295
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	350	1,463	1,813	539	1,698	2,237	539	1,931	2,470	554	2,081	2,635
iii) पशु पालन	1,243	15,955	17,198	2,218	17,923	20,141	2,201	20,168	22,369	2,532	22,848	25,380
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	403	1,563	1,966	2,082	1,756	3,838	2,094	1,931	4,025	1,817	2,128	3,946
vi) वानिकी और वन्यजीवन	13,352	12,813	26,165	29,630	11,611	41,241	20,743	13,512	34,255	20,433	15,799	36,231
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,050	10,379	11,429	1,050	11,469	12,519	1,023	12,273	13,295	2,010	16,152	18,162
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	884	9,898	10,782	2,030	12,134	14,164	1,680	11,945	13,625	2,782	13,354	16,136
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	482	482	–	489	489	–	557	557	–	599	599
2. ग्रामीण विकास	56,051	106,034	162,085	66,523	94,880	161,403	52,111	120,873	172,984	135,700	137,098	272,799
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13,663	178,474	192,137	70,063	214,264	284,327	94,363	226,107	320,470	155,136	277,615	432,751
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	10,061	167,170	177,231	64,610	203,471	268,081	88,910	215,017	303,927	149,345	265,924	415,269
ii) लघु सिंचाई	2,988	3,914	6,902	4,615	3,068	7,683	4,615	3,316	7,931	4,643	3,601	8,244
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	7,390	7,390	–	7,726	7,726	–	7,774	7,774	–	8,091	8,091
5. ऊर्जा	181,770	7,837	189,608	171,489	8,522	180,011	4,852	170,361	175,213	5,684	151,983	157,667
जिसमें से : बिजली	181,558	7,784	189,342	171,263	8,464	179,727	4,636	170,272	174,908	5,408	151,780	157,188
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	13,078	5,103	18,180	33,177	5,686	38,863	19,994	5,842	25,836	31,624	5,900	37,524
i) ग्राम और लघु उद्योग	11,038	1,874	12,912	15,118	2,332	17,450	14,935	2,288	17,223	17,058	1,923	18,981
ii) उद्योग @	2,011	3,229	5,240	3,059	3,354	6,413	3,059	3,554	6,613	7,739	3,977	11,716
iii) अन्य **	28	–	28	15,000	–	15,000	2,000	–	2,000	6,827	–	6,827

'परिशिष्ट ।।' की टिप्पणी देखें ।

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	45	56,973	57,019	14	65,316	65,330	14	74,864	74,878	14	91,566	91,580
i) सड़क और पुल	–	46,007	46,007	–	54,491	54,491	–	65,503	65,503	–	80,618	80,618
ii) अन्य @@	45	10,967	11,012	14	10,825	10,839	14	9,362	9,376	14	10,947	10,961
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	370	64	434	317	71	388	307	73	380	414	142	555
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	17,921	9,015	26,936	43,402	11,585	54,987	43,507	12,807	56,314	43,655	13,729	57,384
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	10,668	2,601	13,269	32,192	3,210	35,402	32,192	3,502	35,694	32,547	3,849	36,396
ii) पर्यटन	4,722	243	4,965	6,251	1,469	7,720	6,251	1,503	7,754	6,251	1,525	7,776
iii) नागरिक आपूर्ति	2,037	3,090	5,127	3,546	3,461	7,007	3,651	3,923	7,574	3,751	4,184	7,935
iv) अन्य +	495	3,081	3,575	1,413	3,445	4,858	1,413	3,879	5,293	1,106	4,171	5,277
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**8,685**	**1,285,398**	**1,294,084**	**8,659**	**1,472,146**	**1,480,805**	**8,959**	**1,383,602**	**1,392,561**	**14,860**	**1,581,278**	**1,596,138**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**1,417**	**33,534**	**34,951**	**1,292**	**35,121**	**36,413**	**1,292**	**33,630**	**34,922**	**1,150**	**38,218**	**39,368**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**1,409**	**46,608**	**48,017**	**1,458**	**52,411**	**53,869**	**1,458**	**55,540**	**56,998**	**2,636**	**62,997**	**65,633**
i) कर और शुल्क वसूली	1,409	37,403	38,812	1,458	42,791	44,249	1,458	46,834	48,292	2,636	53,332	55,968
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	9,205	9,205	–	9,620	9,620	–	8,706	8,706	–	9,665	9,665
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**709,141**	**709,141**	**–**	**792,322**	**792,322**	**–**	**725,770**	**725,770**	**–**	**819,667**	**819,667**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	19,966	19,966	–	21,349	21,349
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	709,141	709,141	–	792,322	792,322	–	705,804	705,804	–	798,318	798,318
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	217,642	217,642	–	204,431	204,431	–	136,025	136,025	–	177,308	177,308
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	449,973	449,973	–	523,500	523,500	–	510,340	510,340	–	557,833	557,833
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	170,171	170,171	–	196,286	196,286	–	186,030	186,030	–	194,030	194,030
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	41,418	41,418	–	64,282	64,282	–	59,438	59,438	–	63,176	63,176
iv) अन्य	–	107	107	–	109	109	–	1	1	–	1	1
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**5,859**	**194,432**	**200,290**	**5,909**	**201,491**	**207,400**	**6,209**	**237,862**	**244,072**	**11,074**	**266,978**	**278,051**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	93	10,231	10,324	957	6,464	7,421	1,357	6,319	7,676	4,978	6,971	11,950
ii) जिला प्रशासन	–	28,514	28,514	–	32,502	32,502	–	36,810	36,810	–	39,879	39,879
iii) पुलिस	2,514	123,645	126,159	3,000	124,474	127,474	3,000	133,647	136,647	3,000	151,687	154,687
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	30	4,551	4,581	2	6,883	6,885	2	12,604	12,607	2	15,570	15,572
v) अन्य ++	3,221	27,492	30,714	1,950	31,168	33,118	1,850	48,483	50,333	3,093	52,871	55,964
उ. पेन्शन	**1**	**301,677**	**301,678**	**–**	**330,786**	**330,786**	**–**	**330,786**	**330,786**	**–**	**393,403**	**393,403**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**7**	**7**	**–**	**60,015**	**60,015**	**–**	**14**	**14**	**–**	**16**	**16**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**22,656**	**22,656**	**–**	**28,079**	**28,079**	**–**	**26,010**	**26,010**	**–**	**28,079**	**28,079**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	22,656	22,656	–	28,079	28,079	–	26,010	26,010	–	28,079	28,079

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**57,903**	**93,061**	**150,964**	**70,131**	**93,071**	**163,202**	**68,245**	**101,997**	**170,241**	**82,883**	**98,068**	**180,951**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**54,798**	**47,265**	**102,062**	**64,385**	**44,387**	**108,772**	**67,572**	**53,527**	**121,100**	**82,215**	**48,916**	**131,130**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**32,334**	**14,933**	**47,267**	**13,367**	**16,660**	**30,027**	**32,036**	**19,813**	**51,849**	**18,179**	**18,978**	**37,157**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,404	8,029	20,434	7,772	8,883	16,655	13,281	9,155	22,435	11,218	9,036	20,253
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,515	4,779	7,294	1,016	5,013	6,029	1,334	5,496	6,830	1,265	5,575	6,841
3. परिवार कल्याण	400	14	414	50	–	50	489	–	489	43	–	43
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	10,360	779	11,138	2,498	279	2,777	13,656	953	14,608	3,301	344	3,645
5. आवास निर्माण	980	157	1,137	748	–	748	742	239	981	800	–	800
6. शहरी विकास	–	144	144	1	41	42	–	142	142	–	147	147
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. श्रम और श्रम कल्याण	159	91	250	135	84	219	171	82	253	245	83	328
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,810	415	2,224	1,008	337	1,345	2,135	397	2,533	857	431	1,288
10. पौष्टिक आहार	1,241	10	1,251	14	7	21	121	10	131	318	7	325
11. प्राकृतिक आपदा राहत	2,353	–	2,353	–	1,533	1,533	–	2,830	2,830	–	2,912	2,912
12. अन्य*	113	516	629	125	483	608	106	510	616	132	443	575
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**22,464**	**32,332**	**54,795**	**51,018**	**27,727**	**78,745**	**35,536**	**33,715**	**69,251**	**64,036**	**29,937**	**93,973**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	6,588	11,368	17,955	4,644	9,437	14,081	11,550	9,959	21,509	7,626	9,753	17,379
i) फसल कार्य	3,006	1,787	4,793	1,577	1,968	3,545	3,914	1,984	5,897	2,290	2,051	4,340
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	648	708	1,340	637	737	1,374	1,157	898	2,056	809	902	1,711
iii) पशु पालन	712	1,115	1,827	731	1,092	1,823	1,075	1,246	2,320	723	1,189	1,912
iv) डेरी विकास	40	15	55	25	25	50	25	29	54	30	28	58
v) मत्स्य पालन	265	186	451	171	188	359	264	190	454	272	193	465
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,716	2,393	4,109	1,282	2,759	4,041	3,692	2,908	6,601	3,281	2,735	6,016
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	4,792	4,792	–	2,417	2,417	–	2,435	2,435	–	2,386	2,386
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	22	80	103	32	48	80	324	56	381	62	54	117
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	131	267	398	144	181	325	254	189	443	158	191	349
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	47	25	72	45	22	67	845	24	869	–	25	25
2. ग्रामीण विकास	2,146	3,526	5,672	1,649	1,183	2,832	2,344	4,935	7,279	2,067	2,497	4,564
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,597	3	1,600	4,923	3	4,926	5,655	3	5,659	5,629	3	5,632
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2,828	1,115	3,943	3,540	638	4,178	4,057	656	4,713	4,610	685	5,296
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	40	–	40	40	–	40	40	–	40	48	–	48
ii) लघु सिंचाई	2,104	899	3,004	3,200	638	3,838	3,817	656	4,473	4,322	685	5,008
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	483	216	699	100	–	100	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	536	10,019	10,555	244	10,532	10,776	917	10,726	11,643	208	10,546	10,753
जिसमें से : बिजली	351	10,019	10,370	89	10,532	10,621	242	10,726	10,969	22	10,546	10,567
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	817	619	1,436	595	472	1,067	953	619	1,573	762	531	1,293
i) ग्राम और लघु उद्योग	638	618	1,256	529	472	1,001	856	619	1,476	647	531	1,178
ii) उद्योग @	79	–	79	66	–	66	97	–	97	115	–	115
iii) अन्य **	100	1	101	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3,392	4,774	8,167	3,278	4,672	7,950	3,570	5,817	9,387	3,569	5,079	8,648
i) सड़क और पुल	3,144	188	3,332	2,990	–	2,990	2,965	1,074	4,039	3,302	289	3,591
ii) अन्य @@	248	4,586	4,834	288	4,672	4,960	605	4,743	5,348	267	4,790	4,359
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	35	–	35	201	–	201	1,035	–	1,035	1,027	–	1,027
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	4,524	909	5,433	31,944	790	32,734	5,455	998	6,452	38,537	843	39,381
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,918	80	3,998	31,339	82	31,421	4,715	86	4,801	37,967	87	38,054
ii) पर्यटन	265	16	280	303	18	321	371	18	389	254	18	272
iii) नागरिक आपूर्ति	130	456	586	144	302	446	149	423	572	162	340	502
iv) अन्य +	211	358	569	158	388	546	219	472	691	155	399	553
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,105**	**45,797**	**48,902**	**5,746**	**48,684**	**54,430**	**672**	**48,469**	**49,142**	**669**	**49,152**	**49,821**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**21**	**3,558**	**3,579**	**9**	**1,286**	**1,295**	**24**	**2,222**	**2,246**	**–**	**1,569**	**1,569**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**13**	**376**	**389**	**13**	**350**	**363**	**13**	**381**	**394**	**13**	**363**	**376**
i) कर और शुल्क वसूली	–	359	359	–	336	336	–	366	366	–	347	347
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	13	17	30	13	14	27	13	15	28	13	16	29
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**15,431**	**15,431**	**–**	**18,907**	**18,907**	**–**	**17,008**	**17,008**	**–**	**18,969**	**18,969**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	741	741	–	900	900	–	900	900	–	900	900
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	14,690	14,690	–	18,007	18,007	–	16,108	16,108	–	18,069	18,069
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	7,988	7,988	–	–	–	–	–	–
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	6,174	6,174	–	–	–	–	–	–
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	1,856	1,856	–	–	–	–	–	–
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	–	–	–	3,845	3,845	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य	–	14,690	14,690	–	–	–	–	16,108	16,108	–	18,069	18,069
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**3,072**	**19,367**	**22,439**	**5,724**	**20,403**	**26,127**	**636**	**21,729**	**22,364**	**656**	**20,404**	**21,060**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	25	2,343	2,368	26	2,039	2,065	42	2,330	2,372	26	1,770	1,797
ii) जिला प्रशासन	120	3,874	3,994	4,900	4,041	8,941	–	4,141	4,141	–	4,134	4,134
iii) पुलिस	2,103	8,741	10,843	–	10,246	10,246	–	10,134	10,134	–	10,040	10,040
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	744	3,402	4,146	718	3,083	3,801	523	4,023	4,546	550	3,296	3,846
v) अन्य ++	80	1,007	1,087	80	994	1,074	70	1,101	1,171	80	1,163	1,243
उ. पेन्शन	**–**	**7,034**	**7,034**	**–**	**7,731**	**7,731**	**–**	**7,084**	**7,084**	**–**	**7,798**	**7,798**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**32**	**32**	**–**	**7**	**7**	**–**	**46**	**46**	**–**	**50**	**50**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**203,336**	**819,579**	**1,022,915**	**401,585**	**973,801**	**1,375,386**	**427,876**	**1,033,776**	**1,461,652**	**344,313**	**1,265,311**	**1,609,624**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**202,371**	**450,342**	**652,714**	**347,082**	**507,926**	**855,008**	**373,373**	**558,326**	**931,699**	**300,544**	**675,281**	**975,825**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**103,651**	**322,593**	**426,243**	**193,061**	**360,946**	**554,007**	**217,451**	**395,588**	**613,039**	**167,704**	**480,635**	**648,339**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	31,534	218,718	250,251	79,391	275,488	354,879	79,938	293,913	373,851	36,696	341,294	377,990
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,590	26,672	34,262	11,281	34,235	45,516	11,281	49,010	60,291	11,027	65,185	76,211
3. परिवार कल्याण	6,281	399	6,680	16,665	482	17,147	16,665	483	17,147	13,872	6,623	20,495
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	17,133	13,582	30,715	17,405	13,470	30,875	25,381	13,825	39,206	3,326	17,491	20,817
5. आवास निर्माण	601	81	683	278	1,619	1,897	278	1,619	1,897	154	1,284	1,437
6. शहरी विकास	5,625	4,432	10,057	8,552	2,150	10,702	8,552	2,728	11,280	13,657	4,098	17,755
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	12,679	4,627	17,307	30,373	2,007	32,380	30,713	2,321	33,034	40,789	1,972	42,761
8. श्रम और श्रम कल्याण	307	2,423	2,730	404	3,131	3,535	404	3,143	3,548	1,359	3,660	5,019
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17,514	5,304	22,818	28,453	6,273	34,726	41,681	6,283	47,964	41,836	6,745	48,581
10. पौष्टिक आहार	4,307	1,615	5,922	63	233	296	2,363	233	2,596	4,863	202	5,065
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	42,772	42,772	–	19,306	19,306	–	19,306	19,306	–	29,514	29,514
12. अन्य*	80	1,967	2,047	196	2,552	2,748	196	2,724	2,920	127	2,567	2,694
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**98,721**	**127,750**	**226,470**	**154,021**	**146,980**	**301,001**	**155,922**	**162,737**	**318,659**	**132,840**	**194,645**	**327,485**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	10,972	37,820	48,791	34,055	43,570	77,625	34,055	45,533	79,588	30,091	52,510	82,601
i) फसल कार्य	4,533	8,010	12,543	14,649	10,113	24,762	14,649	10,223	24,872	13,156	12,512	25,668
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	234	1,675	1,909	402	1,954	2,356	402	2,025	2,427	567	2,269	2,836
iii) पशु पालन	598	7,988	8,586	3,096	9,361	12,457	3,097	9,519	12,616	2,328	11,477	13,805
iv) डेरी विकास	459	642	1,102	2,075	886	2,961	2,075	886	2,961	1,547	1,159	2,706
v) मत्स्य पालन	413	1,438	1,851	3,119	1,447	4,566	3,119	1,447	4,566	2,297	1,625	3,922
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,776	8,744	11,520	7,468	11,036	18,504	7,468	12,030	19,497	7,016	14,496	21,512
vii) बागान	–	–	–	5	–	5	5	–	5	2	–	2
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	96	1,176	1,272	894	1,549	2,443	894	1,549	2,443	265	1,921	2,186
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,694	3,198	4,892	936	4,141	5,077	936	4,772	5,708	2,546	4,166	6,711
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	116	4,759	4,875	334	2,779	3,113	334	2,779	3,113	276	2,554	2,830
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	52	189	242	1,077	304	1,381	1,077	304	1,381	91	330	421
2. ग्रामीण विकास	30,560	13,056	43,616	28,463	16,330	44,793	28,463	26,847	55,310	41,748	34,177	75,925
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,811	187	1,998	5,821	195	6,016	6,082	195	6,276	5,951	227	6,178
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	–	20,784	20,784	–	23,580	23,580	–	25,023	25,023	–	31,443	31,443
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	3,349	3,349	–	4,016	4,016	–	4,946	4,946	–	6,231	6,231
ii) लघु सिंचाई	–	9,096	9,096	–	9,866	9,866	–	10,380	10,380	–	13,765	13,765
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	8,248	8,248	–	9,493	9,493	–	9,493	9,493	–	11,204	11,204
5. ऊर्जा	20,065	11,160	31,225	20,883	16,403	37,286	20,883	16,403	37,286	11	16,474	16,485
जिसमें से : बिजली	20,056	11,148	31,204	20,870	16,390	37,260	20,870	16,390	37,260	–	16,460	16,460
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	4,812	8,144	12,956	12,925	7,900	20,825	13,899	8,052	21,951	9,082	8,364	17,446
i) ग्राम और लघु उद्योग	4,105	6,338	10,442	10,939	6,995	17,934	10,939	7,144	18,083	7,545	7,659	15,204
ii) उद्योग @	708	1,806	2,514	1,986	905	2,891	2,960	908	3,868	1,537	704	2,241
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	4,504	26,396	30,900	7,918	34,577	42,495	8,068	36,250	44,318	4,795	46,430	51,225
i) सड़क और पुल	4,107	22,976	27,083	7,247	30,706	37,953	7,247	32,116	39,363	4,023	40,884	44,907
ii) अन्य @@	397	3,420	3,817	671	3,871	4,542	821	4,134	4,955	772	5,546	6,318
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	287	37	324	109	49	158	109	49	158	171	57	228
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	25,710	10,166	35,876	43,847	4,376	48,223	44,363	4,387	48,750	40,990	4,965	45,955
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	25,420	8,244	33,665	43,107	2,002	45,109	43,107	2,002	45,109	40,505	2,315	42,820
ii) पर्यटन	107	319	427	302	325	627	302	325	627	185	357	542
iii) नागरिक आपूर्ति	–	22	22	6	30	36	198	30	228	4	36	39
iv) अन्य +	182	1,580	1,763	432	2,019	2,451	756	2,030	2,786	296	2,258	2,554
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**965**	**367,925**	**368,890**	**54,503**	**464,350**	**518,853**	**54,503**	**473,825**	**528,328**	**43,769**	**588,506**	**632,275**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**82**	**9,717**	**9,800**	**789**	**10,580**	**11,369**	**789**	**13,912**	**14,701**	**–**	**15,955**	**15,955**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**125**	**16,035**	**16,160**	**732**	**19,654**	**20,386**	**732**	**20,298**	**21,030**	**477**	**22,084**	**22,561**
i) कर और शुल्क वसूली	125	15,840	15,965	732	19,495	20,227	732	20,140	20,872	477	21,979	22,456
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	195	195	–	159	159	–	159	159	–	104	104
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**144,754**	**144,754**	**–**	**210,327**	**210,327**	**–**	**210,326**	**210,326**	**–**	**231,429**	**231,429**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	4,400	4,400	–	14,400	14,400	–	14,400	14,400	–	17,600	17,600
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	140,354	140,354	–	195,927	195,927	–	195,926	195,926	–	213,829	213,829
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	38,811	38,811	–	47,050	47,050	–	47,050	47,050	–	60,941	60,941
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	91,816	91,816	–	119,085	119,085	–	119,084	119,084	–	125,277	125,277
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	51,433	51,433	–	50,788	50,788	–	50,788	50,788	–	61,442	61,442
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	34,076	34,076	–	47,851	47,851	–	47,851	47,851	–	48,171	48,171
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	9,726	9,726	–	29,792	29,792	–	29,792	29,792	–	27,611	27,611
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**758**	**91,105**	**91,864**	**52,982**	**121,647**	**174,629**	**52,982**	**124,647**	**177,629**	**43,292**	**172,355**	**215,647**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	342	2,954	3,296	51,952	3,292	55,244	51,952	3,312	55,264	38,158	33,209	71,367
ii) जिला प्रशासन	–	4,274	4,274	–	4,574	4,574	–	4,632	4,632	–	5,670	5,670
iii) पुलिस	300	63,288	63,588	171	86,757	86,928	171	88,293	88,465	100	97,291	97,391
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	4	8,192	8,196	37	9,600	9,637	37	9,640	9,677	9	16,835	16,844
v) अन्य ++	112	12,397	12,509	822	17,424	18,246	822	18,770	19,592	5,025	19,351	24,376
उ. पेन्शन	**–**	**106,239**	**106,239**	**–**	**102,116**	**102,116**	**–**	**104,616**	**104,616**	**–**	**146,646**	**146,646**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**75**	**75**	**–**	**26**	**26**	**–**	**26**	**26**	**–**	**37**	**37**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**1,311**	**1,311**	**–**	**1,525**	**1,525**	**–**	**1,625**	**1,625**	**–**	**1,525**	**1,525**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	1,311	1,311	–	1,525	1,525	–	1,625	1,625	–	1,525	1,525

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**126,300**	**1,337,544**	**1,463,844**	**253,222**	**1,660,260**	**1,913,482**	**261,158**	**1,665,695**	**1,926,853**	**363,269**	**1,814,687**	**2,177,956**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**123,035**	**560,030**	**683,065**	**210,820**	**757,359**	**968,179**	**216,021**	**789,431**	**1,005,452**	**313,090**	**844,792**	**1,157,882**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**61,613**	**417,886**	**479,499**	**122,431**	**580,261**	**702,692**	**126,734**	**603,170**	**729,904**	**198,810**	**612,044**	**810,854**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	40,728	273,495	314,223	51,740	386,630	438,370	54,041	409,053	463,094	71,559	423,853	495,412
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	813	49,633	50,446	6,675	81,023	87,698	6,675	81,023	87,698	512	90,631	91,143
3. परिवार कल्याण	–	10,301	10,301	2,185	20,887	23,072	2,185	20,887	23,072	–	18,499	18,499
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	360	13,864	14,224	17,919	15,545	33,464	17,919	15,603	33,522	6,030	15,792	21,822
5. आवास निर्माण	–	7	7	–	65	65	–	80	80	–	95	95
6. शहरी विकास	6,859	4,019	10,878	4,419	6,114	10,533	4,419	6,182	10,601	56,294	5,345	61,639
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	1,384	8,127	9,511	2,097	10,791	12,888	4,138	10,791	14,929	8,620	6,166	14,786
8. श्रम और श्रम कल्याण	11,232	277	11,509	11,022	3,165	14,187	11,026	3,396	14,422	13,625	3,644	17,269
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	237	25,832	26,069	136	38,286	38,422	136	38,332	38,468	387	29,695	30,082
10. पौष्टिक आहार	–	3,474	3,474	26,176	–	26,176	26,177	–	26,177	41,238	–	41,238
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	26,622	26,622	–	15,058	15,058	–	15,058	15,058	–	15,477	15,477
12. अन्य*	–	2,235	2,235	62	2,697	2,759	18	2,765	2,783	545	2,847	3,392
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**61,422**	**142,144**	**203,566**	**88,389**	**177,098**	**265,487**	**89,287**	**186,261**	**275,548**	**114,280**	**232,748**	**347,028**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	3,080	36,604	39,684	11,857	33,891	45,748	12,727	37,979	50,706	8,294	33,828	42,122
i) फसल कार्य	1,397	20,207	21,604	4,644	10,278	14,922	5,377	14,257	19,634	4,344	12,391	16,735
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	37	562	599	3,564	1,376	4,940	3,564	1,376	4,940	98	1,176	1,274
iii) पशु पालन	192	5,401	5,593	305	6,865	7,170	431	6,926	7,357	310	6,883	7,193
iv) डेरी विकास	314	154	468	103	777	880	103	778	881	207	349	556
v) मत्स्य पालन	114	693	807	231	1,228	1,459	242	1,229	1,471	379	1,324	1,703
vi) वानिकी और वन्यजीवन	209	2,833	3,042	1,967	4,182	6,149	1,967	4,373	6,340	1,514	3,493	5,007
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	626	4,083	4,709	700	4,830	5,530	700	4,830	5,530	926	4,860	5,786
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	182	2,557	2,739	195	3,890	4,085	195	3,745	3,940	392	3,183	3,575
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	9	114	123	148	465	613	148	465	613	124	169	293
2. ग्रामीण विकास	37,006	43,263	80,269	52,105	59,736	111,841	52,111	59,746	111,857	66,944	57,237	124,181
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	17,254	30,048	47,302	20,732	37,927	58,659	20,732	38,442	59,174	32,590	40,158	72,748
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	15,035	15,035	–	11,491	11,491	–	18,570	18,570	–	18,097	18,097
ii) लघु सिंचाई	16,647	8,739	25,386	17,182	12,048	29,230	17,182	12,058	29,240	28,684	12,825	41,509
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	4,649	4,649	–	5,551	5,551	–	5,565	5,565	–	5,893	5,893
5. ऊर्जा	174	–	174	81	61	142	81	4,245	4,326	384	41,523	41,907
जिसमें से : बिजली	–	–	–	–	61	61	–	4,245	4,245	–	41,523	41,523
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,343	1,999	3,342	1,456	3,145	4,601	1,476	3,245	4,721	2,549	2,927	5,476
i) ग्राम और लघु उद्योग	795	877	1,672	965	1,292	2,257	985	1,392	2,377	2,045	1,272	3,317
ii) उद्योग @	548	1,122	1,670	491	1,853	2,344	491	1,853	2,344	504	1,655	2,159
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	100	22,361	22,461	448	31,994	32,442	449	32,026	32,475	385	46,288	46,673
i) सड़क और पुल	96	22,232	22,328	248	31,830	32,078	249	31,858	32,107	265	46,126	46,391
ii) अन्य @@	4	129	133	200	164	364	200	168	368	120	162	282
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,466	7,870	10,336	1,711	10,345	12,056	1,712	10,579	12,291	3,135	10,788	13,923
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	–	1,258	1,258	–	1,616	1,616	–	1,744	1,744	2	1,731	1,733
ii) पर्यटन	–	468	468	118	271	389	118	271	389	100	218	318
iii) नागरिक आपूर्ति	2,397	4,619	7,016	1,322	5,983	7,305	1,322	5,986	7,308	2,804	5,994	8,798
iv) अन्य +	69	1,525	1,594	271	2,475	2,347	272	2,578	2,850	229	2,845	3,074
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,265**	**777,086**	**780,351**	**42,402**	**902,464**	**944,866**	**45,137**	**875,827**	**920,964**	**50,179**	**969,458**	**1,019,637**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**1,015**	**32,523**	**33,538**	**123**	**40,272**	**40,395**	**1,064**	**46,441**	**47,505**	**1,636**	**29,744**	**31,380**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**1,174**	**18,687**	**19,861**	**275**	**25,863**	**26,138**	**1,463**	**24,675**	**26,138**	**1,630**	**24,947**	**26,577**
i) कर और शुल्क वसूली	1,174	18,463	19,637	275	25,581	25,856	1,463	24,393	25,856	1,630	24,707	26,337
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	224	224	–	282	282	–	282	282	–	240	240
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**347,393**	**347,393**	**–**	**398,674**	**398,674**	**–**	**364,300**	**364,300**	**–**	**420,959**	**420,959**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	347,393	347,393	–	397,674	397,674	–	363,300	363,300	–	420,959	420,959
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	115,821	115,821	–	129,605	129,605	–	100,268	100,268	–	109,667	109,667
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	168,566	168,566	–	204,946	204,946	–	199,809	199,809	–	258,221	258,221
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	85,274	85,274	–	94,232	94,232		94,232	94,232	–	98,675	98,675
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	81,592	81,592	–	106,292	106,292	–	103,445	103,445	–	126,193	126,193
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	62,754	62,754	–	62,754	62,754	–	62,754	62,754	–	52,554	52,554
iv) अन्य	–	252	252	–	369	369	–	469	469	–	517	517
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,076**	**146,010**	**147,086**	**42,004**	**162,904**	**204,908**	**42,610**	**165,648**	**208,258**	**46,913**	**191,834**	**238,747**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	3,965	3,965	72	5,013	5,085	93	5,081	5,174	138	5,088	5,226
ii) जिला प्रशासन	–	19,782	19,782	41,930	10,882	52,812	41,930	10,890	52,820	45,170	12,291	57,461
iii) पुलिस	1,076	92,739	93,815	–	112,682	112,682	–	114,362	114,362	105	131,513	131,618
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	9,831	9,831	–	13,203	13,203	–	13,205	13,205	–	21,700	21,700
v) अन्य ++	–	19,693	19,693	2	21,124	21,126	587	22,110	22,697	1,500	21,242	22,742
उ. पेन्शन	**–**	**232,473**	**232,473**	**–**	**274,751**	**274,751**	**–**	**274,763**	**274,763**	**–**	**301,974**	**301,974**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**428**	**428**	**–**	**437**	**437**	**–**	**437**	**437**	**–**	**437**	**437**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	428	428	–	437	437	–	437	437	–	437	437

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**162,007**	**548,298**	**710,305**	**223,790**	**589,441**	**813,231**	**256,542**	**603,725**	**860,267**	**288,568**	**671,160**	**959,728**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**161,798**	**273,860**	**435,658**	**222,840**	**288,533**	**511,373**	**255,421**	**320,955**	**576,376**	**286,882**	**320,743**	**607,625**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**105,481**	**137,614**	**243,095**	**142,631**	**165,133**	**307,764**	**164,783**	**181,359**	**346,142**	**187,501**	**186,841**	**374,342**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	49,945	63,696	113,641	62,998	69,030	132,028	72,770	71,081	143,851	80,952	73,868	154,820
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,598	15,940	24,538	9,193	21,120	30,313	10,176	20,986	31,162	18,075	21,731	39,806
3. परिवार कल्याण	3,221	–	3,221	5,420	8	5,428	5,720	8	5,728	7,509	8	7,517
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	10,845	5,000	15,845	18,871	5,519	24,390	18,767	5,574	24,341	25,193	5,870	31,063
5. आवास निर्माण	1,601	1,568	3,169	1,989	1,422	3,411	3,869	1,392	5,261	2,150	5,411	7,561
6. शहरी विकास	3,593	215	3,808	6,726	695	7,421	7,646	2,269	9,915	5,874	2,091	7,965
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	7,587	38,510	46,097	12,660	44,899	57,559	11,853	44,666	56,519	9,840	45,545	55,385
8. श्रम और श्रम कल्याण	656	1,824	2,480	1,199	2,351	3,550	1,125	2,341	3,466	1,745	2,271	4,016
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,988	8,963	18,951	13,050	9,974	23,024	13,368	10,530	23,898	15,057	11,288	26,345
10. पौष्टिक आहार	9,404	130	9,534	10,417	23	10,440	19,381	23	19,404	20,998	–	20,998
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	658	658	–	8,653	8,653	–	20,949	20,949	–	16,990	16,990
12. अन्य*	43	1,110	1,153	108	1,439	1,547	108	1,540	1,648	108	1,768	1,876
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**56,317**	**136,246**	**192,563**	**80,209**	**123,400**	**203,609**	**90,638**	**139,596**	**230,234**	**99,381**	**133,902**	**233,283**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	18,871	77,685	96,556	28,410	72,471	100,881	37,770	76,456	114,226	35,460	48,632	84,092
i) फसल कार्य	5,254	4,471	9,725	6,259	5,433	11,692	10,102	4,721	14,823	8,140	6,389	14,529
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	143	1,086	1,229	292	855	1,147	232	3,817	4,049	5	849	854
iii) पशु पालन	2,488	5,125	7,613	5,653	5,871	11,524	5,691	5,105	10,796	6,022	5,502	11,524
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	291	559	850	549	578	1,127	560	586	1,146	641	593	1,234
vi) वानिकी और वन्यजीवन	5,162	24,685	29,847	6,402	24,200	30,602	12,551	26,722	39,273	11,150	25,159	36,309
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	5,102	37,960	43,062	6,010	33,472	39,482	5,926	33,545	39,471	6,585	7,960	14,545
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	341	1,181	1,522	1,325	867	2,192	1,150	860	2,010	1,200	902	2,102
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	90	974	1,064	1,920	1,195	3,115	1,558	1,100	2,658	1,717	1,278	2,995
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	1,644	1,644	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	21,975	22,083	44,058	38,446	17,516	55,962	38,368	28,980	67,348	48,495	30,007	78,502
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,323	8,728	12,051	1,958	6,765	8,723	1,939	6,858	8,797	2,894	7,036	9,930
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,861	7,084	8,945	–	5,786	5,786	–	5,882	5,882	–	5,894	5,894
ii) लघु सिंचाई	1,307	1,644	2,951	1,779	979	2,758	1,809	976	2,785	2,747	1,142	3,889
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	7,882	7,515	15,397	5,075	9,333	14,408	6,338	9,333	15,671	2,810	9,333	12,143
जिसमें से : बिजली	5,887	7,515	13,402	3,355	9,333	12,688	3,818	9,333	13,151	1,290	9,332	10,622
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,189	3,887	6,076	3,275	4,329	7,604	4,107	4,316	8,423	4,708	7,200	11,908
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,379	1,756	3,135	1,914	1,913	3,827	1,915	1,896	3,811	2,579	2,073	4,652
ii) उद्योग @	810	2,131	2,941	1,361	2,416	3,777	2,192	2,380	4,572	2,129	5,087	7,216
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	40	40	–	40	40

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	551	15,611	16,162	1,386	12,011	13,397	325	12,777	13,102	2,250	30,722	32,972
i) सड़क और पुल	551	15,611	16,162	1,386	11,991	13,377	325	12,759	13,084	2,250	30,712	32,962
ii) अन्य @@	–	–	–	–	20	20	–	18	18	–	10	10
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	108	43	151	296	50	346	321	50	371	641	55	696
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,418	694	2,112	1,363	925	2,288	1,470	826	2,296	2,123	917	3,040
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	–	216	216	–	268	268	–	261	261	6	304	310
ii) पर्यटन	1,325	–	1,325	1,335	–	1,335	1,335	–	1,335	2,000	–	2,000
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	93	478	571	28	657	685	135	565	700	117	613	730
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**209**	**249,188**	**249,397**	**950**	**274,158**	**275,108**	**1,121**	**249,553**	**250,674**	**1,686**	**318,042**	**319,728**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**49**	**6,817**	**6,866**	**54**	**7,298**	**7,352**	**54**	**8,153**	**8,207**	**54**	**9,034**	**9,088**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**193**	**11,241**	**11,434**	**690**	**17,508**	**18,198**	**869**	**17,738**	**18,607**	**776**	**30,572**	**31,348**
i) कर और शुल्क वसूली	193	11,207	11,400	690	17,421	18,111	869	17,682	18,551	776	30,509	31,285
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	34	34	–	87	87	–	56	56	–	63	63
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**135,991**	**135,991**	**–**	**121,954**	**121,954**	**–**	**106,036**	**106,036**	**–**	**124,824**	**124,824**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	20,800	20,800	–	10,000	10,000	–	5,000	5,000	–	10,000	10,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	115,191	115,191	–	111,954	111,954	–	101,036	101,036	–	114,824	114,824
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	36,458	36,458	–	25,992	25,992	–	18,910	18,910	–	18,995	18,995
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	52,838	52,838	–	65,739	65,739	–	61,455	61,455	–	72,778	72,778
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	26,221	26,221	–	27,196	27,196	–	25,496	25,496	–	24,479	24,479
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	23,187	23,187	–	30,800	30,800	–	31,695	31,695	–	40,066	40,066
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	13,035	13,035	–	12,439	12,439	–	12,438	12,438	–	14,527	14,527
iv) अन्य	–	12,860	12,860	–	7,784	7,784	–	8,233	8,233	–	8,524	8,524
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**-33**	**41,737**	**41,704**	**206**	**70,513**	**70,719**	**198**	**57,633**	**57,831**	**856**	**83,682**	**84,538**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,566	2,566	–	2,565	2,565	–	2,957	2,957	43	3,134	3,177
ii) जिला प्रशासन	–	4,397	4,397	–	5,225	5,225	–	5,053	5,053	–	5,228	5,228
iii) पुलिस	117	26,321	26,438	198	35,464	35,662	198	35,883	36,081	723	42,206	42,929
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-158	2,885	2,727	–	2,565	2,565	–	4,661	4,661	–	6,843	6,843
v) अन्य ++	8	5,568	5,576	8	24,694	24,702	–	9,079	9,079	90	26,271	26,361
उ. पेन्शन	**–**	**53,399**	**53,399**	**–**	**56,866**	**56,866**	**–**	**59,977**	**59,977**	**–**	**69,914**	**69,914**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**3**	**3**	**–**	**19**	**19**	**–**	**16**	**16**	**–**	**16**	**16**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**25,250**	**25,250**	**–**	**26,750**	**26,750**	**–**	**33,217**	**33,217**	**–**	**32,375**	**32,375**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	25,250	25,250	–	26,750	26,750	–	33,217	33,217	–	32,375	32,375

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**36,519**	**157,802**	**194,320**	**46,722**	**244,752**	**291,474**	**46,960**	**178,894**	**225,854**	**54,906**	**262,721**	**317,628**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**35,893**	**95,145**	**131,038**	**45,739**	**104,662**	**150,401**	**46,091**	**105,853**	**151,945**	**53,465**	**112,826**	**166,291**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**24,842**	**41,930**	**66,772**	**30,256**	**45,917**	**76,173**	**30,836**	**45,947**	**76,783**	**36,194**	**48,944**	**85,139**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,500	24,151	33,651	9,515	25,969	35,484	9,029	25,969	34,998	9,200	27,235	36,435
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,947	8,086	11,033	3,822	8,369	12,191	3,876	8,369	12,245	3,902	9,041	12,943
3. परिवार कल्याण	205	–	205	300	–	300	300	–	300	307	–	307
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	2,958	6,644	9,602	3,159	7,043	10,202	3,159	7,443	10,602	2,100	8,373	10,473
5. आवास निर्माण	–	349	349	–	416	416	–	416	416	–	436	436
6. शहरी विकास	1,708	287	1,996	3,682	793	4,475	3,628	793	4,421	10,218	554	10,772
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	197	15	213	124	16	140	124	16	140	198	18	216
8. श्रम और श्रम कल्याण	433	767	1,199	520	836	1,356	535	836	1,371	560	921	1,480
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,339	1,162	6,501	7,579	1,896	9,475	8,436	1,484	9,920	8,175	1,782	9,956
10. पौष्टिक आहार	139	73	212	315	131	446	310	131	441	295	80	375
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	180	180	–	235	235	–	275	275	–	281	281
12. अन्य*	1,416	216	1,632	1,240	213	1,453	1,440	214	1,654	1,240	224	1,464
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**11,051**	**53,215**	**64,266**	**15,483**	**58,745**	**74,228**	**15,256**	**59,906**	**75,162**	**17,271**	**63,882**	**81,153**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	2,508	2,218	4,726	3,910	2,689	6,599	4,723	2,750	7,474	4,639	2,782	7,421
i) फसल कार्य	799	652	1,450	1,187	714	1,901	1,054	714	1,768	1,365	742	2,107
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	63	47	110	141	68	209	141	68	209	135	62	197
iii) पशु पालन	472	434	906	459	532	991	492	533	1,024	481	518	999
iv) डेरी विकास	139	10	150	671	51	722	671	52	722	704	28	732
v) मत्स्य पालन	157	204	361	618	229	847	1,439	229	1,668	1,153	229	1,382
vi) वानिकी और वन्यजीवन	787	511	1,298	714	692	1,406	714	752	1,466	611	761	1,372
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	3	59	62	4	63	67	4	63	67	5	67	72
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	13	71	85	20	80	100	20	80	100	22	76	98
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	75	190	265	96	216	312	188	216	404	163	252	415
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	39	39	–	44	44	–	44	44	–	46	46
2. ग्रामीण विकास	2,168	1,249	3,416	2,687	1,296	3,983	2,787	1,667	4,454	2,928	1,750	4,678
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	174	–	174	247	–	247	247	–	247	243	–	243
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	288	1,455	1,744	167	2,036	2,203	366	2,110	2,476	453	2,028	2,481
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	738	738	–	776	776	–	883	883	–	904	904
ii) लघु सिंचाई	90	637	728	140	968	1,108	140	1,117	1,257	159	1,009	1,168
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	18	47	64	27	292	319	27	75	102	44	80	124
5. ऊर्जा	1,093	40,896	41,989	1,208	42,915	44,123	1,208	42,917	44,125	1,283	46,637	47,920
जिसमें से : बिजली	1,070	40,896	41,966	1,170	42,915	44,085	1,170	42,917	44,087	1,250	46,637	47,887
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,632	432	2,064	3,288	551	3,839	2,088	550	2,638	3,689	408	4,098
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,262	359	1,622	2,521	458	2,979	1,696	457	2,153	2,345	308	2,653
ii) उद्योग @	370	73	442	767	93	860	392	93	485	1,344	100	1,444
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	609	6,017	6,627	896	8,175	9,071	976	8,820	9,796	1,041	9,151	10,192
i) सड़क और पुल	18	3,803	3,820	225	5,898	6,123	279	6,543	6,822	175	6,888	7,063
ii) अन्य @@	592	2,215	2,806	671	2,277	2,948	697	2,277	2,974	866	2,263	3,129
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	473	–	473	320	–	320	320	–	320	370	–	370
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,105	948	3,053	2,760	1,083	3,843	2,541	1,091	3,633	2,626	1,126	3,751
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2	403	405	10	497	507	10	497	507	10	498	508
ii) पर्यटन	2,050	206	2,257	2,623	228	2,851	2,405	228	2,632	2,503	248	2,751
iii) नागरिक आपूर्ति	2	91	93	2	97	99	2	104	106	1	111	112
iv) अन्य +	50	247	297	125	261	386	125	262	387	112	268	380
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**625**	**62,657**	**63,282**	**983**	**140,090**	**141,073**	**869**	**73,040**	**73,909**	**1,441**	**149,895**	**151,336**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**65**	**2,053**	**2,118**	**70**	**2,352**	**2,422**	**70**	**2,431**	**2,501**	**74**	**2,415**	**2,489**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**345**	**996**	**1,341**	**455**	**1,403**	**1,858**	**343**	**1,403**	**1,746**	**804**	**1,558**	**2,362**
i) कर और शुल्क वसूली	345	986	1,331	455	1,388	1,843	343	1,388	1,731	804	1,544	2,348
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	10	10	–	15	15	–	15	15	–	14	14
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**34,299**	**34,299**	**–**	**40,268**	**40,268**	**–**	**40,269**	**40,269**	**–**	**45,196**	**45,196**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	32,299	32,299	–	38,268	38,268	–	38,269	38,269	–	43,196	43,196
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	6,475	6,475	–	7,893	7,893	–	7,893	7,893	–	6,295	6,295
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	20,760	20,760	–	25,235	25,235	–	25,235	25,235	–	31,833	31,833
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	7,904	7,904	–	9,341	9,341	–	9,341	9,341	–	9,233	9,233
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	9,315	9,315	–	12,000	12,000	–	12,000	12,000	–	20,000	20,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	3,928	3,928	–	3,788	3,788	–	3,788	3,788	–	4,011	4,011
iv) अन्य	–	1,135	1,135	–	1,353	1,353	–	1,353	1,353	–	1,058	1,058
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**216**	**11,119**	**11,335**	**458**	**12,918**	**13,376**	**456**	**13,040**	**13,496**	**564**	**15,521**	**16,084**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	851	851	–	842	842	–	891	891	–	913	913
ii) जिला प्रशासन	–	930	930	–	1,173	1,173	–	1,094	1,094	–	1,220	1,220
iii) पुलिस	1	5,388	5,390	150	6,215	6,365	150	6,451	6,601	–	7,941	7,941
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	84	2,184	2,268	97	2,610	2,707	97	2,612	2,708	300	3,231	3,531
v) अन्य ++	130	1,766	1,897	211	2,078	2,289	209	1,993	2,201	264	2,216	2,479
उ. पेन्शन	**–**	**14,034**	**14,034**	**–**	**14,493**	**14,493**	**–**	**15,567**	**15,567**	**–**	**16,500**	**16,500**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**155**	**155**	**–**	**68,656**	**68,656**	**–**	**331**	**331**	**–**	**68,705**	**68,705**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	23	23	–	68,350	68,350	–	25	25	–	68,350	68,350
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**424,601**	**2,005,578**	**2,430,179**	**463,426**	**2,002,180**	**2,465,606**	**424,354**	**2,121,959**	**2,546,313**	**480,041**	**2,147,513**	**2,627,555**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**417,572**	**995,845**	**1,413,417**	**407,907**	**926,414**	**1,334,321**	**387,043**	**1,010,573**	**1,397,616**	**461,350**	**945,837**	**1,407,187**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**220,407**	**564,686**	**785,093**	**193,847**	**543,566**	**737,413**	**203,355**	**627,905**	**831,260**	**260,027**	**565,468**	**825,495**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	36,470	362,541	399,011	31,552	357,316	388,868	29,090	380,217	409,307	48,043	382,982	431,025
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	21,030	61,747	82,777	28,743	58,855	87,598	29,294	61,391	90,685	29,995	60,423	90,417
3. परिवार कल्याण	1,421	10,260	11,681	1,624	11,000	12,624	1,812	10,856	12,668	5,910	12,111	18,021
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	10,202	10,133	20,335	11,719	10,611	22,330	10,903	10,481	21,385	10,440	8,696	19,136
5. आवास निर्माण	21,294	7,150	28,445	23,022	8,046	31,068	21,255	7,202	28,457	25,139	10,004	35,142
6. शहरी विकास	48,574	24,727	73,301	24,395	22,803	47,198	27,168	22,803	49,971	45,324	23,776	69,099
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	42,007	20,995	63,002	33,184	23,014	56,198	41,563	24,182	65,745	43,786	22,652	66,438
8. श्रम और श्रम कल्याण	3,233	8,785	12,018	5,196	8,662	13,858	4,221	9,129	13,349	5,384	9,954	15,338
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,841	17,629	28,470	10,986	10,621	21,607	11,512	12,455	23,968	13,901	9,807	23,707
10. पौष्टिक आहार	24,330	11,628	35,957	21,713	13,076	34,789	23,596	16,664	40,259	30,567	12,967	43,534
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	25,499	25,499	–	15,755	15,755	–	68,712	68,712	–	8,063	8,063
12. अन्य*	1,005	3,592	4,597	1,713	3,807	5,520	2,941	3,813	6,754	1,539	4,035	5,574
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**197,165**	**431,159**	**628,324**	**214,060**	**382,848**	**596,908**	**183,688**	**382,668**	**566,356**	**201,323**	**380,369**	**581,692**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	41,896	51,719	93,616	43,219	47,911	91,130	39,365	52,608	91,973	42,961	50,871	93,831
i) फसल कार्य	27,409	14,858	42,267	21,312	13,658	34,970	19,581	13,811	33,392	20,353	14,353	34,706
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	5,204	1,789	6,993	7,486	597	8,083	6,349	682	7,031	7,486	641	8,127
iii) पशु पालन	2,052	6,530	8,582	4,477	5,700	10,177	3,896	5,985	9,880	4,488	5,742	10,231
iv) डेरी विकास	87	45	132	258	45	303	253	45	298	258	45	303
v) मत्स्य पालन	887	4,187	5,074	1,016	4,536	5,552	995	7,470	8,465	1,516	5,122	6,638
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,014	11,805	14,820	3,366	11,029	14,395	3,138	11,696	14,834	3,315	11,919	15,234
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	4	1,276	1,280	504	1,271	1,775	504	1,271	1,775	504	1,411	1,915
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,174	7,761	9,935	3,287	7,777	11,064	2,882	8,270	11,152	3,015	8,060	11,076
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	1,061	3,329	4,390	1,508	3,166	4,674	1,289	3,240	4,529	1,516	3,435	4,951
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	5	137	142	5	132	137	479	138	617	510	142	652
2. ग्रामीण विकास	62,197	18,621	80,818	67,067	22,481	89,548	55,036	21,416	76,452	69,143	22,998	92,141
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	461	2,603	3,064	579	2,284	2,863	567	2,245	2,812	531	2,276	2,807
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,187	31,360	37,547	8,846	26,840	35,686	7,901	27,532	35,433	9,517	29,495	39,011
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,298	24,275	25,572	1,111	21,351	22,462	403	22,002	22,405	623	24,025	24,648
ii) लघु सिंचाई	4,386	6,780	11,165	7,087	5,105	12,192	6,827	5,120	11,947	8,245	5,093	13,339
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	200	292	492	110	365	475	175	365	540	110	367	477
5. ऊर्जा	51,962	210,347	262,309	42,034	177,600	219,634	34,208	173,229	207,437	15,270	171,382	186,652
जिसमें से : बिजली	51,847	210,347	262,194	41,950	177,600	219,550	34,125	173,229	207,355	15,186	171,382	186,568
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	17,356	5,891	23,247	26,740	4,370	31,110	19,455	4,574	24,028	25,172	4,500	29,673
i) ग्राम और लघु उद्योग	6,624	2,853	9,477	10,135	2,214	12,349	8,660	2,258	10,918	10,473	2,356	12,829
ii) उद्योग @	10,732	3,029	13,761	16,605	2,151	18,756	10,794	2,310	13,104	14,700	2,140	16,839
iii) अन्य **	–	10	10	–	5	5	–	6	6	–	4	4

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	9,458	86,252	95,710	15,045	81,670	96,715	16,890	83,154	100,044	20,797	81,086	101,883
i) सड़क और पुल	9,458	54,986	64,444	15,045	45,942	60,987	16,890	47,316	64,206	20,797	45,353	66,150
ii) अन्य @@	–	31,266	31,266	–	35,728	35,728	–	35,838	35,838	–	35,733	35,733
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	4,967	78	5,046	4,252	110	4,362	4,170	106	4,276	4,817	105	4,922
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,681	24,288	26,969	6,278	19,582	25,860	6,097	17,804	23,901	13,115	17,656	30,771
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	564	2,535	3,099	1,763	2,595	4,358	1,680	2,635	4,315	1,649	2,767	4,416
ii) पर्यटन	1,497	225	1,722	3,738	28	3,766	3,439	21	3,460	10,448	22	10,470
iii) नागरिक आपूर्ति	432	19,987	20,419	339	15,035	15,374	341	13,135	13,476	577	13,196	13,774
iv) अन्य +	188	1,540	1,728	438	1,924	2,362	637	2,013	2,650	440	1,671	2,111
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**7,029**	**995,402**	**1,002,431**	**55,519**	**1,064,920**	**1,120,439**	**26,506**	**1,111,386**	**1,137,891**	**18,691**	**1,191,772**	**1,210,463**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**7**	**21,898**	**21,905**	**908**	**18,074**	**18,982**	**17,321**	**3,124**	**20,445**	**1,087**	**18,821**	**19,908**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**467**	**16,240**	**16,708**	**507**	**21,367**	**21,874**	**505**	**20,212**	**20,716**	**394**	**19,101**	**19,495**
i) कर और शुल्क वसूली	467	16,046	16,514	507	21,108	21,615	505	20,026	20,530	394	18,868	19,262
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	194	194	–	259	259	–	186	186	–	233	233
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**480**	**631,377**	**631,857**	**–**	**664,486**	**664,486**	**799**	**771,542**	**772,341**	**–**	**795,474**	**795,474**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	24,000	24,000	–	50,000	50,000	–	125,000	125,000	–	80,000	80,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	480	607,377	607,857	–	614,486	614,486	799	646,542	647,341	–	715,474	715,474
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	169,885	169,885	–	98,917	98,917	–	128,157	128,157	–	129,801	129,801
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	378,400	378,400	–	449,383	449,383	–	450,729	450,729	–	516,433	516,433
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	118,468	118,468	–	123,705	123,705	–	118,881	118,881	–	120,609	120,609
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	234,500	234,500	–	310,500	310,500	–	317,984	317,984	–	381,906	381,906
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	26,618	26,618	–	32,673	32,673	–	31,768	31,768	–	31,721	31,721
iv) अन्य	480	32,474	32,954	–	33,513	33,513	799	35,888	36,687	–	37,519	37,519
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**6,075**	**116,514**	**122,590**	**17,704**	**116,391**	**134,095**	**7,881**	**119,098**	**126,980**	**17,210**	**122,286**	**139,496**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	3,402	3,962	7,365	11,598	3,781	15,379	5,332	4,263	9,595	5,722	3,974	9,696
ii) जिला प्रशासन	349	9,382	9,732	727	7,393	8,120	671	8,035	8,705	783	7,285	8,068
iii) पुलिस	1,899	79,467	81,367	4,448	75,811	80,259	1,099	78,732	79,831	4,703	78,775	83,477
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	1	8,915	8,916	256	14,366	14,622	151	13,687	13,838	1	16,755	16,756
v) अन्य ++	423	14,787	15,211	675	15,040	15,715	628	14,382	15,010	6,001	15,498	21,499
उ. पेन्शन	**–**	**189,160**	**189,160**	**–**	**174,446**	**174,446**	**–**	**182,309**	**182,309**	**–**	**190,965**	**190,965**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**20,212**	**20,212**	**36,400**	**70,156**	**106,556**	**–**	**15,100**	**15,100**	**–**	**45,124**	**45,124**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**14,331**	**14,331**	**–**	**10,846**	**10,846**	**10,805**	**–**	**10,805**	**–**	**9,904**	**9,904**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	14,331	14,331	–	10,846	10,846	10,805	–	10,805	–	9,904	9,904

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**145,270**	**995,439**	**1,140,709**	**194,760**	**1,103,784**	**1,298,544**	**211,549**	**1,113,364**	**1,324,913**	**223,387**	**1,183,278**	**1,406,666**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**141,844**	**499,884**	**641,728**	**191,207**	**603,792**	**794,999**	**207,956**	**616,743**	**824,699**	**219,569**	**664,298**	**883,866**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**84,285**	**237,536**	**321,821**	**121,298**	**293,930**	**415,228**	**133,510**	**289,677**	**423,187**	**150,683**	**299,132**	**449,815**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	20,754	146,750	167,504	32,213	175,616	207,829	33,081	179,184	212,265	40,547	191,758	232,305
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,520	26,972	32,492	10,860	29,239	40,099	11,146	29,521	40,667	17,987	30,340	48,327
3. परिवार कल्याण	5,581	–	5,581	5,195	–	5,195	5,195	–	5,195	6,345	–	6,345
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	265	30,887	31,152	1,047	35,486	36,533	1,197	34,039	35,236	1,200	35,780	36,980
5. आवास निर्माण	–	1,216	1,216	–	2,265	2,265	–	1,330	1,330	–	764	764
6. शहरी विकास	4,798	1,331	6,129	10,364	6,406	16,770	5,533	6,427	11,960	10,364	6,523	16,887
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	2,695	2,216	4,911	5,221	2,317	7,538	5,804	2,341	8,145	6,324	2,409	8,733
8. श्रम और श्रम कल्याण	916	6,388	7,304	3,620	15,989	19,609	2,935	9,239	12,174	3,219	9,377	12,596
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	42,717	5,396	48,113	51,121	6,584	57,705	61,847	8,049	69,896	57,873	6,997	64,871
10. पौष्टिक आहार	830	4,300	5,131	1,507	5,577	7,084	6,322	47	6,369	6,310	46	6,357
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	10,189	10,189	–	12,469	12,469	–	17,134	17,134	–	13,093	13,093
12. अन्य*	208	1,891	2,099	150	1,982	2,132	450	2,368	2,818	514	2,042	2,556
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**57,559**	**262,348**	**319,907**	**69,909**	**309,862**	**379,771**	**74,446**	**327,066**	**401,512**	**68,885**	**365,166**	**434,051**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	13,266	33,068	46,334	22,314	37,167	59,481	20,193	37,059	57,252	21,690	38,940	60,630
i) फसल कार्य	3,061	6,376	9,437	4,425	7,173	11,598	3,820	6,911	10,731	4,362	7,214	11,576
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,167	1,499	3,666	1,110	1,526	2,636	856	1,581	2,437	710	1,662	2,372
iii) पशु पालन	1,058	10,805	11,863	3,210	11,993	15,203	2,209	12,127	14,336	3,240	12,741	15,981
iv) डेरी विकास	98	109	207	213	110	323	215	107	322	263	117	380
v) मत्स्य पालन	612	361	973	1,018	386	1,404	996	390	1,386	1,041	409	1,450
vi) वानिकी और वन्यजीवन	5,327	4,130	9,456	10,085	4,080	14,165	9,844	4,130	13,974	9,935	4,375	14,310
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	481	481	–	557	557	–	553	553	–	542	542
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	628	7,271	7,898	818	9,091	9,909	818	9,107	9,925	818	9,573	10,390
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	316	1,958	2,274	1,435	2,148	3,583	1,435	2,064	3,499	1,321	2,214	3,535
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	79	79	–	103	103	–	88	88	–	94	94
2. ग्रामीण विकास	9,240	7,184	16,424	17,326	10,333	27,659	17,825	10,934	28,760	17,568	10,637	28,205
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	13,535	31,033	44,569	18,500	46,868	65,368	18,500	46,860	65,360	18,900	49,803	68,703
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	8,131	30,659	38,790	10,900	45,851	56,751	10,900	45,851	56,751	11,100	48,724	59,824
ii) लघु सिंचाई	–	375	375	–	1,017	1,017	–	1,009	1,009	–	1,079	1,079
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	10,070	110,510	120,580	3,791	125,921	129,712	3,791	139,527	143,318	1,700	165,593	167,293
जिसमें से : बिजली	9,954	110,495	120,449	3,391	125,905	129,296	3,391	139,510	142,901	1,300	165,575	166,875
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,717	1,581	4,298	4,357	1,590	5,947	10,731	1,609	12,341	5,342	1,629	6,971
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,106	176	2,282	2,815	180	2,995	8,449	178	8,627	3,376	183	3,558
ii) उद्योग @	612	1,404	2,016	1,542	1,410	2,952	2,283	1,431	3,713	1,967	1,446	3,413
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	6,631	77,412	84,043	105	86,303	86,408	105	89,392	89,497	205	96,782	96,987
i) सड़क और पुल	6,526	16,267	22,793	–	20,962	20,962	–	21,250	21,250	–	27,327	27,327
ii) अन्य @@	105	61,146	61,251	105	65,341	65,446	105	68,142	68,247	205	69,455	69,660
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	545	50	595	775	51	826	885	52	937	780	56	836
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,554	1,510	3,064	2,741	1,629	4,370	2,415	1,633	4,048	2,700	1,727	4,427
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	1,505	665	2,170	2,506	701	3,207	2,200	694	2,894	2,465	753	3,218
ii) पर्यटन	–	162	162	–	169	169	–	187	187	–	181	181
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	49	683	732	235	759	994	215	753	968	235	793	1,028
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,427**	**486,384**	**489,810**	**3,553**	**487,387**	**490,940**	**3,593**	**471,627**	**475,220**	**3,819**	**491,498**	**495,316**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**134**	**10,155**	**10,289**	**201**	**10,546**	**10,747**	**156**	**12,659**	**12,815**	**201**	**11,871**	**12,072**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**23**	**10,341**	**10,364**	**25**	**11,660**	**11,685**	**28**	**11,635**	**11,663**	**54**	**13,026**	**13,080**
i) कर और शुल्क वसूली	23	9,950	9,972	25	11,027	11,052	28	11,196	11,224	54	12,565	12,619
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	392	392	–	633	633	–	439	439	–	461	461
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**228,637**	**228,637**	**–**	**235,367**	**235,367**	**–**	**223,471**	**223,471**	**–**	**245,118**	**245,118**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	5,187	5,187	–	–	–	–	4,758	4,758	–	5,100	5,100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	223,450	223,450	–	235,367	235,367	–	218,713	218,713	–	240,018	240,018
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	45,533	45,533	–	37,929	37,929	–	25,701	25,701	–	24,557	24,557
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	137,970	137,970	–	150,613	150,613	–	147,685	147,685	–	167,508	167,508
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	35,285	35,285	–	43,352	43,352	–	41,757	41,757	–	45,609	45,609
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	59,601	59,601	–	75,117	75,117	–	79,824	79,824	–	89,043	89,043
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	37,840	37,840	–	44,585	44,585	–	43,077	43,077	–	45,563	45,563
iv) अन्य	–	2,107	2,107	–	2,240	2,240	–	2,250	2,250	–	2,389	2,389
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**3,270**	**76,803**	**80,073**	**3,327**	**98,687**	**102,014**	**3,409**	**96,652**	**100,061**	**3,564**	**105,552**	**109,116**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	3,461	3,461	–	5,955	5,955	–	5,957	5,957	–	3,694	3,694
ii) जिला प्रशासन	–	4,742	4,742	–	5,923	5,923	–	5,142	5,142	–	5,413	5,413
iii) पुलिस	–	59,271	59,271	–	72,522	72,522	–	70,609	70,609	–	72,227	72,227
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,193	259	3,452	3,266	5,159	8,425	3,348	5,159	8,507	3,504	13,913	17,417
v) अन्य ++	77	9,070	9,147	61	9,128	9,189	61	9,785	9,846	60	10,306	10,366
उ. पेन्शन	**–**	**90,193**	**90,193**	**–**	**107,396**	**107,396**	**–**	**105,561**	**105,561**	**–**	**115,117**	**115,117**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**70,254**	**70,254**	**–**	**23,731**	**23,731**	**–**	**21,648**	**21,648**	**–**	**814**	**814**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	70,154	70,154	–	17,453	17,453	–	19,563	19,563	–	23	23
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**9,171**	**9,171**	**–**	**12,605**	**12,605**	**–**	**24,995**	**24,995**	**–**	**27,483**	**27,483**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	9,171	9,171	–	12,605	12,605	–	24,995	24,995	–	27,483	27,483

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**93,836**	**485,458**	**579,294**	**106,486**	**482,086**	**588,572**	**107,918**	**534,757**	**642,675**	**115,371**	**562,161**	**677,533**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**91,472**	**215,277**	**306,749**	**104,833**	**194,785**	**299,618**	**106,405**	**240,515**	**346,920**	**113,673**	**256,952**	**370,626**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**53,608**	**135,442**	**189,050**	**56,149**	**132,816**	**188,965**	**59,246**	**157,707**	**216,953**	**69,461**	**155,388**	**224,850**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,057	92,655	103,712	12,028	92,557	104,585	14,873	101,993	116,866	20,408	105,342	125,750
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,940	13,586	27,525	14,030	14,153	28,183	14,756	14,967	29,723	15,903	15,370	31,274
3. परिवार कल्याण	3,372	217	3,589	3,014	207	3,221	3,011	207	3,219	3,562	253	3,816
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	11,722	15,211	26,933	9,143	10,737	19,880	9,269	24,135	33,405	8,170	15,513	23,683
5. आवास निर्माण	1,389	451	1,840	1,395	311	1,706	1,403	311	1,715	1,565	315	1,880
6. शहरी विकास	2,802	484	3,286	3,074	108	3,182	3,171	273	3,444	998	2,621	3,619
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	910	608	1,518	1,470	519	1,989	1,493	580	2,073	3,162	532	3,693
8. श्रम और श्रम कल्याण	110	1,311	1,421	135	1,315	1,450	129	1,448	1,577	154	1,486	1,640
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,657	4,696	11,353	9,430	1,784	11,214	9,656	2,638	12,294	13,238	2,472	15,709
10. पौष्टिक आहार	1,316	–	1,316	1,095	–	1,095	1,095	–	1,095	868	–	868
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	5,286	5,286	–	10,069	10,069	5	10,069	10,074	–	10,360	10,360
12. अन्य*	333	939	1,271	1,335	1,056	2,391	385	1,083	1,468	1,434	1,124	2,558
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**37,864**	**79,835**	**117,699**	**48,684**	**61,969**	**110,653**	**47,159**	**82,809**	**129,967**	**44,212**	**101,564**	**145,776**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	13,852	24,707	38,560	17,944	19,868	37,812	20,465	25,626	46,092	23,311	24,862	48,172
i) फसल कार्य	2,736	5,588	8,324	3,011	5,121	8,132	3,576	7,228	10,804	3,256	5,848	9,105
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,645	1,195	2,841	1,536	1,064	2,600	1,576	1,117	2,693	1,616	1,248	2,864
iii) पशु पालन	1,056	5,012	6,068	1,274	4,764	6,038	1,441	5,500	6,941	1,155	5,822	6,977
iv) डेरी विकास	285	325	611	65	220	285	255	222	477	83	221	304
v) मत्स्य पालन	101	370	471	130	312	442	183	366	549	152	382	534
vi) वानिकी और वन्यजीवन	4,694	9,120	13,814	7,596	6,185	13,781	7,862	8,887	16,749	12,288	9,014	21,301
vii) बागान	2	49	52	11	40	51	11	42	53	6	45	51
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	38	394	432	42	513	555	26	563	589	35	514	549
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,185	1,597	4,782	4,185	597	4,782	5,443	597	6,040	4,625	597	5,222
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	110	1,056	1,165	94	1,052	1,146	93	1,104	1,197	95	1,170	1,266
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	5,079	4,766	9,846	5,510	4,383	9,893	4,187	5,689	9,875	3,685	9,131	12,816
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	645	6,296	6,941	1,192	5,051	6,243	1,178	6,384	7,562	1,212	11,088	12,300
जिसमें से :						–						
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	187	361	548	340	126	466	340	217	557	340	240	580
ii) लघु सिंचाई	415	5,934	6,350	803	4,925	5,728	789	6,166	6,955	823	10,826	11,649
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	28	–	28	25	–	25	25	–	25	25	22	47
5. ऊर्जा	3,513	3,794	7,307	9,390	205	9,595	9,183	5,305	14,488	5,570	9,310	14,881
जिसमें से : बिजली	3,430	3,625	7,055	9,183	78	9,261	8,983	5,165	14,148	5,301	9,187	14,488
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,153	4,486	5,638	1,076	1,188	2,264	2,319	1,412	3,731	1,919	1,384	3,303
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,106	779	1,885	1,007	757	1,764	2,250	922	3,172	1,818	905	2,723
ii) उद्योग @	47	3,706	3,753	69	431	500	69	490	559	101	480	580
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	6,173	33,821	39,994	7,986	29,721	37,707	2,988	36,731	39,719	708	43,967	44,675
i) सड़क और पुल	6,154	28,913	35,067	7,970	26,822	34,792	2,941	31,538	34,480	577	38,856	39,433
ii) अन्य @@	19	4,909	4,927	16	2,899	2,915	47	5,193	5,240	131	5,111	5,242
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	123	34	157	148	34	182	204	34	239	160	36	196
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	7,326	1,930	9,256	5,438	1,519	6,957	6,634	1,628	8,262	7,647	1,786	9,433
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	7,129	765	7,894	5,100	519	5,619	6,187	546	6,733	7,125	582	7,707
ii) पर्यटन	190	171	361	334	30	364	346	41	387	518	53	571
iii) नागरिक आपूर्ति	–	542	542	–	564	564	–	596	596	–	632	632
iv) अन्य +	6	452	458	4	406	410	101	445	546	5	520	524
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**2,365**	**269,894**	**272,258**	**1,653**	**287,014**	**288,667**	**1,513**	**293,588**	**295,101**	**1,698**	**304,922**	**306,620**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**122**	**5,532**	**5,654**	**120**	**5,061**	**5,181**	**120**	**6,618**	**6,738**	**194**	**5,611**	**5,805**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**529**	**7,098**	**7,628**	**82**	**7,404**	**7,486**	**244**	**8,215**	**8,460**	**133**	**8,077**	**8,210**
i) कर और शुल्क वसूली	529	6,956	7,485	82	7,268	7,350	244	8,077	8,321	133	7,989	8,122
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	143	143	–	136	136	–	138	138	–	88	88
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**164,114**	**164,114**	**–**	**172,306**	**172,306**	**–**	**166,950**	**166,950**	**–**	**175,356**	**175,356**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	164,114	164,114	–	172,306	172,306	–	166,950	166,950	–	175,356	175,356
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	27,188	27,188	–	15,642	15,642	–	12,637	12,637	–	10,597	10,597
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	115,803	115,803	–	127,328	127,328	–	127,804	127,804	–	137,459	137,459
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	32,200	32,200	–	27,735	27,735	–	34,689	34,689	–	36,911	36,911
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	5,337	5,337	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	21,123	21,123	–	29,336	29,336	–	26,508	26,508	–	27,300	27,300
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,714**	**33,333**	**35,046**	**1,436**	**36,136**	**37,572**	**1,149**	**43,184**	**44,333**	**1,371**	**45,281**	**46,652**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,219	2,219	–	2,322	2,322	–	2,712	2,712	–	2,504	2,504
ii) जिला प्रशासन	1,457	3,956	5,412	1,292	3,979	5,271	1,003	4,273	5,276	1,225	4,559	5,784
iii) पुलिस	–	16,855	16,855	–	19,106	19,106	–	20,630	20,630	–	19,082	19,082
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	77	3,794	3,871	30	3,706	3,736	30	7,591	7,621	32	11,764	11,797
v) अन्य ++	180	6,509	6,689	114	7,023	7,137	116	7,978	8,093	114	7,370	7,484
उ. पेन्शन	**–**	**59,070**	**59,070**	**–**	**65,335**	**65,335**	**–**	**67,848**	**67,848**	**–**	**69,825**	**69,825**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**747**	**747**	**15**	**772**	**787**	**–**	**772**	**772**	**–**	**772**	**772**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**287**	**287**	**–**	**287**	**287**	**–**	**654**	**654**	**–**	**287**	**287**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	287	287	–	287	287	–	654	654	–	287	287

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**109,719**	**709,077**	**818,796**	**120,720**	**766,689**	**887,409**	**114,530**	**857,871**	**972,400**	**87,624**	**875,376**	**963,000**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**106,283**	**366,038**	**472,321**	**116,840**	**405,688**	**522,528**	**110,352**	**486,945**	**597,297**	**87,064**	**470,200**	**557,264**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**58,547**	**149,875**	**208,422**	**63,387**	**179,413**	**242,800**	**59,535**	**234,452**	**293,987**	**55,064**	**200,157**	**255,221**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	24,127	73,796	97,923	25,503	87,360	112,863	25,978	84,927	110,904	17,271	102,353	119,624
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	11,747	32,295	44,042	13,260	36,997	50,257	13,264	37,281	50,545	13,357	41,687	55,044
3. परिवार कल्याण	2,752	–	2,752	2,745	–	2,745	2,645	–	2,645	2,800	–	2,800
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	6,657	19,876	26,533	7,522	22,375	29,897	7,522	22,819	30,341	8,031	22,454	30,485
5. आवास निर्माण	–	2,720	2,720	–	2,881	2,881	–	2,876	2,876	–	2,889	2,889
6. शहरी विकास	1,465	9,401	10,866	1,655	15,570	17,225	1,655	13,155	14,810	3,822	12,562	16,384
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	2,061	278	2,339	2,212	383	2,595	1,667	357	2,025	1,733	388	2,121
8. श्रम और श्रम कल्याण	682	544	1,226	771	636	1,407	771	616	1,387	268	1,093	1,361
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	8,118	4,696	12,814	8,658	4,385	13,043	4,972	5,626	10,598	6,401	5,399	11,800
10. पौष्टिक आहार	797	54	851	901	66	967	901	61	962	1,217	62	1,279
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	4,263	4,263	–	6,512	6,512	–	64,618	64,618	–	8,922	8,922
12. अन्य*	141	1,952	2,093	160	2,248	2,408	160	2,115	2,275	166	2,347	2,513
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**47,736**	**216,163**	**263,899**	**53,453**	**226,275**	**279,728**	**50,816**	**252,493**	**303,309**	**31,999**	**270,043**	**302,042**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	20,716	31,072	51,788	23,023	36,738	59,761	20,952	34,051	55,002	13,664	43,112	56,776
i) फसल कार्य	7,911	4,299	12,210	8,632	5,217	13,849	6,438	4,810	11,248	6,809	5,110	11,919
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	997	781	1,778	1,127	927	2,054	1,127	946	2,073	262	1,703	1,965
iii) पशु पालन	2,484	9,481	11,965	2,756	11,010	13,766	2,611	10,967	13,578	2,617	10,873	13,490
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	316	1,300	1,616	351	1,545	1,896	384	1,560	1,944	50	1,878	1,928
vi) वानिकी और वन्यजीवन	6,103	11,967	18,070	6,875	14,081	20,956	7,110	12,077	19,187	242	19,457	19,699
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	48	–	48	54	–	54	54	–	54	56	–	56
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,715	1,978	4,693	3,068	2,195	5,263	3,068	2,008	5,076	3,460	2,239	5,699
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	142	908	1,050	160	1,297	1,457	160	1,237	1,397	166	1,389	1,555
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	358	358	–	466	466	–	446	446	–	464	464
2. ग्रामीण विकास	4,595	5,132	9,727	5,173	6,325	11,498	5,173	5,840	11,013	5,106	6,175	11,281
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	916	916	–	1,096	1,096	–	988	988	–	1,107	1,107
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	6,226	16,660	22,886	6,958	12,904	19,862	6,367	13,043	19,410	506	19,225	19,730
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,353	4,418	5,771	1,529	1,558	3,087	1,529	1,859	3,388	–	2,936	2,936
ii) लघु सिंचाई	2,525	10,185	12,710	2,854	8,739	11,593	2,854	8,789	11,642	–	12,194	12,194
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	1,341	1,660	3,001	1,515	2,087	3,602	1,515	1,898	3,414	–	3,615	3,615
5. ऊर्जा	10,467	148,188	158,655	11,827	152,803	164,630	11,827	182,716	194,543	2,648	182,405	185,053
जिसमें से : बिजली	10,467	148,188	158,655	11,827	152,803	164,630	11,827	182,716	194,543	2,648	182,405	185,053
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,509	6,458	9,967	3,961	8,044	12,005	3,986	7,566	11,552	4,152	7,962	12,114
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,229	3,442	6,671	3,645	4,019	7,664	3,670	6,587	10,257	3,800	6,851	10,652
ii) उद्योग @	280	3,016	3,296	–	2,719	2,719	–	–	–	–	–	–
iii) अन्य **	–	–	–	316	1,306	1,622	316	979	1,295	352	1,110	1,462

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	3	3,460	3,463	3	3,508	3,511	3	3,584	3,588	4	3,884	3,888
i) सड़क और पुल	–	3,460	3,460	–	3,508	3,508	–	3,584	3,584	–	3,694	3,694
ii) अन्य @@	3	–	3	3	–	3	3		3	4	190	194
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	605	54	659	684	73	757	684	69	753	–	721	721
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,615	4,223	5,838	1,824	4,784	6,608	1,824	4,636	6,460	5,920	5,453	11,373
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	626	1,440	2,066	707	1,720	2,427	707	1,575	2,282	5,735	1,543	7,278
ii) पर्यटन	854	1,982	2,836	965	2,115	3,080	965	2,066	3,031	26	2,951	2,977
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	135	801	936	152	949	1,101	152	995	1,148	158	960	1,118
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,436**	**343,039**	**346,475**	**3,880**	**361,001**	**364,881**	**4,178**	**370,926**	**375,104**	**560**	**405,176**	**405,736**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**21**	**7,994**	**8,015**	**20**	**8,121**	**8,141**	**100**	**8,527**	**8,627**	**100**	**8,675**	**8,775**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**–**	**5,421**	**5,421**	**–**	**6,811**	**6,811**	**–**	**6,448**	**6,448**	**–**	**6,761**	**6,761**
i) कर और शुल्क वसूली	–	2,948	2,948	–	3,569	3,569	–	6,442	6,442	–	6,754	6,754
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	2,473	2,473	–	3,242	3,242	–	7	7	–	7	7
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**117,500**	**117,500**	**–**	**130,000**	**130,000**	**–**	**130,020**	**130,020**	**–**	**135,300**	**135,300**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	20	20	–	100	100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	117,500	117,500	–	130,000	130,000	–	130,000	130,000	–	135,200	135,200
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	20,117	20,117	–	27,569	27,569	–	–	–	–	–	–
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	51,720	51,720	–	26,219	26,219	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य	–	45,663	45,663	–	76,212	76,212	–	130,000	130,000	–	135,200	135,200
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**3,415**	**146,089**	**149,504**	**3,860**	**149,083**	**152,943**	**4,078**	**152,888**	**156,966**	**460**	**178,407**	**178,866**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	1,960	1,960	–	2,493	2,493	218	2,170	2,388	227	2,382	2,609
ii) जिला प्रशासन	–	2,590	2,590	–	3,314	3,314	–	2,943	2,943	–	3,206	3,206
iii) पुलिस	–	115,531	115,531	–	121,825	121,825	–	117,759	117,759	–	123,696	123,696
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	3,218	10,141	13,359	3,637	2,333	5,970	3,637	11,455	15,092	–	15,461	15,461
v) अन्य ++	197	15,867	16,064	223	19,119	19,342	223	18,561	18,784	233	33,661	33,894
उ. पेन्शन	**–**	**66,032**	**66,032**	**–**	**66,983**	**66,983**	**–**	**73,038**	**73,038**	**–**	**76,006**	**76,006**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**3**	**3**	**–**	**3**	**3**	**–**	**4**	**4**	**–**	**28**	**28**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	3	3	–	3	3	–	1	1	–	25	25
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**320,261**	**521,596**	**841,857**	**312,629**	**619,523**	**932,152**	**334,215**	**641,379**	**975,594**	**409,435**	**676,284**	**1,085,719**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**290,324**	**255,555**	**545,879**	**266,944**	**322,966**	**589,910**	**288,395**	**355,141**	**643,536**	**358,321**	**377,442**	**735,763**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**138,914**	**161,936**	**300,850**	**126,075**	**245,185**	**371,260**	**128,950**	**249,765**	**378,715**	**170,520**	**298,936**	**469,456**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	52,385	109,369	161,754	47,740	143,046	190,786	48,678	143,228	191,906	56,594	154,137	210,731
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	8,152	20,381	28,533	8,799	57,440	66,239	8,799	59,018	67,817	12,589	55,773	68,362
3. परिवार कल्याण	9,334	701	10,035	16,843	770	17,613	16,847	2,013	18,860	13,482	1,512	14,994
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	1,900	10,630	12,530	2,175	11,217	13,392	2,175	11,736	13,911	2,013	12,800	14,813
5. आवास निर्माण	125	180	305	90	208	298	2,025	208	2,233	178	9,308	9,486
6. शहरी विकास	667	157	824	600	861	1,461	600	865	1,465	19,233	758	19,991
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	38,812	4,168	42,980	16,306	12,737	29,043	16,307	12,737	29,044	18,047	16,830	34,877
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,317	2,053	4,370	1,853	2,173	4,026	1,852	2,183	4,035	3,126	2,624	5,750
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	11,220	4,396	15,616	15,706	7,391	23,097	15,705	7,391	23,096	27,181	7,082	34,263
10. पौष्टिक आहार	8,004	–	8,004	15,713	–	15,713	15,712	–	15,712	17,778	–	17,778
11. प्राकृतिक आपदा राहत	5,777	8,005	13,782	–	7,000	7,000	–	8,000	8,000	–	35,743	35,743
12. अन्य*	221	1,896	2,117	250	2,342	2,592	250	2,386	2,636	299	2,369	2,668
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**151,410**	**93,619**	**245,029**	**140,869**	**77,781**	**218,650**	**159,445**	**105,376**	**264,821**	**187,801**	**78,506**	**266,307**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	23,823	29,478	53,301	26,391	24,760	51,151	27,684	24,177	51,861	44,672	20,146	64,818
i) फसल कार्य	6,369	2,659	9,028	7,646	2,762	10,408	8,312	2,766	11,078	8,450	2,823	11,273
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,002	780	1,782	712	833	1,545	713	833	1,546	2,145	962	3,107
iii) पशु पालन	1,092	3,770	4,862	942	3,806	4,748	962	3,806	4,768	2,367	4,203	6,570
iv) डेरी विकास	731	371	1,102	1,326	464	1,790	1,327	474	1,801	5,139	482	5,621
v) मत्स्य पालन	929	330	1,259	556	373	929	639	373	1,012	1,061	427	1,488
vi) वानिकी और वन्यजीवन	12,021	6,991	19,012	11,338	7,796	19,134	11,937	7,196	19,133	13,290	7,427	20,717
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	2,065	2,065	1,392	2,103	3,495	1,315	2,103	3,418	2,180	2,113	4,293
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	1,660	12,449	14,109	2,460	6,556	9,016	2,460	6,558	9,018	10,000	1,641	11,641
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	19	63	82	19	67	86	19	68	87	40	68	108
2. ग्रामीण विकास	80,944	11,883	92,827	75,017	19,894	94,911	82,881	19,906	102,787	85,166	26,134	111,300
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	542	4,049	4,591	475	12,618	13,093	9,044	4,049	13,093	540	13,173	13,713
जिसमें से :	–					–						
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	1,824	1,824	–	10,257	10,257	–	10,257	10,257	–	10,607	10,607
ii) लघु सिंचाई	391	2,226	2,617	200	2,362	2,562	200	2,362	2,562	140	2,566	2,706
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	7,070	34,398	41,468	12,391	4,110	16,501	12,391	40,458	52,849	13,238	1,120	14,358
जिसमें से : बिजली	6,870	34,398	41,268	9,909	4,110	14,019	9,909	40,458	50,367	10,438	1,120	11,558
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	11,223	2,687	13,910	11,140	1,765	12,905	11,139	2,123	13,262	15,944	2,357	18,301
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,156	741	2,897	1,321	708	2,029	1,321	950	2,271	4,272	1,151	5,423
ii) उद्योग @	9,067	1,946	11,013	9,819	1,057	10,876	9,818	1,173	10,991	11,672	1,206	12,878
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	16,170	8,833	25,003	9,111	11,917	21,028	9,111	11,917	21,028	21,218	12,327	33,545
i) सड़क और पुल	303	8,806	9,109	350	11,896	12,246	350	11,896	12,246	390	12,303	12,693
ii) अन्य @@	15,867	27	15,894	8,761	21	8,782	8,761	21	8,782	20,828	24	20,852
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	11,638	2,291	13,929	6,344	2,717	9,061	7,195	2,746	9,941	7,023	3,249	10,272
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	2,200	940	3,140	–	1,205	1,205	–	1,234	1,234	–	1,403	1,403
ii) पर्यटन	2,175	160	2,335	300	162	462	300	162	462	400	166	566
iii) नागरिक आपूर्ति	7,053	656	7,709	5,678	701	6,379	6,528	701	7,229	6,125	926	7,051
iv) अन्य +	210	535	745	366	649	1,015	367	649	1,016	498	754	1,252
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**29,937**	**265,963**	**295,900**	**45,685**	**296,495**	**342,180**	**45,820**	**286,176**	**331,996**	**51,114**	**298,576**	**349,690**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**603**	**13,463**	**14,066**	**–**	**9,351**	**9,351**	**–**	**10,023**	**10,023**	**800**	**9,664**	**10,464**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**3,589**	**8,356**	**11,945**	**2,170**	**8,914**	**11,084**	**2,270**	**9,332**	**11,602**	**4,826**	**9,949**	**14,775**
i) कर और शुल्क वसूली	3,589	8,129	11,718	2,170	8,603	10,773	2,270	9,004	11,274	4,826	9,616	14,442
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	227	227	–	311	311	–	328	328	–	333	333
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**77,196**	**77,196**	**–**	**92,319**	**92,319**	**–**	**71,953**	**71,953**	**–**	**77,741**	**77,741**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	77,196	77,196	–	92,319	92,319	–	71,953	71,953	–	77,741	77,741
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	38,151	38,151	–	52,557	52,557	–	32,191	32,191	–	32,089	32,089
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	16,458	16,458	–	18,899	18,899	–	18,898	18,898	–	21,770	21,770
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	16,131	16,131	–	16,500	16,500	–	16,500	16,500	–	18,000	18,000
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	600	600	–	720	720
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	22,501	22,501	–	20,800	20,800	–	20,727	20,727	–	23,812	23,812
iv) अन्य	–	86	86	–	63	63	–	137	137	–	70	70
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**25,745**	**74,168**	**99,913**	**43,515**	**108,447**	**151,962**	**43,550**	**117,404**	**160,954**	**45,488**	**122,108**	**167,596**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	105	2,789	2,894	150	2,660	2,810	150	2,979	3,129	200	2,973	3,173
ii) जिला प्रशासन	7,451	3,724	11,175	28,645	4,243	32,888	28,680	4,243	32,923	35,528	4,631	40,159
iii) पुलिस	12,763	52,336	65,099	13,475	80,710	94,185	13,475	85,840	99,315	8,250	90,806	99,056
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	45	5,752	5,797	45	9,102	9,147	45	10,013	10,058	62	11,643	11,705
v) अन्य ++	5,381	9,567	14,948	1,200	11,732	12,932	1,200	14,329	15,529	1,448	12,055	13,503
उ. पेन्शन	**–**	**92,780**	**92,780**	**–**	**77,464**	**77,464**	**–**	**77,464**	**77,464**	**–**	**79,114**	**79,114**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**78**	**78**	**–**	**62**	**62**	**–**	**62**	**62**	**–**	**266**	**266**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	78	78	–	62	62	–	62	62	–	266	266

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**512,461**	**1,980,724**	**2,493,185**	**578,542**	**2,257,859**	**2,836,401**	**590,842**	**2,258,962**	**2,849,804**	**785,956**	**2,648,099**	**3,434,055**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**512,186**	**911,141**	**1,423,327**	**575,392**	**983,350**	**1,558,742**	**584,777**	**1,057,922**	**1,642,699**	**773,244**	**1,209,044**	**1,982,288**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**262,320**	**509,955**	**772,275**	**311,738**	**544,932**	**856,670**	**313,330**	**597,585**	**910,915**	**512,974**	**611,492**	**1,124,466**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	91,397	344,393	435,790	99,945	383,683	483,628	105,305	384,846	490,151	128,480	421,178	549,658
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	16,337	69,539	85,876	27,037	76,402	103,439	25,415	75,631	101,046	29,503	85,866	115,369
3. परिवार कल्याण	16,822	863	17,685	17,249	696	17,945	14,539	697	15,236	18,577	785	19,362
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	29,206	619	29,825	12,235	930	13,165	15,269	933	16,202	16,649	892	17,541
5. आवास निर्माण	13,402	3,260	16,662	15,506	2,315	17,821	26,560	2,314	28,874	19,407	4,545	23,952
6. शहरी विकास	38,147	1,154	39,301	58,127	7,538	65,665	39,645	7,841	47,486	146,980	2,323	149,303
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	28,982	24,510	53,492	43,884	25,746	69,630	45,618	26,072	71,690	64,292	28,109	92,401
8. श्रम और श्रम कल्याण	2,720	4,104	6,824	1,432	4,410	5,842	2,170	4,431	6,601	4,190	5,194	9,384
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17,987	23,825	41,812	22,021	21,640	43,661	22,947	22,066	45,013	70,854	29,965	100,819
10. पौष्टिक आहार	6,159	6,576	12,735	5,827	6,961	12,788	5,827	6,962	12,789	11,197	13,039	24,236
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	24,020	24,020	–	9,064	9,064	–	59,518	59,518	–	12,939	12,939
12. अन्य*	1,161	7,092	8,253	8,475	5,547	14,022	10,035	6,274	16,309	2,845	6,657	9,502
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**249,866**	**401,186**	**651,052**	**263,654**	**438,418**	**702,072**	**271,447**	**460,337**	**731,784**	**260,270**	**597,552**	**857,822**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	72,450	134,041	206,491	94,689	155,953	250,642	77,312	178,073	255,385	107,204	176,269	283,473
i) फसल कार्य	35,290	13,012	48,302	41,731	15,641	57,372	21,683	15,795	37,478	34,963	34,973	69,936
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	15,210	3,115	18,325	27,651	2,516	30,167	26,190	2,521	28,711	21,733	2,699	24,432
iii) पशु पालन	3,287	11,819	15,106	5,240	12,456	17,696	5,588	13,194	18,782	9,174	13,402	22,576
iv) डेरी विकास	165	–	165	354	–	354	1,051	–	1,051	4,990	1,100	6,090
v) मत्स्य पालन	1,729	999	2,728	1,585	1,116	2,701	1,585	1,119	2,704	2,974	1,091	4,065
vi) वानिकी और वन्यजीवन	8,500	20,718	29,218	4,681	15,993	20,674	7,718	17,879	25,597	16,695	17,398	34,093
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	61,394	61,394	–	51,732	51,732	–	69,740	69,740	–	73,874	73,874
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3,079	8,084	11,163	4,400	7,388	11,788	4,400	7,388	11,788	6,200	7,541	13,741
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	5,190	14,900	20,090	9,047	49,111	58,158	9,097	50,437	59,534	10,475	24,191	34,666
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	56,492	13,194	69,686	74,451	14,616	89,067	74,351	14,619	88,970	66,096	31,382	97,478
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,663	10	4,673	7,668	15,035	22,703	3,669	15,035	18,704	7,653	15,000	22,653
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,104	18,287	21,391	7,156	13,015	20,171	6,921	13,427	20,348	7,583	14,429	22,012
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	310	5,750	6,060	359	5,115	5,474	144	5,508	5,652	390	5,963	6,353
ii) लघु सिंचाई	844	12,489	13,333	2,125	7,875	10,000	2,105	7,894	9,999	2,153	8,436	10,589
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	48	48	–	25	25	–	25	25	–	30	30
5. ऊर्जा	17,096	172,576	189,672	3,503	175,206	178,709	5,089	175,206	180,295	3,195	241,700	244,895
जिसमें से : बिजली	16,653	172,575	189,228	2,622	175,206	177,828	4,208	175,206	179,414	1,851	241,700	243,551
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	8,639	22,887	31,526	14,030	18,159	32,189	15,506	17,267	32,773	18,778	16,413	35,191
i) ग्राम और लघु उद्योग	7,487	19,051	26,538	12,641	13,577	26,218	13,370	12,114	25,484	17,227	14,220	31,447
ii) उद्योग @	802	3,836	4,638	989	4,582	5,571	1,736	5,153	6,889	1,151	2,193	3,344
iii) अन्य **	350	–	350	400	–	400	400	–	400	400	–	400

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	28,882	32,878	61,760	21,729	38,601	60,330	47,144	38,738	85,882	15,510	92,670	108,180
i) सड़क और पुल	28,882	20,844	49,726	21,729	29,935	51,664	47,144	30,025	77,169	15,510	76,262	91,772
ii) अन्य @@	–	12,034	12,034	–	8,666	8,666	–	8,713	8,713	–	16,408	16,408
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	886	–	886	4,369	–	4,369	2,134	1	2,135	4,153	1	4,154
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	57,654	7,313	64,967	36,059	7,833	43,892	39,321	7,971	47,292	30,098	9,688	39,786
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	786	2,286	3,072	1,143	2,522	3,665	3,618	2,517	6,135	1,378	4,069	5,447
ii) पर्यटन	5,605	142	5,747	1,650	155	1,805	2,210	156	2,366	5,050	162	5,212
iii) नागरिक आपूर्ति	164	359	523	249	360	609	253	477	730	220	369	589
iv) अन्य +	51,099	4,526	55,625	33,017	4,796	37,813	33,240	4,821	38,061	23,450	5,088	28,538
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**275**	**989,749**	**990,024**	**3,150**	**1,158,509**	**1,161,659**	**6,065**	**1,085,039**	**1,091,104**	**12,712**	**1,286,037**	**1,298,749**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**–**	**26,284**	**26,284**	**–**	**26,326**	**26,326**	**920**	**26,649**	**27,569**	**1,200**	**29,985**	**31,185**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**28**	**40,051**	**40,079**	**1,150**	**40,939**	**42,089**	**2,399**	**43,050**	**45,449**	**3,150**	**39,480**	**42,630**
i) कर और शुल्क वसूली	28	33,561	33,589	1,150	36,190	37,340	2,399	38,299	40,698	3,150	35,247	38,397
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	6,490	6,490	–	4,749	4,749	–	4,751	4,751	–	4,233	4,233
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**379,405**	**379,405**	**–**	**402,895**	**402,895**	**–**	**382,504**	**382,504**	**–**	**436,602**	**436,602**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	379,405	379,405	–	402,895	402,895	–	382,504	382,504	–	436,602	436,602
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	129,615	129,615	–	131,831	131,831	–	22,479	22,479	–	32,606	32,606
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	204,432	204,432	–	217,437	217,437	–	252,086	252,086	–	288,818	288,818
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	92,144	92,144	–	96,786	96,786	–	101,324	101,324	–	101,231	101,231
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	90,656	90,656	–	–	–	–	130,984	130,984	–	166,186	166,186
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	45,352	45,352	–	53,522	53,522	–	54,084	54,084	–	64,009	64,009
iv) अन्य	–	6	6	–	105	105	–	53,855	53,855	–	51,169	51,169
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**247**	**154,544**	**154,791**	**2,000**	**187,566**	**189,566**	**2,746**	**162,852**	**165,598**	**8,362**	**277,563**	**285,925**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	4,070	4,070	400	4,965	5,365	1,145	5,111	6,256	1,462	5,384	6,846
ii) जिला प्रशासन	–	16,684	16,684	–	9,625	9,625	–	10,762	10,762	–	15,766	15,766
iii) पुलिस	–	87,318	87,318	–	96,412	96,412	–	94,738	94,738	4,900	114,241	119,141
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	118	21,438	21,556	200	26,923	27,123	200	27,023	27,223	400	33,522	33,922
v) अन्य ++	129	25,034	25,163	1,400	49,641	51,041	1,401	25,218	26,619	1,600	108,650	110,250
उ. पेन्शन	**–**	**215,692**	**215,692**	**–**	**242,700**	**242,700**	**–**	**231,312**	**231,312**	**–**	**266,554**	**266,554**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**173,773**	**173,773**	**–**	**258,083**	**258,083**	**–**	**238,672**	**238,672**	**–**	**235,853**	**235,853**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	172,907	172,907	–	257,128	257,128	–	237,716	237,716	–	233,389	233,389
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**79,834**	**79,834**	**–**	**116,000**	**116,000**	**–**	**116,001**	**116,001**	**–**	**153,018**	**153,018**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	79,834	79,834	–	116,000	116,000	–	116,001	116,001	–	153,018	153,018

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**314,264**	**1,402,677**	**1,716,941**	**439,800**	**1,629,825**	**2,069,625**	**421,069**	**1,687,952**	**2,109,021**	**310,933**	**2,144,550**	**2,455,483**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**298,937**	**619,688**	**918,625**	**425,916**	**736,047**	**1,161,963**	**401,630**	**762,418**	**1,164,048**	**300,307**	**857,186**	**1,157,493**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**110,218**	**477,723**	**587,941**	**142,482**	**552,107**	**694,589**	**144,643**	**565,740**	**710,383**	**161,176**	**669,200**	**830,376**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,346	314,072	325,418	18,115	367,988	386,103	16,222	371,579	387,801	21,693	472,453	494,146
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,252	73,143	78,395	8,696	97,369	106,065	8,206	96,535	104,741	9,043	115,798	124,841
3. परिवार कल्याण	10,753	-48	10,704	8,340	–	8,340	8,418	–	8,418	11,180	–	11,180
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	17,799	8,478	26,277	22,515	8,473	30,988	23,265	8,479	31,744	33,288	9,371	42,659
5. आवास निर्माण	5,820	1,695	7,515	6,050	2,018	8,068	6,550	2,199	8,749	4,350	1,435	5,785
6. शहरी विकास	22,849	8,767	31,616	38,569	11,465	50,034	38,161	11,492	49,653	31,846	1,242	33,088
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	16,597	7,944	24,541	22,596	9,527	32,123	24,003	11,670	35,673	24,352	10,956	35,308
8. श्रम और श्रम कल्याण	4,512	12,775	17,287	1,221	18,094	19,315	1,091	18,328	19,419	1,158	13,733	14,891
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14,825	19,638	34,463	15,799	16,493	32,292	15,414	24,328	39,742	23,801	32,289	56,090
10. पौष्टिक आहार	–	22	22	–	48	48	–	49	49	–	57	57
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	28,773	28,773	–	18,173	18,173	2,610	18,550	21,160	–	8,977	8,977
12. अन्य*	465	2,463	2,929	581	2,459	3,040	703	2,531	3,233	465	2,891	3,356
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**188,719**	**141,965**	**330,684**	**283,434**	**183,940**	**467,374**	**256,987**	**196,678**	**453,665**	**139,131**	**187,986**	**327,117**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	25,531	50,098	75,630	37,407	55,311	92,718	30,852	62,634	93,486	42,692	75,920	118,611
i) फसल कार्य	9,300	12,572	21,872	19,624	15,209	34,833	18,247	17,096	35,342	19,763	17,743	37,505
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,336	1,094	2,430	939	1,277	2,216	1,820	1,277	3,097	2,878	1,600	4,478
iii) पशु पालन	3,160	7,766	10,926	3,877	8,820	12,697	3,251	8,981	12,232	3,981	10,984	14,966
iv) डेरी विकास	450	1,111	1,561	493	1,347	1,840	388	1,364	1,752	1,031	1,618	2,650
v) मत्स्य पालन	2,705	1,985	4,690	2,218	2,265	4,483	2,313	2,295	4,608	4,251	2,599	6,850
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,750	9,487	13,237	4,877	11,912	16,789	–	17,062	17,062	5,580	14,413	19,993
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	242	4,085	4,327	1,085	3,460	4,545	710	3,463	4,173	588	11,940	12,528
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,054	4,324	6,378	2,980	5,495	8,475	2,916	5,499	8,415	2,620	6,070	8,690
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–			–	–	–	–			–
xi) सहकरिता	521	7,635	8,156	849	5,481	6,330	595	5,551	6,146	880	7,395	8,275
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	2,015	39	2,054	465	45	510	613	45	658	1,119	1,557	2,676
2. ग्रामीण विकास	98,274	30,741	129,015	139,681	62,821	202,502	125,221	62,977	188,198	38,759	9,296	48,055
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,254	-1	1,253	1,313	–	1,313	1,255	–	1,255	1,313	–	1,313
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,172	17,948	19,119	2,616	19,955	22,571	2,630	21,094	23,724	3,161	24,889	28,050
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	157	9,813	9,970	71	11,717	11,788	46	12,152	12,198	26	13,842	13,868
ii) लघु सिंचाई	796	7,106	7,902	940	7,187	8,127	978	7,889	8,867	1,685	9,806	11,491
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	17	1,028	1,045	105	1,051	1,156	106	1,052	1,159	–	1,241	1,241
5. ऊर्जा	6,105	66	6,171	9,008	128	9,136	7,796	126	7,922	4,130	2,325	6,455
जिसमें से : बिजली	5,365	-4	5,361	6,788	8	6,796	6,788	5	6,794	4,130	6	4,136
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	15,580	3,844	19,424	13,368	4,435	17,803	11,403	5,260	16,663	19,385	5,075	24,460
i) ग्राम और लघु उद्योग	7,673	3,217	10,890	7,439	3,786	11,225	6,079	4,598	10,677	9,476	4,322	13,798
ii) उद्योग @	7,907	292	8,199	5,929	649	6,578	5,324	296	5,620	9,909	304	10,213
iii) अन्य **	–	335	335	–	–	–	–	365	365	–	449	449

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	24,277	32,039	56,316	57,638	33,309	90,947	58,022	36,337	94,358	10,176	60,951	71,127
i) सड़क और पुल	24,233	29,748	53,981	57,620	30,510	88,130	57,971	33,485	91,457	10,060	57,234	67,294
ii) अन्य @@	44	2,291	2,334	18	2,799	2,817	51	2,851	2,902	116	3,717	3,833
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3,703	1,662	5,364	4,295	1,745	6,040	3,738	1,745	5,483	4,335	1,832	6,167
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	12,824	5,569	18,393	18,108	6,235	24,343	16,071	6,506	22,577	15,181	7,697	22,878
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	6,374	1,531	7,905	10,031	1,675	11,706	7,478	1,716	9,195	8,600	2,081	10,681
ii) पर्यटन	5,532	1,333	6,864	6,624	1,414	8,038	5,607	1,587	7,194	5,221	1,683	6,903
iii) नागरिक आपूर्ति	8	444	452	43	502	545	38	515	553	46	621	667
iv) अन्य +	910	2,261	3,171	1,410	2,644	4,054	2,948	2,688	5,636	1,314	3,313	4,627
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**15,328**	**783,253**	**798,580**	**13,884**	**893,778**	**907,662**	**19,439**	**925,534**	**944,973**	**10,626**	**1,096,260**	**1,106,886**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**–**	**17,257**	**17,257**	**–**	**20,657**	**20,657**	**–**	**22,625**	**22,625**	**–**	**23,876**	**23,876**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**421**	**38,035**	**38,456**	**1,900**	**38,182**	**40,082**	**5,283**	**39,088**	**44,371**	**–**	**48,983**	**48,983**
i) कर और शुल्क वसूली	421	25,520	25,941	1,900	30,735	32,635	5,283	31,563	36,846	–	41,530	41,530
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	12,515	12,515	–	7,447	7,447	–	7,525	7,525	–	7,453	7,453
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**361,254**	**361,254**	**–**	**402,213**	**402,213**	**–**	**404,218**	**404,218**	**–**	**457,781**	**457,781**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	13,857	13,857	–	13,100	13,100	–	15,000	15,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	361,254	361,254	–	388,356	388,356	–	391,118	391,118	–	442,781	442,781
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	67,160	67,160	–	68,702	68,702	–	60,526	60,526	–	46,239	46,239
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	182,345	182,345	–	209,735	209,735	–	208,742	208,742	–	240,972	240,972
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	82,474	82,474	–	88,184	88,184	–	89,128	89,128	–	97,780	97,780
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	45,539	45,539	–	67,626	67,626	–	72,091	72,091	–	92,928	92,928
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	111,784	111,784	–	109,919	109,919	–	121,851	121,851	–	155,571	155,571
iv) अन्य	–	-36	-36	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,856**	**93,175**	**95,031**	**4,434**	**111,355**	**115,789**	**2,881**	**113,089**	**115,970**	**2,620**	**144,762**	**147,382**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	5,892	5,892	1,296	5,630	6,926	809	5,845	6,655	1,071	7,046	8,117
ii) जिला प्रशासन	787	5,964	6,751	–	7,541	7,541	–	7,843	7,843	–	9,263	9,263
iii) पुलिस	–	55,798	55,798	1,500	67,753	69,253	750	68,258	69,008	300	87,110	87,410
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	6,025	6,025	–	8,666	8,666	–	8,969	8,969	–	14,037	14,037
v) अन्य ++	1,070	19,495	20,564	1,638	21,765	23,403	1,322	22,173	23,495	1,249	27,305	28,554
उ. पेन्शन	**–**	**260,077**	**260,077**	**–**	**320,935**	**320,935**	**–**	**328,227**	**328,227**	**–**	**405,483**	**405,483**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**13,050**	**13,455**	**26,505**	**7,550**	**436**	**7,986**	**11,275**	**18,288**	**29,563**	**8,006**	**15,375**	**23,381**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	12,083	12,083		–	–	–	14,300	14,300	–	14,300	14,300
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**-264**	**-264**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**191,104**	**191,104**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	-264	-264	–	–	–	–	–	–	–	191,104	191,104

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**316,518**	**1,486,119**	**1,802,637**	**422,939**	**1,680,556**	**2,103,495**	**480,619**	**1,656,372**	**2,136,990**	**516,289**	**1,734,708**	**2,250,997**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**294,186**	**669,949**	**964,135**	**395,176**	**746,612**	**1,141,788**	**453,920**	**776,961**	**1,230,882**	**488,737**	**718,277**	**1,207,014**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**177,033**	**390,211**	**567,244**	**258,336**	**394,199**	**652,535**	**261,114**	**429,290**	**690,404**	**276,307**	**462,666**	**738,974**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	33,758	221,482	255,240	65,607	217,386	282,993	63,077	224,884	287,962	85,442	268,180	353,622
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	19,145	54,984	74,129	30,012	51,892	81,904	18,516	66,286	84,801	13,807	79,525	93,332
3. परिवार कल्याण	11,488	–	11,488	17,258	6	17,264	14,521	6	14,527	11,699	–	11,699
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	9,923	20,531	30,453	13,353	21,418	34,771	13,527	22,288	35,815	8,500	23,059	31,559
5. आवास निर्माण	4,407	4,181	8,588	4,374	2,821	7,195	4,374	2,812	7,186	3,170	6,529	9,699
6. शहरी विकास	7,496	1,363	8,860	10,512	1,320	11,832	17,827	1,343	19,171	20,519	956	21,475
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	52,852	47,809	100,661	65,941	49,092	115,033	74,337	49,001	123,338	61,442	16,677	78,119
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,209	4,542	5,751	1,802	5,007	6,809	2,239	4,810	7,048	3,177	5,117	8,294
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	23,512	21,487	44,999	30,860	24,325	55,185	31,078	23,641	54,719	35,036	23,009	58,045
10. पौष्टिक आहार	13,216	296	13,512	18,581	327	18,908	21,581	380	21,961	33,474	380	33,855
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	10,120	10,120	–	16,614	16,614	–	29,593	29,593	–	35,087	35,087
12. अन्य*	27	3,416	3,443	36	3,991	4,027	38	4,246	4,284	42	4,148	4,189
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**117,153**	**279,739**	**396,891**	**136,840**	**352,413**	**489,253**	**192,807**	**347,671**	**540,478**	**212,430**	**255,611**	**468,040**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	42,102	82,275	124,377	51,186	83,394	134,580	56,539	88,155	144,695	59,844	103,933	163,777
i) फसल कार्य	19,720	12,297	32,016	26,479	13,521	40,000	21,794	12,725	34,519	27,673	12,980	40,652
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	984	2,423	3,407	1,408	2,623	4,031	1,215	2,374	3,588	1,609	2,417	4,026
iii) पशु पालन	3,243	13,347	16,590	3,875	13,890	17,765	4,601	13,985	18,586	5,055	14,636	19,692
iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
v) मत्स्य पालन	702	891	1,592	1,553	1,047	2,600	1,589	1,058	2,646	1,769	1,229	2,997
vi) वानिकी और वन्यजीवन	14,242	41,033	55,275	13,632	40,151	53,783	22,347	45,378	67,725	19,153	41,505	60,658
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	147	6,603	6,749	4	6,093	6,097	337	6,704	7,041	721	13,758	14,479
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,523	3,463	4,986	1,654	3,466	5,120	1,654	3,472	5,126	1,673	3,713	5,385
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	1,540	2,220	3,761	2,581	2,603	5,184	3,002	2,461	5,463	2,192	13,696	15,887
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	58,400	11,923	70,324	61,933	10,763	72,696	109,080	12,612	121,692	132,368	13,965	146,333
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7,704	22,264	29,967	817	25,051	25,868	688	26,610	27,298	615	27,245	27,860
जिसमें से :						–						
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	7,029	18,009	25,037	–	19,175	19,175	–	20,650	20,650	–	21,133	21,133
ii) लघु सिंचाई	282	4,231	4,513	477	5,851	6,328	393	5,934	6,327	435	6,084	6,519
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	4,177	142,416	146,594	14,896	211,287	226,183	14,621	183,298	197,919	10,194	55,043	65,237
जिसमें से : बिजली	4,177	142,416	146,594	14,896	211,287	226,183	14,621	183,298	197,919	10,194	55,043	65,237
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	4,085	3,718	7,803	6,320	3,881	10,201	7,414	4,172	11,586	7,992	8,767	16,758
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,229	3,012	6,241	2,893	3,076	5,969	3,891	3,306	7,197	6,600	3,420	10,020
ii) उद्योग @	856	706	1,562	3,427	805	4,232	3,523	866	4,389	1,391	5,347	6,739
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	14,048	14,048	–	14,414	14,414	–	29,171	29,171	–	42,950	42,950
i) सड़क और पुल	–	14,045	14,045	–	14,407	14,407	–	29,157	29,157	–	42,918	42,918
ii) अन्य @@	–	3	3	–	7	7	–	14	14	–	32	32
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	357	126	483	791	143	934	4,007	192	4,199	830	149	979
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	327	2,968	3,295	897	3,480	4,377	457	3,460	3,918	587	3,560	4,147
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	9	720	729	47	770	817	1	759	760	1	783	784
ii) पर्यटन	246	204	451	289	240	529	392	239	631	536	252	788
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	72	2,043	2,115	561	2,470	3,031	64	2,462	2,526	50	2,526	2,575
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**4,341**	**742,494**	**746,835**	**6,972**	**848,359**	**855,331**	**5,907**	**790,297**	**796,205**	**6,263**	**920,647**	**926,910**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**256**	**19,891**	**20,148**	**–**	**22,527**	**22,527**	**–**	**22,674**	**22,674**	**–**	**23,312**	**23,312**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**1,682**	**80,991**	**82,673**	**5,575**	**87,804**	**93,379**	**4,503**	**92,432**	**96,936**	**4,862**	**101,280**	**106,141**
i) कर और शुल्क वसूली	1,682	78,768	80,450	5,575	84,343	89,918	4,503	89,746	94,249	4,862	99,852	104,714
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	2,223	2,223	–	3,461	3,461	–	2,686	2,686	–	1,428	1,428
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**366,114**	**366,114**	**–**	**420,282**	**420,282**	**–**	**368,597**	**368,597**	**–**	**414,503**	**414,503**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	100	100	–	100	100	–	100	100
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	366,114	366,114	–	420,182	420,182	–	368,497	368,497	–	414,403	414,403
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	107,485	107,485	–	109,654	109,654	–	79,654	79,654	–	73,133	73,133
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	191,441	191,441	–	237,543	237,543	–	224,958	224,958	–	271,230	271,230
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	72,871	72,871	–	81,661	81,661	–	80,484	80,484	–	94,173	94,173
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	68,366	68,366	–	95,046	95,046	–	94,744	94,744	–	121,868	121,868
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	39,292	39,292	–	55,229	55,229	–	55,228	55,228	–	60,757	60,757
iv) अन्य	–	27,895	27,895	–	17,756	17,756	–	8,657	8,657	–	9,282	9,282
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**2,402**	**141,975**	**144,377**	**1,397**	**163,864**	**165,261**	**1,404**	**150,976**	**152,380**	**1,401**	**204,127**	**205,529**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	3,861	3,861	200	4,485	4,685	200	4,696	4,896	200	4,982	5,182
ii) जिला प्रशासन	68	13,505	13,573	–	15,248	15,248	–	15,483	15,483	–	16,462	16,462
iii) पुलिस	1,710	91,667	93,377	1,072	91,453	92,525	1,079	96,635	97,714	1,202	94,756	95,958
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	331	13,114	13,445	125	11,658	11,783	125	11,164	11,289	–	20,045	20,045
v) अन्य ++	294	19,828	20,122	–	41,020	41,020	–	22,997	22,997	–	67,882	67,882
उ. पेन्शन	**–**	**132,989**	**132,989**	**–**	**152,898**	**152,898**	**–**	**154,807**	**154,807**	**–**	**176,637**	**176,637**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**533**	**533**	**–**	**984**	**984**	**–**	**811**	**811**	**–**	**788**	**788**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**17,991**	**73,676**	**91,666**	**20,791**	**85,585**	**106,376**	**20,791**	**89,113**	**109,904**	**21,289**	**95,783**	**117,072**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	17,991	73,676	91,666	20,791	85,585	106,376	20,791	89,113	109,904	21,289	95,783	117,072

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**464,115**	**4,640,550**	**5,104,665**	**418,693**	**4,597,702**	**5,016,395**	**582,197**	**4,779,553**	**5,361,749**	**801,445**	**5,082,559**	**5,884,003**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**460,998**	**2,331,983**	**2,792,981**	**412,478**	**2,035,139**	**2,447,617**	**563,788**	**2,448,694**	**3,012,483**	**770,607**	**2,266,395**	**3,037,003**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**270,697**	**1,484,173**	**1,754,870**	**307,077**	**1,475,828**	**1,782,905**	**356,723**	**1,697,933**	**2,054,656**	**507,340**	**1,560,706**	**2,068,046**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	37,353	981,063	1,018,416	46,371	975,571	1,021,942	55,259	1,037,448	1,092,707	65,741	1,067,697	1,133,438
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	32,107	142,475	174,581	43,750	150,813	194,563	51,664	158,221	209,885	33,450	168,666	202,116
3. परिवार कल्याण	12,650	1,854	14,504	18,117	2,168	20,285	15,421	2,102	17,523	28,897	2,801	31,698
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	31,384	93,799	125,183	52,977	114,116	167,093	60,378	108,415	168,793	69,737	69,280	139,017
5. आवास निर्माण	17,247	22,126	39,373	17,027	18,526	35,553	22,506	27,619	50,125	7,889	21,769	29,659
6. शहरी विकास	51,915	32,582	84,497	106	38,529	38,635	5,255	39,413	44,669	154,664	40,826	195,490
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	53,730	76,460	130,191	81,384	78,549	159,933	94,379	84,027	178,406	86,003	85,713	171,716
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,669	20,494	22,164	3,515	21,158	24,673	6,206	22,188	28,394	6,767	23,523	30,290
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9,545	49,482	59,027	12,019	55,336	67,355	12,542	57,662	70,204	14,643	58,872	73,515
10. पौष्टिक आहार	22,949	16,780	39,729	31,442	1,286	32,728	32,463	1,314	33,777	38,170	1,361	39,531
11. प्राकृतिक आपदा राहत	12	41,115	41,127	50	14,698	14,748	40	154,244	154,284	50	14,698	14,748
12. अन्य*	137	5,942	6,079	319	5,078	5,397	610	5,281	5,891	1,329	5,498	6,828
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**190,302**	**847,810**	**1,038,111**	**105,401**	**559,311**	**664,712**	**207,065**	**750,761**	**957,826**	**263,268**	**705,690**	**968,957**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	42,786	306,416	349,203	34,403	181,912	216,315	48,657	210,492	259,149	62,183	204,940	267,123
i) फसल कार्य	24,498	41,161	65,659	21,131	32,182	53,313	24,593	29,833	54,427	32,545	29,966	62,511
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,195	687	1,882	1,781	936	2,717	1,651	896	2,547	1,231	934	2,165
iii) पशु पालन	1,735	18,832	20,567	4,278	18,341	22,619	5,652	20,138	25,791	9,729	20,892	30,621
iv) डेरी विकास	864	67,563	68,427	293	58,013	58,306	2,104	47,816	49,919	400	59,729	60,129
v) मत्स्य पालन	1,823	1,449	3,272	1,062	1,534	2,596	1,573	10,605	12,178	3,106	15,202	18,308
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,733	32,108	33,841	3,020	28,632	31,652	3,258	37,217	40,475	4,629	32,626	37,255
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	500	6,661	7,161	–	7,760	7,760	–	8,105	8,105	–	8,212	8,212
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,071	23,239	24,310	816	22,890	23,706	2,395	23,652	26,047	1,865	24,994	26,859
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	9,367	114,716	124,083	2,022	11,624	13,646	7,431	32,230	39,661	8,678	12,385	21,063
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	73,460	149,962	223,422	36,063	182,040	218,103	59,584	191,391	250,974	59,694	184,800	244,495
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,980	18	3,999	2,106	22	2,128	2,207	21	2,229	2,106	24	2,130
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	10,181	71,362	81,543	7,655	85,629	93,284	14,752	105,260	120,011	52,796	106,854	159,650
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1,268	56,812	58,080	885	70,919	71,804	1,940	85,889	87,829	40,498	90,664	131,162
ii) लघु सिंचाई	8,298	13,813	22,111	6,635	14,073	20,708	10,935	18,491	29,426	10,329	15,546	25,876
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	727	727	–	627	627	–	869	869	–	633	633
5. ऊर्जा	25,584	272,712	298,296	13,008	77,181	90,189	26,614	173,460	200,074	47,059	122,867	169,926
जिसमें से : बिजली	25,208	272,712	297,920	11,594	73,348	84,941	15,220	169,627	184,847	46,159	122,867	169,026
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	11,562	18,828	30,390	426	12,060	12,486	29,950	20,262	50,213	12,453	19,358	31,811
i) ग्राम और लघु उद्योग	336	2,357	2,693	186	2,609	2,795	1,652	2,549	4,200	3,190	2,712	5,903
ii) उद्योग @	11,226	16,471	27,697	240	9,451	9,691	28,299	17,714	46,012	9,263	16,646	25,908
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	1,219	20,738	21,958	2,003	12,125	14,128	12,418	41,281	53,699	8,807	51,812	60,619
i) सड़क और पुल	680	20,459	21,139	1,183	11,901	13,084	4,850	41,062	45,912	2,761	51,593	54,355
ii) अन्य @@	540	279	818	820	224	1,044	7,568	219	7,787	6,046	218	6,264
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	903	1	904	1,397	1	1,398	1,397	1	1,398	2,204	1	2,204
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	20,624	7,772	28,397	8,340	8,341	16,681	11,486	8,594	20,080	15,965	15,035	31,000
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	10,665	5,380	16,045	240	5,780	6,020	1,647	5,976	7,623	761	6,055	6,816
ii) पर्यटन	9,950	4	9,954	7,951	4	7,955	9,012	4	9,016	15,078	6,254	21,331
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	22	–	22	22	–	22	28	–	28
iv) अन्य +	10	2,388	2,398	127	2,557	2,684	806	2,614	3,420	98	2,726	2,825
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**2,564**	**2,224,552**	**2,227,116**	**4,970**	**2,496,998**	**2,501,968**	**15,015**	**2,239,044**	**2,254,059**	**27,444**	**2,731,858**	**2,759,302**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**43**	**59,818**	**59,861**	**–**	**40,612**	**40,612**	**–**	**48,537**	**48,537**	**–**	**50,215**	**50,215**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**1,875**	**516,199**	**518,074**	**2,891**	**323,692**	**326,583**	**3,725**	**339,473**	**343,197**	**3,449**	**304,969**	**308,418**
i) कर और शुल्क वसूली	1,875	506,805	508,679	2,891	317,601	320,492	3,725	333,547	337,272	3,449	300,699	304,149
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	9,394	9,394	–	6,091	6,091	–	5,926	5,926	–	4,270	4,270
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**920,156**	**920,156**	**–**	**994,680**	**994,680**	**–**	**973,010**	**973,010**	**–**	**1,252,488**	**1,252,488**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	22,300	22,300	–	40,900	40,900	–	40,900	40,900	–	52,600	52,600
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	897,856	897,856	–	953,780	953,780	–	932,110	932,110	–	1,199,888	1,199,888
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	205,730	205,730	–	94,033	94,033	–	85,569	85,569	–	67,499	67,499
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	554,017	554,017	–	715,092	715,092	–	704,287	704,287	–	980,125	980,125
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	124,780	124,780	–	145,181	145,181	–	141,628	141,628	–	153,697	153,697
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	352,208	352,208	–	493,203	493,203	–	493,203	493,203	–	639,891	639,891
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	125,419	125,419	–	132,292	132,292	–	129,812	129,812	–	140,546	140,546
iv) अन्य	–	12,690	12,690	–	12,362	12,362	–	12,442	12,442	–	11,718	11,718
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**646**	**376,999**	**377,645**	**2,079**	**456,451**	**458,530**	**11,290**	**419,723**	**431,013**	**23,994**	**518,905**	**542,899**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	192	7,084	7,276	402	7,753	8,155	3,607	8,033	11,640	2,002	8,348	10,350
ii) जिला प्रशासन	8	92,017	92,025	1,301	104,407	105,708	6,650	110,488	117,138	21,500	119,782	141,282
iii) पुलिस	–	211,814	211,814	–	226,975	226,975	–	235,796	235,796	–	261,969	261,969
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	308	34,493	34,801	256	29,109	29,365	361	31,215	31,577	342	32,891	33,233
v) अन्य ++	138	31,592	31,730	120	88,207	88,327	672	34,190	34,862	150	95,916	96,066
उ. पेन्शन	**–**	**287,200**	**287,200**	**–**	**307,706**	**307,706**	**–**	**346,264**	**346,264**	**–**	**340,555**	**340,555**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**64,180**	**64,180**	**–**	**373,857**	**373,857**	**–**	**112,038**	**112,038**	**–**	**264,727**	**264,727**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	63,332	63,332	–	188,619	188,619	–	111,118	111,118	–	224,054	224,054
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**552**	**84,015**	**84,567**	**1,245**	**65,565**	**66,810**	**3,393**	**91,815**	**95,208**	**3,393**	**84,305**	**87,698**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	552	84,015	84,567	1,245	65,565	66,810	3,393	91,815	95,208	3,393	84,305	87,698

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**25,419**	**139,700**	**165,119**	**39,334**	**145,639**	**184,973**	**67,555**	**138,737**	**206,292**	**64,504**	**134,968**	**199,472**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**25,006**	**69,981**	**94,987**	**39,244**	**72,344**	**111,588**	**42,928**	**90,368**	**133,296**	**39,071**	**85,381**	**124,452**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**14,561**	**37,998**	**52,559**	**22,226**	**38,476**	**60,702**	**24,727**	**47,665**	**72,392**	**20,780**	**41,905**	**62,685**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,162	27,551	32,713	10,835	25,694	36,529	11,613	31,258	42,872	7,938	28,427	36,364
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	961	4,476	5,437	1,042	5,046	6,088	461	6,645	7,106	378	5,462	5,840
3. परिवार कल्याण	623	–	623	1,103	–	1,103	832	–	832	1,057	–	1,057
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	–	2,436	2,436	65	1,743	1,808	170	2,366	2,536	50	1,873	1,923
5. आवास निर्माण	–	201	201	–	2,132	2,132	–	2,793	2,793	–	2,045	2,045
6. शहरी विकास	554	153	708	1,574	387	1,961	1,607	419	2,026	1,173	395	1,568
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	3,687	578	4,265	4,245	932	5,177	5,585	1,062	6,647	5,779	998	6,777
8. श्रम और श्रम कल्याण	193	358	551	149	345	494	159	457	616	84	380	464
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,426	1,035	3,462	2,230	1,130	3,360	3,101	1,458	4,559	2,788	1,218	4,005
10. पौष्टिक आहार	907	5	913	933	6	939	1,150	9	1,158	1,485	6	1,490
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	707	707	–	556	556	–	556	556	–	572	572
12. अन्य*	46	498	544	50	505	555	50	642	692	50	530	580
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**10,445**	**31,983**	**42,428**	**17,018**	**33,868**	**50,886**	**18,200**	**42,704**	**60,904**	**18,292**	**43,475**	**61,767**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	2,792	7,915	10,707	2,639	7,500	10,139	5,277	8,931	14,207	5,559	7,583	13,142
i) फसल कार्य	773	2,210	2,983	1,069	1,594	2,663	2,274	1,988	4,262	2,235	1,765	4,000
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	741	517	1,258	615	504	1,119	965	612	1,577	1,198	566	1,764
iii) पशु पालन	340	2,050	2,390	249	1,845	2,094	341	2,503	2,844	340	2,045	2,386
iv) डेरी विकास	37	46	83	21	55	76	53	70	123	25	59	84
v) मत्स्य पालन	104	862	966	137	793	930	221	1,058	1,279	204	860	1,064
vi) वानिकी और वन्यजीवन	641	1,173	1,815	458	1,698	2,156	1,252	1,371	2,623	1,433	1,197	2,630
vii) बागान	2	–	2	3	–	3	3	–	3	3	–	3
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	80	379	459	5	349	354	5	500	505	7	377	384
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	17	86	103	12	86	98	24	107	131	24	96	120
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	55	591	646	67	576	643	136	722	858	87	618	705
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3	–	3	3	–	3	3	–	3	3	–	3
2. ग्रामीण विकास	3,461	1,422	4,884	5,037	1,527	6,564	4,339	1,786	6,125	3,603	1,572	5,175
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	928	–	928	1,605	–	1,605	1,783	–	1,783	1,643	–	1,643
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,048	2,389	3,437	1,607	3,296	4,903	1,326	3,806	5,132	1,425	3,376	4,800
जिसमें से :						–						
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	813	1,013	1,827	800	1,830	2,630	800	2,045	2,845	843	1,907	2,750
ii) लघु सिंचाई	19	614	633	–	643	643	–	754	754	–	711	711
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	651	651	–	714	714	–	856	856	–	642	642
5. ऊर्जा	67	12,639	12,706	80	12,687	12,767	104	18,084	18,188	195	19,847	20,042
जिसमें से : बिजली	–	12,639	12,639	–	12,687	12,687	–	18,084	18,084	–	19,847	19,847
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	499	3,635	4,134	1,211	1,698	2,909	1,754	2,368	4,122	1,940	1,838	3,778
i) ग्राम और लघु उद्योग	389	3,475	3,864	1,072	1,571	2,643	1,616	2,176	3,792	1,765	1,697	3,462
ii) उद्योग @	110	161	270	139	127	266	139	192	331	176	141	316
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	3,057	3,057	–	6,198	6,198	–	6,525	6,525	–	8,235	8,235
i) सड़क और पुल	–	3,057	3,057	–	6,198	6,198	–	6,525	6,525	–	8,235	8,235
ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	599	56	654	373	62	435	840	76	917	1,040	67	1,107
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,051	870	1,921	4,466	900	5,366	2,778	1,128	3,906	2,887	959	3,846
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	987	227	1,215	4,337	269	4,606	2,629	312	2,941	2,755	271	3,026
ii) पर्यटन	18	114	132	31	111	142	38	154	192	21	128	148
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	45	529	574	98	520	618	111	662	773	111	560	672
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**413**	**69,719**	**70,132**	**90**	**73,295**	**73,385**	**24,627**	**48,368**	**72,996**	**25,432**	**49,587**	**75,020**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**–**	**1,922**	**1,922**	**–**	**2,622**	**2,622**	**4**	**2,780**	**2,784**	**–**	**3,341**	**3,341**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**41**	**1,522**	**1,563**	**54**	**1,576**	**1,630**	**93**	**2,013**	**2,105**	**64**	**1,684**	**1,748**
i) कर और शुल्क वसूली	41	1,478	1,519	54	1,526	1,580	93	1,952	2,044	64	1,663	1,727
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	44	44	–	50	50	–	61	61	–	21	21
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**26,643**	**26,643**	**–**	**29,819**	**29,819**	**24,426**	**–**	**24,426**	**25,283**	**–**	**25,283**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	26,643	26,643	–	29,819	29,819	24,426	–	24,426	25,283	–	25,283
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	9,924	9,924	–	15,315	15,315	12,260	–	12,260	11,565	–	11,565
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	13,130	13,130	–	10,159	10,159	8,539	–	8,539	8,651	–	8,651
जिसमें से :					5,211							
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	9,678	9,678	–	5,211	5,211	5,268	–	5,268	6,107	–	6,107
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	861	861	–	1,000	1,000	55		55	55		55
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	3,590	3,590	–	4,345	4,345	3,627	–	3,627	5,067	–	5,067
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**371**	**21,309**	**21,680**	**36**	**20,790**	**20,826**	**104**	**28,108**	**28,212**	**86**	**26,065**	**26,151**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	17	1,478	1,495	–	1,444	1,444	52	1,776	1,828	10	1,551	1,561
ii) जिला प्रशासन	1	1,044	1,045	–	1,057	1,057	–	1,350	1,350	–	1,120	1,120
iii) पुलिस	210	15,639	15,849	–	14,183	14,183	–	18,911	18,911	–	15,918	15,918
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	788	788	–	1,846	1,846	–	3,216	3,216	–	4,902	4,902
v) अन्य ++	143	2,359	2,502	36	2,260	2,296	52	2,854	2,907	76	2,574	2,650
उ. पेन्शन	**–**	**18,263**	**18,263**	**–**	**18,434**	**18,434**	**–**	**15,390**	**15,390**	**–**	**18,437**	**18,437**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**60**	**60**	**–**	**54**	**54**	**–**	**79**	**79**	**–**	**61**	**61**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	60	60	–	53	53	–	78	78	–	60	60
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**47,664**	**111,970**	**159,634**	**72,035**	**115,536**	**187,571**	**72,035**	**115,536**	**187,571**	**83,537**	**128,239**	**211,776**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**45,386**	**55,543**	**100,929**	**69,157**	**56,015**	**125,172**	**69,157**	**56,015**	**125,172**	**80,470**	**62,739**	**143,209**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**22,094**	**33,683**	**55,777**	**34,130**	**34,776**	**68,906**	**34,130**	**34,776**	**68,906**	**35,825**	**38,054**	**73,879**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,430	18,402	30,832	19,825	20,281	40,106	19,825	20,281	40,106	17,466	21,400	38,866
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,746	5,102	7,849	3,176	5,400	8,576	3,176	5,400	8,576	3,590	5,724	9,314
3. परिवार कल्याण	708	82	790	910	117	1,027	910	117	1,027	912	122	1,034
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	705	4,545	5,250	783	4,600	5,383	783	4,600	5,383	1,162	4,907	6,069
5. आवास निर्माण	731	933	1,664	900	1,078	1,978	900	1,078	1,978	921	1,207	2,128
6. शहरी विकास	939	498	1,436	1,068	489	1,557	1,068	489	1,557	1,724	613	2,337
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	305	1,499	1,804	550	628	1,178	550	628	1,178	1,405	1,128	2,533
8. श्रम और श्रम कल्याण	149	445	594	459	526	984	459	526	984	478	550	1,028
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,217	325	1,542	3,062	381	3,443	3,062	381	3,443	2,718	404	3,121
10. पौष्टिक आहार	2,022	309	2,332	3,250	160	3,410	3,250	160	3,410	5,150	168	5,318
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	1,095	1,095	–	479	479	–	479	479	–	1,161	1,161
12. अन्य*	142	448	589	148	637	785	148	637	785	298	671	969
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**23,293**	**21,860**	**45,152**	**35,027**	**21,240**	**56,266**	**35,027**	**21,240**	**56,266**	**44,645**	**24,685**	**69,330**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	5,359	8,603	13,962	10,584	8,182	18,766	10,584	8,182	18,766	12,743	8,728	21,471
i) फसल कार्य	2,024	1,684	3,708	3,578	1,720	5,298	3,578	1,720	5,298	4,459	1,840	6,299
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	867	1,356	2,223	1,447	1,500	2,947	1,447	1,500	2,947	2,065	1,590	3,655
iii) पशु पालन	893	1,463	2,355	1,292	1,595	2,886	1,292	1,595	2,886	1,351	1,690	3,041
iv) डेरी विकास	267	296	563	273	325	598	273	325	598	261	350	611
v) मत्स्य पालन	140	297	437	434	352	786	434	352	786	483	370	853
vi) वानिकी और वन्यजीवन	781	2,495	3,277	2,999	1,870	4,869	2,999	1,870	4,869	3,483	2,020	5,503
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	111	269	380	218	278	497	218	278	497	174	295	469
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	177	642	819	224	424	648	224	424	648	339	450	789
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	99	100	199	118	118	236	118	118	236	128	123	251
2. ग्रामीण विकास	5,454	1,084	6,538	8,074	1,144	9,218	8,074	1,144	9,218	9,058	1,195	10,253
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	868	–	868	3,804	–	3,804	3,804	–	3,804	4,340	–	4,340
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	349	734	1,082	403	762	1,165	403	762	1,165	557	801	1,358
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	2	–	2	21	–	21	21	–	21	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	347	684	1,030	382	703	1,085	382	703	1,085	557	740	1,297
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	50	50	–	59	59	–	59	59	–	61	61
5. ऊर्जा	7,805	1,080	8,885	9,403	1,200	10,603	9,403	1,200	10,603	13,560	1,250	14,810
जिसमें से : बिजली	8,818	–	8,818	7,984	1,200	9,184	9,184	–	9,184	13,675	–	13,675
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,471	3,916	5,386	1,505	3,100	4,605	1,505	3,100	4,605	1,560	3,351	4,911
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,176	1,067	2,243	1,250	1,085	2,335	1,250	1,085	2,335	1,283	1,229	2,511
ii) उद्योग @	295	2,848	3,143	255	2,015	2,270	255	2,015	2,270	277	2,123	2,400
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	–	5,006	5,006	–	5,250	5,250	–	5,250	5,250	–	7,673	7,673
i) सड़क और पुल	–	5,006	5,006	–	5,250	5,250	–	5,250	5,250	–	7,673	7,673
ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	12	12	–	27	27	–	27	27	–	28	28
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,988	1,426	3,414	1,254	1,574	2,828	1,254	1,574	2,828	2,826	1,658	4,485
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	725	435	1,160	730	518	1,248	730	518	1,248	2,235	550	2,785
ii) पर्यटन	992	269	1,261	216	140	356	216	140	356	239	148	387
iii) नागरिक आपूर्ति	99	368	467	110	410	520	110	410	520	150	430	580
iv) अन्य +	172	353	525	198	506	704	198	506	704	203	530	733
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**2,278**	**56,427**	**58,704**	**2,878**	**59,521**	**62,399**	**2,878**	**59,521**	**62,399**	**3,067**	**65,500**	**68,567**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**49**	**4,679**	**4,727**	**24**	**2,697**	**2,721**	**29**	**2,692**	**2,721**	**42**	**2,923**	**2,965**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**174**	**2,672**	**2,847**	**180**	**1,952**	**2,132**	**180**	**1,952**	**2,132**	**200**	**2,075**	**2,275**
i) कर और शुल्क वसूली	174	2,665	2,840	180	1,940	2,120	180	1,940	2,120	200	2,062	2,262
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	7	7	–	12	12	–	12	12	–	12	12
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**18,423**	**18,423**	**–**	**21,185**	**21,185**	**–**	**21,185**	**21,185**	**–**	**22,194**	**22,194**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	700	700	–	825	825	–	825	825	–	906	906
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	17,723	17,723	–	20,360	20,360	–	20,360	20,360	–	21,288	21,288
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	4,709	4,709	–	5,061	5,061	–	4,941	4,941	–	5,048	5,048
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	10,971	10,971	–	12,798	12,798	–	12,919	12,919	–	13,439	13,439
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	6,922	6,922	–	7,815	7,815	–	7,815	7,815	–	8,316	8,316
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	1,570	1,570	–	1,997	1,997	–	2,109	2,109	–	2,679	2,679
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	2,044	2,044	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,800	2,800
iv) अन्य	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**2,055**	**21,929**	**23,983**	**2,674**	**25,247**	**27,921**	**2,669**	**25,252**	**27,921**	**2,825**	**28,766**	**31,591**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,310	2,310	–	3,519	3,519	–	3,519	3,519	–	3,742	3,742
ii) जिला प्रशासन	–	831	831	–	975	975	–	975	975	–	1,040	1,040
iii) पुलिस	10	11,122	11,133	–	11,600	11,600	–	11,600	11,600	–	13,048	13,048
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	1,874	3,400	5,274	2,352	4,227	6,580	2,352	4,227	6,580	2,522	5,751	8,273
v) अन्य ++	170	4,266	4,436	322	4,926	5,247	317	4,931	5,247	303	5,185	5,488
उ. पेन्शन	**–**	**8,693**	**8,693**	**–**	**8,398**	**8,398**	**–**	**8,398**	**8,398**	**–**	**9,498**	**9,498**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**31**	**31**	**–**	**42**	**42**	**–**	**42**	**42**	**–**	**44**	**44**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	30	30	–	40	40	–	40	40	–	42	42
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**41,284**	**98,156**	**139,440**	**40,942**	**98,556**	**139,498**	**59,128**	**111,355**	**170,483**	**47,997**	**107,822**	**155,819**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**40,621**	**47,354**	**87,975**	**40,480**	**45,000**	**85,480**	**57,620**	**54,358**	**111,978**	**47,487**	**50,538**	**98,025**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**21,050**	**26,600**	**47,650**	**19,804**	**25,798**	**45,602**	**30,610**	**28,430**	**59,040**	**24,242**	**27,129**	**51,371**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,647	14,105	23,752	8,863	14,519	23,382	14,411	14,545	28,956	10,979	14,793	25,772
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,197	3,057	6,254	3,381	3,308	6,689	4,313	3,310	7,623	3,839	3,440	7,279
3. परिवार कल्याण	870	49	919	143	66	209	791	66	857	143	66	209
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	1,699	2,499	4,198	2,726	1,413	4,139	2,705	2,865	5,570	3,402	1,414	4,816
5. आवास निर्माण	393	225	618	398	221	619	654	401	1,055	498	382	880
6. शहरी विकास	1,098	228	1,326	833	260	1,093	2,381	259	2,640	1,513	265	1,778
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	2,071	4,058	6,129	2,091	4,336	6,427	2,136	4,510	6,646	2,166	4,611	6,777
8. श्रम और श्रम कल्याण	171	153	324	120	162	282	286	161	447	150	167	317
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,075	511	1,586	387	506	893	1,697	631	2,328	630	524	1,154
10. पौष्टिक आहार	682	26	708	682	27	709	1,023	27	1,050	682	27	709
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	1,158	1,158	–	361	361	–	1,029	1,029	–	677	677
12. अन्य*	147	531	678	180	619	799	213	626	839	240	763	1,003
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**19,571**	**20,754**	**40,325**	**20,676**	**19,202**	**39,878**	**27,010**	**25,928**	**52,938**	**23,245**	**23,409**	**46,654**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	9,215	5,816	15,031	7,255	5,710	12,965	11,668	6,578	18,246	7,519	6,094	13,613
i) फसल कार्य	5,169	1,202	6,371	3,797	1,168	4,965	6,467	1,230	7,697	3,839	1,267	5,106
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	360	355	715	410	355	765	388	355	743	400	378	778
iii) पशु पालन	1,165	894	2,059	814	931	1,745	1,660	936	2,596	751	961	1,712
iv) डेरी विकास	82	30	112	40	40	80	136	40	176	36	41	77
v) मत्स्य पालन	246	126	372	250	140	390	355	140	495	280	143	423
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,384	1,238	2,622	932	1,400	2,332	1,626	1,402	3,028	1,321	1,423	2,744
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	150	1,710	1,860	322	1,393	1,715	290	2,193	2,483	329	1,592	1,921
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	10	–	10	10	–	10	10	–	10	12	–	12
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	425	168	593	305	181	486	395	181	576	351	186	537
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	224	93	317	375	102	477	341	101	442	200	103	303
2. ग्रामीण विकास	2,365	441	2,806	2,112	446	2,558	2,544	437	2,981	2,305	457	2,762
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	681	–	681	26	–	26	3,541	–	3,541	2,676	–	2,676
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	241	75	316	555	72	627	717	72	789	163	74	237
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1
ii) लघु सिंचाई	216	75	291	539	72	611	687	72	759	147	74	221
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	15	–	15	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	2,333	8,824	11,157	1,583	7,148	8,731	2,362	13,110	15,472	2,951	9,907	12,858
जिसमें से : बिजली	2,333	8,824	11,157	1,583	7,148	8,731	2,307	13,110	15,417	2,890	9,918	12,808
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,792	849	2,641	2,044	913	2,957	2,829	911	3,740	2,069	956	3,025
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,680	724	2,404	1,954	767	2,721	2,701	766	3,467	1,969	807	2,776
ii) उद्योग @	111	125	236	–	–	–	128	145	273	100	149	249
iii) अन्य **	–	–	–	90	146	236	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	1,307	3,704	5,011	1,032	3,507	4,539	1,966	3,796	5,762	1,568	4,764	6,332
i) सड़क और पुल	1,064	2,409	3,473	742	2,211	2,953	1,220	2,211	3,431	749	3,340	4,089
ii) अन्य @@	243	1,295	1,538	290	1,296	1,586	746	1,585	2,331	819	1,424	2,243
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	1,637	1,045	2,682	6,069	1,406	7,475	1,383	1,024	2,407	3,994	1,157	5,151
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	989	370	1,359	5,468	449	5,917	366	449	815	3,096	462	3,558
ii) पर्यटन	235	35	270	270	38	308	338	38	376	290	38	328
iii) नागरिक आपूर्ति	95	477	572	141	511	652	265	514	779	212	528	740
iv) अन्य +	318	163	481	190	408	598	414	23	437	396	129	525
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**663**	**50,802**	**51,465**	**462**	**53,556**	**54,018**	**1,508**	**56,997**	**58,505**	**510**	**57,284**	**57,794**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**57**	**2,689**	**2,746**	**3**	**1,653**	**1,656**	**3**	**1,966**	**1,969**	**23**	**1,693**	**1,716**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**150**	**1,570**	**1,720**	**87**	**1,768**	**1,855**	**88**	**2,270**	**2,358**	**100**	**1,926**	**2,026**
i) कर और शुल्क वसूली	150	1,512	1,662	87	145	232	88	2,206	2,294	100	1,868	1,968
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	58	58	–	1,623	1,623	–	64	64	–	58	58
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**18,649**	**18,649**	**–**	**19,550**	**19,550**	**–**	**21,196**	**21,196**	**–**	**21,387**	**21,387**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	500	500	–	600	600	–	600	600	–	700	700
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	18,149	18,149	–	18,950	18,950	–	20,596	20,596	–	20,687	20,687
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	4,237	4,237	–	3,887	3,887	–	4,426	4,426	–	4,361	4,361
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	9,432	9,432	–	10,173	10,173	–	11,280	11,280	–	10,418	10,418
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	7,875	7,875	–	8,649	8,649	–	10,132	10,132	–	8,951	8,951
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज		816	816	–	1,364	1,364	–	1,128	1,128	–	1,441	1,441
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	4,480	4,480	–	4,890	4,890	–	4,890	4,890	–	5,908	5,908
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**456**	**18,949**	**19,405**	**372**	**19,928**	**20,300**	**1,417**	**20,902**	**22,319**	**387**	**21,614**	**22,001**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	1,797	1,797	–	2,007	2,007	–	2,020	2,020	–	2,138	2,138
ii) जिला प्रशासन	162	1,261	1,423	110	1,422	1,532	107	1,424	1,531	125	1,454	1,579
iii) पुलिस	51	10,142	10,193	4	10,656	10,660	1,052	10,656	11,708	4	10,941	10,945
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	243	1,041	1,284	258	1,163	1,421	258	1,363	1,621	258	2,134	2,392
v) अन्य ++	–	4,708	4,708	–	4,680	4,680	–	5,439	5,439	–	4,947	4,947
उ. पेन्शन	**–**	**8,882**	**8,882**	**–**	**10,594**	**10,594**	**–**	**10,598**	**10,598**	**–**	**10,598**	**10,598**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**63**	**63**	**–**	**64**	**64**	**–**	**65**	**65**	**–**	**66**	**66**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	63	63	–	64	64	–	65	65	–	66	66
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**29,450**	**139,013**	**168,463**	**37,398**	**151,895**	**189,293**	**48,192**	**163,619**	**211,811**	**50,469**	**168,490**	**218,959**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**28,912**	**53,756**	**82,668**	**36,561**	**53,914**	**90,475**	**46,956**	**65,560**	**112,516**	**49,662**	**69,772**	**119,434**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**11,390**	**30,705**	**42,095**	**14,448**	**31,118**	**45,566**	**17,439**	**34,997**	**52,435**	**17,280**	**36,291**	**53,571**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,402	19,564	23,966	5,664	20,724	26,388	6,700	22,986	29,686	6,968	23,904	30,872
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,666	6,211	7,877	1,340	5,768	7,108	2,295	6,726	9,021	2,055	6,882	8,936
3. परिवार कल्याण	571	369	940	595	334	929	806	397	1,203	847	410	1,257
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	94	1,512	1,607	60	1,617	1,677	155	1,895	2,051	111	1,954	2,065
5. आवास निर्माण	820	415	1,235	830	241	1,071	475	315	790	200	268	468
6. शहरी विकास	34	287	322	30	12	42	31	-127	-96	98	63	161
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	507	–	507	2,158	–	2,158	1,494	–	1,494	1,644	–	1,644
8. श्रम और श्रम कल्याण	21	541	562	153	515	668	462	570	1,032	407	586	993
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,414	724	3,138	2,517	567	3,084	2,861	670	3,532	2,664	605	3,268
10. पौष्टिक आहार	732	14	746	988	14	1,002	2,045	15	2,060	2,098	42	2,141
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	85	85	–	239	239	–	383	383	–	394	394
12. अन्य*	128	982	1,110	113	1,087	1,200	113	1,167	1,280	189	1,184	1,373
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**17,522**	**23,051**	**40,572**	**22,113**	**22,796**	**44,909**	**29,517**	**30,563**	**60,080**	**32,382**	**33,481**	**65,863**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	4,230	7,494	11,724	5,159	7,543	12,702	9,401	8,735	18,136	10,631	8,641	19,272
i) फसल कार्य	1,246	1,962	3,208	1,593	1,971	3,564	2,679	2,166	4,845	2,618	2,262	4,879
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	990	873	1,863	1,085	838	1,923	1,574	972	2,546	1,717	1,002	2,719
iii) पशु पालन	878	1,619	2,496	1,173	1,724	2,897	1,583	1,957	3,540	1,868	2,004	3,872
iv) डेरी विकास	10	76	86	302	21	323	102	23	125	48	24	72
v) मत्स्य पालन	291	372	662	255	362	617	362	400	762	492	412	904
vi) वानिकी और वन्यजीवन	351	1,366	1,717	481	1,429	1,910	2,249	1,565	3,815	3,055	1,606	4,661
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	15	491	506	6	520	526	81	562	642	16	579	594
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	65	399	464	115	313	428	140	344	483	174	354	528
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	385	336	721	149	365	514	633	746	1,379	644	399	1,043
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	4,558	621	5,179	5,418	629	6,047	8,604	1,484	10,088	8,054	1,504	9,558
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,147	283	1,430	1,798	59	1,857	1,741	248	1,988	1,857	225	2,082
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,594	626	2,221	1,270	680	1,950	1,795	743	2,537	3,365	765	4,130
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	1,594	626	2,221	1,270	680	1,950	1,795	743	2,537	3,365	765	4,130
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	45	9,383	9,428	46	9,480	9,526	46	9,725	9,771	50	9,746	9,796
जिसमें से : बिजली	–	9,383	9,383	–	9,480	9,480	–	9,725	9,725	–	9,746	9,746
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	1,938	1,266	3,204	3,972	1,233	5,205	3,071	1,456	4,526	3,161	1,459	4,620
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,900	795	2,695	3,897	730	4,627	2,996	924	3,920	3,076	912	3,988
ii) उद्योग @	38	471	509	75	503	578	75	532	607	85	547	632
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

नागालैंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	20	1,951	1,970	20	1,622	1,642	20	6,518	6,538	35	9,442	9,477
i) सड़क और पुल	–	465	465	–	129	129	–	4,706	4,706	–	7,629	7,629
ii) अन्य @@	20	1,486	1,506	20	1,493	1,513	20	1,812	1,832	35	1,813	1,848
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	253	22	275	181	25	206	594	26	619	674	26	700
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	3,736	1,406	5,142	4,249	1,525	5,774	4,247	1,630	5,876	4,555	1,672	6,227
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	3,447	646	4,093	3,869	697	4,566	3,871	761	4,632	3,915	779	4,695
ii) पर्यटन	84	150	234	122	155	277	122	177	298	339	182	521
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य +	205	610	815	258	673	931	254	692	946	300	711	1,012
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**539**	**85,257**	**85,795**	**837**	**97,981**	**98,818**	**1,236**	**98,059**	**99,295**	**807**	**98,718**	**99,525**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**18**	**2,834**	**2,851**	**–**	**2,209**	**2,209**	**50**	**2,595**	**2,645**	**50**	**2,305**	**2,355**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**192**	**1,417**	**1,609**	**240**	**1,538**	**1,778**	**451**	**1,731**	**2,182**	**361**	**1,749**	**2,110**
i) कर और शुल्क वसूली	192	1,415	1,607	240	1,536	1,776	451	1,729	2,180	361	1,747	2,108
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	2	2	–	2	2	–	2	2	–	2	2
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**24,962**	**24,962**	**–**	**31,620**	**31,620**	**–**	**28,424**	**28,424**	**–**	**28,091**	**28,091**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	24,962	24,962	–	31,620	31,620	–	28,424	28,424	–	28,091	28,091
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	4,677	4,677	–	5,506	5,506	–	5,577	5,577	–	4,069	4,069
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	16,917	16,917	–	19,664	19,664	–	18,801	18,801	–	19,900	19,900
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	11,851	11,851	–	13,334	13,334	–	13,399	13,399	–	14,867	14,867
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	3,367	3,367	–	6,450	6,450	–	4,046	4,046	–	4,122	4,122
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**329**	**42,590**	**42,919**	**597**	**42,773**	**43,370**	**735**	**44,931**	**45,666**	**396**	**43,147**	**43,543**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,959	2,959	–	2,908	2,908	–	3,380	3,380	–	3,210	3,210
ii) जिला प्रशासन	–	3,372	3,372	–	3,182	3,182	100	3,853	3,953	100	3,635	3,735
iii) पुलिस	21	26,483	26,504	–	27,176	27,176	–	30,934	30,934	–	29,993	29,993
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	6,070	6,070	322	5,589	5,911	334	2,452	2,786	–	2,002	2,002
v) अन्य ++	308	3,706	4,014	275	3,918	4,193	301	4,312	4,613	296	4,307	4,603
उ. पेन्शन	**–**	**13,383**	**13,383**	**–**	**19,766**	**19,766**	**–**	**20,292**	**20,292**	**–**	**23,300**	**23,300**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**71**	**71**	**–**	**75**	**75**	**–**	**86**	**86**	**–**	**126**	**126**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	71	71	–	75	75	–	86	86	–	91	91
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**195,142**	**1,042,107**	**1,237,249**	**231,613**	**1,146,773**	**1,378,385**	**305,594**	**1,158,250**	**1,463,844**	**299,416**	**1,294,572**	**1,593,988**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**194,804**	**378,548**	**573,352**	**228,212**	**447,550**	**675,762**	**303,473**	**442,560**	**746,033**	**296,696**	**492,479**	**789,175**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**116,335**	**281,706**	**398,041**	**134,570**	**336,091**	**470,661**	**200,405**	**320,004**	**520,409**	**182,622**	**336,200**	**518,822**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	22,625	176,915	199,540	20,365	197,414	217,779	30,568	202,166	232,734	23,248	216,060	239,308
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	17,948	35,713	53,661	11,349	46,610	57,959	12,013	47,703	59,716	6,577	50,800	57,377
3. परिवार कल्याण	9,072	12	9,084	11,481	16	11,497	11,307	16	11,323	10,156	1,174	11,330
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	11,344	11,519	22,863	14,966	12,083	27,049	23,595	12,256	35,851	16,355	14,406	30,761
5. आवास निर्माण	420	5,288	5,708	413	7,249	7,662	358	7,359	7,717	1,011	8,008	9,019
6. शहरी विकास	525	3,087	3,612	3,573	2,972	6,545	3,659	4,303	7,962	7,863	2,457	10,320
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	13,239	10,882	24,121	24,712	11,087	35,799	25,195	11,474	36,669	27,828	11,520	39,348
8. श्रम और श्रम कल्याण	28	2,274	2,302	14	2,257	2,271	1,651	2,351	4,002	1,813	2,318	4,131
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	18,527	13,840	32,367	22,519	18,777	41,296	26,978	18,914	45,892	31,528	12,064	43,592
10. पौष्टिक आहार	10,469	612	11,081	15,419	622	16,041	34,022	748	34,770	24,278	121	24,399
11. प्राकृतिक आपदा राहत	11,715	18,650	30,365	9,471	33,983	43,454	30,155	9,470	39,625	31,024	14,075	45,099
12. अन्य*	423	2,914	3,337	288	3,021	3,309	904	3,244	4,148	941	3,197	4,138
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**78,469**	**96,842**	**175,311**	**93,642**	**111,459**	**205,101**	**103,068**	**122,556**	**225,624**	**114,074**	**156,279**	**270,353**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	14,048	39,350	53,398	23,640	43,438	67,078	27,472	45,292	72,764	19,424	43,318	62,742
i) फसल कार्य	7,420	10,974	18,394	12,826	12,382	25,208	14,741	12,448	27,189	5,759	12,410	18,169
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,977	2,394	5,371	4,947	2,684	7,631	5,620	2,779	8,399	3,100	2,589	5,689
iii) पशु पालन	705	7,279	7,984	766	7,691	8,457	800	7,951	8,751	1,137	7,774	8,911
iv) डेरी विकास	37	415	452	1,011	42	1,053	1,241	42	1,283	535	40	575
v) मत्स्य पालन	505	1,571	2,076	644	1,594	2,238	1,234	1,693	2,927	1,976	1,644	3,620
vi) वानिकी और वन्यजीवन	959	7,175	8,134	2,029	8,916	10,945	2,082	9,829	11,911	5,799	8,511	14,310
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	539	4,776	5,315	543	4,895	5,438	813	5,046	5,859	699	4,428	5,127
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	650	1,548	2,198	219	2,086	2,305	261	2,123	2,384	389	2,630	3,019
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	75	3,035	3,110	491	2,935	3,426	516	3,160	3,676	28	3,084	3,112
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	181	183	364	164	212	376	164	221	385	2	208	210
2. ग्रामीण विकास	25,145	21,626	46,771	21,085	23,153	44,238	22,001	31,067	53,068	21,625	28,356	49,981
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7,094	13,677	20,771	3,182	17,299	20,481	6,082	18,008	24,090	3,895	19,878	23,773
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	281	7,941	8,222	180	9,882	10,062	270	10,767	11,037	175	11,404	11,579
ii) लघु सिंचाई	5,861	3,191	9,052	2,135	4,035	6,170	4,222	4,163	8,385	2,424	4,424	6,848
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	2,467	–	2,467	–	3,302	3,302	–	2,991	2,991	–	3,967	3,967
5. ऊर्जा	3,823	568	4,391	3,575	487	4,062	5,628	494	6,122	17,826	314	18,140
जिसमें से : बिजली	3,762	551	4,313	3,500	470	3,970	5,548	477	6,025	7,046	297	7,343
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,452	2,538	4,990	7,260	4,097	11,357	9,043	4,298	13,341	4,408	4,193	8,601
i) ग्राम और लघु उद्योग	1,670	2,763	4,433	5,273	2,796	8,069	5,261	2,931	8,192	3,830	2,843	6,673
ii) उद्योग @	689	1,287	1,976	1,962	1,301	3,263	3,757	1,367	5,124	553	1,350	1,903
iii) अन्य **	94	-1,513	-1,419	25	–	25	25	–	25	25	–	25

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2	14,349	14,351	5,007	17,577	22,584	5,008	18,295	23,303	5,509	55,301	60,810
i) सड़क और पुल	–	13,854	13,854	5,000	17,059	22,059	5,000	17,559	22,559	5,500	54,789	60,289
ii) अन्य @@	2	495	497	8	517	525	8	736	744	9	512	521
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	454	355	809	972	739	1,711	1,087	240	1,327	1,788	266	2,054
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	25,451	4,379	29,830	28,921	4,669	33590	26,747	4,862	31,609	39,599	4,653	44,252
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	25,203	2,917	28,120	28,480	3,146	31,626	26,179	3,204	29,383	39,092	3,140	42,232
ii) पर्यटन	237	333	570	270	286	556	181	316	497	385	308	693
iii) नागरिक आपूर्ति	–	151	151	–	161	161	–	251	251	–	157	157
iv) अन्य +	11	978	989	171	1,075	1,246	387	1,091	1,478	122	1,048	1,170
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**338**	**647,711**	**648,049**	**3,401**	**684,410**	**687,811**	**2,121**	**699,432**	**701,553**	**2,720**	**773,261**	**775,981**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**21**	**10,984**	**11,005**	**18**	**9,128**	**9,146**	**216**	**12,852**	**13,068**	**234**	**12,053**	**12,287**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**241**	**16,571**	**16,812**	**1,734**	**17,164**	**18,898**	**1,800**	**18,939**	**20,739**	**2,149**	**18,454**	**20,603**
i) कर और शुल्क वसूली	241	16,316	16,557	1,734	16,887	18,621	1,800	18,662	20,462	2,149	18,172	20,321
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	255	255	–	277	277	–	277	277	–	282	282
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**411,702**	**411,702**	**–**	**398,515**	**398,515**	**–**	**421,450**	**421,450**	**–**	**459,005**	**459,005**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	78,500	78,500	–	27,007	27,007	–	66,007	66,007	–	78,807	78,807
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	333,202	333,202	–	371,508	371,508	–	355,443	355,443	–	380,198	380,198
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	108,264	108,264	–	129,572	129,572	–	114,973	114,973	–	122,131	122,131
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	153,621	153,621	–	161,944	161,944	–	160,479	160,479	–	174,000	174,000
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	84,177	84,177	–	91,825	91,825	–	90,761	90,761	–	92,210	92,210
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	34,276	34,276	–	47,551	47,551	–	47,150	47,150	–	60,526	60,526
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	71,305	71,305	–	74,126	74,126	–	74,126	74,126	–	78,205	78,205
iv) अन्य	–	11	11	–	5,866	5,866	–	5,866	5,866	–	5,862	5,862
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**76**	**67,413**	**67,489**	**1,649**	**73,275**	**74,924**	**105**	**78,090**	**78,195**	**337**	**80,967**	**81,304**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	17	4,560	4,577	1,546	5,262	6,808	–	4,800	4,800	220	4,936	5,156
ii) जिला प्रशासन	–	4,297	4,297	–	4,268	4,268	–	4,626	4,626	–	4,449	4,449
iii) पुलिस	54	39,300	39,354	6	39,434	39,440	6	43,434	43,440	–	43,975	43,975
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	6,549	6,549	–	11,197	11,197	–	11,631	11,631	1	13,829	13,830
v) अन्य ++	5	12,707	12,712	97	13,114	13,211	99	13,599	13,698	116	13,778	13,894
उ. पेन्शन	**–**	**125,980**	**125,980**	**–**	**177,277**	**177,277**	**–**	**158,868**	**158,868**	**–**	**193,421**	**193,421**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**15,061**	**15,061**	**–**	**9,051**	**9,051**	**–**	**9,233**	**9,233**	**–**	**9,361**	**9,361**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**15,848**	**15,848**	**–**	**14,813**	**14,813**	**–**	**16,258**	**16,258**	**–**	**28,832**	**28,832**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	15,848	15,848	–	14,813	14,813	–	16,258	16,258	–	28,832	28,832

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**46,555**	**1,673,247**	**1,719,802**	**211,488**	**1,724,169**	**1,935,658**	**166,506**	**1,793,870**	**1,960,376**	**147,436**	**1,997,189**	**2,144,625**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**46,074**	**681,272**	**727,346**	**211,045**	**608,217**	**819,262**	**164,986**	**676,343**	**841,329**	**146,285**	**773,413**	**919,698**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**29,585**	**323,994**	**353,579**	**56,416**	**358,610**	**415,026**	**61,677**	**356,410**	**418,087**	**72,342**	**436,840**	**509,182**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,494	201,830	211,324	33,345	219,750	253,094	36,150	222,122	258,273	46,483	229,694	276,177
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,889	53,203	55,092	2,181	63,036	65,218	3,584	67,274	70,858	4,426	78,504	82,930
3. परिवार कल्याण	3,829	1,458	5,287	6,708	1,802	8,511	6,314	1,636	7,951	6,373	1,676	8,049
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	9,124	18,218	27,342	55	19,519	19,574	55	19,965	20,020	60	21,459	21,519
5. आवास निर्माण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. शहरी विकास	–	1,581	1,581	–	1,684	1,684	–	1,654	1,654	16	1,728	1,744
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	33	2,566	2,599	4,451	5,355	9,806	4,693	6,576	11,269	4,748	6,782	11,530
8. श्रम और श्रम कल्याण	–	5,404	5,404	2,481	6,445	8,926	2,439	6,281	8,720	1,901	6,448	8,349
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	4,963	8,802	13,765	6,973	9,339	16,312	7,932	11,339	19,271	8,091	57,723	65,814
10. पौष्टिक आहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	29,123	29,123	–	29,634	29,634	–	17,406	17,406	–	30,666	30,666
12. अन्य*	253	1,809	2,062	223	2,046	2,269	508	2,156	2,664	244	2,161	2,405
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**16,489**	**357,278**	**373,767**	**154,629**	**249,608**	**404,237**	**103,309**	**319,933**	**423,242**	**73,943**	**336,573**	**410,516**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	6,993	40,175	47,168	64,584	38,947	103,531	40,453	40,801	81,254	18,907	40,089	58,996
i) फसल कार्य	475	7,628	8,103	36,151	7,361	43,511	14,343	7,426	21,769	5,310	7,766	13,076
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	2,946	2,946	375	3,257	3,632	486	3,292	3,778	415	3,288	3,703
iii) पशु पालन	76	10,566	10,642	2,333	10,662	12,995	2,142	10,887	13,029	1,683	11,088	12,771
iv) डेरी विकास	–	465	465	1,073	497	1,570	730	501	1,231	286	524	810
v) मत्स्य पालन	–	574	574	171	623	794	215	627	842	241	657	898
vi) वानिकी और वन्यजीवन	6,442	2,060	8,502	9,776	2,348	12,124	8,501	2,356	10,857	7,910	2,556	10,466
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	10,528	10,528	2,300	9,079	11,379	1,750	10,106	11,856	2,000	9,085	11,085
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	–	5,078	5,078	12,397	4,728	17,125	12,277	5,214	17,491	1,062	4,714	5,776
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	330	330	9	392	401	9	392	401	–	411	411
2. ग्रामीण विकास	5	2,694	2,699	1,982	4,437	6,419	2,379	4,505	6,884	4,688	4,740	9,428
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	–	47,088	47,088	–	55,254	55,254	–	63,601	63,601	–	57,238	57,238
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	33,399	33,399	–	46,069	46,069	–	49,749	49,749	–	47,194	47,194
ii) लघु सिंचाई	–	9,527	9,527	–	4,728	4,728	–	8,735	8,735	–	4,486	4,486
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	4,162	4,162	–	4,456	4,456	–	4,818	4,818	–	4,908	4,908
5. ऊर्जा	–	217,294	217,294	–	100,763	100,763	–	160,528	160,528	–	172,722	172,722
जिसमें से : बिजली	–	217,248	217,248	–	100,700	100,700	–	160,465	160,465	–	172,655	172,655
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	85	2,115	2,200	5,289	2,508	7,796	359	2,648	3,007	308	2,577	2,885
i) ग्राम और लघु उद्योग	84	2,018	2,102	224	2,420	2,644	296	2,559	2,855	245	2,485	2,730
ii) उद्योग @	1	97	98	5,064	88	5,152	63	89	152	63	92	155
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	2,866	41,455	44,321	37,360	40,876	78,236	–	41,164	41,164	150	52,288	52,438
i) सड़क और पुल	2,866	12,496	15,362	37,360	10,322	47,682	–	11,362	11,362	–	23,484	23,484
ii) अन्य @@	–	28,959	28,959	–	30,554	30,554	–	29,802	29,802	150	28,804	28,954
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	85	85	666	79	744	693	79	772	10	83	93
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	6,540	6,372	12,912	44,749	6,744	51,493	59,425	6,607	66,032	49,880	6,836	56,716
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	6,442	525	6,967	44,434	585	45,019	58,890	640	59,530	49,685	673	50,358
ii) पर्यटन	–	49	49	20	56	76	224	68	292	30	65	95
iii) नागरिक आपूर्ति	8	4,891	4,899	21	5,103	5,124	21	4,899	4,920	26	5,064	5,090
iv) अन्य +	90	907	997	274	1,000	1,274	290	1,000	1,290	139	1,034	1,173
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**481**	**984,522**	**985,003**	**443**	**1,087,084**	**1,087,527**	**1,520**	**1,079,125**	**1,080,645**	**1,151**	**1,206,042**	**1,207,193**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**–**	**13,607**	**13,607**	**–**	**13,173**	**13,173**	**–**	**14,747**	**14,747**	**–**	**16,606**	**16,606**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**–**	**18,277**	**18,277**	**–**	**20,494**	**20,494**	**1,000**	**21,682**	**22,682**	**–**	**22,844**	**22,844**
i) कर और शुल्क वसूली	–	13,904	13,904	–	15,819	15,819	1,000	15,858	16,858	–	17,015	17,015
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	4,373	4,373	–	4,675	4,675	–	5,824	5,824	–	5,829	5,829
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**398,150**	**398,150**	**–**	**407,326**	**407,326**	**–**	**400,275**	**400,275**	**–**	**417,747**	**417,747**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	398,150	398,150	–	407,326	407,326	–	400,275	400,275	–	417,747	417,747
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	68,541	68,541	–	30,730	30,730	–	40,710	40,710	–	37,565	37,565
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	261,102	261,102	–	310,668	310,668	–	280,178	280,178	–	297,616	297,616
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	58,075	58,075	–	83,478	83,478	–	62,708	62,708	–	71,388	71,388
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	143,923	143,923	–	169,864	169,864	–	167,245	167,245	–	181,896	181,896
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	53,771	53,771	–	63,894	63,894	–	65,452	65,452	–	66,776	66,776
iv) अन्य	–	14,736	14,736	–	2,034	2,034	–	13,935	13,935	–	15,790	15,790
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**481**	**140,746**	**141,227**	**443**	**187,122**	**187,565**	**520**	**174,606**	**175,126**	**1,151**	**187,951**	**189,102**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	351	5,396	5,747	315	6,247	6,562	248	6,325	6,573	970	6,355	7,325
ii) जिला प्रशासन	–	7,013	7,013	–	8,075	8,075	–	8,128	8,128	–	9,166	9,166
iii) पुलिस	–	103,257	103,257	–	108,502	108,502	–	114,767	114,767	–	120,999	120,999
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	6,849	6,849	–	23,796	23,796	150	23,874	24,024	50	28,157	28,207
v) अन्य ++	130	18,231	18,361	128	40,503	40,631	122	21,512	21,634	131	23,274	23,405
उ. पेन्शन	**–**	**151,382**	**151,382**	**–**	**149,000**	**149,000**	**–**	**157,827**	**157,827**	**–**	**169,342**	**169,342**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**262,360**	**262,360**	**–**	**309,969**	**309,969**	**–**	**309,988**	**309,988**	**–**	**391,552**	**391,552**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	261,896	261,896	–	309,693	309,693	–	309,693	309,693	–	391,345	391,345
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**7,453**	**7,453**	**–**	**28,868**	**28,868**	**–**	**38,402**	**38,402**	**–**	**17,734**	**17,734**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	7,453	7,453	–	28,868	28,868	–	38,402	38,402	–	17,734	17,734

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**274,195**	**1,716,423**	**1,990,618**	**379,038**	**1,827,094**	**2,206,132**	**347,710**	**1,813,410**	**2,161,120**	**373,923**	**2,029,511**	**2,403,434**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**270,510**	**854,761**	**1,125,271**	**373,267**	**940,415**	**1,313,682**	**341,698**	**924,609**	**1,266,307**	**371,605**	**1,007,406**	**1,379,011**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**114,200**	**600,574**	**714,774**	**178,852**	**676,024**	**854,876**	**153,295**	**656,587**	**809,882**	**169,474**	**702,913**	**872,387**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	39,177	355,832	395,009	70,577	429,960	500,537	64,803	405,463	470,266	53,314	443,038	496,352
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	10,638	78,655	89,293	21,186	84,544	105,730	16,121	84,754	100,875	21,763	89,764	111,527
3. परिवार कल्याण	13,221	2,382	15,603	17,188	2,682	19,870	15,975	2,577	18,552	16,775	2,716	19,491
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	956	84,269	85,225	75	79,698	79,773	68	83,885	83,953	79	84,616	84,695
5. आवास निर्माण	3,004	1,982	4,986	3,005	2,108	5,113	62	2,285	2,347	–	1,848	1,848
6. शहरी विकास	6,113	5,980	12,093	6,867	7,495	14,362	4,553	7,541	12,094	15,065	7,333	22,398
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	14,208	3,396	17,604	18,008	3,686	21,694	20,181	3,642	23,823	20,369	3,761	24,130
8. श्रम और श्रम कल्याण	252	4,081	4,333	862	4,434	5,296	228	4,477	4,705	492	4,689	5,181
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,445	14,639	17,084	2,782	17,133	19,915	3,176	17,621	20,797	4,974	18,807	23,781
10. पौष्टिक आहार	24,169	106	24,275	37,772	112	37,884	27,604	118	27,722	36,630	123	36,753
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	47,065	47,065	500	41,842	42,342	500	41,788	42,288	–	43,873	43,873
12. अन्य*	17	2,187	2,204	30	2,330	2,359	24	2,436	2,460	13	2,345	2,358
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**156,310**	**254,187**	**410,497**	**194,415**	**264,391**	**458,806**	**188,403**	**268,022**	**456,425**	**202,131**	**304,493**	**506,624**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	16,167	46,054	62,221	36,205	49,298	85,503	40,782	49,739	90,521	30,574	52,132	82,706
i) फसल कार्य	5,490	10,714	16,204	17,044	10,996	28,040	26,393	11,442	37,835	15,928	12,033	27,961
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	6,313	1,791	8,104	9,827	1,972	11,799	6,361	1,951	8,312	6,445	2,009	8,454
iii) पशु पालन	1,496	11,360	12,856	2,353	12,370	14,723	2,372	12,820	15,192	2,159	13,485	15,644
iv) डेरी विकास	92	–	92	93	–	93	206	–	206	–	–	–
v) मत्स्य पालन	44	676	720	76	719	795	115	718	833	151	748	899
vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,010	13,656	15,666	4,956	14,707	19,663	3,554	14,389	17,943	5,025	15,322	20,347
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	-16	–	-16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	497	5,353	5,850	770	5,456	6,226	770	5,507	6,277	670	5,462	6,132
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	241	2,256	2,497	1,086	2,795	3,881	1,006	2,637	3,643	196	2,780	2,976
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	248	248	–	283	283	5	275	280	–	293	293
2. ग्रामीण विकास	49,531	41,641	91,172	53,182	40,957	94,139	56,708	39,874	96,582	76,071	42,570	118,641
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-4	–	-4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,891	87,249	89,140	1,949	89,498	91,447	1,907	92,895	94,802	1,974	97,393	99,367
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	879	75,491	76,370	991	79,639	80,630	990	82,976	83,966	984	87,328	88,312
ii) लघु सिंचाई	128	6,561	6,689	35	6,378	6,413	114	6,458	6,572	55	6,605	6,660
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. ऊर्जा	70,527	48,031	118,558	49,729	58,387	108,116	46,644	53,355	99,999	43,909	63,296	107,205
जिसमें से : बिजली	70,498	48,031	118,529	49,685	58,387	108,072	46,604	53,355	99,959	43,865	63,296	107,161
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	485	5,528	6,013	3,736	5,979	9,715	3,548	6,006	9,554	3,613	6,164	9,777
i) ग्राम और लघु उद्योग	855	1,041	1,896	2,437	1,077	3,514	2,233	1,092	3,325	1,628	1,134	2,762
ii) उद्योग @	1,030	4,487	5,517	1,299	4,902	6,201	1,315	4,914	6,229	1,985	5,030	7,015
iii) अन्य **	-1,400	–	-1,400	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	6,787	21,088	27,875	26,787	15,076	41,863	26,000	20,778	46,778	32,116	36,864	68,980
i) सड़क और पुल	6,787	20,157	26,944	26,787	15,076	41,863	26,000	19,716	45,716	32,116	36,864	68,980
ii) अन्य @@	–	931	931	–	–	–	–	1,062	1,062	–	–	–
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	229	233	462	351	252	603	311	248	559	279	258	537
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	10,697	4,363	15,060	22,476	4,944	27,420	12,503	5,127	17,630	13,595	5,815	19,410
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	8,719	840	9,559	18,481	942	19,423	8,473	890	9,363	9,522	951	10,473
ii) पर्यटन	1,132	236	1,368	1,880	259	2,139	1,791	260	2,051	1,911	281	2,192
iii) नागरिक आपूर्ति	618	2,174	2,792	1,259	2,504	3,763	913	2,780	3,693	751	3,371	4,122
iv) अन्य +	228	1,113	1,341	856	1,239	2,096	1,326	1,197	2,523	1,411	1,212	2,623
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,685**	**861,536**	**865,221**	**5,771**	**886,389**	**892,160**	**6,012**	**888,672**	**894,684**	**2,318**	**1,022,092**	**1,024,410**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**1,140**	**19,721**	**20,861**	**947**	**18,877**	**19,824**	**1,517**	**20,620**	**22,137**	**1,100**	**20,023**	**21,123**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**615**	**42,414**	**43,029**	**3,732**	**45,710**	**49,442**	**1,437**	**42,937**	**44,374**	**610**	**45,528**	**46,138**
i) कर और शुल्क वसूली	615	31,309	31,924	3,732	34,567	38,299	1,437	35,292	36,729	610	38,542	39,152
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	11,105	11,105	–	11,143	11,143	–	7,645	7,645	–	6,986	6,986
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**517,200**	**517,200**	**–**	**531,927**	**531,927**	**–**	**522,552**	**522,552**	**–**	**580,225**	**580,225**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	517,200	517,200	–	531,927	531,927	–	522,552	522,552	–	580,225	580,225
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	270,310	270,310	–	66,738	66,738	–	62,588	62,588	–	64,438	64,438
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	147,629	147,629	–	354,393	354,393	–	350,984	350,984	–	395,799	395,799
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	119,954	119,954	–	131,457	131,457	–	128,775	128,775	–	140,261	140,261
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	202,329	202,329	–	202,370	202,370	–	235,271	235,271
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	94,498	94,498	–	105,074	105,074	–	105,374	105,374	–	116,033	116,033
iv) अन्य	–	4,763	4,763	–	5,722	5,722	–	3,606	3,606	–	3,955	3,955
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,930**	**118,148**	**120,078**	**1,092**	**126,691**	**127,783**	**3,058**	**132,155**	**135,213**	**608**	**142,122**	**142,730**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	5	4,503	4,508	25	4,811	4,836	37	5,280	5,317	5	5,526	5,531
ii) जिला प्रशासन	23	11,529	11,552	527	12,457	12,984	199	12,607	12,806	90	13,218	13,308
iii) पुलिस	1,640	81,480	83,120	316	87,027	87,343	2,545	86,775	89,320	319	91,946	92,265
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	159	3,713	3,872	170	5,498	5,668	185	8,240	8,425	150	13,243	13,393
v) अन्य ++	103	16,923	17,026	54	16,898	16,952	92	19,253	19,345	44	18,189	18,233
उ. पेन्शन	**–**	**162,606**	**162,606**	**–**	**161,912**	**161,912**	**–**	**168,981**	**168,981**	**–**	**232,819**	**232,819**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**1,447**	**1,447**	**–**	**1,272**	**1,272**	**–**	**1,427**	**1,427**	**–**	**1,375**	**1,375**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**126**	**126**	**–**	**290**	**290**	**–**	**129**	**129**	**–**	**13**	**13**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	126	126	–	290	290	–	129	129	–	13	13

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**23,802**	**148,547**	**172,349**	**31,367**	**145,913**	**177,280**	**35,209**	**146,129**	**181,338**	**35,549**	**156,717**	**192,266**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**23,363**	**34,923**	**58,286**	**30,253**	**30,895**	**61,148**	**33,375**	**31,111**	**64,486**	**34,289**	**33,541**	**67,830**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**13,617**	**17,048**	**30,665**	**14,330**	**17,891**	**32,221**	**15,920**	**18,576**	**34,496**	**15,492**	**20,301**	**35,793**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,727	10,313	16,040	6,439	11,338	17,777	8,268	11,337	19,605	7,523	12,190	19,713
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,281	2,565	4,846	1,474	3,036	4,510	1,624	3,036	4,660	1,496	3,113	4,609
3. परिवार कल्याण	509	–	509	549	–	549	549	–	549	546	–	546
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	598	626	1,224	695	648	1,343	762	648	1,410	772	636	1,408
5. आवास निर्माण	1,579	755	2,334	1,800	760	2,560	1,337	760	2,097	961	814	1,775
6. शहरी विकास	437	222	659	350	264	614	398	264	662	755	306	1,061
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	534	60	594	679	69	748	732	70	802	878	451	1,329
8. श्रम और श्रम कल्याण	45	70	115	63	82	145	73	82	155	70	85	155
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,052	221	1,273	1,341	254	1,595	1,357	254	1,611	1,415	278	1,693
10. पौष्टिक आहार	626	31	657	700	33	733	568	33	601	569	44	613
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	1,840	1,840	10	850	860	12	1,535	1,547	228	1,814	2,042
12. अन्य*	229	345	574	230	557	787	240	557	797	279	570	849
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**9,746**	**17,875**	**27,621**	**15,923**	**13,004**	**28,927**	**17,455**	**12,535**	**29,990**	**18,797**	**13,240**	**32,037**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	4,184	4,486	8,670	4,165	4,932	9,097	5,229	4,931	10,160	5,015	4,962	9,977
i) फसल कार्य	680	959	1,639	1,143	1,062	2,205	1,227	1,062	2,289	1,095	1,114	2,209
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	115	246	361	130	249	379	138	249	387	120	282	402
iii) पशु पालन	597	518	1,115	565	573	1,138	608	573	1,181	713	671	1,384
iv) डेरी विकास	428	16	444	352	18	370	352	18	370	550	20	570
v) मत्स्य पालन	35	130	144	40	132	172	44	132	176	36	148	184
vi) वानिकी और वन्यजीवन	778	1,092	1,870	613	1,098	1,711	816	1,098	1,914	1,255	1,178	2,433
vii) बागान	–	252	252	–	278	278	–	278	278	–	278	278
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	238	1,032	1,270	227	1,245	1,472	227	1,244	1,471	246	882	1,128
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	76	–	76	69	–	69	69	–	69	27	–	27
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	347	241	588	264	277	541	264	277	541	218	389	607
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	890	–	890	762	–	762	1,484	–	1,484	755	–	755
2. ग्रामीण विकास	1,347	226	1,573	3,037	160	3,197	3,255	161	3,416	3,424	328	3,752
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	161	–	161	900	–	900	900	–	900	900	–	900
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	541	135	676	981	142	1,123	1,003	142	1,145	1,663	145	1,808
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	336	124	460	401	134	535	423	134	557	772	137	909
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	206	11	217	575	8	583	575	8	583	886	7	893
5. ऊर्जा	1,240	7,980	9,220	684	3,204	3,888	984	3,204	4,188	1,905	3,167	5,072
जिसमें से : बिजली	1,210	7,980	9,190	654	3,204	3,858	954	3,204	4,158	1,862	3,166	5,028
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	555	410	965	896	469	1,365	2,064	469	2,533	1,817	419	2,236
i) ग्राम और लघु उद्योग	374	327	701	546	382	928	571	382	953	568	325	893
ii) उद्योग @	181	83	264	260	–	260	1,493	87	1,580	1,249	94	1,343
iii) अन्य **	–	–	–	90	87	177	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	725	4,449	5,174	1,705	3,869	5,574	1,712	3,400	5,112	1,841	3,932	5,773
i) सड़क और पुल	620	1,696	2,316	1,627	1,596	3,223	1,627	1,596	3,223	1,747	2,339	4,086
ii) अन्य @@	105	2,753	2,858	78	2,273	2,351	85	1,804	1,889	94	1,593	1,687
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	97	–	97	108	–	108	110	–	110	170	–	170
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	896	189	1,085	3,447	228	3,675	2,198	228	2,426	2,062	287	2,349
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	181	20	201	2,725	23	2,748	1,367	23	1,390	1,136	25	1,161
ii) पर्यटन	408	101	573	510	120	630	510	120	630	518	149	667
iii) नागरिक आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	29
iv) अन्य +	307	68	375	212	85	297	321	85	406	408	84	492
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**439**	**113,624**	**114,063**	**1,114**	**115,018**	**116,132**	**1,834**	**115,018**	**116,852**	**1,260**	**123,176**	**124,436**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**–**	**1,873**	**1,873**	**–**	**1,690**	**1,690**	**–**	**1,690**	**1,690**	**–**	**2,056**	**2,056**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**7**	**668**	**675**	**8**	**888**	**896**	**8**	**888**	**896**	**8**	**1,561**	**1,569**
i) कर और शुल्क वसूली	7	668	675	8	888	896	8	888	896	8	1,561	1,569
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**11,019**	**11,019**	**–**	**11,028**	**11,028**	**–**	**11,028**	**11,028**	**–**	**12,634**	**12,634**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,173	1,173
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	9,919	9,919	–	9,928	9,928	–	9,928	9,928	–	11,461	11,461
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	3,265	3,265	–	3,396	3,396	–	3,396	3,396	–	3,887	3,887
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	4,504	4,504	–	4,452	4,452	–	4,452	4,452	–	5,324	5,324
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	3,471	3,471	–	3,400	3,400	–	3,400	3,400	–	4,418	4,418
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	2,150	2,150	–	2,080	2,080	–	2,080	2,080	–	2,250	2,250
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**432**	**8,646**	**9,078**	**1,106**	**9,350**	**10,456**	**1,779**	**9,350**	**11,129**	**1,252**	**10,825**	**12,077**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	927	927	–	887	887	–	887	887	15	952	967
ii) जिला प्रशासन	–	315	315	–	358	358	–	358	358	–	391	391
iii) पुलिस	213	5,317	5,530	15	5,944	5,959	687	5,944	6,631	–	6,314	6,314
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	-33	573	540	120	575	695	120	575	695	137	1,494	1,631
v) अन्य ++	252	1,514	1,766	971	1,586	2,557	972	1,586	2,558	1,100	1,674	2,774
उ. पेन्शन	**–**	**3,077**	**3,077**	**–**	**3,223**	**3,223**	**47**	**3,223**	**3,270**	**–**	**4,259**	**4,259**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**88,341**	**88,341**	**–**	**88,839**	**88,839**	**–**	**88,839**	**88,839**	**–**	**91,841**	**91,841**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	88,111	88,111	–	88,527	88,527	–	88,527	88,527	–	91,329	91,329
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*
तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**390,349**	**2,525,138**	**2,915,487**	**452,043**	**2,713,509**	**3,165,552**	**538,116**	**2,788,297**	**3,326,413**	**663,510**	**3,322,571**	**3,986,081**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**368,376**	**1,145,308**	**1,513,684**	**434,955**	**1,187,708**	**1,622,663**	**499,218**	**1,277,161**	**1,776,379**	**632,133**	**1,559,034**	**2,191,167**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**245,011**	**723,265**	**968,276**	**299,574**	**769,410**	**1,068,984**	**356,886**	**837,364**	**1,194,250**	**499,334**	**898,976**	**1,398,310**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	25,334	434,394	459,728	30,294	489,005	519,299	31,571	489,691	521,262	43,608	598,659	642,267
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	15,057	96,073	111,130	22,126	99,024	121,150	20,987	98,010	118,997	24,704	125,366	150,070
3. परिवार कल्याण	18,234	1,052	19,286	27,419	1,149	28,568	26,907	1,108	28,015	26,377	1,986	28,363
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	9,157	9,160	18,317	10,148	505	10,653	6,564	534	7,098	8,063	1,779	9,842
5. आवास निर्माण	5,907	3,055	8,962	10,094	2,981	13,075	9,885	4,095	13,980	46,387	3,276	49,663
6. शहरी विकास	11,077	1,933	13,010	13,222	1,401	14,623	24,111	1,259	25,370	57,605	3,675	61,280
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	36,717	24,421	61,138	35,320	27,418	62,738	52,726	26,593	79,319	52,770	31,407	84,177
8. श्रम और श्रम कल्याण	285	9,966	10,251	1,008	11,788	12,796	872	12,523	13,395	1,181	13,656	14,837
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	55,185	37,595	92,780	76,565	20,681	97,246	101,141	21,233	122,374	144,116	23,703	167,819
10. पौष्टिक आहार	67,858	914	68,772	73,197	1,046	74,243	81,898	974	82,872	94,356	1,190	95,546
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	100,680	100,680	–	108,600	108,600	–	175,643	175,643	–	12,679	12,679
12. अन्य*	200	4,022	4,222	181	5,812	5,993	224	5,701	5,925	167	81,600	81,767
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**123,365**	**422,043**	**545,408**	**135,381**	**418,298**	**553,679**	**142,332**	**439,797**	**582,129**	**132,799**	**660,058**	**792,857**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	39,685	89,432	129,117	35,465	87,146	122,611	41,197	87,793	128,990	42,525	131,374	173,899
i) फसल कार्य	8,513	50,328	58,841	12,604	43,244	55,848	13,701	41,688	55,389	12,172	77,886	90,058
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	9,472	845	10,317	8,394	976	9,370	8,777	921	9,698	9,502	1,073	10,575
iii) पशु पालन	1,648	10,253	11,901	1,041	11,642	12,683	1,654	11,210	12,864	2,205	14,055	16,260
iv) डेरी विकास	117	1,020	1,137	60	1,154	1,214	343	2,018	2,361	498	1,296	1,794
v) मत्स्य पालन	3,838	1,291	5,129	4,316	1,441	5,757	5,050	1,391	6,441	5,798	1,682	7,480
vi) वानिकी और वन्यजीवन	3,006	7,461	10,467	3,602	7,318	10,920	4,579	7,307	11,886	4,646	8,758	13,404
vii) बागान	116	–	116	1	–	1	1	–	1	2	–	2
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5,050	4,229	9,279	5,045	6,414	11,459	5,087	6,711	11,798	5,671	7,217	12,888
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	7,900	10,760	18,660	383	11,308	11,691	1,985	13,042	15,027	1,988	15,244	17,232
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	25	3,245	3,270	19	3,649	3,668	20	3,505	3,525	43	4,163	4,206
2. ग्रामीण विकास	40,371	15,233	55,604	45,888	15,031	60,919	44,512	13,780	58,292	51,163	19,841	71,004
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,580	53	1,633	704	56	760	870	60	930	716	72	788
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	8,156	48,814	56,970	7,295	46,240	53,535	5,408	43,749	49,157	6,151	47,415	53,566
जिसमें से :			–			–						
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	3,626	43,209	46,835	3,361	42,029	45,390	3,103	39,376	42,479	3,738	42,501	46,239
ii) लघु सिंचाई	585	5,165	5,750	572	4,036	4,608	598	4,088	4,686	562	4,625	5,187
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	440	440	–	176	176	–	285	285	–	289	289
5. ऊर्जा	97	106,345	106,442	5,968	102,599	108,567	1,906	93,464	95,370	2,148	118,089	120,237
जिसमें से : बिजली	–	106,344	106,344	5,836	102,599	108,435	1,772	93,464	95,236	2,000	118,089	120,089
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	16,362	8,076	24,438	21,726	8,725	30,451	27,624	8,473	36,097	21,816	19,373	41,189
i) ग्राम और लघु उद्योग	14,411	7,419	21,830	16,762	7,799	24,561	24,453	7,336	31,789	16,328	15,836	32,164
ii) उद्योग @	245	657	902	3,444	926	4,370	2,926	1,137	4,063	4,988	3,537	8,525
iii) अन्य **	1,706	–	1,706	1,520	–	1,520	245	–	245	500	–	500

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	14,244	49,570	63,814	15,111	49,350	64,461	15,303	49,136	64,439	2,229	82,146	84,375
i) सड़क और पुल	14,244	49,446	63,690	15,111	49,313	64,424	15,303	49,094	64,397	2,229	82,031	84,260
ii) अन्य @@	–	124	124	–	37	37	–	42	42	–	115	115
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	614	44	658	650	57	707	1,246	50	1,296	1,909	63	1,972
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,256	104,476	106,732	2,574	109,094	111,668	4,266	143,292	147,558	4,142	241,685	245,827
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	534	2,010	2,544	527	2,171	2,698	363	2,140	2,503	613	2,492	3,105
ii) पर्यटन	1,255	400	1,655	1,306	499	1,805	2,706	435	3,141	2,705	500	3,205
iii) नागरिक आपूर्ति	23	99,010	99,033	23	103,038	103,061	73	137,426	137,499	33	234,516	234,549
iv) अन्य +	444	3,056	3,500	718	3,386	4,104	1,124	3,291	4,415	791	4,177	4,968
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,669**	**1,202,157**	**1,205,826**	**3,766**	**1,370,718**	**1,374,484**	**6,058**	**1,339,501**	**1,345,559**	**2,537**	**1,548,289**	**1,550,826**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**466**	**22,670**	**23,136**	**–**	**23,126**	**23,126**	**526**	**27,777**	**28,303**	**546**	**39,139**	**39,685**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**1,839**	**62,125**	**63,964**	**1,826**	**74,999**	**76,825**	**3,129**	**68,924**	**72,053**	**554**	**79,527**	**80,081**
i) कर और शुल्क वसूली	1,839	54,572	56,411	1,826	68,363	70,189	3,129	61,368	64,497	554	71,930	72,484
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	7,553	7,553	–	6,636	6,636	–	7,556	7,556	–	7,597	7,597
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**520,549**	**520,549**	**–**	**566,111**	**566,111**	**–**	**510,129**	**510,129**	**–**	**579,881**	**579,881**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	45,000	45,000	–	35,000	35,000	–	40,600	40,600	–	45,000	45,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	475,549	475,549	–	531,111	531,111	–	469,529	469,529	–	534,881	534,881
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	112,459	112,459	–	97,767	97,767	–	51,373	51,373	–	50,670	50,670
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	283,578	283,578	–	352,289	352,289	–	345,172	345,172	–	411,141	411,141
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	112,643	112,643	–	123,812	123,812	–	119,808	119,808	–	129,589	129,589
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज		105,199	105,199	–	161,387	161,387	–	161,387	161,387	–	218,594	218,594
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	54,101	54,101	–	64,616	64,616	–	56,529	56,529	–	59,938	59,938
iv) अन्य	–	25,411	25,411	–	16,440	16,440	–	16,455	16,455	–	13,132	13,132
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**1,364**	**199,632**	**200,996**	**1,940**	**221,918**	**223,858**	**2,403**	**230,585**	**232,988**	**1,437**	**276,107**	**277,544**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	73	5,637	5,710	1,167	5,796	6,963	1,100	6,297	7,397	373	6,905	7,278
ii) जिला प्रशासन	545	34,356	34,901	–	41,244	41,244	–	38,630	38,630	–	51,843	51,843
iii) पुलिस	30	114,553	114,583	–	122,279	122,279	–	127,730	127,730	–	146,787	146,787
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	12,926	12,926	–	15,992	15,992		19,928	19,928	–	27,557	27,557
v) अन्य ++	716	32,160	32,876	773	36,607	37,381	1,303	38,000	39,303	1,064	43,015	44,079
उ. पेन्शन	**–**	**390,247**	**390,247**	**–**	**481,925**	**481,925**	**–**	**468,198**	**468,198**	**–**	**567,612**	**567,612**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**6,934**	**6,934**	**–**	**2,639**	**2,639**	**–**	**33,888**	**33,888**	**–**	**6,023**	**6,023**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	84	84	–	–	–	–	–	–	–	1	1
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**18,304**	**177,673**	**195,977**	**13,322**	**155,082**	**168,405**	**32,840**	**171,635**	**204,475**	**28,840**	**215,248**	**244,088**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	18,304	177,673	195,977	13,322	155,082	168,405	32,840	171,635	204,475	28,840	215,248	244,088

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**34,110**	**184,153**	**218,263**	**41,504**	**226,562**	**268,066**	**48,544**	**207,602**	**256,146**	**50,659**	**225,640**	**276,299**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**30,378**	**91,463**	**121,841**	**37,347**	**99,213**	**136,560**	**44,361**	**98,659**	**143,020**	**46,932**	**94,262**	**141,194**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**23,041**	**56,496**	**79,537**	**27,387**	**62,055**	**89,442**	**31,553**	**62,285**	**93,838**	**32,366**	**66,361**	**98,727**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,915	44,386	50,301	6,636	48,095	54,731	5,806	48,041	53,847	6,362	52,022	58,384
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,084	6,231	8,315	3,110	6,839	9,949	2,647	6,882	9,529	3,193	7,422	10,615
3. परिवार कल्याण	1,004	–	1,004	1,219	–	1,219	1,220	–	1,220	1,332	–	1,332
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	717	486	1,203	474	855	1,329	478	898	1,376	512	987	1,499
5. आवास निर्माण	–	174	174	–	1,401	1,401	–	1,189	1,189	–	600	600
6. शहरी विकास	1,298	39	1,337	1,647	55	1,702	5,220	123	5,343	4,644	53	4,697
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	6,728	783	7,511	7,186	1,127	8,313	8,958	1,344	10,302	7,663	1,167	8,830
8. श्रम और श्रम कल्याण	100	480	580	119	532	651	171	540	711	164	593	757
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,912	1,843	4,755	4,020	1,790	5,810	4,740	1,789	6,529	6,563	1,764	8,327
10. पौष्टिक आहार	1,909	88	1,997	2,578	99	2,677	1,910	90	2,000	1,487	99	1,586
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	1,409	1,409	–	632	632	–	724	724	–	937	937
12. अन्य*	374	577	951	398	630	1,028	403	665	1,068	446	717	1,163
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**7,337**	**34,967**	**42,304**	**9,960**	**37,158**	**47,118**	**12,808**	**36,374**	**49,182**	**14,566**	**27,901**	**42,467**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	2,079	10,822	12,901	3,121	11,964	15,085	4,737	11,626	16,363	6,200	12,573	18,773
i) फसल कार्य	952	4,202	5,154	1,586	4,513	6,099	2,515	4,497	7,012	3,235	4,862	8,097
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	77	529	606	182	613	795	165	548	713	178	591	769
iii) पशु पालन	178	1,929	2,107	290	2,116	2,406	336	2,035	2,371	402	2,212	2,614
iv) डेरी विकास	1	89	90	1	105	106	6	116	122	16	127	143
v) मत्स्य पालन	375	827	1,202	473	900	1,373	550	854	1,404	1,003	923	1,926
vi) वानिकी और वन्यजीवन	409	2,093	2,502	417	2,472	2,889	990	2,307	3,297	1,099	2,511	3,610
vii) बागान	6	–	6	7	–	7	10	–	10	14	–	14
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	3	588	591	50	629	679	50	658	708	60	688	748
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	4	–	4	12	–	12	20	–	20	80	–	80
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	74	565	639	103	616	719	95	611	706	113	659	772
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	3,960	3,249	7,209	4,511	3,284	7,795	5,359	3,289	8,648	5,625	3,501	9,126
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	214	–	214	612	–	612	397	–	397	344	–	344
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	56	1,086	1,142	68	2,505	2,573	71	2,460	2,531	72	2,608	2,680
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	56	529	585	68	1,852	1,920	71	1,883	1,954	72	1,985	2,057
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	557	557	–	653	653	–	577	577	–	623	623
5. ऊर्जा	4	15,616	15,620	2	12,519	12,521	2	11,922	11,924	4	120	124
जिसमें से : बिजली	–	15,582	15,582	–	12,482	12,482	–	11,886	11,886	–	78	78
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	667	1,114	1,781	1,035	1,276	2,311	1,596	1,272	2,868	1,482	1,365	2,847
i) ग्राम और लघु उद्योग	577	1,099	1,676	1,035	1,250	2,285	1,366	1,250	2,616	1,140	1,336	2,476
ii) उद्योग @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अन्य **	90	15	105	–	26	26	230	22	252	342	29	371

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	11	2,502	2,513	25	4,928	4,953	16	4,967	4,983	21	6,769	6,790
i) सड़क और पुल	–	1,715	1,715	–	4,100	4,100	–	4,004	4,004	–	5,741	5,741
ii) अन्य @@	11	787	798	25	828	853	16	963	979	21	1,028	1,049
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	42	41	83	67	46	113	106	45	151	111	48	159
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	304	537	841	519	636	1,155	524	793	1,317	707	917	1,624
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	9	114	123	214	128	342	212	121	333	352	131	483
ii) पर्यटन	99	20	119	111	21	132	106	24	130	116	36	152
iii) नागरिक आपूर्ति	171	118	289	147	143	290	145	316	461	171	393	564
iv) अन्य +	25	285	310	47	344	391	61	332	393	68	357	425
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**100**	**92,690**	**92,790**	**193**	**127,349**	**127,542**	**264**	**108,943**	**109,207**	**299**	**131,378**	**131,677**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**28**	**2,394**	**2,422**	**36**	**2,485**	**2,521**	**51**	**2,454**	**2,505**	**85**	**2,572**	**2,657**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**13**	**1,564**	**1,577**	**23**	**1,810**	**1,833**	**26**	**1,782**	**1,808**	**41**	**1,968**	**2,009**
i) कर और शुल्क वसूली	13	1,485	1,498	23	1,721	1,744	26	1,692	1,718	41	1,869	1,910
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	79	79	–	89	89	–	90	90	–	99	99
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**35,582**	**35,582**	**–**	**34,985**	**34,985**	**–**	**37,473**	**37,473**	**–**	**38,169**	**38,169**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	35,582	35,582	–	34,985	34,985	–	37,473	37,473	–	38,169	38,169
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	7,478	7,478	–	6,217	6,217	–	6,697	6,697	–	6,556	6,556
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	19,404	19,404	–	18,221	18,221	–	21,059	21,059	–	20,983	20,983
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	8,150	8,150	–	7,450	7,450	–	8,485	8,485	–	8,778	8,778
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	6,302	6,302	–	6,069	6,069	–	7,708	7,708	–	8,500	8,500
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	8,700	8,700	–	10,547	10,547	–	9,717	9,717	–	10,630	10,630
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**59**	**31,046**	**31,105**	**134**	**62,078**	**62,212**	**187**	**41,242**	**41,429**	**173**	**60,668**	**60,841**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	1,397	1,397	–	1,706	1,706	–	1,542	1,542	–	1,696	1,696
ii) जिला प्रशासन	–	1,277	1,277	7	1,458	1,465	52	2,121	2,173	17	1,890	1,907
iii) पुलिस	–	22,122	22,122	–	26,425	26,425	–	26,662	26,662	–	28,059	28,059
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	27	2,491	2,518	71	8,655	8,726	71	6,637	6,708	85	7,741	7,826
v) अन्य ++	32	3,759	3,791	56	23,834	23,890	64	4,280	4,344	71	21,282	21,353
उ. पेन्शन	**–**	**22,104**	**22,104**	**–**	**25,990**	**25,990**	**–**	**25,991**	**25,991**	**–**	**28,000**	**28,000**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**		**1**	**1**		**1**	**1**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**3,632**	**–**	**3,632**	**3,964**	**–**	**3,964**	**3,919**	**–**	**3,919**	**3,428**	**–**	**3,428**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	3,632	–	3,632	3,964	–	3,964	3,919	–	3,919	3,428	–	3,428

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तरांचल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**114,949**	**388,624**	**503,573**	**172,507**	**471,346**	**643,853**	**199,502**	**482,543**	**682,045**	**231,576**	**528,048**	**759,624**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**111,802**	**187,552**	**299,354**	**171,968**	**228,175**	**400,143**	**198,958**	**234,098**	**433,056**	**231,278**	**250,448**	**481,726**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**55,504**	**134,951**	**190,455**	**83,232**	**166,244**	**249,476**	**108,009**	**170,300**	**278,310**	**145,874**	**172,175**	**318,048**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15,940	96,729	112,669	22,841	111,764	134,605	27,566	111,838	139,404	35,605	116,795	152,400
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,614	15,086	17,700	6,543	20,832	27,374	11,097	21,864	32,961	10,325	26,022	36,347
3. परिवार कल्याण	2,106	–	2,106	3,027	–	3,027	3,059	–	3,059	3,206	–	3,206
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	22,882	9,000	31,882	20,027	12,000	32,027	23,042	12,000	35,042	24,948	5,000	29,948
5. आवास निर्माण	–	241	241	–	260	260	–	260	260	–	260	260
6. शहरी विकास	3,169	210	3,379	15,209	339	15,549	23,690	342	24,032	48,960	322	49,282
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	2,633	3,127	5,760	6,435	3,999	10,434	6,852	4,915	11,767	6,341	4,612	10,953
8. श्रम और श्रम कल्याण	543	1,579	2,121	1,178	1,996	3,174	1,658	2,026	3,684	4,845	2,168	7,013
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5,386	2,958	8,344	7,566	3,916	11,481	9,850	5,326	15,175	11,082	5,649	16,731
10. पौष्टिक आहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. प्राकृतिक आपदा राहत	37	4,555	4,592	40	9,524	9,564	40	10,012	10,052	65	9,494	9,559
12. अन्य*	194	1,467	1,661	366	1,615	1,981	1,156	1,718	2,874	496	1,854	2,350
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**56,298**	**52,601**	**108,900**	**88,736**	**61,931**	**150,667**	**90,949**	**63,797**	**154,747**	**85,404**	**78,274**	**163,677**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	19,764	25,088	44,852	24,430	27,587	52,017	29,064	28,886	57,949	37,058	31,433	68,491
i) फसल कार्य	7,824	6,091	13,914	9,392	6,661	16,053	9,742	6,681	16,423	10,710	7,515	18,225
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	577	–	577	555	–	555	659	–	659	535	–	535
iii) पशु पालन	368	2,707	3,075	1,033	3,111	4,144	1,058	3,111	4,170	1,418	3,269	4,687
iv) डेरी विकास	618	152	770	790	188	978	796	188	984	814	205	1,019
v) मत्स्य पालन	153	110	263	296	137	433	308	141	448	197	159	357
vi) वानिकी और वन्यजीवन	7,502	10,467	17,969	10,896	11,485	22,381	13,377	12,220	25,597	18,395	13,362	31,756
vii) बागान	–	–	–	–	25	25	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	968	968	–	1,244	1,244	–	1,244	1,244	–	1,325	1,325
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,292	4,105	6,397	829	4,093	4,922	1,011	4,658	5,669	3,475	4,886	8,361
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	430	488	918	639	643	1,282	2,114	643	2,757	1,513	712	2,225
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	11,652	6,337	17,990	19,575	8,389	27,964	24,800	8,623	33,424	22,326	9,007	31,333
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,052	14,304	15,355	1,515	17,658	19,173	1,515	17,913	19,428	1,608	18,390	19,997
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	7	10,440	10,447	50	13,018	13,068	50	13,002	13,052	–	13,357	13,357
ii) लघु सिंचाई	912	3,574	4,486	1,110	4,351	2,839	1,111	4,621	5,732	1,108	4,743	5,851
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	290	290	–	290	290	–	290	290	–	290	290
5. ऊर्जा	7,876	86	7,962	20,125	195	20,320	20,126	195	20,320	4,741	192	4,933
जिसमें से : बिजली	6,584	3	6,588	18,611	60	18,671	18,611	60	18,671	3,500	42	3,542
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	2,416	848	3,264	2,510	1,192	3,702	2,710	1,197	3,907	2,934	1,294	4,228
i) ग्राम और लघु उद्योग	2,409	679	3,088	2,369	964	3,333	2,569	964	3,533	2,901	1,041	3,942
ii) उद्योग @	7	168	176	141	228	369	141	232	373	33	253	286
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तरांचल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	229	5,096	5,325	1,800	5,803	7,603	2,997	5,815	8,812	2,762	16,747	19,509
i) सड़क और पुल	229	4,437	4,666	1,800	4,601	6,401	2,997	4,601	7,598	2,762	12,824	15,586
ii) अन्य @@	–	659	659	–	1,202	1,202	–	1,214	1,214	–	3,923	3,923
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	100	63	163	600	–	600	1,700	–	1,700	3,885	–	3,885
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	13,208	780	13,988	18,181	1,107	19,288	8,038	1,169	9,207	10,090	1,211	11,301
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	12,062	64	12,126	16,851	119	16,970	6,496	119	6,615	7,900	116	8,016
ii) पर्यटन	1,106	213	1,318	1,191	298	1,489	1,341	298	1,639	2,112	317	2,429
iii) नागरिक आपूर्ति	–	123	123	15	214	229	15	214	229	15	220	235
iv) अन्य +	41	380	421	124	476	600	186	537	723	63	558	621
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**3,147**	**186,928**	**190,075**	**539**	**226,833**	**227,372**	**544**	**231,142**	**231,686**	**299**	**256,271**	**256,569**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**76**	**6,448**	**6,523**	**–**	**7,021**	**7,021**	**–**	**7,057**	**7,057**	**10**	**10,382**	**10,392**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**51**	**10,410**	**10,461**	**219**	**14,328**	**14,547**	**224**	**14,538**	**14,762**	**267**	**14,808**	**15,075**
i) कर और शुल्क वसूली	51	10,270	10,321	219	14,092	14,311	224	14,302	14,525	267	14,582	14,849
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	141	141	–	236	236	–	236	236	–	226	226
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**94,058**	**94,058**	**–**	**97,633**	**97,633**	**–**	**103,153**	**103,153**	**–**	**114,125**	**114,125**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	12,500	12,500	–	8,500	8,500	–	14,500	14,500	–	13,500	13,500
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	81,558	81,558	–	89,133	89,133	–	88,653	88,653	–	100,625	100,625
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	3,111	3,111	–	6,364	6,364	–	6,364	6,364	–	3,800	3,800
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	62,615	62,615	–	64,122	64,122	–	63,642	63,642	–	77,211	77,211
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	39,142	39,142	–	26,310	26,310	–	26,310	26,310	–	27,951	27,951
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	22,243	22,243	–	30,100	30,100	–	30,100	30,100	–	40,000	40,000
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	8,928	8,928	–	11,820	11,820	–	11,820	11,820	–	12,582	12,582
iv) अन्य	–	6,905	6,905	–	6,827	6,827	–	6,827	6,827	–	7,033	7,033
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**3,021**	**40,570**	**43,590**	**320**	**57,201**	**57,521**	**320**	**55,745**	**56,065**	**22**	**64,531**	**64,553**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	2,656	2,656	300	5,972	6,272	300	3,952	4,252	–	4,711	4,711
ii) जिला प्रशासन	–	2,623	2,623	–	3,819	3,819	–	3,842	3,842	–	4,067	4,067
iii) पुलिस	184	22,172	22,356	–	26,994	26,994	–	27,309	27,309	–	31,695	31,695
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	2,653	7,731	10,383	–	14,726	14,726	–	14,726	14,726	–	17,847	17,847
v) अन्य ++	184	5,388	5,572	20	5,690	5,710	20	5,916	5,936	22	6,210	6,232
उ. पेन्शन	**–**	**35,401**	**35,401**	**–**	**50,644**	**50,644**	**–**	**50,644**	**50,644**	**–**	**52,319**	**52,319**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**40**	**40**	**–**	**6**	**6**	**–**	**6**	**6**	**–**	**105**	**105**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**14,143**	**14,143**	**–**	**16,338**	**16,338**	**–**	**17,303**	**17,303**	**–**	**21,329**	**21,329**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	14,143	14,143	–	16,338	16,338	–	17,303	17,303	–	21,329	21,329

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**509,809**	**3,951,226**	**4,461,035**	**709,044**	**4,098,064**	**4,807,108**	**750,939**	**4,236,296**	**4,987,236**	**926,105**	**4,576,017**	**5,502,122**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**502,875**	**1,503,724**	**2,006,599**	**692,428**	**1,508,226**	**2,200,654**	**747,766**	**1,778,185**	**2,525,951**	**907,270**	**1,928,170**	**2,835,440**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**346,831**	**962,141**	**1,308,972**	**518,278**	**1,003,010**	**1,521,288**	**540,241**	**1,141,863**	**1,682,104**	**671,560**	**1,245,736**	**1,917,296**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	95,264	631,982	727,246	177,638	681,224	858,862	175,504	741,729	917,233	228,698	834,265	1,062,962
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	24,832	138,278	163,109	54,348	145,983	200,331	52,137	187,378	239,516	55,219	208,575	263,795
3. परिवार कल्याण	38,792	1,824	40,616	32,527	10,972	43,499	34,210	14,196	48,406	40,172	13,021	53,193
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	31,103	2,858	33,961	49,713	79	49,792	69,914	79	69,993	53,115	–	53,115
5. आवास निर्माण	–	1,910	1,910	50	1,695	1,745	50	1,905	1,955	50	2,357	2,407
6. शहरी विकास	15,327	5,266	20,593	19,639	785	20,424	22,482	11,125	33,607	31,263	12,269	43,532
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	71,687	65,401	137,088	103,617	57,185	160,802	104,201	55,146	159,347	117,252	55,385	172,638
8. श्रम और श्रम कल्याण	1,073	10,466	11,539	1,289	11,166	12,455	1,493	11,066	12,559	1,875	12,043	13,918
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	68,618	60,847	129,464	78,721	70,518	149,239	79,316	71,437	150,753	143,674	71,543	215,217
10. पौष्टिक आहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	39,226	39,226	–	17,941	17,941	–	42,133	42,133	–	30,472	30,472
12. अन्य*	136	4,084	4,220	736	5,462	6,198	934	5,668	6,602	242	5,806	6,048
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**156,044**	**541,583**	**697,627**	**174,150**	**505,216**	**679,366**	**207,525**	**636,322**	**843,847**	**235,711**	**682,434**	**918,144**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	37,085	102,626	139,711	40,335	97,408	137,743	43,330	97,640	140,970	53,142	110,188	163,330
i) फसल कार्य	12,119	47,305	59,423	17,013	50,475	67,488	16,286	49,967	66,253	25,125	53,531	78,656
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	17,251	5,952	23,203	15,419	6,227	21,646	16,812	6,215	23,028	16,713	7,428	24,141
iii) पशु पालन	3,955	15,209	19,163	3,688	14,339	18,027	5,146	14,339	19,485	4,884	17,823	22,707
iv) डेरी विकास	932	835	1,767	1,216	734	1,950	1,420	802	2,222	1,384	812	2,195
v) मत्स्य पालन	1,219	1,475	2,694	1,274	1,589	2,863	1,574	1,750	3,323	1,469	1,716	3,186
vi) वानिकी और वन्यजीवन	444	12,491	12,935	494	13,037	13,531	534	13,425	13,959	630	16,619	17,249
vii) बागान	–	234	234	–	243	243	–	243	243	–	269	269
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	7,963	7,963	–	1	1	–	1	1	–	1	1
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	855	4,900	5,755	962	4,161	5,123	1,277	4,297	5,574	2,821	4,681	7,502
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	312	5,721	6,032	269	6,009	6,278	274	6,009	6,283	115	6,619	6,734
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	–	542	542	–	593	593	8	592	600	–	689	689
2. ग्रामीण विकास	67,795	102,241	170,037	87,891	91,676	179,567	100,721	154,227	254,948	123,743	108,378	232,121
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,637	–	3,637	6,300	–	6,300	6,300	–	6,300	6,300	2,500	8,800
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	21,169	136,865	158,034	20,984	142,635	163,619	24,176	146,270	170,446	28,268	186,147	214,416
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	99	115,561	115,659	100	93,627	93,727	100	123,593	123,693	100	142,883	142,983
ii) लघु सिंचाई	11,085	17,560	28,645	14,884	18,642	33,526	16,331	19,267	35,598	16,467	39,854	56,321
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	–	3,702	–	–	3,231	3,231	445	3,410	3,855	–	3,410	3,410
5. ऊर्जा	13,683	130,706	144,389	10,579	110,293	120,872	10,606	135,295	145,901	2,188	107,893	110,081
जिसमें से : बिजली	12,445	130,438	142,883	8,990	110,008	118,998	8,990	135,008	143,998	–	107,578	107,578
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	10,145	8,798	18,944	6,085	8,643	14,728	19,863	10,896	30,758	11,478	9,238	20,716
i) ग्राम और लघु उद्योग	8,389	5,036	13,425	5,781	5,556	11,337	8,017	6,674	14,692	6,965	5,580	12,545
ii) उद्योग @	643	3,723	4,366	104	3,087	3,191	11,645	3,087	14,733	3,811	3,464	7,275
iii) अन्य **	1,114	39	1,153	200	–	200	200	1,134	1,334	703	193	896

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

उत्तरप्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	89	51,652	51,741	101	44,873	44,974	101	81,936	82,037	222	146,962	147,184
i) सड़क और पुल	–	48,622	48,622	–	41,634	41,634	–	78,612	78,612	–	143,481	143,481
ii) अन्य @@	89	3,030	3,119	101	3,239	3,340	101	3,324	3,268	222	3,481	3,703
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	350	210	560	350	210	560	550	210	760	9,097	343	9,440
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	2,090	8,485	10,575	1,525	9,478	11,003	1,877	9,849	11,727	1,273	10,784	12,056
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	68	3,415	3,483	443	3,877	4,320	443	4,116	4,559	224	4,560	4,784
ii) पर्यटन	474	604	1,077	28	612	640	347	681	1,028	565	718	1,282
iii) नागरिक आपूर्ति	–	493	493	–	782	782	–	736	736	–	746	746
iv) अन्य +	1,549	3,973	5,522	1,054	4,207	5,261	1,088	4,316	5,404	485	4,760	5,244
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**6,934**	**2,269,209**	**2,276,143**	**16,616**	**2,383,022**	**2,399,638**	**3,174**	**2,221,940**	**2,225,113**	**18,834**	**2,378,521**	**2,397,355**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**1,619**	**47,807**	**49,426**	**130**	**48,163**	**48,293**	**2,006**	**49,005**	**51,011**	**2,112**	**68,143**	**70,255**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**–**	**89,210**	**89,210**	**–**	**92,214**	**92,214**	**187**	**94,080**	**94,267**	**3,060**	**102,001**	**105,061**
i) कर और शुल्क वसूली	–	88,532	88,532	–	91,387	91,387	187	93,253	93,440	3,060	101,082	104,142
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	678	678	–	827	827	–	827	827	–	919	919
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**1,416,948**	**1,416,948**	**–**	**1,390,509**	**1,390,509**	**–**	**1,274,594**	**1,274,594**	**–**	**1,312,806**	**1,312,806**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	229,654	229,654	–	311,301	311,301	–	263,680	263,680	–	287,207	287,207
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	1,187,294	1,187,294	–	1,079,208	1,079,208	–	1,010,914	1,010,914	–	1,025,599	1,025,599
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	338,577	338,577	–	289,620	289,620	–	223,880	223,880	–	152,620	152,620
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	750,958	750,958	–	620,579	620,579	–	617,422	617,422	–	701,372	701,372
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	224,916	224,916	–	238,141	238,141	–	240,886	240,886	–	256,805	256,805
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	382,351	382,351	–	309,018	309,018	–	309,018	309,018	–	375,256	375,256
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	88,253	88,253	–	159,917	159,917	–	159,917	159,917	–	160,602	160,602
iv) अन्य	–	9,506	9,506	–	9,092	9,092	–	9,696	9,696	–	11,006	11,006
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**5,315**	**355,584**	**360,899**	**16,486**	**435,153**	**451,639**	**981**	**368,677**	**369,658**	**8,662**	**439,336**	**447,998**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	13	11,110	11,123	3,628	129,018	132,646	29	66,921	66,950	3,284	90,002	93,286
ii) जिला प्रशासन	–	18,259	18,259	–	19,294	19,294	–	19,294	19,294	5,000	21,433	26,433
iii) पुलिस	4,000	228,070	232,070	11,028	228,363	239,391	28	228,653	228,681	–	265,762	265,762
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	127	48,715	48,841	217	9,373	9,590	217	3,129	3,346	224	3,451	3,675
v) अन्य ++	1,176	49,430	50,606	1,613	49,105	50,718	707	50,679	51,387	154	58,688	58,842
उ. पेन्शन	**–**	**356,115**	**356,115**	**–**	**414,958**	**414,958**	**–**	**433,553**	**433,553**	**–**	**454,150**	**454,150**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**3,545**	**3,545**	**–**	**2,025**	**2,025**	**–**	**2,030**	**2,030**	**5,000**	**2,086**	**7,086**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	49	49
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**178,293**	**178,293**	**–**	**206,816**	**206,816**	**–**	**236,172**	**236,172**	**–**	**269,326**	**269,326**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	178,293	178,293	–	206,816	206,816	–	236,172	236,172	–	269,326	269,326

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**263,513**	**2,551,099**	**2,814,612**	**414,017**	**2,699,742**	**3,113,759**	**493,448**	**2,831,749**	**3,325,197**	**496,855**	**3,007,349**	**3,504,204**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**258,290**	**960,074**	**1,218,364**	**405,952**	**1,001,091**	**1,407,043**	**486,452**	**1,102,574**	**1,589,026**	**490,973**	**1,180,486**	**1,671,459**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**157,151**	**705,549**	**862,699**	**259,327**	**741,674**	**1,001,001**	**265,677**	**792,835**	**1,058,513**	**317,931**	**891,083**	**1,209,014**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	39,828	457,919	497,747	96,367	461,828	558,195	93,208	487,506	580,715	100,734	568,694	669,428
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,877	111,208	118,085	18,565	130,053	148,618	12,845	130,056	142,901	23,053	135,560	158,613
3. परिवार कल्याण	16,458	691	17,148	14,769	612	15,381	21,306	753	22,058	17,749	796	18,545
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	14,924	12,737	27,661	8,672	11,198	19,870	6,903	13,265	20,168	7,891	13,938	21,829
5. आवास निर्माण	8	5,320	5,328	30	7,038	7,068	36	7,684	7,721	140	8,887	9,027
6. शहरी विकास	20,792	46,865	67,657	55,694	49,555	105,249	42,707	60,367	103,075	69,998	65,864	135,861
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	14,235	10,982	25,217	19,070	11,268	30,338	22,818	11,563	34,382	23,100	11,037	34,137
8. श्रम और श्रम कल्याण	22	5,297	5,319	160	6,087	6,247	176	6,063	6,238	287	6,244	6,531
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	30,095	35,898	65,993	30,904	45,315	76,219	38,239	43,909	82,148	46,844	47,119	93,962
10. पौष्टिक आहार	8,045	41	8,086	11,357	473	11,830	21,654	452	22,107	21,401	454	21,855
11. प्राकृतिक आपदा राहत	425	12,289	12,714	–	11,173	11,173	11	23,473	23,484	–	24,149	24,149
12. अन्य*	5,442	6,302	11,744	3,739	7,074	10,813	5,774	7,742	13,517	6,734	8,343	15,076
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**101,140**	**254,526**	**355,665**	**146,625**	**259,416**	**406,041**	**220,774**	**309,739**	**530,513**	**173,042**	**289,401**	**462,444**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	11,119	63,705	74,824	15,029	75,084	90,113	18,118	73,089	91,207	20,278	74,597	94,875
i) फसल कार्य	3,913	13,351	17,264	7,834	14,490	22,324	8,269	15,164	23,433	8,568	15,196	23,763
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	21	1,140	1,161	73	1,215	1,288	51	1,351	1,402	75	1,434	1,509
iii) पशु पालन	1,930	11,116	13,046	1,408	12,855	14,263	1,699	12,861	14,560	1,747	12,995	14,742
iv) डेरी विकास	46	8,683	8,728	150	14,092	14,242	75	10,509	10,584	230	11,269	11,499
v) मत्स्य पालन	2,265	1,605	3,870	1,301	1,891	3,192	2,647	1,909	4,556	1,929	1,941	3,870
vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,864	11,057	12,921	2,452	12,318	14,770	2,771	12,686	15,457	3,519	13,003	16,522
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	7	7,463	7,470	33	8,694	8,727	33	8,853	8,886	43	8,742	8,785
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	673	4,760	5,433	839	5,252	6,091	1,650	5,318	6,968	1,011	5,365	6,376
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	354	3,987	4,341	808	3,663	4,471	793	3,796	4,589	2,967	3,981	6,948
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	45	544	589	131	614	745	130	641	771	190	671	861
2. ग्रामीण विकास	38,746	46,694	85,440	78,384	50,317	128,701	80,717	68,065	148,782	88,251	62,252	150,503
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	18,657	15,465	34,122	17,385	17,994	35,379	25,546	15,913	41,458	21,327	16,373	37,700
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1,488	46,285	47,773	4,533	50,963	55,496	2,871	51,749	54,620	3,092	53,922	57,014
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	867	16,057	16,924	2,928	16,868	19,796	1,396	18,112	19,508	1,530	6,738	8,268
ii) लघु सिंचाई	159	23,753	23,912	322	26,535	26,857	305	26,075	26,380	396	26,931	27,326
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	88	6,475	6,564	853	7,560	8,413	740	7,562	8,302	736	7,769	8,505
5. ऊर्जा	7,677	–	7,677	500	–	500	40,598	23,224	63,822	901	–	901
जिसमें से : बिजली	7,310	–	7,310	–	–	–	39,798	23,224	63,022	1	–	1
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	10,883	7,331	18,214	13,723	8,250	21,973	38,900	10,376	49,276	20,048	8,564	28,612
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,111	6,149	9,259	3,702	6,881	10,583	7,561	8,796	16,357	4,643	7,096	11,739
ii) उद्योग @	7,773	1,182	8,955	10,021	1,369	11,390	31,340	1,580	32,919	15,405	1,468	16,874
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	11,659	68,039	79,698	15,189	48,283	63,472	11,857	58,570	70,427	16,740	65,705	82,445
i) सड़क और पुल	11,659	35,238	46,897	14,554	19,814	34,368	10,706	19,952	30,657	14,500	29,186	43,686
ii) अन्य @@	–	32,801	32,801	635	28,469	29,104	1,151	38,619	39,769	2,240	36,519	38,759
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	268	9	277	564	19	583	625	24	650	931	26	957
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	642	6,998	7,640	1,318	8,506	9,824	1,543	8,729	10,272	1,474	7,962	9,436
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	97	3,177	3,274	183	3,985	4,168	194	3,802	3,997	266	3,797	4,063
ii) पर्यटन	158	696	854	536	866	1,402	409	1,266	1,675	454	364	818
iii) नागरिक आपूर्ति	276	1,515	1,791	519	1,664	2,183	511	1,680	2,191	676	1,736	2,412
iv) अन्य +	112	1,609	1,721	80	1,991	2,071	428	1,981	2,409	78	2,065	2,143
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**5,023**	**1,566,005**	**1,571,028**	**7,831**	**1,667,938**	**1,675,769**	**6,762**	**1,695,618**	**1,702,380**	**5,282**	**1,793,734**	**1,799,016**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**1,250**	**23,440**	**24,690**	**965**	**27,716**	**28,681**	**1,669**	**23,982**	**25,651**	**205**	**29,895**	**30,100**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**397**	**46,099**	**46,496**	**985**	**50,009**	**50,994**	**868**	**51,187**	**52,054**	**1,084**	**52,785**	**53,869**
i) कर और शुल्क वसूली	397	43,905	44,302	985	47,611	48,596	868	48,848	49,716	1,084	50,331	51,415
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	–	2,194	2,194	–	2,398	2,398	–	2,339	2,339	–	2,454	2,454
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**976,725**	**976,725**	**–**	**1,036,638**	**1,036,638**	**–**	**1,032,701**	**1,032,701**	**–**	**1,128,577**	**1,128,577**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	14,400	14,400	–	21,600	21,600	–	21,600	21,600	–	30,000	30,000
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	962,325	962,325	–	1,015,038	1,015,038	–	1,011,101	1,011,101	–	1,098,577	1,098,577
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	243,989	243,989	–	196,325	196,325	–	190,641	190,641	–	184,176	184,176
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	593,644	593,644	–	713,732	713,732	–	707,406	707,406	–	815,872	815,872
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	134,549	134,549	–	154,159	154,159	–	156,871	156,871	–	164,179	164,179
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	336,696	336,696	–	440,360	440,360	–	447,081	447,081	–	553,323	553,323
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	39,995	39,995	–	38,260	38,260	–	39,050	39,050	–	41,100	41,100
iv) अन्य	–	84,698	84,698	–	66,721	66,721	–	74,004	74,004	–	57,430	57,430
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**3,376**	**183,680**	**187,056**	**5,881**	**213,292**	**219,173**	**4,226**	**218,101**	**222,327**	**3,993**	**217,528**	**221,521**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	–	5,960	5,960	–	7,060	7,060	–	6,977	6,977	50	7,246	7,296
ii) जिला प्रशासन	–	6,437	6,437	–	6,876	6,876	–	7,075	7,075	–	7,494	7,494
iii) पुलिस	1,737	116,352	118,089	1,610	130,879	132,489	1,991	136,455	138,446	850	131,090	131,940
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	928	17,561	18,489	1,517	27,355	28,872	1,584	23,430	25,015	1,682	27,911	29,593
v) अन्य ++	711	37,370	38,081	2,754	41,122	43,876	651	44,163	44,814	1,411	43,787	45,197
उ. पेन्शन	**–**	**333,585**	**333,585**	**–**	**337,328**	**337,328**	**–**	**359,932**	**359,932**	**–**	**362,244**	**362,244**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**2,475**	**2,475**	**–**	**2,955**	**2,955**	**–**	**9,714**	**9,714**	**–**	**2,705**	**2,705**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	2,401	2,401	–	2,848	2,848	–	9,608	9,608	–	2,598	2,598
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**200**	**25,020**	**25,220**	**234**	**30,713**	**30,947**	**234**	**33,556**	**33,790**	**600**	**33,129**	**33,729**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	200	25,020	– 25,220	234	30,713	– 30,947	234	33,556	33,790	600	33,129	33,729

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**141,791**	**440,957**	**582,748**	**174,061**	**495,302**	**669,363**	**194,322**	**524,695**	**719,017**	**202,676**	**550,890**	**753,566**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**134,593**	**204,404**	**338,997**	**163,246**	**210,305**	**373,551**	**183,306**	**262,945**	**446,251**	**192,191**	**236,734**	**428,925**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**113,026**	**188,721**	**301,747**	**131,267**	**192,874**	**324,141**	**156,105**	**222,130**	**378,235**	**163,969**	**213,180**	**377,149**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	23,146	133,408	156,554	31,398	134,772	166,170	30,710	139,188	169,898	33,149	151,963	185,112
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	30,971	35,775	66,746	41,703	38,372	80,075	44,268	37,937	82,205	51,278	40,655	91,933
3. परिवार कल्याण	2,832	–	2,832	2,422	–	2,422	2,498	–	2,498	3,011	–	3,011
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	865	125	990	956	–	956	13,255	–	13,255	8,555	–	8,555
5. आवास निर्माण	60	2,061	2,121	61	2,300	2,361	60	2,483	2,543	60	2,521	2,581
6. शहरी विकास	42,311	8,701	51,012	37,151	5,998	43,149	46,454	6,073	52,527	48,565	6,573	55,138
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	894	78	972	1,643	225	1,868	1,613	318	1,931	1,450	299	1,749
8. श्रम और श्रम कल्याण	289	2,817	3,106	526	3,130	3,656	483	3,110	3,593	590	3,352	3,942
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,658	5,054	12,712	10,397	5,869	16,266	11,335	30,897	42,232	12,085	6,281	18,366
10. पौष्टिक आहार	3,378	141	3,519	4,580	1,228	5,808	4,890	556	5,446	4,772	30	4,802
11. प्राकृतिक आपदा राहत	–	169	169	–	239	239	15	835	850	440	266	706
12. अन्य*	622	392	1,014	430	741	1,171	524	733	1,257	14	1,240	1,254
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**21,567**	**15,683**	**37,250**	**31,979**	**17,431**	**49,410**	**27,201**	**40,815**	**68,016**	**28,222**	**23,554**	**51,776**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	1,216	2,523	3,739	1,842	2,777	4,619	1,847	2,920	4,767	1,850	3,063	4,913
i) फसल कार्य	72	606	678	319	699	1,018	179	717	896	197	753	950
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1	8	9	30	11	41	35	14	49	35	13	48
iii) पशु पालन	567	610	1,177	573	570	1,143	637	676	1,313	643	715	1,358
iv) डेरी विकास	297	–	297	500	30	530	500	40	540	500	40	540
v) मत्स्य पालन	2	44	46	1	47	48	1	26	27	1	27	28
vi) वानिकी और वन्यजीवन	257	824	1,081	300	809	1,109	366	891	1,257	357	940	1,297
vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	90	90	–	88	88	–	93	93	–	90	90
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	12	272	284	39	448	487	22	382	404	37	400	437
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	8	69	77	80	75	155	107	81	188	80	85	165
2. ग्रामीण विकास	270	167	437	460	207	667	327	264	591	412	270	682
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	47	4,450	4,497	31	4,459	4,490	34	5,084	5,118	34	5,027	5,061
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ii) लघु सिंचाई	2	727	729	5	703	708	3	670	673	3	767	770
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	45	3,723	3,768	26	3,756	3,782	31	4,414	4,445	31	4,260	4,291
5. ऊर्जा	351	–	351	452	–	452	481	7,500	7,981	651	2,500	3,151
जिसमें से : बिजली	250	–	250	351	–	351	401	7,500	7,901	601	2,500	3,101
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	3,132	491	3,623	964	637	1,601	1,657	622	2,279	1,027	683	1,710
i) ग्राम और लघु उद्योग	3,132	476	3,608	964	611	1,575	1,657	605	2,262	1,027	663	1,690
ii) उद्योग @	–	15	15	–	26	26	–	17	17	–	20	20
iii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	15,186	5,931	21,117	25,470	7,000	32,470	20,327	22,067	42,394	21,148	9,400	30,548
i) सड़क और पुल	12,575	5,931	18,506	13,950	7,000	20,950	12,900	7,000	19,900	14,900	7,000	21,900
ii) अन्य @@	2,611	–	2,611	11,520	–	11,520	7,427	15,067	22,494	6,248	2,400	8,648
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	425	9	434	648	10	658	788	22	810	695	19	714
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	940	2,112	3,052	2,112	2,341	4,453	1,740	2,336	4,076	2,405	2,592	4,997
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	36	263	299	111	329	440	65	317	382	63	356	419
ii) पर्यटन	477	39	516	662	92	754	650	67	717	1,314	74	1,388
iii) नागरिक आपूर्ति	121	1,426	1,547	232	1,521	1,753	400	1,555	1,955	190	1,619	1,809
iv) अन्य +	306	384	690	1,107	399	1,506	625	397	1,022	838	543	1,381
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**7,198**	**200,240**	**207,438**	**10,815**	**244,716**	**255,531**	**11,016**	**220,971**	**231,987**	**10,485**	**270,010**	**280,495**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**337**	**11,505**	**11,842**	**1,974**	**12,714**	**14,688**	**2,431**	**14,706**	**17,137**	**1,013**	**15,738**	**16,751**
आ.राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**2,099**	**5,470**	**7,569**	**3,512**	**5,025**	**8,537**	**2,988**	**6,113**	**9,101**	**2,764**	**6,824**	**9,588**
i) कर और शुल्क वसूली	1,101	5,470	6,571	2,512	5,025	7,537	1,988	6,113	8,101	2,564	6,824	9,388
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	998	–	998	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	200	–	200
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**–**	**156,856**	**156,856**	**–**	**195,043**	**195,043**	**–**	**170,082**	**170,082**	**–**	**213,007**	**213,007**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	–	156,856	156,856	–	195,043	195,043	–	170,082	170,082	–	213,007	213,007
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	156,856	156,856	–	195,043	195,043	–	170,082	170,082	–	213,007	213,007
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
iv) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**4,762**	**26,463**	**31,225**	**5,329**	**27,881**	**33,210**	**5,597**	**29,912**	**35,509**	**6,708**	**34,306**	**41,014**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	189	1,439	1,628	249	1,607	1,856	276	2,014	2,290	260	2,107	2,367
ii) जिला प्रशासन	901	1,467	2,368	1,375	1,517	2,892	1,407	1,683	3,090	1,458	1,737	3,195
iii) पुलिस	276	102	378	300	148	448	279	143	422	350	163	513
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	–	15,107	15,107	–	14,624	14,624	5	15,140	15,145	5	18,872	18,877
v) अन्य ++	3,396	8,348	11,744	3,405	9,985	13,390	3,630	10,932	14,562	4,635	11,427	16,062
उ. पेन्शन	**–**	**–**	**–**	**–**	**4,000**	**4,000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**–**	**-54**	**-54**	**–**	**53**	**53**	**–**	**158**	**158**	**–**	**135**	**135**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**–**	**36,313**	**36,313**	**–**	**40,281**	**40,281**	**–**	**40,779**	**40,779**	**–**	**44,146**	**44,146**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	–	36,313	36,313	–	40,281	40,281	–	40,779	40,779	–	44,146	44,146

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल व्यय (I+II+III)	**6,098,653**	**34,751,086**	**40,849,739**	**8,054,728**	**37,504,530**	**45,559,258**	**8,464,093**	**38,677,992**	**47,142,085**	**9,787,534**	**42,678,298**	**52,465,832**
I. विकास मूलक व्यय (अ+आ)	**5,937,510**	**15,709,840**	**21,647,350**	**7,707,907**	**16,389,403**	**24,097,309**	**8,083,260**	**18,198,588**	**26,281,848**	**9,409,453**	**19,267,034**	**28,676,487**
अ. सामाजिक सेवाएँ (1 से 12)	**3,311,144**	**9,894,112**	**13,205,255**	**4,398,419**	**10,759,909**	**15,158,328**	**4,743,193**	**11,655,248**	**16,398,441**	**5,922,005**	**12,208,600**	**18,130,605**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	833,050	6,260,617	7,093,667	1,260,974	6,889,361	8,150,335	1,311,268	7,166,354	8,477,622	1,477,674	7,898,976	9,376,650
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	298,272	1,291,525	1,589,796	435,874	1,488,455	1,924,329	418,909	1,585,382	2,004,291	459,004	1,762,975	2,221,980
3. परिवार कल्याण	222,223	33,593	255,817	275,760	55,987	331,747	273,509	59,216	332,726	289,859	65,673	355,532
4. जल आपूर्ति और स्व्च्छता	273,514	419,761	693,275	370,491	434,030	804,521	434,281	452,633	886,914	438,303	410,733	849,036
5. आवास निर्माण	120,318	68,584	188,903	123,033	73,717	196,750	135,779	84,558	220,337	207,972	98,918	306,889
6. शहरी विकास	340,496	193,797	534,293	385,698	212,581	598,279	406,626	228,423	635,048	887,440	226,513	1,113,953
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण	508,896	410,982	919,879	653,017	438,561	1,091,579	715,692	455,498	1,171,191	798,931	439,412	1,238,344
8. श्रम और श्रम कल्याण	34,794	116,586	151,380	43,272	143,050	186,322	47,783	139,898	187,681	61,612	144,020	205,632
9. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	416,850	396,377	813,227	518,641	427,407	946,048	589,773	471,851	1,061,624	836,394	480,721	1,317,115
10. पौष्टिक आहार	228,108	98,050	326,158	299,180	87,535	386,715	346,982	85,036	432,017	411,320	103,487	514,807
11. प्राकृतिक आपदा राहत	20,319	536,495	556,814	10,071	435,413	445,484	33,388	848,873	882,261	31,807	420,570	452,377
12. अन्य*	14,303	67,745	82,048	22,406	73,812	96,218	29,203	77,526	106,729	21,689	156,601	178,291
आ.आर्थिक सेवाएँ (1 से 9)	**2,626,367**	**5,815,728**	**8,442,095**	**3,309,488**	**5,629,493**	**8,938,981**	**3,340,067**	**6,543,340**	**9,883,406**	**3,487,447**	**7,058,434**	**10,545,882**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xii)	570,504	1,424,143	1,994,647	786,710	1,339,974	2,126,685	802,846	1,434,705	2,237,551	856,596	1,506,816	2,363,412
i) फसल कार्य	248,795	316,097	564,892	349,512	307,632	657,144	328,096	312,765	640,862	339,430	377,878	717,308
ii) मिट्टी और जल संरक्षण	70,976	37,856	108,832	92,814	39,388	132,203	91,010	43,101	134,111	84,337	43,446	127,783
iii) पशु पालन	39,667	200,953	240,619	59,969	214,447	274,416	64,526	221,633	286,159	75,505	238,500	314,005
iv) डेरी विकास	6,595	82,469	89,065	11,758	79,239	90,997	14,698	66,464	81,162	19,836	79,682	99,518
v) मत्स्य पालन	20,663	26,475	47,138	25,926	29,260	55,187	31,083	42,038	73,121	36,741	45,861	82,601
vi) वानिकी और वन्यजीवन	110,215	273,987	384,201	153,338	275,245	428,583	166,046	304,536	470,581	187,057	309,584	496,641
vii) बागान	126	536	662	27	586	613	30	563	593	27	593	619
viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	7,196	150,252	157,448	9,783	127,857	137,640	9,954	148,291	158,245	10,159	141,200	151,359
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	30,476	115,041	145,517	38,063	119,743	157,807	41,330	124,509	165,838	49,750	131,271	181,021
x) कृषि वित्त संस्था	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
xi) सहकरिता	32,173	211,955	244,128	42,100	138,401	180,500	50,503	162,701	213,204	50,470	128,562	179,032
xii) अन्य कृषि कार्यक्रम	3,622	8,523	12,146	3,420	8,175	11,595	5,570	8,105	13,674	3,286	10,241	13,526
2. ग्रामीण विकास	853,248	686,292	1,539,541	1,008,730	765,953	1,774,682	1,073,861	917,139	1,991,000	1,195,816	861,256	2,057,072
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	41,809	19,537	61,346	55,791	36,744	92,535	64,562	34,707	99,270	63,529	37,807	101,336
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	131,376	863,641	995,017	195,048	964,606	1,159,653	236,744	1,010,709	1,247,453	342,779	1,148,345	1,491,124
जिसमें से :												
i) बड़ी और मझोली सिंचाई	38,268	648,408	686,676	88,277	714,572	802,849	110,982	789,304	900,286	209,741	868,497	1,078,238
ii) लघु सिंचाई	62,374	160,778	223,152	69,760	158,194	227,954	78,684	170,523	249,207	90,294	201,504	291,798
iii) बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	4,894	44,366	49,259	3,351	51,422	54,773	3,640	52,386	56,025	1,832	57,402	59,234
5. ऊर्जा	463,093	1,730,986	2,194,079	421,554	1,431,169	1,852,723	298,687	1,858,610	2,157,297	204,414	1,737,284	1,941,697
जिसमें से : बिजली	456,103	1,729,138	2,185,241	406,101	1,426,465	1,832,565	273,978	1,852,659	2,126,637	180,618	1,732,775	1,913,392
6. उद्योग और खनिज (i से iii)	152,578	137,477	290,055	208,090	126,295	334,384	270,944	140,960	411,905	241,214	154,247	395,461
i) ग्राम और लघु उद्योग	93,318	80,518	173,837	121,334	78,277	199,612	143,215	84,801	228,016	139,819	92,869	232,688
ii) उद्योग @	57,177	58,073	115,249	69,114	46,448	115,562	124,313	53,613	177,927	92,246	59,552	151,798
iii) अन्य **	2,083	-1,114	969	17,641	1,570	19,211	3,416	2,546	5,962	9,149	1,826	10,975

परिशिष्ट II : अलग-अलग राज्यों के राजस्व व्यय *(समाप्त)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. परिवहन और संचार व्यवस्था (i + ii)	155,139	719,463	874,602	257,167	722,524	979,691	245,391	869,072	1,114,462	173,819	1,221,890	1,395,710
i) सड़क और पुल	134,196	512,872	647,068	232,924	515,102	748,026	216,964	631,353	848,317	134,613	985,674	1,120,287
ii) अन्य @@	20,944	206,591	227,534	24,243	207,422	231,665	28,427	237,719	266,145	39,206	236,216	275,423
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	16,794	3,288	20,081	23,484	3,853	27,336	27,960	3,420	31,380	40,491	4,381	44,872
9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ (i से iv)	241,825	230,901	472,726	352,915	238,376	591,292	319,072	274,013	593,085	368,789	386,408	755,198
i) सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	129,366	44,088	173,454	255,038	42,400	297,438	213,821	43,156	256,977	259,606	47,122	306,727
ii) पर्यटन	41,193	8,894	50,087	39,936	10,182	50,118	42,031	10,850	52,881	59,567	17,396	76,963
iii) नागरिक आपूर्ति	13,635	141,012	154,647	13,818	143,086	156,904	14,957	176,670	191,627	15,941	275,218	291,159
iv) अन्य +	57,632	36,907	94,539	44,123	42,708	86,831	48,263	43,337	91,600	33,676	46,673	80,348
II. विकासेतर व्यय (सामान्य सेवा) (अ से ऊ तक)	**120,464**	**18,275,604**	**18,396,068**	**307,265**	**20,274,185**	**20,581,450**	**308,851**	**19,541,240**	**19,850,092**	**320,531**	**22,156,941**	**22,477,472**
अ. राज्य सरकार के विभाग और संस्थाएं	**8,896**	**443,067**	**451,963**	**7,683**	**431,458**	**439,141**	**30,411**	**453,149**	**483,560**	**11,916**	**505,834**	**517,750**
आ. राजकोषीय सेवाएँ (i + ii)	**17,693**	**1,116,666**	**1,134,358**	**30,523**	**993,438**	**1,023,960**	**36,313**	**1,018,955**	**1,055,268**	**34,465**	**1,047,879**	**1,082,344**
i) कर और शुल्क वसूली	16,681	1,046,442	1,063,123	29,510	928,963	958,473	35,300	962,803	998,103	34,252	994,787	1,029,039
ii) अन्य राजकोषीय सेवा	1,011	70,224	71,235	1,013	64,474	65,487	1,013	56,152	57,165	213	53,093	53,306
इ. ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती (1 + 2)	**480**	**9,260,227**	**9,260,707**	**–**	**9,868,889**	**9,868,889**	**25,225**	**9,510,217**	**9,535,442**	**25,283**	**10,579,256**	**10,604,538**
1. ऋण कम करने या उससे बचने के लिए विनियोजन	–	461,782	461,782	–	539,090	539,090	–	636,056	636,056	–	662,042	662,042
2. ब्याज भुगतान (i से iv)	480	8,798,445	8,798,925	–	9,329,799	9,329,799	25,225	8,874,161	8,899,386	25,283	9,917,214	9,942,497
i) केंद्र के ऋण पर ब्याज	–	2,562,469	2,562,469	–	2,111,333	2,111,333	12,260	1,642,707	1,654,967	11,565	1,642,054	1,653,619
ii) आंतरिक ऋण पर ब्याज	–	4,892,323	4,892,323	–	5,723,904	5,723,904	8,539	5,644,906	5,653,446	8,651	6,613,332	6,621,983
जिसमें से :												
अ) बाजार ऋण पर ब्याज	–	1,736,760	1,736,760	–	1,897,844	1,897,844	5,268	1,859,629	1,864,897	6,107	1,983,582	1,989,690
आ) एनएसएसएफ पर ब्याज	–	2,038,614	2,038,614	–	2,609,475	2,609,475	55	2,759,718	2,759,773	55	3,404,457	3,404,512
iii) अल्प बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज	–	1,047,693	1,047,693	–	1,229,994	1,229,994	3,627	1,186,765	1,190,391	5,067	1,272,104	1,277,171
iv) अन्य	480	295,960	296,440	–	264,569	264,569	799	399,784	400,583	–	389,724	389,724
ई. प्रशासनिक सेवाएं (i से v)	**80,345**	**2,994,075**	**3,074,419**	**225,094**	**3,540,556**	**3,765,650**	**205,581**	**3,454,080**	**3,659,660**	**235,861**	**4,103,697**	**4,339,558**
i) सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	4,825	110,336	115,160	74,283	238,503	312,786	66,948	178,345	245,294	59,414	233,450	292,864
ii) जिला प्रशासन	11,872	308,418	320,290	80,814	326,071	406,885	80,799	337,799	418,598	110,996	377,726	488,722
iii) पुलिस	30,910	1,886,290	1,917,200	37,293	2,068,015	2,105,308	26,510	2,127,742	2,154,252	24,805	2,320,028	2,344,833
iv) सार्वजनिक निर्माण कार्य	13,972	268,489	282,462	13,696	293,583	307,279	13,833	311,590	325,423	10,317	412,398	422,715
v) अन्य ++	18,766	420,541	439,307	19,008	614,385	633,393	17,490	498,604	516,094	30,329	760,095	790,424
उ. पेन्शन	**1**	**3,737,767**	**3,737,768**	**–**	**4,166,055**	**4,166,055**	**47**	**4,241,517**	**4,241,564**	**–**	**4,782,489**	**4,782,489**
ऊ. विविध सामान्य सेवा	**13,050**	**723,803**	**736,853**	**43,965**	**1,273,789**	**1,317,754**	**11,275**	**863,322**	**874,597**	**13,006**	**1,137,786**	**1,150,792**
जिसमें से : राज्यों की लाटरी के कारण भुगतान	–	671,219	671,219	–	932,855	932,855	–	790,822	790,822	–	1,025,724	1,025,724
III. सहायता अनुदान और अंशदान	**40,679**	**765,641**	**806,320**	**39,556**	**840,942**	**880,499**	**71,982**	**938,163**	**1,010,146**	**57,551**	**1,254,323**	**1,311,874**
जिसमें से : स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	40,679	765,641	806,320	39,556	840,942	880,499	71,982	938,163	1,010,146	57,551	1,254,323	1,311,874

परिशिष्ट II की टिप्पणी :

1. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूहों के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि ''अन्य'' उप-समूह के सामने दर्शाई गई है।

2. वर्ष 2004-05 (लेखा) के लिए जम्मू और कश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित हैं।

3. 'राजकोषीय सेवाओं' तथा 'वित्त विभाग के रिज़र्व' के अंतर्गत 'सडक निधि, शिक्षा उपकर निधि, आदि के अंतरण' को मद सूची से हटा दिया गया है जबकि सीएजी के लेखा वर्गीकरण के अनुसार 'स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन' को 'सहायता अनुदान और अंशदान' का एक भाग बनाया गया है।

4. पिछले वर्ष के अध्ययन में, बिहार से संबंधित 2005-06 के आंकड़े लेखा-अनुदान आधारित हैं। अतः बिहार के 2005-06 (ब अ) के आंकड़ो को 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित किया गया है।

5. सभी आंकड़े पूर्णांकन के अधीन हैं।

* इसमें सूचना और प्रचार, सचिवालय-सामाजिक सेवा और अन्य सामाजिक सेवा आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

@ इसमें अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग तथा अन्य उद्योग शामिल हैं।

** इसमें अन्य उद्योग पर व्यय तथा उद्योग और खनिज पर किए गए अन्य परिव्यय शामिल हैं।

@@ इसमें बंदरगाह और प्रकाशगृह, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और देश में जल परिवहन आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

\+ इसमें विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय शामिल हैं।

++ इसमें लोक सेवा आयोग, कोषागार और लेखा, प्रशासन, जेल, आपूर्ति और निपटान, स्टेशनरी और मुद्रण तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर किए गए व्यय आदि शामिल हैं।

— शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां

(लाख रुपए)

मद	आंध्र प्रदेश				अरुणाचल प्रदेश			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**15,291,039**	**3,342,241**	**2,742,793**	**3,419,815**	**408,657**	**238,421**	**238,132**	**219,528**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**1,937,731**	**1,644,897**	**1,206,024**	**1,631,269**	**28,999**	**47,239**	**62,057**	**34,043**
I. बाह्य ऋण #	–	–	–	–	–	–	–	–
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,427,282**	**1,543,484**	**1,038,664**	**1,251,156**	**30,806**	**15,327**	**40,076**	**25,286**
1. बाजार ऋण	331,776	339,612	195,637	191,273	2,215	1,871	2,339	2,573
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	184,585	167,994	17,994	19,793	–	113	113	113
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	63,522	97,990	97,990	97,990	1,276	4,500	4,500	4,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	8,096	3,424	3,424	3,746	–	–	500	500
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	300,000	100,000	300,000	19,187	5,540	5,522	5,522
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	628,096	396,000	470,000	517,000	6,835	2,500	25,349	10,325
8. अन्य @	211,207	238,464	153,619	121,354	1,293	803	1,753	1,753
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**184,089**	**366,302**	**132,263**	**200,606**	**7,114**	**28,671**	**9,409**	**9,641**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	182,808	360,614	132,263	200,606	6,150	27,871	8,550	8,782
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	497	497
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,020	5,526	–	–	255	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	266	162	–	–	200	720	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	266	162	–	–	200	720	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	-4	–	–	–	509	80	362	362
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**137,298**	**175,740**	**55,741**	**117,221**	**261**	**170**	**170**	**–**
1. आवास निर्माण	3	76,570	26,607	50,000	–	–	–	–
2. शहरी विकास	53	81	81	400	–	–	–	–
3. फसल उत्पादन	105	193	193	200	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	1	2	2	2	–	–	–	–
5. सहकारिता	36	1,843	1,843	15,000	29	–	–	–
6. लघु सिंचाई	–	8,500	–	8,500	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	127,217	22,037	4,500	1,000	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	28	44	44	54	3	–	–	–
9. उद्योग और खनिज	3,047	4,120	4,120	2,050	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	6,598	10,459	10,459	11,505	229	170	170	–
12. अन्य **	210	51,891	7,891	28,510	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**2,342**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**127,948**	**143,968**	**143,968**	**169,436**	**13,896**	**15,188**	**23,537**	**10,488**
1. राज्य भविष्य निधि	105,746	119,183	119,183	140,772	8,763	9,762	12,545	9,888
2. अन्य	22,202	24,785	24,785	28,664	5,133	5,426	10,992	600
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**72,878**	**62,149**	**72,816**	**80,965**	**1,541**	**1,247**	**2,500**	**1,650**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	140	32	32	34	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	23,129	20,382	20,435	21,864	400	400	800	400
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	49,609	41,735	52,349	59,067	1,141	847	1,700	1,250
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**1,407,090**	**1,050,598**	**1,239,341**	**1,295,430**	**9,087**	**9,946**	**8,855**	**10,595**
1. सिविल जमा	312,047	183,060	257,386	269,706	6,109	4,897	6,289	7,952
2. स्थानीय निधि जमाराशि	678,244	544,448	619,350	640,821	–	2,436	–	–
3. सिविल अग्रिम	19,087	22,000	22,000	24,050	2,978	1,963	2,566	2,643
4. अन्य	397,712	301,090	340,604	360,853	–	650	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**11,269,937**	**–**	**–**	**–**	**253,410**	**104,894**	**97,849**	**102,741**
1. उचंत	20,636	–	–	–	4,713	20,556	31,319	32,885
2. नकदी शेष निवेश खाता	3,532,913	–	–	–	247,433	83,672	65,285	68,549
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	6,690,807	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,025,581	–	–	–	1,264	666	1,245	1,307
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**600**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**60,000**	**305,000**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	100,000	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**662,176**	**–**	**–**	**–**	**92,542**	**62,978**	**55,736**	**58,527**

परिशिष्ट III की टिप्पणियां देखे।

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	असम				बिहार			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**1,511,101**	**870,575**	**2,262,599**	**2,093,338**	**4,920,295**	**1,290,314**	**1,115,701**	**1,244,194**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**449,690**	**297,409**	**249,059**	**223,817**	**620,979**	**500,088**	**525,475**	**517,884**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**872,901**	**473,030**	**468,109**	**261,073**	**597,191**	**701,071**	**526,497**	**649,883**
1. बाजार ऋण	181,022	58,030	88,109	87,-35	189,666	184,763	184,763	239,931
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,383	15,-00	15,000	15,000	6,840	45,094	45,094	59,004
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	563	1,111	1,111	845
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	607,135	300,000	300,000	100,000	350	200,000	–	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	83,361	100,000	65,000	59,038	240,420	270,000	247,217	250,000
8. अन्य @	–	–	–	–	159,352	103	48,312	103
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	159,352	3	48,212	3
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**46,339**	**54,404**	**20,822**	**16,980**	**165,418**	**2,266**	**2,227**	**385**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	25,237	45,972	12,188	12,633	165,418	–	–	–
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	1,183	1,183	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	140	–	–	–	–	833	833	374
4. योजनेतर (i से ii)	113	–	91	45	–	250	211	11
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	113	–	91	45	–	250	211	11
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	20,000	5,000	5,000	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	850	3,433	3,543	4,302	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**138,914**	**4,875**	**4,355**	**4,310**	**1,483**	**6,751**	**6,751**	**5,116**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	3	–	–	1
2. शहरी विकास	–	–	–	–	202	–	–	–
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	12	141	262	13	32	5,725	5,725	4,211
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	135,000	–	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	3	5	5	5	19	31	31	31
9. उद्योग और खनिज	–	153	–	–	511	59	59	59
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,898	4,575	4,088	4,292	599	815	815	814
12. अन्य**	–	–	–	–	117	121	121	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**60,980**	**87,500**	**87,500**	**65,800**	**119,800**	**122,657**	**122,657**	**129,800**
1. राज्य भविष्य निधि	58,462	85,000	85,000	63,000	115,102	119,000	119,000	125,800
2. अन्य	2,518	2,500	2,500	2,800	4,698	3,657	3,657	4,000
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**47,780**	**33,706**	**24,053**	**47,115**	**18,859**	**14,893**	**14,893**	**15,323**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	4,400	14,400	14,400	17,600	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	43,380	19,306	9,653	29,515	18,859	14,893	14,893	15,323
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**134,930**	**89,300**	**89,300**	**85,300**	**312,942**	**328,662**	**328,662**	**443,687**
1. सिविल जमा	96,457	54,000	54,000	45,000	49,335	51,242	51,242	50,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	45	300	300	300	71,171	89,909	89,909	90,000
3. सिविल अग्रिम	38,429	35,000	35,000	40,000	3,420	2,748	2,748	2,000
4. अन्य	–	–	–	–	189,016	184,763	184,763	301,687
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**59,019**	**27,760**	**1,468,460**	**1,512,760**	**3,580,775**	**53,214**	**53,214**	**–**
1. उचंत	-90,339	10,000	10,000	10,000	-166,161	40,000	40,000	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	146,971	15,000	1,455,700	1,500,000	3,743,949	10,000	10,000	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	2,388	2,760	2,760	2,760	2,987	3,214	3,214	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ								
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**145,237**	**95,000**	**95,000**	**95,000**	**123,827**	**60,800**	**60,800**	**–**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	छत्तीसगढ़				गोवा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**2,962,990**	**2,135,680**	**2,025,932**	**2,076,252**	**487,197**	**278,093**	**282,900**	**289,980**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**247,296**	**256,382**	**160,112**	**173,414**	**86,649**	**72,221**	**78,528**	**85,108**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**148,061**	**174,078**	**121,400**	**140,300**	**115,780**	**68,192**	**73,000**	**67,709**
1. बाजार ऋण	39,167	42,978	10,000	10,000	13,296	12,692	11,000	13,961
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	18,702	25,700	20,000	21,000	–	1,500	–	1,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	640	1,400	1,400	1,300	77	600	–	200
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	20,000	–	18,000	53,829	10,000	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	89,552	84,000	90,000	90,000	46,888	42,000	52,000	40,648
8. अन्य @	–	–	–	–	1,690	1,400	–	1,400
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**42,920**	**68,218**	**11,096**	**14,610**	**8,212**	**9,596**	**9,596**	**21,962**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	41,808	67,622	10,500	14,000	8,156	9,233	9,233	21,962
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	1	1	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,112	336	336	400	56	362	362	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	260	260	210	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	260	260	210	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**1,480**	**3,142**	**4,085**	**7,386**	**558**	**878**	**878**	**883**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	39	68	68	68
2. शहरी विकास	24	419	313	433	4	30	30	30
3. फसल उत्पादन	7	158	158	158	–	4	4	4
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	172	104	106	106	–	–	–	–
5. सहकारिता	711	191	484	483	3	17	17	17
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	1,707	1,810	4,591	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	7	15	15	15	1	4	4	4
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	18	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	230	303	303	303	470	712	712	712
12. अन्य **	329	245	896	1,297	23	43	43	48
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**117**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**44,919**	**50,006**	**45,905**	**46,166**	**11,749**	**12,210**	**12,210**	**12,210**
1. राज्य भविष्य निधि	36,709	42,506	42,506	42,506	11,528	12,000	12,000	12,000
2. अन्य	8,210	7,500	3,399	3,660	221	210	210	210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**30,107**	**25,401**	**29,042**	**51,867**	**2,835**	**3,301**	**3,300**	**3,300**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	1	1	1	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	20,800	10,000	5,000	10,000	1,438	2,000	2,000	2,000
3. अकाल राहत निधि	40	29	29	29	–	–	–	–
4. अन्य	9,267	15,371	24,012	41,837	1,397	1,301	1,300	1,300
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**90,021**	**113,626**	**113,196**	**116,384**	**9,313**	**8,466**	**8,466**	**8,466**
1. सिविल जमा	67,906	47,779	47,779	47,779	7,489	8,245	8,245	8,245
2. स्थानीय निधि जमाराशि	7	10	10	10	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	20,388	22,000	22,000	22,000	300	220	220	220
4. अन्य	1,720	43,837	43,407	46,595	1,524	1	1	1
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**2,383,744**	**1,455,739**	**1,455,739**	**1,454,070**	**189,801**	**120,450**	**120,450**	**120,450**
1. उचंत	54,293	6,390	6,390	4,721	24,649	5,000	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	1,840,024	900,000	900,000	900,000	45,911	60,000	60,000	60,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	245,581	245,581	245,581	–	–	–	–
4. अन्य	489,427	303,768	303,768	303,768	119,241	55,450	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**221,739**	**241,469**	**241,469**	**241,469**	**148,832**	**55,000**	**55,000**	**55,000**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	गुजरात				हरियाणा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**7,896,540**	**6,811,158**	**10,441,471**	**6,976,211**	**4,215,133**	**1,648,500**	**10,127,833**	**10,035,763**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**1,469,489**	**1,157,146**	**965,595**	**947,801**	**443,712**	**294,847**	**328,585**	**431,941**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,458,288**	**947,380**	**962,924**	**984,428**	**417,838**	**352,445**	**321,825**	**336,944**
1. बाजार ऋण	202,046	56,213	60,227	60,227	103,871	52,076	52,081	58,499
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	15,561	–	–	–	78,600	100,000	70,000	110,200
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	–	–	–	–	16,780	23,000	23,000	27,750
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	113	1	1	1	913	1,330	1,330	1,460
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	307,252	100,000	100,000	100,000	–	10,000	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	878,775	691,296	706,296	730,000	212,871	159,664	159,664	120,045
8. अन्य @	54,541	99,870	96,400	94,200	4,803	6,375	5,750	8,990
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**181,812**	**267,144**	**98,181**	**79,208**	**29,612**	**37,391**	**5,469**	**36,660**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	180,553	246,298	98,181	79,207	26,472	36,841	4,919	36,070
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,257	20,845	–	–	364	400	400	440
4. योजनेतर (i से ii)	3	–	–	–	2,775	150	150	150
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	3	–	–	–	2,775	150	150	150
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	1	–	1	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**18,020**	**19,360**	**19,360**	**21,295**	**15,710**	**19,449**	**17,911**	**18,378**
1. आवास निर्माण	1,001	500	500	1,000	66	155	155	159
2. शहरी विकास	2,724	708	708	1,592	24	32	24	17
3. फसल उत्पादन	8	10	10	10	6	21	6	22
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	45	1,000	1,000	1,000	75	350	350	376
5. सहकारिता	2,241	2,000	2,000	2,500	177	1,189	338	522
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	759	143	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	86	117	117	117	7,470	8,452	7,876	8,403
9. उद्योग और खनिज	–	50	50	50	–	1,000	410	440
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	5,976	7,729	7,729	7,729	6,873	6,898	7,568	8,293
12. अन्य**	5,939	7,246	7,246	7,297	259	1,209	1,186	147
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**1**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**9,274**	**–**	**11,212**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**82,513**	**107,635**	**102,427**	**113,229**	**104,022**	**125,674**	**108,079**	**109,814**
1. राज्य भविष्य निधि	71,515	96,335	91,327	102,321	103,086	124,716	107,121	108,846
2. अन्य	10,998	11,300	11,100	10,908	936	958	958	968
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**42,873**	**149,271**	**195,972**	**138,551**	**19,604**	**23,349**	**49,283**	**24,365**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	59	105	105	105	5,169	5,202	5,212	5,465
2. ऋणशोधन निधि	-3,688	80,000	125,000	80,000	3,687	4,190	4,758	5,100
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	46,502	69,166	70,867	58,446	10,748	13,957	39,314	13,800
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**1,085,669**	**1,256,196**	**1,267,094**	**1,156,127**	**227,784**	**215,820**	**167,476**	**201,526**
1. सिविल जमा	256,811	312,000	312,000	312,000	107,471	105,000	110,000	113,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	768,810	700,000	700,000	700,000	942	950	1,400	1,450
3. सिविल अग्रिम	14,664	17,000	17,000	17,000	8,975	6,000	4,000	6,000
4. अन्य	45,384	227,196	238,094	127,127	110,397	103,870	52,076	81,076
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**4,466,275**	**3,653,012**	**7,373,011**	**4,072,212**	**3,217,490**	**754,372**	**9,307,790**	**9,158,075**
1. उचंत	186,258	167,860	167,860	167,860	59,474	70,395	1,540,400	1,650,075
2. नकदी शेष निवेश खाता	1,126,389	580,000	4,300,000	1,000,000	3,150,654	80,000	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	1,823,080	1,800,000	1,800,000	1,800,000	–	600,000	7,759,320	7,500,000
4. अन्य	1,330,548	1,105,152	1,105,151	1,104,352	7,362	3,978	8,070	8,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**590**	**–**	**130**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**551,226**	**411,160**	**411,160**	**411,160**	**183,074**	**120,000**	**150,000**	**150,000**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	हिमाचल प्रदेश				जम्मू और कश्मीर			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (संशोधित अनुमान)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**1,248,208**	**357,653**	**452,430**	**413,877**	**237,370**	**277,186**	**367,777**	**281,260**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**370,211**	**145,488**	**240,265**	**201,212**	**139,887**	**169,508**	**192,699**	**151,414**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**434,229**	**121,745**	**195,994**	**174,937**	**76,089**	**86,724**	**111,724**	**72,163**
1. बाजार ऋण	88,561	42,500	42,500	46,750	9,542	15,224	15,224	16,746
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	2,732	6,000	10,000	8,242	11,300	11,300	11,300	10,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	8,527	17,500	17,500	20,500	21,000	26,000	21,000	10,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	1,235	900	900	31	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	189,834	14,000	14,000	14,000	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	78,844	30,845	80,000	37,614	30,047	30,000	60,000	30,000
8. अन्य @	64,496	10,000	31,094	47,800	4,200	4,200	4,200	5,417
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**23,299**	**15,036**	**14,126**	**14,408**	**38,845**	**39,342**	**39,426**	**55,237**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	12,888	15,000	14,090	14,372	38,825	39,342	39,426	55,237
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	322	36	36	36	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	89	–	–	–	20	30	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	89	–	–	–	20	30	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	10,000	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**2,579**	**2,707**	**2,853**	**2,367**	**315**	**348**	**355**	**352**
1. आवास निर्माण	55	41	52	52	6	6	20	16
2. शहरी विकास	–	–	–	–	20	18	–	–
3. फसल उत्पादन	3	7	7	7	4	4	5	5
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	12	9	9	9	–	–	–	–
5. सहकारिता	335	380	380	380	–	–	2	3
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	135	–	135	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	22	21	21	24	–	–	–	–
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	5	5	5
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	1,940	2,213	2,215	1,864	270	300	300	300
12. अन्य **	77	37	34	31	15	15	23	23
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**92,194**	**50,500**	**60,500**	**54,500**	**75,857**	**98,811**	**100,394**	**99,243**
1. राज्य भविष्य निधि	90,719	49,000	59,000	52,900	73,658	96,500	98,000	96,719
2. अन्य	1,476	1,500	1,500	1,600	2,199	2,311	2,394	2,524
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**5,288**	**–**	**–**	**–**	**15,205**	**18,782**	**77,464**	**18,341**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	5,288	–	–	–	15,205	18,782	77,464	18,341
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**132,265**	**37,387**	**37,387**	**37,387**	**2,300**	**2,300**	**2,300**	**2,300**
1. सिविल जमा	35,413	7,987	7,987	7,987	1,300	1,300	1,300	1,300
2. स्थानीय निधि जमाराशि	83,587	21,500	21,500	21,500	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	12,677	7,250	7,250	7,250	1,000	1,000	1,000	1,000
4. अन्य	588	650	650	650	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**305,641**	**82,241**	**93,533**	**82,241**	**15,459**	**17,579**	**22,815**	**20,324**
1. उचंत	20,174	17,100	28,392	17,100	9,459	11,579	16,815	14,324
2. नकदी शेष निवेश खाता	285,122	15,000	15,000	15,000	–	–	3,600	3,600
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	50,000	50,000	50,000	–	–	–	–
4. अन्य	345	141	141	141	6,000	6,000	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**252,713**	**48,037**	**48,037**	**48,037**	**13,300**	**13,300**	**13,300**	**13,300**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	झारखंड				कर्नाटक			
	2004-05 (संशोधित अनुमान)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**685,264**	**552,124**	**552,124**	**828,765**	**6,626,281**	**2,199,320**	**2,195,821**	**2,272,177**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**362,340**	**233,355**	**233,355**	**499,928**	**942,008**	**481,745**	**693,246**	**318,702**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**225,000**	**200,358**	**200,358**	**462,255**	**841,647**	**387,787**	**484,217**	**255,000**
1. बाजार ऋण	45,000	23,562	23,562	33,855	229,868	151,287	41,492	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	25,000	35,000	35,000	82,000	20,862	40,000	10,000	60,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	25,000	25,000	18,000	6,012	1,500	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	146,279	135,000	–	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	105,000	51,796	51,796	151,100	438,626	60,000	432,725	60,000
8. अन्य @	50,000	65,000	65,000	177,300	–	–	–	–
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**102,842**	**–**	**–**	**–**	**155,575**	**219,112**	**199,183**	**117,941**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	43,642	–	–	–	153,145	214,501	199,183	117,891
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	13,623	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	45,577	–	–	–	2,376	111	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	55	4,500	–	50
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	55	4,500	–	50
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**1,552**	**992**	**992**	**1,193**	**4,685**	**2,991**	**2,991**	**4,461**
1. आवास निर्माण	6	5	5	6	572	200	200	572
2. शहरी विकास	–	–	–	–	51	50	50	51
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	–	40	40	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	–	–	–	–	151	100	100	151
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	1	1	–
7. बिजली परियोजना	1,150	500	500	500	225	500	500	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	58	56	56	56	39	58	58	39
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	65	212	212	65
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	338	430	430	630	-675	1,275	1,275	-675
12. अन्य**	–	–	–	–	4,257	555	555	4,258
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**4,052**	**500**	**500**	**500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**39,000**	**33,795**	**33,795**	**39,112**	**152,149**	**175,450**	**175,450**	**192,995**
1. राज्य भविष्य निधि	38,000	32,795	32,795	37,812	81,037	90,090	90,090	99,099
2. अन्य	1,000	1,000	1,000	1,300	71,112	85,360	85,360	93,896
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**6,891**	**7,000**	**7,000**	**16,182**	**56,997**	**20,900**	**20,900**	**83,700**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	6	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	-72	–	–	–
4. अन्य	6,891	7,000	7,000	16,182	57,064	20,900	20,900	83,700
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**103,659**	**103,659**	**103,659**	**103,659**	**1,721,128**	**578,080**	**578,080**	**578,080**
1. सिविल जमा	13,341	13,341	13,341	13,341	205,368	85,000	85,000	85,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	38,100	38,100	38,100	38,100	931,331	420,000	420,000	420,000
3. सिविल अग्रिम	6,618	6,618	6,618	6,618	7,477	–	–	–
4. अन्य	45,600	45,600	45,600	45,600	576,953	73,080	73,080	73,080
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**65,114**	**65,114**	**65,114**	**65,114**	**3,426,760**	**606,500**	**526,500**	**831,500**
1. उचंत	38,514	38,514	38,514	38,514	86,752	26,500	26,500	26,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	20,000	20,000	20,000	20,000	1,984,536	80,000	–	305,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	6,600	6,600	6,600	6,600	1,355,472	500,000	500,000	500,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**126,206**	**126,206**	**126,206**	**126,250**	**263,288**	**208,000**	**208,000**	**208,000**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	केरल				मध्य प्रदेश			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**5,037,878**	**4,053,625**	**5,192,072**	**5,083,525**	**4,461,948**	**4,916,582**	**5,515,352**	**5,169,959**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**723,955**	**635,039**	**694,189**	**894,813**	**1,009,657**	**750,567**	**822,574**	**633,251**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	–	–	–	–
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,444,236**	**908,268**	**1,219,226**	**1,036,497**	**920,274**	**1,203,328**	**951,512**	**1,075,949**
1. बाजार ऋण	167,189	111,866	163,124	179,395	173,020	108,555	155,140	282,833
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	44,000	44,000	44,000	44,000	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	12,000	256	12,000
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	10,084	25,000	25,200	45,200	30,234	56,000	56,000	56,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	6,642	3,400	3,400	3,400	1,186	1,416	1,416	1,416
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	932,825	465,000	679,500	460,500	223,474	750,000	450,000	500,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	279,495	255,000	300,000	300,000	276,567	270,000	284,000	216,000
8. अन्य @	4,001	4,002	4,002	4,002	215,793	5,357	4,700	7,700
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	1	2	2	2	141,480	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**148,211**	**152,125**	**97,047**	**135,078**	**188,101**	**214,792**	**50,497**	**60,509**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	112,238	129,929	59,851	97,882	161,656	213,291	49,775	59,064
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	931	2,156	2,156	2,156	1,445	1,501	722	1,445
4. योजनेतर (i से ii)	42	40	40	40	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	42	40	40	40	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	35,000	20,000	35,000	35,000	25,000	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**9,522**	**7,490**	**6,776**	**9,349**	**5,320**	**86,161**	**279,604**	**4,369**
1. आवास निर्माण	43	114	114	117	–	297	299	233
2. शहरी विकास	450	343	343	343	1,381	1,391	1,385	1,612
3. फसल उत्पादन	–	24	24	24	90	7	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	27	166	166	100	548	335	110	105
5. सहकारिता	1,772	1,315	1,315	1,911	584	973	1,447	973
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	40	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	903	81,478	274,936	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	679	746	746	775	19	1	58	58
9. उद्योग और खनिज	2,578	92	92	2,578	44	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,692	3,907	3,243	2,768	796	935	935	851
12. अन्य **	280	783	733	734	954	704	435	537
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**9,189**	**100**	**–**	**100**	**100**	**4,000**	**4,000**	**4,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**789,644**	**1,034,267**	**931,529**	**1,054,122**	**181,050**	**135,759**	**137,640**	**144,513**
1. राज्य भविष्य निधि	157,863	246,678	214,623	309,196	144,629	114,334	114,334	119,370
2. अन्य	631,781	787,589	716,905	744,926	36,421	21,425	23,306	25,143
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**35,813**	**23,426**	**34,386**	**26,689**	**35,069**	**36,328**	**60,260**	**65,898**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	49	39	38	36
2. ऋणशोधन निधि	–	13,857	14,408	16,111	–	100	100	100
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	19	29	19	19
4. अन्य	35,813	9,569	19,978	10,578	35,001	36,160	60,103	65,743
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**223,111**	**449,783**	**404,610**	**427,597**	**387,530**	**284,345**	**314,015**	**497,994**
1. सिविल जमा	89,727	96,976	106,276	104,258	174,575	137,038	167,256	163,856
2. स्थानीय निधि जमाराशि	130,631	351,050	296,050	321,050	17	7	4,500	4,300
3. सिविल अग्रिम	233	308	54	60	33,936	38,500	30,000	35,000
4. अन्य	2,520	1,449	2,229	2,229	179,003	108,800	112,259	294,838
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**1,890,448**	**1,045,222**	**1,988,202**	**1,894,799**	**2,212,701**	**2,231,981**	**3,217,500**	**2,766,500**
1. उचंत	413,461	364,139	465,130	413,878	956	28,081	16,100	15,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	57,644	30,005	72,206	30,005	867,747	700,400	2,000,000	1,500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,419,343	651,078	1,450,866	1,450,916	1,343,998	1,503,500	1,201,400	1,251,500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**2**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**487,703**	**432,945**	**510,297**	**499,294**	**531,803**	**719,888**	**500,324**	**550,227**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	महाराष्ट्र				मणिपुर			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**7,755,565**	**6,459,327**	**14,030,373**	**6,614,943**	**532,046**	**199,494**	**454,625**	**469,310**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**3,106,083**	**1,509,378**	**2,451,492**	**1,967,881**	**118,874**	**41,128**	**54,919**	**25,438**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**2,392,508**	**707,156**	**2,286,543**	**1,202,169**	**35,856**	**43,027**	**32,455**	**57,568**
1. बाजार ऋण	427,248	138,580	186,963	173,760	8,299	8,991	14,991	22,147
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	47,700	–	–	–	884	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	-39,359	100,000	100,000	100,000	–	800	800	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	10,755	9,551	36,536	32,730	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	353,791	100,000	368,493	300,000	24,155	30,000	13,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,575,293	302,800	1,573,348	566,488	3,402	–	3,664	24,321
8. अन्य @	64,780	8,525	21,203	29,191	–	2,352	–	100
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	5	20	20	20	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**180,168**	**340,207**	**36,864**	**69,378**	**102,722**	**31,810**	**–**	**–**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	176,575	333,127	29,178	63,413	8,195	11,384	–	–
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	3,518	7,030	7,586	5,865	–	400	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	192	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	74	50	100	100	61,083	1	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	74	50	100	100	61,083	1	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	33,100	20,000	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	152	25	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**204,094**	**44,538**	**49,472**	**51,451**	**58**	**551**	**64**	**70**
1. आवास निर्माण	3,813	3,407	2,800	3,407	–	500	1	1
2. शहरी विकास	448	1,425	910	1,243	–	–	–	–
3. फसल उत्पादन	7	16	16	8	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	65,748	1,585	1,585	1,633	6	5	6	7
6. लघु सिंचाई	2	10	10	10	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	109,013	17,322	22,350	21,468	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	211	200	100	175	6	1	7	7
9. उद्योग और खनिज	7,241	–	614	475	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	10,711	11,873	12,025	14,036	46	45	50	55
12. अन्य**	6,901	8,699	9,062	8,997	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**40,452**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**168,436**	**220,104**	**193,810**	**216,066**	**13,093**	**15,200**	**27,200**	**10,200**
1. राज्य भविष्य निधि	151,556	196,862	169,836	191,155	12,919	11,000	27,000	10,000
2. अन्य	16,880	23,243	23,974	24,911	174	4,200	200	200
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**646,136**	**482,962**	**626,940**	**493,521**	**740**	**556**	**556**	**572**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	95	81	81	71	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	31,690	44,000	40,900	52,600	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	24	30	30	30	–	–	–	–
4. अन्य	614,327	438,851	585,929	440,819	740	556	556	572
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**746,589**	**591,954**	**897,048**	**656,189**	**13,631**	**1,350**	**26,350**	**15,400**
1. सिविल जमा	683,422	551,574	725,926	609,376	12,847	1,000	20,000	10,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	183	313	303	304	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	37,451	35,008	35,009	35,008	506	300	350	400
4. अन्य	25,534	5,060	135,810	11,501	278	50	6,000	5,000
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**2,229,349**	**2,942,805**	**8,817,694**	**2,827,608**	**306,311**	**57,000**	**308,000**	**323,000**
1. उचंत	4,799	12,800	14,471	35,662	20,295	4,000	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	2,101,384	100,000	5,461,575	2,400,000	284,800	50,000	300,000	315,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	123,166	2,830,005	3,341,648	391,946	1,216	3,000	3,000	3,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**30,000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**1,117,834**	**1,129,601**	**1,122,003**	**1,098,561**	**59,635**	**50,000**	**60,000**	**62,500**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	मेघालय				मिजोरम			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**369,040**	**1,303,422**	**1,305,174**	**1,295,563**	**248,079**	**40,394**	**238,491**	**51,841**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**46,851**	**44,612**	**43,462**	**43,890**	**37,506**	**32,974**	**39,639**	**34,264**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**24,466**	**25,036**	**29,070**	**25,315**	**43,678**	**10,434**	**32,246**	**26,730**
1. बाजार ऋण	14,236	10,825	10,825	10,827	8,909	3,458	11,466	10,454
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	1,150	–	300	–	4,918	4,918	4,918
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,509	2,600	2,600	2,600	211	1,400	1,400	1,400
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	116	411	411	238	–	–	196	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	257	4,050	9,234	4,050	29,514	–	6,324	6,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5,678	5,000	5,000	5,500	3,286	–	3,000	3,300
8. अन्य @	2,670	1,000	1,000	1,800	1,758	658	4,942	658
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**11,213**	**8,713**	**8,713**	**12,351**	**6,778**	**7,597**	**1,357**	**750**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	4,297	7,942	7,640	11,514	5,971	7,586	1,341	750
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	138	15	335	15	142	1	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	13	80	62	42	–	10	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	13	80	62	42	–	10	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	6,500	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	265	676	676	780	665	–	16	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**1,846**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,230**	**2,093**	**2,263**	**2,283**
1. आवास निर्माण	4	12	12	12	1,669	1,500	1,700	1,750
2. शहरी विकास	13	–	–	–	1	1	1	1
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	7	7	7	7	28	31	31	31
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	48	–	–	–	–	–	–	–
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	1	1	1	1	1	1	1
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	1,774	1,980	1,980	1,980	531	530	530	500
12. अन्य **	–	–	–	–	–	30	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**8,056**	**21,000**	**18,068**	**21,000**	**10**	**10**	**10**	**10**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**7,307**	**7,269**	**7,269**	**7,850**	**15,679**	**16,250**	**17,280**	**17,750**
1. राज्य भविष्य निधि	7,307	7,269	7,269	7,850	15,132	13,000	17,000	17,500
2. अन्य	–	–	–	–	548	3,250	280	250
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**1,797**	**1,321**	**1,971**	**2,143**	**1,692**	**900**	**1,094**	**1,208**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	702	842	842	982	500	600	600	700
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,095	479	1,129	1,161	1,192	300	494	508
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**16,520**	**25,619**	**25,619**	**24,770**	**30,382**	**1,710**	**25,500**	**1,710**
1. सिविल जमा	13,289	22,515	22,515	21,566	29,411	1,700	25,000	1,700
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	2	2	2	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	3,231	3,102	3,102	3,202	972	10	500	10
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**232,891**	**1,153,718**	**1,153,718**	**1,140,758**	**82,381**	**1,400**	**113,305**	**1,400**
1. उचंत	1,755	5,352	5,352	5,173	610	–	45,000	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	230,734	374,165	374,165	374,165	80,451	–	11,805	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	773,900	773,900	761,100	–	–	55,000	–
4. अन्य	402	301	301	320	1,320	1,400	1,500	1,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**64,944**	**58,746**	**58,746**	**59,376**	**65,249**	**–**	**45,436**	**–**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	नगालैंड				उड़ीसा			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**331,947**	**136,395**	**124,899**	**122,350**	**2,259,596**	**1,387,461**	**1,385,752**	**1,578,713**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**40,854**	**53,635**	**48,347**	**52,160**	**471,656**	**425,595**	**375,865**	**368,199**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**63,035**	**82,903**	**75,988**	**77,786**	**413,968**	**344,626**	**227,654**	**309,436**
1. बाजार ऋण	16,361	18,465	25,382	28,148	119,897	99,459	66,613	163,908
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	900	4,500	2,100	2,100	–	2,452	263	2,697
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1,814	2,200	2,650	2,850	14,842	30,000	28,272	30,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	321	238	238	238	431	2	6	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	35,437	50,000	35,000	35,000	145,046	150,000	–	50,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,975	1,200	2,368	1,200	133,752	61,530	132,500	61,530
8. अन्य @	6,227	6,300	8,250	8,250	–	1,183	–	1,301
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**16,392**	**18,189**	**10,000**	**10,000**	**142,258**	**217,345**	**101,617**	**105,745**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	5,383	7,192	–	–	140,979	214,500	100,000	105,325
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	235	300	–	–	786	1,320	1,617	420
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	493	1,525	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	493	1,525	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	10,000	10,000	10,000	10,000	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	774	697	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**650**	**613**	**671**	**574**	**41,695**	**16,498**	**26,000**	**27,640**
1. आवास निर्माण	14	470	499	423	128	–	–	–
2. शहरी विकास	–	–	–	–	70	–	–	–
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	–	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	191	–	–	–
5. सहकारिता	16	16	16	15	324	–	–	–
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	20,000	–	–	5,514
8. ग्राम और लघु उद्योग	21	–	21	22	76	–	–	–
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	2,521	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	599	127	135	114	17,389	13,987	20,489	18,116
12. अन्य**	–	–	–	–	996	2,511	5,511	4,010
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**5,443**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**9,049**	**10,500**	**14,050**	**9,800**	**193,772**	**165,423**	**192,374**	**192,804**
1. राज्य भविष्य निधि	8,820	10,250	13,800	9,550	193,409	165,303	192,134	192,504
2. अन्य	229	250	250	250	363	120	240	300
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**234**	**180**	**180**	**180**	**112,306**	**72,110**	**110,282**	**124,451**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	78,500	26,007	66,007	78,807
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	29	–	–	–
4. अन्य	234	180	180	180	33,777	46,103	44,275	45,644
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**13,150**	**1,260**	**1,260**	**1,260**	**274,944**	**259,323**	**260,493**	**345,030**
1. सिविल जमा	12,307	1,000	1,000	1,000	118,523	122,034	122,035	127,060
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	32,595	32,780	32,785	33,502
3. सिविल अग्रिम	843	260	260	260	3,928	4,550	4,560	4,560
4. अन्य	–	–	–	–	119,898	99,959	101,113	179,908
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**180,143**	**8,740**	**8,740**	**8,740**	**876,069**	**113,982**	**259,010**	**264,562**
1. उचंत	4,121	1,490	1,490	1,490	-42,874	7,932	7,950	8,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	166,695	6,500	6,500	6,500	917,921	105,000	250,000	255,500
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	9,327	750	750	750	1,022	1,050	1,060	1,062
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–				
XIII. विप्रेषण	**49,294**	**14,010**	**14,010**	**14,010**	**199,141**	**183,154**	**193,322**	**194,045**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	पंजाब				राजस्थान			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**2,643,739**	**4,822,453**	**7,004,915**	**6,926,564**	**6,680,650**	**5,890,817**	**9,063,764**	**6,325,881**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**753,452**	**604,304**	**640,465**	**561,346**	**1,176,905**	**905,209**	**676,497**	**668,991**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**1,017,328**	**871,277**	**635,931**	**537,430**	**1,031,229**	**895,073**	**588,466**	**744,997**
1. बाजार ऋण	183,069	59,277	215,774	123,240	239,051	136,273	104,083	212,513
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	89,390	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	17,804	32,400	32,400	32,400	16,393	50,000	25,643	50,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	500	500	500	1,214	300	300	400
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	438,252	400,000	26,917	100	180,896	300,000	100,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	364,103	365,000	360,340	381,190	504,285	408,500	358,440	182,084
8. अन्य @	14,100	14,100	–	–	–	–	–	–
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**54,835**	**82,462**	**8,268**	**13,725**	**147,912**	**214,596**	**53,068**	**75,652**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	34,244	58,907	8,013	13,465	145,392	209,560	49,666	70,854
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	-123	-123	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	400	–	–	–	2,488	4,286	2,639	4,048
4. योजनेतर (i से ii)	191	3,555	255	260	32	750	763	750
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	191	3,555	255	260	32	750	763	750
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	20,000	20,000	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**13,381**	**20,081**	**11,494**	**24,190**	**12,463**	**10,643**	**11,731**	**10,783**
1. आवास निर्माण	20	–	17	18	258	207	205	138
2. शहरी विकास	201	199	199	200	225	200	2,179	200
3. फसल उत्पादन	972	160	1,291	5	1,257	1,008	1,005	505
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	27	–	–	–	54	13	13	2
5. सहकारिता	81	41	26	22	2,729	2,493	4,896	4,541
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	1	1	1	1
7. बिजली परियोजना	3,062	10,000	–	15,000	1,993	1,894	1,790	4,496
8. ग्राम और लघु उद्योग	462	1,331	1,921	1,914	20	26	21	20
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	4,813	3,117	410	168
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	8,309	8,115	7,624	6,837	1,044	649	615	481
12. अन्य **	247	235	416	194	69	1,035	596	231
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**142,891**	**149,729**	**145,078**	**152,371**	**217,700**	**248,507**	**245,639**	**264,212**
1. राज्य भविष्य निधि	139,264	146,458	141,199	148,259	150,989	173,863	166,691	176,707
2. अन्य	3,627	3,271	3,879	4,112	66,711	74,644	78,948	87,505
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**44,803**	**14,737**	**35,693**	**30,397**	**82,986**	**69,587**	**68,232**	**114,938**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	268	7,016	6,793	7,348	1,925	2,121	200	–
2. ऋणशोधन निधि	–	7,000	–	7,000	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	44,535	721	28,900	16,049	81,061	67,466	68,032	114,938
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**120,610**	**87,790**	**96,976**	**96,976**	**3,853,309**	**3,644,665**	**3,866,034**	**4,286,691**
1. सिविल जमा	66,727	73,321	91,198	91,198	418,243	397,256	426,187	426,386
2. स्थानीय निधि जमाराशि	2,762	5,584	39	39	3,112,542	3,060,804	3,270,184	3,576,533
3. सिविल अग्रिम	6,944	8,609	5,739	5,739	5,873	5,005	6,004	6,002
4. अन्य	44,177	276	–	–	316,651	181,600	163,659	277,770
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**1,175,850**	**3,528,467**	**5,986,001**	**5,986,001**	**1,077,212**	**513,841**	**3,934,189**	**507,204**
1. उचंत	34,657	73,318	66,711	66,711	3,775	12,818	6,161	6,161
2. नकदी शेष निवेश खाता	252,860	96,028	974,143	974,143	1,072,661	500,000	3,926,985	500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	2,608,150	4,010,891	4,010,891	–	–	–	–
4. अन्य	888,333	750,971	934,256	934,256	776	1,023	1,043	1,043
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**74,041**	**67,910**	**85,474**	**85,474**	**257,838**	**293,905**	**296,405**	**321,405**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	सिक्किम				तमिलनाडु			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**211,167**	**160,010**	**177,592**	**194,510**	**8,688,959**	**5,789,053**	**10,392,616**	**8,126,200**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**35,291**	**12,113**	**18,734**	**24,681**	**1,404,187**	**822,110**	**879,191**	**1,128,871**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**14,220**	**3,962**	**15,888**	**20,586**	**1,221,488**	**842,085**	**846,480**	**980,058**
1. बाजार ऋण	4,757	1,154	10,654	15,352	259,936	285,113	164,952	278,511
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	964	964	964	964	50,644	5,000	–	26,000
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	35,000	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	487	800	800	800	33,300	40,065	40,000	108,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	-137,614	480	1,899	747
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	133,707	100,000	110,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,188	1,000	3,426	3,426	591,450	375,738	507,139	420,000
8. अन्य @	4,824	44	44	44	255,065	35,689	22,490	46,300
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	4,780	–	–	–	196,214	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**5,078**	**6,018**	**329**	**359**	**125,860**	**1,003**	**54,750**	**134,826**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	4,673	5,010	320	350	109,866	–	53,983	133,776
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	171	588	–	–	1,042	903	719	1,000
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	9	9	14,952	100	48	50
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	9	9	14,952	100	48	50
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	234	420	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**-24**	**111**	**71**	**71**	**78,338**	**21,962**	**74,199**	**137,119**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	-431	139	104	94
2. शहरी विकास	–	–	–	–	7,663	1,530	1,510	1,044
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	15	–	–	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	20	19	18,825	30,018
5. सहकारिता	–	–	–	–	160	122	2,923	29,242
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	5	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	3,000	3,862	10,036	11,525
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	270	102	469	667
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	1,093	234	11,607	12,931
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	8,000
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	-24	111	71	71	12,187	9,637	9,633	14,935
12. अन्य**	–	–	–	–	54,356	6,317	19,092	28,662
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**50**	**–**	**84**	**10**	**–**	**–**	**–**	1,652
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**6,979**	**6,480**	**7,096**	**7,696**	**198,245**	**334,153**	**257,461**	**288,856**
1. राज्य भविष्य निधि	6,784	6,300	6,900	7,500	193,126	329,559	251,706	282,840
2. अन्य	195	180	196	196	5,119	4,594	5,755	6,016
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**3,279**	**2,212**	**2,897**	**4,105**	**205,727**	**200,175**	**645,527**	**463,727**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	27	27	23	23
2. ऋणशोधन निधि	1,100	1,100	1,100	1,173	47,030	36,694	291,722	245,074
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	1	1	1
4. अन्य	2,179	1,112	1,797	2,932	158,670	163,453	353,781	218,629
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**2,122**	**2,478**	**2,477**	**2,121**	**1,007,593**	**780,385**	**871,280**	**897,885**
1. सिविल जमा	2,121	2,477	2,477	2,121	729,506	518,268	584,718	587,741
2. स्थानीय निधि जमाराशि	1	–	–	–	135,844	163,839	145,088	145,088
3. सिविल अग्रिम	–	1	–	–	5,781	6,101	5,715	5,716
4. अन्य	–	–	–	–	136,462	92,177	135,759	159,340
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**130,304**	**100,764**	**110,764**	**110,404**	**5,622,934**	**3,253,554**	**7,453,187**	**5,032,348**
1. उचंत	235	9	9	235	152,945	210,647	163,222	166,095
2. नकदी शेष निवेश खाता	49,900	30,000	40,000	30,000	4,075,586	1,970,132	5,911,150	3,500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	80,169	70,755	70,755	80,169	1,394,403	1,072,775	1,378,815	1,366,253
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**49,158**	**37,985**	**37,985**	**49,158**	**228,774**	**355,735**	**189,732**	**189,732**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	त्रिपुरा				उत्तरांचल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**459,713**	**409,449**	**701,600**	**669,252**	**2,778,826**	**946,326**	**970,155**	**1,325,089**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**74,981**	**40,725**	**73,956**	**71,668**	**223,072**	**229,378**	**253,270**	**275,347**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**55,812**	**28,548**	**56,985**	**57,368**	**229,298**	**193,845**	**193,845**	**223,300**
1. बाजार ऋण	25,089	9,425	13,700	10,368	30,884	28,845	28,845	53,800
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	2,183	3,000	–	3,000	–	5,000	5,000	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	–	3,000	3,000	3,000	11,442	17,500	17,500	17,500
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	1,424	1,200	1,200	2,500
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	8,613	–	–	–	88,744	30,000	30,000	30,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	19,927	12,623	40,285	41,000	96,804	110,000	110,000	117,000
8. अन्य @	–	500	–	–	–	1,300	1,300	2,500
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**9,516**	**2,000**	**–**	**–**	**14,688**	**21,987**	**21,987**	**4,955**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	9,024	2,000	–	–	13,879	20,637	20,637	2,455
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	157	–	–	–	546	300	300	1,000
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	263	1,050	1,050	1,500
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	263	1,050	1,050	1,500
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	335	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**397**	**300**	**300**	**304**	**8,709**	**6,040**	**6,040**	**17,965**
1. आवास निर्माण	21	21	23	23	–	–	–	–
2. शहरी विकास	–	–	–	–	791	15	15	100
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	–	3,000	3,000	–
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–
5. सहकारिता	3	7	3	3	15	25	25	45
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	6,938	2,419	2,419	6,700
8. ग्राम और लघु उद्योग	2	6	3	3	–	–	–	10,001
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	–	–	–
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	371	262	271	271	933	550	550	1,089
12. अन्य **	–	4	–	4	32	31	31	31
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**2,406**	**–**	**790**	**4,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**44,411**	**41,466**	**46,214**	**47,400**	**29,984**	**26,097**	**32,093**	**36,661**
1. राज्य भविष्य निधि	44,065	41,086	45,834	47,000	29,432	25,501	31,497	35,790
2. अन्य	346	380	380	400	552	596	596	871
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**1,301**	**1,000**	**1,025**	**1,100**	**29,044**	**10,200**	**16,200**	**33,500**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	12,500	10,200	10,200	15,500
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	1,301	1,000	1,025	1,100	16,544	–	6,000	18,000
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**24,746**	**21,110**	**36,575**	**35,060**	**185,042**	**126,277**	**134,319**	**184,364**
1. सिविल जमा	23,496	18,960	23,550	23,000	110,936	52,550	58,550	76,723
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	65,304	73,727	75,769	107,641
3. सिविल अग्रिम	1,250	2,150	13,025	12,060	8,801	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**263,256**	**245,025**	**510,500**	**483,020**	**2,102,137**	**423,830**	**426,831**	**618,791**
1. उचंत	-2,406	5,000	3,050	3,000	-11,537	16,830	16,830	24,572
2. नकदी शेष निवेश खाता	265,663	240,000	507,430	480,000	300,334	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	1,369,218	–	–	–
4. अन्य	-1	25	20	20	444,122	407,000	410,001	594,219
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**60,273**	**70,000**	**50,000**	**45,000**	**177,518**	**138,050**	**138,050**	**201,553**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(जारी)*

(लाख रुपए)

मद	उत्तर प्रदेश				पश्चिम बंगाल			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**17,515,002**	**6,693,927**	**6,629,975**	**6,672,855**	**10,953,031**	**9,064,011**	**9,529,770**	**9,436,861**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल)	**2,177,448**	**1,626,581**	**1,485,127**	**1,534,476**	**1,514,996**	**1,662,916**	**1,943,751**	**1,676,341**
I. बाह्य ऋण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**3,484,790**	**2,011,439**	**2,217,881**	**2,342,942**	**2,738,325**	**1,755,672**	**1,478,353**	**1,667,585**
1. बाजार ऋण	486,716	206,224	309,673	324,727	444,004	116,342	171,447	175,929
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	1,000	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	188,000	90,000	140,000	150,000	–	–	–	–
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	30,067	53,215	25,000	53,215	–	1,000	1,000	1,000
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	758	–	–	–	1,656	2,000	2,311	1,793
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	2,025,100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,289,851	350,000	–	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	718,149	638,000	719,208	800,000	953,155	1,100,400	1,147,900	1,262,700
8. अन्य @	36,000	24,000	24,000	15,000	49,659	184,930	155,695	126,163
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	–	30	30	30
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**284,087**	**435,060**	**40,265**	**57,872**	**163,948**	**260,228**	**64,571**	**103,673**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	282,052	434,395	40,000	57,607	163,195	258,315	64,571	103,673
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	5	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	1,925	400	–	–	753	1,198	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	110	265	265	265	–	710	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	110	265	265	265	–	710	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**27,763**	**36,151**	**50,692**	**38,793**	**74,660**	**37,658**	**66,600**	**22,658**
1. आवास निर्माण	-1,814	1,437	1,437	1,337	24	150	150	150
2. शहरी विकास	1,342	1,535	1,535	1,535	–	120	95	95
3. फसल उत्पादन	371	2,520	1,913	1,440	67	25	50	50
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	7	15	15	15	–	4	4	4
5. सहकारिता	2,143	968	968	968	261	250	275	275
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	2	7	7	7
7. बिजली परियोजना	–	100	100	100	29,440	29,409	58,351	14,409
8. ग्राम और लघु उद्योग	125	607	727	4,324	27	108	108	108
9. उद्योग और खनिज	13,081	15,272	15,272	14,656	39,795	1,230	1,205	1,205
10. सड़क परिवहन	–	49	49	49	–	200	200	200
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	3,474	3,582	3,932	4,303	4,859	6,000	6,000	6,000
12. अन्य**	9,033	10,067	24,745	10,067	185	155	155	155
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**7,569**	**–**	**21,200**	**–**	**–**	**–**	**401**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**322,560**	**372,473**	**453,515**	**405,236**	**114,204**	**123,472**	**126,508**	**138,859**
1. राज्य भविष्य निधि	308,678	357,780	438,822	390,543	112,280	120,472	123,508	135,859
2. अन्य	13,882	14,693	14,693	14,693	1,924	3,000	3,000	3,000
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**271,029**	**348,813**	**311,431**	**339,848**	**64,248**	**72,265**	**53,030**	**56,899**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	9,648	11,207	9,633	12,000	–	1	1	–
2. ऋणशोधन निधि	229,654	311,301	263,680	287,207	–	31,600	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	5	–	–
4. अन्य	31,727	26,305	38,118	40,641	64,248	40,659	53,029	56,899
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**1,239,440**	**548,812**	**583,812**	**550,962**	**1,144,594**	**917,746**	**1,004,577**	**979,946**
1. सिविल जमा	398,136	266,200	286,200	266,750	171,314	180,697	188,421	207,832
2. स्थानीय निधि जमाराशि	390,250	282,612	297,612	284,212	361,092	384,449	420,065	379,030
3. सिविल अग्रिम	9,217	–	–	–	16,051	16,126	16,511	17,016
4. अन्य	441,837	–	–	–	596,137	336,474	379,580	376,068
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**11,368,235**	**2,691,179**	**2,701,179**	**2,685,702**	**6,466,567**	**5,656,132**	**6,519,408**	**6,230,189**
1. उचंत	-726,668	75,015	75,015	75,015	-3,552	6,329	384,152	8,980
2. नकदी शेष निवेश खाता	430,108	–	–	–	208,159	20,000	310,000	200,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	8,754,360	–	–	–	4,719,686	4,150,000	4,200,000	4,500,000
4. अन्य	2,910,435	2,616,164	2,626,164	2,610,687	1,542,274	1,479,803	1,625,256	1,521,209
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	–
XIII. विप्रेषण	**509,529**	**250,000**	**250,000**	**251,500**	**186,486**	**240,837**	**216,323**	**237,053**

परिशिष्ट III : अलग-अलग राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां *(समाप्त)*

(लाख रुपए)

मद	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली				सभी राज्य			
	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)	2004-05 (लेखा)	2005-06 (बजट अनुमान)	2005-06 (संशोधित अनुमान)	2006-07 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5	2	3	4	5
कुल प्राप्तियाँ (I से XIII)	**453,930**	**244,730**	**477,089**	**18,732**	**117,871,192**	**72,518,742**	**105,999,728**	**90,233,309**
कुल पूंजीगत प्राप्तियां (सार्वजनिक लेखा का निवल) *	**453,930**	**244,730**	**477,089**	**18,732**	**20,468,688**	**14,941,319**	**15,913,567**	**15,196,882**
I. बाह्य ऋण #	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
II. आंतरिक ऋण (1 से 8)	**373,238**	**224,517**	**435,622**	**–**	**22,148,862**	**15,222,817**	**15,868,933**	**15,066,850**
1. बाजार ऋण	–	–	–	–	4,044,695	2,323,660	2,380,566	2,826,762
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	386,698	305,975	96,652	122,127
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	317,161	202,000	210,256	272,200
4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	–	–	–	–	312,720	747,264	651,349	904,709
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	-95,462	54,764	82,079	70,045
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	7,233,528	4,823,590	3,367,990	3,688,172
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	373,238	224,517	435,622	–	8,743,062	6,049,409	8,426,287	6,481,509
8. अन्य @	–	–	–	–	1,206,459	716,155	653,754	701,326
जिसमें :								
भूमि प्रतिकर और अन्य बांड	–	–	–	–	501,832	55	48,264	55
III. केंद्र से ऋण व अग्रिम (1 से 6)	**27,897**	**–**	**–**	**–**	**2,615,741**	**3,121,614**	**1,091,132**	**1,352,512**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	27,897	–	–	–	2,290,618	2,977,038	1,013,508	1,280,888
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	-123	-123	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	17,141	8,619	9,267	6,363
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	63,830	41,417	10,455	11,334
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	80,773	14,208	3,304	3,482
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	80,773	14,208	3,304	3,482
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	159,600	75,001	50,000	45,001
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	3,780	5,331	4,597	5,444
IV. ऋण और अग्रिम की वसूली (1 से 12)	**52,795**	**20,213**	**41,467**	**18,732**	**856,749**	**550,506**	**745,884**	**551,313**
1. आवास निर्माण	–	–	–	–	5,499	85,799	34,968	59,576
2. शहरी विकास	–	–	–	–	15,689	8,097	9,377	8,896
3. फसल उत्पादन	–	–	–	–	2,912	7,197	7,721	2,437
4. खाद्यान्न भंडारण और माल गोदाम	–	–	–	–	1,180	2,017	20,600	31,737
5. सहकारिता	–	–	–	–	77,605	19,424	24,674	62,953
6. लघु सिंचाई	–	–	–	–	10	8,559	19	8,518
7. बिजली परियोजना	–	–	–	–	438,883	171,371	377,428	85,304
8. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	9,655	11,933	12,409	26,823
9. उद्योग और खनिज	–	–	–	–	74,807	25,545	34,056	34,682
10. सड़क परिवहन	–	–	–	–	–	249	249	8,249
11. सरकारी कर्मचारी आदि +	607	700	600	600	94,045	98,868	104,746	108,774
12. अन्य **	52,188	19,513	40,867	18,132	136,466	111,447	119,638	113,365
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**	**2**	**2**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**109,060**	**64,610**	**95,265**	**70,272**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (निवल) (1+2)	**–**	**–**	**–**	**–**	**3,380,032**	**3,930,543**	**3,851,177**	**4,037,188**
1. राज्य भविष्य निधि	–	–	–	–	2,470,578	2,842,601	2,830,720	2,973,286
2. अन्य	–	–	–	–	909,453	1,087,942	1,020,457	1,063,902
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,857,060**	**1,696,771**	**2,466,927**	**2,240,535**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	17,385	25,832	22,119	25,084
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	451,842	614,673	861,952	842,218
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	40	94	79	79
4. अन्य	–	–	–	–	1,387,794	1,056,171	1,582,777	1,373,154
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**14,519,503**	**11,538,647**	**12,494,761**	**13,042,895**
1. सिविल जमा	–	–	–	–	4,213,628	3,317,417	3,805,878	3,681,876
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	6,803,455	6,172,820	6,432,966	6,763,882
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	271,028	241,829	241,232	253,814
4. अन्य	–	–	–	–	3,231,390	1,806,582	2,014,685	2,343,323
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**65,450,213**	**30,908,515**	**64,092,702**	**48,300,513**
1. उचंत	–	–	–	–	98,993	1,237,654	3,186,833	2,801,951
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	–	–	–	27,486,549	6,065,902	26,975,544	14,437,462
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	23,357,150	10,227,631	18,894,692	18,867,572
4. अन्य	–	–	–	–	14,507,520	13,377,328	15,035,634	12,193,527
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**30,000**	**–**	**–**	**600**
XII. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**–**	**–**	**–**	**–**	**592**	**–**	**60,130**	**305,000**
जिसमें : विनिवेश	–	–	–	–	–	–	–	100,000
XIII. विप्रेषण	**–**	**–**	**–**	**–**	**6,903,379**	**5,484,716**	**5,232,815**	**5,265,631**

परिशिष्ट III की टिप्पणी :

1. 'लोक लेखा' सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट और भारिबैंक के पास नकदी शेष निवेश खाता और जमाराशियां भी क्रमशः 'आंतरिक ऋण और उचंत और विविध' में शामिल की गई हैं। इसप्रकार यह पिछले वर्ष के निवल आधार वाले 'लोक लेखा' से तुलनीय नहीं है तथा भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट तथा भारिबैंक के पास नकदी शेष निवेश खाता और जमाराशियों को भी संबंधित शीर्ष में नहीं रखा गया था।
2. वर्ष 2003-04 (लेखा) के लिए पर लोक लेखा (निवल) आधारित तुलनीय आंकड़े विवरण 32 में दिए गए है।
3. उपसमूह 'लघु बचत, भविष्य निधि, आदि', 'प्रारक्षित निधि', 'जमा और अग्रिम' 'उचंत और विविध' और 'विप्रेषण', 'लोक लेखा' से संबंधित है।
4. जहाँ किसी प्रमुख समूह के किसी एक या कई उप-समूह के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ संबंधित राशि 'अन्य' उपसमूह के सामने दर्शाई गई है।
5. 'केंद्र से अनुदान' के मामले में जहाँ 'राज्य योजना कार्यक्रम', 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम', 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' और 'गैर-योजना अनुदान' संबंधी ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित राशि 'राज्य योजना कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है। इसी तरह जहाँ 'केंद्रीय योजना कार्यक्रम' और 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित राशि 'केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम' के सामने दर्शाई गई है।
6. वर्ष 2003-04 के लिए जम्मू और काश्मीर, झारखंड के आँकड़ें संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।
7. पिछले अध्ययन में बिहार के 2005-06 (बजट अनुमान) के आंकड़े लेखानुदान के आधार पर है। इसलिए, बिहार से संबधित 2005-06 (बजट अनुमान) के आंकड़े बजट 2006-07 के आधार पर संशोधित है। तदनुसार ''सभी राज्य'' के 2005-06 (बजट अनुमान) के सभी आंकड़े पिछले वर्ष प्रकाशित आकड़ो से भिन्न होंगे।
8. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं।

* इसमें मद 1 से XIII का जोड़ शामिल है जहां मद V से XI, XIII तथा II(3) निवल आधारपर हैं, जबकि मद II (6) तथा X (2 व 3) शामिल नहीं है। मद II (6) तथा X (2 व 3) शामिल नहीं है। मद II (6) तथा X (2 व 3) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्तीय मदों के रुप में लिया गया है।

\# भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सीधे बाहरी एजेंसियों से संसाधन नहीं जुटा सकते ।

@ भूमि प्रतिकर बांड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि से ऋण शामिल हैं।

\+ आवास व्यवस्था, वाहन क्रय, त्यौहार, विवाह आदि के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं।

** इसमें शिक्षा, कला और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, मत्स्यपालन और पशुपालन आदि के लिए एि गए ऋण और अग्रिम की वसूली शामिल हैं।

\- शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल संवितरण (I से XII)	**571,160**	**14,418,373**	**14,989,532**	**774,270**	**2,424,119**	**3,198,389**	**755,564**	**1,910,452**	**2,666,016**	**1,041,450**	**2,281,810**	**3,323,260**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**571,160**	**1,013,380**	**1,584,540**	**774,270**	**726,775**	**1,501,045**	**755,564**	**373,683**	**1,129,246**	**1,041,450**	**493,264**	**1,534,714**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**509,075**	**32,349**	**541,424**	**711,943**	**38,945**	**750,888**	**717,656**	**4,662**	**722,318**	**1,001,811**	**4,725**	**1,006,536**
1. विकास (क + ख)	**507,228**	**6,208**	**513,436**	**706,994**	**3,373**	**710,367**	**713,578**	**4,232**	**717,811**	**993,732**	**4,234**	**997,966**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**77,710**	**–**	**77,710**	**48,649**	**58**	**48,707**	**46,334**	**49**	**46,383**	**53,277**	**51**	**53,329**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	579	–	579	2,050	–	2,050	2,050	–	2,050	4,261	–	4,261
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,510	–	1,510	1,097	–	1,097	–	–	–	1,100	–	1,100
3. परिवार कल्याण	10	–	10	30	–	30	30	–	30	30	–	30
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	51,132	–	51,132	85	–	85	7,603	–	7,603	118	–	118
5. आवास	557	–	557	942	58	1,000	942	49	991	2,942	51	2,993
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	23,563	–	23,563	40,126	–	40,126	31,392	–	31,392	39,962	–	39,962
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	298	–	298	1,301	–	1,301	1,301	–	1,301	1,215	–	1,215
9. अन्य*	60	–	60	3,018	–	3,018	3,017	–	3,017	3,650	–	3,650
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**429,517**	**6,208**	**435,725**	**658,345**	**3,315**	**661,660**	**667,244**	**4,183**	**671,427**	**940,455**	**4,183**	**944,637**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	22,375	-56	22,318	2,317	–	2,317	2,316	–	2,316	2,977	–	2,977
(i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	58	–	58	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	58	–	58	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	218	–	218	545	–	545	545	–	545	845	–	845
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	323	–	323	62	–	62	62	–	62	62	–	62
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	21,840	-45	21,796	1,652	–	1,652	1,652	–	1,652	2,070	–	2,070
(xi) अन्य@	-7	-12	-19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	18,021	–	18,021	20,803	–	20,803	28,803	–	28,803	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	330,306	–	330,306	565,982	–	565,982	556,682	–	556,682	846,214	–	846,214
5. ऊर्जा	2,991	–	2,991	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	7,380	-2	7,378	4,153	–	4,153	2,153	–	2,153	5,228	–	5,228
(i) ग्राम और लघु उद्योग	166	-2	163	200	–	200	200	–	200	205	–	205
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	–	200
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	7,215	–	7,215	3,953	–	3,953	1,953	–	1,953	4,823	–	4,823
7. परिवहन (i + ii)	48,444	6,280	54,724	50,340	3,292	53,632	62,541	4,160	66,700	71,286	4,159	75,445
(i) सड़क और पुल	43,518	6,280	49,798	44,190	3,292	47,482	57,391	4,160	61,550	66,136	4,159	70,295
(ii) अन्य **	4,927	–	4,927	6,150	–	6,150	5,150	–	5,150	5,150	–	5,150
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

'परिशिष्ट IV' की टिप्पणियां देखें ।

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	–	-13	-13	14,750	23	14,773	14,750	24	14,774	14,750	24	14,774
(i) पर्यटन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य @@	–	-13	-13	14,750	23	14,773	14,750	24	14,774	14,750	24	14,774
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,847**	**26,141**	**27,989**	**4,949**	**35,572**	**40,521**	**4,078**	**429**	**4,507**	**8,079**	**491**	**8,570**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**445,977**	**445,977**	**–**	**525,257**	**525,257**	**–**	**334,897**	**334,897**	**–**	**618,592**	**618,592**
1. बाजार से ऋण	–	43,813	43,813	–	57,382	57,382	–	57,382	57,382	–	53,018	53,018
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	2,858	2,858	–	3,610	3,610	–	3,594	3,594	–	31,781	31,781
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	123,071	123,071	–	201	201	–	201	201	–	6,221	6,221
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	1,574	1,574	–	1,551	1,551	–	7,781	7,781	–	3,181	3,181
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	300,000	300,000	–	100,000	100,000	–	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	144,552	144,552	–	9,359	9,359	–	9,359	9,359	–	18,295	18,295
8. अन्य	–	130,109	130,109	–	153,154	153,154	–	156,580	156,580	–	206,096	206,096
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,180	12,180
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**437,824**	**437,824**	**–**	**402,200**	**402,200**	**–**	**71,403**	**71,403**	**–**	**78,765**	**78,765**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	430,735	430,735	–	395,113	395,113	–	64,438	64,438	–	71,938	71,938
जिसमें : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	34	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	288	288	–	211	211	–	211	211	–	211	211
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	552	552	–	580	580	–	589	589	–	580	580
4. योजनेतर (i से ii)	–	628	628	–	777	777	–	646	646	–	637	637
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	628	628	–	777	777	–	646	646	–	637	637
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	5,621	5,621	–	5,519	5,519	–	5,519	5,519	–	5,398	5,398
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**62,085**	**97,229**	**159,314**	**62,327**	**60,373**	**122,700**	**37,908**	**62,722**	**100,630**	**39,639**	**91,184**	**130,823**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**62,085**	**93,378**	**155,463**	**62,327**	**54,215**	**116,542**	**37,908**	**56,563**	**94,471**	**39,639**	**85,025**	**124,664**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**31,579**	**44,711**	**76,290**	**6,846**	**54,215**	**61,061**	**26,989**	**53,911**	**80,900**	**26,793**	**82,798**	**109,591**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,847	–	11,847	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	4,800	4,800	3,300	4,800	8,100	3,300	4,800	8,100	1,000	5,986	6,986
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500
5. आवास	19,228	35,634	54,862	2,126	40,665	42,791	23,169	40,361	63,530	25,373	69,312	94,685
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	1,771	1,771	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000
7. अन्य	504	5	509	1,420	1,250	2,670	520	1,250	1,770	420	–	420
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**30,505**	**48,668**	**79,173**	**55,481**	**–**	**55,481**	**10,919**	**2,652**	**13,571**	**12,846**	**2,227**	**15,073**
1. फसल कार्य	700	10,864	11,564	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	345	9,300	9,645	2,285	–	2,285	1,535	–	1,535	2,575	–	2,575

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

आंध्र प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	574	–	574	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	24,943	282	25,225	47,109	–	47,109	4,297	–	4,297	5,197	–	5,197
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	13	–	13	13	–	13	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	3,943	28,222	32,165	6,074	–	6,074	5,074	2,652	7,727	5,074	2,227	7,301
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**3,851**	**3,851**	**–**	**6,158**	**6,158**	**–**	**6,159**	**6,159**	**–**	**6,159**	**6,159**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	3,851	3,851	–	6,158	6,158	–	6,159	6,159	–	6,159	6,159
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**10**	**10**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**93,224**	**93,224**	**–**	**94,613**	**94,613**	**–**	**94,613**	**94,613**	**–**	**105,145**	**105,145**
1. राज्य भविष्य निधि	–	79,894	79,894	–	81,528	81,528	–	81,528	81,528	–	88,851	88,851
2. अन्य	–	13,331	13,331	–	13,085	13,085	–	13,085	13,085	–	16,293	16,293
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**70,855**	**70,855**	**–**	**60,245**	**60,245**	**–**	**60,273**	**60,273**	**–**	**60,723**	**60,723**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	22,637	22,637	–	21,000	21,000	–	21,003	21,003	–	21,003	21,003
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	48,218	48,218	–	39,245	39,245	–	39,270	39,270	–	39,720	39,720
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,197,471**	**1,197,471**	**–**	**1,242,485**	**1,242,485**	**–**	**1,281,883**	**1,281,883**	**–**	**1,322,677**	**1,322,677**
1. सिविल जमा	–	238,376	238,376	–	332,362	332,362	–	337,859	337,859	–	349,650	349,650
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	630,106	630,106	–	589,551	589,551	–	642,174	642,174	–	657,113	657,113
3. सिविल अग्रिम	–	19,448	19,448	–	23,002	23,002	–	23,002	23,002	–	23,003	23,003
4. अन्य	–	309,540	309,540	–	297,570	297,570	–	278,849	278,849	–	292,911	292,911
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**11,431,615**	**11,431,615**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	–	21,401	21,401	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,584,598	3,584,598	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	6,690,807	6,690,807	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,134,809	1,134,809	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	–	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**611,818**	**611,818**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**353,192**			**143,852**			**76,777**			**96,555**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-255,783**			**-140,136**			**-111,795**			**-99,583**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**97,409**			**3,716**			**-35,018**			**-3,028**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**97,409**			**3,716**			**-35,018**			**-3,028**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**45,725**			**3,716**			**-35,018**			**-3,028**
(क) अथशेष			-17,108			-5,310			28,615			-6,403
(ख) इतिशेष			28,617			-1,594			-6,403			-9,431
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**51,684**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**37,496**	**379,920**	**417,416**	**30,670**	**200,634**	**231,303**	**56,616**	**184,572**	**241,188**	**31,320**	**206,139**	**237,458**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**37,496**	**20,056**	**57,552**	**30,670**	**9,451**	**40,121**	**56,616**	**14,019**	**70,635**	**31,320**	**26,175**	**57,495**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**37,211**	**296**	**37,507**	**30,607**	**47**	**30,654**	**56,235**	**-21**	**56,214**	**31,232**	**-58**	**31,174**
1. विकास (क + ख)	**35,805**	**249**	**36,054**	**29,708**	**46**	**29,754**	**54,229**	**-21**	**54,208**	**29,663**	**-58**	**29,605**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**7,165**	**25**	**7,190**	**5,288**	**–**	**5,288**	**11,160**	**–**	**11,160**	**5,091**	**–**	**5,091**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,958	–	1,958	2,903	–	2,903	3,485	–	3,485	247	–	247
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,693	–	1,693	60	–	60	587	–	587	760	–	760
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,904	–	1,904	750	–	750	1,773	–	1,773	1,124	–	1,124
5. आवास	582	25	607	632	–	632	652	–	652	846	–	846
6. शहरी विकास	445	–	445	412	–	412	2,912	–	2,912	1,767	–	1,767
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	434	–	434	529	–	529	1,501	–	1,501	334	–	334
9. अन्य *	149	–	149	2	–	2	251	–	251	13	–	13
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**28,641**	**224**	**28,865**	**24,419**	**46**	**24,465**	**43,069**	**-21**	**43,048**	**24,571**	**-58**	**24,514**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	415	69	484	688	46	734	2,388	-21	2,367	409	-58	351
(i) फसल कार्य	167	–	167	190	–	190	169	–	169	221	–	221
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	129	–	129	352	–	352	564	–	564	56	–	56
(iv) डेरी विकास	1	–	1	25	–	25	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	2	–	2	31	–	31	41	–	41	17	–	17
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	10	–	10	10	–	10	500	–	500	40	–	40
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	69	69	–	46	46	–	-21	-21	–	-58	-58
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	10	–	10	38	–	38	41	–	41	45	–	45
(x) सहकारिता	91	–	91	43	–	43	1,073	–	1,073	30	–	30
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	4	–	4	37	–	37	241	–	241	62	–	62
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,718	–	3,718	3,278	–	3,278	6,465	–	6,465	2,098	–	2,098
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	386	–	386	375	–	375	586	–	586	550	–	550
5. ऊर्जा	14,941	–	14,941	10,802	–	10,802	18,507	–	18,507	10,527	–	10,527
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	15	–	15	20	–	20	314	–	314	10	–	10
(i) ग्राम और लघु उद्योग	5	–	5	–	–	–	5	–	5	5	–	5
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5	–	5	14	–	14	154	–	154	2	–	2
(iv) अन्य #	5	–	5	5	–	5	155	–	155	3	–	3
7. परिवहन (i + ii)	8,436	155	8,591	8,830	–	8,830	12,510	–	12,510	10,054	–	10,054
(i) सड़क और पुल	7,968	155	8,123	8,323	–	8,323	12,215	–	12,215	9,607	–	9,607
(ii) अन्य **	468	–	468	507	–	507	295	–	295	447	–	447
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	725	–	725	389	–	389	2,059	–	2,059	862	–	862
(i) पर्यटन	713	–	713	367	–	367	2,036	–	2,036	826	–	826
(ii) अन्य @@	13	–	13	22	–	22	23	–	23	36	–	36
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,406**	**47**	**1,453**	**899**	**1**	**900**	**2,006**	**–**	**2,006**	**1,569**	**–**	**1,569**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**16,785**	**16,785 +**	**–**	**12,336**	**12,336**	**–**	**11,825**	**11,825 +**	**–**	**23,695**	**23,695 +**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	468	468	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	12	12	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	2,550	2,550	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	186	186	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	5,540	5,540	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	4,096	4,096	–	1,060	1,060	–	1,549	1,549	–	13,258	13,258
8. अन्य	–	12,689	12,689	–	2,520	2,520	–	10,276	10,276	–	10,437	10,437
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**2,662**	**2,662**	**–**	**2,253**	**2,253**	**–**	**2,136**	**2,136**	**–**	**2,183**	**2,183**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	2,662	2,662	–	2,083	2,083	–	2,136	2,136	–	2,183	2,183
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	27	27	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	53	53	–	–	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	13	13	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	40	40	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	90	90	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**285**	**312**	**597**	**63**	**355**	**418**	**381**	**79**	**460**	**88**	**355**	**443**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**285**	**–**	**285**	**63**	**170**	**233**	**381**	**–**	**381**	**88**	**–**	**88**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**–**	**–**	**–**	**170**	**170**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	170	170	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**285**	**–**	**285**	**63**	**–**	**63**	**381**	**–**	**381**	**88**	**–**	**88**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	270	–	270	63	–	63	381	–	381	88	–	88

+ : चूंकि नवंबर 2006 को समामि तक के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया गया है।

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

अरुणाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	15	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**312**	**312**	**–**	**185**	**185**	**–**	**79**	**79**	**–**	**355**	**355**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	312	312	–	185	185	–	79	79	–	355	355
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**7,155**	**7,155**	**–**	**7,072**	**7,072**	**–**	**5,613**	**5,613**	**–**	**5,850**	**5,850**
1. राज्य भविष्य निधि	–	5,209	5,209	–	4,942	4,942	–	5,400	5,400	–	5,600	5,600
2. अन्य	–	1,946	1,946	–	2,130	2,130	–	213	213	–	250	250
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,541**	**1,541**	**–**	**752**	**752**	**–**	**2,500**	**2,500**	**–**	**1,650**	**1,650**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	400	400	–	400	400	–	800	800	–	400	400
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,141	1,141	–	352	352	–	1,700	1,700	–	1,250	1,250
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**9,575**	**9,575**	**–**	**9,947**	**9,947**	**–**	**8,855**	**8,855**	**–**	**10,595**	**10,595**
1. सिविल जमा	–	5,904	5,904	–	4,897	4,897	–	6,289	6,289	–	7,952	7,952
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	2,436	2,436	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	3,672	3,672	–	2,613	2,613	–	2,566	2,566	–	2,643	2,643
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**248,949**	**248,949**	**–**	**104,893**	**104,893**	**–**	**97,849**	**97,849**	**–**	**102,741**	**102,741**
1. उचंत	–	848	848	–	20,556	20,556	–	31,319	31,319	–	32,885	32,885
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	246,826	246,826	–	83,672	83,672	–	65,285	65,285	–	68,549	68,549
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,275	1,275		666	666	–	1,245	1,245	–	1,307	1,307
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**600**	**600**
XII. विप्रेषण	**–**	**92,643**	**92,643**	**–**	**62,978**	**62,978**	**–**	**55,736**	**55,736**	**–**	**58,527**	**58,527**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-28,553**			**7,118**			**-8,578**			**-23,452**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-781**			**-15,751**			**22,226**			**19,048**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-29,334**			**-8,633**			**13,648**			**-4,404**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-29,334**			**-8,633**			**13,648**			**-4,404**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-9,540**			**-8,633**			**19,170**			**1,118**
(क) अथशेष			-15,049			-24,244			-30,354			-11,366
(ख) इतिशेष			-24,589			-32,877			-11,184			-10,248
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-607**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**-19,187**			**–**			**-5,522**			**-5,522**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**87,667**	**1,423,127**	**1,510,794**	**259,559**	**646,873**	**906,432**	**262,723**	**1,957,621**	**2,220,344**	**282,968**	**1,950,338**	**2,233,306**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**87,667**	**363,903**	**451,569**	**259,559**	**73,707**	**333,266**	**262,723**	**77,081**	**339,804**	**282,968**	**80,817**	**363,785**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**77,698**	**140,355**	**218,052**	**242,752**	**7,411**	**250,163**	**245,916**	**10,586**	**256,501**	**269,337**	**8,625**	**277,962**
1. विकास (क + ख)	**75,898**	**139,835**	**215,733**	**241,700**	**6,714**	**248,414**	**244,863**	**9,889**	**254,752**	**266,430**	**7,528**	**273,958**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**3,620**	**1,121**	**4,740**	**2,669**	**923**	**3,592**	**4,447**	**1,197**	**5,645**	**33,842**	**485**	**34,327**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	103	–	103	479	–	479	479	–	479	262	–	262
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,238	–	1,238	30	100	130	209	100	309	780	100	880
3. परिवार कल्याण	3	–	3	–	–	–	–	–	–	5	–	5
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27,100	–	27,100
5. आवास	250	325	575	1,026	207	1,233	1,026	207	1,233	667	385	1,052
6. शहरी विकास	2,016	796	2,812	982	616	1,598	2,582	890	3,473	4,927	–	4,927
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10	–	10	113	–	113	113	–	113	101	–	101
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. अन्य *	1	–	1	39	–	39	39	–	39	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**72,278**	**138,714**	**210,993**	**239,031**	**5,791**	**244,822**	**240,416**	**8,691**	**249,107**	**232,588**	**7,043**	**239,631**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	54	–	54	431	–	431	431	–	431	252	–	252
(i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	15	–	15	15	–	15	15	–	15	66	–	66
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	14	–	14	14	–	14	64	–	64
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	39	–	39	402	–	402	402	–	402	122	–	122
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	32,318	–	32,318	100,937	–	100,937	102,322	–	102,322	107,542	–	107,542
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	10,988	–	10,988	25,407	–	25,407	25,407	–	25,407	27,669	–	27,669
5. ऊर्जा	2,420	135,000	137,420	62,033	–	62,033	62,033	–	62,033	47,166	–	47,166
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	200	–	200	760	–	760	760	–	760	7,550	–	7,550
(i) ग्राम और लघु उद्योग	91	–	91	610	–	610	610	–	610	110	–	110
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	9	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	100	–	100	150	–	150	150	–	150	7,440	–	7,440
7. परिवहन(i + ii)	26,215	3,714	29,929	49,092	5,791	54,883	49,092	8,691	57,783	41,515	6,688	48,202
(i) सड़क और पुल	25,257	2,699	27,956	48,017	5,679	53,696	48,017	7,679	55,696	41,060	5,354	46,414
(ii) अन्य **	958	1,015	1,973	1,075	112	1,187	1,075	1,013	2,088	455	1,334	1,789
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	83	–	83	371	–	371	371	–	371	895	356	1,251
(i) पर्यटन	84	–	84	369	–	369	369	–	369	43	356	399
(ii) अन्य @@	-1	–	-1	2	–	2	2	–	2	852	–	852
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,800**	**520**	**2,320**	**1,052**	**697**	**1,749**	**1,052**	**697**	**1,749**	**2,907**	**1,097**	**4,004**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**670,434**	**670,434**	**–**	**327,715**	**327,715**	**–**	**327,714**	**327,714**	**–**	**135,067**	**135,067**
1. बाजार से ऋण	–	16,185	16,185	–	16,265	16,265	–	16,265	16,265	–	17,890	17,890
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	49	49	–	40	40	–	40	40	–	39	39
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	4,761	4,761	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	200	200	–	200	200	–	220	220
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	605,142	605,142	–	300,000	300,000	–	300,000	300,000	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	41,914	41,914	–	3,659	3,659	–	3,659	3,659	–	4,715	4,715
8. अन्य	–	2,382	2,382	–	2,551	2,551	–	2,550	2,550	–	7,204	7,204
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	4,289	4,289
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**70,806**	**70,806**	**–**	**35,613**	**35,613**	**–**	**35,613**	**35,613**	**–**	**35,943**	**35,943**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	33,236	33,236	–	8,677	8,677	–	8,677	8,677	–	9,143	9,143
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	10,083	10,083	–	10,083	10,083	–	11,268	11,268
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	2,294	2,294	–	2,294	2,294	–	2,461	2,461
4. योजनेतर (i से ii)	–	4	4	–	4,081	4,081	–	4,082	4,082	–	4,474	4,474
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	4	4	–	4,081	4,081	–	4,082	4,082	–	4,474	4,474
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	26,120	26,120	–	5,001	5,001	–	5,001	5,001	–	5,000	5,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	1,686	1,686	–	1,687	1,687	–	2,086	2,086
7. अन्य	–	11,446	11,446	–	3,791	3,791	–	3,791	3,791	–	1,512	1,512
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**9,969**	**87,450**	**97,419**	**16,807**	**2,967**	**19,774**	**16,808**	**3,167**	**19,974**	**13,631**	**1,181**	**14,812**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**9,743**	**87,450**	**97,193**	**16,807**	**2,392**	**19,199**	**16,808**	**2,591**	**19,399**	**13,631**	**367**	**13,998**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**1,570**	**73**	**1,643**	**703**	**2,392**	**3,095**	**703**	**2,391**	**3,094**	**115**	**367**	**481**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22	–	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	6	–	6	88	–	88	88	–	88	37	–	37
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	73	73	–	2,387	2,387	–	2,386	2,386	–	362	362
7. अन्य	1,542	–	1,542	615	–	615	615	–	615	77	–	77
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**8,173**	**87,377**	**95,550**	**16,104**	**–**	**16,104**	**16,105**	**200**	**16,305**	**13,516**	**–**	**13,516**
1. फसल कार्य	–	–	–	3	–	3	3	–	3	3	–	3
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	4	–	4	4	–	4	4	–	4
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	50

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

असम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	7,939	86,753	94,692	15,616	–	15,616	15,616	–	15,616	13,105	–	13,105
7. ग्राम और लघु उद्योग	24	–	24	279	–	279	279	–	279	253	–	253
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	210	624	834	202	–	202	204	200	404	102	–	102
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**226**	**–**	**226**	**–**	**575**	**575**	**–**	**576**	**576**	**–**	**815**	**815**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	226	–	226	–	575	575	–	576	576	–	815	815
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**5,000**	**5,000**	**–**	**5,000**	**5,000**	**–**	**5,000**	**5,000**	**–**	**5,000**	**5,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**22,798**	**22,798**	**–**	**22,400**	**22,400**	**–**	**22,400**	**22,400**	**–**	**24,346**	**24,346**
1. राज्य भविष्य निधि	–	20,447	20,447	–	19,500	19,500	–	19,500	19,500	–	21,600	21,600
2. अन्य	–	2,351	2,351	–	2,900	2,900	–	2,900	2,900	–	2,746	2,746
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**28,686**	**28,686**	**–**	**33,706**	**33,706**	**–**	**33,380**	**33,380**	**–**	**47,115**	**47,115**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	4,400	4,400	–	14,400	14,400	–	14,400	14,400	–	17,600	17,600
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	24,286	24,286	–	19,306	19,306	–	18,980	18,980	–	29,515	29,515
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**137,351**	**137,351**	**–**	**89,300**	**89,300**	**–**	**89,300**	**89,300**	**–**	**85,300**	**85,300**
1. सिविल जमा	–	86,177	86,177	–	54,000	54,000	–	54,000	54,000	–	45,000	45,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	25	25	–	300	300	–	300	300	–	300	300
3. सिविल अग्रिम	–	51,148	51,148	–	35,000	35,000	–	35,000	35,000	–	40,000	40,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**115,213**	**115,213**	**–**	**27,760**	**27,760**	**–**	**1,335,460**	**1,335,460**	**–**	**1,512,760**	**1,512,760**
1. उचंत	–	-33,797	-33,797	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	146,777	146,777	–	15,000	15,000	–	1,322,700	1,322,700	–	1,500,000	1,500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,233	2,233	–	2,760	2,760	–	2,760	2,760	–	2,760	2,760
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**145,034**	**145,034**	**–**	**95,000**	**95,000**	**–**	**95,000**	**95,000**	**–**	**95,000**	**95,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-1,879**			**-35,856**			**-90,745**			**-139,967**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-29,188**			**-43,917**			**-33,148**			**-43,478**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-31,067**			**-79,773**			**-123,893**			**-183,446**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-31,067**			**-79,773**			**-123,893**			**-183,446**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-28,881**			**-79,773**			**9,107**			**-183,446**
(क) अथशेष			3,671			-164,847			-25,209			-16,102
(ख) इतिशेष			-25,210			-244,620			-16,102			-199,548
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-194**			**–**			**-133,000**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**-1,993**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**88,149**	**5,007,365**	**5,095,514**	**265,765**	**1,043,845**	**1,309,610**	**280,912**	**899,167**	**1,180,079**	**432,413**	**938,005**	**1,370,418**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**88,149**	**453,458**	**541,607**	**265,765**	**253,619**	**519,384**	**280,912**	**308,941**	**589,853**	**432,413**	**211,695**	**644,108**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**87,741**	**32,710**	**120,451**	**247,680**	**49,377**	**297,056**	**280,539**	**50,119**	**330,658**	**432,161**	**59,056**	**491,217**
1. विकास (क + ख)	**85,364**	**28,322**	**113,686**	**241,358**	**34,045**	**275,402**	**274,137**	**34,782**	**308,919**	**422,813**	**45,350**	**468,163**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**4,193**	**9,535**	**13,728**	**15,517**	**23,737**	**39,254**	**19,401**	**23,737**	**43,138**	**41,548**	**26,396**	**67,944**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	111	1,648	1,759	760	92	852	985	92	1,077	4,583	–	4,583
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	2,194	2,194	3,852	–	3,852	4,002	–	4,002	13,187	–	13,187
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,125	3,718	6,843	9,135	23,174	32,309	9,760	23,174	32,934	16,048	25,922	41,970
5. आवास	108	13	121	349	471	820	349	471	820	399	474	873
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	849	–	849	1,421	–	1,421	4,305	–	4,305	5,932	–	5,932
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	1,962	1,962	–	–	–	–	–	–	950	–	950
9. अन्य *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	449	–	449
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**81,171**	**18,787**	**99,958**	**225,841**	**10,308**	**236,148**	**254,736**	**11,045**	**265,781**	**381,265**	**18,954**	**400,219**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	–	1,032	1,032	739	80	819	8,500	819	9,319	200	673	873
(i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	102	102	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	–	65	65	–	80	80	–	80	80	–	80	80
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	–	865	865	739	–	739	8,500	739	9,239	200	593	793
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	35,635	1,112	36,747	62,287	–	62,287	62,792	–	62,792	102,516	–	102,516
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	42,924	1,328	44,252	66,586	10,210	76,796	85,749	10,209	95,958	88,642	15,900	104,542
5. ऊर्जा	2,500	150	2,650	30,000	–	30,000	30,000	–	30,000	45,157	–	45,157
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	112	–	112	529	–	529	529	–	529	20,533	–	20,533
(i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	112	–	112	529	–	529	529	–	529	20,533	–	20,533
7. परिवहन (i + ii)	–	14,406	14,406	64,655	–	64,655	66,121	–	66,121	122,317	2,380	124,697
(i) सड़क और पुल	–	14,317	14,317	64,555	–	64,555	64,564	–	64,564	122,217	2,380	124,597
(ii) अन्य **	–	89	89	100	–	100	1,557	–	1,557	100	–	100
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	–	759	759	1,045	18	1,063	1,045	17	1,062	1,900	1	1,901
(i) पर्यटन	–	745	745	625	–	625	625	–	625	1,500	–	1,500
(ii) अन्य @@	–	14	14	420	18	438	420	17	437	400	1	401
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,377**	**4,388**	**6,765**	**6,322**	**15,332**	**21,654**	**6,402**	**15,337**	**21,739**	**9,348**	**13,706**	**23,054**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**157,272**	**157,272**	**–**	**257,993**	**257,993**	**–**	**50,296**	**50,296**	**–**	**171,569**	**171,569**
1. बाजार से ऋण	–	33,976	33,976	–	37,995	37,995	–	37,995	37,995	–	41,790	41,790
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	11	11	–	11	11	–	11	11	–	11	11
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	1,318	1,318	–	1,594	1,594	–	1,594	1,594	–	1,720	1,720
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	639	639	–	767	767	–	767	767	–	962	962
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	350	350	–	200,000	200,000	–	–	–	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	120,821	120,821	–	17,449	17,449	–	9,751	9,751	–	16,454	16,454
8. अन्य	–	157	157	–	177	177	–	178	178	–	10,632	10,632
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	132	132	–	110	110		110	110	–	10,563	10,563
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**151,451**	**151,451**	**–**	**59,506**	**59,506**	**–**	**44,211**	**44,211**	**–**	**48,125**	**48,125**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	142,693	142,693	–	52,970	52,970	–	39,094	39,094	–	43,004	43,004
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	80	80	–	96	96	–	61	61	–	63	63
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	161	161	–	58	58	–	145	145	–	147	147
4. योजनेतर (i से ii)	–	342	342	–	414	414	–	10	10	–	10	10
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	342	342	–	414	414	–	10	10	–	10	10
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	8,175	8,175	–	5,969	5,969	–	4,901	4,901	–	4,901	4,901
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**408**	**112,376**	**112,784**	**18,085**	**86,743**	**104,828**	**373**	**164,315**	**164,688**	**252**	**32,945**	**33,197**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**408**	**112,295**	**112,703**	**18,085**	**86,408**	**104,493**	**373**	**163,980**	**164,353**	**252**	**32,660**	**32,912**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**1,177**	**1,177**	**–**	**4,141**	**4,141**	**–**	**4,141**	**4,141**	**–**	**160**	**160**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	2,466	2,466	–	2,466	2,466	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	184	184	–	550	550	–	550	550	–	160	160
7. अन्य	–	993	993	–	1,125	1,125	–	1,125	1,125	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**408**	**111,118**	**111,526**	**18,085**	**82,267**	**100,352**	**373**	**159,839**	**160,212**	**252**	**32,500**	**32,752**
1. फसल कार्य	–	837	837	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	408	1,100	1,508	509	–	509	373	80	453	252	300	552

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

बिहार

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	107,104	107,104	17,573	80,976	98,549	–	158,465	158,465	–	31,712	31,712
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	3	–	3	–	3	3	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	12	12	–	6	6	–	6	6	–	3	3
9. ग्रामीण विकास	–	304	304	–	485	485	–	485	485	–	485	485
10. अन्य	–	1,761	1,761	–	800	800	–	800	800	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**81**	**81**	**–**	**335**	**335**	**–**	**335**	**335**	**–**	**285**	**285**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	81	81	–	335	335	–	335	335	–	285	285
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**79,449**	**79,449**	**–**	**129,344**	**129,344**	**–**	**129,344**	**129,344**	**–**	**128,300**	**128,300**
1. राज्य भविष्य निधि	–	67,392	67,392	–	117,000	117,000	–	117,000	117,000	–	115,800	115,800
2. अन्य	–	12,057	12,057	–	12,344	12,344	–	12,344	12,344	–	12,500	12,500
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**11,184**	**11,184**	**–**	**14,893**	**14,893**	**–**	**14,893**	**14,893**	**–**	**15,323**	**15,323**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	11,184	11,184	–	14,893	14,893	–	14,893	14,893	–	15,323	15,323
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**316,859**	**316,859**	**–**	**362,153**	**362,153**	**–**	**362,153**	**362,153**	**–**	**482,687**	**482,687**
1. सिविल जमा	–	46,485	46,485	–	82,848	82,848	–	82,848	82,848	–	85,000	85,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	72,517	72,517	–	88,719	88,719	–	88,719	88,719	–	90,000	90,000
3. सिविल अग्रिम	–	8,440	8,440	–	5,823	5,823	–	5,823	5,823	–	6,000	6,000
4. अन्य	–	189,417	189,417	–	184,763	184,763	–	184,763	184,763	–	301,687	301,687
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**4,022,864**	**4,022,864**	**–**	**49,039**	**49,039**	**–**	**49,039**	**49,039**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	–	21,220	21,220	–	33,000	33,000	–	33,000	33,000	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,998,540	3,998,540	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	3,104	3,104	–	6,039	6,039	–	6,039	6,039	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**123,201**	**123,201**	**–**	**34,797**	**34,797**	**–**	**34,797**	**34,797**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**79,372**			**-19,296**			**-64,378**			**-126,224**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**107,570**			**-586**			**-15,265**			**61,123**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**186,942**			**-19,882**			**-79,643**			**-65,101**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**186,942**			**-19,882**			**-79,643**			**-65,101**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-67,649**			**-19,882**			**-79,643**			**-65,101**
(क) अथशेष			-74,799			112,200			142,536			62,893
(ख) इतिशेष			-142,448			92,318			62,893			-2,208
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**254,591**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**136,622**	**2,839,902**	**2,976,524**	**205,228**	**1,944,364**	**2,149,592**	**209,814**	**1,908,782**	**2,118,596**	**268,434**	**1,936,414**	**2,204,848**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**136,622**	**117,760**	**254,382**	**205,228**	**65,066**	**270,294**	**209,814**	**42,962**	**252,776**	**268,434**	**33,576**	**302,010**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**127,579**	**334**	**127,913**	**192,957**	**650**	**193,607**	**175,526**	**738**	**176,264**	**262,771**	**380**	**263,151**
1. विकास (क + ख)	**124,834**	**152**	**124,986**	**187,295**	**590**	**187,885**	**171,948**	**718**	**172,666**	**256,073**	**320**	**256,393**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**25,522**	**50**	**25,572**	**44,873**	**220**	**45,093**	**44,603**	**252**	**44,855**	**62,168**	**144**	**62,312**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,328	–	5,328	9,701	–	9,701	9,292	–	9,292	15,512	–	15,512
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	3,862	–	3,862	6,532	–	6,532	5,172	–	5,172	11,421	–	11,421
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	214	–	214	1,100	–	1,100	1,101	–	1,101	1,737	–	1,737
5. आवास	3,514	–	3,514	4,259	–	4,259	2,376	–	2,376	2,620	–	2,620
6. शहरी विकास	1,346	–	1,346	1,651	–	1,651	1,651	–	1,651	12,150	–	12,150
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,135	–	10,135	19,007	–	19,007	22,293	–	22,293	16,097	–	16,097
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,051	50	1,101	2,038	218	2,256	2,142	218	2,360	1,565	110	1,675
9. अन्य *	72	–	72	585	2	587	576	34	610	1,066	34	1,100
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**99,312**	**102**	**99,414**	**142,422**	**370**	**142,792**	**127,345**	**466**	**127,811**	**193,905**	**176**	**194,081**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,365	99	3,464	6,507	148	6,655	5,704	205	5,909	6,220	155	6,375
(i) फसल कार्य	53	–	53	52	55	107	52	55	107	70	5	75
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	654	67	721	1,598	93	1,691	1,581	–	1,581	2,125	–	2,125
(iii) पशु पालन	13	–	13	40	–	40	40	–	40	1	–	1
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	9	–	9	40	–	40	40	–	40	150	–	150
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	1,369	–	1,369	1,621	–	1,621	1,571	–	1,571	2,070	–	2,070
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	291	32	323	150	–	150	150	150	300	225	150	375
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	976	–	976	3,006	–	3,006	2,270	–	2,270	1,579	–	1,579
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	3,367	–	3,367	3,765	–	3,765	4,591	–	4,591	13,478	–	13,478
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	62,149	–	62,149	72,693	–	72,693	67,625	–	67,625	77,550	–	77,550
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	2,500	–	2,500	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,731	2	1,733	4,660	3	4,663	4,865	3	4,868	6,351	2	6,353
(i) ग्राम और लघु उद्योग	1,631	2	1,633	4,560	3	4,563	4,865	3	4,868	6,351	2	6,353
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	100	–	100	100	–	100	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन(i + ii)	28,438	–	28,438	54,385	200	54,585	41,548	239	41,787	89,376	–	89,376
(i) सड़क और पुल	28,388	–	28,388	54,301	–	54,301	41,464	–	41,464	89,372	–	89,372
(ii) अन्य **	50	–	50	84	200	284	84	239	323	4	–	4
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	262	1	263	412	19	431	512	19	531	930	19	949
(i) पर्यटन	262	–	262	412	–	412	512	–	512	930	–	930
(ii) अन्य @@	–	1	1	–	19	19	–	19	19	–	19	19
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,745**	**182**	**2,927**	**5,662**	**60**	**5,722**	**3,578**	**20**	**3,598**	**6,698**	**60**	**6,758**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**13,286**	**13,286**	**–**	**37,653**	**37,653**	**–**	**27,931**	**27,931**	**–**	**37,477**	**37,477**
1. बाजार से ऋण	–	7,116	7,116	–	8,634	8,634	–	8,634	8,634	–	9,536	9,536
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	686	686	–	–	–	–	646	646
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	3,201	3,201	–	4,747	4,747	–	16,720	16,720	–	2,825	2,825
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	736	736	–	967	967	–	1,240	1,240	–	707	707
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	20,000	20,000	–	–	–	–	18,000	18,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	2,231	2,231	–	2,231	2,231	–	1,322	1,322	–	2,893	2,893
8. अन्य	–	2	2	–	388	388	–	15	15	–	2,870	2,870
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	2	2	–	1	1	–	1	1	–	2,417	2,417
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**101,878**	**101,878**	**–**	**44,079**	**44,079**	**–**	**11,092**	**11,092**	**–**	**11,280**	**11,280**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	99,937	99,937	–	42,202	42,202	–	10,409	10,409	–	10,672	10,672
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	102	102	–	100	100	–	100	100	–	100	100
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	298	298	–	295	295	–	331	331	–	290	290
4. योजनेतर (i से ii)	–	252	252	–	252	252	–	252	252	–	218	218
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	252	252	–	252	252	–	252	252	–	218	218
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	1,289	1,289	–	1,230	1,230	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**9,043**	**2,262**	**11,305**	**12,271**	**2,685**	**14,956**	**34,288**	**3,200**	**37,488**	**5,663**	**2,439**	**8,102**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**9,043**	**2,254**	**11,297**	**12,271**	**2,628**	**14,899**	**34,288**	**3,143**	**37,431**	**5,663**	**2,418**	**8,081**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**1,601**	**2,216**	**3,817**	**2,447**	**2,237**	**4,684**	**4,747**	**2,752**	**7,499**	**2,802**	**2,027**	**4,829**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	2,000	–	2,000	50	–	50
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	778	–	778	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500
5. आवास	–	200	200	–	200	200	–	715	715	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	9	9	–	30	30	–	30	30	–	20	20
7. अन्य	823	2,007	2,830	947	2,007	2,954	1,247	2,007	3,254	1,252	2,007	3,259
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**7,442**	**38**	**7,480**	**9,824**	**391**	**10,215**	**29,541**	**391**	**29,932**	**2,861**	**391**	**3,252**
1. फसल कार्य	–	38	38	–	391	391	–	391	391	–	391	391
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	183	–	183	4,303	–	4,303	4,303	–	4,303	335	–	335
4. सहकारिता	1,619	–	1,619	4,082	–	4,082	2,403	–	2,403	1,687	–	1,687

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

छत्तीसगढ़

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	4,728	–	4,728	1,400	–	1,400	21,400	–	21,400	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	13	–	13	38	–	38	34	–	34	38	–	38
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	1,400	–	1,400	800	–	800
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	899	–	899	1	–	1	1	–	1	1	–	1
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**8**	**8**	**–**	**57**	**57**	**–**	**57**	**57**	**–**	**21**	**21**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	8	8	–	57	57	–	57	57	–	21	21
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**4,000**	**4,000**	**–**	**4,000**	**4,000**	**–**	**4,000**	**4,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**39,112**	**39,112**	**–**	**41,236**	**41,236**	**–**	**39,836**	**39,836**	**–**	**40,036**	**40,036**
1. राज्य भविष्य निधि	–	35,973	35,973	–	36,836	36,836	–	36,836	36,836	–	36,836	36,836
2. अन्य	–	3,139	3,139	–	4,400	4,400	–	3,000	3,000	–	3,200	3,200
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**24,947**	**24,947**	**–**	**22,145**	**22,145**	**–**	**28,589**	**28,589**	**–**	**39,561**	**39,561**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	1
2. ऋणशोधन निधि	–	20,800	20,800	–	10,000	10,000	–	5,000	5,000	–	10,000	10,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	7	7	–	7	7	–	7	7
4. अन्य	–	4,147	4,147	–	12,137	12,137	–	23,581	23,581	–	29,553	29,553
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**68,576**	**68,576**	**–**	**99,628**	**99,628**	**–**	**101,106**	**101,106**	**–**	**107,152**	**107,152**
1. सिविल जमा	–	47,333	47,333	–	34,172	34,172	–	35,901	35,901	–	41,947	41,947
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	5	5
3. सिविल अग्रिम	–	20,424	20,424	–	21,900	21,900	–	21,900	21,900	–	21,900	21,900
4. अन्य	–	819	819	–	43,551	43,551	–	43,300	43,300	–	43,300	43,300
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**2,363,833**	**2,363,833**	**–**	**1,452,316**	**1,452,316**	**–**	**1,452,316**	**1,452,316**	**–**	**1,454,117**	**1,454,117**
1. उचंत	–	33,887	33,887	–	-1,807	-1,807	–	-1,807	-1,807	–	-6	-6
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	1,846,471	1,846,471	–	900,000	900,000	–	900,000	900,000	–	900,000	900,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	245,581	245,581	–	245,581	245,581	–	245,581	245,581
4. अन्य	–	483,475	483,475	–	308,542	308,542	–	308,542	308,542	–	308,542	308,542
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**225,674**	**225,674**	**–**	**239,971**	**239,971**	**–**	**239,971**	**239,971**	**–**	**239,971**	**239,971**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-7,086**			**-13,912**			**-92,664**			**-128,596**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**14,582**			**-25,114**			**78,176**			**119,991**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**7,496**			**-39,026**			**-14,487**			**-8,605**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**7,496**			**-39,026**			**-14,487**			**-8,605**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**1,048**			**-39,026**			**-14,487**			**-8,605**
(क) अथशेष			-279			-50,012			769			-13,718
(ख) इतिशेष			769			-89,038			-13,718			-22,323
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**6,448**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**43,051**	**431,846**	**474,897**	**56,591**	**214,433**	**271,024**	**62,207**	**213,725**	**275,932**	**73,202**	**214,135**	**287,337**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर)$	**43,051**	**16,731**	**59,782**	**56,591**	**8,561**	**65,152**	**62,207**	**9,353**	**71,560**	**73,202**	**9,263**	**82,465**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**42,600**	**–**	**42,600**	**56,289**	**–**	**56,289**	**61,808**	**–**	**61,808**	**72,833**	**–**	**72,833**
1. विकास (क + ख)	**35,634**	**–**	**35,634**	**46,617**	**–**	**46,617**	**51,989**	**–**	**51,989**	**63,650**	**–**	**63,650**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**9,084**	**–**	**9,084**	**11,324**	**–**	**11,324**	**11,462**	**–**	**11,462**	**21,822**	**–**	**21,822**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,787	–	1,787	1,977	–	1,977	2,469	–	2,469	4,191	–	4,191
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	709	–	709	964	–	964	1,947	–	1,947	1,653	–	1,653
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,344	–	6,344	7,703	–	7,703	6,327	–	6,327	15,000	–	15,000
5. आवास	23	–	23	23	–	23	24	–	24	290	–	290
6. शहरी विकास	183	–	183	475	–	475	475	–	475	430	–	430
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5	–	5	105	–	105	105	–	105	105	–	105
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9	–	9	75	–	75	25	–	25	150	–	150
9. अन्य *	24	–	24	2	–	2	90	–	90	3	–	3
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**26,550**	**–**	**26,550**	**35,293**	**–**	**35,293**	**40,527**	**–**	**40,527**	**41,828**	**–**	**41,828**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,272	–	1,272	2,217	–	2,217	1,263	–	1,263	1,297	–	1,297
(i) फसल कार्य	384	–	384	269	–	269	238	–	238	191	–	191
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	91	–	91	178	–	178	151	–	151	190	–	190
(iii) पशु पालन	8	–	8	95	–	95	95	–	95	88	–	88
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	79	–	79	110	–	110	146	–	146	130	–	130
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	228	–	228	36	–	36	104	–	104	116	–	116
(vii) बागान	21	–	21	22	–	22	22	–	22	22	–	22
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	45	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	5	–	5	5	–	5	5	–	5
(x) सहकारिता	416	–	416	1,502	–	1,502	502	–	502	555	–	555
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	51	–	51	25	–	25	117	–	117
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	128	–	128	160	–	160	160	–	160	171	–	171
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	128	–	128	160		160	160		160	171	–	171
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	5,677	–	5,677	11,661	–	11,661	16,398	–	16,398	16,362	–	16,362
5. ऊर्जा	8,814	–	8,814	9,236	–	9,236	10,236	–	10,236	10,350	–	10,350
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	517	–	517	1,055	–	1,055	1,320	–	1,320	1,471	–	1,471
(i) ग्राम और लघु उद्योग	215	–	215	645	–	645	910	–	910	1,061	–	1,061
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2	–	2	10	–	10	10	–	10	10	–	10
(iv) अन्य #	300	–	300	400	–	400	400	–	400	400	–	400
7. परिवहन(i + ii)	9,677	–	9,677	10,598	–	10,598	10,810	–	10,810	11,525	–	11,525
(i) सड़क और पुल	8,879	–	8,879	9,353	–	9,353	10,161	–	10,161	10,000	–	10,000
(ii) अन्य **	798	–	798	1,245	–	1,245	649	–	649	1,525	–	1,525
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	50	–	50	50	–	50	50	–	50
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	465	–	465	265	–	265	265	–	265	485	–	485
(i) पर्यटन	465	–	465	265	–	265	265	–	265	485	–	485
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**6,966**	**–**	**6,966**	**9,672**	**–**	**9,672**	**9,819**	**–**	**9,819**	**9,183**	**–**	**9,183**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**65,056**	**65,056**	**–**	**14,518**	**14,518**	**–**	**16,269**	**16,269**	**–**	**15,220**	**15,220**
1. बाजार से ऋण	–	1,450	1,450	–	–	–	–	1,750	1,750	–	1,925	1,925
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	199	199	–	199	199	–	199	199	–	199	199
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	492	492	–	408	408	–	408	408	–	613	613
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	1	1	–	8	8	–	9	9	–	18	18
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	60,406	60,406	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	871	871	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	1,000	1,000
8. अन्य	–	1,637	1,637	–	1,903	1,903	–	1,903	1,903	–	1,465	1,465
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1 से 7)	**–**	**11,786**	**11,786**	**–**	**3,655**	**3,655**	**–**	**2,655**	**2,655**	**–**	**3,661**	**3,661**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	11,759	11,759	–	3,600	3,600	–	2,600	2,600	–	3,600	3,600
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	3	3	–	5	5	–	5	5	–	4	4
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	28	28	–	35	35	–	35	35	–	40	40
4. योजनेतर (i से ii)	–	-4	-4	–	15	15	–	15	15	–	17	17
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	-4	-4	–	15	15	–	15	15	–	17	17
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**451**	**295**	**746**	**302**	**388**	**690**	**399**	**428**	**827**	**369**	**382**	**751**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**451**	**45**	**496**	**302**	**–**	**302**	**399**	**40**	**439**	**369**	**50**	**419**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**387**	**45**	**432**	**166**	**–**	**166**	**165**	**40**	**205**	**66**	**50**	**116**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	385	–	385	100	–	100	100	–	100	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	45	45	50	–	50	50	–	50	50	–	50
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	40	40	–	50	50
7. अन्य	2	–	2	16	–	16	15	–	15	16	–	16
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**64**	**–**	**64**	**136**	**–**	**136**	**234**	**–**	**234**	**303**	**–**	**303**
1. फसल कार्य	62	–	62	62	–	62	62	–	62	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	2	–	2	52	–	52	52	–	52	281	–	281

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

गोवा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	10	–	10	10	–	10	10	–	10
10. अन्य	–	–	–	12	–	12	110	–	110	12	–	12
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**250**	**250**	**–**	**388**	**388**	**–**	**388**	**388**	**–**	**332**	**332**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	250	250	–	378	378	–	378	378	–	332	332
(ख) विविध	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**22**	**22**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**7,568**	**7,568**	**–**	**10,210**	**10,210**	**–**	**8,710**	**8,710**	**–**	**9,210**	**9,210**
1. राज्य भविष्य निधि	–	7,498	7,498	–	10,000	10,000	–	8,500	8,500	–	9,000	9,000
2. अन्य	–	70	63	–	210	210	–	210	210	–	210	210
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**2,851**	**2,851**	**–**	**3,301**	**3,301**	**–**	**3,301**	**3,301**	**–**	**3,301**	**3,301**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	1,438	1,438	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,413	1,413	–	1,301	1,301	–	1,301	1,301	–	1,301	1,301
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**9,361**	**9,361**	**–**	**6,911**	**6,911**	**–**	**6,911**	**6,911**	**–**	**6,911**	**6,911**
1. सिविल जमा	–	5,342	5,342	–	3,190	3,190	–	3,190	3,190	–	3,190	3,190
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	298	298	–	220	220	–	220	220	–	220	220
4. अन्य	–	3,721	3,721	–	3,501	3,501	–	3,501	3,501	–	3,501	3,501
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**189,677**	**189,677**	**–**	**120,450**	**120,450**	**–**	**120,450**	**120,450**	**–**	**120,450**	**120,450**
1. उचंत	–	22,577	22,577	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	53,901	53,901	–	60,000	60,000	–	60,000	60,000	–	60,000	60,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	113,199	113,199	–	55,450	55,450	–	55,450	55,450	–	55,450	55,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**145,230**	**145,230**	**–**	**55,000**	**55,000**	**–**	**55,000**	**55,000**	**–**	**55,000**	**55,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**26,867**			**7,069**			**6,968**			**2,643**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-12,318**			**-4,179**			**-6,971**			**-3,416**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**14,549**			**2,890**			**-3**			**-773**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**14,549**			**2,890**			**-3**			**-773**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-18**			**2,890**			**-3**			**-773**
(क) अथशेष			-1,306			7,574			-1,325			-1,325
(ख) इतिशेष			-1,324			10,464			-1,328			-2,098
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**7,990**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**6,577**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**417,535**	**7,068,383**	**7,485,918**	**531,218**	**6,127,404**	**6,658,622**	**604,317**	**9,747,194**	**10,351,511**	**651,299**	**6,322,835**	**6,974,134**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**417,535**	**642,311**	**1,059,846**	**531,218**	**473,392**	**1,004,610**	**604,317**	**271,318**	**875,635**	**651,299**	**294,425**	**945,724**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**391,075**	**18,947**	**410,022**	**513,259**	**23,574**	**536,833**	**563,397**	**18,186**	**581,583**	**627,986**	**22,371**	**650,357**
1. विकास (क + ख)	**385,653**	**15,917**	**401,570**	**450,661**	**17,461**	**468,122**	**556,186**	**16,290**	**572,476**	**622,467**	**18,743**	**641,210**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**136,074**	**8,898**	**144,972**	**226,631**	**10,780**	**237,411**	**196,290**	**9,962**	**206,252**	**178,264**	**10,038**	**188,302**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,103	80	1,183	22,390	445	22,835	20,755	581	21,336	24,290	737	25,027
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,649	–	2,649	3,541	–	3,541	3,641	–	3,641	7,324	–	7,324
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	11	11	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	67,269	2,431	69,700	63,917	800	64,717	61,441	1,219	62,660	65,037	600	65,637
5. आवास	7,777	6,120	13,897	6,417	8,850	15,267	6,965	7,909	14,874	9,305	7,661	16,966
6. शहरी विकास	1,524	–	1,524	2,308	-5	2,303	2,262	-5	2,257	2,308	-5	2,303
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	725	256	981	1,626	464	2,090	1,007	214	1,221	2,747	564	3,311
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	49	–	49	426	1	427	125	1	126	424	1	425
9. अन्य *	54,978	11	54,989	126,006	225	126,231	100,094	32	100,126	66,829	480	67,309
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**249,579**	**7,019**	**256,598**	**224,030**	**6,681**	**230,711**	**359,896**	**6,328**	**366,224**	**444,203**	**8,705**	**452,908**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	10,767	382	11,149	14,180	586	14,766	13,473	273	13,746	14,723	338	15,061
(i) फसल कार्य	132	–	132	155	–	155	138	–	138	102	–	102
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	198	–	198	101	–	101	65	–	65	100	–	100
(iii) पशु पालन	14	–	14	35	–	35	–	–	–	30	–	30
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	3	–	3	29	–	29	29	–	29	–	–	–
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	11,268	370	11,638	12,028	450	12,478	11,582	228	11,810	12,342	300	12,642
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	12	12	55	90	145	45	45	90	30	38	68
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	99	–	99	650	–	650	487	–	487	922	–	922
(x) सहकारिता	-945	–	-945	1,127	–	1,127	1,127	–	1,127	1,197	–	1,197
(xi) अन्य @	-2	–	-2	–	46	46	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	127	–	127	80	–	80	80	–	80	40	–	40
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	176,537	–	176,537	141,616	–	141,616	242,293	–	242,293	294,715	–	294,715
5. ऊर्जा	15,189	–	15,189	2,080	–	2,080	32,084	–	32,084	56,626	–	56,626
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	30	–	30	836	–	836	273	–	273	385	–	385
(i) ग्राम और लघु उद्योग	24	–	24	88	–	88	23	–	23	127	–	127
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	6	–	6	748	–	748	250	–	250	258	–	258
7. परिवहन(i + ii)	46,672	6,568	53,240	64,861	6,046	70,907	71,276	5,789	77,065	77,214	8,325	85,539
(i) सड़क और पुल	44,526	6,168	50,694	62,667	5,046	67,713	69,090	5,590	74,680	75,289	7,825	83,114
(ii) अन्य **	2,146	400	2,546	2,194	1,000	3,194	2,186	199	2,385	1,925	500	2,425
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	257	–	257	150	–	150	400	–	400	500	–	500
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	–	69	69	227	49	276	17	266	283	–	42	42
(i) पर्यटन	–	–	–	210	–	210	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य @@	–	69	69	17	49	66	17	266	283	–	42	42
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**5,422**	**3,030**	**8,452**	**62,598**	**6,113**	**68,711**	**7,211**	**1,896**	**9,107**	**5,519**	**3,628**	**9,147**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**613,803**	**613,803**	**–**	**435,701**	**435,701**	**–**	**274,943**	**274,943**	**–**	**286,694**	**286,694**
1. बाजार से ऋण	–	17,992	17,992	–	25,700	25,700	–	25,700	25,700	–	36,404	36,404
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	18,552	18,552	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	1,392	1,392	–	–	–	–	–	–	–	2,130	2,130
4. नाबार्ड से ऋण	–	232	232	–	246	246	–	232	232	–	234	234
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	3,330	3,330	–	2,640	2,640	–	2,111	2,111	–	2,072	2,072
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	311,496	311,496	–	100,000	100,000	–	100,000	100,000	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	197,529	197,529	–	292,152	292,152	–	122,152	122,152	–	133,994	133,994
8. अन्य	–	63,280	63,280	–	14,963	14,963	–	24,748	24,748	–	11,860	11,860
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**274,953**	**274,953**	**–**	**49,558**	**49,558**	**–**	**49,855**	**49,855**	**–**	**51,240**	**51,240**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	269,415	269,415	–	45,281	45,281	–	45,229	45,229	–	47,302	47,302
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	443	443	–	436	436	–	436	436	–	436	436
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	388	388	–	426	426	–	446	446	–	437	437
4. योजनेतर (i से ii)	–	344	344	–	340	340	–	669	669	–	415	415
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	344	344	–	340	340	–	669	669	–	415	415
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	4,363	4,363	–	3,074	3,074	–	3,075	3,075	–	2,649	2,649
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**26,460**	**47,497**	**73,957**	**17,959**	**64,560**	**82,519**	**40,920**	**28,333**	**69,253**	**23,313**	**36,250**	**59,563**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**26,460**	**38,110**	**64,570**	**17,959**	**56,467**	**74,426**	**40,920**	**18,944**	**59,864**	**23,313**	**30,200**	**53,513**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**297**	**150**	**447**	**254**	**31,767**	**32,021**	**316**	**9,419**	**9,735**	**660**	**20,200**	**20,860**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	25	25	–	25	25	–	9,090	9,090	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	129	129	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	125	125	–	31,742	31,742	–	200	200	–	20,200	20,200
7. अन्य	297	–	297	254	–	254	316	–	316	660	–	660
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**26,163**	**37,960**	**64,123**	**17,705**	**24,700**	**42,405**	**40,604**	**9,525**	**50,129**	**22,653**	**10,000**	**32,653**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	32	–	32	62	–	62	50	–	50	62	–	62
4. सहकारिता	137	–	137	534	–	534	4,344	–	4,344	449	–	449

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

गुजरात

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	9,686	19,348	29,034	6,049	6,300	12,349	13,444	5,882	19,326	9,547	–	9,547
7. ग्राम और लघु उद्योग	430	–	430	73	–	73	52	–	52	178	–	178
8. अन्य उद्योग और खनिज	15,878	–	15,878	10,987	–	10,987	10,987	–	10,987	12,417	–	12,417
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	18,612	18,612	–	18,400	18,400	11,727	3,643	15,370	–	10,000	10,000
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**9,387**	**9,387**	**–**	**8,093**	**8,093**	**–**	**9,389**	**9,389**	**–**	**6,050**	**6,050**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	4,772	4,772	–	339	339	–	4,158	4,158	–	3,380	3,380
(ख) विविध	–	4,615	4,615	–	7,754	7,754	–	5,231	5,231	–	2,670	2,670
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**726**	**726**	**–**	**–**	**–**	**–**	**11,212**	**11,212**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**59,468**	**59,468**	**–**	**89,180**	**89,180**	**–**	**102,427**	**102,427**	**–**	**113,229**	**113,229**
1. राज्य भविष्य निधि	–	54,846	54,846	–	84,230	84,230	–	91,327	91,327	–	102,321	102,321
2. अन्य	–	4,622	4,622	–	4,950	4,950	–	11,100	11,100	–	10,908	10,908
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**83,024**	**83,024**	**–**	**149,271**	**149,271**	**–**	**210,972**	**210,972**	**–**	**173,551**	**173,551**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	37	37	–	105	105	–	105	105	–	105	105
2. ऋणशोधन निधि	–	31,000	31,000	–	80,000	80,000	–	125,000	125,000	–	80,000	80,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	51,987	51,987	–	69,166	69,166	–	85,867	85,867	–	93,446	93,446
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**999,207**	**999,207**	**–**	**1,251,388**	**1,251,388**	**–**	**1,267,094**	**1,267,094**	**–**	**1,156,127**	**1,156,127**
1. सिविल जमा	–	220,233	220,233	–	302,000	302,000	–	312,000	312,000	–	312,000	312,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	735,468	735,468	–	700,000	700,000	–	700,000	700,000	–	700,000	700,000
3. सिविल अग्रिम	–	14,664	14,664	–	17,000	17,000	–	17,000	17,000	–	17,000	17,000
4. अन्य	–	28,842	28,842	–	232,388	232,388	–	238,094	238,094	–	127,127	127,127
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**4,419,914**	**4,419,914**	**–**	**3,653,012**	**3,653,012**	**–**	**7,373,011**	**7,373,011**	**–**	**4,072,212**	**4,072,212**
1. उचंत	–	193,168	193,168	–	167,860	167,860	–	167,860	167,860	–	167,860	167,860
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	1,121,166	1,121,166	–	580,000	580,000	–	4,300,000	4,300,000	–	1,000,000	1,000,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	1,823,080	1,823,080	–	1,800,000	1,800,000	–	1,800,000	1,800,000	–	1,800,000	1,800,000
4. अन्य	–	1,282,500	1,282,500	–	1,105,152	1,105,152	–	1,105,151	1,105,151	–	1,104,352	1,104,352
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**550,845**	**550,845**	**–**	**411,160**	**411,160**	**–**	**411,160**	**411,160**	**–**	**411,160**	**411,160**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**409,643**			**152,536**			**89,960**			**2,077**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-403,686**			**-143,867**			**-33,460**			**629**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**5,957**			**8,669**			**56,500**			**2,706**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**5,957**			**8,669**			**56,500**			**2,706**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**6,936**			**8,669**			**56,500**			**2,706**
(क) अथशेष			6,322			9,204			13,258			69,759
(ख) इतिशेष			13,258			17,873			69,758			72,465
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-5,223**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**4,244**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**125,246**	**4,046,567**	**4,171,813**	**144,689**	**1,414,161**	**1,558,851**	**136,857**	**9,931,220**	**10,068,076**	**164,146**	**9,840,772**	**10,004,918**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**125,246**	**178,236**	**303,482**	**144,689**	**60,509**	**205,198**	**136,857**	**49,985**	**186,841**	**164,146**	**66,643**	**230,789**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**114,190**	**-24,497**	**89,693**	**140,152**	**-737**	**139,415**	**129,752**	**-6,701**	**123,051**	**161,686**	**-8,988**	**152,698**
1. विकास (क + ख)	**108,377**	**-24,497**	**83,880**	**132,375**	**-737**	**131,638**	**120,693**	**-6,701**	**113,992**	**153,435**	**-8,988**	**144,447**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**28,696**	**–**	**28,696**	**38,673**	**–**	**38,673**	**34,349**	**–**	**34,349**	**46,113**	**–**	**46,113**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	610	–	610	2,132	–	2,132	2,222	–	2,222	2,560	–	2,560
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,140	–	1,140	1,535	–	1,535	1,540	–	1,540	1,906	–	1,906
3. परिवार कल्याण	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	25,302	–	25,302	32,500	–	32,500	28,196	–	28,196	38,983	–	38,983
5. आवास	565	–	565	728	–	728	548	–	548	728	–	728
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	75	–	75	240	–	240	240	–	240	300	–	300
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	743	–	743	1,213	–	1,213	1,277	–	1,277	922	–	922
9. अन्य *	260	–	260	325	–	325	326	–	326	714	–	714
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**79,681**	**-24,497**	**55,184**	**93,703**	**-737**	**92,966**	**86,344**	**-6,701**	**79,643**	**107,322**	**-8,988**	**98,334**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	141	-24,548	-24,407	-75	-798	-873	971	-6,932	-5,961	247	-9,049	-8,802
(i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	-24,548	-24,548	–	-798	-798	–	-6,932	-6,932	–	-9,049	-9,049
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	141	–	141	-75	–	-75	971	–	971	247	–	247
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	26,254	–	26,254	25,400	–	25,400	31,500	–	31,500	35,700	–	35,700
5. ऊर्जा	23,335	–	23,335	37,545	–	37,545	27,545	–	27,545	41,800	–	41,800
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	223	–	223	368	–	368	563	–	563	335	–	335
(i) ग्राम और लघु उद्योग	1	–	1	19	–	19	13	–	13	31	–	31
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	222	–	222	349	–	349	550	–	550	304	–	304
7. परिवहन(i + ii)	29,178	51	29,229	29,765	61	29,826	24,765	231	24,996	28,440	61	28,501
(i) सड़क और पुल	28,420	–	28,420	26,000	–	26,000	21,000	–	21,000	22,500	–	22,500
(ii) अन्य **	758	51	809	3,765	61	3,826	3,765	231	3,996	5,940	61	6,001
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	550	–	550	700	–	700	1,000	–	1,000	800	–	800
(i) पर्यटन	550	–	550	700	–	700	1,000	–	1,000	800	–	800
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**5,813**	**–**	**5,813**	**7,777**	**–**	**7,777**	**9,059**	**–**	**9,059**	**8,251**	**–**	**8,251**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**187,187**	**187,187**	**–**	**139,958**	**139,958**	**–**	**110,281**	**110,281**	**–**	**166,428**	**166,428**
1. बाजार से ऋण	–	10,981	10,981	–	13,389	13,389	–	13,389	13,389	–	13,389	13,389
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	321	321	–	321	321	–	321	321	–	317	317
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	108,444	108,444	–	100,000	100,000	–	70,500	70,500	–	110,200	110,200
4. नाबार्ड से ऋण	–	5,908	5,908	–	7,884	7,884	–	7,834	7,834	–	8,769	8,769
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	607	607	–	382	382	–	753	753	–	755	755
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	60,242	60,242	–	6,312	6,312	–	6,313	6,313	–	10,292	10,292
8. अन्य	–	684	684	–	1,669	1,669	–	1,171	1,171	–	12,706	12,706
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,111	10,111
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**114,240**	**114,240**	**–**	**18,335**	**18,335**	**–**	**12,227**	**12,227**	**–**	**13,351**	**13,351**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	111,308	111,308	–	15,951	15,951	–	9,838	9,838	–	11,129	11,129
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	191	191	–	191	191	–	191	191	–	191	191
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	144	144	–	130	130	–	134	134	–	122	122
4. योजनेतर (i से ii)	–	607	607	–	343	343	–	343	343	–	355	355
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	607	607	–	343	343	–	343	343	–	355	355
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	1,990	1,990	–	1,721	1,721	–	1,721	1,721	–	1,554	1,554
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**11,056**	**9,750**	**20,806**	**4,537**	**12,953**	**17,490**	**7,105**	**14,678**	**21,783**	**2,460**	**16,054**	**18,514**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**11,056**	**6,152**	**17,208**	**4,537**	**7,700**	**12,237**	**7,105**	**6,900**	**14,005**	**2,460**	**7,901**	**10,361**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**793**	**5,992**	**6,785**	**520**	**6,100**	**6,620**	**620**	**6,300**	**6,920**	**520**	**6,301**	**6,821**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	273	–	273	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	520	5,992	6,512	520	6,100	6,620	620	6,300	6,920	520	6,300	6,820
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**10,263**	**160**	**10,423**	**4,017**	**1,600**	**5,617**	**6,485**	**600**	**7,085**	**1,940**	**1,600**	**3,540**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	260	–	260	363	–	363	363	–	363	450	–	450

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

हरियाणा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	1,500	1,500	–	500	500	–	1,500	1,500
6. बिजली परियोजना	2,243	–	2,243	3,564	–	3,564	3,564	–	3,564	1,400	–	1,400
7. ग्राम और लघु उद्योग	7,673	–	7,673	–	–	–	2,468	–	2,468	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	87	–	87	90	–	90	90	–	90	90	–	90
10. अन्य	–	160	160	–	100	100	–	100	100	–	100	100
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**3,598**	**3,598**	**–**	**5,253**	**5,253**	**–**	**7,778**	**7,778**	**–**	**8,153**	**8,153**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	3,598	3,598	–	5,253	5,253	–	7,778	7,778	–	8,153	8,153
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**75,601**	**75,601**	**–**	**92,404**	**92,404**	**–**	**74,249**	**74,249**	**–**	**76,021**	**76,021**
1. राज्य भविष्य निधि	–	74,295	74,295	–	91,484	91,484	–	72,912	72,912	–	74,806	74,806
2. अन्य	–	1,306	1,306	–	920	920	–	1,337	1,337	–	1,215	1,215
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**12,202**	**12,202**	**–**	**21,557**	**21,557**	**–**	**46,260**	**46,260**	**–**	**22,750**	**22,750**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	4,750	4,750	–	3,350	3,350	–	1,262	1,262	–	3,790	3,790
2. ऋणशोधन निधि	–	3,687	3,687	–	4,190	4,190	–	4,758	4,758	–	5,100	5,100
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	3,765	3,765		14,017	14,017	–	40,240	40,240		13,860	13,860
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**203,497**	**203,497**	**–**	**220,821**	**220,821**	**–**	**152,176**	**152,176**	**–**	**191,326**	**191,326**
1. सिविल जमा	–	89,749	89,749	–	110,000	110,000	–	95,000	95,000	–	103,000	103,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	888	888	–	950	950	–	1,100	1,100	–	1,250	1,250
3. सिविल अग्रिम	–	8,989	8,989	–	6,000	6,000	–	4,000	4,000	–	6,000	6,000
4. अन्य	–	103,871	103,871	–	103,871	103,871	–	52,076	52,076	–	81,076	81,076
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**3,284,057**	**3,284,057**	**–**	**788,872**	**788,872**	**–**	**9,378,050**	**9,378,050**	**–**	**9,213,831**	**9,213,831**
1. उचंत	–	29,204	29,204	–	104,895	104,895	–	1,528,067	1,528,067	–	1,535,075	1,535,075
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,247,564	3,247,564	–	80,000	80,000	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	600,000	600,000	–	7,841,306	7,841,306	–	7,670,306	7,670,306
4. अन्य	–	7,289	7,289	–	3,977	3,977	–	8,677	8,677	–	8,450	8,450
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**184,531**	**184,531**	**–**	**120,000**	**120,000**	**–**	**150,000**	**150,000**	**–**	**150,000**	**150,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**140,231**			**89,649**			**141,743**			**201,151**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-25,804**			**-94,819**			**-60,333**			**-32,001**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**114,426**			**-5,170**			**81,410**			**169,150**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**114,426**			**-5,170**			**81,410**			**169,150**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**17,516**			**-5,170**			**-576**			**-1,156**
(क) अथशेष			-21,386			-24,025			-3,870			-4,446
(ख) इतिशेष			-3,870			-29,195			-4,446			-5,602
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**96,910**			**–**			**81,986**			**170,306**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*
हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**65,311**	**1,046,383**	**1,111,694**	**64,107**	**291,716**	**355,823**	**86,664**	**341,770**	**428,434**	**76,034**	**313,803**	**389,837**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**65,311**	**158,841**	**224,152**	**64,107**	**79,551**	**143,658**	**86,664**	**129,605**	**216,269**	**76,034**	**100,638**	**176,672**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**62,983**	**2,414**	**65,397**	**60,659**	**560**	**61,219**	**83,135**	**495**	**83,630**	**74,966**	**1,000**	**75,966**
1. विकास (क + ख)	**60,001**	**2,414**	**62,415**	**56,348**	**560**	**56,908**	**78,487**	**193**	**78,680**	**70,060**	**1,000**	**71,060**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**31,970**	**1,027**	**32,997**	**23,679**	**–**	**23,679**	**35,713**	**–**	**35,713**	**28,900**	**1,000**	**29,900**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,785	–	4,785	3,951	–	3,951	4,373	–	4,373	5,856	–	5,856
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,107	–	6,107	4,455	–	4,455	4,878	–	4,878	4,072	–	4,072
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	16,121	–	16,121	9,018	–	9,018	17,570	–	17,570	13,190	–	13,190
5. आवास	3,640	1,027	4,667	4,756	–	4,756	4,892	–	4,892	4,554	–	4,554
6. शहरी विकास	98	–	98	45	–	45	45	–	45	35	1,000	1,035
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,155	–	1,155	1,404	–	1,404	3,652	–	3,652	1,111	–	1,111
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5	–	5	5	–	5	258	–	258	5	–	5
9. अन्य *	59	–	59	45	–	45	45	–	45	77	–	77
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**28,031**	**1,387**	**29,418**	**32,669**	**560**	**33,229**	**42,774**	**193**	**42,967**	**41,160**	**–**	**41,160**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,341	-178	1,163	1,773	–	1,773	2,369	–	2,369	1,753	–	1,753
(i) फसल कार्य	316	–	316	61	–	61	92	–	92	60	–	60
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	544	–	544	965	–	965	965	–	965	950	–	950
(iii) पशु पालन	296	–	296	322	–	322	339	–	339	327	–	327
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	72	–	72	134	–	134	133	–	133	92	–	92
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	252	–	252	188	–	188	622	–	622	275	–	275
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	66	-178	-112	78	–	78	72	–	72	22	–	22
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	-205	–	-205	25	–	25	146	–	146	27	–	27
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	20	–	20	354	–	354	354	–	354	450	–	450
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7,338	–	7,338	10,288	–	10,288	11,094	–	11,094	16,168	–	16,168
5. ऊर्जा	–	211	211	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	513	–	513	532	–	532	772	–	772	2,418	–	2,418
(i) ग्राम और लघु उद्योग	513	–	513	532	–	532	732	–	732	2,418	–	2,418
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	40	–	40	–	–	–
7. परिवहन(i + ii)	18,668	1,354	20,022	19,644	560	20,204	28,094	193	28,287	20,242	–	20,242
(i) सड़क और पुल	17,233	1,354	18,587	18,217	560	18,777	26,188	29	26,217	18,414	–	18,414
(ii) अन्य **	1,435	–	1,435	1,427	–	1,427	1,906	164	2,070	1,828	–	1,828
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	151	–	151	78	–	78	91	–	91	129	–	129
(i) पर्यटन	151	–	151	78	–	78	91	–	91	129	–	129
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,982**	**–**	**2,982**	**4,311**	**–**	**4,311**	**4,648**	**302**	**4,950**	**4,906**	**–**	**4,906**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**335,844**	**335,844**	**–**	**86,962**	**86,962**	**–**	**135,569**	**135,569**	**–**	**107,662**	**107,662**
1. बाजार से ऋण	–	3,447	3,447	–	4,383	4,383	–	4,383	4,383	–	4,407	4,407
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	7,963	7,963	–	8,989	8,989	–	8,887	8,887	–	8,712	8,712
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	15,169	15,169	–	782	782	–	782	782	–	3,022	3,022
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	953	953	–	27	27	–	27	27	–	23	23
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	199,379	199,379	–	14,000	14,000	–	14,000	14,000	–	14,500	14,500
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	78,706	78,706	–	3,070	3,070	–	1,002	1,002	–	1,002	1,002
8. अन्य	–	30,227	30,227	–	55,711	55,711	–	106,488	106,488	–	75,996	75,996
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**19,912**	**19,912**	**–**	**5,909**	**5,909**	**–**	**7,366**	**7,366**	**–**	**6,356**	**6,356**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	8,533	8,533		4,699	4,699		6,150	6,150		5,188	5,188
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	4	4	–	3	3	–	3	3	–	3	3
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	422	422	–	417	417	–	420	420	–	412	412
4. योजनेतर (i से ii)	–	229	229	–	236	236	–	239	239	–	247	247
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	229	229	–	236	236	–	239	239	–	247	247
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	10,000	10,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	724	724		554	554	–	554	554		506	506
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**2,328**	**50**	**2,378**	**3,448**	**120**	**3,568**	**3,529**	**175**	**3,704**	**1,068**	**120**	**1,188**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**2,328**	**1**	**2,329**	**3,448**	**30**	**3,478**	**3,529**	**100**	**3,629**	**1,068**	**60**	**1,128**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**591**	**1**	**592**	**1,047**	**30**	**1,077**	**1,047**	**100**	**1,147**	**1,057**	**60**	**1,117**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	589	1	590	1,036	30	1,066	1,036	100	1,136	1,036	60	1,096
7. अन्य	2	–	2	11	–	11	11	–	11	21	–	21
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**1,737**	**–**	**1,737**	**2,401**	**–**	**2,401**	**2,482**	**–**	**2,482**	**11**	**–**	**11**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	24	–	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	900	–	900	–	–	–	81	–	81	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	811	–	811	2,400	–	2,400	2,400	–	2,400	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	1	–	1	1	–	1	11	–	11
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**49**	**49**	**–**	**90**	**90**	**–**	**75**	**75**	**–**	**60**	**60**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	49	49	–	90	90	–	75	75	–	60	60
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**66,110**	**66,110**	**–**	**30,500**	**30,500**	**–**	**30,500**	**30,500**	**–**	**31,000**	**31,000**
1. राज्य भविष्य निधि	–	65,527	65,527	–	30,000	30,000	–	30,000	30,000	–	30,400	30,400
2. अन्य	–	583	583	–	500	500	–	500	500	–	600	600
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**12,207**	**12,207**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	12,207	12,207	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**43,645**	**43,645**	**–**	**37,387**	**37,387**	**–**	**37,387**	**37,387**	**–**	**37,387**	**37,387**
1. सिविल जमा	–	27,774	27,774	–	7,987	7,987	–	7,987	7,987	–	7,987	7,987
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	2,602	2,602	–	21,500	21,500	–	21,500	21,500	–	21,500	21,500
3. सिविल अग्रिम	–	12,678	12,678	–	7,250	7,250	–	7,250	7,250	–	7,250	7,250
4. अन्य	–	591	591	–	650	650	–	650	650	–	650	650
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**308,313**	**308,313**	**–**	**82,241**	**82,241**	**–**	**82,241**	**82,241**	**–**	**82,241**	**82,241**
1. उचंत	–	23,039	23,039	–	17,100	17,100	–	17,100	17,100	–	17,100	17,100
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	285,122	285,122	–	15,000	15,000	–	15,000	15,000	–	15,000	15,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	50,000	50,000	–	50,000	50,000	–	50,000	50,000
4. अन्य	–	152	152	–	141	141	–	141	141	–	141	141
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**257,888**	**257,888**	**–**	**48,037**	**48,037**	**–**	**48,037**	**48,037**	**–**	**48,037**	**48,037**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**146,059**			**1,830**			**23,996**			**24,540**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-115,843**			**-4,137**			**-9,346**			**-25,410**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**30,216**			**-2,307**			**14,650**			**-870**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**30,216**			**-2,307**			**14,650**			**-870**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**20,671**			**-2,307**			**14,650**			**-1,370**
(क) अथशेष			-33,948			-29,164			-13,281			1,370
(ख) इतिशेष			-13,277			-31,471			1,369			–
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**9,545**			**–**			**–**			**500**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*
जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**240,788**	**154,240**	**395,028**	**334,280**	**149,121**	**483,401**	**341,620**	**207,794**	**549,414**	**407,143**	**177,351**	**584,494**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**226,489**	**67,456**	**293,945**	**319,691**	**52,432**	**372,123**	**326,231**	**48,105**	**374,336**	**391,559**	**63,090**	**454,649**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**226,489**	**27,109**	**253,598**	**319,691**	**14,253**	**333,944**	**326,231**	**9,957**	**336,188**	**391,559**	**10,160**	**401,719**
1. विकास (क + ख)	**192,053**	**22,431**	**214,484**	**280,269**	**8,835**	**289,104**	**286,878**	**8,583**	**295,461**	**346,730**	**8,860**	**355,590**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**59,497**	**753**	**60,250**	**72,486**	**714**	**73,200**	**76,246**	**739**	**76,985**	**84,894**	**1,091**	**85,985**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,144	–	10,144	14,746	–	14,746	14,746	–	14,746	13,278	–	13,278
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7,292	–	7,292	7,907	–	7,907	7,907	–	7,907	8,607	–	8,607
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	27,889	–	27,889	28,400	–	28,400	21,807	–	21,807	20,565	–	20,565
5. आवास	322	20	342	300	–	300	300	–	300	300	–	300
6. शहरी विकास	6,255	–	6,255	8,877	–	8,877	13,574	–	13,574	16,468	–	16,468
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	632	–	632	586	–	586	2,661	–	2,661	1,810	–	1,810
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,832	733	2,565	5,459	714	6,173	9,041	739	9,780	16,595	1,091	17,686
9. अन्य *	5,131	–	5,131	6,211	–	6,211	6,210	–	6,210	7,271	–	7,271
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**132,556**	**21,678**	**154,234**	**207,783**	**8,121**	**215,904**	**210,632**	**7,844**	**218,476**	**261,836**	**7,769**	**269,605**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	11,469	21,678	33,147	9,232	8,121	17,353	12,432	7,844	20,276	16,961	7,769	24,730
(i) फसल कार्य	2,581	241	2,822	2,020	302	2,322	5,220	400	5,620	4,470	383	4,853
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	2,566	–	2,566	1,286	–	1,286	1,287	–	1,287	5,566	–	5,566
(iii) पशु पालन	979	–	979	905	–	905	905	–	905	905	–	905
(iv) डेरी विकास	80	–	80	80	–	80	80	–	80	80	–	80
(v) मत्स्य पालन	800	–	800	700	–	700	700	–	700	700	–	700
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,835	–	2,835	2,675	–	2,675	2,675	–	2,675	3,675	–	3,675
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	125	21,438	21,563	115	7,819	7,934	115	7,444	7,559	115	7,386	7,501
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200
(x) सहकारिता	303	–	303	250	–	250	250	–	250	250	–	250
(xi) अन्य @	–	-1	-1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	10,395	–	10,395	13,362	–	13,362	13,362	–	13,362	39,362	–	39,362
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	13,796	–	13,796	12,463	–	12,463	12,463	–	12,463	24,563	–	24,563
5. ऊर्जा	62,963	–	62,963	103,711	–	103,711	103,711	–	103,711	99,530	–	99,530
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	5,059	–	5,059	6,153	–	6,153	6,153	–	6,153	7,052	–	7,052
(i) ग्राम और लघु उद्योग	4,395	–	4,395	5,568	–	5,568	5,568	–	5,568	6,467	–	6,467
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	384	–	384	255	–	255	255	–	255	255	–	255
(iv) अन्य #	280	–	280	330	–	330	330	–	330	330	–	330
7. परिवहन(i + ii)	3,283	–	3,283	3,190	–	3,190	5,045	–	5,045	3,998	–	3,998
(i) सड़क और पुल	3,056	–	3,056	3,000	–	3,000	4,855	–	4,855	3,808	–	3,808
(ii) अन्य **	227	–	227	190	–	190	190	–	190	190	–	190
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	393	–	393	298	–	298	298	–	298	298	–	298
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	25,198	–	25,198	59,374	–	59,374	57,168	–	57,168	70,072	–	70,072
(i) पर्यटन	4,727	–	4,727	4,905	–	4,905	4,905	–	4,905	5,905	–	5,905
(ii) अन्य @@	20,471	–	20,471	54,469	–	54,469	52,263	–	52,263	64,167	–	64,167
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**34,436**	**4,678**	**39,114**	**39,422**	**5,418**	**44,840**	**39,353**	**1,374**	**40,727**	**44,829**	**1,300**	**46,129**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**14,793**	**14,793**	**–**	**18,807**	**18,807**	**–**	**14,769**	**14,769 +**	**–**	**25,730**	**25,730 +**
1. बाजार से ऋण	–	5,798	5,798	–	4,305	4,305	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	2,928	2,928	–	3,580	3,580	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	5,835	5,835	–	7,388	7,388	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य	–	232	232	–	3,534	3,534	–	14,769	14,769	–	25,730	25,730
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**20,387**	**20,387**	**–**	**14,769**	**14,769**	**–**	**18,807**	**18,807**	**–**	**17,127**	**17,127**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	20,387	20,387	–	14,769	14,769	–	18,807	18,807	–	17,127	17,127
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**–**	**5,167**	**5,167**	**–**	**4,603**	**4,603**	**–**	**4,572**	**4,572**	**–**	**10,072**	**10,072**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**–**	**4,947**	**4,947**	**–**	**4,453**	**4,453**	**–**	**4,452**	**4,452**	**–**	**5,007**	**5,007**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,000**	**1,000**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,000	1,000
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**4,947**	**4,947**	**–**	**4,453**	**4,453**	**–**	**4,452**	**4,452**	**–**	**4,007**	**4,007**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

+ : चूंकि नवंबर 2006 की समाप्ति तक के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसे अन्य के अंतर्गत शामिल किया गया है।

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

जम्मू और कश्मीर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	2,624	2,624	–	2,362	2,362	–	2,361	2,361	–	2,125	2,125
9. ग्रामीण विकास				–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	2,323	2,323	–	2,091	2,091	–	2,091	2,091	–	1,882	1,882
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**220**	**220**	**–**	**150**	**150**	**–**	**120**	**120**	**–**	**5,065**	**5,065**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	220	220	–	150	150	–	120	120	–	65	65
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,000	5,000
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**44,546**	**44,546**	**–**	**46,305**	**46,305**	**–**	**45,398**	**45,398**	**–**	**50,015**	**50,015**
1. राज्य भविष्य निधि	–	43,489	43,489	–	45,235	45,235	–	44,397	44,397	–	48,995	48,995
2. अन्य	–	1,057	1,057	–	1,070	1,070	–	1,001	1,001	–	1,020	1,020
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**3,272**	**3,272**	**–**	**6,781**	**6,781**	**–**	**67,631**	**67,631**	**–**	**18,538**	**18,538**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	3,272	3,272	–	6,781	6,781	–	67,631	67,631	–	18,538	18,538
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**14,299**	**10,253**	**24,552**	**14,589**	**12,755**	**27,344**	**15,389**	**11,943**	**27,332**	**15,584**	**12,616**	**28,200**
1. सिविल जमा	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	15,389	9,643	25,032	15,584	10,316	25,900
3. सिविल अग्रिम	–	900	900	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200	–	1,200	1,200
4. अन्य	14,299	8,253	22,552	14,589	10,455	25,044	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**15,413**	**15,413**	**–**	**17,548**	**17,548**	**–**	**21,358**	**21,358**	**–**	**19,793**	**19,793**
1. उचंत	–	9,413	9,413	–	11,548	11,548	–	15,358	15,358	–	13,793	13,793
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	3,600	3,600	–	3,600	3,600	–	3,600	3,600	–	3,600	3,600
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,400	2,400	–	2,400	2,400	–	2,400	2,400	–	2,400	2,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**60**	**60**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**13,300**	**13,300**	**–**	**13,300**	**13,300**	**–**	**13,300**	**13,300**	**–**	**13,300**	**13,300**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-154,058**			**-202,615**			**-181,637**			**-303,234**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**157,657**			**211,636**			**181,623**			**293,531**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**3,599**			**9,021**			**-14**			**-9,703**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**3,599**			**9,021**			**-14**			**-9,703**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-1**			**5,421**			**-14**			**-9,703**
(क) अथशेष			-140,670			-140,674			-165,900			-165,900
(ख) इतिशेष			-140,671			-135,253			-165,914			-175,603
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**3,600**			**3,600**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**230,171**	**414,417**	**644,588**	**236,885**	**392,065**	**628,949**	**267,473**	**417,405**	**684,878**	**375,266**	**407,336**	**782,602**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**230,171**	**91,492**	**321,663**	**236,885**	**73,295**	**310,180**	**267,473**	**98,636**	**366,109**	**375,266**	**78,499**	**453,765**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**201,219**	**–**	**201,219**	**191,600**	**19,273**	**210,873**	**222,188**	**–**	**222,188**	**273,440**	**–**	**273,440**
1. विकास (क + ख)	**196,972**	**–**	**196,972**	**182,072**	**19,273**	**201,345**	**212,923**	**–**	**212,923**	**264,922**	**–**	**264,922**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**49,843**	**–**	**49,843**	**37,718**	**19,273**	**56,991**	**68,374**	**–**	**68,374**	**90,839**	**–**	**90,839**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,169	–	12,169	354	19,273	19,627	19,627	–	19,627	27,570	–	27,570
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,032	–	5,032	6,300	–	6,300	6,300	–	6,300	14,349	–	14,349
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	20,870	–	20,870	15,050	–	15,050	25,713	–	25,713	30,684	–	30,684
5. आवास	3,453	–	3,453	3,707	–	3,707	3,991	–	3,991	3,885	–	3,885
6. शहरी विकास	7,319	–	7,319	5,594	–	5,594	6,030	–	6,030	6,983	–	6,983
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,000	–	1,000	6,713	–	6,713	6,713	–	6,713	7,368	–	7,368
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
9. अन्य *	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**147,129**	**–**	**147,129**	**144,354**	**–**	**144,354**	**144,549**	**–**	**144,549**	**174,083**	**–**	**174,083**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	466	–	466	1,096	–	1,096	1,055	–	1,055	845	–	845
(i) फसल कार्य	466		466	700		700	370		370	410		410
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	396	–	396	685	–	685	435	–	435
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	62,971	–	62,971	57,594	–	57,594	57,594	–	57,594	60,233	–	60,233
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम												
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	43,363	–	43,363	44,575	–	44,575	44,811	–	44,811	48,870	–	48,870
5. ऊर्जा	4,840	–	4,840	3,000	–	3,000	3,000	–	3,000	5,300	–	5,300
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	–	–	–	200	–	200	200	–	200	210	–	210
(i) ग्राम और लघु उद्योग		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	200	–	200	210	–	210
(iv) अन्य #	–	–	–	200	–	200	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन(i + ii)	33,043	–	33,043	35,889	–	35,889	35,889	–	35,889	56,525	–	56,525
(i) सड़क और पुल	27,785	–	27,785	29,650	–	29,650	29,650	–	29,650	52,010	–	52,010
(ii) अन्य **	5,258	–	5,258	6,239	–	6,239	6,239	–	6,239	4,515	–	4,515
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,446	–	2,446	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,100	–	2,100
(i) पर्यटन	2,446	–	2,446	2,000	–	2,000	2,000	–	2,000	2,100	–	2,100
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**4,247**	**–**	**4,247**	**9,528**	**–**	**9,528**	**9,265**	**–**	**9,265**	**8,518**	**–**	**8,518**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**48,401**	**48,401**	**–**	**13,852**	**13,852**	**–**	**15,074**	**15,074**	**–**	**12,520**	**12,520**
1. बाजार से ऋण	–	11,193	11,193	–	12,925	12,925	–	12,925	12,925	–	8,529	8,529
2. जीवन बीमा निगम से ऋण		1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	290	290	–	180	180	–	700	700	–	310	310
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	36,901	36,901	–	747	747	–	1,449	1,449	–	3,480	3,480
8. अन्य	–	15	15	–	–	–	–	–	–	–	201	201
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	11	11	–	–	–	–	–	–	–	200	200
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**18,065**	**18,065**	**–**	**19,414**	**19,414**	**–**	**13,513**	**13,513**	**–**	**24,861**	**24,861**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	15,706	15,706	–	17,061	17,061	–	11,707	11,707	–	22,900	22,900
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	32	32	–	32	32	–	20	20	–	20	20
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	68	68	–	62	62	–	65	65	–	65	65
4. योजनेतर (i से ii)	–	238	238	–	238	238	–	61	61	–	216	216
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	238	238	–	238	238	–	61	61	–	216	216
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	2,021	2,021	–	2,021	2,021	–	1,660	1,660	–	1,660	1,660
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**28,952**	**25,027**	**53,979**	**45,285**	**20,756**	**66,040**	**45,285**	**70,050**	**115,335**	**101,826**	**41,120**	**142,946**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**28,952**	**24,522**	**53,474**	**45,285**	**19,856**	**65,140**	**45,285**	**69,050**	**114,335**	**101,826**	**40,320**	**142,146**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**5,043**	**896**	**5,939**	**6,704**	**1,209**	**7,912**	**6,704**	**1,309**	**8,013**	**5,951**	**1,186**	**7,137**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	394	–	394	394	–	394	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,400	–	2,400	3,625	–	3,625	3,625	–	3,625	3,738	–	3,738
5. आवास	–	1	1	210	1	211	210	1	211	122	–	122
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	695	695	–	800	800	–	900	900	–	900	900
7. अन्य	2,643	200	2,843	2,475	408	2,883	2,475	408	2,883	2,091	286	2,377
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**23,909**	**23,626**	**47,535**	**38,581**	**18,647**	**57,228**	**38,581**	**67,741**	**106,322**	**95,875**	**39,134**	**135,009**
1. फसल कार्य		–	–	–	–	–		–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता		–	–	–	–	–	–	–	–	8,000	–	8,000

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

झारखंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (संशोधित अनुमान)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	21,108	23,624	44,732	34,477	18,647	53,124	34,477	67,741	102,218	87,300	39,134	126,434
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,500	–	2,500	4,004	–	4,004	4,004	–	4,004	475	–	475
9. ग्रामीण विकास	301	–	301	100	–	100	100	–	100	100	–	100
10. अन्य	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**505**	**505**	**–**	**900**	**900**	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**800**	**800**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	505	505	–	900	900	–	1,000	1,000	–	800	800
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**23,500**	**23,500**	**–**	**18,458**	**18,458**	**–**	**18,458**	**18,458**	**–**	**19,300**	**19,300**
1. राज्य भविष्य निधि	–	20,500	20,500	–	15,458	15,458	–	15,458	15,458	–	16,000	16,000
2. अन्य	–	3,000	3,000	–	3,000	3,000	–	3,000	3,000	–	3,300	3,300
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**6,563**	**6,563**	**–**	**7,000**	**7,000**	**–**	**7,000**	**7,000**	**–**	**16,182**	**16,182**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	6,563	6,563	–	7,000	7,000	–	7,000	7,000	–	16,182	16,182
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**89,958**	**89,958**	**–**	**90,408**	**90,408**	**–**	**90,408**	**90,408**	**–**	**90,408**	**90,408**
1. सिविल जमा	–	9,885	9,885	–	9,885	9,885	–	9,885	9,885	–	9,885	9,885
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	27,911	27,911	–	28,361	28,361	–	28,361	28,361	–	28,361	28,361
3. सिविल अग्रिम	–	6,562	6,562	–	6,562	6,562	–	6,562	6,562	–	6,562	6,562
4. अन्य	–	45,600	45,600	–	45,600	45,600	–	45,600	45,600	–	45,600	45,600
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**59,897**	**59,897**	**–**	**59,897**	**59,897**	**–**	**59,897**	**59,897**	**–**	**59,897**	**59,897**
1. उचंत	–	38,397	38,397	–	38,397	38,397	–	38,397	38,397	–	38,397	38,397
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**128,006**	**128,006**	**–**	**128,006**	**128,006**	**–**	**128,006**	**128,006**	**–**	**128,050**	**128,050**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**40,677**			**-76,825**			**-132,754**			**46,163**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-111,139**			**-111,874**			**-155,316**			**-71,272**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-70,462**			**-188,699**			**-288,070**			**-25,109**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-70,462**			**-188,699**			**-288,070**			**-25,109**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-70,463**			**-188,699**			**-288,070**			**-25,109**
(क) अथशेष			28,800			92,115			92,115			21,000
(ख) इतिशेष			-41,663			-96,584			-195,955			-4,109
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**1**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*
कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**521,534**	**6,267,560**	**6,789,094**	**550,470**	**1,736,605**	**2,287,075**	**584,027**	**1,727,573**	**2,311,600**	**674,318**	**1,748,567**	**2,422,885**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**521,534**	**409,916**	**931,450**	**550,470**	**99,030**	**649,500**	**584,027**	**99,998**	**684,025**	**674,318**	**100,092**	**774,410**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**466,472**	**896**	**467,368**	**535,798**	**656**	**536,454**	**564,049**	**657**	**564,706**	**654,759**	**593**	**655,352**
1. विकास (क + ख)	**452,851**	**896**	**453,747**	**511,255**	**656**	**511,911**	**538,506**	**657**	**539,163**	**631,842**	**593**	**632,435**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**48,584**	**20**	**48,604**	**99,575**	**200**	**99,775**	**124,136**	**201**	**124,337**	**139,235**	**104**	**139,339**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	472	20	492	5,222	100	5,322	7,025	100	7,125	5,902	104	6,006
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	797	–	797	8,001	100	8,101	5,121	100	5,221	11,683	–	11,683
3. परिवार कल्याण	33	–	33	600	–	600	600	–	600	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	22,428	–	22,428	51,086	–	51,086	69,315	–	69,315	73,093	–	73,093
5. आवास	14,775	–	14,775	16,617	–	16,617	25,192	–	25,192	25,635	–	25,635
6. शहरी विकास	3,935	–	3,935	4,633	–	4,633	4,633	–	4,633	3,200	–	3,200
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,529	–	5,529	11,910	–	11,910	11,645	–	11,645	17,756	–	17,756
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	546	–	546	1,426	–	1,426	526	–	526	1,140	–	1,140
9. अन्य *	69	–	69	80	–	80	79	1	80	826	–	826
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**404,267**	**876**	**405,143**	**411,680**	**456**	**412,136**	**414,370**	**456**	**414,826**	**492,607**	**489**	**493,096**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,879	–	1,879	3,790	–	3,790	2,808	–	2,808	2,939	–	2,939
(i) फसल कार्य	10	–	10	30	–	30	30	–	30	30	–	30
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	3,061	–	3,061	1,500	–	1,500	865	–	865
(iii) पशु पालन	14	–	14	167	–	167	667	–	667	500	–	500
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	756	–	756	467	–	467	467	–	467	636	–	636
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	361	–	361	50	–	50	50	–	50	81	–	81
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	5	–	5	10	–	10	10	–	10	10	–	10
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	733	–	733	5	–	5	84	–	84	817	–	817
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	93	93	–	121	121	–	121	121	–	121	121
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	300,190	783	300,973	315,493	335	315,828	305,500	335	305,835	374,692	368	375,060
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	5,000	–	5,000	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	887	–	887	1,676	–	1,676	1,813	–	1,813	3,482	–	3,482
(i) ग्राम और लघु उद्योग	299	–	299	671	–	671	808	–	808	2,480	–	2,480
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	620	–	620	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	-32	–	-32	5	–	5	5	–	5	2	–	2
7. परिवहन(i + ii)	89,584	–	89,584	88,615	–	88,615	94,720	–	94,720	109,574	–	109,574
(i) सड़क और पुल	84,548	–	84,548	88,040	–	88,040	94,144	–	94,144	108,924	–	108,924
(ii) अन्य **	5,036	–	5,036	575	–	575	576	–	576	650	–	650
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	11,727	–	11,727	2,106	–	2,106	4,529	–	4,529	1,920	–	1,920
(i) पर्यटन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य @@	11,727	–	11,727	2,106	–	2,106	4,529		4,529	1,920	–	1,920
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**13,621**	**–**	**13,621**	**24,543**	**–**	**24,543**	**25,543**	**–**	**25,543**	**22,917**	**–**	**22,917**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**272,997**	**272,997**	**–**	**172,920**	**172,920**	**–**	**44,191**	**44,191**	**–**	**184,034**	**184,034**
1. बाजार से ऋण	–	18,255	18,255	–	24,387	24,387	–	24,331	24,331	–	23,398	23,398
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	3,478	3,478	–	3,473	3,473	–	3,478	3,478	–	3,467	3,467
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	35,113	35,113	–	300	300	–	300	300	–	3,234	3,234
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	4,213	4,213	–	4,500	4,500	–	4,328	4,328	–	4,096	4,096
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	146,279	146,279	–	135,000	135,000	–	–	–	–	135,000	135,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	64,537	64,537	–	4,644	4,644	–	11,138	11,138	–	11,467	11,467
8. अन्य	–	1,122	1,122	–	616	616	–	616	616	–	3,372	3,372
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**276,222**	**276,222**	**–**	**51,697**	**51,697**	**–**	**41,753**	**41,753**	**–**	**46,405**	**46,405**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	270,640	270,640	–	48,016	48,016	–	3,829	3,829	–	8,499	8,499
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	376	376	–	370	370	–	370	370	–	369	369
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	856	856	–	976	976	–	997	997	–	989	989
4. योजनेतर (i से ii)	–	660	660	–	840	840	–	665	665	–	714	714
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	660	660	–	840	840	–	665	665	–	714	714
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	3,690	3,690	–	1,495	1,495	–	35,892	35,892	–	35,834	35,834
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**55,062**	**6,080**	**61,142**	**14,672**	**8,757**	**23,429**	**19,978**	**13,397**	**33,375**	**19,559**	**4,060**	**23,619**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**55,062**	**–**	**55,062**	**14,672**	**3,100**	**17,772**	**19,978**	**7,590**	**27,568**	**19,559**	**3,100**	**22,659**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**23,891**	**–**	**23,891**	**12,400**	**–**	**12,400**	**16,240**	**–**	**16,240**	**16,155**	**–**	**16,155**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	24	–	24	100	–	100	100	–	100	100	–	100
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	12,623		12,623	9,400	–	9,400	8,600	–	8,600	12,300	–	12,300
5. आवास	–	–	–	–	–	–	4,640	–	4,640	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	11	–	11	300	–	300	300	–	300	700	–	700
7. अन्य	11,233	–	11,233	2,600	–	2,600	2,600	–	2,600	3,055	–	3,055
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**31,171**	**–**	**31,171**	**2,272**	**3,100**	**5,372**	**3,738**	**7,590**	**11,328**	**3,404**	**3,100**	**6,504**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	439	–	439	–	–	–	800	–	800	800	–	800
4. सहकारिता	177	–	177	15	–	15	49	–	49	123	–	123

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

कर्नाटक

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	14,778	–	14,778	1,952	–	1,952	1,952	–	1,952	1,652	–	1,652
7. ग्राम और लघु उद्योग	175	–	175	25	–	25	287	–	287	525	–	525
8. अन्य उद्योग और खनिज	15,270	–	15,270	–	100	100	–	7,590	7,590	–	3,100	3,100
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	332	–	332	280	3,000	3,280	650	–	650	304	–	304
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**6,080**	**6,080**	**–**	**5,657**	**5,657**	**–**	**5,807**	**5,807**	**–**	**960**	**960**
(क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	664	664	–	657	657	–	807	807	–	672	672
(ख) विविध	–	5,416	5,416	–	5,000	5,000	–	5,000	5,000	–	288	288
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**3,891**	**3,891**	**–**	**500**	**500**	**–**	**500**	**500**	**–**	**500**	**500**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**93,609**	**93,609**	**–**	**98,775**	**98,775**	**–**	**98,775**	**98,775**	**–**	**98,775**	**98,775**
1. राज्य भविष्य निधि	–	50,626	50,626	–	54,142	54,142	–	54,142	54,142	–	54,142	54,142
2. अन्य	–	42,983	42,983		44,633	44,633		44,633	44,633		44,633	44,633
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**10,491**	**10,491**	**–**	**22,200**	**22,200**	**–**	**22,200**	**22,200**	**–**	**33,100**	**33,100**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	3,098	3,098	–	–	–	–	22,200	22,200	–	33,100	33,100
2. ऋणशोधन निधि	–	7,393	7,393	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	22,200	22,200	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,777,309**	**1,777,309**	**–**	**646,600**	**646,600**	**–**	**646,600**	**646,600**	**–**	**646,600**	**646,600**
1. सिविल जमा	–	202,490	202,490		96,000	96,000		96,000	96,000		96,000	96,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	1,002,649	1,002,649	–	450,000	450,000		450,000	450,000	–	450,000	450,000
3. सिविल अग्रिम	–	7,939	7,939	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	564,231	564,231	–	100,600	100,600	–	100,600	100,600	–	100,600	100,600
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**3,573,649**	**3,573,649**	**–**	**529,500**	**529,500**	**–**	**654,500**	**654,500**	**–**	**529,500**	**529,500**
1. उचंत	–	90,434	90,434	–	29,500	29,500	–	29,500	29,500	–	29,500	29,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	2,157,907	2,157,907	–	–	–	–	125,000	125,000	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,325,308	1,325,308	–	500,000	500,000	–	500,000	500,000	–	500,000	500,000
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**252,415**	**252,415**	**–**	**205,000**	**205,000**	**–**	**205,000**	**205,000**	**–**	**205,000**	**205,000**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**10,558**			**-167,755**			**9,221**			**-455,708**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**163,781**			**85,445**			**118,679**			**153,453**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**174,339**			**-82,310**			**127,900**			**-302,255**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**174,339**			**-82,310**			**127,900**			**-302,255**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**968**			**-2,310**			**2,900**			**2,745**
(क) अथशेष			1,290			7,266			2,257			5,157
(ख) इतिशेष			2,258			4,956			5,157			7,902
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**173,371**			**-80,000**			**125,000**			**-305,000**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**85,295**	**4,572,258**	**4,657,553**	**116,099**	**3,540,834**	**3,656,933**	**141,236**	**4,626,067**	**4,767,303**	**216,239**	**4,337,003**	**4,553,242**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**85,295**	**225,326**	**310,621**	**116,099**	**122,248**	**238,347**	**141,236**	**128,184**	**269,420**	**216,239**	**148,291**	**364,530**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**66,287**	**1,888**	**68,174**	**58,478**	**541**	**59,019**	**79,740**	**627**	**80,367**	**135,659**	**4,236**	**139,895**
1. विकास (क + ख)	**62,348**	**1,633**	**63,981**	**54,435**	**491**	**54,926**	**73,925**	**515**	**74,440**	**132,342**	**4,136**	**136,478**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**9,061**	**-73**	**8,988**	**9,930**	**-3**	**9,927**	**12,975**	**-3**	**12,972**	**10,135**	**3,701**	**13,837**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,589	–	2,589	2,321	–	2,321	2,849	–	2,849	1,822	1,178	3,000
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,937	–	2,937	2,614	–	2,614	5,041	–	5,041	3,078	–	3,078
3. परिवार कल्याण	91	–	91	160	–	160	160	–	160	220	–	220
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,500	2,500
5. आवास	243	-70	173	600	-3	597	641	-3	638	587	-3	584
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,823	–	2,823	3,970	–	3,970	3,980	–	3,980	4,214	–	4,214
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	368	–	368	240	–	240	279	–	279	215	–	215
9. अन्य *	10	-3	7	25	–	25	25	–	25	–	26	26
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**53,287**	**1,706**	**54,993**	**44,505**	**494**	**44,999**	**60,951**	**518**	**61,468**	**122,206**	**435**	**122,641**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,409	-90	3,320	5,330	464	5,794	6,429	487	6,915	13,175	404	13,580
(i) फसल कार्य	42	2	44	252	23	275	252	23	275	1,705	28	1,733
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	350	–	350	15	–	15	1,015	–	1,015	2,542	–	2,542
(iii) पशु पालन	23	–	23	516	–	516	815	–	815	2,204	–	2,204
(iv) डेरी विकास	–	–	–	125	–	125	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	898	-40	858	1,833	–	1,833	1,833	–	1,833	3,160	–	3,160
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	712	–	712	832	–	832	756	–	756	1,035	–	1,035
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	103	448	551	275	441	716	275	464	739	350	376	726
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	1,282	-500	782	1,482	–	1,482	1,482	–	1,482	1,680	–	1,680
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500	–	500
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	15,740	1,778	17,518	10,192	–	10,192	15,651	–	15,651	20,367	–	20,367
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	7,459	-6	7,453	7,323	–	7,323	7,324	–	7,324	2,378	–	2,378
(i) ग्राम और लघु उद्योग	980	-6	974	1,253	–	1,253	1,254	–	1,254	1,928	–	1,928
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	6,479	–	6,479	6,070	–	6,070	6,070	–	6,070	450	–	450
7. परिवहन(i + ii)	25,177	24	25,200	9,220	30	9,250	29,472	30	29,502	82,239	30	82,269
(i) सड़क और पुल	21,928	–	21,928	4,317	–	4,317	23,412	–	23,412	65,831	–	65,831
(ii) अन्य **	3,249	24	3,273	4,903	30	4,933	6,061	30	6,091	16,408	30	16,438
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,502	-1	1,502	12,440	–	12,440	2,074	1	2,076	4,047	1	4,048
(i) पर्यटन	1,500	–	1,500	801	–	801	2,044	–	2,044	2,537	–	2,537
(ii) अन्य @@	3	-1	2	11,639	–	11,639	30	1	31	1,510	1	1,511
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**3,939**	**255**	**4,194**	**4,043**	**50**	**4,093**	**5,815**	**112**	**5,927**	**3,317**	**100**	**3,417**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**1,035,922**	**1,035,922**	**–**	**532,192**	**532,192**	**–**	**742,266**	**742,266**	**–**	**538,941**	**538,941**
1. बाजार से ऋण	–	29,549	29,549	–	34,591	34,591	–	34,711	34,711	–	38,168	38,168
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	10,183	10,183	–	13,115	13,115	–	13,116	13,116	–	16,041	16,041
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	5,559	5,559	–	8,490	8,490	–	1,224	1,224	–	1,775	1,775
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	5,232	5,232	–	5,500	5,500	–	6,400	6,400	–	7,000	7,000
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	965,834	965,834	–	465,000	465,000	–	679,500	679,500	–	460,500	460,500
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	17,215	17,215	–	2,857	2,857	–	4,761	4,761	–	6,962	6,962
8. अन्य	–	2,350	2,350	–	2,639	2,639	–	2,555	2,555	–	8,495	8,495
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	2	2	–	10	10	–	10	10	–	5,801	5,801
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**152,710**	**152,710**	**–**	**53,753**	**53,753**	**–**	**62,001**	**62,001**	**–**	**64,765**	**64,765**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	114,038	114,038	–	30,138	30,138	–	23,169	23,169	–	26,212	26,212
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	34	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	108	108	–	108	108	–	108	108	–	107	107
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	437	437	–	414	414	–	430	430	–	396	396
4. योजनेतर (i से ii)	–	244	244	–	243	243	–	280	280	–	248	248
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	244	244	–	243	243	–	280	280	–	248	248
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	35,000	35,000	–	20,000	20,000	–	35,000	35,000	–	35,000	35,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	2,884	2,884	–	2,850	2,850	–	3,014	3,014	–	2,803	2,803
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**19,008**	**640**	**19,648**	**57,621**	**762**	**58,383**	**61,496**	**2,792**	**64,287**	**80,580**	**850**	**81,430**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**19,008**	**176**	**19,184**	**57,621**	**177**	**57,798**	**61,496**	**2,192**	**63,688**	**80,580**	**210**	**80,791**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**3,110**	**156**	**3,266**	**45,715**	**177**	**45,892**	**45,864**	**177**	**46,041**	**66,792**	**190**	**66,981**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	702	–	702
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	650	–	650	4,470	–	4,470	44,700	–	44,700	65,450	–	65,450
5. आवास	289	128	417	650	128	778	650	128	778	351	141	492
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	17	17	–	40	40	–	40	40	–	40	40
7. अन्य	2,171	10	2,181	40,595	9	40,604	514	9	522	289	9	298
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**15,898**	**20**	**15,918**	**11,906**	**–**	**11,906**	**15,632**	**2,015**	**17,647**	**13,789**	**21**	**13,809**
1. फसल कार्य	27	–	27	–	–	–	171	–	171	17	21	38
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	359	–	359	600	–	600	600	–	600	600	–	600
4. सहकारिता	1,877	–	1,877	1,963	–	1,963	1,963	–	1,963	1,950	–	1,950

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

केरल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	6,693	–	6,693	6,628	–	6,628	6,628	–	6,628	5,909	–	5,909
7. ग्राम और लघु उद्योग	1,743	–	1,743	1,215	–	1,215	1,215	–	1,215	1,837	–	1,837
8. अन्य उद्योग और खनिज	850	–	850	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,300	–	1,300
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	4,350	20	4,370	400	–	400	3,956	2,015	5,971	2,175	–	2,175
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**464**	**464**	**–**	**585**	**585**	**–**	**600**	**600**	**–**	**640**	**640**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	464	464	–	585	585	–	600	600	–	640	640
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**1,504**	**1,504**	**–**	**100**	**100**	**–**	**–**	**–**	**–**	**100**	**100**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**750,894**	**750,894**	**–**	**950,801**	**950,801**	**–**	**852,214**	**852,214**	**–**	**869,046**	**869,046**
1. राज्य भविष्य निधि	–	98,553	98,553	–	196,496	196,496	–	147,634	147,634	–	155,302	155,302
2. अन्य	–	652,341	652,341	–	754,305	754,305	–	704,580	704,580	–	713,744	713,744
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**23,565**	**23,565**	**–**	**22,852**	**22,852**	**–**	**36,014**	**36,014**	**–**	**28,430**	**28,430**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	13,857	13,857	–	14,408	14,408	–	16,111	16,111
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	23,565	23,565	–	8,995	8,995	–	21,606	21,606	–	12,319	12,319
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**231,292**	**231,292**	**–**	**471,761**	**471,761**	**–**	**420,901**	**420,901**	**–**	**430,069**	**430,069**
1. सिविल जमा	–	89,282	89,282	–	103,830	103,830	–	137,624	137,624	–	109,189	109,189
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	140,142	140,142	–	366,592	366,592	–	280,538	280,538	–	317,538	317,538
3. सिविल अग्रिम	–	129	129	–	70	70	–	67	67	–	74	74
4. अन्य	–	1,740	1,740	–	1,269	1,269	–	2,672	2,672	–	3,269	3,269
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**1,880,735**	**1,880,735**	**–**	**1,041,413**	**1,041,413**	**–**	**1,992,669**	**1,992,669**	**–**	**1,895,038**	**1,895,038**
1. उचंत	–	449,272	449,272	–	359,536	359,536	–	468,828	468,828	–	413,360	413,360
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	57,644	57,644	–	30,005	30,005	–	72,206	72,206	–	30,005	30,005
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,373,819	1,373,819	–	651,872	651,872	–	1,451,635	1,451,635	–	1,451,673	1,451,673
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**7,500**	**7,500**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**485,609**	**485,609**	**–**	**466,660**	**466,660**	**–**	**516,586**	**516,586**	**–**	**505,529**	**505,529**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**413,334**			**396,692**			**424,769**			**530,283**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-366,892**			**-407,227**			**-449,375**			**-541,479**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**46,442**			**-10,535**			**-24,606**			**-11,196**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**46,442**			**-10,535**			**-24,606**			**-11,196**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**13,433**			**-10,535**			**-24,606**			**-11,196**
(क) अथशेष			-24,164			-83,790			-23,525			-48,132
(ख) इतिशेष			-10,731			-94,325			-48,131			-59,328
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**33,009**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**404,710**	**4,232,869**	**4,637,579**	**461,524**	**4,338,216**	**4,799,740**	**516,433**	**5,025,728**	**5,542,162**	**548,985**	**4,695,979**	**5,244,964**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**404,710**	**733,935**	**1,138,645**	**461,524**	**172,201**	**633,725**	**516,433**	**332,950**	**849,384**	**548,985**	**159,272**	**708,256**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**348,599**	**146,500**	**495,098**	**429,759**	**41,986**	**471,745**	**449,128**	**236,168**	**685,296**	**478,508**	**38,346**	**516,853**
1. विकास (क + ख)	**348,599**	**131,879**	**480,478**	**421,271**	**31,900**	**453,171**	**438,668**	**230,168**	**668,836**	**471,680**	**30,646**	**502,326**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**42,924**	**235**	**43,160**	**53,619**	**651**	**54,270**	**59,753**	**846**	**60,599**	**64,811**	**629**	**65,440**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,358	–	2,358	4,386	–	4,386	5,406	–	5,406	6,969	–	6,969
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,144	49	4,193	5,344	346	5,690	7,705	146	7,851	10,776	414	11,190
3. परिवार कल्याण	73	–	73	245	–	245	125	–	125	337	–	337
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	16,085	–	16,085	19,013	–	19,013	19,243	–	19,243	20,023	–	20,023
5. आवास	615	–	615	911	–	911	911	–	911	499	–	499
6. शहरी विकास	7,314	160	7,474	5,505	300	5,805	3,700	300	4,000	6,451	–	6,451
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,968	–	10,968	15,585	–	15,585	20,033	–	20,033	17,078	–	17,078
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,328	27	1,355	2,565	5	2,570	2,565	400	2,965	2,604	215	2,819
9. अन्य *	40	–	40	65	–	65	65	–	65	73	–	73
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**305,674**	**131,644**	**437,318**	**367,652**	**31,249**	**398,901**	**378,915**	**229,322**	**608,237**	**406,870**	**30,017**	**436,886**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	5,491	402	5,893	4,173	30	4,203	4,939	-4,403	536	4,397	–	4,397
(i) फसल कार्य	110	17	126	146	30	176	151	–	151	153	–	153
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,243	–	1,243	1,526	–	1,526	1,526	–	1,526	1,110	–	1,110
(iii) पशु पालन	11	–	11	82	–	82	82	–	82	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	1	–	1	57	–	57	542	–	542	49	–	49
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	272	–	272	300	–	300	760	–	760	476	–	476
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	385	385	291	–	291	107	-4,403	-4,296	25	–	25
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	3,855	–	3,855	1,771	–	1,771	1,771	–	1,771	2,584	–	2,584
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	30,503	–	30,503	43,298	–	43,298	38,403	–	38,403	39,498	–	39,498
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	169,906	–	169,906	174,813	–	174,813	173,484	–	173,484	188,933	–	188,933
5. ऊर्जा	43,877	130,827	174,705	49,777	30,000	79,777	73,987	233,456	307,443	67,638	30,000	97,638
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	949	15	964	1,311	14	1,325	2,021	14	2,035	2,296	12	2,308
(i) ग्राम और लघु उद्योग	787	15	802	806	14	820	1,123	14	1,137	1,279	12	1,290
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12	–	12	15	–	15	7	–	7	6	–	6
(iv) अन्य #	150	–	150	490	–	490	890	–	890	1,012	–	1,012
7. परिवहन(i + ii)	54,272	400	54,672	92,127	1,200	93,327	83,908	250	84,158	99,168	–	99,168
(i) सड़क और पुल	54,038	–	54,038	91,963	–	91,963	82,244	–	82,244	97,928	–	97,928
(ii) अन्य **	234	400	634	164	1,200	1,364	1,664	250	1,914	1,240	–	1,240
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	676	–	676	2,153	5	2,158	2,173	5	2,178	4,939	5	4,944
(i) पर्यटन	676	–	676	2,153	–	2,153	2,173	–	2,173	4,939	–	4,939
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	5	5
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**–**	**14,621**	**14,621**	**8,488**	**10,086**	**18,574**	**10,459**	**6,000**	**16,459**	**6,827**	**7,700**	**14,527**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**367,359**	**367,359**	**–**	**812,978**	**812,978**	**–**	**505,179**	**505,179**	**–**	**576,317**	**576,317**
1. बाजार से ऋण	–	27,687	27,687	–	29,514	29,514	–	31,638	31,638	–	33,223	33,223
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	355	355	–	350	350	–	351	351	–	350	350
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–				–	–	–			
4. नाबार्ड से ऋण	–	83,899	83,899	–	13,035	13,035	–	3,100	3,100	–	6,000	6,000
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	2,593	2,593	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	250,152	250,152	–	750,000	750,000	–	450,000	450,000	–	500,000	500,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	2,506	2,506	–	6,644	6,644	–	6,644	6,644	–	7,713	7,713
8. अन्य	–	167	167	–	10,935	10,935	–	10,946	10,946	–	26,531	26,531
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	9,432	9,432	–	9,432	9,432	–	22,751	22,751
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**195,252**	**195,252**	**–**	**40,164**	**40,164**	**–**	**40,262**	**40,262**	**–**	**43,183**	**43,183**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	165,257	165,257	–	34,991	34,991	–	34,991	34,991	–	41,592	41,592
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	281	281	–	282	282	–	276	276	–	276	276
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	842	842	–	760	760	–	864	864	–	930	930
4. योजनेतर (i से ii)	–	387	387	–	386	386	–	386	386	–	384	384
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	387	387	–	386	386	–	386	386	–	384	384
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	25,000	25,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	3,485	3,485	–	3,745	3,745	–	3,746	3,746	–	1	1
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**56,111**	**274,975**	**331,086**	**31,765**	**27,074**	**58,839**	**67,306**	**1,343**	**68,649**	**70,477**	**1,426**	**71,903**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**56,111**	**274,974**	**331,085**	**31,765**	**26,953**	**58,718**	**67,306**	**1,223**	**68,528**	**70,477**	**1,406**	**71,882**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**8,445**	**30**	**8,475**	**12,127**	**26,695**	**38,822**	**46,611**	**565**	**47,176**	**49,575**	**555**	**50,130**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	341	–	341	1,006	–	1,006	925	–	925	1,148	–	1,148
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	412	–	412	5,031	–	5,031	4,996	–	4,996	3,455	–	3,455
5. आवास	610	–	610	500	–	500	500	–	500	300	–	300
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	30	30	–	*135*	*135*	–	135	135	–	*125*	*125*
7. अन्य	7,082	–	7,082	5,590	26,560	32,150	40,190	430	40,620	44,672	430	45,102
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**47,666**	**274,944**	**322,611**	**19,638**	**258**	**19,896**	**20,695**	**658**	**21,352**	**20,902**	**851**	**21,752**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	8	8	–	408	408	–	601	601
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	250	250	–	250	250	–	250	250
4. सहकारिता	422	–	422	1,527	–	1,527	3,254	–	3,254	1,453	–	1,453

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मध्य प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	47,119	274,936	322,055	18,056	–	18,056	17,366	–	17,366	19,394	–	19,394
7. ग्राम और लघु उद्योग	119	–	119	48	–	48	68	–	68	50	–	50
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	6	8	14	7	–	7	7	–	7	6	–	6
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**1**	**1**	**–**	**121**	**121**	**–**	**121**	**121**	**–**	**21**	**21**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	1	1	–	121	121	–	121	121	–	21	21
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**	**–**	**1**	**1**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**4,000**	**4,000**	**–**	**4,000**	**4,000**	**–**	**4,000**	**4,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**116,975**	**116,975**	**–**	**123,834**	**123,834**	**–**	**130,634**	**130,634**	**–**	**138,513**	**138,513**
1. राज्य भविष्य निधि	–	106,360	106,360	–	109,334	109,334	–	109,334	109,334	–	114,370	114,370
2. अन्य	–	10,615	10,615	–	14,500	14,500	–	21,300	21,300	–	24,143	24,143
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,503**	**1,503**	**–**	**32,137**	**32,137**	**–**	**59,310**	**59,310**	**–**	**64,948**	**64,948**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	38	38	–	38	38	–	36	36
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	100	100	–	100	100	–	100	100
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,503	1,503	–	31,999	31,999	–	59,172	59,172	–	64,812	64,812
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**384,627**	**384,627**	**–**	**306,390**	**306,390**	**–**	**316,865**	**316,865**	**–**	**507,044**	**507,044**
1. सिविल जमा	–	175,226	175,226	–	157,888	157,888	–	173,506	173,506	–	176,406	176,406
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	2	2	–	1,500	1,500	–	2,300	2,300
3. सिविल अग्रिम	–	33,948	33,948	–	38,000	38,000	–	30,000	30,000	–	34,000	34,000
4. अन्य	–	175,454	175,454	–	110,500	110,500	–	111,859	111,859	–	294,338	294,338
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**2,215,471**	**2,215,471**	**–**	**2,231,465**	**2,231,465**	**–**	**3,227,600**	**3,227,600**	**–**	**2,766,500**	**2,766,500**
1. उचंत	–	-19,222	-19,222	–	27,565	27,565	–	16,100	16,100	–	15,000	15,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	887,712	887,712	–	700,400	700,400	–	2,000,000	2,000,000	–	1,500,000	1,500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,346,981	1,346,981	–	1,503,500	1,503,500	–	1,211,500	1,211,500	–	1,251,500	1,251,500
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**530,206**	**530,206**	**–**	**718,188**	**718,188**	**–**	**504,368**	**504,368**	**–**	**555,702**	**555,702**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-128,988**			**116,842**			**-26,810**			**-75,005**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**171,688**			**-118,668**			**-2,549**			**97,022**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**42,700**			**-1,826**			**-29,359**			**22,017**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**42,700**			**-1,826**			**-29,359**			**22,017**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-3,943**			**-1,826**			**-29,359**			**22,017**
(क) अथशेष			6,432			-19,575			2,489			-26,870
(ख) इतिशेष			2,489			-21,401			-26,870			-4,853
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**19,965**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**26,678**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**458,836**	**6,281,144**	**6,739,980**	**590,154**	**5,571,832**	**6,161,986**	**856,735**	**12,644,298**	**13,501,033**	**599,396**	**5,361,068**	**5,960,464**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**458,836**	**1,703,324**	**2,162,160**	**590,154**	**571,883**	**1,162,037**	**856,735**	**903,869**	**1,760,604**	**599,396**	**514,006**	**1,113,402**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**406,274**	**381,423**	**787,697**	**529,679**	**325,484**	**855,163**	**776,517**	**335,332**	**1,111,849**	**537,567**	**214,349**	**751,916**
1. विकास (क + ख)	**403,236**	**379,659**	**782,895**	**526,475**	**323,599**	**850,074**	**770,343**	**324,938**	**1,095,281**	**530,735**	**208,087**	**738,822**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**28,475**	**-86**	**28,389**	**186,715**	**114**	**186,829**	**159,445**	**113**	**159,558**	**24,184**	**113**	**24,297**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	589	–	589	748	–	748	1,779	–	1,779	3,788	–	3,788
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9,364	–	9,364	4,080	–	4,080	9,631	–	9,631	5,535	–	5,535
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	50	–	50	100	–	100	100	–	100	100	–	100
5. आवास	575	–	575	813	–	813	1,105	–	1,105	967	–	967
6. शहरी विकास	1,448	2	1,450	159,724	3	159,727	115,608	2	115,610	1,000	2	1,002
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,916	–	11,916	17,963	–	17,963	26,419	–	26,419	8,297	–	8,297
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	430	-88	342	162	111	273	462	111	573	85	111	196
9. अन्य *	4,103	–	4,103	3,125	–	3,125	4,341	–	4,341	4,412	–	4,412
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**374,761**	**379,745**	**754,506**	**339,760**	**323,485**	**663,245**	**610,898**	**324,825**	**935,723**	**506,551**	**207,974**	**714,525**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	29,559	-1,206	28,353	24,355	18,052	42,407	39,360	15,989	55,349	62,390	15,936	78,326
(i) फसल कार्य	–	17	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	15,753	576	16,329	13,953	655	14,608	12,543	689	13,232	27,329	1,746	29,075
(iii) पशु पालन	270	–	270	910	–	910	320	–	320	146	–	146
(iv) डेरी विकास	41	–	41	396	–	396	260	–	260	165	–	165
(v) मत्स्य पालन	2,217	–	2,217	1,597	–	1,597	2,178	–	2,178	6,337	–	6,337
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	595	–	595	765	174	939	909	174	1,083	1,357	179	1,536
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	-1,799	-1,799	807	17,223	18,030	778	15,126	15,904	807	14,011	14,818
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	9	–	9	9	–	9	85	–	85
(x) सहकारिता	10,683	–	10,683	5,918	–	5,918	22,363	–	22,363	26,164	–	26,164
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	46,867	–	46,867	80,433	–	80,433	39,385	–	39,385
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	4,673	–	4,673	4,673	–	4,673	4,525	–	4,525
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	4,673	–	4,673	4,673	–	4,673	4,525	–	4,525
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	234,353	365,932	600,285	192,274	283,830	476,104	322,639	291,614	614,253	218,949	166,617	385,566
5. ऊर्जा	48,263	–	48,263	19,595	–	19,595	56,620	–	56,620	75,923	–	75,923
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	204	–	204	149	–	149	13,620	–	13,620	2,176	–	2,176
(i) ग्राम और लघु उद्योग	206	–	206	149	–	149	2,369	–	2,369	1,876	–	1,876
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	-2	–	-2	–	–	–	11,251	–	11,251	300	–	300
7. परिवहन(i + ii)	62,407	12,780	75,187	51,806	12,800	64,606	93,508	17,100	110,608	103,058	15,557	118,615
(i) सड़क और पुल	62,352	–	62,352	51,606	–	51,606	92,212	–	92,212	103,058	–	103,058
(ii) अन्य **	55	12,780	12,835	200	12,800	13,000	1,296	17,100	18,396	–	15,557	15,557
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	5	–	5	1	–	1	5	–	5	10	–	10
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	-30	2,239	2,209	40	8,803	8,843	40	122	162	135	9,864	9,999
(i) पर्यटन	–	–	–	30	–	30	30	–	30	100	–	100
(ii) अन्य @@	-30	2,239	2,209	10	8,803	8,813	10	122	132	35	9,864	9,899
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**3,038**	**1,764**	**4,802**	**3,204**	**1,885**	**5,089**	**6,174**	**10,394**	**16,568**	**6,832**	**6,262**	**13,094**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**1,012,365**	**1,012,365**	**–**	**229,229**	**229,229**	**–**	**535,578**	**535,578**	**–**	**449,287**	**449,287**
1. बाजार से ऋण	–	38,576	38,576	–	42,734	42,734	–	42,734	42,734	–	46,993	46,993
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	8,830	8,830	–	19,493	19,493	–	15,493	15,493	–	13,411	13,411
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	21,140	21,140	–	6,430	6,430	–	–	–	–	606	606
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	16,128	16,128	–	14,010	14,010	–	32,722	32,722	–	12,900	12,900
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	353,791	353,791	–	100,000	100,000	–	368,493	368,493	–	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	518,056	518,056	–	28,355	28,355	–	34,400	34,400	–	43,895	43,895
8. अन्य	–	55,844	55,844	–	18,207	18,207	–	41,736	41,736	–	31,482	31,482
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	21	21	–	10	10	–	3	3	–	10	10
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**440,821**	**440,821**	**–**	**46,615**	**46,615**	**–**	**38,755**	**38,755**	**–**	**40,168**	**40,168**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	431,391	431,391	–	39,518	39,518	–	31,694	31,694	–	38,362	38,362
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	83	83	–	1	1	–	91	91	–	83	83
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	870	870	–	689	689	–	968	968	–	1,025	1,025
4. योजनेतर (i से ii)	–	687	687	–	487	487	–	691	691	–	698	698
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	687	687	–	487	487	–	691	691	–	698	698
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	7,790	7,790	–	5,920	5,920	–	5,311	5,311	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**52,562**	**222,503**	**275,065**	**60,475**	**70,556**	**131,031**	**80,218**	**362,700**	**442,918**	**61,829**	**110,203**	**172,032**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**52,562**	**192,632**	**245,194**	**60,475**	**47,063**	**107,538**	**80,218**	**357,881**	**438,099**	**61,829**	**104,595**	**166,424**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**4,086**	**27,147**	**31,233**	**6,074**	**21,511**	**27,585**	**6,054**	**38,277**	**44,331**	**42,772**	**44,365**	**87,137**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	6	6	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	88	–	88	88	–	88	68	–	68
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	2,405	2,405	–	951	951	–	951	951	–	951	951
5. आवास	–	13,613	13,613	–	19,633	19,633	–	18,812	18,812	–	22,599	22,599
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	11,073	11,073	–	830	830	–	18,443	18,443	–	20,720	20,720
7. अन्य	4,086	56	4,142	5,986	97	6,083	5,966	65	6,031	42,704	95	42,799
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**48,476**	**165,485**	**213,961**	**54,401**	**25,552**	**79,953**	**74,164**	**319,604**	**393,768**	**19,057**	**60,230**	**79,287**
1. फसल कार्य	–	1,542	1,542	–	10	10	–	758	758	–	5	5
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	7,592	132,652	140,244	2,143	22,954	25,097	5,179	226,508	231,687	6,235	57,802	64,037

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

महाराष्ट्र

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	183	–	183	94	–	94	267	–	267
6. बिजली परियोजना	35,659	30,065	65,724	49,503	2,588	52,091	49,503	92,338	141,841	7,006	2,423	9,429
7. ग्राम और लघु उद्योग	486	–	486	62	–	62	17,882	–	17,882	2,722	–	2,722
8. अन्य उद्योग और खनिज	2,861	776	3,637	–	–	–	–	–	–	794	–	794
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	1,878	450	2,328	2,510	–	2,510	1,506	–	1,506	2,033	–	2,033
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**29,871**	**29,871**	**–**	**23,493**	**23,493**	**–**	**4,819**	**4,819**	**–**	**5,608**	**5,608**
(क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	3,253	3,253	–	23,493	23,493	–	4,819	4,819	–	5,608	5,608
(ख) विविध	–	26,618	26,618	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**40,452**	**40,452**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**118,927**	**118,927**	**–**	**140,821**	**140,821**	**–**	**134,299**	**134,299**	**–**	**143,899**	**143,899**
1. राज्य भविष्य निधि	–	111,833	111,833	–	128,219	128,219	–	120,780	120,780	–	130,442	130,442
2. अन्य		7,094	7,094	–	12,602	12,602		13,519	13,519	–	13,457	13,457
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**344,371**	**344,371**	**–**	**299,570**	**299,570**	**–**	**525,554**	**525,554**	**–**	**331,977**	**331,977**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	4	4	–	4	4		4	4
2. ऋणशोधन निधि	–	31,690	31,690	–	44,000	44,000		40,900	40,900	–	52,600	52,600
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	312,681	312,681	–	255,566	255,566	–	484,650	484,650	–	279,373	279,373
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**586,799**	**586,799**	**–**	**510,964**	**510,964**	**–**	**801,495**	**801,495**	**–**	**536,714**	**536,714**
1. सिविल जमा	–	540,114	540,114	–	423,260	423,260	–	628,531	628,531	–	471,759	471,759
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	279	279	–	313	313	–	301	301	–	303	303
3. सिविल अग्रिम	–	37,507	37,507	–	35,006	35,006	–	35,025	35,025	–	35,025	35,025
4. अन्य	–	8,899	8,899	–	52,385	52,385	–	137,638	137,638	–	29,627	29,627
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**2,032,585**	**2,032,585**	**–**	**2,988,092**	**2,988,092**	**–**	**8,872,486**	**8,872,486**	**–**	**2,651,694**	**2,651,694**
1. उचंत	–	-14,567	-14,567	–	8,086	8,086	–	192,364	192,364	–	35,688	35,688
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	2,029,722	2,029,722	–	150,000	150,000	–	5,623,121	5,623,121	–	2,600,000	2,600,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	17,430	17,430	–	2,830,006	2,830,006	–	3,057,001	3,057,001	–	16,006	16,006
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**30,000**	**30,000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**1,070,895**	**1,070,895**	**–**	**960,502**	**960,502**	**–**	**1,038,100**	**1,038,100**	**–**	**882,776**	**882,776**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**943,923**			**347,341**			**690,887**			**854,479**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-1,003,333**			**26,587**			**-141,902**			**30,585**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-59,410**			**373,928**			**548,985**			**885,064**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-59,410**			**373,928**			**548,985**			**885,064**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**12,252**			**323,928**			**387,439**			**685,064**
(क) अथशेष			-31,693			-61,577			-19,441			367,998
(ख) इतिशेष			-19,441			262,351			367,998			1,053,062
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-71,662**			**50,000**			**161,546**			**200,000**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**54,075**	**458,995**	**513,070**	**61,183**	**196,849**	**258,032**	**80,145**	**407,533**	**487,678**	**89,948**	**472,431**	**562,379**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**54,075**	**40,799**	**94,874**	**61,183**	**38,483**	**99,666**	**80,145**	**6,827**	**86,972**	**89,948**	**28,559**	**118,507**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**52,052**	**66**	**52,118**	**52,999**	**4**	**53,003**	**74,050**	**4**	**74,054**	**83,926**	**4**	**83,930**
1. विकास (क + ख)	**50,750**	**-84**	**50,667**	**33,102**	**4**	**33,106**	**54,102**	**4**	**54,106**	**62,398**	**4**	**62,402**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**25,803**	**1**	**25,804**	**11,750**	**1**	**11,751**	**14,423**	**1**	**14,424**	**22,702**	**1**	**22,703**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	7,065	–	7,065	1,661	–	1,661	1,063	–	1,063	3,561	–	3,561
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	607	–	607	785	–	785	452	–	452	2,837	–	2,837
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,259	–	9,259	6,231	–	6,231	9,889	–	9,889	10,471	–	10,471
5. आवास	688	1	689	668	1	669	668	1	669	1,718	1	1,719
6. शहरी विकास	6,795	–	6,795	919	–	919	925	–	925	2,436	–	2,436
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	434	–	434	127	–	127	236	–	236	348	–	348
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	855	–	855	1,238	–	1,238	827	–	827	831	–	831
9. अन्य *	100	–	100	121	–	121	363	–	363	500	–	500
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**24,948**	**-85**	**24,863**	**21,352**	**3**	**21,355**	**39,680**	**3**	**39,683**	**39,697**	**3**	**39,700**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,318	-92	1,225	179	–	179	1,253	–	1,253	218	–	218
(i) फसल कार्य	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	56	–	56	15	–	15	15	–	15	25	–	25
(iv) डेरी विकास	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	26	–	26	26	–	26
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	120	-92	28	4	–	4	4	–	4	2	–	2
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	1,129	–	1,129	160	–	160	1,209	–	1,209	166	–	166
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	1,528	–	1,528	15	–	15	15	–	15	15	–	15
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	797	–	797	150	–	150	3,110	–	3,110	150	–	150
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,913	–	3,913	4,067	–	4,067	13,385	–	13,385	18,827	–	18,827
5. ऊर्जा	3,925	–	3,925	5,775	–	5,775	9,033	–	9,033	7,089	–	7,089
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	4,657	8	4,664	4,326	–	4,326	4,326	–	4,326	6,299	–	6,299
(i) ग्राम और लघु उद्योग	4,463	–	4,463	4,315	–	4,315	4,315	–	4,315	6,277	–	6,277
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	163	–	163	1	–	1	1	–	1	16	–	16
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	31	8	38	10	–	10	10	–	10	7	–	7
7. परिवहन(i + ii)	8,740	–	8,740	6,625	3	6,628	8,266	3	8,269	6,983	3	6,986
(i) सड़क और पुल	8,661	–	8,661	6,525	3	6,528	8,161	3	8,164	6,883	3	6,886
(ii) अन्य **	79	–	79	100	–	100	105	–	105	100	–	100
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	70	–	70	215	–	215	291	–	291	115	–	115
(i) पर्यटन	70	–	70	215	–	215	291	–	291	115	–	115
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,302**	**150**	**1,452**	**19,897**	**–**	**19,897**	**19,947**	**–**	**19,947**	**21,528**	**–**	**21,528**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**31,716**	**31,716**	**–**	**33,796**	**33,796**	**–**	**15,624**	**15,624**	**–**	**13,436**	**13,436**
1. बाजार से ऋण	–	1,400	1,400	–	1,600	1,600	–	1,600	1,600	–	2,385	2,385
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	6	6	–	400	400	–	300	300	–	300	300
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	265	265	–	265	265	–	265	265
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	29,179	29,179	–	30,000	30,000	–	13,000	13,000	–	10,000	10,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	122	122	–	28	28	–	128	128	–	128	128
8. अन्य	–	1,009	1,009	–	1,503	1,503	–	331	331	–	358	358
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**38,191**	**38,191**	**–**	**34,667**	**34,667**	**–**	**4,182**	**4,182**	**–**	**24,477**	**24,477**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	2,055	2,055	–	1,922	1,922	–	1,998	1,998	–	1,998	1,998
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	28	28	–	28	28	–	28	28	–	28	28
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	79	79	–	68	68	–	93	93	–	92	92
4. योजनेतर (i से ii)	–	46	46	–	12,418	12,418	–	1,918	1,918	–	22,217	22,217
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	46	46	–	12,418	12,418	–	1,918	1,918	–	22,217	22,217
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	35,500	35,500	–	20,000	20,000	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	43	43	–	47	47	–	43	43	–	41	41
7. अन्य	–	439	439	–	184	184	–	102	102	–	102	102
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**2,023**	**4**	**2,027**	**8,184**	**15**	**8,199**	**6,095**	**17**	**6,112**	**6,023**	**640**	**6,663**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**2,023**	**–**	**2,023**	**8,184**	**–**	**8,184**	**6,095**	**–**	**6,095**	**6,023**	**320**	**6,343**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**2,000**	**–**	**2,000**	**8,161**	**–**	**8,161**	**6,000**	**–**	**6,000**	**5,000**	**320**	**5,320**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	1,136	–	1,136	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	25	–	25	–	–	–	–	320	320
7. अन्य	2,000	–	2,000	7,000	–	7,000	6,000	–	6,000	5,000	–	5,000
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**23**	**–**	**23**	**23**	**–**	**23**	**95**	**–**	**95**	**1,023**	**–**	**1,023**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	20	–	20	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मणिपुर

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	23	–	23	23	–	23	23	–	23	758	–	758
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–				–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	53	–	53	265	–	265
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**4**	**4**	**–**	**15**	**15**	**–**	**17**	**17**	**–**	**320**	**320**
(क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	–	–	–	15	15	–	2	2	–	320	320
(ख) विविध	–	4	4	–	–	–	–	15	15	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**14,276**	**14,276**	**–**	**13,260**	**13,260**	**–**	**9,300**	**9,300**	**–**	**11,800**	**11,800**
1. राज्य भविष्य निधि	–	13,997	13,997	–	13,000	13,000	–	9,000	9,000	–	11,500	11,500
2. अन्य	–	279	279	–	260	260	–	300	300	–	300	300
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**798**	**798**	**–**	**556**	**556**	**–**	**556**	**556**	**–**	**572**	**572**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	798	798	–	556	556	–	556	556	–	572	572
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**2,820**	**2,820**	**–**	**6,350**	**6,350**	**–**	**7,850**	**7,850**	**–**	**37,900**	**37,900**
1. सिविल जमा	–	2,229	2,229	–	6,000	6,000	–	4,000	4,000	–	30,000	30,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	515	515	–	300	300	–	350	350	–	400	400
4. अन्य	–	75	75	–	50	50	–	3,500	3,500	–	7,500	7,500
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**305,275**	**305,275**	**–**	**58,200**	**58,200**	**–**	**310,100**	**310,100**	**–**	**322,100**	**322,100**
1. उचंत	–	19,030	19,030	–	5,000	5,000	–	6,000	6,000	–	4,000	4,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	284,800	284,800	–	50,000	50,000	–	301,000	301,000	–	315,000	315,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,445	1,445	–	3,200	3,200	–	3,100	3,100	–	3,100	3,100
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**65,849**	**65,849**	**–**	**50,000**	**50,000**	**–**	**59,900**	**59,900**	**–**	**61,500**	**61,500**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**24,000**			**-58,538**			**-32,053**			**-93,069**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**9,156**			**53,055**			**48,178**			**79,741**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**33,156**			**-5,483**			**16,125**			**-13,328**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**33,156**			**-5,483**			**16,125**			**-13,328**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**28,132**			**-5,483**			**15,125**			**-13,328**
(क) अथशेष			-52,282			-42,386			-25,743			-10,618
(ख) इतिशेष			-24,150			-47,869			-10,618			-23,946
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**–**			**–**			**1,000**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**5,024**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**27,208**	**343,478**	**370,686**	**36,164**	**1,275,327**	**1,311,491**	**36,263**	**1,274,200**	**1,310,463**	**44,197**	**1,279,997**	**1,324,194**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**27,208**	**20,201**	**47,409**	**36,164**	**7,317**	**43,481**	**36,263**	**7,287**	**43,551**	**44,197**	**8,324**	**52,521**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**24,553**	**–**	**24,553**	**31,555**	**–**	**31,555**	**31,555**	**–**	**31,555**	**40,107**	**–**	**40,107**
1. विकास (क + ख)	**23,742**	**–**	**23,742**	**30,607**	**–**	**30,607**	**30,606**	**–**	**30,606**	**36,764**	**–**	**36,764**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**10,917**	**–**	**10,917**	**13,188**	**–**	**13,188**	**13,188**	**–**	**13,188**	**13,669**	**–**	**13,669**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	182	–	182	122	–	122	122	–	122	220	–	220
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,439	–	1,439	1,758	–	1,758	1,758	–	1,758	1,906	–	1,906
3. परिवार कल्याण	12	–	12	120	–	120	120	–	120	120	–	120
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	7,274	–	7,274	8,477	–	8,477	8,477	–	8,477	8,823	–	8,823
5. आवास	457	–	457	302	–	302	302	–	302	339	–	339
6. शहरी विकास	1,308	–	1,308	1,608	–	1,608	1,608	–	1,608	1,450	–	1,450
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	244	–	244	800	–	800	800	–	800	810	–	810
9. अन्य *	–	–	–	1	–	1	1	–	1	2	–	2
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**12,826**	**–**	**12,826**	**17,419**	**–**	**17,419**	**17,418**	**–**	**17,418**	**23,095**	**–**	**23,095**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,027	–	1,027	917	–	917	917	–	917	1,535	–	1,535
(i) फसल कार्य	28	–	28	35	–	35	35	–	35	38	–	38
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	6	–	6	17	–	17	17	–	17	8	–	8
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	633	–	633	122	–	122	123	–	123	904	–	904
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	355	–	355	727	–	727	727	–	727	563	–	563
(xi) अन्य @	5	–	5	16	–	16	16	–	16	22	–	22
2. ग्रामीण विकास	268	–	268	50	–	50	50	–	50	50	–	50
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,454	–	1,454	2,960	–	2,960	2,960	–	2,960	3,460	–	3,460
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	519	–	519	1,147	–	1,147	1,147	–	1,147	844	–	844
5. ऊर्जा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	520	–	520	1,163	–	1,163	1,163	–	1,163	1,293	–	1,293
(i) ग्राम और लघु उद्योग	220	–	220	426	–	426	426	–	426	748	–	748
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	12	–	12	12	–	12	25	–	25
(iv) अन्य #	300	–	300	725	–	725	725	–	725	520	–	520
7. परिवहन(i + ii)	9,018	–	9,018	11,162	–	11,162	11,162	–	11,162	15,891	–	15,891
(i) सड़क और पुल	8,723	–	8,723	10,812	–	10,812	10,812	–	10,812	15,541	–	15,541
(ii) अन्य **	295	–	295	350	–	350	350	–	350	350	–	350
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	20	–	20	20	–	20	20	–	20	22	–	22
(i) पर्यटन	20	–	20	20	–	20	20	–	20	22	–	22
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**811**	**–**	**811**	**948**	**–**	**948**	**948**	**–**	**948**	**3,343**	**–**	**3,343**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**8,633**	**8,633**	**–**	**8,780**	**8,780**	**–**	**14,032**	**14,032**	**–**	**9,816**	**9,816**
1. बाजार से ऋण	–	1,779	1,779	–	2,748	2,748	–	2,748	2,748	–	2,750	2,750
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	28	28	–	28	28	–	28	28	–	28	28
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	5,166	5,166	–	23	23	–	23	23	–	330	330
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	154	154	–	213	213	–	217	217	–	282	282
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	257	257	–	4,050	4,050	–	9,234	9,234	–	4,050	4,050
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	176	176	–	111	111	–	176	176	–	296	296
8. अन्य	–	1,073	1,073	–	1,607	1,607	–	1,606	1,606	–	2,080	2,080
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**10,886**	**10,886**	**–**	**2,087**	**2,087**	**–**	**2,086**	**2,086**	**–**	**2,157**	**2,157**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	4,086	4,086	–	1,767	1,767	–	1,766	1,766	–	1,846	1,846
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	2	2	–	2	2	–	2	2	–	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	84	84	–	88	88	–	88	88	–	88	88
4. योजनेतर (i से ii)	–	39	39	–	37	37	–	37	37	–	41	41
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	39	39	–	37	37	–	37	37	–	41	41
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	6,500	6,500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	73	73	–	101	101	–	101	101	–	88	88
7. अन्य	–	102	102	–	92	92	–	92	92	–	92	92
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**2,655**	**938**	**3,593**	**4,609**	**500**	**5,109**	**4,709**	**400**	**5,109**	**4,091**	**400**	**4,491**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**2,655**	**625**	**3,280**	**4,609**	**150**	**4,759**	**4,709**	**50**	**4,759**	**4,091**	**50**	**4,141**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**625**	**625**	**–**	**150**	**150**	**100**	**50**	**150**	**100**	**50**	**150**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100	–	100
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	100	100	100	–	100	–	–	–
5. आवास	–	625	625	–	40	40	–	40	40	–	40	40
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	10	10
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**2,655**	**–**	**2,655**	**4,609**	**–**	**4,609**	**4,609**	**–**	**4,609**	**3,991**	**–**	**3,991**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	92	–	92	193	–	193	193	–	193	160	–	160

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मेघालय

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	2,563	–	2,563	4,416	–	4,416	4,416	–	4,416	3,831	–	3,831
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**313**	**313**	**–**	**350**	**350**	**–**	**350**	**350**	**–**	**350**	**350**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	313	313	–	350	350	–	350	350	–	350	350
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**8,056**	**8,056**	**–**	**21,000**	**21,000**	**–**	**18,068**	**18,068**	**–**	**21,000**	**21,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**3,845**	**3,845**	**–**	**2,781**	**2,781**	**–**	**2,781**	**2,781**	**–**	**3,000**	**3,000**
1. राज्य भविष्य निधि	–	3,845	3,845	–	2,781	2,781	–	2,781	2,781	–	3,000	3,000
2. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,156**	**1,156**	**–**	**1,321**	**1,321**	**–**	**1,971**	**1,971**	**–**	**2,143**	**2,143**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	700	700	–	842	842	–	842	842	–	982	982
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	456	456	–	479	479	–	1,129	1,129	–	1,161	1,161
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**14,740**	**14,740**	**–**	**21,547**	**21,547**	**–**	**21,547**	**21,547**	**–**	**22,189**	**22,189**
1. सिविल जमा	–	11,512	11,512	–	18,443	18,443	–	18,443	18,443	–	18,985	18,985
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	2	2	–	2	2	–	2	2
3. सिविल अग्रिम	–	3,228	3,228	–	3,102	3,102	–	3,102	3,102	–	3,202	3,202
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**230,413**	**230,413**	**–**	**1,159,799**	**1,159,799**	**–**	**1,155,799**	**1,155,799**	**–**	**1,158,102**	**1,158,102**
1. उचंत	–	-1,900	-1,900	–	2,302	2,302	–	2,302	2,302	–	2,486	2,486
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	231,822	231,822	–	377,265	377,265	–	377,265	377,265	–	377,265	377,265
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	780,000	780,000	–	776,000	776,000	–	778,000	778,000
4. अन्य	–	491	491	–	232	232	–	232	232	–	351	351
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**64,808**	**64,808**	**–**	**57,512**	**57,512**	**–**	**57,512**	**57,512**	**–**	**61,188**	**61,188**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-558**			**1,131**			**-89**			**-8,631**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-5,021**			**9,942**			**13,083**			**34,037**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-5,579**			**11,073**			**12,994**			**25,406**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-5,579**			**11,073**			**12,994**			**25,406**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-6,667**			**1,873**			**7,794**			**5,406**
(क) अथशेष			-14,528			-11,735			-21,191			-13,396
(ख) इतिशेष			-21,195			-9,862			-13,397			-7,990
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**1,088**			**9,200**			**5,200**			**20,000**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**32,035**	**231,126**	**263,161**	**23,483**	**17,600**	**41,083**	**49,673**	**208,490**	**258,163**	**24,124**	**28,258**	**52,382**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**32,035**	**10,246**	**42,281**	**23,483**	**10,180**	**33,663**	**49,673**	**9,717**	**59,390**	**24,124**	**10,681**	**34,805**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**31,989**	**963**	**32,952**	**23,468**	**–**	**23,468**	**49,422**	**–**	**49,422**	**24,124**	**–**	**24,124**
1. विकास (क + ख)	**30,895**	**963**	**31,858**	**22,330**	**–**	**22,330**	**48,043**	**–**	**48,043**	**22,495**	**–**	**22,495**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**7,797**	**–**	**7,797**	**2,542**	**–**	**2,542**	**9,542**	**–**	**9,542**	**3,013**	**–**	**3,013**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,289	–	1,289	405	–	405	1,321	–	1,321	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	638	–	638	29	–	29	273	–	273	21	–	21
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,450	–	4,450	1,500	–	1,500	6,264	–	6,264	2,349	–	2,349
5. आवास	210	–	210	220	–	220	220	–	220	260	–	260
6. शहरी विकास	657	–	657	99	–	99	614	–	614	89	–	89
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	525	–	525	264	–	264	825	–	825	264	–	264
9. अन्य *	28	–	28	25	–	25	25	–	25	30	–	30
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**23,098**	**963**	**24,061**	**19,788**	**–**	**19,788**	**38,501**	**–**	**38,501**	**19,482**	**–**	**19,482**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	690	963	1,653	396	–	396	950	–	950	410	–	410
(i) फसल कार्य	137	–	137	48	–	48	48	–	48	167	–	167
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	100	–	100	–	–	–	294	–	294	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	11	–	11	11	–	11	29	–	29
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	4
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	276	–	276	–	–	–	260	–	260	–	–	–
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	963	963	10	–	10	10	–	10	20	–	20
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	–	–	–	211	–	211	211	–	211	179	–	179
(xi) अन्य @	177	–	177	116	–	116	116	–	116	11	–	11
2. ग्रामीण विकास	196	–	196	263	–	263	278	–	278	194	–	194
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,770	–	4,770	808	–	808	7,210	–	7,210	876	–	876
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,211	–	1,211	1,201	–	1,201	1,261	–	1,261	3,006	–	3,006
5. ऊर्जा	5,283	–	5,283	5,424	–	5,424	13,652	–	13,652	4,310	–	4,310
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	379	–	379	230	–	230	436	–	436	215	–	215
(i) ग्राम और लघु उद्योग	379	–	379	230	–	230	436	–	436	215	–	215
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन(i + ii)	10,355	–	10,355	11,466	–	11,466	14,236	–	14,236	10,471	–	10,471
(i) सड़क और पुल	10,194	–	10,194	11,301	–	11,301	14,038	–	14,038	10,255	–	10,255
(ii) अन्य **	161	–	161	165	–	165	198	–	198	216	–	216
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	214	–	214	–	–	–	478	–	478	–	–	–
(i) पर्यटन	214	–	214	–	–	–	478	–	478	–	–	–
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,094**	**–**	**1,094**	**1,138**	**–**	**1,138**	**1,379**	**–**	**1,379**	**1,629**	**–**	**1,629**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**33,453**	**33,453**	**–**	**4,744**	**4,744**	**–**	**10,509**	**10,509**	**–**	**11,003**	**11,003**
1. बाजार से ऋण	–	1,000	1,000	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	1,650	1,650
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	1,200	1,200	–	1,160	1,160	–	1,354	1,354	–	1,533	1,533
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	26	26	–	1,055	1,055	–	186	186	–	672	672
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	138	138	–	138	138	–	138	138
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	29,514	29,514	–	–	–	–	6,324	6,324	–	6,000	6,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	825	825	–	7	7	–	38	38	–	112	112
8. अन्य	–	888	888	–	884	884	–	969	969	–	898	898
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**1,947**	**1,947**	**–**	**1,582**	**1,582**	**–**	**1,867**	**1,867**	**–**	**1,908**	**1,908**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,607	1,607	–	1,199	1,199	–	1,488	1,488	–	1,539	1,539
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	95	95	–	106	106	–	121	121	–	108	108
4. योजनेतर (i से ii)	–	168	168	–	193	193	–	168	168	–	168	168
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	168	168	–	193	193	–	168	168	–	168	168
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	77	77	–	84	84	–	90	90	–	93	93
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**46**	**3,395**	**3,441**	**15**	**3,854**	**3,869**	**251**	**3,663**	**3,914**	**–**	**3,769**	**3,769**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**46**	**3,350**	**3,396**	**15**	**3,354**	**3,369**	**251**	**3,148**	**3,399**	**–**	**3,254**	**3,254**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**46**	**3,350**	**3,396**	**15**	**3,354**	**3,369**	**–**	**3,148**	**3,148**	**–**	**3,254**	**3,254**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	46	–	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	3,350	3,350	–	3,354	3,354	–	3,148	3,148	–	3,254	3,254
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	–	–	15	–	15	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**251**	**–**	**251**	**–**	**–**	**–**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	–	–	–	246	–	246	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

मिजोरम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	5	–	5	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**45**	**45**	**–**	**500**	**500**	**–**	**515**	**515**	**–**	**515**	**515**
(क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	45	45	–	500	500	–	515	515	–	515	515
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**6,252**	**6,252**	**–**	**3,350**	**3,350**	**–**	**7,550**	**7,550**	**–**	**7,200**	**7,200**
1. राज्य भविष्य निधि	–	5,959	5,959	–	3,200	3,200	–	7,300	7,300	–	7,000	7,000
2. अन्य	–	293	293	–	150	150	–	250	250	–	200	200
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**777**	**777**	**–**	**950**	**950**	**–**	**1,710**	**1,710**	**–**	**1,258**	**1,258**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	500	500	–	600	600	–	600	600	–	700	700
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	277	277	–	350	350	–	1,110	1,110	–	558	558
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**23,595**	**23,595**	**–**	**1,710**	**1,710**	**–**	**25,040**	**25,040**	**–**	**1,710**	**1,710**
1. सिविल जमा	–	22,538	22,538	–	10	10	–	24,540	24,540	–	1,700	1,700
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	1,057	1,057	–	1,700	1,700	–	500	500	–	10	10
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**97,404**	**97,404**	**–**	**1,400**	**1,400**	**–**	**113,176**	**113,176**	**–**	**1,400**	**1,400**
1. उचंत	–	5,322	5,322	–	–	–	–	44,950	44,950	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	90,758	90,758	–	–	–	–	11,726	11,726	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	55,000	55,000	–	–	–
4. अन्य	–	1,324	1,324	–	1,400	1,400	–	1,500	1,500	–	1,400	1,400
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**63,329**	**63,329**	**–**	**–**	**–**	**–**	**44,963**	**44,963**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-4,775**			**-689**			**-19,751**			**-541**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**10,747**			**8,539**			**18,154**			**13,680**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**5,972**			**7,850**			**-1,597**			**13,139**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**5,972**			**7,850**			**-1,597**			**13,139**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-4,335**			**7,850**			**-1,518**			**13,139**
(क) अथशेष			-9,346			-25,674			-13,877			-15,675
(ख) इतिशेष			-13,681			-17,824			-15,395			-2,536
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**10,307**			**–**			**-79**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

नगालैंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**37,567**	**309,694**	**347,261**	**65,645**	**108,088**	**173,733**	**72,844**	**102,934**	**175,777**	**69,146**	**95,967**	**165,113**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**37,567**	**21,546**	**59,113**	**65,645**	**23,828**	**89,473**	**72,844**	**24,883**	**97,726**	**69,146**	**24,277**	**93,423**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**37,552**	**392**	**37,944**	**65,604**	**864**	**66,468**	**72,404**	**2,165**	**74,568**	**68,596**	**389**	**68,985**
1. विकास (क + ख)	**33,396**	**268**	**33,664**	**57,773**	**389**	**58,162**	**64,781**	**1,689**	**66,470**	**58,311**	**389**	**58,700**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**14,887**	**10**	**14,897**	**22,109**	**–**	**22,109**	**25,470**	**–**	**25,470**	**22,209**	**–**	**22,209**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,178	–	1,178	2,867	–	2,867	3,933	–	3,933	5,446	–	5,446
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,194	–	4,194	3,875	–	3,875	1,666	–	1,666	2,121	–	2,121
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,386	–	4,386	8,655	–	8,655	8,729	–	8,729	4,584	–	4,584
5. आवास	2,844	10	2,854	2,906	–	2,906	3,505	–	3,505	3,760	–	3,760
6. शहरी विकास	1,395	–	1,395	2,843	–	2,843	6,587	–	6,587	4,971	–	4,971
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	600	–	600	511	–	511	611	–	611	968	–	968
9. अन्य *	290	–	290	452	–	452	440	–	440	360	–	360
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**18,509**	**258**	**18,767**	**35,664**	**389**	**36,053**	**39,311**	**1,689**	**41,000**	**36,102**	**389**	**36,491**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	931	8	938	2,465	9	2,474	3,145	1,309	4,454	3,361	9	3,371
(i) फसल कार्य	497	–	497	695	–	695	1,083	–	1,083	812	–	812
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	10	–	10	25	–	25	25	–	25	20	–	20
(iii) पशु पालन	39	–	39	47	–	47	62	–	62	350	–	350
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	77	–	77	175	–	175	226	–	226	193	–	193
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	100	–	100	1,200	–	1,200	1,195	–	1,195	1,315	–	1,315
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	194	8	202	174	9	183	195	9	204	195	9	204
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	13	–	13	149	–	149	359	1,300	1,659	477	–	477
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	50	–	50	50	–	50	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,225	–	4,225	5,397	–	5,397	8,139	–	8,139	9,027	–	9,027
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	108	–	108	290	–	290	90	–	90	105	–	105
5. ऊर्जा	4,442	–	4,442	8,250	–	8,250	9,887	–	9,887	9,256	–	9,256
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,302	35	1,337	2,854	–	2,854	3,319	–	3,319	2,687	–	2,687
(i) ग्राम और लघु उद्योग	70	–	70	40	–	40	40	–	40	60	–	60
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	322	–	322	1,011	–	1,011	1,428	–	1,428	615	–	615
(iv) अन्य #	910	35	945	1,803	–	1,803	1,851	–	1,851	2,012	–	2,012
7. परिवहन(i + ii)	6,697	215	6,913	15,217	380	15,597	13,171	380	13,551	10,513	380	10,893
(i) सड़क और पुल	6,042	215	6,258	14,645	380	15,025	12,599	380	12,979	9,938	380	10,318
(ii) अन्य **	655	–	655	572	–	572	572	–	572	575	–	575
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

नगालैंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	48	–	48	50	–	50	50	–	50	50	–	50
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	756	–	756	1,091	–	1,091	1,461	–	1,461	1,103	–	1,103
(i) पर्यटन	712	–	712	1,016	–	–	1,371	–	1,371	1,008	–	1,008
(ii) अन्य @@	44	–	44	75	–	75	90	–	90	95	–	95
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**4,156**	**124**	**4,280**	**7,831**	**475**	**8,306**	**7,623**	**475**	**8,098**	**10,285**	**–**	**10,285**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**43,788**	**43,788**	**–**	**60,179**	**60,179**	**–**	**45,269**	**45,269**	**–**	**46,876**	**46,876**
1. बाजार से ऋण	–	2,466	2,466	–	3,965	3,965	–	3,965	3,965	–	4,757	4,757
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	362	362	–	458	458	–	435	435	–	550	550
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	469	469	–	647	647	–	647	647	–	881	881
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	494	494	–	500	500	–	520	520	–	443	443
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	35,021	35,021	–	50,000	50,000	–	35,000	35,000	–	35,000	35,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	969	969	–	36	36	–	33	33	–	11	11
8. अन्य	–	4,008	4,008	–	4,573	4,573	–	4,669	4,669	–	5,235	5,235
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**12,367**	**12,367**	**–**	**12,745**	**12,745**	**–**	**12,424**	**12,424**	**–**	**11,972**	**11,972**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,647	1,647	–	1,738	1,738	–	2,012	2,012		1,783	1,783
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	34	34	–	45	45	–	33	33	–	5	5
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	119	119	–	123	123	–	115	115	–	67	67
4. योजनेतर (i से ii)	–	43	43	–	307	307	–	112	112	–	12	12
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	43	43	–	307	307	–	112	112	–	12	12
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	67	67	–	75	75	–	60	60	–	60	60
7. अन्य	–	457	457	–	457	457	–	92	92	–	44	44
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**15**	**19**	**34**	**41**	**40**	**81**	**440**	**26**	**466**	**550**	**40**	**590**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**15**	**–**	**15**	**41**	**22**	**63**	**440**	**8**	**448**	**550**	**22**	**572**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**15**	**–**	**15**	**–**	**22**	**22**	**–**	**8**	**8**	**–**	**22**	**22**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	15	–	15	–	22	22	–	8	8	–	22	22
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**–**	**–**	**–**	**41**	**–**	**41**	**440**	**–**	**440**	**550**	**–**	**550**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	41	–	41	440	–	440	550	–	550

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

नगालैंड

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**19**	**19**	**–**	**18**	**18**	**–**	**19**	**19**	**–**	**19**	**19**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	19	19	–	18	18	–	19	19	–	19	19
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	–	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	–	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**7,957**	**7,957**	**–**	**8,570**	**8,570**	**–**	**12,000**	**12,000**	**–**	**9,000**	**9,000**
1. राज्य भविष्य निधि	–	7,715	7,715	–	8,300	8,300	–	11,739	11,739	–	8,730	8,730
2. अन्य	–	242	242	–	270	270	–	261	261	–	270	270
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**234**	**234**	**–**	**180**	**180**	**–**	**180**	**180**	**–**	**180**	**180**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	234	234	–	180	180	–	180	180	–	180	180
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**8,905**	**8,905**	**–**	**1,260**	**1,260**	**–**	**6,622**	**6,622**	**–**	**3,260**	**3,260**
1. सिविल जमा	–	8,059	8,059	–	1,000	1,000	–	6,362	6,362	–	3,000	3,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	847	847	–	260	260	–	260	260	–	260	260
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**182,113**	**182,113**	**–**	**10,240**	**10,240**	**–**	**10,240**	**10,240**	**–**	**10,240**	**10,240**
1. उचंत	–	7,674	7,674	–	1,490	1,490	–	1,490	1,490	–	1,490	1,490
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	164,167	164,167	–	6,500	6,500	–	6,500	6,500	–	6,500	6,500
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500
4. अन्य	–	10,273	10,273	–	750	750	–	750	750	–	750	750
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**53,919**	**53,919**	**–**	**14,010**	**14,010**	**–**	**14,010**	**14,010**	**–**	**14,010**	**14,010**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-18,259**			**-35,838**			**-49,379**			**-41,263**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**15,490**			**30,215**			**46,096**			**52,642**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-2,769**			**-5,623**			**-3,282**			**11,380**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-2,769**			**-5,623**			**-3,282**			**11,380**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**175**			**-7,123**			**-4,782**			**9,880**
(क) अथशेष			-34,112			-33,131			-21,567			-26,349
(ख) इतिशेष			-33,937			-40,254			-26,349			-16,469
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-2,528**			**1,500**			**1,500**			**1,500**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**-416**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**108,364**	**2,086,623**	**2,194,987**	**75,413**	**1,202,988**	**1,278,401**	**101,827**	**1,232,314**	**1,334,141**	**128,301**	**1,402,932**	**1,531,233**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**108,364**	**242,967**	**351,331**	**75,413**	**242,622**	**318,035**	**101,827**	**219,789**	**321,616**	**128,301**	**183,069**	**311,370**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**100,150**	**5,405**	**105,555**	**70,506**	**7,930**	**78,436**	**98,785**	**7,930**	**106,715**	**123,211**	**11,711**	**134,922**
1. विकास (क + ख)	**99,266**	**3,382**	**102,648**	**69,948**	**1,413**	**71,361**	**97,917**	**1,050**	**98,967**	**120,699**	**3,850**	**124,549**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**6,201**	**1,406**	**7,607**	**15,539**	**731**	**16,270**	**20,066**	**785**	**20,851**	**27,238**	**1,533**	**28,771**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	191	10	201	64	–	64	859	–	859	696	–	696
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	345	–	345	4,160	–	4,160	4,413	–	4,413	1,789	–	1,789
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4,487	200	4,687	7,255	–	7,255	10,139	–	10,139	19,201	500	19,701
5. आवास	911	1,196	2,107	3,209	731	3,940	2,683	785	3,468	1,287	1,033	2,320
6. शहरी विकास	120	–	120	310	–	310	196	–	196	712	–	712
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	147	–	147	541	–	541	1,776	–	1,776	3,553	–	3,553
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. अन्य *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**93,065**	**1,976**	**95,041**	**54,409**	**682**	**55,091**	**77,851**	**265**	**78,116**	**93,461**	**2,317**	**95,778**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	3,482	2,122	5,604	2,673	–	2,673	2,890	–	2,890	3,518	–	3,518
(i) फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	14	–	14	390	–	390	397	–	397	486	–	486
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,343	2,122	4,465	1,573	–	1,573	1,621	–	1,621	1,960	–	1,960
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	1,125	–	1,125	710	–	710	872	–	872	1,072	–	1,072
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	48,643	–	48,643	32,975	–	32,975	41,191	–	41,191	53,621	–	53,621
5. ऊर्जा	3,644	–	3,644	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	9	-370	-361	22	–	22	19	–	19	30	–	30
(i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	12	–	12	9	–	9	–	–	–
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	9	–	9	10	–	10	10	–	10	30	–	30
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	-370	-370	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन(i + ii)	35,891	201	36,092	17,966	662	18,628	32,478	245	32,723	35,438	2,297	37,735
(i) सड़क और पुल	35,597	201	35,798	17,702	662	18,364	29,829	245	30,074	35,091	2,297	37,388
(ii) अन्य **	294	–	294	264	–	264	2,649	–	2,649	347	–	347
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,396	23	1,419	773	20	793	1,273	20	1,293	854	20	874
(i) पर्यटन	1,296	–	1,296	673	–	673	673	–	673	854	–	854
(ii) अन्य @@	100	23	123	100	20	120	600	20	620	–	20	20
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**884**	**2,023**	**2,907**	**558**	**6,517**	**7,075**	**868**	**6,880**	**7,748**	**2,512**	**7,861**	**10,373**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**242,329**	**242,329**	**–**	**249,697**	**249,697**	**–**	**119,625**	**119,625**	**–**	**179,981**	**179,981**
1. बाजार से ऋण	–	29,954	29,954	–	40,072	40,072	–	40,072	40,072	–	39,348	39,348
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	319	319	–	331	331	–	331	331	–	314	314
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	42,920	42,920	–	5,563	5,563	–	5,491	5,491	–	1,972	1,972
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	368	368	–	465	465	–	465	465	–	275	275
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	145,046	145,046	–	150,000	150,000	–	–	–	–	50,000	50,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	18,394	18,394	–	44,689	44,689	–	64,689	64,689	–	75,368	75,368
8. अन्य	–	5,328	5,328	–	8,577	8,577	–	8,577	8,577	–	12,704	12,704
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,514	5,514
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**127,985**	**127,985**	**–**	**126,238**	**126,238**	**–**	**86,238**	**86,238**	**–**	**33,641**	**33,641**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	108,175	108,175	–	88,230	88,230	–	48,230	48,230	–	28,350	28,350
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	346	346	–	338	338	–	338	338	–	338	338
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	860	860	–	756	756	–	756	756	–	703	703
4. योजनेतर (i से ii)	–	303	303	–	23,444	23,444	–	23,444	23,444	–	2,744	2,744
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	303	303	–	23,444	23,444	–	23,444	23,444	–	2,744	2,744
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	10,097	10,097	–	10,000	10,000	–	10,000	10,000	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	8,204	8,204	–	3,470	3,470	–	3,470	3,470	–	1,506	1,506
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**8,214**	**12,295**	**20,509**	**4,907**	**8,757**	**13,664**	**3,042**	**5,997**	**9,039**	**5,090**	**7,737**	**12,827**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**8,214**	**1,977**	**10,191**	**4,907**	**2,000**	**6,907**	**3,042**	**1,400**	**4,442**	**5,090**	**1,484**	**6,574**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**101**	**1,977**	**2,078**	**1,401**	**2,000**	**3,401**	**1,026**	**1,400**	**2,426**	**1,090**	**1,484**	**2,574**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	-100	-100	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	101	–	101	670	–	670	670	–	670	1,090	–	1,090
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	1,628	1,628	–	2,000	2,000	–	1,400	1,400	–	1,484	1,484
7. अन्य	–	449	449	731	–	731	356	–	356	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**8,113**	**–**	**8,113**	**3,506**	**–**	**3,506**	**2,016**	**–**	**2,016**	**4,000**	**–**	**4,000**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	1,484	–	1,484	402	–	402	367	–	367	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उड़ीसा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	5,712	–	5,712	3,013	–	3,013	1,565	–	1,565	4,000	–	4,000
7. ग्राम और लघु उद्योग	179	–	179	3	–	3	18	–	18	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	420	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	318	–	318	88	–	88	66	–	66	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**10,318**	**10,318**	**–**	**6,757**	**6,757**	**–**	**4,597**	**4,597**	**–**	**6,253**	**6,253**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	800	800	–	757	757	–	597	597	–	753	753
(ख) विविध	–	9,518	9,518	–	6,000	6,000	–	4,000	4,000	–	5,500	5,500
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**7,394**	**7,394**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**	**–**	**15,000**	**15,000**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**137,855**	**137,855**	**–**	**145,644**	**145,644**	**–**	**145,644**	**145,644**	**–**	**172,924**	**172,924**
1. राज्य भविष्य निधि	–	137,600	137,600	–	145,303	145,303	–	145,303	145,303	–	172,504	172,504
2. अन्य	–	255	255	–	341	341	–	341	341	–	420	420
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**122,821**	**122,821**	**–**	**72,103**	**72,103**	**–**	**110,275**	**110,275**	**–**	**126,444**	**126,444**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	78,500	78,500	–	26,000	26,000	–	66,000	66,000	–	78,800	78,800
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	44,321	44,321	–	46,103	46,103	–	44,275	44,275	–	47,644	47,644
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**298,361**	**298,361**	**–**	**281,126**	**281,126**	**–**	**285,332**	**285,332**	**–**	**385,690**	**385,690**
1. सिविल जमा	–	139,079	139,079	–	143,918	143,918	–	143,919	143,919	–	162,520	162,520
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	35,420	35,420	–	32,649	32,649	–	35,600	35,600	–	38,502	38,502
3. सिविल अग्रिम	–	3,936	3,936	–	4,600	4,600	–	4,700	4,700	–	4,760	4,760
4. अन्य	–	119,926	119,926	–	99,959	99,959	–	101,113	101,113	–	179,908	179,908
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**933,042**	**933,042**	**–**	**112,837**	**112,837**	**–**	**262,340**	**262,340**	**–**	**275,048**	**275,048**
1. उचंत	–	-42,041	-42,041	–	8,176	8,176	–	8,210	8,210	–	8,500	8,500
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	973,637	973,637	–	103,500	103,500	–	252,638	252,638	–	264,849	264,849
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,446	1,446	–	1,161	1,161	–	1,492	1,492	–	1,699	1,699
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**199,137**	**199,137**	**–**	**183,657**	**183,657**	**–**	**193,935**	**193,935**	**–**	**194,757**	**194,757**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**120,325**			**107,560**			**54,249**			**56,829**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-52,230**			**-109,069**			**-51,609**			**-47,480**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**68,095**			**-1,509**			**2,640**			**9,349**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**68,095**			**-1,509**			**2,640**			**9,349**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**12,379**			**-9**			**2**			**–**
(क) अथशेष			-33,667			-34,369			-21,653			-21,653
(ख) इतिशेष			-21,288			-34,378			-21,651			-21,653
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**55,716**			**-1,500**			**2,638**			**9,349**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**63,285**	**2,223,800**	**2,287,085**	**194,469**	**4,405,268**	**4,599,737**	**174,804**	**6,498,430**	**6,673,234**	**211,859**	**6,536,049**	**6,747,908**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**63,285**	**316,316**	**379,601**	**194,469**	**187,119**	**381,588**	**174,804**	**105,650**	**280,454**	**211,859**	**170,831**	**382,690**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**57,047**	**11,166**	**68,213**	**182,827**	**47,255**	**230,082**	**168,479**	**29,567**	**198,046**	**208,153**	**29,491**	**237,644**
1. विकास (क + ख)	**55,398**	**7,742**	**63,140**	**176,042**	**42,063**	**218,105**	**160,292**	**18,584**	**178,876**	**197,547**	**17,080**	**214,627**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**2,138**	**131**	**2,269**	**56,213**	**908**	**57,121**	**31,843**	**3,666**	**35,509**	**43,109**	**3,920**	**47,029**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1,613	1	1,614	11,202	6	11,208	9,494	6	9,500	12,170	6	12,176
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	450	111	561	2,246	532	2,778	1,823	532	2,355	2,617	732	3,349
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	22,552	300	22,852	16,399	300	16,699	27,730	350	28,080
5. आवास	75	20	95	102	20	122	–	–	–	–	–	–
6. शहरी विकास	–	–	–	19,187	–	19,187	3,323	2,772	6,095	–	2,770	2,770
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	–	–	689	–	689	131	–	131	444	–	444
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	–	–	–	235	–	235	673	56	729	136	62	198
9. अन्य *	–	-1	-1	–	50	50	–	–	–	12	–	12
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**53,260**	**7,611**	**60,871**	**119,829**	**41,155**	**160,984**	**128,449**	**14,918**	**143,367**	**154,438**	**13,160**	**167,598**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,150	-63	2,087	4,514	2	4,516	3,129	102	3,231	4,091	101	4,192
(i) फसल कार्य	–	-15	-15	–	–	–	–	100	100	–	100	100
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	50	36	86	1,040	2	1,042	984	2	986	1,033	1	1,034
(iii) पशु पालन	–	–	–	529	–	529	375	–	375	1,174	–	1,174
(iv) डेरी विकास	–	-28	-28	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	17	–	17	17	–	17	510	–	510
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	2,322	–	2,322	1,450	–	1,450	427	–	427	40	–	40
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	-56	-56	–	–	–	–	–	–	1	–	1
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	-222	–	-222	1,478	–	1,478	1,326	–	1,326	1,333	–	1,333
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	14,478	1,168	15,646	15,895	1,581	17,476	17,262	2,550	19,812	15,761	2,550	18,311
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	14,022	5,507	19,529	35,575	6,448	42,023	25,681	9,448	35,129	31,016	8,768	39,784
5. ऊर्जा	7,238	–	7,238	10,740	10,500	21,240	200	–	200	200	–	200
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-24	13	-11	2,364	27	2,391	568	23	591	–	24	24
(i) ग्राम और लघु उद्योग	-24	13	-11	2,364	27	2,391	568	23	591	–	24	24
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. परिवहन(i + ii)	12,307	986	13,293	34,050	2,303	36,353	38,830	2,513	41,343	41,200	1,711	42,911
(i) सड़क और पुल	12,154	–	12,154	33,947	803	34,750	38,483	654	39,137	39,775	531	40,306
(ii) अन्य **	153	986	1,139	103	1,500	1,603	347	1,859	2,206	1,425	1,180	2,605
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	917	–	917	9,677	–	9,677	17,798	–	17,798	5,632	–	5,632
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,172	–	2,172	7,014	20,294	27,308	24,981	282	25,263	56,538	6	56,544
(i) पर्यटन	-125	–	-125	3	–	3	61	–	61	934	–	934
(ii) अन्य @@	2,297	–	2,297	7,011	20,294	27,305	24,920	282	25,202	55,604	6	55,610
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,649**	**3,424**	**5,073**	**6,785**	**5,192**	**11,977**	**8,187**	**10,983**	**19,170**	**10,606**	**12,411**	**23,017**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**602,092**	**602,092**	**–**	**516,217**	**516,217**	**–**	**150,288**	**150,288**	**–**	**158,031**	**158,031**
1. बाजार से ऋण	–	17,150	17,150	–	32,124	32,124	–	22,124	22,124	–	22,124	22,124
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	14,273	14,273	–	104	104	–	109	109	–	105	105
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	37,062	37,062	–	41,745	41,745	–	44,866	44,866
4. नाबार्ड से ऋण	–	8,962	8,962	–	20,659	20,659	–	21,107	21,107	–	32,795	32,795
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	499	499	–	450	450	–	643	643	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	455,449	455,449	–	400,000	400,000	–	55,247	55,247	–	100	100
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	101,810	101,810	–	4,180	4,180	–	4,180	4,180	–	39,390	39,390
8. अन्य	–	3,949	3,949	–	21,638	21,638	–	5,133	5,133	–	18,651	18,651
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,187	3,187
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**155,066**	**155,066**	**–**	**49,273**	**49,273**	**–**	**20,730**	**20,730**	**–**	**26,766**	**26,766**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	129,310	129,310	–	24,641	24,641	–	16,051	16,051	–	22,275	22,275
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	647	647	–	637	637	–	650	650	–	640	640
4. योजनेतर (i से ii)	–	3,309	3,309	–	3,308	3,308	–	3,343	3,343	–	3,309	3,309
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	3,309	3,309	–	3,308	3,308	–	3,343	3,343	–	3,309	3,309
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	20,000	20,000	–	20,000	20,000	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	1,795	1,795		687	687		686	686		542	542
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**6,238**	**3,442**	**9,680**	**11,642**	**11,436**	**23,078**	**6,325**	**2,056**	**8,381**	**3,706**	**1,507**	**5,213**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**6,238**	**2,098**	**8,336**	**11,642**	**10,084**	**21,726**	**6,325**	**709**	**7,034**	**3,706**	**84**	**3,790**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**579**	**579**	**1,200**	**–**	**1,200**	**5,634**	**–**	**5,634**	**3,119**	**–**	**3,119**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	1,200	–	1,200	5,634	–	5,634	3,107	–	3,107
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	579	579	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	12
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**6,238**	**1,519**	**7,757**	**10,442**	**10,084**	**20,526**	**691**	**709**	**1,400**	**587**	**84**	**671**
1. फसल कार्य	–	–	–	3	–	3	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	30	–	30	289	–	289	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	1,284	1,284	409	84	493	402	84	486	587	84	671

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

पंजाब

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	6,238	–	6,238	10,000	10,000	20,000	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	235	235	–	–	–	–	125	125	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	500	500	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**1,344**	**1,344**	**–**	**1,352**	**1,352**	**–**	**1,347**	**1,347**	**–**	**1,423**	**1,423**
(क) सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	1,313	1,313	–	1,352	1,352	–	1,347	1,347	–	1,423	1,423
(ख) विविध	–	31	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**100,948**	**100,948**	**–**	**82,156**	**82,156**	**–**	**87,061**	**87,061**	**–**	**110,215**	**110,215**
1. राज्य भविष्य निधि	–	99,174	99,174	–	80,963	80,963	–	85,199	85,199	–	108,259	108,259
2. अन्य	–	1,774	1,774	–	1,193	1,193	–	1,862	1,862	–	1,956	1,956
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**2,143**	**2,143**	**–**	**13,826**	**13,826**	**–**	**3,429**	**3,429**	**–**	**22,968**	**22,968**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	6,105	6,105	–	10	10	–	10	10
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	7,000	7,000	–	–	–	–	7,000	7,000
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,143	2,143	–	721	721	–	3,419	3,419	–	15,958	15,958
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**99,686**	**99,686**	**–**	**87,790**	**87,790**	**–**	**128,030**	**128,030**	**–**	**109,802**	**109,802**
1. सिविल जमा	–	75,104	75,104	–	73,321	73,321	–	84,207	84,207	–	91,198	91,198
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	3,297	3,297	–	5,584	5,584	–	511	511	–	511	511
3. सिविल अग्रिम	–	6,945	6,945	–	8,609	8,609	–	5,739	5,739	–	5,739	5,739
4. अन्य	–	14,340	14,340	–	275	275	–	37,573	37,573	–	12,354	12,354
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**1,175,451**	**1,175,451**	**–**	**3,528,467**	**3,528,467**	**–**	**5,984,903**	**5,984,903**	**–**	**5,984,903**	**5,984,903**
1. उचंत	–	35,151	35,151	–	73,318	73,318	–	66,711	66,711	–	66,711	66,711
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	252,860	252,860	–	96,028	96,028	–	974,143	974,143	–	974,143	974,143
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	2,608,150	2,608,150	–	4,010,891	4,010,891	–	4,010,891	4,010,891
4. अन्य	–	887,440	887,440	–	750,971	750,971	–	933,158	933,158	–	933,158	933,158
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**73,806**	**73,806**	**–**	**68,848**	**68,848**	**–**	**92,364**	**92,364**	**–**	**92,364**	**92,364**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**373,851**			**222,716**			**360,011**			**178,656**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-339,055**			**-211,845**			**-171,270**			**-140,614**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**34,796**			**10,871**			**188,741**			**38,042**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**34,796**			**10,871**			**188,741**			**38,042**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**17,599**			**10,871**			**160,411**			**38,042**
(क) अथशेष			-1,521			3,953			8,152			168,861
(ख) इतिशेष			16,078			14,824			168,563			206,903
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**17,197**			**–**			**28,330**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**402,108**	**6,076,774**	**6,478,882**	**548,110**	**5,092,678**	**5,640,788**	**524,122**	**8,448,466**	**8,972,588**	**512,885**	**5,802,612**	**6,315,497**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**402,108**	**497,953**	**900,061**	**548,110**	**107,070**	**655,180**	**524,122**	**108,013**	**632,135**	**512,885**	**145,722**	**658,607**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**342,053**	**6,778**	**348,831**	**509,516**	**6,575**	**516,091**	**462,221**	**6,666**	**468,887**	**495,662**	**6,744**	**502,406**
1. विकास (क + ख)	**336,457**	**4,201**	**340,658**	**501,056**	**2,988**	**504,044**	**450,568**	**3,405**	**453,973**	**489,035**	**4,038**	**493,073**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**150,638**	**4,194**	**154,832**	**234,281**	**2,961**	**237,242**	**198,164**	**3,385**	**201,549**	**268,317**	**4,036**	**272,353**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,464	–	2,464	3,823	–	3,823	5,428	–	5,428	7,918	–	7,918
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,959	–	2,959	7,632	–	7,632	7,703	–	7,703	5,977	–	5,977
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	60,962	1,439	62,401	116,868	1,700	118,568	90,187	2,224	92,411	126,705	3,000	129,705
5. आवास	570	1,135	1,705	1,085	1,261	2,346	529	1,161	1,690	850	1,036	1,886
6. शहरी विकास	78,173	1,620	79,793	94,292	–	94,292	83,291	–	83,291	113,782	–	113,782
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,885	–	4,885	6,917	–	6,917	7,731	–	7,731	8,128	–	8,128
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	464	–	464	1,788	–	1,788	1,016	–	1,016	869	–	869
9. अन्य *	161	–	161	1,876	–	1,876	2,279	–	2,279	4,088	–	4,088
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**185,819**	**7**	**185,826**	**266,775**	**27**	**266,802**	**252,404**	**20**	**252,424**	**220,718**	**2**	**220,720**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	9,021	–	9,021	13,679	23	13,702	13,569	13	13,582	11,198	–	11,198
(i) फसल कार्य	64	–	64	1,866	23	1,889	1,820	13	1,833	320	–	320
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	1,388	–	1,388	1,480	–	1,480	1,624	–	1,624	1,765	–	1,765
(iii) पशु पालन	–	–	–	215	–	215	25	–	25	190	–	190
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	29	–	29	23	–	23	41	–	41	27	–	27
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	6,509	–	6,509	8,500	–	8,500	8,135	–	8,135	6,500	–	6,500
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	30	–	30	270	–	270	270	–	270	234	–	234
(x) सहकारिता	1,004	–	1,004	1,325	–	1,325	1,654	–	1,654	2,162	–	2,162
(xi) अन्य @	-3	–	-3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	22,905	–	22,905	24,738	–	24,738	24,070	–	24,070	21,112	–	21,112
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,597	–	4,597	4,607	–	4,607	5,262	–	5,262	4,457	–	4,457
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	82,968	–	82,968	115,384	–	115,384	104,277	–	104,277	94,596	–	94,596
5. ऊर्जा	35,000	–	35,000	65,050	–	65,050	63,130	–	63,130	50,100	–	50,100
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	2,109	–	2,109	2,670	–	2,670	3,588	–	3,588	1,338	–	1,338
(i) ग्राम और लघु उद्योग	197	–	197	361	–	361	322	–	322	184	–	184
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	140	–	140	359	–	359	362	–	362	501	–	501
(iv) अन्य #	1,772	–	1,772	1,950	–	1,950	2,904	–	2,904	653	–	653
7. परिवहन(i + ii)	26,446	–	26,446	33,182	–	33,182	27,355	–	27,355	30,185	–	30,185
(i) सड़क और पुल	26,446	–	26,446	33,182	–	33,182	27,355	–	27,355	30,185	–	30,185
(ii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	51	–	51	29	–	29	42	–	42	58	–	58
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	2,722	7	2,729	7,436	4	7,440	11,111	7	11,118	7,674	2	7,676
(i) पर्यटन	933	–	933	870	–	870	4,046	–	4,046	2,789	–	2,789
(ii) अन्य @@	1,789	7	1,796	6,566	4	6,570	7,065	7	7,072	4,885	2	4,887
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**5,596**	**2,577**	**8,173**	**8,460**	**3,587**	**12,047**	**11,653**	**3,261**	**14,914**	**6,627**	**2,706**	**9,333**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**433,766**	**433,766**	**–**	**362,690**	**362,690**	**–**	**162,602**	**162,602**	**–**	**401,551**	**401,551**
1. बाजार से ऋण	–	31,435	31,435	–	39,427	39,427	–	39,427	39,427	–	43,371	43,371
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	652	652	–	649	649	–	652	652	–	18,525	18,525
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	83,098	83,098	–	1,806	1,806	–	623	623	–	2,565	2,565
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	1,867	1,867	–	579	579	–	1,447	1,447	–	699	699
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	180,896	180,896	–	300,000	300,000	–	100,000	100,000	–	300,000	300,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	118,662	118,662	–	8,527	8,527	–	8,527	8,527	–	19,546	19,546
8. अन्य	–	17,156	17,156	–	11,702	11,702	–	11,926	11,926	–	16,845	16,845
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,844	1,844
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**234,388**	**234,388**	**–**	**37,487**	**37,487**	**–**	**37,461**	**37,461**	**–**	**36,517**	**36,517**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	227,769	227,769	–	35,656	35,656	–	35,642	35,642	–	34,651	34,651
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	62	62	–	–	–	–	62	62	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	4	4	–	4	4	–	4	4	–	4	4
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	1,089	1,089	–	1,162	1,162	–	1,182	1,182	–	1,207	1,207
4. योजनेतर (i से ii)	–	630	630	–	665	665	–	633	633	–	655	655
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	630	630	–	665	665	–	633	633	–	655	655
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	4,896	4,896	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**60,055**	**3,917**	**63,972**	**38,594**	**318**	**38,912**	**61,901**	**1,283**	**63,184**	**17,223**	**911**	**18,134**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**60,055**	**3,914**	**63,969**	**38,594**	**318**	**38,912**	**61,901**	**1,281**	**63,182**	**17,223**	**911**	**18,134**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**11**	**799**	**810**	**324**	**–**	**324**	**40**	**950**	**990**	**40**	**750**	**790**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	11	–	11	284	–	284	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	795	795	40	–	40	40	950	990	40	750	790
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**60,044**	**3,115**	**63,159**	**38,270**	**318**	**38,588**	**61,861**	**331**	**62,192**	**17,183**	**161**	**17,344**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	23	–	23	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	6,134	1,095	7,229	2,655	318	2,973	5,027	318	5,345	2,183	161	2,344

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

राजस्थान

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	53,899	–	53,899	34,592	–	34,592	56,834	–	56,834	15,000	–	15,000
7. ग्राम और लघु उद्योग	11	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	2,020	2,020	–	–	–	–	13	13	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	1,000	–	1,000	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**3**	**3**	**–**	**–**	**–**	**–**	**2**	**2**	**–**	**–**	**–**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	3	3	–	–	–	–	2	2	–	–	–
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**101,121**	**101,121**	**–**	**168,415**	**168,415**	**–**	**117,920**	**117,920**	**–**	**146,781**	**146,781**
1. राज्य भविष्य निधि	–	69,279	69,279	–	123,801	123,801	–	85,328	85,328	–	108,473	108,473
2. अन्य	–	31,842	31,842	–	44,614	44,614	–	32,592	32,592	–	38,308	38,308
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**49,485**	**49,485**	**–**	**85,977**	**85,977**	**–**	**76,308**	**76,308**	**–**	**113,466**	**113,466**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	49,485	49,485	–	85,977	85,977	–	76,308	76,308	–	113,466	113,466
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**3,837,040**	**3,837,040**	**–**	**3,624,866**	**3,624,866**	**–**	**3,862,355**	**3,862,355**	**–**	**4,267,994**	**4,267,994**
1. सिविल जमा	–	401,450	401,450	–	394,341	394,341	–	423,587	423,587	–	423,786	423,786
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	3,066,312	3,066,312	–	3,047,860	3,047,860	–	3,254,552	3,254,552	–	3,560,966	3,560,966
3. सिविल अग्रिम	–	5,857	5,857	–	5,005	5,005	–	6,004	6,004	–	6,002	6,002
4. अन्य	–	363,421	363,421	–	177,660	177,660	–	178,212	178,212	–	277,240	277,240
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**1,153,454**	**1,153,454**	**–**	**512,445**	**512,445**	**–**	**3,887,465**	**3,887,465**	**–**	**507,244**	**507,244**
1. उचंत	–	4,881	4,881	–	11,432	11,432	–	6,161	6,161	–	6,161	6,161
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	1,147,736	1,147,736	–	500,000	500,000	–	3,880,171	3,880,171	–	500,000	500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	837	837	–	1,013	1,013	–	1,133	1,133	–	1,083	1,083
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**256,825**	**256,825**	**–**	**293,905**	**293,905**	**–**	**296,405**	**296,405**	**–**	**321,405**	**321,405**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**276,845**			**250,029**			**44,362**			**10,384**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-214,259**			**-152,299**			**-86,539**			**-4,300**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**62,586**			**97,730**			**-42,177**			**6,084**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**62,586**			**97,730**			**-42,177**			**6,084**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-12,489**			**97,730**			**4,637**			**6,084**
(क) अथशेष			-34,462			-35,072			-46,951			-42,312
(ख) इतिशेष			-46,951			62,658			-42,314			-36,228
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**75,075**			**–**			**-46,814**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*
सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**35,417**	**190,418**	**225,835**	**41,636**	**152,470**	**194,106**	**47,849**	**163,431**	**211,280**	**51,837**	**173,804**	**225,641**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**35,417**	**8,377**	**43,794**	**41,636**	**4,573**	**46,209**	**47,849**	**4,573**	**52,422**	**51,837**	**3,975**	**55,812**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**35,355**	**–**	**35,355**	**41,631**	**–**	**41,631**	**47,844**	**–**	**47,844**	**51,837**	**–**	**51,837**
1. विकास (क + ख)	**33,706**	**–**	**33,706**	**39,986**	**–**	**39,986**	**45,739**	**–**	**45,739**	**50,084**	**–**	**50,084**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**13,164**	**–**	**13,164**	**13,529**	**–**	**13,529**	**16,309**	**–**	**16,309**	**17,711**	**–**	**17,711**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	2,947	–	2,947	4,541	–	4,541	4,975	–	4,975	3,689	–	3,689
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	341	–	341	480	–	480	892	–	892	333	–	333
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6,359	–	6,359	6,463	–	6,463	6,849	–	6,849	8,555	–	8,555
5. आवास	2,366	–	2,366	1,313	–	1,313	2,000	–	2,000	2,665	–	2,665
6. शहरी विकास	955	–	955	494	–	494	1,447	–	1,447	1,886	–	1,886
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	117	–	117	13	–	13	21	–	21	213	–	213
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	79	–	79	225	–	225	125	–	125	370	–	370
9. अन्य *	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**20,542**	**–**	**20,542**	**26,457**	**–**	**26,457**	**29,430**	**–**	**29,430**	**32,373**	**–**	**32,373**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	395	–	395	751	–	751	731	–	731	491	–	491
(i) फसल कार्य	41	–	41	100	–	100	100	–	100	161	–	161
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	39	–	39	177	–	177	177	–	177	64	–	64
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	10	–	10	20	–	20	20	–	20	24	–	24
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	220	–	220	357	–	357	381	–	381	200	–	200
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	17	–	17	28	–	28	28	–	28	20	–	20
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	65	–	65	22	–	22	22	–	22	22	–	22
(xi) अन्य @	3	–	3	47	–	47	3	–	3	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	1,175	–	1,175	641	–	641	641	–	641	1,932	–	1,932
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	307	–	307	1,172	–	1,172	2,522	–	2,522	1,922	–	1,922
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	245	–	245	622	–	622	722	–	722	207	–	207
5. ऊर्जा	9,958	–	9,958	11,088	–	11,088	10,832	–	10,832	9,285	–	9,285
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	680	–	680	264	–	264	797	–	797	610	–	610
(i) ग्राम और लघु उद्योग	34	–	34	225	–	225	355	–	355	500	–	500
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	36	–	36	10	–	10	10	–	10	10	–	10
(iv) अन्य #	610	–	610	29	–	29	432	–	432	100	–	100
7. परिवहन(i + ii)	7,174	–	7,174	9,975	–	9,975	10,657	–	10,657	14,116	–	14,116
(i) सड़क और पुल	5,959	–	5,959	9,022	–	9,022	10,271	–	10,271	11,049	–	11,049
(ii) अन्य **	1,215	–	1,215	953	–	953	386	–	386	3,067	–	3,067
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	–	45
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	608	–	608	1,944	–	1,944	2,528	–	2,528	3,765	–	3,765
(i) पर्यटन	608	–	608	1,944	–	1,944	2,528	–	2,528	3,765	–	3,765
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**1,649**	**–**	**1,649**	**1,645**	**–**	**1,645**	**2,105**	**–**	**2,105**	**1,753**	**–**	**1,753**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**4,375**	**4,375**	**–**	**3,017**	**3,017**	**–**	**3,017**	**3,017**	**–**	**2,713**	**2,713**
1. बाजार से ऋण	–	1,165	1,165	–	1,565	1,565	–	1,565	1,565	–	1,721	1,721
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	227	227	–	275	275	–	275	275	–	379	379
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	2,780	2,780	–	966	966	–	966	966	–	81	81
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	10	10	–	18	18	–	18	18	–	98	98
8. अन्य	–	193	193	–	193	193	–	193	193	–	434	434
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	239	239
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**3,997**	**3,997**	**–**	**1,541**	**1,541**	**–**	**1,541**	**1,541**	**–**	**1,242**	**1,242**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	3,810	3,810	–	1,373	1,373	–	1,373	1,373	–	1,081	1,081
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	124	124	–	104	104	–	104	104	–	97	97
4. योजनेतर (i से ii)	–	8	8	–	9	9	–	9	9	–	9	9
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	8	8	–	9	9	–	9	9	–	9	9
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	55	55	–	55	55	–	55	55	–	55	55
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**62**	**7**	**69**	**5**	**15**	**20**	**5**	**15**	**20**	**–**	**20**	**20**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**62**	**7**	**69**	**5**	**10**	**15**	**5**	**10**	**15**	**–**	**10**	**10**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**47**	**7**	**54**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**	**–**	**10**	**10**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	47	–	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	7	7	–	10	10	–	10	10	–	10	10
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**15**	**–**	**15**	**5**	**–**	**5**	**5**	**–**	**5**	**–**	**–**	**–**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	15	–	15	5	–	5	5	–	5	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

सिक्किम

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**–**	**–**	**–**	**5**	**5**	**–**	**5**	**5**	**–**	**10**	**10**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	10	10
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**94**	**94**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**4,535**	**4,535**	**–**	**4,358**	**4,358**	**–**	**4,640**	**4,640**	**–**	**4,641**	**4,641**
1. राज्य भविष्य निधि	–	4,490	4,490	–	4,300	4,300	–	4,600	4,600	–	4,600	4,600
2. अन्य	–	45	45	–	58	58	–	40	40	–	41	41
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**2,932**	**2,932**	**–**	**2,312**	**2,312**	**–**	**2,897**	**2,897**	**–**	**3,505**	**3,505**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,100	1,100	–	1,173	1,173
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,832	1,832	–	1,212	1,212	–	1,797	1,797	–	2,332	2,332
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,779**	**1,779**	**–**	**2,478**	**2,478**	**–**	**2,478**	**2,478**	**–**	**2,121**	**2,121**
1. सिविल जमा	–	1,779	1,779	–	2,477	2,477	–	2,477	2,477	–	2,121	2,121
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**131,084**	**131,084**	**–**	**100,764**	**100,764**	**–**	**110,764**	**110,764**	**–**	**110,404**	**110,404**
1. उचंत	–	223	223	–	9	9	–	9	9	–	236	236
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	56,064	56,064	–	30,000	30,000	–	40,000	40,000	–	30,000	30,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	74,797	74,797	–	70,755	70,755	–	70,755	70,755	–	80,168	80,168
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**41,711**	**41,711**	**–**	**37,985**	**37,985**	**–**	**37,985**	**37,985**	**–**	**49,158**	**49,158**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-8,504**			**-34,096**			**-33,688**			**-31,131**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**16,891**			**28,974**			**19,894**			**24,768**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**8,387**			**-5,122**			**-13,794**			**-6,363**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**8,387**			**-5,122**			**-13,794**			**-6,363**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**2,223**			**-5,122**			**-13,794**			**-6,363**
(क) अथशेष			5,935			5,173			8,158			-5,636
(ख) इतिशेष			8,158			51			-5,636			-11,999
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**6,164**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**466,962**	**8,130,321**	**8,597,283**	**507,345**	**5,154,850**	**5,662,195**	**515,546**	**9,872,068**	**10,387,614**	**582,635**	**7,430,030**	**8,012,665**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**466,962**	**795,585**	**1,262,547**	**507,345**	**187,907**	**695,252**	**515,546**	**230,649**	**746,195**	**582,635**	**432,699**	**1,015,334**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**428,014**	**28,383**	**456,397**	**478,190**	**973**	**479,163**	**482,593**	**2,048**	**484,641**	**556,061**	**87,103**	**643,164**
1. विकास (क + ख)	**415,468**	**3,356**	**418,824**	**462,520**	**167**	**462,687**	**471,934**	**373**	**472,307**	**547,423**	**75,284**	**622,707**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**242,590**	**2,357**	**244,947**	**137,449**	**193**	**137,642**	**123,197**	**400**	**123,597**	**124,240**	**311**	**124,551**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,890	48	9,938	9,090	–	9,090	16,453	–	16,453	17,608	–	17,608
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4,779	–	4,779	27,849	–	27,849	24,328	–	24,328	18,206	–	18,206
3. परिवार कल्याण	–	–	–	6,066	–	6,066	1,227	–	1,227	4,062	–	4,062
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	134,826	–	134,826	62,937	–	62,937	47,650	–	47,650	52,334	–	52,334
5. आवास	32,167	–	32,167	2,084	–	2,084	2,204		2,204	9,421	–	9,421
6. शहरी विकास	51,335	2,047	53,382	12,017	–	12,017	13,319	–	13,319	14,643	–	14,643
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	9,034	15	9,049	16,922	–	16,922	17,229	55	17,284	7,584	–	7,584
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	180	–	180	101	33	134	160	–	160	154	–	154
9. अन्य *	379	247	626	383	160	543	627	345	972	228	311	539
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**172,878**	**999**	**173,877**	**325,071**	**-26**	**325,045**	**348,737**	**-27**	**348,710**	**423,183**	**74,973**	**498,156**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	8,984	1,002	9,986	17,556	-235	17,321	22,681	-235	22,446	22,485	74,765	97,250
(i) फसल कार्य	238	1,233	1,471	–	–	–	3	–	3	134	–	134
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	37	–	37	1,693	–	1,693	1,763	–	1,763	2,431	–	2,431
(iii) पशु पालन	15	–	15	18	–	18	1,682	–	1,682	4,741	–	4,741
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	183	–	183	402	–	402	2,770	–	2,770	523	–	523
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	7,811	–	7,811	9,832	–	9,832	10,598	–	10,598	13,333	–	13,333
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	–	36
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	191	–	191	203	–	203	203	–	203	203	–	203
(x) सहकारिता	509	-231	278	5,408	-235	5,173	5,662	-235	5,427	634	74,765	75,399
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	450	–	450
2. ग्रामीण विकास	40,446	–	40,446	48,209	–	48,209	65,153	–	65,153	84,167	–	84,167
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1,336		1,336	2,364	1	2,365	2,363	–	2,363	3,334	–	3,334
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	1,336		1,336	2,364	1	2,365	2,363	–	2,363	3,334	1	3,335
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	27,760	–	27,760	45,026	–	45,026	35,967	–	35,967	52,271	–	52,271
5. ऊर्जा	8,500	–	8,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	125	–	125	52	–	52	835	–	835	164	–	164
(i) ग्राम और लघु उद्योग	125	–	125	52	–	52	835	–	835	49	–	49
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115	–	115
7. परिवहन(i + ii)	84,241	-3	84,238	207,926	208	208,134	212,095	208	212,303	256,837	208	257,045
(i) सड़क और पुल	84,241	-3	84,238	207,926	208	208,134	210,795	208	211,003	245,887	208	246,095
(ii) अन्य **	–	–	–	–	–	–	1,300	–	1,300	10,950	–	10,950
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	20	–	20	20	–	20
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,486	–	1,486	1,438	–	1,438	7,123	–	7,123	1,405	–	1,405
(i) पर्यटन	1,476	–	1,476	1,438	–	1,438	1,023	–	1,023	1,405	–	1,405
(ii) अन्य @@	10	–	10	–	–	–	6,100	–	6,100	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**12,546**	**25,027**	**37,573**	**15,670**	**806**	**16,476**	**10,659**	**1,675**	**12,334**	**8,638**	**11,819**	**20,457**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**440,996**	**440,996**	**–**	**245,133**	**245,133**	**–**	**283,899**	**283,899**	**–**	**338,942**	**338,942**
1. बाजार से ऋण	–	35,068	35,068	–	40,352	40,352	–	40,660	40,660	–	44,469	44,469
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	3,166	3,166	–	6,778	6,778	–	6,778	6,778	–	7,223	7,223
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	754	754	–	–	–	–	1,371	1,371	–	1,478	1,478
4. नाबार्ड से ऋण	–	101,523	101,523	–	3,138	3,138	–	742	742	–	49,444	49,444
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	7,355	7,355	–	1,627	1,627	–	2,213	2,213	–	1,518	1,518
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	154,195	154,195	–	100,000	100,000	–	149,145	149,145	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	8,083	8,083	–	8,083	8,083	–	5,068	5,068	–	11,503	11,503
8. अन्य	–	130,852	130,852		85,155	85,155	–	77,922	77,922		123,307	123,307
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	28,311	28,311
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**411,520**	**411,520**	**–**	**33,501**	**33,501**	**–**	**30,221**	**30,221**	**–**	**30,550**	**30,550**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	408,243	408,243	–	30,855	30,855	–	28,900	28,900	–	29,213	29,213
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	65	-3,016 65	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	123	123	–	124	124	–	123	123	–	124	124
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	608	608	–	642	642	–	646	646	–	661	661
4. योजनेतर (i से ii)	–	549	549	–	558	558	–	552	552	–	552	552
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	549	549	–	558	558	–	552	552	–	552	552
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	1,997	1,997	–	1,322	1,322	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**38,948**	**69,636**	**108,584**	**29,155**	**8,301**	**37,456**	**32,953**	**64,998**	**97,951**	**26,574**	**77,582**	**104,156**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**38,844**	**68,316**	**107,160**	**29,045**	**6,459**	**35,504**	**32,693**	**63,163**	**95,856**	**26,314**	**75,752**	**102,066**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**20,527**	**1,860**	**22,387**	**17,225**	**6,459**	**23,684**	**24,525**	**16,704**	**41,229**	**13,417**	**6,110**	**19,527**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	300	300	–	–	–	–	250	250	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	15,686	422	16,108	5,809	–	5,809	11,775	15,804	27,579	–	5,460	5,460
5. आवास	–	650	650	–	650	650	–	650	650	–	650	650
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	4,841	–	4,841	10,200	–	10,200	10,200	–	10,200	10,200	–	10,200
7. अन्य		488	488	1,216	5,809	7,025	2,550	–	2,550	3,217	–	3,217
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**18,317**	**66,456**	**84,773**	**11,820**	**–**	**11,820**	**8,168**	**46,459**	**54,627**	**12,897**	**69,642**	**82,539**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	30,000	30,000	–	–	–	–	30,000	30,000	–	30,000	30,000
4. सहकारिता	7,332	23,934	31,266	97	–	97	424	1,054	1,478	168	27,000	27,168

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

तमिलनाडु

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	10,091	–	10,091	10,862	–	10,862	7,175	–	7,175	2,000	4,599	6,599
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	7,844	7,844	40	–	40	219	3,687	3,906	25	–	25
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	4,678	4,678	–	–	–	–	9,208	9,208	–	8,016	8,016
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	894	–	894	821	–	821	350	2,510	2,860	10,704	27	10,731
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**104**	**1,320**	**1,424**	**110**	**1,842**	**1,952**	**260**	**1,835**	**2,095**	**260**	**1,830**	**2,090**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	53	1,320	1,373	50	1,842	1,892	200	1,834	2,034	200	1,829	2,029
(ख) विविध	51	–	51	60	–	60	60	1	61	60	1	61
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**240,999**	**240,999**	**–**	**279,174**	**279,174**	**–**	**256,171**	**256,171**	**–**	**285,462**	**285,462**
1. राज्य भविष्य निधि	–	237,791	237,791	–	275,941	275,941	–	250,937	250,937	–	279,999	279,999
2. अन्य	–	3,208	3,208	–	3,233	3,233	–	5,234	5,234	–	5,463	5,463
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**226,179**	**226,179**	**–**	**202,094**	**202,094**	**–**	**649,343**	**649,343**	**–**	**462,863**	**462,863**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	50,940	50,940	–	37,562	37,562	–	289,733	289,733	–	244,981	244,981
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	175,239	175,239	–	164,532	164,532	–	359,610	359,610	–	217,882	217,882
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**869,260**	**869,260**	**–**	**775,411**	**775,411**	**–**	**872,873**	**872,873**	**–**	**933,926**	**933,926**
1. सिविल जमा	–	612,850	612,850	–	516,583	516,583	–	579,116	579,116	–	615,139	615,139
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	144,838	144,838	–	168,054	168,054	–	148,501	148,501	–	158,501	158,501
3. सिविल अग्रिम	–	5,754	5,754	–	6,097	6,097	–	5,749	5,749	–	5,757	5,757
4. अन्य	–	105,818	105,818	–	84,677	84,677	–	139,507	139,507	–	154,529	154,529
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**5,609,795**	**5,609,795**	**–**	**3,255,029**	**3,255,029**	**–**	**7,521,949**	**7,521,949**	**–**	**5,023,034**	**5,023,034**
1. उचंत	–	175,459	175,459	–	216,742	216,742	–	161,939	161,939	–	163,027	163,027
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	4,105,062	4,105,062	–	1,970,132	1,970,132	–	6,000,000	6,000,000	–	3,500,000	3,500,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	1,329,274	1,329,274	–	1,068,155	1,068,155	–	1,360,010	1,360,010	–	1,360,007	1,360,007
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**233,555**	**233,555**	**–**	**355,235**	**355,235**	**–**	**190,567**	**190,567**	**–**	**190,567**	**190,567**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**141,640**			**126,858**			**132,996**			**113,536**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-70,334**			**-140,401**			**-36,000**			**-112,923**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**71,306**			**-13,543**			**96,996**			**613**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**71,306**			**-13,543**			**96,996**			**613**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**21,342**			**-13,543**			**-30,998**			**613**
(क) अथशेष			8,320			-12,498			29,661			-1,018
(ख) इतिशेष			29,662			-26,041			-1,337			-405
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**29,476**			**–**			**88,849**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**20,488**			**–**			**39,145**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**57,027**	**436,708**	**493,735**	**86,559**	**383,009**	**469,568**	**96,056**	**678,183**	**774,239**	**97,840**	**637,672**	**735,512**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**57,027**	**23,124**	**80,151**	**86,559**	**14,285**	**100,844**	**96,056**	**47,969**	**144,025**	**97,840**	**40,088**	**137,928**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**57,015**	**6,635**	**63,650**	**86,546**	**6,469**	**93,015**	**96,054**	**6,295**	**102,349**	**97,838**	**6,722**	**104,560**
1. विकास (क + ख)	**52,603**	**4,501**	**57,104**	**67,983**	**3,796**	**71,779**	**82,013**	**4,249**	**86,262**	**67,995**	**4,080**	**72,075**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**21,446**	**11**	**21,457**	**32,805**	**320**	**33,124**	**32,092**	**222**	**32,314**	**25,955**	**330**	**26,285**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	9,261	6	9,267	7,030	12	7,042	6,790	3	6,793	3,162	5	3,167
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	1,048	5	1,053	9,187	308	9,494	8,177	219	8,396	8,744	325	9,069
3. परिवार कल्याण	96	–	96	200	–	200	200	–	200	200	–	200
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	5,964	–	5,964	7,552	–	7,552	9,225	–	9,225	7,457	–	7,457
5. आवास	3,924	–	3,924	4,416	–	4,416	2,451	–	2,451	3,053	–	3,053
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	945	–	945	3,401	–	3,401	3,412	–	3,412	2,226	–	2,226
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	205	–	205	1,020	–	1,020	1,830	–	1,830	993	–	993
9. अन्य *	3	–	3	–	–	–	7	–	7	120	–	120
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**31,157**	**4,490**	**35,647**	**35,179**	**3,476**	**38,655**	**49,921**	**4,027**	**53,948**	**42,040**	**3,750**	**45,790**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,029	471	2,500	5,187	10	5,197	4,218	50	4,268	3,278	500	3,778
(i) फसल कार्य	404	-44	360	834	–	834	836	–	836	789	–	789
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	336	–	336	350	–	350	352	–	352	380	–	380
(iii) पशु पालन	507	–	507	1,101	–	1,101	1,040	–	1,040	1,084	–	1,084
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142	–	142
(v) मत्स्य पालन	5	–	5	318	–	318	276	–	276	112	–	112
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	453	15	468	1,480	10	1,490	344	50	394	152	500	652
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	51	500	551	323	–	323	457	–	457	47	–	47
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	207	–	207	286	–	286	354	–	354	252	–	252
(xi) अन्य @	66	–	66	495	–	495	559	–	559	320	–	320
2. ग्रामीण विकास	2,662	–	2,662	733	–	733	1,539	–	1,539	1,819	–	1,819
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,283	–	2,283	5,505	–	5,505	5,424	–	5,424	5,058	–	5,058
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,225	–	2,225	4,717	–	4,717	6,790	–	6,790	6,523	–	6,523
5. ऊर्जा	11,203	3,146	14,349	11,128	2,316	13,444	13,030	2,516	15,546	9,901	2,000	11,901
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	982	–	982	982	–	982	1,051	–	1,051	1,086	–	1,086
(i) ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	982	–	982	982	–	982	1,051	–	1,051	1,086	–	1,086
7. परिवहन(i + ii)	9,284	873	10,157	6,439	1,150	7,589	16,771	1,461	18,232	13,814	1,250	15,064
(i) सड़क और पुल	9,245	–	9,245	6,291	–	6,291	16,373	–	16,373	13,713	–	13,713
(ii) अन्य **	39	873	912	148	1,150	1,298	398	1,461	1,859	101	1,250	1,351
8. संचार	3	–	3	4	–	4	4	–	4	4	–	4

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	27	–	27	2	–	2	31	–	31	30	–	30
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	459	–	459	483	–	483	1,063	–	1,063	527	–	527
(i) पर्यटन	36	–	36	60	–	60	593	–	593	42	–	42
(ii) अन्य @@	423	–	423	423	–	423	470	–	470	485	–	485
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**4,412**	**2,134**	**6,546**	**18,563**	**2,673**	**21,236**	**14,041**	**2,046**	**16,087**	**29,843**	**2,642**	**32,485**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**13,712**	**13,712**	**–**	**4,959**	**4,959**	**–**	**38,470**	**38,470**	**–**	**30,007**	**30,007**
1. बाजार से ऋण	–	1,792	1,792	–	1,792	1,792	–	1,792	1,792	–	1,971	1,971
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	101	101	–	134	134	–	701	701	–	16	16
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	22	22	–	17	17	–	17	17	–	13	13
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	8,613	8,613	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	618	618	–	204	204	–	24,589	24,589	–	25,193	25,193
8. अन्य	–	2,566	2,566	–	2,812	2,812	–	11,371	11,371	–	2,814	2,814
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**11,197**	**11,197**	**–**	**2,459**	**2,459**	**–**	**2,877**	**2,877**	**–**	**2,909**	**2,909**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	10,779	10,779	–	2,135	2,135	–	2,546	2,546	–	2,596	2,596
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	6	6	–	5	5	–	5	5	–	4	4
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	97	97	–	104	104	–	102	102	–	83	83
4. योजनेतर (i से ii)	–	70	70	–	67	67	–	67	67	–	66	66
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	70	70	–	67	67	–	67	67	–	66	66
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	117	117	–	110	110	–	119	119	–	122	122
7. अन्य	–	128	128	–	38	38	–	38	38	–	38	38
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**12**	**193**	**205**	**13**	**398**	**411**	**2**	**327**	**329**	**2**	**450**	**452**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**12**	**120**	**132**	**13**	**300**	**313**	**2**	**267**	**269**	**2**	**340**	**342**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**–**	**120**	**120**	**–**	**300**	**300**	**–**	**267**	**267**	**–**	**340**	**340**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	120	120	–	300	300	–	267	267	–	340	340
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**12**	**–**	**12**	**13**	**–**	**13**	**2**	**–**	**2**	**2**	**–**	**2**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	12	–	12	13	–	13	2	–	2	2	–	2

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

त्रिपुरा

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**73**	**73**	**–**	**98**	**98**	**–**	**60**	**60**	**–**	**110**	**110**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	73	73	–	98	98	–	60	60	–	110	110
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**28,136**	**28,136**	**–**	**31,589**	**31,589**	**–**	**32,184**	**32,184**	**–**	**33,454**	**33,454**
1. राज्य भविष्य निधि	–	27,674	27,674	–	30,066	30,066	–	31,734	31,734	–	33,000	33,000
2. अन्य	–	462	462	–	1,523	1,523	–	450	450	–	454	454
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**502**	**502**	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**1,100**	**1,100**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	502	502	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,100	1,100
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**22,424**	**22,424**	**–**	**20,100**	**20,100**	**–**	**33,500**	**33,500**	**–**	**35,000**	**35,000**
1. सिविल जमा	–	21,089	21,089	–	18,000	18,000	–	21,000	21,000	–	23,000	23,000
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	1,335	1,335	–	2,100	2,100	–	12,500	12,500	–	12,000	12,000
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**292,317**	**292,317**	**–**	**246,025**	**246,025**	**–**	**513,526**	**513,526**	**–**	**483,025**	**483,025**
1. उचंत	–	-2,411	-2,411	–	6,000	6,000	–	3,500	3,500	–	3,000	3,000
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	294,515	294,515	–	240,000	240,000	–	510,000	510,000	–	480,000	480,000
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	213	213	–	25	25	–	26	26	–	25	25
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**61,591**	**61,591**	**–**	**70,010**	**70,010**	**–**	**50,005**	**50,005**	**–**	**45,005**	**45,005**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-5,170**			**-60,119**			**-70,069**			**-66,260**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**39,427**			**31,417**			**51,510**			**44,116**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**34,257**			**-28,702**			**-18,559**			**-22,144**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**34,257**			**-28,702**			**-18,559**			**-22,144**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**5,405**			**-28,702**			**-21,129**			**-22,144**
(क) अथशेष			-9,642			25,131			25,131			20,000
(ख) इतिशेष			-4,237			-3,571			4,002			-2,144
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**28,852**			**–**			**2,570**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उत्तरांचल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**120,745**	**2,556,884**	**2,677,629**	**175,208**	**738,539**	**913,747**	**196,840**	**740,182**	**937,022**	**270,897**	**1,081,767**	**1,352,664**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**120,745**	**12,275**	**133,020**	**175,208**	**21,591**	**196,799**	**196,840**	**23,297**	**220,137**	**270,897**	**32,025**	**302,922**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**107,043**	**5,693**	**112,736**	**159,163**	**7,246**	**166,409**	**180,795**	**8,952**	**189,747**	**239,870**	**13,700**	**253,570**
1. विकास (क + ख)	**96,250**	**2,617**	**98,867**	**139,773**	**1,170**	**140,943**	**171,275**	**1,970**	**173,245**	**223,487**	**1,050**	**224,537**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**15,643**	**684**	**16,327**	**22,969**	**1,050**	**24,019**	**24,794**	**1,050**	**25,844**	**45,931**	**1,050**	**46,981**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4,501	–	4,501	5,512	–	5,512	7,034	–	7,034	16,963	–	16,963
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	5,051	–	5,051	7,438	–	7,438	7,588	–	7,588	13,278	–	13,278
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,815	–	2,815
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	1,224	684	1,908	2,615	1,050	3,665	2,731	1,050	3,781	4,364	1,050	5,414
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,383	–	3,383	6,069	–	6,069	6,091	–	6,091	7,266	–	7,266
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	962	–	962	860	–	860	875	–	875	335	–	335
9. अन्य *	522	–	522	475	–	475	475	–	475	910	–	910
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**80,607**	**1,933**	**82,540**	**116,804**	**120**	**116,924**	**146,481**	**920**	**147,401**	**177,556**	**–**	**177,556**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	2,472	1,933	4,405	12,314	120	12,434	13,073	120	13,193	15,941	–	15,941
(i) फसल कार्य	-30	131	101	70	120	190	70	120	190	761	–	761
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	59	–	59	299	–	299	701	–	701	1,405	–	1,405
(iv) डेरी विकास	496	–	496	324	–	324	431	–	431	388	–	388
(v) मत्स्य पालन	69	–	69	50	–	50	50	–	50	437	–	437
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	321	–	321	10,500	–	10,500	10,750	–	10,750	11,450	–	11,450
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	58	1,802	1,860	71	–	71	71	–	71	500	–	500
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	1,499	–	1,499	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	3,636	–	3,636	3,625	–	3,625	3,936	–	3,936	8,250	–	8,250
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	11,236	–	11,236	13,187	–	13,187	22,649	800	23,449	37,370	–	37,370
5. ऊर्जा	16,661	–	16,661	20,500	–	20,500	20,500	–	20,500	33,890	–	33,890
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	9,284	–	9,284	21,261	–	21,261	25,461	–	25,461	14,455	–	14,455
(i) ग्राम और लघु उद्योग	54	–	54	340	–	340	340	–	340	360	–	360
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	9,230	–	9,230	20,921	–	20,921	25,121	–	25,121	14,095	–	14,095
7. परिवहन(i + ii)	33,829	–	33,829	42,053	–	42,053	55,998	–	55,998	60,475	–	60,475
(i) सड़क और पुल	29,761	–	29,761	38,453	–	38,453	48,253	–	48,253	54,300	–	54,300
(ii) अन्य **	4,068	–	4,068	3,600	–	3,600	7,745	–	7,745	6,175	–	6,175
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उत्तरांचल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	3,489	–	3,489	3,864	–	3,864	4,864	–	4,864	7,175	–	7,175
(i) पर्यटन	3,489	–	3,489	3,864	–	3,864	4,864	–	4,864	7,175	–	7,175
(ii) अन्य @@	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**10,793**	**3,076**	**13,869**	**19,390**	**6,076**	**25,466**	**9,520**	**6,982**	**16,502**	**16,383**	**12,650**	**29,033**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**85,266**	**85,266**	**–**	**40,549**	**40,549**	**–**	**40,549**	**40,549**	**–**	**43,957**	**43,957**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	5,519	5,519	–	5,519	5,519	–	8,099	8,099
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	4,220	4,220	–	4,220	4,220	–	4,400	4,400
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	800	800	–	800	800	–	1,000	1,000
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	85,266	85,266	–	30,000	30,000	–	30,000	30,000	–	30,000	30,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	400	400
8. अन्य	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	58	58
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**2,184**	**2,184**	**–**	**2,291**	**2,291**	**–**	**2,291**	**2,291**	**–**	**2,813**	**2,813**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	1,306	1,306	–	1,500	1,500	–	1,500	1,500	–	2,620	2,620
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	1
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	96	96	–	122	122	–	122	122	–	122	122
4. योजनेतर (i से ii)	–	68	68	–	68	68	–	68	68	–	70	70
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	68	68	–	68	68	–	68	68	–	70	70
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	713	713	–	600	600	–	600	600	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**13,702**	**4,399**	**18,101**	**16,045**	**1,505**	**17,550**	**16,045**	**1,505**	**17,550**	**31,027**	**1,555**	**32,582**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**13,702**	**4,345**	**18,047**	**16,045**	**1,160**	**17,205**	**16,045**	**1,160**	**17,205**	**31,027**	**1,190**	**32,217**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**689**	**761**	**1,450**	**300**	**1,160**	**1,460**	**300**	**1,160**	**1,460**	**5,400**	**1,190**	**6,590**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	189	–	189	300	–	300	300	–	300	400	–	400
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	761	761	–	1,040	1,040	–	1,040	1,040	–	1,040	1,040
7. अन्य	500	–	500	–	120	120	–	120	120	5,000	150	5,150
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**13,013**	**3,584**	**16,597**	**15,745**	**–**	**15,745**	**15,745**	**–**	**15,745**	**25,627**	**–**	**25,627**
1. फसल कार्य	535	3,584	4,119	35	–	35	35	–	35	35	–	35
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	167	–	167	501	–	501	501	–	501	501	–	501

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उत्तरांचल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	12,311	–	12,311	15,209	–	15,209	15,209	–	15,209	25,091	–	25,091
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**54**	**54**	**–**	**345**	**345**	**–**	**345**	**345**	**–**	**365**	**365**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	51	51	–	270	270	–	270	270	–	290	290
(ख) विविध	–	3	3	–	75	75	–	75	75	–	75	75
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**1,623**	**1,623**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**18,725**	**18,725**	**–**	**19,819**	**19,819**	**–**	**19,819**	**19,819**	**–**	**28,233**	**28,233**
1. राज्य भविष्य निधि	–	18,050	18,050	–	19,241	19,241	–	19,241	19,241	–	27,389	27,389
2. अन्य	–	675	675	–	578	578	–	578	578	–	844	844
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**25,756**	**25,756**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,000**	**1,000**	**–**	**17,500**	**17,500**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	9,500	9,500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	16,256	16,256	–	–	–	–	1,000	1,000	–	17,500	17,500
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**168,184**	**168,184**	**–**	**108,303**	**108,303**	**–**	**107,240**	**107,240**	**–**	**158,121**	**158,121**
1. सिविल जमा	–	103,095	103,095	–	43,228	43,228	–	44,228	44,228	–	63,113	63,113
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	56,288	56,288	–	65,075	65,075	–	63,012	63,012	–	95,008	95,008
3. सिविल अग्रिम	–	8,801	8,801	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**2,077,388**	**2,077,388**	**–**	**420,776**	**420,776**	**–**	**420,776**	**420,776**	**–**	**614,334**	**614,334**
1. उचंत	–	-15,006	-15,006	–	13,776	13,776	–	13,776	13,776	–	20,114	20,114
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	292,667	292,667	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	1,369,218	1,369,218	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	430,509	430,509	–	407,000	407,000	–	407,000	407,000	–	594,220	594,220
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**167,667**	**167,667**	**–**	**138,050**	**138,050**	**–**	**138,050**	**138,050**	**–**	**201,553**	**201,553**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**90,052**			**32,579**			**33,133**			**-27,575**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-95,014**			**-43,360**			**-42,341**			**-15,571**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**-4,962**			**-10,781**			**-9,208**			**-43,146**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**-4,962**			**-10,781**			**-9,208**			**-43,146**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**6,183**			**-10,781**			**-9,208**			**-43,146**
(क) अथशेष			-6,928			-32,927			-2,033			-11,042
(ख) इतिशेष			-745			-43,708			-11,241			-54,188
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-7,667**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**-3,478**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**510,642**	**16,251,813**	**16,762,455**	**777,393**	**5,322,365**	**6,099,758**	**982,201**	**5,382,343**	**6,364,544**	**1,284,542**	**5,486,710**	**6,771,252**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**510,642**	**940,760**	**1,451,402**	**777,393**	**255,019**	**1,032,412**	**982,201**	**237,495**	**1,219,696**	**1,284,542**	**348,331**	**1,632,873**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**461,872**	**103,461**	**565,333**	**741,319**	**48,471**	**789,790**	**923,269**	**48,526**	**971,795**	**1,227,152**	**116,569**	**1,343,721**
1. विकास (क + ख)	**440,236**	**99,554**	**539,790**	**712,773**	**45,653**	**758,426**	**878,900**	**42,980**	**921,880**	**1,202,331**	**81,262**	**1,283,593**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**48,570**	**1,052**	**49,622**	**81,950**	**1,149**	**83,099**	**113,648**	**1,483**	**115,131**	**195,659**	**2,176**	**197,835**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	10,662	–	10,662	11,876	–	11,876	33,935	–	33,935	21,254	35	21,289
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	21,360	404	21,764	43,885	–	43,885	49,729	–	49,729	138,031	1,104	139,135
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	9,947	–	9,947	14,953	–	14,953	16,577	–	16,577	18,553	–	18,553
5. आवास	2,202	628	2,830	1,799	450	2,249	3,379	784	4,163	7,434	974	8,408
6. शहरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,450	–	3,450	8,721	–	8,721	8,771	–	8,771	5,592	–	5,592
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	450	–	450	329	–	329	551	–	551	652	6	658
9. अन्य *	499	20	519	387	699	1,086	706	699	1,405	4,143	57	4,200
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**391,666**	**98,502**	**490,168**	**630,823**	**44,504**	**675,327**	**765,252**	**41,497**	**806,749**	**1,006,672**	**79,086**	**1,085,758**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	7,709	87,724	95,433	15,294	21,265	36,559	21,220	1	21,221	36,223	87	36,310
(i) फसल कार्य	-81	454	373	3,166	–	3,166	384	–	384	9,978	–	9,978
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	684	–	684	3,031	–	3,031	3,342	–	3,342	5,601	86	5,687
(iv) डेरी विकास	144	–	144	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	5,371	–	5,371	7,065	–	7,065	15,017	–	15,017	16,915	–	16,915
(vii) बागान	491	–	491	509	–	509	509	–	509	470	–	470
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	87,270	87,270	–	21,265	21,265	–	1	1	–	1	1
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	715	–	715	1,268	–	1,268	1,275	–	1,275	3,109	–	3,109
(x) सहकारिता	385	–	385	255	–	255	693	–	693	150	–	150
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	50,864	–	50,864	63,800	–	63,800	65,103	–	65,103	56,151	–	56,151
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	31,919	–	31,919	57,200	–	57,200	60,200	–	60,200	59,950	15,000	74,950
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	87,866	–	87,866	184,536	–	184,536	171,408	–	171,408	236,688	–	236,688
5. ऊर्जा	104,618	–	104,618	70,664	–	70,664	128,197	–	128,197	283,966	28,075	312,041
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	-1,067	28	-1,039	508	–	508	2,084	–	2,084	952	–	952
(i) ग्राम और लघु उद्योग	-1,067	-34	-1,101	–	–	–	100	–	100	100	–	100
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	62	62	40	–	40	40	–	40	30	–	30
(iv) अन्य #	–	–	–	468	–	468	1,944	–	1,944	822	–	822
7. परिवहन(i + ii)	108,255	10,961	119,216	238,092	23,250	261,342	310,058	41,496	351,554	324,679	35,924	360,603
(i) सड़क और पुल	104,434	10,961	115,395	234,242	23,250	257,492	306,208	41,496	347,704	318,128	35,924	354,052
(ii) अन्य **	3,821	–	3,821	3,850	–	3,850	3,850	–	3,850	6,551	–	6,551
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	-254	-254	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	1,502	43	1,545	729	-11	718	6,982	–	6,982	8,063	–	8,063
(i) पर्यटन	1,502	–	1,502	729	–	729	6,982	–	6,982	8,063	–	8,063
(ii) अन्य @@	–	43	43	–	-11	-11	–	–	–	–	–	–
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**21,636**	**3,907**	**25,543**	**28,546**	**2,818**	**31,364**	**44,369**	**5,546**	**49,915**	**24,821**	**35,307**	**60,128**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**2,736,676**	**2,736,676**	**–**	**1,137,293**	**1,137,293**	**–**	**1,187,295**	**1,187,295**	**–**	**1,241,571**	**1,241,571**
1. बाजार से ऋण	–	157,478	157,478	–	44	44	–	26	26	–	26	26
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	722	722	–	722	722	–	722	722	–	692	692
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	92,500	92,500	–	90,000	90,000	–	140,000	140,000	–	150,000	150,000
4. नाबार्ड से ऋण	–	31,253	31,253	–	28,533	28,533	–	28,533	28,533	–	25,844	25,844
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	5,897	5,897	–	711	711	–	731	731	–	341	341
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	2,022,552	2,022,552	–	1,000,000	1,000,000	–	1,000,000	1,000,000	–	1,000,000	1,000,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	423,867	423,867	–	15,459	15,459	–	15,459	15,459	–	34,039	34,039
8. अन्य	–	2,407	2,407	–	1,824	1,824	–	1,824	1,824	–	30,629	30,629
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	1	1	–	11	11	–	11	11	–	11	11
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**201,545**	**201,545**	**–**	**136,056**	**136,056**	**–**	**118,157**	**118,157**	**–**	**119,041**	**119,041**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	185,471	185,471	–	124,021	124,021	–	115,251	115,251	–	116,251	116,251
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	12	12	–	12	12	–	12	12	–	11	11
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	1,823	1,823	–	2,421	2,421	–	2,110	2,110	–	2,003	2,003
4. योजनेतर (i से ii)	–	786	786	–	776	776	–	784	784	–	776	776
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	786	786	–	776	776	–	784	784	–	776	776
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	13,453	13,453	–	8,826	8,826	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**48,770**	**14,129**	**62,899**	**36,074**	**23,197**	**59,271**	**58,932**	**23,517**	**82,449**	**57,390**	**21,151**	**78,541**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**48,769**	**13,937**	**62,706**	**36,074**	**22,397**	**58,471**	**58,932**	**22,937**	**81,869**	**57,390**	**20,569**	**77,959**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**13,394**	**5,060**	**18,454**	**16,712**	**12,396**	**29,108**	**32,253**	**12,246**	**44,499**	**35,316**	**12,718**	**48,034**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	791	–	791	791	–	791
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	12,881	–	12,881	6,300	–	6,300	20,000	–	20,000	14,000	–	14,000
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	2	1,744	1,746	–	2,396	2,396	–	2,246	2,246	–	2,718	2,718
7. अन्य	511	3,316	3,827	10,412	10,000	20,412	11,462	10,000	21,462	20,525	10,000	30,525
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**35,375**	**8,877**	**44,252**	**19,362**	**10,001**	**29,363**	**26,679**	**10,691**	**37,370**	**22,074**	**7,851**	**29,925**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	2,000	2,000	–	2,000	2,000	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	541	–	541	206	–	206	2,048	–	2,048	6,339	–	6,339

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	28,834	–	28,834	9,091	–	9,091	9,091	–	9,091	–	–	–
7. ग्राम और लघु उद्योग	–	416	416	40	1	41	246	501	747	–	301	301
8. अन्य उद्योग और खनिज	–	6,651	6,651	125	8,000	8,125	2,894	8,000	10,894	2,029	7,500	9,529
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	6,000	1,810	7,810	9,900	–	9,900	12,400	190	12,590	13,706	50	13,756
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**1**	**192**	**193**	**–**	**800**	**800**	**–**	**580**	**580**	**–**	**582**	**582**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	1	192	193	–	800	800	–	580	580	–	582	582
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**4,331**	**4,331**	**–**	**–**	**–**	**–**	**27,500**	**27,500**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**141,572**	**141,572**	**–**	**231,052**	**231,052**	**–**	**231,052**	**231,052**	**–**	**233,647**	**233,647**
1. राज्य भविष्य निधि	–	135,268	135,268	–	225,764	225,764	–	225,764	225,764	–	228,359	228,359
2. अन्य	–	6,304	6,304	–	5,288	5,288	–	5,288	5,288	–	5,288	5,288
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**45,895**	**45,895**	**–**	**131,200**	**131,200**	**–**	**131,200**	**131,200**	**–**	**141,564**	**141,564**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	100	100	–	100	100	–	100	100	–	3,000	3,000
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	103,404	103,404	–	103,404	103,404	–	97,927	97,927
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	45,795	45,795	–	27,696	27,696	–	27,696	27,696	–	40,637	40,637
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,260,084**	**1,260,084**	**–**	**523,915**	**523,915**	**–**	**523,915**	**523,915**	**–**	**525,965**	**525,965**
1. सिविल जमा	–	360,350	360,350	–	259,160	259,160	–	259,160	259,160	–	259,710	259,710
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	484,092	484,092	–	264,755	264,755	–	264,755	264,755	–	266,255	266,255
3. सिविल अग्रिम	–	9,225	9,225	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	406,417	406,417	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**11,244,012**	**11,244,012**	**–**	**2,841,179**	**2,841,179**	**–**	**2,841,179**	**2,841,179**	**–**	**2,835,701**	**2,835,701**
1. उचंत	–	-821,153	-821,153	–	75,015	75,015	–	75,015	75,015	–	75,015	75,015
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	406,155	406,155	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	8,754,360	8,754,360	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	2,904,650	2,904,650	–	2,766,164	2,766,164	–	2,766,164	2,766,164	–	2,760,686	2,760,686
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**500,107**	**500,107**	**–**	**250,000**	**250,000**	**–**	**250,000**	**250,000**	**–**	**251,500**	**251,500**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**726,046**			**594,169**			**265,431**			**-98,397**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-699,297**			**-540,347**			**-313,201**			**112,317**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**26,749**			**53,822**			**-47,770**			**13,920**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**26,749**			**53,822**			**-47,770**			**13,920**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**53,250**			**53,822**			**-47,770**			**13,920**
(क) अथशेष			-63,010			-121,238			-2,548			-50,317
(ख) इतिशेष			-9,760			-67,416			-50,318			-36,397
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**-23,953**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**-2,548**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**180,035**	**9,969,045**	**10,149,080**	**357,311**	**7,751,777**	**8,109,088**	**304,379**	**8,342,907**	**8,647,286**	**367,664**	**8,185,576**	**8,553,240**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**180,035**	**354,728**	**534,763**	**357,311**	**350,682**	**707,993**	**304,379**	**707,055**	**1,011,434**	**367,664**	**394,903**	**762,567**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**82,671**	**100,781**	**183,452**	**152,110**	**17,162**	**169,272**	**167,248**	**17,126**	**184,374**	**200,726**	**3,501**	**204,227**
1. विकास (क + ख)	**80,612**	**100,396**	**181,008**	**147,360**	**16,171**	**163,531**	**162,421**	**16,135**	**178,556**	**192,320**	**2,466**	**194,786**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**14,248**	**727**	**14,975**	**44,980**	**125**	**45,105**	**44,859**	**42**	**44,901**	**66,891**	**42**	**66,933**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	642	–	642	1,250	–	1,250	1,065	–	1,065	2,197	–	2,197
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,360	–	6,360	18,657	–	18,657	14,532	–	14,532	16,938	–	16,938
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	3,527	–	3,527	18,219	–	18,219	21,880	–	21,880	37,552	–	37,552
5. आवास	1,116	681	1,797	2,301	116	2,417	1,852	31	1,883	3,444	32	3,476
6. शहरी विकास	196	–	196	534	–	534	500	–	500	891	–	891
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	769	–	769	1,090	–	1,090	1,263	–	1,263	1,196	–	1,196
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,397	46	1,443	2,538	9	2,547	2,661	11	2,672	3,097	10	3,107
9. अन्य *	241	–	241	391	–	391	1,106	–	1,106	1,576	–	1,576
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**66,364**	**99,669**	**166,033**	**102,380**	**16,046**	**118,426**	**117,562**	**16,093**	**133,655**	**125,429**	**2,424**	**127,853**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	1,763	–	1,763	5,589	900	6,489	4,915	900	5,815	6,674	900	7,574
(i) फसल कार्य	18	–	18	1,075	–	1,075	569	–	569	1,230	–	1,230
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) पशु पालन	25	–	25	265	–	265	65	–	65	139	–	139
(iv) डेरी विकास	46	–	46	239	–	239	427	–	427	641	–	641
(v) मत्स्य पालन	1,124	–	1,124	1,415	–	1,415	1,415	–	1,415	1,915	–	1,915
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	238	–	238	1,500	–	1,500	800	–	800	1,500	–	1,500
(vii) बागान	120	–	120	120	–	120	91	–	91	152	–	152
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	12	–	12	95	900	995	46	900	946	186	900	1,086
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	-127	–	-127	140	–	140	762	–	762	141	–	141
(xi) अन्य @	307	–	307	740	–	740	740	–	740	770	–	770
2. ग्रामीण विकास	3	–	3	5	–	5	5	–	5	5	–	5
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	4,941	–	4,941	5,228	–	5,228	7,197	–	7,197	6,736	–	6,736
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	80	–	80	80	–	80	80	–	80	88	–	88
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	16,321	41	16,362	29,709	52	29,761	26,208	52	26,260	44,087	54	44,141
5. ऊर्जा	18,184	15,000	33,184	16,200	15,000	31,200	48,668	15,000	63,668	19,416	–	19,416
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,996	84,175	86,171	3,286	–	3,286	4,114	–	4,114	2,576	–	2,576
(i) ग्राम और लघु उद्योग	548	1	549	332	–	332	2,128	–	2,128	538	–	538
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	1,448	84,174	85,622	2,954	–	2,954	1,986	–	1,986	2,038	–	2,038
7. परिवहन(i + ii)	23,121	452	23,573	41,925	47	41,972	24,814	88	24,902	43,383	1,417	44,800
(i) सड़क और पुल	17,004	–	17,004	38,484	47	38,531	19,234	88	19,322	43,383	49	43,432
(ii) अन्य **	6,117	452	6,569	3,441	–	3,441	5,580	–	5,580	–	1,368	1,368
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	35	1	36	438	47	485	1,641	53	1,694	2,552	53	2,605
(i) पर्यटन	35	–	35	252	–	252	455	–	455	352	–	352
(ii) अन्य @@	–	1	1	186	47	233	1,186	53	1,239	2,200	53	2,253
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**2,059**	**385**	**2,444**	**4,750**	**991**	**5,741**	**4,827**	**991**	**5,818**	**8,406**	**1,035**	**9,441**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**1,524,745**	**1,524,745**	**–**	**591,958**	**591,958**	**–**	**599,684**	**599,684**	**–**	**382,962**	**382,962**
1. बाजार से ऋण	–	42,128	42,128	–	44,742	44,742	–	44,742	44,742	–	49,217	49,217
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	466	466	–	550	550	–	475	475	–	500	500
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	262	262	–	270	270	–	280	280	–	271	271
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	3,039	3,039	–	3,550	3,550	–	3,050	3,050	–	3,200	3,200
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	1,372,901	1,372,901	–	350,000	350,000	–	–	–	–	100,000	100,000
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	-13,091	-13,091	–	50,167	50,167	–	427,986	427,986	–	85,869	85,869
8. अन्य	–	119,040	119,040	–	142,679	142,679	–	123,151	123,151	–	143,905	143,905
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	9	9	–	30	30	–	30	30	–	9,849	9,849
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**65,731**	**65,731**	**–**	**83,447**	**83,447**	**–**	**82,332**	**82,332**	**–**	**88,371**	**88,371**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	53,704	53,704	–	58,836	58,836	–	57,820	57,820	–	64,471	64,471
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	36	36	–	34	34	–	35	35	–	34	34
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	498	498	–	569	569	–	506	506	–	459	459
4. योजनेतर (i से ii)	–	1,737	1,737	–	16,372	16,372	–	16,335	16,335	–	16,329	16,329
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	1,737	1,737	–	16,372	16,372	–	16,335	16,335	–	16,329	16,329
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	9,756	9,756	–	7,636	7,636	–	7,636	7,636	–	7,078	7,078
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**97,364**	**36,372**	**133,736**	**205,201**	**8,115**	**213,316**	**137,131**	**7,915**	**145,046**	**166,938**	**20,069**	**187,007**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**97,364**	**36,194**	**133,558**	**205,201**	**7,565**	**212,766**	**137,131**	**7,395**	**144,526**	**166,938**	**19,419**	**186,357**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**2,003**	**595**	**2,598**	**8,646**	**255**	**8,901**	**3,501**	**155**	**3,656**	**–**	**12,234**	**12,234**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	5	5	–	5	5	–	5	5
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	–	609	609	–	200	200	–	100	100	–	100	100
7. अन्य	2,003	-14	1,989	8,646	50	8,696	3,501	50	3,551	–	12,129	12,129
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**95,361**	**35,599**	**130,960**	**196,555**	**7,310**	**203,865**	**133,630**	**7,240**	**140,870**	**166,938**	**7,185**	**174,123**
1. फसल कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	731	–	731	232	20	252	295	20	315	224	20	244

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

पश्चिम बंगाल

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	80,195	35,000	115,195	191,635	200	191,835	129,078	200	129,278	157,112	–	157,112
7. ग्राम और लघु उद्योग	50	106	156	241	200	441	245	75	320	324	75	399
8. अन्य उद्योग और खनिज	11,223	50	11,273	1,200	6,470	7,670	965	6,545	7,510	2,890	6,690	9,580
9. ग्रामीण विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. अन्य	3,162	443	3,605	3,247	420	3,667	3,047	400	3,447	6,388	400	6,815
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**–**	**178**	**178**	**–**	**550**	**550**	**–**	**520**	**520**	**–**	**650**	**650**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	–	178	178	–	550	550	–	520	520	–	650	650
(ख) विविध	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**248**	**248**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**86,585**	**86,585**	**–**	**95,500**	**95,500**	**–**	**95,302**	**95,302**	**–**	**104,582**	**104,582**
1. राज्य भविष्य निधि	–	84,364	84,364	–	93,000	93,000	–	92,802	92,802	–	102,082	102,082
2. अन्य	–	2,221	2,221	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500	–	2,500	2,500
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**28,420**	**28,420**	**–**	**68,329**	**68,329**	**–**	**44,157**	**44,157**	**–**	**53,319**	**53,319**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	31,600	31,600	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	28,420	28,420	–	36,728	36,728	–	44,156	44,156	–	53,319	53,319
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**1,025,153**	**1,025,153**	**–**	**990,295**	**990,295**	**–**	**1,077,694**	**1,077,694**	**–**	**1,035,376**	**1,035,376**
1. सिविल जमा	–	135,544	135,544	–	151,446	151,446	–	169,539	169,539	–	188,262	188,262
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	362,043	362,043	–	471,249	471,249	–	500,065	500,065	–	434,030	434,030
3. सिविल अग्रिम	–	16,036	16,036	–	16,126	16,126	–	16,511	16,511	–	17,016	17,016
4. अन्य	–	511,530	511,530	–	351,474	351,474	–	391,579	391,579	–	396,068	396,068
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**6,921,184**	**6,921,184**	**–**	**5,656,133**	**5,656,133**	**–**	**6,202,375**	**6,202,375**	**–**	**6,260,343**	**6,260,343**
1. उचंत	–	376,568	376,568	–	6,330	6,330	–	17,287	17,287	–	8,980	8,980
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	301,390	301,390	–	20,000	20,000	–	359,833	359,833	–	230,153	230,153
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	4,719,686	4,719,686	–	4,150,000	4,150,000	–	4,200,000	4,200,000	–	4,500,000	4,500,000
4. अन्य	–	1,523,540	1,523,540	–	1,479,803	1,479,803	–	1,625,255	1,625,255	–	1,521,210	1,521,210
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**179,826**	**179,826**	**–**	**240,837**	**240,837**	**–**	**216,323**	**216,323**	**–**	**237,053**	**237,053**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**980,233**			**954,923**			**932,318**			**913,774**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-822,793**			**-979,692**			**-859,777**			**-833,924**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**157,440**			**-24,769**			**72,541**			**79,851**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**157,440**			**-24,769**			**72,541**			**79,851**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)			**-18,842**			**-24,769**			**22,708**			**49,698**
(क) अथशेष			-4,267			-1,600			-23,109			-400
(ख) इतिशेष			-23,109			-26,369			-401			49,298
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**93,231**			**–**			**49,833**			**30,153**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**83,050**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**287,724**	**417,070**	**704,794**	**399,183**	**81,454**	**480,637**	**274,346**	**406,637**	**680,983**	**311,263**	**269,719**	**580,982**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**287,724**	**417,070**	**704,794**	**399,183**	**81,454**	**480,637**	**274,346**	**406,637**	**680,983**	**311,263**	**269,719**	**580,982**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**136,222**	**6,328**	**142,550**	**182,668**	**418**	**183,086**	**157,935**	**430**	**158,365**	**195,918**	**414**	**196,332**
1. विकास (क + ख)	**126,897**	**6,328**	**133,225**	**167,863**	**418**	**168,281**	**149,365**	**430**	**149,795**	**173,243**	**414**	**173,657**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**33,211**	**6,125**	**39,336**	**64,137**	**–**	**64,137**	**37,035**	**–**	**37,035**	**53,501**	**–**	**53,501**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	11,636	–	11,636	15,504	–	15,504	10,731	–	10,731	17,485	–	17,485
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	14,945	–	14,945	17,785	–	17,785	14,227	–	14,227	16,720	–	16,720
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. आवास	895	–	895	2,001	–	2,001	1,875	–	1,875	3,600	–	3,600
6. शहरी विकास	3,129	6,125	9,254	23,866	–	23,866	5,856	–	5,856	11,810	–	11,810
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,126	–	1,126	2,500	–	2,500	2,391	–	2,391	2,301	–	2,301
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	774	–	774	1,786	–	1,786	963	–	963	980	–	980
9. अन्य *	706	–	706	695	–	695	992	–	992	605	–	605
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**93,686**	**203**	**93,889**	**103,726**	**418**	**104,144**	**112,330**	**430**	**112,760**	**119,742**	**414**	**120,156**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	315	1	316	800	4	804	10,542	4	10,546	840	–	840
(i) फसल कार्य	40	1	41	64	4	68	21	4	25	40	–	40
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	5	–	5	5	–	5	15	–	15
(iii) पशु पालन	13	–	13	75	–	75	179	–	179	132	–	132
(iv) डेरी विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(v) मत्स्य पालन	–	–	–	6	–	6	6	–	6	3	–	3
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	262	–	262	650	–	650	10,331	–	10,331	650	–	650
(vii) बागान	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(x) सहकारिता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(xi) अन्य @	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ग्रामीण विकास	1,479	–	1,479	3,745	–	3,745	3,740	–	3,740	3,320	–	3,320
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,632	202	1,834	1,690	414	2,104	4,201	426	4,627	2,855	414	3,269
5. ऊर्जा	50	–	50	2,503	–	2,503	2,003	–	2,003	2,003	–	2,003
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	115	–	115	914	–	914	1,000	–	1,000	4,269	–	4,269
(i) ग्राम और लघु उद्योग	115	–	115	913	–	913	1,000	–	1,000	4,214	–	4,214
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) अन्य #	–	–	–	1	–	1	–	–	–	55	–	55
7. परिवहन(i + ii)	89,542	–	89,542	93,247	–	93,247	90,426	–	90,426	105,630	–	105,630
(i) सड़क और पुल	48,655	–	48,655	40,550	–	40,550	54,400	–	54,400	53,500	–	53,500
(ii) अन्य **	40,887	–	40,887	52,697	–	52,697	36,026	–	36,026	52,130	–	52,130
8. संचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	25	–	25	140	–	140	140	–	140	140	–	140
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	528	–	528	687	–	687	278	–	278	685	–	685
(i) पर्यटन	522	–	522	607	–	607	207	–	207	600	–	600
(ii) अन्य @@	6	–	6	80	–	80	71	–	71	85	–	85
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**9,325**	**–**	**9,325**	**14,805**	**–**	**14,805**	**8,570**	**–**	**8,570**	**22,675**	**–**	**22,675**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**–**	**–**	**–**	**5,825**	**5,825**	**–**	**211,625**	**211,625**	**–**	**97,898**	**97,898**
1. बाजार से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. नाबार्ड से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	–	–	–	5,825	5,825	–	211,625	211,625	–	97,898	97,898
8. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**230,165**	**230,165**	**–**	**12,512**	**12,512**	**–**	**16,542**	**16,542**	**–**	**–**	**–**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	230,165	230,165	–	12,512	12,512	–	16,542	16,542	–	–	–
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. योजनेतर (i से ii)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**151,502**	**180,575**	**332,077**	**216,515**	**62,700**	**279,215**	**116,411**	**178,040**	**294,451**	**115,345**	**171,406**	**286,751**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**151,445**	**82,800**	**234,245**	**216,515**	**10,000**	**226,515**	**116,411**	**121,554**	**237,965**	**115,245**	**113,972**	**229,217**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**79,219**	**–**	**79,219**	**89,825**	**–**	**89,825**	**83,572**	**–**	**83,572**	**90,004**	**–**	**90,004**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. परिवार कल्याण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	68,695	–	68,695	72,220	–	72,220	69,120	–	69,120	74,800	–	74,800
5. आवास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	66	–	66	150	–	150	–	–	–	100	–	100
7. अन्य	10,458	–	10,458	17,455	–	17,455	14,452	–	14,452	15,104	–	15,104
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**72,226**	**82,800**	**155,026**	**126,690**	**10,000**	**136,690**	**32,839**	**121,554**	**154,393**	**25,241**	**113,972**	**139,213**
1. फसल कार्य	–	–	–	32	–	32	20	–	20	20	–	20
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. सहकारिता	–	–	–	18	–	18	8	–	8	25	–	25

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. बिजली परियोजना	62,226	26,271	88,497	45,800	10,000	55,800	26,600	15,000	41,600	19,000	15,000	34,000
7. ग्राम और लघु उद्योग	114	–	114	156	–	156	172	–	172	158	–	158
8. अन्य उद्योग और खनिज	1,000	–	1,000	1,000	–	1,000	–	–	–	–	–	–
9. ग्रामीण विकास	4,500	–	4,500	5,500	–	5,500	6,000	–	6,000	6,000	–	6,000
10. अन्य	4,386	56,529	60,915	74,184	–	74,184	39	106,554	106,593	38	98,972	99,010
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**57**	**97,775**	**97,832**	**–**	**52,700**	**52,700**	**–**	**56,486**	**56,486**	**100**	**57,434**	**57,534**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	57	–	57	–	200	200	–	200	200	100	–	100
(ख) विविध	–	97,775	97,775	–	52,500	52,500	–	56,286	56,286	–	57,434	57,434
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. राज्य भविष्य निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. ऋणशोधन निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. सिविल जमा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. सिविल अग्रिम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
1. उचंत	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**
XII. विप्रेषण	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**-250,864**			**-235,907**			**-203,894**			**-562,250**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**273,515**			**235,907**			**264,781**			**356,307**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**22,651**			**–**			**60,887**			**-205,943**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**22,651**			**–**			**60,887**			**-205,943**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)++			**22,651**			**–**			**60,887**			**-205,943**
(क) अथशेष			–			–			–			–
(ख) इतिशेष			–			–			–			–
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**–**			**–**			**–**			**–**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**–**			**–**			**–**			**–**

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	**5,896,765**	**108,267,099**	**114,163,864**	**7,970,611**	**61,919,482**	**69,890,093**	**8,620,093**	**95,501,484**	**104,121,577**	**9,889,750**	**79,615,077**	**89,504,827**
कुल पूंजी संवितरण (लोक लेखा को छोड़कर) $	**5,882,466**	**9,898,068**	**15,780,534**	**7,956,022**	**4,373,849**	**12,329,871**	**8,604,704**	**5,028,529**	**13,633,233**	**9,874,166**	**4,472,947**	**14,347,114**
I. कुल पूंजीगत परिव्यय (1 + 2)	**5,119,079**	**1,036,774**	**6,155,853**	**7,039,405**	**665,386**	**7,704,792**	**7,744,470**	**790,513**	**8,534,983**	**9,019,454**	**631,144**	**9,650,598**
1. विकास (क + ख)	**4,950,529**	**938,322**	**5,888,851**	**6,697,949**	**561,037**	**7,258,987**	**7,455,311**	**715,112**	**8,170,423**	**8,700,705**	**510,369**	**9,211,074**
(क) समाज सेवा (1 से 9)	**1,169,670**	**38,203**	**1,207,873**	**1,630,787**	**64,105**	**1,694,892**	**1,609,319**	**48,127**	**1,657,446**	**1,815,269**	**57,151**	**1,872,420**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	108,204	1,813	110,017	149,067	19,928	168,995	200,744	782	201,526	233,458	2,065	235,523
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	112,990	2,763	115,753	202,078	1,386	203,463	201,240	1,097	202,338	325,750	2,675	328,425
3. परिवार कल्याण	319	–	319	7,421	–	7,421	2,462	11	2,473	7,789	–	7,789
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	510,174	7,788	517,962	519,519	25,974	545,493	522,214	26,917	549,131	647,115	32,872	679,987
5. आवास	86,649	11,815	98,464	67,101	13,212	80,313	74,313	12,445	86,758	96,419	12,694	109,113
6. शहरी विकास	175,946	10,749	186,695	346,375	914	347,289	271,138	3,959	275,097	208,389	3,767	212,156
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	93,675	271	93,946	167,759	464	168,223	183,610	269	183,879	161,729	564	162,293
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	13,828	2,730	16,558	27,134	1,091	28,225	31,419	1,536	32,955	36,663	1,606	38,269
9. अन्य *	67,884	274	68,158	144,335	1,136	145,470	122,178	1,111	123,289	97,957	908	98,865
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**3,780,859**	**900,119**	**4,680,978**	**5,067,162**	**496,932**	**5,564,095**	**5,845,992**	**666,985**	**6,512,977**	**6,885,437**	**453,218**	**7,338,654**
1. कृषि और संबंधित कार्यकलाप (i से xi)	134,289	91,652	225,941	159,066	48,827	207,893	207,672	16,525	224,197	239,049	92,531	331,580
(i) फसल कार्य	5,627	2,037	7,663	11,827	557	12,384	11,738	715	12,453	21,842	516	22,359
(ii) मिट्टी और जल संरक्षण	23,324	679	24,003	27,276	750	28,026	25,680	691	26,371	46,421	1,747	48,168
(iii) पशु पालन	3,194	102	3,296	9,265	–	9,265	11,502	–	11,502	19,191	86	19,277
(iv) डेरी विकास	811	-28	783	1,189	–	1,189	1,198	–	1,198	1,420	–	1,420
(v) मत्स्य पालन	6,587	-40	6,547	8,787	–	8,787	12,615	–	12,615	16,880	–	16,880
(vi) वानिकी और वन्यजीवन	45,084	2,572	47,656	62,796	714	63,510	79,572	532	80,104	76,448	1,059	77,507
(vii) बागान	632	–	632	651	–	651	622	–	622	644	–	644
(viii) खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,087	86,254	87,341	2,500	46,995	49,495	2,377	12,783	15,159	2,655	13,765	16,419
(ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,245	–	2,245	3,643	–	3,643	3,490	–	3,490	5,803	–	5,803
(x) सहकारिता	45,152	89	45,242	29,718	-235	29,483	57,444	1,804	59,248	45,672	75,358	121,030
(xi) अन्य @	546	-13	533	1,415	46	1,461	1,434	–	1,434	2,073	–	2,073
2. ग्रामीण विकास	300,555	2,373	302,928	410,187	1,702	411,889	468,439	2,671	471,110	487,877	2,671	490,548
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	92,921	–	92,921	194,519	1	194,520	218,087	–	218,087	209,346	15,000	224,346
जिसमें से : पर्वतीय क्षेत्र	1,544	–	1,544	7,277	1	7,278	7,276	–	7,276	8,118	1	8,119
4. बड़ी और मझोली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,738,575	375,571	2,114,146	2,139,944	301,289	2,441,233	2,366,859	312,884	2,679,743	2,861,960	192,121	3,054,081
5. ऊर्जा	458,840	284,334	743,174	557,601	57,816	615,417	746,855	250,972	997,827	891,933	60,075	952,008
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	46,346	83,897	130,242	70,619	44	70,663	91,440	40	91,480	97,848	38	97,886
(i) ग्राम और लघु उद्योग	14,427	-12	14,415	24,711	44	24,755	29,353	40	29,393	37,582	38	37,620
(ii) लोहा और इस्पात उद्योग	792	–	792	1,011	–	1,011	1,011	–	1,011	1,246	–	1,246
(iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	909	-308	601	1,726	–	1,726	2,478	–	2,478	1,663	–	1,663
(iv) अन्य #	30,217	84,217	114,433	43,171	–	43,171	58,598	–	58,598	57,358	–	57,358
7. परिवहन(i + ii)	948,394	59,418	1,007,812	1,402,342	57,983	1,460,325	1,575,615	83,077	1,658,692	1,896,146	80,390	1,976,535
(i) सड़क और पुल	865,012	42,348	907,359	1,307,281	39,930	1,347,211	1,483,416	60,532	1,543,948	1,773,782	59,110	1,832,892
(ii) अन्य **	83,383	17,070	100,453	95,061	18,053	113,114	92,199	22,546	114,744	122,364	21,280	143,644
8. संचार	3	–	3	4	–	4	4	–	4	4	–	4

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *(जारी)*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1,723	-254	1,469	10,397	–	10,397	18,834	–	18,834	6,833	–	6,833
10. सामान्य आर्थिक सेवा (i + ii)	59,213	3,128	62,341	122,482	29,271	151,752	152,188	816	153,003	194,441	10,393	204,833
(i) पर्यटन	22,361	745	23,106	24,606	–	23,590	39,642	–	39,642	47,417	356	47,773
(ii) अन्य @@	36,851	2,383	39,234	97,876	29,271	127,146	112,546	816	113,362	147,023	10,037	157,060
2. विकासेतर (सामान्य सेवा)	**168,551**	**98,452**	**267,002**	**341,456**	**104,349**	**445,805**	**289,159**	**75,401**	**364,559**	**318,749**	**120,775**	**439,523**
II. आंतरिक ऋण की चुकौती (1 से 8)	**–**	**11,459,028**	**11,459,028**	**–**	**6,882,908**	**6,882,908**	**–**	**6,029,270**	**6,029,270**	**–**	**6,307,977**	**6,307,977**
1. बाजार से ऋण	–	588,834	588,834	–	528,122	528,122	–	517,577	517,577	–	550,557	550,557
2. जीवन बीमा निगम से ऋण	–	77,148	77,148	–	65,334	65,334	–	56,948	56,948	–	105,123	105,123
3. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से ऋण	–	203,090	203,090	–	227,062	227,062	–	253,616	253,616	–	308,674	308,674
4. नाबार्ड से ऋण	–	582,257	582,257	–	126,069	126,069	–	100,914	100,914	–	159,290	159,290
5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	–	55,990	55,990	–	42,733	42,733	–	70,043	70,043	–	42,918	42,918
6. भारिबैंक से अर्थोपाय अग्रिम	–	7,411,720	7,411,720	–	4,823,590	4,823,590	–	3,429,943	3,429,943	–	3,683,150	3,683,150
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां/अल्प बचत	–	1,950,622	1,950,622	–	517,873	517,873	–	978,015	978,015	–	665,271	665,271
8. अन्य	–	589,366	589,366	–	552,124	552,124	–	622,213	622,213	–	792,994	792,994
जिसमें से : भूमि प्रतिकर बांड	–	187	187	–	9,605	9,605	–	9,598	9,598	–	117,347	117,347
III. केंद्र को ऋण की चुकौती (1से 7)	**–**	**3,796,138**	**3,796,138**	**–**	**1,383,406**	**1,383,406**	**–**	**870,598**	**870,598**	**–**	**869,778**	**869,778**
1. राज्य योजना कार्यक्रम	–	3,475,438	3,475,438	–	1,126,684	1,126,684	–	625,080	625,080	–	650,397	650,397
जिसमें से : प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदान योजना सहायता अग्रिम	–	215	215	–	–	–	–	62	62	–	–	–
2. केंद्रीय योजना कार्यक्रम	–	2,588	2,588	–	12,510	12,510	–	12,536	12,536	–	13,682	13,682
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	–	11,285	11,285	–	14,065	14,065	–	14,312	14,312	–	14,225	14,225
4. योजनेतर (i से ii)	–	12,374	12,374	–	66,927	66,927	–	55,810	55,810	–	55,581	55,581
(i) प्राकृतिक आपदा राहत	–	–	–	–	13	13	–	–	–	–	–	–
(ii) अन्य	–	12,374	12,374	–	66,914	66,914	–	55,810	55,810	–	55,581	55,581
5. केंद्र से अर्थोपाय अग्रिम	–	178,217	178,217	–	85,092	85,092	–	60,001	60,001	–	50,001	50,001
6. विशेष कार्यक्रम के लिए ऋण	–	377	377	–	2,103	2,103	–	2,099	2,099	–	2,489	2,489
7. अन्य	–	115,860	115,860	–	76,025	76,025	–	100,761	100,761	–	83,403	83,403
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम (1+2)	**763,386**	**1,220,936**	**1,984,323**	**916,617**	**492,803**	**1,409,419**	**860,235**	**1,021,709**	**1,881,944**	**854,712**	**655,878**	**1,510,590**
1. विकास प्रयोजन (क+ख)	**762,998**	**1,054,619**	**1,817,617**	**916,507**	**375,431**	**1,291,937**	**859,975**	**917,730**	**1,777,705**	**854,352**	**550,694**	**1,405,047**
(क) समाज सेवा (1 से 7)	**199,446**	**98,326**	**297,772**	**238,812**	**176,750**	**415,561**	**313,011**	**155,479**	**468,490**	**366,743**	**197,740**	**564,483**
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	12,619	200	12,819	1,500	10	1,510	4,210	266	4,476	1,989	10	1,999
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	47	4,800	4,847	3,300	4,800	8,100	3,300	4,800	8,100	1,702	5,986	7,688
3. परिवार कल्याण	24	–	24	188	–	188	188	–	188	168	–	168
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	114,609	5,352	119,961	148,885	3,476	152,361	164,616	28,345	192,961	175,743	8,911	184,654
5. आवास	20,245	53,622	73,867	6,914	67,197	74,111	35,711	66,410	102,121	30,430	95,956	126,386
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	6,044	26,047	32,091	12,246	53,822	66,068	12,156	39,235	51,391	12,556	60,010	72,566
7. अन्य	45,858	8,305	54,163	65,779	47,445	113,224	92,830	16,424	109,253	144,155	26,867	171,022
(ख) आर्थिक सेवा (1 से 10)	**563,552**	**956,293**	**1,519,845**	**677,695**	**198,681**	**876,376**	**546,964**	**762,251**	**1,309,215**	**487,609**	**352,955**	**840,564**
1. फसल कार्य	1,324	16,865	18,189	135	2,409	2,544	290	3,557	3,847	75	1,017	1,092
2. मिट्टी और जल संरक्षण	–	–	–	30	–	30	289	–	289	–	–	–
3. खाद्यान्न भंडारण और गोदाम	1,037	30,000	31,037	4,992	250	5,242	5,757	30,250	36,007	1,801	30,250	32,051
4. सहकारिता	30,517	169,365	199,882	18,308	23,376	41,684	29,954	228,064	258,018	34,330	85,367	119,697

परिशिष्ट IV : अलग-अलग राज्यों के पूंजीगत व्यय *समाप्त*

सभी राज्य

(लाख रुपए)

मद	2004-05 (लेखा)			2005-06 (बजट अनुमान)			2005-06 (संशोधित अनुमान)			2006-07 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5. बड़ी और मझोली सिंचाई	574	–	574	183	1,500	1,683	94	500	594	267	1,500	1,767
6. बिजली परियोजना	437,776	603,383	1,041,159	528,945	128,711	657,656	420,615	339,626	760,241	376,544	92,868	469,412
7. ग्राम और लघु उद्योग	11,041	8,601	19,642	2,259	201	2,460	23,220	4,391	27,611	6,867	376	7,243
8. अन्य उद्योग और खनिज	50,002	16,811	66,813	18,416	16,938	35,354	21,350	33,723	55,073	20,705	27,434	48,139
9. ग्रामीण विकास	4,888	304	5,192	5,701	485	6,186	6,201	485	6,686	6,211	485	6,696
10. अन्य	26,393	110,964	137,357	98,726	24,811	123,537	39,195	121,655	160,851	40,809	113,658	154,466
2. विकासेतर प्रयोजन (क+ख)	**388**	**166,317**	**166,706**	**110**	**117,372**	**117,482**	**260**	**103,979**	**104,239**	**360**	**105,184**	**105,544**
(क)सरकारी कर्मचारी (आवास से इतर)	337	22,334	22,672	50	46,033	46,083	200	33,361	33,561	300	34,216	34,516
(ख) विविध	51	143,983	144,034	60	71,339	71,399	60	70,618	70,678	60	70,968	71,028
V. अंतर राज्य निपटान	**–**	**–**	**–**	**–**	**3**	**3**	**–**	**2**	**2**	**–**	**3**	**3**
VI. आकस्मिकता निधि	**–**	**88,267**	**88,267**	**–**	**64,610**	**64,610**	**–**	**100,384**	**100,384**	**–**	**64,610**	**64,610**
VII. लघु बचत, भविष्य निधि आदि (1+2)	**–**	**2,491,742**	**2,491,742**	**–**	**2,981,622**	**2,981,622**	**–**	**2,808,894**	**2,808,894**	**–**	**3,003,623**	**3,003,623**
1. राज्य भविष्य निधि	–	1,687,647	1,687,647	–	2,050,064	2,050,064	–	1,926,477	1,926,477	–	2,099,360	2,099,360
2. अन्य	–	804,094	804,094	–	931,557	931,557	–	882,418	882,418	–	904,263	904,263
VIII. आरक्षित निधि (1 से 4)	**–**	**1,144,361**	**1,144,361**	**–**	**1,276,258**	**1,276,258**	**–**	**2,141,903**	**2,141,903**	**–**	**1,804,031**	**1,804,031**
1. मूल्यह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	–	7,985	7,985	–	9,704	9,704	–	23,721	23,721	–	40,046	40,046
2. ऋणशोधन निधि	–	264,686	264,686	–	398,055	398,055	–	690,048	690,048	–	636,477	636,477
3. अकाल राहत निधि	–	–	–	–	7	7	–	7	7	–	7	7
4. अन्य	–	871,690	871,690	–	868,492	868,492	–	1,428,127	1,428,127	–	1,127,501	1,127,501
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	**14,299**	**13,697,811**	**13,712,110**	**14,589**	**11,804,049**	**11,818,638**	**15,389**	**12,549,554**	**12,564,943**	**15,584**	**13,142,668**	**13,158,252**
1. सिविल जमा	–	3,680,147	3,680,147	–	3,351,347	3,351,347	–	3,762,298	3,762,298	–	3,702,599	3,702,599
2. स्थानीय निधि जमाराशि	–	6,764,878	6,764,878	–	6,303,958	6,303,958	15,389	6,491,138	6,506,527	15,584	6,832,761	6,848,345
3. सिविल अग्रिम	–	290,282	290,282	–	247,546	247,546	–	245,032	245,032	–	256,023	256,023
4. अन्य	14,299	2,962,505	2,976,804	14,589	1,901,198	1,915,787	–	2,051,086	2,051,086	–	2,351,285	2,351,285
X. उचंत और विविध (1 से 4)	**–**	**66,515,116**	**66,515,116**	**–**	**31,049,791**	**31,049,791**	**–**	**64,051,517**	**64,051,517**	**–**	**48,066,652**	**48,066,652**
1. उचंत	–	607,068	607,068	–	1,250,825	1,250,825	–	2,958,436	2,958,436	–	2,673,371	2,673,371
2. नकदी शेष निवेश खाता	–	28,289,183	28,289,183	–	6,041,102	6,041,102	–	27,230,188	27,230,188	–	14,375,064	14,375,064
3. भारिबैंक के पास नकदी शेष	–	23,357,151	23,357,151	–	10,235,231	10,235,231	–	18,980,278	18,980,278	–	19,056,278	19,056,278
4. अन्य	–	14,261,714	14,261,714	–	13,522,634	13,522,634	–	14,882,615	14,882,615	–	11,961,938	11,961,938
XI. आकस्मिकता निधि में विनियोग	**–**	**37,500**	**37,500**	**–**	**–**	**–**	**–**	**60**	**60**	**–**	**600**	**600**
XII. विप्रेषण	**–**	**6,779,426**	**6,779,426**	**–**	**5,318,648**	**5,318,648**	**–**	**5,137,079**	**5,137,079**	**–**	**5,068,112**	**5,068,112**
अ. पूंजीगत खाता अधिशेष (+)/घाटा (-)			**4,688,154**			**2,611,448**			**2,280,334**			**849,768**
आ.राजस्व खाता अधिशेष (+) / घाटा (-)			**-3,642,266**			**-2,565,571**			**-1,717,796**			**-478,462**
इ. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-) (अ+आ)			**1,045,887**			**45,877**			**562,538**			**371,306**
अधिशेष वित्त(+)/घाटा(-) (इ=ई+उ+ऊ)			**1,045,887**			**45,877**			**562,538**			**371,306**
ई. नकदी शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)++			**65,061**			**63,077**			**160,355**			**250,021**
(क) अथशेष			-563,397			-691,232			-108,434			224,361
(ख) इतिशेष			-520,986			-628,155			-8,967			680,325
उ. नकद शेष निवेश खाता (निवल) से आहरण (-)/जोड़ (+)			**802,634**			**-17,200**			**340,229**			**126,308**
ऊ. भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट में वृद्धि (-)/कमी (+)			**178,192**			**–**			**61,953**			**-5,022**

परिशिष्ट IV की टिप्पणी :

1. 'लोक लेखा' तथा 'आकस्मिकता निधि' के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों सहित सभी आंकड़ें सकल आधार पर हैं। साथ ही, परिशिष्ट।।। (पूंजीगत प्राप्तियां) में दिए गए केन्द्र से 'आंतरिक ऋण' एवं 'ऋण तथा अग्रिम' के अंतर्गत आनेवाले सभी उप-समूह अब पूंजीगत व्यय में शामिल किए गए हैं। 'लोक लेखा' तथा 'आकस्मिकता निधि' की मदों के अंतर्गत व्यय को भी पूंजीगत व्यय में शामिल किया गया है । इन संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण संशोधित किए गए पूंजीगत व्यय, उप-समूह अध्ययन में प्रस्तुत पिछले आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं।

2. केवल 2003-04 के लोक लेखा (खाता) के पूंजी व्यय के तुलनात्मक आंकड़े विवरण 32 में दिए है।

3. जहां किसी प्रमुख समूह के किसी एक या अनेक उप-समूह से संबंधित ब्योरे उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित राशि 'अन्य' उप-समूहों के सामने दर्शाई गई है।

4. वर्ष 2004-05 (लेखा) के लिए जम्मू और काश्मीर, झारखंड के आँकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

5. पिछले अध्ययन में बिहार के 2005-06 (बजट अनुमान) के आंकड़े लेखानुदान आधार पर है। इसलिए, बिहार से संबधित 2005-06 (बजट अनुमान) के आंकड़े बजट 2006-07 के आधार पर संशोधित है। तदनुसार ''सभी राज्य'' के 2005-06 (बजट अनुमान) के सभी आंकड़े पिछले वर्ष प्रकाशित आकड़ो से भिन्न होंगे।

6. सभी आंकड़े पूर्णांकित हैं।

$ इसमें I से IV मदों की जोड़ शामिल है जबकि II(3) और II(6) मदों को शामिल नहीं किया है। मद II(3) की पूंजी प्राप्ति के अंतर्गत निवल आधार पर किया है, जबकि II(6) को समग्र अधिशेष/घाटे के लिए वित्त पोषण मद के रुप में लिया गया है।

* इसमें सूचना और प्रचार, अन्य सामाजिक सेवा आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

@ इसमें अन्य कृषि कार्यक्रम आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

इसमें सीमेंट और अधात्विक उद्योगों, पेट्रो-रसायन उद्योगों, रसायन उद्योगों, इंजीनियरी उद्योगों, दूरसंचार और इलैक्ट्रोलिक उद्योगों, उपभोक्ता वस्तु उद्योगों, अणु ऊर्जा उद्योगों, अन्य उद्योगों और खनिज आदि पर परिव्यय शामिल हैं।

** इसमें भारतीय रेलवे - वाणिज्यक लाइन - भारतीय रेलवे स्ट्रैटेजिक लाइन, बंदरगाह और प्रकाशगृह जहाजरानी, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन, अन्य परिवहन आदि पर किए गए परिव्यय शामिल हैं।

@@ इसमें विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन, प्रौद्योगिकी, अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर परिव्यय और सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं आदि में निवेश शामिल है।

++ अथशेष और इतिशेष से संबंधित आँकड़ों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसमें नकदी शेष में वृद्धि/कमी शामिल है। अतः हो सकता है कि अथशेष और इतिशेष में अंतर नकदी शेष में वृद्धि / कमी से मेल न खाएं।.

— शून्य / नगण्य / अनुपलब्ध।